



# धर्मशास्त्र का इतिहास

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[ तृतीय भाग ]

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरङ्ग वामन काणे  
एम० ए०, एल-एल० एम०

अनुवादक

प्राध्यापक अर्जुन चौबे काश्यप, एम० ए०  
प्रिंसिपल, डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ (अवध)

हिन्दी समिति, सूचना विभाग  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

द्वयम सस्करण

१९६६

मूय  
वीम रूपे

मुद्रक  
सम्मलन मुद्रणालय  
प्रयाग

## प्रकाशकीय

हिन्दुओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र—जन्म-भरण, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, शासन, खान-पान, जाति-पाँति, शीचाशीच आदि—में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म का जितना व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना संसार के किसी अन्य समाज, जाति या धर्मानुयायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक-ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मग्रन्थों के आधार पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों रामायण, महाभारत आदि में इसकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री के ठीक प्रकार से अव्ययन, संकलन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्न विलक्षण योग्यता वाले विद्वान् के ही द्वारा संभव है। महाराष्ट्र के धुरंधर धर्मशास्त्रज्ञ तथा साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान् श्री पाण्डुरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान् हैं, जिन्होंने इस महासमुद्र का मन्यन कर धर्म का सारतत्त्व 'सागर में सागर' की तरह भर देने का सफल प्रयास किया है। अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छः जिल्दों में प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी के पाठकों के लाभार्थ उसके अधिकांश का अनुवाद हिन्दी समिति द्वारा क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है।

पहले और दूसरे भाग के बाद अब तीसरा भाग भी आपके सामने है। इसका अन्तिम परिशिष्टांश भी शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। उसमें तीनों भागों की विस्तृत अनुक्रमणिका आदि विषयों का समावेश रहेगा।

रमेशचन्द्र पन्त  
सचिव, हिन्दी समिति





## मूल लेखक का वक्तव्यांश

“... 'धर्मशास्त्र का इतिहास' के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जित्त हंग एवं स्तर पर प्रस्तुत किया था, उनी के अनुरूप एक ही खण्ड में बने हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे अन्तर्भव-सा लगा। इसके अतिरिक्त बहनी हुई अवस्था के कारण शारीरिक पक्षि भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, यैसा कर पाना अब संभव न था। अतः मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षों तक प्रेम में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण हैं—पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्वेषिष्टि, आशीर्ष, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा।

नृशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के 'गोल्डेन वाज' की भांति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वागों, परिपाटियों एवं संस्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परन्तु मैंने अपने इस मोह का वृद्धता से संवरण किया और वह भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्रेलर ने अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अद्युण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ैल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पणों का सामान्य दण्ड निर्धारित किया था।

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासों से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्तमान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।”

ज्ञान-ज्ञान का पावन कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य खण्डों की भाँति इस 'वैदिक कान्फाडेंस', मॅकडॉनल एव कीथ के 'वैदिक इण्डेक्स' तथा 'सिक्रेड बुक्स ऑफ दि । हं। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शकाओं समाधान देकर उन्होंने मुझे सदैव ही अनुपूहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता

१० इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के । पठने एव बहुमूल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट के तर्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छ. वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, उन्हीं का नामोल्लेख यहाँ सम्वन्धी, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है—प्रो० के० वी० आयगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयगर, डा० ए० एस० अल्लेकर, डा० एस० के० वेलवेलकर, प्रो० जी० एच० श्री भवतोप भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री वी० डी० दिस्काल्कर, डा० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीर्थ लदमण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुपेकर, उमेश मिश्र, डा० वी० रामवन, प्रो० एल० रैनु, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन नों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिलायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों पादृष्टि के पश्चात् भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। असह्य उद्ध-एव सदमों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . .”

—पाण्डुरंग धामन काणे

## उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण

अ० वे० या अथर्व०=अथर्ववेद

अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्व

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति

अ० क० दी०=अन्त्यकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० घ० सू० या आपस्तम्बधर्म०=आपस्तम्बधर्मसूत्र

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०=आपस्तम्ब मन्त्रपाठ

आ० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आश्व० गृ० सू० या आश्वलायनगृ०=आश्वलायनगृह्यसूत्र

आश्व० गृ० प० या आश्वलायनगृ० प०=आश्वलायन-

गृह्यपरिशिष्ट

ऋ० या ऋग्०=ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्

कलिवर्ज्य०=कलिवर्ज्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतरु, कृ० क०=लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु

कात्या० स्मृ० सा०=कात्यायन स्मृतिसारोद्धार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शास्त्री का

संस्करण)

कौ० ब्रा० उप० या कौपीतकिब्रा०=कौपीतकि ब्राह्मण-

उपनिषद्

गं० म० या गंगाभ० या गंगाभक्ति०=गंगाभक्तितरंगिणी

गंगावा० या गंगावाक्या०=गंगावाक्यावली

गरुड०=गरुडपुराण

गृ० र० या गृहस्थ०=गृहस्थरत्नाकर

गी० या गी० घ० सू० या गीतमधर्म०=गीतमधर्मसूत्र

गी० पि० या गीतमपि०=गीतमपितृमेघसूत्र

चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि

छा० उ० या छा०दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत०=जीमूतवाहन

जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर

ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहान्नाह्वण

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु

ती० प्र० या तीर्थ प्र०=तीर्थप्रकाश

ती० चि० या तीर्थचि०=वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० सं०=तैत्तिरीय संहिता

त्रिस्थली०=नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु

त्रिस्थली० या त्रि० से०=भट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत

निर्णय० या नि० सि०=निर्णयसिन्धु

पद्म०=पद्मपुराण

परा० मा०=पराशरमाधवीय

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी

पार० गृ० या पारस्करगृ०=पारस्करगृह्यसूत्र

पू० मी० सू० या पूर्वमी०=पूर्वमीमांसासूत्र

प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०=प्रायश्चित्ततत्त्व

प्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायश्चित्त प्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण  
 प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायश्चित्तप्रकाश  
 प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-  
 विवेक  
 प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायश्चित्तमयूख  
 प्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायश्चित्तसार  
 वृ० मू०=वृद्धमूषण  
 वृ० या वृद्धम्पनि०=वृद्धम्पनिस्मृति  
 वृ० उ० या वृह० उप०=वृहदारण्यकोपनिषद्  
 वृ० सं० या वृहत् सं०=वृहत्संहिता  
 वी० गू० मू० या वीषायनगू०=वीषायनगूह्यमूत्र  
 वी० घ० मू० या वीषा० घ० या वीषायनघ०=वीषायन-  
 घमंमूत्र  
 वी० श्रौ० मू० या वीषा० श्रौ० मू०=वीषायनश्रौतमूत्र  
 ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०=ब्रह्मपुराण  
 ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण  
 नवि० पु० या नविष्य०=नविष्यपुराण  
 मस्य०=मन्व्यपुराण  
 म० प० या मद्र० पा०=मदनपारिजात  
 मनु० या मनु०=मनुस्मृति  
 मानव० या मानवगूह्य०=मानवगूह्यमूत्र  
 मित्रा०- 'मित्राक्षर (विज्ञानेश्वर इति याज्ञवल्करस्मृति-  
 की टीका)  
 मी० कौ० या मीमांसाकौ०=मीमांसाकौस्तुभ  
 (सम्भवे)  
 मेघा० या मेघातिथि०=मनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका  
 या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि  
 मैत्री० उप०=मैत्रूपनिषद्  
 मै० सं० या मैत्रायणी सं०=मैत्रायणी संहिता  
 य० घ० सं० या यत्पर्म०=यत्पर्मसंघषह  
 या०, या याज्ञ०=याज्ञवल्करस्मृति  
 राज०=इच्छण की राजतरंगिणी  
 रा० व० कौ० या राजव० कौ०=राजपर्मरीस्तुभ  
 रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मिथ्र वा राजनीति-  
 प्रकाश

राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेश्वर वा राजनीति  
 रत्नाकर  
 वाज० सं० या वाजसनेयीसं०=वाजसनेयीसंहिता  
 वायु०=वायुपुराण  
 वि० चि० या विनादवि०=वाचस्पति मिथ्र की विवाद-  
 चिन्तामणि  
 वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर  
 विदव० या विद्वत्प०=पातञ्जल्यस्मृति की विदव-  
 ह्नद्वय टीका  
 विष्णु०=विष्णुपुराण  
 विष्णु० या वि० घ० मू०=विष्णुघमंसूत्र  
 वी० मि०=वीरमिनोदय  
 वै० रमा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र  
 व्यव० त० या व्यवहारत०=रघुनन्दन वा  
 व्यवहारतत्त्व  
 व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिर्णय  
 व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मिथ्र वा व्यवहारप्रकाश  
 व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख  
 व्य० भा० या व्यवहारभा०=जीमूतवाहन की व्यवहार-  
 भाषा  
 व्यव० सा०=व्यवहारसार  
 श० ब्रा० या शतपथब्रा०=शतपथब्राह्मण  
 शातानप०=शातानपस्मृति  
 शा० गू० या शाखायनगू०=शाखायनगूह्यमूत्र  
 शा० श्रा० या शाखायनश्रा०=शाखायनश्राह्य  
 शा० श्रौ० मू० या शाखायनश्रौ०=शाखायनश्रौतमूत्र  
 शान्ति०=शान्तिपर्व  
 शुत्र० या शुत्रनीति०=शुत्रनीतिसार  
 शुद्रवम०=शुद्रवमलापर  
 शु० कौ० या शुद्धिकौ०=शुद्धिकौमुदी  
 शु० व० या शुद्धिवला०=शुद्धिवलाउह (शुद्धि पर)  
 शु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश  
 था० व० सं० या थाडकल्प०=थाडकल्पउह  
 था० द्वि० कौ० या थाडकिया०=थाडकिया-  
 कौमुदी

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र० = श्राद्धप्रकाश  
 श्रा० वि० या श्राद्धवि० = श्राद्धविवेक  
 स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ० = सत्यापाठश्रीतसूत्र  
 स० वि० या सरस्वतीवि० = सरस्वतीविलास  
 सा० ब्रा० या साम० ब्रा० = सामविधान ब्राह्मण  
 स्कन्द० या स्कन्दपु० = स्कन्दपुराण

स्मृ० च० या स्मृतिच० = स्मृतिचन्द्रिका  
 स्मृ० मु० या स्मृतिमु० = स्मृतिमुक्ताफल  
 सं० कौ० या संस्कारकौ० = संस्कारकौस्तुभ  
 सं० प्र० = संस्कारप्रकाश  
 सं० र० मा० या संस्कारर० = संस्काररत्नमाला  
 हि० गृ० या हिरण्य० गृ० = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र

## इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = ऐं० जि० (ऐंश्येंट जियाग्रफी आव इंडिया)  
 Ain. A. = आइने अकवरी (अवुल फजल कृत)  
 A. I. R. = आल इण्डिया रिपोर्टर  
 A. S. R. = आकर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स  
 B. B. R. A. S. = बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी  
 B. O. R. I. = मण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना  
 C. I. I. = कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्  
 E. I. = एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इंडि०)  
 I. A. = इण्डियन ऐंटिकवेरी (इंडि० ऐंटि०)  
 I. O. = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन।  
 I. H. Q. = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली  
 J. A. O. S. = जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी  
 J. A. S. B. = जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल  
 J. B. O. R. S. = जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी  
 J. R. A. S. = जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)  
 S. B. E. = सेन्ट्रेड वुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित)  
 G. O. S. = गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़



## प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०=ईसा के पूर्व;  
ई० उ०=ईसा के उपरान्त]

- ४०००—१००० (ई० पू०) : यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।)
- ८००—५०० (ई० पू०) : यास्क की रचना निरुक्त।
- ८००—४०० (ई० पू०) : प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, सत्यापाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।
- ६००—३०० (ई० पू०) : गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।
- ६००—३०० (ई० पू०) : पाणिनि।
- ५००—२०० (ई० पू०) : जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।
- ५००—२०० (ई० पू०) : भगवद्गीता।
- ३०० (ई० पू०) : पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन।
- ३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०) : कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।
- १५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०) : पतञ्जलि का महामाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।
- २०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०) : मनुस्मृति।
- १००—३०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति।
- १००—३०० (ई० उ०) : विष्णुधर्मसूत्र।
- १००—४०० (ई० उ०) : नारदस्मृति।
- २००—५०० (ई० उ०) : वैखानसस्मार्त-सूत्र।
- २००—५०० (ई० उ०) : जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।
- ३००—५०० (ई० उ०) : व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं।



- ३००—६०० (ई० उ०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य०, कूर्म० ।
- ४००—६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।
- ५००—५५० (ई० उ०) : बराहमिहिर, पञ्चमिहान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक ।
- ६००—६५० (ई० उ०) : कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण ।
- ६५०—६६५ (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'वाशिका' व्याख्याकार चामन—जयादित्य ।
- ६५०—७०० (ई० उ०) : कुमारिल का तन्त्रवातिक ।
- ६००—९०० (ई० उ०) : अविकारास्मृतियाँ, यथा—पराशर, शब, देवल तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गरुड० ।
- ७८८—८२० (ई० उ०) : महान् अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य ।
- ८००—८५० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ।
- ८०५—९०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि ।
- ९६६ (ई० उ०) : बराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल ।
- १०००—१०५० (ई० उ०) : बहुत से ग्रन्थों के लेखक वारेस्वर मोज ।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज ।
- ११००—११३० (ई० उ०) : कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विद्यालय धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के लेखक लक्ष्मीधर ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमानूका के लेखक जीमूतवाहन ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट ।
- ११००—११३० (ई० उ०) : अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी ।
- १११४—११८३ (ई० उ०) : मास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अर्थ है, प्रणेता हैं ।
- ११२७—११३८ (ई० उ०) : सोमेश्वर देव का मानतोलीस या अमिलपितायेंचिन्तामणि ।
- ११५०—११६० (ई० उ०) : कल्हण की राजतरंगिणी ।
- ११५०—११८० (ई० उ०) : हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट ।
- ११५०—१२०० (ई० उ०) : श्रीधर का स्मृत्यर्थसार ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मग्रन्थों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त ।
- १२००—१२२५ (ई० उ०) : देवण मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।
- ११७५—१२०० (ई० उ०) : धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वेस्व के प्रणेता हलायुध ।
- १२६०—१२७० (ई० उ०) : हेमाद्रि की चतुर्बर्गचिन्तामणि ।
- १२००—१३०० (ई० उ०) : वरदराज का व्यवहारनिर्णय ।
- १२७५—१३१० (ई० उ०) : पितृमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त ।
- १३००—१३७० (ई० उ०) : गृहस्थरत्नाकर, विद्यारत्नाकर, त्रियारत्नाकर आदि के रचयिता चण्डीश्वर ।

- १३००—१३८० (ई० उ०) : वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण ।
- १३००—१३८० (ई० उ०) : पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सायण के भाई माधवाचार्य ।
- १३६०—१३९० (ई० उ०) : मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश संगृहीत किये गये ।
- १३६०—१४४८ (ई० उ०) : गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की तिथियाँ । देखिए इंडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा— शक १३२१, संवत् १४५५, ल० स० २८३ एवं सन् ८०७) ।
- १३७५—१४४० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि ।
- १३७५—१५०० (ई० उ०) : विशाल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- १४००—१५०० (ई० उ०) : तन्त्रवार्तिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मदनसिंह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न ।
- १४२५—१४६० (ई० उ०) : शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर ।
- १४२५—१४९० (ई० उ०) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- १४५०—१५०० (ई० उ०) : दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- १४९०—१५१२ (ई० उ०) : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है ।
- १४९०—१५१५ (ई० उ०) : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग हैं—श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त-सार आदि ।
- १५००—१५२५ (ई० उ०) : प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास ।
- १५००—१५४० (ई० उ०) : शुद्धिक्रीमुदी, श्राद्धक्रियाक्रीमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द ।
- १५१३—१५८० (ई० उ०) : प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतुं के लेखक नारायण भट्ट ।
- १५२०—१५७५ (ई० उ०) : श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि के लेखक रघुनन्दन ।
- १५२०—१५८९ (ई० उ०) : टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।
- १५६०—१६२० (ई० उ०) : द्वैतनिर्णय या धर्मद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट ।
- १५९०—१६३० (ई० उ०) : वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित ।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट ।

- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिथ्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : प्रायश्चित्त, द्वाद्वि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा—नीति-मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतमास्कर के लेखक नीलकण्ठ।
- १६५०—१६८० (ई० उ०) : राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : मिताक्षरा पर 'बालभट्टी' नामक टीका के लेखक बालभट्ट।

# विषय-सूची

## चतुर्थ खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	पातक	
१.	पातक (पाप)	१०१५
	पञ्च महापातक	१०२३
	उपपातक	१०३०
	प्रकीर्णक पातक	१०३२
२.	पाप-फलों को कम करने के साधन	१०३५
	प्रायश्चित्त	
३.	प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ	१०४३
४.	विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त	१०५७
५.	प्रायश्चित्तों के नाम	१०८१
	कर्मविधाक	
६.	प्रायश्चित्त न करने के परिणाम	१०९६
	अनयकर्म	
७.	अन्त्येष्टि	१११०
	मृत का श्मशान (समाधि, स्तूप)	११४५
	आशौच, शुद्धि, श्राद्ध	
८.	शुद्धि	११५७
९.	श्राद्ध	११९६
	श्राद्धों का वर्गीकरण	१२२१
	पार्वण श्राद्ध	१२४६
१०.	एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध	१२७८
	महालय श्राद्ध	१२८७
	वृषोत्सर्ग	१२९१

तीर्थप्रदर्शन

११	तीर्थयात्रा	..	..	१२९९
१२	पंजा	..	..	१३२०
	प्रयाग	..	.	१३२६
१३	काशी	..	..	१३३९
१४	गया	..	.	१३५१
१५.	कुरुक्षेत्र	..	.	१३७२
	मथुरा	..	..	१३७६
	पुण्यप्राय	..	..	१३७९
	नर्मदा	..	..	१३८६
	गोदावरी	..	..	१३८९
	काशी (बंगीबस्त)	..	..	१३९१
	मन्थपुर	..	..	१३४२
१६	तीर्थ-सूची	..	..	१३९६
	परिसिद्धि			
	धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सालिषा	..	..	१५०८

## चतुर्थ खण्ड

पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, अशौच,  
शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा



## अध्याय १

### पातक (पाप)

पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे।

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।<sup>१</sup>

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पर्शिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट होता है कि प्राचीन ऋषियों में पाप-रहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना ऋत की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता।

१. आजकल पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 'सिन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है—“ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसकी ध्याख्या के मूल में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है. . . .” बहुत लोग कहा करते हैं; ‘तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है)। प्रत्येक भावनाप्रथियों का प्रतिफल है।’ इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ‘क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन’ नामक अपने लेख में सर आलिवर लॉज (हिब्वर्ट जर्नल, १९०३-४ पृ० ४६६) ने कहा है—“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है।” प्राचीन भारत के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे—जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण करना चाहिए (यावद् जीवेत् सुखं जीवेत्); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्)। जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः)।



ऋत के तीन स्वरूप हैं—(१) इसका तात्पर्य है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य क्रम”, (२) यज्ञ के सदर्थ में इसका तात्पर्य है “देवताओं की पूजा की सम्यक् एव व्यवस्थित विधि”, (३) इसका तीसरा तात्पर्य है “मानव का नैतिक आचरण”। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया है—“ऋत मे पर्याप्त जल (समुद्रियाँ एव प्रीतिदान या उपहार) हैं, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्टृत्यो (पातकों) का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एव दीप्यमान (उन्मेपकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) के लिए सुखप्रद (सौम्य) है। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गीर्षे (सूर्य की निरण) ऋत के द्वारा ऋत म प्रविष्ट हुई। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एव पृथिवी विम्लत एव गहरे हैं, (ये) दो अति उच्च गीर्षे (अर्थात् स्वर्ग एव पृथिवी) ऋत के लिए दूध (काशाएँ या उपहार) देती हैं। इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा—ऋग्वेद (२।२।४, १।१०।५।१२, १।१६।१।११, १।१२।४।३, १।१२।३।९, ४।५।१।१, १।१३।६।२, १।१२।१।४)।

वहुन में वैदिक देवता ऋत के दिक्पालों, प्रवर्तका या सारथियों के रूप में वर्णित हैं। मित्र और वरुण ऋत के द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६।३।७); मित्र, वरुण एव अयंमा ऋत के सारथि बहे गये हैं (८।६६।१२); वे तथा अदिनि एव भग ऋत के रक्षक हैं (६।५।१।३)। अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८, ३।१०।२, १०।८।५, १०।११।८।७) और ऋतावान् (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४।८।४, ९।७।३।८) और उमका आश्रयदाता (९।९।७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान् (प्रकृति के म्यत्र ऋम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एव ऋताबुध् (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत, के भयकर विद्रोपी बहे गये हैं।

ऋत एव यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य अर्थ में यज्ञ की मुख्यव्यिष्ट गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतधित् (ऋत को भन्ती भानि जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उर्द्वलित किया गया है, कई मंत्रों में ‘ऋतेन, ऋतम्’ जैसे शब्द आये हैं (४।३।९, ५।१५।२, ५।६।८।४), जिनमें ‘ऋतेन’ का सम्भव अर्थ है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक् गति तथा ‘ऋतम्’ का अर्थ है विद्वत् के व्यवस्थित (नियमित) ऋम। सोम को दशाश्वि (९।७।३।९) पर चलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है। देविए ऋग्वेद के ये मंत्र (१।८।४, ४।१।१३, १।७।१३, १०।६।७।२ एव १०।३।७।१, जहाँ मंत्रों में ऋत के व्यापक सम्यग्य की ओर निर्देश है।

२. ऋतस्य हि द्रुष्यं सन्ति पूर्वोऽऋतस्य धीतिर्बुजितानि हृतिः। ऋतस्य द्रोचोर्ध धिपरा तनवं बर्णा मृधानः शुभमान आयोः॥ ऋतस्य द्रुद्रहा धदगानि सन्ति पुर्बणि चन्द्रा वपुषे वपुषि। ऋतेन दीप्यमयन्त पृथ ऋतेन गाव ऋत-भावित्रेद्रुः॥ ऋत येमान ऋतमिन्द्रोत्तरस्य शुष्मस्तुरया उ गव्यु। ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय येनू परमे बुहते॥ (ऋ० ४।२।३।८-१०)। निश्चय में ऋत का अर्थ ‘जल’ किया है और उसको ध्यास्या निम्न रूप से भी है—ऋतस्य प्रजा वर्तनीपानि हृति ऋतस्य द्रोचोर्ध धिपरायापि बर्णो आनुगतिः। धिपरा-बद्धोऽमः। बर्णो बोधयन् दीप्यमानस्य धायो अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदरस्य वा।

नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद (१।१९०।६, मधु वाता ऋतायते मधु धरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है—“हे ऋत को जानने-वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो . . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय नहीं लूँगा, मैं भूरे बैल (अर्थात् अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।” पुनः आया है (१०।८७।११); “हे अग्नि, वह दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी वेड़ियों में तीन बार बँध जाय।” यम ने अपनी ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है—(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी करेंगे ?) ; क्या हम, जब हमने सदैव (अब तक) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे ? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम) ।”

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा वृहत् ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७।५।५)। इसी प्रकार महत् ऋत का वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (५।५।१२) ने विश्वे देवों को ऋतधीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक-सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्-पृथक् ‘तप’ से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण वृहत् अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२।५)। वैदिक साहित्य में भी क्रमशः आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा तै० उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं।

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः वरुण एवं आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके ये शब्द हैं—आगस्, एनस्, अध, दुरित, दुष्कृत, द्रुग्ध, अंहस्। अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस् एवं एनस् जिनको अत्यन्त गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६।३); ७।८९।५ = अथर्ववेद ६।५।१३; २।२७।१४; २।२८।५; २।२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र—१।१६२।२२; १।१८५।८; २।२९।५; ४।१२।४; ४।५४।३; ७।५।११; ७।५७।७; ५।८५।७; ७।८७।७; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०।३७।७ एवं ९। एनस् के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५।१७; ६।५।१८; ६।७४।३; ७।२०।१; १।१८९।१; २।२८।७; ७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०।११७।६)। अंहस् के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२।१४; ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३)।

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द वृजिन है, जो बहुधा साधु या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद् विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएँ चली आती हैं, अर्थात् राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी सन्निकट हो जाती

३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धचृतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वाः। नाहं यातुं सहसा न द्वयेन ऋतं शपाम्य-  
रुपस्य वृष्णः। ऋ० (५।१२।२)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यो को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१।२ एवं ७।६।०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजु मत्तंपु वृजिना च पश्यन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देखे। ऋग्वेद (७।६।०।५) में आया है—“मित्र, अयंमा एवं वरुण देवता-गण पापो को देखते हैं, वे ऋत में निवास करते हैं।” ‘मित्र वरुण एवं अयंमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं’ (६।६६।१३)।

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार किया गया है—“ह जल, मुझमें जो भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अपराध किये हैं, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एवं ही स्थान पर है और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवा के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८।५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी का नम स पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामवद्याहृन्तान)। ‘अवघ’ का अर्थ है ‘गह्यं’ (पाणिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८।२।७) में आया है—“हे मित्र एवं वरुण जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अहम् (पाप), दुरित एव चिन्ता नहीं आती।” और दशमस्कन्ध ऋग्वेद (१०।१२५।१)। ऋग्वेद (८।६।७।२१) में ‘अहृति’ एवं ‘रपस्’ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४।७।१३, १०।१६।४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। ‘पाप’ शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६।१।११, १०।१०।१२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६।६।५; १।१२९।१११)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३।२।१८, ७।९।४।३, ८।१९।१०।६)। ब्राह्मण ग्रन्थों में ‘पापम्’ (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (शतपथब्राह्मण १।१।२।७।१९ एतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयोपनिषद् २।९, छान्दोग्योपनिषद् ४।१।४।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ सञ्चयन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन में पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यज्ञस्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है—“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।”<sup>५</sup>

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का धोतन रहा है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचन रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी न हो। (ऋग्वेद (७।८।६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, द्यूत (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

४. अन्त पश्यन्ति वृजिनोत् साधु सर्वं राजन्म्यं परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो बृहत्स्तिष्ठद् अथा ऋजु मत्तंपु वृजिना च पश्यन्। ऋ० (४।१।१७)।

५. इदमाप प्रबहत् धर्तिकं च दुरितं मयि। यद्वाहमभिदुद्रोहं यद्वा दोष उतानृतम्॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।

६. सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १, पृ० २२।

है।<sup>१०</sup> कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सबके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म कराते हैं।”<sup>११</sup> इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?”<sup>१२</sup> दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)—“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।”<sup>१३</sup> किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।”<sup>१४</sup> शान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोपजनक विवेचन नहीं मिलता। गौतम (१९।२) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना तथा जो वर्जित है उसे करना।”<sup>१५</sup> याज्ञ० (३।२।१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।”<sup>१६</sup> और देखिए मनु (११।४४) एवं शान्ति० (३।४।२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।”<sup>१७</sup> निरुवत (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त

७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेद-  
नृतस्य प्रयोता ॥ ऋ० (७।८।६।६)।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनी-  
पते। कौपीतकिब्रा० उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है।

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञ० (३-  
२।१९); अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्। प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वर्तयन् ॥ शान्तिपर्व ३।४।२।  
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२।१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन  
कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गौ० (१९।२)।  
और देखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)।

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्। ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयश्चक्रुः।  
तासामेकामपि अधिगच्छन्नहस्वान् भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः  
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति। निरुवत (६।२७)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य में यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१२ एवं ७।६०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजू मनेषु वृजिना च पश्यन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है—“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं, वे ऋत में निवाम करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अर्यमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१२)।

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो वा आह्वान इस प्रकार किया गया है—“हे जल, मुझम जा भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अपराध किये हैं, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यथा पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८।५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी को त्रम म पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामवद्यादुरितान्)। 'अवद्य' का अर्थ है 'गर्ह्य' (पाणिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८०।७) में आया है—“हे मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाने हैं उनके यहाँ कहीं से भी अहस् (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१)। ऋग्वेद (८।६७।२१) में 'अहति' एवं 'रपम्' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४४।१२, १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। 'पाप' शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापों के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११, १०।१०।१२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६४।५; १।१२९।११)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३२।१८, ७।९।३। ८।१९।२६)। ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'पापम्' (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (सत्यव्रतब्राह्मण १।१।३।१९, एतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। यहीं बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (नैस्तिरियो-पनिषद् ०।९, छान्दाग्योपनिषद् ४।१।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन में पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना मज्जी भाँति अज्ञ हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यशस्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनकी मूहूर्त उद्धर दिया है— अपराध की धारणा का त्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन ऋषियों के कुछ वचन हम देते हैं।<sup>१</sup>

पाप का उदय किम प्रहार हाता है? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का चोतक रहा।

पापों के प्रति संवेदन रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी (६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की दक्षिण के कारण नहीं होता, अ, दूत (जन्म), अमावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

१. वृजिनोत् साधु सर्वं राजस्य परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो बृहत्तित्तिष्ठ च पश्यन्। ऋ० (४।१।१७)।

प्रबहन् पत्कि च दुरित मयि। यद्वाहपभिक्षुद्रोह यद्वा दोष उतानृतम्॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।  
१. का भाव दि ईस्ट, जिल्द १, पृ० २२।

है।<sup>१</sup> कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सबके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म कराते हैं।”<sup>२</sup> इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)—“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेग के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। गौतम (१९।२) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना तथा जो वर्जित है उसे करना।”<sup>३</sup> याज्ञ० (३।२१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।” और देखिए मनु (११।४४) एवं शान्ति० (३।४२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कवियों (वृद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।”<sup>४</sup> निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त

७. न स्वो दक्षो वरुण धृतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचिन्तिः । अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेद-  
नृतस्य प्रयोता ॥ ऋ० (७।८६।६) ।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नियोपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनी-  
पते । कौपीतकिन्ना० उप० (३।९) । यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है ।

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञ० (३-  
२।१९) ; अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन् । प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वर्तयन् ॥ शान्तिपर्व ३४।२ ।  
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२।१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन  
कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति । गौ० (१९।२) ।  
और देखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६) ।

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात् । ऋ० १०।५।६ ; सप्त एव मर्यादाः कवयश्चक्रुः ।  
तासामेकामपि अधिगच्छन्नहस्वान् भवति । स्तेयं तत्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः  
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति । निरुक्त (६।२७) ।

किया है—“स्तेय (चोरी), तलभरोहण (गुरु की शय्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, मुरापान, एक ही दुष्कृत को बारम्बार करना एवं अनूद्य (विभीषण पापमय वृत्त के विषय में झूठ बोलना)।” तैत्तिरीयमहिता (२-५।१।२, ५।३।१२।१-२), मत्तपयब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकमहिता (३।१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या में बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है—सूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सूर्याभिनिसृष्ट (जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अप्रदिधिषु (जो बड़ी बहिन के अविवाहित रहते छोटी बहिन का विवाह रचना है), बड़ा भाई जो अमी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया है (अर्थात् वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग देता है तथा ब्रह्महत्या (नै० ब्रा० ३।२।८।११)। और देखिए काठकसहिता (३।१।७) एवं अथर्ववेद (६।१।१३)। त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४।१।३) में भी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।२२) में तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूची में कुछ अन्य पापियों की मजाएँ जोड़ दी हैं, यथा—दिधिषुपति (उम स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्षाहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), परिविविदान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पंतुक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है), परिविन्न (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई पंतुक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है)। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।०।२) ने एक उद्धरण देकर पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं—मोना नुरानेवाला, मुरा पीनेवाला, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण की शय्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।<sup>१</sup> बृहदारण्यकउपनिषद् (४।३।२२) ने चोर एवं भ्रूणहत्या को महापापियों में गिना है।

पापों की सख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पापों की दो काटिया दी हैं, पतनीय (वे पाप जिनमें जानिभूतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति-च्युतता ता नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब० (१।७।२।७-११) के अनुसार पतनीय पाप य हैं—मान का स्तेय (चोरी), अभिषम्त (लाछिन) करनावाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का उधेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण ह्रास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों में (अर्थात् ऐसे सम्बन्धियों में जा एक ही प्रकार के गर्भ में उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-समर्ग, मुरापान, वज्रित लोगों से सम्भोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात् अध्यापिका आदि) की सखी में सम्भोग-वृत्त्य, अपने गुरु (पिता आदि) की सखी में सम्भोग-वृत्त्य, किमी अजनबी की पत्नी से सम्भोग-वृत्त्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।०) का कथन है कि कुछ लोगों के मन में किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किमी अन्य स्त्री से सम्भोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप वृत्त्य (आपस्तम्ब० १।७।१२।१२-१८) य हैं—सूत्रों से आर्य नारी द्वारा सम्भोग करना, कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम के सूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वज्रित मांस सेवन, मानव का मल मूत्र खाना, सूत्र द्वारा छोड़ा गया भोजन करना, अपपात्र स्त्रियाँ के साथ आर्य पुरुषों का सम्भोग। कुछ लोगों के मत में अशुचिकर कर्म भी पतनीय ठहराये

११. तदेयं श्लोकः। स्तेनो हिरण्यस्य मुरा पियश्च गुरोस्तल्पमावमन् ब्रह्महा। चंते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चा-  
चरस्तं ॥ छा० उप० (५।१।०।१)।

गये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-वृत्तियों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।९।२।४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है—वह अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेयी (रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्ञ (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विधिष्ठ प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं—गुरु की शय्या को अपवित्र करना, मुरापान, भ्रूण (विहान् ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी ये हैं—जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो मोम लता वेचता है। वीधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं—समुद्र-संयान, ब्राह्मण की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार (सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। वीधायन० (२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं—अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी (नारी गुरु अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेपजकरण (भेपजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य), रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति), गोमहिषी-रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्याद्रूपण (कन्या के साथ व्यभिचार)।<sup>११</sup> अशुचिकर पाप निम्न हैं—द्यूत (जुआ), अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात् जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उच्छ्वृत्ति (खेत में गिरे अन्न के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलिप्त ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन)। गौतम (२।१।१-३) ने पतनीयों के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७।२।१९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा—पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित करना।

१२. पापों की ये सूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या व्यापार करना वैश्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। देखिए आप० घ० सू० (२।५।१०।७), गौतम (१०।५०), मनु (१०।७९) एवं याज्ञ० (१।१।१९)। वैद्यक कार्य या नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राद्धकर्म के लिए अयोग्य ठहरायी गयी है। देखिए गौतम (१।५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो श्राद्ध-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं।



उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की संख्या एवं उनके विभिन्न स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद् के बहुत पहले ही महापातकों की संख्या पाँच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, वीधायन एवं गौतम के बालों में छान्दोग्योपनिषद् विधी ऐसी विचारधारा की समर्थन थी जो उन लोगों की परम्परा के विलुक्त विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना विधी प्रकार सम्भव नहीं है कि उम उपनिषद् में उद्धृत श्लोक आपस्तम्ब, गौतम, वीधायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से परचात्कालीन है।

वात्स्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बाँटा है—महापाप (प्राणहारी पाप), अतिपाप (जिनमें बड़बूढ़ कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो मग्न या मग्न में उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप)। भविष्यपुराण ने भी कहा है कि ये पाप या दुष्कृत्य जो महापातक के समान घोषित हैं (मनु आदि द्वारा) पातक बड़े होते हैं। बृहदारथी (१।२।१५-२।१६) ने भी पाँच प्रकार दिये हैं, यथा—महापाप पातक, अनुपातक, उपपाप एवं प्रतीर्णक (अन्य नामा प्रकार), और कहा है (१।२।१६-२।१८) कि ये पाप जो महापातक बड़े होते हैं, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम गम्भीर हैं तथा प्रतीर्णक गम्भीर कम अथवा हृत्ने पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३।३।५) ने भी प्रकार की वृत्तियाँ (क्षेत्र या पाप) गिनायी हैं, यथा—अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशक (जातिभ्रंश करने वाला), सखरीकरण (जिनमें वर्णभंगरत्ना उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (जिनमें जो गुण कम के अयोग्य ठहरता), मलाबह (गन्दा करना) एवं प्रतीर्णक। विष्णु० (३।४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं—माता, पुत्री या पुत्रवधू के मातृ मरण, और इनके लिए अतिप्रवेद ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मनु ने अतिपातक एवं अनुपातक या उत्पन्न मरी किया है और इनमें अधिपान को उन्नी मज्जा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तसामान्यादी (दिव्यकर विधि) में उद्धृत वात्स्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वर्णित अतिपातकों में वृद्धि के साथ मरण का दुष्कृत्य भी वर्णित हुआ जाति। शरीरधर्मसूत्र (भिताश्रम शाखा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि प्राप्त थी, किन्तु उन्नी वर्णित पातक। के अनुक्रम में प्रकट होता है कि उन्नी मनु के अतिपातकों महापातक से कम गम्भीर पाप समता है। मनु (अ० १।१) ने विष्णु द्वारा वर्णित सभी पातकों के प्रकारों की और वर्णन किया है किन्तु अतिपातकों को छार दिया है।

छान्दोग्योपनिषद् के समय में लेकर आगे साधारणतः वेदों पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा ब्रह्महत्या, मृगपात (ब्रह्महत्या के) मारे की चारी, मृगपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के कर्मा के साथ एक कां ता स्यात्तार समर्ग। देवित्, वसिष्ठ (१।१०-०), मनु (१।१।५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।०-०३ एवं ०६१), विष्णु (३।५।१-५) एवं बृहदारथी (१।१०५)। मनु ने कुछ पातकों महापातकों की मज्जा दी है किन्तु विष्णु (अ० ३।६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विष्णु विरुद्ध उल्लेख किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मनु (१।१।५६) का कथन है कि ब्रह्महत्या (बेद विमर्ग), बेदविदा, ब्रह्महत्या (सर्वत्र स्यात्), मृहृदक (विष हत्या), वृद्धि एवं न मारने दोष (अपराध) मान्य करता ऐसे कर्म मृगपातक के समान हैं। याज्ञ० (३।०-०८) का कथन है कि इनमें में तीन (बेद विदा, विष-हत्या एवं ब्रह्महत्या) एवं अल्प दोषों को मात्र मृगपातक मान्य ब्रह्महत्या के समान है। इस संबंधमें प्रायः महापातक का वर्णन करते, उनमें उल्लेख पातकों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करते और अन्य में उन्नी सम्य (दूध करने) के लिए विशेषित प्रायश्चित्तों का विवरण उल्लेख करते। यहाँ ऐसे दूध प्रायश्चित्तों का उल्लेख विष्णु के विरुद्ध उल्लेख करने (काम्य) एवं प्रायश्चित्त के लिए वर्णित नियम प्रायः का उल्लेख करते

(कामतः) पापमय कर्म एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सकृत्) किये गये पाप या बारबार किये गये (असकृत्) दुष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं।

### (१) ब्रह्महत्या

ब्रह्महत्या या वध शब्द का प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से वधिक कारण हो सकता है, यथा—वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात् वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है (अर्थात् वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात् वह अपने अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात् जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से वचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई—कर्ता, प्रयोजक, अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७)।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एवं २४३) ने पैठीनसि को उद्धृत कर उपर्युक्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मनु का सहारा लिया है—“जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस हत्या के अपराधी होते हैं।” मनु की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९।१-२) पर आधारित है—जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है—ये सभी स्वर्ग एवं नरक में फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।<sup>१३</sup> मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है—यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भर्त्सना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक श्लोक तथा किसी अन्य का वचन भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ८६)।

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू० (१।१।२४।६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मनु (१।८७) एवं याज्ञ० (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या भी हत्यारे को ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिङ्ग भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्महत्या ही है। मनु (१।१।६६) एवं याज्ञ० (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री

१३. प्रयोजयिता मन्ता कर्तेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभते तस्मिन् फलविशेषः। आ-  
प० ध० सू० (२।२।२९।१-२)।

को जान-बूझकर मार डालने से निमी भी प्रायश्चित्त में पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अनिश्चित तीन वर्षों द्वारा दुःखियों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पांच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये हैं, यथा—क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना, बंदियों के लिए झूठा मान (बाद) एवं तुआ रखना, घूटो के लिए मागविक्रय, ब्राह्मण को धायल करना, ब्राह्मणी से सभोग करना एवं कलिङ्ग (काली-भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२७)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन देने तथा निमी स्नायु की मृत्यु-त्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैद्य को कोई अपराध नहीं लगता।<sup>१</sup> किन्तु यह बात उम वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिन्तित्वक है। याज्ञ० (२।२४२) ने उमके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को निमी अपराध के कारण कोई दारौरीक दण्ड दे जिसमें वे मर जायें तो उमके कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; अग्निपुराण १७३।५)। दण्ड का प्रयोग पीठ पर रम्भी या बौम की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर नहीं), एसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मनु (८।२९९-३०० - मत्स्यपुराण २२७।-१५२-१५६), विष्णु (७।१।८१-८२) एवं नारद (अम्बुदत्तामुश्रूपा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३००) का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणा का अतिक्रमण हो तो अपराधी का चोगी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७।

प्राचीन एक मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के समग्र एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इन पर इस ग्रन्थ के अर्ध २ अध्याय ३ एवं खण्ड ३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है, यदि ब्राह्मण आततायी आग लगाने, विष देने या सेत उजाड़ने की इच्छा में आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर सकता है किन्तु यदि वह आनामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी का उमके मार डालने की कोई इच्छा नहीं थी तो राजा उमके (आत्मरक्षार्थी क) नहीं दण्डित करता, उमके केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात् वह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२१)।

## (२) सुरापान

यह महापातक कहा गया है। 'सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७, १।१९।१।१, ७।८६।६, ८।२।१२, १०।१०७।९)। इसे सूत के समान ही पापभय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतः यह मद्य या किसी अन्य मद्युर पदार्थ से बनता था (१।११६।६-७)। यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अर्पित होता था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय महिना (२।५।१।१), वाजसनेयी महिना (१९।७) एवं दत्तपयब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस ग्रन्थ में आया है—“सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है, सुरा

१४ क्रियमाणोपकारे तु मृते विधे न पातकम्। याज्ञ० (३।२८४); औषध स्नेहमाहार ददद् गोब्राह्मणादिषु। दौष्यमाने विपत्तिं स्यात्त स पापेन लिप्यते॥ सर्वतं (१३८; विद्वद्रूप, याज्ञ० ३।२६२; मिता०, याज्ञ० ३।२२७; प्राय० विवेक, पृ० ५६)। और देखिए अग्निपुराण (१७३।५)—औषधोपकारे तु न पाप स्यात् कृते मृते। पुत्र शिष्य तथा भार्या शासतो न मृते ह्यधम्॥

असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।" ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; "अतः ब्राह्मण मुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा।"<sup>१५</sup> छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने मुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थ समागत पांच विद्वान् ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्य।<sup>१६</sup> जब कि मनु (१।१।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पर्य क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (१।१।९३) के मत से मुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है—(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से बने एवं (३) जो मद्यूक (महुआ) या मद्यु से बने (मनु १।१।९४)। बहुत-से निबन्धों में मुरा के विषय में सविस्तर वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं—(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी मुरा का पान करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी प्रकार वर्जित है (गाँतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मणः। आप० ध० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी प्रकार की मुरा के सेवन से ब्राह्मण को महापातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वैश्यों एवं क्षत्रियों के लिए आटे से बनी मुरा के अतिरिक्त अन्य मुरा-प्रकार निन्द्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की मुरा का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की मुरा निषिद्ध है। विष्णु० (२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पीलस्त्य (मिता०, याज्ञ० ३।२५३; भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश ने मुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड-३, अध्याय ३४, जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन वर्णों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मनु (१।१।९३) ने सुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वर्ज्य माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२।१।११) एवं याज्ञ० (३।२।५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। मिताक्षरा (३।२।५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए।

सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का स्पर्श मात्र किया हो या यदि मुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा

१५. तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसृज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तन्त्रवार्तिक (जैमिनि १।३।७, पृ० २१०) एवं शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३।४।३१)।

१६. स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच—न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो० उप० (५।१।१५)।

(अर्थात् महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को मुरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पडगा (प्रायश्चित्तविवेक पृ० ९३)।

### (३) स्तेय (चोरी)

टीकाकारों के अनुसार वही चारा महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका सवध ब्राह्मण के किसी भा मात्रा के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२।८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है— एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति के लाभ एवं (बिना स्वामी की सम्मति से) उसके लने से चार हो जाता है चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। कात्या० (८।१०) ने इसकी परिभाषा या की है— जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है। यही परिभाषा व्याम की भी है। अपनी योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्वयं की परिभाषा यों की है— स्वयमगास्त्रपूवक द्रव्याणां परत स्वीकरणम् अर्थात् इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ल लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (१।१।५४) एवं याज्ञ० (३।२२७) ने केवल स्तय (चौर) या म्यन (चार) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन (१।१।९९ मुवणस्तेयकृत) एवं याज्ञ० (३।२५७ ब्राह्मणस्वणहारी) ने यह विवेचना जोड़ दी है कि उसे सोने की चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (यान० क अनुसार ब्राह्मण के साने की चोरी)। बसिष्ठ (२०।४१) एवं ध्यवन (प्रायश्चित्तविवेक पृ० ११७) ने ब्राह्मण-मुवण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) ने ब्राह्मणम्ब हृत्वा शब्दों का प्रयोग किया है। और दक्षिण सवन (१२२) एवं विन्वामित्र (प्राय० वि० पृ० १०८)। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५२ अनाध्याय आदि) मिताभरा (यान० ३।२५७) मन्त्रपारिजात (पृ० ८२७ २८), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ७२) प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अथ टीकाकारों ने एक अथ विवेचना भी जोड़ दी है कि चुराया हुआ माना तालू में कम-से-कम १६ माण होना चाहिए, नहा तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को यहाँ में १६ माण से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भा मात्रा (१६ माण में अधिक भा) माना चुराता है ता वह माघारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है।

वाप्यार्याणि (आप० घ० सू० १।१०।२।८।२) के मत में यदि कोई बीजकोपो में पकते हुए अनाजा (यथा मुद्ग माप एवं चना) की थोड़ी मात्रा मग्न से लूना है ता वह चोरा नहा है या बेलगाड़ी में जाते हुए कोई अपन बंला के लिए घाडा घाम लूता है ता वह चारा के अपराध में नहा फँसता। गौतम (१।२।२५) के मत में कोई व्यक्ति (बिना अनुमति एवं बिना चौय अपराध में फँसे) गौआ के लिए एवं श्रोत्र या स्माल अनिया के लिए घाम इधन पुण्य या पोष (जो घरा न न री त्त हा) ले सकता है (माना के उसी की सम्पत्ति या फल पुण्य आदि हैं)। मनु (८।३३९—मस्य २२७।११२ ११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ दी है कि तीन उच्च वर्णों का कार्य भा यात्री यदि पाथय घट गया हो (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के मत से दा ईय एवं दा मर्त्या ले सकता है।

### (४) गुरु-अगत्यागमन

मनु (५।१।५४) ने गुरु-द्वारागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३।२२७) एवं बसिष्ठ (२०।१३) ने अपराधी का गुरुनपय (जो गुरु की गत्या को अपवित्र करता है) एवं बसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को गुरुत्याग (गुरु की गत्या या पत्नी) की गणा दी है। मनु (२।१।६२) एवं याज्ञ० (१।३६—याग ३।२) के अनुसार गुरु का मौखिक अप है विना। गौतम (२।२६) के अनुसार (वर्ण का) गुरु-गुप्रा में गुरुपथ है किन्तु अन्य लोग माता का एता कहते

हैं। संवर्त (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितृदारान् समाग्रह') का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) में गुरु-अंगना का कर्मधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया है। प्रायश्चित्तमयूग (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्ञ० (३।२३३) का सहारा लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बन्धित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि गुरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० वि० ने गौतम (२।५६, "आचार्य गुरुओं में सबसे महान् हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं") एवं विष्णु० (३।१।१-२, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात् महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं") का सहारा लिया है। विष्णु के तीन अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य। प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८) के अनुसार गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है।

### (५) महापातकी-संसर्ग

हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया है। गौतम (२।१।३), वसिष्ठ (१।२।१-२२), मनु (१।१।१८०=शान्ति० १६५।३७), याज्ञ० (३।२६१), विष्णु० (३।५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है या करती है (यथा—पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। वृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा—एक ही शय्या या आसन पर बैठना, पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (वस्तुओं) में भोजन बनाना या उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। प्राय० प्रका० के मत से संसर्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं—यौन (योनि-सम्बन्ध, विवाह), स्त्रीव (अर्थात् वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), मौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना)। मध्यम के पाँच प्रकार हैं—एक ही वाहन, एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन, एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाध्ययन)।

निवृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मित्रकर दान करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उमसे दान लेना आदि। अध्यापन तभी दुष्टृत्य माना जायगा जब वह वेद में सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है दसंपूर्णमास, चानुर्मास्य, अनित्योम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पच आह्निक यज्ञों के मग्यादन में सहायता देना, उसे अग (छद्म, व्याकरण आदि) एवं मास्त्र पढ़ाना हल्वे पाप हैं। परागर (१२१७९) का कथन है कि साथ बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उसमें बोलने या एक ही पक्ति में खाने से पाप उमी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (मत्रमित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल। यही बाने देवल एवं छागलेय (मिता०, याज्ञ० ६३१२६१, प्राय० प्र० पृ० ११०, प्राय० वि० पृ० १४५, प्राय० मयूम २, भाग १, पृ० २८) आदि में व्यवहृत पायो जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मन में किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक है, अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होनी बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। परागर (१२२५-२६) का कथन है कि कृतयुग में पतित से दानचीन करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, व्रता में उसे स्पर्श करने से, द्वार पर म उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कृत्ति में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन में, कृत युग में किसी के पतित होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, व्रता में ग्राम, द्वार पर में (पतित का) कुल एवं कृत्ति में केवल वास्तविक कर्ता (अर्थात् पतित) त्याग्य होता है।

मध्यकाल के लेखकों ने समर्गदोष के क्षेत्र को क्रमशः बहुत आगे बढ़ा दिया है, इनका कारण या सत्कार सम्बन्धी शुचिना की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थमार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति महापातकी से समर्ग रखनेवाले ने समर्ग रखता है, उसे प्रथम समर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह प्रथम इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३१२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा समर्गकर्ता पतित नहीं हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ना है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें समर्गकर्ताओं का भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ना जाता है। प्राय० प्र० (पृ० १०९), प्रा० वि० (पृ० १६९-१७०) एवं प्रायश्चित्तनरव (पृ० ५४७) ने आपन्नम्ब एवं व्याम के कुछ पक्ष उद्धृत करके समर्ग की सीमा को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपन्नम्बस्मृति (३११-३) का कथन है—“यदि कोई चाडात्र चार वर्ष वाडा म किसी के यहाँ अविज्ञान रूप में निवाम करता है तो गृहस्वामी को ज्ञान हो जान पर प्रायश्चित्त करना पड़ना है, प्रथम तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शूद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ना है। जो व्यक्ति उनसे घर में भोजन करता है, उसे कृच्छ्र व्रत करना पड़ना है, जो दूसरे समर्गकर्ता के यहाँ बना भोजन करना है उसे आधा कृच्छ्र तथा जो इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ्र करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक समर्गकर्ता के अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक समर्गकर्ता के समर्ग में आनवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिथी कर दी। कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तर्कयुक्त मत दिये हैं। परा० माघ० (२, पृ० ९०) का कथन है कि परागर ने महापातकिया के समर्ग में आनवाले के लिए इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कृत्तियुग में समर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी में कल्पियुग में कल्पिवर्णों की मर्यादा में एक अन्य स्मृति ने पतित के समर्ग में उत्पन्न अनुचितताएँ एक अन्य कल्पिवर्ण जोड़ दिया है। स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८९७-८९८) ने माघक के इन शब्दों को मानने मान्यता दे दी है और इस विषय में अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयनिबन्ध ने पतित-समर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु समर्गकर्ता का पतित नहीं कहा है (३, पृ० ३६८)।

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तगत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतिया ने उन्हें तीन समताओं से महापातक के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३१२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (साम)

यज्ञ में लिप्य धारित या चैत्य को भी मारना है या जो भूषणकरना करना है या किसी आश्रयी नारी को हत्या करता है, उसे ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ना है (अनः यह चाचनिक अतिवेष है) । याज्ञ० (३।२३२-२३३) ने गुरुतल्पगमन पातक को अन्य अधिकृत नारी-सम्भोगियों (यथा मौगी या फूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है । ऐसे ताद्रूप्य अतिवेष करने हैं । स्मृतियों में वृद्धों की सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है । यह साम्य अतिवेष कहा जाता है । इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं । सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान पातकों के लिए आर्ष प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है । चाचनिक या ताद्रूप्य अतिवेष के अन्तर्गत आनेवाले पातकों का प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है । किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है ।

गौतम (२।१।१०) के मत में कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐंसा पेशुन (सुगन्धारी) जो राजा के कानों तक किसी के ऊपर को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-झूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान है । मनु (१।१।५५-अग्निपु० १६।८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में नगृहीत एवं महत्ता के लिए झूठा कथन (यथा, ब्राह्मण न होने हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं । याज्ञ० (३।२२८) के मत में गुरु को झूठ-झूठ अपनाधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में अक्षय कथन करना गुरापाय के समान है (याज्ञ० ३।२२९) । विष्णु (३।७।१-३) के मत में मनु (१।१।५५) में वर्णित तीन पाप उपापातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य गुरापाय के सदृश समझा जाना चाहिए (३।६।२) । मनु (१।१।५६-अग्नि पु० १६।८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, गृहद्वेष, निषिद्ध-भोजन-सेवन या ऐंसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए—ये छः गुरापाय के समान हैं । देखिए याज्ञ० ३।२२८ जो ऊपर वर्णित है । मनु (१।५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, भोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान है । याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३।८३) एवं अग्नि (१६।८।२७) ने भी यही बात कही है । मनु (१।१।५८-अग्नि० १६।८।२८) के मत में अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पघायन, गुरु-शैल्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं । याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूत्रों में समोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है । गौतम (२।३।१२) एवं मनु (१।१।१७०) वृद्ध सीमा तक एक दूसरे के समान हैं । याज्ञ० (३।२३२-२३३) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग करता है, नियम काट देना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए । नारद (स्त्री-पुंगयोग, श्लोक ७३-७५) का कथन है—“यदि व्यक्ति माता, मौगी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, समोत्र नारी, दाई, व्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी हो जाता है । ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिस्त-कर्तन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है ।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) के वचनों से व्यक्त होता है कि शिस्त-कर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी है । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर लगता है, क्योंकि मनु (८।३।८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए । विष्णु (३।६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा—रजस्वला नारी, विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की पत्नी । गुरु के विरुद्ध गलत अपराध करने (याज्ञ० ३।२२८ या मनु १।१।५५—याज्ञ० ३।२३३ या मनु १।१।५८) से लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (वृद्ध हारीत ९।२।१६-२।१७ एवं



मिता० याज्ञ० ३।२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६।८)।<sup>१३</sup> गौतम (२।१।२) ने पतितो की सूची में कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा—माता या पिता को सपिण्ड नारियो या वहिनो एव उनकी सततियों से योनि-सम्बन्ध करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित वर्म को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरो को पातक करने के लिए उकमाने वाला, ये सब पतित कहे गये हैं।<sup>१४</sup> पानक अपनी गुप्ता में महापातको से अपेक्षाकृत कम एव उपपातको से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं।

### उपपातक (हलके पाप)

उपपातका की सख्या विभिन्न युगो एव स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। बनिष्ठ (१।२३) ने केवल पांच उपपातक गिनाये हैं, अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात् उमका परित्याग, गुग्गु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको-पार्जन करना एव सोम लना की विक्री करना। चातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक गिनाये हैं। वीवायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२।१।१) का कथन है कि उनको उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पतित में बैठने के अयोग्य घोषित होने हैं,<sup>१५</sup> यथा—पशुहन्ता, वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत मण्डित करते हैं तथा वे जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देने हैं। शल (विश्वरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं और उन्हें उपपतनीय सजा दी है। मनु (१।१।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), बृह हारीत (१।२०८-२१०), विष्णु० घ० सू० (३७) एव अग्निपुराण (१६८-२९-३७) में उपपातको की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) ने मनु कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)— गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोडकर), ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एव पितृऋण को छोडकर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के लिए ममर्थ है), जो विक्री करने योग्य न हो उसे बचना (यथा नमक), परिवेदन (बड़ भाई के रहते छोटे भाई डाग विवाह सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उमके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक में वदाध्ययन, गुल्क के लिए वेदाध्ययन, व्यभिचार (गुणत्वगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अनिश्चित अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिष व्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मूद लेना), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आनेयी को छोडकर चिन्मी अन्य जानि की नारी की हत्या), शूद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपार्जन, नाम्निवृत्ता

१७ एतानि शुभंधिषेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकानिदेशविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते।  
मिता० (याज्ञ० ३।२३३)।

१८. ब्रह्महृत्परायणुहृतत्वगमानुपिनुयोनिमश्वध्यागस्तेननारितकनिन्दितकर्मभ्यासिपतिततयाग्यपतितत्यागिनः पतिता। पानकसयोजनान्दः। गौतम (२।१।२)। गौतम (२०।१) ने त्याग्य लोगों के नाम भी लिखे हैं—  
“एषत्रेत् पितर राजधातक शूद्रयाजकं ब्रह्मार्थयागकं वैदिकप्लावकं भ्रूणहन् यशसात्यावसायिभिः सह. सवसेदनयावसायिभ्यो वा।”

१९. अपराधानां प्राग्दुर्बलाद् गोहन्तृब्रह्मघ्नतन्मंत्रहृदवकीर्णपतितसावित्रीषूपपातकम्। गौतम (२।१।१)।

(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एव विष्णु में विद्यमान न करना), अपनी नियति के उपरान्त धर्मों का परिष्कार (यथा वैदिक विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य परिष्कार, ब्रह्मचर्या के लिए अग्रगण्य आरम्भ किये गये प्रागधिकृत का परिष्कार), वस्त्रों का विचार, अनाज, नाशयन धातुओं (यथा नीला, गंध) या पत्त की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरोहित होना (यथा सूत्र या ब्राह्म आदि का), पिता-माता या पुत्र की अवगणन पर न निकाल बाह्य करना, तद्भाग या आराम (चाटिका) का विचार (जो वास्तविक रूप में जननाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु मनुके प्रयोग में आने हों), कुमारी गन्धा के नाम दूषण, उन विचार में पौरुहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति में अपनी पुत्री का विवाह नवाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह नवा रहा हो, कुटिलता (गुरु-गाम्भीर्य की कुटिलता को छोड़कर जो गुराणन के समान भारी नहीं है), व्रतलोक (अपने ने आरम्भ किये गये व्रत का परिष्कार), केवल अपने लिए भोजन बनाना (शयनाश्री, अनिचियों की चिन्ता चिन्ता किये, जिसकी गिन्या ऋ० १०।११।३६ एवं मनु ३।१।१८ ने की है), ऐसी स्त्री में गम्भीर-कार्य जो मरान्त पीवी हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के पूर्व वेद-स्वाध्याय का परिष्कार, श्रौत या स्मार्त अग्नियों में होम न करना, अपने पुत्र का त्याग, अपने गम्भीरियों (यथा मामा या नाना, जत्र त्रिगामर्थ्य हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में रूचन के लिए किसी बड़े वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अनाज भरण-पोषण करना (अर्थात् उनके अनैतिक कार्यों द्वारा या उनके स्त्री-धन द्वारा जीविकोपार्जन करना) या पत्नी का हनन करने या जड़ी-बूटियों के (जाड़ू या उन्मत्तक में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, ऐसी यन्त्रों (मर्दान्तों) को नैदाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (नेल या ईश का रज निकालने के लिए कोल्ह का प्रयोग), धन के लिए बचने का वेचना अथवा दानत्व, सूत्र का भूय होना, नीच लोगों में मिथ्या करना, नीच जानि की नारी ने सोनि-नम्रत्व करना (स्त्री रूप में या स्त्री के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को ग्राह्य मोटा होना (पराशर-परिपुष्टता), अनच्छर-आधिगमन (चार्याक जैसे नास्त्रिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की रानों) की अध्ययता एवं भाषा-विचार (अपनी स्त्री को वेचना) ।

उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा—वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वर्णित एनस्विनः (उपपातक, विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (१।१।५९-६६) में पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा—अभिचार (शयनयाग नामक कर्म जो शयनाग के लिए किया जाता है), मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात् बगीकरण) । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के धार-धार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गी० २।१।१) । इसी से विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है—“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (लगातार स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।”<sup>१०</sup>

मनु (१।१।६७=अग्नि० १६।३७-३८) एवं विष्णु (३।१।१-६) ने कुछ दोषों को जातिभ्रंशकर (जिनसे जाति-च्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) को सूँघना जिसे नहीं सूँघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूँघना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना । मनु (१।१।६८=अग्नि० १६।३८-३९) के मत से

२०. उपपातकसंज्ञाप्येवमर्थैव । उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पातकमेव स्यादिति । अत एव गौतमेन पातक-मध्ये निन्दितकर्मान्यासो दर्शितः । विश्वरूप (याज्ञ० ३।२२९-२३६) । और देखिए गौतम (२।१।१) ।

बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भंस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्षसकर बनाने के पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मन से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। मनु (११।६९) का कथन है कि निन्द्य लोगों (जो मनु ४।८४ में वर्णित है) से दानग्रहण, व्यापार, सूदसेवा एवं षट् वोलने से व्यक्ति धर्म-समान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है। विष्णु० (४०।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविको-पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पशुओं का हनन, मद्य के समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलो, ईंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलावह (जिससे व्यक्ति अमुद्ध हो जाता है) कर्म बहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है कि वे दुष्टृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक मज्ञा है। वृद्ध हारीत (१।२।१०-२।१५) ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्टृत्य गिनाये हैं।

यथा—ईंधन के लिए वड-वड पेड़ों का काटना, छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन, ऐम भोग्य-पदार्थों का सबन या भावदुष्ट हो (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना अस्मान्मान-पूर्वक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में मूतक पडन पर या मूतक वाल घर में भोजन करना या वासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो (एमी त्रिया, जो खाली हाथ म भोजन परोसने में व्यक्त होती है या पतित, झाडाल या कुत्ता आदि के देखने में प्रवृत्त होंती है, देविए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० २२), मिट्टी, चम, घाम, लकड़ी की चोरी, अत्यधिक भोजन करना, झूठ बोलना, त्रिपयभोग के लिए चिन्तित रहना, दिन म मोना, अफवाह उडाना, दूसरे को अफवाह गुनने को उकसाना, दूसरे के घर में खाना, दिन म सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना, दूसरे की पत्नियों पर दृष्टिपान करना, उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों म सम्भोग करना, दूद की नीबरी करना, नीच लोगों से मिथता करना उच्छिष्ट भोजन को छूना, स्त्रियों से हँसी-ठट्ठा करना, अनियमित ढग (ग्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना, खुले बेंचा वाली स्त्रिया की ओर तावना। यह पता चला होगा कि उपर्युक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित उपपानकों के अन्तर्गत आ जाते हैं, यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षा का कर्तन, दूद का, मेवा, नीच लोगों से मिथता।

पापा के विभिन्न प्रकारों के विषय म पड लने के उपरान्त अब हम उनमें उत्पन्न फलो एवं उनमें दूर करने के माधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात् हम यह देवता है कि वैदिक एवं मन्वृत-धर्मशास्त्रिय में पापों के फलो के प्रदत्त पर एवं उनमें दूरीकरण के माधना पर किम प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की गयी हैं।

हमने ऊपर देम लिखा है कि ऋग्वेद काल के ऋषिया ने किम प्रकार देवताओं, विदेयन-अदिनि, मित्र, वरुण, आदियों एवं अग्नि व प्रति अपने को ब्रह्म या एन (जो पाप के वाचक हैं) आदि में बचाने के लिए स्तुतिर्पा की हैं। ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या वनों का बहुधा अतिव्रमण किया है। इसी में वे क्षमायाचना के लिए प्रेरित भः हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों में भयभीत थे, अर्थात् देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं वनों के न करने पर उनके कोप से डग करने थे। उन्होंने ऐसा ममसा था कि ईस्वर उनके नियमोन्लान में उन पर विपत्ति, नाश, रोग एवं मृत्यु बाह देना है। देविए ऋग्वेद (१।२।५।२, ७।८।९।५, १०।८।९।८-९, २।२।१।६, १।३।३।८) जहाँ वरुण, मित्र, अर्धमा एवं इन्द्र में दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतिर्पा की गयी हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि ऋषिगण (मन्वृष्ट्या) अपने उन धर्मों के फलो में परिचित थे जिन्हें वे देवताओं द्वारा दण्डित हो गये थे। दूरी और ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईस्वर या देवता प्रमत्त होने पर अपने पूजन का

सन्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४)। ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१।३।३।१।१) का कथन है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों (पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (त्रैत्तिरीय ब्राह्मण)। किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी।

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत् कर्म से शुभ फल मिलता है और असत् कर्म से बुरा फल। यदि बुरे कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वातावरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत् हो या असत्, छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९।५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में कहा भी है।<sup>३३</sup> “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता” (गौतम); “मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपभोग के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा जाता है” (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४ एवं ६।२), छा० उप० (३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है।

इसी से उनका कथन है—“व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान् कर्मों का व्यक्ति पुण्यवान् होता है, और अपुण्यवान् का अपुण्यवान्।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसी ही उसके कर्म होते हैं; और जो

२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९/५)। देखिए शंकराचार्य का वेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगादृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवम्। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे ॥ मार्क० (१४।४७); तस्मात्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्। नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतैरपि ॥ भविष्यपुराण (१।१९।२७)।

कुछ वह कर्म करता है वैया ही फल पाता है" (बृ० उप० ४।४।५); "कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्याणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते हैं।" "मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात् उनके फल के) उपभोग बरोबरो वर्षों तक नहीं हो जाता, कर्म (अर्थात् उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाते चाहिए।" और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२०।४७)—"जिस प्रकार महस्रो गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी ऋति के पहुँच जाते हैं।"

विन्तु आगे चलकर स्मृतियों में यह सिद्धान्त बड़े प्रकार में सन्तोषित हो गया। गौतम (१९।११=वसिष्ठ० २२।८) का कथन है—“अप (वेद मन्त्रों का धारम्भार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस (दुष्कृत्य) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।” वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है—“पापी प्राणी शरीर को पीडा देने, अप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायामों में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों का पाठ करते रहते हैं, दास, होम एवं जप करने रहते हैं, वे निस्मदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३।२२७) का कथन है—“आत्मापराध स्वीकार, परचात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात् यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो जाता है।” और देखिए इर्मा के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१।४), सर्वर्त (२०३), हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०, पृ० ३१)।

प्रायश्चित्तों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकारण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में बहुरणप्राप्त के मिलगले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है—“वह अपनी पत्नी से स्वीकार कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” क्षनपथब्राह्मण (२।५।२।२०) इसे यों रखता है—“क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।” यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष उमल्लिए होता था कि व्यक्ति को दैवी क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का एक भाग माना जा।

२२. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो ह्यत्वाद् काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुल्ले यत्कर्म तदभिसंपद्यते ॥ बृह० उ० (४।४।५); अथ ह्यल्लु क्रतुमय पुरुषो यथाक्रतुस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ॥ छा० (३।१।४।१); योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहितः। स्याणमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाभूतम् ॥ कठ० उप० (५।७)।

२३. नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशर्नरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ यह स्मृति प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १७) में गौतम्यान्वद द्वारा एवं तैत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ११)।

२४. तस्य निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासा दानम्। गौ० (११।११=वसिष्ठ० २२।८=बौधा० घ० सू० ३।१०।९)।

## अध्याय २

### पाप-फलों को कम करने के साधन

आत्मापराध-स्वीकृति—आपस्तम्बधर्मसूत्र (११९।२४।१५, ११९।२८।१९, ११९।२९।१) में ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, या विद्वान् (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मनु ११।१२२)।

अनुताप (पश्चात्ताप)—मनु (११।२२९-२३० = विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ = ब्रह्मपुराण २।८।५) का कथन है—“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पश्चात्ताप) करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि ‘मैं यह पुनः नहीं करूँगा’ व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपरार्क (पृ० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है—“पापों को करने के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख आदि कटा लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपरार्क (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अंग (सहायक तत्त्व) मात्र है और वे स्वतः (स्वतन्त्र रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते।

प्राणायाम (श्वासावरोध)—इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११।२४८ = वीधा० ध० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है—“यदि प्रति दिन व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायें तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या (विद्वान् ब्राह्मण की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी है कि तीन प्राणायामों के सम्यक् सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञ० (३।३०।५) का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विधिष्ठ प्रायश्चित्त न निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। शूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के विभिन्न पापों के मोचन के लिए वीधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं (३,७,१२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३०।५) एवं अग्नि० (१७३।२१)।

तप—ऋग्वेद (१०।१५।४२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० (५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद् (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९।१५) का कथन

है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एव साय) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर पर ही वस्त्र सूख न जाय) एव उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौध्वा० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिंसा, अस्तेय (जिमी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एव गुरुशुश्रूषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं—एक वर्ष, छ मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एव एक रात। मनु (१।१।२३९-२४१) ने घोषणा की है कि जो महापातको एव अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक् तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, मन्द या शरीर में जो पाप हुए रहते हैं वे तप में जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)—“तपो द्वारा वह कर्म को वाट डालता है।”

होम—तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूप्माण्डहोम एव दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) कि उम व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूप्माण्ड मन्त्रों में होम करना चाहिए, यथा—‘यद्देवा देवहेडनम्’ (वाज० म० २०।१४-१६ = तै० आ० २।३।१ एव ३-६)। कूप्माण्डहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मविपाक। इस होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा—भ्रातृ का सेवन न करना, मभाग न करना, अमृत्य न बोलना, गय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपमी खानी पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौध्वा० घ० सू० (३।७।१) के अनुसार अपवित्र व्यक्ति को कूप्माण्ड-होम में मूनी हुई आहुतियाँ छोडनी चाहिए, निषिद्ध मन्त्रों करने में व्यक्ति चोर एव ब्रह्मघातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ० (२।३०९) के अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० ने यम के मत में तिल की एक लाय आहुतियाँ का उल्लेख किया है। मनु (१।१।२४) एव बमिष्ठ (२६।१६) के मत से ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जग एव होम में सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा० (२।५।२।२०) का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि में होम करना पड़ता है—“५द ग्रामे यदरष्ये य मभाया यदिन्द्रिये। यदेनचक्रुमा वपमिद तदवयवामहे स्वाहा” (वाज० म० १।८।३।), अर्थात् “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, मभाग में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मनु (८।१०५) एव याज्ञ० (२।८।३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई मादो जिनी को मृत्यु-वन्द्य से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटमाथ्य के प्रायश्चित्त के लिए मरुत्वीनी को भान की आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के ‘अग्ने नय गुपथा’ जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णव०)।

गैमा लयना है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या समनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा अपेशित नहीं था, अर्थात् देवता द्वारा इनकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवन एक प्रकार की भट थी जिससे देवता प्रमत्त होता था। होम से प्रमत्त होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उमके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। होम में व्यक्ति अपने दुष्टत्व द्वारा क्षीयी हुई भगवत्परा को पुन प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रायश्चित्त-सम्बन्धी एव गुडीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात् होम करने में पापी झूठ हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी कर लेता था। होम पशु की बलि (उम व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में) जिमने पाप-कर्म एव नियमोत्पलन से अपना जीवन का दिया हो) या आहुतियों का ईश्वर को दी गयीं जिमी वस्तु एव पुन उमके दान द्वारा किया जा सकता था।

अप (प्रायश्चित्त या स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)—अप के तीन प्रकार हैं, वाचिक (मण्ड उच्चरित), उपानु (अण्ड उच्चरित) एव मानस (मन में उच्चरित)। इनमें से प्रत्येक आगे वाग्ना दम गुना अच्छा माना जाता

है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६)। शबर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम (जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है। शांखायनब्राह्मण (१।४।१) में उपांशु नामक जप की प्रशंसा की गयी है। आश्वलायनश्रौतसूत्र (१।१।२०) के मत से जप, उपमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हैं। आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र (२।४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशास्य (२।३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित किंतु विना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात् बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयत्न नहीं रहता (उत्समें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता—'करणवदशब्दममनःप्रयोगमुपांशु')। गौतम (१।१।१२ = बौधा० ध० सू० ३।१०।१० = वसिष्ठ २।२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) कहा है—उपनिषद्, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर), यजुर्वेद का 'मधु'सूक्त, अघमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-३), अथर्वगिरिस् (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में कोई एक, बह्विष्यमान साम, कूपमाण्ड, पावमानी (ऋ० ९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०)। जप-सम्बन्धी मौलिक भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनगारी (स्फुलिंग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचित, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं परमात्मा में आत्म-समर्पण।

मनु (१।१।४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायश्चित्तों से ही होता है।

मनु (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११ = विष्णु० ५।५।१०-२१) ने कहा है—“जप का सम्पादन (वेद के) नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शपूर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वैश्वदेव, बलि, आह्निक श्राद्ध एवं अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा—वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता है (सभी का साहाय्य करता है)।” गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०)। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया जाता है (प्राय० प्रकाश)।

१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरसिंहपुराणम्। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत। वाचिकाख्य उपांशुश्च मानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्॥ अत्र हारीतः। उच्चस्त्वैकगुणः प्रोक्तो ध्यानाद्दशगुणः स्मृतः। उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४९)।

२. वचनं जपनमिति समानार्थः, यस्मात् जपं व्यक्तायां वाचीति स्मर्यते। तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य त्रियते न स्तूयते नाशास्यते स जपः। शबर (जै० १२।४।१)।



मनु (११।२६१-२६२), वमिष्ठ (२७।१-३), अगिरा (१०१) आदि वाक्यन है कि जिम प्रकार अधिक वेगवनी अग्नि हरी घाम को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल अर्थवाद (प्रसासामय) हैं और इन्हें गम्भीरता से या गान्धर्व अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वमिष्ठ (२७।४ = अगिरा १०२) ने सावधान किया है—“वेद की सामर्थ्य का महारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा कि कुछ स्मृतियों ने वह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि अन्य दुष्कर्म (जो जान बूझकर किये जाते हैं)।”

बहुत-सी स्मृतियों, यथा—मनु (११।२४९-२५७ = विष्णु० २।७।४-१३), वमिष्ठ० (२६।५-७ एवं २८।१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), शक (अध्याय ११ वमिष्ठ० २८।१०-१५), सर्वत (२२७-२२८), बौधा० ध० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तों, पृथक्-पृथक् वैदिक मन्त्रों या गद्य-वचना के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनव के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋद्धमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी है। मामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्हीं विभिन्न वैदिक सूक्तों के पाठ की व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ पवित्रीकरण में सहायक हात हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दम से लेकर सौ बार करता चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है—केवल दूध पर रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जो का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल घृत खाना, मोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, सभी नदियाँ, पवित्र मरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोगालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं।

सूत्रशास्त्र में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरप-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः सूत्रों द्वारा पाप-मोचन के लिए वैदिक वचना का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है कि यद्यपि सूत्र (एक स्त्रियाँ और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों) का गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अधिकार नहीं प्राप्त है, तथापि सूत्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) करके में रखकर उसका मानस जप कर सकते हैं। सूत्र केवल 'नमो नम' कह सकता है 'ओम्' आदि नहीं (गी० १०।६६-६७ एवं याज्ञ० १।१२१)। आप० ध० सू० (१।४।१३।६) के मत में 'ओम्' यह रहस्यात्मक शब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दुःशापूर्वक कथन है कि ओम् (जिसे प्रणव की सजा मिली है) परमात्मा की भावना का चोतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने में ध्यान रंध जाता है।”

३. न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवेत्। अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरम्॥ वसिष्ठ (२७।४) एवं अगिरा (१०२)।

४. ओं द्वारा स्वर्गद्वार तस्माद् ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत। आप० ध० सू० (१।४।१३।६); तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थभावनम्। योगसूत्र (१।२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है—प्रणवस्य जपः प्रणव-भिधेयस्य चेतनस्य भावनम्। तदस्य योगिनः प्रणवः जपतः प्रणवार्थं च भावयतिधत्तमेवापि सम्पद्यते।

जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सूक्तों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान् नारायण (हरि या कृष्ण) के स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से तीन पद्य उद्धृत किये हैं—“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (‘फिर ऐसा नहीं करेंगे’, इस संकल्प से), दान (त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही जाता है; किन्तु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा —तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों (जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)।” ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है—“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक को चले जाते हैं।” विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (‘ओं नमो भगवते वासुदेवाय’) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपर्व (१६१।१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिंहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (‘ओं नमो नारायणाय’) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)—“बहुत-से मन्त्रों के प्रयोग एवं व्रतों के सम्पादन से क्या लाभ है, जब ‘ओं नमो नारायणाय’ नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग-पुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म-पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मार्त कृत्यों में ऐसी बात नहीं है।

दान—गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है—“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात् वृत्ति या भरण-पोषण से परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।” यही

५. भविष्यपुराणम् । अपुनःकरणात्त्यागात्ख्यापनादनुचिन्तनात् । व्यपैति महदप्येनः प्रायश्चित्तं केवलम् ॥ विष्णुपुराण । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्नादिवु संस्मरन् । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि० (पृ० ३१) । ‘प्रायश्चित्तं ... परम्’ विष्णु० का ११।६।३९ पद्य है। और देखिए—ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अपरार्क (पृ १२३२) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ५२४) ।

६. कृत्वापि बहुशः पापं नरा मोहसमन्विताः । न यान्ति नरकं नत्वा सर्वपापहरं हरिम् ॥ शाठ्येनापि नरा नित्यं ये स्मरन्ति जनार्दनम् । तेषां यान्ति तनुं त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम् ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८) ; अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः । विष्णुपुराण (१।६।३९) ।

७. हिरण्यं गोवासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि । एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन् । गो०

वात विष्णु ( १२।४ ) ने भी बर्ही है। सवर्त ( २०४ ) मे आया है कि सोने, गाय, भूमि वा दान द्रम जन्म एव अन्य जन्मों मे किये गये पापों को वाट देता है।<sup>१</sup> मेधातिथि ( १।१३९ ) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय-श्चित्तों के त्रि एव व्यवस्थित उपायों मे दान प्रमुख है। दान के विषय मे हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ मे विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-ग्न्य वार्तों और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एव ताम्रपत्रकों मे जो भूमि-दानों एव ग्राम-दानों वा वर्णन है उनमे यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एव अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा उनके पुष्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१)। बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रको मे यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान अपने एव अपने माता-पिता के पुष्य के लिए किया है।<sup>१</sup> राजतरंगिणी ( १।१४३ ) ने विहारों की स्थापना की ओर सचेत किया है।

उपवास—उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणत इसका अर्थ है थोड़ी मात्रा मे हल्का भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० ( १।६।३।२-४ ) मे दशपूर्णमास-इष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा—ग्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना या वन-भोजन करना या कुछ न खाना। गौतम ( १९।११ ) न उपवास को पापमोचन की कई विधियों मे रखा है। उसके अनुसार तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान ( १९।१६ ) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपसि' अर्थात् तपो मे रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) न उपवास को भजन (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ मे लिया है, और कहा है कि उपवास एक बार पुन 'तपसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ मे लिया है। गृहसूत्रों मे उपवास का अर्थ है यज्ञा भ प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन मे केवल एक बार हल्का प्रयोग, किन्तु उसके साथ राक, माष (दाल), नमक एव मास का प्रयोग मना है (गोमिल० १।५।२६, खारि० २।१।४ एव ६, कौशिकसूत्र १।३१, ३२, वाटक० ४६।२)। वृ० दा० उप० (४।४।२२) ने अनाशक (उपवास) को तप से सम्युक्त कर कहा है कि यह पर-मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९ ११) ने उपवास को तप माना है। मनु ( ११।२०३—विष्णु० ५४।२९ ) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दशपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या-वन्दन) को छोड़ देने एव स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप मे लिया जाता है (मनु ४।३४)। उपवास करते समय कई कर्म छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने मे उपवास का फल जाता रहता है, इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन मे सोने एव सभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक० पृ० १९९, स्मृतिच० २, पृ० ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२।६) एव भविष्यपुराण (१।१८।२७) ने उपवास के समय

( १९।१६ एव १८ ) ; अयाप्युदाहरन्ति । यत्किञ्चित्कुस्ते पाप पुस्त्यो वृत्तिर्वाशतः । अपि गोचर्मगात्रेण भूमिदानेन शुष्यति ॥ वसिष्ठ० ( २९।१६ ) । 'गोचर्म' के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६ ।

८. सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तच्चैव च । नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्महृतान्यपि ॥ सवर्त ( २०४, प्राय० तत्त्व पृ० ४८३ ) । हिंसाया दानमेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये । हिंसात्मकानां सर्वेषां कीर्तितानां मनोविभिः । प्रायश्चित्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते ॥ प्राय० प्र० ।

९ दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे पट्टेऽथवा । शासनं कारयेद्धर्मं स्थानवश्यादिसम्युतम् ॥ मातापित्रो-  
रात्मनश्च पुण्यायामुक्मूनवे । दत्तं मयामुकायाद्य दानं सन्नह्यचारिणे ॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६) ।

पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विपुव के दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।<sup>१०</sup>

मनु (११।१६६-अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, खाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व (१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों (पारसियों को छोड़कर) ने, यथा—हिन्दू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि अग्निहोत्र न करनेवाले लोग व्रतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (श्लोक १८-२२)। शत० ब्रा० तथा श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में उपवास्य शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्)। आप० ध० सू० (२।१।१४-५) ने पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपरार्क (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३५५), कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उद्धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।<sup>११</sup> आप० ध० सू० (२।५।९-१३), वीधा० ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शांखायनगृह्य० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा—'आहिताग्नि, गाड़ी का बैल एवं ब्रह्मचारी—ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४)। शान्तिपर्व (३२३। १७) का कथन है—“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपर्व में एक स्थान (७९।१८) पर और आया है—“उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिंसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एवं कृपा ही तप के द्योतक है।”

तीर्थयात्रा—ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अश्वमेध से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।<sup>१२</sup> देवल का कथन है—“व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने

१०. अपने विपुवे चँव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। अहोरात्रोपितः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ दक्ष (परा० मा० १, १, पृ० ४३८)। विपुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं।

११. 'उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविर्वाजितः ॥ अपरार्क, पृ० १९९। 'गुणैः' का अर्थ है 'क्षमादिभिः' एवं 'वासः' का अर्थ है 'नियमेनावस्थानम्'।

१२. चातुर्विद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ पराशर (१२।५८, अपरार्क, पृ० १०६१; प्राय० वि० पृ० ४५)। प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है—“ब्रह्महत्याव्रतमुपक्रम्य भविष्यपुराणे;

से एव तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनो से पाप-मुक्त हो जाना है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान् पर्वत, मन्दिर एव वन पवित्र हैं।" मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अवि-मुक्त (चाराणसी) में पहुँचने से बट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है—“मैं कलियुग में सभी जीवों के पापों के नाश के लिए चाराणसी से बढकर कई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता।”<sup>१३</sup> पेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म-हत्या के लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों की हत्या के साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्रॉम पेशवा रेकॉर्ड्स, जिल्द ४३, पृ० १०७)। और देखिए राजवाडे खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५)। स्मृत्यनुसार (पृ० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एव शिव जैसे देवा, भृगु, बमिष्ठ एव विश्वामित्र जैसे महान् ऋषियों, हरिश्चन्द्र, नल एव सगर जैसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों ने राज्य प्राप्ति एव पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थीं। हम तीर्थों के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे।

विष्णुपुराणोत्तरतो यस्य निवासः परिकीर्तितः । पराशरमतं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम् ॥ इति । . . . अत्र च विन्ध्योत्तर-  
र्षतिनः षट्षधिकाशतप्रययोजनगमनेन सावत्सल्याः प्राजापत्यापनोद्यद्ब्रह्महत्यापनोदोषैस्तोर्यानुकूलैकैः योजनगमन-  
संपेक्षैः प्राजापत्यतुल्यत्वमर्थाद्भुवनं भवति ॥<sup>१३</sup>

१३ नान्यत्पश्यामि जन्तुना मुक्त्वा चाराणसीं पुरीम् । सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं बली युगे ॥ कूर्मपुराण  
(पूर्वार्ध, २९।३, परा० मा० २, २, पृ० १६२) । अभिसगम्य तीर्थानि पुष्यान्वायतनानि च । नरः पापात्प्रमुष्येत  
ब्राह्मणांश्च तपस्विनः ॥ सर्वाः समुद्रेणा पुष्याः सर्वे पुष्या नगोत्तमाः । सर्वमापतत पुष्य सर्वे पुष्या वनाश्रयाः ॥ देवल  
(परा० मा० २।२, पृ० २०१; प्रा० प्रश्नः) ।

## अध्याय ३

### प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ

वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही है, यद्यपि प्रायश्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, ५।१।९।३ एवं ५।३।१।२।१) में प्रायश्चित्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है।<sup>१</sup> इस शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, यथा—उखा (उवालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० सं० (५।३।१।२।१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो रूप थे। कौपीतिकि ब्रा० (६।१२) में आया है—“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”<sup>२</sup> यह शब्द अथर्ववेद (१।४।१।३०), वाज० सं० (३।९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा० (५।२७), शत० ब्रा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौपीतिकि ब्रा० (५।९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शांखा० श्रौ० (३।१।९।१) में क्रम से प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं।<sup>३</sup> पारस्कर गृह्य० (१।१०) में प्रायश्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४।५ एवं १२।३।१।६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की (जै० १२।३।१।६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं—(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात् उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव-

१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिमच्छन्। तै० सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१); यदि भिद्येत तैरेव कपालैः संसृजेत्सैव ततः प्रायश्चित्तिः। तै० सं० (५।१।९।३); एष वै प्रजापतिं सर्वं करोति योऽश्वमेधेन यजते सर्वं एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्। तै० सं० (५।३।१।२।१)।

२. यद्वै यज्ञस्य स्वलितं बोल्वर्णं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भियज्यति। कौपीतिकि ब्रा० (६।१२)।

३. विध्यपराधे प्रायश्चित्तिः। आश्व० श्रौ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्। अर्थलोपे प्रतिनिधिः। शां० श्रौ० (३।१।९।१); विध्यपराधे प्रायश्चित्तं दोषनिधातार्थं विधीयतेऽनाज्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या-होमाश्च हननार्थमिति। वैखानसश्रौतसूत्र (२०।१)। नारायण की टीका में आश्व० श्रौ० (३।१०) की व्याख्या यों है—“त्रिहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तिः कर्त्तव्या। प्रायो विनाशः चित्तिः सन्धानम्। विनष्टसन्धानं प्रायश्चित्तिरित्युक्तं भवति।”

स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उमका मोचन हो जाय (यथा मूर्खोदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब)। शत० ब्रा० (१२।४) एव ऐत० ब्रा० (३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरञ्जक दृष्टान्त दिये हैं, यथा जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-मात्र मुल के बल उलट जाय या बहूटूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त ही अग्नि वृक्ष जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गू० (१।३), हिरण्यकेशि गू० (१।५।१-१६), भारद्वाज गू० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६।१४ ५५), आश्व० श्रौ० (३।१०) एव आश्व० गू० (३।६ ७)। मीमांसा के शब्दा में प्रायश्चित्त या तो अन्वय है या पुरुषार्थ। प्रथम प्रकार की व्यवस्था श्रौतमूर्खों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर सवेत इस ग्रन्थ के खंड २ में ही चुना है, और वे प्राचीन वाङ्म में भी बहुत कम प्रयोजित होते थे।

अविकाश निवन्धो एव टीकाओं ने प्रायश्चित्त की द्युत्संति प्राय (अर्थात् तप) एव चित्त (अर्थात् सक्लप या दृढ विद्वान्) से की है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सक्लप में है या इस विद्वान् में है कि इसमें पापमोचन होगा। कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६) के मत से 'प्राय' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'दोषन' या शुद्धीकरण (पञ्चर मिथ, भक्तूप्याध्याय एव टोडरानन्द ने इसे उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमाद्रि ने भी एतदज्ञान भाष्यकार की व्याख्या की ओर सवेत किया है, 'प्राय' का अर्थ है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संधान' (एक साथ जोड़ना) अतः 'प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उमकी पूर्ति', अतः यह पाप क्षय के लिए नैमित्तिक कार्य हुआ।

परदारमाधवीय न एव स्मृति का उल्लेख करते कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुत्पा (परचात्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायतः) पर्यन्त (विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद या सभा) द्वारा विषम के स्थान पर मम कर दिया जाता है अर्थात् माधारण स्थिति में कर दिया जाता है। नामविधान की टीका में शायण ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है, 'प्राय' शब्द 'प्र' एव 'अय' में बना है, और इसका अर्थ है जो चिह्नित है उमके न गम्पा-

४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ अगिरा (हरदत्त, गौ० २२।१; प्रायश्चित्तविवेक पृ० २)।

५. तदुक्तम्। प्रायः पापं विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशेषणम्। इति। चतुर्विंशतिमनेऽप्येकम्। तथा पाप-निवर्तनसमर्थविद्योये योगहृदोऽप्यं शब्द इति तत्त्वम्। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६)।

६. यत् पक्षपरमिथभक्तूप्याध्यायटोडरानन्दहृतम्—प्रायः पापं विज्ञानोपायश्चित्तं तस्य विशेषणमिति च पेट्टुस्तत्राहश्चित्तम्। प्राय० म० (पृ० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं संधानं चिनष्टस्य संधानमिति विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापशुद्धौ नैमित्तिके कर्मविद्योये वर्तते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० १८९)।

७. प्रायश्चित्तं समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। पर्यंशं कार्यंने यत् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ पापिनोनुत्पापि-नश्च चित्तं व्याकुलं सद् विषमं भवति तच्च पर्यंशं येन व्रतानुष्ठानेन प्रायश्चित्तस्य समं कार्यंने तद् च प्रायश्चित्तम्। व्रतं चारयित्वा चित्तं पर्यन्तमिति प्रायः प्रदीयते सत्त्वप्ये विनाशयते इत्यर्थः। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३)।

दान करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विधिष्ठ घटना की जानकारी के उपरान्त धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्धृत कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है—प्रयत (पवित्र) + चित्त (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य यथा—तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित्त = उपचित्त) का नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खीले पानी में डालने एवं जल से धोने से स्वच्छ हो जाता है। अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायश्चित्त' शब्द दृढ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात् इसका उपयोग तभी होता है जब कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है।" बृहस्पति ने प्रायश्चित्त को नैमित्तिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एवं बालम्भट्टी (याज्ञ० १२०६)। जावाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है।

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात् जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामकृत (अर्थात् जो यों ही बिना जाने-बूझे ही जाय)। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (१।१।४५) एवं याज्ञ० (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ कर किये गये पापों के विषय में। गौतम (१९।३-६ = वसिष्ठ० २२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है—“कोई व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात् वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता है)।” दूसरी उक्ति यह है—“त्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है)।” तीसरी यह है—“जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता

८. अयं अयः प्राप्तिः। प्रकर्षेणायः प्रायः। विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्ययः। तत्प्रकारविषयं चित्तं चित्ति-  
ज्ञानम्। तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान ब्रा० १।५।१)।

९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादौपचित्तमशुभं कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपःप्रभृतिकं कर्म  
उपचित्तं संचित्तमशुभं पापं नाशयतीति। कृततत्कर्मभिः कर्तुः प्रयतत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्। तथा च  
पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञैः पापकृतः शुद्धिमुपयन्ति।  
प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०।

१०. प्रायश्चित्तशब्दश्चायं पापक्षयार्थं नैमित्तिके कर्मविशेषे रूढः। मिता० (३।२२०), स्मृतिमुक्ताफल  
(प्रायश्चित्त, पृ० ८५९; पराशरमाधवीय २।१, पृ० ३)।

११. कर्म के तीन प्रकार हैं—नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा—  
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा—  
ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा—पुत्र के लिए  
पुत्रेष्टि यज्ञ।



है।" और चौरी उक्ति यह है—“जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निपट्टु करता है।” वसिष्ठ (२०। १-२) ने प्रायश्चित्तों की सामर्थ्य के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यक्त किया है।<sup>१३</sup> मनु (१।१।४५) का कथन है कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के क्षमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त धृतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात् प्रसन्ना या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये जाने चाहिए। इस विषय में ‘रात्रिसत्र’ न्याय चरितार्थ होता है (जै० ४।३।१७-१९)। कुछ सत्र (बारह वर्षों से भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा—त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हीं रात्रिसत्र कहा जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है—“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौकिक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः इन वचन में प्रयुक्त ‘प्रतिष्ठा’ या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जै० ४।३।१५-१६)। यही बात याज्ञ० (३।२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है, ‘प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता है।’ मध्याह्निक ने तैत्ति० स० (६।२।७।५), ऋग्वेद म० (८।५) एवं ऐत० ब्रा० (३।५।२) में वर्णित गायत्री की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, “इन्द्र ने यतियों को शालावृको (कुत्तो या भेड़ियों) का अर्पित कर दिया और उसे उस पाप में मुक्ति पाने के लिए उपहृष्य नामक वृत्त्य करना पड़ा।” मनु (१।१।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में किये गये पापों का क्षमन वेदवचना के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट किये जाते हैं।

याज्ञ० (३।२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के समर्थ में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जान-बूझकर अर्थात् जान-पूर्वक किये गये पापों के फला (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (१।१।८९) ने इस कथन से भी शलनती है—“प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों में सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।” याज्ञ० (३।२२०) ने व्यवस्था दी है कि पानकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए, इस प्रकार (जब वह प्रायश्चित्त कर लेगा है) उसकी अन्तर्गता पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य सर्वोप ने निम्न हैं—शुद्धीकरण, पापी के मन को शान्ति एवं लोगों से ससर्ग-श्यामल। छागण्य (मदनपारिजात, पृ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पृ० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों के फला में ही प्रायश्चित्त द्वारा छुटकारा मिश्रता है, जान-बूझकर किये गये पाप (अज्ञान, आत्महत्या या अमान्यता करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० (२, भाग १, पृ० २००-२०१) में जावाल ने एक पद्य एवं देवदत्त ने दो पद्यों को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के विषय में दा मत प्रकाशित किये हैं और द्रम विषय में बोधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है, शानपूर्वक किये गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अगिरा का यह भी कथन है कि कश्चित् कार्य करने में उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उगी प्रकार नष्ट कर देता है किम प्रकार अश्वत्थार का उल्ला हुआ सूत्र नष्ट कर देता है। मनु (१।१।४७) का कहना है—“जो द्विज पूर्वक्रम के कारण अथवा इस जन्म में

भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।" आप० ध० सू० (१११२४१२४-२५) ने व्यवस्था दी है—“यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १११२४१०-३२) के अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी मृत्यु पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही मत अंगिरा, यम आदि का भी है।

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२६) ने किया है, जो सभी मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है—पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा—नरक की प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा वहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापकृत्य पतनीय (जातिच्युत करनेवाले) नहीं हैं वे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (११।२४।२४-२५ एवं ११।०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने वाले प्रायश्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मनु ११।७३, याज्ञ० ३।२४७-२४८, गौतम २।२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; मनु ११।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २।३।१, सुरापान के लिए; गौतम २।३।८-११, मनु ११।१०३-१०४, याज्ञ० ३।२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनु ११।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के लिए)। प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिवर्ज्य मतानुसार वर्जित है, अतः ब्राह्मण हत्यारे के लिए केवल वारह वर्षों का प्रायश्चित्त ही पर्याप्त है।

पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२६) के ‘कामतो-ज्यवहार्यस्तु’ को ‘अवग्रह’ के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९० = विष्णु० ५।४।३२) में आया है कि जो वच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक श्लोक याज्ञ० का भी है (३।२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी दी है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिताक्षरा का कथन है—“याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर आधारित है न कि तर्क पर। ‘वचन’ क्या नहीं कर सकते हैं? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए ‘वचनों’ पर आधारित यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता।”<sup>१३</sup>। यह उक्ति शावर भाष्य से ली गयी है और विश्व-

हृष ने लेकर आये हैं सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को व्यायमगत गिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले ही वे तर्कमग्न न हों और अनिश्चयान्वित न भरे पूरे हों। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५४४-५६५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रतिपादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) ने सम्बन्धित उसके निर्दोषों को उदघृत कर कहा है कि बृहस्पति के निम्न वचन का महारा लेना चाहिए, 'केवल साम्प्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रयुक्त निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए, 'स्त्रियों के हृषारों' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर सवेन नहीं करता प्रयुक्त वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्दोष (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्दोष) करता है।' नारद (साह्य, श्लोक ११) का वचन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते हैं, समाज के अन्य सदस्यों में मित्र-जुग्मे की अनुमति मिलनी है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थान अधिकतम दण्ड पाने वाले का नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापों की मर्म-सम्बन्धी अप्रयोग्यता के मत का समर्थन करते हैं वे वेदान्तमूर्त (३।४।४३, बह्निभूमयपानि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते हैं। किन्तु परा० मा० ने ठीक ही कहा है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर मनेन करता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर सवेन करता है। यही बात परा० मा० के मत से बौधिन भी कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्तावली (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्चित्तमूर्त (पृ० ७) का वचन है कि शत्रुचर्या के याज्ञ० (३।२०६) की पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-मूर्त (३।४।४३) की व्याख्या की है और कहा है कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत (आजीवन ब्रह्मचर्य या सन्यास) में व्युत्त हो जाते हैं वे ही समाज-मसंग में वचित होते हैं।

एक प्रश्न पूजा जा सकता है, प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय? उत्तर है—कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या त्रिस्तुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी है। उदाहरणार्थ, माघारण जन के ममक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि स्वानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों में मित्रता करने या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्या लगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा। यदि पापमय कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियाँ पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा। भगवद्गीता (४।३७) का वचन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (मचिन) कर्मों (एव उनके फलों) को जला डालती है।

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य में भी दण्ड मिलता है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कृतमाध्य (शूठी गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते थे। सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा हल्की थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा—यूवक अथवा वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक माना जाता था, कर्मिण्ड १।१९, कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपगतक माने हैं), अग्निहोत्र आरम्भ कर उसे छोड़ देना (जमने सम्बन्धित कृत्य न करना)। ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय

वचनस्यातिभारोऽस्ति। अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणोना चपेक्ष्यीय एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचनिकोऽयं सव्यवहार-प्रतिषेधः। मिता० (याज्ञ० ३।२९८)।

राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक-छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के घल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों की सीमा के अन्तर्गत आते थे।

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिपदों द्वारा व्यवस्थित राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक् पृथक्? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राड्विवाक के समान है) का उल्लेख वाज० सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है—“यदि किसी सच्चरित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और वन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।”

परिपद् प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिपद् के नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिपद् के धार्मिक न्याय-क्षेत्र में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को न्याय-शासन में सहायता देते थे। देखिए बसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों के समान ही कहा है—“राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।” आपस्तम्बधर्म-सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है—“जो लोग इन्द्रिय-दौर्बल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी मुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (डुबल)

१४. वृत्तस्वाध्यायवान् स्तेयी बन्धनात् क्लिश्यते चिरम्। स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत् ॥  
बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० ३३१)। सम्भव है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान् ब्राह्मण को, जो सदा-चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए।

१५. द्वौ लोके धृतव्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः। गौ० (८।१)। शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया है—‘नियसाद धृतव्रत इति धृतव्रतौ वं राजा... एष च श्रोत्रियश्चैतौ ह वं द्वौ मनुष्येषु धृतव्रतौ।’

बना दे।" इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्लोक ३) ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगा या प्रतिवेदनो पर। देवल का वचन है—“राजा वृच्छो का दाता है (अर्थात् व्यवस्थित प्रायश्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान् धर्मपाठक (धर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तों के व्यवस्थापक है, पिपी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला है।” पराशर (८१२८) का कथन है—“राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिपद् को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हर्षका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १, पृ० २३२) में व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवल गोवध जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३, प्राय० सा०, पृ० २१)। पराशर (८१२९) का कथन है कि राजा को भी परिपद् की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एव दण्ड दोनों की व्यवस्था दी है और श्लोक के ढग या गठन से श्लक्ष्णता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।” इस प्रकार मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है।

दण्ड एव प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एव इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० ध० सू० (१११२४-१-८) का वचन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के लिए त्रम से एक सहस्र, एव दत्त एव दम गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। लेकिन ये गायें किमका दी जाएंगी, इम विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। मनु (१११२७-१२९, १३०) एव याज्ञ० (३१२६६-२६७) ने भी प्रायश्चित्तों के अध्याय में ऐसी व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बौध० ध० सू० (११०१२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। सम्भवतः आपस्तम्ब के भी कहने का यही तात्पर्य था। राजा इन गायों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (९। २४३-२४५) का वचन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रयुक्त उसे वरुण के लिए जल में छोड़ देना चाहिए या विद्वान् ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (९।२२६) का कथन है कि यदि चार मत्प्राप्तकों (ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्घ्य-दण्ड भी देना चाहिए। मनु (९।२३७=मत्स्य० २२७।१६४) एव वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, गुराचान, स्तेय एव ब्राह्मण-हत्या के लिए त्रम में स्त्री के गन्तागा,

१६. वृच्छाणां दायको (दापको ५।१) राजा निर्दोषा धर्मपाठक । अपराधी प्रयोजना च रक्षिता वृच्छ-पालक ॥ देवल (मदनपारिजात पृ० २७७); प्राय० सा०, पृ० ८। राजद्वानुमते स्थित्या प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत् । स्वयमेव न कर्त्तव्य कर्त्तव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ पराशर (८१२८) । इस पर पराशरभाष्यवीथ का वचन है—“अत्र गोवधस्य प्रकृतत्वात्तमारभ्याधिषेष् राजानुमतेव यत् निर्दिशेत् ।

१७ अत्रार्थकारिणामेषां प्रायश्चित्तं तु कल्पयेत् । यथाज्ञानरूपेण च दण्डं धेयां प्रकल्पयेत् ॥ पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ।

शौंडिक (कलवार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शृण्ड (सूँड़) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तो राजा द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मनु १।२४०)। मनु (१।२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे।

मनु (१।१५६) के मत से कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मनु (१।१५७) एवं याज्ञ० (३।२३०) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हड़प कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९)। इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिपद-दण्ड (विद्वान् लोगों की परिपद द्वारा व्यवस्थापित प्रायश्चित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मनु (१।१।१०४), याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, वहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्डकोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग काट लेने की व्यवस्था केवल अब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मनु (१।१।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अतः मदनपारिजात (पृ० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा कि मनु (१।१।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मनु ८।३१८=वसिष्ठ १।१।४५)। आप० ध० सू० (२।१०।२७।१५-१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (वलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधों की सम्पत्ति राजा द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँखें जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात् उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० ध० सू० (१।१।२५।४) के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मनु (८।३।४८-३।५) ने भी कहा है—“चोर को कोई मुसल या गदा (खदिर की वनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बर्छी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना चाहिए और यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शं० (पृ० २।२७।१०)। मनी० (१।१।१००) के अनुसार—

१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी बही है। ब्राह्मण के मोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ० (३।२५९), विष्णु (५।२।१-२) एवं पराशर (१।२।६९-७०) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर वाष्प का बना एक हथियार चार को दे देता है, जिमम चोर स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार साक्ष का होगा, न कि लखड़ी का)। लगता है, कालान्तर में राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, श्लोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौटना हुआ राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेना है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छू लेता है और उसे छाड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि चोर का चारों को हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मनु ८।४०, याज्ञ० २।३६ एवं २७०, बृहस्पति, प्रायश्चित्त प्रकरण पृ० ७७)। यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा का अपनी आरंभ धन देना पड़ना था, या चारों रोक्ने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० ध० सू० २।१०।२६।८)। और दण्ड इम ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करने लगा था (मनु १०।५६ एवं विष्णु १६।११ बध्यघातित्व चाण्डालागाम्)।

दण्ड देने समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देने समय यह देख लेना पड़ना था कि जिम विषय पर विचार किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बही होना चाहिए, यथा— दाय 'कामत' है या 'अकामत' अर्थात् ज्ञान में हुआ है या अनजान में, यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जानि, अवस्था (बय), याग्यता, विद्या धन की स्थितियाँ क्या थी। "देविए कौटिल्य (४।१०), गौतम (१।२।४८), मनु (७।१६ एवं ८।१२६), याज्ञ० (१।३६८), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१।९।९)—दण्ड के लिए, और बौध्दा० ध० सू० (१।१।१६), याज्ञ० (३।२९३—अत्रि २।४८—अत्रि० १७।३६), अगिरा (१।४३), विश्व मित्र वृद्ध हारीत (९।२९७) एवं व्याध्र—प्रायश्चित्त के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्तत्व ने देवल को इम निलसिल में उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई बय मर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उस दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है और राजा को दूना अर्घ-दण्ड भी देना पड़ता है, और नियम ता यह है कि दण्ड के आधार पर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है।" प्रायश्चित्तमयूष (पृ० १२४-१२५) न काश्यप का उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसे प्रायश्चित्त करना पड़ना है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु

१८ ज्ञात्वापराध देन च काल बलमयापि वा। वय कर्म च वित्त च दण्ड दण्डयेयु पातयेत् ॥ याज्ञ० (१।३६८), अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्सवत्। सारापराधो चालोष्य दण्ड दण्डयेयु पातयेत् ॥ मनु (८।१२६)।

१९ यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके द्विगुण प्रायश्चित्त समाचरेत्। द्विगुण राजदण्ड च दत्त्वा शुद्धि-मवा नुयान् ॥ कालातिरेके सवत्सरातिरेके। सवत्सराभिशास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः—इति भनुवचने (८।३७३) सवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदशनेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थो बाधकमन्त्रेणान्यत्रापि तथेति न्यायाच्च। प्राय० तत्त्व पृ० ४७४, और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पृ० ५३०। 'अय मण्डपोद्यानादिदेवतागारादि—भे.ने काश्यप'। बापोकूपारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनभे.ने प्रायश्चित्तम्।... ब्राह्मणभोजयेत्। इति। एतच्चात्पोपपाते। महदुपपातेऽस्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्। देवता चात्र मृगमयी पूजोञ्जिता च प्राह्या। प्रायश्चित्तस्याल्पत्वादन्यत्र दण्डगौरवदशनेन प्रायश्चित्तगौरव कल्प्य दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति वचनात्। तथात्र दण्डगौरवमाह कात्यायन।... विष्णुरपि... मनु . . इति।

(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-भंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; यहीं मनु (९।२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है; प्रथम, मध्यम एवं उत्तम (उग्र)। उत्तम प्रकार में ये आते हैं—विप या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी वातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, साहस, श्लोक ११)।

परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र प्राप्त था, यथा—व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), याज्ञ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा—सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, दूब या घी पीना (मनु ११।७३, ९०-९१, १०३ आदि)। मनु (११।७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त परिषद् द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।<sup>१०</sup> प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त लोगों से संसर्ग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा—राजा द्वारा दण्ड, परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५।

प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मनु के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों में १२२ श्लोक (३।२०५-३२७) इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ श्लोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहद्दयम के १८२ श्लोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा—अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तरार्ध ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा—हेमाद्रि का ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत),

२०. प्राणान्तिकप्रायश्चित्तं तु पर्षदा न देयम्। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्। प्राय० सा० (पृ० ४१); एतच्च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नश्चेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्। अब्युत्पन्नश्चेत् प्रायश्चित्तस्वरूपं शिष्टेभ्यो ज्ञात्वा तदनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्। मद० पा० (पृ० ५/७)।



प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नृसिंहप्रसाद का भाग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायश्चित्तेन्द्रोखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एव २) एव प्रायश्चित्तप्रकाश।

टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एव याज्ञ० (३।२।१९) ने क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर' एव 'नर पतनमृच्छति' उक्तियों में 'नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एव निबन्धकारों ने यह धोषित किया है कि प्रायश्चित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तब कि चाण्डाल, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न एव सभी जातियों के लोग। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।१९), प्राय० वि० (पृ० १२)। याज्ञ० (३।२।६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार नहीं है, जप एव होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२।६२, प्राय० म० पृ० १२ एव प्रा० सार पृ० १७३)। जप एव होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० ७४९) एव व्यवहारमयूख (पृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक श्लोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण अग्नि (लोकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एव शूद्रों के लिए जप एव होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त-विवेक ने मनु (१०।६२) एव देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं।

इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

बृहद्-यम (४।१-२), शल आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्षों से ऊपर एव ग्यारह वर्षों से नीचे के बच्चों के लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माँई, पिता या कोई सम्बन्धी या सुहृद् को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्षों से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। विन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है विन्तु हलका-भा ही। यही बात दृष्टपति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)।

हमन पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त प्रयोग बाल, स्वान, वय आदि परिस्मृतियों के अनुसार ही होता है। ८० वर्षों के बूढ़ा १६ वर्षों के नीचे के बच्चों, स्त्रियों एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता है। इन विषय में देखिए विष्णुधर्मसूत्र (५।४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), बृहद्-यम (३।३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३।२।४३)। मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने गुमन्तु का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्षों से नीचे एव ८० वर्षों से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एव रोगियों के लिए आधा एव उपनयन के पूर्व बच्चा के लिए चौथाई प्रायश्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्षों से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। ध्ययन (गद्य में) ने बच्चा, बूढ़ों एव स्त्रियों के लिए दोगे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्षों तक द्ययन दायन रहता है और यही वय ७० वर्षों के उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात् वे भी दायन जैसा समझे जाते हैं। दायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्ध-दण्ड लगना है, जहाँ पुरुष को मृ-दण्ड मिलता है वहाँ स्त्रियों का अर्ध-विच्छेद (मात, जान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है।

अगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), श्याम (प्राय० वि० पृ० २४) एव अग्नि० (१७।३।९) के मत से जान-दण्ड-

कर ('कामतः') किये गये पापों के लिए अनजान में ('अकामतः') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। याज्ञ० (३।२२६) ने 'अज्ञान' एवं 'ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है।

प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का ४, ३ एवं २ लगता है। यही बात अग्नि० (१६।१३) में भी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १, पृ० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३।२५०)। बृहद्दयम (४।१३-१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ्र एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं वैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न (व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर वारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएँ समाप्त-सी होती चली गयी और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे।

देश के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा—दक्षिण की कुछ जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी वहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु (१।१।१७-१७२), बौधा० ध० सू० (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९।

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम वार अपराध करने या कई वार दुहराने पर भी निर्भर थी। आप० ध० सू० (२।१।०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभिचार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी वार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात् १२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६०।२६) एवं गंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६०।२५)।

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० पृ० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही (कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा सचमुच सुविधाजनक भी है।

यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तो की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातका एव दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विबल्य मे कर लेने चाहिए और महापातको के लिए कठोर तथा हल्के पापों के लिए अपेक्षाकृत हल्के प्रायश्चित्तो की व्यवस्था हो जानी चाहिए; कृच्छ्र, अनिकृच्छ्र एव चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९-विष्णु० ५।३।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हो, परिपद् को चाहिए कि वह पातकी के अपराध की गुरुता एव स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराभर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का दम हज़ार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुष्प एव गोदान सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-व्रत या पराक करने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु (११।११७) ने भी सभी उपपातको के प्रायश्चित्तो के लिए इसी व्यवस्था या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है।

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान् क्यों न हो, परिपद् के पाम जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेंट देने के उपरान्त (गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० एव पराभर ८।२)। मिताक्षर, पराभरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एव अन्य निबन्धों ने अगिरा के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जो निम्न बान कहते हैं—पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय सोना चाहिए, उसे वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिपद् के पाम जाकर पृथिवी पर दण्डवत् पड़ जाना चाहिए। परिपद् के सदस्य उसमें पूछते हैं—‘क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?’ तब सदस्य उससे थोड़ा हट जाने को कृत्वर आपम में परामर्श करके एव काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करने प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करने परिपद् की आज्ञा से उद्घोषित करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिपद् यह कार्य राज्यानुभामन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं—(१) परिपद् के पाम जाना, (२) परिपद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति का प्रवागम (अगिरा, प्रायश्चित्तप्रवागम—उपस्थान व्रतादेशश्चर्यां शुद्धिप्रवागमम्। प्रायश्चित्त चतुष्पाद विहित धर्मसंनृभि ॥)।

यहाँ पर परिपद् के निर्माण, सिष्टो के शील गूणों एव उनके कर्तव्यों तथा अधिचारों की सविस्तर व्याख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के मण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बाने नहीं दी हुई हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञानव्य है कि उम नृत्त को, जो विद्वान् है, आत्म-निपट्टी और शास्त्र-ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है कोई नहीं पूछता था, प्रयुक्त उस द्विज को, जो भद्र ही दुस्चरित्र हो, परामर्श देने की हृद प्राप्त थी। नृत्त को उम मनिय भोजन के समान त्याग्य समझा जाता था जिसे कुत्ता ने छू लिया हो। ‘परिपद्’ शब्द के स्थान पर ‘पर्यद्’ का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराभर (४।५५-५७) के मत में परिपद् को बच्चों, दुर्बलों एव बुद्धों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिपद् के सिष्ट लोग स्नेह, शोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट देने से तो उलटा पार उन्हीं को स्थाना था। देवन ने यही बान कही है। जहाँ तब सम्भव हो सर्वगम्भिन से निष्कर्ष या निर्णय दिया जाना था। यदि सिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त के उपरान्त बधा हुआ पार उन्हें भोगना पड़ता था।

## अध्याय ४

### विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त

अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्रायश्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात् वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।<sup>१</sup> हम इस ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम (भाग ३) में प्रायश्चित्तविवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायश्चित्तों, प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं धन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की संक्षिप्त व्याख्या देंगे।

**महापातकों के लिए प्रायश्चित्त**—शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धारित किये हैं—महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चौर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, वहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।<sup>१</sup> विष्णु० (३४।१) ने माता, पुत्री, पुत्रवधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० वि० पृ० ४३) ने भी कही है। किन्तु मनु (११।५८), याज्ञ० (३।२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा पुत्रवधू के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३३-२३४)।

१. एवमादीन्धन्यानि उत्कर्षापिकर्षप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा-  
ग्यादियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकामकृतत्व—व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पृ० २२०)।

२. नित्यं त्रिषवणस्तनाथी कृत्वा पर्णकुटीं वने। अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ ग्रामं विशेषेच्च भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीर्तयन्। एककालं समश्नीयाद्वर्षे तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। व्रतेनैतेन शुध्दन्ते महापातकिनस्त्वमे ॥ शंख (१७।१-३); अपरार्क (पृ० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्धृत)।

महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० ध० सू० (१।१।२४।१०-२५ एव १।१।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३५।६ एव ५०।१-६ एव १५), मनु (१।१।७२-८२), मान० (३।२४३-२५०), अग्नि० (१६९।१-४ एव १७३।७-८), सवर्न (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तों को व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कही हैं। भविष्य० (कुल्लूक, मनु १।१।७२-८२; अपराकं पृ० १०५५ एव प्राय० वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मनु द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह था कि ब्रह्महत्याओं को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थसौमुदी' में गोविन्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है।

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए, उसे मित्रा पर जोता चाहिए और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा—गौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक ब्रह्मचारी के नियमा (माम, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उमें ग्राम में केवल मित्रा के लिए जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छडी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उसमें मित्रा मांगगा, किन्तु इस विषय में नर्द मन है। आप० ध० सू० (१।१।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या तपि के) पात्र में केवल मान घरा से ही मित्रा मांगनी चाहिए और यदि उन मान घरा से भोजन न मिले तो उस दिन उस भूखा रहना चाहिए। उमें घटना क ऊपर एक बछनी मात्र पहननी चाहिए, उमें मान-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गाथा को चराने के लिए ले जाने और पुन लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेद करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) न जोड़ा है कि छडी म तथा बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्या को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे, उसे किसी आर्य को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६), उसे दिन में खाना रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एव दिन म तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एव याज्ञ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षों तक चलना रहना चाहिए (याज्ञ० ३।२४३)। मिताक्षरा एव कुल्लूक (मनु १।१।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात् २४ वर्षों की होनी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, अनुप्राहक को ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४ वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) ने मनु एव देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें और प्रायश्चित्त एक ही बार ही तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्तत्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भविष्यपुराण म भी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'शामवती इष्टि' के आधार पर है, अर्थात् जब दुर्घटनावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोडास एव घर मरुम हा जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया जाता है (जैमिनि ६।४।१७-२०)। यही वान प्रायश्चित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या सूद्र हो तो उसे व्रत से २४, ३६ एव ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्थसार पृ० १०५)। वन में पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गौशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एव

मूँछें मुँडा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११।७८ एवं ८१)। वारह वर्षों के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

(२) आप० घ० सू० (१।१२५।१२), गौतम (२।२।३), मनु (११।७२) एवं याज्ञ० (३।२४८) के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उमने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशून्य हो जाय और अन्त में वच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है।

(३) आप० घ० सू० (१।१२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२।२।८), मनु (११।७४) एवं याज्ञ० (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, वसा, अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त में अपने को अग्नि में (मनु ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन वार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य० (प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है।

(४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेध या गोसव या अभिजित् या विश्वजित् या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत् (मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध केवल राजा या सम्राट् कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोई घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मनु ११।७४)। विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम श्लोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेध या पृथिवी के सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति मीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान् आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११।७६) के मत से ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है।

(११) मनु (११।७६) एवं याज्ञ० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं यह पृथक्-पृथक् प्रायश्चित्त नहीं है, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात् यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) के मत से घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं धनवान् हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपरार्क, सर्वज्ञनारायण एवं राघवानन्द ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन वार पाठ करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या क्रमपाठ नहीं कर सकता। भविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो।

मनु (११।७९), याज्ञ० (३।२४४ एव २४६), वसिष्ठ (२०।२७-२८) एव गौतम (२।१७-८ एवं ११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। किन्तु वे, जैसा कि शश ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वाले से युद्ध करता है और उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है और यदि वह पृथ्वीपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। यही बात अपने प्राणों को भयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाकू से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एव गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

मनु (११।८२), याज्ञ० (३।२४४), शश एव गौतम (२।२।९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त स्नान-हृत्य (अवमृष) के लिए उपस्थित राजा एव पुराहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। हृदय के मत से यह एक पृथक् प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एव अपराजं (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत १२ वर्षों के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है।

याज्ञ० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों में रण्य एव योही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण या गाय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

पराशर (१।२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एव रामसेतु को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपन पाप का उद्घोष करने हुए शिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एव जूता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जंगल, तीर्थों में एव नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म भोज्य देकर विद्वान् ब्राह्मणों को १०० गोएँ दान में देनी चाहिए।

जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराजं, पृ० १०६४ १०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हे हम यहाँ स्थानाभाव में नहीं दे रहे हैं।

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), दश (३।२७-२८ एव आप० ध० मू० १।९।२४ का उद्धृत करने) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, सहादर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करना है तो उसे अन्तिम श्वास तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे का १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी पड़नी हैं जितने वर्ष उसकी अइत्या में लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता है (याज्ञ० ३।२५२, मी० २।२।११)। मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम वा अनिवेग (विस्तार) मात्र है और प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या मुग्नपान के समान बड़े गप्पे हैं उनके प्रायश्चित्त केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों में आये होने हैं। जो व्यक्ति आगमहत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रदेग से, या लडककर मर जाने में, विष में, या प्रयात में गिरकर, या उतवाम से मदिर के बँगुरे में गिरकर या पेट में छुरा मार लेने में बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्र०, पृ० १५)। वसिष्ठ

(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यवसितों के नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ्र की व्यवस्था दी है।<sup>१</sup>

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान बूझकर स्वयं किमी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्रायश्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त भी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, वसिष्ठ २०।३४)। याज्ञ० (३।२६६-२६७), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी है। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण-हत्यारे से कुछ कम (अर्थात् ३ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ० ३।२३६ एवं मनु ११।६६), किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १।९।२४।५ एवं ९; वौधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मनु ११।१३८, याज्ञ० ३।२६८-६९)।

मनु (११।२०८=विष्णु० ५४।३०) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर क्रम से कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है।

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम (२३।१), आप० घ० सू० (१।९।२५।३), वौधा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु (११।९०-९१) एवं याज्ञ० (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से वनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका प्रायश्चित्त मृत्यु से ही वन पाता है, अर्थात् उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए दूध, घी, घोल या गीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्वरूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।<sup>२</sup> हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा

३. जलान्युद्वन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायश्चित्तघातहताश्च ये ॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकवर्हिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुष्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा ॥ यम (२२-२३), वृहस्पति (३-४), नारदपुराण। इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बैठने वाले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

४. सुरापोऽग्निस्पर्शा सुरां पिबेत्। आप० घ० सू० (१।९।२५।३); सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः सुरामास्ये मृतः शुष्येत्। गौ० (२३।१); सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत्। मुखे तथा विनिर्दग्धे मृतः शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५३); अपरार्क (पृ० १०७१); प्राय० प्रकरण (पृ० ४३); प्रायेण धर्मशास्त्रेषु



है कि यह मयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा की ओर संकेत है)। मनु (११।९२) एव याज्ञ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है—गापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और वह भी रात्रि में कौश्ल चावल का भात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण करना चाहिए, मिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छोड़ी होनी चाहिए।

ऋषियों ने क्षत्रियों एव वैश्यों के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एव वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एव आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत)। यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उम व्यक्तिके लिए है जो अज्ञानवश या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२।३।२-३), याज्ञ० (३।२।५५), मनु (१।१।४६), अत्रि (७।५) के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्यं, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के ध्यनियों को तप्तकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। बसिष्ठ (२।९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य पी लेने पर कृच्छ्र एव अतिकृच्छ्र की व्यवस्था दी है और धी पीने तथा पुनः उपनयन-सम्पन्न करने की आज्ञा दी है। मनु (१।१।४६) एव याज्ञ० (३।२।५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति (मिता०, अपराजं आदि द्वारा उद्धृत) के कथन से गोडी (गुड़ से बनी), पैंटी (आटे से बनी), माधो (मधु या मट्ठा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण का क्रम से तप्तकृच्छ्र, पराक एव चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह हल्का प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अनिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई प्रकार के हल्के प्रायश्चित्तों (यथा—समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममाज देना, एक गाय एव बैल का दान करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराकार १।२।७५-७६)। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।५५)। क्षत्रियों एव वैश्यों को सुरा (पैंटी, आटे से बनी) के अनिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और मूद्रपैंटी सुरा भी पी सकता है। मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) का कथन है कि मनु (१।१।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एव वैश्यों के लिए सुरा वर्जित मानी है, किन्तु उन वर्णों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लडकियों के लिए भी सुरापान वर्जित है। यदि ऐसे लडके या लडकियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में हुआ हो) या छ वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० ४८)। कल्पतरु न गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लडकों को खान-पान, बाली एव व्यवहार में पूरी छूट है और अविवाहित लडकी को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एव

सर्वेष्वेव नराधिपः। मतिपूर्वं सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्॥ पैंटीपाने तु ऋषिभिर्नैतरस्यां कदाचन। भविष्य० (दीपकलिका, याज्ञ० ३।२।५३)।

५. गोडों पैंटी तथा माधो पीकरा विप्र समाचरेत्। तप्तकृच्छ्रं पराक च चान्द्रायणमनुक्रमत्॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२।५४; अपराकं पृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पृ० ८२१; प्राय० सार० पृ० ४२)।

प्राय० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या वासी मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकर्ण्य (परा० माघ० २, भाग २, पृ० ८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई वच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या भाई को प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कृच्छ्र करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्भ्यम (३।१-२) ने भी कहा है कि उन वच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, भाई, पिता या मित्र प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से वाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वैकल्पिक हैं, किंतु उसने देवताओं, रामय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०।१८) ने मनु (१।१५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५।१४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५।१२-३) ने शरीर से निकलने वाली (वारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लघुन (लहसुन) या पियाज या शलजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू सुगों, बन्दरों एवं गायों का मांस खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए।

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—सुरा के लिए प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोवी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनु ५।८-१०)। इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आचारित है। शंख का कथन है कि मध्याभय-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानार्ह व्यक्तियों की परिपद के सदस्यों) पर निर्भर है। बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रायण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के सेवन के लिए भी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।<sup>१</sup> सामविधानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (१।१।६०) आदि में एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त होता है)।

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (१।१०) में उपस्ति चान्द्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कुएँ देश में तुपारपात या टिड्डी दल से नाशकारी-स्थिति

६. अलेह्यानामपेयानामभक्षणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ बृहस्पति (अपराकं पृ० ११६४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६७) । गोमांसं मानुषं चैव सूनिहस्तात्समाहृतम् । अभक्ष्यं तद् भवेत्सर्वं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ संवर्त (१९७, अपराकं पृ० ११६५; पराशरमाधवीय २, भाग १, पृ० ३६७); शृंगाल-कुवकुट्टदंष्ट्रि-ऋष्याद-वानर-खरोष्ट्र-गजवाजि-विड्वराह-गोमानुषमांसभक्षणे चान्द्रायणम् । शंखलिखित (अपराकं, पृ० ११६६; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६८) । और देखिए गौ० (२३।४-३), वसिष्ठ (२३।३०), मनु (१।१।१५६), विष्णु (५।१३-४) ।

उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आडम व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलधी के दाने खाये थे और उसके जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो वही भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपत्काल में उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, विन्तु अब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र-विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; 'मर्वात्तानुमतिश्च प्राणायाम्ये तद्वर्जनात्।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पक नहीं रहता। मनु (१०।१०५-१०८) ने अजीर्ण (जिसने भूय से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वामदेव (जिसने भूय से विवर्ण होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), मरदाज (जिसने अपने पुत्र के साथ सुधावीरिन होकर वन में वृषु या बृमु से गोएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने भूय से अहृत होकर सदसत का विचार रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर मनेत किया है।

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५।१२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ के खाने के विषय में देविए विष्णुघ० सू० (५।१२१)।

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को एक गदा लेकर राजा के पाम पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० घ० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर मनेत किया है और विकल्प में (१।९।२५।६-७) अग्नि प्रवेष्टा या कम खाने-खाने मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियाँ की तोल या इसमें अधिक की ताल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी वर्णों के लिए चोरा का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १।३६३), विन्तु ब्राह्मण को इस महापातक के लिए वन में बाँधे वर्षों तक जीयडा में लिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मनु १।१।१०१) या सुतापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में चोर अपने प्रार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना धन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुत्र का ब्राह्मण के जीवन-काल तक भरण-पोषण हो सके (मिनाशरा, याज्ञ० ३।२५८)। आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय में एक वर्ष तक कृच्छ्र करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है—उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, गुरा पी है या गुर-पत्नी से सम्बन्ध किया है, विन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोडा खाना चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में ताडा रहना चाहिए और राति में बँडे रहना चाहिए, इस प्रकार करने-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।<sup>१</sup> निर्याग ने चोरी गये मोने की तोल, जिसकी चोरी हुई है उन्के गणा, चोर के गुणा, दाना की जानिया, एक वार या कई वार चोरी के दुहगने, चोरी गयी वस्तु के मूय्य एवं रूप, मयय एक स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देविए प्राय० वि० (पू० १।१७-

७. अजीर्ण की गाथा के लिए देविए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस धन्य का खण्ड ३, अध्याय २७। ऋषेय (६।४५।३१-३२) से ब्रुम को पणियों का बर्डी कहा गया है और उत्तरी दया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र एवं उनके द्वारा चाण्डाल को तोपड़ो से कुत्ते के घंर के छुराने की गाथा शालिपर्य (१४।१२६-२६) से दी हुई है।

८. कृच्छ्रमन्त्रों का चर्चे। अथाप्युहाहरन्ति। स्वेय कृत्वा सुरां पीवा गृधरात् च पत्वा ब्रह्महत्यामहरवा चतुर्धामा विभभोजनाः स्वयुरोम्यवेत् सवतानुवृत्तम्। स्थानास्तान्मया विहरन् एते त्रिभिर्धर्वैरप पापं मुवर्त्ते। आप० घ० सू० (१।९।२५।८-१०)।

१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्थसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ८८३-८८५) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं ।

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायश्चित्त लगता है । मनु (११।१६२-१६८) = मत्स्य० २२७।४१-४७ एवं विष्णु (५।२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—अनाज, पके भोजन या घन की चोरी में एक वर्ष का कृच्छ्र; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेने या कूपों और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन प्रायश्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पञ्चगव्य प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिधानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मूंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रुई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं (घोड़ा आदि), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान । चोर को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५।२।४) । मेघातिथि (मनु ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है । इसके अतिरिक्त चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था । देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५।८२) ।

स्तेय के दो प्रकार हैं—बलपूर्वक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी तौर से चोरी करना । साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस विषय में ब्राह्मणों के लिए परिपद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर या गुप्त रूप से सोने या घन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूर्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्-विष्णु का नियम लागू होता था, अर्थात् ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का प्रायश्चित्त करना पड़ता था ।

गुरुपत्नी के साथ द्यभिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है । गौतम (२३।८-११), आप० ध० सू० (१।१।२।५।१-२), वौघा० ध० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लौहमूर्ति का आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।५९) के मत से उपर्युक्त तीनों पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं, किन्तु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिंगन एवं तप्त लौह पर शयन

९. तप्ते लौहशयने गुरुतल्पगः शयीत । सूर्मिं वा शिल्प्येज्ज्वलन्तीम् । लिंगं वा सब्रूषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीचीं ब्रजेदजिह्वा शरीरपातात् । गौ० (२३।८-१०) ।

एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा-  
नित्ति (मनु ११।१०३)।

मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), गवर्न (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी),  
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, मोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्यत्र नारी के माथ संभोग  
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उसमें षोडश ही वष ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं  
याज्ञ० (३।२६०) ने मृत्यु के अनिश्चित यह प्रायश्चित्त बताया है—प्राणी को विज्रन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने  
देना चाहिए, धियडे धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य वृच्छ प्रायश्चित्त  
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्टत्व के लिए है। मनु (११।२६०)  
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे धार्मिक पदार्थ (यथा—  
फल, मूल या नीवार अन्न) या जी की लपनी या भांड खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदमहिता का  
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उम विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या  
शूद्रा हों। परापर (१०।१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है—लिंग काट लेना, तीन वृच्छ या तीन  
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री में व्यभिचार करता है। परापर (१०।१२-१४) ने अन्य  
मन्त्रव्रत सम्बन्ध वाली नारियों के माथ व्यभिचार करने बाधा के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ०  
३।२५९) ने माथ का हवाला देकर कहा है कि चारा महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह  
नियम मजानीय गुरु-पत्नी के माथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायश्चित्त के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न  
नियम देने हैं, अतः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।-  
४१) एवं शातिपर्व (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के माथ एक रात  
संभोग करता है, तीन वर्षों तक भोज मांगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रा के जप से दूर हो जाता है।" और देखिए  
वाप० ध० सू० (१।९।२७।११)। याज्ञ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुत्र्य चाची, मामी, पुत्र-वधू, भोसी आदि  
से उनकी सहायि से समाग करता है तो उम व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलना है और उसे वही  
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५—लघु शातातप १५५—अग्नि० १६९।३८)  
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ  
के यहाँ ग्याता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ना है, और यदि वह ऐसा ज्ञान  
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६)।

महापातक के अपराध में स्त्रिया के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्निया के साथ  
पुरुषा के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती  
हैं (मनु ११।१७६, कात्यायन एवं बृहस्पति)। किन्तु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त बाधा  
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है।" यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट

१०. मनु (११।१७७) का 'वृषली' शब्द कुल्लूर एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ०  
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है—'चाण्डाली वधुकी बेध्या रज स्या या च कन्यका। ऊढा या च सगोत्रा स्याद्  
वृषल्य. पञ्च कौत्सिता'। शूलपाणि ने 'वृषली' को शूद्रा कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश)।

११. यत्सुत परदारैषु समानेषु व्रतं चरेत्। व्यभिचारात् भूतः स्त्री तदशेषं समाचरेत् ॥ बृहस्पति (अपराध)

विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३; अध्याय २७)। किन्तु इस विषय में पुरुष तथा नारी में अन्तरंथा। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु १११.१०६ एवं याज्ञ० ३।२९६)। याज्ञ० (३।२९७) के मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा—नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रूण-हत्या करना (गर्भ गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२।१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य माना है, अर्थात् उन्हें भरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा—शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संभोग करती है), पतिघ्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है)।<sup>१२</sup> वसिष्ठ (२।१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

अब हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (१।१।१८१), विष्णु (५।४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से वर्ष भर) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही व्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ व्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवल १२ वर्षों वाला प्रायश्चित्त करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड़ता।<sup>१३</sup> यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आधा होता है। व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।<sup>१४</sup> प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके

पृ० ११२४, प्राय० वि० पृ० ३७१); एवं दोषश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहृता। स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३।२६४)। व्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्। तच्चापि कारयेन्मूढां पतितासेवनात् स्त्रियम् ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२)।

१२. चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिघ्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या ॥ वसिष्ठ (२।१।१०, मिता०, याज्ञ० ३।२९७ एवं अपराकं पृ० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा ने यह श्लोक व्यास का माना है और 'जुंगित' को 'प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः' कहा है। दीपकलिका ने 'कुत्सितः प्रतिलोमजः' माना है। प्राय० वि० (पृ० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः' कहा है।

१३. अत्र च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिश्यते। स तस्यैव व्रतं कुर्यादिति व्रतस्यैवातिदेशात्। मरणस्य च व्रतशब्दवाच्यत्वाभावात्। अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसर्गे द्वादशवार्षिकमकामतस्तु तदर्थम्। मिता० (याज्ञ० ३।२६१)। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ८५३)।

१४. यो येन संवसेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात्। पादहीनं चरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः॥ व्यास (मिता०, याज्ञ० ३।२६१; कुल्लूक, मनु १।१।८१)।

साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (३३।५१-५३) याज्ञ० (३।२६१), गोषा० घ० सू० (२।१।७३-७४) हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एव प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एव इस ग्रन्थ का खण्ड ३ अध्याय २७।

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की सजा दी है और मनु (११।५५-५८) एव याज्ञ० (३।२२८-२३३) ने उन्हे महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेध या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम अर्थात् १/४ कम होता है।

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की सख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का वणन आवश्यक नहीं है। सबप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वणन करेंगे और आगे चलकर कुछ महत्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत उल्लेख करेंगे। सामविधानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उपपातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु (११।११७) याज्ञ० (३।२६५) एव विष्णु (३।७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से क्षुद्धि (केवल अवकीर्णों को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जा गोवध के लिए व्यवस्थित है या चाद्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध प्रयोग से या पराक या गोसव से हो जाती है। निवघो का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समय है चाद्रायण उसके लिए है जो दुबल है और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश)।

मनु याज्ञ० एव अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय स्मृतियां न गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा—वन में तीन वर्षों का निवास भोज मांगकर खाना ब्रह्म चय पालन एव बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।१।२६।१) ने तुषारु गाय या तरुण बैल की हत्या पर गूद-हत्या का प्रायश्चित्त बतलाया है। वसिष्ठ (२।१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से अपने को ढँक लेना चाहिए और छ मासों तक कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र करना चाहिए। मनु (११।१०८।१।१६) विष्णु (५०।१६-२४) सवत (१३०-१३५) एव पराशर (८।३।४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने चार पयक प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है यथा—(१) गोघातक को अपनी इन्द्रियां पर एक मास नियंत्रण करना चाहिए उसे पचगव्य पर ही रहना चाहिए गोशाला में सोना चाहिए त्नि में उस गोशाला की गोएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए (२) या उसे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना चाहिए गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछ-पीछ दिन में चलना चाहिए (३) या इसी प्रकार अतिकृच्छ्र करना चाहिए (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गोएँ दान करनी चाहिए। गूद ने २५ दिन एव रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पचगव्य पर ही रहना चाहिए गिला के साथ सिर मूँडा लेना चाहिए शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए गायों को चराना चाहिए, उनके पीछ-पीछ चलना चाहिए गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।” कुछ

१५ गोधन पंचगव्याहार पश्चिमशक्तिरात्रमुपवसेत् सशिल वपन कृत्वा गोचमणा प्राकृतो गार्शानुगच्छन् गोष्ठशयो गां च दद्यात्। शल (विश्वकथ याज्ञ० ३।२६१, मिता०, याज्ञ० ३।२६४, हरदत्त गौतम २२।१८, अपराक पृ० १०९४)। मिता० एव हरदत्त ने यह वचन शल एव प्रचेता दोनों का माना है।

स्मृतियों एवं निवन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान् ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात् जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण करना चाहिए, केवल जी की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए; तभी उसे पाप से छुटकारा मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच-गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र (प्राय० वि०, पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को क्रम से चार कृच्छ्र या दो कृच्छ्र करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपराक, पृ० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; प्रायश्चित्तत्व, पृ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है—“गौएँ सदैव सुरमित होती हैं, उनमें गुग्गुलु की गंध होती है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविर्द्रव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी हैं और हम उन्हें, जो घन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है—गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम-याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने पडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

याज्ञ० (३।२८४), संवर्त (१३७), अग्नि० (१६९।१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, या वच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गायों एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा (प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पापी को पशु का मूल्य चुका देना पड़ता था।

सामविधानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० ध० सू० (१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेवला, गंधमूपक (छुडूँदर) एवं कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (१।१।३३-३३७), याज्ञ० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली,



सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवतं (१०), पंडीतसि आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एव आरण्य (बनैले) पक्षियों का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-मुल्मों को गन्ना एव कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१४२, याज्ञ० ३।२७६, वसिष्ठ १९।११-१२)। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव-कल्याण के लिए वृक्षों, लता-मुल्मों आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था।

यह अबलोकनीय है कि जब किसी को कोई बेश्या, या बानर या गदहा या कुत्ता या शृगाल या कौआ काट लेता था तो उसे दर्द मंहुने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए पी पीना पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ० ३।२७७ एव वसिष्ठ २३।३१)। परासर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एव शृगालों के काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा—स्नान, गायत्री का जप आदि।

पारदार्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपानक माना जाता था (मनु ११।५९ एव याज्ञ० ३।२३५)। इसमें भ्रूतलपगमन, गुरु-पत्नी एव चाण्डाल की स्त्रिया के साथ सम्भोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०-१७२, १७५, १७८, याज्ञ० ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एव २३।४१)। आप० ध० सू० (१।१०।२८।१९) उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये गपथ-व्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति का गदहे का चर्म वाल के भाग को ऊपर करके पट्टना पड़ता था और सात घरों से मित्रा माँगते समय कहना पड़ता था कि “उस व्यक्ति को मित्रा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-भंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ मास तक करना पड़ता था। आप० ध० सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट-चरित्र वाली पत्नी के लिए भी व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छ मासों) तक १२ रात्रि वाला कुच्छ्र प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एवं स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२।२।२९-३०, ३४) ने ऐंमे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देविए मित्ताक्षरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापानक के अतिरिक्त अन्य व्यभिचार सम्पन्वी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के समान ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु १।१७८ एव बृहस्पति)। किन्तु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूगरे प्रकार का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (देविए ऊपर, वसिष्ठ २।१।१-५ एव मवन १६७-१७२)। बृहस्पति (४।४८) ने प्रतिलोम जानियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है।

वाशयना (उचित समय पर उपनयन मन्त्रार न करने की स्थिति)—जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन मन्त्रार नहीं करता उसे व्रात्य या वसितसावित्रिक कहा जाता है। देविए आद्व० गू० सू० (१।१।५।५), आप० ध० सू० (१।१।२२-२६), वीषा० गू० सू० (३।१।५-६), वसिष्ठ० (१।१७।१-७५), मनु (२।३६-३९) एव याज्ञ० (१।३७-३८)। इस अवध में ब्राह्मण स्तोत्र एव उद्गालक व्रत (वसिष्ठ १।१७६-७९ एव गौतम १।९।८) नामक प्रायश्चित्त कुछ प्रश्नों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (१।१।११—विष्णु ५।४।२६-२७—अग्नि० १७०।८-९) ने ३ वृत्तों एव पुनः उपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (१।१।७७) ने उद्गालक व्रत का यों वर्णन किया है—“दो मासों तक जो भी लगनी पर रहना चाहित। एक मास तक दध पर। आधे मास तक आमिशा पर। आठ दिना तक धी पर,

छः दिनों तक विना भिक्षा या विना मांगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए।" आप० घ० सू० (१।१।१।२४-२७) ने ब्राह्म्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। ब्राह्म्य या पतितसावित्री के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह के पूर्व कई पीढ़ियाँ विना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित किया जा सकता है।<sup>१५</sup> किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।<sup>१६</sup>

व्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-पालन के व्रत की हानि की स्थिति)—वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीर्णी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार सुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।१।२६।८-९) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी को पाकयज्ञ की विधि से निर्ऋति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की वलि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है—“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो उसे वन में किसी चतुष्पथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्दभ (गदहा) की वलि देनी चाहिए, या उसे निर्ऋति को मात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए—“कामपिपासा को स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निर्ऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा।” यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मनु (१।१।११८-१२३), वौधा० घ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ० (३।-२८०), अग्निपुराण (१६१।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते रहना चाहिए।

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवर्त (१७१-१७२) ने छः मासों का कृच्छ्र निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बृहद्दयम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के नौ प्रकार दिये हैं, यथा—जो जल, अग्नि, उद्वन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच निकले (लौट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, जो विप, प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से बच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी शस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छ्रों से होती हैं।<sup>१८</sup> बृहद्-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ

१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यत उपनयनं तत्र प्रायश्चित्तं नोक्तम्। धर्मज्ञैरुहितव्यम्। एवं ततः पूर्वेष्वपि। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०)।

१७. त्रिपुरुषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२।५)। इदं ध्याख्यातं हरदत्तेन भाष्यकृता। . . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यत उपनयनं तस्य प्रायश्चित्तं नोक्तमिति। तथा च संस्कार्यस्य त्रिपुरुषोर्ध्वमपि ब्राह्म्यत्वे कथमपि संस्कार्यस्य उपनयनं न भवतीति फलितम्। प्रायश्चित्तमुच्यतावली।

१८. जलाग्न्युद्वन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायश्चित्तघातहताश्च ये॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकवहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६)।

हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी) और मन्यासञ्चन हो जाने के उपरान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही बटोर व्यवहार पंडन के सन्त ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे सन्यामञ्च्युत व्यक्ति को आरुडपरितत भी कहा गया है (परानारमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३)।

कुछ त्रिषिष्ट व्यक्तिप्रा, अस्मि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५।८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उपरान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं बुत्तों, ग्रामगृहों, मुर्गों, बौधों आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम बने हुए हैं। स्थानामात्र से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जात हैं। गौतम (१।४।२८) ने व्यवस्था दी है कि पणित, चाण्डाल, मूर्तिका (जच्चा), उदक्या (रजस्वला), शव, स्पृष्टि (जिम्ने इनको छू लिया है), त स्पृष्टि (जिम्ने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के माथ स्नान कर लेना चाहिए। यही वान मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्पर्श में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों प्रकार के स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पर्श किये बैठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० ११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुनस, म्लेच्छ, मल्ल एवं पारसीक तथा मृगपायनियों को छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पट्टाश्रमण ने कहा है—“बौद्धो, पाशुपता, लोकायनिका, नाम्तिका, विकर्म-स्या (जो निषिद्ध या वज्रित कर्म करते हैं) का छूने पर सचल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष (जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रोत कृत्य के लिए ईंटों की बंदिना बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-मन्त्रों का स्तम्भ, जिसमें वायकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, साम विघ्नेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।” सवर्त (प्राय० वि०, पृ० ४७२-४७३) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धोवर (मछली मारने वाले), नट आदि का छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (गिर के अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चमकार (मोची), ब्याघ (बहेलिया), जालोपजीवी (धोवर), निषेक (धोबी), सीनिक (कसाई), ठक (ठग), शैलूप (नट), मुवेमग (जो मुख में सन्तान करने की अनुमति देता है), कुता, सर्वगा वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है), चक्री (तेल निकालने वाला), ध्वजी (दीडिब या मद्य वेचनेवाला), बध्यघाली (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्ग) से छू जाय तो अंग प्रक्षालन करके आचमन करना चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हमारा नि (पृ० ३८) गण्डपुराण एवं (पृ० ३१६) परासार को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियाँ का जल्लेख किया है जिन्हें स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामला में चाण्डाल कहा जाता है।” देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ० ३१२) का कथन

१९. तत्र याज्ञवल्क्यः। चाण्डालपुनसम्लेच्छभिल्लपारतिकादिकान्। महापातकिनश्चैव स्पृष्ट्या स्नायान् सचेलक ॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०)। अपराकं (पृ० ९२३) ने इस श्लोक को बृहदायज्ञवल्क्य का ठहराया है। पट्टाश्रमणम्। बौद्धाप्याशुपताश्चैव लोकायनिकान्तिक्तान्। विकर्मस्यान् द्विजान् स्पृष्ट्या सचेलो जलमाविशेत् ॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८)।

२०. चर्मार रजक वेण धोवर नटमेव च। एतान् स्पृष्ट्या द्विजो मोहादाचामेत् प्रपतोर्गप सन्नु ॥ सवर्त (प्राय०

है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, शातातप, बृहस्पति आदि ने धार्मिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों के समय में अस्पृश्यता के आचार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है।

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदर्श रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।७।१-२) ने व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत् तत् सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना चाहिए, तथा 'त्रिकटुकेषु' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४०) का कथन है कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एवं शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (१।१।१९४, विष्णु ५।४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गृहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता है। यह अवलोकनीय है कि मनु (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, 'क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध हो सकता है' ऐसा कहना तर्कहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र को शिक्षा देने या उसका पीरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थ वेचना मना है, यथा— तिल, तैल, दधि, क्षौद्र (मधु), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें वेचने से वह तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुँड़ाकर साल भर तप्त कृच्छ्र करना चाहिए, दिन में तीन बार जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मीन व्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए।

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा 'हेऽरयः' को 'हिलयः' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस-भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन

वि०, पृ० ४७२-४७३)। रजकश्चर्मकृच्चैव व्याधजालोपजीविनौ। निर्णेजकः सौनिकश्च ठकः शैलूषकस्तथा ॥ मुखेभगस्तथा श्वा च वनिता सर्ववर्णगा। चक्री ध्वजी वध्यघाती ग्राम्यशूकरकुक्कुटौ। एभिर्यदङ्गं संपृष्टं शिरोवर्जं द्विजातिषु। तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात् ॥ शातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११९)। प्राय० वि० ने 'ठक' का अर्थ 'धूर्त' बताया है और यह आज 'ठग' शब्द का मौलिक रूप लगता है। स्मृतिचन्द्रिका ने 'नटः' के स्थान पर 'ठकः' पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेदभिल्लाश्च स्वर्णकारश्च सौविकः (सौविदः?) ॥ कारुको लोहकारश्च शिलाभेदी तु नापितः। तक्षकस्तिलयन्त्री च सूनश्चक्री तथा ध्वजी। एते षोडशधा प्रोक्ताश्चाण्डाला ग्रामवासिनः ॥ गरुडपुराण (हेमाद्रिः प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पृ० ३१६)।

बोलनेवाले होने हैं। उमने हरिवश के वचन का हवाग देते हुए सको, यवनो, बम्भोजो, पारदो, पह्लवो वं वस्त्रो एव केन-विन्याम वा वर्णन किया है।" देविए इम विषय मे इम ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एव २८। दो-एक अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छा या मात्रमणकारियों द्वारा व्यक्तियों का हरण हा जाता है या वन मे जाने हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुन लौटकर स्वदेश मे चले आते है, तो वस्त्रिन भाजन करने के कारण उनके लिए जा प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण विधेय पर निर्भर है, यथा—ब्राह्मण वा आधा बृच्छ एव पुनरपनयन करना पडता है, क्षत्रिय को तीन चौपाई बृच्छ और पुनरपनयन करना पडता है, वैश्य वा चौपाई बृच्छ एव गूढ को चौपाई बृच्छ तथा दान देना पडता है।" मनु (८।१६९), विष्णु (८।६७) एव याज्ञ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बन्धन अधिवृत किया जाय, बलवश लिखित कराया जाय तथा जा कुछ भी विनिमय या आदान प्रदान यत्नमा हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन बन्धन का उपयोग कर मुक्ति की जा सक्ती है और विछुडे हुए लोगों का हिन्दू धर्म के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस प्रकार लौटाए गये लोगों के विषय मे परावर्तन शाद का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमो मे परिवर्तन करके अहिन्दू वा भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल मे द्राव्यस्तेम के सम्पादन द्वारा अन्य लोगों को हिन्दू जाति मे लाया जाता था। दणिए इम ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एव खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, वालि, सुमाना, स्याम आदि दक्षिण पूर्वी देशा के लोगों के हिन्दू बनन का उल्लेख किया गया है। हमी अजरबैजान देश की राजधानी बाबू के पास सुरहती व ज्वालजी अग्नि मन्दिर मे प्राण १८वीं एव १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखो से पता चलता है कि हिन्दू यानी वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उह अकित कराया था। इन शिलालेखा का आरम्भ भणेश की प्रशस्ति से हाता है। एक श्लोक या है—'इत्येव । दवयने व्रन तीर्थे सत्पात्रद्वयमोजने । पितृश्राद्धे जटीहस्त्ये धन व्रजति धर्म्यनाम् ॥"

मनु (१।१।२२४=विष्णु ३।८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिभ्रंशकर कर्म जान से करन पर सान्तपन एव अज्ञान मे करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हे ऊपर सकरीकरण या अपात्रीकरण कहा गया है एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मनु ९।१२५), इसी प्रकार मलावह कर्मों के लिए कर्ता को तीन दिना तक केवल जी की लपमी पर रहन को कहा है। य मनुवचन अग्नि० (१७।०।२३ २५) मे भी पाये जाते हैं। विष्णु (३।९।२, ४।०।२ एव ४।१।५) ने सकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनोकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ मित्र प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एव बृहस्पति के वचना के लिए देविए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०)। अन्य प्रकार के

२१ गोमासलादको यश्च विहृद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ वीथा० (प्राय० त०, पृ० ५४९, सगर-स्वी प्रतिता च गुरोवविष्य निशम्य च। धर्म अधान तेवा वं येथान्यत्व चकार ह ॥ अर्ध शकान्त शिरसो मूण्ड कृत्वा व्यसर्जयत्। यवनाना शिर- सर्व काम्बोजाना तथैव च ॥ पारदा मुक्तकेशादच पह्लया इमधु-धारिण । नि स्वाध्यायवपट्टकारा कृतास्तेन महारमना ॥ शका यवनकाम्बोजा पारदाश्च विशापते। कोलिसर्पा समहिषा दाद्यदिचोला सकेरला ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषा निराकृत । हरिवश, हरिवशपर्व (१४।१५-१९; प्राय० त० पृ० ५४९) ।

२२ म्लेच्छेहृताना चोरैर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धयर्थे तेषा वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ पुन प्राप्य स्वदेश च वर्णानामनुपूर्वश । कृच्छस्थार्थे ब्राह्मणस्तु पुन सरकारमर्हति ॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्धार्थे वैश्य एव च । पाद कृत्वा तथा शूद्रो दान दत्त्वा विशुध्यति ॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६) ।

प्रकीर्णक पातकों के लिए मनु (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के स्वभाव, कर्तारों की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी चाहिए।

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, भय या असावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म-का शुद्धीकरण तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात् समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मनु एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है।<sup>३३</sup> प्राय० त० (पृ० ४७४, ५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य (दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेश्वर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अभावस्था को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक-काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए।

शिष्टों की परिपद द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय-समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ्र के सम्पादन की विधि यों दी है—'यदि पापी पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात् उसे रात्रि में बैठकर ही सोना चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यों (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर छिड़कना चाहिए), 'आपो ह्यिष्टा' आदि (ऋग्वेद १०।१।१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नमः' एवं अन्त में 'नमः' का उच्चारण करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं २ देवताओं के नाम होने चाहिए)। यह प्रायश्चित्तों के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत् अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्मभोज करता है।' आप० घ० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्मभोज में केवल शुचियुक्त (सदा-चारी) एवं मन्त्रवान् (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।<sup>३४</sup> बौध० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव-

२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । तथा तथा हि कार्याणि न कालं तु विलम्बयेत् ॥ दक्ष (२।७३; प्राय० त०, पृ० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत् । द्विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । संवत्सराभिशास्तस्य द्रुष्टस्य द्विगुणो दमः । इति मनुवचने । प्राय० त०, पृ० ४७४ । यह मनु (८।३७४) है । 'तस्माद्विश्रम्भात् स्नेहाद् लोभाद् भयात्प्रमादाद्वा अशुभं कृत्वा सद्यः शौचमारभेत्' इति हारीतेन सद्यःकरणमुक्तम् । अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विशेषः । नाष्टम्यां न चतुर्दश्यां प्रायश्चित्तपरीक्षणे । न परीक्षा विवाहश्च शनिभौमदिने तथा ॥ प्राय० त०, पृ० ४७४ ।

२४. शुचीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत् । आप० घ० सू० (२।६।१५।९) ।

स्वा दी है कि कृच्छ्र प्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र धारण करना चाहिए, मिर, मँछ एवं धरोर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटाती। मनु (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चित्तों में महाव्याहृतियों के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए पापी को अहिंसा, सत्य, त्रोग विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए वस्त्रों के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए, शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में सड़के एवं रात्रि में बँटे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल या चवूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा—भूज की मेखला, पलाश-दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए। देवा, ब्राह्मणों एवं गुम्जना का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२।४।५) ने भी दी है। याज्ञ० (३।३१२-१३) के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्तों के लिए सभी (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा आदि) एवं नियमों (स्नान, मौन, उज्वान, मुञ्जिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिमूह्य० (५।३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। याज्ञ० (३।३२५) ने कहा है कि कृच्छ्र या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्र (जैसा कि वसिष्ठ २।८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मातृ के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शक (१।८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बताया है।<sup>१०</sup> प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२-२०३), प्राय० तत्व (पृ० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायश्चित्तोद्देश्यर (पृ० १५ एवं ८८) आदि न विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक समझते हैं। संक्षेप में विधि या है—प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, गोबर, पवित्र जठ आदि से स्नान कर लेना चाहिए घृत पीना चाहिए, शिष्टों को पण्डित द्वारा व्यवस्थित नियमों के पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्त को स्नान करना चाहिए, धाढ़ करना चाहिए, पचमव्य पीना चाहिए, होम करना चाहिए, साना, गाय आदि ब्राह्मणों का दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भात्र देना चाहिए। पराशर (१।१।२) का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पचमव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जागलि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में स्नान अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, धाढ़ करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा देनी चाहिए। देविए अपराजं (पृ० १२३०) एवं परा० माध० (२, भाग २, पृ० १९२) जहाँ जागलि का उद्धरण दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महागंध के मत से व्याहृति-होम की मर्यादा २८ या १०८ होनी चाहिए।

वपन या मुण्डन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया है—“अमुरा ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुँडाय, उसके उपरान्त मँछें मुँडवा दीं और तब बालों, इसी से वे नीचे गिरे (या उनका भुग नीचा हुआ) और पराभूत हुए किन्तु देवा ने सर्वप्रथम कानों के बाल वनवाये, उनके उपरान्त मूँख वनवायी और तब मिर के बाल कटाये। प्राय० प्रकाश ने इस वपन को विभ्र त रूप में उद्धृत करके वपन के तीन प्रकार दिये हैं, देव (देवा का), अमुर (अमुरा का) एवं मानुष (मानवा का)। इनमें अमुर वज्रित है और वैदिन अग्निपों को

प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं नोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा—तीर्थ-यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर। वर्ष में शिर-मुण्डन नहीं करना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, पृ० ४८९)। उन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है तो वह दानों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपाणिजात एवं प्राय० मयूय का कथन है।<sup>१</sup> गीतम (२७।२), वसिष्ठ (२४।५), बौधाय० ध० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने शिर एवं दाढ़ी-मूँछ के बालों (भँहों, शिखा एवं कटिवन्ध के बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-बहन एवं प्रेत-कर्म वर्जित माना है। किन्तु यह वर्जना प्रायश्चित्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौधायन ने रित्रियों के प्रायश्चित्तों में शिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा (१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहद्गम (३।१६), बृहदारण्यक (९।३८८), परागर (९।५४-५५), अथर्ववेद (५।४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सत्रवा विवाहित रित्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं भ्रूणधारियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। परागर (९।५२-५४) तथा जंन (परा० मा०, २, भाग १, पृ० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान् ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन के लिए वाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चिन्न करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान् ब्राह्मणों एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं करना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने संवत् का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। पर० माधवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है कि चान्द्रायण व्रत में गुप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है तब भी संकल्प-वचन 'वपनं करिष्ये' है न कि 'वपनं कारयिष्ये।' गीतम (२७।३) में आया है—'वपनं व्रतं चरेत्' जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी में हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ्र में वपन अनावश्यक है।

प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिंगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं अन्यत्र दिये हुए हैं।

प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३।१२-३।३।३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेवातिथि (मनु ४।२०८=अत्रि ४८) ने मनु की व्याख्या यों की है—यम वर्जनां (निषेव) के रूप में होते हैं, यथा—ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यथा—वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मनु ४।१।४७)।

२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपाम्यहम् ॥ इति मन्त्रमुक्त्वा कक्षोपस्थशिखावर्जं क्रमेण श्मश्रूपपक्षकेशानुदवसंस्थान् वापयेत्। यतिविधवादीनां सशिखं वपनम्। ब्रह्महत्यादिष्वपि सशिखं सर्वांगलोम्नां च। प्राय० म० (पृ० १९)।



प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत के मत से माप एवं मसूर को ढाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वर्ज्य है और इसी प्रकार दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, सभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रो या उच्छिष्टो से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन करना, मिर में तेल लगवाना, साम्बूल चाना, अजन लगाना या उन वस्तुओं का सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है।

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्भ करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि' (व्रतों के पति अग्नि, मैं व्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रतमचारिष्य तदग्नक तन्मे रावि' (व्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए।

प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं, प्रवट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जानेवाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५।१-३), मनु (११।२४८-२६५), याज्ञ० (३।३०-१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के ससर्ग से उत्पन्न पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातों में उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं ससर्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, वृद्ध है या विद्वान् है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे शिष्टों की परिपद् में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र ध्वजों, दाना, होमों एवं जप में लिप्त रहने में वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रवट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रों से शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र भी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दाना एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३००)। गौतम (२६।२) एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत् स मन्दि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) में आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म घातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुन दस दिना तक घी पर और पुन दस दिनों तक जल पर रहने को कहा है और वह भी केवल एक बार प्रातः काल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रति दिन आठ अंग के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुनियों देनी चाहिए, जो निम्न हैं—शरीर के बाल, नख, चर्म, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मै मृत्यु के मुख में आहुतियाँ दे रहा हूँ।' याज्ञ० (३।३०१) के मत से उमको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल म खड़े होकर अधमपंण सूक्त (ऋ० १०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारु गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना चाहिए, तब वही उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित व्रत का पालन करने एवं अधमपंण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि में व्यभिचार करनेवाला 'सहस्रशीर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है।

ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान् कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े।<sup>१७</sup> अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्मति से परिपद् द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त-व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वन में जीवनवाधा के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार धर्म शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”<sup>१८</sup>

समय के परिवर्तन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५।२०।१८— यद्यनाद्दयोऽग्नीनादवीत काममेवैकां गां दद्यात् सा गवां प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रौ० सू० (१४।५।१६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पृ० १९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा—गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९।१६) से पता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।<sup>१९</sup> चतुर्विंशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की

२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणैर्धर्मपाठकैः ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति न च प्राणैर्वियुज्यते । अर्तिं वा महतीं याति न चैतद् व्रतमादिशेत् ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); पर्षत्संचिन्त्य तत्सर्वं प्रायश्चित्तं विनिदिशेत् । सर्वेषां निश्चितं यत्स्याद्यच्च प्राणान् न घातयेत् ॥ अंगिरा (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३६; मदनपारिजात, पृ० ७७९) ।

२८. तस्करश्वापदाकीर्णं बहुव्यालमृगे वने । न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणवाधाभयात्सदा ॥ शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात् स्वते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा ॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात पृ० ७२८; अपरार्क पृ० १२३१) । अपरार्क ने एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया है—“सर्वतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहति । व्रतैः कृच्छ्रस्तथा दानैरित्याह भगवान्यमः ॥” (शंख १७।६४) ।

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तौ धेनुं दद्यात्पयस्विनीम् । धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः ॥ संवर्त (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९७; प्राय० सार, पृ० २०३; प्राय० त०, पृ० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याज्ञ० ३।३२६) ने इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है—“मूल्यार्धमपि निष्कं वा तदर्थं शक्त्यपेक्षया ।” इस श्लोक को अपरार्क (पृ० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छ्रस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छ्रं देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम् । पुण्यतीर्थेऽनार्द्रशिरःस्नानं द्वादशसंख्यया ॥ द्वियोजने तीर्थयात्रा कृच्छ्रमेकं प्रकल्पितम् ॥ पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पृ० ४७) । मूल्यं च यथाशक्ति देयम् । अत एव ब्रह्मपुराणे

व्यवस्था दी है, यथा—दस सट्ट वार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर)—ये चार ममान हैं, और नित्र के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, वारह ब्राह्मणों का भोजन एवं पावकेष्टि समान कहे गये हैं। चतुर्विंशतितम ने अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एज गाय का दान है, गान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) दो गौएँ हैं तथा परान, तपनृच्छ्र एव जतिरृच्छ्र का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गौएँ है। इन मरल ने मरलनर एव मरलतम विधियों का पत्र यह हुआ है कि मध्य काठ में महापातको के प्रत्याम्नाय ब्रह्म भोज, धन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के म्यान पर विकल्प में ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा, यदि व्यक्ति यह भी न कर सके तो वह ३६० दुघान गौआ का दान कर दे, किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनसे बराबर मूल्य या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३।३०९) ने व्यवस्था दी है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या नित्र-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता है। वनिष्ठ (२।१।८-१९ = अत्रि ६।७-८) एव विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैश्या की पूर्णमा को साल या पाँच ब्राह्मणों को मधु मय तिल के साथ भोजन देने में व्यक्ति सभी पापा से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा—स्मृत्यर्थमात्र (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५१७, ५४१) प्रायश्चित्तमूल्य (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के पत्रम्बरूप आजकल के लोग मरते समय एक या अधिक गौआ का दान या पुराहितों का धन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं।

मध्यकाठ के लेखका न दुघान गौआ, साधारण गौआ एव बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजन जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत में पयस्विनी (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण गाय का एक पुराण, एव बैल का पाँच पुराण था। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण तर्बि का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य में ८० बराटक (कौडियों) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (मविष्य० एव मलय० के अनुसार) निष्क वह नहीं है जैसा कि मनु (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात् मोना जो तोल में ३२ रत्ती भना है। प्रायश्चित्तनुसंगर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी है और ताल में चार सुवर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १८ ग्रैन होती है, अतः ८० रत्ती का एक ताम्र-पण ताल में लगभग १४४ ग्रैन होगा। इसी तरह से एक धेनु ३२ पणा (या दो पुराणों) के बराबर था, अर्थात् ताम्र के २६ तोला के बराबर (अथ एव तोला १८० ग्रैन के बराबर लिया जाय)। देविए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन निष्कों एव तोला के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई दातान्द्रिया में लेखका के मना में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्ण' के बराबर होता है। लीलावती के अनुसार २० बराटक (कौडियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है।

'गवामभावे निष्क स्यात्तदर्थं पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (पृ० २०३) एव मिता० (याज्ञ० ३।३२६, जहा नाम नहीं दिया हुआ है)।

## अध्याय ५

### प्रायश्चित्तों के नाम

इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निवन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है।

**अघमर्षण** (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—गौतम (२४।११), वीष्णु (५५।७), शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० १९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना एवं अन्त में दुधारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन किया है।

**अतिकृच्छ्र** (और देखिए कृच्छ्र के अन्तर्गत)। मनु (११।२।३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३।१९) ने एक कौर के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३।१९) एवं प्राय० सा० (पृ० १७६) के मत से मनु की व्यवस्था गत लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।६-७), गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०), लौगाक्षिगृ० (५।१२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) एवं वीष्णु (५५।७)। मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं।

**अतिसान्तपन** (और देखिए महासान्तपन)। यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७।१-१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है)। मिता० (याज्ञ० ३।३।१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए १२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था दी है।

१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकैकस्य द्वचहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम् । यथाह मयः—एतान्येव तथा

अर्घ्यहृच्छ्र (और देविण् हृच्छ्र)। आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छ दिनो का प्रायश्चित्त है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मणि मोजन करना पड़ता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मणि प्राप्त मोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।<sup>१</sup>

अश्वमेधावभूयस्नान—यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में सरकारजन्य अथवा वृत्त्यस्नान होना है। विष्णु (३६ के उत्तरार्ध) ने महापातकों एवं अनुपातकों के लिए अश्वमेध की व्यवस्था की है। केवल सम्राट् अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं जिनके अन्त में एक विगिष्ट स्नान किया जाता है। देविण् इम ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है। प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेध केवल क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किन्तु कुल्लूक (मनु ११।९२) एवं प्राय० तत्त्व (दाना न भविष्यपुराण का हवाला दिया है) न कहते हैं कि ब्राह्मण भी अश्वमेध के अन्त में होनेवाले स्नान में माग रेकर अज्ञान में किय गये ब्रह्महत्या के महापातकों से छुटकारा पा सकता है।<sup>१</sup>

आग्नेय हृच्छ्र—अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन व्यर्थान कर दे तो वह आग्नेय हृच्छ्र कहलाता है।<sup>१</sup>

ऋषिचान्द्रायण—बृहद्-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल तीन वीर यज्ञिय मात्रन किया जाता है।<sup>१</sup>

एकमन्त्र—प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार साये तो इस एकमन्त्र व्रत कहा जाता है।

हृच्छ्र—बर्हि प्रायश्चित्त के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है—  
“अथानस्त्रीनु हृच्छ्रान् व्याख्यास्यामि । हविष्यान् न्यमनत्राद्यदिब्रागी तदभ्यह न्यहमयाचितत्रतस्यह नास्नानि  
विचनन्ति हृच्छ्र-द्वादशरातस्य विप्रि”, जिसका तात्पर्य है कि ‘व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही स्नाना चाहिए,

पेयाश्वेकं तु द्वयह द्वयहम् । अतिसात्तपन नाम श्वपाकमपि शोभयेत् ॥ मिता० (भा० ३।३।१५); प्राय० सार (पृ० १९१), अपराकं (पृ० १२३४)।

— २ सायप्रातस्तथैवैक दिनद्वयमयाचितम् । दिनद्वयं च नाशनीयात्कृच्छ्रायं तद्विधीयते ॥ आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४), मिता० (भा० ३।३।१८), प्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० भा० (२, भाग २, पृ० १७३) एवं प्राय० सा० (पृ० १७२)।

३. अश्वमेधप्रायश्चित्तं तु राज एव तत्र तस्यैवाधिकारान् । अश्वमेधावभूयस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः । तथा च कल्पतस्मै भविष्यपुराणम् । यदा तु गृणवान् विप्रो हन्याद्विप्रं तु निर्गुणम् । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं त्रैवाश्वमेधिकम् ॥ तदश्वावभूयस्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायश्चित्तविवेकीवत हेयम् । प्रा० तं (पृ० ५४४); और देविण् निर्दिष्ट शब्दों के लिए प्राय० वि० (पृ० ६५)।

४. तिलैर्द्वादशरात्रेण हृच्छ्रमाग्नेयमातिवृत् । अग्निपुराण (१७।१।१४), विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश)।

५. तथा बृहद्विष्णु—श्रीस्त्रीनु पिण्डान् समशनीयात्प्रियतात्मा दृढव्रतः । हविष्यात्प्रस्य वै मासमुषिवाद्वाप्यण घर्तु ॥ प्राय० प्रक० (पृ० १३२); प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० तं (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (पृ० १९६) ने इस श्लोक को घम का माना है।

तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे भोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ्र का (जिसे पश्चात्कालीन लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छ्र (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छ्रातिकृच्छ्र की (२६।२०)। ब्रीचा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन कृच्छ्र की भाँति ही किया है। आप० घ० सू० (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छ्र का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वर्णित कृच्छ्र बारह दिनों का है और उसे मनु (१।१।२११), शंख (१।८।३), याज्ञ० (३।३।१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ्र शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कृच्छ्र को मनु (१।१।२११) ने प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं—सत्य बोलना; अनार्य पुरुषों एवं नारियों से न बोलना; 'रीरव' एवं 'यीवाजय' नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नान; ऋग्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह (गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा; उन्हीं तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत् अग्नि को देना तथा ब्रह्मभोज।

कृच्छ्रसंवत्सर—आप० घ० सू० (१।९।२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष भर कृच्छ्र व्रत लगातार किये जाते हैं।

कृच्छ्रातिकृच्छ्र—गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२।४।३) ने इसे वह कृच्छ्र कहा है जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एवं साम० ब्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२० = देवल ८६, प्रथमार्ध) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम एवं याज्ञ० के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्य पर निर्भर है। यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपरार्क, पृ० १२३८)। और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं मदनपारिजात (पृ० ७१६)। मनु (१।१।२०८ = विष्णु ५।४।३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो लोग कृच्छ्र नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयश्चिनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अतिकृच्छ्र एवं कृच्छ्रातिकृच्छ्र के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गायें दी जा सकती हैं।

गोमूत्रकृच्छ्र—प्रायश्चित्तसार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किया है—“एक गौ को जी-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जी के दाने निकालकर गोमूत्र में उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।”<sup>१९</sup>

६. आ तृप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान् यवमिश्रितान् । तान् गोमयोत्थान् संगृह्य पिवेद् गोमूत्रयावकम् ॥  
(प्राय० सार, पृ० १८७)। महर्षिभ ने इसे योगयाज्ञवल्क्य से उद्धृत किया है और 'पिवेत्' के स्थान पर 'पचेत्' लिखा है।

गोव्रत—प्रायः ० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धृत किया है—“व्यक्ति को गोमूत्र म स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौआ के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, जब वे खड़ी हो तो खड़ा हो जाना चाहिए जब वे बैठें तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना चाहिए।”

चान्द्रायण—चन्द्र के बढ़ने एव घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण व्रत कहते हैं। यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) ने भी आया है (पारायण-पुरायण चान्द्रायण वर्तयति)। बहुत प्राचीन काण्ड से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं यवमध्य (जो वे समान बीच में मोटा एव दोनों छोरों में पतला) एव विषोल्लिकामध्य (चीटी के समान बीच में पतला एव दोनों छोरों में मोटा)। बौध्वा० घ० सू० (३।८।३३) ने ये प्रकार लिखे हैं। जावालि क अनुसार इसके पांच प्रकार हैं, यवमध्य, विषोल्लिकामध्य, यतिचान्द्रायण, सर्वतोमुखी एव त्रिशु-चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियां में कोई विनिष्ठा प्रायश्चित्त न व्यवस्थित हो तो चान्द्रायण स शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह व्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धर्म सचय करने के लिए भी किया जाता है और जब इन प्रकार वप भर यह किया जाता है तो वर्ता मृत्य के उपरांत चन्द्रलोक में जाता है। यही वान मनु (१।१।२२१) एव गौतम (२।७।१८) ने भी कही है। जब यह व्रत धर्मार्थ किया जाता है तो वपन या शिर मुण्डन नहीं होता (गौतम २।७।३—वपन व्रत चरेत्)। गौतम (१।९।२०) एव बसिष्ठ (२।२।२०) ने कहा है कि वृच्छ अतिवृच्छ एव चान्द्रायण सभी पापा के लिए समान प्रायश्चित्त है (सभी सम्मिलित रूप में महा-पातका के लिए हृन्ने पापो के लिए पृथक् पृथक् जैसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मनु (५।२।१ एव १।१।२१५ बौध्वा० घ० सू० ४।१।१६)। मनु (१।१।२७), याज्ञ० (३।३२३), बसिष्ठ (२।७।२१), बौध्वा० घ० सू० (४।५।१८) आदि न चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा या दी है—मास के शकल पत्र के प्रथम दिन एक घ्रास या पिण्ड (बौर) भाजन किया जाता है दूसरी तिथि का दो घ्रास, तीसरी तिथि का तीन घ्रास, और इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा क दिन १५ घ्रास खाये जाने हैं इसके उपरान्त वृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ घ्रास, दूसरे दिन १३ घ्रास इस प्रकार वृष्ण चतुर्दशी का एक घ्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास के मध्य में घ्रास की अधिकतम संख्या होती है अतः यह यवमध्य प्रकार है क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (पत्र पूर्ण रहता है) इसके उपरांत पत्र छाग होने लगता है। यहाँ व्रत क बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई वृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि का व्रत आरम्भ करता है तो वह एक घ्रास कम कर देता है अर्थात् केवल १४ घ्रास खाता है और इसी प्रकार घ्रास कम कर देता जाता है। वृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक घ्रास खाता है और अमावास्या को एक घ्रास खा नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक घ्रास खाता है और इस प्रकार बढ़ता-बढ़ता पूर्णमासी के दिन १५ घ्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमात होता है। इस व्रत में व्रत के मध्य में एक ही घ्रास

७ चान्द्रायणमिवायन धरणा यस्मिन् कर्मणि ह्युक्तवृद्धिर्वा तच्छान्द्रायणम्। मिता० (याज्ञ० ३।३२३)।  
 क १७४ में ‘चान्द्रायण’ शब्द ‘पञ्चायण’ होता चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द ‘च’ को विनाशित  
 ‘वा’ कर दिया गया है।

८. अनाशितेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु। धर्मार्थं शक्यते वैतच्छक्यवर्ति सन्तोषनाम् ॥ याज्ञ० (३।३२६)।  
 शक्यते चाप्यथा चान्द्रायणं सन्तोषनामाप्नोति। गौतम (२।७।१८)।

नहीं होता और अविक ग्रासों की संख्या आरम्भ एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६); 'यस्यामावस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्यः यस्य पौर्णमासी स यवमध्यः।' जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायँ तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५)। कल्पतरु ने कुछ और ही कहा है—कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक ग्रास, तव शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अविक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को १५ ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास। किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्रास-वृद्धि पर आधारित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं—मुह्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः चार भागों में बँटी है, यथा—सामान्य, ऋविचान्द्रायण, शिशुचान्द्रायण एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वतोमुख) में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें चन्द्र की घटती-वढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मनु ११।२२०; वीधा० व० सू० ४।५।२१; याज्ञ० ३।३२४ और उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि)। यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रायण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) से पता चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ।

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न विगड़े। याज्ञ० (३।३२३) ने एक ग्रास को मोरनी के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मूर्गा) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर माना है।<sup>१</sup> मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को वच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों को व्यक्ति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), वीधा० (३।८), मनु (११।२२१-२२५), वृद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्रन्थों में सबसे प्राचीन है।

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ्र प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और 'आप्यायस्व' (ऋ० १।९।१।७) एवं 'सन् ते पर्यासि' (ऋ० १।९।१।८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये हुए 'यद् देवा देवहेल्लनम्' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन



चारों के साथ मूल मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में 'देववृत्तस्य' (वाज० सं० ८।१३) से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक शास के साथ मन में निम्न शब्दों में से एक का पाठ किया जाता है—ओ भू, भुव, स्व, तप, सत्य, यश, श्री (समृद्धि), ऊर्ज, इडा, ओज, तेज, वचं, पुरप, धर्म, शिव<sup>१</sup>, या सभी शब्दों का पाठ नम स्वाहा<sup>२</sup> यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक मानन निम्न में कोई एक होता है, चावल (भात), मिठा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, यावक (जौ की लपसी), दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से प्रथम से पहले वाला अच्छा माना जाता है।

जलकृच्छ्र—देखिए नीचे तोयकृच्छ्र।

तप्तकृच्छ्र—इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११।२।१४), वसिष्ठ (२।१।२१), विष्णु (४६।११),

वीषा० घ० सू० (४।५।१०), शाल-स्मृति (१८।४), अग्नि० (१७।१।६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर (४।७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिना की चार अवधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन अवधियाँ के अतगत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और अग्रे तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२।१४)। मनु न इतना और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है) केवल एक बार स्नान होता है और इन्द्रिय निग्रह किया जाता है। वाज० (३।३।१७=देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना है, जिनमें प्रथम तीन दिना म श्रम से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता० (वाज० ३।३।१७) ने इसे महातप्तकृच्छ्र कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ्र की भी व्यवस्था दी है, जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात् गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छ्र का भी उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ्र बड़े पापा तथा ४ दिनों का हल्के पापी के लिए है। पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५।११) ने गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी को मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी क्रम से संध्या, प्रात एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।<sup>१</sup>

तुलापुरुष-कृच्छ्र—जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शाल (१८।९-१०) एवं विष्णु (४६।२२) ने इस दिना की अवधि वाले तुलापुरुष-कृच्छ्र का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, भात का म ड, तक्र, जल, सत्तू अलग अलग दिन म खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।<sup>२</sup> वाज० (३।

१०. मन्त्र के शब्द ये हैं "ओ भूर्भुव स्वस्तप सत्य यश श्रीर्हृदिजीस्तजो वचं पुष्यो धर्मं शिव इत्येतैर्ग्रास्ता-  
नुमन्त्रण प्रतिमन्त्र मनसा। नम स्वाहेति वा सवन्। गौ० (२७।८-९), कुछ पाण्डुलिपियों में 'वचं' शब्द नहीं आया है।

११. पदपल तु पिबेदम्भस्त्रिपल तु पयः पिबेत्। पलमक पिबेत्सपिस्तप्तकृच्छ्र विधीयते॥ पराशर (४।८)।  
वाज० (१।३।६३-३।३।६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णलो (गुज्जा) के बराबर होता है।

१२. तत्र जाबालः। पिण्याक च तपाचाम तक्र चोदकतवतव । त्रिरात्रमुपवासश्च तुलापुरुष उच्यते॥  
प्राय० शार (पृ० १७८), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८३)।

३२२=अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचों पदार्थ (पिण्याक, आचाम (कान्जी, मात का उफनाव या माँड़), तक्र, जल एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छ्र को २१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२)। अपराकं (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं प्राय० सार (पृ० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस) से बनी कर्ता की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती है और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और पूजा की जाती है।

**तोयकृच्छ्र**—यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ्र भी कहा है। विष्णु (४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ्र सम्पादित होता है। ऋग्वेद (७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे गये हैं, अतः यह तोयकृच्छ्र वरुण (वरुण-कृच्छ्र) भी कहा जाता है। जावाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है—“यदि कोई पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मन्त्रों का पाठ करता है तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ्र द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, पृ० ७३७) के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उवाले हुए कमलडण्डल (मृणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना पड़ता है।

**दधिकृच्छ्र**—विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का प्रयोग होता है।<sup>१३</sup>

**देवकृच्छ्र**—यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है—“लगातार तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड़), यावक (जी की लपसी), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है जो सभी कल्मषों का नाशक है। यह मक्षतों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था। इस व्रत के प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन आवश्यक नहीं है।

**धनदकृच्छ्र**—देखिए वायव्य-कृच्छ्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास

१३. विष्णुधर्मोत्तरे। दध्ना क्षीरेण तन्नेण पिण्याकाचामकैस्तथा। शार्कर्मसं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणैः ॥ प्रा० प्रकाश।

१४. यवागू यावकं शाकं क्षीरं दधि घृतं तथा। त्र्यहं त्र्यहं तु प्राश्नीयाद् वायुभक्षश्च्यहं परम् ॥ मरुद्भिर्वसुभी रुद्रैरादित्यैश्चरितं व्रतम्। व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हितेऽभवन् ॥ कृच्छ्रं देवकृतं नाम सर्वकल्मषनाशनम्। यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४)।

तत्र चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना पिता गया हो या जिगने साथ सोना उवाग गया हो) भोजन किया जाता है।"

निरुपवास वृष्ट्यु—प्रायश्चित्तप्रवासा का बयन है कि इमं छ वर्षों तत्र केपठ साय एव प्रातः भोजन करना होता है और दोनो भोजना के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता।

पञ्चगव्य—पञ्चगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी। इमके विन्मून वर्णन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।" पञ्चगव्य की आहुति अग्नि में 'इरावती' (श्र० ७।१९।३), 'इद विष्णु' (श्र० १।२२।१७), 'मानस्तोत्रे' (श्र० १।११।४।८), 'य नो देदी' (श्र० १०।१।४) नामक मन्त्रों के साथ दी जाती है और अवशिष्ट अन्न घी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की मध्य शाखा द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनु (१।१।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी घोरिया के लिए पञ्चगव्य-ग्रहण की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एवं मास तत्र यह व्रत करने को बड़ा है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) ने विष्णु को उद्धृत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए, एक मास तक प्रति दिन तीन पल पञ्चगव्य पीना, पराशर या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन।" यद्यपि विष्णु (५।४।७) एवं अग्नि (श्लोक ३००) का बयन है कि सुरु पीनेवाला ब्राह्मण एवं पञ्चगव्य पीनेवाला गृह नरक (विष्णु के अनुसार महारौरव) में जाता है, विन्नु देवल (६१), पराशर (१।१।३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयूव (५०।१३), शूद्रमलाकर (५०।४२) जैसे निवृत्तों ने सूत्रों को, बिना वैदिक मन्त्रों के पञ्चगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। सभी वर्गों की स्त्रियों को, जो कुछ हृत्पों में शूद्रवन् मानी गयी हैं, विवल्प से पञ्चगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है।

पत्रकृच्छ्र—देखिए पर्ण-कूचं।

पराक—मनु (१।१।२१५), बौधाय० घ० सू० (४।५।१६), याज्ञ० (३।३२० = शश्व १।८।५ = अग्नि २८), अग्नि० (१७०।१०), विष्णु (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, वर्णों को इन्द्रिय-निरह्न के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इन प्रायश्चित्त से सारे पाप कट जाने हैं।

पर्णकूचं—पत्रकृच्छ्र का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३।३।१६ = देवल ३८) एवं शश्व लिखित ने इसे निम्न रूप में वर्णित किया है—जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं वित्त्व (बेल) की पत्तियाँ उवाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है उसके उपरान्त कुसादक (वह जल जिसमें कुसा डाल दिये गये हो) पीया जाता है तो वह पत्रकृच्छ्र कहलाता है।" इस प्रकार यह व्रत पाँच दिनों का होता है। मिता०

१५. वाजप्रसूतिमप्येषा कनकैः समन्विताम् । भुञ्जानस्य तथा मासं कृच्छ्रं धनवर्धयतम् ॥ विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) ।

१६. गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पि कुशोदकम् । निदिष्ट पञ्चगव्य तु पवित्र पापनाशनम् ॥ . . . गायत्र्या गृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम् । आप्यायस्त्विति च क्षीर दधिकाण्वेति च दधि । तेजोसि शुक्रमित्याज्य देवस्य त्वा कुशोदकम् ॥ पराशर (१।१।२८-३३) । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३।१४) एवं अपराकं (५०।१२५०) ।

१७. गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पत्रत्रयम् । प्रत्यहं स्थात्पराको वा चान्द्रायणमवापि वा ॥ विष्णु (मिता०, याज्ञ० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३, 'मासमेकं निरन्तरम् । प्राजापत्य पराको वा ।'

१८. शाललिखितौ—पद्मवित्त्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्वेकैकमभ्यस्तानि पर्णकृच्छ्र । मद० पारि० (५०।७३३) । तस्या वसिष्ठः । पद्मोदुम्बरपलाशवित्त्वोदकान्वेकैकमभ्यस्तानि पर्णकृच्छ्र । प्रा० प्रक० (५०।१२८) ।

(याज्ञ० ३।३।१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों पत्तियों का उवाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूर्च कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, भा० २, पृ० १८१) ने पर्णकूर्च को पर्णकृच्छ्र का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जावालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ्र को अश्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ्र का उल्लेख किया है।<sup>१९</sup>

पर्णकृच्छ्र—देगिए ऊपर पर्णकूर्च ।

पादकृच्छ्र—याज्ञ० (३।३।१८=देवल ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) भोजन करे किन्तु बिना किसी अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु ग्रामों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता०, याज्ञ० ३।३।१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या दी है। चतुर्विंशतिमत (परा० मा०, २, भाग २, पृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है।

पादोनकृच्छ्र—यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) ।

पुण्यकृच्छ्र—अग्नि० (१७।१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों को उवालाकर पीया जाता है।

प्रसृत्यावक या प्रसृतियावक—विष्णु (अध्याय ४८), वीवा० घ० सू० (३।६), हारीत (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विद्वत् वर्णन किया है। प्रसृति का अर्थ है अँगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ भरे जाते हैं। वीधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है—यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक लेकर, अर्थात् अर्धाञ्जलि या पसर भर जौ उवालाकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०)। अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूर्व जौ का संस्कार करना चाहिए और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए—“तू यव है, धान्यों (अन्नों) का तू राजा है, तू वरुण के लिए पवित्र है और मघु से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उपरान्त पाँच श्लोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उवारने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायँ और गणों (श्रेणियों या जन-संघों), वेश्याओं, शूद्रों द्वारा दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के भोजन से या नवश्राद्ध (अर्थात् मृत्यु की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो गयी हो या मयानक मरान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, वच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में

१९. कुशपलाशोदुम्बरपद्मसंखपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानां पत्रैः क्वथितस्याम्भसः प्रत्येकं ( प्रत्यहं ? ) पानेन पर्णकृच्छ्रः । विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३) ।

भयता करने से, सोने की चोरी से, द्रुतोल्लघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरौहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हा जाय। बौधायन ने पुन आग कहा है—जब जो उबल रहे हा तो उनरी रक्षा करनी चाहिए और यह 'हे भूताधिपति रुद्र लोपा, आपको नमस्कार है, आनाम प्रसन्न है' कहना चाहिए। पापी को तै० म० (१।२।१४।१) का वृणुष्व', तै० म० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य—'ये देवा', ऋग्वेद (१।११४।८ एव तै० म० ३।४।२।२) के दो वचन 'मा नस्तावे', ऋग्वेद (९।९।६।६) एव तै० म० (३।४।१।२) के 'ब्रह्मा देवानाम' मन्त्रा का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत पानी को उबले हुए भोजन वा दूसरे पात्र म डालकर और आचमन करके थोडा खाना चाहिए और उसे ये देवा' (तै० म० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आरम-यज्ञ के रूप म लेना चाहिए।

बौधायन वा कथन है कि जा लोग ज्ञानार्जन करना चाहते हैं उह इम वृत्य को तीन दिन एव राता तप करना चाहिए। जा पापी इमे छ दिन करता है वह पवित्र हा जाता है जो सात दिन करता है वह महापातको से मुक्त हो जाता है जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूवजा के पाप भी नाश देता है। किन्तु जो व्यक्ति दस (प्रसूतियावक) को २१ दिन तक करता है और इमम गाय के गोबर से प्राप्त जी का प्रयोग करता है वह गणा, गणपति, सरस्वती (विद्या) एव विद्याधिपति के दशन करता है।

प्राजापत्य—देविए ऊपर वृच्छ जहाँ यह बनाया गया है कि जम कृच्छ का कोई विशेषण न हा तो उसे प्राजापत्य समझना चाहिए। मनु (१।१।२११), याज्ञ० (३।३।१९), विष्णु (४।७।१०), अथि (१।१९।२०) शब (१।८।३) बौधा० घ० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इमकी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य के कई प्रकार हैं। प्रथम वा वचन मनु (१।१।२११) ने किया है—तीन-तीन दिनो की चार अवधियां होती हैं जिनम क्रम से केवल दिन मे एक बार पुन केवल रात्रि म एक बार पुन तीन दिनो तक बिना मांगे खाना एव फिर पूर्ण उपवास लिया जाता है। अर्थात् प्रथम तीन दिनो मे केवल एव बार दिन म दूसरे तीन दिनो म केवल रात्रि म, तीसरे तीन दिनो मे बिना मांगे और चौथे तीन दिनो म पूण उपवास। दूसरे प्रकार वा वचन बमिष् (२।३।४३) ने किया है—पहले दिन केवल दिन म दूसरे दिन केवल रात म तीसरे दिन केवल बिना मांगे खाया जाता है और चौथे दिन पूण उपवास होता है यही किया पुन चार चार दिनो को दो अवधिया म की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार का खानबिबुद्धि' एव दूसरे को दण्डकलित कहा गया है। इन दोनों को आनुलोम्यन' (उचित एव सोच्ये क्रम से से बने) कहा गया है। यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय यथा—प्रथम तीन दिनो तक पूर्ण उपवास हो पुन तीन दिनो तक बिना मांगे खाना

२० अथ कमभिरात्मकृत्तुगृहनिवात्मान मयेततमार्थे प्रसूतयावक श्रपयेदुदितेषु मक्षत्रेषु । न ततोऽग्नी जुहुयात् । न चात्र बलिर्कर्म । अगृत श्रय्यमाण श्रुत चाभिन्मन्त्रयेत । यवोसि धान्यराजोसि वारणो मधुसुवृत् । निर्णोद सर्वपापानां पवित्रमृषिभि स्मृतम् ॥ सर्वं पुनय मे यवा ॥ इति । श्रय्यमाणे रक्षा कुर्वात् । नमो ह्यद्य भूताधिपतये श्री शान्ता कृणुष्व पात्र प्रसिति न पृष्वोमित्येतानुवाकेन । ये देवा पुर सदोऽग्निनेत्रा रक्षीहण इति पञ्चभि पर्याय । मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम् । नृत् च लघ्वशनीयात्प्रवत् पात्रे निविध्य । ये देवा मनोजाता मनोयुज सुरक्षा वक्षपितरस्ते न पागु से नोजव तु तेभ्यो नमस्तेभ्य स्वाहेति । आत्मनि जुहुयात् त्रिरात्र मेधायां घट्टरात्र पीत्वा पाप कृच्छ्रद्वे भवति । सप्तरात्र पीत्वा भ्रूणहनन गृहस्तल्पगमन सुवर्णस्तंभ्य सुरापानमिति च पुनाति । एकादशरात्र पीत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पाप निर्णुदति । अपि वा गोनिष्कान्ताना यवानामेव विशतिरात्र पीत्वा गणापश्यति गणाधिपति पश्यति विद्या पश्यति विद्याधिपति पश्यतीत्याह भगवान् बौधायनः । बौधा० घ० सू० (३।६) ।

जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो उसे 'प्रातिलोम्येन' कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में)।

फलकृच्छ्र—इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ्र भी फलकृच्छ्र ही है। फलों में केवल विल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं।<sup>११</sup>

बालकृच्छ्र—देखिए शिशुकृच्छ्र।

बृहद्-वाचर—प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है—व्यक्ति को वृत् में मिश्रित जी पर्याप्त मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकाले हुए जी पृथक् कर लेने चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जी को धूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस प्रकार पकाये हुए जी किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अर्पित कर खाने चाहिए। इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है।

ब्रह्मकूर्च—मिता० (याज्ञ० ३।३।१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य के पदार्थों को वैदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूर्च कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंधद्वाराम्' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 'आप्यायस्य' (ऋ० १।९।१।१६) के साथ दुग्ध, 'दधिक्राणो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, 'तेजोसि' (वा० सं० २२।१) के साथ घृत एवं 'दिवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३।६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। जाबाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः पंचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (१।१२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३।१४) द्वारा वर्णित सान्तपन ब्रह्मकूर्च ही कहलाता है।<sup>१२</sup>

२१. यथाह मार्कण्डेयः। फलैर्मसिन कथितः फलकृच्छो मनीषिभिः। श्रीकृच्छ्रः श्रीफलैः प्रोक्तः पद्माक्षर-परस्तथा ॥ मासेनामलकैरेवं श्रीकृच्छ्रमपरं स्मृतम्। पत्रैर्मतः पत्रकृच्छ्रः पुष्पैस्तत्कृच्छ्र उच्यते। मूलकृच्छ्रः स्मृतो मूलैस्तोयकृच्छ्रो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३।१६; मद० पा० पृ० ७३४)। मदनपारिजात के अनुसार 'द्वयथित' के स्थान पर 'कथित' पढ़ना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है—'शरीरयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षयेत्'। तत्र सर्वव्रतसाधारणैतिकर्तव्यतापि कर्तव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षायामाह श्रीकृच्छ्रः।

२२. यदा पुनः पूर्वैश्वरुषोष्यापरेद्युः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्मकूर्च इत्याख्यायते। मिता० (याज्ञ० ३।३।१४)। देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूर्च को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोपितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः। पञ्चगव्यं पिबेत् प्रातर्ब्रह्मकूर्चंविधिः स्मृतः ॥ जाबाल (प्राय० वि०, पृ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्राय० स०, पृ० २२)। ततश्च योगीश्वराभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्मकूर्च इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति। प्रा० सार (पृ० १८९); और देखिए मद० पा० (पृ० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है—'यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे।

**ब्रह्मकृच्छ्रः**—देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (पृ० ९६३), जहाँ देवल एव मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। मध्याह्न तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा के पास सोया जाता है और ताम्बूल एव अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है।

**महातप्तकृच्छ्रः**—देखिए तप्तकृच्छ्रः।

**महामान्तपनः**—याज्ञ० (३।३।१४), मनु (१।१२।१२=बौ० घ० सू० ४।५।११=शिव १।८।८=बृहस्प १।१३), अत्रि (१।१७।१।८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि, घृत एव कुशोदक अर्थात् पचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन प्रायश्चित्त में, लोगादिमृगसूत्र (७।३), याज्ञ० (३।३।१५=देवल ८२=अत्रि १।१८-१।१९) के मत से, प्रति दिन उपर्युक्त छ पदार्थों में त्रय से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शश (१।९।९), बौ० घ० सू० (४।५।१७) एव जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छ पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एव घृत ग्रहण किये जाते हैं।<sup>११</sup>

**महेश्वरकृच्छ्रः**—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्न के समय व्यक्ति का खपडा (कपाल, अर्थात् मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान् ब्राह्मणों के यहाँ शाक की मिश्रा मांगनी चाहिए और उमें भगवान् को निवेदन कर खाना चाहिए तथा माय देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एव पचगव्य ग्रहण करना चाहिए।

**मूलकृच्छ्रः**—विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृगाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत में मूत्रा (जड़ में उत्पन्न होनेवाले श्वाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए।<sup>१२</sup>

**घ्नत्रकृच्छ्रः**—प्रायश्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत् इसमें तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ में कल्पतरु के मत की चर्चा भी है जिसके अनुसार यह सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है।

**यज्ञकृच्छ्रः**—अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का व्रत माना है। और यों कहा है—पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एव मोन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त आरम्भ में आम् एव ध्यात्तिया के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करने समय वीरामन से रहना

ब्रह्मर्षीपुत्रास्तु दहत्याग्निर्विबेग्यनम् ॥' जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने परागार का माना है; किन्तु परागार (१।१।३७-३८) में यों आया है—'पस्व... देहिनाम्। ब्रह्मर्षी बहेत्सर्वं प्रदीपान्गिरिबेग्यनम् ॥'

२३. पण्यामेकं कमेनेयां शिरात्रमुपयोजयेत्। न्यहं घोषवमेदन्वयं महासान्तपनं विदुः ॥ जाबाल (अपराह्न, पृ० १२३४; परा० सा० २, भाग १, पृ० ३१)। अहं विवेत्तु गोमूत्रं अहं वै गोमयं विवेत्तु। न्यहं दधि न्यहं लीरं अहं तापित्ततः शुचिः ॥ महासान्तपनमेतत्सर्वं पापप्रणाशनम्। यम (मिता०, याज्ञ० ३।३।१५, प्राय० सार पृ० १९१, परा० सा० २, भाग १, पृ० ३१)।

२४. विगाम्यवहारेण मूलकृच्छ्रः। विष्णु० (४६।१५)।

चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक्र या गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अभाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त सभी पापों को हरने वाला होता है।

**यतिचान्द्रायण**—मनु (११।२।१८=वै० घ० सू० ४।५।२०), अग्नि० (१७।१।४) एवं विष्णु (४७।७)

ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को कहा है।<sup>२५</sup>

**यतिसान्तपन**—मिता० (याज्ञ० ३।३।१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के उपरांत एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है।

**याम्य**—विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोवर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाय़ा जाता है।

**यावक**—शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोवर से प्राप्त जौ को उवालकर खाते हुए सभी पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९२) एवं प्राय० प्रकाश ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है।

**वज्र**—अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में भुने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्र व्रत का पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।४८) का कथन है कि अंगिरस्-स्मृति के मत से वज्र व्रत वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२।५४)।

**वायव्यकृच्छ्र**—अग्नि० (१७।१।४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक पसर (झथेली भर) भोजन किया जाता है।

**वृद्धकृच्छ्र या वृद्धिकृच्छ्र**—शंख-लिखित (प्राय० वि०, पृ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, दो दिनों तक बिना मरिगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है।

**व्यासकृच्छ्र**—यह मंत्रकृच्छ्र के समान है। देखिए ऊपर।

**शिशुकृच्छ्र**—इसे शंख-लिखित ने बालकृच्छ्र, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ्र कहा है और यह

२५. अष्टौ ग्रासान् प्रतिदिवसं मासमश्नीयात् स यतिचान्द्रायणः। विष्णुधर्मसूत्र (४७।७)। और देखिए प्राय० प्रकरण (पृ० १२१) जहाँ यह वृद्धिष्णु का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन—हविष्येषु यथा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः। अभावे व्रीहियवयोर्दंष्टनापि पयसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया-दुवकेन वा ॥ (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३)। गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है—हविष्येषु... स्मृताः। मापकोद्ववगीरादि सर्वालाभे विवर्जयेत् ॥ और देखिए गोभिलस्मृति (३।१।१४)। आश्व० गृह्यसूत्र (११९।६) में (हौम्यं च मांसवर्जनम्) हरदत्त ने उद्धृत किया है—‘पयो दधि यवागूश्च सर्पिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तथा तैलमापश्चैव दर्शव तु ॥’ इन बातों एवं हविष्यान्नो के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति (पृ० ३२०)।



लघु-कृच्छ्र ही है।<sup>१६</sup> इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए वसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), वी० घ० सू० (२।१।९२) एव याज्ञ० (३।३।१८)।

शिशु-चान्द्रायण—मनु (१।१।२१९), वी० घ० सू० (४।५।१९), अग्नि० (१७।१।५) के मत से जब कोई ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार भ्रास, सायं केवल चार भ्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एव वृद्धों आदि के लिए) कहा जाता है।

शीतकृच्छ्र—यह तप्तकृच्छ्र का उलटा है, क्योंकि इसमें समी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७।१।७), मिता० (याज्ञ० ३।३।७)। विष्णु (प्रथम० सार, पृ० १८५ एव मदन पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एव शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है।

धीकृच्छ्र—विष्णु (४६।१६), अग्नि० (१७।१।२) एव मिता० (याज्ञ० ३।३।६) के अनुसार इसमें एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात (पृ० ७३७)।

सान्त्वन—देखिए ऊपर महासान्त्वन एव अतिसान्त्वन। यह पाँच प्रकार का है, यथा—प्रथम दो दिनों का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्त्वन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का।

सुर-चान्द्रायण—इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती बढ़ती किये २४० भ्रास खाये जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुचर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य चान्द्रायण की संज्ञा दी है।

सुवर्णकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एव मार्कण्डेयपुराण का उद्धरण दिया हुआ है। इसमें एक बराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह नी रूपको तथा एक रूपक पाँच गुञ्जाआ वाले एक माप के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्र-वधू आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ण-कृच्छ्र तथा अन्य हलके पापों के लिए कम मग्न्या वाले सुवर्ण-कृच्छ्र किये जाते हैं।

सोमायन—मदनपारिजात (पृ० ७४६, जिसमें हारीतवर्मसूत्र एव मार्कण्डेय० का हवाला दिया हुआ है) एव प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एव ३ दिनों की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एव एक स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन दिनों के आठ भाग बर दिये जाते हैं, प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तन, तीन स्तनों, दो स्तन एव एक स्तन का दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एव चार स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तनुसंग (पृ० १२)।

सौम्यकृच्छ्र—याज्ञ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जी का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता०, परा० २, भाग २, पृ० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक क्रम से तेल की खली, सत्तू एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार दिनों में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है।<sup>२७</sup>

२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यकृच्छ्र उक्तो ब्रह्मपुराणे—प्रथमेऽहनि नाशनीयात्सौम्यकृच्छ्रेपि सर्वदा । गोमूत्र-  
यावकाहारः षष्ठे सक्तूश्च तत्समान् ॥ प्रायश्चित्तप्रकाश ।

## अध्याय ६

### प्रायश्चित्त न करने के परिणाम

स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने पड़ने हैं। याज्ञ० (३।२२१) का बचन है कि पापवृत्त्य के फलस्वरूप सम्यक् प्रायश्चित्त न करने से परम भयानक एवं बृष्टकारक नरकघातना मटनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो व्यक्ति गम्भीर एवं अन्य पापों के लिए सम्यक् प्रायश्चित्त नहीं करते वे मांति-मांति की नरक-घातनाएँ भुगतने के उदरगत पुनः इग लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, छता-मुल्मों के रूप में प्रकट होते हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अगुम विज्ञों या लक्षणों (मदं नय, काले दान आदि) से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (१।१।४८) कहा है कि दुष्टात्मा स्मृति इग जीवन एवं पूर्व जीवन से चिये गये दुष्कर्मों के कारण विकल्पाग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग बड़े आर्तियों वाले हो जाते हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है। 'विष्णुयमोन्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त नहीं करते और न रात्रा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, त्रिपंग्गोनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य-योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से मुक्त होते हैं।' विष्णुयमंशुत्र ने स्पष्टगया दी है कि पापी लोग नारथीय जीवा के दुःखों की अनुभूति करने के उदरगत निर्दंक् योनि में पड़ने हैं, और जो अनिशासक, मत्तशासक, अनुशासक, उदशासक, जानिभ्रमशरण कर्म, गहरीकरण, अनाशोकरण, मतिनीकरण एवं प्रकीर्णं पापगुण करते हैं, वे जम से स्थावर योनि (वनस्पति), हृदि-योनि, पशु-योनि, जन्तुयोनि, जन्तुयमोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अगुण्य-योनि एवं शिष्य-योनि में पड़ जाते हैं।' विष्णुयमंशुत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की पापनाशों को भुगतने एवं त्रिपंग्गो की योनि में जन्म लेने के उदरगत जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापी को बचाने वाले लक्षणों से मुक्त हो पड़ते हैं।'

उत्प्लुवत कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या विकलांग रहता है।

अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे। ऋग्वेद में नरक के विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं। यथा—ऋग्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०।४३, ७।१०।४।११, १०।१५।२।४, ९।७।३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं—‘गड्डे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए’; ‘वे लोग जो ऋत एवं सत्य ने विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं’; ‘हे इन्द्र एवं सोम, दुष्टों को मारकर अलग अन्वकार में डाल दो !’ ‘जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो’; ‘जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें और जिनसे सोम घृणा करे, कुट्टपिटि ने देगे उन्हें गड्डे में फेंक दो।’ इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्व गर्त है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१।४।३) के अनुसार (पृथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते हैं। अथर्ववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अंधकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद (५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख यूकता या जो उस पर घन-कर लगाता है, वह रक्त की नदी के मध्य में वालों को दाँत से काटता रहता है। अथर्ववेद (१।२।४।३६) में ‘नरक-लोक’ का उल्लेख है। वाज-सनेयी संहिता (३।०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। ‘वीरहा’ का अर्थ वीर को मारनेवाला भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।६।१।४) में हमें नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा—अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा—विसर्पी, अविस्पर्पी, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनिषद् (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवल भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद् (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मृत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। किंतु इस उपनिषद् में नरक-यातनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो-पनिषद् के आरम्भिक शब्द (१।२१ देवैरत्रापि त्रिचिकित्सितम्) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के भाग्य के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौपीतिक ब्राह्मण (१।१।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं।

स्वर्ग के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा ऋग्वेद (१।३५।६, ८।५।८, ८।४।१।९, ९।११।३।९)। दयालु दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र

५. ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के विषय में देखिए ए० ए० मैकडोनेल कृत ‘वैदिक माइथॉलॉजी’, पृ० १६७-१७०; प्रो० कीथकृत ‘रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स’, पृ० ४०५-४१०; जर्नल आव अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पृ० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १५०-१५६।

एव वरुण जस देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२२।५ ५।६३।२ १०।१०।७।२)। स्वर्ग का जीवन आनन्दा एव प्रकाशो से परिपूर्ण है और वहा के लोगो की सभी इच्छाएँ पूण हो जाती हैं (ऋ० ९।११३।१० ११)। ऋ० (१।११३।८) म कवि कहता है—मूझ (स्वर्ग मे) अमर कर दो जहाँ राजा वैवस्वत रहते है, जहा मूयबन्दी है (कमी नही अस्त होता) और जहा दैवी जल बहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नही करता पूजा नहा करता इन्द्र के अति रिक्त अय ऋगो के आदेशो का पालन करता है वह स्वर्ग स नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११)। एक ऋषि हर्षातिरेक मे कहते हैं—हमने सोम का पान किया है हम अमर हो गये हैं हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं और हमने देवा को जान लिया है शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं ? 'पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग मे अपने इष्टापून (यनो एव दानपुण्य कर्मो से उत्पन्न धम या गुण) एव अपने पूर्वजो से मिल जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते है (ऋ० १०।१४।८)। जो तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञा का सम्पादन करते है जिनमे दक्षिणा सहस्रो गोशा तक पहुँच जाती है वे स्वर्ग पहुँचते है (ऋ० १०।१५।११ ३) और वहाँ उनके लिए सोम धी एव मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग म यम का निवास रहता है और वहाँ वासुदियो एव गीता का नाद होता रहता है (ऋ० १०।१३।५।७)। अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसम स्वर्ग के विषय मे अधिक सूचनाएँ मी हैं। एसा कहा गया है कि दाना स्वर्ग म जाता है जहा अन्न लोको का सबल लोको के लिए 'मूल्क' नही देना पडता (अथर्ववेद ३।२९।३)। अथर्ववेद (३।३।४।२ ५ ६) म कहा गया है कि स्वर्गिक लोक म वहाँ के निवासियो के लिए बहुत-सी स्त्रियाँ होनी हैं, उहे भोज्य पीव एव पुष्प प्राप्त होते हैं वहा धी के हृद (तालाव) दुग् एव मधु की नदियाँ हाती हैं सुरा जल की भाँति बहती रहती हैं और निवासियो के चनुदिक कमलो की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग म गुणवान् लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रागमुक्त रहते है।' अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) मे माना गिना पत्नी पुत्रा (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अमिब्यक्त की गयी है। तँ० सं० मे स्वर्ग के विषय मे प्रभूत सकेत हैं हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं—एसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यम म अदाम्य पाव की आहुति करता है वह इस लोक स जीता ही स्वर्ग चला जाता है।' तँ० ब्रा० (१।५।२।५ ६) म जाया है—जो यम करते हैं वे आश्रम मे देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (१।१।१।८।६) का कथन है—यह यजमान जो अपने उद्धार या मोक्ष के लिए यज्ञ करता है वह दूसरे लोक (स्वर्ग) म इस पूण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तँ० ब्रा० (३।१०।११) म

६ अपाम सोमममृता अभूमागम ज्योतिरविदाम दधान्। कि नूनमहमान् वृणवदराति किमु धूर्तिरमृत मत्पस्य ॥ ऋ० (८।४।८।३)।

७ नयां सिद्धं प्र बहति जातवदा स्वर्गं लोके बहु स्त्रणमपाम। पृतहुदा मधुबूला सुरोदका शीरणपूर्णा उदकन दध्ना ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गं लोके मधुमत्पिबमाना। उप रवा तिष्ठन्तु पुष्करिणी समता ॥ अयन० (४।३।३।२ एव ६)। यत्रा सुहाव सुहृतो मवति विहाय रोग तव रवाया। अन्लोणा अगरहुता स्वर्गं तत्र पन्थम पितरी च पुत्रान ॥ अथर्व० (६।१२०।३)। स्वर्गं लोचमभि नोत्प्राप्ति स जापया सहपुत्रं स्वाम ॥ अथर्व० (१२।३।१७)।

८ कि तद्यज्ञे यजमान कुप्य यन जीव सुवर्गं लोकमतीति जीवग्रहो वा एय यदवाम्यो नभिधुतस्य गृह्णति जीवतमवर्तन सुवर्गं लोक गमयति ॥ त० सं० (६।६।१।२)।

९ 'यो वा इह यजते अमुं स लोकं गन्तते उच्यते वा सं मन्त्राणि।' तँ० ब्रा० (१।५।२।५ ६)। स ए सर्वं तनूरेव यज्ञपानोऽमृत्मिल्लोके सम्भवति य एव विद्वान् निष्कृष्टया यजत। शत० ब्रा० (१।१।१।८।६)।

मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढ़तापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की रुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, मध् आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मेकडोनेल का यह कथन कि "लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण कल्पना का स्वर्ग पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए", ठीक नहीं है (देखिए, वैदिक माध्यमों/अंजी, पृ० १६८, ऋ० १०।१५।४।३)। इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, कोई प्रमाण नहीं है। पञ्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा भगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और मुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की मुविधा पाते हैं। ऐसी धारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों में पायी गयी है। उन दिनों इन पृथिवी को नमतल कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (७।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यो के लोक से सैकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद् (१।१२) में आया है—स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न भय है, न जरा (बृद्धावस्था) है, वहाँ के निवामी भूय, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के बीच विचरण किया करते हैं।" वेदान्तमून (१।२।२८) में शंकराचार्य ने कौपीतकि ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) का उद्धरण देते हुए कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।" छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।७) में आया है—जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म—ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म—पायेंगे। जिनके आचरण अशोभन हैं, वे शीघ्र ही कन्य (वृरा) जन्म—कुत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म—पायेंगे।

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मीलिक सिद्धान्त था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त एवं दोष-पूर्ण शरीरों के साथ पुनः जन्म लेंगे।

यों तो (मृत्युपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्वेषिष्ठ एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम को वैवस्वत (दिवस्वान् या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१); उसने सर्वप्रथम स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०।१४।२ 'यमो नो गातुं प्रथमो विवेद . . . यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः')। इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद

१०. तस्येयं पृथिवी सर्वा विसृष्ट्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषां आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। . . . ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः। तै० उप० (२।८)। स्वर्ग लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। उभे तीर्त्वाशान्त्यापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ कठोप० (१।१२)।

११. एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते। कौ० ब्रा० उप० (३।९)।

(१०।१३।५।१) में यम को देवों के सग सोम पीने हुए एव मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुलचर हैं और लोगों के बीच विवरण करते हुए उनके कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है—“शपथों के उल्लंघन के प्रभाव से पीरे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दंडों से वे मुक्त करें, पापियों के पीरो को बाँधने वाली यम की बंधियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें।” ऋग्वेद (१०।१६।५।४) में यम को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३।८।५) में मरुतों को सम्बोधित करते हुए जो कहा गया है वह उन्मुक्त सकेता के विराट में पडना दीवना है—“तुम्हारी प्रगन्तियों के गायक यम के मार्ग से न जायें।” इसमें प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शासक के रूप में वर्णित है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुलचर कुत्ते एव उसकी उपाधि ‘मृत्यु’ इसी और निर्देश कर ही दत्त हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद में यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१।८।३।१३) में आया है—“यम का जादूनि दा, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक में सबसे पहले गया, वह विवस्वान् का पुत्र और मनुष्या को इष्टदृष्ट करने वाला है।” तै० म० (५।१।८।२ एव ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनुष्या) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० म० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है—“यम अग्नि है ज र यह (पृथिवी एव वेदिना) यमी है। जब यज्ञमान वेदी पर आपयियाँ फँलाना है तो यम से कुसोद (ऋण) लेना मार्गव है। यदि यज्ञमान को बिना उगह (आपयियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े ता वे (यम के गण) उग्र गले में बन्धन डालकर उम दूसर लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ-गण यम व माय प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय श्रद्धाण (१।३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पाम पात्र (बन्धन) एव स्यान् (काठ की गदा) हाते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि यम त्रयसा मनुष्या का भयानक दण्ड दनवाला माना जाना लगा था। पुराणा में यम के लोक एव यम के मन्त्राका का जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत् वर्णन है। उदाहरणार्थ, बराहपुराण (२०।५।१-१०) में यम एव चित्रगुप्त की वाच-चीत का उल्लेख है, जिनमें चित्रगुप्त मृत लागा के कर्म का फल का माय घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। अग्निपुराण (३०।१।१०) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा में चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने की पापना करता है।

अब हम उत्तरकाशीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतिया, पुराणों एव निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की धारणाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कनिष्य वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा—“यदि हम (स्त्रियाँ) अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करींगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार में की है, नि अरक (ग्यरक) अर्थात् (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात् जहाँ आनन्द के लिए उत्तम भी स्थान न है। एव अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्त ने पुत्र का पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता का) पुत्र नामक नरक में बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (१।१३८ आदिपर्व २०१।१४ - विष्णुपर्वपृष्ठ १।५।८८) में भी की है। गौतम (१।३।७) ने मय बालने वाले का स्वर्ग और अमत्य बालने वाले को नरक मिलने की बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से दिनों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति

१२. यो भमार प्रथमो धर्मानां यः प्रेषाय प्रथमो मोक्षमेतम्। संवत्सवं सगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सायनम् ॥ अथर्व० (१।८।३।१३)।

अपने सत् कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत् कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ़ मत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्म-फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट देव, जाति, कुल, रूप, आयु, ध्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (धन), सुख, मेधा (बुद्धि) के अनुसार शरीर धारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे भ्रांति-भ्रांति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं।" आप० ध० सू० (१४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही कर्मरत रहता है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि यमलोक (संयमन) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस मर्त्यलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र (३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि (३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक श्लोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं—तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, असि-पत्रवन, कालसूत्र एवं अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, पृ० ६९४-६९५) ने कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), याज्ञ० (३।२२२-२२४), विष्णुधर्मसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि० (३७।१)२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न रूपों के कारण है। मनु के अनुसार २१ नाम ये हैं—तामिस्र (अन्वकार), अन्वतामिस्र (अंधा बनाने वाला अन्वकार), महारौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण), कालसूत्र (कुम्हार के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डूबा दिया जाता है), तपन (अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्भीपाक), संघात (छोटे स्थान में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कली की भाँति लगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु (जहाँ लोहे की कीलों से वेधा जाता है), ऋजीप (जहाँ गरम बालू विठी रहती है), पन्था (जहाँ व्यक्ति लगातार

१३. स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३।७)। द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिद्धिः। तमेकं नरकम्। गौ० (२।१।४-६)। अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है—'स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखैकतानस्य वासो नरक इति।' गौतम के मत के लिए और देखिए अपरार्क (पृ० १०४५)। वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शोषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। विष्वञ्चो विपरीता नश्यन्ति। गौ० (१।२९-३०), और देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र ३।१।८)।

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० ध० सू० (१।४।१२।१२); हृष्टो वर्पति दृप्तो धर्ममतिक्रामति धर्मातिक्रमे खलु पुनर्नरकः। आप० ध० सू० (१।४।१३।४); ततः परमनन्त्यं फलं स्वर्गशब्दं श्रूयते। आप० ध० सू० (२।१।२३।१२)।



इधर-उधर खलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान धूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी वंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारों वाले वन में काटा जाता है), रोह-दारक (जो अंगो को लोहे से काटता है)। मनु (१२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरका का एक कालमूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लक (मनु ४।८०-९०), प्रायः वि० (पृ० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरका की गणना १४४ है। ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।<sup>१५</sup>

ब्रह्मवैवर्त (प्रवृत्तिलेख, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डा, नारदपुराण (पूर्वार्ध, १५।१-२०) ने नरको एवं यातनाज्ञा, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) न १४० नरका एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरका, भविष्य-पुराण (ब्रह्मपर्व, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाज्ञा एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापा एवं नरका का उल्लेख किया है। मागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरका एवं अन्या ने २१ नरका की चर्चा की है।<sup>१६</sup> और देखिए विष्णुपुराण (५।६।२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४)। महाभारत में भी नरका एवं यातनाज्ञा का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२।१।३२) में वंतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन-पर्व (२३।६०-८२) न नरक म ले जानेवाले वर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३), स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६)। बृहद्भागवतस्मृति (१।१६७-१७१) ने मनु द्वारा प्रस्तुत अविद्यास २१ नरका के नाम दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरका के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुपर्वोत्तर०<sup>१७</sup>, गरुडपुराण आदि ने धारित किया है कि नरका की संख्या सत्स्रा, लाखों एवं करोड़ों है।

विष्णुपर्वमसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं सक्तीकरण के अपराधी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक वर्ष, एक मन्वन्तर, चार युगा एवं एक सत्स्र वर्षों तक २१नरकों में

१५ याज्ञ० एवं गिष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है। याज्ञ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन पढ़ा है ('सम्प्रपातन' का अर्थ है 'गड्डे में फँकना') और अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया है। मुद्रित मनुस्मृति में 'प्रतिमूर्तिकर्म' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह-चारक' आया है, जिसका अर्थ 'उत्पल लोह पर चलाना' या 'लोह शृङ्खलाओं से बाँधना' हो सकता है (प्रायः वि०, पृ० १६)। इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्रायः वि० (पृ० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारों ने की है। प्रायश्चित्तबिबेक (पृ० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से वंतरणी यमलोक की बृह नदी है जो दुर्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार धाला होता है और जिसकी लहरियाँ पर हड्डियाँ एवं बाल होते हैं। शल्ल लिखित (सं० पा०, पृ० ६९५) ने वंतरणी की तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है।

१६ नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च।... पञ्चमीतिद्वयं कुण्डानि सप्तमग्या वसन्ति च। ब्रह्मवैवर्त, प्रवृत्तिलेख (२९।४-६)।

१७ लङ्गुलनिपातेश्च भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिशनेषु च। स्वर्गोपाजित्तैर्वै पीड्यन्ते यमकिञ्चरः॥ ब्रह्मपुराण (२।५।८२-८३), अष्टाविंशतिशोडश स्युधोरणि नरकाणि च। महापात-विन्दस्य सवै स्तुनरकाभिन्नु॥ आच द्रतारक यावत्प इपन्ते गिदियंधेधे। अतिपातविन्दसान्ये निरपाणैर्वकोटिषु॥ विष्णुपर्वोत्तर० (स्मृतिमन्ताफल, प्रायश्चित्त, पृ० ८५९), गरुडपुराण (प्रैतल्लेख, ३।३) — नरकाणां सप्त्याणि वर्तन्ते ह्यहनाज्जुः।

वारी-वारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।<sup>१८</sup> यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है।

वैद्यों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० वी० सी० लॉं कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं—सञ्जीव, कालसुत, संघात, रोख, महारोख, तप, महातप एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग (११५, वही, पृ० २७९-२८६)। इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस० एन० कंग कृत 'हेवेन एवं हेल एण्ड दैर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज' (१९३३)।

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पश्चात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पापवित्तिय (प्रायश्चित्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५)।

महामारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनिषदों (यथा—कठोपनिषद् १।१२-१३ एवं १८ 'शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके') में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊँचा स्थान पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। इस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्व (१८६।९) में है।<sup>१९</sup> कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६)। इस उपनिषद् (१।५।-१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चूर्ण, परिधान प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक का अर्थ है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द प्राप्त होता है (भोगायतन) और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०)। वनपर्व (५।४।१७-१९) में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपर्व (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती हैं, वे आमूषण धारण करते हैं और दीप्तिमान् स्वर्णिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविध्याएँ ब्रह्मपुराण (२२।५।५-६) में वर्णित नन्दन वन में भी पायी जाती हैं। वनपर्व (२६।१२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा—वहाँ सत्कर्मों का फल मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२।४।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का

१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

१९. परं लोकं गोप्रदास्त्वान्पुनर्वन्ति दत्त्वानडुहं सूर्यलोकं व्रजन्ति। वासो दत्त्वा चान्द्रमसं तु लोकं दत्त्वा हिरण्यममरदत्वमेति ॥ वन० (१८९।९)।

उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एव ३१-३९, १४५)। शान्तिपर्व (१९।४-५) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में सभी काक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शांतिपर्व (१९।२।८ एव २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९।१।१३, १९।३।२७) नहीं होते, अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं (२७।१।२४)। मत्स्यपुराण (२७।६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।५।६-७), जहाँ ऐसा कहा गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उपभोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुडपुराण (२।३।८६-८९)। आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एव उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचारणीय हैं— स्मृतियों एव पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की एक सीमा है अर्थात् व्यक्ति पुन लौट आता है और मनुष्य देह धारण करता है। यह सिद्धान्त पुन आगे बढ़ा और कहा गया कि केवल सत् कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता।

स्मृतियों एव पुराणों में सविस्तर बर्णित नरक की भयानक यातनाशा का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (४।३।३२-४५) का उद्धरण यो है—“नौ प्रकार के पापों में किन्नी एक के अपराधी को मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर भयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती है। यम के निकरों द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर पापियों को भयकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्ता, शृगालो, वीओ, फ्रँचो, सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एव विच्छुआ द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुलसाये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दा माग में चीरे जाते हैं और प्यास से तडपाये जाते हैं, मूख से प्रताडित किये जाते हैं, भयानक व्याधियों द्वारा पीडित होते हैं और मज्जा, पीव एव रक्त की दुर्गन्ध से वे पग-पग पर मूर्च्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एव पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-निकरों द्वारा पीटे जाते हैं जिनके मुख वीओ, शौचो, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हे तेल में उबाला जाता है और कहीं-कहीं वे लाहे के टुकड़ों में माय पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों पर उन्हे दमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्धमय मज्जा के समान मास खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हे भयावह अघकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिनके मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हे पीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से बिन्द कर दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हे बाँटों पर चलाया जाता है और साँपों के फणों से आवृत कर दिया जाता है, उन्ह यन्त्रों (कोलू) से पीडित किया जाता है और मुट्ठों से बल घसीटा जाता है। उनकी पीठें, सिर एव गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे भयावह लगते हैं, उनमें कण्ठ इस प्रकार फाट दिये जाते हैं कि मानी वे गुफा हो और पीडा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सनाये जाते हैं और आगे चलकर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएँ सहते हैं।”

पुराणों में बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एव ब्रह्माण्ड के मूल से रौरव आदि नरक पृथिवी के नीचे बहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१)। मागवनपुराण में आया है कि नरक पृथिवी के नीचे, सीनो लोको के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आयतन नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें ‘अग्निप्यास’

नामक पितरों के दल रहते हैं।<sup>१०</sup> अग्निपुराण (३७।१।१३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं।

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं—‘यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है’ (शत० ब्रा० १२।५।२।८); ‘स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए;’ ‘स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्ठीम यज्ञ करना चाहिए।’ ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा कि वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्रों योजन ऊपर माना गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है—‘भ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरुपर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा है, १६ योजन नीचा है और तिगुना लम्बाई-चौड़ाई में है।<sup>११</sup> किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गीतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार का तर्क उपस्थित किया है। शबर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धृत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है)। कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अर्थ में दिया है, यथा—वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, पोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है न थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान् ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।<sup>१२</sup>

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है—(यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नहीं होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही ‘स्वः’ (या स्वर्ग) शब्द से द्योतित होता है।<sup>१३</sup> और देखिए

२०. भूमेरघस्तात्ते सर्वे रौरवाद्याः प्रकीर्तिताः। गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।५५); ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २।५२); तत्तश्च नरकान् विप्र भुवोऽधः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान् शृणुष्व महामुने॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१)। राजोवाच। नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्वदन्तराल इति। ऋषिरुवाच। अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद् भूमेरुपरिण्टाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः... निवसन्ति। भागवत० (५।२६।३-४)।

२१. सप्तषण्डिसहस्राण्यशीतियोजनकोट्यो भूर्यत्पृथिवीमण्डलं परस्मादगम्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्ययो मेरु-श्चतुरशीतियोजनसहस्रोच्छ्रितो षोडश चाधस्तात्। त्रिगुणविस्तारायामोयं स्वर्गमाचक्षते तन्मध्येनार्कचन्द्रौ ज्योतिश्चक्रं च पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत)।

२२. देखिए दुष्टटीका (जै० ४।३।२७-२८.), शबर (जै० ६।१।१ एवं ६।१।२)।

२३. यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्॥

शालिकनाथ की प्रकरणपत्रिका (पृ० १०२), जो प्रामाण्य (मीमांसन) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति-पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है—बुद्धिमान् लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अनिक्रमण करने लगेंगे।” ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शंकर के समान ही वाते नहीं हैं—“स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है, पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से युक्त मन स्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है।”

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अलग-अलग विचार-धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मिश्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एवं नरक की विविध वाते पायी जाती थी, जिन्हे वे चित्रों द्वारा अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों में चित्र नहीं है (देखिए ई० ए० डब्लू० बज महोदय की पुस्तक 'ईजिप्शियन हेवेन एण्ड हेल' (१९०५, पृ० ११ एवं २)। हिब्रू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ मयानक अन्धकार है, और उसे 'शिथोल' की सजा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक 'हेडेस' अपनी विशिष्टताओं में 'शिथोल' के बहूत समान है। 'न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म-कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं, पुण्यवान् लोग अमर जीवन प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३)। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अवकाश एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३), ईफेसिअन्स (१।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव० २।७), लूक (१२।५ एवं १६।२३); २ पेट्र (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।१३-१४)। शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई धर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग सम्बन्धी धारणाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीवाचनिक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है—“अति दुष्टों को युगों तक पीडा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैकेड बुक ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७)। कुरान में सात स्वर्गीय भागों के लिए देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५, अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौलने जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, यथा—अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, अत्युच्च उपवन या स्वर्ग का उपवन।

स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ मुग्तनी पडेगी और इसके उपरान्त पापी को अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कीटों के जीव या वृक्ष

२४. न दृष्टपूर्वप्रत्यक्षं परलोकं विदुर्बुधाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य धृढातथ्यं बुभूयताः॥ शान्तिपर्व (२८।४२)।

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः। नरकस्वर्गसंज्ञे च पापपुण्ये द्विजोत्तमाः॥ ब्रह्मपुराण (२२।२४); विष्णुपुराण (२।६।४६)—मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः। ब्रह्मपुराण (२२।४७)।

के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।<sup>२६</sup> अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान् होना। शातातप (१११-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (११६-१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा—कुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककट, मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, भगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी से एवं मन से (मनु १२।३)। वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। वेईमानी (छल-कपट) से दूसरे के धन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा-रखना, दूसरे का अमंगल हो, ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है आदि)—ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५)। कठोर या परुष वचन, असत्य, पशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत वाचालता—ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६)। विना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग—ये तीन शारीरिक पाप हैं (मनु १२।७)। मनु का कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष कायिक हैं।<sup>२७</sup>

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३-२१५), विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में)। याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं—संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा—मानस, वाचिक एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु, के रूप में (याज्ञ०

२६. प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्। नरकान्तं भवेज्जन्म चिह्नान्द्वितशरीरिणाम् ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचकम्। प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ महापातकजं चिह्नं सप्तजन्मसु जायते। उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम् ॥ दुष्कर्मजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमः शमम्। जाप्यैः सुरार्चनैर्होमैर्दानैस्तेषां शमो भवेत् ॥ शातातप (१११-४)। प्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है—“पूर्वजन्मकृतयोः सुवर्णपाहारसुरापात-पापयोर्नरकोपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्याबदन्तताम्” (मनु ११।४९) इत्यनुमितयोः किञ्चित्साव-शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०।६)।

२७. सर्वभिक्षयभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमग्न्यागमनमयाज्ययाजनमसत्प्रतिग्रहणं परदारान्निगमनं द्रव्यापहरणं प्राणिहिंसा चेति शारीराणि। पारुष्यमनृतं विवादः श्रुतिविक्रयश्चेति वाचिकानि। परीपतापनं पराभिद्रोहः क्रोधो लोभो मोहोऽहंकारश्चेति मानसानि। तदेतान्यष्टादश नरेयाणि कर्माणि ॥ हारीत (पराशरमाधवीय २, भाग २, पृ० २१२-२१३)।

३।१३१) व्यक्ति जन्म संता है; अस्त्यमायी, पिग्नु, पर्यमायी एव अगगत वाचाल पत्नी या पशु के रूप में जन्म लेता है (वही ३।१३५); पर-द्रव्यग्रहण, पर-द्वाराभिगमन एव शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिंसा में व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) के रूप में प्रवृत्त होता है, ब्रह्मपातक पशु (हिरन आदि), पुत्ता, मूत्रर य ऊँट के रूप में जन्म-ग्रहण करता है, सुरा-दान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निपाद पुरुष एव गुदा स्त्री में उत्पन्न) या वेण (वंदेह्न द्वारा अम्बुष्ट स्त्री से उत्पन्न) होता है, सोना चुरानेवाला शीघ्रा (पीठी आदि), पतक के रूप में तथा माता, पुत्री, वहिन आदि से ध्वनिचार करनेवाला धास, शाड-झगाड, लना-गुल्मां के रूप में प्रवृत्त होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२।७।३७-११०) में पाया जाता है। और देविए मरु-पुराण (प्रेतगण्ड, २।६०-८८) एव अग्निपुराण (३७।१।३०-३२)।

प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत में ही नहीं थी, रोष्ट जान के शास्त्र (१।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह ने पाप पहँचे तो उसके शिष्यों ने उसके पूछा—'जिनने पाप किया, इसने या इसके माना-यिताने, जिनके कारण यह जन्मान्ध हुआ?' ईसा मसीह ने यह धारणा नाट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आँखें दे दी। अथर्ववेद (८।७।३) में ऐसा आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा प्रसिद्ध व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लना-गुल्मा द्वारा काट दिये गये। मनु (१।४९-५२), वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शाततप (१।३-११ एव २।१, ३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मित्ता०, याज्ञ० ३।२१६), बृह गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ८६१), यम (प्राय० मसूख, पृ० ९), शाल (मिता०, याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्यर्थसार (पृ० ९९-१००) ने उन रोगों एव शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर प्रसिद्ध होते हैं। चरकसहिता जैसे वैद्यक ग्रन्थों में भी ऐसा विश्वास प्रवृत्त किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मात्र हैं (देविए सूत्रस्थान, अध्याय १।११६)।

रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी प्रसिद्ध होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण मनीष्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४।४४) एव शाल (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२१६) के मन से ब्रह्मघातक कोटि होता है, वही मनु (१।४९), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७।३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने-वाला कहा है। शाल, हारीन, गौतम, यम एव पुराणों (मिताक्षरा ३।२१६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २३०-२४०, २४२-२७२; मद्द० पारि०, पृ० ७०१-७०२, महापाँव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवा की योनियों एव रोगों तथा बिललागों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानानामक से यहाँ नहीं दे रहे हैं।

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत् और अशुत् चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायश्चित्तों के विषय में यह शब्द मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कर्म-विपाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान् होना वा ही द्योतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं, जाति (बीट-पतगो या पशुओं आदि की योनि), आयु (जीवन अर्थात् पाँच या दस वर्षों का जीवन) एव भोग (नरकयातनजो आदि का अनुभव)। कर्म-विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ 'विपाक कर्मणा प्रेत्य वैपाचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२।४।४१, २२।५।४३ एव ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि)। प्रायश्चित्तसार (पृ० २१९-२३१) में कर्मविपाक-सबधी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का सिद्धान्त भली भाँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देविए बौद्ध ग्रंथ

विवागमुयम् (विपाकश्रुतम्), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है।

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) के कथनों पर आचारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि केवल मानवों को ही (वाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०८-२०९; प्राय० सार० पृ० २१५)।

मिता० (याज्ञ० ३।२।१६), स्मृत्यर्थसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विपाक-सम्बन्धी निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी लोग प्राजापत्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान् कष्ट होता है और लोग इच्छा-पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं।

कर्मविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी भयाकुल होना चाहिए। क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास के फलस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा।

मनु (१२।६९), विष्णु (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं।

वामनपुराण का अध्याय १२ कर्मविपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का निरूपण किया है। बराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ भोगने के विषय में सविस्तर लिखा है और यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और भाँति-भाँति के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं।

मान्वाता के 'महार्गव-कर्मविपाक' नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ्र (प्रायश्चित्त) एवं रोगों के प्रति विपर्यय (व्याधि-विपर्यय अर्थात् उनके विरोध में उचित उपाय)। व्याधि-विपर्यय के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूर्य एवं रोगदेव की सुवर्ण-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि आश्वलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ किया जाता है; वैदिक मन्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-पूजा, आहुति-दान, रुद्रैकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७।१-२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यथा कदलीदान (एक पल सोने से कदली का पौवा बनाकर दान करना)। इस ग्रंथ में सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राज्यक्षमा नष्ट करने के विषय में उद्धृत किया गया है)। इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, वहरापन आदि शारीरिक दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानाभाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है।



## अध्याय ७

### अन्त्येष्टि

मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यो-का-ज्यो बलवा आया है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, चालिडयना यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एवं महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भाँति भाँति के मत प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक् दृष्टिकोण रहा है। इस प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है जिसे अंग्रेजी में 'Eschatology' (इश्चैटॉलॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्द—इश्चैटॉस (Eschatos=Last) एवं लोगिया (Logia=Discourse) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा—मृत्यु न्याय (Judgment) एवं मृत्यु के उपरान्त की अवस्था से सबय रत्नवाला ज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का सबय है मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय की चर्चा से और दूसरे का सम्बन्ध है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस प्रश्न के इन प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही अधिक सावते हैं।

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय बहुतेको होता है, किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थान् मरण-काल के समय की सम्भावित पीडा से वे आशान्त होते हैं, प्रकृत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका भय उन भावनाओं से है जिनका गभीर निर्देय जीवनोपरान्त सम्भावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभाग की ओर है। सौ० ई० वृत्तियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्माटैल मैन' (पृ० २) में कहा है—यद्यपि (मृत्युपरान्त या प्रेत) जीवन के सबध में अत्यन्त कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तारिखिक बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।" मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्य अवस्था तक के

१ अंग्रेजी शब्द 'स्पिरिट' (Spirit) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोच्छ्वास का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्। नीता मे, आया भी है—'नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः'। न चैनं बलेदपन्तपापो न शोषयति मारुतः ॥' और भी—'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः . . . . .'

लोगों में भाँति-भाँति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद् (१।१।२०) में आया है—‘जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।’ नचिकेता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं।<sup>१</sup> कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ वच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीड्रस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३)।

ब्रह्मपुराण (२।४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त। वह कुछ यों है—‘जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता—वह सुखद मृत्यु पाता है।’ इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०।४।११-१२; १४।४।९-६०) ने विस्तार के साथ अकाल-मृत्यु एवं दीर्घ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है—‘नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान् नहीं हैं, जो सदाचार के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०।४।११-१२ एवं १४)।

वहूत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा—शान्तिपर्व (३।१८।९-१७), देवल (कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायुपुराण (१।९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-३३), लिंगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ३।१८) के अनुसार जो अरुन्धती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः मास के शेष जीवनवाले होते हैं; जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं—कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवर्तन हो जाना, संज्ञान्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक वायों आँख से पानी गिरना। देवल ने १२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा है कि जब अँगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१।९।२८) एवं लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९।१।२४) ने सबसे बुरा माना है।<sup>१</sup> ‘मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ’ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हर्षे ने कई

२. देखिए सी० ई० वुल्लियामी (C. E. Vulliamy) का इममार्टल मैन (Immortal Man), पृ० ११।

३. द्वे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत् । घोषं न शृणुयात्कर्णं ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१।९।२७); नमनं वा श्रमणं दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम् । लिंगपुराण (पूर्वभाग ९।१।१९)।

ग्रन्थों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गद्गा देवता है तो उसका मरण निश्चित-भा है, जब वह स्वप्न में बूढ़ी कुमारी स्त्री देवता है तो मय, राग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिगूल दखता है तो मृत्यु परिलक्षित होनी है।

भारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणसन्न रहता है या जब वह अव-तब रहता है तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगटन का लेख, 'दी आवर आब डेय', एनन्स आब दी मग्डारकर ओ० आर० इस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९)। कौमिलपूत्र (८०।३) में आया है, जब व्यक्ति शक्तिहीन होना जाता है अर्थात् मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई सम्बन्धी) शाला में उगी हुई घास पर कुस बिछा देना है और उसे 'स्यानास्मं भव' मन्त्र के साथ (विस्तर या खाट से) उठाकर उम पर रख देता है। बौधायनपितृमेषपूत्र (३।१।१८) के मत में जब यजमान के मरने का मय हो जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दम फंसा देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की आर हानी है, मरणामन्त्र के दायें कान में आयुष प्राण सन्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गाम्भिरस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि।

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आंखें आधी बन्द हो गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये—गौ, मूनि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत (चाँदी) एवं नमक। 'ये दान गायप्राद या सैकडा अश्वमेधा से बढ़कर हैं। सकल्प इन प्रकार का होता है—'अभ्युदय (स्वर्ग) की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा।' दस दानों के उपरान्त उत्कान्ति धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त वंशरणी गौ का दान किया जाता है। 'अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश

४. दुर्बलीभवन्त शालातृणेषु दर्भान्नास्तीर्यं स्योनास्मं भवेत्यवरोहयति। मन्त्रोक्तावनुसन्त्रयते। यत्ते कृष्ण-  
स्यवदोपयति। कौशिक० (८०।३-५)। 'स्यानास्मं' मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१।२२।१५) एवं वाज० स० (३६।१३), देखिए निवृत्त (९।३२)। पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है—'यदा बभूवस्यानगत-  
जीवो बिल्हलो देही भवति तदा बहिर्गामयेनोपलिप्ताया भूमौ कुशान्दक्षिणाघानान्तास्यं तदुपरि दक्षिणाशिरस स्थाप-  
यिवा सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्।' गौभिलस्मृति (३।२२)—'दुर्बल स्थापयित्वा तु शुद्धचलाभि  
सञ्जतम्। दक्षिणाशिरस भूमौ बहिष्मत्प्रा निवेशयेत्।'

५. दानानि च जातृकथं आह। उत्कान्तिवंतरण्यो च दस दानानि चंव हि। प्रेतोऽपि कृत्वा तं प्रेत शवधर्मेण दाहयेत्। दस दानानि च तेनैवोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोचान्यगुडानि च। रूप्य लवणमित्वाहुर्वंश दानान्यनुक्रमत्। शुद्धिप्रकाश (पृ० १५२)। और देखिए गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ४।४); एविषेकिया इण्डिका (जिल्द १९, पृ० २३०)।

६. आसन्नमृत्युना देया गौ सवत्सा तु पूर्ववत्। तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्नोति दातु वंतरणीं तु गाम्। शक्नोत्योऽहक तदा दत्त्वा दद्याच्छ्रेयो मृतस्य च॥ ध्यास (शुद्धितत्व, पृ० ३००, शुद्धिप्रकाश पृ० १५३, अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ७)। गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ४।६) में आया है—'नदीं वंतरणीं तत्तु दद्यादंतरणीं च गाम्। कृष्णस्तनी सकृष्णाङ्गो सा च वंतरणी स्मृत।' ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वंतरणी नाम की नदी है जो रक्त एवं पंखे अस्त्रों से परिपूर्ण है, जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर

(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्यु हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे उससे व्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करने में अशक्त हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा स्वयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते समय वह व्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ३-४)। संक्षेप में व्रतोद्यापन यों है—पुत्र या सम्बन्धी मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान-सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर संकल्प करता है,° निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण घोषित करता है—“समी व्रत पूर्ण हों। उद्यापन (व्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायश्चित्त में पुत्र चार या तीन विद्वान् ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन-लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर घन का दान करता है।<sup>१</sup> सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुड़पुराण (२।४।७-९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा—तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा—छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड़-पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है।

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक

पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६।२२६।३२-३३) जहाँ वैतरणी की चर्चा है; ‘मृत्युकाले प्रयच्छन्ति ये घेनुं ब्राह्मणाय वै। तस्याः पुच्छं समाश्रित्य ते तरन्ति च तां नृप ॥’

७. संकल्प यह है—‘अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तकदेशे विष्णोराज्या प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरां . . . अमुकतिथी अमुकगोत्रः . . . अमुकशर्महं ममात्मनः (मम पित्रादेः) व्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य यावत्कलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकव्रतानामकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थं श्रुतिस्मृति-पुराणोक्ततत्तद्भ्रतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थं विष्णवादीनां तत्तद्देवानां प्रीत्ये इदं सुवर्णमग्निदैवतम् (तदभावे इदं रजतं चन्द्रदैवतम्) अमुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत् न मम इति संकल्प्य . . . आदि-आदि (अन्त्यकर्म-दीपक, पृ० ४)।

८. देशकाली संकीर्त्यं मम (मत्पित्रादेर्वा) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृदसकृत्कायिकवाचिकमानसिकसां-सर्गिक—स्पृष्टास्पृष्ट—भुक्ताभुक्त—पीतापीतसकलपातकानुपातकोपपातकलघुपातकसंकरोकरणमलिनिकरणाशत्री-करणजातिभ्रंशकरप्रकीर्णकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमिमां सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतां यथाशक्त्यलंकृतां सवत्सां गां रुद्रदेवताममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदेवे ओं तत्सत् न मम। अ० क० दी० (पृ० ५)।

जीवन के उपरान्त उमकी जीवार्त्मा आत्मान्त होता है (अन्ते या मति सा गति), अन्-मृत्यु के समय व्यक्ति को साक्षात्क मोह-माया छाडकर हरि या गिब का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन 'आ नमो वामुदेवाय' का जप करना चाहिए।<sup>1</sup> बहुत से बचना के अनुसार उमे वैदिक पाठ मुनाना चाहिए। देविए गौतम पितृमेघमूर (१११-८)।

हिरण्यवेदिपितृमेघमूर (१११) क मत म आहिताग्नि के भरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उनके बान म (जब वह ब्रह्मपानी हो) तैत्तिरीयाग्निपद क दो अनुवाक (२११ एवं ३११) कहने चाहिए। अल्पकर्मदीपक (५० १८) का बयन है कि जब मरणामन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या गिब का रमणीय रूप मन म धारण कर विष्णु या गिब के मह्य नाम सुनन चाहिए और भगवद्गीता भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदा एवं सामवेदीय मन्त्रा का पाठ सुनना चाहिए।<sup>2</sup>

उपनिषदा म भी मरणामन्न व्यक्ति की भावनाया के विषय म बरन मिलने हैं। छान्दासाग्निपद (गण्डि-ल्प विद्या ३।१४।१) म आया है—'समी ब्रह्म है। व्यक्ति का आदि अन्न एवं इमी म स्थिति के रूप म इमहा (ब्रह्म का) ध्यान करना चाहिए। इमा की इच्छा का मूर्च्छि मनुष्य है। इस विरव म उसकी जा इच्छा (या भावना) हासी उमा क अनुसार वह इहेहा क जाने के उपरान्त होगा।<sup>3</sup> इमी प्रकार की भावना प्रद्वानाग्निपद (३।१०) म भी पायी जाता है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-वक्ति आत्मा का उच्छतर उगानी जानी है जिससे मनुष्य-मन को ऐसा परिणत हाना चाहिए कि अविन् ब्रह्माण्ड म जितन भौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तियाँ हैं वे सब एक हैं और उनम एक ही विन् रूप ममाया हुआ है। भगवद्गीता न यमी भावना और अधिक स्पष्ट रूप म व्यरन की है—'वत् व्यक्ति जा प्रल्लान्त म मूने स्मरण करना हुआ इम जीवन म यिदा हाना है वह भर पाय आता है इमम सगय नहीं है (८।१)। विन्नु एवं बान स्मरणीय यत् है कि अन्तका म हा बध्न भगवान का स्मरण करने क कुछ न होगा, जब जीवन भर आगा एमा भावना स अभिमूी रहता है तमी भगवत्कामि हाना है। एमा कहा गया है—'व्यक्ति मृत्यु क समय को भी रूप (या वस्तु) साचना है उमा का वत् प्रान्त हाना है और यत् तमी सम्भव है जब कि वत् जीवन भर ऐसा बना माया हा (मग० ८।६)।

पुराणा क आगा पर कुछ निवचा का ऐसा बयन है कि अन्तका उपस्थित हान पर व्यक्ति का यदि सम्भव हा ता चिमी तीय-स्थान (यथा गगा) म ले जाना चाहिए। गुडिनख (५० २९९) न रूपपुराण का उपादा निचा है—'गदा क जल म बाराणसी क स्थल या जल म, गणगागर म या उसकी मति, जल या अन्तिका म भरन ले

९. देविए भगवद्गीता (८।५६) एवं यजुपुराण (५।४।३।६२)—'भरने या मति-पुला गतिभंवि तागुगी।'

१०. अने-समयवेद हरेवे धनुमंजु शास्त्रमहापठपर पीनाम्बरहरीरोटकेपूरकौमुभवनमालापर रमणीय-क क विष्णु त्रिगुलहमरपर कद्रुद्र त्रिनेत्र गगापर गिब का भावयन् सार्धनामगीताभागवतभास्तरामाजनेगागया द्युनिषद पाठमातादीनि पूरवानि क यथासम्भव गनुवान्। म० क० बी० (५० १८)। विष्णुसहस्रनाम के पिए देविए अनुगागतपर्व (१४९।१४-१२०), गिब के १००८ नामों के सिए देविए बही (१।३।१-१५३), और गिब सार्धनाम क सिए देविए जालिनय भी (०८५।१४)।

११. सर्वे सर्वे कद्रु तत्रत्रासार्निन गान्त उव गीगाय लक्षु कपुमय पुत्रो यथाकपुरासिपयोके पुत्रो भवति तयेन प्रत्य भवति न धनु कुर्वाणः। ए० उव (३।१४।१)। अन्तकाये क मायेव समानुभावा कौबरम्। क-प्रवर्ति क भवभावा यानि भाग्यव सग्यः ॥ य य वारि समानभवं स्यत्रादन्ते कौबरम्। त तमेववि कौनेव तदा लक्षुभावा भाविक ॥ भगवद्गीता (८।५-६) देविए और सांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र (१।२।१ एवं ४।१।१२)।

व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है—'गंगा के तटों से एक गव्यूति (दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वर्ग जाता है और पुनः पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, पृ० १५५)। पूजारत्नाकर में आया है—'जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनार्य देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।<sup>१२</sup>

मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। शान्तिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २५४) में आया है—'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान् है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१५।५-६) में आया है—'अब (यदि यह आत्मज्ञानी व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अर्चिः अर्थात् प्रकाश को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत् को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते।' ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अभी ब्रह्म को नहीं जानते) भी देवयान (देवमार्ग) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान-दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अर्थ अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक

१२. कूर्मपुराणम् । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले । जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तथा स्कन्दे—तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः ॥ अत्रस्थास्त्रिदिवं यान्ति ये मृता न पुनर्भवाः । शुद्धितत्त्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५) । पूजारत्नाकरे—शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः । तत्सन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णोः परं पदम् ॥ लिंगपुराणे—शालग्रामसमीपे तु क्रोशमात्रं समन्ततः । कीकटेषु मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः ॥ वंष्णवामृते व्यासः—तुलसीकानने जन्तोर्यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित् । स निर्भर्त्स्य नरं पापी लील्ययं हरिं विशेत् ॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम् । निर्वाणं प्राप्ति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः ॥ शुद्धितत्त्व (पृ० २९९); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५) । 'कीकट' मगध देश का नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और देखिए निरुक्त (६।३२) जहाँ कीकट देश को अनार्य-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेषु' के स्थान पर 'कीटकोटेषु' लिखता है जो अधिक समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है।

वा उल्लेख किया है जहाँ बीट, पनग आदि जाने हैं। भगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को सूक्ष्म रूप में कहा है—“मैं उन कालों वा वर्णन करूँगा जब कि भक्तगण बन्धी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण मूल्यं वे छ माम, जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। घूम, रात्रि, वृष्ण पक्ष, दक्षिणायन मूल्यं वे छ मामा में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुन लौट आते हैं। इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रचारात्मान एव अचरारमय हैं मनातन हैं। एव से जानेवाला बन्धी नहीं लौटता किन्तु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने ‘प्रसाद’, ‘दिन’ आदि शब्दों को यथायुक्त सार्विक अर्थ में लेने को नहीं कहा है, अर्थात् उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्वर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक हैं जो मूर्तात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एव पितृलोक के मार्गों में उद्दू ले जाते हैं, अर्थात् वे आतिवाहिक एव अभिमानों देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अन्वयव्यतिरेक दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अर्धरात्रि की प्रसस्ति मात्र है—जा ब्रह्म-ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो ऐसा बरके उन्होंने केवल लोहप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और उन्होंने यह भी प्रवृत्त किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा बर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९।१९३-१९६)। शंकर एव वेदान्तसूत्र के वचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बोधायनपितृमेघसूत्र २।७।२१ एव गौतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२)।

अन्त्येष्टि एक सस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानवाले सालह या इसमें भी अधिक सस्कारों में एक है और मनु (२।१६) याज्ञ० (१।१०) एव जातूकर्ण्य (सस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एव अन्त्यकर्मदीपक, पृ० १) के मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है। यें सस्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१-१२, १।१६।६, १।१७।११ एव मनु २।६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-सस्कार में वैदिक मन्त्रों-चचारण होता है) और सूत्रों के लिए (मनु १०।१२७ एव याज्ञ० १।१०) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। बो०पितृ मेघसूत्र (३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो सस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात् उनका सम्पादन अनिवार्य है) और वे हैं ज म सस्कार एव मृतक-सस्कार। दाह-सस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिन्वानि (जो श्रौत अग्निहाय अर्थात् वैदिक यज्ञ करता है) एव स्मार्तानि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजना है अर्थात् स्मृतियों में व्यवस्थित धार्मिक कृत्य करता है) के लिए मिन भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री है, वच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्यु पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश

१३ ‘विद्यमान’ एव ‘पितृयान’ के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा—३।५।८।५; ७।३।८।८, ७।७।६।२; १०।५।१।५; १०।९।८।११, १०।१८।१; १०।२।७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण (१।९।३।२), बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६)।

१४. निवेकादिभ्रमशान्तान्तो मन्त्रैर्वस्योदितो विधि । तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ मनु २।१६, ब्रह्मशत्रियविद्वंसूत्रा वर्णास्त्वाद्यास्तत्रयो द्विजा । निवेकाद्या भ्रमशान्तान्तान्तैषा वै मन्त्रत क्रिया ॥ याज्ञ० (१।१०); आधानपुससीमन्त्रातनामान्त्रचौलका । मौञ्जी यतानि गोदान सम्रापत्तविवाहका ॥ अन्त्य चंतानि कर्षानि प्रोच्यन्ते घोडशैव तु ॥ जातूकर्ण्य (सस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एव अन्त्यकर्मदीपक, पृ० १)।

मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं गृह्यसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक् ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निवन्धों में वर्णित विधि का कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्धु (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।<sup>१५</sup> अन्त्य-कर्मों के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आचार पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलैण्ड ने किया है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमानों एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते।

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद के पाँच सूक्तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी जाती हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।<sup>१६</sup>

ऋग्वेद (१०।१४)—(१)“(यजमान!) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान् का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है और जिसने महान् (अपार्थिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने-अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) ‘काव्य’ नामक (पितरों) के साथ, यम अंगिरसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्वतों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैं); जिन्हें (अर्थात् पितरों को) देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।<sup>१७</sup> (४) हे यम! अंगिरस् नामक पितरों के साथ

१५. प्रतिशाखं भिन्नेष्वन्त्यकर्मणि साधारणं किञ्चिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)।

१६. श्री वेर्ट्रम एस्० पकिल (Bertrum S. Puckle) ने अपनी पुस्तक ‘पयूनरल कस्टम्स’ (Funeral Customs : London १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विद्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विधासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, यथा—जहाँ व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बैठ जाना मृत्यु की सूचना है (पृ० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत व्यक्ति के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को न गाड़ना (पृ० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना (पृ० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० ९९-१००), कब्रगाह में वपतिस्मा-रहित वृक्षों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना (पृ०.१४३)।

१७. काव्य, अंगिरस् एवं ऋक्वन् लोग पितरों की विभिन्न जोटियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७।१०।४) में



एवमत्र होकर इस यज्ञ में आग्नेय और (कुशा के) आमन पर बैठो। विज्ञ लोगो (पुरोहितो) द्वारा बहे जानेवाले मंत्र तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन्!) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम! अगिरमो एव वैरूपो (के साथ आओ) और आनन्दिन होओ। मैं तुम्हारे पिता विब्रम्बान् का आह्वान करता हूँ, यम मे बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे स्वय आनन्दित हो)। (६) अगिरम्, नवम्ब, अयवं एव भृगु लोम हमारे पितर हैं और मोम से प्रीति रखते हैं। हमें उन श्रद्धाम्पदों की सद्विच्छा प्राप्त हो। हम उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो। (७) जिन मार्गों से हमारे पूर्वज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शीघ्रता करने जाओ। तुम लोग (अर्थात् मृत लोग) यम एव वरण नामक दो राजाओं का श्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाने हुए देवा। (८) (हे मृत!) उच्चतम स्वर्ग में पितरो, यम एव अपने इष्टापूर्व के माय जा मिलो। अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को लौट आओ। दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) शरीर सजा मिले। (९) (हे इष्टात्माओ!) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (ध्मनाम) से अलग हट जाओ, पितरा ने उसका (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्रामस्थान दिया है जो जलो, दिवसा एव राता से भरा-भूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग में बढ़ते हुए सरमा की सतान (यम के) दो कुत्ता से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बढो। इस प्रकार अपने पितरो के पास पहुँचो जो तुम्हें पहचान लेंगे और जो स्वयम् यम के साथ आनन्दोपभोग करने हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) उन अपने दो कुत्ता से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुष्या पर दृष्टि रखते हैं, सुरदा दा। तुम इसको आनन्द और स्वाम्य्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नयुने चौड़े हाते हैं, जा बति गन्धिराली हैं और जिन्हे कठिनाई से सतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्या के बीच में विचरण करने हैं। वे दोना (दूत) हमें आज वह शुभ जीवन फिर से प्रदान करें जिसमें कि हम मृत्यु को देख सकें। (१३) (हे पुरोहितो!) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि दबो तक ले जानेवाला दूत बना गया है और जो पूर्णरूपेण मन्त्र है, यम के पास पहुँचना है। (१४) (पुरोहितो!) धी मिथिन आहुतिर्वा यम को दा और तब प्रारम्भ करो। वह हम देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया। वह वृहत् (वृहत्साम) तीन यज्ञों में और छ वृहत् विस्तारा में विचरता है। त्रिष्टुप, गायत्री आदि छन्द—सभी यम में केन्द्रित हैं।”

ऋक्वन् (गायक) लोग बृहस्पति से सन्धिगत हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एव सोम से भी सम्बन्धित माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वया का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय किया जाता है।

१८. वैरूप लोग अगिरसो की उपकोटि में आते हैं।

१९. यह और आपे आनेवाले तीन मन्त्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं।

२०. देखिए इस प्रथम का स्रष्ट २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्थित की गयी है। इष्टापूर्त का अर्थ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एव दान-कर्मों (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक फलोत्पत्ति।

२१. पितृलोक के आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह ऋग्वेदीय कल्पना अपूर्व है।

ऋग्वेद (१०।१५)—(१) “सोम—निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे

आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्वत जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपालु हों और आगे आयें, क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) वाद को गये, और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके वच्चे (अर्थात् अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर लोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी है; इन्हें ग्रहण करो। कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निधियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम-प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें। (६) हे पितर लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायी ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके प्रति जो गलती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें। (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी गोद में) बैठकर मुझ मर्त्य यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को धन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृपा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मली भाँति जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुर्दिक् बैठते हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, जो सहस्रों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुर्दिक् बैठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक पितर लोगो, जो अच्छे पयप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें लाकर (पितरों को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते हैं कि कितने पितर हैं, यथा—वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं)। आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो नहीं जलाये गये थे और जो स्वघा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।”

ऋग्वेद (१०।१६)—(१) “हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ?) को न जलाओ, चतुर्दिक् इसे न झुलाओ, इसके चर्म (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय

जो देवों की अभिलाषाओं को डोता है। (३) तुम्हारी आँखें मूर्य की ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या यदि यही तुम्हारा माय्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ। (४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी को जला डाले, <sup>११</sup> तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अर्पित है चारा और घूम रहा है। हे जानवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हृदयों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति!) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरगत को दोष-मुक्त कर दे, जो काले पत्नी (बौआ) द्वारा बाट लिया गया है, या जिसे चीटी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और श्राद्धों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति!) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्थात् अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म धारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण-तया भस्म कर देता है (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एव सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमस (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों (पापों) का डोता है यम लोक को जाय। दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवा को अर्पित हव्य ग्रहण करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जानवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को पृथक् करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था, वह (दूसरा अग्नि) धर्म (धर्म दूष या हव्य) को उच्चतम लोक की ओर प्रेरित करे।" (११) वह अग्नि जो हन्या को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को उने दे। वह देवा एव पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि!) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित किया है और जकाया है। तुम प्यारे पितरों का यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। (१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) वृक्षा दो। कियाम्बु (पीया) यहाँ उगे और दुर्वा घास अपने अक्षुओं को फैलानी हुई यहाँ उगे। (१४) हे पीनिका (सोतल पौधे), हे पीतलताप्रद ओषधि, हे ह्लादिका (तरौनाजा करनेवाली बूटी) आनन्द त्रिवेरती हुई मेडकी के साथ पूर्णरूपेण घुल मिल जाओ! तुम इस अग्नि को आनन्दित करो।"

ऋग्वेद (१०।१७)—इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश नहीं डालने, अतः हम केवल चार मन्त्रों का ही अनूद्धित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र खट्वा की कन्या एव विवस्वान् के विवाह एव विवस्वान् में उत्पन्न यम एव यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुका (१२।१०-११) में दाना की व्याख्या

२२ ऋ० (१०।१६।४)... अजो भाग—इसने उस बकरी की ओर संकेत है जो दाव के साथ ले जायी जाती थी। और वैश्वेष्ट ऋ० (१०।६।७), जहाँ दाव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयी है।

२३ यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक-अर्थ पर ध्यान दें तो प्रष्ट होता है कि 'त्रय्याद्' अग्नि विन्युक्त में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि 'त्रय्याद्' अग्नि को अपवित्र माना जाता था और वह साधारण या पवित्र अग्नि से पृथक् थी।

विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए प्रयुक्त किया गया है।

(३) "सर्वविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! (४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं (स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता रहता है।"

ऋग्वेद (१०।१८) — (१) "हे मृत्यु ! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से पृथक् है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक् हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (वच्चों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीर्घ जीवन को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा (अवरोध) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्तिके) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यु को दूर रखें ! (५) हे घाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सँभाल रखो जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे कि छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयु पाओ, क्रम से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); मद्रजन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा तुम्हें यहाँ (इस विश्व में) दीर्घ जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँखों में अंजन के समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। (८) हे (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें भली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) (मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें। (१०) (हे मृत) इस विशाल एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दवाओ, इसके लिए सरल पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हृद्दियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढँको जिस प्रकार माता अपने आँचल से पुत्र को ढँकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्रों स्तम्भ इस घर को सँभाले हुए खड़े रहें। ये

घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ सभी दिनों के लिए उसके हेतु (हृद्दियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय बनें। (१३) में तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय मेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्भ को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। (१४) (देवगण) में मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पक्ष के समान (कल के रूप में) लौट आवेगा; (अतः) मैं अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।”

यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है? हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिव्यदः एवं अग्नि-प्याताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, मृत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि' दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० १०।१५।११-१२)। तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक् है। यह बात ठीक है कि तै० स० (१।८।५) के तीन मन्त्र ऋग्वेद (१०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) का 'पितृयज्ञ', पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों की ओर संकेत करते हुए समवाहिक प्रचलन के ही चोक्त हों।

अब हम श्रौत एव गृह्य सूत्रों में वर्णित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (६।१०) में हुआ है। इसमें आया है—“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उत स्नान पर रखते हैं जहाँ अबभूथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन अलङ्करणों से मजाने हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के मिर, चेहरे एव शरीर के बाल और नख काटते हैं। वे नलद (जटासासी) का टोप लगाने हैं अरु शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतर्दियों को काटकर उनसे मल निष्काट देते हैं और उनमें पुषदाज्य (मिश्रित घृत एव दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बगल नवीन वस्त्र का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उनसे शव को इस प्रकार ढँक देते हैं कि अचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव सुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत की श्रौत अग्निवा अरणिषो पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, पथण से धनि उत्तर की जाती है और उर्मी में शव जला दिया जाता है। दमसान में लोटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एव सलवी (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन बिना दुहराये एव बिना 'हिम्' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व तीर्थों में आने हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके दमसान की परिक्रमा करने हैं और निम्न प्रकार से उगरे चतुर्दिग् बैठ जाते हैं, होता दमसान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्यु के पश्चिम और ऋद्धा दक्षिण में। दूसरे उपरान्त धीमे स्वर में 'आय गो पृदिनरवमीन्' से आरम्भ होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने बायें हाथ को दमसान की ओर करने दमसान की तीन परिक्रमा करता है और बिना 'ओम्' का उच्चारण किये उद्गाता के गायन के मुरल परचातु धीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एव माध्या-घनों (श्रुतियों या प्रणेताओं) के मन्त्र हैं, करता है; यथा—ऋ० (१०।१५।३-८, १०-११; १०।१६।१-६, १०।१७-१-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५।१-५)। उन्हें ऋ० (१०।१५।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इनके

अग्निहोत्री का दाहसंस्कार करने के लिए, घड़े का तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर खड़ा चाहिए जहाँ मृत नलद का बैटना था।”

शांतायनश्रौतसूत्र (८।१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-द्रव्या के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। कात्यायनश्रौतसूत्र (२।५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२।५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं मल-मदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौभिकसूत्र (८।१।३३-३६) एवं शांतायनश्रौतसूत्र (४।१।४।४-५) ने भी केश काटने, शव को न्यान कराने, लेप करने एवं माला-गुण रखने की बात कही है। वाचायनपितृमेघसूत्र (१।२) ने इन सब बातों की ओर संकेत किया है और उनका जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतर्द्रियाँ काटकर निकालते हैं तो उन्हें पुनः धर्म न भी देने है या वे केवल शरीर को रनात करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढँक देते हैं, सेंवाने देते हैं, आसन्दी पत्र, जिन पर काला मृगचर्म (जिनका मृग वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता है, रग देने है, उन पर नलद की माला रग देने है, और उसे नवीन वस्त्र से ढँक देते हैं (जैसा कि ऊपर आश्वलायन-श्रौतसूत्र के अनुमान लिया गया है)। नत्यापाटश्रौतसूत्र (२।८।१।२२) एवं गीत्रमपितृमेघसूत्र (१।१०-१४) में भी ऐसी बातें दी हुई हैं और यह भी है कि शव के हाथ एवं पैर के अँगूठे ध्येत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बांध दिये जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पत्थर या कुर्सी जिन पर शव रखकर रोगा जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी होती है। कौभिकसूत्र (८।१।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चित्ता जलाने एवं हवि देने समय कहे जाते हैं, यथा १।८।२।४ एवं ३६; १।८।३।४; १।८।१।४९-५० एवं ५८; १।८।१।४१-४३; ७।६।८।१-२; १।८।३।५; १।८।३।४-१८ (१।८।२।१० को छोड़कर); १।८।४।१-१५ आदि।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्णन किया है, किन्तु आश्वलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र का कहना है—“जब आहिताग्नि मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे स्थान पर भूमि-खण्ड चुनवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण-पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड़्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष को लम्बाई का, एक ध्याम (पूरी बांह तक लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक चितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। श्मशान चतुर्दिक् खुला रहना चाहिए। इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० २।७।५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात् श्मशान कुछ ऊँची भूमि पर होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट

२४. चालवाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३। शतपथब्राह्मण (१२।५।२।२।५) ने मृत व्यक्ति के शरीर से सभी गन्धे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया है। उसका इतना ही कथन है—“उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है।”

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उशीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात कही गयी है।

देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एव घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि क्रिया में) वे घृत को वही में डालते हैं। यही पुष्यदायम् है जो पितरों के कृत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी) उसकी पूताग्नियो एव उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड़्ढा खादा गया है, ले जाते हैं। इसके उपरान्त विषम सख्या में बूँटे (पुरुष और रित्रयाँ साथ नहीं चलती) लोग शव को ढोते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि शव बँलपाडी में ढोया जाता है। कुछ लोग ने व्यवस्था दी है कि (इमशान में) एक रग की या काली गाय या बकरी ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्ती) बाँधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अथ सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर बरके) एव सिखा सोलकर चलते हैं, बृद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। इमशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामाग को उसकी ओर बरके चिता-स्थल की तीन वार परिक्रमा करते हुए उस पर गम्भी की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेन वोता वि च सर्पतात' (ऋ० १०।१४।९) का पाठ करता है। (इमशान के) दक्षिण-पूर्वें कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुनः या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम दिशा में गार्हपत्य अग्नि और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसमें उपरान्त चिता निर्माण में कोई निपुण व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्या को सम्पादित करनेवाला लवड़ी के डूँह पर (कुस) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी लोग गार्हपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की आरंभ करके शव का चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च वर्णों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने का कहते हैं और यदि मृत क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना नौकर या दास 'उदीर्ध्वं नायमि जीवलोक्म' (ऋ० १०।१८।८) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।<sup>१</sup> यदि शूद्र उठन का कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'धनुर्हस्तादायशाना' (ऋ० १०।१८।९) के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्येक को तानकर (चिता बनाने के पृथ, जिसका वर्णन नीचे होगा) उस टुकड़े-टुकड़े करके लकड़ियाँ के समूह पर फेंक दता है।<sup>२</sup> इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए, दाहिने

२६ बहुत-से सूत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए कौशिकसूत्र (८०।४४-४५) 'इयं नारीति पत्नीमुपसवेदायति। उदीर्ध्वं स्त्रियापयति।' ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१८।३।१-२) के हैं। सत्याप उद्धृतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी 'इयं नारी' उच्चारण के साथ उसके पास मुलायी जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीर्ध्वं नारी' के साथ उसे उठाता है। वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को उसके पास मुलाना चाहिए।

२७ यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एव कुछ सूत्र (यथा—वात्स्यायनश्रौतसूत्र २५।७।१९, शाल्तायनश्रौतसूत्र ४।१४।१६-२५, सत्यापाठश्रौतसूत्र २४।२।२३-५०, कौशिकसूत्र ८।११-१९; बौधायनपितृमेघसूत्र १।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जैसे कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देती हैं कि शत श्राद्धिक वायु-स्थानों, यथा मूल, दोनों नासारध्रो, दोनों आँखों एव दोनों कर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घृतमिश्रित तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। शौतमयिन्मेघसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अश्वयं मृत शरीर के तिर पर कपालो (गोल पात्रों) को रखता है।

हाथ में जुहू नामक चमस, बायें हाथ में उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फच (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि-होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से स्रुत्र (बड़ी यज्ञिय दर्वी), पात्र (या कपाल अर्थात् गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंध्रों पर दो छोटे-छोटे स्रुत्र, कानों पर दो प्राशित्र-हरण<sup>२८</sup> (यदि एक ही हो तो दो टुकड़े करके), पेट पर पात्री (जिसमें हवि देने के पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट-टुकड़े करके), गृप्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो अरण्याँ (जिनके घर्पण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों पर उखल (ओखली) एवं नुसल (मूसल), पाँवों पर शूर्प (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे वस्तुएँ जिनमें गड़दे होते हैं (अर्थात् जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण) मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचले पाठ ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ भी ग्रहण करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं है। जैमिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पादन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है अर्थात् इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।<sup>२९</sup>

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी (वकरी या गाय) की वषा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढँक देना चाहिए और ऐसा करते समय 'अग्नेर्वम' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृक्क निकालकर मृत के हाथों में रख देने चाहिए—दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में—और 'अतिद्रव' (ऋ० १०।१४।१०) का केवल एक वार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत से मात या जौ के आटे के दो पिण्ड भी रखता है।<sup>३०</sup> शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुनः उसकी खाल से शव को ढँककर प्रणिता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि कर्म करने वाला) 'इमम् अग्ने' (ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की

२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्या हल के जुए की काँटी को कहा जाता है।

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकर्ष्य के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि ऐसा करने पर जलाने के पश्चात् अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेंगी, अतः उनके मत से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२)। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (जैसी कि, नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात् या तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए वीधायन-पितृमेघसूत्र १।१०।२ भी)। शांखायनश्रौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अतिद्रव' (ऋ० १०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए।



चार आहुति यह बहकर डालता है—'अग्नि को स्वाहा' सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा! अनुमति को स्वाहा! 'पाँचवी आहुति राव की छानी पर यह बहकर दी जाती है 'यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुमसे उत्पन्न हो, न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजमनेयी संहिता २५।२२)। इसके उपरान्त आन्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गार्हपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचनी है या सभी अग्निर्वा एक साथ ही शव के पास पहुँचनी हैं तो क्या समझना चाहिए, और जब राव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि)। जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, ऐसा ही (धृति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा' (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी (सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर विना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पढ़ने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुत्तों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर वे तारों के उदय हान तक बैठे रहते हैं या जब मूर्यास्त का एक अंग दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग पहले और बड़े लोग अन्त में प्रवेग करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, भुने जौ, तिल एवं जल स्पर्श करते हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य कृत्य भी दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बैल को छूना, आँख में अज्रन लगाना तथा शरीर में अगणन लगाना।

गृह्यसूत्रा में वर्णित अन्य बातें स्थानान्तर से यहाँ नहीं दी जा सकती। कुछ मनोरञ्जक बातें दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं परस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन मस्तर हो चुका है उसकी अल्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्वेत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीना वैदिक अग्निवों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त अग्नि या शीघ्रान अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का राव केवल साधारण अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या असुद्ध अग्नि या मृतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चित्ता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितृदयिता के मत में जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात् त्वम् आदि' मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० ७० सूत्र न व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले मक्खों एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे से लटकते हैं और बायें हाथ की चौथी अँगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ जल तर्पण करते हैं तथा, दक्षिणाभिमुख होकर जल में डुबकी स्पेते हैं और अजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० ध० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवी पीढ़ी के सबको या जहाँ तक बदायणी ज्ञान हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का राव होते हैं, स्नान करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लोगों को धाल नहीं मँवारने चाहिए, बालों से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके परचान गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 'अप न शीघ्रव्द अथम्' (ऋ० १।७।१, अथर्व० ४।३।३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था दी है। शौतमपिन्द्रमेधसूत्र (२।२३) के मत से चित्ता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड

लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त-भाग (आँचले) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्मेण्डू (?) रखता है और तीन वार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अश्म) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट करता है और 'इमा आपः आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन् लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात् त्वमधिजातोसि . . . असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १।३।१-१३)। शत० द्रा० (२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और तीन वार शव की वायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अप नः शोशुचदधम्' (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०-१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 'पूपा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं 'आयुर्विश्वायुः' (ऋ० १०।१७।४ एवं तै० आ० ६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्त्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है।

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार या गरुड़पुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं।

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। रामायण (अयोध्या० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिविका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी के आगे वरिष्ठों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१।४।२९), मनु (५।१०४), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर० (३।४३-४५)। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १।२ पृ० २७८)। गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिभाषा याज्ञ० (१।३४-३५) ने दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ० ३।१३-१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए; नीम की

पत्तिमां दांत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र होने के लिए घृत पीना पड़ता है (गी० १४२९; याज्ञ० ३।२६, मनु ४।१०३; परा० ३।४२, देवल, परा० मा० १।२, पृ० २७७ एवं हारीत, अपराकं पृ० ८७१)।

सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१-१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को ढोता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और बस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान लिये जाते हैं। कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी है कि "यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में भोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है, यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।" कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत ब्राह्मण के शव को मुँह लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र (अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं ३० दिनों तक अपवित्र रहता है।

विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति मुँह लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२; मदनपारिव्रज पृ० ३९५) के मत से शव को मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं बृहद्-हारीत (९।१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी मार्ग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, बाण्ड (लकड़ी), तृण, हृदि आदि उच्च वर्णों की अस्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नही तो मृत व्यक्ति सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होता चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढँका रहना चाहिए, राग पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए, अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। निगी व्यक्ति को बन्धी मिट्टी के पात्र में पहाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, निगी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ अन्न मार्ग में रग देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमसान में रहते हैं) के लिए यस्त्र आदि दान करना चाहिए।

ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १५९) का कथन है कि शव को श्मशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा पर्याप्त निनाद किया जाता है।<sup>१०</sup>

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है—‘दाढ़ी-मूँछ बनवाना सात वातों में घोषित है, यथा—गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रौता-ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में।’<sup>११</sup> अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए वल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।<sup>१२</sup> अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था दी है।<sup>१३</sup> आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे सभी सपिण्ड लोगों को दहन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० १६२) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता।

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए।

३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यों की चर्चा यों की है—‘ततं चैवावनद्धं घनं सुषिरमेव च।’ अमरकोश ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है—‘ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्। वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्।’

३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरोर्मृतौ। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥ देखिए मिता० (याज्ञ० ३।१७), परा० मा० (१।२, पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० १६१), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९३)। भास्कर क्षेत्र प्रयाग का नाम है।

३२. रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनर्वाजितम्। वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुद्धि-प्रकाश, पृ० १६१)।

३३. अलुप्तकेशो यः पूर्वं सोऽत्र केशान् प्रवापयेत्। द्वितीये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छ्राद्धं प्रदीयेत तावदित्यपरं मतम् ॥ बौधायन (परा० मा० १।२, पृ० २); वपनं दशमेऽह्नि कार्यम्। तदाह देवलः। दशमेऽह्नि संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद् वहिर्भवेत्। तत्र त्याज्यानि वासांसि केशश्मश्रुमखानि च ॥ (मिता०, याज्ञ० ३।१७); मदन-पारिजात (पृ० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है—‘पञ्चमादिदिनेषु कृतशौरस्यापि शुद्धचर्यं दशमदिनेपि वपनं कर्तव्यम्।’

सपिण्डों एव सामानोदरों द्वारा मृत के लिए जो उदकत्रिया या जलदान होता है, उनमें विषय में मर्त्य नहीं है। आर्य० गृह्य० ने केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्याषाढ्यो० (२८।२।७२) भादि ने व्यवस्था दी है कि त्रिभुजित्त्रिजल अर्जलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एक गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारह दिन तक किया जाता है।<sup>१</sup> शौतमपर्मगूत्र (१४।३८) एव बगिष्ठ० (४।१२) ने व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, मानवें एव नवें दिन दक्षिणामिमुन होकर किया जाता है, किन्तु हरदत्त का कथन है कि सब मिलकर कुत्र ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, मानवें दिन ३० एव नवें दिन ३३), किन्तु उनमें देग में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अर्जलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में एक-एक अर्जलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुपर्मगूत्र (१९।७ एव १३), प्रचेता एव पंटीनसि (अपराकं पृ० ८७८) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एक पिण्ड दस दिनों तक देने रहना चाहिए।<sup>२</sup> मुद्दिप्रकाश (पृ० २०२) ने गृह्यपरिभाषा में वनिपय कथन उद्धृत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अर्जलियाँ और कुछ के मत से १०० और कुछ के मत से ५५ अर्जलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शास्त्रों के अनुसार परम्परा का पालन करना चाहिए। यही बात आर्य० गृह्य० परिभाषा (३।४) ने भी कही है। गरुडपुराण (श्रितसङ्घ, ५।२२-२३) ने भी १०, ५५ या १०० अर्जलियाँ की कक्षा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आधार पर अर्जलियों की संख्या दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एव ३० अर्जलियाँ दी जानी चाहिए। यम (दशोत्तर ९२-९४) ने लिखा है कि नामि तत्र पानी में रखे होकर जिस प्रकार जल देना चाहिए और कहा है (इत्था ९८) कि दवाँ एव पितरा को जल में और जिनका उपनयन-सम्भार न हुआ हो उनके लिए भूमि में रखे होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयानिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जान चाहिए, मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, घोरारहे पर, दमशाल के मार्ग पर जहाँ शय-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियाँ को एत्रय करने समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है कि लगानार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घडा भी रखा रहना चाहिए और मृत का नाम-गोत्र बहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी मान भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाथेय धाढ कहा जाता है, क्योंकि इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३)। कुछ निवन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि-

३४. केशान् प्रकीर्यं पासूनोर्ष्यं कयासतो दक्षिणामुखा। सङ्कुम्भज्योतीर्यं सव्यं जान्वाच्य दास। पीडयित्त्वोपवि-  
शान्त्वेव त्रिस्तत्प्रत्ययं गोत्रनामपथेयं तिलमिश्रमुदकं त्रिरुत्तिच्याहरहरञ्जलिर्नैकोत्तरवृद्धिर्कादशाहात्। सत्याषाढ्योत्तर०  
(२८।२।७२)। यही बात शौ० पि० सू० (१।४।७) ने भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है—‘काश्यपगोत्र  
देवदत्त शर्मन्, एतस्ते उदकम्’ या ‘काश्यपगोत्राय देवदत्तशर्मणे प्रेतायैतत्तिलोदकं दवामि’ (हरदत्त) या ‘देवदत्तनामा  
काश्यपगोत्रं प्रेतस्तुप्यतु’ (मिता०, याज्ञ० ३।५)। और देखिए गोभिलस्मृति (३।३६-३७, अपराकं पृ० ८७४ एवं  
परा० मा० १।२, पृ० २८७)।

३५. दिने विनेञ्जलिन् पूणान् प्रव्यात्प्रेतकारणात्। तावद् वृद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डं समाप्यते। प्रचेता  
(मिता०, याज्ञ० ३।३), ‘यावदाशौचं तावत्प्रेतस्थोदकं पिण्डं च दद्युः’ वि० घ० सू० (१९।१३)। यदि एक दिन  
केवल एक ही अर्जलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अर्जलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अर्जलियाँ दी जायें  
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अर्जलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अर्जलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर  
५५ अर्जलियाँ होंगी।

घड़ों द्वारा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नग्न-प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामर्थ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बँधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६)।

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा—कूर्मपुराण, उत्तरार्ध २३।७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्भ पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र, यदि वह दोपरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, यथा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं।<sup>१६</sup> वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। चाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं।<sup>१७</sup> ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के भीतर वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है।

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, श्वशुर, पुरोहित को उनकी मृत्यु पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ० ३।४)। पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और

३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च वा दद्युः। तदभावे ऋत्विगाचार्यौ। गौ० ध० सू० (१।५।१३-१४)।

३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत् ॥ गृह्यपरिशिष्ट (मिता०, याज्ञ० १।२।५५ एवं ३।१६; अपराकं पृ० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता पृ० १७२)। देखिए लघ्वाश्वलायन (२०।६) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२०)।

जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—‘हम लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है—‘ऐसा करो किन्तु पुनः न आना।’ ऐसा तभी किया जाता था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या हमने ऊपर का होता था तो केवल ‘ऐसा करो’ कहा जाता था। गौतमस्मृतिसंस्कृत (१।४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकृतक चार्तालाप आया है। कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक बँटीली टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोक्ता है और कहता है, ‘जल में प्रवेश न करो’; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है—‘हम लोग पुनः जल में प्रवेश नहीं करेंगे।’ इसका सम्भवतः यह तात्पर्य है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, जयान् शीघ्र ही उन्हें पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी।

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भाँजल पाने के लिए अयोग्य ठहराये गये हैं। ननुमक लोगों, सोने के चोरों, ब्राह्मणों, विचर्यों लोगों, भ्रूणहत्या (गर्भपात) करनेवाली तथा पति की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियाँ, व्यक्तिचारिणियों, सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात मनु (५।८९-९०) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१।४।११) में व्यवस्था दी है कि उन लोगों को न तो अन्त्येष्टि-क्रिया होनी है, न अशौच होना है, न जल-नर्पण होना है और न पिण्डदान होना है, जो श्रवण से आकर महाप्रयाण करने हैं, जो उपवास से या शयन से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या पत्नी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।<sup>१</sup> हरदत्त (गी० १।४।११) ने ब्रह्मपुराण में तीन पद्य उद्धृत कर कहा है कि जो ब्राह्मण-नाप या अग्निचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा (मिना०, याज्ञ० ३।६) का कथन है कि जो लोग अमावस्या में जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच होना है और उदकक्रिया की जानी है। देविए वैश्वानरसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहण नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहूधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्डु का दाह-कर्म (चारों ओर से ढँकी निविक्रा में शव ले जाया गया था, वायु मन्त्र थे, जुलूम में रात्रउप एव घामर थे, मानुओं को घन बाँटा जा रहा था, गगान्त के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया गया था, उम पर चन्द्रतलेप लगाया गया था); स्त्रीपर्व (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन मास पड़े गये थे, उनके गिण्डों ने पत्नी के साथ चिता की परिष्कारा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनुमानपर्व (१६।१। १०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर मुग्धित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर वस्त्रों एवं पुष्पों से ढँका था, शव के ऊपर छत्र एवं घामर थे, शौचों की नारियाँ शव पर पड़े झल रही थीं और सामवेद का गायन हो रहा था);

३८. प्राणानाशकशस्त्राग्निचिह्नोद्बन्धनप्रपन्नःश्लेष्मलात्। गी० (१।४।११); शोषान् प्रायं किञ्च शक्तिः शस्त्रमुद्बन्धनं जलम्। गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नरायमाः॥ ब्रह्मरवद्वहता ये च ये चैव ब्रह्मण्यंतेनाः। महाभारतजिनो ये च पतिनाशने प्रकृतानिनाः॥ पतिनाशने न दाहः स्थानं च स्थारहितमन्वयः। न चाधुपानः पिण्डो वा वाप्यां चाशुचिना न च॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गी० १।४।११; अथर्ववेद ५० ९०२-९०३), देविए भीष्मसूत्रम् (७।१, पृ० ५३९), तैत्तिरीय (१७८-१७९), अथर्व (२।१६-२।१७), ब्रह्मपुराण (उत्तरार्ध २३।१०-१३), हरदत्त (पृ० २०४), दृष्टिप्रकाश (पृ० ५९)।

मौसलपर्व (७।१९-२५) में त्रानुदेव का, स्त्रीपर्व (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आथमवासिकपर्व (अध्याय ३९) में कुन्ती, घृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वर्णित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) में आया है कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक, देव-दारु आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिविकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य गाड़ियों में शय्यात्रा में सम्मिलित हुई थीं।

यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मँगाकर काले मृगचर्म पर फँला दी जानी चाहिए (गतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए तथा रुई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्यायनश्रौत० (२।५।८।९), वीषायनपितृमेघसूत्र (३।८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठवर्मसूत्र (४।३७)।

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३।२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन दिनों का अशौच घोषित किया है। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियों की संख्या ३६२ लिखी हुई है। वीषायनपितृमेघसूत्र एवं गीतमपितृमेघसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों के लिए १०, दोनों बाँहों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। यही वर्णन सत्यापाढश्रौत० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शाखा० श्री० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्री० (२।५।८।१५), वीषा० पि० सू० (३।८), गी० पि० सू० (२।१।६-१४), गोमिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८६) एवं गरुड़पुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४।०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या यों है—सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, अँगुलियों के लिए १०, अण्डकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न भागों के लिए २०, पैर के अँगूठों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपरार्क, पृ० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आकृतिदहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मार्तसूत्र (५।१२) ने आकृतिदहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहिताग्निियों तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्निियों के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है।

सत्यापाढश्रौत० (२९।४।४१), वीषा० पितृमेघसूत्र (३।७।४) एवं गरुड़पुराण (२।४।१६९-७०) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात् मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से मरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको स्नान कराया जाता है और जातकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और



तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रा ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्निषो द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन घालियों में रचे शीतल ही जलनेवाले घाम-फम से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का वचन है कि यदि आहिताग्नि द्विज की सर्वण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्त अग्निषो से उसे यज्ञपात्रा के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। इस विषय में और देविण याज्ञ० (१।८९), बोधा० पि० सू० (२।४ एव ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैश्वानरस्मार्तसूत्र (७।२), वृद्ध हारीत (१।१२१३), लघु आश्व० (२०।५९)। विस्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्निषो रखता है तो वह अग्निषो उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती हैं, और उसने इतना और जोड़ दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्निषो से ही होता है। यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सर्वण' को केवल उदाहरण-म्यन्त्र लिया है क्योंकि ऐसा न करने में वाचस्पत्येद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय-पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियाँ ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्निहोत्र सम्पादन कर सकता है और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने किया था। देविण गामिल-स्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारीत (१।१२१४)। जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्निषो के साथ जगने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्निषो रखता है तो वह मरने के उपरान्त साधारण अग्निषो से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी मृत पत्नी के शव का अरगिषो से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्निषो को सुरक्षित रखकर पत्नी की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरगिषो से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देविण बोधा० पि० सू० (४।६-८), वाल्या० श्रौ० (२।१।३।३४-३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१)। जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अम्मान्वमग्निजातोमि' नामक मन्त्र का पाठ नहीं होता (गामिल० ३।५२)। क्वचिद् सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है (कौ० ३।५३)। ऋतु (गुडिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बोधा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा का दाहकर्म कपाल नामक अग्नि (कपाल का तनाकर कण्डा से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (गायु) का उत्पन्न (या करालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूला से उत्पन्न अग्नि से होता है। यदि आहिताग्नि पतिन ही जाय या विधवा प्रचार से आत्महत्या कर ले या पशुघात या सर्पों से भिन्नकर मर जाय तो उसकी श्रौताग्निषो जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्निषो चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रा को जल डालना चाहिए (परा० मा० १।३, पृ० २२६, परा० ५।१०-११, वैश्वानरस्मार्त० ५।११) और उसे साधारण (लौकिक) अग्नि से जगाना चाहिए।

मनु (५।६८) याज्ञ० (३।१), परा० मा० (३।१४), विष्णु० (२।२।३०-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० १।२, पृ० २३८) व मत्त में गर्भ में पतिन बच्चे भूषण मृताग्नय सिन्धु तथा दान्वाहीन सिन्धु को बन्ध से बँधकर गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था में बच्चा का नदी जगाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अत्रापि-मन्त्रों की विवेक पाया जाता है। पाण्ड्यप्रवृत्त० (३।१०) याज्ञ० (३।१), मनु (५।६८-९), दम आदि में व्यवस्था दी है कि बच्चों के शीतल के बच्चा का शान्त व बहुर स्मार्तान में दूध शिथिल स्वच्छ स्थापित कर गाड़ देना चाहिए, ऐसी बच्चों के गर्भों पर प्लुत का लेप करना चाहिए उन पर बन्धा-मन्त्र, पुनः आदि मन्त्र चाहिए, न तो उन्हें जगाना चाहिए और न जप-

तर्पण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त (ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा—दाँत वाले वच्चों या नामकरण-संस्कृत वच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात् ऐसे वच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के वच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प है, अर्थात् नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे वच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि वच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूड़ाकरण-संस्कृत वच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मार्तसूत्र (५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता। बौधा० पि० सू० (२।३-१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत वच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित लड़कों का पितृभेष नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के वच्चों को 'ओम्' के साथ तथा दाँत वाले वच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है—'नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना (जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चूड़ाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।'

यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर ऋतु का मत प्रकाशित किया गया है कि ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्पन्न अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उपस्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी लोगों (कुटीचक, वहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौधा० पि० सू० (३।११) ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है—'किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके उपरान्त प्रत्येक वार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन वार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्म बिछा देना चाहिए, माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० १।२।१।७; वाज० सं० ५।१५ एवं तै० सं० १।२।१।३।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिष्य को वायें हाथ में मन्त्रों (तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (तै० ब्रा० १।४।८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; वाज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को पेट पर और जलपात्र को गुप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'चतुर्होतारः' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध और न सपिण्डीकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, वहूदक गाड़ा जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय-

सिन्धु (पृ० ६३४-६३५)। गाढने के उपरान्त गड्डे को मली भाँति बालू से ढँक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, भृग्याल आदि शव को (पजो से गड्डा खोदकर) निकाल न डालें। धर्मसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शव या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गूड की भेली रखकर उसे ही तोड़ देना चाहिए। इतने भी यही कहा है कि कुटीचव को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी यति गाडे जाते हैं, क्योंकि बहूदक एव कुटीचव आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने में आते हैं। यतियों को क्यों गाडा जाता है? सम्भवत उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की भाँति श्रौतानिन्यां या स्मार्तानिन्यां नहीं रखते और वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मार्त अग्निों के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाडे जाते हैं। गाढने की विधि के लिए देखिए वैश्वानरस्मार्तमून (१०।८)।

जो स्त्रियाँ बच्चा जनने समय या जनने के तुरन्त उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में भर जाती हैं, उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एव स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एव पचगव्य लेकर मन्त्रोच्चारण (ऋ० १०।१।१-९, 'आपो हि ष्ठा) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एव निर्णय-सिन्धु (पृ० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बौधा० पि० सू० ३।९, निर्णयसिन्धु पृ० ६२२) जिन्हे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

विभिन्न कालों एव विभिन्न देशों में शव-त्रिया (अत्येष्टि त्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अत्येष्टि-त्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं—जलाना (शव दाह), भूमि में गाढना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, जिससे चील गिद्ध कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में),<sup>१</sup> गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी-रूप में (यथा मिस्र में) सुरक्षित रख छोड़ना।<sup>२</sup> जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है भारत में सामान्य नियम शव का जला देना ही था किन्तु अपवाद भी थे, यथा—सिशुओं, सन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में शव को गाड देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५।३०।१४ 'मा नु भूमिगृहो भुवत्' एव १।८।२।३४)। अन्तिम मन्त्र का रूप या हे— हे अग्नि, उन सभी पितरा को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हृदि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके शरीर गाड गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये

३९ पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड देना महान् अपराध माना जाता है यदि शव कब्र से बाहर नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके लिए भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छ मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से बाहर नहीं निकालते तो उन्हें *अन्न ले ५०० या १००० कोड़े खाने पड़ते हैं। देखिए सॅजिज्ज, फ़ार्ड ३ (सॅक्रेड बुक आफ दि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१३-३२)।* पर्वतों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एव कुत्ते खा डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है।

४० पियाज्जा बर्बेरिनो के पास रोम के कपूचिन चर्च के भूगर्भ कब्रगाहों की दीवारों में ४००० पादरियों की हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए फ़कल की पुस्तक 'पयूनरल कल्चर' (पृ० १३६)।

थे।<sup>11</sup> किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात् न तो उन्हें जलाया गया, न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद् (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान् गाड़ने की बात निकालते हैं— 'अतः वे अव भी उन मनुष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंध या पुष्प ?) एवं वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु असुरों, उनके शव-श्रृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असुरों में शव को गाड़ने की प्रथा संभवतः थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि 'हे वरुण, मैं मिट्टी के घर में न जाऊँ।' संभवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रखकर भूमि में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर श्मशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि हम शतपथब्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथर्ववेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है—'उन्हें वृक्ष कण्ट न दे और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे शवाधार (तावूत) एवं शव को गाड़ने की ओर संभवतः संकेत मिलता है।

यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिल के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास करते हुए कि 'मृत का भौतिक शरीरोत्थान होता है,' केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कभी तत्पर नहीं हुए। सन् १९०६ में क्रैमेशन एक्ट (इंग्लैंड में) पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समर्थित समतल भूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के अव्यक्त को प्राप्त होने लगी। कैथोलिक चर्च वाले अव भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे होते थे।

कुछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्रौतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से सुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा धर लाना चाहिए। रामायण में यह कई बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपूर्ण लम्बे द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४)। विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो अभी हुई हो।

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा सिन्धु घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्चय नहीं हो सका है। सर जान मार्शल (मोहेंजोदड़ो, जिल्द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उपरान्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी श्मशान-भूमियों का पता चला है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वर्णिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संभवतः

४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सर्वास्तानग्न आ वहं पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथर्ववेद (१८।२।२४) ।

पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से सबच रमती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि भग लोम गाडे जाते थे और दरद लोम एव लुपनक लोम अपने सबधियों के शवों को पेड पर लटकाकर चल देते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक बौद्धों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्बान मुक्त में बौद्धधर्म के महान् प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन पाया जाता है (४।१४)। इस ग्रन्थ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है—बुद्ध के अत्यन्त प्रिय शिष्य आनन्द न कोई पद ब्रह्मा, कुछ ऐंश शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, री पडे और पृथिवी पर घडाम में गिर पडे, और अन्य लोग (अहंत्) विमो प्रकार दुख को भौमाल सजे। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्ला के पाम गये, मल्ला ने घूप, मालाएँ, बाधधन तथा पांच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मल्ला ने शाल वृक्षों को कुज म पडे बुद्ध के शव की प्रार्थना मात दिना तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाया एव गथा से पूजा-अर्चनाएँ की और वे वस्त्रों में शव को ढँकते रहे। सातवें दिन वे भगवान् के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चमत्कार (६।२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर व बीच स होकर शव का लेकर चले और पूर्व दिशा में उस रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने अमाधारण एव पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविम्ब डग उनक लिए मान्य हा गया)। बुद्ध का शव नये वस्त्रों में ढँका गया और ऊपर से रूई और ऊन के च ग बांधे गये और फिर उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाधा गया, इस प्रकार वस्त्रों एव मूना के पांच मो स्तरों से शरीर ढँक दिया गया। इनके उपरान्त एक ऐंसे लाह के तैत्रपात्र म रखा गया जो स्वयं एक तैल्युक्त पान में रखा हुआ था। इसके पदचान् सभी प्रकार की गथा स युक्त चिन्ता वनायी गयी और उम पर शव रख दिया गया। तब महाकस्मप एव पाँच सौ अन्य बौद्धों न जा साथ म आय थ, अपन परिचाना को बना पर सत्राया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपन यज्ञोपवीत का धारण करते हैं), उन्होंने वदवाह हाकर सिर जुवाया और थडापूर्वक शव की तीन वार प्रदक्षिणा की। इनके उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त भगवराज अजातशत्रु विसारी के लिच्छवियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे गये। जिन्हे ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (घूप) बनवाये, मोरिय लोगो ने जिन्हे केवल राम मात्र प्राप्त हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दान) ने उस घडे पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, एक स्तूप बनवाया। श्री राइम डेविड्स न कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक प्रथा एव जन्म-मायाओं में अन्त्येष्टियाँ का वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रचलित धार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आस्वलायनगृहमूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।"

४२. देखिए जे० आर० ए० एस्० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एव ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोड के लेख, जो महापरिनिब्बान-मुक्त, दिव्यावदान, पाहिंयान के ग्रन्थ, सुमगलविलासिनो एव अन्य ग्रन्थों के आधार पर लिखे गये ऐंसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एव भस्म के बँटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लोड का कहना है कि पिप्रत्था अवशेष-मुक्त में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लगभग ईसापूर्व सन् ३७५) और जिसमें सात सौ बस्तुएँ पायी गयी हैं, भगवान् बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रस्तुत उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोड ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलानी है कि सघ्राट्, अशोक ने बुद्ध के अवशेष चिह्नों पर बने ८ स्तूपों में ७ को छोड़कर उनमें पाये गये अवशेषों को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रों

जब मृत के संबंधीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल कर हरी घास के किसी स्थल पर बैठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३।७ एवं गौ० पि० सू० १।४।२)।<sup>४३</sup> विष्णुधर्मसूत्र (२०।२२-५३) में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान् राजाओं एवं ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंभावी है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत् कर्म मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।<sup>४४</sup> इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल धर्म ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है।<sup>४५</sup> ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११=गुरुपुराण २।४।८१-८४) में भी पायी जाती हैं; 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पंचतत्त्वों से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं (भविष्य में जब कि प्रलय होता है)। यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त नहीं होगा? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' गोभिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नाशवान् है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके लिए रोना-कलपना क्या? केवल शुभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोभिल ने याज्ञ० (३।८-१०) एवं महाभारत को उद्धृत किया है—'सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, सभी उदय पतन को, सभी संयोग वियोग को और जीवन मरण को।'<sup>४६</sup> अपरार्क ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु

में परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया। इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन पर किया गया। राइट डेविड्स ने अपने ग्रंथ 'बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या धन से विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्मांश स्तूपों (पालि में थूप या टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते थे। वे खुले स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे।

४३. शोकमुत्सृज्य कल्याणीभिर्विभिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणैः सुकृतिभिः श्रुत्वाधोमुखा न्नजन्ति। गीतम-पितृमेघसूत्र (१।४।२)।

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०।२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के पद्यों (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०।४७ यथा धेनुसहलेपु आदि) शान्तिपर्व (१८।१।१६, १८।७।२७ एवं ३२।३।१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।७।८।२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु० (२०।४१) एवं शान्ति० (१७।५।१५ एवं ३२।२।७३)। देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३।७, -११), विष्णु० (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८)।

४५. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥ और देखिए शान्तिपर्व (३३।१।२०)।

पर वामुदेव द्वारा घृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (११२, पृ० २९२-२९३), मुद्रिप्रकाश (पृ० २०५-२०६) एव अन्य ग्रंथां ने विष्णु०, याज्ञ० एव गोमिल० के वचन उद्धृत किये हैं।

गरुडपुराण (२।४।९१-१००) न पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिन्ता पर) वलिदान अर्थात् मर जाने एव पतिव्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-बहुत लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री का अपने पति से पृथक् नहीं चलना चाहिए (अर्थात् साथ ही जल जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एव अथ नारियाँ ऐसा नहीं भी कर सकती। उमम यह भी लिखा है कि सती प्रथा सभी नारियाँ, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियाँ के लिए भी, ममान ही है, केवल गर्भ-वती नारियाँ वा या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसम यह भी लिखा है कि जब तब पत्नी सती नहीं हो जाती तब तब वह पुनर्जन्म से छूटकारा नहीं प्राप्त कर सकती।

गुरुजना का दार्शनिक उपदेश मुनेने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं वच्चा वा आग करके घर के द्वार पर सडे होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँना से चवाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, जल मावर एव श्वेत सरसा छूने हैं, इससे उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे-धीरे वे विन्तु दुदना से पाँव रखकर घर में प्रवेश करते हैं। गलत व अनुसार सन्निय द्वारा का दूर्वाप्रवाह (दूर्व की शाखा), अग्नि, वैल का छूना चाहिए, मृत को घर के द्वार पर विण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।<sup>१</sup> बंबवाप (सुडिनरुव, पृ० ३१९, निर्णयमियु ३, पृ० ५८०) न 'गमी, अस्मा (पत्थर) अग्नि का स्पर्श करते समय मन्त्रा के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है कि अपन एव पत्नी (गाय एव बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का मात्रन करी-दना या दूमर के घर से लाना चाहिए, उमम नमक नहीं होना चाहिए, उस कबल एक दिन और वह भी केवल एक बार खाना चाहिए तथा सारे कम तीन दिन तक स्थगित रखन चाहिए। याज्ञ० (३।१४) न व्यवस्था दी है कि उसक बत लाय हुए कम (३।१२) यथा—नीम की पत्तियाँ का कुतरने से लगर गृह प्रवेश तब के कार्य उन लागा द्वारा भी सग्ना दिन हान चाहिए जा सम्बन्धी नहीं है किन्तु 'गव को दान, उम गैवारन, जलाने जादि म मग्निमिदिन ये।

शागायनश्रौत० (४।१५।१०) आश्वलायनगृह्य० (४।४।१७ २७), बीजायनपितृमयगृह्य (१।१२।१०) वीणिकगृह्य (८।२।३३ ३५ एव ४२ ४७), पारम्बरगृह्य० (३।१०), आपगन्मवधम० (१।३।१०।४ १०), गोनमयम० (१।४।१५-३६) मनु (५।७३), बमिष्ट० (४।१४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु० (१९।१४-१७) मयन (३९ ४३), गरु (१५-२५), गरुडपुराण (श्रेणमण्ड, ५।१-५) एव अन्य ग्रंथां न उन लोगा (पुरुषा एव स्त्रिया) के लिए कर्त्तव्य नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि इमनात से लौटने के उपरान्त तीन दिन तक बसा करना चाहिए। शागा० श्रौ० न व्यवस्था दी है कि उन्हें शागी (किन्नरहीन) मूमि पर सोना चाहिए, कबल यानिच मात्रन करना चाहिए, वैदिह अनिया से सम्बन्धित कर्मों को करना रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या दो रातों के लिए या अमिय-सुषय करता तक करना चाहिए। आश्व० गृह्य० (४।४।१७-२४) न निम्न बातें दी हैं—उम रात उह मात्रन नहीं बनाता चाहिए, शरीर बर या अन्य के घर में प्रान्त मात्रन करना चाहिए, तीन रातों तक निमित्त या गान से प्रान्त नमक कर प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि मुख्य मूत्रा (रिन्ता, माता या बहु क्रमसे उतनयन-सम्बन्धित करामा हा या त्रिगा वेद पढ़ामा हो) में रिगों की मूत्र हो गया हा तो विष्णु म १२ रातों तक दान देना तथा बसाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३।१०) का

४६ दूर्वाप्रवाहमयि बुधमं चासम्य गृहद्वारे श्रेणाय विण्ड वरुवा पदवाप्रविशेत् । शंभ (मिता०, याज्ञ० ३।१३, परा० मा० ११२, पृ० २९३) ।

कथन है कि ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना चाहिए तथा वेदाग्निियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४।१४-१५) का कथन है कि संबन्धियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो बाजार से मँगाकर या बिना माँगे प्राप्त भोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ० (३।१७) एवं पार० (३।१०) ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर) पर रखकर यह कहना चाहिए—'हे मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दूध को पीओ।' याज्ञ० (३।१७), पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्य० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबन्धियों को श्रौत अग्निियों से संबन्धित आह्निककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास आदि) तथा स्मार्त अग्निियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए)। टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।८४) ने केवल श्रौत एवं स्मार्त अग्निियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे धार्मिक कर्म नहीं करने चाहिए। वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि (सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मार्त कृत्य दूसरों द्वारा करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० 'अन्य एतानि कुर्युः') ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं नैमित्तिक कृत्यों को, जो श्रौत एवं स्मार्त अग्निियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं किये जा सकते।

आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वयं श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५।८४)। यद्यपि गोमिलस्मृति (३।६०) ने सन्ध्या का निषेध किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल पृ० ४७८)। आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है। वैखानसस्मार्त० (६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाध्ययन अशौच की अवधि में छोड़ देना चाहिए। गौतम (१।४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में भी विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जा सकता है।

अस्थिसञ्चयन या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित है, यथा—शांखा० श्रौ० (४।१५।१२-१८), सत्याषाढश्रौ० (२।८।३), आश्व० गृह्य० (४।५।१-१८), गौ० पि० सू० (१।५), विष्णु० (१९।१०-१२), बौघा० पि० सू० (५।७), यम (८७-८८), संवर्त (३८), गोमिल० (३।५४-५९), हारलता (पृ० १८३)। यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२।८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें या नवें दिन और विशेषतः द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१।४।१७-१८) ने पहले, चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे



दिन तक अस्थियाँ पक्क कर लेने को कहा है और पुन (८८) कहा है कि चारों वर्णों में सचयन भ्रम में चोपे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। अश्व० गृ० (४।५।१) के मत में शकदाह के उपरान्त दमर्चें दिन (कृष्ण पक्ष में) न उपन होना चाहिए, किन्तु विषम विधियाँ (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या व दिन) में तथा उम नक्षत्र में, जिसका नाम दा या दा स अधिप नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात् दो आपादाआ, दो पालानुधिया एवं दा भाद्रपदाआ को छोड़कर)। विष्णु० (१९।१०), वैशा० स्मार्त० (५।७), कर्मपुराण (उत्तर, २३), कौशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१८) आदि ने कहा है कि सचयन दाह के चौध दिन अवश्य होना चाहिए। विस्तार के विषय में भी मतभेद नहीं है। आप० गृह० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं, पुरुष की अस्थियाँ अर्चिद्धित पात्र (एसे पात्र जिसमें बड़े गड या गाय आदि न उमरा हो) में पक्क करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ गण्डयुक्त पात्र में। विषम नग्ना में बूढ़ा ढाया (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकर की जाती हैं। कर्ता विताम्यल की परिणमा अपन वामाग का उम और करके तीन बार करता है और उस पर जलयुक्त दूध ग्रामी की टहनी से छिड़कता है और ऋ० (१०।१६।१४) व शौनिके का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अंगुली से अस्थियाँ उठाकर एक एक नग्ना में पात्र में वित्त स्वर उत्पन्न क्रिय रणी जाती हैं। सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अंत में निर की। श्रमिया को मली शौचि पक्क करके और उन्हें पडाडनेवाले पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में पक्क करके पा स्थान में रखा जाता है जहाँ चाय आर पानी जाकर एकत्र नहीं हाता और 'उपसर्प' (ऋ० १०।१८।१०) का पाठ किया जाता है। इसमें उपरान्त चिता के गड्डे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मनाञ्चारण किया जाता है। फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-मात्र का ढक्कन से बंद करते समय (ऋ० १०।१८।१३) का पाठ (उत्त के स्तनिम) किया जाता है। इसके उपरान्त चिता पीछे घूमे घर लौट आया जाता है। स्नान किया जाता है और कता द्वारा अकेले मून के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसूत्र (८२।२९ ३२) ने अस्थि सचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है।

नय सूत्रों ने कतिपय भिन्न वान दी हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। ६। एक वर्णों में हैं—सत्यापादयोः का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मन के घर की म्रियाँ (पल्लो आदि) विषम सख्या (५ या अधिक) में एकत्र करना है उनके अनाद में अन्य घरा की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिस अब बच्चा न उम्यन होनबाआ हो अपने वाय हाथ में गील एवं गाल रग के दो घागा से बहती फल बांधता है, वह बायें पैर को फल पर रखाती है और मवप्रथम दाता या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्टन' (तं० आ० ६।५।२) उञ्चारण के साथ पक्क करती है और उम किमा पात्र या बदन में रखती है। दूसरी स्त्री (उसो प्रकार की) कधो या बाहूओं की अस्थियों चुनती है। तीसरी पाद्यों की या कटि की अस्थियाँ चौधी जाँघ या पैरा की तथा पाँचवी पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। व या अन्य स्त्रिया सभी अस्थिया चुन लनी है। अस्थि-मात्र ग्रामी या पत्राय वृक्ष की जड़ में रखा जाता है।

आजन्त्र, विशेषतः कर्मों एवं ग्रामी में शकदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ सचित कर ली जाती हैं। अत्येष्टिपट्टनि उपयुक्त आश्व० गृह० की विधि का अनुसरण करती है। इसका कथन है—कर्ता विताम्यल की जाता है आचमन करता है काण्ड एवं स्थान का नाम लेता है और मून का नाम और गोत्र बालकर सकटप करता है कि वह अस्थिसचयन करेगा। अपने वामाग का विताम्यल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे समी का टहनी से बूहा करता है और उस पर शौनिके (ऋ० १०।१६।१४) के साथ दुग्मिश्रित जल छिड़कता है। इसके उपरान्त कता के साथ विषम सख्या में बूढ़ लोग अस्थिसचयन करते हैं और अस्थियों को एक नय पात्र में रखते हैं, किन्तु यदि अस्थियाँ किमी मून स्त्री का है तो वह एसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गड या शोध के चिह्न पडे रहते हैं। अस्थियों का शूर्प (सुप) स हुवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ भी चुनकर पात्र में रख दी

जाती हैं तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८।१२) के मंत्र के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढक्कन ऋ० (१०।१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली भाँति ढँक देता है कि कोई देख न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता है। निर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी चाहिए।

विष्णुधर्मसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपर्व (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहस्र वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का पुत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।<sup>१०</sup> निर्णय-सिन्धु ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसर्जन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है—कर्ता को ग्राम के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और अस्थियों को बाहर करना चाहिए। इसके उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।१५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम् आदि) के साथ अस्थियों को बार-बार छूना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों की) भस्म, मिट्टी, मधु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत एवं जल से दस बार स्नान कराना चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९।१।१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए;<sup>११</sup> इसके उपरान्त उसे मृत के लिए हिरण्य-श्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढँकना चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दर्भ, गाय के बालों, सन से बने वस्त्र, भूर्ज (भोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती,

४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, पृ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धृत किये हैं; तत्र शाण्डिल्यः—  
द्वारवत्यां सेतुवन्धे गोदावर्यां च पुष्करे। अस्थीनि विसृजेद्यस्य स मृतो मुक्तिमाप्नुयात् ॥ शंखलिखितां—गंगायां च प्रपन्ने च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत् त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत् ॥ पित्रोर्ऋणात्प्रमुच्येत तौ नित्यं भोक्षगामिनी ॥ इति। योगयाज्ञवल्क्यः—गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा शतद्रुती। सरस्वत्यां विशेषेण ह्यस्थीनि विसृजेत्सुतः ॥

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में 'शुद्ध' शब्द तेरह बार आया है अतः यह उचित ही है कि शुद्धीकरण में इन मन्त्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में 'शुचि' शब्द छः बार आया है।

मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रो ('उद्दीरताम्' आदि) के साथ अग्नि में घृत एव तिल की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए।

निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए।

आश्व० गृ० (४।६), सत्या० श्रौ० (४।६, परिधिकर्म) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौषा० पि० सू० (२।३।३) एव विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात् शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच कृत्वा शान्ति)। आश्व० गृ० में इसका वर्णन यों है—जिसके गुरु (पिता या माता) मर गये हों उमें अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि की राख एव उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घांश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का दायं भाग बरके और बायें हाथ से बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए, बैरा, दाढ़ी एव नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एव मूल धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए तथा शमी के पुष्पा की मालाएँ, शमी की लकड़ियाँ की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो टुकड़े अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एव चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी स्त्रियाँ हो उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्ण में अग्निहोत्र के समय कर्त्तों को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घांश के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्त्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बड़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से भरी गायारें, इतिहास एव पुराण कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सनाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चले जाते हैं तो कर्त्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलधारा गिराते रहना चाहिए एव ऋ० (१०।५३।६) का पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने के पश्चात् और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) मन्त्र के साथ चलने को बहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद बहता है ('वह उनके एव मृत्यु के बीच में पर्वत रखे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) के मन्त्र के साथ अपने लोग की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्-पृथक् हाथों के अँगूठा एव चौथी अँगुली (अनामिका) से एक ही साथ दर्माँकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्माँकुरों को फेंक देती हैं। जब तब स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अजन लगानी रहे कर्त्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८-७) का पाठ करना चाहिए—'ये स्त्रियाँ विषया नहीं हैं और अच्छे पतिया वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना चाहिए (ऋ० १०।५३।८ 'पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं'), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग अग्नि एव बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एव १०।१५।५) का पाठ करते हुए जलधारा गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नवीन किन्तु बिना धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के उपरान्त सूर्य के लिए प्रणित एव अन्य शुभ मन्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रो (ऋ० १।९७।१-८) के साथ

आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-भोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।४।१)।

शतपथब्राह्मण (१३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ० ने श्मशान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक सूचनाएँ दी हैं।<sup>५९</sup> शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही श्मशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायँ और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात् चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनर्वसु एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। श्मशान या समाधि चार कोणों (चतुःस्रवित) वाली होनी चाहिए, क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा—कुछ लोगों के मत से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और षक्का देकर न बहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाधि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायँगे। समाधि पर मध्याह्न-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊपर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड़ें हों। वहाँ भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा या पृश्निपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विभीतक, तिलक, स्फूर्जक, हरिद्र, न्यग्रोध या ऐसे वृक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा—इलेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायँगे। उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें न

४९. सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।४।२८) में आया है—अथैकेषां कुम्भान्तं निधानमनाहितानेः स्त्रियाश्च निव-पनान्तं हविर्याजिनः पुनर्दहनान्तं सोमयाजिनश्चयनान्तमग्निचित इति। यही वात बौधा० पि० सू० (२।३।२) में भी पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसर्जन-कृत्य की चार विधियाँ हैं—

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रौताग्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ (जिसमें केवल भात एवं धृत की आहुतियाँ दी जाती हैं) किया है, उनकी अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४।२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पुनर्दाह किया जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर ईंटों का चैत्य बना दिया जाता है या मिट्टी का स्तूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रथाएँ मोहेंजो-दडो एवं हरप्पा के ताम्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आक्योंलॉजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया, मेम्बायर नं० ३१, पृ० १३-१४)।

पडनीं हो उबर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बड़ा गड़ड़ा खोदना चाहिए जो पुरुषनाप के बराबर हो। और देखिए काल्या० श्रौ० (२१।३।१ एव ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापाडयो० (२१।१।२) में ध्ववस्था दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या प्रीष्ण मामा (ज्येष्ठ एव आपाट) के तुरंत पश्चान् आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जाती चाहिए।

जनपद ब्राह्मण (१३।८।२-४) में और आगे कहा है—देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करने नहीं बनाने। किन्तु अमुर, प्राच्य आदि उक्त पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आकार पर बनाने हैं। ममापि को बिना किसी पूर्वनिश्चित मर्यादा वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उम स्थल को (जहाँ समाधि बनने को होती है) पलास की एक शाखा से वाज० स० (३५।१ ध्रुव देवद्रोही यहाँ में माघ जाये) के उच्चारण के साथ बृंहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत का निवास-स्थान दे। इसके उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छ बैल जोड़ता है। 'जाता' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्राच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल को दक्षिण में उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पट्टा फार या कूंड) वाज० स० (४३।५।३) के अर्थान् 'बाम पवित्र कर मन्त्र के साथ जोतना है और उत्तर से पश्चिम जाता है, 'मविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम में दक्षिण जाता है, 'अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर जाता है, 'मूर्धं की द्यिता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु-वेद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूंड) जोतता है। इसके उपरान्त मीनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूर्वनिश्चित मर्यादा में जानता है। इसके उपरान्त बैला को छटका देता है (हल से अलग कर देता है)। बाहिनी आर (दक्षिण-पश्चिम में) वह बैला एवं हल को अलग करता है।

तत्पश्चान् कर्ता समी प्रकार की औपधिया या नाका को एक ही मन्त्र (वाज० स० ३५।४) के साथ बोधा है। इमं द्वाग अपने कुठ के लामा की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चान् एक बृद्धावस्था में ही मृत पाय। इमने उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उल्लेख देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिसमें कि बैना चयन समय उमके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० स० (३५।५ ६) के पाठ के साथ करता है। तब वह बिनी ग बहता है—साम रोक्वन् उन (दक्षिण) दिया की आर बडो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीठे देगे यहाँ लंड आओ। तब वह वाज० स० (३५।७) का पाठ करता है। इमने उपरान्त वह वाज० स० (३५।८-९) के साथ मृत की अस्थियों का अग-अग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अर्चिहिन ईंटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती हैं, नीचे मजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अनिचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता)।<sup>१)</sup> तेरह ईंटों में एक दूध

५० अग्नि-वेदिका की ईंटों पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस चयन का लख २, अध्याय ३५)। अनिचयन की ईंटें मनुष्य के पैर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि निर्माण में गुरुजनों का सम्मान होता है। जनपदब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवा एव तिनरों में पुरुषत्व प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि देवों शक्तिपूर्ण मनुष्य की शक्तियों में पुरुष होते हैं। अनिचयन में बट्टया पत्तों का आकार बनाया जाता है (देखिए द्रग प्रथम का लख २, अध्याय ३५)। इमो से जनपदब्राह्मण ने पत्तों एवं पुच्छों की चर्चा की है। शीतल पत्तों एवं तिनरों की लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकार्थक है। शत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य क्रम से पुण्य के हाथों (बाट्टों), मृत एवं जघामों का प्रतिनिधित्व करते हैं (श्रु० १०।९।०।१२)। काल्या० धी० (२१।५।१-१४) में शत्रिय के लिए एक विश्वरूप दिया है अर्थात् उसकी समाधि पत्तों के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए मनुष्य की सम्भाई के बराबर हो सकती है।

को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कवच का द्योतक है), तीन ईंटें सामने रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पार्श्व बन जाते हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात् वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से तेल मँगवाते हैं; कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए विना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैश्यों के लिए जंघाओं तक तथा शूद्रों के लिए घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है—“ये मेरे पाप को दूर करें (यवय) !” कर्ता समाधि को अवका नामक पीघों से ढक देता है, जिससे कि आर्द्रता बनी रहे और इसी प्रकार कोमलता के लिए दर्म लगा देता है।

समाधि के चतुर्दिक् खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंटि लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० = ऋ० १०।५३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पीघों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला कर और उसके चतुर्दिक् वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान् अग्नि को स्तुव से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० सं० (३५।१७) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५।१५) का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मंड का कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते।

सत्यापाढश्री० (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा—एक घड़े के वाजिन (एक प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं; कई वैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमाड़ते हैं।

सत्यापाठ श्री० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) जिसमें धवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से धवन किया जाता है।

लोष्टचिंतियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन संक्षेप में यो है—मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यंक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध भाग या बीच या पश्चिम अर्ध भाग में तीन मुंह वाली पलाय की खंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न व्यक्ति या ब्रह्मबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है—'क्या तुम मेरे पास रहोगी?' वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है—'(जो तुम चाहते हो) मैं नहीं कहूँगी।' यह बातचीत दूसरे दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है—'मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूँगी।' यदि यह विचित्र पद्धति (धवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ समोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित उत्तर देना होता है (अर्थात् तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते हैं तो वर्ता अस्थियों को खंटी की जड़ में रखता है और खंटी के निकले हुए तीन मुखा पर एक ऐसा घड़ा रख देता है जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँका रहता है। घड़े पर वह बाजिन युक्त दही छोड़ता है और 'वैश्वानरे हविर्दम' (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाठ श्री० (२९।१।२६-२९) ने व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने मिर की दाहिनी ओर की चोटी बंधते हैं और बायी ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूने हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेर रहता है, अपने बस्तों से उसको हवा करते हैं और घड़े की बायी ओर से खंटी की परिक्रमा करते हैं, ऐंमा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं, बोधा बजायी जाती है, शख फूँके जाते हैं और नालिक, तूण, पणव आदि घ्राय बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर्थात् मास, मास भर या वर्ष भर चलता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोजन, घन (मोना आदि) का दान किया जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवल मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बोधा० पि० सू० (१।१७।८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रा ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्री० (२९।१।५-६) के अनुसार श्मशाना-घटन (श्मशान या समाधि का आयतन—लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छ तथा अन्य दिशाआ से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्री० सू० का कथन है कि ऊँचाई दो अगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फंका दिये जायें) या एक चित्तस्ति (घरह अगुल) या वह घुटनों या जघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ० पि० सू० (१।१८), कौशिकसूत्र (८।४४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं।

एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी के घाँव या लोदे (तमी समाधि को लोस्ट-चिन्ति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में चार से ईंटें लगती थीं और सत्या० श्री० (२९।१।५३), बोधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२=अथर्व० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१)। ऋ० (१०।१८।१२) में स्तम्भों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्तूणा (धुन्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं

उनमें लकड़ी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वर्णित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है।

सत्या० श्री० ने २८वें प्रश्न में पितृमेघ एवं २९वें प्रश्न में ब्रह्ममेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर सत्या० श्री० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुर्होतारः' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१२।५) और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० श्री० के २८ एवं २९ प्रश्न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्री० में वर्णित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत में नहीं होता। धवन का उल्लेख वीधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्री० सू० (२।१।३।६) में भी हुआ है।

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा— शवदाह (शव को जलाना), अस्थिसंचय एवं अस्थि पात्र को पृथिवी के भीतर गाड़ना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के ऊपर श्मशान या समाधि निर्मित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। रुद्रदामन् के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६, पृ० २३-२५, अन्वी शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३)। अपरार्क द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में वहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) का निर्माण कर देना चाहिए।<sup>५१</sup>

सत्या० श्री० (२८।२।२८) एवं वी० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक अभिनयाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए है, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या ईंटों का श्मशान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि वेवीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा नहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्-वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधर्मसूत्र ने स्त्रियों को पातिव्रत धर्म निवाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं।

अन्त्यकर्म-अधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथमिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१।५।१३-१४) का कथन है कि 'पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (भाई-भतीजे), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या

५१. गृहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत् । ततः संमार्जनं भूमिः कर्तव्यं गोमयाम्बुभिः ॥ . . . भूमेरा-च्छादनार्थं तु वृक्षः पुष्करकोऽथवा । एडूको वा प्रकर्तव्यस्तत्र सर्वैः स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपरार्क, पृ० ८८६) । यही वचन त्रिशच्छ्लोकी (श्लोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी के अर्थ में लिया है और एडूक को पट्टकः पट्टा है और उसे 'चत्वर' (चतूतरा) के अर्थ में लिया है।



मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अभाव में सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है—(मृत के) पुत्र, पौत्र, (मृत के) भाई की सतति एवं सपिण्ड की सतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२१ या १९।२३, सस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ विना मन्त्रों के श्राद्ध-कर्म कर सकती हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किमी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।<sup>१</sup> मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिषय (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्षित-सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन्हीं सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो सतति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुधर्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है—जो भी कोई मृत की सम्पत्ति रिषय में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।<sup>१</sup> यही बात याज्ञ० (२।१२७) ने क्षेत्रज्ञ पुत्र के लिए बही है (उभयोरप्यसौ रिषयो पिण्डदाता च धर्मतः)।

स्मृत्यनुसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम या दिया है—'पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधिकारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं, इनके अभाव में भतीजा, भाई, पतीहू, पुत्री, पुत्री का पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाटी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म में योग्य नहीं जानता है और न बड़ा भाई छोटे भाई के श्राद्धकर्म के योग्य माना जाता है, ये लोग स्नेहवरा वैसा कर सकते हैं जिन्से सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता पिता कुमारी कन्याओं को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (वर्त) के अभाव में विवाहित कन्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं।

५२ पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्वात्पत्यभावे तु सोदरः ॥ इति (स्मृति-  
च० २, पृ० ३६५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पुत्र पौत्र प्रपौत्रो वा तद्वदा भ्रातृसततिः। सपिण्डसततिर्वापि  
क्रियार्हा नृप ज्ञायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः। मानुषदत्तय पिण्डेन सबद्धा ये जलेन च ॥ कुलश्रेयेऽपि  
क्षोरात्तत्रे त्रैभिः कार्यं क्रिया नृप। सपातान्तरांगैर्वापि कार्यं प्रेतस्य च क्रिया ॥ उत्सन्नप्रदुषिष्याणां वारयेदवनीपति ॥  
विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३, अपराहं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० १।२, पृ० ४६१;  
दृष्टितत्त्व पृ० ३८३)। विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डानु तदभावे  
सहोदराः। मानुः सपिण्डा दे च तस्यै वा मानुः सहोदराः ॥ कुपुंरेन विधि सम्पन्नपुत्रस्य सुतासुतः ॥ कुपुंर्मातामहायं  
पुत्रिणाग्नयास्तया ॥ सर्वभावे रिषयः कुपुं स्वभर्तुणाममत्रहम् ॥ तदभावे च नृपति वारयेत् स्वकुटुम्बिना ॥ तद्वदा  
सोदरं सम्पदाहाद्याः सक्त्या क्रिया। सर्वेषामेव वर्णानां वाच्यो नृपतिपंतः ॥ मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२४,  
स्मृतिच० २, पृ० ३३६, परा० मा० १।२, पृ० ४६३)। और देखिए बृहस्पतिपुराण (२२।०।७६-८०)।

५३ मृतय रिषयघाहिना देन केनापि राजपन्तेनीपन्धेदृष्टिं ब्रह्माहर्तं कार्यम्। तथा च विष्णु—  
धर्मार्थं त रिष्यस्यो स्मृत इति। व्यहृत्तमसृण (पृ० १४५)।

पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और स्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवधू सास को पिण्ड दे सकती है, भाई एक-दूसरे को, गुरु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायभाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २।१२८-१३२); इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है—औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात् वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे छोटे को नहीं)। यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य माइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात्-वाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य—१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डीकरण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुनः करता है। यदि पौत्र ही और उसका उपनयन हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पृ० ४६५; निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३)। मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह वैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शश्राद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टिकर्म, वार्षिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अलग न हुआ हो, या वह अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा—निर्णयसिन्धु एवं धर्मसिन्धु (भार्यायापि समन्त्रकमे-वीर्ध्वदैहिकादिकं कार्यम्) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, यथा—मार्कण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा हो तो उसका सोदर भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीयता प्राप्त होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त भाई और तब भतीजा। माइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके

उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोहू और अन्त में बहिन। अपनी बहिनो, सौतेली बहिनो, छोटी एव बड़ी बहिनो के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो माइयो के विषय में हैं, बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई, अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होने हैं।<sup>१४</sup> इन लोगों के अभाव में माता के सपिण्ड लोग, यथा—नाना, मामा एव ममेरा माई, माता के सपिण्डों के अभाव में भ्राजा या मौमी के पुत्र; इनके अभाव में पितृबन्धु, यथा—पिता की भ्राजा के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा—माता की भ्राजा के पुत्र, इनके अभाव में मृत का शिष्य, शिष्य के अभाव में मृत के दामाद या स्वभुर, इनके अभाव में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है, यदि मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया एव श्राद्धकर्म कराता है।

धर्मबिन्दु (पृ० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यो है—कुमारी कन्या के विषय में पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके माई आदि, यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र, इनके अभाव में पति, पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र, इसके अभाव में देवर, तब देवर का पुत्र, इसके अभाव में पतोहू, तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका माई, इसके उपरान्त उसका भतीजा तथा अन्य लोग।

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित होने चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एव माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एव आचार्य के शवों को धो सकता है, शवदाह एव अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचारी दम दिना तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानना है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्य बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाले अन्य सम्बन्धियों के लिए पक्काया गया भोजन नहीं करना चाहिए और उनके साथ निवास करना चाहिए, यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ना है और पुनः उपनयन सन्तार से अभिषिक्त होना पड़ता है।

यह निश्चित-सी बात है कि बोधायन, लिंगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, शिव-दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो

५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पर्य है आठवीं पीढ़ी से लेकर चौदहवीं पीढ़ी तक का समान गोत्र वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। गोत्र का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही पूर्वज से चौदहवीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो।

वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक् कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८)। गीतमधर्मसूत्र (२०।२) एवं मनु (१।१।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा—जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशीच मनाना।<sup>५५</sup>

बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्धनों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति को मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयी हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से लेकर १२ दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोद्दिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वार्षिक दिन पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी बाँटा गया है, यथा—नवश्राद्ध (मृत्यु के पश्चात् दस दिनों के कृत्य), नवमिश्र ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के उपरान्त किये जाते हैं)।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एक पत्थर पर एक अंजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर (प्राचीनावीती) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो सके। पिण्ड पर तिल-जल, भृंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिघनो देवः शंखचक्र-गदावरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत)। इसके अतिरिक्त आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मा के नाम दिये हैं, जिन्हें नवश्राद्ध (या विषम श्राद्ध) की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा—पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं। इनमें विना पका भोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।१।३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्धु पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० २१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धों का उल्लेख किया है। वौ० पि० सू० (२।१०।६) ने पाँच की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनुमति नहीं देते। कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष विना पका अन्न रखने की व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम-स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं बृहद-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जायँ। गरुडपुराण (प्रेतखंड ३।१।२७-२८; ४४, ४८) का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग वन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा

सूक्ष्म वायु में ही सतरण करता रहता है। नवश्राद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नहीं देख रहे हैं। नवश्राद्धों के विषय में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पद्मपुराण (सृष्टिसंखण्ड, १०११९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धों के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है।

आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात् मृतार्त्मा के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उन स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पादित हुए थे, वहाँ वह सकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है—'यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका यह नाम है, यह गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली मूख एव प्यास मिट जाय।' इसके उपरान्त वह तिल-जल देता है। मृगराज एव तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिघन' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरमुरी मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर मात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है—'यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ इस नाम एव इस गोत्र वाले मृतार्त्मा के पास जाय जिससे उसकी मूख एव प्यास मिट सके।' पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर के घड़ों में समझी भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोग के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा यम, कौआ एव खट के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं, कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते हैं और अन्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था पते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी पर चन्दन, छत्र, झडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात् पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं जाना या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहना है। "तव अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अजलि मा दो अजलि जल जलाशय के शट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात् परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एव नख बटाने हैं। तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एव तिप्यफला से स्नान करते हैं, पवित्र एव सूखे यस्त्र धारण करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं।

कुछ पुराणों एव निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक<sup>५६</sup> शरीर धारण

•

५६ आधुनिक काल में कौए द्वारा पिण्ड-भोजन को छूने या उस पर धोच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छूता तो मृतार्त्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड ग्रीध्र हो छू लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की शरीर अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। शुद्धिकीमुनी (पृ० १३५) ने काकबलिदान की प्रथा की ओर संकेत किया है—तथाचारात् काकबलिदानम्। पिण्डोद्यमस्य पात्रे हृत्वा अयुक्तगोत्रस्य प्रेतस्थायुक्तशमणो विशेषतुक्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एष बलिर्न मम इत्युत्सृज्य हृत्वाज्जलि—काक त्व यमव्रुतोसि गृहाण बलिमुत्तमम्। यमलोकागत प्रेयं स्वमाध्यायमितुमर्हसि ॥ काकाय काकपुरपाय वायसाय महत्तमे। तुम्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तुप्तिहेतवे ॥

५७. तत्तथादेव शुद्धेति शरीरमातिवाहिकम्। ऊर्ध्वे व्रजन्ति भूतानि त्रीण्यस्मात्तस्य विग्रहान् ॥ आति-

कर लेता है, जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात् अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकस्तांल्लगात्), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने आत्मा को अर्चियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अर्चियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष-रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात् आतिवाहिक या प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिशाच की स्थिति में रहता है।<sup>५८</sup> जिससे वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय (वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तर्निहित धारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्भूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में

वाहिकसंज्ञोऽसौ देहो भवति भार्गव । केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित् ॥ प्रेतपिण्डैस्ततो दत्तैर्देहमाप्नोति भार्गव । भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम् । इमाशानिकेभ्यो देवेभ्य आकल्पं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोद्भवाः । ततः सपिण्डीकरणे बान्धवैः स कृते नरः । पूर्णं संवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वर्गं वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पृ० १३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४) । गोविन्दानन्द ने 'त्रीणि भूतानि' को 'पृथिव्यप्तेजांसि' के अर्थ में लिया है और इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भी यही बात कही है—'उत्क्रामन्तं . . . ज्ञानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि । . . पुत्रादिभिः कृताश्चेत्स्युः पिण्डा दश दशाहिकाः । पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चकृतां ब्रजेत् । पिण्डतो यदि नैव स्याद्वायुजोर्हेति यातनाम् ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५।-१०)। ब्रह्म० ने कहा है—'विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम् । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मजम् ॥ . . . स्वशरीरं समुत्सृज्य वायुभूतस्तु गच्छति । (२१।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किञ्चिदासाद्य देही प्राणैर्विमुच्यते । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२३०।२-३); गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम् । आकाशवायुतेजांसि विप्रहादूर्ध्वगामिनः ॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः । आतिवाहिकदेहं तु यमद्वृता नयन्ति तम् ॥ अग्नि० (३७।१९-१०) । मार्कण्डेय० (१०।६३-६४) का कथन है—'वायव्यसारी तद्रूपं देहमन्य प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातनार्थं न मातापितृसम्भवम् ॥'

५८. यस्यतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश । पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ यम (श्राद्धक्रिया कौमुदी, पृ० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वार्थकौमुदी) । यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।१३१) में भी पाया जाता है ।

गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण कमजोर होता है (मार्कण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नवीन धारणा है। इसकी ओर सकेत आरम्भिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, त्रिनका अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है)। यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में निष्कृत पुरोहितों को भोजन एवं भेटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममांज पश्चात्कालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या पिण्डों के रूप में भोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीन विधि है।

## अध्याय ८

### शुद्धि

शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (वरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत अशौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है—'वेदबोधित-कर्माहिता शुद्धिः' अर्थात् 'वेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 'शुद्धि' शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में तृतीय अध्याय का आरम्भ इस घोषणा से हुआ है—'मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।' याज्ञ० (३।१४।२५) में भी 'शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेधार्थक अव्यय से संयुक्त 'शुचि' से निमित्त हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (हारलता, पृ० २।९ एवं ३६)। 'आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अघ' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं १०।११७।६) में 'अघ' का अर्थ है 'पाप'। किन्तु शांखायन श्रौ० (४।१।५।११) एवं मनु (५।८।४ 'न वर्धयेदघाहानि') में 'अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, मूत्र आदि निकलता रहता है।

मिता० (याज्ञ० ३।१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, जो मूत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः 'संग्रह' नामक ग्रन्थ के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गीतम० १४।१) ने 'आशौच' को धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की

१. इगन्ताञ्च लघुपूर्वात् (पा० ५।१।१३१; अण् अनुवर्तते)—शुचेर्भाविः कर्म वा शौचम्। न शौचम् अशौचम्। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं—न शुचि अशुचि, अशुचेर्भाविः कर्म च आशौचं वा अशौचम् (देखिए पा० ७।३।३०=नजः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्)।

२. जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुधावति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्यं दशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। देवल (शुद्धि०, पृ० ४१)।



हीनता, अमोक्ष्यान्तता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक मट्टाचार्य ने 'शुद्धि' को 'पाप क्षय करने' या 'धार्मिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पद-शोचि (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिमाण को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने भी 'आशौच' की दो विशेषताएँ बतायी हैं; यह धार्मिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में चरघर ने कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' वह विशेषता है जो 'शुद्धि' की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है।

आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, जिसे शावाशौच, मृतकाशौच या मरणाशौच कहा जाता है। 'शाव' शब्द 'शव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन बर लेता है, तो उसे तन्तुमान् अग्नि के लिए आठ कपालों पर बना हुआ पुरोडास आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुन', अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८), (२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दश ६।१ एवं गोमिल० ३।४८)।

एक प्रश्न उपस्थित होता है—जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर क्या आती है? इस प्रश्न पर बहुत कम लोगो ने विचार किया है। हारीत का कथन है—कुल को मरणाशौच होता है, क्योंकि मरण से वह अभिमूत (डुबी एवं निरास) होता है और जब कोई नया जीवन प्रवृत्त होता है तो कुलशुद्धि होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है।

आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। गृह्यो, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में

३. आशौचं द्विविधं कर्मानधिकारलक्षणं स्पृश्यत्वलक्षणं च। स्मृतिम० (पृ० ४७७)।

४. तदाहृत्यं आहिताग्निर्वेदि सूतकाशौचं प्रादनीयात्का तत्र प्रायश्चित्तसिद्धिरिति। सोमनये तन्तुमतेऽष्टाकपालं पुरोडासं निर्वपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तु तन्वन् २जसो भानुमन्विष्टक्षानहो गृह्यतनोत सोम्या इति। आहुति वाहवनीये ऋतुवारानये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२।८)। 'तन्तु तन्वन्' एवं 'अक्षानहो' नाम ते ऋग्वेद की १०।५३।६ एवं १०।५३।७ ऋचाएँ हैं।

५. सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः शीतस्तु कर्मण्यः शुक्लान्तेनापि वा कर्तव्यः॥ गोमिल स्मृति, जिसे एन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारस्त, पृ० ६, श्रु० की० एवं आश्रम० पृ० ८३)। सूतकं तु प्रवृत्तं धार्मिकं जन्ममृत्युनिमित्तकम्। यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुपूर्वकः॥ दश (६।१); अश्वत्थामनामै पार्थानि शश्व-सान्धुवतयावृथा। भद्रवेदस्थितसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्॥ गोमिल० (३।४८)। अन्तिम का चौथा पाद हारस्त (पृ० २) द्वारा उद्धृत है।

विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मन्व काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्णों के लिए आर्गोन से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बँटाने में असमर्थता प्रकट की है और उद्धोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है। मदन-पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और श्य विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। विभिन्न स्मृतियों ने एक ही ममत्या को किन् प्रकार किया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि (८३), पराशर (३।५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आर्गोन से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रोताग्निवा नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं व्यक्त किया है कि वे अवधियाँ किन्के लिए हैं। वृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १।४।१ की टीका में) के मत से वेदज्ञ एवं आग्निवाग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रोताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल ब्राह्मण है (अर्थात् न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने दृष्टापूर्वक कहा है कि आर्गोन के दिनों को आलम्ब्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४)। यह सम्भव है कि श्रोत्रिय लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने की सन्नद्ध न हुए हों, अतएव आगे नलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान् हों या न हों और अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिचर्जों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)।

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दक्ष (६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१।५।२-३), मत्स्यपुराण (१।८।२-३), ब्रह्मपुराण (२।२०।६३), विष्णु० (२।२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० (१।५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशीचावधि दी है, किन्तु वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने अपने "नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों" के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशीच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण १० दिनों में आशीच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशीच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोकनीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशीच केवल दस दिनों का मनाया जाता है। पराशर० (३।१७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी

६. इत्येवमनेकोच्चावचाशीचकल्पा दर्शिताः। तेषां लोके समाचाराभावात्प्रातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते। मिता० (३।२२); लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारतो व्यवस्था। उत गुणवदगुणवद्विषये यथाक्रमं न्यूनाधिककल्पाश्रयेण निर्वाहः। किंवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था। मदनपारि० (पृ० ३९२)।

वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अवश्यीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग ११०० ई०) के बहुत से वर्णित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्धु (सन् १६१२ ई० में प्रणीत) ने कहा है।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए असूय्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयी, इसी प्रकार स्मृत्ययंसार ने भी विज्ञानेश्वर की बातें नहीं मानी हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियाँ, पुराणों एवं निबन्धों में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अन्तर्गत बहुत से विषयों के बारे में कुछ विरोध कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है—पथमत के निबन्ध हैं जो पथ में हैं। आशौचाष्टक (वरदाचि द्वारा लिखित) में आठ सधरा श्लोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीकाकार हैं जिन्होंने गीतमयमसूत्र के मस्वरी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशश्लोकी नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। मण्डारकर आरियण्डल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो सवन् १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थी, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञानेश्वर—योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर ने कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकण्ड स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मंसूर यूनि० सञ्चलन प्रकाशन, स० ५६)। रघुनाथ की टीका के साथ त्रिशच्छ्लोकी में आशौच पर ३० सधरा छन्द है। कौशिकदित्य की पदधीनि (अनुष्टुप छन्द म ८६ पद्य) विनायक उर्फ नन्द पण्डित (सन् १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द वृत्त), रघुनन्दन वृत्त शुद्धितत्त्व, शुद्धिप्रकाश (भिव मिश्र के बीरमिनोदय का एक अंश), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिगुणपाठ अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने ग्रन्थों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे।

आशौचावधिषाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में मितता मानी गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था अर्थात् वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है आशौचावधि के लिए परिभाषित होती थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन सस्वार से युक्त होने या न हान पर भी निर्भर थी। यह जानि पर भी आधारित थी और यह भी देखा जाना था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी निर्भर थी, और यह भी देखा जाना था कि कितने दिनों के पश्चात् जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा। निम्न बातों में अशुद्धि की तीव्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी—मृतिका (हृत्क में बच्चा जन्म हुआ नारी), रजस्वला, मरणशुद्धि, जन्मशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी)।

दश (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये हैं यथा—नास्तकालिक शौच वाग्ना (केवल स्नान करने से समाप्त), एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।\* दश ने इन सभी

आशीचावंचियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर मसम हो जाने तक चले) के विषय में दक्ष (६।८-१०) का कथन है कि जो लोग विना स्नान किये भोजन करते हैं या विना देवाहुति दिये या विना दान दिये ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्य (लोभी, अर्थात् जो धन के लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धार्मिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से च्युत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेर्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रद्धा-त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अवार्मिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (मसम हो जाने अर्थात् मर जाने के उपरान्त चित्ता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।<sup>१</sup> इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात् यह केवल अर्थवाद है जो मर्त्सना मात्र प्रकट करता है)।

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे।

वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।२) में वर्णित श्नःशेष की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है)।' और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है—'अतः बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।'<sup>२</sup>

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्त्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्भ गिरने को पात तथा सातवें या इसके पश्चात् के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं पडशीति, श्लोक ९)। स्त्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों पश्चात् वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, स्त्राव में केवल पित्त को भी अशुद्धि लगती है किन्तु पात में पित्त के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पित्त तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या याज्ञ० (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवल

चाण्यद् दश पक्षास्तु सूतके। दक्ष (६।२-३)। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरार्क (पृ० ८९४); परा० मा० (१।२, पृ० २०७)।

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदस्त्वा ये तु भुञ्जते। एवंविधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम् ॥ व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा। क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत् ॥ दक्ष (६।८-१०; विश्वरूप, याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १५; हारलता, पृ० १४; अपरार्क, पृ० ८९३)। षडशीति का अन्तिम श्लोक उपर्युक्त प्रथम श्लोक के समान ही है। कूर्म-पुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है—'क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। यथेष्टाचरणस्येह मरणान्त-मशौचकम् ॥' (हारलता, पृ० १५)।

९. अजनि वै ते पुत्रो यजस्व माज्जेनेति। स होवाच यदा वै पशुनिर्देशो भवत्यथ स मेध्यो भवति। ऐ० ब्रा०

तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशीच मनाते हैं (धर्मसिन्धु, पृ० ४२७)। यही निर्णय कुछ भेदों के साथ गौतम (१४।१५-१६), बौधायन ४० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ० (३।२०) एवं आशीचदशक (प्रथम श्लोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसब में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ट्हरते (या० ३।९१)। प्राचीन काल में पिता के जननाशीच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १।५।१२५-१२८)। यद्यपि जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिना तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) धार्मिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती। प्रचेता के मत से सभी वर्णों की स्त्रियाँ बच्चा जनने के दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशीच नहीं रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशीच मानना पड़ता है (धर्मसिन्धु पृ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती। जब सगोत्रा को जननाशीच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पद्मश्रुति, श्लोक ६)।

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अह' (दिन) या रात्रि के आशीच की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशीच के दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशीच के दिन का आरम्भ समझ लेना चाहिए (आशीचदशक, श्लोक ४, कूर्म, उत्तरार्ध २३।५२)। पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है—'यदि कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना चाहिए और आशीचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के दूबे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना चाहिए, यदि आशीचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक 'आशीच' का पालन करना चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है—'यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें ज्ञात न हो और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।'

अब हम मरण के आशीच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है, अतः पर्याप्तकालीन ग्रन्थों (यथा धर्मसिन्धु) का ही हम विरोध उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशीच से व्यक्ति अस्पृश्य एवं धार्मिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः कहा है कि मरणाशीच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशीच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१)। यदि बच्चा दाँत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशीच करना पड़ता है (और देविए याज्ञ० ३।२३; शाल १।५।४; अथि ९५ एवं आशीच-दशक, श्लोक २)। यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात् किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात् तीमरे वर्ष के अन्त में मर जाय तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशीच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, शाल १।५।५), किन्तु ऐसी स्थिति में माता-पिता को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीमरे वर्ष की मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात् और उपनयन या विवाह (लड़कियों के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशीच मनाते हैं, किन्तु समाप्तोदक लोग स्नान के उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गीतम० १।४।१; मनु

५।५९; आशीचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशीच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशीच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में) के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशीचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त एवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशीच मनाना चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त (यदि शूद्र अविवाहित हो) तो नमी सपिण्डों की आशीचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशीच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं मध्य में एक रात) का आशीच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशीच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशीच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशीच मनाना होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर भाग)। यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशीच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशीच होता है, किन्तु यदि वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशीच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो आशीच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशीच निवाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता है तो मानजे के लिए आशीच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी को एक पक्षिणी का आशीच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन का आशीच होता है। यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशीच लगता है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशीच करना पड़ता है। नानी के मरने पर नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशीच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशीच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशीच लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशीच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशीच मनाते हैं (अर्थात् उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशीच का नियम पालन करते हैं)।

दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशीच लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशीच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु

समुदाय में मरने पर श्वशुर एव सास को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन-संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है।

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पशुपि का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-वहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है।

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार के होते हैं, आशौच एक पशुपि का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो, किन्तु जब बन्धु उपनयन-संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एव उसके तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एव मातृबन्धुओं में दूसरा नियम पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशौच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके पितृबन्धु एव मानृबन्धु आशौच नहीं मानते।

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एव गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है (व्यवहारमयूत्र यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का।

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ना है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एव गोद लेनेवाले पिता के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब समान सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो प्रथम से आशौच १० दिनों का तीन दिनों का होता है।

जब आचार्य मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में मरता है तो एक दिन का (गौतम० १४।२६ एव ५२ तथा मनु ५।८०)। आचार्यपत्नी एव आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक

१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु। इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण तीन श्लोकों (बीषायन या शातातप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं—आत्मपितृबन्धुः पुत्रा आत्ममातृबन्धुः सुताः। आत्ममातृबन्धुः पुत्राः आत्मपितृबन्धुः सुताः। पितृ-पितृबन्धुः पुत्राः पितृपितृबन्धुः सुताः। पितृमातृबन्धुः पुत्राः आत्मपितृबन्धुः पुत्राः आत्ममातृबन्धुः सुताः। मातृ-मातृबन्धुः पुत्राः मातृपितृबन्धुः सुताः। मातृमातृबन्धुः पुत्राः आत्मपितृबन्धुः पुत्राः आत्ममातृबन्धुः सुताः। मिता० (याज्ञ० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० भा० (३, पृ० ५२८); मदनपत्र० (पृ० ६७५)। अन्य विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९।

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे बन्धुपुत्र एवं उपनिषर्तों के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक् कहा है जो अन्नपादान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्टोम जैसे पूज यज्ञों के सम्पादन के लिए बुना जाता है।

दिन का आशौच निश्चित किया गया है।<sup>१२</sup> गुरु (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर तीन दिनों का और जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक् (यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४।१९-२०) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का आशौच निर्धारित करता है।

आचार्य एवं ऋत्विक् की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदृश था।

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है।

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु (पृ० ४३२) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसवे में इस नियम की छूट है।

धार्मिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई श्वपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना चाहिए।

अतिक्रान्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही आशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ० (३।१०)। आशौच व्यक्ति की क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन)। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छद्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे

१२. आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यसहाध्यायिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण। विष्णुधर्मसूत्र (२२।-४४)। 'श्वशुर्य' का अर्थ है स.ल। मनु (५।८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा श्रोत्रिय की मृत्यु पर तीन दिनों के आशौच की व्यवस्था दी है। यही बात गौ० (१४।२६) में भी पायी जाती है।



उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्विसचयन से पूर्व ही समाचार पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)। दस दिनों के उपरान्त सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतंभय नहीं है। मनु (५।७७) के मत से यदि जनन एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-सर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु ने मिता० का अनुसरण किया है। मनु (५।७६), शाल (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण-समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशौच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में बृद्ध-वसिष्ठ ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर सन्देश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ-मासों के भीतर सन्देश मिलने से एक पक्षिणी का आशौच लगता है, छ मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर सन्देश सुनने से एक दिन का तथा नौ मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) ने कहा है कि यह नियम माता पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पंडीनासि तथा अय स्मृति का उद्धरण दिया है कि जब भी कभी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का सन्देश सुनता है, एक वर्ष के भीतर या उसके पश्चात्, तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मानना चाहिए। लघु-आश्वलायन (२०।८८) ने भी यही बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन-संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदको के लिए निर्धारित तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम लागू है उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त भी, चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता पिता औरस पुत्र की मृत्यु का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि तीन दिनों की होती है छ मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच लगता है। इस विषय में भी अनेक मत हैं, यथा माधव एवं अन्य लोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश (पृ० ४९-५१)।

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अय देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों के भीतर मिल जाना है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वही एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या बंधानस (बनवासी यति) या सन्यासी की मृत्यु पर स्नान

मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डों के लिए लागू होता है।" पडशीति (३५) में भी ऐसा ही आया है।" मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोकों का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिभाषा दी है—'जहाँ बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक् करता हो या जहाँ की भाषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कहलाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।" इस विषय में भर्तृह्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति-च० एवं पडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन््यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि-विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत एवं भाषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वर्णित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५।

धर्मसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायँ तथा उसकी अस्थिर्या न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है।

गृह्यकारिका, स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४), धर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समाचार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह अवेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ीती में चला गया हो, तो चान्द्रायण व्रत या ३० कृच्छ्र

१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम् । देशान्तर-मृतं श्रुत्वा बलीचे वैखानसे यती । मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्त्रावे च गोत्रिणः ॥ इति । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, ३।२१) ।

१४. ज्ञातिमृत्यो यदाशौचं दशाहात्तु बहिः श्रुती । एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ पडशीति (३५) ।

१५. देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम् । महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके षड्विंशत्ययोजनमायतम् । चत्वारिंशद्वदन्त्ये त्रिंशदन्त्ये तथैव च ॥ इति । मिता० (याज्ञ० ३।२१) । प्रथम श्लोक को अपरार्क (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० ५२) ने बृहन्ननु का माना है और शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बृहन्ननु का माना है । स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बृहन्ननु का एक अन्य-पाद जोड़ा है और यही वात पडशीति (श्लोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा—देशनाम-नदीभेदो निकटे यत्र च भवेत् । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा । लघ्वाश्वलायन (२०।८७) में आया है—पर्वतश्च (स्य ?) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । त्रिंशद्योजनदूरं वा सद्यः-स्नानेन शुष्यति ॥

करने चाहिए, कुश या पलाश-दलो की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच बनाकर श्राद्ध आदि करना चाहिए।

निष्कर्ष—मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एव उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढग से समझाया है—(१) जनन एव मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा (क) गर्भ (गर्भलाव, गर्भपात, यथा शक्य १५।४ एव बृहत्पराशर ६, पू० १८६ में), (ख) जब ७वें या ९वें मास में भ्रूण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० ३।२३ एव अत्रि ९५), (ग) दाँत निकलने किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एव याज्ञ० ३।२३), (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७); (ङ) उपनयन के उपरान्त (याज्ञ० ३।२३, मनु ५।५९ एव गौतम० १।४।१), (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-ऋत्यो पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्ज-वृत्ति पर रहता था (पराशर ३।५, शक्य १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी (गौतम १।४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात् प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १।४।१ एव १८ तथा मनु ५।५९ एव ६४), (झ) मृत्युस्थल की सन्निकटता एव दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (लघ्वाश्वलायन २०।८५ एव ८९); (ञ) यह महानदी, पर्वत या ३० योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (लघ्वाश्वलायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश मिलने के काल के आधार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था, (ठ) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के बाद दूसरे आशौच के हो जाने पर भी आशौचावधि का निर्णय निर्भर था।

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार की मध्य रात्रि के बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिना की आशौचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत हैं।<sup>१६</sup> एक मत यह है कि आधी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक होता है और उसके पश्चात् आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बाँटा जाता है, प्रथम दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिना के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ३९४-३९५)।

स्मृतियाँ में उन सम्बन्धियों को आशौचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों

१६. रात्री जननमरणे रात्री मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागा कृत्वा प्रथमभागद्वये पूर्वदिन तृतीयभागे उत्तरदिन-मारम्याशौचम्। यद्गर्भरात्रात् प्राक् पूर्वदिन परतः परदिनम्। अत्र देशाचारादिना ध्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५)। ये मत पारस्कर एव काश्यप के श्लोकों पर आधारित हैं, अर्धरात्रादयस्ताच्छेत्सूतके मृतके तथा। पूर्वमेव दिन प्राह्यमूर्ध्वं चेदुत्तरेऽहनि॥ रात्रिं कुर्यात् त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूषवासरः। उत्तरांश परदिन जातेषु च मृतेषु च॥ पारस्कर० (स्मृतिच०, आशौच, पृ० ११८-११९)।

के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दक्ष (६।१२) के मत से यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से १०, ६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णों के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हों तो उनका आशौच उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हारीत (८४=आपस्तम्ब-स्मृति १।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म० (उत्तरार्ध २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६)। मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए।

मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ शूद्र के समान हैं और वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।<sup>१७</sup> यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) ने कही है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता।

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा है (पराशर० ३।३९-४०)। किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी असपिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी) का शव ढोता है तो वह तीन दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २३।३७) एवं विष्णु० (२२।७९)। गौतम० (१।४।२१-२५) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात् सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा—वह अस्पृश्य तो हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोभवश शव ढोता है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पड़ता है। इसे निर्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्वों एवं भूषणों से शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच

१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः—इति मनुस्मरणात्। केवलं मृती प्रसवे च मलाप-  
कर्मणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौचं भवत्येव। मिता० (याज्ञ० ३।२२)। प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४।२०)।  
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्रवदाशौचम्। स्मृतिमु० (आशौच, पृ० ४९५)।

मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को नहीं मना रहे हैं।

गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एव पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शययात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एव कूर्म० (उत्तरार्ध २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शययात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एव पचगव्य पीना पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एव शूद्र की शययात्राओं में सम्मिलित होने से दो दिनों का आशौच एव छ प्राणायाम तथा तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एव घृत पीना पड़ेगा। देखिए शिवान्-छ्लोकी (श्लोक १३)।

यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसचयन के उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसचयन के पश्चात् मनाया गया हो तो आशौच केवल एक दिन एव रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।४६-४७), अग्निपुराण (१५।८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एव आशौचदशक (९)।

जनन मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है।

यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता (याज्ञ० ३।६)। इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना होता है। देखिए याज्ञ० (३।२५) एव विष्णु० (२।२।४२-४३)।

उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशौच प्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में, जब कि विवाहोत्सव में (चौल एव उपनयन में भी), देवोत्सव एव ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एव मरण से अनुद्धि आ जाय तो कर्त्ता द्वारा देवों एव ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थ अलग कर दिये गये हो उन्हें देवों एव ब्राह्मणों को दे देने में कोई अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है— 'यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एव भोजनकर्त्ता को कोई अपराध नहीं लगता।' अगिरा, पैठीनगि (स्मृचि०, आशौच, पृ० ६०) एव विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह पृथिवी माना या किसी देव का उत्सव, देवप्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आशौच भी विवाह एव उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि जब आरम्भ हुआ माना जाता है इन नियमों में कल्प विष्णु का यो कहना है—यज्ञ पुरोहितों के मरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, घन एव जल में सामग्री संघन्य आरम्भ का घनत्व है, विवाह में मान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्भ हो गया मान लिया जाता है। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्थानी होता है कुछ बस्तुएँ ली जा

सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं; उसकी अनुमति से)। कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएँ ये हैं—फल, पुष्प, कच्चे शाक, लवण, ईधन, तक्र (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, लावा आदि)। मरीचि (मिता०, याज्ञ० ३।१७) एवं त्रिशच्छ्लोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है।

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचावस्था में दासों के आशौच के नियम भी दिये हैं। देखिए विष्णु० (२२।१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४।४)। दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा।

आशौचसन्निपात या आशौचसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की पहुँच)। इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में प्रथम आशौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात् शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात् शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात वीधा० घ० सू० (१।५।१२३) में पायी जाती है। और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५।७९), याज्ञ० (३।२०), विष्णु० (२२।३५-३८), शंख (१५।१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं।

इस आशौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है—जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों।

इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०)। जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार चारह विकल्प सम्भव दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं—“(१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५।७०); (३) यदि दोनों जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है (शंख १५।१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (षडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात् प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण-जनित हो और दूसरा आ जानेवाला जनन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” (षडशीति २१)।

धर्मसिन्धु (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है—“मरण

का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता।" यही बहुत से लेखका का मत है। एक लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले आशौच से दूर नहीं हो सकता।

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्ध) ने उपर्युक्त आशौच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय, प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण-जनित आशौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि अपरार्क ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा—माता के लिए विधे गये आशौच की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है।

यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न पुत्र का पिता जानकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिव्राज, पृ० ४३९) के मत से यह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है।

पदसीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचों में प्रथम आशौच की समाप्ति के विषय में जा नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा—बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में सब जलाता है और मृत के पुत्र, अर्थात् मूर्तिका को अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो सब जलाता है उसे दस दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मूल्युत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्या न विधे गये हो।

सद्यशौच (उमी दिन शुद्धि)—हमने पहले ही देखा लिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दस (१।२) के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यशौच एव एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं रात दोनों। 'सद्य' का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तक्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि।' किन्तु जब याज्ञ० (३।२९), परांगर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियों 'सद्यशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ उसका अर्थ है—'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहना, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिन दिन घटना घटित होनी है, रहना है। याज्ञ० (३।२३ 'आ दन्तव्रतन गद्य आ धृष्टार्थिनिकी स्मृता') से प्रतीय होता है कि 'सद्य' का अर्थ है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो) एव 'नैमित्तिकी' का अर्थ है 'पूरा दिन एव रात।' दुहितर (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य' का अर्थ है

१८. पाणिनि (५।३।२२)। इस सूत्र का वार्तिक है—'समानस्य तन्नामो ऽप्यु चार्त्वि', महामात्र्य मे इतो 'समानेऽर्त्वि सद्य' सपञ्चमाय है।

१९. अजाशौचद्वयकर्म अहंप्रंष्ट्य रात्रिग्रहं चाहोरात्रोपसृष्टाणापंम् । मिता० (याज्ञ० ३।१८) ।

‘दिन या रात का एक अंश’ और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।<sup>३०</sup> शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की है कि ‘सद्यःशौच’ कुछ संदर्भों में ‘अशौच के अभाव’ का द्योतक है, अन्य सन्दर्भों में यह ‘स्नान’ का अर्थ रखता है और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका अर्थ है ‘एक दिन या रात का एक अंश’ स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि ‘सद्यःशौच’ का अर्थ है वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।<sup>३१</sup> आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।<sup>३२</sup> शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अभाव, यथा—यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो जाता है (मनु ५।७६)।

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा—(१) कुछ व्यक्ति सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य माने जा सकते हैं, कर्म विना अशुद्धि के चलने दिये जाते हैं, (३) ऐसे लोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ विना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देखिए गौतम (१।४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण (१।४।९९)।

याज्ञ० (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में भोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रायण जैसे व्रत या स्नातकधर्म-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों,

२०. अत्र सद्यःपदमहोरात्रार्धपरम् ।... द्वे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्यैकाहिकः स्मृतः । द्वेऽहनी एकरात्रिश्च पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति भट्टनारायणवचनात् । द्वे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्यैकाह उच्यते । दिनद्वयैकरात्रिस्तु पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति नव्यवर्धमानधृतवचनाच्च । सद्य एकाहेनाशौचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, एकमहः सद्य इति शुद्धिपञ्ज्यां दर्शनाच्चेति । तच्चार्षं दिनमात्रं रात्रिमात्रं च । एतदेव क्वचित् सज्योतिःपदेन व्यपदिश्यते । शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३४१) । शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि ‘द्वे सन्ध्ये सद्य’ आदि नारायणभट्ट के गोभिलभाष्य में पाया जाता है।

२१. सद्यः शौचं नाम स्नानान्तमधम् । सद्यः शौचं तु तावत्स्यादाशौचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति सचैलं बान्धवा वहिः ॥ इत्यंगिरःस्मरणात् । स्मृतिमु० (पृ० ४८१) ।

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एव क्रमेण तु । सद्यःशौचेऽपि दातव्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा ॥ आदिपुराण (हारलता, पृ० १६५) । त्रिंशच्छ्लोकी (२८) की व्याख्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाव को ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से ग्रन्थों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित है, आदिपुराण भी कहा जाता था।



युद्ध (उनके लिए जो अभी युद्धभूमि में आनेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुर्गम या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कही भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यः शौच होता है। गौतम० (१४।४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण-कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सद्यः शौच होता है। यही बात शल-लिखित (राजा धर्म्यायतन सर्वेषां तत्समादनवरुद्धं प्रेतप्रसवदोषं) ने भी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२)। मनु (५।१३) में ऐसा आया है कि राजाओं, व्रतों एवं सत्रों (गवामयन आदि) में सलग्न लोगों को आशौच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त हैं) समान हैं। मनु (५।१४) आगे कहते हैं कि 'सद्यः शौच राजा की उस स्थिति के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३।६४-९५, जिसे कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म (वेदाध्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने वाले को कृच्छ्र आदि नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे लोग पिता माता के मरने पर भी अनुद्धि को प्राप्त नहीं होते।<sup>११</sup> कूर्म-पुराण (उत्तरार्ध, पृ० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (सन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता (देखिए हारलता, पृ० ११४, परा० मा० १।२, पृ० २५४, निर्गमसिन्धु, पृ० ५४३, लिङ्गपुराण, पूर्वार्ध ८९।७७ एवं अत्रि ९७-९८)। मिता० (याज्ञ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों में विषय में किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता, संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धर्मसिन्धु, पृ० ४४२)। उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म में सलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में सपुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति नहीं मिलती।<sup>१२</sup> ऐसे ही नियम पराचर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।११) का उल्लेख करते हुए

२३ न राज्ञामघदोषोस्ति व्रतितानां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते । प्रजाणां परिरक्षार्थमासनं चान्न कारणम् ॥ मनु (५।१३) । पहला श्लोक वसिष्ठ (१९।४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने घम का कहा है (फर्हर का संस्करण अनुद्ध है, उसे 'नाघदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध कर देना चाहिए)। यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशौच से मुक्त है। विष्णुधर्मसूत्र (२२।४७-५२) में यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सदृश अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे आशौच से मुक्त रहते हैं', आशौच पर इकावट लगायी है—'न राजां राजकर्मणि न व्रतितानां व्रते न सत्रिणो सत्रे न ब्राह्मणां स्वकर्मणि न राजान्नाकारिणां तद्विच्छया।'

२४. न स्यजेत्सूतके कर्मं ब्रह्मचारी स्वकं वदधि ॥ न बीजभातरं घसे न कृच्छ्रादि तपरधरन् ॥ पितर्यपि मृते नैवां दोषो भवति कर्हिचि ॥ गोभिलस्मृति (३।६४-६५; हारलता, पृ० १७; अपराकं, पृ० ९१९ एवं शुद्धिरत्न० पृ० ६४)।

२५ सत्रिणां व्रतितानां सत्रे व्रते च शुद्धिर्न कर्ममात्रे सप्यवहारे वा ।... ब्रह्मविधति । एतेषां च त्रयाणांमात्रमिवां सप्यं युद्धि । विशेषे प्रयाणाभावात् । मिता० (याज्ञ० ३।२८)।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आशौच से आवद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावर्तन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने) के पश्चात् उन सभी लोगों के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (मनु ५।८८ एवं विष्णु-धर्म० २२।८७)। गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।<sup>३६</sup> शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तथापि यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता की शवयात्रा में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय में ऐसी ही परम्परा भी थी)।

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि—शिल्पी (यथा चित्रकार या घोषी या रंगसाज), कारक (नीकर-चाकर, यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार व्रत (चान्द्रायण आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि (श्रीताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता।<sup>३७</sup> आदिपुराण ने तर्क उपस्थित किया है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता।<sup>३८</sup> यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचामात्र तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में

२६. बालदेशान्तरितप्रव्रजितासपिण्डानां सद्यःशौचम् । राजां कार्यविरोधात् । ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिवृ-  
त्यर्थम् । गौ० (१४।४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के  
शब्द श्लोक रूप में वर्णित हैं ।

२७. शिल्पिनः कारुका वैद्या दासीदासाश्च नापिताः । राजानः श्रोत्रियाश्चैव सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥ सत्रतः  
सत्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः । राजश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ पराशर (३।२०-२१) ।

२८. तथा चाद्विपुराणे । शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साधयन्त्यलम् । तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धाः  
स्वकर्मणि ॥ सूपकारेण यत्कर्म करणीयं नरेष्विह । तदन्यो नैव जानाति तस्माच्छुद्धः स सूपकृत् ॥ चिकित्सको यत्कुरुते  
तदन्येन न शक्यते । तस्माच्चिकित्सकः स्पर्शं शुद्धो भवति नित्यशः ॥ दास्यो दासाश्च यत्किञ्चित् कुर्वन्त्यपि च लीलया ।  
तदन्यो न क्षमः कर्तुं तस्मात्ते शुचयः सदा ॥ राजा करोति यत्कर्म स्वन्प्रेष्यस्य तत्कथम् । एवं सति नृपः शुद्धः संस्पशं  
मृतसूतके ॥ यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यश्वगमनादिकम् । तत्रास्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते शुचयः स्मृताः ॥ पराशर-  
साधवीय (१।२, पृ० २५५-२५६) ।

सलमन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५)। विष्णुधर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशच्छ्लोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।<sup>२९</sup> कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ श्लोक हैं, जिन्हें हारलता (पृ० ११४) ने उद्धृत किया है।

हमने बहुत पहले देल लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० 'नित्यानि विनिवर्तन्ते धृतानवर्जम्'), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से मुक्त हैं, श्रौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है।

धर्ममिन्वु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार के अपवाद का उपयोग करना चाहिए।

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी असुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात् अपवाद हैं तीसरा प्रकार है।

आशौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी हैं या जो कलकी होते हैं। गौतम (१।४।११) एवं शाल-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सब शौच होता है जो आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रा, अग्नि, विप या जल से या फाँसी पर लटक जाने से, (रस्सी से झूलकर) या प्रपात से गवाँ देते हैं।<sup>३०</sup>

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती जा (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं जो ब्यभिचारिणी होती हैं, जो मद्य पीती हैं जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह श्लोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होगा है। यही बात मनु (५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को अग्नि, विप आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का शवदाह नहीं होता, उनके लिए अत्येष्टि, अस्थिसंघवन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए।<sup>३१</sup>

२९. तत्तत्कार्येषु सत्रिब्रतितृणपृणवर्दीक्षितार्त्विक्त्व्यदेश-भ्रशापत्स्वप्यनेकभृतिपठनभिवषकारशिश्ल्यातुराणाम् ।  
सप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनभाद्रपुष्टप्रतिष्ठा चूडतीर्थार्थयात्राजपपरिणयनाद्युत्सवेष्वेतवर्थे ॥

त्रिशच्छ्लोकी (१८) । नृपवत् का अर्थ है नृपसेवक ।

३०. प्रायाग्निविषोदकोद्बन्धनप्रपतनंश्चेच्छताम् । अथ शत्रवानाशकानि-रज्जु-भृगु-जल विष प्रमापणेष्वेवमेव ।  
शाललिखितो (हारलता, पृ० ११३); भृगुविनयाशकान्भोभिर्मृत्तानामात्मघातिनाम् । पतितानां तु नाशौचं विष्णु-  
च्छत्रहताश्च ये ॥ अग्निपुराण (१५।३।३२) । और देखिए वामनपुराण (१४।९९-१००) ।

३१. पतितानां न दाह । अग्निपुराण (१५।९।२-४) का कथन है कि 'आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेयामपि तथा गांवे तोयेऽर्चना पतनं हितम् ॥ तेषां दत्तं जलं चात्र गगने तत्प्रलीयते । अनुग्रहेण महता प्रेतय पतितस्य च । माराम्यबलिं कार्यंस्तनानुग्रहमनुते ॥'

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या जल, सर्प, ब्राह्मण, विजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान-बूझकर प्राण गँवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सर्प आदि के साथ क्रोधपूर्वक लड़ने से होती है या क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशीच की व्यवस्था दी है।<sup>१२</sup> यही बात ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौतम १४।११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ्र) करना पड़ता है।

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव शूद्रों द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा—अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग ७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशीच, जल-तर्पण एवं श्राद्ध किये जाते हैं। यह शातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नारायणवलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणवलि का वर्णन यों किया है—मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भों के अंकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एवं तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनैजन (जल सिंचन) तक के कृत्यों को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों को) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का

३२. यदि कश्चित्प्रमादेन त्रियेताग्न्युदकादिभिः। तस्याशीचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६)। औशनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही श्लोक है।

नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से सबसे बड़े गुणवान् को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, धनदान से सन्तुष्ट कर सभी ब्राह्मणों को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्देहित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ भोजन करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० के एक श्लोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओ या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले गये हैं या जो पणित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारायण मठ की अन्वेषितपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यंसार (पृ० ८५-८६), वृहत्साराधर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, गरुडपुराण (३।४।११३-११९)।

वैशानसस्मार्तसूत्र (१०।९) ने भी नारायणबलि की पद्धति का सक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्मघातकों, मारे गये लोग एव सन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य १२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बौधायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एव २१) में दो विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पदधात्कालीन है और उसमें चाण्डालो आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्लोक भी है।<sup>१</sup>

आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना अनिवार्य नहीं है। गौतम (१।४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गोओं एव ब्राह्मणों के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं मनाते, केवल सद्य शौच करते हैं।<sup>२</sup> मनु (५।१५ एव १८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित सगड़े या दगे) में, विजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवत्) ऐसा करने नहीं देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।<sup>३</sup> शाततप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना है) के मत से यदि के मरने पर उसके पुत्र एव सपिण्ड उसके लिए जल-त्तर्पण, पिण्डदान एव आशौच नहीं करते। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हो, एवदण्डी हो, हस्त

३३. चाण्डालाद्बुदकान् सर्पाद् ब्राह्मणाद्वैद्युतादपि। दष्टिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मिणाम्॥ बौ०गु० शेषसूत्र (३।२१)। इसी को अपराकं (पृ० ८७७) ने धम का कहा है, शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है और मिता० (याज्ञ० ३।६) ने बिना नाम के उद्धृत किया है।

३४. गोब्राह्मणहतानामन्वक्षम्। राजक्रोधाच्च। युद्धे। गौतम० (१।४।८-१०)। हरदत्त ने व्याख्या की है— 'अन्वक्षते प्रत्यक्षते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुष्येरत्रिति।' मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात किया है— 'तत्सम्बन्धिनः चान्वक्षन्तु गतमक्षमन्वक्ष सद्य शौचमत्यर्थः।'

३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्युता पायिषेन च। गोब्राह्मणस्य शंवार्ये यस्य चेच्छति पायिषे॥ मनु (५।१५)। कुल्लूक एव हारलता (पृ० १११) ने 'डिम्बाहव' को 'नृपतिरहित युद्ध' कहा है, किन्तु हरदत्त ने 'डिम्ब' को 'जनसमूह' माना है; अपराकं (पृ० ९१६) ने डिम्बाहव को अशास्त्रकृतह एव शुद्धिचरित्तच (पृ० ४६) ने इसे 'अशास्त्रकृतः संवर्षो वा' के रूप में व्याख्यात किया है।

हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु पर आशौच होता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात् आशौच किया जाता है।<sup>१५</sup>

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। किन्तु लघु-हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्यु-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)।

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्)। शुद्धितत्त्व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक श्लोक उद्धृत किया है—विशिष्ट स्थानों के प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं धार्मिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।<sup>१६</sup>

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तभी प्रयुक्त होते हैं, जब कि काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो, किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात् तब आशौच (के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।<sup>१८</sup>

विष्णुधर्मसूत्र (११।१८-१९) ने व्यवस्था दी है—कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन करना चाहिए।<sup>१७</sup> बहुत-से निबन्धों ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के दिन की विधि पृथक् रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्मणों द्वारा जल-मार्जन कराकर 'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का कथन है कि बिना

३६. युद्धमृतेप्याशौचं नेति सर्वग्रन्थेषूपलभ्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९)।

३७. तथा च मरीचिः। येषु स्थानेषु यच्छौचं धर्माचारश्च यादृशः। तत्र तन्नामन्येत धर्मस्तत्रैव तादृशः॥ रुद्रधर (शुद्धिविवेक); शु० की० (पृ० ३६०); शुद्धित० (पृ० २७५)। तथा च वामनपुराणे—'देशानुशिष्टं कुलधर्ममग्र्यं सपोत्रधर्मं न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६)।

३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतकं परिकीर्तितम्। आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्॥ दक्ष (६।१५)।

३९. ग्रामान्निष्कम्याशौचान्ते कृतश्मश्रुकर्माणस्तिलकलकैः सर्षपकलकैर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो गृहं प्रविशेयुः। तत्र शान्तिं कृत्वा ब्राह्मण- - - - - (१९।१८-१९)।

'दान्ति' के जलाशौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'दान्ति' के लिए धामदेवमान पढ़ना चाहिए या गायत्री को आदि एव अन्त में बहुरार सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र) के साथ 'क्यानरिचत्र', 'वस्त्वा सत्य', 'अग्नी पूष' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एव अन्त में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में 'श्रद्ध वाद्य प्रपद्ये' एव अन्त में 'धौ दान्ति') 'दान्ति' के लिए बड़े जाने हैं। ऋग्वेदियों को आदि एव अन्त में गायत्री के साथ श्रु० के १०।१।४, ७।३।५।१, ५।४।७।५ आदि मन्त्रों के साथ दान्ति करनी चाहिए। इसने उपरान्त चाँदों के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलग आदि का दान (दय्या-दान) करना चाहिए।

हमने यह देखा लिया है कि मीलित रूप से गुत्रा (गात्यामन० आदि) एव स्मृतिया (मनु आदि) ने इन बात पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिना का गजाना नहीं चाहिए और वेदजो एव आहितानियों को एक दिन का ही आशौच करना चाहिए (परान्तर० ३।५ एव दश ६।६)। किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए सभी शपिण्डा के लिए दस दिना की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५।५९)। प्राचीन काल में आवागमन के साजन सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों ने यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचने थे, इसी लिए आशौच नियम से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा सभी प्रकार के विभाग, उपविभाग एव श्रेणियाँ व विषय म धर्मशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देने हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जा नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। आग्नेयल डाक, रेल, वायुयान एव तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एव मध्य काल के आशौच नियम लोगों को बहुत अखरते हैं। कमी-जमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में अमुविधाओं व दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयानुपम्य को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता की रक्षा की जा सके। कम-जो-कम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात् केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं—

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र भी करे, पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है या मृत्युत्तरमावी कृत्य करता है।

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें।

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पञ्चात् वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यः शौच (केवल स्नान से परिशुद्धि) पर्याप्त है।

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः-शौच करें।

यदि हम प्राचीन एव आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय मरण पर तथा प्रसव एव भासिक धर्म के समय किन्तुओं पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ हाते थे वे सिधिर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई अहति नहीं देने पाते थे। सीरियना में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित सिद्ध होकर

घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशुद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने पर निर्भर थे। भारत में आर्य लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाएँ अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्भवतः सीखीं। कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है—वैदिक आर्यों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते हैं या मरने के पूर्व उसके वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी ज्वर आदि रोगों से), अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने जाते थे और दस दिनों तक पृथक् रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर आशौच एवं पृथक्त्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १२।

अब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। द्रव्य-शुद्धि का तात्पर्य है किसी वस्तु से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं २५३)।<sup>१०</sup> हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।१५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से ‘शुद्धि’ एवं ‘शुचि’ शब्द १३ एवं ६ बार आये हैं) ‘शुद्धि’ एवं ‘शुचि’ पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। ऐत० ब्रा० (३।२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय (अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम (८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म-गुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं—वन-सम्बन्धी शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में बाँटते हैं; बाह्य एवं आन्तर (आभ्यन्तर)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौध्वा० घ० सू० (१।५।३-४), हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि० (३७।२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। वनपर्व (२००।५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६-८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आर्त्तिगन विभिन्न मनोभावों से करती है।

लिंगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आभ्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आभ्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शैवाल

१०. द्रव्यस्य दोषापगमः शुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरशुद्धिर्वाह्यद्रव्यशुद्धिश्च। अपराकं (पृ० २५२-२५३); तत्राशुद्धिर्नाम द्रव्यादेः स्पर्शानाद्यनर्हतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविशेषोत्पादिता तत्रिवृत्तिः। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ७८७)।



(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव संदा जल में ही रहते हैं विन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा। अतः ध्यन्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विषवासरूपी चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए—यही वास्तविक शौच (शुचिता) है।" मनु (५।१०९) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो धन की ओर से शुद्ध है, अर्थात् जो अन्यायपूर्ण साधना से दूसरे का धन नहीं हड़पना, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उसके भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है, किन्तु वहाँ अर्घ (धन) के स्नान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०६) वाला श्लोक पाया जाता है। और देविए अनुशासनपूर्व (१०।८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीर्थ-स्नान एवं साम्यक दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धिया का वर्णन है, ब्रह्माण्डपुराण (३।१।५६० 'शुचिकामा हि देवा वै') एवं योगसूत्र (२।३२), जहाँ धर्म-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है।

शारीरिक शुद्धि अर्थात् बाह्य शुद्धि के, जो मूल प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देविए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और सन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्भिक ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था सन्त अनेक को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस ने धूलि या गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है।

श्रीत कृत्या (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर को अध्वर्यु पुरोहित सात-सात दलों के तीन गुच्छा से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०, शुद्धिप्रकाश, पृ० १५७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से समोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात् समोग करने से केवल मूत्र-त्याग करने एवं अपानवायु छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त व्रतन करने से भी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने से भी स्नान करना पड़ता है।

आप० श्री० (१।१।२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक ऋतु में वैश्वानरी (अग्नि वैश्वानर को), व्रातपति (अग्नि व्रतपति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है।

अब हम द्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्भ में ही कह दी जा रही हैं। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नहीं होते, जब तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों

५१ अवागाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौचविषयजित् । शौचला शयश्च मत्स्याः सत्त्वा मत्स्योपजोविनः ॥ सदावगाह्यं सलिले विमुद्धाः किं द्विजोत्तमा । तस्मादात्म्यन्तरं शौचं सदा कार्यं विधानतः ॥ आत्मज्ञानान्मसि स्नात्वा सङ्कदासिष्य भावतः । सर्वराग्यमृदा मुद्धाः शौचमेव प्रकीर्तितम् ॥ लिंगपुराण (८।३५-३६), भावशुद्धि पर शौच प्रमाण सर्वकर्मभुं । अन्यायालिंगते वात्ता भावेन दुहितान्यथा.. अन्यथैव तत पुत्र भावयत्यन्यथा पतिम् ॥ पद्य० (भूमिलशब्द, ६६। ८६-८७) ।

के मत से उपनयन-संस्कार तक। मनु (५।१२७-१३३), याज्ञ० (१।१८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), वीधा० धर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं—जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास बुझा सके और जो गंध, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ जब कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों); बाजार में खुले रूप में विकनेवाले पदार्थ, यथा—यव (जी) एवं गेहूँ (जिन्हें क्रय करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); मिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, बूलि, (वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अश्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा—ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ शरीरभाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा—याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि वकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, किन्तु गायों का मुख नहीं। वीधायन (अपराकं, पृ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घूमती हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।<sup>१३</sup> बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है—“ब्राह्मण के पाँव, वकरियों एवं अश्वों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्व भाग से, अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं—“खान एवं भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी स्थान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। सभी मूत्रे हुए पदार्थ, मूत्रे हुए जी एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी भली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”<sup>१४</sup> अत्रि (५।१३) में पुनः आया है—“मक्खियाँ, शिशु, अखंड धारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछुल एवं नेवला (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं।”<sup>१५</sup> पराशर (१०।४१) का कथन है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी

४२. मुखवर्जं तु गोमैध्या मार्जारश्चङ्कमे (? श्चाक्रमे) शुचिः। वीधा० (अपराकं, पृ० २७६)। और देखिए शंख (१६।१४)।

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुची ब्राह्मणानामजाश्वस्य मुखं शुचि। गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगत्राणि योषिताम् ॥ यमः। पृष्ठतो गीर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽश्वः शुचिस्तथा। गोः पुरीषं च मूत्रं च सर्वं मेध्यमिति स्थितिः ॥ पृष्ठशब्दोत्र मुखव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पृ० २७६)।

४४. आकराहृतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम् ॥ भृष्टा भृष्टयवाश्चैव तथैव चणकाः स्मृताः। खजूरं चैव कर्पूरमन्यद् भृष्टतरं शुचि ॥ अत्रि (२४०-२४१)। ‘आकराः...करम्’ वी० ध० सू० (१।५।५८) में भी आया है। शु० कौ० (पृ० २५८) ने शंख (१६।१३) के पद्यार्थ ‘शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वं एव तथाकराः’ को उद्धृत करते हुए कहा है—‘सर्वं एवाकरा धान्यादिमर्दनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि चैतयः।’

४५. मक्षिका सन्ततिधारा भूमिस्तोयं हुताशनः। मार्जारश्चैव दर्वी च नकुलश्च सदा शुचिः ॥ अत्रि (५।११)। और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुहारीत (४३)। शुद्धिकौमुदी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है—‘सन्ततिः शिशुः पञ्चवर्षान्तरत्रयस्कः, धारा तु पतन्ती।’

पर गिरा हो) एव दमं अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यमों के चमत्तो के समान शुद्ध ही रहते हैं।" परा० मा० ने चतुर्विंश-  
तिमत्त को उद्धृत किया है कि "कच्चा मास, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे धाण्डाला के पात्रो म हो क्या  
न हा, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।" बृहस्पति ने कहा है—"अनार, ईल्ल पेरनेवाली बल, खानें, शिल्पियों  
के हाथ, गोदोहनी (मटकी), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालो एव स्त्रियों के बरम (भोजन बनाना आदि)  
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सब्ज पर भगे पीर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।" अपने विस्तर, वस्त्र, पत्नी,  
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगो के लिए अशुद्ध हैं।" यही बात राम ने भी कही है। राम  
का बयन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के ससर्ग से उत्पन्न  
मल को दूर करती है, शुद्ध घाषित है।" शल्ल लिखित ने घोषित किया है कि जा वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये  
हैं—जल, मिट्टी, इगुद, अरिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसा का उबटन, शार (रेह, साडा), गोमूत्र, गोबर एव  
कुछ लोगो के मत से एक स्थान पर मग्न ही हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात् जल-भाजन।" मनु (५।११८), याज्ञ० (१।  
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहूत-से वस्त्र एव अप्रा की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड-  
कन में शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब सस्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। वह सस्या या मात्रा अधिक  
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति दो न सके (कुल्लूक, मनु ५।११८)।

गौतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) एव याज्ञ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम  
यह दिया है कि द्रव्या एव गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जठ एव मिट्टी का प्रयोग तब तक करते  
रहना चाहिए जब तक गन्ध एव गन्दी वस्तु दूर न हो जाय।" देवल (अपरार्क, पृ० २७०) न घृल्लघूसरित पदार्थ  
तेज चित्रनाई एव अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शीघ्र कहा है।

गौ० घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन या किया है—घातु की वस्तुत्रा, मिट्टी के पात्रा, लकड़ी

४६ आकाश वायुरग्निश्च मेध्य भूमिगत जलम् । न प्रदुष्यन्ति दर्भश्च यत्नेषु चमत्ता यथा ॥ पराशर (१०।  
४१) ।

४७ आम मास घृन क्षौत्र स्नेहाश्च फलसम्भवा । अन्यभाण्डस्थिता ह्येते निवृण्णान्ता शुचय स्मृताः ॥  
चतुर्विंशतिमत्त (परा० मा० २।१, पृ० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एव शु० की० (पृ० ३१८) ।

४८ ब्राह्मेभ्यन्नाकरकाहस्ता गोदोहनी यन्त्रधिनि सूतानि । बालेरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्वयानि  
शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पृ० १०६) ।

४९. आत्मशय्या च वस्त्र च जायापत्य कामण्डलु । आत्मन शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि च ॥ आप० स्मृति  
(१।१।४) ; घीया० (१।५।६१) ; अपरार्क (पृ० २५७) ।

५० मल सयोगजं तज्ज यस्य येनोपहृण्यते । तस्य तच्छोबन प्रोक्षत सामान्य द्रव्यशुद्धिकृत् ॥ शल्ल० (अपरार्क,  
पृ० २५६, दीपकलिङ्गा, याज्ञ० १।१९१, मदनपारिजात, पृ० ४५१) ।

५१ सर्वेषामापो भूदरिष्टकैर्गुदविल्वतण्डुलसर्पपक्वल्कारगोमूत्रगोमयादीनि शीघ्रद्रव्याणि सृह्णतानां प्रोक्षण-  
मित्येके । शल्ललिखितो (चतुर्विंश०, जिल्द ३, भाग १, पृ० ८१७) ।

५२ लेपगधापकर्मण शीघ्रममेध्याकृतस्य । तदद्वि पूर्वं भूदा च । गौ० घ० सू० (१।४५-४६) । यही धान  
वसिष्ठ० (३।४८) में भी है। यावन्नापैत्यमेध्याकृताद् गन्धो लेपश्च तत्कृत । तावन्मूत्रादि चादेय सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥  
मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) ।

से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं)।<sup>१३</sup> वसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'भस्मपरिमार्जन' (भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१।५।-१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है—“यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना चाहिए, घातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३।३१-३४) का कथन है—काल (आशौच के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अश्वमेध या सन्ध्या करना), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, (कृच्छ्र जैसे) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास—ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरांगों के लिए जल, गुप्त पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक् ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९=विष्णु० २२।९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है।

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं—काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात् अशुद्धि का कारण एवं) उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।<sup>१४</sup>

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार के साथ करना अनावश्यक है। कृतिपय स्मृतियों एवं निवन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, उनके विषय में एक के पश्चात् एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे।

५३. द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहत्क्षणनिर्णजनानि तैजसमार्तिकदारवतान्तवानाम्। तैजसवदुपलमणिशंख-  
मुक्तानाम्। दाखदस्थिभूम्योः। आवपनं च भूमेः। चैलवद्रज्जुविदलचर्मणाम्। उत्सर्गो वात्यन्तोपहतानाम्। गौ०  
ध० सू० (१।२८-३३)। 'अत्यन्तोपहत' को विष्णुधर्म० (२३।१) ने 'शारीरैर्मलैः सुराभिर्मद्यैर्वा यदुपहतं तदत्यन्तो-  
पहतम्' के द्वारा समझाया है।

५४. देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्॥ बौधायन (मिता०,  
याज्ञ० १।१९०; विश्वरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं मेधातियि, मनु ५।११८)। बौधा० ध० सू० (१।५।५५) में आया  
है—देशं... वस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कुशलो धर्मैः समाचरेत्। लघुहारीत (५५) में 'कालं देशम्' आया है।  
मिता० ने 'तथा' के वाद 'मानं' पढ़ा है जिसका अर्थ है 'परिमाण' (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध  
किया जाय)।

स्मृत्यर्थसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ—उत्सर्गनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त, मास, चर्बी, मज्जा, मद्य एव मद्योपेत करने वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, ग्रामयूकर, विल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम (श्लेष्मा), आँख का कीचड़ एव पसीना कम अशुद्ध होते हैं।

वौषा० ध० सू० (१।५।६६) में आया है कि भूमि की शुद्धि समाजर्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र या जल छिड़कने या घोंने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एव उल्लेखन (मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।<sup>१५</sup> एक अन्य स्थान पर वौषा० ध० सू० (१।६।१७-२१) में आया है—जब बठोर भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) से शुद्ध हाती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भीगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढँक देने से) और अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साधना से शुद्ध होती है, यथा—गायों के परो द्वारा रोदने से, खादने से, (लकड़ी या घास-गात) जलाने से एव (जल, गामूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, पाँचवी विधि है गोबर से लीपकर शुद्ध करना और छठा साधन है काल, अर्थात् समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।<sup>१६</sup> वसिष्ठ० (३।५७) न वौषाधन के समान पांच शुद्धि-साधन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी पाँच साधन दिये हैं—झाड़ू से बहारना, गोबर से लीपना, जल छिड़काव, खोदना (एव निकास बाहर करना) और उस पर (एक दिन एव रात) गाया को रखना। विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है यथा—दाह (कुछ जला देना)। याज्ञ० (१।८८) ने दाह एव काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। धामनपुराण (१।४।६८) ने अनुसार भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन दाह मार्जन, गोकर्म (गायों को ऊपर चलाना), लेपन उल्लेखन (खोदना) एव जलमार्जन से होना है।<sup>१७</sup> दवल (मिता० एव अपरार्क, याज्ञ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके मत से अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं, अमोघ्य (अशुद्ध), दुष्ट एव मलिन। जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय या जहाँ चाण्डाल रह या जहाँ दुग्ध-युक्त वस्तुआ, विष्टा आदि की ढेरी आदि हा, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से मरी हो उसे अमोघ्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्ता, मूअरो, गयो एव अंडा का मस्पर्श हा वह भूमि दुष्ट बही जाती है तथा जहाँ अगार (कोयला), तुप (भूसी), वेस अस्थि एव मरम (राख) हो वह भूमि मलिन बही जाती है।<sup>१८</sup> इससे उपरान्त देवल ने इन भूमि प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन,

५५ भूमेस्तु समाजर्जनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोत्लेखनैर्यथास्थान द्योयविरोधात्प्रायतयम् । वौ० ध० सू० (१।५।६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) में भी आयी है।

५६ घनाया भूमेक्षपात उपलेपनम् । सुविराया कर्षणम् । विलप्राया मेष्पमाहृत्य प्रच्छादनम् । वस्तुभिः शुष्यते भूमि गोभिराक्रमणात्सन्नाद् बह्नादभिवर्षणम् । पञ्चमाक्षोपलेपनात्पृथ्वात्कासात् । वौ० ध० सू० (१।६।१७-२१) । देवि एगु० कौ० (पृ० १००) ।

५७ भूमिः शुष्यते स्नातदाहमार्जनगोकर्मैः । शेषानुल्लेखनात्सोकाग्नेः समसमार्जनात् । धामनपुराण (१।४।६८) ।

५८ यत्र प्रसूयते नारी च्छयते ब्रह्मण्ये वा । अशुद्धालाप्युचि यत्र यत्र विष्टारिसहृति ॥ एवं कर्मसमर्पित्वा भूरमेध्या प्ररोचिना । इवसुवस्तरौष्ट्राविसप्तपृष्ठा दुष्टतां वज्रेण ॥ अंगारानुपरोगास्थिभस्माद्यैर्मलिना भवेत् ॥ मिता० (याज्ञ० १।१८८); शु० कौ० (पृ० १०१) एवं शु० प्र० (पृ० ९९) ।

दहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को छोड़कर); दुष्टा भूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा मलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।<sup>५९</sup>

स्मृत्यर्थसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित ढूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५१-५२), धर्मसिन्धु (३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध हो जाय। निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है—जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है।

विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्वला स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात् अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की जानी चाहिए और भात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए।

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शुचयः पावकाः')। और देखिए ऋ० (१०।९ एवं १०), अथर्ववेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण (१।७।४।१७)।<sup>६०</sup>

५९. दहनं खननं भूमेरवलेपनवापन। पर्जन्यवर्षणं चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूमेध्या विशुध्यति। द्विधा त्रिधा वा दुष्टा तु शुध्यते मलिनकथा ॥ वेवल (शु० कौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मृदन्तरेण पूरणम्' अर्थात् अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है)।

६०. इत्थापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्। यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेषे अभीरणम्। आपो मा तस्मादेनसः

विश्वरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है—'जो सन्देह उत्पन्न कर दे (मह शुद्ध है नि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल कतिपय पात्र-प्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, ११२ एवं १२६, याज्ञ० १।१८१ १८८ एवं १८९)। गोमिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धार्मिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने शरीर को झुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली या चूहे को छू ले, कठोर वचन बोल दे, श्रेष्ठ में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।"

याज्ञ० (१।१८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़ू-बुहारू एवं गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, सूअर, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल भर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। सर्वत्र (अपराकं, पृ० २६५, शु० प्र०, पृ० १००-१०१, शु० कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर शय के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना चाहिए, मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें दूधरी को घुमाना चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूँघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है।" मरीचि का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला दीवारों को छू लें।"

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गौशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे अशुद्ध न हों जायें।

जठ की शुद्धि के विषय में स्मृतियाँ एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१५।२) ने सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।" किन्तु वीवा० घ० सू० (१।५।६५), मनु (५।१२८), याज्ञ० (१।१९२), शत (१६।१२ १३), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक

परमानश्च मुञ्चतु ॥ वा० स० (६।१७)। आपो अस्मान्मातरं दुग्धयन्तु घृतेन नो घृतपक्वं पुनन्तु। वा० स० (४।२)।

६१. पित्र्यमन्त्रानुश्रवण आत्मालम्बेऽवधेक्षणे। अधोवायुसमुत्सर्गे प्रहासेऽनृतभाषणे ॥ मार्जारमूकस्पर्शे आकृष्टेऽश्लेषसम्भवे। निमित्तेष्वेष्टसर्वत्र कर्म कुर्वन्नप स्पृशेत् ॥ गोमिलस्मृति (१।३१-३२, कृत्यरत्नाकर, पृ० ५०)।

६२. सर्वत्र। गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि अन्तःस्थशवद्रूपणे। प्रोत्सृज्य मृन्मय भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव च ॥ गृहादपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्। गोमयेनोपलिप्याय छागेनाप्रापयेद् मुध ॥ ब्राह्मणमंत्रपूतंश्च हिरण्यकुशवारिणा। सर्वमनु-क्षयेऽंशम तत दुग्ध्यत्यसशयम् ॥ अपराकं (पृ० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; शु० कौ०, पृ० ३०३-३०४)।

६३. गृहेऽप्यजातिसवेशे शुद्धिं स्पादुपलेपनात्। सवातो यदि ज्ञापते दाहतापैर्निर्निदिशेत् ॥ मरीचि (अपराकं, पृ० २०६; शुद्धि प्र०, पृ० १०१; शु० कौ०, पृ० ३०३)।

६४. भूमिगतावपक्वाधम्यं प्रयतो भवति। आप० घ० सू० (१।५।१५।२)।

रंग (पारदर्शक) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो। शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता हुआ जल सदैव शुद्ध होता है।<sup>१५</sup> देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह वासी होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलतः वह शुद्ध था)। किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालावों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), नदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपरार्क, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२)।<sup>१६</sup>

वृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात् किसी मनुष्य या पशु का शव पाया जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईंटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।<sup>१७</sup> आप० (शु० कौ०, पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है—केश, विण्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का द्रव पदार्थ, शव—इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए)।<sup>१८</sup> यही बात पराशर (७।३) ने भी वापियों, कूपों एवं तालावों के विषय में कही है।

याज्ञ० (१।१९७=विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाण्डाल जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग और वे सभी जो पकी ईंटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं।

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० कौ०, पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम वाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मित्ता० एवं अपरार्क, याज्ञ० ३।१९२; शु० प्र०, पृ० १६)।<sup>१९</sup>

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा धोषित हुआ

६५. भूमिष्ठमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम् । वर्षगन्धरसैर्दुष्टैर्ब्रजितं यदि तद् भवेत् ॥ शंख (१६।१२-१३; शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२)।

६६. अक्षोभ्याणि तडागानि नदीवापीसरांसि च । चण्डालाद्यशुचिस्पर्शं तीर्थतः परिवर्जयेत् ॥ अक्षोभ्याणामपां नास्ति प्रसूतानां च दूषणम् । देवल (अपरार्क, पृ० २७२; शु० प्र०, पृ० १०२)।

६७. मृतपंचनखात्कूपादत्यन्तोपहतात्तथा । अपः समुद्धरत्सर्वाः शेषं वस्त्रेण शोधयेत् ॥ वह्निप्रज्वालनं कृत्वा कूपे पक्वेष्टकाचिते । पंचगव्यं न्यसेत् पश्चात्प्रवतोयसमुद्भवे ॥ वृहस्पति (अपरार्क, पृ० २७२)। और देखिए शु० कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२३।४४-४५)।



है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है, इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक वैज्ञानिक लोगों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं।

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पीपरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे हुए घड़े (जिनसे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (जो सभी के लिए रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, भसक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य ठहराया गया है, किन्तु आपत्-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में भी जलामात्र में जल चर्म-पात्र या डोलक (भसक, जिसे आजकल मिट्टी काम में लाते हैं) में भरकर लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे।<sup>१</sup>

अब हम धातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। दौ० घ० सू० (१५१-३४-३५ एवं १६१७-४१), वसिष्ठ (३५८ एवं ६१-६३), मनु (५१११-११४), याज्ञ० (११८२ एवं १९०), विष्णु० (२३१२७, २३-२४), शाल (१६३-४), स्मृत्यर्थसार (पृ० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५११३) का कहना है—'बुधो (विद्वान् लोगो) ने उद्बोधित किया है कि सीसा आदि धातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने की वस्तुएँ (जो जूठे भोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा—सीपी, मूंगा, शल आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः उनको शुद्धि उनके मूलभूत कारणों से ही होती है, अर्थात् जल से (घोडा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध होने पर)। ताम्र, लोह, कात्स्य, पीतल, टीन (त्रु या रांगा) और सीसा को क्षार (मसम), अम्ल एवं जल से परिस्थिति के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।', वसिष्ठ (३५८, ६१-६३) का वचन है—'त्रु (टीन), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह मसम एवं जल से शुद्ध होते हैं।' लिंगपुराण (पूर्वार्ध, १८९५८) ने कहा है—'काँसा मसम से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा त्रु एवं सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामनपुराण (१४७०)। मेधातिथि (मनु ५११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है—'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हे गायें सूँघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू लिये जायें, जिनमें शूद्र भोजन कर ले तथा जिन्हे कोई अपवित्र कर दें, वे नमक या मसम द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो जाते हैं।'<sup>२</sup> देखिए पराशर भी (परा० मा०, जित्द २, भाग १, पृ० १७२)।

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं वस्त्रों की शुद्धि के विषय में बौपा० घ० सू० (१५१३४-५० एवं १६१३४-४२), याज्ञ० (११८२-१८३), विष्णु० (२३१२-५), शाल (१६११५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। इनका कतिपय नियमों में मर्तक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० ११९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्र-

६८. प्रपास्वरण्ये घटय च कूपे ध्रोष्यां जल कोशपतास्तपाय । ऋतेषि शूद्रास्तवपेयाद्गुरापद्गतः कश्चित्तवत्  
पिबेत् ॥ यम (अपराकं, पृ० २७३; शु० प्र०, पृ० १०४)।

६९. यथाप्रातानि कात्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि च । शुष्यन्ति दशभिः क्षारैः । इयकाकोपहतानि च ॥ मेधा०  
(मनु ५११३ एवं याज्ञ० ११९०)।

शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी—“सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे हों तो वे अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये गये हों या उनमें भोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले मसम से माँजना चाहिए और तीन बार जल से धोना चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात् टूट न जायँ, गल न जायँ या जल न जायँ, तमी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तों, कौओं, शूद्रों या उच्छिष्ट भोजन से केवल एक बार छू जायँ तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायँ तो उन्हें २१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से धोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत हुआ हो तब वह पुनर्निर्मित होने से ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें पैर धोये गये हों उसे पृथिवी में छः मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर ७।२४-२५); किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। सभी प्रकार के धातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा—मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायँ तो सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायँ या शव, सद्यः प्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायँ तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से धोये जाने के उपरान्त तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायँ तो पुनर्निर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।”

विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी धातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में भी ऐसा ही है)। किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है कि सुरा, मूत्र, मल, वलगम (श्लेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध नहीं होते।<sup>१०</sup>

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। वीधा० घ० सू० (१।५।५१-५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं<sup>११</sup>; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७), याज्ञ० (१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के

७०. मद्यमूत्रैः पुरीषैर्वा श्लेष्मपूयाश्रुशोणितैः। संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ वसिष्ठ (३।५९ = मनु ५।१२३)।

७१. वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः। वी० घ० सू० (१।५।५१-५२)।  
देविए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात् एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है।

नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन है—यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दम या छत्रे) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात् जल से धोये जाते हैं; चमस्याली (जिसमें आहुति के लिए मात की हवि बनायी जाती है), स्रुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत डाला जाता है) एवं स्रुचि (अर्धवृत्त-मुखी काठ का करछुल) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फच (काठ की तलवार), सूर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), ऋतल (ओखली) एवं मुशल जल से स्वच्छ किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जल-मार्जन से शुद्ध किये जाते हैं)।

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध भोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए, एक द्रोग (प्राय ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए), उसे बकरी को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।<sup>११</sup> और देखिए वी० घ० सू० (१।६।४४-४८)। यदि घान अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें धोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-मार्जन पर्याप्त है; भूती हटाया हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक सिद्ध-भोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौआ या कुत्तो से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 'पवमान सुवर्जन' (तैत्तिरीयब्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७।९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (कीटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चौब मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नहीं खाना चाहिए।<sup>१२</sup> किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयीं हों तो याज्ञ० (१।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से उस पर मसम-मिश्रित जल एवं घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था दी है कि जिन भोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट पड़े हुए हों या जो चिमी के पैर से धक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूँछ (या कोई शरीरग) पड़ा गया जाय, उसे नहीं खाना चाहिए।

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्ना एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो ता प्रोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो तो जल से धो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५=विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (पोड़ी मात्रा में), जिसका एवं अन्न (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, मनुष्य के पैर द्वारा धक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छीक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि

७२. असिद्धस्याप्रस्य याधन्मात्रमुपहत तन्मात्रं परित्यज्य दोषस्य कण्डनप्रसालने कुर्यात्। द्रोणाधिकं सिद्ध-मन्त्रमुपहर्तं न दुष्यति। तस्योपहृतमात्रमपारस्य गायत्र्याभिमन्त्रित सुवर्णम्भिः प्रशिषेद् अस्तस्य च प्रदस्येदग्नेः च। विष्णु० (२३।११)। शुद्धिकी० (पृ० ३।१७) ने 'सूर्यस्य दस्येदग्नेः च' पढ़ा है।

७३. नित्यमभोग्यम्। केशकीटावपन्नम्। रजस्वलाहृत्प्लज्जुनिपदोपहृतम्। गी० (१७।८-१०)।

एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७१-७५) ने इस विषय में यों कहा है—‘ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूँघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।’<sup>५५</sup> शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि एक द्रोण से अधिक भोजन घनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्रिद्रों के लिए एक आढक भोजन के विषय में भी लागू होती है।<sup>५६</sup>

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा—तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो जल-मार्जन पर्याप्त है।<sup>५७</sup> शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।<sup>५८</sup>

कुछ वाते वस्त्र-परिधानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित्त होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु-आश्र्वलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए श्वेत वस्त्र (धोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेत वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पर्श से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूत्र का त्याग कर सकते हैं। त्रसर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), याज्ञ० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा—रेशमी एवं ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र श्वेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० (२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८) ने कहा है कि वाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं मूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने) से स्वच्छ हो जाते हैं।

७४. काकश्वानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्रोणाढके भवेत् ॥ अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यच्च लालाहृतं भवेत् । सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताग्नेनैव तापयेत् ॥ हुताग्नेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात् ॥ पराशर (६।७१-७४) एवं शु० प्र० (पृ० १२८-१२९) ।

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है।

७६. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनेन स्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ मनु (५।११५) । कुल्लूक ने व्याख्या की है—“प्रादेशप्रमाणकुंशपत्रद्वयाम्यामुत्पवनेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (पृ० १३३) ने यों लिखा है—“उत्पवने वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाद्यर्पणयनमित्युक्तम् ॥”

७७. निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथैव च । कुसुम्भकुंकुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा । प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ शंख (१६।११-१२) ।

स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्वपूर्ण समझकर छोड़ रहे हैं। दो-एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५।११९) ने कहा है कि चर्म एवं बग्न की तीलियों (या बेटों) से बनी हुई वस्तुएँ वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और धाक, मूल एवं फल आदि अन्न के सङ्ग स्वच्छ किये जाते हैं। मनु (५।१२०-१२१) ने पुनः कहा है कि मीष, घाव, सींग (भैंसों एवं भेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूत्रों के दाँत सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, पास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१।१८५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बाता पर निर्भर है, अर्थात् वे धातु की हैं या मिट्टी की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या छोटी, या ढेरी में हैं अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या माघारण, आदि।

मनु (५।११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधना का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ७ ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से अशुद्ध की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११)। पतित (ब्रह्मघातक आदि), चाण्डाल, सद्यः प्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्श करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर भी है (गीतम० १४।२८-३०, मनु ५।८५ एवं १०३, अगिरा १५२, आ० घ० सू० १।५।१५। १५ १६ एवं याज्ञ० ३।३०)। बौ० घ० सू० (१।५।१४०) में आया है कि वेद विक्रेता (घन लेकर पढ़ाने वाले), यूप (जिसमें सिर बांधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्तों एवं चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नान करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है।<sup>५५</sup> इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस प्रकार मन्दिर या धार्मिक जुलूम में, विवाहा उत्सवों एवं तीर्थों में मेले-उल्ले में अस्पृश्यता के स्पर्श के विषय में नियम ढीले कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरपा के प्रति छूट की आर सकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है जैसा कि शुद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा—प्रथम बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जनताशौच के आधार पर (माता को छोड़कर) छूट नहीं लगती, और यह बात प्रकट है कि मरणाशौच वाल व्यक्ति मन्दिर में, विवाहों, धार्मिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते समय (यथा—धार्मिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्यक्रमणों में सम्मिलित होते समय) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर मकेत करती है।<sup>५६</sup>

७८ वैश्विक्रियणं यूपं पतितं चित्तमेव च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं श्वानं चण्डालमेव च ॥ बौ० घ० सू० (१।५।१४०)। चैत्यवृक्षचित्तयूपं पश्चाण्डालं सोमधिकथो। एतास्तु ब्राह्मणं स्पृष्ट्वा सर्वलो जलमाविशेत् ॥ पराशर (शु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्याख्या की है—चैत्यवृक्षो ग्राममध्ये वैश्वपूजावृक्ष, यूपोन्त्येष्टिकमयूपं चित्तं सनिधानात्)।

७९ तीर्थे विवाहे यात्राया सप्रामे वैश्विप्लवे। नगरग्रामवाहे च स्पृष्ट्वास्पृष्टिनं बुध्यति ॥ बृहस्पति (शु० कौ०, पृ० ३२३, शु० प्र०, पृ० १३०)। और देखिए स्मृतिच० (१, पृ० १२१-१२२), जिसने यह एव अन्य भी उद्धृत किये हैं—“वैश्वपूजावैवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च। उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्ट्वास्पृष्टिनं विद्यते ॥... (शातातप एव षट्त्रिंशत्तम)।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (घन,) स्थल (जहाँ वे रहते थे या धार्मिक कृत्य करते थे), पात्रो (उनके द्वारा व्यवहृत वस्तुओं), भोजन-नामसी एवं पूजा-नामसी की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आधुनिक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कठे लगते होंगे; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखाएँ छान्दोग्योपनिषद् ७।२६।२ "आहारशुद्धौ मत्त्वशुद्धिः" एवं हारीन)। यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा—अन्नों की ढेरी या सिद्ध अन्नो की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम गृहिष्ठा एवं साधारण जानकारी पर निर्भर थे। आजकल जहाँ भी यही भोजन, पान करते हुए हम सम्भवतः नियम-विरोध के सीमातिक्रमण में पीड़ित हो रहे हैं।

## अध्याय ९

### श्राद्ध

वर्द्ध दृष्टिमा से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है।

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिभाषा या दी है—‘जा कुञ्ज उचित काल, पात्र एव स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रानुमोदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्राद्धपूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।’ मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने श्राद्ध का या परिभाषित किया है—‘पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्राद्धपूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।’ नल्परतह की परिभाषा या है—‘पितरों का उद्देश्य करके (उनके लान के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एव ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।’ श्रद्धेय के श्राद्धविवेक एव श्राद्धप्रकारों ने मिता० व समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ-सी गयी है। याज्ञ० (१।२।६८—अग्निपुराण १६३।४० ४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा—वसु, रुद्र एव आदित्य, जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध में सन्तुष्ट होकर मानवा के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एव मनु (३।२।८४) की उक्ति यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा—पिता, पितामह एव प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात् वसुजो, रुद्रा एव आदित्या के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है, होम, पिण्डदान एव ब्राह्मण-स्मरण (ब्राह्मण-सन्तुष्टि, मात्र आदि से), किन्तु श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है।

१. देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विविता च यन् । पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्त श्राद्धमुदाहृतम् ॥ ब्रह्मपुराण (श्राद्धप्रकारा, पृ० ३ एव ६, श्राद्धकल्पलता, पृ० ३, परा० मा० १।२, पृ० २९९) । मिता० (याज्ञ० १।२।१७) में आया है—‘श्राद्ध नामादनीयस्य तत्स्थानानापत्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः । श्राद्धकल्पनश्च (पृ० ४) में ऐसा कहा गया है—‘एतेन पितृनुद्दिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं श्राद्धस्वरूपं प्रथानम् । श्राद्धक्रियाकीमुदी (पृ० ३-४) का कथन है—‘कल्पनदलभगमप्यनुपादेव सग्यासिनामात्मश्राद्धे वैवश्राद्धे सनकाविश्राद्धे चाप्याप्ते । श्रौततद्दत्तं पितृभक्ति में आया है—‘अत्र कल्पनदकारं पितृनुद्दिश्य द्रव्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तो हि श्राद्धमित्याह तत्रमुपनम् ।’ शोषकलिका (याज्ञ० १।१।२८) ने कल्पनद की बात मानी है। श्राद्धविवेक (पृ० १) ने इस प्रकार कहा है—‘श्राद्ध नाम वैवश्राद्धोपनिषत्प्रालम्भनपूर्वकप्रतीतपितरादिदेवतोद्देश्यको द्रव्यत्यागविशेषः । श्राद्धप्रकारा (पृ० ४) ने इस प्रकार कहा है—‘अत्रान्यन्स्वाहितकल्पनचतुर्णाञ्जोवनया प्रतीतमात्रोद्देश्यकाप्रत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्यङ्गकस्य श्राद्धपर्यायत्वं प्रतीयते । श्राद्धविवेक का कथन है कि ‘द्रव्यत्याग’ शब्द के दाय्यो द्वारा निर्मित (वैवश्राद्धोपनिषत्) है और स्वर्गीय दृष्टि वस्तु मुपात्र ब्राह्मणों को (प्रात्रालम्भनपूर्वक) दी जाती है। श्राद्धप्रकारा में ‘प्रतिपत्ति’ का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त किसी वस्तु की अंतिम परिणति, जैसा कि ‘दशपूर्वमात्रं यज्ञे मे सह शालया प्रस्तरं प्रहरति’ नामक वाक्य आया है। यहाँ ‘शालाप्रहरण’ ‘प्रतिपत्ति’ है (जैमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अर्थकर्म। इसी प्रकार आहितानि के साथ उससे यज्ञपात्रों का दाह प्रतिपत्ति है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है) ।

इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होनी ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितृगण श्राद्ध से सन्तुष्टि पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति नर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”- ऐसे वचन मिलते हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि मात्र० (११२६९) न श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इन्हीं प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्राद्ध-श्रुतियों में ऐसा नहीं है कि केवल ‘देवदत्त’ आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तकर्ता हैं जोर वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह शब्दा से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रा एवं आदित्यों-जैसे अधीश्वर देवताओं के साथ ही घोषित होते हैं। जिस प्रकार ‘देवदत्त’ आदि शब्दा से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं का घोटन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से त्रिभिन्दीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ आदि शब्द अधीश्वर देवताओं (वसु, रुद्र एवं आदित्य) के साथ ‘देवदत्त’ एवं अन्या के सम्मिलित रूप का घोटन करते हैं। अतः वसु आदि अधीश्वर देवतागण पुराण आदि द्वारा दिये गये भोजन-मान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात् देवदत्त

वैसे ही पितृ शब्द से घोषित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुभा, रुद्रा एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में बने जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अविच्छेदात्ता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तकर्ता होते हैं, श्राद्ध स तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४)। श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस प्रकार बछ्वा अपनी माता को इतस्तव फंली हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त भोजन को पितरों तक ले जाते हैं।\*

श्राद्धकल्पिता ने मार्कण्डेयपुराण के आचार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें बहुत खीचातानी है। मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह है कि श्राद्ध में जो अन्न-मान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० १४४।७४-७५)। इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ दुष्पलों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास बटी है, जो मकड़ों कोस दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि यौनि में परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपना सन्तानों को आयु, धन आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितरों को कुछ भी नहीं दे सकते।

४. यथा गोषु प्रनष्टानु वत्सो विन्दति मातरम् । तथा धाद्वेषु दुष्टान्तो (वत्साम् ?) मन्त्रः प्रापयते तु तम् ॥  
मत्स्य० (१४१।७६); वायु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषणपाद (२१८-९।११), उपोद्गात-  
पाद (२।१२-१३), जंसा कि स्मृतिच० (धा०, पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देविए धा० क० स० (५०५)।



प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है (अर्थात् अपने में सभी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण करते हुए भी श्राद्धों की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है—'यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है—'वह, जिसका पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए।

जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्-वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' वी० ध० सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्पतरु) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५ = उत्तरार्ध १३।१३-१५). में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, मक्ष्यों, पेयों, गायों, अश्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३।१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१।८।५-७) ने व्यवस्था दी है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुर्दिक् १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (और जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके (मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है)। विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) में आया है—'मृतात्मा श्राद्ध में 'स्वघा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग

५. वयसां पिण्डं दद्यात् । वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । वी० ध० सू० (२।८।१४) ; न च पश्यत काकादीन् पक्षिणस्तु न वारयेत् । तद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥ औशनसः ; न चात्र श्येनकाकादीन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत् । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम् ॥ देवल (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० १७) ।

६. श्राद्धकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः । आविशन्ति द्विजान् वृष्ट्या तस्मादेतद् भ्रवीमि ते ॥ वस्त्रेभ्यः प्रदानेस्तेभ्यश्चपेयैस्तथैव च । गोभिरश्वैस्तथा ग्रामैः पूजयित्वा द्विजोत्तमान् ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मादग्नेन विधिवत् पूजयेद् द्विजसत्तमान् ॥ वायु० (७५।१३-१५) ; ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षागः । वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम् ॥ औशनसस्मृति ।

मे) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लाल में हो), या निम्न पशुओं की यानि में हो, या मानव रूप में हो, सम्प्रतिवाया द्वारा ध्याद्ध में प्रदत्त नोजन उसके पास पहुँचता है, जब ध्याद्ध सम्पादित होता है तो मृतारुमा एव ध्याद्धकर्ता वाना को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त हानो है।\*

ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मत से ध्याद्ध का वर्णन पाँच भागा में किया जाना चाहिए, बँने, वहाँ, कब, किसके द्वारा एव किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हम 'पितर' शब्द की अन्तर्निहित आदिकाशीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हम यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन बाल में (जहाँ तक हम साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी।

'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत पूर्वज एव (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पूर्वज लोक के जयिवासी के रूप में कल्पित हैं।\* दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एव ७, १०।१५।२ एव १।१७।३९) — "बहु सोम जो दानितमान् होता चला जाता है और दूसरों को दानितमान् बनाता है, जो ताननेवाँ से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान (सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की—वही सोम, जिनकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौएँ छिपाकर रखी हुई थी) को एव उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया।" ऋग्वेद (१०।१५।१) में पितृगण निम्न, मध्यम एव उच्च तीन श्रेणियाँ में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, परचालालीन एव उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० १०।१५।२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वचनों को ज्ञात नहीं है (ऋ० १०।१५।३)। वे कई श्रेणियाँ में विभक्त हैं, यथा—अगिरस्, वैश्य, अयवन्, भृगु, नवम्ब एव दशम्ब (ऋ० १०।१५।५-६); अगिरस् लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोना को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१५।३५)। ऋ० (१।६२।२) में ऐता कहा गया है— जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अगिरस्, जिन्होंने उसकी स्तुति-बन्धना की और जो स्वान को जानत थे, गौओं का पता लगा सके।" अगिरस् पितर लग स्वयं दो भागा में विभक्त थे, नवम्ब एवं दशम्ब (ऋ० १।६२।४, ५।३९।१२ एव १०।६२।६)। कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किए गये हैं (ऋ० ४।४२।८ एव ६।२२।२) और कभी-कभी नवम्ब एव दशम्ब भी मत्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२।४)। अगिरस् ऋा अग्नि (ऋ० १०।६२।५) एव स्वर्ग (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, विश्वपत्त यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एव १०।१५।८-१०)। वे सोमप्रमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एव ५, १।१७।३९), वे कुस पर बैठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एव इन्द्र

७ पितृलोकगतश्चात्र ध्याद्धे भुक्त्वे स्वधासमम् । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छ्राद्धं प्रयच्छन् ॥ देवत्वे यातनास्थाने तिर्यग्योनीं त्वं च । मानुष्ये च तवाप्नोति ध्याद्धं वत् स्ववाग्ब ॥ प्रेतस्य ध्याद्धकर्तुंश्च पुष्टिः ध्याद्धे कृते ध्रुवम् । तस्माच्छ्राद्धं सदा कार्यं शोकं त्यक्त्वा निरयंक्तम् ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३।४९-५१)।

८ यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय (इण्डो-यूरोपियन) नहीं है तो कम-से-कम भारत-भारतस्य (इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र क्रयशियो (क्रवशीस=अपेजी बहृषचन) के विषय में चर्चा करते हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रयुक्त 'पितृ' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों) का 'मिनस' शब्द है। वे मृत लोगों के अमर एव अघिष्टाता देवता थे। क्रमशः 'क्रवशी' का अर्थ विलीन हो गया और उसमें देवता तथा पृथिकी एव आकाश जैसे बस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात् प्रत्येक में क्रवशी पाया जाने लगा।

के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०१५।१० एवं १०१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जाता है (ऋ० १०१५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०१६।१-२ एवं ५=अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०१७।३)। पश्चात्कालीन ग्रन्थों में भी, यथा मार्कण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा को आरम्भ में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा—देव, असुर, पितर एवं मानव प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)—‘इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते।’

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०१४।१ एवं ८, १०१५।१४ एवं १०१६।५)। मृतात्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत् कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास (विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०१४।९, १०१५।३ एवं १०१६।४)।

यद्यपि ऋ० (१०।६।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्त (१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है—“हम श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत् मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा करें।” ऋ० (१।३।५।६) में आया है—‘तीन लोक हैं; दो (अर्थात् स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक (अर्थात् मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।’ ‘महान् प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह) पितरों का दान है (ऋ० १०।१०।७।१)।’ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। ऋ० (१०।१३।८।१-७) में यम कुछ मित्र भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०।१४।२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७)। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६।

पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यथा—पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः। अन्तिम दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११=तै० सं० २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यों की है—“जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चर एवं पुरोडाश के समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।१।५) एवं काठकसंहिता (९।६।१७)। पश्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों के नामों के अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्दीपुराण (हेमाद्रि) में आया है—ब्राह्मणों के पितर अग्निष्वात्ता, क्षत्रियों के बहिषद, वैश्यों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु ३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के लिए क्रम से सोमपाः, हविर्भुंजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, बहिषद्, अग्निष्वात्ता एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४।१।४, १४।१।५-१८)। शातातपस्मृति (६।५-६) में पितरों की १२-

कोटिया या विनागा के नाम आये हैं, यथा—विण्डभाज (३), लोपभाज. (३), नान्दीमुख (३) एव अधुमुख (३)। यह पितृ विभाजन दो दृष्टियां म हुआ है। यानु० (७२।१ एव ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उगोद्घात १।५३), पप० (५।१।२-३), विष्णुधर्मोत्तर (१।१३।८।२-३) एव अन्य पुराणां म पितरा के सात प्रकार आय हैं, जिनम तीन अमूर्तिमान् हैं और चार मूर्तिमान्, वहाँ उनका और उनको सतति वा विगद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। स्वन्दपुराण (६।२१६।१-१०) म पितरा को नौ कोटियां दो हैं, अग्निध्याता, बर्हिषवः, आन्यपा, सोमपा, रश्मिपा, उपहृता, आयन्तुन, आच्छभुज एव नान्दीमुखा। इन सूची म नय एव पुराने नाम सम्मिलित है। भारतय लोग भागो, उपविभागा, विनाजना आदि म बडा अभिष्टिचि प्रदर्शन करत हैं और सम्भवत यह जसी भावना का एक दिग्दर्शन है। मनु (३।२०१) न कहा है कि ऋषियां स पितरा की उद्भूति हुई, पितरा स देवा एव मानवा की तथा देवा स स्वार एव जगम के मपूर्णं लोक की उद्भूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरो से उद्भूत माने गये हैं; यह बंबल पितरा की प्रसक्ति है (अर्थात् यह एक अर्धवाद है)।

पितर लोच देवा से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पचजना मम होव जुपध्वम्' म प्रयुक्त शब्द 'पचजना' एव अन्य वचना के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पांच काटियां हैं अक्षरात्रा के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सप्त एव राक्षस। निरुक्त ने इसका कुछ अंश म अनुसरण किया है (३।८) और अपनी ओर स भी व्याख्या की है। अथर्ववेद (१०।६।३२) म देव, पितृ एव मनुष्य उसी क्रम म उल्लिखित हैं। प्राचीन वैदिक उक्तियां एव व्यवहार देवा एव पितरो म स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० स० (६।१।१।१) में आया है—

५।६)। शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बायें बाहु के नीचे) यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा— तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास (के अन्त) म (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेज्री होगी एव चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।" देवों से उसने कहा— यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एव सूर्य तुम्हारा प्रकाश।" तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन पितरो म जा देवों के स्वभाव एव स्थिति के हैं एव उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है।

कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यो एव पितृ-कृत्यो की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बाय कंधे एव दाहिने हाथ के नीचे रखता है एव पितृ-कृत्य करनेवाला दायें कंधे एव बाय हाथ के नीचे रखता है देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाग्निमुख होकर आरम्भ किया जाता है, देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया जाता है और पितृ-कृत्य दक्षिण-पश्चिम म समाप्त किया जाता है, पितरो के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या सातानुकूल कई बार किया जा सकता है, प्रदक्षिणा करने में दक्षिण भाग देवा की ओर किया जाता है और बायां भाग पितरा के विषय में किया जाता है, देवों को हवि या आहुतियां देते समय स्वाहा' एव वषट्' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरो के लिए इस विषय म 'स्वधा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चारित होत हैं, पितरो के लिए दम जड़ से उलाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर। बौवा० श्रौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है। स्वयं ऋ० (१०।१४।३ स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति')

९ प्रागवर्णाग्रपचर्षणि वा प्राङ्मुख प्रदक्षिण यज्ञोपवीतो देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुल प्रसव्य प्राचीनावतो विभ्र्याणि। बौ० श्रौ० (२।२)।

ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों को अमर एवं पितरों को मर कहा है।

यद्यपि देव एवं पितर पृथक् कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में रखते हैं। ऋ० (१०।१।५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६।८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामर्पिंशन्) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में रखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें 'उपा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया है (ऋ० ७।७।६।३)। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। भाँति-भाँति के वरदानों की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० (१०।१।४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द देने (ऋ० १०।१।५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० १०।१।५।७ एवं ११)। ऋ० (१०।१।५।११) एवं अथर्व० (१।८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शूर पुत्र देने को कहा है। अथर्व० (१।४।२।७।३) ने कहा है—'वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें।' वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है—'हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्भ में (आगे चलकर) कमलों की माला पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय', जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।<sup>१०</sup> इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों में भय-तत्त्व का सर्वथा अभाव था।<sup>११</sup> उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१।५।६) में आया है—“(त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५।५।२) में हम पढ़ते हैं—“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें।” ऋ० (१०।६।६।१४) में ऐसा आया है—“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश वाणी (मन्त्र) परिमार्जित की या गढ़ी।” यहाँ 'पितृ' एवं 'ऋषि' दो पृथक् कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी है।<sup>१२</sup>

१०. आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करलजम् । यथेह पुरुषोऽसत् ॥ वाज० सं० (२।३३) । खादिरगृह्य० (३।५।३०) ने व्यवस्था दी है—'मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति'; और देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं कौशिकसूत्र (८।९।६) । आश्व० श्रौ० (२।७।१३) में आया है—'पत्नीं प्राशयेदाधत्त पितरो... लजम्।' अश्विनो को पुष्करलजो कहा गया है, अतः 'पुष्करलज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एवं सुन्दर हो। 'यथेह... असत्' को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है—'येन प्रकारेण इहैव क्षितौ पुरुषो देवपितृमनुष्याणामभीष्टपूरयिता भूयात् तथा गर्भमाधत्त।' देखिए हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व । कात्यायनश्रौ० (४।१।२२) ने भी कहा है—'आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नीं प्राशनाति पुत्रकामा।'

११. मिलाइए वुलियामीकृत 'इम्मॉर्टल मेन' (पृ० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है।

१२. देवाः सौम्याश्च काव्याश्च अयज्वानो ह्यपोनिजाः । देवास्ते पितरः सुर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुष्यपितरश्चैव तेम्योऽप्ये लौकिकाः स्मृताः । पिता पितामहश्चैव तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२।८।७०-७१); अंगिराश्च ऋतुश्चैव कश्यपश्च महानृपिः । एते कुक्कुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः ॥ एते च पितरो राजन्नेव श्राद्धविधिः परः । प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (९।२।१-२२) । इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्ती मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं।

वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितरः' शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १।६।१।५)। शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है—'हे पितर लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, वैलों के समान अपने-अपने माग पर स्वयं आजो" (वाज० स० २।३१, प्रथम पाद)। कुछ (तै० स० १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है—"यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे पीछे आते हैं।" किन्तु शतपथब्राह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनायी चाहिए—"यहाँ यह तुम्हारे लिए है।" शत० ब्रा० (१२।८।१।७) में तीन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु० (२।१३ एवं ७।५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वर्णित है। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊँगा और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात् पितरों का आह्वान करना चाहिए), यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों में, अर्थात् वसुधा, रुद्रा एवं आदित्यों से तथा मानवा से, यथा—वर्ता के पिता तथा अन्यो से। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व में उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता बने गये हैं।

वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विराट् वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काव्य, बहिवद एवं अग्निष्वात्स। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा बराह० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०।१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान् हैं और तीन अमूर्तिमान्। सातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डमाज, लेपमाज, नान्दीमुखा, एवं अधुमुखा। स्थानाभाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे।

सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता एवं उससे उत्पन्न बल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी है—"पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञ के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवा एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते हैं। तब (मनुष्या को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की मज्ञा मिली है जो मानव जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की आर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग (जिन्हें भोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञ के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर मान जाते हैं।" इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० प० मू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों का पितामह प्रमाण कृत्य है। ब्रह्मण्यपुराण (उत्तराध्याय ९।१५ एवं १०।९९) ने मनु को श्राद्ध के कृत्य का प्रवक्तृ एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४५।३८) एवं भागवत० (३।१।२२) ने श्राद्धदेव कहा है। इसी प्रकार मानिपत्रं (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि श्राद्ध देवा का

संस्थापन विष्णु के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन ही चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है (ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३)। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'श्राद्ध' शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) <sup>१३</sup>, महापितृयज्ञ (चातुर्मास्य या साकमेव में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्भिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद् (१।३।१७) में 'श्राद्ध' शब्द आया है; 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की सभा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त तर्कशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई।

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वी० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों के कृत्यों से दीर्घ आयु, स्वर्ग, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२।१।१) में आया है— श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का कथन है—श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।<sup>१४</sup> वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।<sup>१५</sup> और देखिए याज्ञ० (१।२७०)। श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३।४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूर्मपुराण में आया है कि "अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे भूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो

१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जैसा कि गोभिलगृह्य० (४।४।१-२) में आया है—'अन्वष्टक्यस्यालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छ्राद्धमितरदन्वाहार्यम्।' और देखिए श्रा० प्र० (पृ० ४)। पिण्डपितृयज्ञ एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१।

१४. पित्र्यमायुष्यं स्वर्ग्यं यशस्यं पुष्टिकर्म च। वी० घ० सू० (२।८।१)। श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकः श्राद्धे योगः प्रवर्तते॥ हरिवंश (१।२।१।१)। श्राद्धात्परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम्। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः॥ सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, ३३३)।

१५. आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियः। पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥ यम (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३ एवं श्राद्धसार पृ० ५)। ऐसा ही श्लोक याज्ञ० (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३।२।३८) एवं शंख (१।४।३३) में भी है।





हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे;

(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्निनों में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्निनों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आश्व० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगृ० २।१०।१७, आप० गृ० ८।२।११, विष्णुपुराण ३।१४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अव्याय ३० एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व है, किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतभेद नहीं है।

गीतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात् किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४।२।४०)। श० ब्रा० (६।२।२।२३) में आया है—'पूर्णिमा के पश्चात् आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्) अष्टमी पवित्र है और प्रजापति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त्र-पाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है—'वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।'<sup>१७</sup> अथर्ववेद (३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि 'जो लोग संवत्सर सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी है।' जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात् की अष्टमी कहा है। आप० गृ० (हरदत्त, गीतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है।<sup>१८</sup> इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।<sup>१९</sup>

आश्व० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात् कृत्य) चार थे; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में सभी गृह्यसूत्र, यथा—मानवगृ० (२।८), शांखा० गृ० (३।१२।१), खादिरगृ० (३।२।२७), काठकगृ० (६।१।१), कौपितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीर्ष (आग्र-

१७. अष्टकालिगाश्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जैमिनि० १।३।२)। शबर ने इसे जैमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है—'यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीम्। संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमंगली ॥' और उन्होंने जोड़ दिया है—'अष्टकार्ये सुरावसे स्वाहा'। अथर्ववेद (३।१०।२) में 'जनाः' के स्थान पर 'देवाः' एवं 'धेनुमिवायतीम्' के स्थान पर धेनुमुपायतीम् आया है।

१८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वार्तिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द 'अष्टन्' से बना है। पा० (७।३।४५) का ९वाँ वार्तिक हमें बताता है कि 'अष्टन्' से 'अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता पितर लोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा 'अष्टिका खारी'।

१९. माघ की पूर्णिमा वर्ष का मुख कहलाती है, अर्थात् प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता था। पूर्णिमा के पश्चात् अष्टका-दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व था और यह वर्षारम्भ (वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है।

हायग) की पूर्णिमा के पदचातुर्मास की तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था), अर्थात् मागशीर्ष, पौष (तैप) एव माघ के कृष्ण पक्ष में। गामिलगु० (३११०।४८) न लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टवार्षे चार हैं और सभी में मास दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एव वानसपिंड ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। वी० गू० (२।११।१) के मत से तैप माघ एव फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गू० (२।४२) ने एक विकल्प दिया है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। वी० गू० (२।११।१-४) न व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथिया (७वीं, ८वीं एव ९वीं) को या केवल एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी सम्पादित हो सकता है। हिरण्य० गू० (२।१४।२) ने केवल एक अष्टका कृत्य की अर्थात् माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गू० (२।१५) ने भी एकाष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जाड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एकाष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गू० (२।१४ एव १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात् ८वीं, ९वीं (जिस दिन पितरा के लिए गाय की बलि होती थी) एव १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैशानस स्मातसूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या ९वीं तिथियों में होता है।

आहुतिया के विषय में भी मत-मतान्तर हैं। षाठ० गू० (६।१३), जैमि० गू० (२।३) एव साख० गू० (३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एव अपूप (पूजा या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गू० (३।३) एव सादिरगू० (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपा (पूजो) की (इसी से गामिलगू० ३।१०।९ ने इसे अपूप्याष्टका कहा है) एव अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। सादिरगू० (३।४।१) के मत में गाय की बलि होती है। आश्व० गू० (२।४।७।१०), गामिलगू० (४।१।१८-२२), कौशिक (१३।८।२) एव वी० गू० (२।११।५।१।६।१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं—गाय या भेड़ या बकरे की बलि देना सुलभ जंगली मास या मधु तिलयुक्त मास या मेडा, हिरन, मैना, मूबर, शशक, चित्ती बाल हिरन, रोहित हिरन, कबूतर (या तीतर) सारंग एव अन्य पक्षियों का मास या किसी बूढ़े लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूध में पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अपवा गाय या माँडो के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदन को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका सम्पादन करता हूँ' ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।

२० अथ यदि या न लभते मेघमज्जं चालभते। जारष्येन वा मासेन यथोपपन्नम्। सद्गममगमहियमेघवराह-  
पुषतशशरोहितशार्ङ्गतिरितिकपोतकपिजलवाध्रौणसानामक्षय्यं तिलमधुसत्सृष्टम्। तथा मत्स्यस्य शतवर्ष (?)  
क्षीरोदनेन वा सुषोदनेन वा। यद्वा भवत्यामैर्वा मूलफलैः प्रदानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्। अपि वा गोप्रासमा-  
हरेत्। अपि वानुचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्। अपि वा श्राद्धमन्त्रानधीयते। अपि वारष्येतिना कश्चमुपोदेया मेष्टकेति।  
न त्वेषानष्टका स्यात्। वी० गू० (२।११।५।१-६।१), अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्। तस्या हर्षोपि धाना करम्भ  
शक्नुत्य पुरोडास उदोचन् क्षीरोदनस्तिलोदनो यथोपपादयन्। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। वाध्रपक्ष के अर्थ  
के विषय में आगे लिखा जायगा।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वार्तिक एवं काठकगृ० (६११) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२।४।२२) ने अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विश्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं पशु। गोमिल गृ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं वीधायन के गृह्यसूत्रों में विशद विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२।१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२।१।१०) ने लिखा है—“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गाय को दर्भ स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वषा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह दूध में पके हुए आटे की आगे के मन्त्र (२।२।१।१ 'उक्थ्यश्चातिरात्रश्च') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२।२-९) के साथ घृत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० गृ० ८।२।१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१।३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुवर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

हायग) की पूणिमा के पश्चात् आठवी तिथि (जिस आषाढायणी कहा जाता था), अर्थात् मागसीयं, पीप(तैप) एव माघ के वृष्ण पक्ष म। गानिलगु० (३११०४८) न लिखा है कि वीर्य के मत स अष्टराएँ चार हैं और सभी म मास दिया जाता है, किन्तु गौतम, ओद्गाहमानि एव वासगण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। वी० गु० (२१११। १) के मत स नैप, माघ एव फाल्गुन म तीन अष्टवाहाम क्रिय जाते हैं। आश्व० गु० (२१४२) ने एक विकल्प दिया है कि अष्टवा वृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित क्रिय जा सकत हैं। वी० गु० (२१११। १-४) न व्यवस्था दी है कि यह वृत्य माघ मास के वृष्ण पक्ष की तीन तिथिया (७वा, ८वी एव ९वी) को या केवल एक दिन (माघ वृष्णपक्ष की अष्टमी) का भी सम्पादित हो सकता है। हिरण्य० गु० (२११४।२) न केवल एक अष्टवा वृत्य की, अर्थात् माघ के वृष्ण पक्ष म एकाष्टका का व्यवस्था दी है। भारद्वाज गु० (२११५) ने भी एकाष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जाड़ दिया है कि माघ वृष्ण पक्ष की अष्टमी का, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा म चहुता है, एकाष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गु० (२११४ एव १५) के मत स अष्टका तीन दिना तक, अर्थात् ८वी, ९वी (जिस दिन पितरा क लिए गाय की बलि हाती थी) एव १०वी (जिस अष्टका कहा जाता था) तक चलती है। ब्रह्मसंस्मानमूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आश्विन) व वृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या ९वी तिथियो म होता है।

आहुतिया क विषय मे भी मत-मतान्तर हैं। काठ० गु० (६१।३), जैमि० गु० (२।३) एव शाखा० गु० (३।१२।२) न कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकात्रा म सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एव अपूप (पूजा या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गु० (३।३) एव खादिरगु० (३।३।२९ ३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपा (पूजा) की (इसो स गामिलगु० ३।१०।९ ने इस अपूपाष्टका कहा है) एव अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। खादिरगु० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गु० (२।४।७-१०), गोमिलगु० (४।१।१८ २२), कौशिक (१३८।२) एव वी० गु० (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं—गाय या भेड़ या बकरे की बलि देना, मुलम जगने मास या मधु तिलयुक्त मास या गेंडा, हिरन, भैंसा, मूअर, शसक, घिती वाटे हिरन, रोहित हिरन, बबूतर (या तीनर) सारग एव अन्य पक्षिया का मास या किसी बूड़े लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूध मे पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा गाय या साँडा के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन म केवल झाड़िया जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ को पाना रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका नपादन करता हूँ' एसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।

२० अथ यदि गा न लभते भेषमज वालभते। आरभ्येन वा मासेन यथोपपन्नेन। खड्गमृगमहिषमेघवराहं पृथतशशरोहितशाङ्गं तिस्रिरिकपोतर्कापजलवाध्रौणसानामक्षय्यं तिलमयुससृष्टम्। तथा मरत्यस्य द्रतवले (?) क्षीरोदनेन वा सुपोदनेन वा। यद्वा भयत्यामर्वा मूलफलं प्रदानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्। अपि वा गोघासमाहरेत्। अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्। अपि वा श्राद्धमन्त्रानधीयीत। अपि वारभ्यग्निना कक्षमुपोषेदेवा मेष्टकेति। न त्वेवाण्टक स्यात्। वी० गु० (२।११।५१-६१), अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहृयात्। तस्या हवीषि घाना करम्भ शण्डुल्य पुरोडाश उदीदन क्षीरोदनस्तिलोदनो यथोपपादिपशु। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। वाध्रणस के अर्थ के विषय मे आगे लिखा जायगा।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वार्तिक एवं काठकगृ० (६११) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विश्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं पशु। गोमिल गृ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं वीधायन के गृह्यसूत्रों में विशद विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिमापा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२।११०) ने लिखा है—“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गाय को दर्भ स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप से (विना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फँलाकर तथा उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र (२।२।११ 'उक्थ्यश्चातिरात्रश्च') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२।१२-९) के साथ घृत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० गृ० ८।२।११-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१)। इसे पार० गू० (३।३।३०), मनु (४।१५०) एवं विष्णु० (७।४।१ एवं ७।६।१) ने अन्वष्टका की सजा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में स्त्री पितरो का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माद, जजन, लप एवं मालाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गू० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौध्वा० गू० (३।१।२।१), गोमिल० (४।४) एवं खादिर० (३।५।३५) ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य का आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६।१।१।६७, ६।१।१ एवं ६।१।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुश्राद्ध (जिसमें पशु का मांस अर्पित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात् केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, दीप लागा के पास केवल गृह्य अग्निवा थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्डपितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यो-ज्यो पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, अमावस्या के दिन श्राद्ध करना रोप रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्राद्ध के रूप में रह गया और अन्य श्राद्धों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी से मासि-श्राद्ध ने प्रकृति की मज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि श्राद्ध में पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थी और कुछ बातें, यथा—अभ्य देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयी तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये।

अन्वष्टक्य का वर्णन आश्व० गू० (२।५।२।१५) में इस प्रकार है—उसी मास का एक भाग तैयार करके,<sup>११</sup> दक्षिण की ओर ढालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और चिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, अग्नि के चारों ओर यज्ञिय धास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामाग्न की अग्नि की ओर रखकर उसे (वर्ता को) हवि, यथा—मात, तिलमिश्रित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ पीठा भोजन एवं मधु के साथ मास रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्या के समान कर्म करने चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६)। इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थों को छोड़कर सभी हृषियों के कुछ भाग को मधु के साथ अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग पितरो को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड मिलाकर देना चाहिए। कुछ खाद्य हवि को गड़गा में रखने को कहते हैं, जिनकी सख्या दो से छ तक हो सकती है। पूर्व वाल गड़गा में पितरो को हवि दी जाती है और पश्चिम वाले में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रोष्ठपद (माद्रपद) की पूर्णिमा ने पश्चात् कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (वर्ता का) प्रति मास (अन्वष्टका जैसा कृत्य) पितरो के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम सख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात् विषम सख्या में ब्राह्मण एवं त्रियिया होनी चाहिए)। उस कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किन्हीं भी विषम सख्या वाले ब्राह्मणों को मोक्षण देना चाहिए। मासिक अवसर एवं त्र्याम्नप्रद ऋतुओं के सम्पादन पर सम सख्या में ब्राह्मणों को पितृगना चाहिए तथा अन्य अवसर पर विषम सख्या में। यह कृत्य वर्षों में दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग होता है।<sup>१२</sup>

२१ उस पशु का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आश्व० गू० २।४।१३)।

२२ 'वृद्धि' या 'आन्वृद्धिक' (सप्तमि या अच्छे भाग्य की ओर संकेत करनेवाले) धातु पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र

अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था।

आश्व० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारायण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात् सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामान्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है—(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्टकाएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की ऋतुएँ। विष्णु० (७८।५२-५३) ने भाद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (३।२७३) का भी कथन है कि वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघु के साथ पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उससे उन्हें असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ० (१।२६) एवं वराहपुराण में भी पाया जाता है। हिरण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसाभाव में शाक अर्पित हो सकते हैं। पार० गृ० (३।३) में मध्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपरार्क ने भी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२)। भविष्यपुराण (ब्रह्मपर्व, १८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पश्चात्कालीन महालय-श्राद्ध का पूर्ववर्ती है।

यदि आश्वलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्यावर्ष श्राद्ध को मान लिया जाय तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुर्विंशतिमतसंग्रह में भट्टोजी ने भी यही कहा है।

स्थानाभाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है।

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं।

गोमिलगृ० (४।४।३) में अन्वाहार्य नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक् मासिक श्राद्ध की चर्चा की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है—'पितृयज्ञ (अर्थात् पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो अभिनहोत्री अर्थात् आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना चाहिए। वृष लोग इस

या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-श्राद्ध को नान्दीमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है कूप, तालाव, मन्दिर, बाँटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरूप होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २५ एवं याज्ञ० (१।२५०) तथा शां० गृ० (४।४।१)।

मासिक श्राद्ध को अन्वाह्य कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकार के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पादित करना चाहिए।<sup>१</sup> इससे प्रकट होना है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृहान्निष्या में पिण्डान्वाहार्यक (या केवल अन्वाहार्य) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मार्त अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माप (उदं) का अर्पण होता है, अब कुछ आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्निवत् में मास नहीं अर्पित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं।

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्रो श्लोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे-

लेकर मध्यकालिक निबन्धों का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत-मतान्तरों को, जो कालान्तर में देसा, काला, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनावृत्तियों तथा समर्थता आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं की ओर सकेत मिलते हैं।<sup>११</sup> स्मृतियों एवं महाभारत (यथा—अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी—श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थसार स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वर्गचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (विब्लिओथिका इण्डिका माला, १७१६ पृष्ठों में), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिंहप्रसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द की श्राद्धक्रियाकोमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उर्फ नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग), दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), धर्मसिन्धु एवं मिताक्षर की टीका—बालमट्टी। श्राद्ध-सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार माघारण्य वाता से, यथा—देवों को भोजन-अर्पण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, परिवर्ति की परिभाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार वितना बड़ गया है।

सर्वप्रथम हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात् श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—विष्णुधर्मसूत्र) में व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे

२३. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २१५।२४-२५) में आया है—दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजाना श्राद्धकर्मणि।  
श्राद्धस्य बहवो भेदाः शाखाभेदैर्ब्यवस्थिताः ॥



उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (६५।१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट् मान्वाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात आदि अनाथों (जिन्हें महाभारत में दस्यु कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोज एवं धन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को धन भी दे सकते हैं।<sup>१६</sup> वायुपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोभिल-स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पश्चात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट था। यह बात भी गोभिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१)। अपराकं (पृ० ५३८) ने पट्टिशन्मत का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े भाई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं बृहत्सातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया में (पूर्वजां) को पिण्ड देता है।<sup>१७</sup> एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन वच्चा सूद्र के समान है और वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० ध० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २।८।४० एवं मनु २।१७२)। किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है। मेवातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है और 'शुन्वन्तां पितरः' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौतानियों या गृह्याग्नियों के अभाव में वह पार्वण जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है) वच्चों, स्त्रियों एवं शूद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, यथा—'देवेभ्यो नमः' एवं 'पितृभ्यः स्वधा नमः' का उच्चारण कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत वच्चों को श्राद्ध करना पड़ता था।

२४. यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शबरवर्बराः। शकास्तुषाराः कंकाश्च पल्लवाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥... कथं धर्माश्चिरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः। मद्विधेश्च कथं स्याप्याः सर्वे वै दस्युजीविनः ॥... मातापित्रोर्हि शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः।... पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपादच शयनानि च। दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसृजेत्सदा ॥... पाकयज्ञा महाहृश्च दातव्याः सर्वदस्युभिः। शान्तिपर्व (६५।१३-२१)। इस पर शूद्रकमलाकर (पृ० ५५) ने टिप्पणी की है— 'इति म्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्।'

२५. जीवतो वाक्यकरणात् प्रत्यब्दं भूरिभोजनात्। गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ त्रिस्थ-लीसेतु (पृ० ३१९)।

तै० स० (१।८।५।१) एव तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन स्व-सबधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं—प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति (जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर भाई, उमका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) पौत्र एव प्रपौत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।<sup>११</sup> मनु (१।१३७=वसिष्ठ १७।५=विष्णु० १५।१६) ने लिखा है—पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोको (स्वर्ग आदि) को प्राप्त करता है, पौत्र स अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है—अपने पुत्र, पौत्र एव प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एव स्वर्ग प्राप्त करता है।<sup>१२</sup> अतः जब मनु (१।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजा के प्रति अपने ऋणों को चुकाता है, तो दायभाग (१।३४) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का दायभाग है, क्योंकि तीनों को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 'पुत्र' शब्द को मनुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में वही कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक् ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एव पिण्डदान करता है। याज्ञ० (२।५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदा (असाध्य रोगों से प्रसूत आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र या पौत्र को वंश-सम्पत्ति में मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के साथ व्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज एक साथ वंशित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं देना पड़ता। इसमें प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२।५१) ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नही तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने के कारण उन ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में प्रपौत्र को सम्मिलित न करे तो याज्ञ० (२।५०) में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ 'पुत्रही-नस्य रिवियन ) में 'पुत्र' के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' को सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात में गव्य है कि मृत के तीन वंशज एक दूध में आते हैं, व उसका धन एव उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और 'पुत्र' शब्द में तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी वही कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो)। यदि 'पुत्र' शब्द का उपलक्षणस्वरूप नहीं माना

२६. अत्रिषु प्रपितामहं पितामहं पितां स्वयं सोदरान् भ्रातरं सवर्णान् पुत्रं प्रपौत्रं प्रपौत्रं एतान् विभक्तदायारान् सपिण्डानाचक्षते। विभक्तदायारान् सकुल्यानाचक्षते। सत्सङ्गेषु तद्गामो ह्यर्थो भवति।। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५)। इते दायभाग (१।३७) ने उद्धृत किया है और (१।३८) में व्याख्यापित किया है। भोत रविपुत्र दायत्व (पृ० १८९)।

जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात् एक आते हैं। यदि ‘पुत्र’ का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या (जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः ‘पुत्र’ शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ ‘पुत्र’ शब्द में तीन वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे ‘पुत्र’ का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें प्रपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। वीधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, वसिष्ठ (१।१।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल ‘पुत्र’ या ‘सुत’ का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया (हिंदू किंगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर ‘पुत्र’ शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते हैं, निराधार है।

जिस प्रकार राजा दायदहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिभावक है, उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है।

अब हम श्राद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा—भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आत्तिक यज्ञ जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण (जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १।५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; सिनीवाली एवं कुहू। आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू अमावास्या में श्राद्ध करते हैं।

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा—आत्तिक, अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा हो, यथा—पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य कहते हैं; यथा स्वर्ग, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात् उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरिहार्य नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात् इन कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ष० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित कालों की व्यवस्था दी है, यथा—इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों की अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१।५।३)

एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा सकता है और गौतम (१।५) ने पुनः कहा है कि यदि विसिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा—गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म (२।२०।२३) ने भी कही है। अग्नि० (११।५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है (न कालादि गयातीर्थे दद्यात् पिण्डाश्च नित्यशः)। मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरम्भ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि (दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (भरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा आदि) में ऐसा करता है तो माग्यशाली सतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्ण को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपत्र (८७।१८) ने भी ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२।७-२।१८), कूर्म० (२।२०।२८), मार्कण्डेय० (२।१।२०) एवं वराह० (१।३।३-३५) ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है—अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा—पुत्रोत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (व दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ करता है), पर्याप्त सम्मारो (मात, दाल या मास आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, विद्युत्त रेखा पर न्यून का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक ज्योतिषसिधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कमकर्ता के मन में तीव्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो गया हो—यही काल श्राद्ध-सम्पादन के है।<sup>१३</sup> मार्कण्डेय (२।१।२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए

२७ अपराह्णं (पृ० ४२६) ने 'व्यतीपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धृत किया है—'श्रवणादिष्वधिष्ठात्राणागदेवतमस्तके। यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥' और देखिए अग्निपु० (२०९।१३)। जब अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा में या आश्लवा के प्रथम चरण में होता है तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मृगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। बाण ने अपने हर्षचरित में 'व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशियों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा की गयी है—'पञ्चाननस्थो गुरुभूमिपुत्रो मेवे रवि स्याद्यदि शुक्लपक्षे। पाशाभिधाना करभेन युक्ता तिथिर्व्यतीपात इतीह योग ॥' (श्रा० क० त०, पृ० १८-१९)। जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, बृहस्पति एवं मंगल सिंह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु की त्रयोदशी होती है। विश्वरूप (याज्ञ० २।२।१८) ने उद्धृत किया है—'यदि स्याच्चन्द्रमाः पित्र्ये करे चंद्र दिवाकर। वर्षामु च त्रयोदश्या सा च्छाया कुञ्जरस्य तु ॥' अपराह्णं ने काठकभूति को उद्धृत किया है—'एतद्दि देवपितृणाः चायन यद्वास्तिच्छाया'। मिताक्षरा और अपराह्णं (पृ० ४२७)

जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त समय स्पर्शकाल का है (अर्थात् जब ग्रहण का आरम्भ होता हो) ; यह बात बृद्ध वसिष्ठ के एक श्लोक में आती है। ब्रह्म-पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१।४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९।१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है, शरद् एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विपु-वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों का काल—आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० (उत्तरार्ध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१।२६२-२६३), ब्रह्म० (२२०।१५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५०), कूर्म० (२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१।७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित फल देता है—संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक व्रतों को करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को)। गार्ग्य (परा० मा० १।२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात् वाले नक्षत्रों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा व्यक्ति मर जाते हैं।

विष्णुध० सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। परा० मा० (१।१, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तर्हित रहस्य (परम तत्त्व) की जान-

(२००।१२१) का कहना है कि वह श्राद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहस्रों कल्प तक संतुष्टि देता है। अपरार्क (पृ० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के कानों द्वारा पंखा झलते समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अर्पित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का होता है।

कारी की अभिकाक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात् यह 'विविदिप, जनक' है, जैसा कि गीता १।२७ में संकेत किया गया है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-भूर्णमास याग) अवश्य करने चाहिए, मले ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो, उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि काम्य कृत्यों के सभी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए।

विष्णुध० सू० (७।८।१७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगी से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र एवं शनि का श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रससा), युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अनाष्ट ज्ञान, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है।

विष्णुध० सू० (७।८।१५) ने कृत्तिका संभरणी (अभिजित्) को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और दक्षिण यात्र० (१।२६५-२६८), वायु० (८२), माकण्डेय० (३।०।८-१६), कूर्म० (२।२०।९-१५), ब्रह्म० (२।२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उर्वाधातपाद १।८।१)। किन्तु इनमें भर्तृक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है।

अग्नि० (१।१७।६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिना में किये जाते हैं (पितरा को) अक्षय मनुष्यि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१६।२-१३), मत्स्य० (१।७।४५), पद्म० (५।१।१३०-१३१), बराह० (१।३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७।२।२०।५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवोदसी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात् चारों युगों के प्रथम दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१।७।६८), अग्नि० (१।१७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५।१।३३-३६), पद्म० (सृष्टि० १।१३२-१३६) ने १४ मनुष्या (या मन्वन्तरा) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं—आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पीप शुक्ल एकादशी, आषाढ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण जष्टमी, जाग्राद, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), इत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० १।० (१।१।५० १५६ एवं १।२।५० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धृत है। स्कन्द० (७।१।२०।५-३६-३९) एवं स्मृत्यंसार (पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत संकेतक तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

आप० ध० सू० (७।१।७।२३-२५), मनु (३।२।८०), विष्णु ध० सू० (७।७।८-९), कूर्म० (२।१६।३-४), ब्रह्माण्ड० (३।१।४।३), भविष्य० (१।१८।५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गायत्री-काल), या जब सूर्य का तुल्य उदय हुआ हो तब—ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन माना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्भ हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्शों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। विष्णु ध० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरा को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र एवं तारा का अस्तित्व है और कर्ता को सभी मुविषाभा एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही धर्म० का कथन है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह एक म पक्षी दुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात् उसे पाप लगता है या उसका नाम हो जाता है)। मिताश्रम (यात्र० १।२।१७) ने सावधानी से साय निर्दिष्ट किया है कि घटपि घटकों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता वेचल भोजन करने वाले (उन श्राद्धों को जो

ग्रहण-काल में श्राद्ध-नौजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति करता है।<sup>१८</sup>

श्राद्धकाल के लिए मन (३१२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय में अपराह्न (पृ० ४६५), हेमाद्रि (पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३४।११) में आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के 'पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के लिए है', इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्न कहा जाता है। तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२।२।३।९) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं—प्रातः, संगम, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्न एवं सायाह्न (सायं वा अस्तमन)। इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहूर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रोहिण मुहूर्त के आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है।

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, प० ३२०) ने कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात् पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं—मध्याह्न, खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्भ, तिल, गाय एवं दीहित्र (कन्या का पुत्र)। सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध और आःश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेवातिथि (मनु ३।२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।<sup>१९</sup> त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात् बालि गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अब हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध-

२८. न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत। आरब्धे चाभोजनमा समापनात्। अन्यत्र राहुदर्शनात्। आप० घ० सू० (२।७।१७।२३-२५); नक्तं तु वर्जयेच्छ्राद्धं राहोरन्यत्र दर्शनात्। सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वै राहुदर्शने। उपरागे न कुर्याद्यः पङ्के गौरिव सीदति ॥ कूर्म० (२।१६-३।४)। यद्यपि 'चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यात्' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तुर्दोषो दातुरभ्युदयः। मिता० (याज्ञ० १।२१७-२१८)।

२९. पूर्वाह्ने वैविकं कार्यमपराह्णे तु पैतृकम्। एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ मेधातिथि (मनु ३।२४३)। दीपकालिका (याज्ञ० १।२२६) ने इस श्लोक को वायुपुराण के श्लोक के रूप में उद्धृत किया है।

स्पल चतुर्दिग् मे जावुड, पवित्र एव दक्षिण की ओर झालू होना चाहिए। शर (परा० मा० ११२, पृ० ३०३, था० प्र०, पृ० १४०), स्मृतिच०, आ०, पृ० ३८५) का बयन है—'वंता, हाथिया एव पाड़ा की पोंठ पर, ऊँची नूमि या दूसर की नूमि पर थाड नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२१२२।१७) में आया है—यन, पुष्प पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर—इनके निदिशत स्वामी नहीं हैं। और य निनी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। यम न व्यवस्था दी है कि यदि कोई विना अन्य का नूमि पर अपन पियारा का थाड करता है तो उस नूमि के स्वामी व पियारा द्वारा वह थाड-वृत्त नष्ट कर दिया जाता है। अतः व्यक्ति का पवित्र स्थाना, नदी-तटा और शिवापत' अपनी नूमि पर, पर्वत क पाम के लता-बुजा एव पर्वत के ऊपर थाड करना चाहिए।' विष्णुपरमंशूत्र (अध्याय ८१) ने कई पवित्र स्थाना का उल्लेख किया है और कहा है—'दनम एव अन्य तीर्थों, बड़ी नदिया, मनो प्राकृतिव' बान्द्रा-तटा, क्षरता क निरुड, पर्वता, बुजा, बगो, निरुजा एव गावर स शिवा सुन्दर स्थला पर (थाड करना चाहिए)।' शर (११।२७-२९) ने लिखा है कि जो नो कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नर्मिय वन (सरस्वती नदी पर), गगा, यमुना एव पयोष्णी पर, अमरकंटक, नमदा, काशी, सुरक्षेत्र, नानुग, हिमालय, सप्तपेणी, श्रुतिरूप म दो जानी है वह अधय हावी है। ब्रह्मपुराण (२२०।५-७) न नो नदीतीरा, तालाबा, पर्वतनिवास एव पुष्कर वन पवित्र स्थला का थाड के लिए उचित स्थल माना है। वायु० (अध्याय ७७) एव मत्स्य० (२२) म नो थाड के लिए पून स्थाना, दया, पर्वता की लम्बी नूचिया पायी जानी हैं।

पवित्र स्थाना व शिपय म हम एक पृथक् अध्याय (तीर्थ वर्णन) म दिवेंगे।

विष्णुपरमंशूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि म्लेच्छदेश म न तो थाड करना चाहिए और न जाना चाहिए उमम पुन कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण न व्यवस्था दी है कि निगदु देश जिसका बरहू यावन विस्तार है जा महानदी क उत्तर और कोकट (मगध) के दक्षिण म है थाड व शिपय नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, बलिंग, सिचु के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं पायी जाती, थाड के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तक एक विचित्र धान कही है कि निम्नलिखित देशा म थाड कर्म का यथासमन परिहार करना चाहिए—किरात देश, बलिंग, कारण, शिमि (शिवि ?), दगाणं, कुमार्य (कुमारो अन्तरोप), तमण, त्रय, सिचु नदी के उत्तरी तट, नर्मदा का दक्षिणी तट एव बरतोया का पूर्वी भाग।

माकण्डेयपुराण (२१।१९=था० प्र०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि थाड के लिए उस नूमि को त्याग देना चाहिए जो कीट-पतंगा से युक्त, रूख, अग्नि से दग्ध है, जिसम कणकट ध्वनि हावी है, जो देखने म भयकर और दुग्न्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एव पशुओं को थाडस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्ह थाड-वृत्त को

३०. गोगजादवादिपृष्ठेषु कृत्रिमाया तथा भुवि । न कुप्याच्छाद्यमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ शश (परा० मा० ११२, पृ० ३०३; था० प्र०, पृ० १४०; स्मृतिच०, था०, पृ० ३९५) । अटव्य पर्वता' पुण्यास्तीर्थान्यापतनानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्न ह्येतेषु परिग्रह ॥ कूर्म० (२१२२।१७) । अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (थाड, पृ० ११५) एव था० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा ही श्लोक यम से उद्धृत किया है—यम' । परकीयप्रवेशेषु विनृणो निर्वेत्तु य' । तद्भूमिस्वामिपिनृभिः थाडकर्म विहन्त्येते ॥..... तस्माच्छाद्यानि देवानि पुष्येव्यायतनेषु च । नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयत्नत । उपह्वरानिकुत्रेषु तथा पर्वतसानुषु ॥ अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (थाड, पृ० ११५) । मिलाइए कूर्म० (२१२२।१६) ।



देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष) को दूर करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० ध० सू० ने कहा है कि विद्वान् लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा देखे गये श्राद्ध की भर्त्सना की है—यदि ये लोग श्राद्ध-भोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों को अशुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है—चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीव को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), दान (गाय एवं सोने का) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य (दर्श-पूर्णमास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। सूअर देवों या पितरों के लिए अर्पित भोजन को केवल सूँघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि-निक्षेप से एवं नीच जाति स्पर्श से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लँगड़ा, ऐँचाताना, अधिक या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-ग्रस्त (शिवत्री) द्वारा श्राद्धभोजन नहीं देखा जाना चाहिए। विष्णुध० सू० (८।२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। कूर्म० (२।२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढ़ी, पूयव्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। मार्कण्डेय० (३।२।२०-२४), वायु० (७।८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९।१।४३-४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२।७।४३) ने भी लिखा है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

### श्राद्धों का वर्गीकरण

श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोद्दिष्ट एवं पार्वण<sup>११</sup>, जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है और दूसरा मांस की अमावास्या, या श्राद्धि। कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन

३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उद्दिष्टः यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२।५१); तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्वणम्। एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७)। 'पार्वण' का अर्थ है 'किसी पर्व दिन में सम्पादित'। विष्णुपुराण (३।१।१।१८) के मत से पर्व दिन ये हैं—अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं संक्रान्ति। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्वण श्राद्ध की परिभाषा यों की है—'अमावास्यां यत्क्रियते तत्पार्वणमुदाहृतम्। क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पार्वणमिति स्थितिः ॥'

पूर्व पुरुषा का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रधर का श्राद्धविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ कही हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पावण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक म सोलह प्रेत-श्राद्ध होते हैं और गोष्ठी-श्राद्ध-जैस श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्ध म गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२०-२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये हैं—अहरह-श्राद्ध पावण, वृद्धि, एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२=श्रुत १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) ने अहरह-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धृत विद्वामित्र के दो श्लोका म बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लिखित हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला), सपिण्डन (सपिण्डीकरण), पावण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध। कुछ ग्रन्थों म इनकी परिभाषा भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गयी है वह निम्न हैं—गोष्ठीश्राद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय म चर्चा करने के कारण प्रेरित होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान् लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने-वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते हैं और एक साथ अपने पितरा की सन्तुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं तब वह गोष्ठी-श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त न करने के कारण (वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्मभान देता है। उसे कन ग कहा जाता है जो गर्भावधान सस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुसवन के समय किया जाता है। उसे दैविक श्राद्ध कहा जाता है जो दैवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है)। जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें ब्राह्मणों का पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब उसे यात्रा-श्राद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-श्राद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोट हान क लिए जब कोई औषध सवन की जाती है) या धन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों म मुख्य हैं पावण, एकाद्दिष्ट, वृद्धि एवं सपिण्डन। शिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'पणवति श्राद्ध' नामक ग्रन्थ म इन सबका सग्रह किया है। एक वर्ष म किये जान वाले ९६ श्राद्ध सक्षिप्त रूप म ये हैं—वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध युगादि दिना पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध मन्त्रालिया के १२ श्राद्ध, घृति (वैयति) नामक योग पर १३ श्राद्ध अतीपात योग पर १३ श्राद्ध १६ महालय श्राद्ध, ४ जन्वत्का दिन, ४ ज्यत्का दिन और चार अथ दिन (हेमन्त एवं मिथिल के महीना के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-नूतियों से यह प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त माना गया है। बहुतों द्वारा आतिथ्य की सीमा का पार कर गया। कहना म हागा कि कुछ ही लोग वर्ष म इतने श्राद्ध करने म लक्ष्मी रह हाग और अधिकांश म लग महालय श्राद्ध या दो-एक और श्राद्ध करके सन्तुष्ट हो जाते रहे हाग। यह ज्ञातव्य है कि मनु (३।१२२) न प्रथमतः प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण म श्राद्ध करने की व्यवस्था की थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के लिए सम्भव नहीं है उन्होंने वर्ष म (हेमन्त, शीष्म एवं वर्षा म) तीन अमावास्याओं पर ही बड़े पैमाने पर श्राद्ध करने की व्यवस्था की और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों म सम्मिलित है। दबल कुछ पन आग चले गय हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष म सब एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

### श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग

अब हम श्राद्ध के ब्रह्मभोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्राद्ध का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहरणार्थ आश्व० गृ० (४।७।२)<sup>३२</sup>, शाखा० गृ० (४।१।२), आप० गृ० (८।२।१२), आप० ध० सू० (२।७।१७।४), हिरण्यकेशी गृ० (२।१०।२), वीधा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१।५।९) ने कहा है कि आमंत्रित ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा ६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० ध० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है जिनमें 'मवु' शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं तै० सं० ४।२।९।३), जिसने त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध एवं पितृमेध) में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों अनियों को प्रज्वलित रखता है, जो ज्येष्ठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कर्तव्य करता है, जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है—ये सभी श्राद्ध के समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो लोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को

३२. ब्राह्मणान् श्रुतशीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा। आश्व० गृ० (४।७।२); ब्राह्मणान् शुचीन् मन्त्रवतः समंगानयुज आमन्त्रयेत्। योनिगोत्रासम्बन्धान्। नार्थविक्षो भोजयेत्। हिर० गृ० (२।१०।२); त्रिमधुस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत-श्चतुर्मेधः पञ्चाग्निज्येष्ठसामिको वेदाध्याय्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० ध० सू० (२।७।१७-२२)। 'त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, 'ब्रह्ममेतु माम्' (तै० आ० १०।४८-५०) से आरम्भ होनेवाले तीन अनुवाकों में या 'चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः' (तै० ब्रा० १।२।१२।७) या ऋ० (१०।११।३-५) से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'त्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है—(१) जो नाचिकेत अग्नि को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद् (१।१।१६-१८)। 'त्रिणाचिकेत' शब्द कठोपनिषद् (१।१।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है—'त्रिः कृत्वा नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन सः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान् वा।' तै० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नाचिकेता की गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या औपासन) तथा सभ्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्याओं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों की है—'एकां शाखां सकल्पां वा षडभिरङ्गैरधीत्य वा। षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्॥' पाणिनि (५।२।८४) ने श्रोत्रिय की व्युत्पत्ति यों की है—'श्रोत्रियश्छन्दोधीते।' 'षट्कर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' की ओर है।

पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८), वीषा० घ० सू० (२।८।२), मनु (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१।२१९) एवं बराहस्पुराण (१।४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन षव (९०।२५-३१), कूर्म० (२।२।११-१४), मत्स्य० (१६।७-१३), ब्रह्म० (२२०।१०१-१०४), वायु० (७९।५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२।१७। २१-२५) ने पक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं।

हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), वौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्म पुराण (२।२।१। १४) आदि का वचन है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से सबधित हो (यथा—मामा) और जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात् गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह धन की महायता पाने का इच्छुक हो। मनु (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-भोजन में मित्र को नहीं बुलाना चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु, जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवार्पण करता है, वह उन श्राद्धों या अर्पणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४=कूर्म० २-२१-२२) ने कहा है विद्वान् शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५-१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-भोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में जन्तिस्य अपेक्षावृत्त अधिक योग्य है। मनु ने यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध-भोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक कः सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए सन्तुष्टि प्राप्त करते हैं।

हारीत (हमादि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पाकतेय ब्राह्मणों की योग्यताओं का वर्णन किया है, यथा उन्हे उच्च (चार विधापताओं में सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार की चरित्र) एवं अष्टे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। दास-लिखित ने पाकतेय ब्राह्मणों (पक्ति अर्थात् भोजन करने वाला की पक्ति से सबधित होने योग्य) की एक लम्बी सूची दी है।<sup>११</sup> यथा—जो वेद जयवा वेदांगों का ज्ञाता है, जो पचान्विया रखता है, जो वेदस्वाध्यायी है, जो सार्व, याग, उपनिषदा एवं धर्मशास्त्र का जानता है, जिसमें त्रिणाचिकेत (अग्नि), त्रिमनु (सूक्त), त्रिमुपनिषद् एवं ज्येष्ठ सा (का अध्ययन कर लिया है, जिसने सार्वयाग, उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है, जो वेदप्रवण है, जो सदा जनिदान करता है, जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८; आ० प्र०, पृ० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (८३), बृहत् पराशर (पृ० १५०) बृहत् गौतम (पृ० ५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेधातिथि (मनु

११ दासलिखितादिभिः। न्य पाकतेयाः। वेदवेदान्तविन् पञ्चाग्निरनुवाच सांख्ययोगोपनिषदमंशास्त्र-विश्वोक्तिः त्रिणाचिकेतः त्रिमनुः त्रिमुपनिषदो ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषदमंशास्त्राध्यायो वेदपरः सरान्वितो मातापितृनुपुषुधर्मंशास्त्ररतिः। इति। कल्पतरु (पृ० ६८) एवं आ० प्र० (पृ० ६७)।

३।१।४७)³⁴ ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसे विद्वान् ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेष केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३।२२८) ने दो बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अर्पित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्धोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों की उस पंक्ति को पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तर्हित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा— जो वेदों या उनके विश्लेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं।

मनु (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प (उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात् कर्ता अपने ही नाना, मामा, वहिन के पुत्र, स्वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी वन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरोहित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१।२२०), कूर्म० (उत्तरार्ध २।१२०), वराह० (१।४-३), मत्स्य० (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेऽनन्तरान्) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती।³⁵ यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सौदर्य) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-भोजन देना चाहिए।³⁶ वौ० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डों को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१।५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान् ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-भोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और

३४. श्रोत्रियो विद्वान् साधुचरणः प्रख्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिशिष्टं सर्वमर्थ-वादार्यम्। मेधातिथि (मनु ३।१४७)।

३५. मुख्यभावे यो नुष्ठीयते प्रतिनिधिव्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते। मेधा० (मनु ३।१४७)। अमरकोश में आया है—'मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः।' प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते। न साम्प्रसारिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ मनु (१।१।३०=शांतिपर्व १६५।१७)। तन्त्रवातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है—'स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥'

३६. गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सौदर्यापि भोजयितव्यः। एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः। आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६)।

प्रायश्चित्त की व्यवस्था देती है। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने मासद्वारा कर्त्तव्य श्लोक उद्धृत किये हैं— यदि कोई ब्राह्मण पावण श्राद्ध म माज न करता है ता उस प्रायश्चित्त-स्वरूप छ प्राणायाम करने पड़े हैं यदि वह मृत्यु के तीन मास से लेकर एक वर्ष के भीतर श्राद्ध भोजन करता है ता उस एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह वृद्धि-श्राद्ध म भोजन करता है तो उस तीन प्राणायाम करन पड़त हैं और यदि काइ सपिण्डन श्राद्ध म खाता है तो उस एक दिन एव रात का उपवास करना पड़ता है। मिता० ने धौम्य का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसने पुत्रोत्पत्ति या नीमन्तोन्नयन पर नियम श्राद्ध या नव श्राद्ध आदि म भोजन करन पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। और दखिए इस विषय म निणयमिधु (३ पृ० ४६७-४६८)। बराहपुराण (१८९।१२ १३) म आया है कि यदि कोई ब्राह्मण प्रत को दिया गया भोजन खाता है और पट म उस भोजन को लिय हुए मर जाता है ता वह एक कल्प तक नयकर नरक म रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप स छुटकारा पाता है।

गौतम (१५।१०) क मत म गुणगाला (आवश्यक गुणा म सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को बद्ध लागी की अपना वरीयता मित्रता चाहिए कुछ लागी क मन स पिता क श्राद्ध भोजन म नवयुवका तथा पितामह के श्राद्ध म बूढ़ लोगों का अभिनित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० ब० मू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वाले म वृद्धों को तथा बूढ़ों म जो दरिद्र हैं और धनाजन के इच्छुक हैं उह वरायता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणपु वपावृद्ध श्रयान् द्रव्यकृत्तरचम्पन)।

कुछ ग्रन्थ म पामिया या यागिया को श्राद्ध म आमन्त्रित करन पर बल देत है। विष्णुव० (८३।१९ २०) न यागिया को विधि रूप स पक्तिपावन कहा है और पितरा द्वारा उच्चरित एक श्लोक उद्धृत किया है—हमार कुल म काइ (वाज) उत्पन्न हा जा श्राद्ध म ब्राह्मण यागी का खिलाय जिसन हम स्वयं मनुष्य हाते हैं। बराहपुराण (१६।५०) म यागी का १०० ब्राह्मणों म उत्तम कहा गया है। माकण्डय० (२९।२९ ३०) म आया है—समनशर व्यक्ति का श्राद्ध भोजन म मर्दें यागिया को विधाना चाहिए क्योंकि पितर लाग अन्न के लिए याग पर निर्भर रहत हैं यदि सहस्रा ब्राह्मणों म प्रथम बद्ध हुए यागी को खिलाया जाता है ता वह यागी बना (श्राद्धवता) एव अन्न भोजन करनेवाला को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल म मनुष्या का बचाती है। इसक उपरान्त उसन राजा एल क लिए पितरा द्वारा गाय गय श्लोका का उद्धृत किया है (२९।३२ ३४)। सौरपुराण (१९।२ ३) न गुणा या वाय्यता का उल्लेख करन क उपरान्त यह निष्पन्न निकारा है कि एवाग्र मन स गिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन के लिए पर्याप्त है।

मत्स्य० (१६।११ १२) म आया है—जा बधिक मन्त्रा वा विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार करता है और जा साम की लया क नियमा को जानता है वह पक्तिपावन रूप म पवित्र करनेवाला है। सामवेद म प्रवीण बधिक छात्र बदन एव ब्रह्मन्—एस नाम जिस श्राद्ध म सिन्धाय जाते हैं वह सर्वोत्तम बल्याण दनवाता है। उपयुक्त बचना म वेद ज्ञान पर सबन अधिक बल दिया गया है विन्तु ब्रह्म का सदाचारी होना एव नियमरत रहना परम आवश्यक है (आत्र० गू० १।७।२ गौतम १५।९ एव मनु २।११८)। मनु (२।११८) म आया है— उस ब्राह्मण को जा केवल गायत्री मात्र जानता है विन्तु नियमा म युक्त जावन निताना है वरीयता मिलनी चाहिए विन्तु उन नहीं जा तीना वंश का जाता है विन्तु नियम नियन्त्रित नहा है और जा चाह (निषिद्ध या वज्रित मातृ पत्न्य) सा लेता है तथा मनी प्रकार की वस्तुओं का विक्रता है। स्वन्द० (६।२।७।७) म आया है कि ब्राह्मणों क कुल, उनक पाल एव व्यवस्था को जानना चाहिए और यह रखना चाहिए कि ब विनय विवाह करते है या विद्व अपनी पुत्रियों दन हैं। ब्राह्मण (उपासक ब० १५) का कथन है कि ज्ञान ब्राह्मणों क विषय म छानबीन नहा जानी चाहिए, क्या क मित्र यागी लाग ब्राह्मण क कर्म म विचरण किया करत है। विन्तु यदि ब्राह्मण क अग्रगुण बिना कठिनाई क ज्ञात हा जाय या पाप म रहने क

कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायँ तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५।६)। इसी पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने बरीयता के क्रम को यों रखा है—सर्वप्रथम यति (संन्यासी), तब चतुर्वेदी ब्राह्मण जो इतिहासज्ञ भी हो, तब त्रिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तब एकवेदी और तब उपाध्याय। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ४४३) ने अनि० को इस प्रकार उद्धृत किया है—किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन (सदाचरणरहित) हो? क्या सुगन्धयुक्त कुसुमों में कृमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते? जातूकर्ण्य का कथन है—देवों और पितरों के कृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, मले ही वे विद्वान् हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों।<sup>१७</sup> योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद ११।४९)

उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मनु (३।३४९), विष्णु० व० सू० (८२।१-२)<sup>१८</sup> ने व्यवस्था दी है—'देवकर्मों में (आमन्त्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।' मनु (३।१३०) में आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई है कि दान-धर्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आवश्यक है। अनुशासन० (९०।२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु एवं मत्स्य० (हेमाद्रि, पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पृ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जानकारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से यह जानना चाहिए कि आमन्त्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिंहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भर्त्सना करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराकं, पृ० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२) में आया है—वैदिक कथन तो यह है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धार्पण करना चाहिए, किन्तु छान-बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों को श्राद्धार्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। भविष्य० (वालम्बट्टी, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है—यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके

३७. तदुक्तमनिपुराणे । किं कुलेन विशालेन वृत्तहीनस्य देहिनः । कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु ॥ जातूकर्ण्योपि । अपि विद्याकुलैर्युक्तान् वृत्तहीनान् द्विजाधमान् । अनर्हान् हव्यकव्येषु वाङ्मात्रेणापि नाचयेत् ॥ हेमाद्रि (पृ० ४४३-४४४) एवं श्रा० प्र० (पृ० ७४) ।

३८. दैवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । प्रयत्नात्पित्र्ये परीक्षेत । विष्णुधर्मसूत्र (८२।१-२) ।

शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थला पर किये गये श्राद्ध की ओर निर्देश करती है या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ५१३ एव बालमही, आचार, पृ० ४९४)।

कुछ दशाजों में ब्राह्मण लोग अपाक्तेय (पक्ति में बैठने के अयोग्य या पक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे गये हैं, यथा—शारीरिक एव मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे), नैतिक दोष, अपराधी होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने योग्य ब्राह्मणा और अपाक्तेय या पक्तिद्रूपक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र ब्राह्मणों

ध० सू०

पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)—ये पक्तिद्रूपक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। वसिष्ठध० सू० (११११९) ने भी एक सक्षिप्त सूची दी है—'नग्न (सन्वासी) से बचना चाहिए, उनसे भी जा शिवत्री (श्वेत कुण्ड प्रस्त) है, क्लीब है, अघ है, जिनके दात वाले हैं, जो कोठी है और जिनके नख विकृत है। गीतम (१५१६१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ० (१।२२२-२२४), विष्णु ध० सू० (८।२।३-२९), अत्रि (श्लोक ३४५-३५९ एव ३८५-३८८), बृहधम (३।३४ ३८), बृहत्पाराशर (पृ० १४९-१५०), बृह गीतम (पृ० ५८० ५८३), वायु० (८।३।६१ ७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य० (१६।१४-१७), कूर्म० (२।२१।२३ ४७), स्कन्द० (७।१।२०।५।५८ ७२ एव ६।२१।७।११-२०), वराह० (१।४।६-९), ब्रह्म० (२२०।१२७-१३५) ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात १५।३९-४४ एव १९।३०।४१), मार्कण्डेय० (२८।२६ ३०), विष्णुपुराण (३।१५।५ ८), नारद पुराण (पूर्वांच २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य लोगों की बड़ी भारी सूचिया दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है—

(१) चोर (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) चमरीगी, (८) जुआरी (९) बहुतों का एक पुराहित, (१०) बँध, (११) देवपूजक (जो धन के लिए प्रतिमा-पूजा करता है), (१२) मास बचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला (१४ एव १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर (१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) गुरबिरोधी, (१९) पूतानियों को त्यक्त करनेवाला (श्रीत या स्मार्त अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला), (२०) सूदखोर (अधिक व्याज खानेवाला),

३९ शिवत्री शिपिविष्ट परतल्पगाम्याद्यधीयुषुश्च शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यमित्येते श्राद्धे भुजाना पक्तिद्रूपका भवन्ति। आप० ध० सू० (२।७।१७।२१)। ब्राह्मण-स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में धाम्याल कहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपर्दी ने "शूद्रो ह्यध्याम्" नामक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है—एसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करने के कारण स्प्यहृतरत शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपाक्तेय है—'शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यं असमवर्ण-दारपरिग्रहे ब्राह्मण्यं पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति पपर्दी' (कल्पतरु, भा०, पृ० ९०)।



(२१) धय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी) पशु पालन करते जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पुत्राग्निषो प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहनेवाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का मनु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पुत्राग्निषो जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या मंध का मन्व्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत भंग करनेवाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिमही पहली पत्नी या एक ही पत्नी सूत्रा हो, (३३) पुनर्विवाहित विधवा का पुत्र, (३४) भैया या काना, (३५) जिनके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या मुक्त लेनेवाले गुरु से पड़े, (३८) सूत्रों का शिक्षक, (३९) जिमका शिक्षक शूद्र हो, (४०) कर्मण वा प्रमन्य बोलनेवाला, (४१) ध्वनिनारिणों का पुत्र, (४२) मिथ्या पुत्र, (४३) माता-पिता या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पत्तियों से सम्बन्ध रखनेवाला, (४५) जाग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) भाट (बन्दी), (४८) तेली, (४९) सूत्रा साधय देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कण्ठ रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के विरोध में मुक्तमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) गुरापी या मद्यपी, (५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) मिष्टान्न वा रस का विक्रेता, (५७) घनुष-ब्राण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, (५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) शूनशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार (मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फँसाने वाला, (७२) गन्धों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध करनेवाला, (७५) मास्कर्य शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) सदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारी को अपवित्र करनेवाला (या जूठमूठ कुमारी को बदननाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) सूत्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पीरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण आचरण-नियमों (अतिथि-मत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धार्मिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) सदैव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फीलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्ब्यक्तियों द्वारा भस्मित, (९०) भेड़-पालक, (९१) भंस पालनेवाला, (९२) पुनर्विवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव ढोनेवाला। मनु (३।११६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंक्ति में ब्राह्मणों के साथ बैठने के अयोग्य हों।

मनु (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध २।१।३२) एवं हेमाद्रि (पृ० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध में वीद्ध श्रावकों (साधुओं), श्रावकों (निर्ग्रन्थ जैन साधुओं), पाचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों (शिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१।१७) ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप

उम कुतो, धृगान, अहिता, गिद्ध, शीश्रा, माग्ग एव माग्ग का शरीर पालन करना पड़ा और अन्न में अल्पमय दान में अबन्धुप स्नान करने पर उम नृसिंह भिन्ना । उमा पुराण में ध्यम्या दी है (३।१८।८७) कि नागिनास वा घातघीउ एव स्वयं नहीं करता चाहिए, विधापय पामिह इत्ये व ममय वा इव किमी परित्र पत्र के लिए दाधा ए गयो हा। वानुपुराण (७।१।२६ एव ३१) में कहा है कि नग्न व्यक्तियाँ या ध्याऊ दगाँ शी अबन्धुपि नहीं मित्रिणी चाहिए और जन्मे वन की परिभाषा या दी है— वीउ वेदा शी ममी शाराँ का मरएण (स्था बन्धुशाराँ जावरण) उद्घाषित किया गया है, अतः जो नाग भृगुशाराँ वरा का त्याग करता है वे नग्न बहूलात हैं, जो व्यर्थं उदा रात हैं, व्यर्थं मुन्डी हावे हैं, जो व्यर्थं वा एव निशदेस्य जय वरत है वे नन्तारि बहूलात हैं। इस प्रकार कुछ दंग ध्याऊ क लिए अयाग्य धारित हैं, उसी प्रकार कुछ धन्या द्वारा कुछ दानाँ व कुछ ब्राह्मण ध्याऊ में निमग्न करने क अयाग्य पोषित किए गये हैं। उदाहरणार्थ मत्स्यपुराण का कहना है कि व ब्राह्मण, वा तुगण है, तन्मिह है म्बच्छ दगाँ न निवान करते हैं या वा विपु, करवीर, आध्र वान द्रविड एव वाङ्गा दग म रूत है, उह ध्याऊ के समय मावधानी से अलग कर दना चाहिए। हेमाद्रि (ध्याऊ पृ० ५०५) में शौरपुराण में यह उद्धृत किया है कि 'जग, वग, वल्लिग, मोराष्ट्र, गुजर, आभीर, काश्मि, द्रविड दक्षिणापथ अयन्ती एव माध क ब्राह्मणो शो ध्याऊ व ममय नहीं बुलाना चाहिए।' उपर्युक्त दानाँ उक्तियाँ या मित्राकर देवन से प्रकट होता है कि ध्याऊ क भारत क आधे माग के ब्राह्मणों का ध्याऊ में आनवित करने क अयाग्य ठहराया गया है। तन्नु मम्भरत यह सब उन धथा व लेखका का दम्भ एव पूर्वनिश्चित धारणाओं का घातक है। कद्रपर वे ध्याऊविषेक (पृ० ३९-४१) में ध्याऊ क लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी जाती है।

ध्याऊइत्य करत ममय अचानक किमी अतिथि क आगमन पर उमह सम्मान के विषय में बराहपुराण एव अन्य लोगो ने विन्म तर्क उरस्थित किया है। वागी लग न पहुँचान में आनवाल विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर विचरत रहत हैं और अमरा वा बन्धुगण वन वन में ...

और न उमके घामन एव अगाधन आरा' पर ध्यान दना चाहिए। हेमाद्रि (ध्याऊ पृ० ४३०-४३३) में सिधधर्मोत्तर विष्णुधर्मोत्तर एव वायु (७।१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एव वागी लोग ब्राह्मण अतिथियों क रूप में लोगो वा बलघाण करने क लिए और यह देवन क लिए कि ध्याऊ किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विवरण किया करते हैं। अतिथि की परिभाषा एव अतिथिसत्कार विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए हत ग्रन्थ वा खण्ड २, अध्याय २१।

४० कृतघनाप्राप्तिकास्तद्ध म्लेच्छदेशनिवासिनः । त्रिंशकुबर्बरत्रायवीतद्रविडकोकणान् (निशकुबर्बरा' प्र-चोनद्रविड० ?) । वनपरिलगिन' सर्वान् ध्याऊकाले विदोषत' ॥ मत्स्य० (१६।१६-१७, हेमाद्रि, भा०, पृ० ५०५, बल्पतह, भा०, पृ० ९४) ।

४१ योगिनो विविधं रूपैरंशामुपकारिण । भ्रमन्ति पृथिवीमतामविज्ञातस्वहृषिण ॥ तस्मादम्यव्येत्य प्राण्य ध्याऊकालेऽतिथिं बुध ॥ ध्याऊक्रियाफल हन्ति द्विजे ब्राह्मणितो हरि ॥ बराह० (१४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५।२३-२४), मिलाइए वायुपुराण (७९।७८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम् । तस्मादतिथिमायात्त-मभिगच्छेत् कृताजलि ॥

हेमाद्रि (श्राद्धखण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है—क्या किसी एक वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर सकता है? कुछ लोग 'यथा कन्या तथा हवि' :याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और आप० व० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना चाहिए, जो अपने आचार में शुचि हैं और मन्त्रवान् (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघुः' जैसे वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावर्त के देशों में यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और देखिए बालमहट्टी (आचार, पृ० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमन्त्रित नहीं करना चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए।

वसिष्ठधर्मसूत्र (११।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थों, साधुचरित लोगों एवं जो अति बूढ़े न हों, उनको आमन्त्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (भोजन) आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तर्हित सत्य को जानता है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यो को खिलानी चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१।४।५०), स्कन्द० (६।२।१८।७), वायु० (७।१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में पायी जाती हैं। वृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मृतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्, यजुस् एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक् (ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने) से सन्तुष्ट होता है, पितामह यजु से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी) उत्तम है। शातातप (हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अव्येता खिलाया जाय तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है।

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित की है। आश्विनस (अध्याय ४) में आया है—'वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी स्मृति (अपरारक, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) कहे जाते हैं, यथा—वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो। महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि

तप (संयमित जीवन-यापन) वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण है जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण बहूलाता है जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है)। यह विचित्र-सी बात यम न कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र तिथि, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता (अर्थात् ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है।

कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थी कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५-१८) म ५० से ऊपर एष ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमन्त्रित होने के अयोग्य ठहराय गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से<sup>११</sup> इस वाक्य के अन्तर्गत केवल 'दुर्बल शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमन्त्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञा में आमन्त्रित हो सकते हैं)। गौतम (ई० पू० ६००) के पूव के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं— दुर्बल (खल्वाट) कुनधी (टेढ़ नखी वाला), श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कुष्ठी (चरक-ग्रस्त), पीनभंभ (पुन-विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी जपत्यागी राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिहृषिक (गलत वाट-बटखरा रखने-वाला), शूद्रापति निराकृती (जो पंच आह्निक यज्ञ नहीं करता), किलामी (भयकर चमरोगी), कुसीदी (मूदखोर), वणिक शिल्पोपजीवी धनुष-वाण धनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वा न, ठका देनेवाले, गायक एवं नृत्यकार। बगिष्ठ० (११।२०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—यदि कोई मन्त्रविद् अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण शरीर-दोषयुक्त है (जिसका कारण सामान्य भोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष और पवित्र-यावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान् एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित किये जाते हैं।<sup>१२</sup> मनु (३।१८९) एवं पञ्चपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुर्दिक् विचरण किया करते हैं अतः उन्हें पितरों के प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गृह्य० (प्रतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्मानों एवं पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं।<sup>१३</sup>

विष्णुधर्मसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि वर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ मू गिराना चाहिए और न दीव्रता से श्री कार्य करना चाहिए। बराह०<sup>१४</sup> ने व्यवस्था दी है कि वर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए

४२ कुण्डाशिशोमविकल्पमारदाहि-गरदावकीर्ण-गणप्रेष्यागम्यागामि हिंस्र-परिवर्ति-परिवृत्त-पर्याहित-पर्या-जानु-न्यवतात्म-दुर्बल कुनखि श्यावदन्त-शिवरि-पीनभंभ कितवाजप-राजप्रेष्य प्रातिहृषिक-शूद्रापति निराकृति किलामि-कुसीदि-वणिक शिल्पोपजीवि-ज्यावादित्रतलानृत्य-गीतशोलान् । दुर्बलादीन् श्राद्ध एवंके। अकृताप्रधादं चंबम् । गौतम० (१५।१८, ३१-३२)। यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धिमुक्त हैं विच्छेदको (हाइफन) से पुनः नहीं बंधे गये हैं।

४३ अथाप्युवाहरन्ति। अथ चेन्मन्त्रविद्युक्त शरीरैः पवित्रदूषणं । अदुष्यत यम प्राह पवित्रपायन एव स ॥ यस्मिन्-उपम त्र (११।२०, मेधातिथि, मनु ३।१६८)। यह श्लोक अत्रि (३।५०-५१) एवं लघुश्रुत (२२) में पाया जाता है।

४४ निमन्त्रिताश्च पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् । यायुभूता नियच्छन्ति तथासौनानुपासने ॥ पञ्चपुराण (मुष्टिखण्ड, ९।८५-८६) । श्राद्धकाले यम प्रेतान् पितृश्चापि यमालयात् । प्रितजयति मानुष्ये निरवस्थांश्च काश्यप ॥ गृह्यपुराण (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ।

४५ बराहपुराणे । दत्तकाष्ठे च विमृजेद् ब्रह्मधारी नृविभवत् । कल्पतरु (भा०, पृ० १०४) एवं भा० प्र० (पृ० ११२) ।

दाज्ञ का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२४) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को (पहले की उपेक्षा करके) मूर्खतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मूल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० (१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान् नहीं हो सकता।<sup>४६</sup>

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गृ० (४।७।२-३) का कथन है कि पार्वण-श्राद्ध (किमी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्युद्रयिक श्राद्ध, एकोद्दिष्ट या काम्य श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गृ० (४।१।२) एवं कौपीतकि गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विपम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१।५।२।७-९ एवं ११) का कहना है—'वह अयुज (विपम) संख्या में ब्राह्मणों को निलाले, कम-से-कम ती या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (१।१।२७ = मनु ३।१२५ = वीघा० ध० सू० २।८।२९), याज्ञ० (१।२२८), मत्स्य० (१।७।१३-१४) एवं विष्णु (३।१।५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को अवश्यमेव खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाले। पद्म० (सृष्टि १।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमन्त्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर होती, प्रत्युत वह आमन्त्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ आमन्त्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (१।१।३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना चाहिए। शंख (१।४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-श्राद्ध के लिए समझा जाता है और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। वी० ध० सू० (२।८।३०), मनु (३।१२६), वसिष्ठ० (१।१-

४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजनं भोजनं तथा। नोत्तरीयं विना कार्यं कृतं स्यान्नृष्कलं यतः॥ भविष्य० (१।

२८), कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है, 'बड़ी सख्या निम्न पाच रूपों को मष्ट कर देनी है, आमत्रितो रा सम्पक् सम्मान (सत्प्रिया), उन्नित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढाङ्ग भूमि), बाल, शीघ्र (पवित्रता) एव शीलवान् ब्राह्मणो वा चुनाव, अत बडी मख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए।" कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध म एक प्रतिधि को अवश्य विद्याना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रसंग नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन धया ने श्राद्ध-धर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है—'उत्तराधिकारी को दाय वा आधा भाग मृत के कल्याण के लिए पुत्रक रूप देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पाण्मासिक) एव वार्षिक धाड़ों में व्यय करना चाहिए। दायभाग (१।१।१२) ने इमका अनुमोदन किया है और आप० ध० सू० (२।६।१३।३) का उद्धरण दिया है—'मण्डित के जभाव में आचार्य (वेद-पिक्षक), आचार्य के जभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे मृत के कल्याण के लिए धर्मवृत्तों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है)। इन बचनों से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में बितनी दूर तक प्रकामित किया है। कुछ व्यावहारिक लेखकों ने यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९), विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया म श्राद्ध करते समय वित्तशाठ्य (बज्जुमी) नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से बर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता।" और देविए पत्र० (मृष्टि १।१७९-१८१)। वायु० (८२।२६-२८) ने पुन कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं यदि वे श्राद्ध में मन्तुष्ट होते हैं तो देव एव पितर योग मन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एव तप के विषय म कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के उपरान्त अपनी धन-योग्यता एव शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए, इसके द्वारा व्यक्ति सभी देवी इच्छाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।" स्कन्द० (६।२२।२।३) ने यहाँ तब कहा है कि यद्यपि गया के ब्राह्मण आचारभ्रष्ट (दुराचारी एव पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध म आमत्रित होने योग्य हैं और वेद एव वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।" नियमसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत निरूपलीचेतु के मत से यह व्यवस्था गया में बैबल अक्षयबट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय

४७ सत्क्रिया देशकालो च शीघ्र ब्राह्मणसम्पद । पञ्चैतान् विस्तरौ हित तस्माद्ग्रेहेत विस्तरम् ॥ मनु (३।२२६) ।

४८ वित्तशाठ्य न कुर्वेत गयाश्राद्धे सदा नर । वित्तशाठ्य तु कुर्वाणो न तीर्थफलभाग्भवेत् ॥ वायु० (८२।१९) । देविए स्मृतिच० (धा०, पृ० ३८८)—'अतो वित्तानुसारेण शारीरबलानुसारेण च गयाया श्राद्ध कायम् ।' पत्र० (मृष्टि०, १।१७९-१८१) में आया है—'सतिल नामगोत्रेण दशाच्छक्त्या च दक्षिणाम् । गोभूहिरण्यवासासि भव्यानि शयनानि च ॥ दशाच्छक्ति विप्राणामात्मन पितुरेव च । वित्तशाठ्येन रहित पितृभ्य प्रीतिमाहृत् ॥

४९ अमानवतया विप्रा(अमानुषा गयाविप्रा ?) ब्राह्मणा (ब्राह्मणा ?) ये प्रकल्पिता । तेषु तुष्टेषु सतुष्ट्या

५० अयाचारपरिभ्रष्टा धाढ्यार्हा एव नागरा । बलीवर्षसमानोऽपि ज्ञातीयो यदि लभ्यते । किमन्यब्रह्मभ-  
विप्रैर्बेद्वेदागपारणं ॥ स्कन्दपुराण (६।२२।२।३) ॥

में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्वेलित करते हैं तथा अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो श्लोक कहलाये गये हैं—'क्या हमारे कुल में कोई धनवान् एवं मतिमान् व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठ्य (ऋणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के साथ देगा?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी)। देवल (स्मृति-च०, श्रा०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कृत्यों, वार्षिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए।

यदि कोई ब्राह्मण उमलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या नौ धर्मों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियाँ अन्य ब्राह्मणों को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं निर्धारित की गयी है)।

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० धर्म० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए ('आज श्राद्ध-दिन है', ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी वार उन्हें सम्बोधित करना चाहिए ('भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर)। हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; 'कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का अनुग्रह करें' (अर्थात् जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा)। मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२०) एवं पद्म० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए—'आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है' और उनको सुनाकर यह कहना चाहिए—'आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की सेवा करते हैं।' बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए—'हे उत्तम मनुष्यो, आप लोगों को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संव्याकाल में 'अक्रोधनैः' श्लोक के साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२।७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित करे—'मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रश्न पर कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है, किन्तु मध्य काल के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७)। लगता है, मनु (३।२०५) ने दैव ब्राह्मण को वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पृ० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व सन्व्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए—'आप लोगों को

आयास (घकावट) एवं काम-भोग से वर्जित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर दोगे— 'ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-बाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१), श्राद्धतत्त्व (पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमत्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' आदि श्लोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातः काल वंसा किया जाय तो 'अक्रोधन' श्लोक के साथ वंसा करना चाहिए।<sup>१</sup> विभिन्न लेखकों ने आमत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १।२२५) के मत से शब्द ये हैं—'श्राद्धे क्षण क्रियताम्।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६)। मनु (३।१८७-१९१) में 'निमत्रण' एवं 'आमत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धमूल (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमत्रण' शब्द आया है, किन्तु पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमत्रण वह है जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमत्रण को गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही (प्रजापति ६४)। प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण-श्राद्धकर्ता को निमत्रण देते समय आमत्रित होने वाले व्यक्ति का दाहिना गूटना, क्षत्रिय को बायाँ गूटना, वैश्य को दोनों पैर चूने चाहिए और शूद्र को माष्टांग पैरों पर गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र० पृ० १०६)। मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाले) या सन्यासी अचानक मिश्रा मगते हुए आ जायें तो कर्ता को उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भाजन देना चाहिए (अर्थात् इन लोगों को आमत्रित करना आवश्यक नहीं है)। देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२)।

उदानस्-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमत्रित करना चाहिए— 'कल मीं श्राद्ध कर्मं कर्ह्ये।' और देखिए धराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए।

कात्यायन के श्राद्धमूल (श्राद्धतत्त्व पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोपरहित कर्ता द्वारा आमत्रित

दूसरे जन्म में धीरे मरक की यातना सहता हुआ मूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रसित होने पर या किसी उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता।

स्मृतियों में आमत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़ एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किया है, पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी भूदा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके



पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१।२२५) ने संक्षेप में यों कहा है—‘उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न दिन में सोना चाहिए।’<sup>५२</sup> और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।२-४)। मिता० (याज्ञ० १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र<sup>५३</sup> ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। यही बात औशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२।८।३१-३३), अनुशासन० (१२५।२४)<sup>५४</sup> एवं वायु० (७९।६०-६१)। लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों को निम्न बातें न करने को कहा है—‘पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम।’ प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं—‘दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।’ अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १०।१।९४-९५) ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-भोक्ता के लिए त्याज्य हैं—मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीवाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता—ताम्बूल-चर्वण, वाल

५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वै द्योन्यस्मिन् कुर्वते क्षणम्। स याति नरकं घोरं सूकरत्वं प्रयाति च ॥ कूर्म० (उत्तरार्ध २२।७, श्रा० प्र०, पृ० ११०)। सद्यः श्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन्। तस्मात्तदहर्ब्रह्मचारी स्यात्। गौतम० (१५।२३-२४); हरदत्त ने ‘श्राद्धी’ की व्याख्या यों की है—‘श्राद्धमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनी।’ पाणिनि (५।२।८५) में यों है—‘श्राद्धमनेन भुक्तमितिठनी।’ इसमें दो रूप आये हैं—(१) ‘श्राद्धी’ एवं (२) ‘श्राद्धिक’। पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमैथुनम्। श्राद्धकृच्छ्राद्धभुक्चैव सर्वमेतद्विजयेत्॥ स्वाध्यायं कलहं चैव दिवास्वप्नं च सर्वदा। मत्स्य० (१६।२७-२८), श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि० ९।१२३-१२४)।

५३. तदहः शुचिरक्रोधनोऽवविरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्यादध्वमैथुनश्रमस्वाध्यायान्वर्जयेदावाहनादि बाग्यत ओपस्पशंनादामन्त्रिताश्चैवम्। श्रा० सू० (कात्यायन)। पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्। दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धयुक्त्वष्ट वजयेत्॥ लघुशंख (२९, मिता०, याज्ञ० १।२४९)। मिलाइए कूर्म० (२।२२।६) एवं नारदीय (पूर्वार्ध, २।८।४)।

५४. श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं व्रजेत्। पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्नेतसि शेरते ॥ अनुशासन० (१२५।२४)। यही श्लोक मार्कण्डेय० (२।८।३२-३३), अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११।३७) में भी है। मिता० (याज्ञ० १।७९) का कथन है—‘एवं गच्छन् ब्रह्मचार्येव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचर्यं श्राद्धादी चोदितं तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यं स्वल्पलनदोषोऽस्ति।’

कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दाँत स्वच्छ करना। आमंत्रित ग्राहणों के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय थी—आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न हाना, भोजन के लिए बुझाये जाने पर देर न करना (देखिए श्राद्धकलिका एव श्राद्ध पर विवृभक्ति)।<sup>१४</sup>

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एव पात्रों (बरतना) तथा उमम प्रयुक्त न होनेवाले पदार्थों के विषय में विन्मृत नियम चले जाय हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है—‘श्राद्ध क द्रव्य ये हैं—तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एव फल, किन्तु पितर लोग धृतमिश्रित भोजन से बहुत काल के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्ति या को दिये जाने से सन्तुष्ट होते हैं।’ और देखिए मनु (३।२६७=वायु० ८३।३)। याज्ञ० (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन यज्ञ में अर्पित होना है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मनु (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जगल में यतियों द्वारा खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, मोमरस, बिना मसाला से बना मास (अर्थात् जो खराब गंध से मुक्त हो) एव पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), यह है—पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिंसा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उवाला हुआ, सका हुआ या सतू) भूमी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एव जल।<sup>१५</sup> स्मृतियों एव निबन्धों ने प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन सक्षिप्त सकेतों को बड़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एव कृष्ण) एव अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय० (२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की विक्री से प्राप्त धन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, ‘पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए’ इस कथन से प्राप्त धन का भक्षण की है (स्मृतिच० श्राद्ध, पृ० ४१२)। स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है—कर्ता की शुचिता, द्रव्य, पत्नी श्राद्ध-म्वल मन मन्त्रा एव ब्राह्मणों की शुचिता। मनु (३।२३५=वसिष्ठ० १।१।३५) का कथन है—‘श्राद्ध में तीन वस्तुएँ गृहिकारक हैं, यथा—दीहिन, नेपाल का कम्बल एव तिल, श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती है, यथा—स्वच्छता, कोबटीनता और त्वरा (धीप्रता) का अभाव।’<sup>१६</sup> प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का

५५ निमन्त्रित श्राद्धकर्ता के पुनर्भोजन अथ हिंसा त्वरा प्रमाद भारोद्धहन दूरगमन कलह शस्त्रग्रहण च बजयेत्। शुचि सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्। (श्रोदत्त का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ)।

५६ तत्र द्रव्याणि तिलमाषा यौहियवा आपो मूलफलानि। स्नेहवति त्वेवान्ने पितृणा प्रीतिर्दायीयात् च कालम्। तथा धर्माहितेन द्रव्येण तीर्थप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४)।

५७. चहमंक्षसस्तु कणयावकशाकपयोदधिघृतमूलफलोदकानि हवीष्यसरोत्तर प्रशस्तानि। गौतम० (२७।११)। नारायण (आश्व० गू० १।९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक श्लोक उद्धृत किया है—‘पयो दधि यवागूश्च सर्पिरोदनतण्डुलाः। सोमो मास तथा तैलमापस्तानि दर्शय तु ॥’

५८ त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दीहिन कुतपस्तिला। त्रीणि चात्र प्रशस्तानि शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ मनु (३।२३५) एव वसिष्ठ० (१।१।३५)। और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० (१।१८।५।२०), मार्कण्डेय० (२।८।६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१३) एव पद्म० (सृष्टि०, ४७।२७८-२७९)। मनु के पूर्ववर्ती श्लोक से पता चलता है कि दीहिय का अर्थ है ‘कन्या का पुत्र’। किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१४) में इसके कई अर्थ हैं, यथा—‘गंडे के सौंग से बना पात्र’, या ‘वितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घृत’। अपराकं (पृ० ४७४)

उल्लेख किया है। मनु (३।२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में धन (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु) ये हैं— अपराल्ल, दूर्ध, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में), व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्) ब्राह्मण।

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीडित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवैवर्त (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ वृद्धों नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न अन्न उत्पन्न हुए—श्यामाक, गेहूँ, यव, मुद्ग एवं लाल धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के ग्राम्य एवं सात प्रकार के आरण्य (वनले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही है; नीवार, माप, मुद्ग, गेहूँ, धान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिल। मत्स्य० (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५३८) ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ वृद्धों गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान, मुद्ग एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय० (८२९।९-११) ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।<sup>१५</sup> ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण (३।१६।५-६), विष्णुधर्मसूत्र (८०।१)<sup>१६</sup> एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है।

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं पद्म० (सृष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन्, निष्पाव, राजमाप, कुसुम्भिक, कोद्रव, उदार, चना, कपित्थ, मधुक एवं अतसी (तीसी) वर्जित है।<sup>१७</sup> विष्णुधर्मसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को राजमाप, मसूर, पर्युषित (वासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना चाहिए।<sup>१८</sup> पट्टि-

ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं—'ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च। तिला दम्बिश्च कालश्च नर्वन्ते कुतपाः स्मृताः॥' और देखिए लघु ज्ञातातप (१०९, श्रा० कि० कौ०, पृ० ३१७)।

५९. राजश्यामाकश्यामाकौ तद्वच्चैव प्रशान्तिका। नीवाराः पोंष्करादचैव वन्यानि पितृतृप्तये॥ यवत्रीहिस्त-  
गोधूमतिलमुद्गाः ससर्षपाः। प्रियंगवः श्रोत्रवाश्च निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ वर्ज्या मर्कटकाः श्राद्धे राजमापास्तथाणवः।  
विप्रूषिका मसूराश्च श्राद्धकर्मणि गहिताः॥ (मार्क० २९।९-११)।

६०. तिलैर्नीहिववैमवैरद्विर्मूलफलैः शकैः श्यामाकैः प्रियङ्गुभिर्नीवारैर्मुद्गैर्गोधूमैश्च मासं प्रीयन्ते। विष्णु-  
धर्म० (८०।१)।

६१. द्वेष्याणि संप्रवक्ष्यामि श्राद्धे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमापकुसुम्भिकाः... कोद्रवोदार-  
वणकाः कपित्थं मधुकातसी॥ मत्स्य० (१५।३६-३८; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५४८-५४९ एवं श्रा० प्र०, पृ० ४०)। पद्म०  
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पृ० ५४८) में भी यही सूची है। हेमाद्रि ने 'मधुक' को 'ज्रेष्ठीमधु' कहा है और मत्स्य० में  
ऐसा पाठ है—'कोद्रवोद्वालवरककपित्थं'। 'वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है।

६२. राजमापमसूरपर्युषितकृतलवणानि च। विष्णुधर्म० (७९।१८); राजमापान्मसूरांश्च कोद्रवान् कोर-

गन्त न श्राद्ध म तिल मुद्ग एव माष क अतिरिक्त सभा काली भूसी वाटे अतो को वर्जित माना है। स्पष्टानाम  
मे इस विषय म हम जोर नहा लियेंगे। दक्षिण मिता० (यान० ११२४०) :

इस धन क खंड २ अध्याय २२ म प्रयुक्त एव अप्रयुक्त हानेवाल दूध क विषय म विज्ञा जा चुका है।  
कुछ बातें यहाँ जोर दा जा रही हैं। मनु (३१२७१) एव यान० (११२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध  
या उसम भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वय तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७) ब्रह्म०  
(२००।१६९) " माकण्डव० (३२।१७।१२) एव विष्णु० (३।१६।११) ने श्राद्ध म भन हरिषो चमरा मेघ उन्नी  
स्त्री एव सभा एव बुर वाल पशुआ क दूध एव उसम निमित्त दही एव घृत का प्रयोग वर्जित माना है। विन्दु भन  
क घृन को ममल्लु एव दवल न वर्जित नही ठहराया है (हेमाद्रि, धा०, पृ० ५७२)।

माकण्डव० (२९।१५ १७) वायु० (७८।१६) एव विष्णुपुराण (३।१६।१०) ने कहा है कि श्राद्ध म  
प्रयुक्त हानवाग जल दुग्धप्रयुक्त फलित एव अल्प जल वाली बावली का अर्पण फलित नही हाना चाहिए और न वह  
उस स्थल का हाना चाहिए जिनक पीने पर गाय की तुष्टि न हो मने उसे बासी नही होना चाहिए, वह उस बलाप  
का नया हाना चाहिए जा मक्का मर्मपित न हो और न वह उस होज मे लिया जाना चाहिए जिनम पशु बल पाने हैं।"

श्राद्ध म प्रयुक्त एव अप्रयुक्त हानेवाउ मूलों फलो एव गाको के विषय म कतिपय नियमों की व्यवस्था  
दी हुई है। उदाहरणाय ब्रह्मपुराण (२२०।१५६ १५८) ने कई प्रकार के फला क नाम लिए हैं यथा—जाम, बेत,  
दाडिम नारियल खजूर मेव जो श्राद्ध में लिये जा सकत हैं। देखिए धन (१५।२२ २३)। वायु० (७८।११ १५)  
का कथन है कि लहसुन गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एव गंध बुरे हा तथा वेद निषिद्ध पशु लस सारी

दूधकान। लोहितान् वृ शनिर्वासान् धातुकमणि वज्रवन् ॥ शाल (१४।२१), हेमाद्रि (धा०, पृ० ५४८) ने 'कोरदूधक'  
को 'धनकोशय' क अर्थ म लिया है।

६३ माहिव चापर मानमाविकककाकोरभवम। सनसोष्टुमायिक च (मजावोक ?) दधि धीर पुन स्ववन् ॥  
ब्रह्म० (२२०।१६९, हेमाद्रि धा०, पृ० ५७३)।

६४ दुग्धि फलित धाम्नु तदवात्पतरोदकम् ॥ न लभयन्न गोस्तुनि नस्त यक्याप्युपाह्वाम ॥ यत्र सर्वं  
सु गृह्य यक्यानाम्यनिधानम् ॥ तदुर्ध्वं सलिल तत तदव विन्दुमणि ॥ माकण्डव० (२९।१५ १७)। और दक्षिण  
ब्रह्मण्ड० (उपाध्यायपाठ १४।२६)।

६५ सगुन गुञ्जन धव पलाण्डु विष्टनूलकम् ॥ करम्भाजानि पाजानि होवानि रमायन ॥ प्रशरोरुणव  
निर्वाता उदवाजोपरानि च ॥ धातुकमणि वज्रानि पाशच नायों रजशकला ॥ वायु० (७८।१२ एवं १५, हेमाद्रि  
धा० पृ० ५५५ एव स्मृतिच० धा०, पृ० ४१६)। स्मृतिच० (धा०, पृ० ४१५) ने गुग्गुलु से इष्ट श्लोक उद्धृत कर  
पलाण्डु क इस प्रकार रिय है।

६६ विरलो - मुहुर्दक - भस्म - विपु - मयव - नूरात-मरुक्त-गुग्गुलु-कृष्णाण्ड अनातु-वार्गाहु-वाप-सवागो-  
रको - एतु-पायक - दुग्ध - विष्टाण्डु-महिषो-गौरानि वज्रवन् ॥ धि० ध० पृ० (७९।१७)।

६७ इगुदरशिकर्षं रामालवदन विन्दु ॥ यदन्न पुष्यो भुवन तराप्रततय दक्षता ॥ रामायण अयोध्या (१०३)

पुराणों में वर्णित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्य एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अलग से नमक नहीं दिया जा सकता (वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६५)। वि० घ० सू० (७९।५-६) में आया है कि उग्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, कांटे वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे वे लाल भी क्यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६)। वायु० (७५।३३-३५) ने भी यही कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा—जाती, चम्पक, मल्लिका, आम्रवीर, तुलसी, तगर, केतकी तथा श्वेत, नील, लाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आचार पर तुलसी को वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पौधों में परिणत हो गये।<sup>१८</sup> इसी प्रकार आश्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, तभी वे पवित्र होते हैं।<sup>१९</sup> गोभिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है—वर्हि वे कुश है जो तने के पास से निकले हुए अंकुरों के काटने से बनते हैं किन्तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं ३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करते चाहिए। गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वैश्वदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माप (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं अच्छी तरह बड़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते हैं। पद्म० (सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुराण (७।१।२०।५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से

३०, १०४।१५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६१; मेधातिथि, मनु ५।७; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४१६)। स्कन्द० (नागर खण्ड, २२०।४९) में आया है—‘यदन्नं पुरुषोऽश्नाति तदन्नास्तस्य देवताः।’

६८. शतपथब्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्न गाथा है और यह शब्द ‘दृभू’ से बना है—‘आपश्च ह्येता ओषधश्च या वं वृत्राद् बीभत्समाना आपो धन्व दृभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन् यद्दृभन्त्य उदायंस्तस्माद्दर्भाः। ता हैताः शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यद्दर्भास्तेनोषधय उभयेनैवंनमेतदन्नेन प्रीणाति। (७।२।३।२)।

६९. मन्त्रपूता हरिद्वर्णाः प्रातर्विप्रसमुद्धृताः। गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभूमिजाः॥ प्रजापति० (९८)। उत्पादनमन्त्र यह है—‘विरंचना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम॥ (स्मृतिच०, १, पृ० १०७ एवं अपरार्क, पृ० ४५८)।

निकले है। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि बराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)।

गण्ड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनो देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु मध्य में और शंकर अन्न भाग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (बासी अन्न) प्रयोग के लिए अयोग्य नहीं होते।<sup>१०</sup> किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-भूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याग्य हैं (उनका प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता)। विष्णु ध० सू० (७९।२) एवं वासु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव में कास्य या दूर्वा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभाग खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान

भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का।

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१) का कहना है कि उन समय सारे घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौधा० प० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमन्त्रित ब्राह्मण आये तो उन्हें तिल-जल देना चाहिए। बौधा० गु० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया है, शुक्ल, कृष्ण, जति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक मनुष्य देनेवाला है।<sup>११</sup> तै० स० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। नारदपुराण (पूर्वाध्याय २।८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमन्त्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 'अगृह्णाता अमुना रक्षामि वेदिपद' (वाज० स० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीर्ण करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० (२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है—'अमुर और बुद्ध्यात्माएँ जो वेदी पर बंठी रहती हैं, हल हो एवं भाग जायें।' कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि षतुदिक् तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि अमुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधाना (बुद्ध्यात्माओं) को भगाना चाहिए। गण्डपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने भी कृष्ण में कहलाया है, 'तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; अमुर, दानव एवं दैव तिलों के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं बुद्ध्यात्माएँ हवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—'जो तिल का उबटन (लेप) लगाया है, जो तिलोदरु से स्नान करता है, जो जमिन में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल खाता है और जो तिल उगाना है—यह कर्मा नहीं गिरता (अर्थात् अभाग्य नहीं होता और न कष्ट में परता है)।

७०. विना मन्त्राः कुशा यद्भिस्तुलसी च गणेश्वरः। नन्ते निर्वात्पत्नी यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः ॥ गण्ड० (प्रेतखण्ड २।२२)।

७१. शुक्लः कृष्णः इत्यनारदचतुर्धा जतिलस्तिलः। उत्तरोत्तरतः धाद्वे विजुषां नृप्तिकारकः ॥ प्रजापति (९९)। 'जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं।

अर्घ्य (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र (२) में आया है कि अर्घ्य-जल वनिय वृक्षां (पलाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमनों (प्यालों या कटारों) या सोने, चांदी, ताम्र, लोह (गैंडे के सोने के पात्रों), रत्नों या पत्तों के बर्तनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७१-१३१५) में आया है कि कर्तों को धातु के पात्रों का, विशेषतः चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय (३११६५) एवं चायु० (७४१३) का कथन है कि पितरों ने चांदी के पात्र में स्वधा वृद्धी थी, अतः चांदी का पात्र पितृगण बहुत चाहते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु० (७४११२), मत्स्य० (१७१११-२२), ब्रह्माण्ड० (उपो-द्घात १११२-२) एवं पद्म० (सृष्टि ११४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं तांबे के पात्र उपयुक्त हैं; चांदी के विषय में बर्चा करने मात्र से, या उसके शान से पितरों को स्वर्ग में अन्न फल प्राप्त होना है; अर्घ्य, पिण्ड-दान तथा भोजन देने के लिए चांदी के बरतनों को प्रदानना मिलनी चाहिए, किन्तु देवकर्मों में चांदी का पात्र शुभ नहीं है। और देखिए अग्नि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४)। पद्म० (सृष्टि ११४५-१५१) में आया है कि पात्र वनिय काष्ठ, पलाश, चांदी या समुद्रीय नीप-संत आदि के होने चाहिए; चांदी शिव की आंख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चांदी, तांबे, कांसे या लोह के पात्र में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं। इसमें पुनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तांबे या अन्य धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल में घोषित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र बला भोजन कोण के मान के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चांदी या पाँच धातुओं में बना होना चाहिए, या पत्रावली (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७१११-२०)। किले के पत्ते भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। करि, लंपर, शुक (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अग्नि (१५३) ने कहा है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तांबे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए। और देखिए श्राद्ध० प्र० (पृ० १५५)। विष्णु० घ० सू० (७१२४) ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, तांबे, लोह या फल (कठगूलर) के पात्र से दिया गया भोजन अशुभ होता है।<sup>१</sup>

७२. यज्ञियवृक्षचमसेवु पवित्रान्ताहतेवु एकंकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरिति।...सौवर्णराजती-  
दुम्बरखड्गमणिमयानां पात्राणामन्यतमेवु यानि वा विदन्ते पत्रपुटेपु वैकैकस्वैकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु। श्राद्धसूत्र  
(कात्यायन, २)।

७३. यत्संगिरसोक्तम् 'न जातिकुसुमानि न कदलीपत्रम्' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्तं  
निषिध्यते। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३४)। औरों ने कहा है कि कदलीपत्र के विषय में विकल्प है, जैसा कि कुछ  
स्मृतियों (यथा लघुश्रवलायन २३।४२) ने कदलीपत्र की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद २१।३५-४०)  
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अश्वत्थ, उदुम्बर, विकंकत, काश्मर्य, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन  
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फलु काष्ठ, बेल एवं वाँस के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ  
अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।

विष्णु० १० मू० (७१।११) न व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के पारर में अनुप्यन करिए चन्द्र कुटुम्ब बसुर अगुरु एव पक्षेण सा प्रयोग करेता चाहि। प्रयुगुरा (२०।१६५ १६६) न वृद्ध उद्योगी जात पत्र उगी मृत्ता जादि वा पत्थ्य श्राद्ध म प्रयुक्त हुनसा गुणित पत्थी र्णिया बिया है।

श्राद्ध क र्णिया र्णित एव अर्जित नाजना क र्णिया म र्णित अर्ण चर्चा कर ला है। मन्व्य० (१७।० ३६) म आया है कि दूध एव दूदा तमा पाय क र्णिया एव अर्ण म र्णित नाजना तमा पितरा का एव म र्णित मनुष्यि दता है। चाहू जा भा नाजना म पाय त दूध या घा या पायन (दूध म पत्थी हूआ चाकर) यदि र्णिया म र्णित नाता जणय क र्णिया जणय ३। श्रद्ध० (२२०।१८८ १८९) न ना बहा है कि वह साध पत्थी जा माता एव नाजक हो और पाया मृत्ता या ताता ताता उव श्राद्ध म र्णित चाहि और एव साध पत्थी जा अति दूद या नमवान या नाते हा पायन है वार्णित क आमन (अमु। क वाय) हैं। उरद क विभिन्न व्यजना पर र्णित बल र्णिया गया है। जीणमम्मनि न धमसा पी है कि ता श्राद्धा श्राद्ध नाजना करत समय माय (उरद) का भाजन नहा करता वह मृत्परात र्णित म र्णित नाता है। म्मुति १० न एव म्पनिवचन उरद वरत हुण कहा है कि वह श्राद्ध जिमम माय क र्णित ना र्णिया जा जमर्णित-मा है।

अति प्राचीन वात से पी र्णित क र्णित श्राद्ध क समय भाग र्णित ज्ञान क र्णित म माभद र्णित है। हुमन इम श्रय क र्णित २ अन्वय क र्णित माता नाज क र्णित विषय म विचार क र्णित माय १० र्णिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध क समय मास भ्रमण क र्णित विषय म उन नृहरा र्णित चाहू है। जाप० घ० मू० (२।८।१९।१३ १५) न व्यवस्था दा है कि नयमिक श्राद्ध (प्रति मास म्प्यात्नीय) म मास र्णित नाजना जणय र्णित चाहिए नर्वात्तम डग है पूत और मास देना इन दना क र्णित म र्णित एव पाका का प्रयोग र्णित जा करता है। य र्णित (२।७।१६।२५ एव २।७।१७।०) यह भी कहता है कि श्राद्ध म गानाम र्णित नाजना म र्णित र्णित एव क र्णित मनुष्य ही जात हैं अम का मास र्णित नाजना म र्णित एव माय म र्णित क र्णित र्णित का र्णित जाना है य र्णित नियम जणय र्णित पाया (खरगाण जाति) ग्रामाण र्णित नाजना (बवरी र्णित) क मास क र्णित विषय म भा है। पित-मनुष्यि अनन्त क र्णित क र्णित बड जाना है यदि गड क र्णित पर बड हुए ब्राह्मणो को गड का मास र्णित र्णित जाय। य र्णित जान र्णित नाजना नामक मरुगी क र्णित माय एव वार्णित म क र्णित मास क र्णित विषय म भी है। वमिण्ड (११।० ६) म वचन आया ३— ददा या पितरा क र्णित क र्णित म आमंत्रित म र्णित यदि मास नहीं माता वा वह उन र्णित क र्णित र्णित वे (जिमम माय का वह नगी र्णित) बाता का मन्वा क र्णित बराबर वर्षों तक नरक म र्णित है। यहाँ तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (११६० ४० ५०) न भी दत्तापूवक कहा है कि का व्यक्ति श्राद्ध म नोजन करतवाला पी पक्ति म परास गय मास का र्णित नहा करता वह नरक म जाता है। मन (५।३५) एव क म० (२।१७।६०)

७४ यो नाशनाति द्विजो माय नियुक्त विनश्मणि । स प्रत्य पत्ता याति सन्ततामर्कवापतिम ॥ जीणसस्मृति (५ पु० ५३१) ।

७५ सर्वतर गव्येन प्रीति । नूदासमनो मार्हवण । एतेन ग्राम्यारण्येना वृणा मास मध्य व्याख्यातम् । खडगोपस्तरण खडगमासेनान्य काडम् । तथा गतवलेमत्स्यस्य मासेन वाध्राणसस्य च । जाप० घ० मू० (२।७ १६।२५ एव २।७।१७।३) । वार्णित या वाध्राणस को लाड बकरा कहा गया है जो त्रिपिब (जिसके कान इतने लम्बे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पृश करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या खण्ड में सबसे बड़ा होता है । (१।१४।४८) ।  
मनु ३।२७ ।



में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही बात कहता है। कूर्म० (२।२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्धकर्म में नियुक्त रहता है और अर्पित मांस का भक्षण नहीं करता, तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मनु (३।२।५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक् आहुतियाँ हैं—(नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे दुर्गन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक। सामान्यतः मंत्र्यासिधियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है।

मनु (३।२।६७-२७२), याज्ञ० (१।२।५८-२६०), विष्णुध० सू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८), श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म० (२।२।४०-४२ एवं २९।२-८), वायु० (८३।३-९), मत्स्य० (१।७।३१-३५), विष्णुपुराण (३।१।६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१।५८-१६४), ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर (१।१।४।१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२।५८-२६१) का कथन है—पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा—चावल, फल, मूल आदि) से एक मास; गोदुग्ध एवं पायस से एक वर्ष; २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा तित्तिर), वकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, श्व हरिण, वनलै सूअर एवं खरगोश के मांस से; खड्ग, महाशक मछली के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित वकरे, महाशाक (कालशाक) एवं वार्ध्रीणस के मांस से अनन्त काल तक तृप्त होते हैं।<sup>१६</sup> कुल ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२।६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम के अन्न, यथा चावल, माप आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल एक मास की होती है तथा वार्ध्रीणस के मांस से केवल १२ वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं)। विष्णुध० (८०।१०) एवं मनु (३।२।७०) ने भैंस एवं कछुए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाश्रुत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य (मिता० एवं अपरार्क, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-भोजन अर्पण करना चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, शूद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णों द्वारा अवर्जित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता० एवं कल्पतेरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २) कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्वाह होता था, एक अन्तर्हित भावना यह थी कि समिवाजों या भात का अर्पण जब देवों के प्रति भवितपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा-

७६. हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्यतैः ॥ ऐणरीरववारा-  
हशाशैमासैर्यथाक्रमम् । मासवृद्ध्याभितृष्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ खड्गामिषं महाशकं मधु मुन्यन्नमेव वा । लौहामिषं  
महाशाकं मांसं वार्ध्रीणसस्य च ॥ यद्वाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्नुते । याज्ञ० (१।२।५८-२६१) । मिता० ने 'महा-  
शाक' को कालशाक कहा है।

पंण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ व ५।४६-४७) एवं वसिष्ठ ने दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं १३वीं शताब्दी के आते-आते मधुपर्क एवं श्राद्धों में मासापंण सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग में ध्वंस हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मासापंण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहदारदीन पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार भयु, मास एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है।

मनु (५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी धाद्य-सूची पायी जाती है जो मासमयियों के लिए भी वर्जित थी।

दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (३।४।२४-३०), वराह० (१३।५३-५८) आदि ने बड़ी कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोजन न करके या मास न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जगली शाक-पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं, किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र वर्तों को चाहिए कि वह वृक्षा के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालो एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करें—'मरे पास न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरा का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मरी भक्ति से मनुष्ट हो, मैंने वे हाथ आकाश (अर्थात् वायु के मार्ग) में फैला दिये हैं।'

### पार्वण श्राद्ध

अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाओं की भी विधि या प्रकृति है।<sup>१०</sup> इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुक्त ब्राह्मणों एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि 'स्वाहा' या 'स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत दग से अनङ्ग पहनने एवं आहुतियाँ की सख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की अज्ञानता माननी चाहिए।<sup>११</sup>

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-पत्न के मनेता का पता चलाना मनोरञ्जक चर्चा होगी। तै० स० (१।८-५।१-२) में चार चातुर्मास्या में तीमरे मासमेध के जन्तुगत महापितृयज्ञ का उल्लेख है—'बह पितरा के मास सोम को पद्वपाश पुरोडाश अर्पित करता है बर्हिन्द्र (दर्भ पर या यज्ञ में बँडे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात् पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बछड़ा मर गया है) और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय।

७७. 'पार्वण' एवं 'एकोद्दिष्ट' आदि शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला धाद्य नित्य है (गीतम० १।५।१) किन्तु किसी मास के इच्छन पक्ष की किन्हीं तिथियों में किये गये धाद्य काम्य कहलाते हैं। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)।

७८. तथा च कात्यायन । स्वाहा स्वधा नमः सव्यम-सव्य तर्षव च । आहुतीनां नु या सख्या सावगम्या स्वयमूत्रः ॥ मदनया० (५०-५९२); स्मृतिक० (धा०, पृ० ४५८) । हेमाद्रि (धा०, पृ० ३५६) में आया है—'एते वै शारिर्षयो यशोषु कल्पमूत्रगृह्य मूत्रेषु क्वास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः।'

का दूध दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे वाद आते हैं (अर्थात् तुम्हारे वंशजों के लिए भी); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात् आयेंगे, है; हे पितर, आप अपने अपने भाग पाइए। हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायँ। हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान् ऋषियों की वन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिंगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके साथ आनन्द मनायें।”

तै० ब्रा० (१।२।१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर नीचे दे रहे हैं—“दशोष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है—‘पितरों द्वारा गीये गये सोम को स्वधा नमः।’ वह कहता है—‘कव्य दोनेवाले अग्नि को स्वधा नमः।’ (इसके द्वारा) वह पितरों की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भों पर) तीन पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। . . . दर्भ एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जालु हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के भात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि पितर लोग भाप से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अर्पित होने पर) वे ले लेते हैं। (इसके द्वारा) वह पितरों को (अलग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता ढलती अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के वाल काटता है (दशा को नहीं देता)। उस अवस्था (अर्थात् ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वधा के लिए तुम्हें नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; धीर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड-पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१।४।१०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निवन्धों की उस व्यवस्था को प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं—“जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दर्श यज्ञ का कर्ता) प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . वह ऐसा अपराह्न में करता है। पूर्वाह्न देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का है और अपराह्न पितरों का है। गार्हपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखकर वह (गाड़ी से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणान्ति

के उत्तर खड़ा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटा कर चाव उ निकरता है। वह चाव उ केवल एक ही बार स्वच्छ करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चचे जाया करते हैं। तब वह उहे उधात्रता है। वह (दक्षिणाभिमुख पर) खड़ा रहकर ही उमम पूत डालता है। वहाँ स हटकर वह अग्नि म दो आहुतियाँ डालता है।

वह पितृयज्ञ म मलग्न है (उससे) वह देवो को प्रसन्न करता है और दवा से अनुमति लेकर वह पितरो को भोजन देता है। वह अग्नि एव साम दोनो का दत्ता है। वह वच्यवाह (पितरो की आहुतियो को ढोनेवाल) अग्नि का स्वाहा मन् के साथ आहुति दत्ता है। यह मन् भी वहता है— पितरा के साथ रहनेवाल मोग को स्वाहा। वह तब मेक्षण (चमच जिससे पकती हुई धस्तु चलायी जाती है) को जग्नि पर रखता है वह स्विष्टकृत क प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात् उसके स्थान पर एसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि क दक्षिण स्तन से एक रेखा खींच देता है जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की आर रेखा के अन्त भाग पर अग्नि रखता है क्योंकि एसा न करने से पितरा के भोजन को अभुर एव राक्षस अगुद्ध कर दगे। वह एसा करते हुए कहता है— विभिन्न रूप धारण करके छोटे या बड गरीर मे जा असुर स्वधा (पितरो की आहुति) से आह्वय होकर इधर-उधर विचरण क्रिया करते हैं उह अग्नि इस सप्तार से हटा दे' (वाज० स० २।३०) तब वह जल-पात्र उठाता है और पितरो के हाथ धुलाता है (एसा करते हुए वह पिता पितामह प्रपितामह के नाम लेता है)। यह उसी प्रकार किया जाता है जसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरांत दम को एक बार म जलग करता है और जड से काट लेता है ऊपरी भाग देवो का मध्य भाग मनुष्यो का एव मूल भाग पितरो का होता है। इसी लिए वे (दम) जड के पास से काटे जाते हैं। वह उह रेखा स सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण म करके रखता है। इसके उपरान्त वह पितरो को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है—देवो क लिए इम प्रकार मनष्यो के लिए दर्वो से उठाकर एसा ही पितरो के लिए भी करता है अत वह इस प्रकार पितरो को पिण्ड देता है।

कहे— जमुक जमुक यह आपके लिए है। एसा ही वह पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह कहता है— हे पितर यहाँ आनन्द बनाओ बलो के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ। (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है क्योंकि पितर लोग मनष्या से दूर रहते है अत वह भी इस प्रकार (पितरा)

कहना है  
घम जाता है और कहता है— पितर आंग सन्तुष्ट हो गय है वैल की भांति व अपने-अपन भाग पर आ गये है (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह पिण्डो पर जल डारकर पितरो स हथो को स्वच्छ करने को कहता है। एसा वह अलग-अलग नाम लेकर पिता पितामह एव प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। एसा उसी प्रकार किया जाता है जगा कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। एसा करना पितरो को प्रिय है। नमस्कार छ बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुए छ हैं और पितर लोग ऋतुए है। वह कहता है 'हे पिता हमे धर दो' क्योंकि पितर लोग धरो के ग्रासक होते है और यह यज्ञ-मन्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति है। जब पिण्ड (किमी थाल म) अलग रख दिये जाते है तो यजमान उहे सूघता है यह सूघना ही यजमान का भाग है। एक बार मे वाट गय दम अग्नि मे रख दिये जात हैं और वह रेखा के अन्त वाले उलमुक (अग्नि षण्ड) को भी अग्नि म डार दत्ता है।

यह वाचन्य है कि पावण धाद के बहूत-से प्रमुख तत्व गतपथ ब्राह्मण म स्पष्ट रूप म वर्णित है। हम उहे एक

स्थान पर यों रखते हैं—जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्ल के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन एवं सोम पितृमान् को अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूंड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अबनेजन (जल से मार्जन) कराना, जड़ ममेत दर्भ को अलग करना, दर्भों को रेखा पर रखना और तीन पिण्डों को उ। पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः बार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूँघना, दर्भों एवं उल्मुक को अग्नि में डालना। आजकल भी शुक्ल यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा—माता के पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४।१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा—हाथ जोड़ना और छः मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो रसाय आदि), एतदः (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान की छाती के बाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके पास जल छिड़कना।<sup>९९</sup>

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९—३४) के मन्त्र साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।१०।३।१०—२१) के बहृत-से मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (१।१०।३—११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं।

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गृ०, २।११) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व-पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है—“पार्वण श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध या एकोद्विष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं साधु-आचरण से युक्त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हों उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यो में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड-पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जल देते हैं एवं दर्भ की नोक दुहराकर गाँठ देने (जिन पर वे बैठायें जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्भों से ढँके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं पात्रों के जल पर ऋ० (१०।१।४) के ‘शन्नो देवी’ के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रों-

७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थ (अँगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी दशा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है।

च्चारण करता है—'तुम तिल हूँ, सोम तुम्हारे देवता हूँ, गोसव यज्ञ मे तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, स्वधा ' नमः ' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने मे बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवात दाहिने कंध पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बायें स संलग्न रहता है, वह पितरों को अर्घ्य निम्न शब्दों के माध्य देता है—'पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है पितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, प्रपितामह यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है।' ब्राह्मणों को अर्घ्य लेने के लिए प्रेरित करत समय केवल एक बार 'स्वधा ' य अर्घ्यजल है नहता चाहिए और उमक उपरान्त यह धात उन जल के लिए भी कहनी चाहिए जो दारे जाते हैं एसा करते समय यह कहना चाहिए—'ये स्वर्गिक जल जो पृथिवी पर एव वायव्य स्वलो पर उत्पन्न हुए हैं और व जल जो भोतिम' हैं, जो मुनहले रग के हैं और मज के गोम्य हैं— एसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करें।' वच हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उमने धाता है। वह उस पान को जिसमें पितरों के लिए अर्घ्यजल द्वारा जाता है तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें विवर अन्तर्हित रहते हैं, एसा शौनक ने कहा है। उनी समय चन्दन पुष्प, घृष, दीप एव वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए उपस्थापित स्थायीपाक से) कुछ भाजन लाने और उम पर धी छिडककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति मगता है मैं इमे अग्नि में अर्पित करूँगा या मुच अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए। अनुमति इस प्रकार मिलती है एसा भी किया जाय' या एसा ही करा। तब वह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके हाथों में आहुति देता है क्योंकि ब्राह्मण-अग्नि में आया है— अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है। यदि वह ब्राह्मणों के हाथों में अर्पण करता है तो उनक लिए अलग भाजन देता है जब कि व आचमन कर चुक रहते हैं और शय भोजन उम भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों व परोमा जाता है क्योंकि एसा कहा गया है कि जा कुछ त्यक्त हाता है वह ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देवता है कि ब्राह्मणों लय श्राद्ध भोजन से मन्त्र हा चुक हैं तो उसे मधु (ऋ० १।१०।६८) एव उन्हाने ला लिया है उन्हाने आनन्द मना लिया है, ऋ० (१।८।२।२) क मन्त्रों को मुनाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भाजन अच्छा था? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों क कुछ भागों को लेकर स्थालपाक के भोजन के साथ (उमका पिण्ड बनाने के लिए) वह शय भोजन ब्राह्मणों को दे देता है। उनक द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुम्भ या मित्रा को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्) के उपरान्त पिण्ड रखे जाते हैं। शेषान के पास पृथिवी पर भोजन बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंध पर रखकर उसे (प्रथम पान की जिसका मुख नीचे था हटाने एव ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम कहो स्वधा या ओ स्वधा! ब्राह्मणों को विदा दनी चाहिए।

अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर शुकते हैं। मनु (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर वर्णन किया है। किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२।२६ २४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्राज्ञ

८०. जल या जल-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है, उसे अर्घ्य कहा जाता है।

ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं—“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्ण में आते हैं तो कर्ता दाहिने हाथ में पवित्र धारण करके<sup>१</sup> उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात् वैश्वदेविक कर्म) में २, ४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोवर से लेपित, पवित्र, चतुर्दिक् घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए या दोनों (दैव एवं पितृ) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाना जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को) आमंत्रित ब्राह्मणों की अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना चाहिए। विश्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव बिखरने चाहिए और तब धातु आदि के एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्घ्य देना चाहिए (इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात् प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात् प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) दायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात् पहले से दिये गये आसन की दायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का आवाहन करना चाहिए। . . . . ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्य आदि) सम्पादित करने चाहिए। अर्घ्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ-पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब 'अग्नौकरण' (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह घृतमिश्रित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगता है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है।<sup>२</sup> उसे सम्यक् ढंग से श्राद्ध करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पितृ ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ

८१. 'पवित्र' के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में अनामिका अँगुली में दक्षों की जो अँगूठी पहनी जाती है, उसे लोग 'पवित्र' कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१।२८) एवं अपराक (पृ० ४३ एवं ४८०)।

८२. मेक्षण अश्वत्थ काष्ठ का एक अरति लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लम्बाई में गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है।

करना चाहिए, 'पृथिवी तुम्हारा आश्रय है०'। उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्त्ता को गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० स० ३।३५ एव तै० स० १।५।६।४) का पाठ ओम्, व्याहृतियो एव 'मधुघाता' (ऋ० १।९।६-८, वाज० स० १।२।७-२९, तै० स० ४।२।१।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मोन रूप से खाना चाहिए। बिना श्रोत्र एव शोरगुल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हों जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं तब तक वैदिक मन्त्रों एव जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ० १।२।३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० (याज्ञ० १।२।४०) न पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९।१-१६) एव पावमानी सूक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) बतलाये है, जैसा कि मध्यातिथि (मनु ३।८६) एव हरदत्त (गीतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२।३२) ने पाठ के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा—धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एव खिल (श्रीसूक्त एव विद्यासूक्त के समान रचना)। ब्रह्म-भोज के समय यज्ञमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्त्ता को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, 'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं इतना रखकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एव सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले धर्मों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए—'उनके लिए, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल डारता है जिससे वह अपना मुख आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त होती है। इसके उपरान्त कर्त्ता ब्राह्मणों को जाचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब ब्राह्मण 'स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल डारता है और कहता है, 'यह अधाय हो।' इसके उपरान्त सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्त्ता ब्राह्मणों से कहता है, 'क्या मैं आपसे पुन. 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता हूँ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है—'सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एव मातृकुल के पूर्वज) के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं—'स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है—'विश्वेदेव प्रसन्न हो।' जब ब्राह्मण यह बतते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हो' तो वह निम्न वात कहता है—'हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके घरों पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनमें जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ कहना चाहिए—'वाजे वाजे' (ऋ० ७।३।८, वाज० स० २।१।११, तै० स० १।७।८।२)। उनका जाना इस प्रकार होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें, पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि जायें। वह पात्र जिनमें पहले अर्घ्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एवत्र किया गया था, सीधा कर दिया जाता है तब ब्राह्मणों का विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके छोड़ दिया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने वाले ब्राह्मण एव श्राद्धकर्त्ता सभोग नहीं करते। और दक्षिण मिता० (याज्ञ० १।२।४९)।

बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विवाद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ मत्स्य० (१।७।१२-१०), विष्णु० (३।१५।१३-४९), मार्कण्डेय० (२।८।३७-६०), कूर्म० (२।२।२।२०-६२), पद्म०



(सृष्टिखण्ड, १।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६-४४)। अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक वातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी वातें यथावत् पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से श्लोक आश्व० गृ० एवं याज्ञ० के समान हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुडपुराण में बहुत-से श्लोक याज्ञवल्क्य-स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १।२२९-२३९ एवं गरुड० १।९९।११-१९। पुराणों की वातें गृह्य-सूत्रों, मनु एवं याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ वातें जोड़ दी गयी हैं। वराह-पुराण (१।४।५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इयं सर्वपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया)। पद्म० (सृष्टि०, १।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है—कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जो एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलार्पण ऋ० (१०।९।४) के 'शन्नो देवी०' मन्त्र के साथ एवं जो का अर्पण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवाः' (ऋ० २।४।१।१३) के साथ बुलाया जाता है और यवों को 'विश्वेदेवासः' (ऋ० २।४।१।१३-१४) मन्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को विखेरना चाहिए—'तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें 'या दिव्या०' मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अर्घ्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात् उसे (कर्ता को) पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर पवित्र रखकर 'शन्नो देवी०' (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १।४७-१।५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं)। इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों से प्रार्थना करता है—'मैं पितरों का आवाहन करूँगा।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।१६।१२) एवं वाज० सं० (१।१।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात् पितृ-ब्राह्मणों को अर्घ्य 'या दिव्या०' के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अर्घ्यपात्रों के शेष जल को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं 'तुम पितरों के आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के भोजनों को परोसना चाहिए (श्लोक १।५७-१।६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि के कालों का वर्णन है)। जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संबन्धी वैदिक मन्त्रों,<sup>१</sup> पुराणोक्त ब्रह्मा की

८३. किन मन्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० १।१६५-१६९) के श्लोक अपराकं (पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला श्लोक 'स्वाध्याय आदि' मनु (३।२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण (पूर्वार्ध, २।८।६५-६८) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोघ्न, वैष्णव एवं पैतृक (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रों, पुरुषसूक्त, त्रिमधु एवं त्रिसुपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३।६।१०) है, जो 'शं नो वातः पवताम्' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बृह० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (३।१, 'असौ वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या कहा गया है। मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद् है। पद्मपुराण के पाठ वाले श्लोकों में दी गयी वातें मत्स्य० (१।७।३७-३९) में भी हैं। हेमाद्रि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए।

कतिपय प्रशस्तियो और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियो, इन्द्र को सर्वोपहित मन्त्र, रुद्र एव सोम वाले मन्त्र तथा पावभाती मन्त्र, बृहत्, रयन्तर एव ज्वेष्ठ माम, शान्तिकल्प के अध्याय (कुप्तात्माओ को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने वाले अर्थ), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणो एव कर्ता को आनन्द मिलता है, करना चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरो को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणो के भाजनोपरान्त कर्ता को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष रखे पात्रो के आगे (पृथिवी पर दमों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए—'पृथिवी पर रखे हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अर्पित है, जिनके न पिता हैं, न माता है, न सम्बन्धी है, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अर्पित) भोजन नहीं प्राप्त है, उनके साथ मिल और जाम, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषाश एव पृथिवी पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौर, उपनयन आदि सस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने गुरुओ का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियो के लिए भी है जो अविवाहित थी। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एव गोमूत्र से लेपित भूमि पर दमों को उनकी नोक दक्षिण आर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनो (श्राद्ध में पकाये गये) में बनाये गये पिण्डो को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरो का नाम एव गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प, दीप, गध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डो पर पुनः जल चढाना चाहिए। उसे दमों हाथ में लेकर पिण्डो की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एव पुष्पो का अर्पण करना चाहिए। भोजनोपरान्त जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणो को जल, पुष्प एव अक्षत देने चाहिए, तब तिल युक्त अक्षय्योदक दना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौरों, भूमि, सोना, परिधान, भव्य शयन एव ब्राह्मणो के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए। "दान देने में उसे (कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके उपरान्त वह ब्राह्मणो से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और उन्हें वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणो से निम्न आशीर्वाद मांगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आंगीर्षचन मूने चाहिए—'पितर हमारे लिए कृपालु हों, ब्राह्मण कहें—'ऐसा ही हों', 'हमारे कुल की वृद्धि हों', वे कहें—'ऐसा ही हों', 'मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदो एव सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्षचन सत्य रूप में प्रतिफलित हों', ब्राह्मण कहें—'ऐसा ही हों।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डो को हटाता है, और ब्राह्मणो से 'स्वस्ति' कहने की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन

८४ पद्य० (सृष्टि०, ९।१८०) में आया है—नोभूहिरण्यवासासि भव्यानि शयनानि च। दद्यात्तद्विष्ट विप्राणा-  
मात्मनः पितुरेव च ॥ श्राद्ध में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख एव लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये (गाणेशदेव के) सांयत्सरिक श्राद्ध के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'मुसि' नामक ग्राम के दान की चर्चा गाणेशदेव के पुत्र कण्ठदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख) में हुई है (सन् १०४२ ई०)। और देखिए इन्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द १६, पृ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन् १९४८, पृ० ४१)। आधमवासिकपर्व (१४।३-४) में आया है कि पृथिविष्ठर ने भोष्म, द्रोण, दुर्वाधन आदि के श्राद्ध में ब्राह्मणो को सोना, रत्नों, वासों, कम्बलो, घ्राणों, भूमियों, हाथियों, घोड़ों (उनके आसनों एव जीनों के साथ) एव कन्याओ के दान किये थे।

हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्निक कृत्य करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर 'वाजे वाजे' (ऋ० ७।३।८।८, वाज० सं० ९।१८, तै० सं० १।७।८।२) के साथ कुशों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ पावों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट आना चाहिए और तब आह्निक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में वचा हुआ भोजन पाना चाहिए।

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है।

कतिपय गृह्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उदत्ता है कि क्या कर्ता अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९ एवं १।१२।१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि ने संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, वे ऐसा कहते हैं—'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में विरोध-उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० (२।१२७।१४८-१४९)<sup>८५</sup>। स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराधिकरण न्याय या सर्वशाखाप्रत्यय न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध आदि) भी समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में विचार हो चुका है)। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात् अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में

दूमरी गात्रा या मूत्र के विषय विना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है किन्तु यदि विनय पड़ जाय तो अपनी गात्रा के मूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूमरी शाखा के मूत्र में पायी जाय और अपनी गात्रा में न हो तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है।

सबशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निबंधों में स्मृतियों एवं पुराणा से लेकर श्राद्धों के विषय में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थी।

कूम० (उत्तरार्ध २२।२०-२१) में आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पूर्व ही आमंत्रित ब्राह्मणों को घर पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को वात कटवाने नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। वर्तों का दांत स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए उह अलग-अलग आसनो पर बैठाना चाहिए और स्नान के लिए तल एवं जल देना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० मू० मनु (३।२०८) याज्ञ० (१।२२६) एवं कुछ अन्य पुराणा में भी नहीं पायी जाती। उदाहरणार्थ बराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न में ब्राह्मणों का आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं किन्तु स्थानाभाव से एसा नहीं किया जायगा।

मध्य काठ के निबंधों में एक आजकल पायी जानेवाली पावन-श्राद्ध विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विरयो का विवरण करेंगे जिनके विषय में मत मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं।

अपराह्न में जब आमंत्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए वर्तों के घर के सामने दो मण्डल बनाये जाते हैं एसा कुछ पुराणा में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है— ब्राह्मण वर्तों के लिए मण्डल का

मण्डल पर पूर्व की ओर नौक बरत कुण्डों को अशतो के साथ रखना चाहिए और दाहिनी मण्डल पर निला के साथ दुहण्डल हुए कुण्ड रखना चाहिए। उत्तरी मण्डल सामान्यतः दाना और दो हाथों की लम्बाई का और दाहिनी मण्डल दोना और पाँच हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। वर्तों द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विद्वद्वत्त्वा के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का नारा उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पैर धोकर करना चाहिए और पितरा के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान वासी घुटना मोड़कर उनके पैर (पाठ) धोकर किया जाना चाहिए। पाँच जण (पाँच प्रालम्ब) के समय का मत है— यज्ञा दया (श्र० १०।१।४)। मात्र पाठ के उपरान्त उन विद्वद्वत्त्वा ब्राह्मणों एवं पित्र्य ब्राह्मणों का जल देना चाहिए। पाँच जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डला के सामने जाते हैं और आचमन करते हैं।

प्राचीन मूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मृतियों में सामान्यतः बहती हैं कि विद्वद्वत्त्वा का आवाहन करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इति० १७९ १८०) जैमिनी परब्राह्मण स्मृतियों एवं पुराण विद्वद्वत्त्वा के दम नामों का उद्घाटन उद्घुत करता है और उन्हें दाम्ने की पाँच काटिया में बाँटकर श्राद्धों का पाँच वाक्यों के लिए उदाहरणों के लिए रखता है। उनमें आया है— त्रिषु इष्टि म सम्पारित श्राद्ध न विद्वद्वत्त्वा है त्रु एव रथ मान्दीमुन श्राद्ध म है एव एव वगु, शम्भु श्राद्ध म धुरि एव सोचन, नमिस्तिक श्राद्ध म काल एव वाम तथा पात्रण श्राद्ध म पुकरवत् एव श्राद्ध।

८९ कुरुवर्गो वमु सत्य काल कामतपय च। पुरिषारोचनश्च तथा धव पुकुरवा ॥ आश्विनश्च एते सुविने देवा प्रकीर्तिताः। बृहस्पति (अपराक, पृ० ४७८, कल्पवृक्ष, धा०, पृ० १६२, स्मृतिसं० धा०, पृ०, ४६२ ४६३)।

स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत में विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ० १।२२९), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५) एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं—'विश्वे देवास आगत' (ऋ० २।४१।१३) एवं 'आगच्छन्तु महाभागाः', किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४८) ने 'विश्वे देवाः सृणुत' (ऋ० ६।५२।१३) यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है।

सामान्य नियम यह है कि विश्वेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एवं पितृ ब्राह्मण दक्षिणाभिमुख बैठते हैं (याज्ञ० १।१२८ एवं बराह० १।४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पांच मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ योने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता नहीं मिलती। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दलों की आकृति पूजी जाती है। यड़ी बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोर्विश्वेपां देवानां पार्वणश्राद्धं कुशमय-ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छेत्)।

वायु० (७।४।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र तीनों लोकों में पितरों की स्था करता है—'देवों, पितरों, गृहयोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार।' स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात् एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के

'विश्वे देवाः' को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। 'इष्टिश्राद्धे ऋतुर्वक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः। नैमित्तिके कालकामो काम्ये च धुरिलोचनो॥ पुरूरवा आद्रवश्च पार्वणे समुदाहृतो। बृहस्पति (अपरार्क, पृ० ४७८; श्रा० प्र०, पृ० २३; मव० पा०, पृ० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है—'इष्टिश्राद्धमाधानादौ क्रियमाणम्...। नैमित्तिके सपिण्डोकरणे। कामनयानुष्ठेयगयामहालायादिश्राद्धं काम्यम्।' इष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ श्राद्ध है (विश्वामित्र, कल्पतरु, पृ० ६; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३४)। श्रा० प्र० (पृ० २३) ने 'पुरूरवस्' एवं 'आद्रव' ऐसे नामों के विभिन्न पाठ दिये हैं, यथा 'पुरूरव' एवं 'माद्रव'। श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने 'माद्रव' नाम दिया है। श्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिश्राद्ध' को 'इच्छाश्राद्ध' एवं 'नैमित्तिक' को 'एकोद्दिष्ट' कहा है, श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५६) ने 'पुरोरवाः' एवं 'माद्रवाः' पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने 'विश्वेदेवों के दस नाम विभिन्न रूपों से दिये हैं—'पुरूरवो माद्रवसो रोचमानश्च'। ब्रह्माण्ड० (३।१।२।३) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विश्वा से १० पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा—'अग्रे दत्त्वा तु युष्माकमस्माकं दास्यते ततः। विसर्जनमथास्माकं पूर्वं पश्चात्तु वैवतम्॥' यह गायी सम्भवतः श्राद्ध में विश्वेदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० (३।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं।

८७. ये उक्तियाँ (श्लोक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्ड० (३।१।१।७-१८), विष्णुधर्मोत्तरपु० (१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गहड़० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतरु (श्रा० १।४४) में पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'नित्यमेव नमोनमः' से होता है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७९ एवं १२०८) ने इसे 'सप्तार्चिः' संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है।

पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म० (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एव विष्णु-धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'स्र्वाग्नि' नाम रखा है जोर यह अरबमेघ में बराबर कहा गया है।

पितरों को आसन देने, आसन पर कुछ रखने एव अर्घ्य देने के लिए शब्दों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ पुराणों एव निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है—'आसन देने, अर्घ्य देने या पिण्डदान करने एव पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों के नाम एव गोत्र तथा उनके ध्यान का (०सु, रुद्र एव आदि शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।'

कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा—श्राद्ध आरम्भ होने के समय, आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, बिकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एव श्राद्ध के अन्त में।

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुतियों के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आश्व० गू० (४।८।१) के 'एतस्मिन् काले दानम्' एव बराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति विप्रैर्म्यो ह्यस्मानुद्दिश्य दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु धीरे-धीरे आदि ने 'अक्षय पितर अमीमदन्त पितर' (वाज० स० १९।३६) जैसे श्रुति वचनों एव 'पितरेतत् ते अर्घ्यम्' या 'एतद् पितरो वातः' जैसे मंत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं, किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, दक्ष आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४७-४४९) एव श्रा० प्र० (पृ० ३०-३१)। यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एव दक्षिणा केवल ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल बुद्धि के लिए एव दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है।

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एव उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२५६-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अन्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं—'पितृ ब्राह्मणा के आनना की वायी ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के पश्चात् या अग्नौकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि आवाहन मन्त्र—'उद्यन्तस्त्वा' (श्रु० १०।१६।१२, वाज० स० १९।७० एव तै० स० २।६।१२।१) है जोर इसके उपरान्त कर्ता को 'आ यन्तु न' (वाज० स० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० मू० (७।१।१०-१२) का कथन है—'ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ण करके यानुधाना को भगाने एव दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए—'हे पितर, यहाँ पाद म आइए', 'हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', 'मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयेँ', 'हे पितर, यह आप का भाग है।' हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है।

याज्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वर्णित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवचनार्थें हुई हैं। मित्रशर ने संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रोतानिया रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डार्पण के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि म होम करता है क्योंकि उसके पाम ओषासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती। मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रोतानि-स्थापन करता है तो उसे ओषासन अग्नि में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई

श्रीतामनियों नहीं रनता और उसके पास केवल ओपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो श्रीतामनियां हं और न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३।२।१२) एवं एक गृह्यसूत्र के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीतामनिया रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्बुदयिक, एकोद्दिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं वालम्बट्टी (आचार०, पृ० ५१८)। टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने मनु (३।२।८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दर्श (अर्थात् अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता।

अग्नीकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ ब्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में 'स्वाहा' शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियां तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और अन्त में 'स्वधा नमः' ('स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा है—'स्वाहा' या 'स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए।<sup>१८</sup> ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२।१।३-४) ने ३३ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आश्व० श्रौ० (२।६।१२), आश्व० गृ० (४।७।२०), गंश-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वार्ध, २।८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२।८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। वी० ध० सू० (२।१।४।७), शांखा० श्रौ० (४।३), शांखा० गृ० (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७।३।१२), मनु (३।२।११), वराहपुराण (१।४।२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद, १।१।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१।४०।१९) आदि अधिकांश स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा 'स्वधा' के क्रम के कई रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं—पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते हैं—कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है।

भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पृ० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों ने इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२।३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात् शेषांश पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ

८८. स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च । आहुतीनां तु या संख्या तावगम्या स्वसूत्रतः ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०, पृ० ४५८) ।

होम करना चाहिए और घेपास को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल० २।१२०, स्मृतिव० २, पृ० ४) चाहिए,

भोजन का, जिससे अग्नीकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एव गृह्य)। यज्ञोपवीत ढग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किमी मुद्ग सेवक द्वारा भाजन परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोना हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो वह वृष्ट अमुरा द्वारा छपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, चाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के धन पीटों आदि पर नहीं)। पृथिवी पर रखे पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा—मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, ममालदार या सुगन्धित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा—यह मीठा है, यह लड़ा है आदि। भाजन परोसत समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घृष्ट नहीं बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छूना चाहिए और न झटक से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भुनभुनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, कर्ता पितरों को यह रुचिकर होनी है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, ऊँह धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और विभिन्न व्यञ्जनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पृष्ठ पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायें, वे भाजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पात (सान) हैं। जब ब्राह्मण लोग श्राद्ध भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या जंगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर या जूता-चप्पल पहन खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहल गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए भाजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भांति-भांति के पदार्थों या व्यञ्जनों से समृद्ध एवं सुगन्धित करना चाहिए।

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्लोक ५७-६२) में जाया है—पत्नी, कर्ता के मातृ की कोई सौभाग्यवती या मुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हा, भाई वाली हो और गृहजना की जाना का पालन करने वाली हो, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, कृषी या मौसी, बहिन, पुत्री, तधु, ये सभी सधवाएँ श्राद्ध भाजन बना सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी सतानें अधिक हा, जो सधवा हा और जो ५० वर्षों के ऊपर हा या वे नारियाँ जो विधवा हो चुकी हा, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही—श्राद्ध-भाजन बना सकती हैं और वे नारियाँ भी जो सगायत एवं मृत्यु स्वभाव की हो। अनुनामन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक् गोत्र वाली नारी श्राद्ध-भाजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, पिण्ड, बहिन का पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भाजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं हो सकता या गोत्रे वस्त्र धारण किए हो, त्रिक वस्त्र धारण हो, जो चाचा नहीं पहनती हो, जो रुग्ण हा, या जिसने मिर धालिया हो। ब्राह्मणों का भोजन करने के पूर्व श्राद्ध ब्राह्मणों के पात्रों में भाजन परामना चाहिए और तत्र पिण्ड ब्राह्मणों के पात्रों में (शिल्प० ७३।१३-१४), किन्तु जब एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देता है तो यह प्रायमित्रता दूर हो जाती है। जहाँ भा आचर्यवत्ता परो (किन्ती के पात्र में भाजन बस हा जाय ता) भाजन परोसना चाहिए (जैसा कि मनु ३।२३१ न गते किया है)। कर्ता भाजन परामन समय (यहाँ तक कि पिण्ड ब्राह्मणों का भी परोसने समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि एया कहा गया है कि भाजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगन्धित



मालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४।१३)। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, किन्तु बायाँ हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य स्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु ल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात् खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९।२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है—अग्नौकरण के पश्चात् शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी धर्मों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख धर्मों को छूकर परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक् एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्विक् (जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं' कहकर तिल विखेरता है और पितरों (जहाँ भोजन होनेवाला है) एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्भ भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१।२३८), बौधा० सू० (२।८।१५-१६) एवं कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४)। बौधायनपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को इस प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० प्र०, पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत खा है (और मत परोसिए), केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३९।६); वाज० सं० (२।३२ एवं २३।३२); तै० सं० (३।२।५।५ एवं १।५।१।४)। आप० ध० सू० (२।८।१८।११) में आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक में गिरता है।

मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के उपरांत कर्ता को आशीर्वाचन देने चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है—'हमारे पितर घोर न हों (अर्थात् हमारे प्रति दयालु हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं—'तथास्तु (ऐसा ही हो)। कर्ता पुनः कहता है—'हमारा कुल बढ़े, हमारे कुल में दाता बढ़ें और भोजन भी'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' ब्राह्मणों के खा चुकने के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ० (११।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मत्स्य० १७।५६, पद्म०, सृष्टि० ९।१८५) ने एक पृथक् नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जायँ। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य० १७।५६)। वृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्राद्ध०,

पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए जातूकण्य (स्मृति च० श्रा० पृ० ४८२ हेमाद्रि श्रा० पृ० १४८६) एव स्कंद० (नागरखण्ड हेमाद्रि श्रा० पृ० १४८६) का कथन है कि पात्र एव उच्छिष्ट अंग कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए कि तु स्त्री या बन्धु या अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मनु (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरांत कर्ता को दक्षिण की ओर देखना चाहिए और पितरा श्रेयल्याण की याचना करनी चाहिए (दक्षिण इस विषय में पुन मनु (३।२५९) याज्ञ० (१।२४६) विष्णुश्र० स० (७।३।२८) मत्स्य० (१६।४९५०)। आप० गृ० (२०।९) आप० घ० (२।७।१६) मन (३।२६४) एव याज्ञ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए घन एव गण्य जग को अपनी पत्नी माता पितृ-पत्नी के सम्बन्धियों के साथ यजुमत्र (आप० भत्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन श्वास में प्रवेश करते हुए भ्रम अमत दे रहा हूँ मरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भाजन करता है। आप० गृ० एव आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसन के उपरांत कर्ता को गणानु एक कौर भोजन कर लेना चाहिए। ब्यास एव दवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भल ही वह साधारणतः एसा करता हो जसा कि एरादगो या गिरवरात्रि में)। ब्रह्मवत्पुराण ने एक मांग निकाला है कि कर्ता को श्राद्ध भोजन का शेषांग मूष मात्र उना चाहिए। इसके विवरण के लिए दक्षिण हेमाद्रि (श्रा० पृ० १५१९ १५२१)। हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक गिष्टाचार (जा आज भी किया जाता है) की ओर सकत किया है कि कर्ता को आगीवचन मिल जाने के उपरांत उसका पुत्र एव पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरा की अम्ययना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरांत खिलाय गये भोजन क गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भाजन के अपने पात्रों में अभावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़कर नहीं बठना चाहिए प्रयत्न दूध दही मध या यवान (सत) को पूरा खाकर भाज्य का थोडा अंग छोड़ना चाहिए।

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शाखा० गृ० (४।१।९) आश्व० ग० (४।८।१२) गल (१४।११) मनु (३।२६० २६१) याज्ञ० (१।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात में होता है और किसी स्वच्छ स्थल पर दलों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं य पिण्ड उस स्थान से जहाँ ब्राह्मणों के भोजन पान रहता है एक अरुणि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं (१) ब्राह्मणों के भाजन पान लेने के उपरांत आचमन करने के पूर्व पिण्डदान हाता है (आश्व० ग० ४।८।१२ १३ कायायनकृत श्राद्धसूत्र कण्डिका ३) (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एव आचमन कर लेने के उपरांत पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है कि पिण्डदान आमंत्रित ब्राह्मणों को सम्मान देना या अम्नीकरण के पश्चात् होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं।

ब्रह्माण्डपुर

विष्णुध०

मत यह है कि (आप० गृ० २४।९ हिरण्यकेशि ग० २।१२।२ ३) कर्ता को जब ब्राह्मण खाकर जा चुका हो और जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के कारण हेमाद्रि एव मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगो को अपनी शाखा की विधि का पालन करना

दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 'उच्छिष्टसन्निधी' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पत्रिण अग्नि के पास करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियों नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना चाहिए, किन्तु नांव सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)।

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी मतैक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वणश्राद्ध क देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आश्व० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुध० (७३।१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है—क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा—माता, मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा—नाना, परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदो एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। देविए तै० सं० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९।३६-३७), शं० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरों एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु वाज० सं० (९।१९) न पैतृक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३)। पार्वण में दोनों प्रकार क पूर्व पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आश्व० श्री० (२।६।१५); सुदर्शन (आप० गृ० ८।२।१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। गोभिलस्मृति (३।७३) ने व्यवस्था दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्धों में छः पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।<sup>१</sup> 'विष्णुपुराण', ब्रह्माण्डपुराण एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुषों का श्राद्ध वृथक् रूप से करना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिल और मधु से अपनी गृह्यसूत्र-विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराह० (१।४।४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को

८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषान्नरकं व्रजेत् ॥ धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) ।

९०. पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप । एकत्रैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७) ; पृथग्मातानहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः । त्रीन् पिण्डानानुपूर्व्येण सांगुष्ठान् पुष्टिवर्धनान् ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात पाद, ११।६१) । और देखिए वराहपुराण (१।४।२२) ।

और मातृ-पितरो के लिए पृथग् पिण्ड देने चाहिए (१४।३७)। कुछ लोगो का मत है कि पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरो के लिए पिण्डदान करना अनिवार्य है। बृहस्पतराचार (अध्याय ५, पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रा को गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या मदा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्र्य-पितरो के साथ ही मनुक्त हो गये।

पितरो की पत्नियाँ पुष्टयो (पूर्व-पुष्टयो) के साथ कब समुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व-पुष्टयो की पत्नियाँ सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गृ० (२।१०) में कृष्ण पक्ष के मानिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। इसी प्रकार वीषा० गृ० (२।११-२४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरा को पितृपक्ष के पितरा के साथ रखा है अत्यन्त उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। अथ० मातृपित० (१।१०।१०.१) में पूर्व-पुष्टयो एवं उनकी पत्नियों

भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। श्रौतिसूत्र (८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुष्टयो के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आश्व० गृ० (१।५।४-५) में अन्वष्टक्य इष्ट के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माड) के साथ पितरा की पत्नियों को पिण्ड देना चाहिए। वैखानसस्मार्तसूत्र (४।७) ने पिण्डवित्युत्त के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इनमें और सामान्य मानिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मानिक श्राद्ध) में पितरो की पत्नियाँ को भी पिण्ड दिया जाता है। पितरो की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ स्मृतियाँ ने पार्वण श्राद्ध में पितरा की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। मातातप में आया है—‘सपिण्डीकरण के उपरान्त पितरो को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थाना पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्या, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं उनकी वार्षिक श्राद्ध क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही उसका श्राद्ध होना है’ (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९)। बृहस्पति ने ऐसा आया है कि माता अपने पति (पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३६९, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०, पृ० ९)। कल्पतरु एवं अन्यो का कथन है कि पितरो की पत्नियाँ पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरो के पास आनवाला वायव्य भोजन पानी हैं (श्रा० प्र०, पृ० ९-१०)। हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वण श्राद्ध के देवताओं में जाती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतभेद नहीं है कि ‘माता’, ‘पितामही’, ‘प्रपितामही’ शब्दों में उनकी सौते (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत में केवल वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैसे अवसरों पर सभी आती हैं।

९१. मार्जयन्ता मम पितरो मार्जयन्ता मम पितामहा मार्जयन्ता मम प्रपितामहा। मार्जयन्ता मम मातरो मार्जयन्ता मम पितामहो मार्जयन्ता मम प्रपितामहाः। आप० म० पा० (२।१९।२-७)।

पिण्डदान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है।<sup>१३</sup> कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है—‘हे पिता, यह तुम्हारे लिए है, अमुक नाम... अमुक गोत्र वाले।’ तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) आदि ने निम्न और जोड़ दिया है—‘और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं (ये च त्वामनु)।’<sup>१३</sup> गोभिलगृ० (४।३।६) एवं खादिरगृ० (३।५।१७) में सूत्र और लम्बा है—‘हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात् तुम आते हो।’<sup>१४</sup> तुम्हें स्वधा।’ भारद्वाज गृ० (२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वामि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि शतपथब्राह्मण ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता को पिण्ड देते हुए कहता है कि ‘यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं’, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित कर लेता है, जो अशुभ है। गोभिलगृ० (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पृ० २६०) ने व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड ‘पृथिवी पर रहने वाले पितरों को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं ‘स्वधा’ यह कहकर और तीसरा पिण्ड ‘स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए—‘हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।’ और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम (कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३)। विष्णुध० सू० (७।३।१७-१९) में भी ऐसा ही है और मन्त्र हैं क्रम स ‘पृथिवी दर्विरक्षिता’, ‘अन्तरिक्षं दर्विरक्षिता’ एवं ‘द्वीर्दर्विरक्षिता।’ मेधातिथि (मनु ३।१९४) ने आश्व० श्रौ० आदि का अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए—‘हे पिता, पितामह आदि।’ यदि गोत्र न ज्ञात हो तो ‘कश्यप’ गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।<sup>१५</sup>

१२. अर्घदानेऽथ संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत् ॥ पारस्कर० (अपराक, पृ० ५०६; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३४; श्रा० प्र०, पृ० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है—‘अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकशर्मन् एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदममुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकशर्मणे न ममेति’ (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३६) किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है।

१३. एतत्ते ततासी ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासी ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म० पा० (२।२०।१३) ।

१४. असाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति । गोभिल गृ० (३।३।६) एवं खादिर गृ० (३।५।१७) । टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं—‘अमुक-गोत्र पितरमुकशर्मन्नेतत्तेऽन्नं स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सर्गवाक्यम् । अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्मन्नेतत्तेन्नं ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति छन्दोगानाम् । मिलाइए श्राद्धतत्त्व (पृ० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ७०) ।

१५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याघ्रपादः—गोत्रानां तु कश्यपः—इति । गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम् । कश्यप-सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात् । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४८१) । और देखिए इन्हीं बातों के लिए श्रा० प्र० (पृ० २६०) । शूद्रकमलाकर (पृ० ४९) का कथन है—‘यद्यपि तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति शतपथश्रुतेः... कश्यपं गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एव तत् ।’ ‘सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः’—ये शब्द शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हैं ।

पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के मन्त्रों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण धाढ में पिण्ड या आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोद्विष्ट में आकार बिल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, त्रिन्तु जागोच के काल में प्रति दिन दिय जानवाले पिण्ड का आकार (नवधाढा में) उपयुक्त आकार में असाइन बड़ा होना चाहिए। स्वन्द० (अ११२०६, स्मृति च०, धा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि दो वष का उलटा बड़ी सरलता से उम अथवा मुल में ले लें। अमिरा (स्मृतिच०, पृ० ६७५ एवं हेमाद्रि, धा०, पृ० १४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपिलव या बिल्व या मूर्त्तियों के अष्टौ या आमलक या बरर फल के समान होना चाहिए। मंत्रायणोप-मून (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४३०, धा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह या पिण्ड पिता के पिण्ड में बड़ा और ताना पिण्डों का मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रतितामह या गव से बड़ा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अम्लीकरण के पूर्व दिय जायें तो उन्हें पक्व चात्र (नात या चर) में बनाना चाहिए। यदि वे अम्लीकरण के पश्चात् दिय जायें तो (अम्लीकरण के पश्चात् के पदार्थ से) पर भोजन में निरुत्तमिगार उह बनाना चाहिए (वाज० ११२४२)। यदि ब्रह्म-नाज के उपरान्त पिण्डों का अणन होना उनका निर्माण ब्रह्म नाज से पक्व चात्र में होना चाहिए और उनमें नात मिलाकर अम्लीकरण के लिए जाहूनि बनाना चाहिए जैसा कि कात्यायन के धाढमूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६१४४६) के मत से पिण्डों का गामन एवं गामन भिन्न जग में त्रिभुज स्थान में दर्भा पर रखना चाहिए। दक्ष, ब्रह्माण्डपुराण एवं नविष्यपुराण में आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वृत्ताकार वायुवदिका बनानी चाहिए उस उन पात्रों के समान बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों का भोजन दिया जाता है और उन पर दर्भ रखकर पिण्ड रख जाने चाहिए। वायुपुराण का न्यून है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की त्रय से निम्नलिखित मन्त्रों के साथ एक रखा पीचनी चाहिए— जा जगुह है उक्ता में नाग करता हूँ, मने मभा अमुर, दानव, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक एवं वातुधाना का मार डाला है, (मभी असुरो एवं राक्षसो को, जा वदिका पर बँठ हैं) मार डाला' (७५१४५-४६)। आप० श्रौ० (१११०१२) मनु (३१२१७), विष्णुध० (७३११७-१९), यम (हेमाद्रि, पृ० १८०) कल्पतरु (धा०, पृ० २०३) महार्णवप्रवाह (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (धा०, पृ० १८०० ४२) एवं धा० प्र० (पृ० २६६-२६७) में छ ऋतुत्रा, नभो व पितरो' (वाज० म० २३२२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार का प्रत्येक पिण्ड रखत समय तीन मन्त्र बोलने की ओर सकत किया गया है। कुछ लोगों के मत से ऋतुत्रा का 'नभो व पितरो एवं नमस्कार चार मन्त्रों (वाज० म० २३२२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुत्रा का अन्वय एवं पितरो के नमस्कार में अन्तर है। दौनकायवणधाढ-कल्प में पिण्डार्पण का नम उलट दिया गया है, अर्थात् पहले प्रतितामह का, तब पितामह की ओर अन्त में पिता को (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४४२)। आप० श्रौ० (१११४) ने पितामहप्रभृतीन् वा' में इस विधि की ओर सकत किया है।

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहल ही कहा जा चुका है कि वाज० म० (११३३) एवं अन्य सूत्रों ने एमी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच का) पिण्ड पत्नी की पत्नी द्वारा लाया जाना चाहिए, यदि यह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३१२६२ २६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सर्वपत्नी, जिनका विवाह अन्य वसवण पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आवत पितरो गर्भम्' मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड ला लेना चाहिए, तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मधवी, सम्पत्तिमान्, सन्ततिमान्, साधुचरण एवं सन्त चित्त वाग्य होता है। यही नियम लघु-आवकालान (२३१८३) शूर्म० (२१२७१), मत्स्य० (१६१५२), वायु० (७६३३१), विष्णुधर्मोत्तर० (१११७१-१७८ एवं २२०१४९), पद्म० (सृष्टि० ९१२२१) आदि पुराणों में भी पाया

जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आश्व० श्रौ० (२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्यः के अतिरिक्त अन्य पिण्डों को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अर्घि उत्पन्न हो गयी हो, या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। गोभिलगृ० (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ग्राहण या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मनु (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१।२५७), मत्स्य० (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपर्युक्त पिण्ड-प्रतिपत्ति की पांच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-दूह पर भी रखे जा सकते हैं।<sup>१६</sup> वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।<sup>१७</sup> अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी है कि प्रथम और तृतीय पिण्ड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिण्ड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। विष्णुवर्मांतर (१।१४।१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिण्डों को पवित्र जल में छोड़ देना चाहिए। अनुशासन (१।५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म० (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा—गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेधा एवं यश की तथा पक्षों आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १२।३१-३५) का कथन है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात) या आटे के पिण्ड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पलता (पृ० ८६-८९) में उन श्राद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिण्ड-दान तिपिद्ध है। उदाहरणार्थ, पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विपुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिण्ड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों में पिण्ड-दान नहीं करना चाहिए।

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे—कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज) का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० (३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं—“देवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों की अपेक्षा एक ही विद्वान् ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता

९६. पिण्डाश्च गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । वप्रान्ते वायु विकिरेदापोभिरथ वाहयेत् ॥ पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०); अपरार्क (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५०४) । पक्षियों को पिण्ड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। और देखिए कूर्म० (२।२२।८३) ।

९७. भक्षयेत् प्रथमं पिण्डं पत्न्यै देयं तु मध्यमम् । तृतीयमुदके दद्याच्छ्राद्ध एवं विधिः स्मृतः ॥ वराह० (१९०।१२१) ।

है।<sup>१८</sup> यहाँ श्राद्धकर्म का फल विद्वान् ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।४।१९) की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शाकरमाध्य (२।१।१४) और जैमिनी (४।४।२९-३८) — 'जो किमी कृत्य की समीपता में वर्णित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल नहीं मिलता, किन्तु वह धोषित फल का अंग मात्र होता है।' कुछ श्राद्धों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।<sup>१९</sup> कर्क जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुधर्ममंत्र (७।८।५२-५३ एवं ८।५।६५-६६), बराह० (१।३।५०), विष्णुपुराण (३।१।४।२२-२३), ब्रह्म० (२२।०।३।१-३२), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१।४।३-४) के आधार पर कहते हैं कि पितरो की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हों जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सन् गृह द्राग किये गये श्राद्ध में ब्राह्मण-भोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख विषय हैं। गोभिलस्मृति (३।१।६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'श्राद्ध' शब्द प्रयुक्त होता है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा—देवश्राद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १।५७-१६०)। धर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियों (वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में दानों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज) है और दान भी। हरदत्त, हेमाद्रि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, भोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए संस्काररत्नमाला (पृ० १००३)।

सपिण्ड-गम्यन्व सात पीढियों तक होता है, जैमी कि मत्स्य० (१।३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; 'बौधी पीढी से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर लोग लेपभाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों के मागी) होने हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।'<sup>२०</sup> साप्त-पीढ्य गम्यन्व के विषय में मार्कण्डेय० (२।८।४-५) में भी उल्लेख है।<sup>२१</sup> और देखिए ब्रह्म० (२२।०।८४-८६)। मनु (३।२।१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दमों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे भोजनावशेष एवं जल को दमों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे) हटाना चाहिए। यह धाडन उनके लिए होता है जो लेपभागी (प्रपितामह

१८. पुष्कलं फलमाप्नोतीत्यभिधानाद् ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम् पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते। गोविन्द-राज (मनु० ३।१।२९)। कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही श्लोक उद्धृत किया है।

१९. तथा च पुलस्त्यः। अयनद्वितये श्राद्ध द्विवृद्धितये तथा। युगादियु च सर्वान् पिण्डनिबन्धनादृते ॥ इति। कर्तव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ३६९)। और देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ३३४-३३६)।

१००. लेपभाजश्चतुर्वाद्याः पित्राद्याः विष्टभागिनः। पिण्डः साप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपीढ्यम् ॥ मत्स्य० (१।८।२९)। ये ही पद्य पद्य० (सृष्टिलंङ १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डाः साप्तपूषया' पाठ है। और देखिए अपराकं (पृ० ५०७)। मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है—तेषु वर्षेषु तं हस्तं निमृज्यात्लेपभागिनाम्।

१०१. लेपसम्बन्धिनश्चाप्ये पितामहपितामहात्। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च साप्तमः। इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपीढ्यः ॥ मार्कण्डेय० (२।८।४-५)। देखिए वायभाग (१।१।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौच से इसे सम्बन्धित किया है।



से आगे के तीन पूर्व-गुरु) कहलाते हैं।<sup>१०१</sup> ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधर्मसूत्र (७३।२२), वराहपुराण (१४।३६), गङ्गपुराण (आचार-खण्ड २१८।२४) एवं कूर्मपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेधातिथि (मनु ३।२।१६) का कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जल न भी लगा हो तब भी कर्ता दमों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्ध-कालता (पृ० १४) में उद्धृत देवल के कथन से एक विगिष्ट नियम यह ज्ञात होता है कि यदि पिता या माता बलवश या झेञ्जा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए।

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आह्निक वैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व करना चाहिए या उसके पश्चात्। इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।<sup>१०२</sup> मनु (३।२।६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को गृहवलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेधातिथि ने व्याख्या की है कि 'बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।<sup>१०३</sup> मत्स्य० (१७।६१), वराह० (१४।४३), स्कन्द० (७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, काष्ठाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अन्यायान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन विकल्प हैं, यथा—अग्नीकरण के पश्चात् या विकिर (उनके लिए दमों पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत हो गये हैं) के पश्चात् या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात् (पृ० १०६४)। यदि वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्-पृथक् भोजन बनना चाहिए। सभी के लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात् हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात् यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।<sup>१०४</sup> निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली)। अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए।

१०२. न्युध्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम् ॥ मनु (३।२।१६) । अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है।

१०३. देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । मनु (३।२०३); ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०।१०४); मत्स्य० (१५।४०) एवं वायु० (७३।५५) ।

१०४. ततो गृहवलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः । मनु (३।२।६५) । मेधातिथि की व्याख्या यों है—'ततो गृहवलिं निष्पन्ने श्राद्धकर्मण्यनन्तरं वैश्वदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कर्तव्यम् । बलिशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात् ।'

१०५. पितृणामनिवेद्य तस्माद्ब्रह्मेश्वदेवाधिकमपि न कार्यम् । तथा च पैठीनसिः । पितृपाकात्समुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः । आसुरं तद् भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४१०) ।

अब हमें यह देवना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता के कई कारण हैं, कर्त्ता किमी वेद या किमी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी जा सकती है, कर्त्ता बंप्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देल लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पार्वण श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विद्वेदेवों की पूजा के विषय में या मानुष्य के पूर्व-पुरुषों या पितरों की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और वाजवल्क्यस्मृति के काल में विद्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विद्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठापित हो गयीं। श्राद्ध-कृत्य के लिए पुराणों में कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा—'आगच्छन्तु' एवं 'देवताम्य पितृभ्यश्च'। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न शाखाओं एवं सूत्रों में वर्णित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र में कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ सम्मिलित-ना हो गया और सम्पूर्ण विधि विभक्त हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँव में) ११ ब्राह्मणों का आमन्त्रित करने हैं, किन्तु एक सिद्धान्त ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, बुझकर हो जाना करता है। एसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिनके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा जाता है, जिनमें वा (वाजमनयी लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही है। यद्यपि कल्प्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कथिगा ३ व अन्त म), जो वाजमनयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में 'वाजे वाज' (वाज० म० १।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्त्ता को 'आ मा वाजस्य' (वाज० म० १।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के गिष्ट लाग, ईसा के 'श्राद्धरत्न' के सम्पादन न किया है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करता। दरभर के श्राद्धरत्न (पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ किया हुआ है।

मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न वंश के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ उगाठ के सामवेदिया, यजुर्वेदिया एवं ऋग्वेदिया द्वारा वय से अक्षर, पुनर्वात एवं वातमि की पार्वणश्राद्ध-मन्त्रों की पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ भाग रघुनन्दन के 'श्राद्धरत्न' एवं 'सूत्र-विशुद्धतरंग' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रोत ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभय एवं सामवेदियों के लिए श्राद्धकृत्य नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहाराजाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० म १६४० ई० के बीच) के श्राद्धरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिली के लिए परंपरागत पद्धति के रूप में (संक्षिप्त साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति) विख्यात है, उदाहरण है कि इनमें छन्दोग के लिए एवं वाजमनयियों के लिए प्रथम पद्धति-पद्धति-पद्धति गुणनसोपान का अनुसरण किया है। महाम या दक्षिण भारत में बंप्णव शास्त्रों वेदिक-नार्वेदीय या वाजवल्क्य

है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदधूलि की प्रशंसा वाले श्लोक आते हैं। बहुत-से वैदिक एवं पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र 'अन्नसूक्त' के रूप में दिये गये हैं और उक्त पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है—'कावेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'।

बंगाल में माध्यन्दिन श्राद्ध वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एव तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व में जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्हींने जो ऊपर से जोड़ा है—सब कुछ दिया जा रहा है।

"पार्वण श्राद्ध ने पूर्व ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है।" पितृकृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं)। जब कुछ दान किया जाता है, कर्ता (सभी देव एवं पित्र्य कृत्यों में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एवं पित्र्य कृत्य में मूर्धन्य पित्र्य ब्राह्मण से) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते हैं)। आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठता है) वह प्रश्न करता है—'क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन करूँ?' (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह 'विश्वे देवास आगत' (वाज० सं० ७।३४ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता है।<sup>१०६</sup> इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जी) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवाः गृणुतेमम्' अर्थात् हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए)। इसके उपरान्त वह (पित्र्य ब्राह्मणों से) पूछता है—'मैं पितरों को बुलाऊँगा।' (पित्र्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), वह 'उग्रन्तम् त्वाम्' (वाज० सं० १९।७०, 'हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि') मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पित्र्य ब्राह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता है (वाज० सं० १९।५८, 'आयन्तु नः पितरः' अर्थात् 'सोमप्रिय पिता हमारे पास आये आदि')। तब वह यज्ञिय वृक्ष

१०६. पिण्डपितृयज्ञवपुष्वारः—परिणाम यह है—अपराह्णकालः, श्राद्धकर्तुः प्राचीनावीतिता, दक्षिणाभिमुखता, वामजानुनिपातः, पितृतीर्थ, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवर्गता, दर्भानां दक्षिणाग्रता चेत्यादयः पंतुका धर्माः। इनसे यह प्रकट होता है कि वैश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं—यज्ञोपवीतिता, कर्तुश्चन्द्रमुखता, दक्षिणाजानुनिपातः, देवतीर्थ, प्रादक्षिण्यम्, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो वैविकधर्माः। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यथा—दक्षिणादान, स्तोत्रजप एतं विप्रविसर्जनं।

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धृत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैं। स्थानाभाव से सभी मन्त्र अनूक्ति नहीं किये जा रहे हैं।

(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें 'धनो देवी' (वाज० स० ३६।१२, 'द्वैव जल हमारे मुख के लिए है, आदि') मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह दैवकृत्य के लिए पात्र में रखता है)। वह प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि' (आश्व० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले दैव और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल डारता है और नीचे सोते, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र या कोई पात्र या पात्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय 'या दिव्या आप' मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के साथ दिया जाता है—'हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अर्घ्य है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। (पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डार कर वह उसे यह कहकर उलटा कर देता है—'तुम पितरों के स्थान हो!' यही पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पुष्प, धूप, दीप एव वस्त्र दिये जाते हैं।<sup>१०८</sup>

एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्वाँ कहता है—'मैं अग्नीकरण कहूँगा।' 'अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डवितुष्य की भाँति आहुतियाँ डालता है। इसके उपरान्त (अग्नीकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र के ऊपर एव नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है—'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इर विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अँगूठे को भोजन में लगाता है। तब वह (यों को दैव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को 'अपहता असुरा रक्षासि वेदिपद' (वाज० स० २।२९) के साथ बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्भ भोजन परोसता है या जो भी कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं वह निम्न मन्त्रों का जप करता है—'ओम् एव व्याहृतियो से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्नो (ऋ० ४।४।१-१५) 'उदीरतामवर उ' ऋचा से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुषमूक्त (ऋ० १०।९।१-१६), अत्रितिरय मूक्त (ऋ० १०।१०।३।१-१३) आदि। इसके उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन बिखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार (भोजनोपरान्त अपोदान के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९।६८) एव मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए—'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उनके द्वारा हम सन्तुष्ट हो गये' वहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति मांगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए), जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल डारता है। कुछ लोगों का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, पुष्प, अक्षत एव अक्षय्योदक देता है।<sup>१०९</sup> इसके पश्चात् वह कल्याणार्थं प्रार्थना करता है—'पितर लोग अपौर

१०८. छः पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-पूर्व प्रथम पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से बका रहता है और फिर उल्टे मुँह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसंबन्ध ने व्याख्या की है—तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति ब्रूहस्पतिः। 'आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धवेदताः।'

१०९. 'अक्षय्योदक' के विषय में गवापर की व्याख्या यों है—'अक्षय्योदकशब्देन वृताप्रवानादेरानन्त्यप्रार्थना-सम्बन्धि जलमभिधीयते। तच्च पितृब्राह्मणेभ्य एवेति कर्कः। सर्वेभ्यो रक्षादिति स्मृत्यर्थसादे।'

(दयालु) हों।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो,' वह कहता है—'हमारा कुल बढ़े।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'वेद और सन्तति बढ़ें।' वे कहते हैं—'वैसा ही कहो।' वह कहता है—'मुझसे श्रद्धा न दूर हटे।' वे कहते हैं—'न दूर हो।' वह कहता है—'हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें।' वे प्रत्युत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात् वह पवित्रों के साथ स्वधा-वाचनीय नामक कुशों (अग्रभागों एवं पवित्रों के सहित) को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही) जैसा कि 'देवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है—'क्या मैं आप लोगों से स्वधा कहने को कहूँ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह प्रार्थना करता है—'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना के लिए स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो' तो वह 'ऊर्जं वहन्तीः' (वाज० सं० २।३४) पाठ के साथ स्वधावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब वह उलटे मुँह वाले पात्र को सीधा करता है और अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है—'सभी देव प्रसन्न हों।' तब वह सभी ब्राह्मणों को 'वाजे वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) के साथ (गांव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट आता है।"

यह ज्ञातव्य है कि दर्भों पर पिण्डों को रखने के पश्चात् एवं ब्राह्मणों को विदा करने के पूर्व बंगाल के पावैण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व एवं रघुनन्दन के यजुर्वेद-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है, कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है—'हे पितर लोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो और अपने-अपने भाग पर ब्रह्मों की भाँति आओ।' तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर ब्रह्मों की भाँति आये।' तब वह अपनी धोती के एक भाग को, जो कटि में खींसा हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात् छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 'नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूँघता है और मध्यम पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र 'आवत्त' (वाज० सं० २।३३) का पाठ करता है।"

स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पावैणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत अंशों में आश्व० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ-यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा—मासि-श्राद्ध एवं मासिक-श्राद्ध। पहले का वर्णन हिरण्यकेशी धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (पृ० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है

और मातृ-ध्याय का सम्मान माता-ध्याय के उपायों द्वारा है। ज्ञान-विराजित वाचक का ही प्राचीन नियम के अनुसार मातृ-ध्याय का भावित ध्याय नहीं होता। जब भी मातृ-ध्याय का भावित ध्याय एक ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा।

मिताभास का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा।

अधिकांश का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा। मातृ-ध्याय (भाग १ पृ० ५६) में मातृ-ध्याय का उपाय ही हीन मान ही होगा कि मातृ-ध्याय का भावित ध्याय ही हीन मान ही होगा।

यदि तीन पुत्र-पुत्रियों में एक या अधिक जीवित हों तो ध्याय किस प्रकार किया जाना चाहिए? हम प्रश्न पर बहुत वाचक विचार द्वारा जाना जाता है। आच० श्रौ० (२।६।१६-२३) में मन्व-प्रथम मातृ-ध्याय तो-मित्र-एव-भोक्त-व-मत्त-श्रिय-हे-और-पुत्र-उत्तर-गण-ध्याय-रिच्य-हे। मातृ-ध्याय का अर्थ है कि तीन पुत्रों में जो मृत हो गया है उसे ध्याय दिया जाय। विदु-का-जीवित-हा-उह-व्यस्तित-रूप-म-सम्मानित-करना-चाहिए-क्यारि-मातृ-ध्याय-पुत्र-पुत्रियों-का-सन्तुष्ट-करन-के-लिए-रिच्य-जाना-है। तो-मित्र-का-अर्थ-है-कि-पिण्ड-मन्त्री-पुत्र-पुत्रियों-को-दिय-जान-चाहिए-चाह-व-जीवित-हा-या-मृत-क्यारि-मातृ-ध्याय-म-व-ब-ब-व-गोण-है। भोक्त-न-वहा-है-कि-यदि-पिता-जीवित-हा-ता-इत्य-आम-व-तीन-मृत-पितरा-को-ध्याय-पिण्ड-दन-चाहिए। इसी प्रकार पितामह व-आम (यदि वह जीवित हा) और प्रपितामह व-आम यदि तीनों जीवित हा। आच० ने उत्तर दिया है—पिता-पितामह-या-प्रपितामह-व-आम-तीन-पितरा-को-पिण्ड-नहा-रिच्य-जा-सकत-क्यारि-एव-करने-का-अधिकार-नही-है-जिनके-पञ्चान-की-पादिका-व-भातर) कोई पुत्र जीवित हो उन पुत्र पुत्रियों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकत। जीवित-के-लिए-अग्नि-म-होम-रिच्य-जा-सकत-है। यदि मन्त्री तीनों पुत्र जीवित हो तो सभी पिण्डों को अग्नि म-मात्र-दत्ता-चाहिए-या-द्वय-ही-नही-रिच्य-जाना-चाहिए। काश्याप-श्रौ०-सू० (६।१।२३-२७) में व्यवस्था दी है कि पिण्ड केवल मृत पुत्रों को दिया जाने चाहिए अत यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई एका मृत

१११ अधिक उचितियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पुत्रपुत्रियों को पिण्ड दिय जाते हैं। मन (९।१८६) में भी ऐसा ही है। अत स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवीं या छठी पीढ़ी के पुत्रपुत्रियों को पिण्ड देने के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है।

पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है (पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातुकर्ण ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात् पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है—'जीवित पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार किया है—'यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह जीवित हो तो वह केवल पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात् केवल दो पिण्ड दिये जायेंगे) या जीवित पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (१।१७।५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रश्न पर एक लम्बी उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।<sup>११३</sup> बहुत सी टीकाओं एवं निवन्धों में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ० १।२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३)। इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं—(१) उसे अपने जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णु-घ० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आश्व० श्रौ० २।६।१६-२३); (३) उसे पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल० २।९३)। निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्य हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है—पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज (तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महान् कल्याण होता है, इस दशा में पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए 'जीवित-पितृक' वाला विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है)।<sup>११३</sup> ऐसे ही नियम

११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किंचिद् दद्यादिति श्रुतिः ॥ गोभिल० (२।९३); श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२)। मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१।२२-२७)।

११३. मातामहानामप्येवं श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम् ॥ विष्णुधर्म० (७५।८)।

माता के जीवित रहत श्राद्ध करने के विषय में भी दिया गया है (अग्नि० ११७।६० एवं मातादिनस्यापि तथा मातामहादिके) ।

गानिग्नस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उन श्रुति नियम को अनुबल्य (किसी अन्य प्रतिनिधिवस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात् चरितार्थ करना चाहिए।<sup>११४</sup> यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उस उस पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छ पिण्डों का अर्पण होता है, किन्तु उस ब्राह्मण को पक्षिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दत्ता में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन कस्यान पर नैवेद्य देना चाहिए, और फिर ऋको अग्नि में डाल देना चाहिए (श्रौ० १४।१०)।<sup>११५</sup> यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण न मिल सके तो ब्राह्मण बटुआ की कुशाहृतियाँ बना लेनी चाहिए और वर्तों को स्वयं प्रदान करना चाहिए और पार्वण-श्राद्ध में प्रयुक्त हानवाले उत्तर देने चाहिए (देव्य, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२६, श्राद्धक्रियाकीमुदी, पृ० ८९)।

जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी रजस्वला हो गयी हो तो आमश्राद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।<sup>११६</sup> यह स्कन्द० (७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एवं शौरपुराण (१।१।२२) में भी एनी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि वर्तों बहुत दुर्लभ हो तो द्विज को आमश्राद्ध करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमश्राद्ध करना चाहिए। किन्तु मासिक एवं सात्रस्तरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्राद्ध शूद्रों के लिए सदा व्यवस्थित है। एसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अर्पित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 'स्ववाकार', 'विसर्जन' जैसे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यथा—आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है—'उशनस्त्वा' (वाज० स० १९।७०) जिसका अन्त 'हविष अत्तवे' (हविष खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविषे स्वीकृतवे' का प्रयोग करना पड़ता है।

११४ चरितार्थां श्रुतिं कार्या यस्मादप्यनुकल्पत । अतो देयं यथाशक्ति श्राद्धकाले समागते ॥ कात्यायन (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२२) ।

११५ भोजयेद्यवाप्येकं ब्राह्मणं पक्षिपावनम् । दैवे कृत्वा तु नैवेद्यं परचादह्नीं तु तत्क्षिपेत ॥ श्रौ० (१४।१०), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५२४) में इसे यों पढ़ा है—पश्चात्तस्य तु निषेधेत ।

११६ ब्रह्माभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य भावार्थं रजस्वला ॥ स्कन्द० (७।१।२०६।५२) । इसे स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४९२) में व्यास की उक्ति कहा है । आपत्काली तौरों पर प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत भाषारजसि सक्रमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ४६२, मदन पा०, पृ० ४८० । चल्पतरु (पृ० २३४) में व्याख्या की है—'अग्निश्चात्र पाकसमर्थोऽग्निर्हृत, न पुनरग्निरस्नाहिताग्निः ।'



आमश्राद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोद्दिष्ट का मध्याह्न में, पार्वण श्राद्ध का अपराह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पांच भागों में बांटा जाता है)।<sup>११७</sup>

यदि विना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्राद्ध (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमश्राद्ध भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति मिली है, या यह तत्र किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम-श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य दिया जाता है)। निवन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० (१३।५७-५८ = विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०); मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६); निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४६७)। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

११७. आमश्राद्धं तु पूर्वह्नि एकोद्दिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्णे तु प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥  
शातातप (अपरार्क, पृ० ४६८)।

## अध्याय १०

### एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध

सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध व लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध पर विचार करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक ससोधन या परिमाणन मात्र है। 'एकोद्दिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसमें एक ही मृत व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात् जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एकोद्दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गृ० (४१२), बोधा० गृ० (३१२।६) कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एव याज्ञ० (११२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अर्घ्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया जाता है, आवाहन नहीं होता अग्नीकरण नहीं किया जाता, विरधे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण नहीं दिया जाता, ब्राह्मण भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न 'स्वदितम्' (क्या इनका स्वाद अच्छा था?) के रूप में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं, यह अर्घ्य हो' के स्थान पर 'उपतिष्ठताम्' अर्थात् 'यह पहुँचे' (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है, जब ब्राह्मण विसर्जित किये जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्' (प्रसन्न हो) का उच्चारण होता है और वे 'अभिरता स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एव मार्कण्डेय पुराण (२।८।८-११) में श्राद्धसूत्र एव याज्ञ० का अनुसरण किया है। शाखा० गृ० (४।२।७), मनु (३।२५७), मार्कण्डेय (२।८।११), याज्ञ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध न हो जाय प्रत्येक मास में प्रसादात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१२) ने कहा है कि प्रयुक्त भ्रात्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (अत्र पितरो मादयच्चम्' के स्थान पर अत्र पितर मादयस्व' अर्थात् हे पिता, यहाँ आनन्द करो कहना चाहिए)। एकोद्दिष्ट में ये चत्वारमु' (वे जो तुम्हारे बाद

१ एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम् । मिता० (याज्ञ० १।२५१) । एक स्थान पर और आया है—'तत्र त्रिपुष्वोद्दिष्टेन यत् क्रियते तत्पावणम्, एकपुष्वोद्दिष्टेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्' (मिता०, याज्ञ० १।२१७) । हलायुध ने श्राद्धसूत्र में कहा है—'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोद्दिष्ट इति ।'

२ अर्थेकोद्दिष्टेषु नाग्नीकरण नाभिश्चावण न पूर्वं निमन्त्रण न दैव न धूप न दीप न स्वधा न नमस्कारो नात्रा-  
पूपम् । बौ० ध० सू० (३।१२।६) ।

३ अर्थेकोद्दिष्टम् एकोर्घ्यं एक पवित्रमेक पिण्डो नावाहन नाग्नीकरण नात्र विरधे देवा स्वदितमिति तुप्तिप्रश्न सुस्वदितमितीतरे ब्रूयुषपतिष्ठतामित्यक्षयस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरता स्म इतीतरे । श्राद्धसूत्र ४ (कात्यायनीय) । ये ही शब्द कौषीतकी गृ० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदश्राद्धतत्त्व (पृ० ४९५) में व्याख्या है—'एक एकदलरूप पवित्रम् ।'

आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पितृ' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५ में शौनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्धरण दिया गया है)।

जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैं—नव, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन से लेकर एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों) तक किये जाते हैं। अपराकं ने व्याघ्र का एक श्लोक उद्धृत किया है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात् ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक श्लोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध दाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराकं ने व्याख्या की है कि 'ध्रुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात् किये जाते हैं। नव श्राद्धों के विषय में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थल, शवयात्रा-विश्रामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है।

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।" इन षोडश श्राद्धों के विषय में कई मत हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल-स्मृति (३।६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है—१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात् ११वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्यु तिथि के उपरान्त प्रत्येक छः मासी पर (समाप्त होने के एक दिन पूर्व) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३।५।३३-३६ तथा ३७) ने १६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्, छः मासों के पश्चात्, प्रत्येक मास के पश्चात् एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१) में गणना इस प्रकार है—षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छः मासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात् चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर

४. तत्र व्याघ्रः। एकादशे चतुर्थे च मासि मासि च वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमेकोद्दिष्टं मृताहनि ॥ कात्यायनः। श्राद्धमग्निमतः कार्यं दाहादेकादशेऽहनि। ध्रुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सर्वदा ॥ अपराकं, पृ० ५२१। यह अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें 'प्रत्याद्विकं प्रकुर्वीत' पाठ आया है।

५. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश। पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ यम(श्राद्धक्रिया-कीमुदी, पृ० ३६२)। यही श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्यैतानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि), लघुशंख (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाशक्त्या च श्राद्धया) में भी आया है। और देखिए मित्ता० (याज्ञ० १।२५४, पाठान्तर—'न दत्तानि' एवं 'प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य') एवं पुनः मित्ता० (याज्ञ० १।२५३) 'प्रेतलोके तु वसतिनृणां वर्षं प्रकीर्तता। क्षुत्तृष्णं प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है।

१२ मास (वष भर) म निय जात हैं। त्रीणां (मिता० याज्ञ० १।२५५ निययसिधु ५० ५९९ भट्टीजि चतु विगतिमतमग्रह, ५० १६८) आदि वा क्यन है नि एकाद्विष्ट श्राद्धा की पद्धति क अनुसार १६ श्राद्धा के सम्पादन के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (५० ६१५) निययसिधु (३, ५० ५९९) जाति वा करना है कि मत-मतान्तरों म दशाधार अपनी बदिब गणा एव कुल की परम्परा वा पालन करना चाहिए। मृत्यु के म्या रहवें दिन के श्राद्ध व विषय म दो मत हैं—यह स्मरण रसना चाहिए नि याज्ञ० (१।२२) ने व्यवस्था दी है कि धारा वर्णों के त्रिण मृत्यु का आगोच त्रम से १० १२ १५ एव ३० त्रिनो का होता है। गन् एव पैठीनसि द्वारा एव मत प्रकाशित है कि मरणानोच के रहत हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवस्य करना चाहिए (उम समय उस दृश्य के लिए वर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एव विष्णुधर्मसूत्र (२।१।१) वा है कि प्रथम श्राद्ध (एकोद्विष्ट) आगोच की परिमर्माप्ति पर करना चाहिए।

मृत सयासियो के विषय मे जगना (मिता० याज्ञ० १।२५५ परा० मा० १।२ ५० ४५८ एव श्रा० क्रि० कौ० ५० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि सन्याम (वल्कियुग म केवल एकदण्डी प्रकार) के आधम म प्रविष्ट हो जाने से व प्रत-दगा म नही आते उनरु त्रिण पुत्र वा किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्विष्ट एव सपिण्डीकरण नहा किया जाना चाहिए। केवल ११वें त्रिन पावण श्राद्ध करना चाहिए जो इसके परचात् भी प्रति वष किया जाता है। गतावप (मदन पा० ५० ६२७ श्रा० क्रि० कौ० ५० ४४५ एव अपराक ५० ५३८) ने भी कहा है कि सन्यासी ने लिए एकोद्विष्ट जल-तपण पिण्डदान गवदाह आगोच नही किया जाना चाहिए केवल पावण श्राद्ध कर देना चाहिए। प्रचता (मिता० याज्ञ० १।२५६) वा क्यन है कि सन्यासी के लिए एकोद्विष्ट एव सपिण्डीकरण नही होना चाहिए, केवल भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष म प्रति वष मृत्यु दिवस पर पावण कर देना चाहिए। गिबपुराण (कलास संहिता) ने सयासी की मृत्यु पर ११वें एव १२वें दिन के दृत्यो का वणन किया है (अध्याय २२ एव २३)।

नव श्राद्धो म धूप एव दीपो का प्रयोग नही होता। वे मात्र जिनम पित एव स्वधा नम जैसे गन् प्रपकत हुए हैं छोड़ दिये जाते हैं और अनु गन्ध का भी प्रयोग नही होता ब्राह्मणो को मुनाने के लिए जप एव मन्त्रोच्चारण भी नही होत। जसा कि ब्रह्मपुराण मे आया है वे श्राद्ध जो आगोच की परिमर्माप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास के अन्त म या आगे भी घर मे ही किये जाते हैं एकोद्विष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धो का सम्पादन (जो आगोच के दिनों म होता है) मृत्यु के स्थल दाह के स्थल पर या वहाँ जहा जल-तपण एव पिण्डदान होता है किया जाता है, घर म नही (देखिए स्मृतिच० आगोच ५० १७६)। कुछ लोगो के मत से नवमिथ श्राद्ध म मन्त्रो का प्रयाग नही होता। प्राचीन काल म और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहव दिन किये जाते हैं। कदाचित ही कोई सपिण्डीकरण के लिए जब वष भर एकता हो प्राचीन काल म एसी व्यवस्था थी कि आपन्-काल मे सपिण्डीकरण का सम्पादन एक वष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद नियम बन गया है।

सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरा के समाज मे मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थो मे इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौपीतकि-गृह्य० (४।२) के मत से मृत्यु के परचात एक वष क अन्त मे या तीन पक्षो के अन्त मे या किसी गुप्त घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) यह श्राद्ध करना चाहिए। भारद्वाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनमति मृत्यु के परचात एक वष के अन्त मे या ११व या छठ या चौथे मास मे या १२व दिन म दी है। वी० पितृमधसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए पाँच काल दिये हैं एक वष ११वा या छठा या चौथा महीना या १२वा दिन। गृह्य० (प्रतलखण्ड ६।५३ ५४) के मत से सपिण्डीकरण के काल है वष के अन्त मे छ मासो के अन्त मे तीन पक्षो के अन्त मे १२वा दिन या कोई गम

अवसर। विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बालाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा है। अपरार्क (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वां दिन, आशौचावधि के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या। इतने उनके लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियां नहीं जलायी हैं (अर्थात् जो आहिताग्नि नहीं हैं) चार काल दिये हैं, यथा—एक वर्ष, छः मासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में। मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वां दिन उपयुक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मनुष्य की आयु छोटी है और शरीर अस्थिर है।<sup>१</sup> विष्णुधर्मसूत्र (२।१२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात् केवल १२वां दिन (विना मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करते चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपरार्क, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोद्दिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि<sup>२</sup> का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन ही जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१।२५५) एवं विष्णुध० (२।१२३) में आया है कि यदि एक वर्ष के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना चाहिए। उशना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति (ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव श्राद्धों, षोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।<sup>३</sup>

शांखायनगृह्य० (५।९), कौपीतकगृह्य० (४।२), वी० पितृमेघसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र (कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुव० (२।१।२२-२३), पद्म० (सृष्टि० १०।२२-२३), मार्कण्डेय० (२।८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप में निम्न है—ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नीकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (वी० पितृमेघसूत्र, ३।१२।१२)। वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपरार्क, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १४२ एवं स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वधा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के

६. आनन्दात्कुलधर्मिणां पुसां चैवायुषः क्षयात्। अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (मदनपा०, पृ० ६३१)। श्रा० क्रि० की० (पृ० ३५०) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुर्विंशतिमत०, पृ० १७६) एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० ३०१)।

७. यदा संवत्सरपूर्तेः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि षोडश श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि षोडशादत्त्वा न कुर्यात् सपिण्डनम्—इति बृहवसिष्ठोक्तेः; तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। भट्टोजि (चतुर्विंशतिमतसंग्रह, पृ० १७१)।

८. नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश। एकेनेव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ उशना (अपरार्क, पृ० ५२४; मित्ता०, याज्ञ० १।२५५) यह श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।१।२८-१२९) में भी आया है।

लिए हात हैं। दो दैव ब्राह्मण तथा एक प्रत के लिए और तीन उसक तीन पितरा का प्रतिनिधित्व करने क लिए निम-  
नित हात हैं यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणा को बुग्नन म असमय हो ता उस तान ब्राह्मणा का बुलाना चाहिए जिनमें  
एक विद्वदवयो एक प्रत एव एक तान पितरा क लिए हाता है। उस प्रायना करना चाहिए— मैं तान पितरा क पात्रा के  
साथ प्रत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊगा। अवश्य मिलाजो' की अनुमति पाकर वह प्रत एव पितरो के पात्रा में कुछ  
छोड़ता है और प्रत क पात्र म बाडा जल छाडकर शेष पितरा के पात्रा म दा मन्त्रो क साथ डाल देता है (य समाना  
वाज० म० १९।४५ ४६)। प्रत-प्रात्र क जत्र स प्रत का और पितृपात्रो स तान पितरा का अभ्य दिया जाता है। चार  
पिण्ड बनाये जात हैं एक प्रत क लिए और तीन पितरा के लिए और तब कर्त्ता प्रायना करता है— मैं प्रत पिण्ड को  
उमक तीन पितरा क पिण्डो स मिश्रऊगा, जब अवश्य मिलाजो' की अनुमति मिल जाता है ता वह प्रत पिण्ड के तान  
भाग करक एव-एक भाग को पितृ पिण्डा म अलग अलग मिला देता है और उपयुक्त (वाज० स० १९।४५ ४६)  
मन्त्रा का पाठ करता है। यहाँ पर गृह्यपुराण (१।२२०।६) न एक मतभद उपस्थित कर रहा है कि प्रत-पिण्ड को  
दा भागा म विभाजिन कर कवल पितामह एव प्रपितामह क पिण्डा क भीतर एव-एक करक डाल देना चाहिए।

सपिण्डाकरण म एकाद्विष्ट एव पावण के स्वरूप मित्र हुए हैं, एक तो प्रत वाला स्वरूप और दूसरा प्रत के तीन  
पितरो वाला अत इसम दाना प्रकार क श्राद्ध सम्मिदित हैं। जब सपिण्डाकरण का अन्त ब्राह्मणा के दग्निषा-दान से  
हाता है तो प्रत प्रतस्व छोडकर पितर हा जाता है। प्रत का दशा या स्थिति म भूष एव प्यास का भयानक यातनाए  
हाती हैं किन्तु पितर हा जान पर बभ्रु, छद्, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताया के ससग म आ जाता हाता है। प्रत शब्द के  
दा अर्थ हैं (१) वह जा मृत है एव (२) वह जा मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डाकरण नहा हुआ है। सपिण्डीकरण  
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह जिसका सपिण्डाकरण हो चुका रहता है पिण्ड क अधिकारी  
पितरा की पत्ति स हट जाता है और केवल लपनाक (अर्थात् कवल हाथ म लग भोजन के डाडन' का अधिकारी)  
रह जाता है फलत प्रत पितरा की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात किय जानेवाल पावण श्राद्ध के पिण्डा का  
वह अधिकारी हा जाता है। गृह्यपुराण (१।२२०।२) म आया है कि पावण की नाति ही अपराह्ण म सपिण्डीकरण  
श्राद्ध का सम्पादन होना है।

यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्था म प्रतपात्र स पितृपात्रा म जल छोडन के समय के मन्त्रो म भद पाया जाता है।  
विष्णुधर्मसूत्र (२।१।१४) म मन्त्र य हैं— ससजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्ह समुक्त कर या मिगाय) एव समानी  
व आकृति (ऋ० १०।१९।१।६)। आदव० गृह्यपरिनिष्ट (३।११) ने ऋ० (१।९।०।६।८) क तीन मधुमती मन्त्र  
और ऋग्वद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९।१।२।४) दिये हैं।<sup>१</sup>

वाज० (१।२५।४) एव मातृण्डय० (२।८।१७।१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्विष्ट एव सपिण्डाकरण स्थियो  
के लिए भी हाने चाहिए (किन्तु पावण एव आम्बुदयिक नहीं)। माता के सपिण्डाकरण के विषय म कई मत हैं। जब  
स्त्रा पुत्रहीन रूप म मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डाकरण उसकी सास के साथ हाता है (गोभिल  
स्मृति ३।१०२)। यदि पुत्र एव पति से हान कोइ स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं हाना चाहिए। यदि  
काई स्त्री अपने पति को चिता पर जत्र जाय या वाद को (सता होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के  
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं हाता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो

१ प्रतपिण्ड निवा विभज्य पितृपिण्डेषु त्रिष्टवादधाति मधु वाता इति तिसृभि सगच्छध्वमिति द्वाभ्यामनुमन्त्र  
शेष पावणवत्कुमति। आदव० गृ० परि० (३।११)।

या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता-मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मनु (१।१८३ = वसिष्ठ १७।११) ने संकेत किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९)।<sup>१०</sup>

निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो षोडश श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)।

मनु (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, यथा—नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी। याज्ञ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भर्त्सना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, जल-तर्पण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणवलि करके श्राद्ध करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणवलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगड़े में मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए।

अब हम आम्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४।७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्युदयिक एवं एकोद्दिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४।४), गोभिल-गृ० (४।३।३५-३७), कौपीतिकि गृ० (४।४), दौ० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका ६) ने संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म) के आरम्भ में किया जाता है। आश्व० गृ० एवं गोभिलगृ० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर

१०. स्वेन भर्त्रा समं श्राद्धं माता भुंक्ते सुधामयम् । पितामही च स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, श्रा०, पृ० २३९ एवं श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । पितुः पितामहे यद्वत् पूर्णं संवत्सरे सुतेः । मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सपिण्डता ॥ उशना (मिता०, याज्ञ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् (गोभिलस्मृति २।१०२; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । गरुड० (प्रेत० ३।४।१२१) में आया है—‘पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरणं कार्यमिति तार्क्ष्यं मतं मम ॥’

या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम सख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, इत्यों को वारों से दाहिने करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराह्न (पृ० ५१४) के मत से पार्वण की ही विकृति (सघोषन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एव पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं।

इस श्राद्ध में, जो प्रातः काल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), विश्वेदेव है सत्य एव वसु, इसका सम्पादन पूर्वान्हुि में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या सम होनी चाहिए, दमं सीधे होते हैं (गुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते, कर्ता उपवीत ढग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढग से नहीं), सभी कृत्य वारों से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्' न कि 'अपमव्यम्' ढग से), 'स्वधा' शब्द का प्रयोग नहीं होता, तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को 'नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है—'आप दोनों (मरे घर) आये' और वे कहते हैं—'हम दोनों अवश्य आयेगे।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं)। यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है—'मैं नान्दीमुख पितरो का आवाहन करूँगा।' 'जवस्य बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है—'नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों', वह एक बार 'हे नान्दीमुख पितरो, यह आप के लिए अर्घ्य है' कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, घूप, दीप दो बार दिये जाते हैं, होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है, दो मन्त्र ये हैं—'कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एव 'पितरो के साथ मयुक्त भोग को स्वाहा।' ब्राह्मणों के भोजन करते समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एव शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ हाता रहता है, किन्तु पितरो को सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१२) का नहीं, जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं तो वह 'उपास्मै गायता नर' (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाच मन्त्रों का पाठ करता है किन्तु मधुमती (ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग लें चुके हैं, वे आनन्द ले चुके हैं' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'अक्षय्यादक' मागा जाता है) यह कहना चाहिए 'मैं नान्दीमुख पितरो से आशीर्वाचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए—'अवश्य प्रार्थना कीजिए।' कर्ता 'सम्पन्नम्?' (क्या पूर्ण था?) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम्' (यह पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर से लीपता है, दमों के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हे विछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एव पूषदाज्य (दही एव घृत से बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरो, तीन मातृवर्ग के पितरो (नाना, परनाना एव बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होना (आश्व० गृ० परि० २।१९)। पितृदयिता एव श्राद्धतत्त्व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा जाभ्युदयिक श्राद्ध में

११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होगा—'ओम् अमुकगोत्राणां मातृपितामहीप्रपितामहीनाममुकामुकामुकदेवीनां नान्दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहीनाममुकामुकामुकशर्माणां नान्दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां माता-महप्रमातामहद्विप्रमातामहानाममुकामुकामुकशर्माणां नान्दीमुखीनाममुकगोत्रस्य कर्तव्यामुककर्मनिमित्तकमाभ्युदयिक-श्राद्धमह करिष्ये।' श्राद्धविवेक (सप्रधरकृत, पृ० १४९)। 'देवीनां' के लिए 'दाना' ही बहुधा रखा जाता है।



मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आश्व० गृ० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।<sup>१३</sup>

‘नान्दीश्राद्ध’ एवं ‘वृद्धिश्राद्ध’ शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि (शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत है कि नान्दीश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा—मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा—मातृश्राद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९।१९४) आदि ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका सम्पादन पूर्व-कर्म के आरम्भ में भी होता है।

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), मार्कण्डेय० (२।८।४-७), पद्म० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य० (१-१८५।५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं—कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान करना चाहिए।<sup>१४</sup> मार्कण्डेय० (२।८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।<sup>१५</sup> कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन श्लोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते।<sup>१६</sup>

‘मातरः’ शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२)।<sup>१६</sup> इस विषय में

१२. अपरेद्युरन्वष्टक्यम् ।... पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हुत्वा मधुमन्थवर्जं पितृभ्यो दद्यात् । स्त्रीभ्यश्च सुरा चाचामित्यधिकम् । आश्व० गृ० (२।५।१, ३-५) ।

१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेशमनि । नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादि-मुखदर्शने ॥ नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत् प्रयतो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेशे समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।५-७) । इसे अपराकं (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ।

१४. पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रुमुखा ह्येते पितरः संप्रकीर्तितः ॥ तेभ्यः पूर्वं त्रयी ये तु ते तु नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०७; कल्पतरु, श्रा०, पृ० २७०) । ‘नान्दी’ का अर्थ है ‘समृद्धि’ (ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०, पृ० २६८) ।

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः । वृद्धिश्राद्धे महावाहो कुलधर्मान्वेष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर पृथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है—‘अतश्चाग्नीकरणादीनामपि निषेधः । तथा—अग्नीकरणमर्घ्यं चावाहनं चावनेजनम् । पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते ॥’

१६. ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुर्गक्षेत्रगणाधिपान् । वृद्ध्यादौ पूजयित्वा तु पश्चान्नान्दीमुखान् पितॄन् ॥ मातृपूर्वात्

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओ एव उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।<sup>१</sup> अपराकं (पृ० ५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओ की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, पितामही एव प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरा, मातामहा एव पितरो की पत्नियों की पूजा होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने बृद्ध वसिष्ठ को इन विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध (बृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त सख्या न प्राप्त हो सके तो माताओ एव मातामहियों के वर्णों के लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एव पुत्र या पुत्रा वाली चार नारियाँ को नान्न के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।<sup>६</sup>

प्रतिसावत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु तिथि पर प्रति वष होता है (गोभिलस्मृति ३।६६)। एसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विषय में यह श्राद्ध पावण की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृ० ३०४)। भविष्य० एव स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य श्राद्धों में सबसे अधिक महत्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह तामिस्र नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-भ्रमण करना है।<sup>६</sup> इस विषय में तिथि, मास या दाना की जानकारी न हो तो तदय बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एव भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं—(१) यदि तिथि ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मागधीयं या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, (२) यदि मास ज्ञात हो किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एव मास दानों में ज्ञात हो तो तिथि एव मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्दर्भ मिला तभी से तिथि एव मास का गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पित्र्य कृत्या का लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है—स०) होता है और दिन,

पितृन् पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहोस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं, पृ० ५१७) । गोभिलस्मृति (१।१११२) द्वारा उपस्थापित १४ मातृका ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता) । माकण्डेय० में सात ये हैं—ब्रह्मणी, माहेरवरी, कीमारी, वाराही, नारसिंहो, वंजवो एव ऐन्द्री ।

१७ धर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एव बहुत विस्तृत पूजाओं में अन्तर्गत माता देवी या मातादेवियों की पूजा भी है। मातृ-पूजा मॅसोपोटामिया एव सीरिया-जैसे प्राचीन सभ्यताकालों तथा आदिफालीन यूरोप एव पश्चिमी अफ्रीका में भी प्रचलित थी। आदिफालीन अथवा प्रारंभिक ऐतिहासिक सभ्यताओं से सम्बन्धित कुछ ऐसी बोझी आकृतियाँ या प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियाँ की हैं और कहा जाता है कि ये मातृ-देवियों की प्रतिमाएँ हैं। दक्षिण ओ एशु० के बोसित कृत 'मदर गॉडसेज' (पूना) ।

१८ मातृवर्णों मातामहोवर्णों वा ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्विताश्चतस्रश्चतस्रः सुधासिन्यो नोजनीया इत्युक्तं बृद्ध-वसिष्ठेन । मातृश्राद्धे तु विप्रणामलाभे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या योयितोऽप्ये सुधान्विता ॥ श्राद्धप्रकाश (पृ० २९८) ।

१९ सर्वेषामेव श्राद्धानां धेच्छ सावत्सर स्मृतम् । क्रियत यत्तगधेच्छ मूनेःश्वेनि युषं सह ॥ .. स याति नरकं घोरं तामिस्र नाम नामत । ततो भवति दुष्पात्मा नगरे सूकरं तम ॥ भविष्य० (१।१८३।२० एव २५) । प्रथम श्लोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है ।

‘अहः’ एवं ‘वासर’ का तात्पर्य ‘तिथि’ से है (अपरार्क, पृ० ५४५)। स्कन्द० (७।१।२०६।५९) के अनुसार अधिक-मास (मलमास) में प्रत्यान्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है।

महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८)

का कथन है कि आपाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलार्क में किया जा सकता है। जब यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर लोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों को घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आपाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात् पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात् महालय के लिए भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कन्द० (६।२।१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८)। कल्पतरु ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कार्तिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पृ० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है।

मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता है। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि पार्वणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्घ्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि संकल्पश्राद्ध में अर्घ्यदान, विक्रि के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए।

महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं धुरि एवं लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए भी होता है, यथा—विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, स्वशुर, सास, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी। कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९९)। संन्यासी का महालयश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और

उसका वार्षिक श्राद्ध गृहस्था के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादसी विष्णु के लिए पवित्र तिथि है और यति (सन्यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियां क लिए महालयश्राद्ध की विशिष्ट तिथि द्वादसी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता।

दो अन्य श्राद्धों का, जा-जा भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहश्राद्ध या दौहित्र प्रतिपदा-श्राद्ध। केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसका माता-पिता जीवित हो, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दौहित्र ऐसा कर सकता है भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हो। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार (पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्राद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है।

दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के वृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निगमसिन्धु (२, पृ० १५४) ने इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देवाचार का पालन करना चाहिए। माकण्ड्यपुराण के मत से इस श्राद्ध में न केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उद्य मेखला (कधनी), माला एवं कगन का दान करना चाहिए।

आश्व० गृ०, याज्ञ० एव पच० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में वृत्त्य के उपरान्त अपनी सामग्री के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) में व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध भररथल में वर्षों, अँवरे में नृत्य, बहरे क समक्ष समीत के समान है जो अपने पितरा की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों को रत्नों, सँकड़ों, धान, प्रभूत अन्नो, यानों, गृहों, दासों एवं दासिनी की दक्षिणा दी गयी। जाधमवासिक्पर्व (१४ ३४) में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरगति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है और कहा है कि सभी वर्णों को अन्न पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) में श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विस्तार वर्णन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकते। टिप्पणी में पक हुए भोजन के दान की एक प्रथास्त दे दी जा रही है।" शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रथा जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौर्य, भूमि, मोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए और कर्त्तों द्वारा दक्षिणा इस प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी

२० अन्नदो लभते तिल कन्याकोटोस्तथैव च। अन्नदानात्पर दान विद्यते नेह किंचन। अन्नाद् भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न सशय ॥ जोवदानात्पर दान न किंचिद्विद् विद्यते। अन्नंजीवति त्रैलोक्यमन्नस्यैव हि तत्फलम् ॥ अन्ने लोका प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्। अन्न प्रजापति साक्षात्तन सवमिद ततम् ॥ वायु० (८०।५४-५७)। और देखिए ऐ० ब्रा० (३३।१)—'अन्नं ह प्राणः।

वन्द्रीदय; मार्कण्डेय० ३२।११; वामनपुराण १४।१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने अपनी वहिन के पुत्र अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहस्रों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शय्याएँ, वस्त्र आदि दिये और उन्हें खिलाया। बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान पर प्रकाश डाला गया है।

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना आवश्यक है। गरुड० (प्रेतखण्ड, ३४।६९-८९), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बैल छोड़ना (वृपोत्सर्ग करना) चाहिए और कपिला गाय का दान करना चाहिए। गरुड० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के श्लोकों के समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है— 'जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य (सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान् नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान अंगीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है—जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन-संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गृहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८)।

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।<sup>२१</sup> इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे। प्रश्न था; वे किनको पिण्डार्पण करें? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की है। हारीत का कथन है—विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का है। इन दोनों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुत्र) दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए

२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या विधवा से किसी सगोत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीज' कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को 'क्षेत्री' कहा जाता था। 'पुत्रिकापुत्र' के दो प्रकार हैं—(१) पुत्रहीन पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शर्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९।१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७।१६)। 'दत्तक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९।१६८)। इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७।

दोनो के नाम ले सकता है। (दोनो पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात् पितामह वाले पिण्ड के लिए) दो नाम ले सकता है, प्रभोत्र (दोना पिताओं के पुत्र का भोत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) के विषय म कर सकता है। मनु (४।१४०) एव गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र क विषय म लिखा है कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप म नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और तीसरा अपने पितामह का देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९।१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता एव नाना को देता है (अर्थात् दो श्राद्ध करता है)। याज्ञा० श्रौ० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हो तो एक ही पिण्ड होता है और पुत्र बीजी एव क्षत्री दोनो के नाम लेता है। याज्ञ० (२।१२७) ने भी कहा है—निवोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र जा किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोना की सम्पत्ति पाता है और दोनो को पिण्ड देता है।<sup>१</sup> मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान् व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र केवल क्षत्री का होगा बीजी का नहीं। अब क्षत्रज एव पुत्रिकापुत्र गताद्विधा से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है अर्थात् अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु दत्त की परम्परा अब भी है अतः वह किये पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतह (भा०, पृ० २४१) ने प्रबरा ध्याय से निम्न उद्धरण दिया है—यदि इन्हे (अर्थात् जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप म दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों तक पिण्ड दते हैं, यदि दानो (बीजी एव क्षत्री या दत्तक देनेवाले एव दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दानो को पिण्ड दते हैं, एक ही श्राद्ध म तीन पितरा तक दोना के पूर्वजा के निमित्त पूयक पूयक रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपण म दानो (ब्राह्मक एव उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।<sup>१</sup> वी० ध० सू० (२।२।२२-२३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है—'दोनो पिताओं का पुत्र (दोना को) पिण्ड देगा और प्रत्येक पिण्ड क साथ (दोनो के) नाम लेगा, इस प्रकार तीन पिण्ड छ पूर्वजों के लिए होंगे। उपयुक्त हारोत-वचन से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वय मे दो हा तो प्रत्येक वय के लिए पूयक रूप से पिण्ड होने चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए पिण्ड गोत्र एव सम्पत्ति का अनुसरण करता है, जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एव प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यापित हुआ है और निजय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूणतया टट जाता है। इन विषय पर हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ मे विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध

२२ अपुत्रेण परक्षेने नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोत्पत्सौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ याज्ञ० (२।१२७), यदा तु नियुक्त पुत्रवान् केवल क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तदा तदुत्पन्न क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति (मिता०)।

२३ अथ यद्येषा स्वभार्यास्वपत्य न स्याद्विषय हरेमु पिण्ड चेन्मयस्त्रिपुरय द्युरथ यद्युभयोर्न स्यादुभाम्पा इदुरे-स्मिन्द्रुद्ध पूयगृह्येकपण्डे द्वावन्कीर्तयेत् प्रतिग्रहीतार चोत्पादयितार चा स्तृतीयात्पुत्रयात्। कल्पतह (भा०, पृ० २४१) ने कुछ भाषान्तरो के साथ इसे उद्धृत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म०, पृ० ११५); कात्यायन एव लोपाक्षि (प्रवरमजरो मे उद्धृत), जो निर्णयस्तिम् (३, पृ० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं।

से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति भी ले सकता है।

वृषोत्सर्ग (सांड या बैल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा शांखा० गृ० (३।२), कौपीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णु-धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा व्यक्त की गयी है—'बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता की मृत्यु पर श्राद्धार्पण करता है) या वह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुधर्मसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही उद्धृत करते हैं—“(यह कृत्य) कार्तिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली गाय का बच्चा होना चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात् किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूय (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात् जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला में) अग्नि जलाकर और उसके चतुर्दिक् कुश विछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और 'पूषा हमारी गायों के पीछे-पीछे चले' (ऋ० ६।५४।५) एवं 'यहाँ आनन्द है' (वाज० सं० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके (दो) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्टे पर 'चक्र' और दूसरे पर 'त्रिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै० सं० ५।६।१।१-२) एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।१।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रदों (तै० सं० ४।५।१-११), वृषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं कृष्माण्डवी (वाज० सं० २०।१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता को वृषभ के दाहिने कान में 'बछड़ों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए—'पवित्र धर्म वृषभ है और उसके चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृषभ को पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से धूमो। हे सोम राजन्, हमें सन्तति का अभाव न हो और न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को मुंहमांगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय

२४. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥ विष्णुधर्म० (८५।६७), बृहस्पतिस्मृति (श्लोक २१), लघुशांख (१०), मत्स्य० (२२।६), ब्रह्म० (२२०।३२-३३), वायु० (८३।११-१२), पद्म० (सृष्टिलखण्ड, ११।६८), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९।११), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३) । मत्स्य० (२०७।४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है—'गौरीं वाप्युद्बहेत्कन्याम् ।' मिलाइए कूर्म० (२।२०।३०-३१) ।

ये जिसम पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया सांड पाना पीता है, पितरा को तृप्ति मिलता है। जब भी कमा छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपन सुरो घ मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टा पर्याप्त भोजन के रूप में एव सांड द्वारा ग्रहण किया गया जत्र पितरो के पास पहुँचता है।" अनुशासनपत्र (१२५।७३ ७४) में आया है कि वृषभ छाडन (नील रंग के वृषभ के उत्सव) से निल-जल क जपण स एव (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने घ व्यक्ति पितृ ऋण घ मुक्त हो जाता है।"

महदुराण (२।५।४० एव ४४ ४५) में एसा आया है कि जिन्न मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सव नहीं होता वह सदा के लिए प्रतापस्या में रहता है अत्र ही उसके लिए मँकड़ा थाड किया जायें। इस पुराण में यह भी कहा है कि यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो मके तो दम आटे या मिट्टी के बँल को प्रतापतात्मक रूप में छोडना चाहिए। भविष्य० (निगमसिधु ३ पृ० ५०५) में मृत्यु क १२वें दिन सांड छोडन की व्यवस्था दी है। निगमसिधु ने कहा है कि दम पिष्ट एव मिट्टी घ बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड छाडे जाते हैं किन्तु उनका मूल्य घड जान से परम्परा में बनी पडती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों यथा—पितृदयिता (पृ० ८४ ९४) इन्द्रवरकून श्राद्धविवक (पृ० ६९ ७३), निगमसिधु (३ पृ० ५९५ ५९६), गुडिप्रकाश (पृ० २२५ २३०) नारायण भट्ट-कृत अन्तर्पिष्टपद्धति आदि में विनाद वगन उपस्थित किया है जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में एसा आया है कि दागे हुए सांड (उत्सव किन्न गय बँल) को बँलगाड़ी में नहा जातना चाहिए और न उस पकडना चाहिए तथा उसक साथ छोडी गयी माया को भी न तो बृहना चाहिए और न गाला में रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सव नहीं होना चाहिए प्रत्युत बिना अकित किए बडड-सहित एक गाय को माला आदि स अलकृत कर दान दे दना चाहिए।

वृषोत्सव क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बँल थम से (जा कि सभी बँल को करना पडना है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी एसा करके मन क परलोक में आनन्दित करते हैं। बचारे बँल का थम से छुटकारा मिलता है और वह उमुक्त हो मुगान्त धातावरण में विचरण करता है इस प्रकार उमकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है।

श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवधाड या जीवच्छाड जिसके विषय में वी० गृह्यसूत्र (३।१९) लिंगपुराण (२।४५।८ ९०—था० प्र०, पृ० ३६३ ३६४) कल्पतरु (था० पृ० २७७ २७९) हमाद्रि (था० पृ० १७०४ १७१७) था० प्र० (पृ० ३६१ ३७१) आदि में वगन आया है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीविनावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे सक्षप में दे रहे हैं—'यह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है कृष्णपथ की त्रयोदशी को उपवास करता है और उमी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्यष्टि क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ वस्त्र सोने की एक सुई एक अकुण्ड कई क मूत्र से बना एक लच्छा

२५ नील वृष का अग्र कई दग से लगाया गया है। मत्स्य० (२०७।३८) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५६) में आया है—'चरणानि मूल पुच्छ मस्य श्वतानि गोपते। लाक्षारससवणश्च त नीलमिति निर्दिशत।' इन धर्मों में सांड के गुम एव अगुम लक्षणों का वगन दिया हुआ है। था० क० ल० (पृ० २१४) में शीतक को उदधृत किया है—'लोहितो यस्तु वर्गेन मूल पुच्छ च पाण्डुरः। श्वेतं खरुविषाणाम्या स नीलो वृष उच्यते।' था० प्र० एव गु० प्र० (पृ० २२६) में इसे ब्रह्माण्ड० (रेवाक्षण्ड) का माना है।



(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह वाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न व्रात कहलाता है—‘यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े।’ वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्रित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुर्दिक् दर्भ विछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) ‘चत्वारि श्रृंगा’ (ऋ० ४।५।८।३; तै० आ० १०।१०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की प्रार्थना) ‘त्रिधा हितम्’ (ऋ० ४।५।८।४) कहकर देता है।<sup>१३</sup> भात की दूसरी आहुति की ‘पुरोनुवाक्या’ एवं ‘याज्या’ हैं ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’ (ऋ० ३।६।२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं ‘योजयित्री सूनृतानाम्।’ तीसरी आहुति की हैं क्रम से ‘ये चत्वारः’ (तै० सं० ५।७।२।३) एवं ‘द्वे श्रुती’ (ऋ० १०।८।८।१५ एवं तै० ब्रा० १।४।२।३); और चौथी की हैं क्रम से ‘अग्ने नय’ (ऋ० १।१।८।१।१ एवं तै० सं० १।१।१।४।३) एवं ‘या तिरश्ची’ (वृ० उ० ६।३।१)। उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३।१।२-१८; तै० आ० ३।१।२) के साथ घृताहुतियाँ देता है और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, कटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे ‘यम के दूत प्रसन्न हों’ कहलाता है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बाँधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से घड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक पैर, और ऐसा करते हुए वह ‘श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हों’ ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त वह ‘अमुक नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा नमः’ ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोद्दिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं—‘जो कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। यही श्रुति-आज्ञा है।’ स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए।

२६. ‘पुरोनुवाक्या’ (या केवल ‘अनुवाक्या’) इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल बनाने के लिए पढ़ी जाती है (पुरः पूर्व यागाद्देवतामनुकूलयितुं या ऋगुच्यते इति व्युत्पत्त्या)। इसी प्रकार ‘याज्या’ अर्पण की स्तुति है। इसके पूर्व ‘ये यजामहे’ कहा जाता है और इसके पश्चात् ‘वषट्’ (उच्चारण ऐसा है—वौ ३ षट्)। दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। ‘याज्या’ का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु ‘पुरोनुवाक्या’ का बैठकर। ‘योजयित्री सूनृतानाम्’ ‘चोदयित्री सूनृतानाम्’ (ऋ० १।३।१।१) का पाठान्तर है।

इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर सकता है। इस सबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है—उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीविनावस्था में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।”

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्योपसूत्र (३।२२) में जीव-श्राद्ध की विधि बहुत ही सक्षिप्त है, किन्तु उसमें कल्प के दो श्लोक एवं विष्णु का एक श्लोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात् आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्योपसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात किया है (पृ० ३६३-३६८)। लिगपुराण की विधि बोधायन की विधि से संबंधा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमपूत्र ने भी विषद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। ‘जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग वही भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निर्मित होती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा ‘ऋव्यादमग्निम्’ (ऋ० १०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्ढा खोदना चाहिए और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया जाता है।’ वर्म्बई विश्वविद्यालय के मडकमकर सग्रह में एक गोनककृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का वर्णन है वह बोधायन से भी विषद है। इसमें बोधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ दिये जा रहे हैं।

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मान है। मौलिक एवं तात्त्विक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतजान एवं आन्त-चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे। आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, दबधि उनके पुत्र, भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं।

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथामग्न्य वपिला गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बँतर्णी गाय किसी त्रिय या मन्त्रिकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल डारा जाता है। तब हाथ में कुछ लेकर दाता नीचे पाद टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है। “दान लेनेवाला ‘ओ स्वस्ति’ (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर देता है। तब सोने या चादी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ‘ओ स्वस्ति’, गाय की पूँछ पकड़ता है और अपने अर्घीत वेद की शाला के अनुरूप नामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७, तै० ब्रा० २।२।५।९ एवं तै० आ० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित वपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँचे का बना दुग्ध-

२७. ओम्। अशाशौचान्ते द्वितीयेऽह्नि अमुकगोत्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इमा वपिलां मा हेमभृतीं रोप्यसुरां वस्त्रयुगच्छन्ना कास्थोपदोहा मुस्तालागूलभूषिता सवत्सा वद्वैषत्याममुकगोत्रायामुकदातये ब्राह्मणाय दुग्धमह सप्रदे। वदधर का श्राद्धविवेक (पृ० ७७)।

मात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत उसके पुत्रों, प्रपौत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहाँ सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है।

पुराणों एवं निवन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५६८ एवं १५७५)। इस विषय में हम आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे।

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा—मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० ७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास। ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम-विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गर्हित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुष्योत्तम मास (विष्णु का मास) कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थी वह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है—‘मलिम्लुच नामक मास मलिन है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गर्हित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य है।’<sup>३८</sup> किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लुच में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए।<sup>३९</sup> स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास में होना दोष नहीं है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका सांविस्तरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात् मलमास में न मरे) तो उसी नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए।<sup>३०</sup> वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए।<sup>३१</sup>

मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में

२८. मलिम्लुचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः। गर्हितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत् ॥ गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८)।

२९. जातकर्मन्त्यकर्मणि नवश्राद्धं तथैव च। मघात्रयोदशीश्राद्धं श्राद्धान्यपि च षोडश ॥ चन्द्रसूर्यग्रहे स्नानं श्राद्धं दानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तकं तथा ॥ व्यास (श्राद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृतिच०, श्रा० ३७३)।

३०. मलमासे मृतानां तु श्राद्धं यत्परिवत्सरम्। मलमासेऽपि तत्कार्यं नान्येषां तु कथंचन ॥ भृगु (स्मृतिच०, श्रा० ३७५)। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) का कथन है—‘मलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रैव कार्य-मन्यथा शुद्ध एव।’

३१. श्राद्धीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि। मासद्वयेऽपि कुर्वीत श्राद्धमेवं न मुह्यति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५); निर्णयसिन्धु (पृ० १३)।

करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में भी हम वही पढ़ेंगे।

पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्था में सघातश्राद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यशृंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पाच या छ व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात् कर्ता से जो अति निवृत्त होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायें तो पिता का पहले और माता का (पवदाह आदि) बाद को करना चाहिए।<sup>११</sup>

यदि किसी विघ्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यशृंग ने इस विषय में कहा है—यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे भास में उसी तिथि पर करना चाहिए।<sup>१२</sup> यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से पौडश श्राद्धों में कोई स्थगित हो जाय तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक श्राद्ध या सावत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या को किया जाना चाहिए। यही बात पद्य० में भी आयी है।<sup>१३</sup> यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों का एकत्रीकरण की असमयता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है।

यह ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान् ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वही कुछ स्मृतियों द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक बय

३२ तत्रंकर्त्स्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणैकेन कर्त्रा श्राद्धं कर्तव्यम् । तदाह ऋष्यशृंगः । कृत्वा पूर्वमृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः कुर्यात्सन्निपाते त्वय क्रमः ॥ . . . भवेद्यदि सपिण्डानामुपक्रमेण मरणं तदाः सम्बन्धा-सन्निपातोच्च तदक्रमाच्छ्राद्धं माचरेत् ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पाठलिपि २६५; जायालि—पिप्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेवैव

क्रि० की०, पृ० ४८०; मदन पारिजात पृ० ६१८) । और शैलिंग स्कन्द० (७।१।२०६) एवं मङ्ग० ४५।९)।

३४. मासिकावधे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके । यदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं यशं वापि विचक्षणः ॥ यद्विज्ञानमत (अपराध, पृ० ५६१), मासिकान्युदकुम्भानि ध्याद्वाग्निं प्रसवेयु च । प्रतिशयस्तरं ध्यात् सूतकानन्तरं विदुः ॥ . एवावश्यं कृष्णपक्षे कर्तव्यं शुभमिच्छता । तत्र ध्यतिक्रमे हेतावभायां क्रियते तु तत् ॥ पद्य० (पातालसूत्र १०।१।६८ एवं ७१) ।

## अध्याय ११

### तीर्थयात्रा

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था बतलाई गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं। बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुमिनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्वन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।<sup>१</sup> किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।<sup>२</sup> प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए सैन्ट्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिब्वन ने लिखा है—‘अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधार्मिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।’ देखिए डेवलाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी ‘साधना’ में कहा है—‘भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।’ आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है)। यदि

भाग का चोतर है। जो लोग धार्मिक-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को गान्धि मिलनी है, उह कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मनु (३।१२५-१२६) कूम० (२।२२। २७) एवं पद्य० (५।१।९८) के गव्द स्मरण रखने चाहिए जो इस प्रकार हैं—धार्मिक म अधिक व्यय नहीं करना चाहिए विनोपत आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों की सख्या में।<sup>१०</sup> जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अर्थजी गिज्ञा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म म अटल विश्वास है उह एक बात स्मरण रखनी है। धार्मिक विषय म एक धारणा प्रमुख है और वह प्रणाम के योग्य भी है वह है अपने प्रिय एवं सनि कट सम्बन्धियों क प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वष म एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण करना मृत की स्मृति म सम्बन्धिया मित्रा एवं विद्वान् लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करना विद्वान् विन्तु धनहीन सञ्चरित्र तथा मादे जावन एवं उच्च विचार बाल व्यक्तियों को दान देना एक अति मुन्दर आचरण है। एमा करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों का जा आज निर्जोव एवं निरर्थक से गत है पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विद्वान् के तात्त्विक दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तगत ऋषियों देवा एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी रही है। पित ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुवता है क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विगाल धारणा है। गया म तिलयक्त जत्र क तपण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बडकर कौन-नी अन्य उच्चतर भावना गना ? कहा गया है— मरे वे पितर लोग जो प्रतरूप म हैं तिलयक्त यव (जो) व पिण्डों से तप्त हो और प्रयत्न वस्तु जा ब्रह्मा से केवर तिनके तरु चर हो या अचर हमारे द्वारा न्ये गये जल से तप्त हो। यि हम इन महान् उक्ति के तात्पर्य का अपने वास्तविक आचरण म उतारें तो यह मारा विषय एक कुम्भ हो जाय। अत युगों स मचित जटित बाना का यागते जात हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि व धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के जिहें लोग भ्रामक ढग स ममअत आ रहे हैं नीतर पड हुए सोने को न ठुकराय। आज भी बहुत-से विद्वान् महानुभाव लोग अपनी माता एवं पिता क प्रति श्रद्धा भावना को अभिव्यक्त करते हुए धार्मिक-कर्म करते हैं।

३७ द्वी दवे पितृकृत्य रीनेककमुभयत्र वा। नोजयक्षीश्वरोपीह न कुर्याद्विस्तर बुध ॥ पद्य० (५।१।९८)। जायमानो ह व ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैर्वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यत्न दवेभ्य प्रजया पितृभ्य एव वा अनयो य पुत्री यन्वा ब्रह्मचारिवासी। त० स० (६।३।१०।५) ऋणमस्मिन् सनयत्यमतत्व च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पत्य च्चञ्जीवनी मुखल ॥ ए० ब० (३३।१)। इत विषय मे इत ग्रन्थ के खण्ड ३ अध्याय— मे लिखा जा चुका है और हम पुनः गयाधार्मिक मे इस पर विचार करगे। य केचिप्रतरूपेण वतन्त पितरों मम। ते सर्वे तपित्प्रियायान्तु सन्तुभिस्तिक्त मिथिन ॥ आब्रह्मस्तम्बपयन्त यकिचित्सचराचरम्। मया दत्तन तोयन तपित्प्रियायान्तु सवः ॥ वापु० (११।०।६३ ६४)। मिलाइए वापु० (११।०।२१-२२) एवं मत्तनुस (सुतनिपात)।

## अध्याय ११

### तीर्थयात्रा

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था ब्रतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना। यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं। वीदों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध है (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्वन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।<sup>१</sup> किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।<sup>२</sup> प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए सैन्ट्रेट बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिब्वन ने लिखा है—‘अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधार्मिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।’ देखिए डेवलाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी ‘साधना’ में कहा है—‘भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—यह मानवजाति के इतिहास में एक बिलक्षण घटना है।’ आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है)। यदि

स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण मौलिक एकता की भावना को सर्वाधिक किया। वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत के हो या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था और जाति-सकीर्णता में फँसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बैठला दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की समयशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के ममागम एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक ऐसी धृष्ट-भक्ति की भावना भर उठनी थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वायंभय जीवन-कर्मों से दूर रखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान् नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने को उत्तेजित करता रहता था।

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं—धर्मा, सत्य, दम (मानस समय), शौच, दान, इन्द्रिय-सयम, अहिंसा, गृहशुश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, मुक्ति)। उन आधुनिक लोगों को, दे या जिनके विश्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्यता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्तार एवं निरर्थक से लगते हैं या सर्वज्ञा हिल-भे उठे हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रचि अथवा प्रवृत्ति को यो ही अन-गल नही समझना चाहिए।

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों में 'तीर्थ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा—'तीर्थं नार्यं पीस्थानि तस्यु' (ऋ० १।१६९।६), 'तीर्थं नाच्छा तातृणामोको' (ऋ० १।१७३।११), 'करत्र इन्द्र मुनीर्यानि य च' (ऋ० ४।२९।३)। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (उबला स्थान) है, यथा—'मुतीर्थमवतो ययानु नो नेपथा मुगम्' (ऋ० ८।४७।११), 'अरिच वा दिवस्पृधु तीर्थं सिन्धूना रथ' (ऋ० १।४६।८)। ऋ० (१०।३।१३) की उक्ति 'तीर्थे न दत्त-मुप यन्त्युमा' में 'तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।११।३७) की 'मुवास्तु अथि तुग्वनि' की व्याख्या में निरुक्त (४।१५) में कहा है कि 'मुवास्तु' एक नदी है और 'तुग्वन' का अर्थ है 'तीर्थ' (सरण-स्थान या पवित्र-स्थल)। तै० स० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल)

कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे।

४. धर्मा सत्य दमः शौच दानमिन्द्रियसयमः। अहिंसा गृहशुश्रूषा तीर्थानुसरण दया ॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्। अनन्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७)। देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।८०।१-४) जहाँ अहिंसा, सत्यवचन, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १, जहाँ प्रान्तिपर्व, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं।



पर स्नान करना चाहिए।<sup>१६</sup> तै० सं० (४।५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६।१६) में रुद्रों को तीर्थों में त्रिचरण करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और संध्याएँ (समुद्र के) अगाध तीर्थ हैं।<sup>१७</sup> तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 'उत्कर' एवं 'चात्वाल' (गड्ढा) के बीच पड़ता है।<sup>१८</sup> और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९।

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं, यथा—स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसाधना करने आदि के लिए) रहने के कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विलक्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।<sup>१९</sup> ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों ने तीर्थों की संज्ञा दी, तीर्थ हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत् पुरुष पुण्यार्जन के लिए रहते थे, वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य बात महान् पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।<sup>२०</sup>

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया गया है और उन्हें दैविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाहर्ण माना गया है।<sup>२१</sup> ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया है—'ता आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात् 'दैवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७।४९।१) में जलों को 'पुतानाः' (पवित्र करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०।९ एवं १०।३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को सम्बोधित हैं।<sup>२२</sup> वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक् मार्ग से हटने के फल-

५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवहन्धे तीर्थे स्नाति। तै० सं० (६।१।११।१-२)। इस उक्ति के विवेचन के लिए देखिए जैमिनि० (३।४।१४-१६)।

६. समुद्रो वा एष सर्वहरो यदहोरात्रे तस्य हेतुे अगाधे तीर्थे यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाभ्यां तीर्थोभ्यां समुद्र-पतीयात्तादृक् तत्। शां० ब्रा० (२।९)।

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्कामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्थमाप्नानं नाम। शां० ब्रा० (१।८।९)।

८. यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित् पुण्यतमाः स्मृताः॥ प्रभावा-दद्भुताद् भूमेः सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता॥ पद्म० (उत्तरखण्ड, २३।७।२५-२७); स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४३-४४); नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७)। ये श्लोक कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ७-८) द्वारा महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीर्थप्रकाश (पृ० १०) ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०।८।१६-१८)।

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाश्रितो भूप भूमिभागस्तथोच्यते॥ स्कन्द० (१।२।१३।१०); यद्धि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं धर्मसिद्धये। तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तीर्थं प्रचक्षते॥ स्कन्द० (पृथ्वीच०, पाण्डुलिपि १३५)।

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १।

११. इदमपः प्रवहत यत्किं च दुरितं मयि। यद्वाहमभिदुद्रोहं यद्वा शेष उतानृतम्॥ ऋ० (१०।९।८)।

स्वरूप सन्निह दोषों एवं पापों में छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० स० (२।६।८।३) ने सन्निहोष किया है कि सभी देवता जलो में केन्द्रित है (आपो वै सर्वा देवता)। अथर्ववेद (१।३३।१) में जलो को शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और मुक्त देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।<sup>१३</sup> ऋग्वेद (५।५३।९, १०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है।<sup>१४</sup> ऋ० (१०।१०।४।८) में इन्द्र को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१।३२।१४)। ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात् २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण के मत से वे तीनों नदियाँ सात सात के तीनों दलों में पृथक् रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, १।३४।८, १।३५।८, २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७ एवं १०।४३।३) में सात सिन्धुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, (६।२।१) में भी ऐसा आया है—'अपा नपात् सिन्धव सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कही गयी हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में जाया है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८)।<sup>१५</sup>

१२. हिरण्यवर्णा शुचयः पावका यासु जातः सचिता यास्वग्निः। या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ अथर्व० (१।३३।१)।

१३. इम मे गगे यमुने सरस्वति शत्रुद्रि स्तोम सचता पश्यन्त्या। असिक्न्या महद्बधे विस्तस्यपाज्जोकीये मुगुह्या मुयोमया ॥ लुप्ता मया प्रथम यातवे सजूःसुसत्वा रसया श्वेत्या त्या। त्व सिन्धो कुभया गोमतीं श्रुमु मेहल्वा सरय याभिरौपसे ॥ ऋ० (१०।७५।५-६)।

सारा का सारा तर्क कतिपय अप्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती की स्थितियों को आरम्भिक वैदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में सरस्वती उतनी ही विशाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और नृचाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण यह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बँडो, कौन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है कि ६६ एवं ७७ मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में जिनकी सहायियों का अन्तर उन्होंने प्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदकाल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक दो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना बर्धन है। पुराणों में सरस्वती को एक पक्ष शूक्ष्म से निचली हुई माना गया है, कुदक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहस्रों पहाड़ियों को तोड़ती-कोड़ती इत वन में प्रवेश करती हुई बराहिया गया है। देखिए वामनपुराण (३।२।१-४)—'तया शंलसहस्राणि विदार्य च यद्वा नदी। प्रविष्टा पुष्पतोषिया वनं व्रतमिति धृतम् ॥'

प्रचण्ड एवं गर्जनयुक्त सरस्वती की बाढ़ों और नान्तिगाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी का उल्लेख ऋ० (६।६।१२ एवं ८) में हुआ है।<sup>१५</sup> ऋ० (७।१६।१) में सरस्वती को नदियों में अर्जुनी (देवी उत्पत्ति वाली) कहा गया है। दृषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४)। ऋ० (२।४।१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति)। ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रसंगा नदी एवं देवी के रूप में, पांचक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं सत्यपूर्ण नद्यों को कहलानेवाली, नद्विचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते हुए की है।<sup>१६</sup> ऋ० (७।१५।२, ७।४।२ एवं १।७।१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात ज्ञात थी कि सात नदियां समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियां निम्न थीं—निन्धु, पंजाब की पांच नदियां एवं सरस्वती। इन उचितियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७।५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में रेतीले स्थलों में अन्तर्हित हो गयी। बहुधा आज उद्ये सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती है। वाज० सं० (३।४।११) का कहना है कि पांच नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं।<sup>१७</sup> प्राचीन काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा—(१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा (३) अर्यमा के लिए। जहां सरस्वती पृथिवी में नमा गयी उसके दक्षिणी सूये तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।<sup>१८</sup> प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य

१५. इयं शुष्मेभिर्विसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिर्हामभिः। ऋ० (६।६।१२); यस्या अनन्तो अहूतस्त्वेपश्चरिण्णुरणवः। अमश्चरति रोरुवत् ॥ ऋ० (६।६।१।८)। निरुवत् (२।२३) में आया है—'तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत् देवतावच्च निगमा भवन्ति', और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६।१२) में सरस्वती नदी के रूप में वर्णित है।

१६. चौदवित्री सूनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। ऋ० (१।३।११-१२)। देखिए निरुवत् (१।१।२७)।

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रोत्सः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित् ॥ वाज० सं० (३।४।११)।

१८. सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते। . . . दृषद्वत्या अप्येऽपोनप्त्रीयं चरं निरुप्याथातियन्ति। चतुश्चत्वारिंशदाव्वीनाति सरस्वत्या विनशनात् प्लक्षः प्रास्त्रवणस्तावदितः स्वर्णो लोकः सरस्वतीसंमितेनाध्वना स्वर्गलोकं यन्ति। . . यदा प्लक्षं प्रास्त्रवणभागच्छन्त्यथोत्यानम्। . . . कारपचवं प्रति यमुनाभवभूयमभ्यवयन्ति। ताण्ड्य० (२।५।१०।१, १५, १६, २१ एवं २३)। मनु (२।१७) ने ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश (२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनशन के लिए देखिए वी० घ० सू०, वनपर्व एवं शल्पपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। डा० डी० आर० पाटिल ने अपने ग्रन्थ 'कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण' (पृ० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद्धों एवं जैनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। किन्तु यह सर्वथा भ्रामक बात है। ब्राह्मणों एवं शीतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्थस्थान थे जहाँ सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ धार्मिक कृत्यों का सम्पादन ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है।

ब्राह्मण (के क्रमशः २५।१०, २५।११ एव २५।१२ अश)। विनशन एव प्लक्ष-प्राग्वयण (जो सरस्वती का उद्गम-स्थल है) के बीच ही भूमि गारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। सरस्वती एव दुपूनी के मगम (पश्चिम प्रयाग) पर 'जपा नपात्' द्रष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पत्र थापल (चर्च) की जाहूति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त-हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्राग्वयण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया जाता था। जब सत्र के सम्पादन-नर्तन प्लक्ष-प्राग्वयण तक पहुँचें तब उन्हें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचय देस से होकर बहती है, अवभृय स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, चाहे उसमें जल ही तब भी नहीं)। विस्तार के लिए देगिए कात्यायनश्रीनयूय (१०।१५-१९), जिसने कुक्षत्र म 'परीण' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्निवाँ स्थापित होती थी (अर्थात् जहाँ श्रौत यज्ञ किये जाते थे), आस्य० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फँकी गयी एक शम्भा की दूरी पर यज्ञमानो द्वारा एक दिन बिताया जाता था, कात्यायनश्री० सू० (२४।५-६), विनमं आया है कि

वह ब्राह्मण नदी या शक्ति दासीपुत्र था। उसे बाहर निवालाकर मधुभूमि में इसलिए उल दिया गया कि वह प्यास से तड़प-तड़पकर मर जाय। किन्तु उनसे ऋ० (१०।३० 'प्र देवना ब्रह्मणे') के मूलत-नाठ के रूप में जल या 'अपा नपात्' की स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपूनीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ क्वथ खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात् 'परिसरक' कहा गया।<sup>११</sup> इमसे प्रबट होता है कि एतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को मारस्वत तीर्थों के नाम से पुकारा है।<sup>१२</sup>

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवत कहा गया है कि पर्वतो की घाटियाँ एव नदियाँ के सगम पवित्र हैं।<sup>१३</sup> प्राचीन लोगो ने पर्वतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पर्वतसिख को पवित्र पर्वतों में गिना जाता था और आलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद म पर्वत को इन्द्र का समुक्त देवना कहा गया है—हे इन्द्र एव पर्वत, आप लोग हम (हमारी बुद्धि का) पवित्र कर दें' (ऋ० १।१२२।३), 'हे इन्द्र एव पर्वत, आप दोनों युद्ध में आये होकर अपने वज्र से सेना लेकर आनमण करनेवालों का मार डालें' (ऋ० १।१३२।६)। ऋग्वेद (६।४९।१४) म एक स्तुति पृथक् रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है—'देवता जह्रिर्वुज्य, पर्वत एव सविता हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विषादा (आधुनिक व्यास) एव श्रुतुती को

१९ यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थों का उल्लेख करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ की चर्चा की है जो तीन करोड़ तीर्थों की पवित्रता को अपने में समाहित करता था (श्लोक ७५-७६)। यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ ही है।

२०. प्लक्षप्रग्वयण बृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीर्थ कौबेर वंजयन्त पृथूरुक्त नर्मिस विनशनं वशोद्भवे प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तीर्थकल्पतट, पृ० २५०)।

२१. उपह्वरे गिरीणा सगथे च नदीनाम्। धिया विप्रो अजायत ॥ ऋ० (८।६।२८)। वाज० त० (२६।१९) ने 'सगमे' पढ़ा है।

पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथर्ववेद (४।१।९) ने हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है—'वह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य० (१।३।११५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र आया है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, गोशाला एवं देवों के मंदिर।<sup>३३</sup> वायु० (७७।११७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के सभी भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वांगिक पवित्र है।<sup>३३</sup> पद्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१)

२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या ह्यदास्तीर्थान्यृषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ० (१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं बौ० ध० सू० (३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति' पाठान्तर आया है)।

२३. सर्वे पुण्यं हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः। समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः ॥ वायु० (७७।१।१७); सर्वत्र हिमवान् पुण्यो गंगा...न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्राश्च विशेषतः ॥ कूर्म० (२।३७।४९५०)। 'राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९)। सर्वे प्रस्रवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोच्चयाः। नद्यः पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥ शंख (८।१४ जिसमें 'सरांसि च शिलोच्चयाः' पाठ आया है); तीर्थप्रकाश (पृ० १४)। सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुण्यं सर्वे पुण्या वनाश्रमाः ॥ (तीर्थकल्प०, पृ० २५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वराश्रयाः' पाठ-भेद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं—महेन्द्रो मलयः सह्याः शुकितमानूक्षपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वासन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) एवं ब्रह्म० (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसूत्र (३।८१) में आया है—'तत्रापि रैवतकविन्ध्यसह्याकुमारमलयश्रीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः।' नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है—'महेन्द्रो... ऋक्षवानपि। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च न विनश्यन्ति पर्वताः ॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पर्वतों के नाम लिये हैं—'हिमवान्हेमकूटश्च निषधो नीलएव च। श्वेतश्च शृंगवान् मेरुमलियवान्गन्धमादनः। नवैतान् शैलनृपतीन्नवम्यां पूजयेन्नरः ॥' (पर्वताष्टमोव्रत)। ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों के विषय में यों लिखा है—'तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः ॥' कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा—देवीपुराण (कल्प०, तीर्थ, पृ० २४२) में आया है—'कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गंगायमुत्सवम्। मार्गे तु ग्रहणं पुण्यं देविकायां महामुने ॥ पौषे तु नर्मदा पुण्या माये सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरणा ख्याता चैत्रे पुण्या सरस्वती ॥ वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आपादे तापिका नदी ॥ श्रावणे सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डकी। आश्विने सरयूश्चैव भूयः पुण्या तु नर्मदा ॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते ॥' विष्णुधर्मसूत्र (८५) में आया है—'एवमादिष्वथान्येषु तीर्थेषु सरिद्वरासु सर्वेष्वपि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पर्वतेषु निक्कुञ्जेषु वनेषूपवनेषु गोमयलिप्लेषु मनोज्ञेषु।'

म हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। नागवत (५।१० १६) ने पुनीत पवतो के २७ एव ब्रह्माण्ड (२।१६।२० २३) न ३० नाम स्थि हैं।

हिमालय पर्वतो प्रायदायिनी विगाळ जगिया एव बड बना की सौन्दर्यगोभा एव गरिमा सभी लोगों के मन को मुग्ध कर ली है और यह साचन को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दबी मत्ता है और ऐसे परिवेश में परम ब्रह्म आंगिक रूप में अभिव्यजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एव अमेरिका में कदाचित ही कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हा इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने स्वास्थ्य-लाभ के लिए प्राकृतिक गामा के लानाव एव मज्जुल जीवन से हटकर सके वातावरण में भ्रमणाय जाते-जाते हैं। किन्तु आज भी तीर्थस्थान में रोग निवारण जाना देने में जाता है। डॉ० जयकिशोर करल जो एक प्रसिद्ध गत्य चिरिभक्त एव नोबेल पुरस्कार विजिता है के ग्र ४ ए जर्नी ट ग्रीडस में फ्राम में स्थित लीडस में प्रबुट हुए चमत्कारी के वणन से पश्चिम की ओरों में तीर्थयात्रा का विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महामयो में मारे गये अज्ञान गृहीतो का समाधिया की तीर्थयात्रा भी इन लिनो आरम्भ हो गयी है।

ऋ० (१०।१४६।१) में विगाळ वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। बामन पुराण (३।४। ५) ने कुरुक्षत्र के मान वनो को पुण्यप्रद एव पापहारा कहा है जा ये हैं—काम्यकवन अधिविवन व्यासवन फलकीवन सूयवन मधुवन एव पुण्यशीतवन। \*

सूना एव मनस्मूनि तथा मान० जसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों का कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी है। किन्तु महाभारत एव पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों में वक्कर माना गया है। वनपर्व (८२।१३ १७) में तैवयना एव तीर्थयात्रा की तुलना की गयी है वनों में बहुत-से पात्रा यज्ञा मन्मत्त-सचन पुराहितों का सहयोग पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है जत उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या धनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निवनों द्वारा विधुरों असहयोग मित्रविहीन द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। तीर्थयात्रा द्वारा जा पुण्य प्राप्त होते हैं वे अभिष्टोम जैसे यज्ञों द्वारा जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पडती है प्राप्त नहीं हो सक्त अत तीर्थयात्रा यनों से उत्तम है। किन्तु वनपर्व (८२।९ १२) एव अनासनपर्व (१०।८। ३ ४) ने तीर्थयात्रा से पूण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक गणों पर बहुत बल दिया है एसा कहा गया है—जिसक ह्यय पाव मन मुनयत हैं जिसे विद्या तप एव कीर्ति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूण) फल प्राप्त

२४ गूणु सत्ता वनानीह कुक्षस्य मध्यत। यथा नामानि पुण्यानि सबपापहराणि च ॥ काम्यक च वन पुण्यम०। बामनपुराण (३।४।३ ५)।

२५ ऋषिभि क्रमव प्रोक्ता दक्षिण यथाक्रमम। फल च यथातप्य प्रत्य चह च सवग ॥ नत गव्या दरिद्रण यज्ञा प्राप्त महीषत। बहुषकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तरा ॥ प्राप्यन्त पाण्डुरत समद्वर्षा नर वधित। नार्दयूनर्नायगणरका-मभिरसाधन ॥ यो दरिद्ररपि विधि गव्य प्राप्त नरद्वर। तुल्यो यज्ञफल पुण्यस्त निबोध यथा वर ॥ ऋषीणा परम गह्यमिद भरतसत्तम। तीर्थभिगमन पुण्य यज्ञरपि विशिष्यन् ॥ महाभारत। (वनपर्व ८२।१३ १७) तीर्थकल्पवच (५० ३७) तीर्थप्र० (५० १२) ने व्याख्या की है—अवग तनादिसहृष्यरहित यज्ञस्य कुष्ठमप्यपि साध्यत्वात् एका-मभि पत्नीरहित असह्य ऋषिनादिसघातरहित। और दक्षिण अनुनासनपर्व (१०।७।२ ४) मत्स्यपुराण (११।२।१२ १५) पंचपुराण (आदिखंड ११।१४ १७ एव ४९।१२ १५) एव विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७।३।४-५)।

कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहंकार से रहित है, वह तीर्थफल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवञ्चना या कपटाचरण से दूर) है, निरारम्भ है (अर्थात् धन कमाने के लिए भाति-भाति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशील है, दृढव्रती है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाला है, वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है।<sup>१५</sup> इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है—'जिसका शरीर जल से निम्न है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्त है (अर्थात् उसमें डूबा हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा सकता है।' यही बात अनुसामनपर्व (१०८।९) में भी कही गयी है।<sup>१६</sup> वायुपुराण में आया है—'पापकर्म कर लेने पर यदि धीर (दृढमरुत या बुद्धिमान्), श्रद्धावान् एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो उसके विषय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध ह ? किन्तु जो अश्रद्धावान् है, पापी है, नास्तिक है, सशयात्मा है (अर्थात् तीर्थयात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति सशय रखता है) और जो हेतुदृष्टा (व्यर्थ के तर्कों में लगा हुआ) है—ये पांचो तीर्थफलभागी नहीं होते।<sup>१७</sup> स्कन्द० (१।१।३।१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भाति-भाति के दान मन की शुद्धि के साधन हैं (अर्थात् इनसे पाप कटते हैं)। पद्म० (४।८०।९) में आया है—'यज्ञ, व्रत,

२६. यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ परिग्रहादुपावृतः सन्तुष्टो येन केनचित् । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥ अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ वनपर्व (८२।९-१२) ; तीर्थकल्पतरु (पृ० ४-५) ; तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । हस्तयोः संयमः परपीडा चौर्यादिनिवृत्त्या, पादयोः संयमः अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिवृत्त्या, मनसः संयमः कुतिसतसंकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अत्र तत्तत्तीर्थगुणज्ञानम्, तपः तीर्थोपवासादि, कीर्तिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धिः । तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । अकल्ककः दम्भरहितः, निरारम्भोऽत्रार्थार्जनादिव्यापाररहितः । तीर्थकल्पतरु (पृ० ५) । और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । ये वनपर्व के श्लोक पद्म० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म० (उत्तरखण्ड, २३।७।३०-३२) में आये हैं; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं; वायु० (१।१०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। 'यस्य हस्तो च' नामक श्लोक शंखस्मृति (८।१५), ब्रह्म० (२।५।२) एवं अग्नि० (१०।९।१-२) में भी पाया जाता है। स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से 'यस्य...संयतम् । निर्विकाराः क्रियाः सर्वाः स...श्नुते' वाली गायत्री अंगिरा ने गायी है ।

२७. नोदकविलग्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स ब्राह्मणभ्यन्तरः शुचिः ॥ अनुशासन० (१०८।९) ।

२८. तीर्थान्धनुसरन् धीरः श्रद्धवानो जितेन्द्रियः । कृतपापो विशुध्येत किं पुनः शुभकर्मकृत् ॥ अश्रद्धावानाः पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः । हेतुदृष्टा च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ वायु० (७।१।२५ एवं १२७) ; तीर्थकल्प० (पृ० ५-६) ; वाचस्पतिकृत तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४), जिसमें आया है—पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य पापज्ञानं तीर्थं भवति न तु यथोक्तफलम् । ये श्लोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६।५२-५३) में भी आये हैं ।

जप एव दान कलियुग मे भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते किन्तु गंगा-स्नान एव हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के दोषो से मुक्त हैं। विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है—जब तीर्थयात्रा की जाती है तो पापी के पाप कटते हैं सज्जन की धमवर्द्धि होती है सभी वर्गों एव आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है।<sup>१</sup>

कुछ पुराणों (यथा—स्कन्द० काण्वखण्ड ६ पद्य० उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भीम तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एव सुन्दर गोल आचार भी हैं जिन्हें (आलम्बारिक रूप से) मानस तीर्थ वहा जाता है। उनके अनुसार सत्य क्षमा इन्द्रियसयम दया (सभी प्राणियों के प्रति) ऋजुता दान आत्मनिग्रह सन्ताप ब्रह्मचर्य मशवाणी ज्ञान धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन गुद्धि है। उनम यह भी आया है कि जो लोभी दुष्ट क्रूर प्रवञ्चक कपटाचारी विषयासक्त हैं वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एव अपवित्र रहते हैं। क्योंकि मछलिया जल में जम गेती हैं वहीं मर जाती है और स्वर्ग को नहीं जाती क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते—यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान यज्ञ तप स्वच्छता तीर्थयात्रा एव विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता।<sup>१</sup> ब्रह्मपुराण (२।५।४ ६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता जिस प्रकार वह पात्र जिसमें सुरा रबी गयी थी सैकड़ा वार धोने से भी अपवित्र रहता है उसी प्रकार तीर्थ दान व्रत आश्रम (में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते जिसका हृदय दुष्ट रहता है जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रिया असयमित रहती हैं। जितद्रिय जहा भी कही रह वहीं कुक्षुधन प्रयाग एव पुष्कर ह। वामनपुराण (४३।२५) में एक सुन्दर रूपक आया है—आत्मा सयमरुधी जल स पूण नदी है जो सत्य स प्रवहमान है जिसका गोल ही तट है और जिसकी लहरें दया है उसी में गाता लगाना चाहिए अन्त करण जल से स्वच्छ नहीं होता।<sup>१</sup> पद्य० (२।३९। ५६ ६१) ने तीर्थों के जप एव परिधि का विस्तृत कर लिया है—जहाँ अग्निहोत्र एव श्राद्ध होता है, मन्दिर वह घर जहाँ वैदिक अध्ययन होता है गोमाला वह स्थान जहाँ मोम पीनेवाला रहता है वाटिकाए जहाँ अस्पृश्य बस रहता है जहाँ पुराण-पाठ हाता है या जहा किसी ना गरु रहता है या पतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एव याग्य पुत्र का निवास होता है—वे सभी स्थान (तीर्थ जसे) पवित्र है।

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थों एव पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य० (१।१०। ७) नारदीय० (उत्तर ६३।५३ ५४) एव पद्य० (४।८९।१६ १७ एव ५।२०।१५०) बराह० (१।५।६ ७) ब्रह्म० (२।५।७-८ एव १७।५।८३) आदि में तीर्थों की संख्याए दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु न पावित किया है कि ३५ कोटि ताप हैं जा आवाग अन्तरिक्ष एव भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित मान जात हैं। वामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड किग हैं। ब्रह्म० (२।५।७ ८) का कहना है कि तीर्थों एव पुनीत धार्मिक

२९ पावाना पापगमन धमवृद्धिस्तथा सताम्। विज्ञय सेवित तीर्थ तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥ सर्वेषामेव धर्मानां सर्वाधमनिवासिनाम्। तीर्थ फलप्रद जप नात्र कार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।७ एव ९)।

३० सत्य तीर्थ क्षमा तोर्व तीर्थानामुत्तम तीर्थ किंगुद्धिमनस पुन ॥ जायते च म्रियते च जलेत्वेव जलोरुसः। न च गच्छन्ति ते स्वामिधिगुडमनोमला ॥ दानमिज्या तप गीच तीर्थसवा धृत तथा। सर्वाभ्यानाम् तीर्थानि यदि भावो न निमलः ॥ हरुव० (काण्वखण्ड ६।२८ ४५) पद्य० (उत्तरखण्ड २३७।११ २८)। मिलाइए मत्स्य० (२२।८०—सत्य तीर्थ दया तोवम )।

३१ आत्मा नरो सयमनोवपुर्था स पावहा गोलतटा दयोमि। तत्राभिवरु कुछ पाण्डुपुत्र न वारिणा गुध्मनि धान्तराराम ॥ वामनपुराण (४३।२५)।



स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन है कि पृथिवी पर नैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, कुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और दस सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों) ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निवन्धकारों ने स्वर्चि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निवन्धकारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे हैं। नृसिंहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थों पर ही लिखा है, यथा—सेतुवन्ध, पुण्डरीक (आधुनिक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्या, नर्मदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं इसके उप-तीर्थों के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, माहात्म्यों एवं निवन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभिलापाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूर्वक देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (५वाँ खण्ड, २७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्व (८३।१४५) ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों किया है—‘सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।’<sup>१३</sup> वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म० (१।३।१।६४) में आया है—‘वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।’ अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता।<sup>१४</sup> यही बात लिंगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है—‘चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त

३२. त्रिभिः सारस्वतं तीर्थं सप्ताहेन तु यामुनम् । सद्यः पुनाति गांगेयं दर्शनादेव नामन्दम् ॥ पद्म० (आवि-  
खण्ड १३।७); मत्स्य० (१८६।११) । अभिलषितार्थचिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान बात पायी जाती  
है—‘सरस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभिर्भयमुनाघहृत् । जाह्नवी स्नानमात्रेण दर्शनेनैव नर्मदा ॥’

३३. आ देहपतनाद्यावत्क्षेत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवर्तते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं  
देवं न स भूयोभिजायते । मत्स्य० (१८२।१६-१७); तीर्थकल्प० (पृ० १७ ने ‘प्राकृतश्च’ पाठान्तर दिया है, जिसका

हो सकती है ब्रह्मज्ञान गयाथाइ छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायो को बचान म मरण कुर १त्र म निवास । जो कुश्मत्र मे भर जाते हैं वे पुन पथिवी पर लौटकर नही आते हैं ।<sup>१</sup> कागी म निवास भात्र की इतनी प्रशमा के विषय म मत्स्य० ( १८१।२३ ) अग्नि० ( ११२।३ ) एव अन्य पुराणो ने इतना कह डाला है कि कागी मे जान के उपरान्त व्यक्ति को अपने परो को पत्थर से कुचल डालना चाहिए ( जिससे कि वह अन्य तीर्थों म न जा सक ) और सदा के लिए कागी म ही रह जाना चाहिए ।<sup>२</sup>

ब्रह्मपुराण ने तीर्थों को चार कोटियो मे बाटा है—इव ( देवो द्वारा उत्पन्न ) आमुर् ( जो गय वनि जैसे असुरा स सबधित हैं ) आय ( ऋषियो द्वारा सस्थापित यथा—प्रभास नरनारायण ) एव मानुष ( अम्बरप मन कुरु आदि राजाआ द्वारा निर्मित ) जिनमे प्रत्येक पूववर्ती अपन अनुवर्ती से उत्तम है ।<sup>३</sup> ब्रह्मपुराण न विष्णु के दक्षिण की छ नणियो और हिमालय से निगत छ नदिया को देवतीर्थों मे सबसे अधिक पुनीत माना है यथा—गान् वरी भीमरथी तुगभद्रा वेणिका तापी पयोष्णी भागीरथी नमदा यमुना सरस्वती विणोवा एव वितस्ता । इनी प्रकार कागी पुष्कर एव प्रभान देवतीर्थ हैं ( तीर्थप्रकाश प० १८ ) । ब्रह्म० ( १७५।३१।३२ ) न दव आमुर् जाप एव मानुष तीर्थों को क्रम से वृत ( सय ) त्रता द्वापर एव कलि नामक यगो स सम्बधित माना है ।

उन लोगो के विषय म जो तीर्थयात्रा के अधिकारी है या इसके याग्य हैं पुराणा एव निबन्धान विग्न विवेचन उपस्थित किया है । वनपव ( ८२।३० ३१ एव तीर्थप्र० पृ० १९ ) म आया है कि व ब्राह्मण धर्मिय वप एव गद्ग जो तीर्थों म स्नान कर गेते है पुन जम नही लेते । वही ( ८२।३३ ३४ ) यह भी कहा गया है कि जा स्ना या पुष्प एक बार भी पवित्र पुष्कर म स्नान करता है वह जम से किये गय पापों से मुक्त हो जाता है । इसमें स्पष्ट है कि स्त्रियो को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था । मत्स्य० ( १८४।६६ ६७ ) ने जान कहा है कि नना प्रकार क वर्णों विवर्णों ( जिनकी कोद जाति या वण न हो अर्थात् जो अनातवण हैं ) चाण्डाला ( जिह मव लो पूजा की दृष्टि से देवत हैं ) और नाति भाति के रोगी एव वड हुए पापों से युक्त व्यक्तिया के लिए अनिमुक्त ( वाराणसा ) सबस बडी औरथ है और दक्षिण कम० ( १।३१।४२ ४३ ) तीर्थवल्स० ( प० २६ ) तीर्थप्रकाश ( पृ० १४० ) एव तीर्थचिन्तामणि ( प० १४० ) । वामन० ( ३६।७८ ७९ ) म जाया है—सभी आथमो ( ब्रह्मचर्य गृहस्थ ज्ञान

अथ सप्तरत्नव क्रिया गया है ) तीर्थचिन्तामणि ( पृ० ३४५ ) लिंगपुराण ( १।९२।६३ एव ९४ ) और स्कन्ध० ( काशीलख २५।६७ ) ।

३४ ब्रह्मज्ञान गयाथाइ गोप्रदे मरण नृवम् । वास पुसां कुड १त्र नृशितकृता चतुर्विधा ॥ ब्रह्मज्ञानप्राप्तानां कालेन पतनाद् भयम् । कुडपत्रनतानां च पतन नव विद्यते ॥ वामन० ( ३३।८ एव १६ ) । प्रथम त्तरु जात्र ( १०५। १६ ) एव अग्नि० ( ११५।५ ६ ) म भी आया है ।

३५ अशमना चरणो हृत्वा वसेत्कागीं न हिरत्येत् ॥ जनि० ( ११२।३ ) अनिमुक्त यज्ञ गवत्कृ करावि काल-पययान् । अशमना चरणो निस्था तत्र च नियम वज्रम् ॥ मत्स्य० ( १८१।२३ ) तीर्थवल्स० ( पृ० १६ ) अशमना चरणो हृत्वा चाराणस्यां वसप्रः ॥ कूर्म० ( १।३१।३५ ) तीर्थप्र० ( पृ० १४० ) ।

३६ चतुर्विधानि तीर्थानि स्वयं मर्ये रसातले । दैवानि मुनिगणैश्च आमुराध्यायवाणि च ॥ मानुषानि त्रिलोक्य विद्यमानानि मूर्तार्थिनः । ब्रह्मविद्यमन्त्रिषुवर्तिमान् दधनुष्यते ॥ ब्रह्म० ( ७०।१६ १९ ) तीर्थप्रकाश ( पृ० १८ ) त्रिसर्ग ब्रह्म० ७०।३० ५५ म उल्लिखित १२ नदियों अर्थात् देवतीर्थों क नाम दिय गय हैं । आर्य का अर्थ है जात्र । तीर्थों को ध्याय्या क लिए दक्षिण ब्रह्म० ( ७०।३३ ४० ) ।

प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर्थ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमोच्च व्यय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थ-यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, अध्याय ५९-६०), जहाँ कृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्मः स एव विफलो भवेत्, ५९।३३)। तीर्थचिन्ता-मणि एवं तीर्थप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है<sup>३७</sup>— 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, कीट, चींटियाँ, पक्षि-पशु आदि जब अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहाँ वे मानव-रूप में जन्म लेते हैं तथा अविमुक्त में जो पापी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में एक स्मृति-वचन है—'जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रव्रज्या (संन्यास-ग्रहण), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में)—ये छः स्त्रियों एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्थात् ये उनके लिए वर्जित हैं)।'<sup>३८</sup> इस कथन की व्याख्या की गयी है और कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर संकेत करता है, और शूद्रों के विषय में यह बात है, जैसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान् ब्राह्मणों की सेवा करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कर्तव्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन (व्यवहारमयूख, पृ० ११३) ने व्यवस्था दी है—'नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुण्यफल) से संबंधित है, जो बिना पित्त (श्वशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'<sup>३९</sup> इससे स्पष्ट होता है कि आरम्भिक काल में सभी वर्णों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थों में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता।<sup>४०</sup>

३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये वर्णसंकराः। स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ॥... शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः। नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्नरकं याति किल्विषी ॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४); मत्स्य० (१८।१।१९-२१); तीर्थचि० (पृ० ३४६)। तीर्थप्र० (पृ० १३९) ने कूर्म० को उद्धृत किया है और जोड़ा है—'नाविमुक्तमृतः कश्चिन्नरकं याति किल्विषी' कूर्म० (१।३१।३१-३४); तीर्थचि० (पृ० ३४६) एवं तीर्थप्र० (पृ० १३९)। यही श्लोक पद्म० (१।३३।१८-२१) में भी है।

३८. जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम्। देवताराधनं चेति स्त्रीशूद्रपतनानि षट् ॥ तीर्थप्रकाश (पृ० २१); त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह (पृ० २) में भट्टोजि ने इसे मनु की उचित कहा है।

३९. नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। विफलं तद् भवेत्तस्या यत्करोत्यीर्ध्वं देहिकम् ॥ कात्या० (व्य० मयूख, पृ० ११३)। हेमाद्रिकृत चतुर्वर्गचिन्तामणि (व्रत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का श्लोक माना है और 'ओर्ध्वं देहिकम्' को 'व्रतानि' के अर्थ में लिया है।

४०. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे। नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति ॥ वृहस्पति (कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १६९; स्मृतिच० १, पृ० १२२)।

केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं, एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर दल लिया है) कि पवित्र मन ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्वधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से बड़ी अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जात्रलि (एक ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोबाश सभी जाहृतियों एवं वनियों में पवित्रतम है, सभी नदिया सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पर्वतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जात्रलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अस्तित्व न बने (अर्थात् तीर्थों की खाज में देश-देशान्तर में न घूमे)। तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में अनमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियों एवं यज्ञ करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। जमिहोत्र के सम्पादन में उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा है—“जो व्यक्ति अपन धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोभ में पाना है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक जिनियों या पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता है जैसा कि ऊपर ब्रह्मण्यो कहा है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनो ऋण चुका देने चाहिए, उन्ने पुत्रों की जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।”

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में आया है कि वैदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्थों, मन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शीलिक को शुल्क नहीं लेना चाहिए, यदि वे इनसे शुल्क लेते हैं तो उन्हें लौटाना पड़ता था।<sup>१</sup> किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (९।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले वदमीरियों पर कर लगता था।<sup>२</sup> अनहिल्लवाड के राजा मिदराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा मो-नाथ के यात्रियों पर बाहुल्लोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द कर दिया। मुसलमान राजावा द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचार्य नामक एक बड़ विद्वान् ने शाहजहाँ के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी मुन्दर उक्तियाँ कही कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और

४१. गृहस्व दो प्रकार के होते हैं—शालीन एवं यायावर। यायावर गृहो वह है जो खेतों से अनाज कट जाने के उपरान्त गिरे हुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहीं करता, या जो बीरोहित्य कार्य, अध्यापन या दान ग्रहण में अपनी जीविका नहीं चलाता। वेलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋषों (देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए वेलिए यही, पण्ड २, अध्याय ७ एवं ८।

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुगृहणीनोर्यानुसारिणा नाविकः शीलिकः शुल्कमाददानश्च। तच्च तेषां ददात्। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३)।

उनको 'सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी।<sup>४४</sup> भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवीन्द्राचार्य को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभिनन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।<sup>४५</sup> होय-सल-राज नरसिंह तृतीय ने सन् १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि राजा ने हेव्वाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुलु, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे वे तुष्कों (मुसलमान वादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्राफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या २९८, पृ० ७१-७३)।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निबन्धों ने ब्रह्मपुराण के श्लोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।<sup>४६</sup> निबन्धों ने व्याख्या की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायु० (११०।२-३) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वेप धारण करना चाहिए, अर्थात् उसे ताम्र की अँगूठी तथा कंगन एवं कापाय रंग के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा—भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।<sup>४७</sup>

४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) पृ० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ द्वारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है।

४५. येन श्रीशाहिजाहानं नरपतितिलकः स्वस्थ वश्यः कृतोऽभूत्  
किंचावश्यं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिदाराशिकोहः।  
काशीतीर्थप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोक्षकहेतुः

सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुहस्तीर्थराजाधिराजः ॥ कवीन्द्रचन्द्रोदय (पृ० २३, संख्या १६९)।

४६. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सु संयतः स च पूर्वं गृहे स्वे । कृतोपवासः शुचिरप्रमत्तः सन्पूजयेद् भवित-  
न्नो गणेशम् ॥ देवान् पितृन् ब्राह्मणांश्चैव साधून् धीमान् पितृन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च । प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथैव देवान्  
पितृन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० पृ० ९); तीर्थचिन्तामणि (पृ० ६, 'सुसंयत इति पूर्वदिने कृतं क-  
भक्तादिनियमः'); तीर्थप्र० (पृ० २३ 'सुसंयतः पूर्वदिने कृतं कभक्तादिनियम इति केचित्, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति  
तु युक्तम्')। ये श्लोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड,  
६।५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३।७।३६-३८), ब्रह्म० (७६।१८-१९)।

४७. उद्यतश्चेद् गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कार्पटीवेपं कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम् । ततो ग्रामान्तरं  
गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम् ॥ वायु० (११०।२-३), तीर्थचि० (पृ० ७)। तीर्थप्रकाश (पृ० २९) ने व्याख्या की है—

साधनायां चरति गमयन् मुञ्चन् चरान् न विषय न विकल्पशास्त्रात् । अन्वयान् नरा देः । पद्य० एवं गता  
 । इव अतिशय माता देः । सात० १० (पृ० ११) । शिशुमुखा का यथा एव एव की दे और असाय का वैश्वानि  
 दृष्टयता है । पदना शक्ति निर्याता त गोमा यत पादिकु टा त का की शिशु त एव कुत्तर यत शाला है । अतु  
 मीय्य एव अतिशयता त इति यता न विषय उक्तमान का वात् मूत्र यता 'न का धरत त दी यता दे (पद्य  
 शास्त्र १।१।३।१६) । गमायान न गमय नी मुञ्चत ता धरता वा । ' यता त मूत्र तान क शिष्ट द्वि जत  
 यान प्रायश्चित्ता म भी मुञ्चत शिवा असाय ता (सं ११२२ गमय का अन्वय ६) । शर्वी शिवायि एव ता अन्वय  
 न स्मृतिमुच्यते न शिशु का एव दशात् उद्भूत शिवा है—प्रयाग म तीर्थयात्रा पर ' यता यः शिवा का मुञ्च पर यत  
 चरान् साक्षि शिशु असाय त/१।१' निवा० (या० ३।१२) । एव यता उद्भूत शिवा है—'यत् एव अन्वय  
 धन म भाता शिवा या मूक की मुञ्च पर शिवा अन्वय प्रारम्भ चरति गमय एव तान्वय म—'एत गत अन्वय वा  
 स्थाना म मन्वय यता पाणि । सात० १० एव सात० १० एव यता उद्भूत शिवा है—'युष्मात् शिवाय (उत्तर  
 पिनी या अन्वय) शिवा (उत्तरा सा एव नरा) एव यता का उद्भूत गमा शर्मा म मन्वय एव उत्तरा क इव  
 अन्वय यता पाणि । ' इत विषय म श्नात्त का शिवा उद्भूत मार एव यता शिवा एव यता यता का एव  
 दा अन्वय का उद्भूत म यता ता अन्वय एव यता साक्षि एव यता यता का एव  
 साक्षि का एव यता एव यता यता का उद्भूत यता शिवा अन्वय यता यता यता पाणि ।

कापटीवेप ताभ्रमुद्रानाभ्ररक्षणवायापयस्त्रपारणम् । तीर्थधन्तामधि म आया है कि यद्यपि ये जायद्वरतार्थ गमा-  
 यात्रा क विषय म वर्णित हैं किन्तु ये गमा तीर्थी क शिष्ट उपवृत्त हैं । यह नी साधक्य है कि कार्तिक का धारण यत्रा  
 म ही होता है न कि उत समय जब कि यत्रा भस्ने वनिक कृत्य चरता रहता है या यत्रा रहता है या यत्रा  
 सम्पादन करता रहता है ।

८८ तीर्थोपवासाः चतस्रि गिरसो मुञ्चन् तथा । गिरोगतानि पापानि यान्ति मुञ्चन्तो यत ॥ पद्य० (उत्तर  
 २३७।४५) एव स्क० (काशीशास्त्र, ६।६५) ।

४९ वास्करणु० (२।६।१७), साविरणु० (३।१।२।२३), शाशानना० (३।१।२) । साविरणु०  
 आया है—'प्रायः वापयेत् शिवायर्जं वेदात्मधुलोमनकानि ।'

५० मनुष्याणा तु पापानि तीर्थानि प्रतिगच्छन्तम् । कशानाधित्य तिष्ठन्ति तस्मात्सद्रूपन चरेत् ॥ पद्य०  
 (पाताल०, १९।२१) । उपवासदिने मुञ्चन्मपि । प्रयागे तीर्थयात्रायं पितृमातृविद्योगत । कचाना धन पुत्रि वृष  
 न विक्रयो भवेत् ॥ इति स्मृतिसमुच्चय धृतियण्डुलिविषयवचनात् । तीर्थचि० (पृ० ७) एव तीर्थप्र० (पृ० २८) । यं  
 'दलोक नारदीय० (उत्तर ६२।२८) वा है । शिवा (याज्ञ० ३।१७) ने उद्भूत शिवा है—'गगायां नास्करसत्र  
 मातापिनो गुरुं रोमं ती । आधानवाके सोमे च वपन सप्तम् मुस्मृतम् ॥' कुछ लोगों के मत से नास्करसत्र प्रयाग है और कुछ  
 लोगों के मत से वह कोशाक है । धर्मशास्त्र प्र वो म आधान सामान्यत आयाधान है । गर्भधान को नियक या गर्भा  
 धान ही कहा जाता है जत आधान को आयाधान ही कहना चाहिए । नास्करसत्र कोशाक है न कि प्रयाग । नत्स्य०  
 (१०।४।५ एव ११।१।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिश्र कहा है ।

५१ मुञ्चन् चोपवासश्च सधतीर्थेव्य विधि । चक्रवित्वा कुपक्षत्र विगाली वित्तो गयाम ॥ वायु० (१०।  
 २५) । इसे तीर्थचि० (पृ० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है और तीर्थप्र० (पृ० ५०) ने देवल एव स्क० का ।  
 और देविए तीर्थचि० (पृ० ३२), बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।१७), अग्नि० (११।५।७) एव नारदीय० (उत्तर ६२।४५) ।

आपस्तम्ब (श्लोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ० ३।२६३-२६४) आदि स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुल लंबाई में होता है। परा० मा० (२, १, पृ० २९१) ने 'एवं नारीकुमारीणाम्' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पर्य है 'वह स्त्री जो सधवा है'।<sup>१९</sup> यद्यपि स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संन्यासियों एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ-प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो धनवान् होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूँछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी मुण्डन नहीं होता।<sup>२०</sup> तीर्थन्दुशेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य है (अर्थात् किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर ऐसा नहीं करते।

पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा वैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ पर दिये गये जल-तर्पण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (वैलों वाला नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।<sup>२१</sup> कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीर्थचि० (पृ० ८) एवं तीर्थप्र० (पृ० ४५) ने एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि वैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी

५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः। वपनं नैव नारीणां... सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिद्वयम्। सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥ मिता० (याज्ञ० ३।२६३-२६४)। सर्वान् केशान्... मुण्डनं भवेत्। इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे श्रुतस्याकांक्षातीत्येनात्राप्यन्वयात्। प्रयागादावपि तासां द्व्यंगुलकेशाग्रकर्तनमात्रं वपनम्। तीर्थप्रकाश (पृ० ५०-५१)।

५३. गयादावपि देवेशि श्मश्रूणां वपनं विना। न क्षौरं मुनिभिः सर्वैर्निषिद्धं चेति कीर्तितम् ॥ श्मश्रुकेशवपनं मुण्डनं तद्विदुर्बुधाः। न क्षौरं मुण्डनं सुश्रु कीर्तितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५)। प्रयागव्यतिरेके तु गङ्गायां मुण्डनं नहि। वही (६।५२)।

५४. प्रयागतीर्थयात्रार्थं यः प्रयाति नरः क्वचित्। बलीवर्दसमारूढः शृणु तस्यापि यत्फलम् ॥ नरके वसते धीरे गवां क्रोधो हि दारुणः। सलिलं न च गृह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ ऐश्वर्यलाभमोहाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः। निष्फलं तस्य तत्सर्वं तस्माद्यानं विवर्जयेत् ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७)। और देखिए तीर्थचि० (पृ० ८, 'ऐश्वर्य-लाभमाहात्म्यम्'); तीर्थप्र० (पृ० ३३-३४); प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९२); कूर्म० (१।३७-४-५)। गंगावाक्यावली (पृ० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है—'मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण-स्यत्वाद् ऐश्वर्यमदमोहेनैव प्रयागगमनेपि दोषाभावः।'

आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।<sup>१५</sup> और देखिए पद्य० (४।१९।२७)। कूर्म० में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ो या खच्चरो से खीचे जानेवाले रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णुपुराण (३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एव आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में दण्ड लेकर चलना चाहिए।<sup>१६</sup> विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई अन्य साधन नहीं होता।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रिस्यलीखेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उपस्थित किया गया है।<sup>१७</sup> निष्कर्ष ये हैं—सकल्प में सभी आकाशित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एव पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एव काशी के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में, पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एव काशी के नाम अन्तर्हित रहते हैं) में सकल्प करना चाहिए, दूसरे रूप में, दक्षिण एव पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का सकल्प करना चाहिए, प्रयाग में काशी का एव काशी में गया का सकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम गया का, तब गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश (पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें केवल तीर्थयात्रामह करिष्ये<sup>१८</sup> कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है।

स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। अत्रि (५०-५१) ने कहा है—बह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गृह को उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं। पैडीनसि (तीर्थचल्प०, पृ० ११) का वचन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक पर) तीर्थयात्रा करता है उसे पौडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रमग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदर्शन आदि के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्धसि फल पाता है। देखिए प्राय० तरव (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), स्कन्द० (काशी०, ६।६३), पद्य० (६।२३।५३) एव विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७।१०)। इसी लिए परमात्मा को कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (धानियों की सुख-मुविषा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कूपों का

५५. गोयाने गोवध. प्रोक्तो ह्ययाने तु निष्फलम् । नरयाने तदर्थं स्यात् पद्भ्या तच्च चतुर्गुणम् ॥ गगामक्षित-तरंगिणी (पृ० १३), तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० । 'उपानद्भ्या चतुर्धा गोयाने गोवधादिकम् ।' पद्य० (४।१९-२७)।

५६. वर्षातिपादिके छत्रो दण्डो रात्र्यटवोपु च । शरीरत्राणकामो वै सोपानतकः सदा धनैः ॥ इति विष्णु-पुराणोपबचनेन निष्प्रतिपक्षसदाशब्दस्वरसात् तीर्थयात्रायामपि उपानत्परिधानमावश्यकमिति । तीर्थचि० (पृ० ८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एव नारदोपपुराण (उत्तर, ६२।३५) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७।१। ११-१२) में आया है—तीर्थानुसरणं पद्भ्या तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रफल समेतं ॥

५७. सकल्प इत प्रकार का हो सकता है—'ओं तत्सद्य प्रतिपदमश्वमेधयज्ञजन्मफलसमफलप्राप्तिकामोऽ-मुक्तोर्थायात्रामह करिष्ये ।'



निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभासखण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को धन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल का चौथाई भाग पाता है।<sup>५८</sup>

रघुनन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं—शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात् शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-सावुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), केश-शृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधमर्षण सूवत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह मलवाना, क्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तीर्थ की भवित, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों का दान, किसी को मारना-पीटना एवं तीर्थजल को तैरकर पार करना।

एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या-ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पृ० १०), तीर्थप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।<sup>५९</sup> और देखिए वायु० (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२।२३)। वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) होते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात् गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता (सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है।<sup>६०</sup> वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गरुड० में ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेनु गौएँ, कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु लोभवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरौहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर लिया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन

५८. यश्चान्यं कारयेत् शक्त्या तीर्थयात्रां तथेश्वरः। स्वकीयद्रव्ययानान्भ्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम् ॥ प्रभासखण्ड (तीर्थप्र०, पृ० ३६)। तीर्थं प्राप्यानुषंगेण स्नानं तीर्थं समाचरेत्। स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ शंख (८।१२); स्मृतिच० (१, पृ० १३२) एवं कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११)। और देखिए पद्य० (६।२३।४१-४२) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७।११०)।

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य माथुरं पूजयेत्सदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनस्तान् हि पश्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तान् हि। वराहपुराण (१६५।५७-५८)।

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्। तानेव भोजयेद्विप्रान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुषतया विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ?) ये प्रकल्पिताः। वायु० (८२।२५-२७)।

लिय। अग्निपुराण (११/१३०) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें माप दिया कि वे विद्यामूल्क होंगे और लालची हो जायेंगे।" इस पर ब्राह्मणा ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और अपनी जीविचा के लिए निमी साधन की माँग की। ब्रह्मा इधीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविचा का साधन गयानीय हागा जो इन लोभ के जन्त तक चलेगा और जो लोभ गया में धाढ करेगे और उनकी पूजा करेगे (अर्थात् उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे) वे ब्रह्मा की पूजा का फल पायेंगे। इसमें स्पष्ट है कि वायुपुराण के २म प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे ही विशेषताएँ थी जो आज हैं और उन्ताने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था। गयावाल ब्राह्मणों का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के पक्तिपुर ताश्रयत्र में पाया जाता है।"

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणा ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किमी अन्य के प्रवेश की गुजायन नहीं है। गयावालों के आपसी झगडे एव अन्य पुरोहितों से उनके झगडे इतलेड की प्रिवी कॉमिल बन गये हैं। बटूर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सबप्रथम पुन-पुना नदी के तट पर मूण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किमी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं।" स्वय गयावाल या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आमपास की वेदिना के पाम ले जाते हैं। पुरोहित को अद्यवट के पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुण की माला यात्री की अजलि पर रखता है, 'मुफल' घोषित करता है और उच्चरित करता है कि यात्री क गया जाने से पितर लोग स्वर्ग जायेंगे। अपने ही कुला म इस धर्म-व्यापार को सीमित रखने के लिए गयावाला ने बिल्क्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी किमी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। "यहाँ पर यह दत्तकप्रथा वाम्त्विक दत्तकप्रथा नहीं है। जत दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध अपने वाम्त्विक कुल से नहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गद्दियों का अधिकार पा लेता है (अर्थात् एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है)। प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके यजमानों के नाम एव पते रहते हैं,

उमी गयावाल-कुल के लोगो को ज

है। गयावाल अपन प्रतिनिधियों को च... ..

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीथ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विदाद है। वैदिक साहित्य को छोडकर, महाभारत एव पुराणों में कम से कम ४०,००० श्लोक तीर्थों, उपतीर्थों एव उनसे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपर्व (अध्याय ८२-१५६) एव शल्पवव (अध्याय ३५ ५४) में ही ३९०० के लगभग केवल तीथयात्रा-सम्बन्धी श्लोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० श्लोक (इसके सम्पूर्ण अर्थात् १३७८३ श्लोकों का लगभग अर्धांश) तीर्थों के विषय में है, पञ्च० के प्रथम पाँच तशुओं के

६१ स्थिता यदि गयाया ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविचिजिता यूय तूष्णायुक्ता भविष्यथ ॥  
अग्निपुराण (११/४।३६-३७)।

६२ 'श्रीबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ब्राह्मणहरिवासेन प्रतिगृहीतपञ्चशतोत्पत्तिकशेत्रपाठकाभिधान-शासनविनिमयेन।' देखिए एपिग्रंथिया इण्डिका, जिल्द—२१, पृ० २११ एव २१९।

६३. गरुडपुराण में आया है—वाराणस्या कृतधादस्तीर्थे शोणनदे तथा। पुन पुनामहानसा श्राद्ध स्वर्ग पितृप्रयेत् ॥

३१००० श्लोकां में ४००० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ श्लोक हैं जिनमें ३१८२ श्लोक तीर्थ के विषय में हैं (जिनमें १४०० श्लोक केवल मयुरा के विषय में हैं) और मत्स्य० के १४००२ श्लोकों में १२०० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीधर के कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की चतुर्वर्ग-चिन्तामणि का तीर्थखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाचस्पति (१४५०-१४८० ई०) की तीर्थचिन्तामणि; नृसिंहप्रसाद (लगभग १५०० ई०) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु (१५५०-१५८० ई०); टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई०) का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७० ई०) का तीर्थतत्त्व या तीर्थयात्रा-विविधतत्त्व; मित्र मित्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रकाश; भट्टोजि (लगभग १६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीर्थेन्द्रशेखर। बहुत-से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अन्नपूर्सिंह (वीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ-रत्नाकर सम्भवतः सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों पर भी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ हैं, यथा—विद्यापति (१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचार्य का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमदेशतत्त्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष-उल्लेख किया है।

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निबन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक घर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थ-यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; तब अपने गृह्यसूत्र के अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें धनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान धारण करना चाहिए। तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए (यह केवल गया की यात्रा में होता है)। अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्ण में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११) एवं तीर्थचि० (पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।

६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवैवर्तपुराण (ब्रह्म-खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है—आसनं वसनं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । पुष्यं चन्दनधूपं च दीपं नैवेद्यमुत्तमम् ॥ गन्धं माल्यं च शय्यां च ललितां सुविलक्षणाम् । जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ गन्धान्तत्पताम्बूलं विना द्रव्याणि द्वादश । पाद्यार्घ्यजलनैवेद्यपुष्पाप्येतानि पंच च ॥

## अध्याय १२

### गङ्गा

गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, बनसल, प्रयाग एवं वागी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अब स्थित हैं जत गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृथक्-पृथक् वणन उपस्थित किया जा रहा है।

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय म) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७।५।६-६) में सबसे प्रथम गंगा का ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४।३।१) में 'गाङ्गय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है 'गंगा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ।' शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं एतस्य ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे पर भरत दौष्यन्ति की विजयो एवं यज्ञा का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन गाथा का उल्लेख है— नाडपितृ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत का गन्ध म धारण किया, जिमने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अश्व भज।' महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं पुराणों (नारदीय उत्तराध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१४८, पद्य० ५।६०।१-१२७, अग्नि० अध्याय ११०, मत्स्य०, अध्याय १८० १८५ पद्य०, आदिखण्ड अध्याय ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ा प्रशस्तिजनक श्लोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७ १६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वणनों का थोड़ा जरा भी देना सम्भव नहीं है। अधिवाप्य भारतीयों के मन में गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप घर कर बैठ है—भौतिक एवं आध्यात्मिक। विशाल नदियों के साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता सल्लग्न हो ही जाती है। टलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय सम्करण, पृ० ४७७) में लिखा है— जिन्हे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र सस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी किया जाता है। गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्-पृथक् ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा मणश्वर (१३५० ई०) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावली, गणपति की गंगा भक्ति

है—

इसक को उती प्रकार जला देता है जिस प्रकार अग्नि ईंधन को। कृत युग में सभी स्थल पवित्र थे, व्रता में पुष्कर सबसे अधिक पवित्र था, द्वापर में कुशअश्व एवं कलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने

१ अधिवृष पयोता वषिष्ठे मूर्धप्रस्थात्। उरु कलौ न गाङ्गाय ॥ ऋ० (६।४।३।१)। अन्तिम पाद का अर्थ है 'गंगा के तटों पर जगी हुई घास या झाड़ी के समान।'

से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव। वह देश, जहाँ गंगा बहती है और वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।" अनुशासनपर्व (३६।२६, ३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य का फल देने में महान् हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९।३०-३१ एवं ४०।६४)।

भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हूँ (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०।३१)। मनु (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं कुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।<sup>१</sup> कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है (पद्म० ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा को विष्णु के वायें पैर के अँगूठे के नख से प्रवाहित माना है।<sup>२</sup> कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ल्लादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, चक्षुस् एवं सिन्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० २।१८।३९-४१ एवं पद्म० १।३।६५-६६)। कूर्म० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनन्दा, सुचक्षु एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है।<sup>३</sup> ब्रह्म० (७३।६८-६९) में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है।

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है—जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन दूर रहनेवाले लोग 'गंगा' नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।<sup>४</sup> भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया

२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुङ्गमः ॥ मनु (८।९२)।

३. वामपादाम्बुजांशुष्ठनखस्रोतोविनिर्गताम्। विष्णोर्विभक्तिं यां भक्त्या शिरसाहर्निशं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण (२।८।१०९); कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६१) ने 'त्रिवः' पाठान्तर दिया है। 'नदी सा वैष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्भवा' पद्म० (५।२५।१८८)।

४. तथैवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्। प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूर्म० (१।४६।३१)।

५. श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ गंगा गंगेति येनैमि योजनानां शतेष्वपि। स्थितेरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम् ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१); गंगा-

है।<sup>१</sup> मत्स्य०, कूर्म०, गरुड० एव पद्म० का कहना है कि गंगा म पट्टेचना सब स्थानों में सरल है केवल गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एव वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पट्टेचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुन जन्म नहीं पाते।<sup>१</sup> नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों में दुर्लभ है किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। वह व्यक्ति, जो चाह या अनचाह गंगा के पास पट्टेच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४)। कूर्म० का कथन है कि गंगा वायुपुराण द्वारा धोपित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एव पृथिवी में स्थित ३५ कराट पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है।<sup>१</sup> पद्मपुराण ने प्रश्न किया है—'बहुत धन के व्यय वाले यज्ञों एव कठिन तपों में क्या लाभ जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एव स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित है। नारदीय पुराण में भी आया है—आठ अंगों वाले योग, तपों एव यज्ञों से क्या लाभ? गंगा का निवास इन सभी से उत्तम है।<sup>१</sup> मत्स्य० (१०४।१४-१५) के दो श्लोक यहाँ वणन के योग्य हैं— पाप करनेवाला व्यक्ति भी सहस्रों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एव उनके दशन से व्यक्ति कम से पापमुक्त हो जाता है एव सुख पाता है, उसमें स्नान करने एव जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल को पवित्र कर देता है। काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी बाल शुभ हैं सभी देश शुभ हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं।

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति 'गा गता' (जो पृथिवी की जोर गयी हो) है। पद्म० (सृष्टि खंड, ६०।६८-६५) में गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है—'जो नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः।

पृ० १९८, गंगाया०, पृ० १२ एव गंगाभक्ति०, पृ० ९)। प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४) एव अग्नि० (११०।६) में आया है। गच्छस्तिष्ठञ्ज् जपन्ध्यायन भुञ्जन् जाग्रत् स्वप्न धवन्। य स्मरेत् सतत गंगा सोऽपि मुच्यते बन्धनात्। स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वार्ध २७।३७) एव नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७)।

७ सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसगमे ॥ तत्र स्नात्वा दिव याति ये मृतास्तेऽपुनर्भवा ॥ मत्स्य० (१०६।५४), कूर्म० (१।३७।३४), गरुड० (पूर्वार्ध, ८१।१-२), पद्म० (५।६०।१२०)। नारदीय० (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है—'सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिषु स्थानेषु चाधिका। गंगाद्वारे सगमे ॥ एषु स्नाता दिव भवा ॥

८ तिस्र कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरववोत्। विवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता ॥ कूर्म० (१।३९।८), पद्म० (१।४७।७ एव ५।६०।५९), मत्स्य० (१०२।५, तानि तं सन्ति जाह्नवि)।

९ किं पर्यं बहुविधाद्यं किं तपोभि सुदुष्करं। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुलसीभाम्यपूजिता ॥ पद्म० (५।६०।३९), किमष्टायेन योगेन किं तपोभि किमध्वरं। वास एव हि गंगाया सर्वतोपि विशिष्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, ३८।३८), तीर्थचि० (पृ० १९४, गंगायाम् ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९४)।

पद्म० (सृष्टि० ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है—पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, चाण्डाल एवं गुरुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, ६०।२५-२६)।

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) में आया है—गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु तीर पर नहीं, गंगालीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात् प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्वतों, पवित्र नदियों एवं तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी) किसी को उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तर्वृत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फैला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत रहता है।

अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के विषय में निबन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्यावली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी।” मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है—विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम

१०. तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्रे तीरे वासो न चेष्यते ॥ एकयोजन-विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटद्वयात्। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०)। प्रथम को तीर्थचि० (पृ० २६६) ने स्कन्दपुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है—“उभयतटे प्रत्येकं क्रोशद्वयं क्षेत्रम्।” अन्तिम पाद को तीर्थचि० (पृ० २६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। ‘गव्यूति’ दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः दो क्रोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार ‘गव्यूति’ दो क्रोश के बराबर है, यथा—‘गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्।’ वायु० (८।१०५ एवं १०।१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल = एक हस्त, ९६ अंगुल = एक धनु (अर्थात् ‘दण्ड’, ‘युग’ या ‘नाली’); २००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका) = गव्यूति एवं ८००० धनु = योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार ४ हस्त = धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु = क्रोश, ४ क्रोश = गव्यूति (जो योजन के बराबर है)। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५।

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ सद्यःपापप्रणाशपूर्वकं सर्वपुण्यप्राप्तिकामो गंगायाम् स्नानमहं करिष्ये। गंगावा० (पृ० १४१)। और देखिए तीर्थचि० (पृ० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वकालिक संकल्पों के कई विकल्प दिये हुए हैं।

स्नान की व्यवस्था होती है। बोर्ड त्रिमी रूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर मचना है या बिना इस विधि से भी स्नान कर सकता है। 'नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान् लागा को नीर्यंस्वल का ध्यान करना चाहिए। हाथ में दर्भ (कुस) लेकर, पवित्र एव मुद्ध होकर जाचमन करना चाहिए। चार बगहल स्वल का चुनना चाहिए और निम्न मन्त्र के साथ गया का आवाहन करना चाहिए, 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक निरन्तर गव पापा से मरी रहना बरना। स्वर्ग, अन्नरिक्ष एव पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं, हे जगत्पति गंगा, ये सभी देव तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनो (जानन्द देनेवाली) और नलिनो भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा बक्षा, पृथ्वी, विहगा, विद्बकाया, अमृत, दिवा, विद्याधरो, मुप्रशान्ता, दान्तिप्रदायिनी।'<sup>१३</sup> स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब तीनों लोकों में बहनेवासी गंगा पाम में चरती आयगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो)। व्यक्ति को उस जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ टप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एव जाचमन करके व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए और दा इवत एव पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के मनोप के लिए देवा, ऋषिया एव पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए।<sup>१४</sup> पश्चात् मूर्त्य का तमस्कार एव तीन बार प्रदक्षिणा कर तथा किमी ब्राह्मण, सोना एव गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपन घर, पाठान्तर के अनुसार) में जाना चाहिए।<sup>१५</sup>

१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के श्लोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने वही गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्य० (४८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय के आरम्भ में गंगा के सहस्र नामों की ओर संकेत किया जा चुका है।

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं—प्रधान एवं गौण। प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों एव पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अग के रूप में किया जाता है। नित्य नैमित्तिक काम्य त्रिविध स्नानमुच्यते। तर्पण तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम् ॥ ब्रह्म० (गंगाभक्ति०, पृ० १६२)। तर्पण स्नान एव ब्रह्मयज्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बंध-शाला के अनुसार होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुक्त जल से किसी तीर्थ-स्वल, गया में, पितृपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में किया जाता है। विषया भी किसी तीर्थ में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। सन्ध्याती ऐसा नहीं करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अजलि देवों, तीन ऋषियों की एव एक प्रजापति ('देवास्तृप्यन्ताम्' के रूप में) को वेता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से श्राद्ध में या अर्घ्य में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता है या भूमि पर छोड़ा जाता है—श्राद्धे हवनकाले च पाणिर्नकंन दीयते। तर्पणे तूभ्य कुशदिये एव विधि स्मृत ॥ नारदीय० (उत्तर, ५७।६२-६३)। यदि कोई विलुप्त विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न मन्त्रों के साथ (जो वायुपुराण, ११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एव कुश से मिश्रित जल की तीन अजलियाँ दे सकता है—'आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त देवविपितृमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीना सप्तद्वीपनिवासिनाम् ॥ आब्रह्मभुव-नाल्लोकादिमस्तु तिलोदकम् ॥'

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आह्निकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि सवन्धी कोई भी पुस्तक। 'धर्मराज', 'चिदगुप्त' के लिए देखिए बराहपुराण (अध्याय २०३-२०५)।



यहाँ का आगम है कि मत्स्य० (१०२।२-३१) के प्रयोग, जिसका निरूपण ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों के साथ मत्स्य० (प्रायः-तत्त्व० ८५।१६-४२ एवं मृत्पिण्डपत्र० ३०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समान के स्नान विधि का उल्लेख है।

इसमें हम जानें कि हम अज्ञ के आगम से ही जाना है कि विष्णुधर्मसूत्र और कर्मों में अस्थि-भस्म या कभी दूई अस्थियों का स्नान का प्रयोग या अन्य विधियों में प्रयोग करने की आवश्यकता थी। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि का वर्णन ऊपर कर दिया है, जो मूल रूपों का ही अंग ही जाना है। इस विधि में एक ही शरीर कुछ अन्तरों के साथ कई कर्मों में प्राया है। अस्थि-प्रवाह में जाना है—मृत अस्थि का स्नान होना है जब कि उन ही अस्थियों गंगा में डाली जाती है; और वह मृत के अन्त में अस्थियों का एक दूसरा भी प्रयोग है भवक अस्थि-प्रवाह में विधान करता है। 'आत्म-प्राणियों एवं प्राणियों की अस्थि-प्रवाह की भी जानी, किन्तु यदि उन ही अस्थियों भी गंगा में गड़ी हैं तो उनका स्नान होना है। जो अस्थि-प्रवाह में मत्स्य० के प्राये शरीर ऊपर किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के उद्यम को निर्धारण-विष्णु की प्रीति-मार्ग में ही जाना है। अज्ञानों का ही यह है—अस्थियों के अन्तर्गत को स्नान करना चाहिए; अस्थियों पर स्नान-विधि होना चाहिए, उन पर सोने का एक दूसरा, मरु-पूर्ण विष्णु स्नाना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी के पात्र में स्नाना चाहिए और इसके आगे स्नान दिया में देना चाहिए, तथा यह कहना चाहिए कि 'धर्म को नमस्कार'। इसके आगे स्नान में प्रयोग कर या कहना चाहिए 'धर्म (या विष्णु) मुझे प्रसन्न हों' और अस्थियों को जल में डाल देना चाहिए। अज्ञानों के स्नान करना चाहिए; याहू-निर्वाण सूर्य को देना चाहिए और किसी प्रायश्चित्त की स्नाना देनी चाहिए। यदि यह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है। और देविण-मत्स्य० (प्रायः-तत्त्व०, ३०।१२-४२) जाना यह विधि कुछ विचार रूप में वर्णित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की

१५. विष्णुपादाब्जसम्भूते नने त्रिवधामिनि । धर्मं प्रेतति विख्याते पापं मे हर जाह्वयि ॥ श्रद्धया भवितसम्पत्ते (त्रे ?) श्रीगार्तदेवि जाह्वयि । अमृतेनामृता देवि भर्गो रवि पुनोहि माम् ॥ स्मृतिव० (१।१३१) ; प्राय० तत्त्व० (५०२) ; त्वं देव सखितां नाथ त्वं देवि सखितां परे । उभयोः संगमे स्नात्या मुञ्चामि दुरिस्तानि वै ॥ यही । और देखिए पद्य० (मृत्पिण्डपत्र, ६०।६०) ।

१६. यावदस्ति मनुष्यस्य गंगायाः स्मृदति जलम् । तावत्त पुरुषो राजन् स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।१४—पद्य० १।३१।८०) ; अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है—'यावदस्तीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्वर्ष-सहस्राणि ... महीयते ॥' यही बात मत्स्य० (१०६।५२) में भी है। कूर्म० (१।३७।३२) ने 'पुत्रपत्य तु' पढ़ा है। नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है—'यावन्त्यस्तीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वै । तावद्वर्ष... महीयते ।' पुनः नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है—'यावन्ति नालोमाति गंगातोये पतन्ति वै । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ नारदोय० (पूर्वार्ध, १५।१६३)—'केशास्थिनखदन्नादच भस्मापि नृपसत्तम । नयन्ति विष्णुसदनं स्पृष्टा गांगेन वारिणा ॥

१७. स्नात्या ततः पंचगवने सितधा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम् । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पश्यन् दिशं प्रेतगणोपमूढाम् ॥ नमोऽस्तु धमयि वदन् प्रविश्य जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्या तयोत्तीर्य च भास्करं च दृष्ट्वा प्रदद्याद्य दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्थितस्य स्वर्गे गतिः स्यात् महेंद्रबुल्या । ब्रह्म० (तीर्थचि०, पृ० २६५-२६६ एवं तीर्थप्र०, पृ० ३७४) । गंगाचा० (पृ० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा—'यस्तु सर्वहितो विष्णुः स मे प्रीत इति क्षिपेत् ।' और देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५) ।

परम्परा सम्भवतः मगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। मगर के पुत्र कपिल ऋषि के ऋषि से भस्म हो गये थे और भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०)। नारदीय० के मत से न केवल भस्म हुई अस्थिया का गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी वन्द्याप होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता मानने में नहीं सलग्न रहते वे नरक में जात हैं।<sup>१६</sup> काशीखण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिना में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा— साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, सत्राति पर स्नान करने से मह्य गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।<sup>१७</sup>

### त्रिस्थली

प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान् प० नारायण भट्ट (जन्मकाल १५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसैतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन् १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।<sup>१८</sup> प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे।

### प्रयाग

गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक तिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यो है—“जो लोग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या अस्वित) दो नदियों के मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उडते (उडते) हैं, जो धीरे लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (इष्ट कर मर जाते हैं), वे माथ पाते हैं।”<sup>१९</sup> सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। मन्दपुराण न इसे धुति

१८. तीर्थमन्व्यत्रशसन्ति गङ्गातीरे स्थिताश्च ये । गंगा न बहु मन्वन्ते ते स्तुनिरयगामिनः ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) ।

१९. यत्रो शतगुण पुण्य सत्क्रान्ती च सत्सुखम् । चन्द्रसूर्यग्रहे लक्षं व्यतीपाते त्यनन्तकम् ॥ .. सोमग्रह सोमदिने रविवारे रवेग्रहः । तच्चूडामणिपर्वाह्य तत्र स्नानमसंख्यकम् ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१) ।

२०. प्रयागा स्थलाना समाहारः त्रिस्थली ।

२१. सितार्सिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । ये यं तत्र विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्व भजन्ते ॥ त्रिस्थली० (पृ० ३) के मत से यह आश्वलायन शाखा का पूरक श्रुति-वचन है। किन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) ने इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है तो वह सम्पत्कृच्छ्रज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए दृष्टवा (१३।५८), 'तस्वायबोधेन विनामि भूयस्सुख्यो नास्ति शरीरव्ययः' (तीर्थप्र०, पृ० ३१३) । स्कन्द० (काशीखण्ड, ७।५४) का कथन है—‘धृतिभि-

गया है। महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का स्पष्ट विचार है (अन० ८५।६२-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन० २५।६-२८)। पुराणों में भी इसकी प्रशंसा बारी बारी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; पद्म० १, अध्याय १०-३६; भागवत०, अध्याय ७।१५-६५)। हम केवल कुछ ही श्लोकों की ओर संकेत कर सकते हैं। यह जानकर है कि प्रयाग में प्रयाग के अर्थ में कुछ स्थिति नहीं बता दे। नगम का वर्णन साम्य है, त्रिभुवनेश प्रयाग ही है कि इन श्लोकों का अर्थ (सामान्य, २।५६-६)। प्रयाग की तीर्थराज कहा गया है (मत्स्य० १०।११५; मत्स्य० अध्याय ७, अध्याय ७।१५ एवं पद्म०, ६।२३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक श्लोक के अन्त में 'स तीर्थराजो वर्णन प्रयाग' आया है)। वास्तव में है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ बस किया था प्रयाग कहा ही है कि वे ही बस ही है। अन्य श्लोकों में उत्तर में सुरभोग (त्रिंश उत्तरेष्वेवो-कथा जाता है) एवं पूर्व में गंगा। ऐसा है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (तीर्थराजों के बीच में जनमेजय ने २)। मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के अर्थ में, वाग केन या इसकी विद्वि शब्दों से मान से कल्प प्रयाग नाम से जाता है। कूर्म० में धोषणा की है—'यद्द प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो यहाँ स्नान करती है, वे इससे अर्थ है और भी जहाँ मर जाने है पुनः अन्य नहीं है।' गद्दी पुरीत स्थल तीर्थराज है; यह केवल की श्रिय है। इसी को विद्वि की गंगा मिली है।

'प्रयाग' शब्द ही प्रजापति एवं प्रयाग से ही गयी है। वनपर्व में आया है कि गंगा तीर्थों के अर्थात् ब्रह्मा ने यहाँ प्राचीन ताल में बस किया था और उसी से 'यद्' भाव से 'प्रयाग' बना है। स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं 'याग' से युक्त माना है—'इतिहास कथा आया है कि गंगा नदी यहाँ से उभरती है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है। मत्स्य० में 'प्र' उपसर्ग पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है।

परिवर्द्धयेत् सित्तासिते तदिदरे । तत्राप्लुतांग ह्यमृतं भवन्तीति चिनिदिचतम् ॥ (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ११) । और देखिए काशीपण्ड (७।४६) । इसमें स्पष्ट नहीं कि इस श्लोक में बँदिक रंग है। त्रिस्थली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर की ओर संकेत है। गंगा का जल श्वेत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरंगों की ओर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३।५४-५७) ।

२२. दश तीर्थसहस्राणि सित्ताः कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतपर्व ॥ माघभासं प्रयागे तु निषतः संशितधतः । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥ अनुशासन० (२५।३६-३८) । वर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि । मृत्तिकात्मनाद्रापि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०।४।१२), कूर्म० (१।३६।२७) । और देखिए अग्नि० (११।१६-७) एवं वनपर्व (८५।८०) । एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् । अत्र स्नात्वा विवं धान्ति ये मृतास्तेऽप्युनर्भवाः ॥ कूर्म० (१।३६।२०) । मत्स्य० (१०।४।५ एवं ११।१।१४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। १२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है।

२३. गंगायमुनयोर्वीर संगमं लोकविश्रुतम् । यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः । प्रयागमिति विख्यातं तस्माद् भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद् बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिर ॥ मत्स्य० (१०।१।१५) ।

२४. प्रकृष्टं सर्वयोगेभ्यः प्रयागमिति गीयते । वृष्ट्वा प्रकृष्टयोगेभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः । प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः ॥ (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३) । प्रथम अंश स्कन्द० (काशी० ७।४९) में भी आया है। अतः 'प्रयाग' का अर्थ है 'योगेभ्यः प्रकृष्टः', 'यहाँ से बढ़कर जो है' या 'प्रकृष्टो यागो यत्र', 'जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है।'

ब्रह्म० का कथन है—प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रयागता के कारण यह 'राज' धब्ब (तीर्थराज) से युक्त है।<sup>१५</sup>

'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं 'वेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें जागे का प्रत्येक पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य०<sup>१</sup> का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिक्षण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। त्रिस्वलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है—यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूँटी मानकर कोई ढट योजन रस्सी से चारों आर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० (१०४१५ एवं १०६१३०) आदि न प्रयाग के क्षणफल की परिभाषा दी है<sup>१६</sup>—'प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठाण से वामुक्ति के जलाशय तक है और वन्म्वल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है, यह तीन लोकों में प्रजापति के पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य० (१०६१३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्ररूप है जो प्रतिष्ठाण ही है। त्रिस्वलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है—पूर्व सीमा प्रतिष्ठाण का क्षण है, उत्तर न वामुक्तिरूप है, पश्चिम में वन्म्वल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य० (कल्पवृक्ष, तीर्थ पृ० १४३) के मत में दोनों नाम यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 'विपुल यमुनातटे' पाठ है। किन्तु प्रकाशित पद्य० (११४३१२७) से पता चलता है कि कल्पवृक्ष का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्य० में आया है।<sup>१७</sup> यहाँ तीन पवित्र रूप हैं, यथा पयाग, प्रतिष्ठाणपुर एवं अलकपुर म। मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निवृष्ट हैं और गंगा उनके मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट सन्नेतो को छोड़कर) आया है, उतना तात्पर्य है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना) का सगम।<sup>१८</sup> वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत

२५ प्रभावात्सर्वतोर्वेन्य प्रभवत्यधिक विभो। मत्स्य० (११०१११)। प्रकृष्टत्वात्प्रयागोसौ प्रायान्याद्-राजशब्दवान्। ब्रह्मपुराण (त्रिस्वलीसेतु, पृ० १३)।

२६ पञ्चयोजनविस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविष्टमात्रे तद्बभूवावश्वमेध पदे पदे ॥ मत्स्य० (१०८१९-१०, ११११८); पद्य० (११४५१८)। कूर्म० (२१३५१४) में आया है—पञ्चयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मण परमेष्ठिनः। प्रयागं प्रविष्ट तीर्थं यस्य माहात्म्यमोरितम् ॥

२७ आ प्रयाग प्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वासुकेर्ह्यदात्। कम्बलाश्वतरौ नागौ नागश्च बहुमूलकः। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिवृ लोकेषु विश्रुतम्। मत्स्य० (१०४१५), पद्य० (११३९१६९-७०, ४११४-५) में नीचे ही बात कही गयी है। वनपर्व (८५१७६-७७) में आया है—'प्रयागं सप्रतिष्ठाणं कम्बलाश्वतरावुभौ। तीर्थं भोगधती चैव वेदिरिया प्रजापतेः ॥ तत्र येदाश्च यताश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिरः। अग्नि० (११११५) में नीचे आया है—'प्रयागं... प्रजापते' (यहाँ 'वेदो प्रोक्तः' पढ़ा गया है)।

या ९६ अर्गुता कः।

२९ तत्र शोष्यग्निवृष्टानि येषां मध्येन जाग्रुवो। वनपर्व (८५१७३); शोषिणां श्याप्यग्निवृष्टानि येषां मध्ये तु जाग्रुवो। मत्स्य० (११०१६), अग्नि० (११११२) एवं पद्य० (११३९१६७ एवं ११४५१४)। मत्स्य० (१०४१३) एवं कूर्म० (११३९१२८-२९) में 'पञ्च वृष्टानि' पढ़ा है।

से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँघ है (अर्थात् यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।<sup>३०</sup>

नरसिंह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१०) में आया है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़े ऋषिगण प्रयाग के मण्डल को द्रुष्ट कर्मों से वचाते रहते हैं।<sup>३१</sup> इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और वाञ्छित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गाथी है। और देखिए पद्म० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्पण विवाह की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और वह कल्पात् तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।<sup>३३</sup> वनपर्व (८५।८२=८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान् होता है।

तीनों नदियों का संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है)। पुराण-वचन ऐसा है कि 'ओम्' के तीन भाग, अर्थात् अ, उ एवं म् क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं।<sup>३३</sup>

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१।११)

३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम् । प्रयागं जघनस्यानमुपस्यमृषयो विदुः ॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० १।३९।६९ एवं १।४३।१९); अग्नि० (१।११।४); कूर्म० (१।३७।१२) एवं मत्स्य० (१०६।१९) । भावना यह है कि तीर्थ-स्थल पृथिवी के वच्चों के समान हैं।

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छयना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपो तु भगवांस्तत्र तिष्ठति । महेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । रक्षन्ति मण्डलं नित्यं पापकर्मनिवारणात् ॥ मत्स्य० (१११।४-१०) । और देखिए कूर्म० (१।३६।२३-२६), पद्म० (आदिखण्ड ४१।६-१०) ।

३२. कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे । गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नैमिषे । यद्दानं दीयते शक्यता तदानन्त्याय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २४) ।

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम् । तदेव वेणी विस्रेया सर्वसौख्यप्रदायिनी ॥ अकारः शारदा प्रोयता प्रद्युम्नस्तत्र जायते । उकारो यमुना प्रोयतानिरुद्धस्तज्जलात्मकः ॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः । एवं त्रिवेणी विद्याता वेदवीजं प्रकीर्तता ॥ त्रिस्थलीसेतु (पृ० ८) द्वारा उद्धृत ।

आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीर्थ) ने, जो तीर्थ-मन्वन्धी सबसे प्राचीन है, केवल मत्स्य० (१०४।१-१३ एव १६-२०, १०५।१-२२, १०६।१-४८; १०७।२-२१, १०८।३-५, ८-१। २३-२४, १०९।१०-१२, ११०।११, १११।८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ श्लोक एव वनपर्व अध्याय ७९-८७ एव ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु निवन्धो ने पुराणों से खूबकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विवाद विवेचन उपस्थित किया है। हम वातों की चर्चा यहाँ करेंगे।

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का। नगावाक्यावली (पृ० २९८) एव तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५) का है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टो एव निवन्धकारों ने अनिवार्य ठहराया है। अधिकार लेखकों ने दा श्लोका का हवाला दिया है—प्रयाग में वपन करना चाहिए, गय पिण्डदान, कुशक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, कारी में मृत्यु या कुशक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता इन श्लोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय (निर्णय) के प्रयोग एव वपन के फल के विषय में विवाद विवेचन उपस्थित किया है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीयेतु (पृ० १७) के मत से श्लोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा मात्र करता है और उससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन श्लोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय

में छोड़ देता है और उपनयन-संस्कार-विहीन किन्तु चोल-कर्मयुक्त वच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४)। त्रिस्थलीयेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ भम्प्रदायी गण, कुछ वचना पर विश्वास करके कि व्यक्ति के कर्मों में पाप रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-गुच्छों का वपन केवल कतन मान हागा न कि मुण्डन, मधवाना का भी प्रयाग

३४. प्रयागे वपनं कुर्याद् गयाया पिण्डपातनम् । दानं दद्यात् कुशक्षेत्रे वाराणस्या तनुं स्वर्जेत् ॥ किं गयापिण्डदाने काश्या वा भरणेन किम् । किं कुशक्षेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ गंगावा० (पृ० २९८); तीर्थचि० (पृ० ३२); त्रिस्थली (पृ० १७); तीर्थप्र० (पृ० ३३५)। ये दोनों श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं।

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जैमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंचविश ब्राह्मण (२३।२।४) में जाय है—'प्रतिष्ठन्ति य एता रात्रीरुपयन्ति' यहाँ पंचविश में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल की चर्चा नहीं की गयी है। प्रश्न उठता है, क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ लिया जाय। बयोवि जैमिनि० ४।३।१५-१६ में व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उत यत्र सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) को, जो उपर्युक्त अर्थवाद में आया है, रात्रिसत्र का फल माना जाय? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात् यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्थवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों श्लोकों में 'प्रयागे वपनं कुर्यात्' के शब्दों में विधि है और दूसरा श्लोक अर्थवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। यदि रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुशक्षेत्रदान एव काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है।

मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति मांगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर वहा देना चाहिए—'वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को प्राप्त हो।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करतीं, इसका एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान् लोगों का आचरण या व्यवहार)। नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण मुण्डन की व्यवस्था दी है।

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना 'वेणी' (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निर्देशित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)।

प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्महत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मनु (५।८९) एवं याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गर्हित ठहराया है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या की व्यवस्था देते हैं (१।१।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४)। किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं—(१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के सोने की चोरी, गुरुतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मनु६।३१ एवं याज्ञ० ३।५५); (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २।८-२।१९ के उद्धरण; मेघातिथि, मनु ५।८८; मिता०, याज्ञ० ३।६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख-भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत हो तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं वट के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में नारदीय० (पूर्वार्ध, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए जिसका वच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय वह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास) मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे महान् कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की अनुमति एवं सम्यक् ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यशः-





को काट-काटकर पक्षियों को देना। ह्वेनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धार्मिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीर्थ, सन् १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५)। क्रमशः प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहीवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का कथन है—'यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म० (आदि, १६।१४-१५) ने नर्मदा एव कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के सगम पर अग्नि या उपवास से मर जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है।

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि-वर्ज्यों में महाप्रस्थान, वृद्धों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। मध्यकाल के कुछ पश्चाद्भावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभाविक मृत्यु की ओर सकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर। यही बात खिल मन्त्र ('सितासित' आदि) के विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के श्लोक की दो वैकल्पिक व्याख्याएँ की हैं, यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है कि यह श्लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है।

गगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एव तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५) ने एक लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं-करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एव अन्य फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवर्ज्य नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा विना पति से अनुमति लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एव प्रकाण्ड विद्वान् थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये हैं जो तर्क, मन-भावना एव सामान्य ज्ञान को जँचते हैं। नारायण भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया है। अल्फ्रेडो ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'धार्मिक आत्महत्या तभी की जानी है जब कि व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह मूढ़ हो गया है, जत्यधिक दुर्बल या अपरिहार्य शरीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या मूढ़ करते हैं। विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एव क्षत्रियों को जलकर मर जाना मना है। उन्हीं से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो गहन के समय या अन्य विधियों में मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि-

श्रमिक देते हैं) जपन को गंगा म फेंकना दत्त है। त्रिस्थलीसंतुने व्यवस्था दी है कि प्रयाग म आत्महत्या करन वाल व्यक्ति को सबप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिवार उमरा श्राद्ध कर मक तो उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए। उग दिन उसे उपवास करना चाहिए दूसरे दिन गिखित रूप म उसे सरुल्य करना चाहिए कि वह इस विधि म मरना चाहता है और विष्णु वा ध्यान करते हुए उसे जल मे प्रवेग करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धिया को केवल तीन दिना का आशोच लगना चाहिए (दस दिना वा नही) और चौथ दिन ११व दिन के श्राद्ध कम उसके लिए करने चाहिए।

प्रयाग म धार्मिक आत्महत्या करने की भनावैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नही है। गनाद्वियो से यह दायनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन मरण के असह्य चक्रा म घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रो ने इसकी मुक्ति के लिए दा माधन उपस्थिन किये थ तत्त्वज्ञान एव तीथ पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयकर भावना नही थी जा जान-बूझकर अपार कष्टा एव अमुविधाआ को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त करन क लिए दृढमकल्प है ता उसके लिए उन गंगा एव यमुना के मगम प्रयाग म आत्महत्या करन से बढ़कर कौनसा अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है जो हिमालय से निकलकर प्रयाग म मिलती है और विशाल हाकर आम बढती है और कोटि-कोटि त्रोगो को उवर भूमि देती हुई उह समृद्ध बनाती है।

जो त्रोग प्रयाग म भरते हैं वे पुन जन्म नही लेते एसा पुराणो म आया है। निबन्धो ने इस कथन पर विवेचन उपस्थिन किया है (मत्स्य० १८०।७१ एव ७४)। मत्स्य० (१८२।२२ २५) म आया है<sup>६</sup>— मृत्यु रे समय जब कि शरीर क मर्म भाग छिन्न भिन्न हो जाते है उस समय जब कि व्यक्ति धामु द्वारा दूसरे शरीर म फेंका जाता है, स्मृति अवश्य दुवल हो जाती है। त्रिन्नु अविमुक्त (वारणसी) म भरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर म जान वाले भक्ता के कान मे स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिक्णिका के पास मरन वाला व्यक्ति धाछित फल पाता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त उम फल को पाता है जो जपधिन त्रोगो को मिलना कठिन है। काशीखण्ड म स्पष्ट उल्लिखित है कि इन नगरो (काशी जालि) म मोक्ष मीध रूप म नही प्रतिक्रित होना। तथापि एमी उक्ति के रहते हुए भी पुराणो के कथना क शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगो के मन म एसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र म मरने मे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी म तदाशिला से कलनास नामक व्यक्ति मिक्कर क माथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था म शरीर-व्याधि घतग आवर मौसा नामक स्थान म अपने को चिन्ता म भस्म कर दिया (दणिए ज० डब्जू० मं० त्रिण्डा का इयवन आव इण्डिया वाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट नवीन सस्तरण १८९६ ई० पू० ४६ ३० १ एव ३८६ ३९२)। स्ट्रैबा न क्षमनोचगम नामक भडोच के भारतीय

३८ स्कन्द० (काशीखण्ड) मे निम्न श्लोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२ २५) को दुहराते हैं, शिव काशी मे मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान म ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फुकते हैं जो उसको आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मज्ञानेन मुच्यते मायया जन्तव क्वचित्। ब्रह्मज्ञानमये क्षत्रे प्रयागे वा तनुत्स्यज ॥ ब्रह्मज्ञान तदेवाह काशीतस्थितिर्भागिनाम्।

प्रयच्छति ॥ मणिकुण्डी त्यज दह गतिमिच्छति त्रजेत्तर। ईश्वरप्ररितो याति दुष्यपामकृतात्मभि ॥ (१८२।२२-२५)।

को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ दूत होकर गया था ('इन्वेज़न आव इण्डिया वाई अलेक्ज़ैण्डर', पृ० ३८९)। ह्वेनसांग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा की है (बील का 'बुद्धिस्ट रेकॉर्ड्स आव दि वेस्टर्न वर्ल्ड', जिल्द १, पृ० २३२-२३४)। जैनों ने जहाँ एक ओर अहिंसा पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक धार्मिक आत्महत्या को भी मान्यता दी है।<sup>३९</sup>

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्थलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३-३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे। उनके तर्क संक्षेप में यों हैं--कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के साथ कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने उद्घोष किया है<sup>४०</sup> कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्त से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३)। इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते)। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य० (१८३।७७-७८) का कथन है--'जो अविमुक्त (वाराणसी) के विधानों के अनुसार अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते। अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत वाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता।'<sup>४१</sup> तारक मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र 'ओम्' है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) ने भी कहा

३९. देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ 'जैन इस्क्रिप्संस ऐंट श्रवण बेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड के कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; 'उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुवि-मौचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥'

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंपिदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति। छा० उप० (४।१।४३); भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ मण्डकोपनिषद् (२।२।८); यथैवांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुहतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुहते तथा ॥ भगवद्गीता (४।३७)।

४१. साक्षान्मोक्षो न चेतासु पुरीषु प्रियभाषिणि। स्कन्द० (काशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात की है)। तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वार्थे कप्रत्ययः। संसारसागरादुत्तारकं तारकं च तद् ब्रह्म इति तारकं।

है। त्रिस्थलीसेतु न इग्वी एक अन्य व्याख्या भी गी है। रामतापनीवापनिपद् एव पद्यं म मत्र यह है - श्रीराम रामरामति' (त्रिस्थलीसेतु प० २०१)।<sup>४१</sup>

प्रयाग व अन्तगत बहुत-स्य उपतीथ जान है जिनम वट (अधय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (१११।१३) मे आया है— जो व्यक्ति वट के मूत्र म या मगम म मरता है वह विष्णु न नगर म पहुचता है। वट के मूत्र म मरत क विषय म विगिष्ट सबत मिगता है। कूम० (१।२७।८९ पद्य० आदि ६३।११ ताथचिन्तामणि) म आया है— जो वटमूत्र म मरता है वह सभी स्वग ओको वा अतिक्रमण करवे हदलान म जाता है। प्रयाग के उपतीथ निम्न है

(१) कम्बल एव अम्बतर नामर दा नाग जो एक मत स यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से यमुना के दक्षिणी तट पर है (वनपव ८५।७७ मस्य० १०६।२७ पद्य० अग्नि० ३९।६९ जग्नि० १११।५ एव कम० १।३७।१९) (२) गगा क पूष य तट पर प्रतिष्ठान जो वनपव ८५।७७ वा स.मु. कूप है (मस्य० १०६।३० कूम० १।३७।२२ पद्य० जाग्नि ४३।३०)। वनपव (८५।११८) से प्रवट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग वा ही दूसरा नाम है (३) सध्यावट (मस्य० १०६।४३ कूम० १।३७।२८ एव अग्नि० १११।१३) (४) हसप्रपतन जो प्रतिष्ठान क उत्तर एव गगा के पूव है (मस्य० १०६।३२ कूम० १।३७।२४ अग्नि० १११।१० पद्य० आदि ३९।८० एव ४३।३२) (५) कोटितीथ (मस्य० १०६।४४ कूम० १।३७।२९ अग्नि० १११।१६ पद्य० आदि ४३।४४) (६) भोगवती जो वामुनि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपव ८५।७७ मस्य० १०६।४६ जग्नि० १११।५ पद्य० आदि ३९।७९ एव ६३।४६) (७) दशाश्वमेधक (मस्य० १०६।४६ एव पद्य० अग्नि ३९।८०) (८) उवगीपुलिन जहा पर आम-र्याग करन से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मस्य० १०६।३४ ४२ पद्य० आदि ४३।३४ ४३ अग्नि० १११।१३ कूम० १।३७।२६ २७) (९) ऋणप्रमोचन यमुना के उत्तरी तट पर तथा प्रयाग के दक्षिण (कम० १।३८।१४ पद्य० आदि ४४।२०) (१०) मानस गगा के उत्तरी तट पर (मस्य० १०७।९ पद्य० आदि ४४।२ एव अग्नि० १११।१६) (११) अग्नितीथ यमुना के दक्षिणी तट पर (मस्य० १०८।२७ कूम० १।३९।४ पद्य० आदि ४५।२७) (१२) विरज यमुना के उत्तरी तट पर (पद्य० आदि ४५।२९) (१३) अनरक जो धमराज व पश्चिम है (कूम० १।३९।५)।

पुराणो मे आया है कि यदि व्यक्ति तीथयात्रा म ही मर जाता है किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता रहता है तो वह प्रयाग म न पहुचने पर भी महान फल पाता है। मस्य० (१०५।८ १२) म आया है कि जो व्यक्ति अपने देग म या घर म या तीथयात्रा के क्रम मे किसी वन म प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुचता है जहा के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं जहा की पथिवी हिरण्यमयी होती है और जहा ऋषि मुनि एव सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियो से आवत रहता है और ऋषियो की सगति का आनन्द लेता है जब व

अधिकारग तीर्थों मे यात्री

उल्लेख किया है। कल्पतष (तीथ)

४२ रामतापनीय तु श्रीराममत्र एव तारकशब्दाय उक्त । मूर्ध्वोदक्षिण कण यस्य कस्यापि वा स्वयम। उपदक्षयसि मन्मत्र स मुक्तो भविता णिव ॥ पद्य तु श्रीगण्डरपूवकस्त्रिंशत्तौ रामशब्द एव तारकत्योक्तः । मूर्ध्वोर्माणि कण्ठन्तरधादिकनिवासिन । अह दिशामि ते मत्र तारक ब्रह्मवाचकम् । श्रीरामरामरामति एतत्तारकमुच्यत । त्रिस्थलीसेतु (प० २९१) ।

कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है—तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अर्घ्य एवं आवाहन (क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ श्राद्ध की विधि का भली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव (घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसी), खीर (चरु, दूध में उवाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण किया जा सकता है।<sup>१३</sup> इमे कुत्तों, कौओं, गृद्धों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के पश्चात् व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए—‘यहाँ मैं अपने पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्व एवं लूले-लैंगड़े रहे हैं, उनको जो अष्टावक्र थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड उन्हें विना ममाप्त हुए प्राप्त हो!’ (वायु० ११०।५१-५२)। इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नीकरों, दासों, मित्रों, आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५)। यदि व्यक्ति रुग्ण हो और विशद विधि का पालन न कर सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; ‘मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।’ (वायु० ११०।२३-२४)।

अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में संगम-स्नान की महत्ता गायी है।<sup>१४</sup> सभी वर्णों के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मीन होकर स्नान कर सकते हैं या ‘नमः’ शब्द का उच्चा-

४३. अर्घ्यमावाहनं चैव द्विजांगुष्ठनिवेशनम् । तृप्तिप्रदानं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत् ॥ त्रिस्थलीसेतुसार-संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्धृत; देवाश्च पितरो यस्माद् गंगायां सर्वदा स्थिताः । आवाहनं विसर्गं (विसर्गश्च ?) तेषां तत्र ततो न हि ॥ काशीखण्ड (२८।१९); तीर्थ श्राद्धं प्रकुर्वीत पक्वान्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलैरपि । सुमन्तु (त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह, पृ० २०) । सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावैः पायसेन तु । कर्तव्यमृषिभिर्दृष्टं पिप्याकेन गुडेन च ॥ श्राद्धं तत्र तु कर्तव्यमर्घ्यावाहनवर्जितम् । श्वध्वाक्षगृध्रकाकानां नैव दृष्टिहतं च यत् ॥ श्राद्धं तत्तीर्थिकं प्रोक्तं पितृणां प्रीतिकारकम् ।... काले वाप्यथवाऽकाले तीर्थे श्राद्धं तथा नरैः । प्राप्तैरैव सदा कार्यं कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥ पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणामतिवल्लभम् । विलम्बो नैव कर्तव्यो न च विघ्नं समाचरेत् ॥ पद्म० (५।२९।२१२-२१८, पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत) । इन्हीं श्लोकों को कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा-वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ श्लोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो श्लोकों के लिए) ।

४४. वृषा तीर्थसद्वस्त्राणि षष्टिकोदयस्तथापराः । समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ अनुशासन० (२५।

रण कर सकते हैं (त्रिम्बकीमनु, पृ० ३९)। इसी प्रकार पच०, कूर्म०, अग्नि० जादि पुराणा ने यह कहकर कि यह तीन करोड़ गोजा के दान के बराबर है माघ मास में तीन दिन तत्र स्नान करने वा गुणगान किया है।<sup>१</sup> इन तीन दिनों के अर्थ के शिष्य म कर मन-मत्तान्तर है, जंसा रि त्रिम्बकीमनु (पृ० ३२) म आया है। कुछ मत ये हैं—वे तीनों दिन माघ की मकर-मकरानि, रामभनमी एव जभावस्था है, माघ के गुरुत्पथ की दशमा के माघ लगातार तीन दिन, माघ के प्रथम तीन दिन, माघ के गुरुत्पथ की पचासवीं नें उपरान्त लगातार तीन दिन, तथा माघ के कोई तीन दिन।

३६-३७), पण्डित्स्तीर्थसहस्राणि पण्डित्स्तीर्थदातानि च। माघमासे गर्भिव्यन्ति गणायमुत्तमम् ॥ कूर्म० (१३८१); मत्स्य० (१०७१७) में भी लगभग ऐसा ही आया है।

४५ गवां कोटिप्रदानाद्यत् ब्रह्म स्नानस्य तत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः ॥ अग्नि० (१११) १०-११); गवां शतमहस्रस्य सभ्यदत्तस्य यत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु ब्रह्म स्नातस्य तत्फलम् ॥ पच० (आदि; ४४८) एव कूर्म० (१३८१२)।

## अध्याय १३

### काशी

विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी। काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अटूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी महान् जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों श्लोक कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में ही कुछ कह सकेंगे।

सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण<sup>१</sup> (१३।५।४।२१) ने एक गाथा उद्धृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत् लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित् के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२) में धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य को काश्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-कोशलाः' का समास आया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर स्थित थी। बृहदारण्य-ऋषिनिपद (२।१।१) एवं कौपीतिक उप० (४।१) में ऐसा आया है कि अहंकारी वालाकि गार्ग्य काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा। पाणिनि (४।२।१।१६) में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यष्ठाति)। पाणिनि (४।२।१।१३) में 'काशीयः' रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ० (१०।१।७।१२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।८।१।९।६) ने तर्पण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३।०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत ली थीं और ऋ० (४।३।०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५।४) के वार्तिक (४) के महाभाष्य में हमें 'काशि-कोसलीयाः' का उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई-

१. तदेतद् गायथाभिगीतम् । शतानीकः समन्तासु मेध्यं सत्राजितो ह्यम् । आदत्त यज्ञं काशीनां भरतः सत्व-  
तामिवेति ॥ शतपथब्राह्मण (१३।५।४।२१) ।

चौड़ाई बाल वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपयुक्त वाता स स्पष्ट होता है कि गतपथ० के प्रणयन के बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) के समय तक चला आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१।१७९ स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुम्भ्यस्व मेमदूत, प्राप्पावन्तीनुदयन—), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था (अथर्वशास्त्र ४।१।१७९ 'अवन्तिका')। फाहियान (३९९ ४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इसमें प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महाभाष्य के निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एव देश का नाम था। अनुशासनपत्र (अध्याय ३०) में दिवोदास के पितामह हयस्व वासि लोगा के राजा कहे गये हैं जो गंगा एव यमुना के मुखाब्दे में वीतह्व्या द्वारा तय किये गये एव मार गये थे। हयस्व का पुत्र सुदेव था, जो काशी का राजा बना और वह भी जन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इससे उपरान्त उसका पुत्र दिवादास काशिया का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णों से समृद्ध वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विस्वास था कि दिवादास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी।

हरिवंश (१ अध्याय २९) में दिवादास एव वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी है।<sup>१</sup> इसमें एल के एक पुत्र जायु के वध का वणन किया है। जायु के एक ब्राह्मण का नाम था सुनहान त्रिभुव काग दल एव गृत्समद नामक तीन पुत्र थे। काग से काशि नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काशि का एक ब्राह्मण धन्वन्तरि काशि त्रेगा का राजा हुआ (श्लोक २२)। दिवादास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रधर्म्य ने जो सर्वप्रथम वाराणसी का राजा था १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निरुम्भ को दिवोदास द्वारा अर्पित वाराणसी का नाम करने के लिए भेजा। निरुम्भ ने उसे एक सहस्र वर्ष तक नष्ट भ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गया तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुन स्थापना (श्लोक ६८) भद्रधर्म्य के पुत्र दुदम द्वारा जिस (क्याकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई। इससे उपरान्त दिवादास के पुत्र प्रतदन ने उन दुदम से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलक ने जा काशिया का राजा था, वाराणसी को पुन बसाया। इन गाथा में सत्य की कुछ रक्षा पायी जाती है अर्थात् वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इस पर कई दुःख का राज्य स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एव ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि दिवादास एव अन्य तथा वाराणसी के विषयों का उल्लेख मिलता है।

महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है और पाणिनि (४।३।८४) के भाष्य में इन्होंने (जिल्द २ पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जितरी' कहते थे।

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-बाल (कम-स-स-स पाँचवीं ई० पू० शताब्दी) में चम्पा राजगृह श्रावस्ती साकेत एव कौशांबी (देखिए महापरिनिर्वाणमुक्त एव महामुदरगणमुक्त, गैत्रक बुद्ध आदि ईस्ट, जिल्द ११ पृ० ९९ एव २४७) जैसे महान् एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गंगा में स्नानार्थि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात् सारनाथ में आकर धम्मचक्र प्रवचन किया। इस प्रकट हुआ

<sup>१</sup> काशिप्यवि नृचो राजन् दिवोदासपितामहः । हयस्व इति विख्यातो वभूव जयनां वरः ॥ अनुशासनपत्र (३।१०) ।



है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की लीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० कार्ति एवं कुग थे।<sup>१</sup> किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक् कहा गया है, अतः इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में ऐसा आया है कि अर्हत् पादर्वनाम का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी के दिन प्रकाश किया था (संकेड युग आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६)। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित (१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है—'जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश से नगर को दीदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।'<sup>२</sup> बुद्धचरित में आगे कहा है कि बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९)। सम्भवतः वणारा वरणा ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५।११०) में काशि-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है।

विष्णुपुराण में पीण्डूक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य चिह्नों को समर्पित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पीण्डूक एवं काशिराज की सम्मिलित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पीण्डूक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कृत्या' प्राप्त की जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय हैं (श्लोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९)। ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा संक्षेप में सभापर्व (१४।१८-२० एवं ३४।११) में भी वर्णित है।

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महाभारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा—महादेव अनार्यों के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी अनार्यों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्-काल की दार्शनिक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे।<sup>३</sup> इन निष्कर्षों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए

३. शतमेकं धार्तराष्ट्रा ह्यशीतिर्जनमेजयाः। शतं वै ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्। ततः शतं च पञ्चालाः शतं काशिकुशादयः॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३)।

४. वाराणसीं प्रविश्याय भासा सम्भासयञ्जिनः। चकार काशीदेशीयान् कौतुकाक्रान्तचेतसः॥ बुद्धचरित (१५।१०१)।

५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्री आव बनारस' (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह शैव क्षेत्र हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनार्यों ने

पुत्र आधार नहीं मिलता। जात्र जिने पुराण हम मिया है वनागरीया वीपी गण्डो व पूव क नही हैं। अपि बाग नाराय धान्तिमय एउ जनसगा जोरत मिया रहू दे जयस जात्र ना वया हा जावन बिना रहू हैं। साधारण मनुष्य की रहस्यालमर अगामाय एउ भयापुत्र मिथत्वारमक भूत की मन्दिष्ट क लिए दस जोवन म कुछ भी नहा है। पुराणा म ऐमा गाथाएँ हे जा बड़ काटिया म बाँस जा गारा हे, ओर व सामाज्य एगा की उपयुक्त मूत्र वा मिटाती-मी रही है। पुराणा वा कर्णिय गाथाएँ सामान्य जना म मनास्त्रन व लिए हैं। यही बात जात्र व पर्विमो दगा की कोटि-काटि जनता ने विषय म भी लागू ज्ञाता हे जा बड़ जात्र व माय जागूसा एउ अगव-अम्भ-गा गाथाया वा पढ़ती हे। पुराणा की कुछ गाथाएँ गम्भार नि ग भी गता रता है। व धार्मिक या दार्शनिक गिज्ञाना या नैतिक मूल्या वा जीवन माय अन्ध वा दृग प्रसार जतीविक एय म रग दाता है कि व मय जापर एव प्रभावगता हा उठती हैं। केवल कुछ हा गाथाएँ एनिहामिक आधार एगता है। किन्तु व ना हिमो व्यस्ति मिया जाति-वग कुल व पदा म या विषय म अतिगयास्तिपूज धान बती हैं। महत्ता वयो की बाता व विषय न जा कुछ धीरगित उस्तिवी एव निष्पय है उनम एनिहामिक तथ्य निरागता उचिता नहा है। पुराणा म स्या एउ ऋषिया व पारस्परिक सगडो एव श्र्यापुत्र सम्बधा की आर बहुधा मचन मिया हे। उगाहरणाय विष्णुपुराण (५।३०।६५) म इन्द्र एव शृष्ण क पारस्परिक युद्ध वा वणन है। क्या शृष्ण प्रारम्भिक रूप म जनाय देवता थ? जब राम म युद्ध करन क लिए परापुराम जाय तो परापुराम न गणा वा दाहिना दाँत भाड लिया। राम एव परपुराम दोना विष्णु व अवतार पह गय है। ऋषि भृगु ने विष्णु को गोतम न इन्द्र को माण्डव्य न पम जो दाप लिया है (ब्रह्माण्ड० २।२।२१।२५)।

बई पुराणा म वागीया वाराणसा की विवाद प्रारम्भित गायो गयो है। दशम मत्स्य० (अध्याय १८० १८५ कुत्र ४११-११३क) वम० (१।३१ २५ कुत्र २२६-१३३) मिया० (पूवाय अध्याय ९२ कुत्र १९०-१३३) वय० (आदि ३३ ३७ कुल १७०-१३३) अग्नि० (१।१२) स्कन्ध० (वागी० अध्याय ६) नारदीय० (उत्तर अध्याय ४८ ५१)। वयत्र वागीण्ड म कागी एव इमव उपतीयो व विषय म लगभग १५००० श्लोक हैं। पद्यपुराण मे जाया है कि ऋषिया न भृगु म पाँच प्रान पूछ न यथा—वागा की महत्ता क्या है? इन वस समता जाय? कौन उय यहाँ जाय? इमका विस्तार वा क्षत्र क्या है? तथा इत (वागी) को वम प्राप्त रिचा जाय? स्कन्द० (वागीण्ड अध्याय २६।२५) म भी एमे प्रश्ना की चर्चा है वय म यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इमका नाम अविमुक्त क्यों पडा? यह माक्ष का साधन वन बना? निम प्रकार मणिवणिता वा बुण्ड तीना डाका वा पूजा बना? जब गगा वहाँ नही धी ता वहाँ पहले क्या था? इमका नाम वाराणसा वस पडा? यह नगर वागी एव द्वावास क्यों कहलाया? यह आनन्दकानन कस हुआ? तथा आग चञ्चल अविमुक्त एव महासंगान कया हुआ?<sup>५</sup>

गताद्विया से वागी क पाँच विभिन्न नाम रहे है वाराणसी वागी अविमुक्त आनन्दकानन मगान

वनास मे आयो के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कय नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही पडता है।

६ कि माहान्य कय वेय सेव्या कश्च द्विजोत्तम। परिमाण च तस्या कि केनोपायन लभ्यते ॥ पद्य० (पाताल-खण्ड त्रिस्वलीसेतु पृ० ७२) अविमशतमिद क्षत्र कदारम्य भुवस्तले। परा प्रथितिमापन्न मोक्षद चाभम कथम ॥ कथमया त्रिलोकीदया नीयते मणिकणिका। तत्रासीत्कि पुर स्वामिन् यदा नामरनिम्भगा ॥ वाराणसीति काशीति द्वा वास इति प्रथो। अवाप नामधयानि कथमतामि सा पुरी ॥ आनन्दकानन रम्यमविमुक्तमनन्तरम् ॥ महादमगातमिति च कय ख्यात निखिध्वज ॥ स्कन्ध० (काशी० २६।२५)।

या महाश्मशान। काशीखण्ड (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश्' (अर्थात् चमकना) से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात् देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं अक्षि नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२; स्कन्द०, काशी० ३०।६९-७०; अग्नि० ११२।६; वामन०, श्लोक ३८)। पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जावालोपनिषद् में गूढार्थ ११२।६; वामन०, श्लोक ३८)। पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जावालोपनिषद् में गूढार्थ के रूप में 'अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये हैं—“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा—कोई अनभिव्यक्त आत्मा को कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित है। तब एक प्रश्न पूछा गया—अविमुक्त किसमें केन्द्रित है, या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं नासी के मध्य में अवस्थित है। 'वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया; इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह भौहों एवं नासिका का संयोग है, अर्थात् अविमुक्त की उपासना का स्थान भौहों (भ्रू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच है।” इससे प्रकट होता है कि 'वरणा' एवं 'नासी' नाम है (न कि 'वरणा' एवं 'असि')। वामनपुराण ने 'असी' शब्द का प्रयोग किया है। यही वात पद्म० में भी है। अविमुक्त को निषेधात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) का प्रयोग किया है। यही वात पद्म० में भी है। अविमुक्त को निषेधात्मक 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत-लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत-से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-कभी शिव एवं शिवा) ने इसे कभी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।<sup>१</sup> लिंग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; 'अवि' का अर्थ है 'पाप', अतः यह पाप से मुक्त अर्थात् रहित है।<sup>२</sup> काशीखण्ड (३९।७४) का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये।

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है।<sup>३</sup> कुछ कारणों से यह श्मशान या महाश्मशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को संसार से मुक्ति देती है और सभी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशी की पवित्र मिट्टी में ही मरने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग

७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन। विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ स्कन्द० (काशी० २६।२७; त्रिस्थली०, पृ० ८९); लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९२।४५-४६) में आया है—विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्षयते वा कदाचन। मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम् ॥ और देखिए यही श्लोक नारदीय० (उत्तर, ४८।२४) में; मत्स्य० (१८०।५४ एवं १८१।१५); अग्नि० (११२।२) एवं लिंग० (१।९२।१०४)।

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः। तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ॥ लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१४३)।

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वसुन्दरि। तथा प्रियतरं चैतन् मे सदानन्दकाननम् ॥ काशी० (३२।१११); अविमुक्तं परं क्षेत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सततं धीमान् विशोषान्मरणान्तिके ॥ लिंग० (१।९१।७६)।

यहाँ उठा लात है, जिमसे कि वे गया क तटो पर ही मृत्यु को प्राप्त हो और वहा ज्ञान जायें। गया के तट पर मणिकर्णिका घाट पर सदा शव जलाय जाते दख जात हैं। स्मशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षों से स्मशान घाट हाने पर भी बह गया का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्वन्द० म आया है कि स्म' का अर्थ है शव' और 'शान' का साना (गयन) या पृथिवी पर पड जाना, जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान तत्व शवा के समान यहाँ पड जात हैं जिन यह स्थान महास्मशान कहलाता है। पद्य० (१।३३।१४) म आया है कि शिव कहते हैं—'अविमुक्त एक विख्यात स्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) हाकर, यहाँ रहकर विश्व का नाश करता हूँ। मत्स्य० न बहुया वाराणसा को स्मशान कहा है। काशाखण्ड (३।१।३।१०) म आया है—यदि कोई महास्मशान म पहुँचकर वहाँ मर जाता है ता नाम्य म उन पुन स्मशान म नही सोना पडता (अर्थात् उसे पुन जन्म नही लेना पडता)।

यद्यपि नामान्वित काशी वाराणसी एव अविमुक्त पुराणा म समानाधिक रूप म आय हैं, तथापि कुछ बचनो द्वारा उनक सामाविस्तारा म अन्तर प्रकट निचा गया है। पद्य० (पाताल, त्रिस्थली०, पृ० १०० एव तीर्थ प्र०, पृ० १७५ द्वारा उदघृत) म आया है कि उत्तर एव दक्षिण म तम स वरणा एव असि, पूव म गया एव पश्चिम म पादापाणि विनायक से वाराणसा समित है।' आइन्-अबदरी (जिल्द २, पृ० १५८) म कहा गया है कि वरणा एव असी के मध्य म बनारस एक विनायक नगर है आर यह एक धनुष के रूप म बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गया है। मत्स्य० (१८।४।५०-५२) म जाना है— वह क्षेत्र २३ याजन पूर्व एव पश्चिम म है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है, इसके बाग वाराणसा शुष्क नदा (असि) तक विस्तृत है। प्रथम असा का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र म है, जो पद्य० के मत म, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमस्वर लिन को दहली-गणस म मिलता है। मत्स्य० (१८।३।६१-६२) न इन दो याजन विस्तार म माना है। यही बात जग्गि० (१।१।१६) म भी है। किन्तु यह सब लगभग विगलता का घोटक है। योजन स मापी गयी दूरी विभिन्न रूना बाला है। राइस डविडस ने अपने ग्रन्थ 'न्यूमिस्मेटा आरिष्टिलिया' (लन्दन, १८७७) म पालि ग्रन्था से ३० पद्या की व्याख्या एव परीक्षा करके दगाया है कि एक याजन ७ या ८ माल क बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वस्वर से चार दिशाजा म २०० धनुआ (अर्थात् ८०० हाथ या उगमग १२०० फुट) क व्यास म विस्तृत प्रकट किया गया है। अविमुक्त क विस्तार क विषय म मतैक्य नही है। काशाखण्ड (२६।३१) म अविमुक्त का विन्मार पाच योजन कहा गया है। किन्तु वहा अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशाखण्ड का जन्त वृत्त यो कहा गया है—पश्चिम म गोकर्णेश्वर पूव म गया की मध्यधारा उत्तर म भारभूत एव दक्षिण म ब्रह्मस्वर के बीच यह स्थित है। लिग० (पूवाय, ९२।९९-१०० तीर्थचि० पृ० ३४० एव त्रिस्थली० पृ० १०३) म आया है, कि यह क्षेत्र चारो दिशाओ म चार योजन है और एक योजन मण्ड है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यो दी है—(यह क्षेत्र) पूव एव पश्चिम म ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आया योजन चौडा है, देवता धम्भु ने वरणा एव एक भूली धारा असि के मध्य म इनका विस्तार बतगाया है। पद्य० (मृष्टि, १४।१९४-१९६) म ब्रह्मा ने छद्र स या कहा है—मैंने तुम्ह पच क्रोशा म विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सनी नदियो म श्रष्ट गया इस क्षत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एव पवित्र होगा, गया जो (बनारस म) दो योजन तक

१० दक्षिणोत्तरयोन्धी वरणासिन्धु पूवत । जाह्नवी पश्चिमे चापि पादापाणियणेश्वर ॥ पद्य० (पातालखण्ड, त्रिस्थली०, पृ० १०० एव तीर्थप्रकाश, पृ० १७२) ।

उत्तरवाहिनी है, विवत्र होगी। जब ग्रन्थों में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के द्योतक हैं)। यह स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने लिखा है कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगभग ३<sup>१</sup>/<sub>३</sub> मील) एवं चौड़ाई में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के मध्य में था।

वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्रों श्लोक मिलते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट श्लोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४।७९-८०) में आया है—अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थसेवी) व्यक्ति विश्वेश्वर का दर्शन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है—‘वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह तीर्थराज प्रयाग से भी महान् है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं, वे सभी अपने सिरों पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और वाहन रूप में वृष (बैल) पा लेते हैं।’ मत्स्य० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है—विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-भक्ति को त्यक्त कर देनेवाले लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते; सहस्रों जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधार्मिक व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १।३३।३८)। भोगपरायण एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६)। इस विश्व में त्रिना योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य० १८५।१५।१६)। समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कर्मा भी पतन नहीं हो सकता (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान में किये जायें, किन्तु जब वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८।३३-३४; काशी० ८५।१५)। काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित (यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता।

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में आया है कि अस्ति इडा नाडी है, वरणा पिगला है, अविमुक्त सुपुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५।२५)। लिग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। इसमें आया है कि अस्ति (शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इडा एवं सुपुम्ना हैं।<sup>११</sup>

११. स होवाचेति जावालिरारुणेऽसिरिडा मता । वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम् ॥ सा सुपुम्ना परा नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ ॥ स्कन्द० (काशी० ५।२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३;) पिगला नाम या नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता । शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलाकीं यत्र तिष्ठति ॥ इटानान्तो च या नाडी सा सीम्या

जब हम वाराणसी के पुनीत स्थला की चर्चा करेंगे। पुराणा मे ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, एक मिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो।<sup>१३</sup> केवल अर्घ्याय १० मे ही काशीमण्ड मे ६४ लिंगा का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। ह्वेनसांग का कथन है कि उसके काल में बनारस मे एक सौ मन्दिर थे। उसन एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमे देव महेश्वर की ताम्र-प्रतिमा १०० फुट मे कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवसु सन् ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानों राजाओं न विभिन्न कालों मे अधिकांश मे सभी हिन्दू मन्दिरों को ताड़-फाड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एव मकबरे खड़े कर दिव गय। मन्दिरों की सामग्रिया मसजिदा आदि के निर्माण मे लग गयी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन् ११९४ ई० मे एक सहस्र मन्दिर तुडवा दिव (इलियट एव डाउसन की 'हिस्ट्री आव इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्दीन खिलजी न गव के साथ बह्रा है कि उसन कवल बनारस मे ही एक सहस्र मन्दिरा को नष्ट-भ्रष्ट करा दिया (शरिफ, पृ० ३१ एव हैबेल, पृ० ७६)। राजा टोंडरमल की सहायता से सन् १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर को पुन बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर म ध्वस्त कर दिया गया। मन्-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न अंश (इलियट एव डाउसन, हिन्दी आव इण्डिया, जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है— धर्म के रक्षक शाहशाह क काना म यह पढ़ूँवा कि घट्ट, मुग्तान एव बनारस व प्रान्ता म, विनोपत अन्तिम (बनारस) म मूस ब्राह्मण लाप अपनी पाठशालाजा म तुच्छ पुस्तवा की व्याख्या मे सलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करले क लिए दूर दूर मे हिन्दू एव मुसलमान वहाँ जात है। धर्म के मचालक न फलान मभी मुवा क मूवदारा को यह फरमान (आदण) भजा कि काशिरा क सारे मन्दिर एव पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायँ, उन्ह आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा क आचरण एव शिक्षा को वे बड़ी कठारना म वन्द कर दें। १५वीं रविज-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) का यह मूचना धार्मिक शाहशाह का, जो एक खुदा के मानन वाला के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा क पालनार्थ राजमन्त्रिणा न बनारस क विश्वनाथ मन्दिर को ताड़ दिया है।<sup>१४</sup>

विदेवस्वर मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब न बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिफ (पृ० ३२) का कथन है कि इनका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के काल (सन १६५८-१७०७) के बीस मन्दिरों को भी बनारस म पाना कठिन है। बाद म मगडे सरदारा ने बहुत-से मन्दिर बनवाय और अंग्रेजी शासन-काल म बहुत-से अन्य मन्दिर भी बन। त्रिमेप ने सन् १८२८ म गणना करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर म १००० मन्दिर एव ३३३ मसजिदें हैं। आग की गणना से पता चला कि कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एव २७२ मसजिदें हैं (शरिफ, पृ० ४१-४२)। हैबेल (पृ० ७६) का कथन है कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारा म लगी हुई प्रतिमाएँ जमख्य हैं।

विदेवस्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव है और इनका मन्दिर सर्वोच्च एव परम पवित्र है। एसी व्यवस्था दा गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा म स्नान करना चाहिए और विदेवनाथ मन्दिर म जाना चाहिए (दक्षिण नित्यक्रम, पृ० २१४)। विश्वनाथ मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों के

सप्रकीर्तता। वरुणा नाम सा ज्ञेया केशवी यत्र स्थित ॥ आम्ना मध्ये तु या नाडी सुपुम्ना सा प्रकीर्तता ॥ मत्स्योत्तरं च सा ज्ञेया विपुव सप्रकीर्तितम् ॥ लिंग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, तिस्थली०, पृ० ७८-७९)।

१२ तीर्थानि सन्ति भूमासि काश्यामत्र परे परे। न पञ्चनवतीवस्य कोट्यशेन समन्वयि ॥ स्वन्द० (शारी०, ५९११८); तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिङ्ग विना क्वचित्। शारी० (१०११०३)।

ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्भवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं कर सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ-मन्दिर अहल्यावाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिंगों को सभी लोग नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी भी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० २९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेश्वर एवं अविमुक्तेश्वर को पृथक्-पृथक् लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थों) की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशाश्वमेध, लोलार्क,<sup>१३</sup> केशव, विन्दुमाधव एवं मणिकर्णिका। 'आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा का संगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० एवं ११४) पर आधारित है। लोलार्क तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलार्क नाम की व्याख्या की है कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल (चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी बारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात् हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाश्वमेध घाट शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; भारशिव लोग सम्राट् थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव इण्डिया', सन् १५० ई० से ३५० ई० तक, पृ० ५)। प्रातःकाल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९)। काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रारम्भिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेध किये तो यह दशाश्वमेध हो गया (५२।६६-६८)। मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र भी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली०, पृ० १४५-१४६) — विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों

१३. काशी में कई सूर्य-तीर्थ हैं, जिनमें लोलार्क भी एक है (काशीखण्ड, १०।८३), अन्य १२ अर्क हैं उत्तरार्क, साम्बादित्य आदि (४६।४५-४६)।

१४. तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्दकानने। दशाश्वमेधं लोलार्कः केशवो विन्दुमाधवः ॥ पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। एभिस्तु तीर्थवर्षेभ्यश्च वर्ष्यते ह्यविमुक्तकम् ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९)।

तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आगे और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों (रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूर्धण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी-खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी ममज्ञाया गया है; शिव, जो काक्षापूर्ति करने वाणी मणि के समान है, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर में दक्षिण १०५ हाय (१९० फुट) यह विस्तृत है (९९।५४)। आजकल मणिकर्णिका का जल गदा हो गया है और महकता है, क्योंकि यह छिछला हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ मकड़ों यात्री पुष्प फेरते हैं और पंस डालते हैं जिन्हें खोजने के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हम जो पूजा का ढंग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पंस किनारे पर रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकर्णिका के पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६)। पचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, वृत्पाता, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त हैं। इसकी बड़ी महत्ता गयी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति पचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता। उक्त पाँच नदियों का यह सगम विभिन्न नामों वाला है, यथा—धर्मनद, धूमपातक, बिन्दुतीर्थ एवं पचनद जो त्रय से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पचगंगा के सगम के विषय में चित्र-विचित्र किंवदन्तियों की हुई हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६)। बरणा नदी वाराणसी की उत्तरी भीमा है और उत्तर के घाट बरणा एवं गंगा के सगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ घाट लगभग एक सहस्र वर्षों से रहे हैं। कनोज के महडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन् १०९७ में ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदिकेशव घाट पर कनिष्ठ दानव दिये। देखिए जे० आर० ए० एम० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ बर्णित है कि महाराजों पृथ्वीश्रीका ने मूर्धप्रहण के समय स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ सन् ११८८, अर्थात् सन् ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इनका वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सन् ११५६ की अक्षय-तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिये। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१)। काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र नदियों पर पत्थर के घट्टे (घाट) बनवाने हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान् पुष्पतटिन्यादेवंवयन्ति शिलार्थिनः। तौयाधिमुत्तमिदधर्षं ये नरास्त्रेभ भोगिन ॥)।

पञ्चक्रोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मों में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में लक्ष्मीधर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और दम पर मकड़ों तीर्थ हैं। सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोनों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर टेढ़ा-भेड़ा जर्जर बनाता है और इसी से इसे पञ्चब्रंजी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।४४) में 'पञ्चक्रोशी' नाम आया है। मक्षेप में यह यात्रा यों है—यात्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट से होना हुआ जमि एवं गंगा के सगम पर पहुँचता है और मणिकर्णिका में लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर गण्डव नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा पचपण्डो नामक ग्राम (लगभग ८ या १० मील) तक होती है, जहाँ उम नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुँचता है।



चाँधे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलवारा पहुँचता है और वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलवारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका पहुँचता है। कपिलवारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव (जी) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं।

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी-खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वेश्वर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (श्लोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोदया ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वज्र-पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का मन्दिर है। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है (काशी०, अध्याय ३०)। गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९-११५, पट्-पंचाशद् गजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति) के आधार पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख किया है। काशी० (५७।३३) में 'दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे 'दुण्डि' अर्थात् अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है (अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति धातुः)।

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह है कि काशी-प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण मठ ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे।

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम बतलाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७-४५) एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित हो उठे और काशी को शाप देने को उद्यत हो गए। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धारण कर सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के विषय में विस्तार से लिखा है।

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली०, पृ० १२९)। जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण का प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३३)।

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन् ११२० ई० में सम्राट् गोविन्द-

चन्द्र ने बनारस में नेपालमार्गचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण के एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) में गाथा आयी है।

यह ज्ञातव्य है कि लिंग० (पूर्वार्ध, १२।६७-१००), पद्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२-१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ) एवं काशी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) में काशी के बहुत-से लिंगों एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महालिंग के नाम से प्रसिद्ध थे—शंकार, त्रिलाचन, महादेव, वृत्तिवास, रत्न-वर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विद्वकर्मेश्वर, मणिकर्णार, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिंगों की यात्रा मास की प्रतिपदा में आरम्भ की जानी चाहिए। काशी० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिंगों के नाम आये हैं जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिंग० (१।१२।६७-१०७) ने लिंगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। इसके अध्याय ९४ (श्लोक ३६) में ३६ मौलिक लिंगों (१४ शंकारादि, ८ विश्वेश्वरादि एवं १४ शैलेशादि) की ओर संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं।

ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्नान करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए।

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप करता है और यही या अन्यत्र मर जाता है तो क्या हाता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५।२२), पद्म० एवं ब्रह्मवैवर्त में उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर यहाँ मर जाते हैं वे कालभैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के गणा द्वारा पीड़ित होने हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालभैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में ससार से मुक्ति पाते हैं।

यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत में काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु न धर्मक्षेत्र नामक स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ योगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह मारुताय नामक स्थान की ओर संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी लोग ८ मासों तक श्वर-उच्चर घूमते हैं और वर्षों के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हीं काशी का सर्वथा त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४, कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४)।

काशी के नाम के साथ विद्या की महान् परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबस्ती के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३)। आश्न अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में जाया है कि बनारस पुरातन काल में हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है (विद्याना सदन काशी)। बनारस के ज्ञानसपन कुला की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर की हिन्दी भाषा बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी (जिल्द ४१, पृ० ७-१३ एवं २४५-२५३)।

## अध्याय १४

### गया

आधुनिक काल में भी सभी धार्मिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास, प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुर्दिक् के विचित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सौ वर्षों के भीतर बहुत-सी बातें लिखी गयीं हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए—डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 'बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिंघम का 'महायोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-श्राद्ध एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन् १०३३ ई० का तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो विष्णुपद के पास 'दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, पृ० ६३), जहाँ विद्यवादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन् १०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधव बरुआ का दो भागों में 'गया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ; जे० वी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११)। मध्य काल के निबन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), त्रिस्थली-सेतु (पृ० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थेन्दुशेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार-संग्रह (पृ० ३६-३८)।

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया-माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्० वी०, १९०३)।<sup>१</sup> किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलसी, अज्ञान एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के

१. मध्वाचार्य के जन्म-मरण की तिथियों के विषय में मतैक्य नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि-मठ' ने क्रम से शक संवत् १०४० (सन् १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों द्वारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। अन्नमलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई०) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन् १२३८-१३१७ ई० है।

१४८४ कुल थे, युचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन् १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ को जनगणना में गूढ़ गयावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य काल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्य होंगे न कि शंकर। डा० बह्जा ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तर्कों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बह्जा का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत ठहर जाता है। वे सन्दहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्कों पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपर्व में पाप जानेवाले वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृत्तान्त से करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं—'महाभारत में वर्णित गया प्रमुखतः धर्मराज यम, ब्रह्मा, एवं शिव शूली का तीर्थस्वल्प है, और विष्णु एवं वैष्णववाद नाम या नावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते। ब्रह्मयूप, शिवलिंग एवं वृषभ के अतिरिक्त यहाँ किसी अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हम महाभारत एवं अन्य सङ्ग्रह ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी बात जो डा० बह्जा के मत की असंगति प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कौलहान्न द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें श्लोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है)।

अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में आये हैं, जाँच करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तों के रचयिता थे प्लति के पुत्र गय। ऋ० (१०।६३।१७ एवं १०।६४।१७) में आया है 'अस्तावि जना दिव्यो गयन्' (दंडी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए)। स्पष्ट है, ये ऋग्वेद के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में 'गय' शब्द अथ ज्यों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख अमंगल है। अथर्ववेद (१।१४।४) में अस्तित्व एवं कल्पक का मान गय नामक एक व्यक्ति जादुगर या ऐश्वर्यालोक के रूप में वर्णित है। वैदिक संहिताओं में असुरा, दासा एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारगत कहा गया है (ऋ० ७।९।४, ७।१०।४।२४-२५ एवं अथर्ववेद ४।२३।५)। ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि 'गय' आगे चलकर 'गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो। निरुक्त (१२।१९) में 'इदं विष्णुवि चक्रने त्रेधा नि दधे पदम्' (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दा विश्वेपग दिवे हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा मौसालिक या विवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है—'बह (विष्णु) अपने पदा को तीन ढंगों से रखता है।' शाकपूराण के मत से विष्णु अपने पद का पृथिवी, जलरिक्त एवं स्वर्ग में रखते हैं, औषंवाम के मत से समाराहण, विष्णुपद एवं गय-धीर्य पर रखते हैं। वैदिक उक्ति का तात्पर्य चाहे जा हा, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व इसके दो विश्वेपग उपस्थित हो चुके थे, और यदि बुद्ध के निर्माण की तिथियाँ ठीक मान ली जायँ तो यह कहना युक्तिसंगत है कि औषंवाम एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए थे। दक्षिण संकेत वृक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० २२-२३, जहाँ मिहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी देखवा के मत से ई० पू० ४२९-४००)। गयधीर्य का नाम वनपर्व (८।७।

२ त्रेधा निधत्ते पदम्। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवोति शाकपूराणः। समाराहणे विष्णुपदे गयधिरसि—इति औषंवाम। निरुक्त (१२।१९)।

३. अधिकांश संस्कृत विद्वान् निरुक्त की कय-से-कम ई० पू० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। औषंवाम निरुक्त के पूर्वकालीन हैं। (विट्ठलनिबन्ध का हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ६९, अग्रणी संस्करण)। गयामार्ग के वास्तविक स्वल्प एवं विस्तार के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। वेसिए डा० राजेन्द्रलाल मित्र हृत 'बुद्ध-गया'



नन गेष्टीवेरी, जिन्ह १६, पृ० ६३) । श्लोक का अनुवाद यों है—'उस बुद्धिमान् (राजकुमार यक्षपाल) ने मीना-दित्य एवं अन्य देवों (उत्तमं उन्मिगिन) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया और अशय (वट) के पास एक मठ (भोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाल का यह शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरुआ का कलम है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा गया, और वह १०४० ई० में प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, जिनमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात् लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। जोड़े जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और यह श्लोक कलातरु द्वारा १११० ई० में उद्घृत किया गया है), पुनः वायु० (८२।२१) एवं अग्नि० (११५।१०) में वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह तालाब गिट्टी से भर गया था अतः यह पुनः सन् १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा-चौड़ा बनाना गया। उसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है।

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु० अध्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के बाद का है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात् कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुगामनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत-से श्लोक बार-बार दुहराये गये हैं। डा० बरुआ ने इन बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा—ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाधर, मन्ग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं—गृध्रकूट, भरत का आश्रम, मन्तगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से श्लोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) द्वारा श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्घृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य ७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा।

अब हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वनपर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव लोग कुछ समय तक रहे थे) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि 'व्यक्ति को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेध करता है या नील वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्व ८७।१०-१२)।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) ने पवित्र

५. मीनादित्यसहस्रलिंगकमलार्धाङ्गीणनारायण,--द्विसोमेश्वरफलगुनायविजयादित्याह्वयानां कृती ।

स प्रासादमचीकरद् दिविपदां केदारदेवस्य च, ख्यातस्योत्तरमानसस्य खननं सत्रं तथा चाक्षये ॥

६. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥ महानदी च तत्रैव तथा गयशिरो नृप । यत्राभी कोत्यते विप्रैरक्षय्यकरणो वटः ॥ यत्र दत्तं पितृभ्योन्नमक्षय्यं भवति प्रभो । सा च पुण्यजला तत्र फल्गुनामा महानदी ॥ वनपर्व (८७।१०-१२); राजर्षिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्युते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चैव महानदी ॥ ... ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान् । अक्षये देवयजने अक्षयं यत्र वै फलम् ॥ वनपर्व (९५।९-१४) ।



तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।<sup>१३</sup> मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) - ब्रह्मज्ञान से, गयाश्राद्ध में, गाँवों को भगाये जाने पर उन्हें वचाने में मरण से तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार वसे श्रेष्ठ है।<sup>१४</sup> गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति सिंह राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विद्यालया, विरजा एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए।<sup>१५</sup> संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।<sup>१६</sup> सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों में है। गयागिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।<sup>१७</sup> गया में पितृ-पिण्ड निम्न वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल), पका चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिणा देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (आँखों से कृत्य छिपाना) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से) देखे जाने पर दोष ही लगता है।<sup>१८</sup> जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं उन्हें विषयाभिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केवल एक वार खाना चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने

११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यन्नाम्ना पातयत्पिण्डं तन्नयेद् ब्रह्म शाश्वतम् ॥ नामगोत्रे समुच्चार्यं पिण्डपातनमिव्यते । (वायु० १०५।१४-१५) ; आधा पाद 'यन्नाम्ना... शाश्वतम्' अग्नि० (११६।२९) में भी आया है ।

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोत्रहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं ... यदि पुत्रो गयां व्रजेत् ॥ गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः । वायु० (१०५।१६-१८) । मिलाइए अग्नि० (११५।८) 'न कालादि गयातीर्थे दद्यात्पिण्डांश्च नित्यशः ।' और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४।२०), अग्नि० (११५।३-४ एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३।८) ।

१३. मुण्डनं चोपवासश्च ... विरजां गयाम् ॥ वायु० (१०५।२५) ।

१४. दण्डं प्रदर्शयेद् भिक्षुर्मयां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ वायु० (१०५।२६), नारदीय० (२।४५।३१) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३९०) ।

१५. पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वै ॥ वायु० (१०५।२९-३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थली०, पृ० ३३५; तीर्थप्र०, पृ० ३९१) । और देखिए अग्नि० (११५।४२) एवं नारदीय० (उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध तीर्थों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है ।

१६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम् । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयं विधिः ॥ नावाहनं न दिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवः । ... अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमुं प्रति । तीर्थे सदा वसन्त्येते तस्मादावाहनं न हि ॥ वायु (१०५।३७-३९) । 'नावाहनं... विधिः' फिर से दुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९) ।



गुल की २१ पीडिया की रक्षा करता है। अक्षय्यत न नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को मनुष्ट करता चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।”

१०६वें अध्याय में गयापुर की गाथा आयी है। गयापुर में, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, कोलाहल नामक पर्वत पर सप्तो वर्षों तक तप किया। उगने तप में पीडित एवं चिन्तित देवपण रक्षा के लिए ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि ये लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयापुर के पास चले। विष्णु ने उगने बटित तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग ले। उगने वर माँगा कि वह देवों, ऋषियों, मन्त्रों, सन्यासियों आदि में अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने ‘तथास्तु’ अर्थात् ‘ऐसा ही हो’ कहा और स्वयं चले गये। जो भी लोग गयापुर को देखने थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की राजधानी माली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णु ने ब्रह्मा से उससे प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयापुर सप्तद्व द्वारों का गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका गिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पूर्व दक्षिण की ओर हो गये। ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र की और अपने मन से उदरत ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और गयापुर के शरीर पर यज्ञ किया। उनका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयापुर के स्थिर पर अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया। किन्तु तब भी गयापुर का शरीर शिला के साथ हिलता रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर रखे होने को कहा। उन्होंने वैसा किया, किन्तु तब भी शरीर हिलता-डोचता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जा शिला पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उग्र शिला पर जानाँ, पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूप में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रणितामह, पितामह, पम्बवीस, वेदार एवं वनकेदार) में बैठ गये, विनायक हाथी के रूप में और मूर्धे तीन रूपों में, लक्ष्मी (सौता के रूप में), गौरी (मगला के रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयापुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि गदाघर कहा गया। गयापुर ने पूछा—‘मैं प्रवचिन क्या किया गया हूँ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उगने अपना शरीर दे चुका हूँ। क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीडा दी जा रही है)?’ तब देवा ने उनसे वरदान माँगने को कहा। उसने वर माँगा, ‘जब तब पृथिवी, पर्वत, मूर्धे, चन्द्र एवं सारे रह, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एवं अन्य देव शिला पर रह। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोमों तक विस्तृत है और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहे जो एक कोस विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियाँ) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिह्न आदि) में रह। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ धाड़ दिया जाय, ब्रह्मलोक का जायें और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जायें।’ देवा ने ‘तथास्तु’ कहा। इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजों को पाँच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामधेनु, दुग्ध की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त भोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगें नहीं। किन्तु लोभी ब्राह्मणों ने धर्मरिष्य में धर्म के लिए दण्ड किया और उसकी दक्षिणा माँगी। ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें दण्ड दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनमें सब कुछ छीन लिया गया और अब

उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे।

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। धर्म को, धर्मव्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप करने को कहा। धर्मव्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप किया। मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मव्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और धर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक द्वार मरीचि श्रमित होकर सो गये और धर्मव्रता से पैर दवाने को कहा। जब वह पैर दवा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दवाना छोड़कर उनके पिता की आव-भगत में उठ पड़े। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला बन जाने का शाप दे दिया। क्योंकि पैर दवाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा—‘महादेव तुम्हें शाप देंगे।’ उसने गार्हपत्य अग्नि में खड़े होकर तप किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास गये। विष्णु ने धर्मव्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि मरीचि ऐसे महान् ऋषि का शाप नहीं टूट सकती अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जायँ, सभी व्यक्ति जो उस शिला के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जायँ और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस पर खड़े होंगे।”

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। ‘आनन्दाश्रम’ के संस्करण में इसका विषय संक्षेप में यों है। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों से कहा—प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आकृतियों एवं पदचिह्नों के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः उस पर्वत को मण्डपूठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिलन-स्थल के समीप रामतीर्थ, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम एवं शवल नामक धम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पर्वत का, अगस्त्य कुण्ड का तथा गृध्रकूट पर्वत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, क्रौञ्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनार्दन का वर्णन आया है।

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पश्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट

१८. अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो वायुपुराण में पाये जाते हैं।

पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६)। गयापुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो श्रष्ट रामा एवं विष्णु-भक्त था) ऐसे अमुर थे, जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने देवा से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (११६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने नृसिंह से युद्ध किया था, पद्म० (भूमितण्ड, ११८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवों तनु में प्रवेश किया (इस पुगण ने उसे महाभागवत कहा है), वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अमुत्तरनिकाय, भाग ४, पृ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं अमुरिन्द (अमुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्रह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण (अध्याय ७३) कूर्म० (११७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की महापता से कृष्ण के साथ युद्ध स्थि जान के लिए देखिए ब्रह्म० (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८)।

डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बाघगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयापुरकी गाथा बौद्धधर्म के ऊपर ब्राह्मणवाद की विजय का रूपक है। आ' मंत्री (जो ए० एम० सी०, १९०४ ई० माय २, पृ० ७) के मत से गयापुर की गाथा ब्राह्मणवाद के पूर्व के उम्र समझीने की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० वरआ ने इन दोनों मतों का संश्लेष किया है। उनका कथन है (भाग १, पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तर्हित भाव यह है कि लोग कल्पों के पवित्रमी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया की चर्चा नहीं होती, गय या नमुचि या वृत्र अश्वकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिविक्रम नामक वैदिक शब्द को जौणवाम कृत व्याख्या में गयापुर की गाथा का मूल पाया जाता है।<sup>१</sup> स्थानाभाव में हम इन सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई सान्निध्य पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था और गयापुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट करने का उत्तरकालीन प्रयास मान है।

१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाघर व्यक्ति एवं अन्यस्त रूप में प्रकट हुए। उनकी गदा वीम उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोल तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक एक शक्तिशाली अमुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अम्बियाँ उन्हे दे दी। ब्रह्मा को इच्छा से विरवकर्मों न उन अस्थियां स एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायम्भुव मनु के समय भे ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक अमुर ने महर्षी देवी वर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवा द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण व चक्र आदि शम्बा द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवा का जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की गाथा अग्नि० (११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाघर इगल्पि कहा जाता है कि उन्होंने उम गदा का सर्वप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयापुर के सिर पर रखी हुई गिला पर सजे हुए और गयापुर के गिर का स्थिर कर दिया।<sup>१</sup> वे अपने का मुण्डपूठ, प्रनास एवं अन्य पर्वतों के रूप में प्रकट करते

१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरआ को यह सूचना कहां से मिली कि गय धेद में धृप्र-अंते राक्षस के समान है। ऋग्वेद में कथ-से-कथ धृप्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है।

२०. वायुपुराण (१०५।६०) में आदि-गदाघर के नाम के विषय में कहा गया है—'आठया गदया भीतो यस्माद् दैत्य स्थिरोऽहत् । स्थित इत्येव हरिणा तस्मादादिगदाघर ॥' देखिए त्रिस्थलीशेतु (पृ० ३३८)। ऐसी ही स्थिति वायु० (१०९।१३) में पुन आयी है।

हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाधर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य पद गदाधर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं। गदाधर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे वर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा—‘हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।’ विष्णु ने ‘तथास्तु’ कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाधर के रूप में और जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०)। वायु० (१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तत्पर्य यह

२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्वतों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं श्लोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए। पुनीत नदियाँ ये हैं—फल्गु (जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५।२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मधुस्रवा (१०६।७५), अग्निधारा (उद्यन्त पर्वत से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), चैतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५)। इनमें कुछ केवल नाले या धाराएँ मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं शिखर ये हैं—गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास (१०८।१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यन्त (वनपर्व ८४।९३, वायु० १०८।५९, १०९।१५), भस्मकूट (१०९।१५), अरविन्दक (१०९।१५), नागकूट (१११।२२, अग्नि० ११५।२५), गृध्रकूट (१०९।१५), प्रेतकूट (१०९।१५), आदिपाल (१०९।१५), क्रौञ्चपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), ब्रह्मरोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्थल ये हैं—फल्गुतीर्थ, (१११।१३, अग्नि० ११५।२५-२६ एवं ४४), रामतीर्थ (१०८।१६।१८), शिलातीर्थ (१०८।२), गदालोल (१११।७५-७६, अग्नि० ११५।६९), चैतरणी (१०५।४४), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), दक्षिण मानस (१११।६ एवं ८), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (निःक्षीरा) पुष्करिणी (१०८।८४), मतंगवापी (१११।२४)। पुनीत स्थल ये हैं—पञ्चलोक, सप्तलोक, वंशकुण्ड, लोहदण्डक (सभी चार १०९।१६), गोप्रचार (१११।३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), धर्मारण्य (१११।२३), ब्रह्मरूप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपर्व ८४।८६)। पुनीत वृक्ष ये हैं—अक्षयवट (वनपर्व ८४।८३, ९५।१४, वायु० १०५।४५, १११।७९-८१३, अग्नि० ११५।७०-७३), गोप्रचार के पास आम्र (१११।३५-३७), गृध्रकूटवट (१०८।६३), महाबोधितरु (१११।२६-२७, अग्नि० ११५।३७)। आम्र वृक्ष के विषय में यह श्लोक विख्यात है—‘एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आम्रस्य मूले सलिलं ददानः। आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया द्वयं करी प्रसिद्धा ॥’ (वायु० १११।३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, उत्तर, ४६।७, पद्म० सृष्टिलखण्ड, १।१।७७)। बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं, यथा—फल्गुवीश, फल्गुचण्डी, अंगारकेश्वर (सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिह्न हैं) ये हैं—वायु० (१११।४६-५८) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्योँ की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३) ने कम-से-कम ३३ के नाम लिये हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं—विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, क्रौञ्च, मातंग, सूर्य, कार्तिकेय एवं गणेश। इनमें चार अति महान् हैं—काश्यप, विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्म (वायु० १११।५६)। नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है।



एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४)।<sup>१३</sup> इसके उपरान्त यात्री को विविध रूपों से संबन्धित लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।३४-३५)। तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० ११०।५९-६०)। वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेषु चैवं स्यात् पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारभ्य कुर्वातीर्थेषु च क्रमात् ॥)।

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१)।<sup>१४</sup> सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में)। इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिर्भवति कर्तॄणां पितॄणां श्राद्धतः सदा, वायु० ११०।१३)। ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलधारा के रूप में आदिगदाधर है।<sup>१५</sup> फल्गु-स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है।<sup>१६</sup> पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन (अर्थात् गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग-वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तर्पण, श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धर्मेश्वर को नमस्कार करना चाहिए।<sup>१७</sup> यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध

२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३५५) यों कहता है—'प्रेतपर्वतो गयावायव्यदिशि गयातो गव्यूत्यधिकदूरस्थः। ब्रह्मकुण्डे प्रेतपर्वतमूल ईशानभागे।'

२५. पाँच तीर्थ ये हैं—उत्तर मानस, उदीचीतीर्थ, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थली० (पृ० ३६०) का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। वायु० (१११।१२) में आया है कि फल्गुतीर्थ गयाशिर ही है—'नागकूटाद् गृध्रकूटाद्गृपादुत्तरमानसात्। एतद् गयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीर्थं तदुच्यते ॥ किन्तु अग्नि० (११५।२५-२६) में अन्तर है—'नागाज्जनाईनात्कूपाद्दटाच्चोत्तरमानसात्। एत . . . च्यते ॥' गहड़पुराण (१।८३।४) में ऐसा है—'नागाज्जना० . . . तदुच्यते ॥' त्रिस्थली० (पृ० ३५९) ने यों पढ़ा है—'मुण्डपृष्ठात्त्रगाघस्तात्फल्गुतीर्थ-मनुत्तमम्।'

२६. गंगा पादोदकं विष्णोः फल्गुह्यादिगदाधरः। स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद् गंगाधिकं विदुः ॥ वायु० (१११।१६)।

२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है। देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३।५३)—'पञ्चामृतेन च स्नानमर्चयां तु विशिष्यते।'

२८. डा० बरसा (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पृ० २२) का कथन है कि 'धर्म' एवं 'धर्मेश्वर' बुद्ध के द्योतक हैं, किन्तु ओ' मैली का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'यम' की ओर है। सम्भवतः ओ' मैली की बात ठीक है। पद्म० (सृष्टि-खण्ड, ११।७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं—पुष्करारण्य, नैमिषारण्य एवं धर्मारण्य।

करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एव नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच तीर्थों वृत्त्य के तीसरे दिन (अर्थात् गया प्रवेग के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर म स्नान करना चाहिए और ब्रह्मरूप एव ब्रह्मपूजा (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करत के लिए स्थापित धर्मिय स्तम्भ) के मध्य में गण्डो के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध से यात्री अपने पितरा की रक्षा करता है। यात्री का ब्रह्मरूप की प्रदर्शना करनी चाहिए और ब्रह्मा का प्रणाम करना चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाए गए आश्र वृक्ष है। ब्रह्मसर में जल लेकर किसी आश्र वृक्ष में देने से पितर लाग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एव धर्मराज को, यम के दो कुत्तों को तथा बौआ का बलि देनी चाहिए और तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। ३४-४०) एव नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इनके उपरान्त पंचतीर्थों वृत्त्यो के चौथे दिन (गया प्रवेग के छठे दिन) यात्री का फल्गु म साधारण स्नान करना चाहिए और गयागिर के वनिय पदो पर श्राद्ध करना चाहिए। गयागिर त्रौन्चपद में फल्गुतीर्थ तत्र विन्तूत है। गयागिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देना है।" यहाँ पर आदि-गदाधर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुश की रक्षा करता है और अपन का फल्गुणमय, अक्षय एव अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।७७-५६) ने रत्नपद, ब्रह्मपद एव अन्य १४ पदों पर किये गये श्राद्धों के फल की चर्चा की है।" गयागिर पर यात्री जिसका नाम लेकर पिण्ड देना है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त करता है।

पञ्चतीर्थों वृत्त्या के पाँचवें दिन (गया प्रवेग के सातवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए।" गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इस उपरान्त उमें अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रणिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दाना एव माजन से सम्मानित करना चाहिए। जब वे परिपुष्ट हो जाते हैं तो पितरा के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।" इसके उपरान्त यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रतितामह की पूजा के लिए प्रणाम करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एव नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७)।

त्रिस्वलीसतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त वृत्त्य गया में किए जाने वाले सात दिनों के वृत्त्य हैं और

२९. क्रीञ्चपादात्कल्मीचीर्षं यावत्साक्षाद् गयागिरि । वायु० (१११।४४) । क्रीञ्चपाद को वायु० (१०८।७५) में मुण्डकुल कहा है—

३०. त्रिस्वली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एव अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयागिर पर पुष्कल से श्राद्ध नहीं होता। गयागिरसि य विष्णुपदे नाम्ना तु निवपेत् । नरकस्या दिव यान्ति स्वर्गस्या मोक्ष-मान्मु ॥ देखिए वायु० (१११।७३) एव अग्नि० (११५।४७) । गयागिर गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त पवित्र स्थल है।

३१. इस तीर्थ का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) धोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीर्षं गदया तद् द्विधा कृतम् । तत प्रक्षालिता यस्मात्तीर्थं तद्वच विमुक्तये । गदालोलमिति द्यात सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ॥ वायु० (१११।७५) । गदालोल फल्गु की धारा में ही है।

३२. मिश्राइए—'ये युष्मान्पुत्रिष्यन्ति गयायामागता नरा । ह्युक्त्वयं वं धाद्वंस्तेषां कुलशतं व्रजेत् । नरकात् स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकात्परा गतिम् ॥' अग्नि० (११५।३९-४०) ।

यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि वायु०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित हो सकता है।<sup>१३</sup> गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया-यात्रा में विशाल नामक राजा का भी गया आयी है जिम्ने पुत्रहीन होने पर गयाशीर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को वचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है (श्लोक १६-२०)—एक रोगी व्यक्तित्व प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० (११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड़० (१।८४।३४-४३), वराह० (७।१२) में भी पायी जाती है। इसके उपरान्त श्लोक २०-६० में गया के कई तीर्थों के नाम आये हैं, यथा—गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थ, विशाला, लेलिहान, भरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, चैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा—गयागज, गयादित्य, गायत्री (तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाशिर।<sup>१४</sup>

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा—फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान् के ही कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कभी-कभी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं। कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं ह्वेन

३३. क्रमतोऽक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५।७४) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३६८)।

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरश्चैव षड् गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२।६०), तीर्थचि० (पृ० ३२८, 'षड् गयं मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३७२)। यह नारदीय० (उत्तर, ४७।३९-४०) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथी की आकृति से युक्त स्तम्भ को गयागज कहा गया है।



साग ने गया एव उरुविल्ला या उरुवेला (जहाँ बुद्ध ने छ वर्षों तक कठिन तप व्रत किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीर्थस्थला में गिना है और कहा है कि हिन्दू यात्री को उसकी यात्रा नरनी चाहिए और यह बात आज तक ज्या-की-र्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी एक शाखा महान् अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका में भेजी गयी थी और लका के कण्डी नामक स्थान का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, मुण्डपृष्ठ, प्रसास, गृध्रकूट, नागकूट, जो लगभग दस मील तक फैला हुआ है।<sup>११</sup>

हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम वृत्त्य है। गयावाल पुरोहित फूलों की माला से यानों के अँगूठे या हाथों को बाँध देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, मस्तरु पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ बपथपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घायणा करते हैं कि यात्री के पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित होते हैं, जो पाच वेदियों पर भौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एव काकबलि, जो रामशिला एव प्रेतशिला पर अवस्थित है। ये धामी पुरोहित गयावाक ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं।

गया में कितने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धा में मतैक्य नहीं है। वायु० एव अन्य पुराणा में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो कुछ गया, धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष एव अक्षयवट में पितरों का अर्पित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी स्थानों अथवा उक्तिपा में 'पितृ शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूव पुरुषों का किया जाता है।<sup>१२</sup> गौतम के एक श्लोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।<sup>१३</sup> पिता एव माता के पक्ष के छ पूर्व पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत भिन्नता पाय जाते हैं। अग्नि० (११५।१०) ने एक विवरण दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होने हैं तो तीन पितृ-पक्ष के पितरों, तीन मातृ पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात् मानव-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता पितृमही एव प्रपितामही के लिए पृथक् रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया-श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितृ एव मातृ वर्गों के सभी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर लिया जाता है। अपराकं (५० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विवरण दिया है।<sup>१४</sup> रमृत्यर्थसार एव हेमाद्रि के मत से पितृ वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एव गयाश्राद्ध पृथक् होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एव उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता

३५ गयाशिर एव गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल थे, ऐसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है। देविए महावग (१।२।१।१) एव अगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२) -- 'एक समय भगवा गयाया विहरति गयासीसे।'

३६ पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेषेण कर्तव्य विशेषांतरक ज्ञेयम्॥ इति गौतमोपनिषत्। त्रिस्थली० (पृ० ३४९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६)।

३७ तनश्चान्वष्टकादिश्रेयो रत्रीणा श्राद्धं पृथगेव। गयामहालयादी तु पृथक् सह वा भर्तृभिरिति सिद्धम्। अपराकं (पृ० ४३२), गण्ड० (१।८।४।२४) ने आया है—'श्राद्धं तु नन्देवत्य कुपिद् द्वादशदंडवन्म्। अन्वष्टकात् पृष्टी च गयायां मृतवास्तरे ॥'

केवल ९ ही होंगे, )।<sup>१८</sup> यम (श्लोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा—पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३४९)। रघुनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कव-कव १२ या ६ देवता होने चाहिए। जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।<sup>१९</sup>

यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु० ८३।१८) तथा केवल गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजा पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान् ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।<sup>२०</sup> त्रिस्थली० (पृ० ३५०) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भस्मकूट पर जनार्दन की प्रतिमा के हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड०; नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५)। गया में कोई भी सम्बन्धी या असम्बन्धी पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८)।<sup>२१</sup>

गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा—वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध-पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता-मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात् उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं 'ओम् अद्येत्यादि अश्वमेध-सहस्रजन-फलविलक्षणफल-

३८. तत्र मातृश्राद्धं पृथक् प्रशस्तम्। मातामहानां सपत्नीकमेव। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५९-६०); देखिए त्रिस्थली० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का मत दिया गया है।

३९. ओम्। अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहप्रपितामहानाममुकदेवशर्मणाम्, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही-प्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुकामुकदेवशर्मणाम्, अमुक-गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-वृद्धप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुक्तकामः प्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिष्ये। तीर्थचि० (पृ० २८७)। और देखिए गरुड० (१।८।४।४५.४७)।

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलैर्विना। पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजाः॥ वायु० (८३।३४), त्रिस्थली० (पृ० ३५०)। और देखिए वायु० (१०५।१२); अग्नि० (११५।६८)—'पिण्डो देयस्तु सर्वैः सर्वैश्च कुलतारकैः। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता॥'

४१. आत्मजोऽप्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद् ब्रह्म शाश्वतम्॥ नामगोत्रे समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते। येन केनापि कस्मैचित्स याति परमां गतिम्॥ वायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए वायु० (८३।३८)।

प्राणिकाम फल्गुतीर्थस्नानमत्र वरिष्ये' शब्दों के साथ गया-श्राद्ध करेगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अर्घ्य वृत्तों को छाड़कर पावण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी त्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान कर सकता है। उमी दिन उसे प्रेतगिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए—भूमि की मुद्रि करनी चाहिए, उम पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपमव्य रूप से जनेऊ धारण करना चाहिए, श्लोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'व्यव्यालो श्राद्धेनानेत शाश्वतीम्') करना चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़-वना चाहिए और मन्त्र पढ़ना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-वृत्त्य करने चाहिए, श्राद्ध-वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपमव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर तीन मुद्रा को रचना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके निलयुक्त अजलि-जल से एक बार आवाहन करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो श्लोको (वायु० ११०।२०, २१ 'ओम्' के साथ 'आ ब्रह्मा तिलोदकम्') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन करना चाहिए और 'ओम् अद्य अमुकमीन पितरमुकदेवसमन एष ते पिण्ड स्वधा' के साथ पायस या तिल, जल, मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे मेघ ११ देवताया (पितामह आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब उस जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जलमयित कुण्ड (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलजल से आवाहन करना चाहिए, दो श्लोका (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुण्डो, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जो के आटे का एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पदचात् एक पर पञ्चगव्य छिड़का जाता है, इसके पदचात् प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुण्ड रखे जाते हैं और कुण्डो पर इच्छित व्यक्तियों का मन्त्रो (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब षोडशीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होनी है, तिलयुक्त अजलि-जल दिया जाता है और प्रथम स्थल में आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धषोडशी कहा जाता है।<sup>१</sup> यह ज्ञातव्य है कि पुराणों के लिए मन्त्रों में 'ये', 'ते' एवं 'तेभ्य' का प्रयोग होता है, अतः यह 'पु-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करने यह स्त्री-षोडशी भी हो जाती है (वायु० ११०।५६, निख्यली०, पृ० ३५७, तीर्थचि०, पृ० २९२)। तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीनों बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पृ० २९३ एवं तीर्थयात्रातत्त्व पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों (पितरों) को चल जाने के लिए कहना चाहिए, "हे पिता एवं अन्य लोग, आप मुझे क्षमा करें" कहना चाहिए। इसके उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। ५९-६०, 'साक्षिण सन्तु' एवं 'आगतोसिं गयाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को

४२ ऊर्नांबशरी षोडशत्व पारिभाषिक पञ्चाश्रवत्। तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० ८)। जब कोई किसी से पूछता है कि उसके पास कितने आश्र-वृक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', भले ही ६ या ७ की संख्या हो।

निवाहने में अममर्थ ही तो उसे काम-से-काम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपराव्य रूप में जनेऊ धारण कर वायु० के श्लोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश विछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान करना, पुनर्जलसिंचन, श्वासावरोध, परिवान की गाँठ खोलना, एक मूत का अर्पण करना एवं चन्दन लगाना।

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रभासहृद के समान है। इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सकें तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 'राम-राम' मन्त्र (वायु० १०।८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०।८।२१)। इसके उपरान्त उसे ज्योतिर्मान् प्रभासेश (गिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' (वायु० १०।८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की वलि ('यह वलि है, ओम यम आपको नमन है' कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात् प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वौ श्वानी' (वायु० १०।८।३०) श्लोक का पाठ करके वलि देनी चाहिए और कहना चाहिए—'यह यमराज एवं धर्मराज को वलि है; नमस्कार'। यह वलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं।

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्निक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।<sup>४३</sup> यहाँ पर किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेदी पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात् जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था)। इसके उपरान्त यात्री को दक्षिणामिमुख होकर 'ये केचित्' (वायु० ११०।६३; तीर्थचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलांजलि देनी चाहिए।<sup>४४</sup>

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री 'उत्तरे मानसे स्नानम्' (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।<sup>४५</sup> उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अग्रभाग को दक्षिण करके) विछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आटे को मिलाकर उसका एक पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'नमोस्तु मानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीर्थ में स्नान

४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है—“ओम् अहेत्यादि पित्रादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकामः प्रेत-पर्वते श्राद्धमहं करिष्ये।' तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० १३)।

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभी कृत्य किये जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं दुहरायेगे, केवल विशिष्ट स्थलों की विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा।

४५. संकल्प यों है—“ओम् अहेत्यादि पापक्षयपूर्वक-सूर्यलोकदिसंसिद्धिपितृमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं करिष्ये।'

करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनकल एव दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० १११९-२०), दक्षिणांक को प्रणाम करना चाहिए एव उनकी पूजा करनी चाहिए, मीनांक को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाधर के दक्षिण में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एव श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी चाहिए (वायु० १११११९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० ११११२१)। तब यात्री पंच तीर्थों को जाना है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पचामृत से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पचामृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थों के कृत्य समाप्त हो जाते हैं।

पंचतीर्थों के पश्चात् अन्य तीर्थों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल वायु० के विनिष्ट मन्त्रों की आर निर्देश मात्र किया जायगा। मतगवात्री में स्नान एव श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर मनगेश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० १११२२५ 'प्रमाण देवता सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्न-वृक्ष को जड़ में जल डारते हुए 'आम्न ब्रह्म सरोदमृत' का पाठ करना चाहिए (वायु० ११११३६)। ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र 'नमो ब्रह्मणे' (वायु० ११११३४६) है। यम को वलि 'यमराज धर्मराज' (वायु० ११११३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तो को वायु० के ११११३९ एव बौओं को वायु० ११११४० के मन्त्र के साथ वलि दी जानी चाहिए। पदों के वृत्य के लिए यात्री को रत्नपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को जाना चाहिए और वहाँ पाँच उपचारों से 'इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १२२२१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धपोडसी करी चाहिए (वायु० ११०६०)।

रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध वाश्यपद पर होता है। गदालोठ-तीर्थगन्तान के लिए उन्होंने वायु० (११११७६) का मन्त्र दिया है। इनके उपरान्त उन्होंने कहा है कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उमके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट का नमस्कार करने के लिए वायु० के (११११८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, मग्नाश्रम एव मुण्ड-पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्ध का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० (१०५१५४४ 'यामी वैतरणी नाम') के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (मस्मरूट ओर देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृततुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो पितामह के पास चम्पववन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृततुल्या, मधुकुल्या, देविका एव महानदी नामक नदियाँ एव घाटाएँ (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मधुस्रवा बहती जानी हैं (वायु० ११२१३०) और वहाँ के तर्पण एव श्राद्ध में अधिव कल की प्राप्ति होती है। इनके उपरान्त दशाश्वमेध, मनगपद, मगकुण्ड (उद्यन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री का मग्नाकूट पर अपने दाहिने हाथ से अनार्दन के हाथ में दधि से मिश्रित (किन्तु निल के साथ नहीं) एक पिण्ड रगना चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच श्लोकों (वायु० १०८१८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इनके उपरान्त रघुनन्दन ने माण्डोदरी के लिए १६ श्लोक उद्धृत किए हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते।

अब हमें गयाक्षेत्र, गया एव गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तर्गत्तों को समझना चाहिए। वायु०, अग्नि० एव नारदीय० के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोना एव गयाशिर एक कोना तक विस्तृत है।<sup>४६</sup> वाणी, प्रयाग आदि जैन तीर्थों को पंचत्रोण

४६ 'पञ्चत्रोण गयाक्षेत्र त्र्योणमेक गयाशिर।' वायु० (१०६१६५); अग्नि० (११५१४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४४११६)।

कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्वाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि-वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डवृष्ट की चारों दिशाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।<sup>१०</sup> गयाशिर गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीर्ष का पालि रूप) अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)।

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की चर्चा कर देना आवश्यक है।

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता है और ये सात तीर्थ हैं—अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका।<sup>११</sup> बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम आये हैं—सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (कर्नूल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूर्व के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर त्र्यम्बकेश्वर, चितामूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबन्ध में रामेश्वर एवं शिवालय (देवगिरि या दीलतावाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का आधुनिक स्थल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं और इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिर्लिंगों के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है। बार्हस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।<sup>१२</sup>

४७. मुण्डवृष्टाच्च पूर्वस्मिन् दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्धं क्रोशद्वयं मानं गयेति परिकीर्तितम्॥ वायु० (त्रि-स्थलीसेतु, पृ० ३४२)।

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोवताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।११); काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मथुरावगित्ता चैताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदाः॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८); काञ्च्यवन्ती द्वारवती काश्ययोध्या च पञ्चमी। मायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विमु-क्तिदाः॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या...वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ गरुड० (प्रेतखण्ड, ३४।५-६)। स्कन्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्ती को रुद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ लोग नेपाल की राजधानी काठमाण्डू का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु ऐन्थोण्ट जियाप्रफो में इसे ग्वालियर के उत्तर २० मील दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है।

४९. अष्ट वैष्णवक्षेत्राः। बदरिका-सालग्राम-पुरवोत्तम-द्वारका-दिल्वाचल-अनन्त-सिंह-श्रीरंगाः। अष्टौ शैवाः। अविमुक्त-गंगाद्वार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना(?) -शिवसरस्वती-मव्य-शार्ङ्ग-गजक्षेत्राः। शिवता अष्टौ च। ओम्घीण-जाल-पूर्ण-काम-कोल्ल-श्रीशैल-काञ्ची-महेन्द्राः। एते महाक्षेत्राः सर्वसिद्धिकराश्च। बार्हस्पत्यसूत्र (३।११९-१२६)।

## कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ

### कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुरानी स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समाप्त गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में असदन्वु के पुत्र कुरुवर्षण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुवर्षण' का शाब्दिक अर्थ है 'कुरु की भूमि में मुना' गया या प्रसिद्ध। अथर्ववेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की चर्चा हुई है, जिसे अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण ग्रन्थों के नाश में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल बहा गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवा ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने दोना अस्त्रों का पहले यज्ञ भाग से वञ्चित कर दिया था। मेत्रायणी संहिता (२।१।४, 'देवा वै सत्रमासत कुरुक्षेत्रे) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, 'देवा वै सत्रमामन तेपा कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्') का वचन है कि देवा ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अति भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है—'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यामन्।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक सभ्यता का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अथवा सम्पादन होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया और देवा को देवकीर्ति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म (यज्ञ, तप आदि) का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बह्मिक प्राणि-पीय नामक एक कौरव राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल सिंगर-काल में पूर्व की ओर गय पश्चिम में वे श्रीष्म ऋषि में गय जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सरस्वती ने कवच मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिमरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २।१९)। एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३।५।४—७।३०) में आया है कि उनक काल में कुरुक्षेत्र में 'न्यग्रोध' को 'न्युञ्ज' कहा जाता था। ऐ० ब्रा० ने कुरुओं एवं पञ्चालों के देवा का उल्लेख वय-उसीनरा के देवों के साथ किया है (३।८।३—८।१४)। तै० ब्रा० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवा ने एक सत्र किया और उनमें लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस वेदी के दक्षिण ओर लाण्डव था उत्तरी भाग तूर्ण था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्तर (कूबा वाला गडदा) था। इससे प्रकट होता है कि लाण्डव, तूर्ण एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आश्वलायन (१२।६) लाटयायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२।४।६।५) के श्रीनमूय ताण्डव एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सरस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ था यथा प्लक्ष प्रलवण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वृत्तघव हृद कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, नार-पञ्च देवा में बहती यमुना एवं त्रिप्लशावहरण का देवा।

छान्दोग्योपनिषद् (१।१०।१) में उस उपस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुपारपात होने से अपनी युवा पत्नी के साथ इभ्य-ग्राम में रहने लगा था और भिक्षातन करके जीविका चलाता था।

निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९।१५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिपेण के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य'।

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण एवं दृपद्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे।<sup>१</sup> वामनपुराण (८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृपद्वती के बीच का देश कुरु-जांगल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मादेव ने सरस्वती एवं दृपद्वती नामक पवित्र नदियों के मध्य में बनाया था। ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत अंशों में इसके समान ही था।<sup>२</sup> हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तर्हित हो गयी थी उसे 'विनगन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ-स्थल था।

आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली।<sup>३</sup> कुरु नामक राजा के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह-

परीणञ्जघनार्धः। मरव उत्करः॥ तै० आ० (५।१।१)। क्या 'तूघ्न' 'सुघ्न' का प्राचीन रूप है? 'सुघ्न' या आधुनिक 'सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मील पर है।

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषद्वत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपर्व (८३।३, २०४-२०५)।

३. सरस्वतीदृषद्वत्योरन्तरं कुरुजांगलम्। वामन० (२२।४७); सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्दन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ॥ एष ब्रह्मपिदेशो वं ब्रह्मावर्तदिनन्तरः ॥ मनु (२।१७ एवं १९)। युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित था। बुद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी थी मथुरा। 'अनन्तर' का अर्थ है 'थोड़ा कम' या 'किसी से न तो मध्यम या न भिन्न'। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६)।

४. आद्यैषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहृदाः स्मृताः। कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम् ॥ वामन० (२२।५९-६०)। वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये हैं—समन्तपञ्चक (उत्तर), प्रयाग (मध्यमा), गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची)। 'स्यमन्तपंचक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० एवं पद्य० ४।१७।७)। विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुरु की वंशावली यों है—'अजमीढ-ऋक्ष-संवरण-कुरु' एवं 'य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं नकार'।



कावे और जो मंग वही ग्नात करे या मरे वे महापुरुषत्व पावे।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। भगवद् गीता के प्रथम श्लोक में 'धर्मक्षेत्र' शब्द आया है। श्याम० (७।१३) एवं कूर्म० (२।२०।३३ एवं ३।३६-३७) में आया है कि श्राद्ध के लिए कुशत्रागण एवं योग्य देव है। मातृवी घनाश्री में ह्येनगण ने इस देव की सर्वा की है जिसकी राजधानी स्यान्वीन्दर (आधुनिक धानेगर, जो कुशक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धार्मिक पुण्य की भूमि के लिए प्रसिद्ध था।

वनपर्व (१०९।२२) एवं धामनपुराण (२२।१५-१६) में कुशक्षेत्र का विस्तार पौत्र योजन श्याम में कहा गया है। महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुशक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध श्लोक आया है, यथा—नग्न्यु एवं वारन्तुक् तथा मचक्रुक् (यस की प्रतिमा) गृह रामहृदो (परमुराम द्वारा बनाये गये शालाओं) के बीच की भूमि कुशक्षेत्र, समन्तपञ्चक एव ब्रह्मा की उत्तरी बेदी है।' इसका अर्थ यह है कि कुशक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा—ब्रह्मगर, रामहृद, समन्तपञ्चक, पिनगत, गन्निहृती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३)। कुशक्षेत्र की सीमा के लिए देमिए कनिधम (आर्यालक्षितम् सर्वे रिपोर्ग, त्रिन्द १४, पृ० ८९-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुशक्षेत्र अम्बाला के दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीगत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन ऋत में वैदिक लोगों की मरुति एवं कार्य-न्यायों का केन्द्र कुशक्षेत्र था। अमरा वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गया-यमुना के देव में पैठ गये तथा आगे पञ्चर विदेह (या मियिला) भारतीय मरुति का केन्द्र हो गया।

महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कुशक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ मविन्तर नहीं दिन सकते। वन० (८३।१-२) में आया है कि कुशक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो मर्या ऐसा कहता है—'मैं कुशक्षेत्र को जाऊँगा और वहाँ रहूँगा।' 'इस विद्वय में इनके बहुर कोर्द अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूलि के कण पायीं को परम पद देने हैं।' यहाँ तक कि गया की भी तुलना कुशक्षेत्र में की गयी है (कुशक्षेत्रमा गया, वनपर्व ८५।८८)। नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ब्रह्मा, महर्षी एवं तारागणों की काल्पनि से (आवाज

५. धावदेतन्मया कृष्ट धर्मक्षेत्र तदस्तु च । स्नाताना च मृताना च महापुण्यफल त्विह ॥ धामन० (२२।३३-३४) । मिलाइए शल्यपर्व (५३।१३-१४) ।

६. वेदो प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । कुरोर्वे यत्तमीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मन ॥ वनपर्व (१२९।२२) ; समाजगम च पुनर्ब्रह्मणो वेदिमुत्तराम् । समन्तपंचकं नाम धर्मस्थानमुत्तमम् ॥ आ समन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः ॥ धामन० (२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है—'पञ्चयोजनविस्तार द्यासत्यक्षमो-द्गमम् । स्थमन्तपञ्चक तावत्कुशक्षेत्रमुदाहृतम् ॥'

७. तरन्तुकारन्तुकयोर्वन्दन्तर रामहृदाना च मचक्रस्य । एतत्कुशक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदि-रुच्यते ॥ वनपर्व (८३।२०८), शल्यपर्व (५३।२४) । पद्य० (१।२७।९२) ने 'तरण्डकारण्डकयो.' पाठ दिया है (कल्पतरु, तीर्थ, पृ० १७९) । वनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान्, विष्णु द्वारा नियुक्त कुशक्षेत्र के द्वारपालों में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष। क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? नन्ददीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुशक्षेत्र के अन्तर्वत 'रन्तुक' नामक उपतीर्थ का उल्लेख है (तीर्थप्र०, पृ० ४६४-४६५) । कनिधम के मत से 'रन्तुक' धानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुशक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है।

८. ततो गच्छेन् राज्ञेऽहं कुशक्षेत्रमभिष्टुतम् । पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गता सर्वजन्तवः ॥ कुशक्षेत्र गमिष्यामि कुशक्षेत्रे वसाम्यहम् । य एव सतत द्रुयात् सर्वपापं प्रमुच्यते ॥ वनपर्व (८३।१-२) । टीकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र

ने) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात् वे पुनः जन्म नहीं लेते।'

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपर्व ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीनद पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतमूत्रों में उल्लिखित तीर्थों में उनका मेल नहीं खाता, केवल 'विनयान' (वनपर्व ८३।११) एवं 'सरक' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता है कि वनपर्व का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतमूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात् का है। नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्यासी के रूप में रहते थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५।९५)। ऐंश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४-३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। वामन० (२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्भवतः वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३)। व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय०, उत्तरार्ध ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पद्म०, आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और औजसापाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये गये थे। काँचम (आध्याय शंजिकाल सर्वे रिपोर्ट्स ऑव इण्डिया, जिल्ड २, पृ० २१९) के मत में चक्रतीर्थ अस्थिपुर ही है और अलवरुनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३।१४२-१४९) द्वारा प्रसंगित है—'लोमों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सरस्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है' (वन० ८३।१४७; शान्ति० १५।२।११; पद्म०, आदि २७।३३, ३४, ३६ एवं कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१)। गल्यपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनों का पाठ करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात् वह जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनित्तीर्थ कहा है। पृथूदक आज का पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्ड १, पृ० १८४)।

व्युत्पत्ति वी है (वनपर्व ८३।६)—'कुत्सितं रीतीति कुरु पापं तस्य क्षेपणात् त्रायते इति कुरुक्षेत्रं पापनिवर्तकं ब्रह्मोपलब्धि-स्थानत्वाद् ब्रह्मसदनम्।' 'सम्यक् अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतरुधिरोदहृदाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्।' देखिए तीर्थप्र० (पृ० ४६३)।

९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद् भयम् । कुरुक्षेत्रमृतानां तु न भूयः पतनं भवेत् ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। २३-२४), वामन० (३३।१६)।

१०. पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम् ॥ पृथूदकात्तीर्थतमं नान्यत्तीर्थं कुरुक्षेत्रम् ॥ (वन० ८३।१४७)। वामन० (२२।४४) का कथन है—'तस्यैव मध्ये बहुपुण्ययुवतं पृथूदकं पापहरं शिवं च । पुण्या नदी प्राङ्मुखतां प्रयाता जलोद्यवतस्य सूता जलाढ्या ॥'

वामन० (३४१३) एव भारदीय० (उत्तर, ६५४-७) में कुरक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा—वाम्यक, अदिनिवन, व्यामवन, फल्कीवन, मूर्यवन, मनुवन एव मोतावन (देगिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स पार इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१)। शल्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि सप्तरात सरस्वतियों द्वारा घिरा हुआ है, यथा—मुप्रना (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करने समय उमका स्मरण किया था), वाचनादी (नैमिष वन में), विगाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तरकोसल में औद्दालक के यज्ञ में), मुरेषु (ऋषभ द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओषवनी (कुरक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एव विमलोदा (जब ब्रह्मा ने हिमालय में पुन यज्ञ किया)। वामन० (३४१६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं (यद्यपि ९ के नाम आते हैं) यथा—सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गया-मन्दाकिनी, मयुनवा, अम्बुनदी, कौशिकी, दुषद्वती एव हिरण्वती।

कुरक्षेत्र की सत्रिहती या सत्रिहत्या भी कहा गया है (देगिए तीर्थों की सूची)। वामन० (३२१३-४) का कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष में निरलनी है और कई पर्वतों को छेदती हुई द्वैतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती के प्रसस्ति भी दी हुई है। अल्वरुनी (मत्स्य, जिल्द १, पृ० २६१) का कथन है कि मोमनाथ से एक बाण निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ नाम की पहाडिया से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एव पाटन को पार करती कई मीलो तक पृथिवी के अन्दर बहती है और वच्छ के रत्न में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गेजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३)।

### मथुरा

भारत देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु ई० पू० पाँचवी शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अगुत्तरनिवाय (१११६७, एक समय आयस्मा महाकच्छानो मथुराय विहरति गु-दावने) एव मध्विद्वम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा में अपने गुरु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवत मथुरा को जानता था और इसने साथ हरेकलीज (हरिकृष्ण ?) के सम्बन्ध में भी परिचित था। 'मथुरा' (मथुरा को निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसामूत्र में भी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, किन्तु वरणादिगण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३।९८), यादवों के अन्धक-वृष्णि ऋण, सम्भवत गोविन्द भी (३।१।१३८ एव वार्तिक 'गवि च विन्दे सत्तायाम्') ज्ञात थे। पतञ्जलि के महामाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एव १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० २९९ आदि)। कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कम के तान का उल्लेख नाटकीय सकेतों, चित्रों एव गाथाओं के रूप में आया है। उत्तराध्ययनमूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, किन्तु महामाष्य में उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है, ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्व (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गाँवों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति हस एव डिम्भक यमुना में डूब गय, और जब जरासन्ध दु खिन होकर मगध चला गया तो वृष्णि कहते हैं, 'अब हम पुन प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे' (सभापर्व १४।४१-४५)। अन्त में जरासन्ध के लगानार आक्रमणों से तग आकर कृष्ण ने यादवों को द्वाराक में ले जाकर बसाया (सभापर्व १४।४९-५० एव ६७)।

ब्रह्मपुराण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्वकों ने कालयवन के मय से मथुरा का त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों में मथुरा को सुन्दर एवं समृद्धिशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉर्स्वॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, संख्या ४५४) में मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डवों की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५।२८) में इसे मधुरा नाम से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच देवमन्दिर थे और वीस संधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (युद्धिस्ट रिकर्ड्स आव वेस्टर्न वर्ल्ड, वील, जिल्द १, पृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कैटलॉग आव क्वाएंस आव ऐशियेण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८)। एफ० एस्० ग्राउस की पुस्तक 'मथुरा' (सन् १८८० द्वितीय संस्करण) भी दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में गिलालेख भी प्रकाश डालते हैं।<sup>१३</sup> खारवेल के प्रसिद्ध अभिलेख में कर्लिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुपाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा—महाराज राजाधिराज कनिष्क (पत्र ८, एफिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ का स्तम्भतल लेख; <sup>१४</sup> हुविष्क (सं० ३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एफिग्रे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१-१८२); वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० २४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०)। एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र दधिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०)। विष्णुपुराण (६।८।३१) से प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गुप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।<sup>१५</sup> अलवरूनी के भारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ

१२. देखिए डा० वी० सी० लॉ का लेख 'मथुरा इन ऐशियेण्ट इण्डिया', जे० ए० एस्० आव बंगाल (जिल्द १३, १९४७, पृ० २१-३०)।

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है। देखिए जे० वी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २३, १९३७, पृ० ११३-११७, डा० ए० वनर्जी-शास्त्री)।

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ?) भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः। मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वै ॥ अनुगं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा। एताञ् जनपदान्सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ वायु० (९९।३८२-८३); ब्रह्म० (३।७४।१९४)। देखिए डा० जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०)', पृ० ३-१५, जहाँ नाग-वंश के विषय में चर्चा है।

पुन नागो एव गुप्तो मे हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी मे (जब ह्वेनसांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध धर्म एव हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहा पुन ११वीं शताब्दी मे ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया।

अग्नि० (११८-९) मे एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा पुरी मे शैलूष के तीन कोटि पुत्रा को मार डाला।<sup>१५</sup> लगभग दो सहस्राब्दियों से अधिक काल तक मथुरा वृष्ण-पूजा एव मागवत धर्म का केन्द्र रहा है। वराहपुराण मे मथुरा की महत्ता एव इसके उपतीर्थों के विषय मे लगभग एक सहस्र श्लोक पाये जाते है (अध्याय १५२-१७८)। बृहत्सारादीय० (अध्याय ७९-८०), मागवत० (१०) एव विष्णुपुराण (५-६) मे वृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एव वृष्णलीला के विषय मे बहुत-कुछ लिखा गया है।

स्थानाभाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही श्लोकों की चर्चा की जायगी। पद्य० (आदिखण्ड, २९।४६-४७) का बयन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मथुरा मे पुण्यफल उत्पन्न करती है और जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु का भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एव ११) मे आया है—विष्णु कहते हैं कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक मे कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो—मथुरा मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्य० मे आया है—‘मायुरक नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है’ (४।६९।१२)। हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, एक श्लोक या है—‘मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या पृथिवी का शृंग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रमूत धन-धान्य से पूर्ण है।’<sup>१६</sup>

मथुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था और इसमे मथुरा पुरी बीच मे स्थित थी।<sup>१७</sup> वराह० एव नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एव इसके आसपान के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों पर मक्षेप मे लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एव १६१।६-१०) एव नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२ वनों की चर्चा की है, यथा—मधु, ताल, कुमुद, नाम्य, बहुल, भद्र, ग्यादिर, महावन, लोहजय, विन्व, माण्डीर एव वृन्दावन। २४ उपवन भी (प्रायसकृत मथुरा, पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत परचात्काशीन ग्रन्थों ने वर्णित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मथुरा के उत्तर-पश्चिम मे था और विस्तार मे पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरार्ध ८०।६, ८

१५ अभूत्सुमथुरा काविद्रामोक्तो भरतोवधोत्। कोटित्रय च शैलूषपुत्राणां निमित्तं शरः॥ शैलूषं वृत्तगन्धर्वं सिन्धुतीरनिवासिनम्॥ अग्नि० (२।८-९)। विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) मे आया है कि शैलूष के पुत्र गन्धर्वों ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-तहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा—‘जहि शैलूषपतनयान् गन्धर्वान् पापनिदम्बयान्’ (१।२०२-१०)। शैलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत-नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेताओं के हाथों की ओर सबेत् करता है? नाट्यशास्त्र (१७।४७) ने नाटक के लिए शूस्तेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उच्चमूर्त माना है। देखिए वाणेश्रुत ‘हित्सी आव सस्कृत पौडटिवस’ (पृ० ४०, सूत्र १९५१)।

१६ तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तबल्लभम्। पद्य० (४।६९।१२); मध्यदेशस्य ककुद धाम तस्य्याद्य केचलम्। शृंग पृथिव्यां स्थालस्य प्रभूतधनधान्यवन्॥ हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३)।

१७ विगतितोत्रानानां तु मायुर परिमण्डलम्। तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर, ७९।२०-२१)।

एवं ७७)।<sup>१८</sup> यही कृष्ण की लीला-भूमि थी। पद्म० (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३।३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप कुल के एवं शूरसेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुवेर की वाटिका चित्ररथ से किसी प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को वचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।१।१।१५-२५)। वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूर्म० (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ तप किया था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएँ कभी-कभी ऊटपटांग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३।३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं) का उल्लेख किया है। गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण वचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के भय से नन्द गोप गोकुल से वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या परमानन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९)। १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-भक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्० के० दे कृत वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२)। चैतन्य के समकालीन वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे (देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेव ने बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।<sup>१९</sup>

सभापर्व (३।१।२३-२५) में ऐसा आया है कि जर्रासंव ने गिरिब्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदावसान' के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता।

ग्राउस ने 'मथुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) गोवर्धन, वरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगाँव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के तीर्थ-स्थलों के लिए डब्लू० एस्० कौने कृत 'चित्रनय भारत' (पृ० २५३)।

### पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ)

पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके

१८. पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित की है। गोप-पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि।

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगीरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,—"औरंगजेव ने मथुरा के 'देहरा केसु राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ लाख रुपयों से निर्मित हुआ था) को नष्ट करने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया और उसी स्थान पर एक वृहत् मसजिद की नींव डाल दी गयी।"

विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तकें देखनी चाहिए—३७०० इ०३०० हण्टरकृत 'उडीसा' (जिल्द १, पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मिश्र कृत 'एण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा' (जिल्द २, पृ० १९-१४४), आर० डी० बनर्जी कृत 'हिस्ट्री ऑफ उडीसा' (दो जिल्दों में, १९१०), गडेडिपर आन पुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९-४१२)।

उडीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—भुवनेश्वर (या चक्रतीर्थ), जगन्नाथ (या रात-क्षेत्र), कोणार्क (या पद्म-क्षेत्र) तथा याज्ञपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि में देखे जाते हैं और अल्पिम दो सर्वथा उपेक्षित-में हैं।

पुराणों में पुण्यात्तमतीर्थ का बख्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० श्लोक) एवं बृहदार-दीय० (उत्तरार्ध अध्याय ५०-६१, ८२५ श्लोक) में हुआ है। निम्नो में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिमें लग-भग एक-त्रिहाई भाग पुण्यात्तमतीर्थ के विषय में है पृ० ५३-१७५, और जिमें पुरपोत्तम-सम्बन्धी ८०० श्लोक ब्रह्मपुराण से उद्धृत किए हैं), रघुनन्दनकृत पुण्यात्तमत्व (जा सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन् १११०-११२० ई० में प्रणीत) के तीर्थराण्ड में पुण्यात्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इमने लाजगर्ल, स्तुतस्वामी एवं वाकासुम जैसे कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है।

रघुनन्दन ने अपने पुरपोत्तम-नस्त्र में एक मन्त्र (जा अगुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसे सदर्भ में प्रकट जाना है कि यह किसी दुष्टान्ता (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है इसका जयं या है—हे दुष्ट रूपि-बुक (दुष्टी) बाटे दुष्टात्मा (या जिमें बठिनाई में मारा जा सके), उस समुद्र बाटे द्वार के वन में चले जाओ, जिसका मानवा से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका साथ दूर स्थाना को चले जाओ।" रघुनन्दन का कथन है कि ऋग्वेद म नी ऐमा ही मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करते रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुण्यात्तम में सम्मिलित कर दिया है। क्योंकि पुण्यात्तम को प्रतिमा काष्ठ की होती है।

ब्रह्मपुराण में वर्णित जगन्नाथ की कथा को मक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणा समुद्र के किनारे जोण्डू नामक एक देश है जो समुद्र में उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ है जा पापनाशन एवं मुक्तिदानदा है चारा आर स बालू से आच्छादित है और है विन्तार म दस योजन (४२।१२-

२० यथा 'आदौ यद्वाह प्लवने सिन्धो पारे अपूर्णम् । तदालभस्व दुर्दुंनो तेन याहि परं स्थलम् ॥' अस्य व्याख्या साहाय्यनभाष्ये। आदौ विप्रकृष्टदेशे वर्तमान . अपूर्ण निर्मातृरहितत्वेन तदालभस्व दुर्दुंनो हे होत ....। अर्ध-वेदेपि। आदौ सिन्धोमन्वे अपूर्णम् । तदा ...स्थलम् । अत्रापि तवंबार्यं । मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतस्व (जिल्द २, पृ० ५६३)। प्रथम मन्त्र वास्तव में श्र० (१०।१५।३ का है—'अदो... अपूर्णम् । तदा रभस्व दुर्दुंनो तेन गच्छ परस्तरम् ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है—'यद्वाह वाहन्यं पुरुषोत्तमाय देवतादारिंरं . हे दुर्दुंनो दु खेन हननीय केनापि हनुमशक्य हे स्नोत आरभस्व अवलम्बस्व उपास्वेत्यर्थं ।' सायण ने इस के विषय में अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्ति की व्याख्या दी है, यथा—यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुम्भे (बलि के रूप में) को ओर चला जाय और उस सुदूर स्थल को चला जाय जहाँ मानव न हो। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बँट जानी है। अर्धवेद में यह मन्त्र नहीं मिल सकता है।

१४)।<sup>२१</sup> उत्कल देग में पुरुपोत्तमतीर्थ नाम मे एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह है (४२।३५-३७)। पुरुपोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की भाँति पूजित होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्युम्न की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। वह अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान् एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त इमी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वामुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी से एक विशाल सेना, भृत्यों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वामुदेव क्षेत्र को, जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिविर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक वटवृक्ष था, जिसके पान पुरुपोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो वालुकावृत हो गयी थी और लता-गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वामुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विश्वकर्मा) देव प्रतिमा बनायेगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रद्युम्न नामक हृद (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।<sup>२२</sup> स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वैष्णवखण्ड नामक प्रकरण में पुरुपोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्युम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तर्गों के साथ दी हुई है।

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुपोत्तम-तीर्थ प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर भारत से लायी गयी थी और लकड़ी की तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थीं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद् (१।४) में

२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फैला हुआ है। कालिंग, ओड़्र एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ४२-५८)।

२२. देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाथा से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल-संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रद्युम्न को अपनी उस लकड़ी की प्रतिमा दिखलायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बड़ई द्वारा गढ़ी गयी थीं और ऐसी आज्ञा दी गयी थी कि जब तक वे गढ़ नदी जायँ उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक छोली जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गढ़ी नहीं गयी थीं, अर्थात् अभी वे कुन्दों के तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा ही है। राजेन्द्रलाल मित्र ने अपनी पुस्तक 'एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा' (२, पृ० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इन्द्रद्युम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तरार्ध, ५२।४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में आयी है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान ही बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों-की-त्यों से ली हैं।



इन्द्रसुम्न का नाम बहून से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।<sup>११</sup> बूम० (२।३५।२७) ने भी पुष्पात्म की मशँग में किन्तु रगहीन चर्वा की है (तीथ नारायणस्यान्यन्मान्ता तु पुष्पोत्तमम्)। राजेन्द्रलाल मित्र ने कल्पना की है कि पुष्पात्म क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं—आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवीं शताब्दी के उपरान्त जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताडपत्रों पर मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त सन्धा में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविद्वसनीय है (पृ० १०४) और सम्भवतः पुरी बौद्ध धार्मिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज आव उडीसा पृ० १०७)। उडीसा में ये बौद्ध मकेत मिन्ने हैं—घौली पहाड़ी के अशोक प्रस्तर-लेख (कर्पस इस्त्रिप्यानम् इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१००), मुवनद्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील की दूरी पर एण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावरोप के जुलूम के समान जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मही तीन बाण्ड-प्रतिमाएँ, जा वही और नहीं पायी जाती और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं सध की तीन विशिष्टताओं की ओर मकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐण्टीक्विटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काण्ड-वण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (श० मित्र के) द्वारा सिद्ध किए गये हैं, और देखिए कनिषम की पुस्तक 'ऐन्वेष्टेजियॉफ़ी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११)। गवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा प्रारम्भिक रूप में चिखलो में से एक ही थी (ज० आर० ए० एम्०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नयाँ प्रिनि)।

आधुनिक काल में जगन्नाथ नाम का घेरा वर्णाकार है जा २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट त्रि प्रस्तर-भित्तिओं से बना है जिसमें १२० मन्दिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पार्वती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रुपा क मन्दिर हैं। यह जगन्नाथ-धर्म की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) में भी इन सहिष्णुता की ओर सकेत किया है। पुष्पोत्तमक्षेत्र ने मीना एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समावयव कर दिया है।<sup>१२</sup> यहाँ पर हिन्दू धर्म के अधिकारगत सभी स्वरुपा का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रणोष्ठ हैं—भोग मन्दिर (जहाँ भोग बढ़ाये जाते हैं) नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन), जगन्नाथ मन्दिर (जहाँ यानी एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्त प्रणोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहत्कार मन्दिर का उत्तुंग शिखर गूच्छाकार है और १९२ फुट ऊँचा है जिसने ऊपर चक्र एवं पताका है।<sup>१३</sup> जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग सात फर्लांग की दूरी पर अवस्थित है और आम-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची भूमि (डील या ढह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुर्दिक घेरे की चारों दिशाओं में चार विचाल द्वार हैं,

२३ परेण्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिन केचिन् सुद्युम्नभूरिद्युम्नेन्द्रद्युम्नकुवलयारण्योवनाश्रवध्रक्षशाश्रवपति-  
शशिब्रिन्दुहरिश्चक्राम्बरीपननरनुसर्वातिययात्यनरण्योक्षतेनादय । मंत्रायणी उपनिषद् (१।४)।

२४ शैवभागवताना च वादायप्रतिषेधकम् । अस्मिन्नेश्वरे पुण्ये निर्मले पुष्पोत्तमे ॥ शिवस्यायतन देव करोमि परम महत् । प्रतिष्ठेय तथा तत्र तव स्थाने च शशकम् ॥ ततो नारायन्ति लोके अस्मिन्नेकमूर्त्तौ हरीश्वरी । प्रत्युयाच जगन्नाथ स पुनस्त महामुनिम् ॥ नाश्वोरन्तर किञ्चिद्वेकभावौ द्विधा कृतौ ॥ यो ह्य स स्वय विष्णुर्वो विष्णु स महेश्वर ॥ ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०)।

२५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है—'यात्रा करोति कृष्णस्य श्रद्धया य समाहित । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोक भजेन्नर ॥ चक्र दृष्ट्वा हरेर्दूरात् प्रासादोपरि सस्थितम् । सहसा मुच्यते पापात्रो भवत्या प्रणम्य तत ॥ (५१।७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५।१०-११)।

जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाश्वर्कों में एक-एक विशाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है।

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिंहद्वार के बाहर कोई जाति-निषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।<sup>१५</sup> दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्धन टूट जाते हैं। यहाँ तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्धों में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा,' जिल्द १, पृ० १३१-१३४)। तीसरी विशेषता है आपाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।<sup>१६</sup> रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर ('उड़ीसा,' जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह आपाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ तीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलँगी के रूप में गरुड़ बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ वलराम का है, जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलँगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्रों यात्री भावाकुल हो संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से यात्री धार्मिक उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे। किन्तु ऐसी धारणाएँ सर्वथा निर्मूल हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रों यात्री हों वहाँ दबकर मर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धार्मिकता के विरोध में पड़ते हैं। हण्टर ('उड़ीसा,' जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र-लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० ९९) ने कहा है—'जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव इतना वदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः लौट आता है।

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलायुकेश्वर, जिसे भुवनेश्वर शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पश्चात् मार्कण्डेश्वर का और तब जगन्नाथ-मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२)। मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि

२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ 'उड़ीसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांसाहारी एवं जीवहत्या करनेवाले होते हैं। मछली मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है।

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धी १२ मासों में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है।

के विषय में (जे० ए० एम० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३०८-३३१) बर्ना कहते हुए गगन-वन्द के ताम्र-पत्रों से दो श्लोकों को उद्धृत करके कहा है कि गणेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगग था पुरपोत्तम के महामन्दिर का निर्माण कराया था।<sup>१४</sup> चाडगग का राज्याभिषेक शक संवत् ९९९ (सन् १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगभग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० डी० सी० सरकार ('गॉड पुरपोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९-२१५) का कथन है कि उडिया इतिहास 'मादला पञ्जी' के अनुसार पुरपोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र अनग-भोम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (वटक) के मन्दिर में पुरपोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे सुप्तान फ रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एव डाउमन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५)। दन गग राजाओं न भुवनेश्वर, कोणार्क एव पुरी के भव्य एव विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की याम्बुकला के उच्चतम जीते जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उडीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) एव हण्टर (उडीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनग-भोम ने भुवनेश्वर के सिखर स बड़बर अति मुन्दर जगन्नाथ सिखर बनवाया था (शक संवत् १११९ अर्थात् सन् ११९८ ई० म)।<sup>१५</sup>

जगन्नाथ मन्दिर भृत्यो (सेवकों) की सेना से सुसोमिन है। य भृत्य या सेवक या चारर ३६ प्रमा एव ९७ वर्गों में विभाजित है। सबसे नेता है राजा न्युर्ष, जो अपने का जगन्नाथजों का 'शाहू देने वाला' कहते हैं (देविण हण्टर हा ग्रन्थ उडीसा, जिल्द १ पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार दान आदि लाया रपया तब पहुँच जाते हैं। जा कुछ दानादि से सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में महान अमताए प्रकृत किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ मन्दिर प्रबन्ध कानून संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा पूजा एव देग्म्यान के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं कनव्या एव अधिकारों पर प्रकाश डालता है। विन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण मात्र की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता—जैसा कि मन्त्र लोका का कथन है।

बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—मार्गण्डेय का सरोवर, वट-वृष्ण, बलराम, मणोदधि (समुद्र) एव इन्द्रगुम्फ-मर।<sup>१६</sup> मार्गण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एव नृसिंहपुराण (१०।२१, राधेण) में आयी है। ब्रह्म० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्गण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर दिक् के एव मन्दिर एव एव सर

२८ प्रासाद पुष्पोत्तमस्य नृपति को नाम कर्तुं क्षमस्तस्वैत्याह नृपैश्चैः शितमय चक्रैः गणेश्वर ॥ इन श्लोकों से पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुष्पोत्तम का मन्दिर अर्थात्पत्त था और चोडगग के पूर्ववर्ती राजाओं ने किसी मुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगग ने केवल भीतरी प्रकोष्ठ का और जगमोहन अर्थात् प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देविण राणावलदास बनर्जी, हिस्ट्री ऑफ उडीसा, जिल्द १, पृ० २५१)।

२९ 'शकाब्दे रग्ध्रशुभ्रांशुहपनक्षप्रनायके। प्रासाद कार्यामासानगभोमेन धीयता ॥ देविण डा० मित्र का ग्रन्थ, जिल्द २, पृ० ११०, एव राणावलदास बनर्जी का ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २४८, जहाँ चोडगग के राज्याभिषेक की तिथि उसके शासनवत् १००३ वाने शिलालेख से सिद्ध की गयी है।

३० मार्गण्डेय वट वृष्ण रोहिणेय महोदधिम् । इन्द्रगुम्फात्सर्ववपञ्चोर्ध्वोर्ध्वि स्तुम् ॥ ब्रह्मपुराण (६०।११)।

के निर्माण के लिए कहा और वहीं सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करना चाहिए, निर को तीन बार डुबाना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और 'ओं नमः गिवाय' के मूलमन्त्र में पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पीराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। तब यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णुं प्रणिपत्य)। वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म० ५७।१२, ६०।१८)। यात्री को कृष्ण के सम्मुख गड़े हुए गण्ड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्मण एवं मुभद्रा की पूजा करनी चाहिए। संकर्मण एवं मुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एवं (५७।५८)। कृष्ण की पूजा १२ अक्षरों (ओं नमो भगवते वामुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७।४२-५१) ने भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने में उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०।१०)। सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रशुम्भ-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितृगणों को तर्पण एवं पितृ-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)।

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३०; शक संवत् १०५९ अर्थात् सन् ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है।

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इन्द्रशुम्भ-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्मण एवं मुभद्रा का कुछ काल तक निवास हुआ था, मात दिनों की गुण्डिचायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास-स्थल है। यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका वंगला एवं उड़िया (देखिए डा० मित्र, 'एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है जिसे इन्द्रशुम्भ ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताव कृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (पृ० १६१)।

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में वार्षिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा—'जो लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवृक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे विना किसी संशय के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या श्मशान में या जगन्नाथ के गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एवं २५)।

३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम् । अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण । त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८-१९) । तीर्थचिन्तामणि (पृ० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है—'ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरतरभ्यः, सर्वभ्यः सर्वसर्वभ्यो नमस्तेऽस्तु स्वरूपेभ्यः ।' यह मन्त्र मैत्रायणी-संहिता (२।१।१०) एवं तै० आ० (१।४।५।१) में आया है।

३२. ओं नमोऽव्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे । महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनं वट । न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।१३-१४=नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५) ।

ब्रह्म० (७०।३-४ — नागदीप०, उत्तर ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है—'यह निगुना सत्य है कि यह (पुष्पातम) क्षेत्र परम महान् है और सर्वोच्च तीर्थ है। एव धार गगनर के जल में आप्णुत पुरपीतम में आने पर ध्वस्त का पुन गभंयाम नहीं करना पटना और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है।

महान् वैष्णव मन्त्र चैतन्य ३० वर्षों की अवस्था में सन् १५१५ ई० में पुरी में ही मदा के लिए रहने लगे और १८ वर्षों के उपरान्त सन् १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरद्रदेव पर, जिसने उड़ीसा पर सन् १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य-चन्द्रादय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने मन्त्र में मिलने की प्रवृत्त उत्कण्ठा प्रवृत्त की और कहा कि यदि मन्त्र की कृपादृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिजयाश्रिपूर्ण विधि का परिचायक भाव है। जग चल्नर चैतन्य महाप्रभु पुरी एव उड़ीसा में विष्णु के साथ दश के रूप में पूजित होने लगे (हृष्टर 'उड़ीसा', जिल्द १ पृ० १००)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में मावेंमौम नामक पात्र द्वारा बहलाया है कि जगन्नाथ एव चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ 'दासब्रह्म' (काष्ठ की प्रतिमा में अभिनयित देवी शक्ति) है, वहाँ चैतन्य 'नरब्रह्म' है (पृ० १६७)। कवि कर्णपूर की सन्धुत-रचना 'चैतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८) में पुरी में चैतन्य की मक्ति प्रवणता एव अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उमम रथ एव जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिखे गये प्रमुख माण का चित्रवत् वर्णन पाया जाता है। डा० एम्० ए० इन मन्त्र प्रकाशित किया है कि पनापत्र द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रकृष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण नहीं मिलत (वैष्णव फेब एण्ट सूवमण्ट इन वेगा३, पृ० ६७)।

जगन्नाथ के विद्यालय मन्दिर की दीवारा पर जो अलौकिक एव कामुन हाव भावपूर्ण शिल्प है उसमें हम उज्ज्वल मन्दिर की विशेषता पर एक वाग् चिह्न-मा फेग दिया है, और यही वात बहों की नर्तिका के विषय में भी है जो अपनी चरित्र आत्मा से कामुकता का भद्रा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी गेखकों में इस और प्रबल सचेत किया है (मया-इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२ हृष्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १११ एव १३५)। नर्तिका की उपास्थिति अतीत इतिहास की वसीधन-भी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एव १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के उन्मव व समय ध्यान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, बांसुरी का स्वर गुजार होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बठराम एव वृष्ण की प्रतिमाओं का समझ चामरधारिणी एवं मुचनार से नम्र सुन्दर वेश्याओं का नर्तन आदि हाता था।<sup>१३</sup>

### नर्मदा

गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुरीत नदिया में नर्मदा एव गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है।

वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। शतपथब्राह्मण (१२।१।३।१) में देवातरस्त की चर्चा की है, जो पाटल वाक एव स्वपति (मुख्य) था, जिसे सृष्टज्यों ने विहाल वाहर किया था।<sup>१४</sup> देवा नर्मदा का

३३ सुनीता वेदशास्त्रे मन्त्रशास्त्रेस्तवापरः। नानास्तोत्ररवे पुष्यं सामसाधोपसृष्टिनं ॥ इयामवेद्याजनं देवैः  
कुचभारावनामिभिः। पीतरवताम्बराभिश्च माल्यदामावनामिभिः ॥ ...वामरं रत्तदशुंश्च वीज्येते रामवेद्यो ॥

ब्रह्म० (६५।१५, १७ एव १८)।

३४. देवोत्तरस्तमु ह पाटव चाक स्वपतिं सृष्टजया अपदशुः। शतपथब्रा० (१२।१।३।१)।

दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'रेवा' से ही 'रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वार्तिक ने 'महिष्मत्' की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वार्तिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश (६।४३) में रेवा (अर्थात् नर्मदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है।

महामारत एवं कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ श्लोक), पद्म० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ श्लोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही श्लोक हैं), कूर्म० (उत्तरार्ध, अध्याय ४०-४२, १८९ श्लोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य० (१९४।४५) एवं पद्म० (आदि, २१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ हैं। नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७७) का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीर्थ हैं (श्लोक १), किन्तु अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (श्लोक ४ एवं २७-२८)।<sup>१३</sup> वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा आनर्त देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र लता के वितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं।<sup>१४</sup> मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्घोष किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में), तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों के स्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११=पद्म०, आदि, १३।६-७=कूर्म० २।४०।७-८)। विष्णुधर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जि. में नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नी का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८।९१)।<sup>१५</sup> वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया श्राद्ध अक्षय होता है।<sup>१६</sup> मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी

३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें पृथक्-पृथक् (तापी-रेवा-सुरसा-नर्मदा) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ध्य से तथा नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्धत्रिकोटित्तीर्थानि गदितानीह वायुना। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि सन्ति च ॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८)।

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनर्त कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) में द्वारका को आनर्त-नगरी कहा गया है। नर्मदा आनर्त में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि महाभारत के काल में आनर्त के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सम्मिलित थे।

३७. नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनिःसृता। तारयैत्सर्वभूतानि स्थावरणि चराणि च ॥ मत्स्य० (१९०।१७=कूर्म० २।४०।५=पद्म०, आदिखण्ड १७।१३)।

३८. पितॄणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां वरा। तत्र श्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत ॥ वायुपुराण (७७।३२)।

है।<sup>१९</sup> प्रो० के० वी० रगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नर्मदा वास्तव में लगभग ८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पनरु, पृ० १९९)। विष्णु दा याजन (अर्थात् उनके मतानुसार १६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्ठक से निकली है जा कर्नाटक देश का पश्चिमी भाग है।<sup>२०</sup>

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अव्यवारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो तब 'प्रातः काल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार'। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार, मुझे विषधर क्षीणों से बचाओ' इस मन्त्र का जप करने चलना है तो उसे साँपों का भय नहीं होता।<sup>२१</sup>

कूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के किसी तीर्थ पर या अमरकण्ठक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस सप्तर में) नहीं आता।<sup>२२</sup>

टालमो ने नर्मदा को नमडाज कहा है (पृ० १०२)। नर्मदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखा में एक अति प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरमन्त्रामिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त मकत १६५-४८४-८५ ई०) का है। देखिए कापस इन्स्क्रिप्शनम इण्डियेरेम (जिन्द ३, पृ० ८९)।

नर्मदा में त्रिलन वाली कनिपय नदिया के नाम मिलते हैं, यथा कविला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० एवं पद्य० १।१३।३५) विशाल्या (मत्स्य० १८६।४६=पद्य० १।३५ ३९), एरण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं पद्य० १।१८।४४) इक्षु-नादी (मत्स्य० १९१।४९ एवं पद्य० १।१८।७७), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२ १३ एवं पद्य० १।१६।६)।<sup>२३</sup> बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहा उल्लेख किया जाया। एक है महेश्वरतीर्थ (अर्थात् ओंकार) जहा में एक नीर द्वारा रत्न ने बाणामुग् की नीर नगरियां जला डाली (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्य० १।१५।२), शुक्ल तीर्थ (मत्स्य० १९२।३ द्वारा अति प्रशस्तित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजर्षि चाणक्य ने यहा मिट्टि प्राप्त की थी) भृगुतीर्थ (जिम्में दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हा जाता है, जिनमें स्नान करने से स्वर्ग मिलता है और जहा मरन से समार में पुनः लौटना नहीं पडता), जामदग्न्य-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है और जहाँ मगधान् जनार्दन ने पूणता प्राप्त की)। अमरकण्ठक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८)। नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ है माहिष्मती, जिम्में स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्यता है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया

३९ योजनाना शत साय भ्रूयते सरिदुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥ कूर्म० (२।४०।१२ = मत्स्य० १८६।२४-२५)। और देखिए अग्नि० (११३।२)।

४० कर्नाटकदेशपश्चात् परंनेऽमरकण्ठके। पुण्या च त्रिभु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ कूर्म० (२।४०।९) एवं मत्स्य० (१८६।१२)।

४१ नमदायै नमः प्रातःनर्मदायै नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मा विषसर्वत ॥ विष्णुपुराण (४।३।१२-१३)।

४२ अनायाक तु यः कुर्षात्तस्मिस्तोयं नराधिपः। गर्भघाते तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान् ॥ मत्स्य० (१९४।२९-३०), पश्चिमजति यः प्राणान् पर्वनेऽमरकण्ठके। धर्षणोदितान् सायः इदलोकं महीपते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४)।

४३ नर्मदा की उत्तरी घाटा जहाँ 'ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कावेरी' नाम से प्रसिद्ध है।

है कि अशोक महान् के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में मोगलिपुत्र तिस्स ने कई देशों में धार्मिक दूत-मण्डल भेजे थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० आर० ए० एस्०, पृ० ४२५-४७७, सन् १९१०)। महाभाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वार्तिक १०)। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंग ६।४३)। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भृगुकच्छ (आधुनिक मड़ोच), जिसके विषय में तीर्थों की तालिका को देखिए।

## गोदावरी

वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। वौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात् पसनेदि का, वह गोदावरी पर अलक के पार्व में अस्थक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एवं १८७)। पाणिनि (५।४।७५) के 'संख्याया नदी-गोदावरीभ्यां च' वार्तिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८।८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचवटी नामक स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थसार (नृसिंहपुराण का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा—८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, १४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० श्लोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराण के गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख (जर्नल आव दी बाम्बे ब्रांच आव दी एशियाटिक सोसाइटी, सन् १९१७, पृ० २७-२८)। ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।<sup>१४४</sup> ब्रह्मपुराण (७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है। गोदावरी की २०० योजन की लम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म० ७७।८-९)। दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आशिल्लट स्थल को) पुण्यतम कहा गया है।<sup>१४५</sup> बहुत-से पुराणों में एक श्लोक आया है—' (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वही पर गोदावरी है और वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है।'<sup>१४६</sup> ब्रह्म० (अध्याय

४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म० (७८।७७) एवं तीर्थसार (पृ० ४५) ।

४५. तिलः कोट्योऽर्धकोटी च योजनानां शतद्वयं । तीर्थानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म० (७७।८-९) । धर्मवीजं मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद् गौतमीशिल्लटो देशः पुण्यतमोऽभवत् ॥ ब्रह्म० (१६१।७३) ।

४६. सह्यस्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः । यत्र गोवर्धनो नाम



७४-७६) में वर्णन आया है कि जिस प्रकार गौतम ने शिव की जटा में गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम था और जिस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नागद्वपुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुःखित पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने गंगा को अपने आश्रम में उतारा। वे प्रातः काल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में बाट लेते थे और यह कार्य वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और शक्ति ने प्रार्थना की कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहे और इसी से वह पर्यंत जहाँ गौतम का आश्रम अबस्थित था, अम्बक नाम से विख्यात हुआ (श्लोक २४)। बराह० (७।१३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जालंधी को दण्डक वन में ले आये और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म० (१२।४।९३) में ऐसा आया है कि 'सभी प्रकार के बप्टों को दूर करने के लिए बैबल दो (उपाय) घोषित है—पुनीत नदी गौतमी एव शिव ओ बरणातर है। ब्रह्म० ने यहाँ के लगभग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा—अम्बक (७।९।६), कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८।११), गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-सगम (१०६), निवागपुर (१०६।५५), वज्जरा-सगम (१५९) आदि, किन्तु स्थानाभाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पचवटी एव जनस्थान के विषय में कुछ लिन देना आवश्यक है। मरहूत स्तूप के घेरे के एव स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक्त की पत्नी गोरक्षिता के दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक वे पाये गये नासिक-सम्बंधी लेखों में सब में पुराना है। महामाय्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४।५।१३०) ने नासिक्य को एव देण के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखा से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व ने नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६)। टलिमी (लगभग १५० ई०) ने भी नासिक का उल्लेख किया है (टालेमी, पृ० १५६)।

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थल, मन्दिर, जलाशय, तीर्थयात्रा एव पूजा-वृत्तियों के विषय में स्थानाभाव में अधिक नहीं लिखा जा सकता। इस विषय में देखिए वम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है कि नासिक में ६० मन्दिर एव गोदावरी के वाम तट पर पचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में क्या चित् ही कोई छत्रा हो। सन् १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज के सभी मन्दिर पुना के पेशवाओं द्वारा निर्मित कराये गये हैं (सन् १७५० एव १८१८ के मीतर)। इनमें तीन उल्लेखनीय हैं—पचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो भवन का मन्दिर (या प्रण्डा-मन्दिर) एव नासिक के आदित्यवार पेठ में गुन्दर-नारायण का मन्दिर। पचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच बटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान को पचवटी की सजा मिली है। सीता गुफा से बाड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के मन्दिर मन्दिरों में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक में ६ मील पश्चिम) एव क्षोबन (नासिक से ११ मील दक्षिण-पूर्व) के बीच में बहुत में स्नान-स्थल एव पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। काशराम-मन्दिर के प्रति दिन का धार्मिक कृत्य एव पूजा पात्री

मन्दरी गन्धमावतः॥ मत्स्य० (११।३।३७-३८=वायु० ४।५।१२-११३=मार्कण्डेय० ५।४।३४-३५=ब्रह्मण्ड० २।१६।४३)। और देखिए ब्रह्म० (२७।४३-४४)।

लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६)।<sup>१०</sup>

उपवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, 'गोवर्धन' शब्द आया है। देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७०। पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३।१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९।९-१०), रामायण (३।२।१।१९-२०), नारदीय० (२।७।५।३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात् जनस्थान का) एक भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८।१२२-२४)।

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक माना जाता है (धर्मसिन्धु, पृ० ७)। ब्रह्म० (१।५।३।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। बराह० (७।१।४।५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में भारत के सभी भागों से सहस्रों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं।

### काञ्ची (आधुनिक काञ्चीवरम्)

काञ्ची भारत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।<sup>११</sup> यदि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सन्) के अनुसार काञ्ची ३० ली (लगभग ५।१ मील) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निर्ग्रन्थ लोग वहाँ रहते थे। महाभाष्य (वार्तिक २६, पाणिनि ४।२।१०।४) ने भी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। पल्लवों के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा—युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वहं, जिल्द १, पृ० २) एवं कदम्ब काकुस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फ्लिट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै' में काञ्ची का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेखलै ने अन्त में प्रकाश पाया था (एम्० कृष्णस्वामी आर्यंगरकृत 'मणिमेखलै इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग', पृ० २०)। यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची

४७. 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसी से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक (नासिका) काटी थी।

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमाः ॥ ब्रह्माण्ड० (२।४०।१९१) ; काशी कान्ती च मायाहत्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्यात्र मोक्षदा ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड ६।६८) आदि ।

आदि के विशालिखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा लन दत्त 'हिस्ट्री ऑफ दि पब्लिक आंव काञ्ची' (सन् १९२८) जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि काशी एव काञ्ची दोनों भगवान् शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रमिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का सांनिध्य भी है। वाहस्पत्य-भूत (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विश्वात्मक शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत (७।३।८) में आया है कि यह अनपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है—पुण्यो मे जाती, नगरा मे काञ्ची, नारियो मे रम्भा, चार आश्रमा के व्यक्तियों मे गृहस्थ, पुरो मे कुशस्थली एव देशो मे मध्यदेश सर्व-श्रेष्ठ है।<sup>१</sup>

काञ्ची मन्दिरा एव तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध है पल्लव राजसिंह द्वारा निर्मित वैद्यमनाथ का शिव मन्दिर एव विष्णु का वैकुण्ठ परमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हैं।<sup>२</sup> एव प्राचीन जैन मन्दिर भी है।

### पंढरपुर

कन्नड़ प्रदेश में एक अनि प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सेकड़ों-महर्षी यात्री यहाँ पधारते हैं। कन्नड़ गजटियर (शालापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तीर्थ बहुत पुराना नहीं है। विठारा का तीर्थ का अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं सताब्दी के मध्य भाग में इसका अस्तित्व था। पद्य० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) में भीमरथी के तट पर बिट्टल विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया है। इस मूर्ति के चारों ओर ही हाथ धरे और यह विन्दुमायव के नाम से विख्यात थी। पद्य० में इस भाग के प्रणयन-वाक्य विषय में कठिनार्थ उल्लेख हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पदचालालीन शेषक है जो लगभग १००० ई० सन् से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पंढरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। नगर के मध्य में विठारा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रघुमार्द का मन्दिर है। रघुमार्द विठोवा की धर्मपत्नी थी। विठोवा के मन्दिर में पुरोहितों एव नीतर-चातरों की एक लम्बी जमात है, जिनका मुख्य पुरोहिता का 'बड़े' कहा जाता है। बड़े लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के स्वामी कहते लगे थे। किन्तु कन्नड़ के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का स्वामता घोषित किया और एक प्रथम-कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रक्षायत्री बन गई है। बड़े लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा-पारो कहलाते हैं जिनकी बर्द घोषिया है, यथा—बुजारी (जो देव-यूना में प्रदान स्थान रखते हैं), घेनारी (जो

४९. मेरुपुर मठशास्य काशीकाञ्चीपुरद्वयम् । विश्वात्मक क्षेत्रादेशे निवर्तानिष्यचारकम् ॥ ब्रह्मांड० (५।१९-१५)।

५०. पुण्ये तु जातो नगरेषु काञ्ची नारोनु रम्भाश्रमिणां गृहस्थः । कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु देवीषु सर्वेषु च मध्य-देशः ॥ वामन० (१२।५०) । हेमिणु 'साउव इतिहास इतिहास', जिल्द १, पृ० ८-२४, जहाँ काञ्ची के वैद्यमनाथ के मन्दिर में ९३० सताब्दी की पालक मूर्ति के लेखों का वर्णन है ।

५१. इत्यु० पृ० ० बंने मे अयरो पुनक 'पिचयेश्वर इतिहास' में लिखा है कि शिवों पर केवल ५४० स्तम्भ विद्यमान हैं ।

कृत्यों में मन्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी देवता की मूर्ति को स्नान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिदास (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच श्लोक पढ़ते हैं), दिग्ग्रे (जो प्रातः-काळ, श्रृंगार के उपरान्त एवं आरती के पूर्व मूर्ति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिग्बते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात् आषाढ़ एवं कार्तिक की पूर्णिमा को एवं दसरा रात्रि को, प्रकाश-जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यों में पार्श्व-कोण के बाहर चाँदी या सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है)। रघुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या सौ से ऊपर है।

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोवा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना-भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है—उन्हें स्नान कराना चाहिए, उनका श्रृंगार होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं नर्तकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं।

विट्ठल या विठोवा की प्रतिमा पौने चार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निर्मित हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आर्लिगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे, किन्तु सन् १८७३ के उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मात्र होता है।

बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं वादशाहों से रक्षा करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोवा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल के महान् भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन वित्तिये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः पण्डरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकर्तव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ दुर्ध्ववहार किया। उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान् कर्तव्यशील पुत्र बन गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोवा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल' कहकर जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३)।

पण्डरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा—विष्णुपद, त्रियम्बकेश्वर, चन्द्रभागा, जनावाई की कोठरी आदि, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान करने से पाप कट जाते हैं।

विठोवा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्न उठाये गये हैं, यथा—विठोवा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा प्राचीन ही है या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्ठल की व्युत्पत्ति क्या है? 43 प्रतिमा के प्रति-

प्रापन काल के विषय में निर्दिष्ट रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रेष्ठिगर के ताम्रपत्र (सन् १२४९ ई०) में पण्डरपुर का भीमगयी नदी पर स्थित पीण्डरीकशेखर कहा गया है (इण्डियन ऐंटीकवेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा का विष्णु कहा गया है। और देविए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत 'वैष्णविज्ज, शैविज्ज आदि' (पृ० ८८) एवं 'हिन्दू आव दि उक्कन' (द्वितीय मस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०)। विवेचना से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग 'पण्डरामे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक नाम 'पाण्डरगल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविधेय ने जयद्विदुठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः इसी विदुठ से आगे 'विदुठल' नाम पड़ा।

गाथात्राचार्यकृत 'विदुठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह श्लोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश यह है—भैरवी नदी के दक्षिण तट पर मरुत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पीण्डरीक शयन कहा जाता है और इस क्षत्र में पाण्डुरग नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से निकुता, नैदार से छ गुना एवं वागणमी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया और वह अपन माता पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले वृष्ण उसकी पितृ-भक्ति में अति प्रमत्त हो गया। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन् १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके श्लोक स्वन्दपुराण से उद्धृत हैं अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो मगठी रूप है) भी तत्र प्रसिद्ध था चूका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं बल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देविए प्रा० एम्० वे० दे कृत 'वैष्णव फय एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल', पृ० ७१, एवं मणिलाल मी० परित्र कृत 'श्री बल्लभानार्य' पृ० ५६-५९)।

जैसा कि पहले ही सकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुनः यहीं लायी गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के सख्त, मगठी एवं कन्नड लेखका के वचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्रार्थान नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं था, क्योंकि सन्त तुकाराम की कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खाती। किन्तु यह निष्कर्ष सुझ नहीं है, क्योंकि इसका आधार सकेत मान है और प्रतिमा इतनी ऊँच-स्वावड एवं घिम गर्भी है कि इस पर वे बन्ध-चित्त आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सर्व्वेह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, था भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उससे पहले की नहीं है।

प्रतिमा का कई नामों से पुकारा जाता है, यथा—पाण्डुरग, पडरी, विदुठल, विदुठलनाथ एवं विठोबा। प्रकृत में विष्णु का विष्णु, विष्णु वेणु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा—विट्टी, विट्टीग, विट्ट आदि। नामों के परिचय प्राप्त एवं कन्नड के व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० वे० प्रियोन्कर ने भगवत नामदेव एवं द्वि मिश्र नामक अपने विद्वत्तापूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नल, १९२८, पृ० २४) में यनाया है कि मिस्वा के आदि-ग्रन्थस्थ, नामदेव के भजना में भगवान् को 'बीडल' या 'विठठु' कहा गया है नरसिंह महंता

(जिल्द ११, पृ० ७७१-७७८), डा० कृष्ण का आचार्याजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव संसूर (सन् १९२९, पृ० १९७-२१०)।

की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान् को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तों द्वारा सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णु हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल-ऋद्धमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान् काशीनाथ उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—वित्+ठ+ल—'वित् वेदनं ज्ञानं तेन ठाः शून्यास्तान् लाति स्वीकरोति।'

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता था जो संस्कृत में 'पाण्डुरंग' हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थल पुण्डरीकपुर (कूर्मपुराण) एवं पीण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया।

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले। प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'वारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले। वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्रह्मण वारकरी, शूद्र वारकरी के चरणों पर गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० ४७१)। उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना होता है, गेरु रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पड़ता है।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोवा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु ही रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है।

आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कौसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे।

## अध्याय १६

### तीर्थों की सूची

जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं बर्यों के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, यथा—हरिवर्ष, रम्यक वन, सुमेरु, कौबद्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हे निवाला दिया गया है। ब्रह्मपुराण (२६।८-८३) में लगभग ५२० तीर्थों का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और यही बात भोग्यपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गण्ड० (१।८१।१-३१) एवं पञ्च० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी के लगभग ३५० उपातीर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण), गीतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया (वायुपुराण) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। बहुत-में तीर्थ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है।

तीर्थों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुत-सा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कीटिनीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सीम-तीर्थ के अन्तर्गत)। तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिष्ठम वृत्त 'ऐंशेष्ट त्रियॉषकी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल दे वृत्त 'दि त्रियॉषकीकल त्रिवानरी आव ऐंशेष्ट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में (पृ० ४३)। संकेतो के विषय में वे अस्पष्ट हैं एवं श्लोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट संकेत ही करते हैं। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा—दशाश्वमेधिक। वहीं-वहीं वे त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो लोग उक्त ग्रन्थ की सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी।

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के सम्बन्ध अध्येतन के उन्नत यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु तीर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बड़ जाता। किन्तु इतना बहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बड़ा सकते हैं। कश्मीर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और नीलमत्स्यपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुहलर वृत्त कश्मीर

रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनुदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐश्येण्ट जियोग्रफी आव कश्मीर' वाला अभिलेख, जो पृथक् रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं उत्तरनामक काण्डों के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जर्नल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्मवैवर्त०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वैकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिंहपुराण एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र श्लोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्-पृथक् शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पद्मचालकालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभान नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध।

जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल वक्ता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ ह्येनसांग, अल-बरूनी एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कर्णधम, दे, पार्जितर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की 'इण्डेक्स आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीय की वैदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पार्जितर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण का विलसन वाला अनुवाद, डा० वी० सी० ला का 'माउण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जर्नल आव दि डिपार्टमेण्ट आव लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचीवरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐण्टी-क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने 'दि पुराण इण्डेक्स' नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं।

इस तीर्थ-सूची से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाश पड़ेगा।



## तीर्थ-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत

- अ० वि०—हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (बाह्रलिंग के द्वारा सम्पादित, १८४७)।  
 अनु०—महाभारत का अनुसामनपर्व।  
 अल०—डा० ई० सी० सचौ द्वारा अनूदित अलवरुनी का भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन)।  
 आ० अच०—अबुल फजल कृत आईन अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचमैन एव जर्दे द्वारा अनूदित।  
 आदि०—महाभारत का आदिपर्व।  
 आ० स० इण्डि०—आर्षालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट।  
 इ० गजे० इ०—इम्पीरियल गजेटियर आव इण्डिया।  
 उ० या उद्योग—उद्योगपर्व।  
 ऐ० इ०—मेगस्थनीज एव एरिजान द्वारा बर्णित ऐश्वर्य इण्डिया (मैक् क्रिण्डल)।  
 ऐ० जि०—वर्निषम की ऐश्वर्य जियाथफी आव इण्डिया (१८७१)।  
 का० इ० इ०—कार्पस इस्क्रिप्शानम् इण्डिकोरम्, जिल्द १, इस्क्रिप्शान आव अरौक, जिल्द ३।  
 क० रि०—बुहलर की कस्मीर रिपोर्ट।  
 कालि०—कालिकापुराण।  
 कू० या कूर्म०—कूर्मपुराण।  
 ग० या गरुड०—गरुडपुराण।  
 गा० या गादा०—गोदावरी नदी।  
 ज० उ० प्र० हि० मो०—जर्नल आव दि यूनाइटेड प्रोविंसेज हिस्टारिकल सोसाइटी।  
 तीर्थप्र०—मित्र मित्र का तीर्थप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग)।  
 ती० व०—तीर्थों पर कल्पतरु।  
 तीर्थमा०—तीर्थमार (सरस्वतीमवन प्रकाशन, बनारस)।  
 दे—नन्दलाल दे कृत जियाप्रेफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७)।  
 ना० या नारदीय०—नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय।  
 नी० म० या नीलमत०—श्री० भगवद्गुप्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण।  
 नू० या नृसिंह०—नृसिंह या नरसिंहपुराण।  
 प० या पथ०—पथपुराण।  
 पहा०—पहाड़ी।  
 पा०—पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण।  
 ब० ग० या बम्बई गजे०—बाम्बे गजेटियर।  
 बार्ह० सू०—बार्हस्पत्यसूत्र, डा० एफ० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित।  
 बृहत्संहिता या बृ० स०—उत्पल की टीका के साथ बृहत्संहिता, गुप्तावर द्विवेदी द्वारा सम्पादित।

ब्रह्म०—ब्रह्मपुराण ।

ब्रह्मवै०—ब्रह्मवैवर्तपुराण ।

ब्रह्माण्ड०—ब्रह्माण्डपुराण ।

भवि०—भविष्यपुराण ।

भा० या भाग०—भागवतपुराण ।

भी० या भीष्म०—महाभारत का भीष्मपर्व ।

मत्स्य०—मत्स्यपुराण ।

म० भा०—महाभारत ।

महाभा०—पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहार्न द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) ।

मार्क०—मार्कण्डेयपुराण ।

रा० या राज०—राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) ।

रामा०—रामायण ।

रुलिंग०—रुलिंगपुराण ।

वन०—वनपर्व ।

वराह०—वराहपुराण ।

वाम० या वामन०—वामनपुराण ।

वायु०—वायुपुराण ।

वारा०—वाराणसी ।

विक्र० या विक्रमांक०—विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुह्लर द्वारा सम्पादित) ।

वि० ध० पु०—विष्णुधर्मोत्तर पुराण ।

वि० ध० सू०—विष्णुधर्मसूत्र (जाँली द्वारा सम्पादित) ।

विलसन—विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) ।

विष्णु०—विष्णुपुराण ।

शल्य०—शल्यपर्व ।

शान्ति०—शान्तिपर्व ।

सभा०—सभापर्व ।

स्कन्द०—स्कन्दपुराण ।

स्टीन० या स्टीन-स्मृति—स्टीन्स मेमाथर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर ।

ह० चि०—जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण) ।

## तीर्थसूची

अ

अशुमती—(नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर कृष्ण नामक असुर रहता था)। बृहद्देवता (६।११०) के अनुसार यह कुरु देश में थी, रामा० २।५५।६ (यमुना के निकट)।

अक्रूर—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।४-५ (मथुरा एवं वृन्दावन के बीच में एक तीर्थ)।

अक्षय्यकरण वट—(प्रयाग में) कनिष्ठम कृत ऐ० जि० पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्य० ६।२५।७-८ (ऐसा कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर सोते हैं)।

अक्षय्यवट—(१) गया में विष्णुपद से लगभग आधे मील की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४, वायु० १०५।४५, १०९।१६, १११।७९ ८२ (जब सम्पूर्ण विद्वज्जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु के रूप में इसके अन्तर्भाग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० ११५।७०, पद्य० १।३८।२, (२) (विन्ध्य की ओर गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६ ६७, (३) (नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ पुलस्त्य ने तप किया था।

अक्षवाल—(फरमौर के कुटहर नामक परगने की सीमा पर स्थित सेतु के पश्चिमी भाग का आधुनिक अक्षवाल नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पृ० १८०)। इसमें पाँच झरने हैं। नीलमलपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है।

अगस्त्यकुण्ड—(बाराणसी में)।

अगस्त्यतीर्थ—(पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३।

अगस्त्यपथ—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३, वायु० १११।५३।

अगस्त्यवट—आदि० २१५।२।

अगस्त्यसर—वन० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य तमिल भाषा के विरुपात लेखक तथा तमिल भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' के कर्ता हैं। देखिए जर्नेल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १९, पृ० ५५८-५५९ (नयी माला)।

अगस्त्याश्रम—देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ है, (१) (दुर्जेया नदी पर) वन० ९६।१ (जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था), (२) वि० घ० सू० ८५।२९, पद्य० १।१२।४, वन० १९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) वन० ८७।२०, (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८।१८; (५) (सुतीक्ष्णाश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश १३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है, (६) (पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, ८८।१३, ११८।४, १३०।६—यह पाँच नारोतीर्थों में एक है, (७) रामा० ४।४१।१६ (मलय पर) एवं मागवत० १०।७९।१६७।

अगस्त्येश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५, (२) (बाराणसी में लिंग) लिंग० (तीर्थ-कल्पतरु, पृ० ११६)।

अग्निकुण्ड—(सरस्वती पर) वाम० ५१।५२, बराह० (ती० मत्स्य०, पृ० २१५)।

अग्नितीर्थ—(१) (यमुना के दक्षिणी छत पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्य० १।४५।२७; (२) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।३७।७; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर-

स्वती पर) शाल्य० ४७।१३-१४, पद्म० १।२७।२७;  
(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१३।११;  
(६) (कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३।  
अग्निधारा—(गया के अन्तर्गत) वन० ८।१।१४६,  
अग्नि० ११६।३१।

अग्निपुर—अनु० ३।५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह  
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२।

अग्निप्रभ—(गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४।५।५२-  
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा  
रहता है)।

अग्निशिर—(यमुना पर) वन० ९०।५-७।

अग्निस्तपद—(चवरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।७।

अग्निसर—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह०  
१४०।३४-३६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह०  
१५।१।५२।

अग्नीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-  
कल्प०, पृ० ६६, ७१)।

अधोरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-  
कल्पतरु, पृ० ६०)।

अढकुशेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।१।

अढकोला—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९।१।११८-  
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः भड़ोच जिले का  
आधुनिक नगर अंकलेश्वर। ऐ० जि० (पृ० ३२२) ने  
नर्मदा के बायें तट पर अंकलेश्वर को अक्रूरेश्वर कहा है।  
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२।

अङ्गभूत—(पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५।१।

अङ्गारकुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० ५६।

अङ्गारवाहिक—मत्स्य० २२।३।५।

अङ्गारकेश्वर—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।  
२९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।६।

अङ्गारेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)  
मत्स्य० १९०।९, पद्म० १।१७।६।

अङ्गारेड—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।१ (सम्म-  
वतः ऊपर वाला)।

अचला—(कश्मीर में नदी) ह० चि० १०।२।५६  
(अनन्तह्रद एवं कर्कोटह्रद के पास)।

अचलेश्वर—लिंग० १।९।२।१६५।

अचिरवती—(सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रश्न  
में वर्णित दस महान् नदियों में एक (सै० वु० ई०, जि०  
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात  
है और इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह०  
२।१।४।७।

अच्छोदक—(चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील)  
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४।३ एवं  
१२।१७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७।

अच्छोदा—(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी)  
मत्स्य० १२।१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६  
एवं ३।१३।८०।

अच्युतस्थल—वाग० ३।४।४७। देखिए युगन्धर।

अजतुङ्ग—वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी  
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया  
देखी जाती है)।

अजबिल—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९।२।१५३।

अजिरवती—(एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः  
यह अचिरवती नदी है।

अजेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९।२।१३६।

अञ्जलिकाश्रम—अनु० २।५।५२।

अञ्जन—(ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के  
अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।४।२। देखिए पैशाच तीर्थ के अन्त-  
र्गत; वृहत्संहिता (१।४।५) का कथन है कि अञ्जन  
पूर्व में एक पर्वत है।

अञ्जनी—(नदी) ऋ० १।१०।४।४।

अट्टहास—(१) (हिमालय में) वायु० २३।१९२; (२)  
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वारा-  
णसी में एक लिंग) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १४७)।

अतिबल—(सतारा जिले में महाबलेश्वर) पद्म०  
६।११३।२९।

अत्रीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ०  
४३।

अदितितोयं—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीयपुराण

२।४०।९०।

अनन्त—बाह्यस्वल्प सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८।

अनन्ततीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।१।

अनन्तनाग—(पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमन० १४०-१-

२। आजकल यह इस्लामावाद के नाम से प्रसिद्ध है और

कश्मीर में मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग पर स्थित

है। स्टीन की स्मृति, पृ० १७८।

अनन्तदायन—(त्रावणकोर में पद्मनाभ) पद्म० ६।

११०।८, ६।२८०।१९।

अनन्तभयन—उसे अनन्तहृद भी कहा जाता है। हरचरित-

चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर

में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोम पर

अनन्तनाग के नाम से विख्यात है।

अनरक—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।

२२-२४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९३।१-३, कूर्म० २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के

पश्चिम) घर्मराजनीयं भी इसका नाम है। कूर्म०

३९।५, पद्म० १।२७।५६।

अनरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ११३)।

अनसूयालिङ्ग—(गोपेश के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत)

लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४२)।

अनाशक—बराह० २।५।८९।

अनितभा—(नदी) ऋ० ५।५३।९।

अनूपा—(शुशवान् पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०

२।१६।२८।

अन्तकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ७५)।

अन्तर्घदि—(गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि)

स्वन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के

कारण ब्रह्माहत्या गिरी)।

अन्तशिला—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु०

४५।२०३।

अन्तिकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय०

२।४९।६-९।

अन्ध—(एक नद) मागवत० ५।१९।१८, देवीमागवत

८।११।१६ (अन्ध-गोपी महानदी)। दे० (पृ० ७ एवं

४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी

है जो मागलपुर में गंगा में मिलती है।

अन्धकेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती०

कल्प०)।

अन्धोन—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१९।११०-११३।

अन्नकूट—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।१० एवं

२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)।

अन्यतः-प्लक्ष—(बुधक्षेत्र में एक कमल की झील का नाम)

शानपय द्वा०, सैंकेड बुक आव दि ईस्ट, बिल्ड ४४,

पृ० ७०।

अपरनन्दा—(हेमकूट के पास) आदि० २।५।७, १।०।१,

अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि

यह अलकनन्दा ही है।

अपाप्रपतन—अनु० २।५।२८।

अप्सरस-कुण्ड—(मयुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) बराह०

१६४।१९।

अप्सरेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१६, पद्म०

१।२।१।१६, कूर्म० २।४२।२४।

अप्सरोयुगसंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।४७।१।

अम्बक—(गोदा० में) ब्रह्म० १२९।१३७ (यह गोदावरी

का हृदय या मध्य है)।

अमरक हृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ५३)।

अमरकण्ठक—(मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले में पर्वत)

देखिए पूर्व अध्याय, नर्मदा तीर्थ)। वायु० ७७।१०-१६

एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५।६ में इस पर्वत पर आड

की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८।७९, पद्म०

१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये

बाण के तीन पुरो में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था।

कूर्म० २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के प्रहृणों के समय यहाँ

की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)।

अमरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५३) ।

अमरेश—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६।२; (२) (वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९।२।३७।

अमरेश्वर—(१) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० पृ० २३६); (२) (धौपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९।२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १।२६७ (अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव हिमराष्ट्र के लिंग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आर्द्धने अकवरी. जिल्द २. पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती जाती है और धीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है।

अमोहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।१०५, पञ्च० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे।

अम्बरीषेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११८) ।

अम्बाजन्म—(सरक के पूर्व में) वन० ८३।८१ (यह नारदतीर्थ है) ।

अम्बिकातीर्थ—लिंग० १।९।२।१६६।

अम्बिकावन—(सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।-३४।१२।

अनल—(क्रुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७।

अयोध्या—(७० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाघरा नदी पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। अयवेंद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० ६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राजधानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि० १०९।२४। रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू बहती थी; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राजधानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजनपदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२) ।

आगे चलकर कोसल दो भागों में बँट गया; उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभाजित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बृहत्-से राजाओं की सूची दी हुई है, एवं पञ्च० ६।२०।४६-४७ (दक्षिण कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए) । साकेत को सामान्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश. पृ० ४९६ और 'साकेत' के अन्तर्गत। डा० वी० सी० ला ने एक बृहत् ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसार्च सोसाइटी, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३) ।

अयोगसिद्धि—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९८) ।

अयोनिसंगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) पञ्च० १।१८।५८।

अरन्तुक—एक द्वारपाल। वन० ८३।५२।

अरविन्द—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५, नारदीय० २।४७।८३।

अरिष्टकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३० (जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था) ।

अरुण—(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते हैं) वायु० ४७।१७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८।

अरुणा—(१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० ८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; (३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९।१, पञ्च० ६।१७६।५९। देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ४६८।

अरुणा-वरुणासंगम—(गौतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८९।१ एवं पञ्च० ६।१७६।५९।

अरुणीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ६०।

अरुण्यतीवट—वन० ५।८४।४१, पद्य० १।३२।६।

अरुणा सरस्वतीसगम—(पृथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील

की दूरी पर स्थित) पद्य० १।२७।३९, शल्य० ४३।

३०-३१ एव ४२, वाम० ४०।४३।

अर्कशेखर—यह कोणार्क है।

अर्कस्थलकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।११

एव १६०।२०।

अर्घ्यतीर्थ—गरुड० १।८१।७।

अर्जुन—(पितरो का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३।

अर्जुनीया—(नदी) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)।

प्रो० वे० बी० आर० आयगर (ती० कल्प०, पृ०

२८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे

बाहुदा कहा है किन्तु ये दोनों नाम पृथक् रूप से

वर्णित हैं।

अर्धचन्द्र—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६९।३।

अर्धकौल—(सरस्वती-अरुणा-सगम के निकट दर्मी द्वारा

बसाया गया) वन० ८३।१५३-१५७।

अर्बुद—(अरवली श्रेणी में आवू पर्वत) वन० ८२।

५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य०

२२।३८, पद्य० १।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि०

१०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक

है, अन्य चार हैं यमुञ्जय, समेत शिलर, गिरनार

एव अत्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ०

७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा

के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे।

देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एव जिल्द

१९ अनुक्रमणिका पृ० २२।

अर्बुदसरस्वती—(पितरो की पवित्र नदी) मत्स्य०

२२।३८।

अलकनन्दा—आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का

यही नाम है)। वायु० ४।१।१८, कूर्म० १।४६।३१,

विष्णु० २।२।३६ एव २।८।११४ के मत से यह गंगा की

चार धाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर

मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का

उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का कथन है कि

जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और नगीरय के रथ

का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा बह-

लाती है। भागवत० ४।६।२४ एव ५।१७।५। भागी-

रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और

दोनो के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है।

नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी

एव अलकनन्दा बदरिवाश्रम में मिलती हैं। इम्पी-

रियल गेजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के

मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुत्रीत

सगम हैं, यथा—भागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्द-

प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का सगम), हृद्रप्रयाग

(मन्दाकिनी का सगम) एव विष्णुप्रयाग। देखिए उ० प्र०

गेजेटियर (गडवाल), जिल्द ३६, पृ० २ एव १४०।

अलितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत)

अलामुतीर्थ—(विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

कूर्म० २।४२।३७।

अलेखर—देखिए ब्रह्मेश्वर।

अवकीर्ण—(क्षुरक्षेत्र एव सरस्वती के अन्तर्गत) वाम०

३९।२४-३५ (बक दाल्म्य की गाथा, उसने घृतराष्ट्र

से मिशा माँगी किन्तु घृतराष्ट्र द्वारा मत्स्यना पाये जाने

पर सम्पूर्ण घृतराष्ट्र देश को पृथूदक की आहुति बना

डाला। शल्य० ४।११, पद्य० १।२७।४१-४५। वहाँ

दर्मी को चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है।

अवधूत—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थकल्प०,

पृ० ९३)।

अवटोबा—(नदी) भागवत० ५।१९।१८।

अवन्ति—(१) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी

थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवंश ६।३२, समापर्व

३१।१०, उद्योग० १६६।६, (२) अवन्ती (पाणि-

न्याय पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४।५।९८,

मत्स्य० १।४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९, (३)

(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म० ४।३।२४,

अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७।३५-३६। कति-

पय नाम—विशाला, अमरावती, कुशास्थली, कनक-

शृंगा, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी। और देखिए लिंग० ११२।७-८ एवं ब्रह्म० १९४।१९ (कृष्ण के गुरु सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे)। मेघदूत (१।३०) ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। और देखिए 'महाकाल' के अन्तर्गत।

अविष्णुतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० ११४।२५।

अविमुक्त—(काशी) वन० ८४।७८-८०, विष्णु० ५। ३४।३० एवं ४३।

अविमुक्तेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५, (जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)।

अशोकतीर्थ—(सूपरिक) वनपर्व ८८।१३।

अश्वतीर्थ—(१) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) वन० ९५।३, अनु० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये थे)। कालिका० ८५।५१-५७; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २।१।३; (३) (गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी-कुमार उत्पन्न हुए थे)।

अश्वत्यतीर्थ—कूर्म० २।३५।३८ (जहाँ नारायण हयशिरा के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है)।

अश्वमेघ—(प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४।

अश्वशिर—(नल की गाथा में) वन० ७९।२१।

अश्विनी—अनु० २५।२१ (देविका नदी पर)।

अश्विनोस्तीर्थ—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७, पद्म० १।२६।१५।

अश्वोश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ५२)।

अश्वोतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२।१३०।

अष्टवक्र—(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५।४१, देखिए दे, पृ० १२।

असि—(वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क नदी भी कहते हैं)।

असिकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३; वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता का वर्णन किया गया है।

असिक्नी—(एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०।-२५, १०।७५।५। नि वत (९।२६) का कथन है कि इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। यूनानियों ने इसे असेक्विनज कहा है। देखिए भागवत० ५।१९।१८।

असित—(पश्चिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ (इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे)।

असिता—(एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९।

असित गिरि—(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे) ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९।

अस्तमन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थकल्प० पृ० १९१)।

अस्थिपुर—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२, यह थानेश्वर के पश्चिम और अजस घाट के दक्षिण है। यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६ एवं ऐं० जि०, पृ० ३३६, जहाँ यह वर्णित है कि ह्वेनसांग के समक्ष बहुत सी हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं।

अश्वन्वती—(नदी) ऋ० १०।५३।८। आश्व० गृ० सू० (१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ध तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर चढ़ती है और उत्तरार्ध तब प्रयुक्त होता है जब वह नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। दे ने इसे आक्सस नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई उपयुक्त तर्क नहीं है।

अश्वपृष्ठ—(गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अश्व प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५।४२।

अहः—वनपर्व ८३।१००।



अहत्यातीर्थ—(१) (गो० के अन्तगत) ब्रह्म० ८३।१,  
 (२) (नर्मदा के अन्तगत) पद्म० १।१८।८४, मत्स्य०  
 १९।१९०-१२, कूर्म० २।४१-४३।  
 अहत्याह्वय—(गीतम के आश्रम के पास) वन० ८४।  
 १०९ पद्म० १।३८।२६।

आ

आकाश—(वाराणसी के अन्तगत) कूर्म० १।३५।३,  
 पद्म० १।३७।३।

आकाशगङ्गा—(१) (गया के अन्तगत) वायु० ११२।२५,  
 अग्नि० ११६।२ (२) (महा पर्वत पर) नरमिह०  
 ६६।३५ (आमला का एक उदनीय)।

आकाशमिथुन—(वाराणसी के अन्तगत) लिग० (तीर्थ-  
 कल्प० पृ० ५३)।

आग्निस्तोत्र—(नर्मदा व अन्तगत) कूर्म० २।४१।३-  
 ३३ पद्म० १।१८।५०।

आग्निस्तोत्र—(वागशी व अन्तगत) लिग० (तीर्थ-  
 कल्प० पृ० ११३)।

आत्मनीय—(गादावरी के अन्तगत) ब्रह्म० ११७।१।

आश्रयनीय—(गादावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०  
 १८०।१ (अग्नि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्  
 रामायण० ५।११।३।१०५।

आश्वी—यज्ञ म विद्वान् दश विनायक करने है। देविए  
 विज्ञान। काविरा (गाविरा ४।१।२०६) म दमे  
 जातः का है श्री महा वात बृहस्पति (१।१।२५)  
 म भी वही गयी है।

आश्विपथ आश्रम—वनप० ८३।१८४ पद्म० १।२७।  
 ७०।

आश्विपथीय—(१) (गदावरी पर) वायु० ८९।१७  
 २२० (तीर्थ कल्प० पृ० २५०) (२)  
 (गादावरी नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (अर्थात्  
 कूट म दक्षिण गंगम है)।

आश्विपथक—(नर्मदा व अन्तगत) वायु० १९१।  
 ७७ कूर्म० २।११।३७ ३८ पद्म० १।१८।१५९ ७७।

आश्विपथीय—(नर्मदा व अन्तगत) वायु० १९१।१५।

आविपाल—(गया के अन्तगत) वायु० १०८।६५,  
 (मुण्डकपृष्ठ के आग हाथी के रूप मे गणेश) १०९।१५।

आनन्द—देविए 'नन्दोत्त' के अन्तगत।

आनन्दपुर—(वाराणसी के अन्तगत) कूर्म० १।३५।१५,  
 पद्म० १।३७।१८।

आपगा—(बुधशेखर व अन्तगत पवित्र सात मा नो नदिया  
 मे एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्म०  
 १।३६।१-६ एक वाम० ३६।१-४, (मानुष के पूर्व एक  
 वाम की दूरी पर) नीलमन० १५८। देविए ऐ० वि०  
 पृ० १८५ जहाँ यह स्वर्णलाट के उत्तरपूर्व जम्बू पहा-  
 डिया मे निचली हुई अफक नदी के मनान कही गया  
 है। वनिषम (आरव्या० म० ६०, जिन्द १४, पृ०  
 ८८-८९) का कथन है कि आपगा या आपवती  
 चित्तम की शाखा है।

आपगा—(एक नदी, मन्भवत मरुतराई एव दूरदूरी के  
 मध्य प्रथम की एक महायत्र नदी) कृ० ३।२३।१।  
 टामग के मत मे यह जानकी ही है, जे० आर० ए०  
 एम०, जिन्द १५, पृ० ३६२।

आपस्तम्बनीय—(गादावरी व अन्तगत) ब्रह्म० १३०।१।

आमलक—(१) (उ० प्र० मे म्नुष्यामी के अन्तगत)  
 बराह० १४८।६७, (२) (गङ्गा पर्वत की ब्रह्मगिरि  
 एव वेदगिरि नामक पर्वतों के मध्य म) मौषकार  
 पृ० ७८।

आमलक घाट—(गङ्गा पर्वत पर) नागदीप० ६६।७,  
 (तीर्थकल्प०, पृ० २५४)। दे (पृ० ४) व अनुकार  
 यह साम्राज्यो व उत्तरी तट पर स्थित है।

आमर्क—दशिए कन्द० (तीर्थकार, पृ० २१-३०)।  
 यह गिर-शिव है श्री १२ उपाधिशिष्यो म एक है। दश  
 का नाम दशिए पद्म है कि मरी गया का सर्वेण ही  
 जात है (आमर्कवाति गवाति नामक आमर्क कल्प)।  
 तीर्थकल्प० (पृ० २२) म कन्द० का एका गवाला आश्रम  
 है कि शार म्नुष म धा कम मे आश्रय म्नुष, शर्मा  
 एक नामक का नाम है। देविए विद्वान् कर्कशा  
 एव मन्दिरेण म्नुष म्नुष विद्वान् १, पृ० ७७-७८।  
 मरी गवाला व म्नुष का कथन है। म्नुषका यह

आवण्ड्या नागनाथ ही है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के परभगी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील की दूरी पर है।

आम्रातकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।५१, १८।१२८, अग्नि० ११२।३।

आर्चिक पर्वत—वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन और मुकन्या रहते थे)।

आर्जोकीया—(नदी) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा। नि क्त (९।२६) का कथन है कि नदी का नाम विपाश् (आधुनिक व्यास) था और विपाश् का प्रारम्भिक नाम उर्जिरा था।

आर्यावर्त—अमरकोश ने इसे हिमवान् एयं विन्ध्य पर्वतों के बीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

आर्षभ—देखिए 'ऋषभ' के अन्तर्गत।

आर्षिषेणाश्रम—अनु० २५।५५।

आशालिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१४८।

आपाढ—यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तर्गत), तीर्थकल्प०, पृ० ९३।

आपाड़ी तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।-३०।

आसुरीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ६७)।

इ

इक्षु—(१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१६। दे (पृ० ७७) ने इसे आँकसस माना है। उन्होंने अश्मन्वती एवं चक्षुस् (पृ० १३ एवं ४३) को आँकसस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) (नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।-४९।

इक्षुदा—(महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६ ('इक्षुला' पाठ आया है)।

इक्षु-नर्मदा-संगम—मत्स्य० १९१।४९, कूर्म० २।४।१२८, पद्म० १।१८।४७।

इक्षुमती—(१) (कुमार्यु एवं कंतीज से बहती हुई एक नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी ज्ञात थी। रामा० (२।६।८।७) में आया है कि अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है, तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुरु-क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२।१७ (पितृ-प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली), पद्म० ५।११।१३; (२) (सिंधु-साँवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, ५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ साँवीर का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद है) भाग० ५।१०।१।

इन्द्रकील—(पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० ३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के लिए पवित्र) नीलमत० १४४३, भाग० ५।१९।१६।

इन्द्रग्रामतीर्थ—(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१४४।१।

इन्द्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९६।१।

इन्द्रतोया—(गंधमादन पर एक नदी) अनु० २५।११।

इन्द्रद्युम्नसर—(१) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० ५१।२९-३०; (२) वन० १९९।९-११, आदि० ११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप किया था)।

इन्द्रद्गुम्नेश्वर—(महाकाल का लिंग) स्कन्द० १।२।-१३।२०९।

इन्द्रध्वज—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६।

इन्द्रनदी—(नदी) वायु० ४३।२६।

इन्द्रप्रस्थ—(यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मीसल०

७।७२, विष्णु० ३।८।३४ (वृष्ण के देहावमान के उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्र को राजमुकुट दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह यमुना के दक्षिण विस्तार में बार योजना था) २००।५, (यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५।८।१, ११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं वाघपत।

इन्द्रमार्ग—अनु० २५।९ एवं १६, पद्म० १।२७।६८।

इन्द्रलोक—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।१०-१३।

इन्द्राणीतीर्थ—नारदीय० २।४०।९३।

इन्दिरा—(नदी) वायु० १०।८।७९।

इन्द्रेश्वर—(१) (श्रीपर्वत पर) लिंग० १।९२।१५२,

(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थक०, पृ० ७१)।

इरावती—(पञ्जाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्त (१।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली पहण्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० ८५।४९, मत्स्य० २२।१९ (श्राद्ध-तीर्थ), वायु० ४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९।७, ८१।१, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके तट पर अवस्थित है। महामाध्य (जिल्द १, पृ० ३८२, प्राणिनि २।१।२०)। और देखिए 'चन्द्रमार्ग'।

इरावती-नङ्गला-संगम—वाम० ७९।५१।

इलातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०।८।१।

इलास्पद—पद्म० १।२६।७३।

इत्थलपुर—(यह मणिमयी पुरी है) वन० ९६।४।

इ

ईसातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।६९।

ईशान-लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२-

१०९ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५)।

ईशान-शिखर—(वेदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (ती० क०, पृ० २३०)।

ईशानाध्युषित—वाम० ८।४।८।

उ

उष—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे वेदार भी कहते हैं।

उग्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृष्ठ ७०)।

उज्जयन्त—(मीराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० ८।८।२१-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० १३।१८, स्कन्द० ८।२।१।१।११ एवं १५ (वस्वा-पय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐ० जि०, पृ० ३२५।

उज्जयिनी—(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) ब्रह्म० ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की राजधानी)। देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। असोक के धौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। महामाध्य (जिल्द २, पृ० ३५, प्राणिनि ३।१।२६, वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति-लिङ्गों में एक, महाकाश का मन्दिर है जो शिवा नदी पर अवस्थित है। बालिदास ने मेघदूत एवं रघुवश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। ऐ० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिषानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) ने विगाला, अवन्ती एवं पुष्प-करदिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। मुन्डरटिल ने भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आजेने' कहा है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए जे० ए० ओ० एम् (जिल्द ६६, १९४६, पृ० २९३), जहाँ उदयन एवं वागवरता के विषय में चर्चा है। इण्डियन ऐंष्टीओलेरी (जिल्द ३, पृ० १५३) में यत्रण बेलगोला का विवरण है, जिसमें

- उज्जयिनी से भद्रवाहू की संरक्षकता में जैनों का बाहर जाना वर्णित है, देखिए एस० वी० ई० (जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८)।
- उज्जानक—(जहाँ स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति प्राप्त हुई) वन० १३०।१७, अनु० २५।५५। सम्भवतः यह 'उद्यन्तक' या 'उद्यानक' का अशुद्ध रूप है।
- उड्डियान—कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती की दोनों जाँवें गिरी थीं)।
- उत्कोचक तीर्थ—वन० १८३।२।
- उत्तमेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।
- उत्तर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७।
- उत्तर-गंगा—(कश्मीर में, लार परगने में गंगवल) ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान-सोत्तर गंगा भी कहते हैं।
- उत्तर-गोकर्ण—वराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५।३१।
- उत्तर-जाह्नवी—ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से पुकारा जाता है।
- उत्तर-मानस—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नीलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक नाग) यह गंगवल नामक सर द्वारा विख्यात है। स्टीन (राज० ३।४४८) एवं ह० च० ४।८७; (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, १११।२, वि० ध० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।१३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० ११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उत्पलावती—(मलय पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०।
- उत्पलावन—वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० २५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह विठूर है, जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है।
- उत्पलावर्तक—(एक वन) नारदीय० २।६०।२५, वनपर्व (ती० क०, पृ० २४४)।
- उत्पलिनी—(नदी, नैमिषवन में) आदि० २१५।६।
- उत्पातक—अनु० २५।४१।
- उदपान—वन० ८४।११०, पद्म० १।३८।२७।
- उदभाण्ड—यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन ने इसे गन्धार की राजधानी कहा है; राज० ५।१५१-१५५, ६।१७५। यह अलवरूनी का वेहण्ड एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर १८ मील पर सिन्धु के दाहिने तट पर।
- उदीचीतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उद्दालकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५९)।
- उद्यन्त—(पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) स्कन्द० ६।२।११।११।
- उद्यन्त पर्वत—(ब्रह्मयोनि पहाड़ी, गया में, शिला के बायें) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उपजला—(यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।२१।
- उपमन्युलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७-१७, लिंग० १।९२।१०७।
- उपवेणा—(अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों में एक) वन० २२२।२४।
- उमाकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१।६४।
- उमातुंग—कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ (श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल)।
- उमावन—(जहाँ शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के मत से यह कुमार्गू में कोटलगढ़ है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट भी कहा जाता है।

उमाहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।५७।

उर्मन्त—(अपरांत में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ यागेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं)।

उर्वशीकुण्ड—(बदरी के अन्तर्गत) धराह० १४१-  
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५।

उर्वशीतीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन०  
८४।१५७, मत्स्य० १०६।३४, पद्म० १।३८।६४,  
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७।१।१।

उर्वशी-पुलिन—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६६  
एवं १०६, ४३४।३५, अनु० २५।४०। देविए इस  
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

उर्वशी-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ६६)।

उर्वशीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ७२)।

उष्णतीर्थ—मत्स्य० १३।४२ (देवी को गर्म जल के  
तीर्थों में अभया कहा जाता है)।

उष्णीगंगा—(एक स्नान-तीर्थ) वन० १३५।७।

ऊर्जयन्—(पर्वत) हर्षदामन् के जूनागढ शिलालेख  
(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा  
गुप्त इस्क्रिप्टान्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है।

### शु

शुभ या शुभवातु—(शुभो अर्थात् भानुशो से परिपूर्ण,  
भारतवर्ष की सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक)  
वापु० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३१, मत्स्य० ११४।१७,  
ब्रह्म० २७।३२, धराह० ८५ (पद्य)। शोण,  
नर्मदा, महानदी आदि नदियाँ इसी में निवृत्ती हैं।  
अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा  
और घाण के उद्गम-स्थल तक फैला हुआ है।  
शुभवातु नाभिगुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि-  
खित है (बम्बई मजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५;  
विष्णुतटवन अर्थात् विन्ध्य शुभवातु), यह टालेमी  
का और्जेनन है (पृ० ७६)। विष्णुन (जिल्द  
२, पृ० १२८) के अनुसार शुभ गोडवाता का पर्वत

है। इसकी पहचान बठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो  
मत्स्यपुराण एवं वन० में शुभ से निवृत्ती हुई वही  
गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य  
से निवृत्ती हुई उल्लिखित हैं।

शुभतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१२७,  
कूर्म० २।४१।१९ एवं २९।

शुभमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९,  
अग्नि० ११६।८।

शुभमोचन या शुभप्रमोचन—(१) (कुहजेन के  
अन्तर्गत) वाग० ४।१६, देविए ए० एन० आर०  
(जिल्द १४, पृष्ठ ७६) त्रिमूक अनुसार यह सरस्वती  
के तट पर वसन्तमोचन तीर्थ पर स्थित है, (२)  
(प्रयाग के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध  
अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी  
के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१, (४) (आमलक ग्राम  
के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।२८ (तीर्थ-  
कल्प०, पृ० २५५); (५) (वाराणसी के अन्तर्गत)  
स्कन्द० ४।३३।११७।

शुभाश्रितकूप—गद्य० १।२६।९२।

शुभम—(पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५।२१, भाग०  
५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य० १२।१।७२ एवं  
१६।३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह  
मदुरा में पलनी पहाड़ी है।

शुभमतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।-  
३५।३, पद्म० १।३।७।३; (२) (कोमला अर्थात्  
दक्षिण कोमला में) देविए कुमारवदन्त का गुप्ती  
शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ  
४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीरासी ने इस पर  
विवेचन उपस्थित किया है। एवं अन्ततः ने  
ब्राह्मणों को दो हजार गीर्ण दो थीं। प्रो० मीरासी  
ने इस शिलालेख का प्रथम पठान्दी का कहा है।  
वन० ८५।१० का कथन है कि जो यात्री यहाँ पर  
तीन दिना वा उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ  
का फल मिलता है। देविए गद्य० १।३९।१०।

शुभमद्वीप—वन० ८४।१६०, पद्य० १।३८।६७।

**ऋषभा**—(विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य०  
११४।२७।

**ऋषभंजनकतीर्थ या उषातीर्थ**—(मथुरा के अन्तर्गत)  
वराह० (ती० क०, पृ० १९१)।

**ऋषिकन्या**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४।

**ऋषिका**—(शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई एक नदी)  
वायु० ४५।१०७।

**ऋषिकुल्या**—(नदी) वन० ८४।४९, पद्म० १।३२।  
१२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रह्म० २७।३७, नारद०  
२।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु०  
४५।१६० (ऋतुकुल्या)। ऐ० जि० (पृ० ५१६)  
के मत से यह 'जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़  
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक  
के १३ अनुशासन उत्कीर्ण हैं, इसी नदी पर है।

**ऋषिसंघेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ५४)।

**ऋषिसत्र**—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१।

**ऋषितीर्थ**—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२२  
एवं १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणविन्दु शाप से मुक्त  
हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पद्म० १।१८।२२;  
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०।

**ऋष्यमूक या ऋष्यमूके**—(पर्वत). रामा० ३।७२।  
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर)  
भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३०  
(यहाँ सुग्रीव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के  
पास)। देखिए पाजिटर (पृ० २८९) जिनकी  
टिप्पणी सन्देशात्मक है।

**ऋष्यवन्त या ऋष्य**—(पर्वत) मत्स्य० ११४।२६,  
वायु० ४५।१०१, ब्रह्म० २७।३२।

**ऋष्यशृंगेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ११५)।

एं

**एकधार**—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।  
१२।

**एकवीरा**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३।

**एकहंस**—वन० ८३।२०।

**एकाम्रक**—(उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग  
२० मील दूर) यह खदतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन  
है, इसे अब भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति-  
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०-  
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तीर्थ चिन्तामणि,  
पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के  
सदृश और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है।  
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी  
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म० ३४।६ एवं ४१।  
१०-९३)। देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द  
१, पृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत 'ऐण्टीक्वि-  
टीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ  
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख  
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्वर  
के शिलालेख (डा० एल० डी० वान्टे द्वारा सम्पादित,  
एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि  
एकाम्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय  
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का  
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की  
प्रशंसा, एकाम्रक के मन्दिर एवं विन्दुसर का वर्णन  
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु  
यह शक संवत् ११०१-१२०० के बीच कहीं है।  
यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए०  
एस्० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४)  
एवं पुरुपोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण  
के अध्याय ४१ से कई श्लोक उद्धृत किये हैं)।  
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी  
है। एकाम्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी  
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण  
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए  
मित्र की 'नोटिसेज' (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं०  
१५६०)।

**एरण्डीतीर्थ**—(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक

नदी, जिसे 'उरी' या 'ओर' कहा जाता है) मत्स्य०  
१९१४२, १९३१६५ एव पद्य० ११२८४१।  
दुर्गडीनर्मदासंगम—मत्स्य० १९४३२, कूर्म० २४४१-  
८५ एव २४२३१, पद्य० ११२८४१।  
एलापुर—(सम्भवत आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२१-  
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)। ऐं० जि०  
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावल  
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव  
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि  
काञ्ची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर  
कैलासनाथ का पसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन-  
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५),  
और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ०  
२५)।

ऐ

ऐरावती—(एरियन की हाइड्राओटस, ऐं० इण्डि०,  
पृ० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली  
हुई एव मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य०  
११५१८-१९, ११६११ एव ६ तथा देवल (ती०  
क०, पृ० २४९)।  
ऐलापत्र—(पश्चिमी दिशा का दिक्पाल जो कश्मीर में  
दिक्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८  
(आधुनिक ऐलानुर)।

ओ

ओंकार—(१) (वारा० के पाँच गुह्य लिगों में एक)  
कूर्म० १३२११-११, लिग० ११९२१३७, पद्य०  
१३३११-४, (२) (ओंकार मान्याता, सषडवा से  
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नर्मदा के एक द्वीप पर  
१२ ज्यानिलिया में एक लिग) मत्स्य० २२३७,  
१८१२, पद्य० २१९३३२, ६१३३१६७, स्कन्द०  
११११७३०-९। नर्मदा के काँचें तट पर मान्याता  
के अमरेश्वर मन्दिर में उरुगोण हलायुध-स्तोत्र  
(१०६३ ई०) में ऐंता आया है कि ओंकार नर्मदा

एव कावेरी के संगम पर मान्यातपुर में रहते हैं  
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए  
'माहिम्ती' के अन्तर्गत।

ओंकारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४३५१११८।

ओषधती—(पञ्जाब में एक नदी) भीष्म० ९१२२,  
मत्स्य० २२१७१ (यहाँ श्राद्ध एव दान अत्यन्त पुण्य-  
कारक हैं), वाम० ४६१५०, ५७१८३, ५८११५।  
पृथुदक (आधुनिक पेहोवा) इस पर स्थित था।  
शाल्य० (३८१४ एव २७) से प्रकट होता है कि यह  
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२)  
विभिन्न पहचानों के लिए।

ओजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवत यह 'ओजस'  
है) वाम० ४१६, ९०१७।

औ

ओजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० ध० सू०  
८५१५२, वाम० २२१५१ एव ५७१९१।

ओहालक तीर्थ—वन० ८४११६१।

ओघानक तीर्थ—पद्य० १३८१६८।

ओषमन्थव—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
वल्प०, पृ० ९७)।

ओशनस—(सरस्वती-तट पर एक महान् तीर्थ) यह  
कपालमोचन ही है। वन० ८३१३५, मत्स्य०  
२२३१, शाल्य० ३९१४ एव १६-२२, पद्य० १२७०-  
२४-२६, वाम० ३९११ एव १४ (जहाँ उरुगोण  
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक नामक षड  
हो गये)।

ओशीर पर्वत—वायु० ७७३२९।

ओसत्र—(१) वि० ध० सू० ८५१५२ (सूर्यारक,  
वैजयन्ती टीका के अनुसार)। जामी (एम्० बी०  
ई०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है  
और कहा है कि यह 'ओस्रत' है, जो उनके मन में  
'ओसित्र' है, (२) (गमन्त्रचक्र की गीता)  
वाम० २२१९१।

कं

**ककुद्मती**—(सह्य से निकलनेवाली एक नदी)  
पद्म० ६१११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)।  
देखिए 'कृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीर्थसार, पृ० ७९।  
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती  
है।

**ककुभ**—(एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

**कर्वालिग**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० ११२)।

**कठेश्वर**—(चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।-  
६३-६४।

**कणादेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ९२)।

**कण्वाश्रम**—(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक  
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११, वि० घ०  
सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अभि० शाकुंतल  
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा  
गया है। गतपथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त  
'नाड्पित्' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने  
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा  
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे  
(पृ० ८९)।

**कदम्ब**—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ  
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)।

**कदम्बखण्ड**—(मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह०  
१६४।२६।

**कदम्बेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।-  
१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिग स्थापित किया  
था)।

**कदलीनदी**—(जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य०  
२२।५२।

**कनक**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १८९)।

**कनकनन्दा**—(गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी)

नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (कनक-  
नन्दी), कूर्म० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ  
आया है)।

**कनकवाहिनी**—(कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई  
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात् बूथसेर से बहती  
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५०  
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ०  
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है  
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी  
के बराबर है।

**कनका**—(गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।-  
८०।

**कनकेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ०-१०४)।

**कनखल**—(१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर  
गंगा पर) वन० ८४।३०, अनु० २५।१३, वि०  
घ० सू० ८५।१४, कूर्म० २।३७।१०-११, स्कन्द०  
१।१।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया  
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए  
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर  
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११।७,  
अग्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६; (३)  
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६९, पद्म०  
१।२०।६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया था) (४)  
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।४०-४९,  
(जहाँ पंचाल देश के काम्पित्य नामक नापित  
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म  
लिया)।

**कन्या**—(दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्)  
भाग० १०।७९।१७। देखिए - 'कुमारी' के  
अन्तर्गत।

**कन्याकूप**—अनु० २५।१९।

**कन्यातीर्थ**—(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।-  
११२, ८५।२३, कूर्म० २।४४।९, पद्म० १।३९।२१;  
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६,



कूर्म० २।४२।२१; (३) (नैमिषवन में) वन०  
९५।३, पद्य० १।२७।१।

कन्याश्रम—वन० ८३।१८९, पद्य० १।१२।५, २७।  
७५, ३९।३५।

कन्या-सर्वेष्ट—वन० ८४।१३६, पद्य० १।३८।५२।

कन्याहृद—अनु० २५।५३।

कपटेश्वर—(कोठेर के पाम कश्मीर घाटी के दक्षिण  
आर) राज० १।३२, ह० चि० १।४।३४ एव  
१३५, नीलमन० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७  
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट  
हुए थे), स्टोन-स्मृति (पृ० १७८-१७९)।  
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है—  
'काटिहर की घाटी में एक गहरी घास है, जब इसका  
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन-  
प्रतिमा उभर आती है।'

कपर्दीश्वर—(वाराणसी में गुह्य लिंगा में एक)  
कूर्म० १।३२।१२, १।३३।४-११ एव २८-४९,  
पद्य० १।३५।१।

कपालमोचनतीर्थ—(१) (वारा० में) वन० ८३।  
१३७ स्कन्द० ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।  
३८-६० (शिव न अपना हाथ म ध्याये हुए ब्रह्मा के एक  
मित्र का वाट ढाला और इस तीर्थ पर पापमुक्त  
हो गये)। शल्य० ३९।८, मत्स्य० १८३।८४-१०३,  
वाम० ३।४८-५१, बराह० ९७।२४-२६, पद्य०  
५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाँचा  
पुराणों में एक ही गाथा है), (२) (सरस्वती  
पर, जा औशनस नाम से भी विख्यात है)  
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक  
राक्षस का शिर मुनि र्होदर की गर्दन से  
सट गया था और मुनि को उसमें छुटकारा  
पही मिला था)। शल्य० ३९।९-२२ (र्होदर  
की वही गाथा), देखिए ए० एम्० आर०  
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति  
(मथारा में १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव  
का ब्रह्मा के शिर काटने के कारण लगे पाप से

छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है;  
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।  
६; (४) (कश्मीर में, शूषिपन परगने में जानुविज  
देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि०  
१०।२४९, १।४।१११, (५) (मायापुर अर्थात्  
हृदिहार में) पद्य० ६।१२९।२८।

कपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ५८)।

कपिलतीर्थ—(१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत)  
ब्रह्म० ४२।६; (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर)  
मत्स्य० १९३।४, कूर्म० २।४।१९३-१००, पद्य०  
१।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थसार, पृ० १००,  
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म०  
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आगिरस, आदित्य एवं  
संहिकेय भी कहा गया है)।

कपिलधारा—नाम० ८।४।२४। दे (पृ० ४) का कथन  
है कि नर्मदा का अमरत्वष्टक से प्रथम पतन स्वन्द०  
में कपिलधारा के नाम में उल्लिखित है।

कपिलनागराज—वन० ८४।३२, पद्य० १।२८।३०।

कपिलहृद—(वारा० के अन्तर्गत) वन ८४।७८,  
नारदीय० २।५०।४६, पद्य० १।३२।४१, लिंग०  
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी  
नाम का एक तीर्थ हृदिहार में कहा गया है।

कपिला—(१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वासु०  
१०।८।५७-५८, अग्नि० १।१६।५, (२) (नर्मदा  
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६।४०, १९०।  
१०, कूर्म० २।४०।२४, पद्य० १।१३।३५। मध्य-  
प्रदेश में बरवाणी में यह नर्मदा से मिल  
जाती है।

कपिलातीर्थ—(कश्मीर में कपटेश्वर के अन्तर्गत)  
ह० चि० १।४।११३।

कपिलावट—(नागतीर्थ एवं कनकल के पास) वन०  
८४।३१, पद्य० १।२८।३१।

कपिलासंगम—(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य०  
१८६।४०, पद्य० २।१८।१, ६।२४।२।२, (२)

- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४११ एवं २८-२९।
- कपिलेश लिंग**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४३३।१५८।
- कपिलेश्वर लिंग**—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २।८५।२६।
- कपिशा**—(उत्कल, अर्थात् उड़ीसा की एक नदी) रघुवंश ४३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई से इसकी पहचान की जा सकती है।
- कपोतेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५६।
- कमलालय**—मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवी का नाम कामला है)।
- कमलाक्ष**—(यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात हैं) मत्स्य० १३।३४।
- कम्पना**—(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० १।२५।
- कम्बलाश्वतर नाग**—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूर्म० १।३७।१९ (यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११।५; (२) दो नाग (अर्थात् धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर में हैं, नीलमत० १०५२।
- कम्बलाश्वतराक्ष**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।
- कम्बूतीर्थ**—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।-१३६।१।
- कम्बोतिकेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१।
- कर्तोया**—(बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोघ्रा जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी सीमा है) वन० ८५।३, सभा० ९।२२, अनु० २५।१२। अमरकोश के अनुसार कर्तोया एवं सदानोरा एक ही हैं। मार्क० (५४।२५) के मत से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति-च० (१, पृ० १३२)।
- करपाद**—(शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।
- करवीर**—(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० १३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्), पद्म० ५।१७।-२०३, मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्म० ६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, २१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; (२) (दृष-द्वती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० ४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व) ३९।५०-६५।
- करवीरकतीर्थ**—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जात्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४८-५१।
- करञ्जतीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।-११।
- करहाटक**—कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र-मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कनिंयम का लेख 'भरहुतस्तूप', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ३३, पृ० २७५।
- कर्कोटकेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।-३६।
- कर्कन्ध**—वाम० ५१।५२।
- कर्णप्रयाग**—देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२।
- कर्णहृद**—(गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्म० १।३२।४।
- कर्दमिल**—वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत को राज-मुकुट पहनाया गया था)।
- कर्दमाश्रम**—(विन्दुसर के पास) भाग० ३।२१।-३५-३७।
- कर्दनाल**—(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७,

अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२)  
(साम्रमती के अन्तर्गत) पच० ६।१६६।७ एव १०।

कर्मावरोहण—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती०  
क०, पृ० १९०)।

कर्मेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १९२।-  
१५२।

कलविक—अनु० २५।४३।

कलशाख्यतीर्थ—(जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले  
थे) नारदीय० २।४०।८७।

कलशेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ९९), पच० १।३७।७।

कलापक—(वेदार से एक सौ योजन के लगभग)  
स्कन्द० १।२।६।३३-३४।

कलापग्राम—(सम्भवत बदरिका के पास) वायु०  
९।१७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और  
वलिद्युग के अन्त में यह वृत्तद्युग-प्रवर्तक ही जायगा)  
भाग० १०।८।७।

कलापवन—पच० १।२।८।३।

कल्पग्राम—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।-  
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)।  
सम्भवत यह आधुनिक काल्पी है।

कल्माषी—(यमुना) समा० ७।८।१६।

कल्लोलकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।-  
८८।

कश्मीर-गण्डल—प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता  
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि  
३।२।११४) में आया है—'अभिजानासि देवदत्त  
कश्मीरान् गमिष्याम ।' 'सिन्ध्वादिगण' (पाणिनि,  
४।३।९३) में 'कश्मीर' शब्द देश के लिए आया  
है। नीलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया  
है, (यथा श्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे  
'कश्मीर' भी आया है। ह० चि० में 'कश्मीर'  
आया है। विक्रमाकदेवचरित (१८।१ एव १८) में  
'कश्मीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में  
व्युत्पत्ति है—'क' का अर्थ है जल (क वारि हरिणा

यस्माद्देशादस्मादपावृतम्। कश्मीराख्य ततो हास्य  
नाम लोके भविष्यति ॥)। टॉलेमी ने इसे कसे-  
इरिया कहा है और उसका क्या है कि वह विदस्पैत  
(वितस्ता), मन्दबल (चन्द्रभागा) एव अद्रिस  
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में  
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०।८।१०९)  
एव नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने  
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने-  
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि  
सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन०  
८२।९०, समा० २७।१७, अनु० २५।८। कश्मीर  
एव जम्मू के महाराज के साथ सन् १८४६ की जो  
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य-  
भूमि सिन्धु के पूर्व एव रावी के पश्चिम तक थी,  
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२)।  
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एव  
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ  
७४)। और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एव  
ह्वेनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १, पृ० १४८)।  
ह्वेनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में,  
जैसा कि प्राचीन जनश्रुति से उभरे पता चला था,  
एक झील थी और उसका नाम था सती सर और  
वही आगे चलकर सती-देस (नीलमत० ६४-६६)  
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश  
रूप में है और स्वर्गिक वितस्ता, जो हिमालय से  
निकलती है, सीमन्त (सिर की मांग) है (बीलमत०  
पृ० ४५)। दन्तकथा यो है—जब गहड़ ने सती  
नागा को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग की  
प्रायण पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग  
अन्य नागा के साथ उस देश में अवस्थित हो गया।  
वरदान यह मिला था कि सती-देस में कोई सन्तु नागों  
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और  
नील सती-देस में नागा का राजा हो गया (नीलमत०  
११०)। नील का निवास शाहाबाद परगने के  
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राक्षस

सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१३०-३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले (राज० ११२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २।४३४। कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी पुनीत धाराओं, कुण्डों एवं सरों की रक्षा करते हैं, जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नीलमत० (११३०-११३१) एवं राज० (११३८) का कथन है कि कश्मीर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती थी और जिनके विषय में आश्चर्यजनक कहानियाँ कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० (३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश समझना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं करना चाहिए। राज० (१।४२) ने एक श्लोक में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है—  
'विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लोकों में दुर्लभ हैं।'

कश्यपेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १७५)।

कश्यपपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, १११।४९ एवं ५८।

काकशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, अग्नि० ११६।४।

काकहृद—(श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० ३।१३ ८५।

काञ्चनाक्षी—(नैमिष वन में एक नदी) वाम० ८३।२।

काञ्ची या काञ्चीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान। पद्म० ६।११०।५, देवीभाग० ७।३।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१० एवं ४।३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० १०४।७६, पद्म० ४।१७।६७, वहाँ सू० ३।१२४ (एक शाक्त क्षेत्र)। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्ची के एक राजा की ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन डु कम्बोड्जे, जी० कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।८।

कान्तीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का अन्तिम भाग। आइने अकवरी (जिल्द ३, पृ० ३०५), स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिंग है)। मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी थी। देखिए जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया' (१५०-३५० ई०) पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है।

कात्यायनेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १२०)।

काद्रवती—(श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ) वायु० ७७।८२।

कान्यकुब्ज—(ललिता देवी के ५० पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया); मत्स्य० १३।२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा गया है), अनु० ४।१७, पद्म० ५।२५ (गंगा में मिलने वाली कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की मूर्ति स्थापित की), पद्म० ६।१२९।९। महाभाष्य

(जिल्द २, पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्व-कुञ्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एव कुश के पुत्र कुशनाभ ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से कान्वकुञ्ज, महोदय, गाधिपुर, कन्याकुव्वर एक-दूसरे के पर्याय हैं। देविए 'महोदय' के अन्तर्गत एव ऐ० जि० (पृ० ३७६-३८२)। टालेमी (पृ० १३४) ने इसे 'वनगोरा' एव 'कनोगिडा' कहा है।

**कापिल**—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।

**कापिलद्वीप**—(यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) नृसिंह० ६।५।७ (ती० कल्प०, पृ० २५१)।

**कापिशी**—(नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम आया है। यह पुनानी लेखका की 'कपिसेने' है।

**कापोत**—(गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०।५ एव ९२।

**कापोतकतीर्थ**—(माभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५। १ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है)।

**कामकोष्ठक** (कामकोटि)—(त्रिपुरसुन्दरी का पीठ—कामाक्षी) ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची म), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठा में एव), भाग० १०।७९।१४ (वामकोष्ठी पुरी काञ्चीम्)।

**काम**—वाह्व्येय सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक निवसेत्र है।

**कामनिरि**—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० ४।३९।१०५, भाग० ५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११।

**कामनीय**—(नर्मदा के दक्षिण तट पर) कूर्म० २।४।१५, गृह० १।८।१।

**कामधेनु-नद**—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११।२।५६।

**कामाक्षा**—(अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक देवीस्थान) पद्म० ४।१२।५४-६०।

**कामाक्षी**—(पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के लिए)।

**कामाक्ष्य**—(१) (देविका नदी पर एक हस्ततीर्थ) वन० ८।५।१०५, पद्म० १।२५।१२, (२) (ब्रह्मपुत्र

नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३। १५, कालिका० ६।४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह गोहाटी से दामोदर नदी के और प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। देविए तोर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देविए श्री श्री० कवली का लेख (मिद्विभागी भाग २ पृ० ४४)। कालिका० (१।४।२ एव ५०) में ऐसा आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 'कामाक्ष्या' के नाम में प्रसिद्ध है।

**कामेश्वर-रिंग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वयं० ४।३३।१२२।

**कामेश्वरीपीठ**—कालिका० (अध्याय ८४) में इसरी यात्रा का वर्णन है।

**कामोदापुर**—(गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें कामादा माहात्म्य है)। समुद्र-मन्थन से चार कुमारियाँ निकलीं—रमा, वाहणी, कामोदा एव वरा, जिनमें से

विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वाहणी को अनुरी ने ग्रहण किया, अध्याय ६।१।८। यह गंगाद्वार से १० योजन ऊपर है।

**काम्यक-आश्रम**—(पाण्डवों का) वन० १४।६।६।

**काम्यक-सर**—सभा० ५।२।२८।

**काम्यकवन**—(१) (सरस्वती के तटा पर) वन० ३।६।४ (जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये), वाम० ४।३।०।३१, (२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा।

**कामिक**—(जहाँ गण्डकी देविका में मिलती है) धराह० १४।८।४-८५।

**काम्यशोधन**—वन० ८।३।४२-४३।

**कायावरोहण**—(१) (डभोई तालुका में बडोदा में १५ मील दक्षिण आधुनिक कावाँत) वायु० २।३।२१-२२२ (यहाँ 'पाशुपत' मिद्वान्त के प्रवर्तक नकुली या लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २।२।३०, कूर्म० २।४।४।८ (इसका कथन है कि यहाँ महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के

सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी)। एपि० इण्डि० (जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य० (१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही गयी है।

कारन्तुक—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० २२।६०।

कारन्धम—(दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३।

कारपचव—(यमुना पर) पंचविंश ब्राह्मण २५।१०।२३,

आश्व० श्रौ० सू० १३।६, कात्या० श्रौ० सू० २४।६।१०।

कारप वन—(सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) शल्य०

५४।१२ एवं १५।

कारवती—(श्राद्ध-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२।

कार्तिकेय—(१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात है) मत्स्य० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत)

ब्रह्म० ८।१।७, गरुड़० १।८।१।९।

कार्तिकेय-कुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह०

१५।१।६१।

कार्तिकेय-पद—(गया में) वायु० १०९।१९, १११।५४।

कालकवन—(महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि

२।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९)

के अनुसार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा०

अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४,

भाग १, पृ० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग

था।

कालकेशव—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७।

कालकोटि—(नैमिष वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता

१४।४।

कालञ्जर—(या कार्लिजर)—(१) (बुन्देलखण्ड में एक

पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु०

७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है)।

कालञ्जर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०,

जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल-

१०६

ञ्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९,

पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने

इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है।

यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभैरव

कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ

प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से

कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६,

पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल

(ती० क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त-

र्गत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजषि श्वेत की

गाथा, श्वेत लगातार 'शतश्रद्धि' का पाठ करता रहता

था, पद्म० १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त-

र्गत एक शिव-तीर्थ) ब्रह्म० १४६।१ एवं ४३ (इसे

'थायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिञ्जरी

नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था)

स्कन्द०, कालिकाखण्ड (ती० क०, पृ० ९८); (६)

(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७)

राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व-

तीय जिला प्रतीत होता है)।

कालञ्जर वन—मत्स्य० १८।१२७ (कालञ्जर, एक

शिवतीर्थ), ती० क०, पृ० २४।

कालतीर्थ—(१) (कोशला में) वन० ८५।११-१२,

पद्म० १।३१।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत)

कूर्म० १।३५।२।

कालभैरव—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।

१३२।

कालविमल—(कश्मीर के पाँच तीर्थों में एक) ह०

चि० ४।८३।

कालसर्पिस्—(काश्यप का महातीर्थ) कूर्म० २।३७।३४,

वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल),

ब्रह्माण्ड० ३।११।९८।

कालिका—(पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।३६।

कालिकाशिखर—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

कालिकाश्रम—अनु० २५।२४, (विषाया पर) नील-

मत० १४८।

कालिका-संगम—वन० ८४।१५६, पद्य० १।३८।६३,  
अग्नि० १०९।२०।

कालिन्दी—(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्य०  
१।२९।१।

कालिहृद—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४५।

कालियहृद—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०,  
पृ० १९२), तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५।

काली—(१) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली  
नदी) मत्स्य० २२।२०, वाम० ५।७।७९, यह नेपाल  
एव सहारनपुर की विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे०  
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२), (२) (कालीसिन्धु,  
जो चम्बल से मिलती है)।

कालेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३।

कालेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० वन्य०, पृ० ४५ एव ७२), १।९२।१३६, (२)  
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड०  
(४।४।९७) में आया है कि यह ललित के ५० पीठों  
में एक है।

कालोदक—(झील) (१) वि० ध० सू० ८।५।३५ (बंज-  
यन्त्री टीका के अनुसार) अनु० २।५।६०, (२)  
(ममुद्र में १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के  
पूर्व भाग में एक झील) नीलमत० १२३१-१२३३।

कालोदका—(कश्मीर में एक नदी) अनु० २।५।६०,  
नीलमत० १५४५।

कावेरी-संगम—(नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३।३  
एव निम्नोक्त (२)।

कावेरी—(१) (महा पर्वत से निकनेवाली दक्षिण  
भारत की एक नदी) वन० ८।५।२२, अनु० १६६।२०,  
वायु० ४।५।१०४, ७।७।२८, मत्स्य० २२।६४, कूर्म०  
२।३७।१६-१९, पद्य० १।३९।२०, पद्य० ६।२२।४।३,  
४ एव १९ (महद्वारा कही गयी है)। नृसिंह० (६६।  
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-मग्या है, तमिल  
महाराज्य 'गिलण्णदिकारम्' (१०।१०२, पृ० १६०,  
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका मुन्दर वर्णन है,  
(२) (राजगीरला पहाड़ियों से निकलनेवाली एक

नदी, जो शुक्ल-तीर्थ के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी  
तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्म०  
२।४०।४०, पद्य० १।१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यक्षा-  
धिरत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३।

काशी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह  
सम्भवतः टॉलेमी (पृ० २२८) का 'बस्मिद' है। अग्नि-  
धानचिन्तामणि (ब्लोक ९७४) में आया है कि काशी,  
वाराणसी, वाराणसी एव शिवपुरी पर्याय हैं।

काश्यपतीर्थ—(१) (वात्मनि नामक) वायु० ७।७।  
८७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८; (२) (साभ्रमती के अन्त-  
र्गत) पद्य० ६।१५।७।१।

किकिणीकाश्रम—अनु० २।५।२३।

किन्दान—पद्य० १।२६।७४, वन० ८।३।७९।

किंयज्ञ—पद्य० १।२६।७४।

किदत्तकूप—वन० ८।४।९८।

किरणा—(नदी) वाम० ८।४।५, देखिए इस ग्रन्थ का  
खण्ड ४, अध्याय १३।

किरणेश्वर लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४।३३।१५५।

किलिकिलेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

किशुकवन—वायु० ३।८।२७-३२ (वसुधारा एव लल-  
धारा के बीच में)।

किशुलक—(पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक  
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एव  
किशुलक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें  
निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता।

किष्किन्धा—(पम्गासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन०  
२८०।१६, रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा-  
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने  
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'किष्किन्धादिगण'  
(पाणिनि ४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। यह  
आधुनिक बिजनगर एव अनेगुण्डि कहा गया है।  
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३, पृ० २३५)। बृहत्-  
हिता (१।४।१०) ने उत्तर-पूर्व में किष्किन्धा को एक  
देश कहा है।

- किष्किन्धा-गुहा**—वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह किष्किन्धा ही है)।
- किष्किन्धपर्वत**—मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी को तारा कहा गया है)।
- कुवकुदेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७८)।
- कुञ्जतीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।
- कुण्डिन**—नृसिंह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० २३९), इससे विदर्भा भी कहते हैं (अभिवान-चिन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९)।
- कुण्डिप्रभ**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१४८।
- कुण्डेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६८)।
- कुण्डोद**—(काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।-२६।
- कुण्डलेश्वर**—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ९०।-१२; (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिंग० १।९२।१४९।
- कुड्मला**—(एक नदी) मत्स्य० २२।४६ (यहाँ का श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है)।
- कुन्दवन**—(मथुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० १५३।३२।
- कुबेर**—सारस्वत तीर्थों में एक, देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।
- कुब्जक**—नारदीय० २।६०।२५, गरुड़ १।८।१० (कुब्ज-के श्रीवरो हरिः)।
- कुब्जाम्रक**—(यहाँ गंगाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था) वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्म० १।३२।५। वि० ष० सू० ८५।१५, कूर्म० २।२०।३३, गरुड़ (१।८।१।१०) का कथन है कि यह एक महान् श्राद्ध-तीर्थ है। वराह० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह मायातीर्थ अर्थात् हरिद्वार है)। वराह० (अध्याय १२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु (तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८)। वराह० (१२६।१०-१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान् द्वारा सूचित

होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वृक्ष देखा और वे श्रद्धावश झुक गये। इसके स्थान के विषय में अभी निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७-९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से उत्तम है और सौकरतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम है। वराह० (१४०।६०-६४) में व्याख्या की है कि किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह नाम पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई तीर्थ था।

- कुब्जासंगम**—(नर्मदा के साथ) पद्म० २।९२।३२।
- कुब्जाश्रम**—(एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु-स्थान) कूर्म० २।३५।३३-३५।
- कुब्जावन**—पद्म० १।३९।३४।
- कुब्जिकापीठ**—(यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती-शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० ६४।५३-५४ एवं ७१-७२।
- कुभा**—(सम्भवतः आधुनिक काबुल नदी) ऋ० ५। ५३।९ एवं १०।७५।६। यह टॉलेमी की कोफेस एवं एरियन की कोफेन है (ऐ० इ०, पृ० १७९)। काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१। ७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर-पथेनाहूतं च)। उत्तरापथ उत्तर में एक मार्ग है जो अटक के पास सिन्धु के पार जाता है।
- कुमार**—पद्म० १।३८।६१।
- कुमार-कोशला-तीर्थ**—वायु० ७७।३७।
- कुमारकोटी**—वन० ८२।११७, पद्म० १।२५।२३, अग्नि० १०९।१३।
- कुमारतीर्थ**—नृसिंह० ६५।१७ (ती० क०, पृ० २५२)।
- कुमार-धारा**—वि० ष० सू० ८५।२५, वायु० ७७।८५, वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती है), वाम० ८४।२३, कूर्म० २।३७।२० (स्वामितीर्थ के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (व्यान के लिए व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी)।
- कुमारी**—(केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक



मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी बन्धा के रूप में प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया' एव पोरिप्लम ने इसे कोमर या 'कोमारैड' कहा है। वन० ८८।१४ (पाण्ड्य देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। २८। ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एव मत्स्य० (११।४। १०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवौं द्वीप कुमारी से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। शबर (जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि 'चरु' शब्द हिमालय से कुमारी देश तक 'स्याली' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

**कुमारिल**—(कश्मीर में वितस्ता पर) वान० ८१।११।  
**कुमारेश्वर लिंग**—स्कन्द० १।२।१४।६, वान० ४६।२३।  
**कुमुदाकर**—(कुब्जाध्वज के अन्तर्गत) बराह० १२६। २५-२६।

**कुमुद्वती**—(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०२, ब्रह्म० २७।३३।

**कुम्भ**—(थाढ़ के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७।  
**कुम्भकर्षाधम**—वन० ८४।१५७, पञ्च० १।३८।६४।  
**कुम्भकोण**—(आधुनिक कुम्भकोणम्, तजौर जिले में) स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१।

**कुम्भीश्वर**—(वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४५)।

**कुरङ्ग**—अनु० २५।१२।

**कुरुजागल**—(पजाव में सरहिन्द, थाढ़तीर्थ) मत्स्य० २१।९ एव २८, वायु० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह सरस्वती एव दृषदती के बीच में है), ८४।३ एव १७, कूर्म० २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०।  
 देखिए इम ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

**कुरुजागलारण्य**—देवीपुराण (ती० व०, पृ० २४४)।  
**कुरुक्षेत्र**—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।  
 कुरुक्षेत्र महाात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीर्थ हैं। देखिए ए० जि०, पृ० ३३२।

**कुलभुज**—वन० ८३।१०४, पञ्च० १।२६।९७।

**कुलिशी**—(नदी) ऋ० १।१०।४।

**कुलेश्वर**—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७७।५५।  
**कुल्या**—(नदी) अनु० २५।५६ (ती० क०, पृ० २४७)।

**कुशातीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।३३।  
**कुशास्तम्भ**—अनु० २५।२८ (ती० व०, पृ० २४६)।  
**कुशास्थल**—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७। १६।

**कुशास्थली**—(१) (यह द्वारका ही है, आनर्त की राजधानी) विष्णु० ४।१।६४ एव ९१, मत्स्य० १२। २२, ६९।९, वायु० ८६।२४ एव ८८।५, भाग० ७। १४।३१, ९।३।२८ (आनर्त के पुत्र रेवत ने समुद्र के भीतर इस नगर को बसाया और आनर्त पर राज्य किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया था)। (२) (कोमल की राजधानी, जहाँ राम के पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० ७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (कुशावती, जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था) एस्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० २४८।

**कुशातपण**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।१।१ (इसे परिणीतासगम भी कहा जाता है)।

**कुशाप्लवन**—वन० ८५।३६।

**कुशावर्त**—(१) (नासिक के पास श्यम्बकेश्वर) वि० घ० सू० ८५।११, ब्रह्म० ८०।२, मत्स्य० २२।६९।  
 देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१, (२) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०। ७९, भाग० ३।२०।४।

**कुशेशय**—(कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६।

**कुशिकस्याधम**—(कीशिकी नदी पर) वन० ८४। १३।१-१३२।

**कुशीवट**—नृसिंह० (ती० व०, पृ० २५२)।

**कुशुमेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९। १।२-१।९ एव १२५।

**कूमाश्वेश्वर**—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० १०३)।

- कूटक**—(पर्वत) भाग० ५।६।७ (कूटक), वन० १९।  
१६ (कूटक)।
- कूटशैल**—(पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।  
२३ (सम्भवतः यह उपर्युक्त कूटक ही है)।
- कुशावती**—(विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा० ७।१०७।७। महासुदस्सन सुत (एस० वी० ई० ११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी।
- कुहू**—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, वाम० ५७।८०, ब्रह्म० २७।२६। मत्स्य० (१२१।४६) में 'कुहून्' नाम एक देश का है, या यह गन्धारों एवं औरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी पहचान ठीक से नहीं हो सकी है।
- कुकलासतीर्थ**—(इसे नृगततीर्थ भी कहा जाता है) तीर्थ-  
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय ७०; रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया।
- कृतमाला**—(मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५।१०५,  
ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३।  
३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७९।१६, ११।  
५।३९, विष्णु० २।३।१३, १। दे (पृ० १०४) ने कहा है कि यह वैगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है। देखिए 'पयस्विनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की।
- कृतशीच**—मत्स्य० १३।४५, १७९।८७, वाम० ९०।५  
(यहाँ नृसिंह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८।
- कृत्तिकांगरक**—अनु० २५।२२।
- कृत्तिकाश्रम**—अनु० २५।२५।
- कृत्तिकातीर्थ**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८१।१।
- कृत्तिवास**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ४०)।
- कृत्तिवासेश्वर लिंग**—(वारा० के अन्तर्गत)। कूर्म०

१।३।२।१२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ (विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का नाम है)।

**कृपा**—(शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८।

**कृपाणीतीर्थ**—(कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) नीलमत० १२५३, १४६०।

**कृमिचण्डेश्वर**—(वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक) मत्स्य० १८।१।२९।

**कृष्ण-गंगा**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७५।३।

**कृष्णगंगोद्भव-तीर्थ**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वर्णित है)।

**कृष्णगिरि**—(पर्वत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २।  
१६।२२।

**कृष्णतीर्थ**—(कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८।१९।

**कृष्ण-वेणा**—भीष्म० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि० ११।८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४। सम्राट खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ७७) में 'कन्हवेमना' नाम आया है। अनु० (१६६।२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्-पृथक् नाम आये हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अंलस दान-पत्र में (७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८)।

**कृष्णा-वेण्या**—(उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६।१०८।  
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, ६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान का मन्त्र लिखा है। देखिए तीर्थसार (पृ० ६७-८३) जहाँ पृ० ७० में आया है कि सद्य से निर्गत सभी नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहली, जो सतारा से ४ मील पर है, कृष्णा एवं वेण्या के संगम पर है।

कृष्ण-वेणी—(उपर्युक्त नदी) मत्स्य० ११४।२९ रामा० ५।४१।१। तीयसार (प० ६७।८२) म स्कद० से कृष्णवेणी का माहात्म्य उदघत है।

कृष्णा—(१) (महाबलेश्वर म सह्य पर्वत से निवलने वाली नदी) ब्रह्म० ७७।५ पद्य० ६।११३।२५ वाम० १३।३० (२) वाम० ७८।७ ९०।२ (इस नदी पर ह्यगिर के रूप म विष्णु)। इस बहुधा कृष्ण-वेण्या या कृष्ण-वणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विंगाल नदिया म एक है अथ दा हैं गान्धारी एव कावेरी। महाबलेश्वर माहात्म्य (जे० वी० वी० आर० ए० एम जिल्द १० प० १६) म महाबलेश्वर के पास सह्य से निकला हुई गंगा नामक पाच नदिया का उल्लेख है—कृष्णा वेणा ककुम्भती (कोयना) सावित्री (जो बाणकोट के पास अरवसागर म गिस्ती है) एव गायत्री (जा सावित्री से मिली वही गया है)।

केतकीवन—वचनाय के अन्तगत देखिए।

केतुमाला—(पश्चिम म एक नदी) वन० ८९।१५।

केदार—(१) (वाराणसी के आठ गिवातीयों म एक) वन० ८७।२५ मत्स्य० १८१।२९ कूम० १।३५।१२ एव २।२०।३४ (श्राद्ध नाथ) अग्नि० ११।२।५ लिंग० १।०२।७ एव १३४ (२) (गडवाल म केदारनाथ) त्रि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र स ११७५० फुट ऊंचा है। पाच केदार विस्त्यात हैं—केदारनाथ तुगनाथ रुद्रनाथ मध्यमन्वर एव कल्पेश्वर। देखिए उ० प्र० गज० जिल्द ३६ पृ० १७३ (गडवाल) (३) (बनमौर म) ह० चि० ८।६९ (विजयेश्वर स एव काम नीच) (४) (गया के अतगत) नास्दीय० २।४६।४६ (५) (कपिष्ठाळ का) पद्य० १।२६।६९।

केगव—(१) (वाराणसी म) मत्स्य० १८५।६८,

(२) (मथुरा व अतगत) वराह० १६३।६३।

केगिनीय—(गया के अतगत) ताथप्रकाश पृ० ५१५।

केगिनीतीय—(नमदा व अतगत) पद्य० १।२१।४०।

कलापुर—(ललिता व पन्नाम पाठा म एक) ब्रह्माण्ड० ४।४।९।९७।

कलास शिखर—(हिमाच्य वा एक शिखर समुद्र से २२००० फुट ऊंचा मानसरोवर स २५ माल उत्तर) वन० १३९।४१ (६योजन ऊंचा) १५३।१ १५८।१५ १८ मत्स्य० १२१।२३ ब्रह्माण्ड० ४।४।९५ (ललितादेवी के ५० पीठो म एक) 'देखिए स्वामी प्रणवानद का लेख (ज० य० पी० एच० एस० जिल्द १९ पृ० १६८ १८०) और जनकी पुस्तक कलासमान सरोवर एव स्वन हडिन का ट्रास हिमालय' (सन १९०९)। देखिए दे (पृ० ८२ ८३)। सतलज सिवु ब्रह्मपुत्र एव कणाली वा उदगम-स्थल कलास है या मानस अभी तक यह बात विवादग्रस्त है।

कोका—(नदी) वराह० २१४।४५ ब्रह्म० २१९।२०।

कोकामुख—(या धराहक्षत्र जा पूर्णिया जिले मे नायपुर

के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८ अनु०

२५।५२ वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य

है) १२३।२ १४०।१० १३। (ती० क० प० २१३

२१४) ब्रह्म० २१९।८ १० (देवा ने एक मुन्दरी से

पूछा—वासि भद्र प्रभु का वा भवत्या ) कूम०

१।३१।४७ २।३५।३६ (यह विष्णुतीय है) पद्य०

१।३८।६५। वराह० (१४०।६० ८३) मे आया है कि

यह धात्र विस्तार म पाच योजन है और वराहावतार

के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०

जिल्द १५ पृ० १३८ १३९ (जहाँ बुधमुप्त का एक

गिलालख है जिसम काकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन

वा उल्लेख है)। और दक्विए टा० वी० मी० लॉ भेट

ग्रन्थ (भाग १ पृ० १८९ १९१) इण्डियन् इन्स्टारि

वल क्वाटरली (जिल्द २१ पृ० ५६)।

कोकिल—(वाराणसी के अतगत) पद्य० १।३७।१६

एव ५।११।१०।

कोटरा-सीर्य—(साभमना व अतगत) पद्य० ६।१५।२।२

एव १३ (अनिरुद्ध स सम्बन्धित जिसक लिए कृष्ण ने

बाणाशुर स यद्ध किया था)।

कोटरा-वन—पाणिनि '(६।३।११७ एव ८।४।४) ने

इनका नाम लिया है। देखिए विष्णुत्रुक् एव पाणिनि

(८।४।४) जहाँ पांच वना व नाम आये हैं।

कोटिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पन्ना ११८।३६।

कोटीश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५४); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) वाम० ३४।२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तीर्थयात्रा का प्रसिद्ध स्थल है? ऐ० जि०, पृ० ३०३-४ एवं वम्बई गजे० (जिल्द ५, पृ० २२९-२३१)।

कोटितीर्थ—(१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१।५३, ८४।११-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भर्तृ-स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४।२९; (५) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१७, कूर्म० २।४।३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १।८।८ (यहाँ एक करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १४८।१; (७) (गगाद्वार के पास) वन० ८२।४९; वन० ८४।७७, नारदीय० २।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थों से जल एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, वारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२)।

कोटिवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ४७-५०, १४७।४०।

कोणार्क (या कोणादित्य)—(ओड़ या उड़ीसा में; जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की दूरी पर) इसका अर्थ है 'कोण का सूर्य'। 'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है। यह सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ नरसिंहदेव (१२३८-१२६४ ई०) द्वारा, जो एक गंग राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वितीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप

१४० फुट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र कृत 'ऐण्टिकवि-टीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २८८) एवं माडर्न रिन्गू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख 'सन गॉड आव कोगार्क अनअर्थड'। ब्रह्म० २।८।२, ९, ११, ४७, ६५ एवं २९।१, तीर्थचि० (पृ० १८०)। यह सम्भवतः टॉलेमी (पृ० ७०) का 'कन्नगर' है।

कोलापुर—(यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों में एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पद्म० ६।१७६।४२ (यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८।२।१ (अस्ति कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापथे) एवं ११। ब्रह्मण्ड० ४।४।९।७ (यह ललितातीर्थ है)। शिलाहार विजयादित्य के दान-पत्र (सन् ११४३ ई०) में 'क्षुल्लकापुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है (एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७ एवं २०९-२१०)। अमोघवर्ष प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में आया है कि राजाने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के लिए अपना वार्याँ अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ एवं २४१)। यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९, पृ० २८०।

कोल्ल—वार्हस्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह शावत क्षेत्र है।

कोल्लगिरि—अग्नि० ११०।२१, भाग० ५।१९।१६।

कोलाहल—(एक पर्वत) वायु० ४५।९०, १०६।४५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२१, मार्क० ५४।१२, विष्णु० ३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है।

कोसला—(नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९। ११, ६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका-टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला (कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ९, पृ० २७१)।

कोनट—वाम० ५११५३।

कोवेरतीर्थ—शत्य० ४७२५ (जहाँ कुवेर को घन वा स्वामित्व प्राप्त हुआ)।

कोमारतीर्थ—(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।८६।

कौशाम्बी—प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधुनिक कोशम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि यह ब्रह्मा के पीत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्थापित हुई थी, ती० क०, पृ० २४६। महाभाष्य (जिल्द ३, पृ० ५०, १३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार उल्लिखित हुई है। अभियानचिन्तामणि (पृ० १८) में आया है कि यह यत्स देश की राजधानी थी। देखिए एं० जि० (पृ० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्तर्गत। देखिए नगन्द्रनाथ घोष कृत 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ कोशाम्बी'। असोक के कौशाम्बी स्तम्भामिलेख (गी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस आधुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया है। डा० स्मिथ ने 'कोसम' नहीं माना है (जे० आर० ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कौशाम्बी के विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एमि० इण्डि० (जिल्द ११, पृ० १४१)।

कौशिकी—(१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक कोसी) आदि० २।१५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० २२।६३, ११४।२२, रामायण १।३४।७-९, भाग० ९।१५।५-१२ (गांधी की पुत्री सत्यवती कौशिकी नदी हो गयी), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए पड़ा कि काला ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त अपना काला कंधा यहाँ छोड़ दिया था), ७।१५, ९०।२, वायु० ४५।१४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र (आदि० ७।१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, वायु० १०।८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा)। जैसा कि प्रो० दीनानाथ (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण है न कि त्रिमी अन्य नदी का नाम।

कौशिकी-कोशा-संगम—बराह० १४०।७५-७८।

कौशिकीमहाह्रद—वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०९।

कौशिकी-संगम—(दुपद्वी के साथ) पद्य० १।२६।८९, वाम० ३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह पृथक् लगती है।

कौशिकी-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४०।

कौशिकवर्षासंगम—वन० ८४।१५६, पद्य० १।३।६३।

कौस्तुभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६०)।

कौशिकह्रद—(कौशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२-१४३, पद्य० १।३।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्युत्तम सिद्धि प्राप्त हुई)।

क्रमसार—(कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा जाता है) नीलमत० १४८१-१४८२।

क्रतुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२।१९।

क्रिया—(ऋक्षवान् से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२९।

क्रुमु—(नदी) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामान्यतः इसे आधुनिक कुर्रम कहा जाता है जो इमारेल के पान मिल्नु के पश्चिम तट में मिल जाती है। देखिए दे (पृ० १०५)।

क्रोशोदक—बराह० २।१५।७७-८८।

क्रोञ्चपदी—अनु० २५।४२।

क्रोञ्च पर्वत—(किलास वा वह भाग, जहाँ मानसरोवर अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३।१२) में इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, भौष्य० १।१।५७ (स्वन्द के चक्र द्वारा भेदित), शत्य० १।७।९ एवं ४६।८३-८४।

क्रोञ्चपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।७५-७७ (एक मुनि ने क्रोञ्च पक्षा के रूप में यहाँ तप किया था)। नारदाय० २।८६।५२, अग्नि० १।१६।७।

क्रोञ्चारण्य—(जनम्यान में तीन कोस दूर) रामा० ३।६९।५८।

क्षमा—(ऋष्यवान् से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२५।

क्षिप्रा—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२७, वाम० ८३।१८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में 'क्षिप्रा'  
या 'सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८)। मत्स्य०  
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु  
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है।  
मुद्रित ब्रह्म० (अध्याय २७) में 'सिप्रा' दो बार आया  
है, जिसमें एक पारियात्र (श्लोक २९) से और दूसरी  
विन्ध्य (श्लोक ३३) से निकली हुई कही गयी है।  
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म० के समान  
कही गयी है।

क्षीरवती—(नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं  
वाहुदा के पश्चात् विस्तृत हुई)।

क्षौरिका—(जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०,  
पृ० २३८)।

क्षुधातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५।१।

क्षेमेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ११७)।

ख

खड्वागेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ५६)।

खड्गतीर्थ—(१) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म०  
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०  
१३९।१ (उत्तरी तट पर)।

खड्गधारातीर्थ (या खड्गधारेश्वर)—पद्म० ६।१४७।१  
एवं ६७। देखिए वम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६)।

खड्गपुच्छ नाग—(कश्मीर में) ह० चि० १०।२५१  
(विजयेश्वर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज-  
कल अनन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता है)।

खण्डतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३७।१२  
(इसे वृषतीर्थ भी कहा जाता है)।

खदिरवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३९  
(वारह वनों में मथुरा के पास)।

खाण्डव (वन)—कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५।१।१)।  
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य  
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३-  
२२५, भाग० १।१५।८, १०।५।२५-२७, १०।७।१-  
४५-४६, पद्म० ६।२००।५।

खाण्डवप्रस्थ—(एक नगर) आदि० ६।३५, २२।१-  
१५, भाग० १०।७।३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर  
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लौटे थे)।

खोनमुष—(कश्मीर में) विल्हण कवि की जन्म-भूमि  
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। विक्रमांकदेव-  
चरित १।७२, १८।७१ ('खोनमुख' पाठान्तर आया  
है), स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खूनमोह,  
जिसमें दो गाँव हैं)।

ग

गंगा—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

गंगा-कौशिकी-संगम—ती० क०, पृ० ३५७-३५८।

गंगा-गण्डकी-संगम—ती० क०, पृ० ३५७।

गंगा-गोमती-संगम—ती० क०, पृ० ३५८।

गंगाद्वार—(यह हरिद्वार का एक नाम है) वन०  
८।१।४, ९०।२१, १४२।९-१०, अनु० २५।१३,  
कूर्म० १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र  
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के  
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० ध० सू० ८५।३८,  
अग्नि० ४।७ (यहाँ वामन वलि के पास आये हैं),  
पद्म० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३। वार्ह० सू० (३।१२९)  
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०)  
ने एक ही श्लोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को  
अलग-अलग वर्णित किया है।

गंगा-मानुष-संगम—(कश्मीर के पास) नीलमत०  
१४५७।

गंगा-यमुना-संगम—(अर्थात् प्रयाग, वहीं देखिए) वन०  
८४।३५।

गंगावत्—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।१६  
(गण्डेश्वर के पास)।

गंगा-वरणा-संगम—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० क०, पृ० ४५) ।

गंगा-वदन-संगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९३।२० ।

गंगा-सरयू-संगम—रघुवज ८।१५, तीर्थप्रकाश, पृ०  
३५७ ।

गंगा-सरस्वती-संगम—वन० ८।३८, पद्य० १।३२।३ ।

गंगा-सागर-संगम—वि० घ० सू० ८।५।२८, मत्स्य०  
२२।११ (यह 'सबनीयमय' है) पद्य० १।३९।४,  
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया  
हुआ है ।

गंगा-हृद्—पद्य० १।२२।६३ (कुहक्षेत्र के अन्तर्गत)  
वन० ८३।२०१, अनु० २५।३४

गणेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय०  
२।४९।४६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९३।१४ ।

गंगोद्भेद—वन० ८।५।६५, मत्स्य० २२।२५, पद्य०  
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८ ।

गजकर्ण—(पितृ-नीचों में एक) मत्स्य० २२।३८ ।

गजक्षेत्र—(शिवक्षेत्र) बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२२ ।

गजसंल—(मानमरावर के दक्षिण एक पर्वत) वायु०  
३६।२४ ।

गजमाह्वयो—(या नागमाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही  
है) विष्णु० ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७।८।८,  
भाग० १।४।६, टीका का ब्यवन है—'गजेन महित  
आह्वयानामयस्य', बृहत्संहिता १।४।(गजमाह्वय) ।

गजमाह्वय—(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गरोहण पर्व  
५।३४ ।

गजेश्वर—(धीरंगल के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१३६ ।

गणतीर्थ—(१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के श्राद्ध से  
परमपद मिलता है) मत्स्य० २०।७३, (२) (माध्र-  
मनी के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३३।२४ ।

गण्डकी—(हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के  
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो  
छेटो' है (ए० इण्डि०, पृ० १८८) । आदि० १७०।-

२०-२१ (उन मात महान् नदियों में एक, जो पाप  
नष्ट करती है), मत्स्य० २०।२७, वन० ८।४।१३, वन०  
२२।२।२२ ('गण्डसाह्वय' सम्भवत गण्डकी ही है),  
पद्य० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले  
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र चिह्न होते हैं) । बराह०  
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड० (२।१६।२६) में आया  
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पानी से निकली है ।  
विष्णु ने इसे बरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर-  
खण्ड के रूप में तुममें सदैव विराजमान रहूँगा  
(बराह० १४४।३५-५८) । गण्डकी, देविका एवं  
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती  
है (बराह० १४४।८४) । यह नेपाल में 'शालग्रामी'  
एवं उ० प्र० में 'नारायणी' कहलाती है ।

गदाकुण्ड—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।  
४९ ।

गदालोल—(गया में ब्रह्मयोनि के दाँना ओर एक एक  
कुण्ड) वायु० १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि०  
११५।६९, और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४,  
अध्याय १४ ।

गन्धकाती—(नदी) वायु० ७७।४४, ब्रह्माण्ड०  
३।१३।७६ ।

गन्धमादन—(यह पर्वत, जिस पर वद्रीनाथ अवस्थित  
है) नृसिंह० ६५।१० (ती० क०, पृ० २५२),  
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क० ५।१।५  
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १।३।२६ ।

गन्धवती—(१) (एकाम्रक के पाम उदयगिरि की पहा  
डिया से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण  
में इसे विन्ध्य में निर्गत कहा है) देविए डा० मित्र  
द्वारा ऐण्टीविक्ट्रीज आव उडीमा' (जिल्द २, पृ०  
९८) । (२) (मिथा की एक छाटी सहायक नदी)  
मेघदूत १।३३ ।

गन्धर्वकुण्ड—(मधुग के अन्तर्गत) बराह० १६३।१३ ।

गन्धर्वनगर—ती० क०, पृ० २४७ ।

गन्धर्वतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३६।  
१३, शाल्य० ३७।१० (सरस्वती के गर्गस्रोत पर) ।

- गभस्तीश**—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३।  
१५४।
- गभीरक**—(मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह०  
१४३।४२।
- गम्भीरा**—(१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे  
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०।१९२, स्टीन-  
स्मृति (पृ० १७०)। स्टीन ने राज० (८।१०६३)  
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के  
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२)  
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता  
(१६।१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है,  
जो क्षिप्रा से मिलती है।
- गया**—(१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४;  
(२) (वदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक)  
नारदीय० २।६७।५७-५८।
- गयाकेदारक**—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३।
- गया-निष्क्रमण**—नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ  
विष्णु का गुह्य नाम हरि है।
- गयाशिर**—(राजर्षि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी)  
वन० ९५।९, ८७।११, वायु० १०५।२९ (यह विस्तार  
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूर्व  
वेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीर्थ है)।  
डा० बरुआ ('गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १, पृ० ७)  
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है।
- गयातीर्थ**—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।५।
- गयाशीर्ष**—(गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि०  
ध० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के  
पास गयाशीर्ष पर गये; देखिए महावग्ग १।२।११  
(एस० वी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४)। देखिए  
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४।
- गवां-भवन**—पद्म० १।२६।४६।
- गरुडकेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ६७)।
- गर्गलोत**—(सरस्वती पर) शल्य० ३७।१४।
- गर्गेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८२।
- गर्गेश्वर**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७,  
१७६।६।
- गल्लिका**—(गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्म०  
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पापाण पाये जाते हैं)  
६।१२९।१४।
- गायत्रीस्थान**—वन० ८५।२८।
- गायत्रीश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ७०)।
- गायत्रीतीर्थ**—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१।
- गाणपत्यतीर्थ**—(विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के  
पास) पद्म० ६।१२९।२६, ६।१६३।१।
- गालव**—देखिए 'पापप्रणाशन'।
- गालवेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ९८)।
- गार्हपत्यपद**—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।५०।
- गारुड**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९०।१।
- गिरिकर्णिका**—मत्स्य० २२।३९। दे (पृ० ६५) ने  
इसे साभ्रमती कहा है।
- गिरिकुञ्ज**—पद्म० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते  
हैं)।
- गिरिकूट**—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५।
- गिरिनगर**—(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़)  
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या  
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती  
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की  
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद-  
चिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ  
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी  
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख  
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द  
८, पृ० ३६, ४२)। देखिए 'वस्त्रापथ' के अन्तर्गत।
- गिरिनज**—(जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर  
मगध के राजाओं की राजधानी) इसे वीद्ध काल  
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२  
मील पर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर लम्बी



टिप्पणी की है। समा० २११२-३ (यह वैहार, विपुल, बराह, वृषभ एवं ऋषियगिरि नामक पाँच पहाड़िया से घिरा हुआ एक रक्षित है)। देखिए 'राजगृह' के अन्तर्गत। रामा० (१३२१७) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुस के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था।

गुरुकुलपतीर्थ—(नर्मदा पर) स्कन्द० ११११८८-१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया)।

गृहेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०२)।

गृध्रकूट—(१) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० ७७।९७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७।७८, (२) (मरुस्वती और शुद्धा के सगम पर, जहाँ परशुराम के रत्नरजित हाथ स्वच्छ हुए थे) नीलमत० १३९४-१३९५।

गृध्रवन—कूर्म० २।३७।३८।

गृध्रवट—(१) (गया में गृध्रकूट पर) वन० ८४।९१, अग्नि० ११६।१२, पद्य० १।३८।११ (यहाँ भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, वायु० १०८।६३, अब वृक्ष नहीं है, (२) (सुवर-क्षेत्र में, जहाँ गृध्र मानव हो गया था) बराह० १३७।५६।

गृध्रेश्वर-लिग—(गृध्रकूट पर गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।११, नारदीय० २।४७।७८।

गोकर्ण—(१) (उत्तरी बनारा जिले के कुमटा तालुका में गोआ से ३० मील दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, २७७।५५, आदि० २१७।३४-३५ ('आद्य पशुपते स्थान दसानादेव मुक्तिदम्'), वायु० ७७।१९, मत्स्य० २।३३८, कूर्म० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।७-२१ (इजोत ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), वाम० ४६।१३ (रावण ने यह स्थान स्थापित किया था)। ब्रह्माण्ड० (३।५७-५८) एवं नारदीय० (२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाड़ में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास

महायतार्थ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, जितद ७, शिवारपुर, सस्या ९९ (१११३ ई०), जहाँ बाल्मिक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गोविर्गपुर के स्वामी' का कर दे रहा गया है। कूर्म० (२।३५।३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं बराहपुराण (२।३।७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया है। (२) (सरस्वती तट पर) बराह० १७०।११; (३) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७१-१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११३)। मत्स्य० (१३।३०) ने गोवर्ण में देवी को भद्रकणिका कहा है।

गोकर्ण-हृद—वन० ८८।१५-१६।

गोकर्णेश्वर—(हिमालय की एक चोटी पर) बराह० २१५।११८।

गोकामुल—(पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

गोकुल—(एक महारण्य) देखिए 'व्रज', पद्य० ४।६९।१८, भाग० २।७।३१।

गोपह—(उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

गोपन—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२।

गोतीर्थ—(१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३, (२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०।१, (३) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।१३, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।३, पद्य० १।२०।३, (५) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५६।१।

गोघरवेश्वर—(धीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५२।

गोदावरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

गोतिष्क्रमण—(इसे गोस्वयल भी कहते हैं) बराह० १४७।३-४ एवं ५२।

गोपाद्रि—(बदमीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक पहाड़, जिसे अब तक्षक गुलेमान कहते हैं) स्टीन-स्मृति (पृ० १५७); राज० (१।३४१) में गोपाद्रि का उल्लेख किया है, जो बाल झील के पास आज का गाणकार है। देखिए कादमीर रिपोर्ट, १७।

**गोपीश्वर**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१८ (जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं) ।

**गोप्रचार**—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३५-३७ (जहाँ आमों की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।६।

**गोप्रतार**—(अवध के फैजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शरीर छोड़ा। वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५-१०१।

**गोप्रेक्ष**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४२), पद्म० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ (गोप्रेक्षक) ।

**गोप्रेक्षक**—(वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिंग० १।९२।६७-६८।

**गोप्रेक्षेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० क०, पृ० १३१) ।

**गोभिलेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९४) ।

**गोमण्डलेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) ।

**गोमन्त**—(१) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, कौञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सद्य की एक पहाड़ी) हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०); (३) (द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से आकर बस गये थे) सभा० १।४।५४, वन० ८।८।१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो पहचान बतलायी हैं, वे असंतोषप्रद हैं (पृ० २८९) ।

**गोमती**—(१) (एक नदी) ऋ० (८।२।२।३० एवं १०।७।५।६) यह कुभा एवं ऋमु के बीच में रखी गयी है (ऋ० १०।७।५।६); अतः सम्भवतः यह आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक नदी) वन० ५।८।७।७, पद्म० १।३।२।३७, वाम०

६३।६१ एवं ८३।२; (३) (द्वारका के पास) स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४।१७।६९-७० एवं ६।१७।६।३५-३६; (४) (अवध में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११।४।२२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, रामा० २।४९।११।

**गोमती-गंगा-संगम**—पद्म० १।३।२।४२, भाग० ५।१९।१८, अग्नि० १०९।१९।

**गोरक्षक**—वराह० २।१५।९३।

**गोरथगिरि**—(मगधक्षेत्र में) सभा० २०।३०।

**गोवर्धन**—(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) मत्स्य० २२।५२, कूर्म० १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु ने तप किया था) । पद्म० ५।६९।३९, वराह० १६३।१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) (राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) ब्रह्म० ९।११, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के पास प्राप्त उपवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई बार उल्लिखित हुआ है (वम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९) ।

**गोविन्दतीर्थ**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।१००, पद्म० १।३८।५० (चम्पकारण्य के पास है, ऐसा लगता है) ।

**गौतम**—(मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८।

**गौतम नाग**—(कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८।

**गौतम-वन**—वन० ८।४।१०८-११०।

**गौतमश्रम**—(त्र्यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।५८-५९।

**गौतमी**—(गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

**गौतमेश्वर**—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६८, १९३।६०, कूर्म० २।४२।६-८, पद्म० १।२०।५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५) ।

गौरी—(नदी) भीष्म० १।२५। सम्भवत यह यूनानी लेखका की गौरियाँस है (टॉलेमी प० १११)।

गौरीश—(ललिता-तीय) ब्रह्मण्ड० ४।४।१८।

गौरीशिवर—(१) वन० ८।४।१५१ मत्स्य० २२। ७६ (श्राद्ध व लिए पाय) (२) (कश्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८ १४४९ (जहाँ नील कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और गौर वण वाली हो गयी)।

गौरीतीर्थ—(वारा० क अंतगत) मत्स्य० २२।३१ कू० १।३५।२ पद्य० १।३७।३।

## घ

घटेश्वर—(शाभ्रमती के अंतगत) पद्य० ६।१५९।३।

घटोत्कच—(वारा० के अंतगत) कू० १।३५।८ पद्य० १।३७।८।

घण्टामरणक—(मयुरा के अंतगत) वराह० १५। १५।

घण्टाकर्णहृद—(वारा० के अंतगत) व्यावेश्वर के पश्चिम) नारदीय० २।४।९।२८ २९ लिग० (ती० व० पृ० ८६)।

घण्टेश्वर—मत्स्य० २२।७०।

घघर—(या घघरा या घाघरा) (एक पवित्र नदी जा कुमायूँ से निकलती है और अवध की एक बड़ी नदी है) पद्य० २।३९।४३ मत्स्य० २२।३५ पद्य० ५।११।२९ (दोना म समान गड है)। देविए तीर्थप्रकाश (पृ० ५०२) जहाँ मयूँ घघर-सगम का उल्लेख है। घघरा मरुप आदि मन्थिया का सम्मिलित जल घाघरा या मरजू का नाम से प्रसिद्ध है कियेन बहुरामपाठ म) देविए इन्गी० गत्रे० इण्डि० त्रि० १२ पृ० ३०२ ३०३।

घनगुप्ता—(गंगा क अंतगत एक नदी) वन० १०। ७४ ११२।३०।

## च

चक्र—(गण्डवती क पास) भाग० १०।३।१९।

चक्रीय—(१) (गौरवती के अंतगत) वराह० १३।७।१९ (२) (आमलक ग्राम के अंतगत) नृसिंह० ६६।२२ (३) (सेतु के अंतगत) स्कंद० २०३ ब्रह्मण्ड अध्याय ३५ (४) (कश्मीर म) चक्रघर के नाम से भी विख्यात है (५) (मोदावरी पर) ब्रह्म० ६८।१ १०९। १ १२४।१ (अश्वत्थ से ६ मील) यद्यपि तीन बार उल्लिखित है तथापि एक ही तीर्थ, (६) (मयुरा के अंतगत) वराह० १६२।४३ (७) (सर स्वती के अंतगत) वाम० ४२।५ ५७।८९ ८१।३ देविए ऐं० जि० (पृ० ३३६) एव 'अस्य पुर' क अंतगत (८) (द्वारका के अंतगत) तीर्थ प्र० पृ० ५३६ ५३७ वराह० १५९।५८।

चक्रघर—(कश्मीर म विष्णुस्थान आज यह अपभ्रंश रूप म रत्नदर या छात्रघर है) राज० १।३८। अब यह विजयपुर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देविए कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १८) एव स्टीन-स्मृति (पृ० १७१)। चक्रघर एव विजयपुर एक-दूसरे के पास स्थित दो प्रतिमाएँ हैं। ह० वि० (७।६१) इन चक्रीय एव चक्रघर (७।६४) बहना है।

चक्रवाह—(पिनरा के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० २२।४२।

चक्रस्थित—(मयुरा के अंतगत) वराह० १६९।१।

चक्रवामी—(गालग्राम के अंतगत) वराह० १४। ३८ (चक्रावतिगालग्राम दूरमते)।

चक्रावत—(मन्दार क अंतगत)। वराह० १४३। ३६ ३८ (एक गहरी झील)।

चक्रेश्वर—(वारा० क अंतगत) लिग० (ती० व० पृ० ५२)।

चक्रुम्—(हिमालय म निरुत्प्रेवादी एक नदी गंगा की एक शाखा) मत्स्य० १२।१।२३ वानु० ४७। २१ एव ३९ ब्रह्मण्ड० २।१६।२० भाग० ५।१।७। ५। दे (पृ० ४३) क मय म चक्रुम् 'आमग' या आमू दरिया है क मत्स्य० (१२।१।२३) पर

निर्भर हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आश्चर्य है, दे (पृ० १३) अश्मन्वती को भी 'आक्सस' कहते हैं!

चक्षुस्तीर्थ—(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १७०।१।

चञ्चला—(ऋक्षवान् पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) मत्स्य० ११४।२६।

चण्डवेगा—(पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० २२।२८।

चण्डवेगासम्भेद—मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २।४४।१६, पद्म० ६।१३।१६७।

चण्डेश—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६२।१।

चण्डिकेश्वर—लिंग० १।९२।१६६, वाम० ५।१५०।

चतुःसमुद्र—(वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिंग० (ती० क०, पृ० ८९)।

चतुःसामुद्रिक—(मयुरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह० १५८।४१।

चतुःस्रोत—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।१७।

चतुर्मुख—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८।

चतुर्गेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।४९।६५।

चतुर्वेदेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड ३३।१३०।

चन्द्रतीर्थ—(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० २।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१७, कूर्म० १।३५।११; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूर्म० २।४२।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२८।

चन्द्रपर्वा—(नदी) वन० १९।१८।

चन्द्रवती—(नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३।१० (विति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता हों गयी थी)।

चन्द्रभागा—(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निकलती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊँचाई

पर वार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती है) और दूसरी को 'भागा' (जो दर्रे के उत्तर-पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित धारा चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पंजाब की पाँच नदियाँ हैं—वितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों की हाइडस्पीस), विपाशा (व्यास, यूनानी लेखकों की हाइडस्पीस), शतद्रू (सतलज), चन्द्रभागा (चिनाव) एवं इरावती। मिलिन्द-प्रश्न (एस० वी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० ८५।४९, सभा० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० २५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए 'असिकनी'; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।६४, कूर्म० २।४१।३५, पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्ती से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६।१४८।१२, १४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक नदी है)।

चन्द्रमस्तीर्थ—(आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५।१७।  
चन्द्रपद—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।१८-१९।

चन्द्रपुर—(कश्मीर का एक नगर) नीलमत० ११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी-चौड़ी झील बन गयी)।

चन्द्रेश्वर—(१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं द्व्येश्वर के पूर्व में, साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३९।१; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४९)।

चन्द्रिका—(चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाव) मत्स्य० २२।६३।

चमत्कारपुर—(आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द-पुर) स्कन्द० ६, अव्याय १-१३।

- है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्म० १।२।१।३४-३५ (जमदग्नितीर्थ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी)।
- जम्बीरचम्पक—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० १९०)।
- जम्बूकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३।७।४, लिंग० १।९।२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बूक राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।
- जम्बूला—(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।
- जम्बूमार्ग—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्ग एक बालजर को आयतना के रूप में पृथक्-पृथक् वर्णित किया है, (२) (बुरखेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (अमिन पर्वत पर), अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।१२।१।-२, अग्नि० १०।९।९, वायु० ७७।२८।
- जम्बूनदी—(मिथ मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९।
- जम्बेश्वर—(या जाम्बेश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (गम्द्र व पास नदी त रुद्र के तीन करोड़ मार्गों का जप किया)। अग्नि० १।१२।४ (वारा० के अन्तर्गत)।
- जम्बेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।
- जम्बूत—मत्स्य० २२।७३, वायु० ५१।५१।
- जम्बूतिष्ठा—ब्रह्माण्ड० ४।४५।९७ (५० ललितापीठा में से एक)।
- जम्बूतुर—(कश्मीर में जयश्रीक की राजधानी, जल में घिरी हुई। धी जम्बू की झारखी की अनुसंधान में यह यहाँ उत्पत्ती हुई मरी है) वन० ४।५०।२-५।११, काश्मीर टिप्पण, पृ० ११-१९।

स्टीन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। जब यहाँ अन्दरकोट नामक ग्राम है।

जयातीर्थ—मत्स्य० २२।४९।

जयवन—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमाकदेवचरित १।८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गयूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र धारा एक कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ कुण्ड में आज भी तक्षक नाम की पूजा होती है। देखिए एं० जि० (पृ० १०१-१०२)।

जयनी—पद्म० १।२६।१६ (जहाँ मोमतीर्थ है)।

जल्पीश—ती० प्र० (६०२-६०३) ने बालिकापुराण का उद्धरण दिया है।

जल्लुहद—नारदीय० २।४०।९०।

जाल—बाहें० सूत्र (३।१२४) के अनुसार शाक्त धर्म।

जालबिन्दु—(कोशामुख के अन्तर्गत) बराह० १।४०।१६।

जालन्धर—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १।३।४६ (इस पर देवी विश्वमुखी बहो जाती है), २।२।६४ (गिन्तीर्थ), बालिका० (१।८।५१) के मत में देवी जालन्धर पहाड़ पर चण्डी बहो जाती है जहाँ पर उनके स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके घन को ले जा रहे थे, (२) (पत्राव में मत्स्य पर एक नगर) वायु० १०।४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर एक पीठ है), मभवत जालन्धर ललिता के पीठों में एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।५४।५५ (जालन्धर), देखिए एं० जि० (पृ० १३६-१३९)।

जालेश्वर—(१) (एक गिन्तीर्थ, आठ म्याना में एक) मत्स्य० १।८।२८ एक ३०, कूर्म० २।४०।३५, (२) (समंश के अन्तर्गत) मत्स्य० १।८।१।५ एक ३८, (आम्बेश्वर नामक एक हृद) कूर्म० २।४०।२२, पद्म० १।१।४।१, मत्स्य० (अ० १।८।५ इगरी उत्पत्ति), (३) (शास्त्रपाद के पास प्रवेश) बराह० १।८।१।१९-२४०।

जलोत्पत्ति-मुग्ध—(वायु० के अन्तर्गत) लिंग० (१।९।२।५३)।

जंगीपच्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९१) ।

जाह्नवी—(गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ (मुनि जह्नु की गाथा), नारदीय० २।४।१।३५-३६ (जह्नु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, (जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) ३।६६।२८ ।

जातिस्मरहृद—(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० ८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।१२८, पद्य० १।३८।४५ ।

जेष्ठिल—(चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४ ।

ज्ञानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, पद्य० १।३७।६ ।

ज्ञानवापी—स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं माहात्म्य का वर्णन है) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३ ।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठिर स्थल) राज० १।११३, नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) में आया है कि अशोक के पुत्र जालीक ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ पुष्कर—(सरस्वती . पर) वन० २००।६६, पद्य० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) ।

ज्येष्ठस्थान—(कोटितीर्थ के पास) वन० ८५।६२ ।

ज्योतिरथा—(या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक नदी है) वन० ८५।८, पद्य० १।३९।८ ।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।६३, मत्स्य० १२।१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६ ।

ज्योत्स्ना—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१ ।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा) । देवी-भागवत० ७।३८।६ ।

ज्वालासर—(अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२ ।

ज्वालेश्वर—(अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८।८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था) । यहाँ पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तक्षशिला—(आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व ५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा संस्थापित); जातक में 'तक्कसिला' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, फॉर्स्वॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६) । देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक्-प्रस्तराभिलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड् टू टैक्सिला' आदि में।

तक्षक नाग—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।९०, राज० १।२२०, पद्य० १।२५।२ (वितस्ता तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है) । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५ ।

**चमत या चमतोद्भेद**—(१) (जहाँ महभूमि में विलुप्त हो जाने के पश्चात् सरस्वती पुनः प्रकट होती है) बन० ८२।११२, १३०।५ (एक वै चमतोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्य० १२५।१८, (२) (प्रमास के अन्तर्गत) मत्स्य० ३५।८७, बन० ८।१२०।

**चम्पकतीर्थ**—(जहाँ गया उत्तर की ओर बहती है) नारदीय० २।३४०।८६।

**चम्पकवन**—(गया के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८-२२।

**चम्पा**—(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी पर एक नगरी और बुद्ध-नाल की छ बड़ी पुरियां में एक) बन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०।१२६, पद्य० १।३८।७०, मत्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के नाम पर 'चम्पा' कहलाने लगी। महापरिनिम्बान मुक्त के मन से छ बड़ी नगरी हैं—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, मानेत्त, कौसाम्बी एवं वाराणसी (एम्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७)। वाम० (८४।१२) ने चम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। चम्पा वर्णादि-मण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है, (२) (पिनरा के लिए पुनीत नदी) भरतृय० २२।४१, पद्य० ५।११।३५ (अग एव मगध, देविए दे, पृ० ४३) यह लोमसाद एव वणं की राजधानी थी।

**चम्पकारथ**—(बिहार का आधुनिक चम्पारन) बन० ८४।१३३, पद्य० १।३८।४९ (चम्पारन जिले में गणामपुर के पास वान्मीरि का आश्रम था)।

**चर्मस्य**—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४।

**चर्मण्वती**—(नदी, आधुनिक चम्बल या मऊ (मालवा) के दक्षिण-पश्चिम स्पर्शमग ९ मील दूर में निकली है और इलाहा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर पम्पा में मिल जाती है) आदि० १३।१।७६ (इन्द्र दक्षिण पश्चिम में चर्मण्वती यत्र राधेय चर्मणा था), बन० ८२।१६, शीघ्र० १।३।५, (चर्मण्वती नाम इन्द्र

लिए पडा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) पद्य० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर सकेत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।२।१२) में आया है।

**चर्मकोट**—मत्स्य० २२।४२।

**चिच्छिक तीर्थ**—(गोंदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१।

**चितामूमि**—(वैद्यनाथ या मन्थाल परगने में देवपर जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिर्लिंगों में परिगणित है) शिवपुराण १।३८।३५, देविए दे, पृ० ५०।

**चित्रकूट**—(पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग में दक्षिण-पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) बन० ८५।५८, रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (मारुदाकाशम से दम कील दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ-तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एवं अनु० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।२६, अति० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) १०९।२३, पद्य० १३९।५४, रघुवंश १।३।४७, मेघदूत (टीका) ने इसे रामगिरि कहा है।

**चित्रकूटा**—(ऋष्य पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी एवं यह नदी ऋष्यवान् में निकली हुई बही गयी है)।

**चित्राङ्गदतीर्थ**—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११, वाम० ४६।३९ (चित्रागदेवर लिंग)।

**चित्रांगवदन**—(गाधमनी के अन्तर्गत) पद्य० ६।४४।१।

**चित्रेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (गी० व० पृष्ठ ९७)।

**चित्रोत्पला**—(नदी) ब्रह्म० ४६।८-५ (विश्व में निकली हुई एवं मरुतनदी नाम कारी)।

**चित्रोत्पला**—(मगधवन ऊपर कारी ही) प्रथम० ९।३५, भरतृय० ११।६।२५ (ऋष्यवान् में निकली हुई), ब्रह्म० २।३।३।३० (ऋष्यानन्द में निकली हुई)।

चित्रगुप्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२, १।

चिदम्बर—(देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० ७।३८।११, यह महान् शिव-मन्दिर के लिए विख्यात है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। मन्दिर के वाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक पाषाण-स्तम्भ हैं।

चिन्ताङ्गेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१४।

चीरमोचन-तीर्थ—(कश्मीर में) राज० १।१४९-१५० (कनकवाहिनी, नन्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए पड़ा है कि सप्तर्षि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, पृ० २११।

चैत्रक—मत्स्य० ११०।२।

चैत्ररथ—(एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा नदी के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३।२८।

च्यवनस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६-१०) में कहा गया है कि अश्विनी ने च्यवन का कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा बना दिया था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० वी० ई०, जिल्द २६, पृ० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या सुकन्या से विवाह किया और इस हृदय या कुण्ड में स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० १२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अश्विनी की गाथा है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि कालियों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया।

दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया है। च्यवन भृगु के पुत्र थे और भृगु लौंग नर्मदा के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये जाते हैं।

च्यवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

छ

छागलाण्ड—(श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० १३।४३ (यहाँ देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२।

छागलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

छायाक्षेत्र—(ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० (महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इसी नाम से प्रसिद्ध है)।

छिन्नपापक्षेत्र—(गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५।

ज

जगन्नाथ—देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम-तीर्थ।

जटाकुण्ड—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर)।

जनककूप—(गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।२८, वन० ८४।१११।

जनकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

जनस्थान—देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, वन० १४७।३३, २७७।४२, शल्य० ३९।९ (दण्ड-कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म० ८८।१ (विस्तार में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२१-२०, ३।३०।५-६।

जनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ (पितृतीर्थ)।

जनेश्वर—मत्स्य० २२।४२।

जामदग्न्य-तीर्थ—(१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती



है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्म० १।२।३४-३५ (जमदग्नितीर्थ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी)।

जम्बीरचम्पक—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १९०)।

जम्बुकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४, लिंग० १।९२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।

जम्बुली—(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

जम्बुमार्ग—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (मगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बुमार्ग एव कालजर को आयतन के रूप में पृथक्-पृथक् वर्णित किया है, (२) (कुश क्षेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (अश्वि पर्वत पर), अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८; (३) (पुष्कर के पाम) पद्म० १।१२।१।-२, अग्नि० १०९।९, वायु० ७७।२८।

जम्बुनदी—(मेघ-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा शील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९।

जपेश्वर—(या जापेश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (ममूद्र के पाम नदी के छत्र के तीन करोड़ नामों का जप किया)। अग्नि० १।१२।४ (वारा० के अन्तर्गत)।

जरासंधेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।

जवन्त—मत्स्य० २२।७३, वाग० ५।१।५१।

जयन्तिजा—ब्रह्माण्ड० ४।४।१७ (५० ललितापीठों में से एक)।

जयपुर—(कश्मीर में, जवापीर को राजधानी, जल से घिरी हुई। श्री कृष्ण की दारुवी की अनुष्टुति में यह यहाँ लिखी गयी है) राज० ४।५०।१-५११, कश्मीर रिपोर्टें, पृ० १३-१६,

स्टीन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। अब यहाँ अन्दरकोट नामक ग्राम है।

जयातीर्थ—मत्स्य० २२।४९।

जयवन—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमाकदेवचरित १।८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गन्घति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र घाटा एव कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। देखिए ए० जि० (पृ० १०१-१०२)।

जयनी—पद्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)।

जल्पीश—ती० प्र० (६०२-६०३) ने वालिकापुराण का उद्धरण दिया है।

जल्लुहद—नारदीय० २।४०।९०।

जाल—बाहें० सूत्र (३।१२४) के अनुसार शाकन क्षेत्र।

जालबिन्दु—(कोकामुक्त के अन्तर्गत) वराह० १।४०।१६।

जालन्धर—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १।३।४६ (इस पर देवी विश्वमुनी बड़ी जाती है), २२।६४ (विष्णु-तीर्थ); वालिका० (१।८।५१) ने मन में देवी जालन्धर पहाड़ पर चण्डी बड़ी जाती हैं जहाँ पर उनके स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा रहे थे; (२) (पञ्जाब में सतलज पर एक नगर) वायु० १०।४।८० (वेदपुष्प की छाती पर जालन्धर एक पीठ है), मभवत. जालन्धर ललिता के पीठों में एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९।१५ (जालन्ध्र), देखिए ए० जि० (पृ० १३६-१३९)।

जालेश्वर—(१) (एक निवर्तीर्थ, आठ ग्यानों में एक) मत्स्य० १८।१२८ एव ३०, कूर्म० २।४०।३५; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।६।१५ एव ३८, (जापेश्वर नामक एक हृद) कूर्म० २।४०।२२, पद्म० १।१।४।३, मत्स्य० (अ० १८७, इगरी उल्लेखित); (३) (वालप्राम के पाम जलेश्वर) वराह० १।४।१।३९-१।४०।

जंगीयम्ब-मुत्ता—(वाग० के अन्तर्गत) तिग० (१।-९२।५३)।

गोपबन्धेश्वर—(वाराणस के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९१)।

नाह्वी—(गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ (मुनि जह्नु की गाथा), नारदीय० २।४।१।३५-३६ (जह्नु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, (जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) ३।६६।२८।

जातिस्मरहृद—(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० ८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।१२८, पद्म० १।३८।४५।

जेष्ठल—(चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४।

ज्ञानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, पद्म० १।३७।६।

ज्ञानवापी—स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठिर स्थल) राज० १।११३, नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ पुष्कर—(सरस्वती . पर) वन० २००।६६, पद्म० ५।१९।१२, १।८।२० (कहा जाता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)।

ज्येष्ठस्थान—(कांठितीर्थ के पास) वन० ८५।६२।

ज्योतिरया—(या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक नदी है) वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।६३, मत्स्य० १२।१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६।

ज्योत्स्ना—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा)। देवी-भागवत० ७।३।६।

ज्वालासर—(अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

ज्वालेश्वर—(अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८।८।८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तक्षशिला—(आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व ५।३४, वायु० ८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।१९०-११ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा संस्थापित); जातक में 'तवकसिला' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, फॉर्स्वॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६)। देखिए टालेमी (पृ० १।१८-१२१) जहाँ सिकन्दर के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक्-प्रस्तराभिलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐ० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड टू टैक्सिला' आदि में।

तक्षक नाग—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८।२।९०, राज० १।२२०, पद्म० १।२५।२ (वितस्ता तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५।

तपोवन—(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १२८।१, (२) (वग देश में) वन० ८४।११५, पद्म० १।३८।३१। 'ततो वनम्' वनपर्व में असुद्ध छपा है।

तमसा—(१) (मग्यू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से मिलनेवाली आधुनिक टास) रामा० १।२।३, २।४५।३२, रघुवंश ९।२०, १४।७६। देविए सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर म्रियत आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन् ५१२-१३ ई०) का उल्लेख है, (२) वायु० ४५।१००, (३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० ६।१८।१२।

तण्डुलकाश्रम—(पुष्कर एव जम्बूमार्ग के पाम) वन० ८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्म० १।१२।२।

तपस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२६।१ एव ३७ (इस सत्रनीर्थ भी कहा जाता है)।

तपती—(नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय १७।१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, जिससे राजा मवरण न विवाह किया और उससे कुछ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मार्क० १०५।६ (सूर्य की छाटी पुत्री नदी हो गयी)।

तरण्ड या तरन्तुक—(कुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० ८३।१५, पद्म० १।२७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), वामन पुराण २०।६०।

तापिका—यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० व०, पृ० २४२)।

तापी—(नदी, विन्ध्य में निक्कलकर भूरत के पाम अरब सागर में गिरती है) इसे 'तापी' भी कहा जाता है। मत्स्य० ११४।२३, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उपबदात के गिजालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९) में हुआ है। देविए पयोष्णी के अन्तर्गत एव तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य एव उपासकों का उल्लेख है।

तापी-समुद्र-संगम—गीर्णप्रवाण, पृ० ५४७।

तापेन्द्रवर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६६, पद्म० १।१८।९६।

तापेन्द्रर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४।

ताम्रपर्णी—(पाण्ड्य देश में मलय से निक्कलकर समुद्र में गिरने वाली नदी) ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ एव ७७, २४।२७, वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूर्म० २।३७। २१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ एव ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (ए० इण्डि०, पृ० ६२) के टैम्नोवेन एव अलोक के गिरनार वाले लेख (म० २) का 'तम्बपनी' नाम। यह श्रीरका (मीलान) भी है, किन्तु नदी की ओर भी मन्वेत कर सकता है, एण्डि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख), ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एव २५, रघुवंश (४।४५-५०) से प्रकट हुआ है कि यहाँ मोती पाये जाते थे।

ताम्रप्रभ—(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० व०, पृ० १९१)।

ताम्राक्षण—वन० ८५।१५४।

ताम्रवती—(अग्नि की मातृरूप नदिया में एक) वन० २२।२।३।

तालकण्ठेन्द्रर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ७२)।

तालतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२।

तालवन—(मयूरा के पश्चिम) वराह० १५७।३९।

तारकेन्द्रर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० १०४)। यह बगाल के हुगली जिले में एक ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देविए इण्डि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९।

तिमि—(समुद्रकेन्द्रर की दाहिनी ओर) पद्म० १।२४। २०-२३।

तीर्थकोटि—वन० ८४।१२१, पद्म० १।३८।३८।

तुलजापुर—(एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६।

तुङ्गा—(इन्द्रा में मिलने वाली एक नदी) नृसिंह० ६६।७ (पाण्डवों का पाया जाता है), शीर्षकम्प०

(पृ० २५४) द्वारा उद्धृत—'तुंगा च दक्षिणे गंगा कावेरी च विशेषतः ।'

**तुङ्गभद्रा**—(तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश से निकल कर कुडको के पास मिलने पर तुङ्गभद्रा ही जाती हैं। यह नदी रायचूर जिले में अल्लमपुर के पास कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नृसिंह० ६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५।११।१८, मत्स्य० ११४।२९, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४ (अन्तिम तीन का कथन है कि यह सहाय से निकलती है)। एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से पीड़ित होने पर तुङ्गभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था (सन् १०६८ ई० में)।

**तुङ्गकूट**—(कोकामुखके अन्तर्गत) वराह० १४०।२९-३०।

**तुङ्गारण्य**—वन० ८५।४६-५४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया)।

**तुङ्गवेणा**—(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम-स्थल हैं) वन० २२२।२५।

**तुङ्गेश्वर**—(वाराणसी में) लिंग० १।९२।७।

**तुरासंग**—(नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० १९१।१९।

**तृणविन्दु-वन**—ना० (ती० क०, पृ० २५२)।

**तृणविन्दु-सर**—(काम्यक वन में) वायु० २५८।१३।

**तैजस**—(कुश्क्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनापति बनाये गये थे) पद्म० १।२७।५३।

**तोया**—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२८, वायु० ४५।१०३।

**तोषलक**—(यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गरुडध्वज' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)। क्या यह टॉलेमी का 'तोसलेई', अशोक के धौली लेख (सी० आई० आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० २३) का 'तोसलि' है? मौर्यों के काल में उत्तरी कर्लिंग की राजधानी तोसलि (पुरी जिले में आधुनिक धौली) प्रमुख नगरी थी।

**त्वाष्ट्रेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९६)।

**व्रस्तावतार**—(एक आयतन) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

**त्रिककुद**—(हिमवान् का एक भाग) अथर्ववेद ४।९।८ एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रायणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।२२ (इन सब में त्रैककुद या त्रैककुभ अंजन का उल्लेख है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिककुत् पर्वते)। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिककुद् गिरि, श्राद्ध के लिए अति विख्यात), वायु० ७७।५७-६३।

**त्रिकूट**—(पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेरु का पुत्र), नृसिंह० ६५।२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८।२।१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघुवंश (४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरहू या त्रिरश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए वम्बई का गजे०, जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०-५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं मलय का स्वामी कहते हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० ३१२, ३१५)।

**त्रिकोटि**—(कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २८, ३८६-३८७। कश्यप की प्रार्थना पर अदिति त्रिकोटि हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है।

**त्रिगंग**—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्म० १।२८।२९।

**त्रिजलेश्वर-लिंग**—(जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती हैं) वराह० १४४।८३।

**त्रिगतेश्वर**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१६।

**त्रितकूप**—(एक तीर्थ जहाँ वलराम दर्शनार्थ गये थे) भाग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं विन्दुसर के पश्चात्)। ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति ने वचाया था। देखिए निरुवत (४।६)।

**त्रिदशज्योति**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।११।

त्रिदिवा—(१) (हिमवान से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६, (२) (महेन्द्र से निकली) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६, ब्रह्म० २७।३७;

(३) (ऋक्षवान् से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।

त्रिदिवाबला—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३७। सम्भवत त्रिदिवा एव बला।

त्रिपदी (त्रिपति)—रेणोगुण्ट नामक स्टेसन से कुछ दूर उत्तरअर्काट जिले में। यह बेंकटगिरि है, जिसके ऊपर बेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

त्रिपलस—(यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९।

त्रिपुर—(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) मत्स्य० २२।४३, (२) (वाणासुर की राजधानी) पद्म०, १, अध्याय १४-१५, वर्षपर्व ३३।१७ एव ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९-१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एव कुमारी भक्तिमुखा मुन्नोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक लेख 'दि त्रिपुर एपिसोड इन मरुहृत लिटरेचर' (जर्नल, गणानाय झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० ३७१-३९५)।

त्रिपुरान्तक—(श्रीपर्वन के पूर्वी द्वार पर) लिंग० १।९२।१५०।

त्रिपुरी—(नर्मदा पर) तीर्थसार (पृ० १००) ने इसके विषय में तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कलचुरिया एव वेदियों की राजधानी थी। देखिए यश-कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० ७५, जहाँ महाकोल का विस्तार दिया हुआ है)। मत्स्य० (११४।५३), सभा० (२।१।६०) एव बृहत्संहिता (१।५।९) ने त्रिपुर देश का विन्ध्य के पूरुव भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शताब्दी की साम्बुदाया से भी त्रिपुरी का पता चलता है। सप्तोभ के बेतूल दानपत्र स पता चलता है कि त्रिपुरी-

विषय दमाल देग में अवस्थित था। देखिए आर० डी० बनर्जी वृत 'हैहयब आव त्रिपुरी' (पृ० १३७)।

त्रिपुरेश्वर—(डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम त्रिकर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, ह० वि० १३।२००। कुछ लोग ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर में की है।

त्रिपुष्कर—देखिए 'पुष्कर'।

त्रिभागा—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०४।

त्रिलिंग—वह देग, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एव प्राशा-राम नामक तीन विख्यात लिंग हैं।

त्रिलोचन लिंग—(वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, कूर्म० १।३५।१४-१५, पद्म० १।३७।१७।

त्रिषिष्टप—पद्म० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है)।

त्रिवेणी—(१) (प्रयाग में) बराह० १४।८६-८७, (२) (गण्डकी, देविका एव ब्रह्मपुत्रा नामक नदियों का संगम) बराह० १४।८३ एव ११२-११५। यहीं पर गजेन्द्र को ब्राह्म ने पानी में खींच लिया था। बराह० १४।११६-१३४।

त्रिशूलगंगा—वन० ८।४।११। सम्भवत यह 'शूलघात' नामक कश्मीर का तीर्थ है।

त्रिशूलपात—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२८।१२ (सम्भवत यह ऊपर वाला तीर्थ है)।

त्रिशूलर—(पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १८।३।२।

त्रिसन्ध्या या त्रिसध्यम्—(१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ-तीर्थ), (२) (सध्या देवी का मरना) कश्मीर के पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह त्रिग परगने में सुन्दवार नामक स्थान है, नीलमत० १४७।१, राज० १।३३, इटीन-स्मृति, पृ० १८१।

त्रिसामा—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, विष्णु० २।३।१३, भाग० ५।१९।१८ (जहाँ उद्गम स्थल का वर्णन नहीं है)।

त्रिस्थान—(सम्भवत यह वाराणसी है) अनु० २५।१६।

त्रिहलिकाग्राम—(श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) वि० ध० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम है)।

त्रैयम्बक तीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।४७, कूर्म० २।३५।१८; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२।

त्र्यम्बकेश्वर—(नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म० ६।१७६।५८-५९, ब्रह्म० ७९।६।

द

दंष्ट्रांकुर—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६८-७०।

दक्षकन्यातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।१४।

दक्षतीर्थ—(कुहक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थानु-वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दक्षाश्रम एवं दक्षेश्वर)।

दक्षप्रयाग—नारदीय० २।४०।९६-९७।

दक्षिण-गंगा—(१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, ७८।७७; (२) (कावेरी) नृसिंह० ६६।७; (३) (नर्मदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) (तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२।

दक्षिण-गोकर्ण—वराह० २१६।२२-२३।

दक्षिण-पंचनद—वि० ध० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं—कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा एवं कोणा)।

दक्षिण-प्रयाग—(वंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृ० २९६ एवं तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह त्रिवेणी वंगाल में हुगली के उत्तर में है।

दक्षिण-मथुरा—(भद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० १०।७९।१५।

दक्षिण-मानस—(गया में एक तालाब या कुण्ड) नारदीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७।

दक्षिण-सिन्धु—(चम्बल की एक सहायक नदी) वन० ८२।५३, पद्म० १।२४।१, मेघदूत १।३०।

दक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७५)।

दण्ड—वन० ८५।१५।

दण्डक—(एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान धूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० २।१।१२ (दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति)।

दण्डकारण्य—(या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७।३२, वराह० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), १२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच योजन थी), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१।७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य० ३९।९-१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं ३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३।४।५८-५९ (नाम का मूल)। देखिए जे० बी० आर० ए० एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा-राष्ट्र), पार्जितर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, १८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रौफी, पृ० २४२)। सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन सम्मिलित थे। वार्ह० सू० (११।५६) का कथन है कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख को मार डालता है।

दण्डखात—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९०)।

दत्तात्रेय-लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११३)।

दधिकर्णेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९४)।

दधीचतीर्थ—वन० ८३।१८६, पद्म० १।२७।७३-७४ (जहाँ सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट् अर्थात् सिद्ध लोगों के कुमार अथवा राजा हो गये)।

बधीवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४३) ।

दुर्दुर या दुर्दुर—(नीलगिरि पहाड़ी) वन० २८२।४३, मार्क० ५४।१२, बराह० २१४।५२, रघुवश ४।५१, ताम्ररणी नदी के पास, बाहं० सू० १४।११ ।

दधीसंक्रमण—वन० ८४।४५, पद्य० १।३२।९ ।

दशार्णा—(वृद्ध पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के थाल, जप, दान अति पुण्यकारक होने हैं) मत्स्य० २२।३४, कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५।९९, ७७।९३ । बिलसन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब इसे दमान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर बेतवा में मिलती है । महाभाष्य (वातिक ७ एव ८, पाणिनि ६।१।८९) ने इनकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पृ० ६९) । दशाण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग हों या वह नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जल हों । मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश को राजधानी विदिशा थी और क्षेत्रवती (बेतवा) इसके पाम थी । टालेमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) । बाहं० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तरापथ में दानेश्वर (अग्नि) दशार्णा को नष्ट कर देता है ।

दशाश्वमेधिक—(या मेघरु, या मेघ) (१) (गंगा पर एक तीर्थ) वन० ८३।१४, ८५।८७, वायु० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म० २।३७।२६, मत्स्य० १८५।६८ (वाराणसी में), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४६, (३) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूर्म० २।४१, १०४ पद्य० १।२०।२०, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द २, पृ० ३४८), (५) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।२३, (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१२, (७) (गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८३।१, (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११६) ।

धारिणी (डाकिनी)—(मीनघाट) शिवपुराण ४।१।१८ ।

दामो—(पुण्ड्रिय सत्रा) वन० ८२।७१-७५ ।

दामोदरनाग—कश्मीर की एक धारा, जो मुनमोह घाट का ऊपरी भित्तर है, जहाँ कवि वित्ठल का जन्म हुआ था । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ ।

दात्म्याश्रम—(बक दात्म्य का आश्रम, जहाँ राम एव लदमण मुनीय एव उनके अनुचरों के साथ रहने थे) पद्य० ६।४६।१४-१५ ।

दाश्वन—कूर्म० २।३९।६६, यह देवदाश्वन है ।

दिण्डीमुष्यकर—(थाळ के याग्य, सम्भवत दक्षिण में) मत्स्य० २२।७७ ।

दिवाकर-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६५) ।

दिवोक-पुष्करिणी—वन० ८६।११८, पद्य० १।३८।३५ ।

दीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।३८, कूर्म० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-समीप में है) ।

दीप्तोद—(यह सम्भवत भुवुनीय है) वन० ९९।६९ (जहाँ पर परशुराम के प्रतितामह भुगु एव पिता ने कलिन तप किया था) ।

दीर्घसत्र—वन० ८२।१०७-११०, पद्य० १।२५।१५-१६ ।

दीर्घविष्णु—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६३।६३ ।

दुग्धेश्वर—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४।१ (खण्डहर के दक्षिण), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ६ ।

दुर्गा—बाहं० सू० (३१२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं ।

दुर्गा—(विन्ध्य में तालनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०३ एव ब्रह्माण्ड० २।१६।३३ ।

दुर्गातीर्थ—(१) (मरस्वती के अन्तर्गत) वापन० २५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८ ।

दुर्गा-साध्रमतीसंगम—पद्य० ६।१६९।१ ।

दुर्गेश्वर—(साध्रमती पर) पद्य० ६।१४६।१ ।

दुवडती—(नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) गृह० (३।२३।४) में यह 'अपया' एव 'मरस्वती' के साथ अग्नि-युजा के लिए पवित्र मानी गयी है । वन० ९०।११, मनु० २।१७ ने इसे देवती कहा है नार-

दीय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०)। वर्तमान नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिंघम (ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने-सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी सन्देहात्मक ही है।

**देवगिरि**—(मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० १६४।२७, भाग० ५।१९।१६।

**देवतीर्थ**—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२५, १९३।८१, कूर्म० २।४२।१६, पद्म० १।१८।२५; (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६।१।

**देवपथ**—वन० ८५।४५, पद्म० १।३९।४२।

**देवपर्वत**—(सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)

**देवप्रभ**—(गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५९।

**देवप्रयाग**—देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, जिल्द ३६, पृ० २१४।

**देवदारवन**—(१) (वद्रीनाथ के पास हिमालय में) अनु० २५।२७, कूर्म० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं ६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि है); (२) (मराठवाड़ा के पास औंध) पद्म० ६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० चि० १०।३।

**देवलेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९२)।

**देवशाला**—यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते हैं। नृसिंह० ६५।१५ (ती० क०, पृ० २५२)।

**देवहृद**—(१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। ७१, अनु० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) वन० ८५।४३।

**देवहृदा**—(कश्मीर में एक नदी) वन० ८४।१४१, पद्म० १।३८।५७।

**देवागम**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६०।१।

**देवारण्य**—(लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) वायु० ४७।११।

**देविका**—(१) (हिमालय से निवल्नेवाली नदी सिन्धु एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० ८२।१०-२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लम्बी एवं आधा योजन चौड़ी), ब्रह्म० २७।२७, वायु० ४५।९५, अनु० १६६।१९, वाम० ८।१५। विष्णु० (४।२।६९) में आया है कि ब्राह्मण, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटों एवं दाविकोर्बी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। यहाँ 'दाविकोर्बी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली एक नदी) वराह० १४४।८३, ११२-१३, २।४।५४; (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० १।१२।३०, ७७।४१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एवं १६५।१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० ७।८।३७—सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्तु यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० (१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाव के मध्य में मद्र देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। दे (पृ० ५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८।४।१२) ने देविकातीर्थ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७।८।६६-६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित माना है। पद्म० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं आधा योजन चौड़ी)। विष्णु० (२।१५।६) ने वीर-नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एवं २१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम पृथक्-पृथक् आये हैं। वार्ह० सू० (२।३५) में आया



है कि एक दुष्ट के लिये उत्तर में देविका को भी मार डालेगा। पार्जितर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) ने इसे पञ्जाब की दींग या देघ नदी माना है और डा० वी० एस्० अप्रवाल ने इसे कश्मीर में बलर झील माना है (जे० यू० पी० एच० एस्०, जिल्द १६, पृ० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, भाग २, पृ० ७८) ने पार्जितर का मत मान लिया है, जो ठीक जैसा है।

देविकातट—(यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० १३।०८।

देवीपीठ—कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों का गणना हुई है।

देवीकूट—कालिका० १।८।४१, जहाँ पर सती के दाव के चरण गिर पड़े थे।

देवीस्थान—देवीभागवत (७।३।१५ ३०) में देवी-स्थान के ये नाम हैं, यथा—कोलपुर, तुलजापुर, सप्त धुग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) ने १०८ देवी-स्थानों के नाम लिखे हैं।

देवेय—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९।

देवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६५)।

द्रुमक्षेत्र—लिंग० १।९२।१२९ (सम्भवतः कुक्षेत्र के पार)।

द्रुमचण्डेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९०।१३६।

द्रोण—(भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्स्य० १२।१।१३, भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६।

द्रोणाश्रमपद—अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६, 'द्रागश्रम' पाठ आया है)।

द्रोणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क० पृ० ६६)।

द्रोणी—(नदी) मत्स्य० २२।३० (यहाँ श्राद्ध अन्नत होता है)।

द्रावशादित्यकुण्ड—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१ २४।

द्वारका—(१) वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणा में बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि-नर के पास थी। सोमात एवं सिमाद्र नदियों के मुहानों के बीच समुद्र-तट पर जो छोटा द्वीप है और जो कोडि-नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के भग्नावशेषों से घिरा हुआ है। इन हिन्दू लोग मूल द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यही से वे ओत्तान्डल की द्वारका में गये। देविए कर्बई गजे० (जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०)। जरासन्ध के लगतार आक्रमणों से विषम होकर कृष्ण ने इसे बनाया था। इसका उद्घाटन रैवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थीं। यह लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। देविए समा० (१४।४९-५५)। वराह० (१४।७-८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी कहा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) में आया है कि वृष्णिषा एवं अन्धको ने कालयवन के डर से मयुरा छाड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुण्डस्थली चले गये और द्वारका का निर्माण किया (विष्णु० ५।२३।१३-१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण ने समुद्र में १२ योजन भूमि माँगी, बाटिकाआ, भवना एवं दृढ़ दोवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और वहाँ मयुरावासियों को बसाया। जब कृष्ण का देहावसान हो गया तो नगर को समुद्र में डुबा दिया और उसे बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में मीमन्सुर्व (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२।०।५५ एवं २।२।९) में हुआ है। देविए विष्णु० ५।३।९ (कृष्ण ने प्रस्ताव की छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी) एवं भविष्य० ४।१२९।४४ (हनिनी के भवन की छोड़कर)। यह आतर्ष की राजधानी कही गयी है (उद्घाट० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुण्डस्थली के नाम में इस्लाम थी (समा० १।५।५०)। देविए मत्स्य० ६।९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्म० ७।२९-३२ एवं

अग्नि० २७३।१२ (राजधानी का आरम्भिक नाम कुश-स्थली था)। आवुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं ९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ प्राचीन जैन ग्रन्थों (यथा—उत्तराध्ययनसूत्र, एस्० वी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैवतक शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० वी० सी० ला का ग्रन्थ 'इण्डिया ऐज डेस्काइज्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास-खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ अध्यायों एवं २००० श्लोकों का एक प्रकरण आया है। इसमें कहा गया है—'जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं नर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका में निमित्त मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४।५२)। 'द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। व्यक्ति सम्यक् ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल कृष्ण के पास गोमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' (स्कन्द० ७।४।४।९७-९८)। भविष्य० (कृष्णजन्म-खण्ड, उत्तरार्ध, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है। वहाँ द्वारका १०० योजन वाली कही गयी है। वीनावायी द्वारा संकलित द्वारका-पत्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उपस्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को रुक्मिणी के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थ, तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० ए० डी० पुसलकर का लेख (डा० वी० सी० ला मेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२)

(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं ६२।

द्वारका—(कृष्णतीर्थ) मत्स्य० २२।३९।

द्वारवती—यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१-१०५) में आया है—'यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार हैं, अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों के हाथों में चक्रुया शंख की आकृतियाँ हों?' द्वारका-माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं अवन्ती में पहुँचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं द्वारका में पहुँचना कालियुग में बहुत कठिन है। इसे द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'वारके' से इसकी पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८)।

द्विदेवकुल—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० (१।९२।१५८)।

द्वीप—(सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) नृसिंह० ६५।७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में होती है।

द्वीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८०, पद्म० १।१८।३८ एवं २३।७६।

द्वैतवन—(शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर द्वैतसरका यह नाम पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमें एक सर था)। शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर बलराम आये थे), त्राम० २२।१२।४७।५६। यह सान्निह्य कुण्ड के पास था।

ध

धनदेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०)।

धन्वतीरूपा—(पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२४।

धनुषात—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह०  
६६।३३।

घरणीतीर्थ—(यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है)  
मत्स्य० २२।७०।

धर्महृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।५।१।१४।

धर्मनद—यह पञ्चनद है। देखिए 'पञ्चनद'।

धर्मप्रस्थ—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९।

धर्मपृष्ठ—(बोयगया से चार मील पर) पद्म० ५।११।  
७४, नारदीय० २।४४।५४-५५ एव ७८, कूर्म० २।३७।  
३८।

धर्मराजतीर्थ—(प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट पर)  
मत्स्य० १०८।२७, पद्म० १।४५।२७।

धर्मरिष्य—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६,  
अनु० १६६।२८-२९। वायु० ११।१।२३, याम० ८४।१२  
(धर्मरिष्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११।५।३४, नारदीय०  
२।४५।१००, दण्डि एव वरुणा का 'गया एव बुद्ध-  
गया', जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित  
है कि यह बोयगया के मन्दिर के आमपाम की  
भूमि में सम्बन्धित है और यह बौद्ध भाहित्य के उद्बेला  
या उरविन्धा के जगत् की ओर निर्देश करता है।  
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मरिष्य ब्रह्मा के  
पौत्र एव कुण्ड के पुत्र असूर्जन का द्वारा स्थापित किया  
गया था। देखिए इन ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।  
(२) (महाबाल के पास) पद्म० १।१२।६-८,  
बृहत्संहिता १४।२ (त्रिन्तु स्थान अनिश्चित है)।

धर्मशास्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४।३३।१३३।

धर्मशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७)  
एव अग्नि० ११।४।८-२८। गाथा के लिए देखिए गत  
अध्याय १४।

धर्मतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४,  
अग्नि० १०९।१६, कूर्म० १।३।१।१०, पद्म०  
६।१३।५।१७।

धर्मावती—(साभ्रमती से मिलने वाली नदी) पद्म०  
६।१३।५।१६।

धर्मेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० व०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत)

नारदीय० २।४५।१०३, वायु० ११।१।२६।

धर्मोद्भव—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।  
४४-६६।

धर्मेश्वर—(गाभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म०  
६।१४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित मन्मथा जाता  
है)।

धारा—(नदी) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य० २२।३८।

धारातीर्थ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य०  
१९०।६।

धारापतनकतीर्थ—(भयुरा के अन्तर्गत) वराह०  
१५।४।८।

धुण्डिबिनायक—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
व०, पृ० १२६)। स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ 'धुण्डि'  
की व्युत्पत्ति की गयी है), ५६ गणेशों के लिए देखिए  
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

धृतपाप—(या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नर्मदा  
के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३९, १९३।६२, कूर्म०  
२।४२।९-१०, (२) (गाकर्ण पर) ब्रह्माण्ड०  
३।१३।२० (इन्द्र ने यहाँ तप किया), (३) (गया के  
अन्तर्गत) अग्नि० ११।६।१२, नारदीय० २।४७।३५,  
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।  
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर),  
ती० व०, पृ० २२३। ऐ० जि० (पृ० ४०१) में आया  
है कि धारापपुर गामनी के दाहिने तट पर है, और  
मुल्तानपुर से दक्षिण पूर्व १८ मील है। (५)  
(रत्नगिरि जिले में सगमेश्वर के पास) देखिए  
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०।

धृतपापा—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी)  
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२)  
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७।८०,  
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

धूमावती—वन० ८४।२२, पद्म० १।२८।२३  
(धूमवन्ती)।

धूतवाहिनी—(ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।२६।

धेनुक—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।८७-८९, पद्म०  
१।३।८।७-१०, नारदीय० २।४४।६८।

धेनुकारण्य—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६,  
अग्नि० ११६।३२।

धेनुवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०-  
४३।

धौतपाप—देखिए 'पापप्रणाशन'।

धौतपापा—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।२२।

धौतपापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द०  
४।३३।१५६।

ध्रुवतपोवन—पद्म० १।३।८।३।१।

ध्रुवतीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८  
एवं १८०।१।

न

नकुलगण—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२।  
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुधा 'नकुलीश' कहा  
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है।  
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र-  
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन् ३८० ई० का  
उल्लेख है। जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत  
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम  
चरण में हुए थे। भिलाइए वायु० २३।२२-२५  
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा  
गया है)।

नकुली—(विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१८।६८।

नकुलीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० १०७)।

नकुलीश्वर—कूर्म० २।४४।१२।

नग—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०।८।२८।

नवन्तिका—वि० ध० सू० ८५।१९ (श्राद्ध का तीर्थ)।

नदीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० १०३)।

नन्दनवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १८७)।

नन्दना—(ऋक्षवान् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
१४४।२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्म० २७।२८ (दोनों  
में 'चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है)।

नन्दा—वन० ८७।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २।१५।७,  
वन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६।२८,  
भाग० ७।१४।३२ वराह० २।४।४७। ये सभी ग्रन्थ  
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग०  
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सौग-  
न्धिक वन के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने  
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास  
रखा है।

नन्दावरी—(नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने  
इसे कौशिकी के पश्चात् वर्णित किया है। प्रो० आर्य-  
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में  
महानदी माना है।

नन्दासरस्वती—(सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए  
पद्म० ५।१८।४५६।

नन्दिकेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।६।

नन्दिकुण्ड—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील-  
मत० १४५९, अग्नि० २।९।६४; (२) (जहाँ से  
साभ्रभती निकलती है) पद्म० ६।१३२।१ एवं १३।

नन्दिकूट—अनु० २३।६० (ती० क०, पृ० २४८)।

नन्दिक्षेत्र—(कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत०  
१२०४-१३२८ (यहाँ मिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न  
नन्दी की गांथा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालो-  
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है।

नन्दिगुहा—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १९३)।

नन्दिग्राम—(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके  
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते  
थे) वन० २७७।३९, २९।१।६२, रामा० २।११।२२,

- ७।६२।१३, भाग० १।१०।३६। यह कैजावाद से ८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।
- नन्दिनी—(नदी) वन० ८४।१५५, पद्य० १।३८।६२।
- नन्दिनी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१ एव ७३-७४।
- नन्दिपर्वत—(कश्मीर में) ह० चि० ४।३० एव ३२ (हेमकूट-गंगा के पास)।
- नन्दीश—(कश्मीर में शिव नन्दिकोल में पूजित होने हैं, किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की शीशो से नीचे भूतेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी १।१२४।
- नन्दीतट—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव ४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है)।
- नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१३७, कूर्म० २।४।१९०, पद्म० १।१८।३७।
- नन्दीशेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५७)।
- नरक—(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपिया में अन्तरक' और कुछ में 'नरक' आया है), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।३६, २०।१-२।
- नरसिंहाश्रम—(कश्मीर में) नीलमत० १५२०।
- नलिनी—(१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की नील घाटाएँ) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२।१४०, रामा० १।४३।१३, (२) (कश्मीर की एक नदी) ह० चि० १४।१०१।
- नर्मदा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १५।
- नर्मदा-एरशसंगम—तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)।
- नर्मदाप्रभव—तीर्थप्रकाश, पृ० ३८३, पद्य० १।३९।९, वन० (८५।९) में आया है—'शोणस्य नमदावाश्व प्रभेदे।'
- नर्मदेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१७३, पद्य० १।१८।६९।
- नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।२।
- नलबूरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १०३)।
- नहुषेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ११५)।
- नाकुलेश्वरतीर्थ—(लकुलीशतीर्थ ?) मत्स्य० २२।७७, वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ अभयन ने स्नान किया था)।
- नागधन्वा—(सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शन्य० ३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है)।
- नागकूट—(गयाधर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० ११।१२२, नारदीय० २।४५।९५।
- नागपुर—(हस्तिनापुर) वन० १८३।३६।
- नागमाह—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० व०, पृ० २५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और देखिए 'हस्तिनापुर'।
- नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।२३, कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।२८।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११।११, (३) (त्रिपुरकर के अन्तर्गत) पद्य० ५।२६।५१, (४) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।१४, (५) (इनका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३।
- नागभेद—(अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० १०९।१३।
- नागेश्वर—(नर्मदा पर एक सपोवन) मत्स्य० १९।८३।
- नागेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवन यह विन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान् पर जहाँ भगीरथ ने तप किया था)।
- नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।
- नारदकुण्ड—(लाहौगल के अन्तर्गत) बराह० १५।३७।
- नारदतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।११६-१७, पद्य० १।१८।२३।

नारदेश्वर--(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।  
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ५३)।

नारायणसर--(विन्ध्य की पूर्वी घाटा के मुख पर, जिसे  
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव-  
पुराण २२।१३।१३। यह विन्ध्य-नमुद्र संगम है। यह  
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी-  
श्वर तथा नमुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में  
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।  
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणाश्रम--(बदरी के पास) वन० १४५।२६-३४,  
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८।७।  
४-७)।

नारायणस्थान--वन० ८४।१२, पञ्च० १।३।८।३९।

नारायणतीर्थ--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पञ्च०  
१।३।७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदावरी के  
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थानि--(द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।-  
४, आदि० २१७।१७--'दक्षिण सागरानूपे पञ्च  
तीर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चाप्सरस'।

नारसिंह--(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-  
४६।

नारसिंहतीर्थ--(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)  
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता  
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य--(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का  
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा--(गया में क्रीचपद पर एक कमलकुण्ड है)  
वायु० १०।८।४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५,  
अग्नि० ११६।८ (निश्चौरा)।

निःक्षीरा-संगम--नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधक--(प्रयाग से एक गव्यूति पश्चिम) पञ्च०  
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे  
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर  
पुरानी दिल्ली में निगमोद्बोध घाट है।

निम्बार्कतीर्थ--(साभ्रमती पर) पञ्च० ६।१५।११ एवं  
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास)।

निम्नभेद--(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०  
१५।१।१।

निरञ्जन--(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर  
तट पर) मत्स्य० १०।८।२९। ती० क० पृ० १४९ में  
'निरुजक' आया है।

निरञ्जना--ब्रह्म नदी जिसमें मोहना मिलती है और  
जिसके गंगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है।  
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एशियन ने मोहना को  
'मगोन' एवं निरञ्जना को 'एड्हेन्यसिस' कहा है  
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरविन्दपर्वत--अनु० २५।४२।

निर्जैश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या--(विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली  
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्क०  
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८।  
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु-  
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस  
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ  
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एवं  
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है।

निर्वीरा--(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट  
पर वसिष्ठाश्रम था)।

निवासलिंग--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ८९)।

निशाकर-लिंग--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ६५)।

निश्चौरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।  
मत्स्य० ११४।२२ ('निश्चला' पाठ आया है)।

निष्फलेश--कूर्म० २।४।१।८।

निषध--(पर्वत) वन० १८।१।१२; अलवरुनी (जिल्द  
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास  
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।

७।६२।१३, भाग० १।१०।३६। यह फेजावाद से  
८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।

नन्दिनी—(नदी) वन० ८४।१५५, पद्य० १।३८।६२।

नन्दिनी-सगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१  
एव ७३-७४।

नन्दिपर्वत—(वदमीर में) ह० चि० ४।३० एव ३२  
(हेमूट-गंगा के पास)।

नन्दीश—(वदमीर में शिव नन्दिबोल में पूजित होते हैं,  
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की मूर्त्ति से नीचे  
भूतेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी  
१।१२४।

नन्दीतट—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव  
४८ (इमें आनन्द भी कहा जाता है)।

नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१३७,  
कूर्म० २।८१।९०, पद्य० १।१८।३७।

नन्दीशेखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
ब०, पृ० ५७)।

नरक—(१) वन० ८३।१६८ (बुद्ध पाण्डुलिपियों में  
अनरक) और कुछ में 'नरक' आया है), (२) (नर्मदा  
के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।३६, २०।१-२।

नरसिंहाश्रम—(वदमीर में) नीलमत० १५२०।

नर्मली—(१) (पूर्व की आर दक्षिणी हुई गंगा की तील  
वा राएँ) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२।१४०,  
रामा० १।४३।१३, (२) (वदमीर की एक नदी)  
ह० चि० १४।१०१।

नर्मदा—देखिए इन ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

नर्मदा-एरुडीसगम—तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)।

नर्मदाप्रमव—नीतिप्रकाश, पृ० ३८३, पद्य० १।३९।९,  
वन० (८५।९) में आया है—'वागम्य नर्मदाश्रम  
प्रवेदे।'

नर्मदाश्रम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१३३, पद्य०  
१।१८।६९।

नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।२।

नर्मदेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
ब०, पृ० १०३)।

नर्मदेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० ब०,  
पृ० ११५)।

नारकुलेश्वरतीर्थ—(लकुलीगतीर्थ?) मत्स्य० २२।७७,  
वान० ७।२६ (नर्मदा पर नारकुलेश्वर, जहाँ ब्यवन ने  
स्नान किया था)।

नागधन्वा—(सरस्वती के अन्तर्गत दक्षिण) शल्य०  
३७।३० (यहाँ वामुकि की प्रतिमा स्थापित है)।

नागकूट—(गयाधिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु०  
१।१।२२, नारदीय० २।४५।९५।

नागपुर—(हस्तिनापुर) वन० १८३।३६।

नागसाह्य—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर,  
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७।,  
मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० ब०, पृ०  
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और  
देखिए 'हस्तिनापुर'।

नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य०  
२२।२३, कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।२८।३३, (२)  
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१।१, (३)  
(त्रिपुरेश्वर के अन्तर्गत) पद्य० ५।२६।५१; (४)  
(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १।५।१४, (५)  
(द्वन्ना स्थान अनिश्चित है) वन० ८५।३३।

नागभेद—(अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर  
सरस्वती प्रवृत्त हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि०  
१०९।१३।

नागेश्वर—(नर्मदा पर एक तीर्थ) मत्स्य० १९।  
८३।

नादेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०  
(ती० ब०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवत यह  
विन्धुनगर है) नारदीय० १।१६।६६ (हिन्दवान् पर  
जहाँ भगोत्पत्त ने स्नान किया था)।

नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

नारदकुण्ड—(साहाय्य के अन्तर्गत) बराह० १।५।  
३७।

नारदतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१५-  
१७, पद्य० १।१८।३३।

नारदेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।  
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ५३)।

नारायणसर—(सिन्धु की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे  
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव-  
पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र सगम है। यह  
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी-  
श्वर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में  
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।  
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणाश्रम—(वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४,  
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८।७।  
४-७)।

नारायणस्थान—वन० ८४।१२, पद्म० १।३।८।३९।

नारायणतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म०  
१।३।७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदावरी के  
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थानि—(द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।-  
४, आदि० २१७।१७—'दक्षिण सागरानूपे पञ्च  
तीर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चाप्सरस'।

नारसिंह—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-  
४६।

नारसिंहतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)  
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता  
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य—(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का  
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा—(गया में क्रीचपद पर एक कमलकुण्ड है)  
वायु० १०।८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५,  
अग्नि० ११६।८ (निश्चिरा)।

निःक्षीरा-संगम—नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधक—(प्रयाग से एक गव्यूत पश्चिम) पद्म०  
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे  
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर  
पुरानी दिल्ली में निगमोद्बोध घाट है।

निम्बार्कतीर्थ—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१५।११ एवं  
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास)।

निम्नभेद—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०  
१५।१।१।

निरञ्जन—(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर  
तट पर) मत्स्य० १०।८।२९। ती० क० पृ० १४९ में  
'निरूजक' आया है।

निरञ्जना—वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और  
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है।  
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरिथन ने मोहना को  
'मगोन' एवं निरञ्जना को 'एर्हेन्यसिस' कहा है  
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरविन्दपर्वत—अनु० २५।४२।

निर्जरीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या—(विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली  
नदी) ब्रह्म० २।७।३३, मत्स्य० ११।४।२७, मार्क०  
११।३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८।  
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु-  
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस  
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ  
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एवं  
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है।

निर्वीरा—(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट  
पर वसिष्ठाश्रम था)।

निवासंलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ८९)।

निशाकर-लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ६५)।

निश्चिरा—यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।  
मत्स्य० ११।४।२२ ('निश्चला' पाठ आया है)।

निष्फलेश—कूर्म० २।४१।८।

निषध—(पर्वत) वन० १८।१।१२; अलवरुनी (जिल्द  
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास  
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।



इससे प्रकट होता है कि निषध हिमालय-श्रेणी का एक भाग है। वायु० ४७।६४।

निषधा—(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, वायु० ४५।१०२।

निष्ठासंगम—(जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पद्य० १।३८। ५६।

निष्ठावास—पद्य० १।३८।५४।

निष्ठीवी—(हिमवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

नीलकण्ठ-लिंग—(वारणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

नीलकण्ठतीर्थ—(माश्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६८।१।

नीलकुण्ड—(१) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२।२२२; (२) नीलकुण्ड, वितस्ता एव शूलघात एक ही तीर्थ के तीन नाम हैं या कश्मीर में एक धारा है। नीलमत्त० १५००, ह० चि० १२।१७।

नीलनाग—(नागों के राजा एव कश्मीर के रक्षक) नीलमत्त० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० चि० १२।१७, २टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने में यह त्रिग के दक्षिण है, यह बेरीनाग के नाम से विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम-स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६१) ने इसे विहृत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल कहा है और उसमें निम्न बात आयी है—'नीलनाग, जिसकी भूमि ४० बोघा है, इसका जल स्वच्छ है और यह पुनीत स्थल है, बहुत से लोग इसके तट पर जान-बूझकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण गँवाते हैं।' नीलतीर्थ—वाम० (ती० क०, पृ० २३८)।

नीलपर्वत—(१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 'गगद्गारे कुशावर्ते त्रिविके नीलपर्वते। तथा वनवले स्नात्वा धूपपाप्मा दिव ब्रजेत् ॥' लिंग० (ती० क० पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५।१३, मत्स्य० २२।३०, भाग० ५।१९।१६, कूर्म० २।२०।३३, देवी-भाग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (वह

टीला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) पद्य० ४।१७।२३ एव ३५, ४।१८।२, स्कन्द० (तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२)।

नीलगंगा—(गोंदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्वत से निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४।

नीलवन—रामा० २।५५।८ (चिनकूट से एक कोस पर)।

नीलाचल—(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत या टीला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित माना जाता है) देविए 'नीलपर्वत', (२) (गोहाटी के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना हुआ है)।

नीलोत्पला—(ऋक्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

नीरजेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।६।

नूपा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। १६।२८, मार्क० ५४।२३ (यहाँ 'नूरी' पाठ आया है)।

नेपाल—(आधुनिक नेपाल) बराह० २।५।२८, वायु० १०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ 'हुकाली एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में यह नाम आया है (मी० आई० आई० जिल्द ३, पृ० १४)।

नैमिष या नैमिश—(एक वन) (१) (गोमती पर नीमवार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ में ४५ मील दूर है)। पाठकसहिता (१०।६) में आया है—'नैमिष्या वैश्रवभक्तत'; पञ्चविंशब्राह्मण (२५।१।४) में 'नैमिषोय' एव कौपीनकी ब्राह्मण (२६।५) में 'नैमिषोयाणाम्' आया है, (२।८।४) में भी ऐसा ही है। महाभारत एव पुराणों में इसका बहुत उल्लेख हुआ है। देविए घन० ८।५।९-१४ (ममार के सर्वां तीर्थ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८।७।५-७ (पूर्व में गोमती पर), मत्स्य० १०९।३ (पृथ्वी पर अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २।२०।३४, कूर्म० २।४।३।१-१६ (महादेव की अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड० १।२।८, सोना ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है—'ब्रह्मण। धर्मवक्रस्य यत्र मेधिरुपीयन', 'नैमि' वक्र का

हाल (रिम) है, और 'शू' घातु का अर्थ है तितर-वितर कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म० (११३-१०) में इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (११४-१२) ने स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान् सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु० (२१९) एवं ब्रह्माण्ड० (११२१९) के अनुसार यह गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वामित्र में कलह हुआ था। यहीं पर कल्मापपाद राजा को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३११४१८) में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिष-गोमती तथा अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (१११६०) का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष के अधिपति को नष्ट कर देता है।

नैमिष-कुञ्ज—(सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० १२६।१०२।

नैऋतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११७)।

नौवन्धन—(कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नीलमत० ६२-६३।

नौवन्धनसर—(कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४।२७।

प

पञ्चकुण्ड—(१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० २२६); (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ गिरती हैं)।

पञ्चनद—(पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, मीसलपर्व ७।४५, वायु० ७७।५६, कूर्म० २।४।१-२, लिंग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाम० ३।४।२६, पद्म० १।२।४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, ११०

पृ० २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति की है—'पञ्चनदे भवः' और इसे 'पञ्चनदम्' से 'पाञ्चनदः' माना है। वैदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं—शुतुद्री, विपाशा, परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम कहा जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्संहिता (१११६०) का कथन है कि यह पश्चिम में एक देश है। वन० (२२।२२) ने सिन्धु एवं पञ्चनद को पृथक्-पृथक् कहा है। और देखिए सभापर्व (३२। ११)।

पञ्चनदतीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।१३। ५७, नारदीय० २।५।१।१६-३६। देखिए गत अव्याय १३।

पञ्चनदी—(कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ (इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)।

पञ्चनदीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९६)।

पञ्चपिण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९। ३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मों नहीं)। तीर्थकल्पतरु (पृ० ३२६) में 'पञ्चकुण्ड' पाठ आया है।

पञ्चप्रयाग—दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागीरथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग (अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) खड्गप्रयाग (अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास (अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है।

पञ्चतप—(एक शिवतीर्थ, जहाँ का पिण्डदान अनन्त होता है) कूर्म० २।४।५-६।

पञ्चतीर्थ—(काञ्ची में) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१।

पञ्चतीर्थकुण्ड—(मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४। ३७।

पञ्चब्रह्म—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ६५) ।

पञ्चवट—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।११, पश्च० १।२७।५० (सम्भवत यह पंचवटी है, वन० ८३।१६२) ।

पञ्चवटी—(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) (गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे 'देस' कहा गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७।३। देखिए गत अध्याय १५।

पञ्चयज्ञा—(स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, वायु० ११२।४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी) ।

पञ्चापतन—(नर्मदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१। ६१-६२।

पञ्चसर—(१) (लोहगंग के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० १५१। ३४, (२) द्वारका के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० १४९।२३।

पञ्चसिद्धा—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। १४-१६।

पञ्चसिद्धेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ६७) ।

पञ्चशिर—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३९-४४।

पञ्चाश्रवमेधिक—वायु० ७७।४५ ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५।

पञ्चाप्सरस्तीर्थ—(दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७९।

१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार हैं, लिखा है कि यह तीर्थ काल्पनिक है जो भद्रान राज्य में अनन्तपुर है) । आदि० (२।१६।१-४) ने इनके अगस्त्यतीर्थ, गौतम, पीलोम, कार्त्यम्य एव भारद्वाज नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, किन्तु अर्जुन इनमें कूद पड़े और अप्सरात्रा का, जो गापत्रवा कुण्ड हो गयी थीं उद्धार किया। स्कन्द० (भाट्टेराग्यन्ट, बीमारिका प्रकरण, अध्याय १) के मत से यह 'पचाप्सर समुद्राण' (अर्जुन द्वारा) है।

पञ्चागुन क्षेत्र—(स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० १४८।४५।

पण्डारक-वन—(श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७।

पतत्रित्तीय—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६६।१।

पथीश्वर—(भरतगिरि एव वितस्ता के आगे कश्मीर में) नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८।

पत्रेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) पश्च० १।१७।१।

पचावती—सत्य० ४६।९ (मातृकाओं में एक), यह नर-वर नगर है। देखिए एं० जि० (पृ० २५०) एव खजुराहो लेख (संवत् १०५८, १००१-२ ई०), जिनमें स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाचव' नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १४७ एव १५१)। यहाँ निषध के राजा नल का घर था।

पम्पा—(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० १०।७९।१२, वाम० ९०।१६; (२) (जया या जया) पश्च० १।२६।२०-२१ (कुशक्षेत्र का द्वार कहा गया है) ।

पम्पासर—(बेलारी जिले में श्रृंगयमूक के पास) वन० २७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७२।१२, ७३।११ एव ३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१२ (सप्तगोदावरी वेणा पम्पा भीमरपी तट) ।

पम्पातीर्थ—मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१।

पलाशक—(जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था)

वन० ९०।१६ (पलाशनेपु पुष्पेपु) ।

पलाशिनी—(नदी) (१) (काठियावाड़ में गिरनार के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एव हृदामन का जूनागढ़ तिलालय (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४३) एव स्कन्दगुप्त का तिलालय (४५७ ई०, गो० आई० आई०, ३, पृ० ६४) । (२) (पट्टर नामक नदी, जो गुंजाम जिले के बल्लिगदस्तन के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४।३० (मुक्तिमान् से निकली हुई), वायु० ४५।१०७।

पट्टिासपुर—(बस्ती में आपुनिक परस्पोट) ललिता-

दित्य ने इसे निर्मित कराया। राज० (४।१९४-१९५) ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

पर्जन्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।

पर्णाशा—(या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में बनास नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती है) सभा० ६५।६। पर्णाशा का अर्थ है 'पर्ण अर्थात् पत्तों की आशा', वायु० ४५।९७, वराह० २१४।४८, मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९।२१; (२) पश्चिमी भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। प्रथम नाम उपवदात के नासिक शिलालेख (सं० १०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'वनासा' शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा जिल्द ५, पृ० २८३।

परुष्णी—(१) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० ५।५२।९, ७।८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), ८।७४।१५, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का कथन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) (गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४४।१ एवं २३।

परुष्णी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४४।१।

पर्वताख्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।८, पद्म० १।३७।८।

पशुपतीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९३)।

पयोदा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१।७०, वायु० ४७।६७ (पयोद सर से निकली हुई)।

पयोष्णी—(ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० १४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्भ में वरदा या वर्षा से मिलती है। वन० ८५।४०, ८८।४,

७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और राजा नृग की नदी है), १२।१।१६, विष्णु० २।३।११। अठिकांश पुराणों में 'तापी' एवं 'पयोष्णी' अलग-अलग उल्लिखित हैं, यथा—विष्णु० २।३।११, मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, वाम० १३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, पद्म० ४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन का आश्रम था)। देखिए 'मूलतापी'। वन० (१२।१।१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव लोग वैदूर्य पर्वत एवं नर्मदा पहुँचे। हण्टर ने (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि पयोष्णी वरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नल-चम्पू (६।२९) में आया है—'पर्वतभेदि पवित्रं... हरिमिव... वहति पयः पश्यत पयोष्णी।'।

पयोष्णी-संगम—(यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) मत्स्य० २२।२३।

पयस्विनी—(नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ (जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं)।

पवनस्थ-हृद—वन० ८३।१०५।

पाण्डवेश्वरक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८, मत्स्य० १९१, ६१।

पाण्डुकूप—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास), श्राद्ध के लिए उपयुक्त।

पाण्डुपुर—देखिए पौण्डरीकपुर।

पाण्डुर—वायु० ४५।९१ (एक छोटा पर्वत)।

पाण्डिसह्य—(विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नृसिंह० ६५।९ (ती० क०, पृ० २५१)।

पाण्डुविशालातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९, ११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुशिला' पाठ आया है); ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धृत करते हुए इसे 'पाण्डुविशाल्या' पढ़ा है।

पाणिख्यात—पद्म० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि-खात)।

पाटला—(पितरो के लिए अति पवित्र) मत्स्य० २२।२३।

पातन्यम—(पर्वत) वायु० ४५।९१।

पापमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।८,  
नारदीय० २।४७।७९।

पापप्रमोचन—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह०  
१४०।५१-५४।

पापप्रणामन—(१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५,  
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एव  
४८-४९। इसे 'घोतपाप' एव 'गालव' भी कहा गया  
है।

पापमूदनतीर्थ—(कश्मीर में एक धारा) राज० १।३२,  
ह० चि० १४।३६। ऋषदेस्वर, सकर्षण नाग एव पाप-  
मूदन एक ही है। इस पवित्र धारा पर शिव को पूजा  
ऋषदेस्वर के रूप में होती है।

पारा—(१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी कोत्र  
दिया) आदि० ७।१।३०-३२, (२) (पारिदा  
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी)  
वायु० ४५।९८, मत्स्य० १३।४४ एव ११।२४, मार्क०  
५।४।२०। मत्स्य० (१३।४४) में पारा के तट पर  
देवी को पारा कहा गया है। देखिए भालतीमाधव  
(अंक ४ एव ९) एव बृहत्संहिता (१।४।१०)।

पाराशर्येश्वरालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० व०, पृ० ५९)।

पारिप्लव—(मरुस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२,  
पद्म० १।२६।१०, वाम० ३।४।१७।

पारियात्र—(या पारिपात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में  
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए,  
क्योंकि चम्बल, बेतवा एव सिपा नदिया इनसे निर्गत  
कही गयी हैं। देखिए कूर्म० १।४७।२४, भाग०  
५।१९।१६, वायु० ४५।८८ एव ९८, ब्रह्म० २७।२९।  
यह गौतमीपुत्र मातर्कण्य के नासिक शिलालेख (स०  
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ०  
५५०)। नासिक शिलालेख (सख्या १०) में इसे  
'पारिचात' कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य  
(जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एव बोधा-

यनवर्ममूत्र (१।१।२७) में इसे आर्षावर्त की दक्षिणी  
सीमा कहा गया है।

पार्वतिका—(इम नदी पर थाढ़ अत्यन्त फलदायक होता  
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर  
चम्बल में मिलती है।

पावनी—(नदी) (बुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद  
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ०  
१५५)।

पालमञ्जर—(सुपरिक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७।  
पालमञ्जर—(पर्वत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धतीर्थ),  
ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमजर' पाठ आया है)।

पालेश्वर—(माभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१२।४२  
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है)।

पाशिनो—(शुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११।४।३२।

पाशुपततीर्थ—मत्स्य० २२।५६ (यहाँ थाढ़ बड़ा फल-  
दायक है)।

पाशुपतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १।  
९२।१३५।

पाशा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।२८। क्या यह 'पारा' का पाठान्तर है?

पाषाणतीर्थ—(नदी) देवल० (ती० क०, पृ० २४९)।

पिण्डारक—(काठियावाड के सम्भालिया विभाग में)  
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्नित मुद्राएँ पायी  
गयी हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९, अनु०  
२५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग० १।१।१।११ (कृष्ण  
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र धारण  
किया था और मुनियों ने उसे स्नान दिया था), वराह०  
१।४।१० (विष्णुस्नान), पद्म० १।२।१।४-१५। दे  
(पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारावा से  
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८,  
काठियावाड, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित  
दन्तकथा दी हुई है।

पिंगाया आश्रम—अनु० २५।५५।

पिंगतीर्थ—वन० ८२।५७ (पिंगतीर्थ), पद्म० १।२।४।६।

गणेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, कूर्म० २।४१।२१, पद्म० १।१८।३२।

पिप्पला—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३०।

पिप्पलाद-तीर्थ—(दुग्धेश्वर के पास साभ्रमती पर) पद्म० ६।१५०।१।

पिप्पलतीर्थ—(चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० ११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेश्वर' आया है)।

पिप्पलेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।२५। सम्भवतः यह पिप्पला ही है।

पितामहसर—(यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९।१६; (२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), वन० ८४।१४९।

पितामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, पद्म० १।२।१।४।

पिशाचेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११४)।

पिशाचमोचन कुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।२ एवं १३-१४, पद्म० १।३५।२।

पिशाचमोचन तीर्थ—(प्रयाग में) पद्म० ६।२५०।६२-६३।

पिशाचिका—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१३।३०।

पीठ—ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का वर्णन है, यथा—नेपाल, एकवीरा, एकाभ्र आदि।

पुण्डरीक—(१) (कुब्जाप्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८।१।७-८।

पुण्डरीका—(पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६९-७०।

पुण्डरीकक्षेत्र—(आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पृ० ७-२१)।

पुण्डरीकमहातीर्थ—(यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु० ७७।५५।

पुण्डरीकपुर—मत्स्य० २२।७७, नारदीय० २।७३।४५।

पुण्यस्थल—(मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० १६०।२१।

पुनःपुना—(गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन-पुना) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५।

पुनरावर्तनन्दा—(नदी) अनु० २५।४५।

पुत्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२४।१ एवं १३७।

पुराणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३२।

पुरु—(पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)।

पुरूरवस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०।१।१ एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं)।

पुरुषोत्तम—(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० (अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८); मत्स्य० १३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय ५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

पुलस्त्य-पुलहाश्रम—(गण्डकी के उद्गम-स्थल पर) वराह० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के पास)।

पुलहाश्रम—भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता है)।

पुलस्त्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११६)।

पुष्कर—(१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। ज्येष्ठ, मघ्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं (नारदीय० २।७१।१२, पद्म० ५।२८।५३)। उप-वदात के नामिक यिलग्रेण (संख्या १०) में इन कुण्डों पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (सम्बद्ध गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०)। वायु० ७७।४०, कूर्म० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में

आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदिया में एक है (पद्य० ५।१५।१५०, वाम० २२।१९)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।११) एवं वाम० (६६।३१) ने मध्यम पुष्कर का उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस परिचय कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्य० ५।१९।३७)। पद्य० (५।१५।६३ एवं ८२) ने 'पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ पुष्कर अर्थात् कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ अपने शिष्य अकृतवर्ण के साथ गौ वर्षों तक तपस्या की। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन० (अध्याय ८२) एवं पद्य० (५।२७) से क्रम से २०-३९ श्लोक एवं १२ श्लोक उद्धृत किये हैं। अलवरुनी (जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि 'नगर के बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पूजाहर् हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आयुजित हैं, प्राचीन मन्दिर औरगञ्ज द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीर्थ हैं (वन०, अध्याय ८२)। पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) में आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती के तट पर, इसे मुषम नामक पर्वत कहा जाता है) आदि० २२।१।१५, घाल्य० ३।८।१३-१५, (३) ह० चि० १४।१।११ (कश्मीर में, कपटेश्वर में कई तीर्थों की श्रेणी में एक), (४) (बदरिवाश्रम की पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६।७।५-७।८।

**पुष्करारण्य**—पद्य० ५।१८।२।७, गमा० ३।२।८ (यहाँ में प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता १।१।३५।

**पुष्करवती**—यह नदी सम्भवत पाणिनि (४।२।८५) का ज्ञान थी। नागिना टीका आदि ने इसका उल्लेख किया है।

**पुष्करिणी**—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९०।१६, कूर्म० २।४।१।१०-११, पद्य० १।१७।१२;

(२) (गन्धा के अन्तर्गत) अग्नि० १।६।१३।

**पुष्पभद्रा**—(१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी) वराह० ५।१।२, ९।८।५ भाग० १।२।८।१७, १।२।९।१०, नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) भाग० १।२।९।१०।

**पुष्पगिरि**—(भारतवर्ष के छोटे पर्वतों में एक) वायु० ४।५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इषी० गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)।

**पुष्पजा**—(मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० १।१४।३०, वायु० ४।५।१०५ (यहाँ 'पुष्पजाति' पाठा न्तर आया है)।

**पुष्पदन्तेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

**पुष्पस्थल**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १।५।१७ (एक शिवसेन)।

**पुष्पवहा**—(नदी) भाग० १।२।९।३० (हिमालय के पास)।

**पुष्पवती**—(नदी) वन० ८।५।१२, पद्य० १।३।९।१२।

**पूर्णा**—(१) (विद्यमं की एक नदी) यह तापी से मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, पृ० २२४), इस सगम पर चगदेव नामक प्राय है और चक्रीय नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द २, पृ० २२६), (३) (पूर्णा, जो पर्मणी जिले में गोदावरी में मिलती है) देखिए इन्दी० गजे० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुराण (१०।५।२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थ है?

**पूर्णतीर्थ**—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १।२।१।

**पूर्णमुख**—(कुन्जराघ्न के अन्तर्गत) वराह० १।२।१५०-४१।

**पूर्वामुख**—(पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह० १।२।१५०।

**पृथिवीतीर्थ**—पद्य० १।२।९।११ (पारिल्य के पास)।

पृथुतंग—नारदीय० २।६०।२५।

पृथूदक—(सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक पेहोवा) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। इसे वाम० (११।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्मयोनि कहा गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७)।

पंतामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। ४-५, कूर्म० २।४२।१८।

पंशाचतीर्थ—(गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० ८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं)। ब्रह्म० (१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं।

पौण्डरीक—(एक विष्णुतीर्थ, लगता है यह पंढरपुर है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं पौण्डरीके च दण्डके। मायुरे वेंकटाद्री च)।

पौण्ड्र—(देवदास्वने पौण्ड्रम्) पद्म० ६।१२९।२७।

पौण्ड्रवर्धन—वायु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० ४।४४।९३)।

पोलस्त्यतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९७।१।

पोलोम—(देखिए 'पंचाप्सरस्तीर्थ') आदि० २।१६।३।

पोष्क—(कश्मीर-मण्डल में) पद्म० ६।१२९।२७।

प्रजापतिक्षेत्र—मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२।

प्रजामुख—(यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा होती है) वाम० ९०।२८।

प्रणीता—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १६।११, पद्म० ६।१८।१५ (गोदावरी के तट पर मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है।

प्रद्युम्नतीर्थ—नारदीय० २।४०।९६। दे (पृ० १५८) का कथन है कि यह बंगाल के हुगली जिले का पण्डुआ है।

प्रद्युम्नगिरि—(या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपर्वत है) राज० ३।४६०, ७।१६।१६, विक्रमांकदेवचरित १८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७।

प्रतिष्ठान—(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६, ११४।१, वायु० ९।१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), ९।१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२।१८, १०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क० १०८।१८ (वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), विष्णु० ४।१।१६, ब्रह्म० २२७।१५१, भाग० ९।१। ४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक पैठन) ब्रह्म० ११२।२३, वराह० १६५।१, पद्म० ६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है)। पीतलखोरा वीद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिष्ठान के मितदेव नामक गन्धी के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए ए० एस० डब्लू० आई० ४।८३)। देखिए ऐ० जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ ह्वेनसांग के समय में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख है। टॉलेमी ने इसे 'वैठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' कहा है। अशोक के शहवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पित्तिकेशु' का प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक' का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ६७)।

प्रतीची—(एक बड़ी नदी) भाग० ११।५।४० (यहाँ पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं)।

प्रभास—(१) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ ज्योतिर्लिङ्गों में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ डाला था) इसे सोमनाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४-५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है)। वन० ८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९। ३, आदि० २।१८।२-८, शल्य० ३।५।४२ (यहाँ पर चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० २। ३।५।१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), गरुड़।१।४।८१, वाम० ८।४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र में गिरती है)। उपवदात के नासिक शिलालेख में इस तीर्थ का नाम आया है (वम्बई गजे०, जिल्द १६,



पु० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० ईण्डि०, जिल्द १, पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीधर की प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) शल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४, (३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (झारका के अन्तर्गत) मौसलपर्व ८।९, वराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का महात्म्य), भाग० १।३।०।६ (यहाँ प्रत्यक्ष-सरस्वती है, अर्थात् सरस्वती परिचयवाहिनी है, किन्तु कुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपवदात के शिलालेख में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थ) विवाह-व्यय किया और बाठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें प्राप्त की। यही पर भगवान् कृष्ण ने अपना मर्य-दारी छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव पुनीतता तथा महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० नाजिम कृत 'दि लाइफ एण्ड टाइम्स आव मुन्तान महमूद आव गजनवी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९ २२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण गँवाये, कुल्हाड़िया एव अग्नि में मूर्ति तोड़ी गयी, २० करोड़ दोनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक मूल्य) लूट में मुल्तान को मिठे। (६) (वदमीर में) ह० वि० १४।१११, (७) (वदरिकाश्रम की पाँचघारात्रा में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

प्रमाण—(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इन ग्रन्थ का गण्ड ४, अध्याय १२ एव १० जि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ ह्येनगाग का उद्घरण है, (२) (गिन्धु एव दिनना अर्थात् सोलम का गगम) नीलमन० ३९४-३९५ (यहाँ गिन्धु को गया एव दिनस्का को यमुना गमना जाना है)।

प्रयागेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह अहमदनगर में टाका के पाम गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के संगम पर प्रवरा के बायें एव दाहिने तटों पर, दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रधवणगिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।३१, (२) (तुगभद्रा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मांस वित्तिये थे)।

प्रहस्तिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ८९)।

प्रह्लादेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४।

प्रातःपानीय—(पचनद के पाम) वराह० १४३।१७।

प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियमेलक—(श्राद्ध के लिए अग्नि महत्त्वपूर्ण) मलय० २२।५२।

प्रियव्रतेश्वर-लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५९।

प्रीतिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १११)।

**प्रेतकुण्ड**—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८-६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है।

**प्रेतकूट**—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५।

**प्रेतपर्वत**—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०।

**प्रेतशिला**—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०।१५, १०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे-टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५)।

**प्लक्षतीर्थ**—(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुक्षेत्र में, जहाँ पुरूरवा ने उर्वशी को प्राप्त किया) वायु० ९१।३२।

**प्लक्षप्रत्नवण**—(या प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली है) शल्य० ५४।११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति उत्तम)।

**प्लक्षावतार**—वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों (यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभृथ' नामक अन्तिम स्नान के लिए आये), कूर्म० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ), मार्क० २१।२९-३० (हिमवान् में)।

**प्लक्षा**—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब शूर्पारक।

### फ

**फलकीवन**—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

**फलु**—(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, व्युत्पत्ति—'फल' एवं 'गो' (यस्मिन् फलति श्रीगोत्रां कामवेनुर्जलं मही। दृष्टिरस्यादिकं यस्मात् फलु-तीर्थं न फलुवत् ॥)। वायु० (१११।१६) का १११

कथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि-गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

**फाल्गुन**—भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीधर का कथन है कि यह अनन्तपुर है)।

**फाल्गुनक**—(मयुरा के दक्षिण) वराह० १५७।३२।

**फाल्गुनेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०५)।

**फेना**—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।७।

**फेना-संगम**—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ७-८।

### व

**वकुलवन**—(या बहुलाओ) (मयुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) वराह० १५३।३६।

**वकुलासंगम**—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।-१३३।२७।

**वगला**—(एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत।

**वञ्जुला**—(सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

**वदरिका**—(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

**वदरिकाश्रम**—(१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में वद्री-नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२०।१-२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप

पृ० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के मगम पर अवस्थित है (एपि० ईपिड०, जिल्द १, पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीवर को प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) दान्य० ३५।७८, स्वन्द० ७।१।११-१४, (३) (गया के पाम एव पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (द्वारका के अन्तर्गत) मीसलपर्व ८।९, वराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास वा माहात्म्य), भाग० १।१३।०।६ (यहाँ प्रत्यक् सरस्वती है, अर्थात् सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, चिन्तु कुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपवदात के शिलालेख में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यनीर्ये) विवाह-व्यय किया और आठ ब्राह्मणा के लिए दुलहनें प्राप्त की। यही पर भगवान् कृष्ण ने अपना मत्स्य-गरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव पुनीतता तथा महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० नाजिम हुन 'दि लाइफ एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गजनी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणा ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण गंशये, कुन्टाडिया एव अग्नि में मूर्ति तोड़ी गयी, २० करोड़ दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आपुनित मूल्य) लूट में गुलतान को मिटे। (६) (कस्मीर में) ह० चि० १४।१११, (७) (बदरिकाश्रम की पाँचधाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

प्रयाग—(१) (आपुनित इच्छावाद) देखिए इम ग्रन्थ का गण्ड ४, अध्याय १२ एव ए० जि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ ह्येनगाय का उद्धरण है, (२) (मिन्पु एव विन्गा अर्थात् होल्म का मगम) मौल्यम० ३९.६-३९.५ (यहाँ मिन्पु को गंगा एव विन्गा को समुद्र समझा जाता है)।

प्रयागेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आपुनिक नगर नेवासे या नेवास, जो निवामपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह बहमद-नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरामगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के मगम पर प्रवरा के बायें एव दाहिने तटा पर दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवाम के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रश्रवणगिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।३१, (२) (तुगभद्रा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मांस बितायें थे)।

प्रहसितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ८९)।

प्रह्लादेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।५, पद्म० १।३७।४।

प्रान्तकपातीय—(पचनद के पास) वराह० १४३।१७। प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियमेलक—(प्राद के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मन्व्य० २२।५३।

प्रियव्रतेश्वर-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० ४।३३।१५९।

प्रोतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १११)।

प्रेतकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८१६८-६९, अग्नि० ११६११५। यह प्रेतसिंहा के जन्म में ब्रह्मसिंह के नाम से विख्यात है।

प्रेतकूट—(गया के अन्तर्गत एक चट्टानी) वायु० १०९११५।

प्रेतपर्वत—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३१००।

प्रेतशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०११५, १०८११५। यह ५८० दूट ऊँची है और गया में उत्तर-दक्षिण ५ मील दूर है। देखिए गया गङ्गा-द्वार (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५)।

प्लवतीर्थ—(एक पवित्र बालाव, सम्भवतः कुशक्षेत्र में, जहाँ पुरुवा ने उर्वशी का प्राण किया) वायु० ११३३२।

प्लवत्रवण—(या प्रथ) (यहाँ से सारस्वती निकली है) अथ० ५५१११, कूर्म० २।३।२२९, ब्रह्माण्ड० ३।१।६६९, वायु० ७।३।६७ (आद्य के लिए अति उत्तम)।

प्लवत्रवतार—वन० १०१४, यहाँ पर याजिकों (पत्र करने वालों) ने सारस्वत-सूत्र सम्पादित किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभृथ' नामक अन्तिम ज्ञान के लिए आये), कूर्म० २।३।७।८ (विष्णुतीर्थ), मार्क० २।१।२९-३० (हिमवान् में)।

प्लवा—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से बायीं पहले कुण्डिन जाता है, तब धूपारक।

फ

फाँवण—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 'काल', जो थानसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

फाँ—(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, धृतराजि—'फल' एवं 'भो' (यस्मिन् फलति श्रीगौरी कामयै नृजलं भूमी। दृष्टिरस्यादिकं यस्मात् फल्गुनी न फल्गुवत् ॥)। वायु० (१११।१६) का

कथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल विष्णु के तट में निकली है और यह स्वयं आदि-गंगावर रूप है। देखिए इन ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

फाल्गुन—माघ० ७।१।३१, १०।३।१।१८ (श्रीधर का कथन है कि यह अन्तर्पुर है)।

फाल्गुनक—(मयुरा के दक्षिण) वराह० १५।३।२।

फाल्गुनेश्वर—(द्वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० १०५)।

फेना—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।३।

फेना-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ३-८।

व

वकुलवन—(या बहुलाओ) (मयुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) वराह० १५।३।३६।

वकुलसंगम—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।३।३।२७।

वगला—(एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत।

वञ्जुला—(सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१।६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१।६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१।६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

वदरिका—(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

वदरिकाश्रम—(१) (उ० प्र० के गडवाल-संभाग में वेत्र-नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि श्रम के निम्न पराशर इस आश्रम में रहते थे; सम्भवतः (पृ० २४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने वहाँ पर वरुण

किया था, विष्णु० ५।३।३४ (यह आश्रम गन्ध-  
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड०  
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के  
साथ वर्णन किया है और उपतीर्थों की सूची भी  
दी है), वही २।६।२६ (यह विन्ध्या नदी पर  
था), भागवत० ७।१।१६, (२) (यमुना पर  
मवुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२।२।१  
एव ४३।

**बदरी**—(गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा-  
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४।१-  
२३, १७।८, गान्धि० १२।२-३, भागवत० ९।-  
३।३६ एव १।१।२।४१ (नारायणाश्रम), मत्स्य०  
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म० ६।२।-  
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि  
उस समय पर्वत हिमच्छादिन रहता है), विन्ध्या  
भी नाम है। देविए ६० जा० आब इण्डिया, जिल्द  
६, पृ० १७९-१८०)। बद्रीनाथ का मन्दिर अलक-  
नन्दा के दाहिने तट पर है।

**बदरीवन**—पद्म० १।२।७।६६।

**बदरीपावन तीर्थ**—वन० ८३।१७९, शक्य० ४।७।२३ तथा  
४८।१ एव ५१ (बगिछ का आश्रम यहीं था)।

**बध्नीयं**—(जहाँ मही नदी मगध में गिरती है) शक्य०  
१।२।१३।१०७।

**बालभद्र-लिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ ६६)।

**बलाहा**—अनु० २५।१९।

**बलादेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १।१।११।

**बलिपुच्छ**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृ० ७६)।

**बलेश्वर**—(धौलखंड के अन्तर्गत) लिग० १।९।२।-  
१४८।

**बहुनेत्र**—(नर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ बद्रीनाथ की  
पारा की कमी है) मत्स्य० १।१।११।

**बभ्रुववन**—(मगध के अन्तर्गत) बराह० १५।७।८।

**बागर्षगा**—(गान्धर्व के अन्तर्गत) बराह० १४।१-

६३ (रावण ने भोमेश्वर के दक्षिण एव बाण भारत  
इसे निकाला था)।

**बाणतीर्थ**—(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२।२।-  
२।४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।-  
९-१०।

**बाणेश्वर लिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वल्प०,  
काशीखण्ड ३।३।३९, लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।  
**बालकेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृ० ४३)।

**बालप**—या बालपेद्र (नाभमती के तट पर) पद्म०  
६।१४।५।१, २४ एव ३७ (एक सूर्य-शंख)।

**बाहेंस्पत्यतीर्थ**—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२।२।-  
१०।१।

**बाहुदा**—(सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १।६।५।-  
२७, पद्म० १।३।२।१, नारदीय० २।६।०।३०, ब्रह्म०  
२।७।३६, मत्स्य० १।१।२२ एव वायु० ४।५।९५  
(इसका कहना है कि यह हिमवान् से निकली है),  
वन० ८।४।६७ एव ८।७।२७। देविए दे (पृ० १६)  
एव पाजिटर (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८।-  
६६) का कथन है कि युवनाश्रम ने अपनी पत्नी गौरी  
का शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी। अमरतीर्थ  
ने इसका पर्वत संतवाहिनी बनलाया है और धीर-  
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीर्य द्वारा गीचे  
उतारी गयी (कार्तवीर्य को बहुत अर्पण अधि-  
दान करने वाला कहा गया है)।

**बाह्या**—(मगध से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।३५।

**बिन्दुश**—वि० घ० मू० ८।५।२२ (कुछ महारणों में  
'बिन्दु' पाठ आया है)।

**बिन्दुपाथ**—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १।८।५।-  
९८, बराह० २।३।१।४८, नारदीय० २।२।१।६।,  
पद्म० ६।१।१।४८।

**बिन्दुसर**—(१) (बदरी के पास मेनाश्रम पर्वत पर)  
वन० १।५।४।४, भीष्म० ६।४।३-४९, ब्रह्माण्ड०  
२।१।८।३१, मत्स्य० १।२।२।६ एव ३।१-३२ (जहाँ

भगीरथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), भागवत० ३।२।१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, नारदीय० २।२।५।९-६०; ((३) (एकाग्रक के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४।१।२-५४ (इसका नाम इस-लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूँदें एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) नीलमत० (१।१।६-१।१।७) के मत से यह देश के पूर्व में एक दिक्पाल है।

**विन्दुतीर्थ**—यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तर्गत।

**विल्वक**—(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) वि० ध० सू० ८।५।५२, मत्स्य० २।२।७०, कूर्म० २।२।०।३३, अनु० २।५।३३, नारदीय० २।४।०।७९।

**विल्वपत्र**—(जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) ह० चि० १।२।१५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के अन्तर्गत।

**विल्वपत्रक**—पद्म० ६।१।२।१।१ (शिव के चारह तीर्थों में एक)।

**विल्वाचल**—वाहस्पत्य सूत्र (३।१।२०) के अनुसार यह वैष्णव क्षेत्र है।

**विल्ववन**—(मथुरा के चारह वनों में दसवाँ) वराह० १।५।३।४२।

**बुद्बुदा**—(नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१।६।२।५-२।७।

**बुधेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५५ एवं ९७)।

**बृहद्वन**—(गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें रखते थे) भागवत० १।०।५।२।६ एवं १।०।७।३।३।

**बृहस्पतिकुण्ड**—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १।५।१।५।५।

**बोधितरु**—(बोध गया में पीपल या बोधिवृक्ष) पद्म० ६।१।१।७।३०; देखिए 'महाबोधि तह' के अन्तर्गत। भरद्वाज स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे

हुए वज्रासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीर्ण लेख है—भगवतो सकमुनिनो बोधि; देखिए कनिष्क का 'महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है कि सन् ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने बोधितरु को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तरु के विषय में लिखा गया है।

**ब्रह्मकुण्ड**—(१) (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १।४।१।४-६; (२) (लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १।५।१।७।१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से निकलते हैं); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।०।८।

**ब्रह्मकूप**—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।१।२।५ तथा ३।१, अग्नि० १।१।५।३।७।

**ब्रह्मक्षेत्र**—(कुरुक्षेत्र) वन० ६।३।४-६, वायु० ५।९।१०६-१०७ तथा ९।५।५।

**ब्रह्मतीर्थ**—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।९, २।३।७।२।८, पद्म० १।३।७।९-१२ (विष्णु ने ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३।८।७।९, नारद० २।४।५।१।०।२, अग्नि० १।१।५।३।६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१।३।१ एवं २।३, ब्रह्माण्ड० ३।१।३।५।६; (४) (सरस्वती पर) भागवत० १।०।७।८।१९।

**ब्रह्मतुङ्ग**—अग्नि० १।०।९।१।२, पद्म० १।२।४।२।८।

**ब्रह्मतुण्डह्रद**—या ब्रह्मतुङ्गह्रद। ब्रह्माण्ड० ३।१।२।७।३, वायु० ७।७।७।१-७।२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने से अक्षय फल मिलता है)।

**ब्रह्मतारेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० २८)।

**ब्रह्मगिरि**—(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निकलती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० ७।४।२।५-२।६, ८।४।२, पद्म० ७।१।७।६।५।८; (२) (सह्या की सबसे बड़ी चोटी और कृष्णवेण्या के अन्तर्गत एक तीर्थ) तीर्थसार, पृष्ठ ७।८।

ब्रह्मनदी—(यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।-  
१६।२३।

ब्रह्मणस्तीर्थ—वन० ८३।११३, पद्य० १।२७।२ (ब्रह्मण  
स्थानम्), पद्य० १।३८।२०।

ब्रह्मवद—(मानिष्यभग के अन्तर्गत) वराह० १४७।-  
३६।

ब्रह्मपुत्र—देनिए 'लोहित्य', या इगगा एव अन्य नाम है।

ब्रह्मबालुका—वन० ८२।१०६, पद्य० १।२५।१३।

ब्रह्मसर—(१) (धामिन्दवर के पास) वायु० ७७।५१,  
मत्स्य० २२।१२, वाम० २०।५५-६० एव ४९।-  
३८ ३९। यह सर कई नामों से विख्यात है यथा  
ब्रह्मसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि, (२) (गया  
के अन्तर्गत) वन० ८४।८५ (धर्मरिषयोऽसाम्भित)  
एव ९५।११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५।३८,  
वायु० १११।३०, (३) (वागामुग के अन्तर्गत)  
वराह० १४०।३७ ३९, (४) (गानन्दर के  
अन्तर्गत) वराह० १५८।२०।

ब्रह्मसिर—(गया के अन्तर्गत) कूर्म० २।३।३८, नागद०  
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मपूष है)।

ब्रह्मस्थान—वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्य० १।२७।२।

ब्रह्मस्थूणा—पद्य० १।३९।३३।

ब्रह्मवल्लीतीर्थ—(साधमनी के अन्तर्गत) पद्य० ६।-  
१३७।१।

ब्रह्मयोनि—(१) (सरस्वती पर) इमे पृथुदक भी कहते  
हैं, वाम० ३९।२० एव २३, (२) (गया के अन्त-  
र्गत) वन० ८३।१४० एव ८४।९५, पद्य० १।२७।-  
२९, नारदीय० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्म-  
यानि प्रविश्याथो नियच्छेद वस्तु भानव। पर  
ब्रह्म सं यानि ह धिमुक्तो यानिसकटात्॥) देखिए ए०  
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब उशीक-  
स्तूप के पास एक छाटा सा मंदिर लडा है।

ब्रह्मपूष—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३,  
अग्नि० ११५।३९।

ब्रह्महृद—भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवत यह  
गौरूप मे प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३।

ब्रह्मानुस्वर—(बुधशेख के अन्तर्गत) पद्य० १।२९।-  
६७।

ब्रह्मावन—(१) (सरस्वती एक दुपदनी के मध्य की  
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, वालिना० ४९।७१।  
मैपदूत (१।४८) के अनुसार बुधशेख ब्रह्मावन  
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन०  
८३।५३-५४, ८४।४३, मत्स्य० २२।६९, अग्नि०  
१०९।१७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९०।७, १९१।७०, पद्य० १।१७।५।

ब्रह्मेश्वर तिण—(१) (श्रीपरंत के अन्तर्गत) कूर्म०  
२।४१।१८, लिग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेस्वर  
भी कहा जाता है); (२) (वाराण के अन्तर्गत)  
लिग० (ती० बल्य०, पू० १।१५)।

ब्रह्मेश्वर—वाम० ३६।७-८।

ब्रह्मोदय—(वाग्मनी के दक्षिण) वराह० २१५।१०२।

ब्रह्मोद्भेव—वराह० २१५।९१।

ब्रह्मोद्भुम्बर—वन० ८३।७१।

ब्राह्मणकुण्डिका—(बदमीर मे एक तीर्थ) नीलमत०  
१४९९, १५०१।

ब्राह्मणिका—(नैमिष वन के पास) पद्य० १।३२।-  
२२।

ब्राह्मणी—(सम्भवत वह वामनी जो चम्बल मे  
मिलती है) वन० ८४।५८।

भ

भगवत्पदी—(गंगा) भागवत० ५।१७।१-९।

भङ्गतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५२।

भद्रतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।-  
५४; (२) (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५।१,  
मत्स्य० २२।५०।

भद्रतुङ्ग—वन० ८२।८०।

भद्रकालेश्वर—(यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति  
होती है) मत्स्य० २२।७४।

भद्रकाली—बाह्य० सूत्र ३।१२८। यह विन्ध्याचल पर  
निवास करती है।

भद्रदोह—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५२) ।

भद्रकाली-हृद—अग्नि० १०९।१७।

भद्रकर्णेश्वर—(श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) वन० ८४।३९, कूर्म० २।२०।३५, स्कन्द० ७।१। अर्बुद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हृद पर लिंग जो अर्बुद पर्वत पर है) ।

भद्रवट—वन० ८२।५०, पद्म० १।१२।१०, वराह० ५।१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६।

भद्रवन—(मथुरा के वारह वनों में छाटा) वराह० १५३।३७ एवं १६।१।७

भद्रा—(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० २।२।३४, भागवत० ५।१७।५, वामन० ५।१।५२, (२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) नृसिंह० ६५।१८।

भद्रावती—(गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, अन्य तीन धाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु) ब्रह्माण्ड० ३।५६।५२।

भद्रेश्वर—(१) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० २२।२५, कूर्म० २।४।१४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१३६ (ती० कल्प०, पृ० ५२ एवं ६८) ।

भद्राजाश्रम—रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२।७।१ एवं १७ तथा ५।१०।२।५-६) । देखिए 'चित्रकूट गिरि' । आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिस्सर्च इन्स्टीच्यूट का जर्नल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३-४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री) ।

भद्राजतीर्थ—(देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २।१६।४।

भरतस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०५, मत्स्य० १।३।४६ (यहाँ पर देवी को लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, १०८।३५, ११२।२४; (२) (कांशिकी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३७।३८, पद्म० १।३८।४८।

भरतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६६) ।

भरुकच्छ—(आधुनिक भड़ोच) सभा० ५।१।१० (भरुकच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोड़े भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे वरिगज कहा है। इसे भृगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में पाया जाता है) । सन् ६४८-९ ई० में वलभी-नरेश धरसेन चतुर्थ ने भरुकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ वन्दरगाह रूप में उल्लिखित है।

भर्तृस्थान—वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ देवता नित्य सन्निहित रहते हैं) ।

भस्मगात्रक—लिंग० १।९२।१३७।

भस्मकूटाद्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५।

भागीरथी—मत्स्य० १२।१।४१ (यह उन सात धाराओं में से एक है जो विन्दुसर से निकलीं और जो भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची) ।

भाण्डहृद—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१०।

भाण्डीर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।४३, (वारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।३।

भाण्डीरक वट—(वृन्दावन के पास) भागवत० १०।१८।२२, १०।१९।१३।

भानुतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।३८।१, १।६८।१।

भावतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५३।१।

भारगेश—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९२।१, पद्म० १।१९।१।

भारभूतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ९३) ।

भारभूति—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१८, कूर्म० २।४२।२५, पद्म० १।२।१।१८।

भारण्डवन—(मत्स्य देव में) रामायण २।७।१।५।

भास्करक्षेत्र—(कोणाक) मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने उद्धृत किया है—'गंगायां भास्करक्षेत्रे'... आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व



(पृ० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु तीर्थमार (पृ० २०) ने इसे कांगादित्य या कोणाक कहा है, जो उपयुक्त है। मत्स्य० (१११।१३) एव कूर्म० (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति-क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२।

**भिल्लतीर्थ**—(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १६९।१।

**भीमा**—(नदी, भीमरथी जो सहा पर्वत से निकली है और वृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थवरूप०, पृ० २५०)। इसके निकास-स्थल पर भीमाशंकर का मंदिर है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है, यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में मिलती है।

**भीमरथी**—(भीमा नदी) मत्स्य० २२।४५, ११४।२९, ब्रह्म० २७।३५, पद्म० १।२४।३२, भीष्मपर्व ९।२०, वन० ८७।३, वामन० १३।३०। और देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ वीरतिवर्मा द्वितीय के बक्कलेरि दानपत्र (७५७ ई०) में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है।

**भीमादेवी**—(कश्मीर में डल शील के पूर्व तट पर फाव परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० २।१३५ और ह० चि० ४।४७।

**भीमस्वामी**—(कश्मीर में एक किला जो गणेश के रूप में पूजा जाती है) स्टोनस्मृति, पृ० १४८।

**भीमतीर्थ**—अग्नि० १०९।१२।

**भीमाया. स्वानम्**—वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने इसे पेसावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर तक्ष-ए-बहाई भना है।

**भीमेश्वर**—(नर्म० के अन्तर्गत, पितरो के लिए पवित्र) मत्स्य० २२।४६ एव ७५, १८१।५, कूर्म० २।४१।२० एव २।४५।१५, पद्म० १।१८।५।

**भीष्म-चण्डिक**—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६२।

**भीष्मेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० बरूप०, पृ० ६६)।

**भुवनेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० बरूप० पृ० ५६)।

**भूताल्यतीर्थ**—(माभ्रमनी के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), वाम० ३।४।४७।

**भूतेश्वर**—(१) (कश्मीर में भूथीनर) नीलमन० १३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, ह० चि० ४।८५। यह नन्दि क्षेत्र के अन्तर्गत है। हरमुख की चोटी से दक्षिण-पूर्व फले हुए पर्वत पर भूतेश दिव का निवास है। आइने अवबरी, जिल्द २, पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१०, पद्म० १।३७।१३, (३) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६८।१९।

**भूमिचण्डेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) अग्नि० १।२।४।

**भूमितीर्थ**—अग्नि० १०९।१२।

**भृगु-आश्रम**—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्वन्द० १।२।३।२-६।

**भृगुकच्छ**—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'भस्वच्छ' के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था (भागवत० ८।१।२)।

**भृगुकुण्ड**—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) बराह० १।४।४८।

**भृगुतीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, कूर्म० २।४२।१-६, पद्म० १।२०।२३ ५७। दे (पृ० ३४) के मत से यह जवलपुर से पश्चिम बारह मील की दूरी पर भेडापाट पर है जिसके मन्दिर में ६४ योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर परशुराम ने राम द्वारा ले ली गयी शक्ति को पुनः प्राप्त किया था)।

**भृगुतुङ्ग**—(१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु ने तप किया था) वायु० २३।१४८ एव ७७।८३, वन० ८।५।५०, ९०।२३, १३०।१९१, (२) वि० घ० सू० ८।५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २।२।३। (श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नद पण्डित के मत से अमरकण्ठ के पास है तथा अन्य लोगों के मत से हिमालय में, (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर)

- वराह० १४६।४५-४६; (४) (गुर्जर देश में) स्कन्द०, काशी० ६।२५; (५) (वितस्ता एवं हिमवान् के पास) वाम० ८१।३३।
- गंगीश्वर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशी० ३३।१२९ एवं लिंग० (तीर्थकल्प० पृ० ८४)।
- भेदगिरि—(गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र) राज० १।३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७।
- भेदादेवी—(गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के पश्चिम आधुनिक बुदबोर) नीलमत० १५२२।
- भैरव—(एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१।
- भैरवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। १३७।
- भोगवती या वासुकितीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, मत्स्य० १०६।४३ एवं ११०।८, अग्नि० १११।५, नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल के ककुत्स्थ की राजधानी) कालिकापुराण ५०।४।

म

- मक्रुणा—(ऋक्ष से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०१।
- मंगला—(गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७।३।२४।
- मंगलप्रस्थ—(पहाड़ी) भाग० ५।१९।१६।
- मंगलासंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता है)।
- मंगलेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३३।
- मंकुटी—(ऋक्षवान् से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।
- मञ्जुला—(एक नदी) भीष्म० ९।३४।
- मणिकर्णो—(या मणिकर्णिका) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८२।२४, १८५।६९, नारदीय० २।४०।८७ एवं ४९।४४, पद्म० ६।२३।४४।
- मणिकर्णेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९।४५, लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०३)।

- मणिकुण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। ५२।
- मणिमान्—(या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० ८२।१०१, पद्म० १।२५।८, वाम० ८१।१४।
- मणिमती—(नदी) मत्स्य० २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी)। वार्ह० सू० (१४।२०) का कथन है कि यह एक पर्वत है।
- मणिमतीभद्र—वाम० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा जाता है)।
- मणिमतीपुरी—(यह वातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१।
- मणिनाग—वन० ८४।१०६, पद्म० १।३८।२४।
- मणिपूरगिरि—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।६३।
- मण्डवा—वायु० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त पहाड़ी)।
- मण्डलेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६६)।
- मतङ्गपद—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७, वायु० १०८।२५।
- मतङ्गस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। १०१, अग्नि० ११५।३४; (२) (वाराणसी में) वन० ८७।२५।
- मतङ्गस्य केदार—वन० ८८।१७, पद्म० १।३९।१५।
- मतङ्गवापी—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११। २३-२४, अग्नि० ११५।३४, नारद० २।४५।१००, वि० ध० सू० ८५।३८; (२) (कोशला में) वायु० ७७।३६; (३) (कैलास पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।-३६।
- मतङ्गेश—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११।३५।
- मतङ्गेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ८७)।
- मथुरा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं ऐं० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन के लिए)।

मत्स्यनदी—(पवित्र नदी) मत्स्य० २२।४९।

मत्स्यशिला—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।-  
७९ ८३।

मत्स्योदपान—नृमिह० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५१)।

मत्स्योदरी—(वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एव  
आकारेश्वर के पास) लिंग० (ती० कल्प०, पृ०  
५८ ५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एव ४।७३।१५५।  
निस्थलीसेतु (पृ० १४०) का कथन है—'मत्स्याकार  
काशीक्षेत्रम् उदरे अस्था इति व्युत्पत्त्या भगव मत्स्यो-  
दरी ज्ञेया।'

मदोक्त—पद्य० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थों  
में ९वाँ)।

मद्रवा—(एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एव ५७।  
सम्भवत यह मण्डवा ही है।

मद्रा—(नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५।१०२।

मधुकुल्या—(नदी, गया में) वायु० १०६।७५, ११२।-  
३०।

मधुकैटभलिङ्ग—(वाराणसी में) लिंग० (ती० कल्प०,  
पृ० ४३)।

मधुनन्दिनी—(नदी) वाम० ८१।१६।

मधुपुर—(पृथुदक के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।३८।

मधुपुरी—(मयुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु० १।१२।  
२४।

मधुमती—(१) (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० १४४  
(वितस्ता में मिलती है) १४४४ (इस पर दुर्गा नामक  
तीर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था),  
विक्रमकदेवचरित १८।५, (२) (एक नदी जो बगाल  
के नदिया और बाकरगंज जिला में होकर बहती हुई  
बगाल की खाड़ी में गिर जाती है (३) (यह नदी जो  
मध्यप्रदेश में सिन्धु में मिलती है), दक्षिण मालती-  
माधव (९वाँ अंक, दशोः २ व पश्चात् गद्याम)।

मधुरा—(१) (मयुरा, मूरसेन देश की राजधानी)  
ब्रह्माण्ड० ३।४९।६, विष्णु० १।१२।४ एव रामा०  
७।७०।५, (२) (आधुनिक मयुरा, पाण्ड्य लागा की  
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मयुरा कहा जाता था,

देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयगर द्वारा लिखित  
'मणिमेल्लई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग', पृ० २०।  
मयुरा मयुरा का ही तमिल ढग का उच्चारण है।  
देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नल, सन् १९४२, जिल्ड  
३२, पृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा  
एव मयुरा के लिए) एव प्रो० दीक्षितार का 'सिल्लप  
दिवारम्' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और  
पृ० २५५ जहाँ वनकी के शाप से मयुरा के विनाश  
का वर्णन है।

मधुरातीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३५।  
१८।

मधुवन—(१) (मयुरा में) वन० १।१२ एव ३१ (यहाँ  
मधु नामक राक्षस रहता था) कूर्म० २।३६।९, वराह०  
१५३।३०, वाम० ८३।३१, ९०।१४, भाग० ४।८।४२  
(यमुना के तटा पर), ९।११।१४ (शत्रुघ्न ने मधुवन  
में मयुरा बसायी), ग्राउस ने 'मयुरा' नामक पुस्तक  
में इसे महोली कहा है जो मयुरा से दक्षिण-पश्चिम  
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४), (२) (कुक्षेत्र  
के सात वना में एक) वाम० ३४।५।

मधुवती—(एक देवीस्थान) पद्य० १।२६।८८।

मधुस्रवा—(नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५  
११३।३०७।३४, नारदीय० २।४७।२७, (२) (सर-  
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन०  
८३।१५०।

मधुशिला—(नदी) समगा। वन० १३५।१।

मधुकवन—(अगस्त्याश्रम एव पचवटी के मध्य) रामा०  
३।१३।२३।

मधुदका—(नदी) वाम० ५७।८०।

मध्यम पुष्कर—(देखिए पुष्कर) पद्य० ५।१९।३८,  
वाम० २२।१९।

मध्यमेश्वर लिङ्ग—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म०  
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिंग० १।९२।९१ तथा  
१३५, पद्य० १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख  
लिंगा में एक); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग०  
१।९२।९५।

- मध्यन्दिनीयक तीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह०  
१७७।४६ (वैकुण्ठ तीर्थ के पश्चिम में) ।
- मध्वतीर्थ—गरुड० उत्तर खण्ड, ब्रह्माकाण्ड २६।४६-४७  
(यह कुछ संदेहात्मक है) ।
- मडवावर्त नाग—(कश्मीर में वितस्ता पर) ह० वि०  
१०।१५२।
- मनुजेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० १०४) ।
- मनोजव—पद्म० १।२६।८७, वन० ८३।९३ ।
- मनोहर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।७, कूर्म०  
२।४२।२०, पद्म० १।२१।७ ।
- मन्दागा—(शुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।३२, वायु० ४५।१०७ ।
- मन्दाकिनী—(१) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्  
से निकली हुई नदी) वन० ८।५।८, अनु० २५।२९,  
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५।९९,  
अग्नि० १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य०  
११४।२५; (२) (वाराण के अन्तर्गत एक उपतीर्थ)  
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में  
मन्दोदक झील से निकली हुई नदी) मत्स्य० १२।१४,  
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्वा के पास)  
रामा० ४।१।९५ ।
- मन्दावाहिनी—(शुक्तिमान् पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य०  
११४।३२, वायु० ४५।१०७ ।
- मन्दर—(पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व  
में है), मार्कण्डेय० ५।१।१९; वन० १३।९।५, १४।२।२,  
१६।३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३।१।३३,  
उद्योग० १।१।१२, लिंग० २।९।२।१८७ एवं १८८, ६-  
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये  
थे), नारदीय० २।६०।२२, वाम० ५।१।७४ (पृथू-  
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य०  
१८।४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम  
कामचारिणी है), भाग० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य-  
कशिपु यहाँ रहता था) ।
- मन्दार—वराह० १४।३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य),

वराह० (१४।३।२) का कथन है कि यह गंगा के  
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है  
और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी  
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (श्लोक १३) ती०  
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐं० जि० (पृष्ठ  
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर  
के दक्षिण में है।

- मन्दोदरीतीर्थ—मत्स्य० २२।४१ (दर्शन मात्र से पाप  
कटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) ।
- मन्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।  
१३७ ।

मन्युतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।२।१,  
भाग० १०।७।९।२१ (साहिष्मती एवं प्रभास के मध्य  
में कहीं) ।

- मरुद्गण—अनु० २५।३८ ।
- मरुद्वृधा—(१) (नदी) ऋ० १०।७।५।५। निरुक्त  
(९।२६) ने इसे ऋ० (१०।७।५।५) में उल्लिखित  
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया  
है कि 'जो वायु या मरुतों द्वारा वाढ़ में लायी गयी  
हो' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मरुवर्द्धन  
नाम से विख्यात है तथा चिनाव की सहायक है  
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६);  
भाग० ५।१९।१८; (२) पद्म० (६।२२।४।४  
एवं १९) में कावेरी को म द्वृधा कहा है।

मरुस्थल—(पुरुपोतम के अन्तर्गत) नारद० २।६०।२२ ।

मर्करीतीर्थ—(त्रिपुरी, अर्थात् आधुनिक तेवर, नर्मदा  
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ-  
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित ।

- मलद—(कश्मीर में) पद्म० १।२५।४ ।
- मलन्दरा—(नदी) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध  
अक्षय होता है) ।

मलप्रहारिणी—या मलापहारिणी (वेलगाँव के दक्षिण-  
पश्चिम लगभग २२ मील सहा से निकली हुई नदी)  
आधुनिक मलप्रभा, स्कन्द० (तीर्थसार पृष्ठ ८० एवं  
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ

१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अग्या बोक या अंबलगी या ऐंहील नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐंहील शिलालेख ६३४ ई० का उल्लेख है। परमुराम ने अपनी रचनरजित कुन्हाडी मलप्रभा में धोयो थी। देखिए बम्बई का मग्नेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५।

**मलय**—(भारत के मात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) वन० २८२।४३, ३१३।३२, भीष्म० ९।११, कूर्म० १।४७। २३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), वायु० ४।५।८८, ब्रह्म० २७।१९। रघुवश (४।४५-५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एव चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुवश ४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था।

**मलयज**—पद्म० ६।१२९।१२ (विष्णु एव शिव के तीर्थों में एक)।

**मलयार्जुनक**—(यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत एक तीर्थ) बराह० १५७।१।

**मल्लक**—(गंगा के पश्चिमी तट पर) पद्म० ५।५।७४ (जहाँ सती ने अपने को जलाया था)।

**मलापहा**—(दक्षिण में एक नदी) इसके तट पर मुनि-पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पचलिग महेश्वर' हैं।

**मल्लिकाशय**—(एक बड़ा पर्वत) पद्म० ४।१७।६८।

**मल्लिकार्जुन**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२। १५५।

**मल्लिकेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६।

**महत्कुण्ड**—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ७०)।

**महती**—(पारियात्र में निर्गत नदी) मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५।९७।

**महाकाल**—(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति-लिंगों में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। २४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाबालवन में शिव

एव अन्वामुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म० ४३।६६, स्कन्द० ४।१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) लिग० १।९२।१३७।

**महाकालवन**—(अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५।

**महाकाशी**—वामन० (ती० कल्प० पृ० २३९)।

**महाकूट**—(श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० ७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह सदेहात्मक है कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाडिया पर मन्दिरा का समूह है, जिसे आज भी महाकूट कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ वातापी एव इबल नामक दो राजस भाई मारे गये थे। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है।

**महागङ्गा**—अनु० २५।२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), वि० घ० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलव-नन्दा माना है)।

**महागौरी**—(विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य० ११४। २८, वायु० ४५।१०३।

**महातीर्थ**—कूर्म० २।३७।१२।

**महानदी**—(१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा में बटव के पास बहती हुई बगाल की खाड़ी में गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २।३५।२५। ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र से निकलती है, (२) (गंगा के अन्तर्गत नदी, सम्भवत फल्गु) पद्म० १।३।८।४, वायु० १०। १६-७, ११०।६, अग्नि० ११५।२५, वन० अव्याय ८४, (३) (द्रविड देश में) भाग० १।१।५।४०।

**महानन्दा**—(बगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास हिमालय से निकली हुई और भालवा जिले में गंगा से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल मग्नेटियर, जिल्द २०, पृष्ठ ४१३-४१४। (पूर्वार्ध जिले के अन्तर्गत)

**महानल**—(मुच्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गौ० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११६।१।

**महानाद**—मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल-  
दायक है।

**महापद्मनाभ**—(कश्मीर में एक झील) नीलमत०  
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और  
चीड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूख झील है।  
देखिए राज० ४।५९१, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ  
दुष्टपडंगुलनाग की गाथा है। बुहलर कृत 'कश्मीर  
रिपोर्ट' पृष्ठ ९-१०।

**महापाशुपतेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

**महापुर**—(एक तीर्थ) अनु० २५-२६।

**महावल**—(१) (सतारा जिले में महावलेश्वर)  
पद्म० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० धार० ए०  
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महावलेश्वर  
माहात्म्य का वर्णन है; (२) (गोकर्ण का  
महावलेश्वर) देखिए कदम्बरराज कामदेव का गोकर्ण  
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७,  
पृष्ठ १५७)।

**महावोधि तरु**—(बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे  
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५।३७,  
मत्स्य० २२।३३, नारद० २।४५।१०३, वायु० १११।  
२६, वायु० अ० १११ के श्लोक २८-२९ इस तरु को  
सम्बोधित हैं। पद्म० (६।११७।२६-३०) ने बतलाया है  
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य  
एवं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० वरुआ  
('गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु०  
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए  
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का  
उल्लेख है। और देखिए कनिष्क का 'महावोधि'  
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख  
(८५० ई०) में उल्लिखित महावोधि की चर्चा पृष्ठ  
३ में की गयी है।

**महाभैरव**—(आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८।१-  
२९, कूर्म० २।४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ०  
२५०)।

**महामुण्डा**—(वाराणसी के अन्तर्गत)। लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ५६)।

**महामुण्डेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ५६)।

**महासद्र**—मत्स्य० २२।३४।

**महालक्ष्मेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० कल्प०, पृ० ६९)।

**महालय**—वन० ८५।९२ (दानं दद्याद् महालये), वि०  
व० सू० ८५।१८, मत्स्य० १८।१२५, कूर्म० २।२।३३  
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ  
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की), पद्म० ५।११।१७,  
ब्रह्माण्ड० ३।१३।८२-८४, वामन० ९०।२२, पद्म०  
१।३७।१६।

**महालयकूप**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ६३)।

**महालय लिंग**—(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३,  
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और  
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है)।

**महावन**—(मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह०  
१५३।४०, १६।१।८। आधुनिक महावन वस्ती यमुना  
के बायें किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना वचपन  
यहीं बिताया था।

**महावेणा**—पद्म० ५।११।२७।

**महाशाल**—मत्स्य० २२।३४, पद्म० ५।११।२७।

**महाशालनदी**—मत्स्य० २२।४२।

**महाश्रम**—वन० ८४।५३, पद्म० १।३२।१७।

**महाशोण**—(शोण भद्र) सभापर्व ०।२।७।

**महासर**—महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६)।

**महास्थल**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४।०।२२।  
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अर्कस्थल, वीरस्थल, कुश-  
स्थल तथा पुण्यस्थल।

**महीसागरसंगम**—स्कन्द० १।२।३।२६।

**साहिष्मती**—(नर्मदा पर) पाजिटर ने इसे ओंकार  
मान्वाता (नदी द्वीप) तथा हालदार आदि ने महेश्वर  
कहा है। मान्वाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से

मन्त्रित है। उद्योग १९।२३-२४, १६६।४, अनु० २।६, पञ्च० २।९२।३२, ६।११५।४, भाग० ९।१५।२२ (महामातृजुन ने रावण को बन्दी बनाया था)। महाभाष्य (निल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रसिधौ माहिष्मत्या मूर्धोद्गमन सम्भावयने), पाणिनि (३।१।२६) के वार्तिक १० पर। मुत्तनिपात (एस०वी०ई०, जिल्द १०, भाग २ पृष्ठ १८८) में आया है कि दावरी के सिध्द बुद्ध ने मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अठक के पवित्राण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहम्मनी का। दणिए डा० फ्रीट का 'महिसमण्डल ऐण्ट माहिष्मती (जे० आर० ए० एम०, १९१०, पृष्ठ ४२५-४४७) एव मुद्रनु का वकीनी दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिद १९ पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं शताब्दी का है।

**महाह्वद**—(वदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, अनु० २५।१८ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २४५ २४६)।

**मही**—(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान् नदियां म एन) मिश्रिन्द प्रश्न (संकेड बुक आर दि ईस्ट, निल्द ३५ पृष्ठ १७१ म चर्चित), मही पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण म उल्लिखित है, (२) (गालियर रिदामन म निदला हुई और स्वमात के पास दत्तागामिन्व ममुद्र म गिरनवाली एन नदी) मन्द० १।२।३।०३ १।२।३।४३ ४५ एव १२५-१२७ वन० २००।०३ माकण्डय० ५।१।१९ (पारि यात्र म निकरी हुई) यह गणना पृष्ठ १०३ को माकिन्वएव परिप्लम की गई है।

**महेन्द्र**—(यह एन पर्वत है ता गया या उदिया के मुता स छेकर मधुरा तक फैला हुआ है) भाष्य० ९।११, उद्योग० ११।१२, मत्स्य० २२।४४, पञ्च० १।३९।१४ (इन पर परशुगम का निवास था), वन० ८५।१६, भाग० ५।१९।१६ वाम० १३।१४ १५, ८३।१०-११, कूर्म० १।४।३।३-२४ (वाइस्पय मूय ३।१२४ व मत से यः शास्त्र क्षण है)। गणान द्विजे म लयभग ५००० फुट ऊँचा महेंद्रगिरि का एक शिखर है। रामा० (१।६७।३७) म आया है कि यही से हनुमान् कूदकर लका में पहुँचे थे। पाजिटर (पृ० २८४) का कथन है

कि यह गंगादावरी एव महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का एक भाग और बरार की पहाडियों के रूप में है। किन्तु यह कथन सदेहात्मक है। रामा० (४।४।१।१९-२१) न पाण्ड्यरवात के पदचात् महेन्द्र का उल्लेख करके इसे ममुद्र में प्रवेश करते ए व्यजित किया है, किन्तु भाग० १०।७।१।११-१२ ने इसे गया के पदचात् और सप्तगोदावरी, वेणा एव पम्पा के पहले लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका उल्लेख है (वार्पस इन्सक्रिप्सनम् इण्डियेन्सम्, जिल्द ३, पृ० ७)।

**महेश्वरधारा**—वन० ८४।१।७, पञ्च० १।३।३।३।

**महेश्वरकुण्ड**—(लोहागल के अन्तर्गत) बराह० १५।१६७।

**महेश्वरपद**—पञ्च० १।३।३।३६, वन० ८४।१।९।

**महोदय**—(सामान्यत इसे कर्तज कहा जाता है) वाम० ८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एव २११)। इसे कुसास्यल भी कहा जाता था, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ २८ एव ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय ने महोदय का नाश किया था, किन्तु गुजर प्रतीहार भागदेव के बराताम्रपत्र में (८३६-७ ई०) महोदय का स्वल्पावार (मुद्गशिबिर) कहा गया है और वही कान्यकुब्ज को पृथक् रूप से व्यक्त किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दाना एव नदी हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७)।

**मातृगिरि**—(मलय के पास) वाम० ८३।१६।

**मागधारण्य**—कूर्म० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५।

**माठरवन**—(पयोष्णी के पास) वन० २।८।१०, वायु० ७७।३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३।

**मागिन्वैश्वर**—(कदमीर में) पञ्च० ६।१७।६।८०।

**माण्डव्य**—(एक तीर्थ जहाँ दन्वी को माण्डव्या कहा गया है) मत्स्य० १३।४२।

**माण्डव्येश**—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० वल०, पृ० ११९।

मातलीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ७६) ।

मातंगक्षेत्र—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) ।

माता—गल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का वर्णन है ।

मातृगृह—(जहाँ श्राद्ध से आनन्द्य प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७६ ।

मातृतीर्थ—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, पद्म० १२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११२।१ ।

माधवतीर्थ—(श्रीशैल पर) पद्म० ६।१२९।१२ ।

माधववन—मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही जाती है) ।

मानस—(१) (हिमालय में एक झील जो कैलास के उत्तर एवं गुरला मान्वाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० १२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० ७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे) । देखिए 'कैलास' के अन्तर्गत । स्वेन हेडिन ने 'ट्रांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में लिखा है—'पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो हीरों के बीच वैदूर्यों (हरे रत्नों) का गुम्फन है।' मानस झील समुद्र से १४,९५० फुट ऊँची है; (२) (कुब्जाप्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के पश्चिम) वराह० १५४।२५; (४) (गंगा के उत्तर प्रयाग के पास) मत्स्य० १०७।२; (५) (कश्मीर में आधुनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८।५५, कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।८, पद्म० १२१।८; (७) (गया के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) वायु० १११।२, ६, ८ एवं २२ ।

मनुलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प० पृ० ११४) ।

मानुप—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १२६।६०-६३, वाम० ३५।५०-५७ ।

मायापुरी—(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ (यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, वायु० १०४।७५, गरुड० १।८।१।७, स्कन्द० ४।७।११४ (केचिद्वचुर्ह्रिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वारं च केप्याहुः केचिन्मायापुरं पुनः ॥) । माया नन्दादिगण में आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात तीर्थ-नगरियों में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोयुलो (मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया-पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐं० जि०, पृष्ठ ३५१-३५४ ।

मायातीर्थ—(कुब्जाप्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) वराह० १२५।११०, १२६।३३ ।

मास्तालय—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० १।१८।८१ ।

मार्कण्डेयतीर्थ—(१) (गोमती एवं गंगा के संगम पर वाराणसी जिले में) वन० ८।४।८१, पद्म० १।३२।-४१-४२। प्रो० आर्यगर (ती० कल्प०, पृ० २९१) का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगम पर है, ठीक नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४५।१ ।

मार्कण्डेयहृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषतः चतुर्दशी पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० २।५५।२०-२२ ।

मार्कण्डेयेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।५५।१८-१९ ।

मारीचेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ७१ ।



**मार्जार**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।१९।  
**मार्तण्ड**—(कश्मीर के सूर्य का मन्दिर) इस्लामावाद के उत्तर-पूर्व पंचमील दूर आधुनिक मार्तन या मटन। इसका विख्यात नाम 'बवन' (भवन) है। यहाँ से कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर सोमा दृष्टिगत होती है। ८वाँ शताब्दी के पूर्वाध मे राजा ललितादित्य द्वारा निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है। इस मन्दिर की अनुकथा के अनुमार विमला एव कमला नामक दा धाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ एव जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट तीर्थों मे गिना जाता रहा है।  
**मार्तण्डपादमूल**—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ १६६)।  
**माला**—(नदी) सभापर्व २०।२८।  
**मालार्क**—(साभ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) पदम० ६।१४१।१ एव १४२।१।  
**मालिनी**—(नदी, जिम पर वण्वाधम या) आदि० ७०।२१ एव ७२।१०। हेनसांग के मत मे इसी नदी पर राहिलखण्ड के पश्चिम मे भडावर नामक जिला अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०।  
**माल्यवान्**—(तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) रामा० ३।४९।३१, ४।२७।१-४ (इमके उत्तर प्रख्रवण नामक गहरी गुफा मे राम ने बर्षा ऋतु मे चार मार्गों तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ (चित्रिन्धा से बहुत दूर नहीं)।  
**माल्यवती**—(चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८।  
**मासेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।७७।  
**माहेश्वर**—(नर्मदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास आज का नगर) मत्स्य० १८८।२, पद्म० १।१५।२। इन्दी० गजे० (जिल्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह प्राचीन माहिष्मती है।

**माहेश्वरपुर**—(जहाँ वृषभध्वज अर्थात् शिव की पूजा होती थी) वन० ८४।१२९-१३०।  
**मित्रपद**—(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११।  
**मित्रवन**—(उड़ीसा मे कोणार्क या साम्बपुर) स्वन्द० प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं—मित्रवन, मुण्डीर एव साम्बादित्य)।  
**मिनावरुण**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४७)।  
**मिनावरुणयोराधम**—(कारपवन के पास यमुना पर एक नदी) राव्य० ५४।१४-१५।  
**मिरिकावन**—(भिकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२।  
**मिथक**—(कुहशेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।८५-८६, (ध्यास मे यहाँ सभी तीर्थोंको मिला दिया) वन० ८३।९१-९२, मम्मवत पाणिनि (६।३।११७) का कोटरादिगण मिथक वन की ओर संकेत करता है।  
**मिनाक्षी**—(मदुरा मे मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भागवत० ७।३८।११।  
**मुकुटा**—(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४।२६, १३।५०, (यहाँ देवी 'मत्स्यवादिनी' के रूप मे पूजित होती है)।  
**मुक्तिक्षेत्र**—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।१०५।  
**मुक्तिमान्**—(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या यह शुक्तिमान् का नामान्तर है?)।  
**मुक्तिस्थान**—(मथा—त्रयाग, नैमिः, कुहशेत्र, गंगादाय, कान्ची, त्रियम्बक, सप्त-गन्धावर आदि २६ हैं) स्वन्द० (काशीखण्ड ६।२१-२५)।  
**मुचुकुन्द**—(मदुरा के अन्तर्गत) बराह० १५८।२८।  
**मुचुकुन्देश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११४)।  
**मुजवान्**—(हिमालय की श्रेणी मे एक पर्वत) आश्वमेधिक पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० २।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते है और जहाँ से शैलद शील एव शैलदा नदी निकलती है), मण्ड० २।३।१३ (मन्दर के उत्तर में)।

**मुंजवट**—(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन०  
८५।६७, पन्न० १।३९।६३।

**मुण्डपृष्ठ**—(१) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित एक पहाड़ी) कूर्म० २।३७।३९-४०, नारद० २।४५।९६, अग्नि० ११।५।२२ एवं ४३-४४, वायु० ७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।११०-१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) नीलमत० १२४७-१२५४।

**मुण्डेश**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

**मुर्मुरा**—(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में एक) वन० २२२।२५।

**मूजवान्**—(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०।३४।१) में सोम के पीवै को मीजवत कहा गया है और निरुक्त (१।८) ने व्याख्या की है कि मूजवान् एक पर्वत है जिस पर सोम के पीवै उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में मूजवत् आया है और तक्म (रोग के एक दुष्टात्मा) से मूजवान् एवं वासिहक के आगे चले जाने को कहा गया है। अथर्ववेद (५।२२।५) में 'मूजवतः' आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कोई पर्वत है।

**मूलापी**—(तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल मुल्ताई से, जो मूलापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) मत्स्य० २२।३३ (मूलापी पर्योष्णी च)। मुल्ताई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक ग्राम है और इसमें एक पवित्र तालाव है जिससे तापी निकली है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १८, पृष्ठ २१।

**मूलस्थान**—(आधुनिक मुलतान) मल्लों की प्राचीन राजधानी। ऐ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०-२३६। इसके कई नाम थे, यथा—काश्यपपुर, साम्ब-

पुर, प्रहलादपुर, आद्यस्थान (अलवरूनी—शची १।२९८)।

**मूली**—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११।४।३१।  
**मृगकामा**—(मानस झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

**मृगधूम**—(यहाँ छद्रपद है) पन्न० १।२६।९४, वन० ८३।१०१ (यह गंगा पर है)।

**मृगशृंगोदक**—(वाग्मती नदी पर) वराह० २।५।६४।  
**मृत्युञ्जय** (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४।२।६।

**मेकल**—(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नर्मदा को मेकलकन्यका कहा जाता है।

**मेकला**—पन्न० ५।११।३४ (क्या यह नदी है?)।

**मेकला**—रामायण ४।४।१।९, बाहं० सू० १।४।७ एवं १६।२ में यह एक देश कहा गया है।

**मेघकर**—मत्स्य० २२।४०, पन्न० ५।११।३४।

**मेघनाद**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पन्न० २।९२।३१।

**मेघङ्कर**—(प्रणीता नदी पर एक नगर) पन्न० ६।१८।१।५।

**मेघराव**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पन्न० १।१७।४।

**मेखला**—(मेघंकर नगर का एक तीर्थ) पन्न० ६।-१८।१।६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता है कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है)।

**मेघातिथि**—(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३।

**मेघावन**—पन्न० १।३९।५२ (श्राद्धस्थल)।

**मेघाविक**—वन० ८५।५५।

**मेरुकूट**—नृसिंह० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५)।

**मेखर**—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १।४।३२-३५।

**मेहल्लु**—(नदी) ऋ० १०।७।५।६ (क्रुमु की एक सहायक)।

**मंत्रेयीलिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५७)।

**मंनाक**—(१) (वदरी के पास एक पर्वत) वन० १३९।१७, १४५।४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के पास पश्चिम का पर्वत) वन० ८९।११; (३) (सर-

स्वनी के पास पर्वत) कूर्म० २।३७।२९। दे (पृष्ठ १२१) एव प्रो० आयगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए पांडितर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मंनाक नामक तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं।

मोक्षकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११२)।

मोक्षराज—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।२५।

मोक्षतीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६१ (ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ १०१)।

मोक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

मोदागिरि—(पर्वत) समापर्व ३०।२१।

य

यक्षतीर्थ—आगे चलकर इसका नाम हसनीय हो गया। बराह० १४४।१५५-१५६।

यक्षिणी-सागम—(मोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।१।

यज्ञ—वन० ८२।१०६।

यज्ञबराह—याज्ञपुर या जाज्ञपुर में, जा उडीसा में वैतरणी पर है, बराहदेव का विख्यात मन्दिर है।

यन्त्रेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०।१।

यमतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, २।४१।८३, (२) (मोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२५।१ एव १३१।१, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६।

यमलार्जुनकुण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० कल्प०, पृ० १८७)।

यमभ्यस्तक—(काकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।५५।

यमुना—(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५।

५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, अ० १९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनन कहा है।

यमुनाप्रभव—(यमुनातटी) कूर्म० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड० ३।३१।७१ (जहाँ गर्म एव शीत जल की धाराएँ हैं)।

यमुनातीर्थ—शाल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६।

यमुनासंगम—बराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का पूरा वर्णन किया है।

यमुनेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ६६); (२), बराह० (मयुरा के अन्तर्गत) १५४।१२।

ययातिपुर—(आधुनिक याज्ञपुर) उडीसा में वैतरणी नदी पर। ऐ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को याज्ञपुर कहा गया है जो सन्वेहात्मक है।

ययातिपत्तन—वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८।

ययातीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ११५)।

यक्षतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८।

यष्टि—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

दे (पृष्ठ २१५) का बयन है कि यह खेठिया है जो गया के तटोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है।

याज्ञवल्क्यलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ४७ एव ८८)।

यायाततीर्थ—(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० ३९।३६, (२) (वारा० के अन्तर्गत) शाल्य० ४१।३२, पद्म० १।३७।९।

युगन्धर—(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में एक माना है, (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) के मत से, वाम० ३४।४७। बार्ह० सू० (३।२।१९) ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम से वर्णित किया है।

योगीतीर्थ—(सूकर के अन्तर्गत) बराह० (ती० व०, पृ० २१०)।

योनिद्वार—(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४।९४-९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६-७७।

र

- रथचक्र**—(एक तीर्थ) पद्म० ६।१२९।९।
- रयस्था**—(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण (६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जित्द ३, पृ० ९६ ने रयस्था नदी का उल्लेख किया है। वन० (१७०।२०) ने रयस्था को गंगा, यमुना एवं सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती के पहले वर्णित किया है। रथाख्या नदी बाहं० सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० १७०।२०।
- रत्नेश्वर लिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १६५।
- रत्नुक**—(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं ३३।२।
- रत्नुकाश्रम**—(सरस्वती पर) वाम० ४२।५।
- रम्भालिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० १९५)।
- रम्भेश्वरलिङ्ग**—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४६।३९।
- रविस्तव**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९।
- रसा**—(एक नदी) ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में मिलती है। ऋ० १०।१०।८।१ से प्रकट होता है कि यह अन्तःकया सम्बन्धी नदी है। टामस महीदय ने इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जित्द १५, पृष्ठ १६१)।
- राघवेश्वर**—मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल प्राप्त होते हैं)।
- राजखड्ग**—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३।१।११६ एवं १२४।
- राजगृह**—(१) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी) वन० ८।४।१०४, वायु० १०।८।७३ (पुण्यं राजगृहं वनम्), अग्नि० १०९।२०, नारद० २।४७।७४, पद्म० १।३।२२। देखिए एं० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं इम्पी० गजे० इण्डि० (जित्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ इसके चतुर्दिक् की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह ११३

- गिरिज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम से जरासंध की राजधानी थी। (२) (पंजाव में) पद्म० १।२।१३ (यह एक देवीस्थान है)।
- राजावास**—(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित विष्णुतीर्थ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७।
- राजेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६।
- राधाकुण्ड**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६।३४।
- रामगिर्याश्रम**—गर्ह० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ (रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व २८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राजधानी से दो मील दूर है)।
- रामगुहा**—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०।
- रामजन्म**—(सरक के पूर्व में) पद्म० १।२६।७६।
- रामतीर्थ**—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।१६-१८, मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक में) वन० ८५।४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव राम ने वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञों में कश्यप को पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जित्द १६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० २।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८।४।७३-७४, पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० १२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म० १।३९।१४।
- रामलिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ११३)।
- रामसर**—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१४-१८ (एक कोस के विस्तार में)।
- रामहृद**—(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० ८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८।५।५३, पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३-८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम ने अपने रक्तरजित हाथों को धोकर कठिन तपस्या

की थी) भाग० १०।८४।५३। इसे चक्रवीर्य भी कहा जाता है।

रामाधिवास—(यहाँ का श्राद्ध एव दान अनन फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५३।

रामेश्वर—(१) (ज्योतिर्लिङ्गा में एक जिने स्वयं राम ने स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूर्म० २।३०। २३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप धुल जाता है), मरु० १।८।१।९। देखिए नीर्यसार, पृष्ठ ४७, जिने विष्णु०, कूर्म० एव अग्नि० से वचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन द्वीप में स्थित है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थली में है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३-१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का सक्षिप्त वर्णन है, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ (स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था)।

रावणेश्वरतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२६, (२) (वाराण के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ९८)।

रक्षिमणिकुण्ड या रक्षिमकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।५७, अग्नि० ११६।५।

रक्षिकेश्वरक—लिङ्ग० १।९२।१६७।

रक्षकन्या—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।७६।

रक्षकर—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११।

रक्षकर्ण—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१।२५।

रक्षकर्णहृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१५।

रक्षकोटि—(१) (कुशक्षेत्र एव सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।५१, पद्य० १।२५। २५-३०, कूर्म० २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनियों की पराजय के लिए एक करोड़ रुद्राष्ट्रतियाँ धारण की), (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१।२५, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१३।१२, वन० १७।३०३, मत्स्य० १८६।१६-१७।

रक्षगया—(कोन्हापुर के पास) पद्य० ६।१७६।४१।

रक्षपर्व—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६४-६७,

अग्नि० ११५।४८; (२) (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत), पद्य० १।२६।९४।

रक्षप्रयाग—(गढ़वाल जिले में मन्दाकिनी एव अलब नन्दा के मगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृष्ठ ३३८।

रक्षमहालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० वल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० वल्प०, पृ० २५०)।

रक्षमहालयतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६। १३९।१।

रक्षवास—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० वल्प०, पृष्ठ ६२)।

रक्षवर्त—(मुगन्या के पदवात्) वन० ८४।३७।

रक्षलण्ड—(पालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १।४५। १०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है।

रूपधारा—(इरावती पर विष्णु की आठुति) वाम० ९०।५।

रेणुकातीर्थ—वन० ८२।८२, पद्य० १।२४।३० एव २७।४७। दे (पृ० १६८) का कथन है कि यह पञ्जाब में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन सिरपुर रियासत की राजधानी था।

रेणुकाष्टक—(सरस्वती पर) वाम० ४१।५।

रेणुकास्थान—(देवी के स्थानी में एक) देवीभागवत ७।३।८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परदुराम पर)।

रेतोदक—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीर्थ-कल्प०, पृ० २३०)।

रेवतीसगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२।१। २ एव २२।

रेवन्तेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० वल्प०, पृ० ९६)।

रेवा—(नर्मदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय।

रैवतक—(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) आदि० २१।८।८ (प्रभास के पास) एव अध्याय २१९ (वृष्ण्यन्धको द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), रामा-

पर्व १४।५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ (वस्त्रापथ में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात् आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा वहा दी गयी, अपेक्षाकृत समीप में थी। पार्जितर महोदय (पृष्ठ २८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में वरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी नदी को वटक के सामने ऊर्जयत् से निर्गत कहा गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ ६४)।

रोधस्वती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

रोहीतक—(पर्वत) सभापर्व ३२।४।

ल

लक्ष्मणतीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १६, पृष्ठ १३१।

लक्ष्मणाचल—नारद० २।७५।७४।

लक्षणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९।६४।

लक्ष्मी-तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३।६७।१।

लपेटिका—(नदी) वन० ८५।१५।

लवणा—(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित पन्नावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती-भाधव, अंक ९, श्लोक २।

लवर्णकतीर्थ—(सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८।

लाविटिका—(चम्पा के पास) पद्म० १।३८।७१।

ललितक—(सन्तनु का तीर्थ) वन० ८४।३४, पद्म० १।२८।३४, नारद० २।६६।३७।

ललिता—(वारा० में) नारद० २।४९।४१, लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ ने उल्लेख किया है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था।

लांगलिनी—(नदी) सभा० ९।२२, मार्कण्डेय ५४।२९ (लांगलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३।१४ (ती० कल्प०, पृ० २३५)। गंजाम जिले का चिकाकोल कसवा, लांगुल्य के वायें तट पर इसके मुख से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १०, पृष्ठ २१७।

लांगली-लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

लांगलतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५१।

लिङ्गसार—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।५१।

लिङ्गी जनादेन—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४८६१।

लोकोद्धार—वन० ८३।४५, पद्म० १।२६।४१।

लोकपाल—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।२८-३१।

लोकपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० १०५)।

लोणारकुण्ड—(विष्णुगया में) पद्म० ६।१७६।४१।

लोणार वरार के वुढाना जिले में नमक की झील है। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस लोणासुर नामक राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने अकवरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु-गया कहते हैं। यह वरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध मन्दिरों में गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैं। यह वैष्णव तीर्थ है। देखिए विक्टर कज़िन्स की पुस्तक 'मिडिएवल टेम्पल्स ऑव दि डक्कन्स' (१९३१, पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का वर्णन है और साथ ही साथ एक झील के चारों

अंत बह्नुन-मे मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है।

लोहारक—(बारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।६८ (बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोहारक पाठ आया है), वायु० १५।५८-५९।

लोहकूट—नारद० २।६०।२४।

लोहनघवन—(भयुरा के १२ वनों में ९वाँ) बराह० १५३।४१।

लोहवण्ड—भत्स्य० २२।६५, वायु० ९०।२९ (यहाँ विष्णु हृत्विंश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है)।

लोहगंगल—(हिमालय में एक विष्णुस्थान) बराह० १४०।५ (यहाँ म्लच्छ राजा रहते हैं), १४४।१०, १५१।१८३। इतिहास ७-८ में आया है कि मिन्दवट से तीस याजन म्लेच्छों का वीच लोहगंगल है। बराह० १५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार २५ याजन है। दक्षिण तीर्थंकर्य०, पृष्ठ २२८-२२९। व (पृष्ठ ११५) ने कल्याण की है कि यह कुभायू का लोहापाट है।

लोहित—(शाल) अनु० १६६।२३, ब्रह्माण्ड० (२।१६-२७) में लोहित का सम्भवत ब्रह्मपुत्र कहा गया है।

लोहित-गणक—(लौहिय) कालिका० ८६।३२-३४।

लौकिक—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३।

लौहित्य—(ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, ७७।९५, मत्स्य० १२१।११-१२ (यह वह नदी है जो हृदयगर्भ पर्यंत के चरण स्थित लोहित धील से निकला है) अनु० २५।४६, पद्म० १।३९।२, वन० ५२।५४, कालिका० ८६।२६-३४। रघुवच (४।८१) से प्रकट होता है कि लौहित्य प्राग्जातिप की परिधमो सीमा पर थी। देखिए तीर्थंकराच, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ महात्म्य वर्णित है। लौहित्य नाम यथावर्तन के गिलाख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता है, देखिए गुप्ता का अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६)।

ष

षडगुल्म—(नर्मदा एवं घोण के उद्गम पर) वन० ८५।९।

षडपरा—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, मार्कण्डेय० ५४।२९ (बगवरा नाम आया है) एवं बराह० ८५ (९४) में 'बगवरा' पडा है। पार्श्वेतर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक बगवरा है, जहाँ विवाकोल में १७ मील दूर वल्गिपत्तनम् अवस्थित है। देखिए सन-बोम्मली नामक इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो वल्गिपत्तन में लिखा गया था (एपि० इण्डि०, मिल्ड २५, पृ० १९४)।

षडमूलक—यस० १।२६।३८।

षडोद्भेद—मत्स्य० २४।२५।

षडु—(आधुनिक आवसत) सभा० ५।१।२० (यहाँ मेंट के रूप में रासम लाये गये थे)।

षड्जरा—(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १५९।४५। यह सम्भवत आधुनिक षड्जरा नदी है जो नान्दवड जिले में गोदावरी में मिलती है।

षड्जरासगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५९।१।

षड्जुला—(१) (नदी, जो सहा से निकलकर गोदावरी में मिलती है) मत्स्य० ११४।२९, वायु० ४५।१०३, वायन० ५७।७६, (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म० २७।३७।

षट—(१) (प्रयाग में) मत्स्य० १०४।१०, १११।१०, (२) (गया में) वि० ष० सू० ८५।५।

षडेश्वर—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९।१२७, कूर्म० २। ४१।१९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० १०९।२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५।७३, पद्म० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) (प्रयाग में) मत्स्य० २२।९; (४) (पुत्री में) नारद० १।१५६।२८।

षड्वा—(इसे सप्तषड भी कहा जाता है) वन० ८२।८९२-९९, २२।२।४, वि० ष० सू० ८५।३७। 'वज्रयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत का तीर्थ है, किन्तु वन० में इसे उत्तर-पूर्व में कहा

है। दे (पृ० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के पश्चिमी तट पर 'वाकू' माना है।

वत्सक्रीडनक—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५६।१।

वज्रभव—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६१  
(जल कौशिकी में जाता है)।

वज्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० १०४)।

वधूसरा—(नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) वन० ९९।६८।

वन्दना—(नदी) भीष्म० ९।१८।

वरणा—(वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) मत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय १३—काशी, लिग० (१।९२।८७), जहाँ 'वरणा' शब्द आया है।

वरणावती—(नदी) अथर्ववेद ४।७।७।

वरदा—(विदर्भ प्रदेश की वर्षा नदी) रामा० ४।४।१९, अग्नि० १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'वरदा-संगम' के अन्तर्गत।

वरदान—वन० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का उल्लेख है)।

वरदासंगम—वन० ८५।३५, पद्म० १।३९।३२।

वराहतीर्थ—(१) (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४।३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वाराण के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएँ यहाँ थीं—नारायण, वामन, राघव एवं वराह); (४) कश्मीर में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या-मलक का एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।३४; (६) (साभ्रभती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५। १०; (७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, कूर्म० २।४२। १४, पद्म० १।२०।७१; (८) (पयोष्णी पर) वन० ८८।७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नृग ने

यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ था)। कूर्म० २।२०।३२, वाम० ९०।४; (९) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ७९।६।

वराहपर्वत—(सम्भवतः कश्मीर का वारामला) विष्णुधर्मसूत्र ८५।६।

वराहमूलक्षेत्र या वराहेश्वर—(कश्मीर में आधुनिक वारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ-स्थल है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० २०।१२०२)।

वराहस्थान—(विष्णु के वराहावतार के लिए तीन स्थल प्रसिद्ध हैं, यथा—कोकामुख, बदरी एवं लोहागल) वराह० १४०।४-५।

वराहेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०कल्प०, पृ० ९८)।

वरुणलोतस—(पर्वत) वन० ८८।१०।

वरुणा—(गोदावरी की एक सहायक नदी)। पद्म० ६।१७६।५९।

वर्णाशा—(बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८। देखिए 'पर्णाशा'।

वर्णु—(नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका में व्याख्या है कि 'वर्णु' पर स्थित देश भी 'वर्णु' है। 'वर्णु' सुवास्त्वादि-गण में आया है (पाणिनि ४।२।७७)।

वरुणेश—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६।

वसिष्ठतीर्थ—मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त फलदायक होता है)।

वसिष्ठाश्रम—(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पृ० २०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वत पर) वन १०।२।३; (३) (बदरीपाचन पर)



- वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में  
 काल्या ने १८८ ब्राह्मणा एव ९ तापमों को सा  
 डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है।
- वसिष्ठेश—**(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०,  
 पृ० ४७)।
- वसिष्ठापवाह—**(नरस्वती पर) दाल्य० ४२।४१।
- वर्धनद्रुम—**(कश्मीर में, विनायक गागेय का एक  
 आयतन) नीलमत० ११६।
- वसोर्धारा—**वन० ८२।७६, पद्य० १।२४।२४ (इसने  
 'वसुवारा' पढ़ा है)
- वस्त्रापयशेन—**(काठियावाड में गिरनार के आस-पास  
 की भूमि) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रमास का  
 सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२-  
 ११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ  
 सुवर्णरेखा नदी है।
- वसुतुंग—**(यहाँ विष्णु को गुप्त उपाधि 'जगत्पति' है)  
 नृसिंह० (ती० व०, पृ० २५१)।
- वाणीश्वरी—**(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।  
 २६।
- वाग्मती—**(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की  
 वाग्मती नदी) वराह० (२१५।४९) का कथन है  
 कि यह भार्गवी से १०० गुनी पवित्र है।
- वाग्मती-मणिवती-सगम—**वराह० २१५।१०६ एव  
 ११०।
- वाटिका—**(कश्मीर में) नीलमत० १४५९।
- वाटोदका—**(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।-  
 ३५।
- वाटनदी—**भक्त्य० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय  
 फल मिलता है)।
- वाणी-सगम—**(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।  
 १ एव २३।
- वातेश्वर—**(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०  
 पृ० ६६)।
- वातेश्वरपुर—**पद्य० १।३८।४६।
- वातिक—**(कश्मीर में) नीलमत० १४५९।
- वातोवका—**(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।५।
- वामन या वामनक—**(बुधदेश के अन्तर्गत) वन०  
 ८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्य०  
 १।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७, (२) (गया के  
 अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (३) (साभ्रमती  
 के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ  
 बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द  
 ५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि  
 जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वपली  
 महाभारत का वामन-तीर्थ है।
- वामनेश्वर—**(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२६।
- वालखिल्येश्वर—**(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 कल्प०, पृ० ६६)।
- वायव्यतीर्थ—**(कुम्भाजक के अन्तर्गत) वराह०  
 १२६।७५।
- वायुतीर्थ—**(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।  
 ३५।५, पद्य० १।३७।५, (२) (मयूरा के अन्तर्गत)  
 वराह० १५२।६५, (३) (गया के अन्तर्गत)  
 अग्नि० ११६।५।
- वालीश्वर—**(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०,  
 पृ० ५१)।
- वाल्मीकेश्वर—**(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 कल्प० पृ० ६६)।
- वाल्मीकि-आश्रम—**(गंगा पर) रामा० ७।४७।१५,  
 ७७। देखिए 'स्वाणुतीर्थ' एव 'तमसा' के अन्तर्गत।
- वानरक—**(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६। यह  
 'वानरके' का अनुद्ध रूप है। सत्ता है।
- वारणेश्वर—**(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२९।
- वाराणसी—**देखिए निम्न अध्याय १३। यद्यपि वारा-  
 णसी एव काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु  
 ऐसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूर्व भाग में  
 एव वाराणसी पश्चिम भाग में है।
- वारिधार—**(पवत) भागवत० ५।१९।१६।
- वारुणतीर्थ—**वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश  
 में) वार्ह० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के विनारा पर)।

- वारुणेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८१६।
- वाव्रघ्नी—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में गिरती है) पद्म० ६१३१५६, ६८, ६१६४१ एवं ७१, मार्क० ५७१९; वायु० (४५१९७) ने इसे 'वृत्रघ्नी' पढ़ा है और ब्रह्म० (२७१२८) ने 'वातघ्नी'।
- वासुक—(उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२१६।
- वासुकीतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० ११३९७९, लिंग० (ती० क०, पृ० ४८); (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५१८६ (इसे भोगवती भी कहा जाता है)।
- वासुकीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)।
- वासुप्रद—मत्स्य० २२१७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद मिलता है)।
- वासिष्ठी—वन० ८४४८, पद्म० ११३२१२ (दोनों में एक ही श्लोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्' पाठ आया है)।
- वाहा—वामन० ५७१७८।
- वाहिनी—भीष्म० ९१३४।
- वासिष्ठकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१। ४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २७४।
- विकीर्ण तीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१३३३७।
- विजय—(एक लिङ्ग) मत्स्य० २२१७३, कूर्म० २१३५१२१।
- विजयेश्वर—(कश्मीर के परगने वुलर में आधुनिक विजबोर) ह० चि० १०१९१-१९५ (इसे यहाँ महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और विश्ववती दक्षिण की ओर।
- विजयलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११२)।
- विजयेश—(कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० ११३८, स्टीनस्मृति पृ० १७३—कश्मीर के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील से कम ही दूर है।
- विजयेश्वर—(१) (कश्मीर में) राज० ११०५ एवं ११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७६)।
- विज्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४३)।
- विटङ्गा—(नर्मदा के साथ संगम) पद्म० २१९२-२३।
- वितंसा—(हिमालय से निकलने वाली दस महान् नदियों में एक) मिलिन्द-प्रश्न में उल्लिखित (एस० वी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१)। दे (पृ० ४२) ने विना किसी तर्क के इसे वितस्ता कह दिया है।
- वितस्ता—(कश्मीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम से प्रसिद्ध है) ऋ० १०१७५१५, देखिए 'कश्मीर' एवं 'तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन० ८२१८८-९० (वितस्ता तक्षक नाग का घर है), १३९१२०, कूर्म० २४४१४, वामन० ९०१७, नीलमत० ४५१३०५-३०६ (उमा वितस्ता ही गयीं), ३०६-३४१। शंकर ने अपने त्रिशूल से एक वितस्ति अर्थात् वारह अंगुल का छेद कर दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता नाम पड़ा। राज० (५१९७-१००) में आया है कि स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान् अभियन्ता (इन्जीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में वितस्ता का वहाव एवं सिन्धु से इसके मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एवं जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्प्लुएन्स आव दि वितस्ता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन का मत खण्डित किया गया है।

विनस्ता-गम्भीरा-संगम—स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं ११०।

विनस्ता-मधुमती संगम—नीलमत० १४४२।

वितस्ता-सिन्धु-संगम—(मतभेद के रूप से अत्यन्त पुनीन) राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत० ३९४-३९५। इन दार्जी नदियों का संगम कश्मीर के लोणा के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग का संगम।

वितस्तात्र—(कश्मीर में वेरीनाग घाटा के उत्तर-पश्चिम में एक मील दूर विष्वक्तुर नामक घाटा) राज० १।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने यहाँ बहून-में स्तूप बनवाये थे। जनश्रुति है कि इस घाटा से वितस्ता की मुख्य घाटा निकली है। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२।

विदर्भासंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ एवं २२, हेमचन्द्र की अभिघानचिन्तामणि (पृष्ठ १८०) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक नाम है।

विदिशा—(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २।३।०९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, मार्क० ५।४।२०। देखिए 'वेजवर्ती' आगे, (२) रघुवज (१।५।३६) में अग्नि एक नगर (राम ने मनुष्य के पुत्रों, शत्रुघ, तीस एव मुवाहु को मधुरा एव विदिशा की नगरियाँ दीं), मेघदूत (१।२८) के अनुसार विदिशा दशार्ण देश की राजधानी थी। मारुविकामिनित्र (५।१) में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द का उभयंगन कर रहा था और आगे चलकर कहा गया है कि वैदिसम्ब (वैदिशा का अर्थ है विदिशा पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्पमित्र ने पत्र भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि बुद्धराज द्वारा दिये गये बडनेर के दानपत्र (वैदिश-वामनाद् विजय-स्वन्वावासात्, एपि० इण्डि०, जिन्द १२, पृ० ३०)।

विद्यापद—(गण्डकी एव शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५। ६२।

विद्यातीर्थ—(इमे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८।५।५२, पद्म० १।३०।१६।

विद्यापरेदवर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। ११, पद्म० १।३०।१४।

विद्वर—(पर्वत) देवल (ती० व०, पृ० २५०)। क्या यह विद्वर है?

विद्येदवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ४९)।

विद्योदवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११६)।

विनसान—(जहाँ अम्बाला एव सरहिन्द की विशाल मरुभूमि में सरस्वती अन्तर्हिता हो जाती है) यह नाम ब्राह्मण युग में विश्वान या, वन० ८२।१११, १३०।३-४, मत्स्य० ३७।१ (गूद्राभीरात् प्रतिद्वेषाद् यत्र नष्टा सरस्वती), कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९। मनु० (०।२१) ने इसे मध्य देश की पूर्वी सीमा माना है। देवल(ती० कल्प०, पृ० २५०) ने इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा-माप्य (जिन्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर एव जिन्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) ने इसे 'आदर्भ' कहा है और आर्षावर्त की पूर्वी सीमा माना है। वासिष्ठा (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदर्भ को एक जनपद कहा है। विनसान की वास्तविक पहचान अज्ञात है, जैसा कि ओल्डम ने कहा है, किन्तु ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरमा से बहुत दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० ५२)।

विनायक-कुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।

विनायकेदवर—(वारा० के अन्तर्गत) स्वन्द० ४।३३। १२६।

विण्ण्य—(भारतवर्ष की सात महान् पर्वत श्रेणियों में एक) वन० ३।३।२, नीलमत० ९।११, वायु० ७।३।३४, मत्स्य० १३।३९, भाग० ५।१९।१६। यह टर्मी (पृ० ७३) का ओदण्डयन है।

विन्ध्यवासिनी—(देवीस्थान) मत्स्य० १३।३९, देवी-  
भाग० ८।३।८।

विप्रतीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७।१ एवं  
३३ (नारायण भी कहा गया है)।

विपाशा—(पञ्जाब में विपाट्ट या व्यास नदी, यूनानी  
लेखकों की हेफसिस या हिपिसिस) ऋ० ३।३३।११३,  
४।३०।११। निरुक्त ९।२६) ने ऋ० १०।७५।५ की  
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में  
उर्ज्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जकीया कहलायी  
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बाँधकर इसमें  
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के  
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि  
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ  
इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७।१-५) ने  
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर  
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा  
शब्द आया है)। (अनु० (३।१२-१३) ने भी इस  
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण  
२।६८।१९, वायु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३०।

विमल—(कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध  
वारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर।

विमल—वन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के  
रंगों वाली मल्लिय्याँ पायी जाती हैं), पद्म० १।२४।  
३५ (दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमला—(एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती  
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पापों  
को नष्ट करती है)।

विमलाशोक—वन० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३  
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमलेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०,  
पृ० ५६)।

विमलेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०।  
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूर्म० २।४।१५ एवं  
२।४।२६, पद्म० १।१७।११; (२) (सरस्वती  
के अन्तर्गत) वाम० ३।४।१५, पद्म० ६।१३।१५०।

विमोचन—वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९।

विभाण्डेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ११५)।

विरज—(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुर्विक् की  
भूमि) वन० ८५।६; (२) तीर्थेन्दु शेखर (पृष्ठ  
६) के अनुसार यह लोणार देश एवं झील है जो वारा  
में बुलडाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा  
के पास सह्य पर्वत पर) ब्रह्म० १६।३।

विरजमण्डल—(ओड़ देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म०  
२।११-२।

विरजतीर्थ—(उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन०  
८५।६, पद्म० १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यह  
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा  
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९  
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५७।  
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के  
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है।

विरजा—(उड़ीसा में नदी) कूर्म० २।३५।२५-२६,  
वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।

विरजाद्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०६।८५ (इसी  
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी)।

विह्वाक्ष—(१) (हर्षी) पद्म० ५।१७।१०३, स्कन्द०  
ब्रह्मखण्ड ६२।१०२; (२) (वारा० के अन्तर्गत)  
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)।

विशल्या—(१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नर्मदा  
के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य-  
करणी भी कही जाती है), कूर्म० २।४०।२७, पद्म०  
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

विशालयूप—(कुशक्षेत्र के पास) वन० ९०।१५,  
१७७।१६, वाम० ८।१९, नृसिंह० ६५।१४ (विष्णु  
का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश है)।

विशाला—(१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए  
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिधानचिन्ता-  
मणि में आया है—'उज्जयिनी स्याद् विशालावन्ती  
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (वदरी के पास आश्रम)

वन० १९१२५, १३९१११, अनु० २५१४४, भाग० ५१४५, १११२९१४७, (३) (गया के अन्तर्गत) वाम० ८११२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५५४, पद्य० ११३८३३।

विशालाक्ष्य वन—मार्क० १०६१५७ (कामरूप के एक पर्वत पर)।

विशालाक्षी—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११५)।

विशोका—(कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेगन, नीलमत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२१३५। नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका वन गयीं, नीलमत० (३८१) का कथन है कि यह विजात्रोर के नीचे वितस्ता वन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकली कोण्डिनो नदी का संगम विशोका से हुआ है।

विश्रान्तितीर्थ—(१) (यमुना का पवित्र स्थल, घाट) बराह० १६३११६२, १६७११, पद्य० ६१२०९१५ यमुना के तट पर जहाँ वृष्णद्वाराकर्म मारा गया था, (२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था)। पद्य० ६१२०९११-३ एव ५।

विश्वकाय—पद्य० ६१२२९१८।

विहंगेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० ११२१११।

विहार तीर्थ—(मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२११०।

विश्वकर्माश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५५)।

विश्वपद—(एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२१३५।

विश्वमुख—(जालन्धर पर तीर्थ) देखिए 'जालन्धर' के अन्तर्गत एक पद्य० ६१२२९१२६।

विश्वरूपक—पद्य० ६१२२९११४ (सम्भवतः मयापुरी के)।

विश्वरूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० ११३७१२।

विश्ववती—(यह विशोका ही है) ह० चि० १०११९२ (यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)।

विश्वान्वी—भाग० ५११९११८।

विश्वामित्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

विश्वामित्रतीर्थ—(१) वन० ८३१३३९, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९३१४ एव २७ (जहाँ राम ने विश्वामित्र का सम्मान किया), पद्य० ११२७२८।

विश्वामित्रा नदी—वन० ८९१९, भीष्म० ९१२६।

विश्वामित्र महानद—(पंजाब में) नीलमत० १५१।

विश्वामित्राश्वन—रामा० ११२६१३४।

विश्वेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

विश्वेश्वर—(१) (वाराणसी के पाँच लिंगों में एक) कूर्म० ११३२११२ एव २१४१५९, पद्य० ११३४११०, नारद० २१५११४; (२) (गिरिकर्ण में) पद्य० ६१२२९१०१।

विषयप्रस्थ—(पहाड़ी) वन० ९५१३ (सम्भवतः गोमती के पास)।

विष्णुगया—पद्य० ६११७६१४१ (जहाँ लोणारकुण्ड है)।

विष्णुकाची—पद्य० ६१२०४३०।

विष्णुवंकमण—(द्वारका) बराह० १४९१८० (ती० कल्प०, पृष्ठ २२७)।

विष्णुतीर्थ—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०१७१-७४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११ ९९, कूर्म० २१४१५२ (यह योवीपुर विष्णुस्थानम् है), पद्य० १११८१९४ (योवीपुर), (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३६११ एव ४१ (मोद्गल्य नाम भी है)।

विष्णुधारा—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०१७१।

विष्णुतीर्थ—(धनुवचन, कुल १०८) पद्य० ६१२२९१५-३६।

विष्णुपद—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३११०३, १३०८, नीलमत० १२३१८, (२) (निषध पर्वत पर एक झील) ब्रह्माण्ड० २११८६७, वायु० ४७१६४, (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० बी० वनर्जी का ग्रन्थ पाल्श आवबगाल (मेमायर्स आव ए०

एस० वी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।४२।

विष्णुपदी—(गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह विष्णु के चारों ओर से निकली है) भाग० ५।१७।१।

अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है।

विष्णुसर—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।२४; (२) (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० १४७।४३।

वीरपत्नी—(नदी) ऋ० १।१०।४।

वीरप्रमोक्ष—वन० ८४।५१, पद्म० १।३२।१४ (सम्भवतः भृगुलिंग के पास)।

वीरभद्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

वीरस्थल—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१४ एवं १६०।२०।

वीराश्रम—वन० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं)।

वृत्रघ्नी—(पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, मार्क० ५४।१९। दे (पृष्ठ ४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक नदी है।

वृत्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ ९६)।

वृद्धकन्यातीर्थ—(मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ विवाह किया) शल्य० ५।११-२५, देवल० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थों में एक)।

वृद्धपुर—(जहाँ शनैश्चर की एक झील है) पद्म० ६।३४।५३-५४।

वृद्धासंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०७।१।

वृद्धविनायक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

वृन्दावन—(मथुरा के वारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० १।३३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३।४५, १५६।६ (यहाँ पर केशी राक्षस मारा गया था), भाग०

१०।११।२८ एवं ३६, १०।२०, १०।२।१५ एवं १०, पद्म० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), ४।८।१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ (जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), ब्रह्मवैवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०।४-२२) में बताया गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ऐ० जि० ने एरियन के किलशोवोरस की पहचान इससे की है।

वृषध्वज—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, लिंग० १।९२।१०६, नारद० २।५०।४८।

वृषभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ४३)।

वृषभञ्जक—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३३।

वृषाकप—(गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८।

वेगवती—(आधुनिक बैंग या बैंग, जिसके तट पर दक्षिण में मथुरा स्थित है) वराह० २।५।५८, वाम० ८४।६, पद्म० ६।२३।७। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के शंकराचार्य को दिया गया था। इसका 'वैगाई' रूप शिलप्पदि कारम् (प्रि० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ २७०) में मिलता है।

वेङ्कट—(द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले का एक पर्वत) गरुड़, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 'वेंकटगिरिमाहात्म्य' है, भाग० ५।१९।१६, १०।७९।१३ (द्रविड़ में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वैष्णवखण्ड (वेंकटाचल माहात्म्य)। यह तीर्थ इतना पवित्र माना जाता है कि १८७० ई० तक तिरुमल पहाड़ी पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की अनुमति नहीं थी।

वेणा—(१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वैन-गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा-

बलेश्वर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) इम्पी० गजे० इण्ड० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द १३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत में वेनगंगा वर्षा में मिलती है और वेनगंगा एव वर्षा की मम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्ड०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, भीष्म० ९१२०१२८, वन० ८५१३२, ८८१३, २२४१२४, अनु० १६१५२०, भाग० १०७९११२। वेणा अधिकतर कृष्णवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, जैसा कि मत्स्य० (११४१२९) में। रात्रेश्वर ने अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एव कृष्णा-वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं शताब्दी)। देखिए पार्लिंटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है।

वेणासंगम—वन० ८५१३४, पद्य० ११२९१३२।

वेणी—(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव का वनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्ड०, जिल्द २, पृष्ठ २९७ एव ३१०), जयचन्द्र का कमीली का दानपत्र (एपि० इण्ड०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, लेख की तिथि ११७३ ई०), (२) (सह्य पर्वत में एक आश्रित वृक्ष के चरण से निकली हुई एव कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) तीर्थमार, पृष्ठ ७८।

वेण्या—(सह्य पर्वत से निकली हुई एव कृष्णा में मिलनेवाली एक नदी) वाम० १३३०, अनु० १६५१२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा नद्यापि च), भाग० ५११९१८, पद्य० ६११३१२५ (महादेव वेण्या हों गये)।

वेणुमती—यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। मत्स्य० २२२०।

वेतसिका—(नदी) वन० ८५१५६, पद्य० ११३२१-२०, ४१२९१२० (इसने वेतगी-वेतवती-संगम कहा है)।

वेतवती—(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की तरफ में निकली और यमुना में मिल जाती है) मत्स्य० २३१२०, ११४१२३ (पारियात्र में निर्गत),

ब्रह्माण्ड० २११६१२८ (ऋक्षवान् से निकलती है), कुर्म० २१२०३५; मेघदूत (१२४) का कथन है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की राजधानी थी, वेतवती पर स्थित है; (२) (साभ्रमती की सहायक नदी) पद्य० ६११३० एव १३३१४-५। मिलिन्द-प्रश्न (एस० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस नदियों का नाम है, उनमें वेतवती भी एक है। यह उपयुक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी।

वेदगिरि—(ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी एव कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थमार पृष्ठ ७८।

वेदधार—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१२०।

वेदशिरा—(श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० २२१७१।

वेदवती—(पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य० ११४१२३, ब्रह्माण्ड० २११६१२७, ब्रह्म० २७१२९, अनु० १६५१२६। इस और निम्नोक्त नदियों की पहचान नहीं हो सकती है। वेदवती या हृषरी नामक नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्ड०, जिल्द १३, पृ० ५१।

वेदश्रुति—(कौसल के पश्चात् दक्षिण में एक नदी) रामा० २४९११०।

वेदस्मृति—(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु० १६५१२५, मत्स्य० ११४१२३, वायु० ४५१९७, ब्रह्माण्ड० २११६१२७। वे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह भालवा में बौमुली नदी है और सिंध की महापक है, वहाँ से सू० (१६१३२) ने इसका उल्लेख किया है।

वेदीतीर्थ—(श्लोक १ में देवीतीर्थ) पद्य० ११२६१२१।

वेदेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ४४)।

वेकुष्ठ-कारण—(मन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४३४ २१-२३।

वेकुष्ठ-तीर्थ—(१) (गंगा के अन्तर्गत) मत्स्य०

३२।७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२।

वैजयन्त—(एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्थ-कल्प०, पृ० २५०)।

वैतरणी—(१) (उड़ीसा में बहनेवाली एवं विन्ध्य से निर्गत नदी) वन० ८५।६, ११४।४, वायु० ७७।९५, कूर्म० २।३७।३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३। जाजपुर (यया-तिपुर) इस नदी पर है जो बालासौर एवं कटक की सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २२३)। कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्-पृथक् माना गया है (ब्रह्म० ४७।७ एवं रघुवंश ४।३८)। 'उत्कल' को 'उत्कलिंग' (जो कलिंग के बाहर ही) से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) (वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७; (३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, पद्म० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)।

वैदर्भा—मत्स्य० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण-सरस्वती)। सम्भवतः यह वरदा नदी है।

वैदूर्य—(आनर्त में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।-१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर आये थे)। पाणिनि (४।३।८४) ने 'वैदूर्य' नामक मणि (रत्न) का 'विदूर' से निकलना माना है (तस्मात्प्रभवति)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३१३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें आया है कि वैयाकरण लोगों ने 'बालवाय' नामक पर्वत को 'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, है जिसमें वैदूर्य की खान थी। देखिए पार्जिटर पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी का 'ओरोदियन' पर्वत हो।

वैद्यनाथ—(१) मत्स्य० १३।४१, २२।२४, पद्म० ५।१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४); (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१;

(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी-भाग० ७।३८।१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति-लिङ्गों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव-मन्दिरों में सबसे प्राचीन है।

वैनायकतीर्थ—मत्स्य० २२।३२, गरुड़० १।८।१।८।

वैमानिक—अनु० २५।२३।

वैरा—(नदी) मत्स्य० २२।६४।

वैरोचनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।

वैवस्वततीर्थ—(सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।-२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), अनु० २५।३९।

वैवस्वतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०४)।

वैशाख—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१५६ (जिसे विशाख अर्थात् स्कन्द ने स्थापित किया)।

वैश्रवणेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१४८।

वैश्वानर-कुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१।५८।

वैहायसी—(नदी) वन० १९।१८।

वैहार—(गिरिव्रज को घेरनेवाली एवं रक्षा करनेवाली पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२।

व्याध्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७, लिंग० १।९२।१०९, नारद० २।५०।५६।

व्यासकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८६)।

व्यासतीर्थ—(१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वायु० ७७।६७, पद्म० १।१८।३७; (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५।८।१।



ध्यासवन—(मिश्रक के पास) पत्र० ११२६।८७।  
 ध्याससर—वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।  
 ध्यासस्थली—(जहाँ पर पुत्र के खोजने से व्यास ने मरने  
 का प्रग किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४,  
 पत्र० ११२६।९०-९१।

ध्योमगङ्गा—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७।  
 ध्योमतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) पत्र० १।३७।१४।  
 ध्योमलिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।५२।  
 १६१।

द्वज—(नन्द-गोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए  
 'गोकुल' ऊपर।

श

शंकुकर्ण—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१।२७;  
 कूर्म० १।३१।४८, पत्र० १।२४।१८।

शंकुकर्णेश्वर—(वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक  
 लिंग) कूर्म० १।३३।४८, लिंग० १।९२।१३५,  
 नारद० २।४८।१९-२०।

शक्रतीर्थ—(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य०  
 २२।७३, कूर्म० १।४१।११-१२, पत्र० १।२४।  
 २९, (२) (कुन्जाप्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।  
 ८१।

शक्रधर—(कोकामुल से तीन कोट दूर) बराह०  
 १४०।६५।

शक्रसर—(सानन्दूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।३३।  
 शक्रवर्त—वन० ८४।२९, पत्र० १।२८।२९।

शक्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
 पृ० ७४)

शंखतीर्थ—(१) (सरस्वती पर) शल्य० ३५।८७,  
 (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।१७ (शंखि-  
 तीर्थ), (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह०  
 ६०।२३।

शंखग्राम—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४८।

शंखलिखितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 क०, पृ० ९३)।

शंखहृद—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५६।१

शंखिनीतीर्थ—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५१।१

शंखेन्द्रार—(कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिमी

भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १।१।३०।१

(वृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में

भयकर लक्षण दृष्टिगोचर हो तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं

बृद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १।३।४८, २२।

६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध

स्थल है, विशेषतः वैष्णवा के लिए। देखिए इग्पी०

गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८।

शचीश्वरलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 क०, पृ० १०५)।

शतकुम्भ—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४।  
 १०, पत्र० १।२८।११ (दीना में एक ही श्लोक  
 है)।

शतद्रु—(सतलज) इसे 'शुतुद्री' भी कहा जाता है।  
 आदि० १।७७।८-९ (श्रुत्याति दी हुई है), मत्स्य०  
 २२।१२, भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने 'शुतुद्री'  
 एवं 'शतद्रु' को पर्यायवाची कहा है।

शतश्रदा—मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त  
 होता है)।

शतशुग—(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)।

शतसहस्रक—(सरस्वती के अन्तर्गत) पत्र० १।२७।  
 ४५, वाम० ४।१३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४।७४  
 (शतसाहस्रक)।

शान्तेश्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 कल्प०, पृ० ६७)।

शारतीतीर्थ—(गोदावरी पर) पत्र० ६।२६९।२७७-  
 २७८।

शम्भलग्राम—ब्रह्म० २।३।१६४ (बल्की विष्णुप्रसा  
 यहाँ जन्म लेंगे और श्लेष्ठा का नाश करेंगे), पत्र०  
 ६।२६९। १०-१२ (शम्भल ग्राम का उल्लेख  
 है), ग ड० १।८।१।६, भाग० १।२।१।८, वायु०  
 ७८।१०४-१०९, मत्स्य० १।४।५१, ब्रह्माण्ड०  
 २।३।१।७६, विष्णु० ४।२।४।९८, इन सभी में बल्की

या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। इम्पी० गजे० आँव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से प्राचीन ढूँह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं।

**शरविन्दु**—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६६-३४।

**शरभंगकुण्ड**—(लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५१-४९।

**शरभंगाश्रम**—वन० ८५।४२ एवं ९०।९, रामा० ३।५।३, पद्म० १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ (सुतीक्ष्णाश्रम के पास)।

**शरावती**—(सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म० १।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शारादीनां च) को यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के टीकाकार) ने 'शरावत्यास्तु योऽवधेः' की टीका में उद्धृत किया है—'प्राग्दञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो-वके यथा। विदुषां शब्दसिद्धयर्थसा नः पातु शरावती ॥' डा० अग्रवाल ने (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती है (घग्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश के काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती है जो समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास गिरती है, जिस पर मेरुस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। रघुवंश (१५।९७) में शरावती राम के पुत्र लव की राजधानी कही गयी है।

**शशयान**—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।११४-११६, पद्म० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्डुलिपियों में 'शशयान' पाठ आया है।

**शशाकेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९७)।

**शाकम्भरी**—(१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर और जोधपुर रियासतों की सीमा पर पश्चिमी राजस्थान में है) वि० ध० सू० ८५।२१; विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा पर साँभर नाम का कसबा है जो प्राचीन है और चौहान राजपूतों की राजधानी था; (२) (हिमालय के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० ८४।१३, पद्म० १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ देवी ने एक सहस्र वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर मत्तों का जीवन व्यतीत कराया था)।

**शाण्डिली**—(कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५।

**शाण्डिली-मधुमती-संगम**—नीलमत० १४४६।

**शाण्डिल्येश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६८)।

**शातातपेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९२)।

**शारदातीर्थ**—(कश्मीर में) मत्स्य० २२।७७, राज० १।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यह है और किसनगंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका द्योतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद्ममती नदी के किनारे है जो दार्द देश से आती है, और यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी पर हिलने लगता है।

**शार्दूल**—बाहं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव क्षेत्र है।

**शालग्राम**—(गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र स्थान) वन० ८४।१२३-१२८, विष्णु० २।१२४, २।१३।४ (राजर्षि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव

के भवन थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३३३, (शालग्राम में उमा महादेवी बही गयी) २२।६२, पद्म० १।३।४८, बराह० १४।३ एव १४ (यहाँ के ममी पाराण पूज्य हैं, विरोपत जिन पर चक्र का चिह्न रहता है), श्लोक २९ में आया है—'शालग्राम पर्वत विष्णु हैं', श्लोक १४५ में आया है—'यह देववाट भी कना जाता है' यह विस्तार में १२ योजन है (श्लोक १५९)। शालग्राम के प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहाश्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन० ५।८।४।२०८-१२८, बराह० (ती० व०, पृ० २१९-२२१)।

शालग्रदुर्देश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ४८)।

शालग्रामगिरि—बराह० १४।३ एव २९।

शालिग्राम—(वही जो ऊपर है) कूर्म० २।३।३७, नृसिंह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में आये थे)।

शालिसूर्य—वन० ८३।१०७, पद्म० १।२६।१०० (एक तीर्थ जो मन्मथन शालिहोत्र द्वारा स्थापित था)।

शालूकिनी—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, महाभाष्य (जिल्द १ पृ० ४७४ वार्तिक २ पाणिनि २।५।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है।

शाल्विकिनी—(सम्भवत ऊपर वाला तीर्थ) पद्म० १।२६।११।

शाल्वित्तीयं—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८२, पद्म० १।२०।७८।

शिखा—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११।४।२४, वायु० ४।५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थल हैं और अकीर्तिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी

है और ऐसा विश्वास है कि कुछ निरिक्त कालों में यह रूप के माय बटनी है। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १९६) में भी इसका उल्लेख किया है।

शिका—(नदी) ऋ० १।१०।४।३ (जिम्में कुयव की दोनो पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी)।

शिलाशेखर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ४६)।

शिलातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।२।

शिवकांची—(दक्षिण भारत के वाजीवरम् में) पद्म० ६।२०।४।३०।

शिवघार—मत्स्य० २२।४९।

शिवनदी—नृसिंह० ६५।२३ (ती० व०, पृ० २५३)।

शिवसरस्वती—वाहं० सूत्र (३।१२२) के अनुसार यह एक शंख क्षेत्र है।

शिवहृद—ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।

शिवोद्भेद—(जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त भरस्वती पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म० १।२।५।१९।

शुकस्थाश्रम—वन० ८।५।४२, पद्म० १।२९।३९ (दोना में एक ही श्लोक है)।

शुकेश्वर—(गोवर्ण के उत्तर) बराह० १७।३।९।

शुक्तिमती—(नदी, चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा अवबद्ध) भीष्म० ९।२५। देखिए दे (पृ० १९६) जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७।३२) एव मत्स्य० (११।४।१०१) का कथन है कि यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क० (५।७।२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है।

शुक्तिमान्—(भारत के मात महान् पर्वतों में एक, यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४।३९, वायु० ४।५।८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग० ५।१९।१६। देखिए डॉ० वी० सी० लाइट 'माउन्टेन्स ऐण्ड रीजन ऑफ इण्डिया' (डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स बलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०-२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। यह पर्वत प्रमुख सात पर्वतों में सबसे बम प्रसिद्ध

है और इससे निकली हुई नदियां बहुत कम हैं तथा उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। देखिए डा० राय चौधरी का 'स्टडीज' आदि, पृ० ११३-१२०।

**शुक्रतीर्थ**—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० ९५-१, मत्स्य० २२।२९।

**शुक्रेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१५, लिंग० १।९२-९३, नारद० २।५०।६३।

**शुक्लतीर्थ**—(भड़ोच से १० मील उत्तर-पूर्व नर्मदा के उत्तरी तट पर) कूर्म० २।४१।६७-८२, मत्स्य० १९२।१४, स्कन्द० १।२।३।५। देखिए गत अव्याय का प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजर्षि चाणक्य का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के मन्वन्ध के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, पृ० ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ राजर्षि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख है)।

**शुण्डिक**—(कश्मीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९।

**शुद्धेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १२२)।

**शुद्रोत्री**—(पंजाब की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की शतद्रु) ऋ० ३।३३।१, १०।७।५। यह यूनानी हुपनिय या हुफसिस (ऐं० इण्डि०, पृ० ६५) है जो कि भारत में सिकन्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर (पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से बहती थी जो आजकल हक्र या 'घगर' नाम से प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० मील दक्षिण है।

**शुष्कनदी**—(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) मत्स्य० १८२।६२, लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

**शुष्केश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

**शूर्पारकतीर्थ**—(वेसइन के पास आधुनिक सुपारा) वन० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८।१२ (यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० ४९।६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र से पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०, हरिवंश, विष्णु पर्व० ३९।२९-३१ (अपरान्त में शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, भाग० १०।७९।२०, ब्रह्म० २७।५८ (अपरान्त देशों में शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक अभिलेख, संख्या १० में 'शोर्पार' शब्द आया है (बम्बई गजे०, पृ० ५६९ जि० १६); नानाघाट अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू० आई०, जिल्द ५, पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, सम्पादक काँवेल) में आया है कि भ कच्छ एक बन्दरगाह था और उस देश का नाम भर था। यह सम्भव है कि ओल्ड टेस्टामेण्ट का 'ओफिर' शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। ऐं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर (वाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में) सौवीर का देश है न कि शूर्पारक का, जैसा कि बहुत से विद्वान् कहते हैं। टालेमी ने इसे 'सौपारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान् कहते हैं कि ओफिर टालेमी का ऐंवीरिया अर्थात् आभीर है (पृ० १४०)। देखिए जे० आर० ए० एस्०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० वी० वी० आर० ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी हुई है।

**शूलघात**—(कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्तर्गत।

शूलभेद—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३, कूर्म०  
२।४१।१२-१४, पद्म० १।१८।३।

शूलेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०,  
पृ० ५२)।

शृंगतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३१।

शृंगवेरपुर—या (सुगिरेर) वन० ५०।६५, पद्म०  
१।३९।६१, रामा० २।११२।२२, ६।१२६।४९,  
अग्नि० १०९।२३। यहाँ पर अयोध्या से वन को  
जाते समय राम ने गया पार की। यह आज का  
सिगरीर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम  
२२ मील दूर गया के बायें किनारे है।

शृंगादशेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।-  
९२।१५५।

शृषा—(नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।३२।

शैपतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१५।१।

शैलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।८६,  
वराह० २।१६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द०  
६।३।३३५।

शैलेश्वराश्रम—वराह० २।१५।५७ एवं ८३-८४।

शैलोदा—(नदी, जो अरुण पर्वत को शैलोद शील में  
निकलती है) वायु० ४७।२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२।  
देखिए दे, पृष्ठ १७२।

शोग—(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो  
पुराणा के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से  
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गया से  
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद),  
१।४।२५, ब्रह्म० २७।३०, वायु० ४५।९९, ब्रह्माण्ड०  
२।१६।२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोना' एव  
एरियन का 'सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नर्मदा  
अमरकण्ठक पहाड़ी से निकलती है, निकली है।  
देखिए एं० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसने  
और गया के सगम का वर्णन है, और देवल—नि०  
सि० १।१०—'घोण-सिन्धु-हिरण्याख्या कोक-लोहित-  
धर्मरा । पतद्गुह्य नदा सप्त पावनाः पत्किरीतिता ॥'

यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लोहित  
ब्रह्मपुत्र है।

शोण-ज्योतीरण्या-संगम—वन० ८५।८, पद्म० १।३९।-  
८। वि० घ० मू० (८५।३३) शोण-ज्योतिपाश्र्वम  
में आया है किन्तु इसकी टीका वंजयन्ती ने टिप्पणी  
की है कि यह शोणज्योतीरण्या है।

शोणप्रभद—(प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।-  
९।

शोणितपुर—(वाणामुर की राजधानी, जहाँ उपा ने  
साय कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी  
बनाया गया था) ब्रह्म० २०६।१, हरिवंश, विष्णु-  
पर्व १२।१९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि  
यह कुमायूँ में आज भी इसी नाम से है, और भी  
बहुत से स्थल वाणामुर के शोणितपुर के समान बहने  
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वापरा  
से ११,००० यात्रन दूर है। भविष्य० (कृष्णजन्म-  
खण्ड, उत्तरार्ध १।४।८४७) ने शोणितपुर को  
वाणामुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता-  
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ग भी  
कहा जाता था।

शौनवेश्वरकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
व०, पृ० १२२)।

शौर्षारक—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्यारक।

शमशान—(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य० १८४।१९।

शमशास्त्रमन्—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
व०, पृ० ५४)।

श्यामाया आश्रम—जनु० २५।३०।

श्येनी—(ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य०  
१।४।२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड  
की वेन नदी कहा है।

श्रावस्ती—(अवध में राप्ती के किनारे सहैत महेत)  
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लव की राज-  
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है,  
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं एं०  
जि० पृ० ४०९। रघुवंश (१।५।९७) में श्रावस्ती

लव की राजधानी कही गयी है। देखिए मार्गल का लेव, जे० आर० ए० एम्०, १९०९, पृ० १०६६-१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। डॉ० स्मिथ (जे० आर० ए० एम्०, १८९८, पृ० ५२०-५३१) ने श्रावस्ती को महेन महेत न मानकर नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। ब्रह्म० (७।५३) में आया है कि इनका नाम ब्रह्माकु कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है।

श्रीकुञ्ज—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१९, वन० ८३।१०८।

श्रीकुण्ड—वन० ८२।८६. (अब इनका नाम लक्ष्मी-कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिंग० (ती० क०, पृ० ६२)।

श्रीक्षेत्र—(जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय में सविस्तर लिखा गया है।

श्रीनगर—(१) (कश्मीर की राजधानी है) इसका इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी का निर्माण किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कनिषम (ऐं० जि० पृ० ९३) ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से तीन मील ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित आधुनिक पन्द्रेयान नामक गाँव के पास माना है। पन्द्रेयान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तख्त-ए-सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी का निर्माण कराया। ह्वेनसांग ने इस नयी नगरी (प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'वील' का लेख, वी० आर० डब्लू० डब्लू०, जिल्द १, पृ० ९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, पृ० ९५-९६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल-वरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि अधिष्ठान (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान)

श्रीनगर के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के बायें किनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक वस्ती है) पृ० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पृ० २००।

श्रीपर्णा—(यहाँ दान अत्यंत फलदायक होता है) मत्स्य० २२।४९।

श्रीपर्वत—(या श्रीगंगल) (१) (कुर्नूल जिले में कृष्णा म्टेयन से ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर बहुत-से लिंग हैं जिनमें प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिंग० १।९२।१५५) भी है जिगन्ती गणना १२ ज्योतिर्लिङ्गों में होती है। लिंग० (१।९२।१४७-१६६) में कुछ ज्योतिर्लिङ्गों का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ महादेव उमा के साथ विराजते हैं), वायु० ७७।२८, मत्स्य० १३।३१ (यहाँ देवी 'भाधवी' कही गयी है), १८।१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), १८।७९ (रुद्र द्वारा जलाया गया वाणासुर का एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्म० १।१५।६८-६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), अग्नि० १३।३४ (गीरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप धारण करके तप किया था)। पाजिटर (पृ० २९०) ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म० २।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर धार्मिक आत्मघात की अनुमति है), पद्म० १।३९।१७, ४।२०।१५ (योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है)। वार्ह०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का त्रिकुल्ल दानपत्र है)। नागार्जुन कोण्डा के तीसरी शताब्दी के शिलालेख में श्रीपर्वत का उल्लेख है (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० १ एवं २३); (२)

(वाराणं मे एक लिंग) अग्नि० ११२।४, (३)  
(नर्मदा के अन्तर्गत) अग्नि० ११३।३।

धोपतितीर्थ—(यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७४।

श्रोतीर्थ—(वाराणं के अन्तर्गत) वन० ८३।४६, कूर्म० १।३५।८, पद्म० १।३७।८।

श्रीमादक—(कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७।

श्रीमुख—(गुहा) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६०)  
(वाराणसी के अन्तर्गत)।

श्रीरंग—(आधुनिक श्रीरंगम् जो त्रिचिनापल्ली से दो मील उत्तर कावेरी एवं कोलरुन के मध्य में एक द्वीप है) मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) माग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९, बार्ह० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह 'चिलप्प-दिवारम्' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, पृ० १६३) में वर्णित है। विशिष्टाईतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। देखिए इषी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १०७-१०८ अहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रगनाथ स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया गया है।

श्लेष्मतिकवच—(हिमालय पर) बराह० २१।४।२४-२६, २१।५।१२-१३ एवं ११।५। ६ (पृ० १८८) का कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में पद्मपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर है। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण'।

दवाबिल्लोमापह—वन० ८३।६१।

श्वेततीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४।१।

श्वेती—(सिन्धु नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) ऋ० १०।७।५।६। इसे सुवासुनु कहना कठिन है।

श्वेतेश्वर—(वाराणं के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ९९)।

श्वेतयावरी—(नदी) ऋ० ८।२६।१८।

श्वेता—(नदी जो साभ्रमती में मिलती है) पद्म० ६।३३।१९-२०।

श्वेताद्रि—(पर्वत) पद्म० ६।२८०।१९, मत्स्य० ११३।३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है)।

श्वेत द्वीप—गण्ड० १।८।१।७, कूर्म० १।१।४९, १।४९।४०-४७, वाम० २।५।१६ एवं ६०।५६, शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से प्रयोगों में स्त्री के दधि के उत्तर में यह एक अनुक्यात्मक देव है।

श्वेतमाषव—नारदीय० २।५।५।३०।

श्वेतोद्भव—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५।

शङ्गुल—(कश्मीर में एक नाग का स्थान) नीलमत० ११३३-११४०।

शष्टि-हृद—अनु० २।५।३६।

स

संयमन—(भयुरा के अन्तर्गत) बराह० १।५।३।३।

संसारभोक्षन—(यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता है) मत्स्य० २२।६७।

संकुणिका—वाम० (ती० क०, पृ० २३६)।

संगमन—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० १।४।९।४।१।

संगमनगर—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० (ती० व०, पृ० २२६)।

संगमेश्वर—(१) (वाराणं के अन्तर्गत) नारदीय० २।५।०।६३-६४, (२) (साभ्रमती एवं हरितमती के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१, (३) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १९।१।७४, कूर्म० २।४।१।३६, पद्म० १।१८।५३, (४) (गंगा और यमुना के संगम पर) लिङ्ग० १।९।२।८।

सपरेश्वर—(वाराणं के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ५१)।

सत्यवती—(यह कौशिकी नदी होगी) वायु० ९।१।८।८।

सदानीरा—(नदी) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का कथन है—'आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उभड़ती-धुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर

भी यह सदानीर बनी रही।' नागण ने सदानीरा को करतोया कहा है। भीष्म० (१२४ एवं ३५) ने दोनों को भिन्न माना है। नभा० (२०।२७) ने संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में है किन्तु ब्रह्म० (२७।२८-२९) का कथन है कि यह पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु० (४५।१००) में आया है कि करतोया ऋध श्रेणी से निकलती है। पारिजट (मार्क० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया को एक दूसरी का पर्याय माना है।

सनकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सनक—यम० (ती० क०, पृ० २४८)।

सनकुमारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सनवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सन्ध्या—(१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, राज० १०३, देखिए 'त्रिसंध्या'; (२) (मालवा की सिन्धु नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० ९।२३, पद्म० १।३९।१; (३) (एक नदी जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्म० १।३२।१६।

सन्ध्यावट—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३।

सन्निहिता—(वह भूमि जो कुक्षेत्र से अधिक विस्तृत है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने 'सन्निहत' पड़ा है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत झील है और ये चार झीलें हैं; सन्निहत, सन्निहत्या, सान्निहत्य एवं सन्निहता।

सन्निहती—(कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुक्षेत्र का दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुक्षेत्र का एक अन्य नाम है। श्लोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ यहाँ पर प्रति मास-अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं।

पद्म० १।२७।७७-७८, वाम० ४१।९ एवं ४५।२९, अग्नि० १०९।१५।

सन्निहृत्यस्तर—(कुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६, ४८।२३, ४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वैतवन के पास)।

सन्नीति—(कुक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता है यह सन्निहती ही है)।

सप्तकोटीश्वर—ती० प्र०, पृ० ५५७ जिसने स्कन्द० अध्याय ७ को उद्धृत किया है।

सप्तगंगा—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्म० १।२८-२९। सात गंगाएँ ये हैं—गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नर्मदा। नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं—भागीरथी, पावनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु एवं वंशु।

सप्तगोदावर—वन० ८५।४४, वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्म० १।३९।४१, ४।१०।८।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९, स्कन्द० ४।६।२३। देखिए राजा यशःकर्ण का खँरहा दानपत्र (१०७१-ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० २०५) जहाँ सातों धाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख (प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये हैं—कश्यप, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि एवं वसिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ मिलती है।

सप्तचरतीर्थ—देखिए 'वडवा'।

सप्तधार—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१६ ('सप्तसारस्वत' के समान)।

सप्तनद—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं मानसे वा विशेषतः)।

सप्तपुष्करिणी—(कश्मीर में थिद पर सात धाराएँ) स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४।४५) ने इसे 'सप्तकुण्ड' कहा है। आदने अकवरी (जिल्द २,



पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है—'यिद वे गांव मे एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएँ मिलती हैं।'

सप्तधि—वि० ध० मू० ८५।३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे मतारा माना है।

सप्तधिकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) बराह० १५।१४६ (जहाँ हिमालय से सात धाराएँ गिरती हैं)।

सप्तसागर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३६।

सप्तसामुद्रक—(कुन्जाम्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।९१।

सप्तसामुद्रक कूप—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१२।

सप्तसारस्वत—(कुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मक्कक ने अपने हाथ का कुश की नौको से छेद डाला था और जब उसमें वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो व हर्षान्कुल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, शन्य० ३८।४-३१ (जहाँ सावा नाम वणिग है), कूर्म० २।३५।४४-७६ (मक्कक की गाथा), पद्म० १।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मक्कक की गाथा), नारद० २।६५।१०१-१०४ (सावा नदिया के नाम दिये गये हैं)।

सप्तवती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सप्तज्ञा—(मव्विला नामक नदी) धन० १३।४।३९-४०, १३।५।० (जहाँ इन्द्र वृषभ के पाप में मुक्त हुए थे)। सप्तज्ञा नाम इसलिए पडा क्योंकि यह टेढ़े अंग का गमान बनाती है। अष्टावक के अङ्ग इसमें स्नान करने में मीचे हुए थे।

सप्तपचक्र—(यह कुक्षेत्र है) आदि० २।१-५ (क्षत्रिया के रक्त में बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र सरोवरा में परिवर्तित हो गये थे) शन्य० ३७।४५, ४७।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म० ४।७।७४ ('स्यमल' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० ३।४७।११ एव १४, वाम० २७।२० ('स्यमल'), ५१-५५ (मर को मनिहिन कहा गया है जो चारा

ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) के अनुसार यह पाँच योजन है।

समुद्रकूप—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०। समुद्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० १०५)।

समस्रोत—(मन्दारके अन्तर्गत) बराह० १४३।२४-२६।

सम्मूर्तिक—(वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १।३।७६।

सम्पौठक—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।३७।

संबतक—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६।

सधर्तवापी—वन० ८५।३१, पद्म० १।३९।२९।

सवर्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ९९)।

सविद्यतीर्थ—वन० ८५।१, पद्म० १।३९।१।

सरक—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, पद्म० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३।

सरस्तम्भ—(देवदाह वन के पास) अनु० २५।२८।

सरयू—(नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १।०।६।९ (सरस्वती, सरयू एव सिन्धु एक साथ वर्णित हैं)। इन ऋचाओं में 'सरयू' शब्द आया है, किन्तु मरुतुत साहित्य में 'सरयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य० २७।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, रघुवन १३।९५ एव १००)। मत्स्य० (१२।१।१६-१७) एव ब्रह्माण्ड० २।१८।७०) में आया है कि सरयू वैश्वतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० २।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० ४५।९४)। इसका जल 'मारव' कहलाता था (वाग्विवा, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है—'मरवा भव मारवम् उदकम्')। चुल्लवग (एम्० वी० ई०, जिन्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की पाँच बड़ी नदिया में व्यवहृत है, किन्तु दिल्ली-प्रश्न में यह दस बड़ी नदिया में एक बड़ी गयी है (किन्तु दाना स्थानी पर इसका नाम 'मरमू' है)। देविए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह विष्णु के बायें अंगुठे से निकली हुई है और पर्यं

में मिलित कही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 'सखोज' है। इसे वाधरा या पर्वर भी कहा जाता है।

**सरस्वती**—(आधुनिक सरगुति) वह नदी जो ब्रह्मसर ने निकलती है (शल्य० ५११९ के मत से), बदरिकाश्रम से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० ३२।३-४ के मत से)। पद्य० ५।१८।१५९-१६० (सरस्वती से कहा गया है कि वह वायुव अग्नि को पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके फलस्वरूप सरस्वती अन्तर्हित हो गयी)। वाम० (३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने पर इनमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तर्हित हो गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह शूद्रों, निपादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्तर्धान होने के उपरान्त यह चमसोद्भेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई पड़ती है। सरस्वती कुक्षेत्र में 'प्राची सरस्वती' कहलाती है (पद्य० ५।१८।१८१-१८२)। देखिए विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१)। वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए ओल्डम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० ४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी जो अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों से बहती हुई कच्छ के रत्न में समा जाती है। देखिए 'प्रभास' के अन्तर्गत।

**सरस्वती-अरुणा-सङ्गम**—वन० ८३।१५१, कूर्म० २। ३०।२२, शल्य० ४३।३१ एवं अ० ४४।

**सरस्वतीपतन**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।२०।  
**सरस्वती-सागर-संगम**—वन० ८२।६०, पद्य० १।२४।९, वाम० ८४।२९।

**सर्करावर्ता**—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

**सर्गचिन्दु**—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।२३।

**सर्वतीर्थ**—पद्य० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, सर्वतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करते हैं)।

**सर्वतीर्थेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १३४।

**सर्वहृद**—वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है)।

**सर्वात्मक**—(कुञ्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। ३७।

**सर्वायुष**—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।५६।

**सह्य या सह्याद्रि**—(भारत के सात प्रमुख पर्वतों में एक) ब्रह्म० १६।१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० ३।५६।२२, अग्नि० १०।९।२१।

**सहस्रकुण्ड**—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५४।१, (तीर्थसार, पृ० ५९)।

**सह्यामलक**—देखिए 'आमलक'।

**सह्यारण्य**—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

**सहस्राक्ष**—मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फलदायक होता है।

**साकेत**—(अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है—'यह मार्ग साकेत को जाता है', पुनः आया है—'यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; 'अरुणद् यवनः साकेतम्'), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर है। सुत्तनिपात (एस० वी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्वेनसांग ने 'विसाख' कहा है। देखिए एं० जि०, पृ० ४०१-४०७। रघुवंश (१३।७९, १४।१३२, १५।३८) ने

सानेत् एव अयोध्या को एक ही माना है। काशिका (पाणिनि ५।१।११६) ने लिखा है—'पाटलिपुत्रवत् सानेत्ते परिखा', जिससे प्रकट होता है कि ७वीं शताब्दी में सानेत्त का नगर चौड़ी खाई के साथ विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से सानेत्त, कोसला एव अयोध्या पर्याय है।

**सामलनाथ**—(श्यामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पद्य० ५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महींकण्ठ एजेन्सों के सामलाजी कहा है।

**सानन्दुर**—वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एव मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे की और कुछ क कथनानुसार ताम्र या सीसा या पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

**सानेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ६६)।

**सामुद्रक**—(ब्रह्मावत के पास) वन० १८।४।४।

**सान्धपुर**—(१) (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० ३७। ५५ (कुलेश्वर नाम भी आया है), (२) (चन्द्र-भगा के विनारा पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म० १४०।-३। यह आज का मुरतान है।

**सामुद्रतीर्थ**—(गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७२।१-२०, जिसके लगभग १० दशक तीर्थसार (पृ० ६३-६४) द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्धृत है।

**साभ्रमती-सागर-भगम**—पद्य० ६।१६६।१।

**साभ्रमती**—(आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की पहाड़िया से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है) माधरमती का मूलिक नाम 'श्वभ्रवती' है, इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४। पद्य० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के उपनीचों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के २-६ तक वे दत्तात्रा में इनकी गात धारात्रा का उल्लेख है, यथा साभ्रमती, सेटीका (श्वेतका),

बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), वेत्रवती (आधुनिक वानक) एव भद्रमुखी।

**सारस्वत**—(१) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है मत्स्य० २३।६३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।-१२, पद्य० १।३७।१५।

**सारस्वत-तीर्थ**—शत्यू० ५० (अस्ति, देवल एव जैगी-पव्य की गाथा), ५१ (सारस्वती से सारस्वत का जन्म, जिन्होंने ऋषिया को १२ वर्ष के दुभिस में वेद पढाये थे)।

**सारस्वत-लिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।-१३४।

**सावर्णीश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६०)।

**सावित्री**—(नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एव कोलाबा जिले की सीमा बनाती है) पद्य० ६।११।२८।

**सावित्रीतीर्थ**—(गमंडा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।-६, कूर्म० २।४२।१९, पद्य० १।२।१६।

**सावित्रीपद**—(गया के अन्तर्गत) वन० ८।१९३।

**सावित्रीश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०)।

**साहस्रकतीर्थ**—वन० ८।३।५८, पद्य० १।२७।४६।

**सिंह**—चाहें० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक वैष्णव क्षत्र है। सम्भवत यह विजयापट्टम (आधुनिक विशालापत्तन) के उत्तर-पश्चिम नृसिंहावतार का सिंहावलम्बु मन्दिर है। देरिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३७५।

**सिंहशेखर**—(विरज तीर्थ के अन्तर्गत आठ तीर्थों में एक) ब्रह्म० ४२।६।

**सिद्धतीर्थ**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।४।१।

**सिद्धपद**—(सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३। ३।३।३।

**सिद्धपुर**—(अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० १३।४६ (यहाँ देवी माना जाती है)। पितरा के लिए जो गया है वहीं माता के लिए सिद्धपुर है। यह सरस्वती नदी पर है।

**सद्वन**—मत्स्य० २२।३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है।

**सद्वन**—(१) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५।१७; (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१५३।

**सिद्धिकूट**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ८८)।

**सिद्धेश्वर**—(१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० ३२।४३ एवं १८।१२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक लिंग) वाम० ४६।३४, पद्म० १२०।३४। (३) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १२८।१।

**सिन्धु**—(१) (आधुनिक सिन्धु नदी, यूनानी 'सिण्डोस') ऋ० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर की ओर वतना गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो सिन्धु, असिन्धी एवं समुद्रों में है), १०।७।५।६। सप्त सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एवं सरस्वती) ऋ० २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७, अथर्व० ६।३।१ में वर्णित है। द्रोणपर्व १०।१।२८ (सिन्धु-पन्थाः समुद्रगाः), राज० १।५७ (स्टोन की टिप्पणी), नीलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना है)। देखिए वर्णन के लिए इन्मी० गजे० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत से निकलती है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), काशिका (पाणिनि ४।३।८३, 'प्रभवति') ने उदाहरण दिया है—'वारादी सिन्धुः' (सिन्धु नदी दरद से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) वायु० ४५।९८, मत्स्य० ११४।२३, ब्रह्म० २७।२८। यह वही काली सिन्धु है जो चम्बल एवं वेतवा के मध्य बहती है। मालतीमाधव ने इसके और 'पारा' के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और 'मधु-

मती' (अंक ९, तीसरे श्लोक के पश्चात् गद्य) के संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पद्मावती को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है।

**सिन्धुप्रभव**—(सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६, पद्म० १।३२।१०।

**सिन्धुसागर**—नृसिंह० ६५।१३ (ती० क०, पृ० २५२)।

**सिन्धु-सागरसंगम**—वन० ८२।६८, वायु० ७७।५६, पद्म० १।२४।१६।

**सिन्धूत्तम**—(झील) वन० ८२।७९।

**सीतवन**—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।५५।

**सीततीर्थ**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९।२८।

**सीता**—(गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७।२१ एव ३९, भाग० ५।१७।५।

**सुकुमारी**—(शुक्तिमान् पहाड़ से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०७।

**सुगन्ध**—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।३२।१।

**सुगन्धा**—वन० ८४।१०, वि० घ० सू० २०।१० (टीका के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० १।२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म० और वन० में एक ही श्लोक है।

**सुग्रीवेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५१)।

**सुचक्र**—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९।

**सुतीर्थक**—वन० ८३।५६।

**सुदिन**—वन० ८३।१००।

**सुनन्दा**—(नदी) भाग० ८।१।८।

**सुनील**—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।३।

**सुन्दरिकातीर्थ**—वन० ८४।५७, अनु० २५।२१ (देविका के नाम पर) वराह० २१५।१०४।

**सुन्दरिकाहृद**—अनु० २५।२१।

**सुन्दरिका**—(नदी) पद्म० १।३२।२१। यह एक पालि दोहे में उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। (एस्० वी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४)।

**सुपर्णा**—(गोदा० की एक सहायक नदी) ब्रह्म० १००।१।

सुपादर्व—पृ० ६१२९।२६।

सुप्रयोगा—(उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ हैं) वन० २२२।२५३, मार्क० ५४।२६, वायु० ४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि यह कहा गया है कि यह सल्लु से निकली है (ब्रह्माण्ड० २।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान देवदार से करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० २७३।

सुभद्र-सिन्धु-संगम—पृ० ६१२९।२५।

सुभूमिक—(सरस्वती पर एक तीर्थ) मत्स्य० ३७।२३ (यहाँ बलराम आये थे)।

सुमन्तुलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तो० क०, पृ० ९७)।

सुरभिवन—(हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० २।१८।२३।

सुरभिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१८।३६।

सुरसा—(नदी) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निकलती है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋधवान में निकलती है), भाग० ५।१९।१८।

सुरदेवरी क्षेत्र—(कश्मीर में इगावर नामक आधुनिक ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आश्रयण है गुप्तगंगा नामक एक पवित्र धारा।

सुरगं—वन० ८४।१८, अग्नि० १०९।१६, पृ० १।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता पायी थी)।

सुरपतिसरु—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१८।४६।

सुरनारत—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५, कूर्म० २।३५।१९।

सुरभरेला—(देवता के पास एक पवित्र नदी) इन्द्र० ७।२।१।१-३ (गम्भवन यह आगे वाली नदी भी है। बगाल में भी देवी नाम की एक नदी है)। देखिए इन्द्र० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पृ० ११४।

सुवर्णसिक्ता—(नदी) इमवा नाम जूनागढ वाले शिलालेख (रुद्रामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४२) में आया है। आजकल यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विख्यात है।

सुवास्तु—(नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (ए० इण्डिया, पृ० १९१) की मीत्राष्टीस है। पाणिनि (४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास प्रसिद्ध नौदणयाओ वाले ससृवत के शिलालेख पाये गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० १३३)।

सुव्रतस्य आश्रम—(दुरद्वीप पर) वन० ९०।१२-१३।

सुयुम्ना—(१) (गया के अन्तर्गत नदी) नारद० २।४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तो० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते हैं)।

सुयोमा—(नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०।७५।५) में यह शब्द किन्नी नदी का घातक है किन्तु निहल (९।२६) ने इसे सिन्धु माना है, भाग० ५।१९।१८। स्टोन (शा० आर० जी० भण्डारकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम इन ऋग्वेद') का कथन है (पृ० २६) कि सुयोमा मोहन (सुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई नमक की धेनी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है।

सुसर्तु—नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी ऋ० १०।७५।६। कीष को यह नहीं मान्य हो सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी।

सुपीषणाधम—रामा० ३।७, रघुवज १।३।४१ (अगरत्याधम से कुछ दूर पर)।

सूरुणीर्ष—(बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के पश्चिम तट पर मोरी) ए० त्रि०, पृ० ३४९-३९५ के मत में। देखिए इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ८८-८९। सराह० अ० १३७-१३९; ली० व० (पृ० २०९-२१०) ने केवल सराह० के १३७ में अध्याय में ३७ एकोट उद्धृत किये हैं। मारीच्य० २।४०।३१ एव ६०।२२ (यहाँ पर अश्वत्थ वाराह के

रूप में प्रकट हुए थे), पद्म० ६।१२।१।६-७ (४ योजन का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में 'शूकरतीर्थ' नाम आया है।

**सूर्यतीर्थ**—(१) (वाराण के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।३७।७; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विरोचन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था।

**सेतु**—(रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता से निर्मित कराया) भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१५ (सामुद्रसेतु), गण्ड १।८।१८, नारद० २।७६ (सेतु-माहात्म्य पाया जाता है)। इसे 'आदम का ब्रिज' (पुल) भी कहा जाता है। सीलोन (श्रीलंका का अपभ्रंश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है।

**सेतुबन्ध**—वही जो उपर्युक्त है। देखिए तीर्थसार, पृ० १-४ एवं तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२।४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म० (५।३५।६२) का कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहात्म्य, इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भी लोग जाते हैं।

**सैलोद**—(अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० ४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३।

**सैन्धवारण्य**—(जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते थे) वन० १२५।१३, वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। वन० (८९।५९) ने इसे पश्चिम में कहा है।

**सोदरनाग**—(कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के ऊपर स्थित आधुनिक सुदबल गाँव है। देखिए राज० १।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० १६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान

नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है।

**सोमकुण्ड**—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४।

**सोमतीर्थ**—(१) (सरस्वती के किनारे) वामन० ४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म० १।१८।३० एवं २७।३, कूर्म० २।४१।४७; (३) (वाराण के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।३७।७; (४) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०५।१, ११९।१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।१८; (६) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।४३ (जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थी); (९) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५४।१।

**सोमनाथ**—(१) (सौराष्ट्र में वेरावल के पास) अग्नि० १०९।१० (सोमनाथप्रभासकं), पद्म० ६।१७६।३७; देखिए ऐं० जि० पृ० ३१९ और 'प्रभास' के अन्तर्गत; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। एक प्रसिद्ध श्लोक है—'सरस्वती समुद्रश्च सोमः सोमप्रहस्तया। दर्शनं सोमनाथस्य सकाराः पंच दुर्लभाः ॥

**सोमपद**—वन० ८४।१११।

**सोमपान**—मत्स्य० २२।६२।

**सोमाश्रम**—वन० ८४।१५७।

**सोमेश**—(वाराण के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९।

**सोमेश्वर**—(१) (सभी रोगों को दूर करता है) मत्स्य० २२।२९, कूर्म० २।३५।२०; (२) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।१६-२९।

**सौकरव**—(जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० १३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत।

**सौगन्धिकगिरि**—मत्स्य० १२१।५ (कैलास के उत्तर-पूर्व)।

सौगधिकवन—वन० ८४४ पत्र० १२८१५ ६  
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

सौभद्र—आदि० २१६३ (दक्षिणी समुद्र पर पाच नारी-तीर्थों में एक)।

सौमित्रिसगम—(श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० २२१३।

स्कन्दतीर्थ—(नमदा के अंतगत) पत्र० ११८११९  
मत्स्य० १९१५०।

स्वन्देव—(वारा० में) स्व० ४३३१२५ लिंग०  
(ती० व० पृ० ६८)।

स्नानकुण्ड—(भयुरा के अंतगत) वराह० १४३।  
१८२०।

स्तनकुण्ड—वन० ८४१५२ वराह० २१५१९७ (स्तन  
कुण्ड उभायास्तु)।

स्तम्भतीर्थ—(त्तम्भत की खाड़ी पर स्थित जायनिक  
खम्भायत) कूर्म० २४११५१ पत्र० ११८१९३  
(दाना इस नमदा के अंतगत कहत है)। स्तम्भनाथ  
तीर्थभार (प० १०१) में उल्लिखित है। दक्षिण  
इण्डियन एण्टिक्वेरी जिद ५४ पृ० ४७।

स्तम्भास्थ-तीर्थ—(मही सागर मगम के पास) स्व० ०  
१२३२७। सम्भवत यह उपयुक्त था ही है।

स्तम्भेश्वर—स्व० १२३३४०।

स्वलेश्वर—(एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१२७।

स्तुतस्नामी—(मणिपुर गिरि पर एक विष्णु मठ)  
वराह० १४८१८१। तीर्थत्रय० (२२२ २२४)  
में वराह० के १४८ वें अध्याय में बिना किसी टीका  
टिप्पणा के २० श्लोक उद्धृत कर लिये हैं। श्लोक  
७५ ७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अथ  
देवताया एव नारद असित तथा देवल् श्रुतिया द्वारा  
स्तुत य)। देने इसकी चचा नहीं की है और प्रा०  
आयगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है।

स्त्री-तीर्थ—(नमदा के अंतगत) मत्स्य० १९४३१।

स्थानुतीर्थ—(मरुत्सती के अंतगत जहाँ वसिष्ठ का  
आश्रम था) मत्स्य० ४२१४ (वसिष्ठ का आश्रम इस  
तीर्थ के पूव में है और विन्वामिन का पश्चिम में)

वाम० ४०३ (मरुत्सती के उत्तरी तट पर) ४२३०  
(यहां १००० लिंग थे) ४९१६७ (यह सानिह्य  
शील पर था)। वाम० (अ० ४७ ४९) में इस  
तीर्थ के महात्म्य के विषय में लिखा है। दे (प०  
१९४) के अनुसार यह धानेश्वर ही है।

स्थानेश्वर—(आधुनिक धानेश्वर जो अम्बाला से  
२५ मील दक्षिण है) मत्स्य० १३३ (यहां की देवी  
भवानी हैं)। देखिए एं० जि० प० ३२९ ३३२।  
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० में छूटा।  
हनुवर्तित में वाण ने इसे स्वर्णेश्वर देण  
कहा है।

स्थानेश्वर—(एक लिङ्ग वारा० में) लिङ्ग० ११९२।  
१३६।

स्वच्छोद—(यह नील है) दक्षिण अच्छोद।

स्वच्छोदा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २११८६ (चंद्रप्रभ  
नामक पत्र पर स्वच्छोद नील में निकली हुई)।

स्वतत्रेश्वर—(नमदा के अंतगत) मत्स्य० १९१६६।

स्वयम्भूतीर्थ—(कश्मीर के भच्छीपुर परगने में आधुनिक  
सुयम) राज० १३४ ह० वि० १४८०। यहां पर  
बालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कर्म-बन्नी  
यात्रिया द्वारा अर्पित श्राद्ध-माहुतिया पत्र में स निव  
लनी हुई धापा द्वारा जल उठती है।

स्वगतोर्थ—अनु० २५३३३।

स्वगदार—(१) कुंडल के अंतगत) पत्र० १२७५५  
(२) (वारा० के अंतगत) कूर्म० १३५४४ पत्र०  
१३७०४ (३) (गया के अंतगत) अलि० ११६५  
(यहां स्वगदारी गंत आया है) (४) (पुरुष तम  
के अंतगत) नारदीय० २५६३१।

स्वगविडु—(नमदा के अंतगत) पत्र० १२१११५।

स्वगमागह्वर—वि० ध० सू० ६५४११।

स्वर्गेश्वर—(वारा० के अंतगत) लिंग० (ती० व०  
पृ० ४८)।

स्वर्गविडु—(नमदा के अंतगत) अनु० २५१९ मत्स्य०  
१९४११५।

स्वर्गरेखा—(नदी वरुणाथ क्षेत्र में अर्थात् आधुनिक

गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द०  
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९।

स्वर्णलोमानयन—पद्म० १।२६।५८।

स्वामितीर्थ—मत्स्य० २।२।६३, कूर्म० २।३।७।१९-२१  
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ०  
१०७) ने इसे क्राँच पर्वत पर स्थित तिस्तनी से एक  
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है।

स्वर्णविन्दु—(नदी) वायु० ७।७।९५, कूर्म० २।३।७।३७।

स्वर्णलङ्केश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९।२।७८,  
स्कन्द० ४।३।३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की  
गयी है)।

स्वस्तिपुर—(गंगाहृद एवं गंगाकूप के पास) वन०  
८।३।१७४।

है

हंसकुण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १।४।१।४६।

हंसतीर्थ—(१) गया के अन्तर्गत) अग्नि० १।१६।  
३०, नारद० २।४।७।३०; (२) (नर्मदा के  
अन्तर्गत) मत्स्य० १।९।३।७२; (३) (शालग्राम  
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १।४।१।५२-१।५५  
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीर्थ'।

हंसद्वार—(कश्मीर के पास) नीलमत० १।४६४।

हंसपद—(विशाखयूप के पास) वाम० ८।१।१०।

हंसप्रपतन—(प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८।५।८७,  
मत्स्य० १०।६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के  
उत्तर), कूर्म० १।३।७।२४, पद्म० १।३।९।४०, अग्नि०  
१।१।१।१०।

हनुमत्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी  
तट पर) ब्रह्म० १।२।९।१।

हयतीर्थ—मत्स्य० २।२।६९।

हयमुक्ति—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १।६०।२३।

हयतिर—(श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१।३।४६,  
वायु० ७।७।४६।

हरमुकुट—(कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख)  
नीलमत० १।३।२०, १।३।२२, १।३।२१; हिमालय का

शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो  
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि०  
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १।८।५५। अल-  
वरुनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम  
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी  
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन  
की टिप्पणी।

हरमुण्ड—(कश्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत०  
१।४।५५।

हरिद्वार—(इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं)  
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के  
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में  
परिगणित होता है। पद्म० ४।१।७।६६, ६।२।१।१,  
६।२।२।१८, ६।१।३।५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप  
किया)। देखिए 'बील' का लेख, बी० आर० डब्लू०  
डब्लू०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ ह्वेनसांग का वचन  
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते  
हैं और सहस्रों व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र  
होते हैं। कनिष्क (एँ० जि०, पृ० ३५२) का यह  
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक  
नाम है, क्योंकि अलवरुनी ने इसे केवल गंगाद्वार  
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जँचता, क्योंकि स्कन्द० (४)  
एवं पद्म० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया  
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलवरुनी  
(१०३० ई०) के पश्चात् लिखे गये हैं। सम्भवतः  
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्वार अधिक  
प्रचलित था। अलवरुनी (जिल्द १, पृ० १९९)  
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा  
जाता है।

हरिकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० १।१३)।

हरिकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ०  
८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)।

हरिश्चन्द्र—(१) (वारा० के अन्तर्गत एक तीर्थ)  
मत्स्य० २।२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान)



- १८१२८ अग्नि० ११२३; (२) (गोदा० के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४८६ एव ८८; (३) (एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०)।
- हरिश्चन्द्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।
- हरितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२०)।
- हरिपर्वत—(श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत या प्रद्युम्नपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाङ्क-देवचरित १८।१५।
- हरिप्रयोया—(एक नदी) श्रु० ६।२७।५ (सम्भवत कुक्षेत्र मे)।
- हरीतक, वन—देखिए मत अध्याय १४ 'वैद्यनाय'।
- हरिहरक्षेत्र—(१) (तुंगभद्रा पर) नृसिंह० ६५।१८ (ती० क०, पृ० २५३), पद्य० ६।१७६।४६ एव ६।१८३।३, बराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया है), (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था। बराह० १४४।११६-१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को त्रिकूट पर्वत पर व्यक्त किया है।
- हरोद्देव—(थाद के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० २२।२५।
- हर्षपया—(कश्मीर में, रावी नदीय की प्रार्थना के फलस्वरूप यह पारा हो गयी) नीलमत० ३०९।
- हस्ततीर्थ—(हमवीर्य) कूर्म० २।४२।१३ (नर्मदा पर)।
- हास्तिनपुर या हस्तिनापुर—(कुक्षेत्रों की राजधानी जो भरत दीधिति के प्रवीर राजा हस्तिन के नाम पर पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० ९५।३६, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु० ४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा बहा दिया गया तो जनमेजय के पीच निचवन्तु ने कौशाभी की अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि (६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञान था। और देगिर महाभाष्य, त्रिपि १, पृ० ३८०, पाणिनि २।१।१९।
- हस्तिपादेश्वर—(स्याणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) वाम० ४६।५९।
- हस्तिपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७६)।
- हाटक—(बरोडो हस्याजो के पापो का निवारण) पद्य० ४।१७।६७।
- हाटकेश्वर—वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर)।
- हारकुण्ड—(हारपुर के पास) लिग० १।९२।१६४।
- हारीततीर्थ—(थाद के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० २२।६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर)।
- हिमवान्—श्रु० (१०।१२।१४) एव अथर्ववेद (४।२।५) में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्त)। विन्दु अथर्ववेद (५।४।२ एव ८, ४।२।४।१) में एकवचन का प्रयोग है। केनोपनिषद् (३।२५) में उभा हिमवती का उल्लेख है। वन० (१५।८।१९), उद्योग० (१।१।१२) एव पाणिनि (४।४।१।२) में हिमवान् का उल्लेख है तथा कूर्म० (२।३।७।४६-४९) में इसकी लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का सर्व-पर्वत है तथा अन्य प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वत कहा गया है। मत्स्य० (१।१७-१।१८) में इनके वृक्षों, पुष्पों एव पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न प्रायो में भी आया है, यथा गीता (१०।२५)। हिमवान् का अर्थ है पूर्व में आसाम में लेकर पञ्जाब के पश्चिम तक सन्पूर्ण पर्वत श्रेणी। मार्क० (५।१।२४) का कथन है कि बंगाल एव हिमवान् पूर्व में पश्चिम तक फैले हुए हैं और दो समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान् भारत (जितने दक्षिण, पश्चिम एव पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में पशुप की प्रत्येका के समान है (मार्क० ५।४।५९)।
- हिमवन्-अरण्य—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।
- हिमालय—देगिए 'हिमवान्' ऊपर।
- हिरण्यवतिपु-लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।
- हिरण्यशेखर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४७)।

इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा के सदृश शिखरों को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विशालता की ओर हठात् उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस-एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शेरपा तेर्नासिह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महान्ततम शिखर पर पहुँचकर अपने धर्म एवं अमोघ शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, विहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गर्भित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

## तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य

हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पवता नदिया एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर सचेत कर दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा तथा वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ सा छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता अभाव दारिद्र्य निगमता एवं अपराध वृत्तियों में आबद्ध से हो उठ हैं। अतः इन परिस्थितियों में उन लोगों का जो देश का कल्याण चाहते हैं यह कर्तव्य ही जाता है कि उन आचरणों को व अवश्य महत्त्व दें अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को मकीयता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च आध्यात्मिक एवं अभिकाशाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। तीर्थ यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा मस्थाओं में एक है। उन लोगों का जिन्हें यह विश्वास है कि तीर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणाएं एवं भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी एवं ज्ञानरहित हैं और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रयुक्त पूजा पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीर्थ सम्बन्धी वृत्ति समाप्त नहीं हो जानेवाली है प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी मुदूढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने तथाकथित धार्मिक कार्यों में परिवर्तन करें प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जँचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम संख्या में तीर्थों में एतद्वत् होंगे, क्योंकि धर्म निरपेक्ष शिक्षा का अंतर्भोग्यता यही परिणाम होता है। यदि पुनीत पवता एवं नदियों की तीर्थयात्रा सवथा समाप्त हो गयी तो सर्वमुच भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा दिव्य स्थलों की यात्रा कभी कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है।

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपा खाय पदार्थों वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता के रहते भी हम सभी एक हैं यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिससे धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों में उल्लस नवनव अभिचेतनाएँ सम्पृक्ति को प्राप्त होती रहीं हैं और भारत ने किसी एक कोने व निवासियों व भाष्य अथ भाषा के निवासियों में जुड़ है—इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अथ भागों के लोगों से मिलें उनके विलक्षण तीर्थ-तरीकों में परिचित हों उनकी आवश्यकताएँ एवं दुखलाएँ जानें। हिमालय की पवन-श्रृणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं—इसमें विश्व व सर्वोच्च गित्तर पाये जाते हैं

इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा के सदृश शिखरों को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विशालता की ओर हठात् उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस-एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्वियों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शेरपा तेनसिंह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आयवर्त, विहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं संस्कृति-नाभित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

## परिशिष्ट

### धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धर्मशास्त्र-लेखकों ने उद्धृत किया है या जिन पर वे निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मसूत-साहित्य में उनकी पृथक् व्यवस्था है और उनके लिए विवाद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। मनी 'प्रयोगों', 'माहात्म्या', 'विधियों', 'व्रतों', 'शान्तियों' एवं 'स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ एवं तांत्रिक ग्रन्थ सम्मिलित नहीं किये गये हैं, किन्तु मुहूर्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आङ्गिक धार्मिक कृत्या से अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि उनके विषय धर्मशास्त्र में गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन् १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सता है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्धना का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सका है।

इस सूची को उपस्थित करने में डा० ऑफ़ेस्ट के बहुमूल्य ग्रन्थ 'कैटलागम कैटलागोरम्' से प्रभूत सहायता मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहास्पद एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी डा० ऑफ़ेस्ट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए मसूत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को, यथा—इण्डिया आफिस में रखित पाण्डुलिपियाँ, डा० मित्र के 'नोटिसेज आव ससूत मॅनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० ऑफ़ेस्ट का तीसरा भाग सन् १९०३ में प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कैटलॉग (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा—मद्रास गवर्नमेण्ट मॅनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कैटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज आव मॅनुस्क्रिप्ट्स (न्यू मीरीज, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत नेपाल दरबार लाइब्रेरी का 'कैटलाग आव पामलीफ एवं पेपर', हुल्स की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरालाल द्वारा उपस्थापित 'कैटलाग आव सेण्ट्रल प्राविसेज ससूत मॅनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उडीसा सरकार द्वारा सङ्गृहीत 'कैटलॉग आव दि मॅनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १)। इन कैटलॉगों के अतिरिक्त अन्य सग्रह भी पढ़े गये हैं, यथा—डेकन कालेज का सग्रह (जो अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दायम इस्टीच्यूशन (पूना), प्रा० एच० डी० वेलणकर द्वारा सस्थापित विलसन कॉलेज का 'भण्डारकर मेमोरिएल कलेक्शन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इस्टीच्यूट का कलेक्शन (सग्रह)।

इन तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतानुसार ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूर्वजों, लेखकों के उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। इतने पर भी बहुत से भग्ने रह गये हैं। कहीं कहीं तत्तद् ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। कहीं कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि

या कैटलाँग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान ही हैं, यथा—महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र गंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के कतिपय भाग कैटलाँगों में पृथक् नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा—नरसिंह, नृसिंह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में कैटलाँगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलाँगों की ओर संकेत किया गया है। यथासंभव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफ्लेस्ट की कृति से यह तालिका कई अंशों में उत्तम है, यद्वात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है।

यथासंभव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में वास्वे संस्कृत सीरीज, बनारस संस्कृत सीरीज आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विगद सूचना चाहते हैं, वे सन् १९२८ तक के कैटलाँग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं।

### निर्देश

- आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं—
- अलवर=डा० पेटर्सन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटलाँग आव मैनूस्क्रिप्ट्स।
- अज्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं।
- आनन्द०=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।
- ऑफ्लेस्ट या ऑफ्रे०=डा० ऑफ्लेस्ट द्वारा उपस्थापित कैटलाँग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, 'आक्सफोर्ड' की वॉडलीन लाइब्रेरी (१८६४ ई०)।
- उ०=उद्धृत।
- कै० सं० प्रा०=कैटलाँग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनूस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविसेज एण्ड वरार। रायवहादुर हीरालाल (१९२६), नागपुर।
- गाय० या गायकवाड़=गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा।
- गवर्नमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी०=गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना।
- ची० या चौखम्भा=चौखम्भा संस्कृत सीरीज।
- जी० स्मू० या जीवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।
- टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका।
- टी० टी०=टीका की टीका।
- दे०=देखिए (इसके आगे 'प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए)।
- नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मैनूस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११)।
- नो० न्यू०=म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव संस्कृत मैनूस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३)।
- निर्णय० या नि०=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।
- प्रक०=प्रकरण।

प्र०=प्रकाशित ।

व० या बडोदा=बडोदा ओरिएण्टल इन्स्टीच्यूट का 'कलेक्शन आव मनुस्क्रिप्ट्स' ।

बना०=बनारस सस्कृत सीरीज ।

बि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत कैंटलॉग आव मनुस्क्रिप्ट्स (जिल्द १) ।

बीका० या बीकानेर=महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत कैंटलॉग आव सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स ।

बु० या बुर्नेल०=डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'कनैसीफाएड इण्डेक्स टू दी सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स, तमोर के राजप्रासाद से (१८८०) ।

भण्डा०=बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेल्गकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन ।

मै० या मैसूर=मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज ।

स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एव कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मंदिर लाइब्रेरी का 'कैंटलॉग आव दि सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

ले०=लेखक ।

व० या वर्णित=द्वारा या उसमें वर्णित ।

वैकट० या वैकटेश्वर०=वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

विट० एव वीथ=डा० विन्टनिस्स एव डा० ए० वी० वीथ द्वारा प्रस्तुत वॉडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 'कैंटलॉग आव सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

दृत्वा=डा० दृत्वा द्वारा प्रस्तुत 'रिपीट्स ऑन सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स इन साँदनं ण्डिया' (जिल्द १ ३) ।

## धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सूची

विश्वलि—व्यक्ति की अत्मगति के विनीत अंग की गान्धि करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ।

प्रकालभास्कर—रामानुज गिदलान्धवारानीय द्वारा शकलर १६३६ में प्रणीत। मन्त्रभागी पर, इनकी गणना एवं उनमें विभे जाने वाले विनिष्ट गर्मी पर।

अक्षमालाप्रतिष्ठा।

अक्षमालादश—ले० अक्षयण (?), वैकटनाथ के स्मृति-रत्नाकर में धर्जित। धर्म एवं व्यवहार के शण्डों में विभाजित।

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता—श्रीमृतवाहन के काल-विशेष में तथा अपराक में व०।

अग्निकार्यं।

अग्निफार्यपद्धति।

अग्निनिर्णय—ले० कमलाकर।

अग्निसंघानवचन—श्रीपारायण के आह्निक सम्पादन के छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर।

अग्निस्थापन।

अग्निहोत्रकर्म।

अग्निहोत्रमन्त्रावंचन्द्रिका—ले० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)।

अग्निहोत्रवाहविधि।

अधदीपिका।

अधनिर्णय—सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र वैकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम—विज्ञानेश्वर, अक्षण्ड, स्मृत्यवसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, रामानुज यजुवा की टी० दीपिका। वैदिकसार्व-भीम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका है)।

अधनिर्णय—वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित।

अधपञ्चविषेत्तन—मयुरानाथ द्वारा रचित।

अधपञ्चपट्टि—मयुरानाथ द्वारा (६५ श्लोकों में)।

अधपञ्चपट्टि—श्रीशिव गोत्र के वीथि (गि-या-जि-नाथ) द्वारा। रामचन्द्र ब्रुथ द्वारा स्मृतिशिक्षान्त-सुधा टीका।

अधप्रकाशिरा—(दो शण्डों में)।

अधप्रदीप।

अधप्रदीपिका—यानवलय द्वारा रचित कही जाती है।

अधवाद्य या वानसार—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (वड़ोदा, संख्या ७१२९, टी०)।

अधविमोचन।

अधविषेक—भारद्वाज गोत्र के अप्यदीक्षित अद्वैताचार्य के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में)।

अधविषेचन—भारद्वाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा (दो परिच्छेदों में)। टी० भुवताफल की ओर संकेत करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०।

अधशतफ।

अधषट्फ।

अधसंशयतिमिरादित्यसूत्र।

अधसंप्रह।

अधसंप्रहदीपिका—(हुत्थ, संख्या २७०)।

अंकुरारपणप्रयोग—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)।

अंकुरारपणविधि—(पंचरात्रागम से)।

अंकुरारपणविधि—(शारदातिलक से)।

अंगिरा—कुलमणि शुक्ल द्वारा टी०। दे० प्रक०

३९।

अचलनिबन्ध।

अणुछलारीय—शेषाचार्य द्वारा।

अण्णादीक्षितीय—अण्णादीक्षित द्वारा।



अतिक्रान्तप्रायश्चित्त ।

अतिघ्नशान्ति ।

अतीचारनिर्णय—महेय द्वारा (विहार, पृ० २ सख्या ३) ।

अतीचारनिर्णय—भुजबल भीम द्वारा (विहार, पृ० ३, सख्या ४) ।

अग्नि—दे० प्रक० १९। टी० वृष्णनाथ द्वारा। टी० तवनलाल द्वारा, १६८६ ई० के पश्चात्। टी० हरिराम द्वारा ।

अद्भुतवर्षण या अद्भुतसंग्रह—बुध-बाण कुलवान रघुनाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता मायवर्गर्मा । बलालसेन के अद्भुतसागर पर आधरित । दिव्य, नाभस एवं भौम पर । मयूरचित्र को उ० करता है। नी० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४) ।

अद्भुतविवेक—महीधर द्वारा ।

अद्भुतसागर—विजयसेन के पुत्र बलालसेन द्वारा (प्रभाकरी एण्ड क०, बलकटा द्वारा प्रकाशित); रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा वर्णित । सन् १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मणसेन द्वारा समाप्त ।

अद्भुतसागरसार—चतुर्भुज द्वारा ।

अद्भुतसागरसार—श्रीवति द्वारा ।

अद्भुतसिन्धु—शान्तिरत्नवाम्बु मे नारायण द्वारा उ० ।

अद्भुतामून—उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम नामक तीन प्रकारो पर ।

अद्भुतोत्पातशान्ति—शौनक द्वारा ।

अधिकमासप्रकरण ।

अधिकमासनिर्णय—देखिए मलमासनिर्णय ।

अधिकमासफल ।

अधोमुखजननशान्ति—शौनक द्वारा रचित ।

अध्यायोपाकमंप्रयोग ।

अनन्तभाष्य—समयमयूख मे वर्णित ।

अनन्तव्रतपूजापद्धति—(शकर के व्रतार्क से) ।

अनन्तव्रतोद्यापन ।

अनन्तभट्टी या स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र

अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि । देखिए 'प्रयोगरत्न' ।

अनन्ताङ्गिक ।

अनाकुला—आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर हरदत्त की टी० ।

- देखिए प्रकरण ८६ ।

अनाचारनिर्णय ।

अनावृष्टिशान्ति—शौनक वृत्त ।

अनुभोगवृत्तपत्र—जयभ्राय द्वारा ।

अनुमरणप्रदीप—गौरीग भट्ट ।

अनुमरणविवेक—सुदित्तत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा उ० ।

अनुयागपद्धति—जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा ।

अनुयागपद्धति—वृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आपर्षिवरिन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, सं० १२५३७) ।

अनुष्ठानपद्धति—रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है ।

अनूपविलास या धर्माभोधि—शिवदत्तात्मज गगाराम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूपसिंह के संरक्षण मे लिखित, आचाररत्न, समयरत्न, मन्थार-रत्न, वरसरत्न, दानरत्न एवं सुद्धिरत्न नामक ६ भागा मे विभाजित । दिल्ली के साहवाह आलमगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल मे अनूपसिंह वर्तमान थे । लगभग १६६० ई० ।

अनूपविवेक—बीकानेर के अनूपसिंहदेव का कहा गया है । पाँच उल्लासों मे सालग्राम-परीक्षण लिखा गया है । अनूपसिंह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसिंह (१६३४) के पुत्र थे । देखिए डबन कालेज में यु-स्विट्स, सन् १९०२-१९०७ की, सं० २२ । और देखिए दानरत्नाकर ।

अन्तरिक्षवायुवीर्यप्रकाश ।

अन्त्यकर्मदीपिका—हरिभट्ट दीक्षित द्वारा ।

अन्त्यकर्मपद्धति ।

अन्त्यत्रिधापद्धति—मणिराम द्वारा । सुद्धिमयूख द्वारा उ० । लग० १६४० ई० ।

अन्त्येष्टिक्रियापद्धति—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ।

दे० प्रक० १०९ ।

अन्त्येष्टिपद्धति—गोदावरी-तटीय (पुष्यताम्बे पर स्थित)

- पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टात्मज केगव द्वारा । लग० १४५० ई० ।
- अन्त्येष्टिपद्धति—महेश्वर भट्ट द्वारा ।
- अन्त्येष्टिपद्धति—रामानाथ द्वारा ।
- अन्त्येष्टिपद्धति—भानुदत्त उपनामक भास्कर के पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका का अनुसरण करते हुए । इसका कथन है कि भारद्वाज के आचार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे विभिन्न हैं ।
- अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—रामेश्वर के पुत्र भट्टनारायण द्वारा । दे० प्रक० १०३ ।
- अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—गोवाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा ।
- अन्त्येष्टिप्रकाश—भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा । गो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३) ।
- अन्त्येष्टिप्रयोग—(आपस्तम्बीय) ।
- अन्त्येष्टिप्रयोग—(हिरण्यकेशी) केगव भट्ट द्वारा ; उनकी 'प्रयोगमणि' से ।
- अन्त्येष्टिप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा । दे० प्रक० १०३ ।
- अन्त्येष्टिप्रयोग—विश्वनाथ द्वारा । आश्वलायन पर आधारित ।
- अन्त्येष्टिविधि—जिकन द्वारा । शुद्धितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ० ।
- अन्त्येष्टिप्रायश्चित्त ।
- अन्त्येष्टिसामग्री ।
- अन्त्येष्ट्यर्थक—सन् १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित । असदान ।
- अन्नप्राशन ।
- अन्नप्राशनप्रयोग ।
- अन्वष्टका ।
- अन्वष्टकानवमीश्राद्धपद्धति ।
- अपमृत्युञ्जयशान्ति—शीनक की कही गयी है ।
- अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)—अपिपाल द्वारा ;

- क्रियाकीमुदी द्वारा वर्णित । १५०० ई० के पूर्व ।
- अपिपालकारिका—रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० ।
- अपेक्षितार्थघोषिणी—नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न (धान्यघोष) में व० ।
- अव्यप्रीतिप्रयोग या वर्षसिद्धि ।
- अव्यप्रीतिपूजा ।
- अव्यय—(केदार द्वारा ?) स्मृत्यर्थसार में श्रीधर द्वारा उ० ।
- अभक्ष्यभक्ष्यप्रकरण ।
- अभिनवप्रायश्चित्त ।
- अभिनवमाघवीय—माघवाचार्य द्वारा ।
- अभिनवपडशीति—(अजीचपर) पौद्रिवंश के वैकटेश-पुत्र मुद्रहण्यम् द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, १८७४ ई० । हुलग (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, पृ० ६) । लेखक की धर्मप्रदीपिका टी० ; चन्द्रिका, माघवीय, कौशिकदित्य की पडशीति की ओर संकेत । १४०० ई० के पश्चात् रचित ।
- अभिलषितार्थचिन्तामणि (मानसोल्लास)—राजा सोमेश्वर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई० ; पाँच विंशतियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में ।
- अम्युदयश्राद्ध ।
- अमृतव्याख्या—नन्दे पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व० । १५७५ ई० के पूर्व ।
- अम्बिकाचर्नचन्द्रिका—अहल्याकामधेनु में वर्णित ।
- अयननिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा ।
- अयाचितकालनिर्णय ।
- अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमा—वीकानेर के राजा अनूपसिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा । लग० १६५० ई० ।
- अयुतहोमविधि—नारायण भट्ट द्वारा । दे० प्रक० १०३ ।
- अरुणस्मृति—दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व० । अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ श्लोक लिखित हैं ।

अर्कविवाहपद्धति—शौनक द्वारा।  
अर्कविवाह—प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय पत्नी में विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पीपे से विवाह करने की विधि। वी० वी० आर० ए० एम०, पृ० २४०।

अर्घ्यदान।

अर्घ्यप्रदानकारिका।

अर्घ्यानुष्ठान।

अर्जुनार्चन-श्लथलता—रामचन्द्र द्वारा (वातुंवीप की पूजा पर)।

अर्जुनार्चापारिजात—रामचन्द्र द्वारा।

अयंकौमुदी—गाविन्दानन्द द्वारा, मुद्धिदीपिका पर टी०। दे० प्र० १०१।

अर्थशास्त्र—कौटिल्य द्वारा। देखिए प्र० १४।

टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपश्चिका (द्वितीय अङ्क-करण के अध्याय ८-३६ पर)। भावव-यन्त्रमित्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री (वि० स० सी०) द्वारा श्रीमूल टी०।

अर्थप्रदीप—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर में वर्णित।

अर्षोदयपर्वपूजन—बडोदा (संख्या ३७४२)।

अर्हृतीति—हेमाचार्य (१०८८-११७२ ई०) कृत (अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६)।

अलङ्कारदान।

अलसकाश्रीप्रकाश।

अल्पयम—हरिनाथ के स्मृतिसार में वर्णित।

अवभृताश्रम—अज्ञात। इस प्रकार के सन्यासियों एवं उनके वर्णव्या का वर्णन है। नी० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका ९, पृ० ८)।

अवसानकालप्रापदिचत्त।

अमुद्धिचन्द्रिका या (मुद्धिचन्द्रिका)—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

अशौचनिर्णय—उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, पृ० ७)।

अशौचप्रकाश—देखिए 'आशौचप्रकाश' के अंतर्गत।

'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में 'अशौच' एवं 'आशौच' दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं।

अशौचसार—मत्स्यण्डित श्री बलनद्र द्वारा; (इसमें कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति-समुच्चय के उल्लेख आये हैं)।

अश्वत्थपूजा।

अश्वत्थप्रतिष्ठा।

अश्वत्थोद्यापन—(शौनवस्मृति से) वी० वी० आर० ए० एम० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वत्थोपनयनपद्धति—(शौनक के अनुसार) वी० वी० आर० ए० एम० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वदान।

अष्टकाकर्म।

अष्टकाकर्मपद्धति।

अष्टकाशौचभाष्य—देविए मूलकनिर्णय।

अष्टमहाद्वादशोनिर्णय—भाष्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (बडोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०-१६२५ ई०।

अष्टमहामन्त्र-पद्धति—स्मृत्यर्थसागर में उ०।

अष्टविंशतिमुनिमत—बडोदा, संख्या १२७४३।

अष्टधाद्विधानविधि।

अष्टादश गोत्र—बडोदा, संख्या ३८५४।

अष्टादशजातिनिर्णय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टादशविवादसंक्षेप—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टादश संस्कारा—चतुर्भुज द्वारा।

अष्टादशास्मृतिसार।

अष्टादशास्मृतिसारसंग्रह—बडोदा, संख्या १०२१४।

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा—अहोबिल द्वारा। नी० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११)।

असपिण्डासगोत्रपरीक्षा—सम्भवत यह उपर्युक्त ग्रन्थ ही है।

असपिण्डासगोत्रपरिग्रहविधि—अहोबिल शास्त्री द्वारा।

अस्थिप्रक्षेप—चन्द्रप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० १५४७८)।

अस्थिशुद्धि।

अस्थिशुद्धिप्रयोग ।

अस्थ्युद्धरण ।

अर्हविधि ।

अहल्याकामधेनु—(वनारस संस्कृत कालेज में एक पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है।

अर्हिवृद्धसंहिता—श्रैडर द्वारा अड्यार से प्रकाशित।

अर्हनीति—हेहाचार्य द्वारा, दायभाग वाला भाग, लखनऊ से सन् १८९१ ई० में प्रकाशित।

आश्रयणपद्धति—विट्ठल दीक्षित द्वारा। यजुर्वेदलभा का भाग।

आङ्गिरसस्मृति—वारह अध्यायों में 'प्रायश्चित्त' पर (इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिल्द ३, पृ० २८०, संख्या १३०४)।

आचारकाण्ड ।

आचारकौमुदी—गोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या १११-३३)।

आचारकौमुदी—सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा; सचचरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ। संवत् १७८२ (१७२५-२६ ई०)।

आचारखण्ड—बड़ोदा, संख्या १२७९६।

आचारचन्द्रिका—त्रिविक्रम सूरि द्वारा।

आचारचन्द्रिका—पद्मनाभकृत। इन्होंने १३६७ ई० में सुपथ व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृषोदरादिवृत्ति की रचना की।

आचारचन्द्रिका—रत्नेश्वर मिश्र रचित।

आचारचन्द्रिका—रमापति द्वारा रचित।

आचारचन्द्रिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथाचार्य चूडामणि द्वारा शूद्रों एवं द्विजों के कर्तव्यों पर। रघुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत् १४८८-८९ में उत्तारी गयी। ये १४७५ ई० में भी थे। दे० इण्डि० आ०, पृ० ५२४।

आचारचन्द्रोदय—(माधवप्रकाश) सारस्वत कुर्ग के

पुत्र. एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाँटा गया है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माधव के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त। देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पृ० ५०६।

आचारचन्द्रोदय—सदाराम द्वारा।

आचारचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन एवं श्रीदत्त की पाण्डु०। दे० प्र० ९८।

आचारतरंगिणी—रविनाथ मिश्र।

आचारतत्त्व—मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, पृ० ८३ एवं ३०१।

आचारतिलक—द्रव्यशुद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व।

आचारतिलक—गंगाधर द्वारा; १०८ श्लोकों में। दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२)।

आचारदर्पण—श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। दे० प्रक० ८९।

आचारदर्पण—वीपदेव कृत; पूर्तदिनकरोद्द्योत में व०। आचारदर्शन।

आचारदीधिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग।

आचारदीप या प्रदीप—गोदावरी पर कर्पूरग्राम के वासी कमलाकर द्वारा।

आचारदीप—नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्निक पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० (विहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में।

आचारदीपक—त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु द्वारा सन् १७५२ ई० में प्रतिलिपि।

आचारदीपिका।

आचारदीपिका—कमलाकर कृत।

आचारदीपिका—श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल की टीका।

आचारदीपिका—सारनमुञ्चय द्वारा (वडोदा, स० १०-९१०)।

आचारद्वैतविवेक—विभाकर कृत। मिमिक्षा के राजा रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०।

आचारनवनीत—गौरीमापूर के वावी अप्पा दीक्षित कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में प्रणीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यसुद्धि एव कालनिर्णय के खण्डों में विभाजित।

आचारनिर्णय—गोपाल कृत।

आचारनिर्णय—ब्राह्मणा के वर्णव्या पर ६६ श्लोका में, कायस्य आदि की उत्पत्ति पर।

आचारपंचाशिका—महामर्म-कृत।

आचारपद्धति—धामुदेवैर कृत।

आचारपद्धति—विद्याकर कृत।

आचारपद्धति—श्रीचरसूरि कृत।

आचारप्रकाश—अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (वडोदा, स० १२७८९)।

आचारप्रकाशिका—अहल्याकामदेवु द्वारा उ०।

आचारप्रदीप—केनवभट्ट कृत, रघुनन्दन के श्राद्ध-तत्त्व में उ०।

आचारप्रदीप—नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व भी लिखा।

आचारप्रदीप—भट्टोजि कृत।

आचारप्रज्ञाता।

आचारभूषण—ज्यम्बकराम ओक द्वारा, शक १७४१ में, ९ किरणों में, आनन्द० द्वारा मुद्रित।

आचारमंजरी—मयुरानाथ कृत।

आचारमयूष—नीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेम, बम्बई)। देखिए प्रक० १०७।

आचारमाधुरीय—मानवाचार्य कृत, पराचरस्मृति पर उनकी टीका का प्रथम भाग।

आचारमाला—त्रिधिराम कृत।

आचाररत्न—रघुनन्दन के आह्विकतत्त्व में वर्णित।

आचाररत्न—मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम भाग)।

आचाररत्न—नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। वमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन् १५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में मुद्रित।

आचाररत्न—चन्द्रमौलि कृत।

आचाररत्नाकर—रघुनन्दन द्वारा आह्विकतत्त्व में उ०।

आचारवाक्यमुषा।

आचारवारिधि—रत्नापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा।

इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया।

आचारविधि।

आचारविवेक—मानसिंह कृत।

आचारविवेक—मदनसिंह कृत (मदनरत्न का एक भाग)।

आचारव्रतादिरहस्य।

आचारसप्रह—गयाली सजीवेश्वर दामा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा।

आचारसप्रह—नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा।

आचारसागर—त्रल्लालसेन द्वारा; मदनभाणिजात (पृ० ५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यकृत) एव लेखक की कृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०।

आचारसार—हेमाद्रि (३।२।१००) द्वारा व०।

आचारसार—नारायणात्मज रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है।

आचारस्मृतिचन्द्रिका—गदायर के पुत्र सदाशिव द्वारा।

आचारादर्श—(मंथिल) श्रीदत्त कृत। लग० १३०० ई० (वनारस में सन् १९२० में एक बैंक० प्रेम में मुद्रित), रुद्रवर के सुद्धिविवेक में व०, इसमें

वामदेव, वल्लभ एव हरिहर का भी उल्लेख है।

दे० प्र० ८९। दामोदर के पुत्र पीछोपति द्वारा टी० (वनारस में एक बैंक० प्रेस में मुद्रित)।

हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०।

आचारदीपिका—आचारादर्श का संक्षिप्त रूप।

**आचारार्क**—बालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर के धर्मशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया है। सन् १६८६-८७ में प्रणीत। तकनलाल द्वारा टीका।

**आचारार्कक्रम**—आचारार्क की अनुक्रमणिका। लेखक के पुत्र त्रैधनाथ द्वारा, जिसने दानहाराबलि एवं श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी।

**आचारार्क**—मथुरानाथ कृत।

**आचारार्क**—रामचन्द्र भट्ट कृत।

**आचारेन्दु**—नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाले त्र्यम्बक द्वारा। सप्तर्षि (आधुनिक सतारा) में सन् १८३८ में प्रणीत। आनन्द० प्रेस में मुद्रित।

**आचारेन्दुशेखर**—शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ११०।

**आचारोद्घोत**—टीडरानन्द कृत।

**आचारोद्घोत**—मदनसिंहदेव के मदनरत्नप्रदीप का एक भाग।

**आचारोल्लास**—वनारस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, (जो शाकद्वीपीय होलिल (२) मिश्र के पुत्र थे और जिन्हें वादशाह द्वारा वाणीरसालराय की पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १०-१२)।

**आचारोल्लास**—मथुरानाथ शुक्ल कृत।

**आचार्यगुणादर्श**—शतक्रतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य द्वारा (बंजणव०)।

**आचार्यचूडामणि**—शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०।

**अतिध्वेष्टि**।

**आतुरसंन्यास**—देखिए वी० वी० आर० ए० एस्० जिल्द २, पृ० २४१।

**आतुरसंन्यासकारिका**।

**आतुरसंन्यासपद्धति**—(बड़ोदा, सं० ५८०३)।

**आतुरसंन्यासविधि**।

**आतुरसंन्यासविधि**—आंगिरस द्वारा।

**आतुरसंन्यासविधि**—काल्यायन द्वारा।

**आतुरादिपद्धति**—ड० का० पाण्डु०, सं० १८८६-९२ की १३८।

**आत्रेयधर्मशास्त्र**—९ अध्यायों में (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० १३०८)।

**आत्रेयधर्मशास्त्र**—(बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ अन्त। नीतिमयूख में व०।

**आथर्वणगृह्यसूत्र**—विश्वरूप एवं हेमाद्रि द्वारा व०।

**आत्रेयस्मृति**—(३६९ श्लोकों में) इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८१।

**आथर्वणप्रमिताक्षरा**—श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा (बड़ोदा, सं० ७६०३) हेमाद्रि एवं त्रैविक्रमी पद्धति की चर्चा की है।

**आदिधर्मसारसंग्रह**—तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) रचित कहा गया है।

**आदिस्मृत्यर्थसार**—दे० स्मृत्यर्थसार।

**आनन्दकरनिबन्ध**—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०।

**आपस्तम्ब-प्रायश्चित्तशतद्वयी**—दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी।

**आपस्तम्बत्रयल्लाजीय**।

**आपस्तम्बसूत्रधर्मनित्यकारिका या त्रिकाण्डमण्डन**—कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार काण्ड हैं (विद्विधोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) टी०, दे० स्टीन (पृ० १२)। टी० पदप्रकाशिका या त्रिकाण्डमण्डनविवरण।

**आपस्तम्बगृह्यसूत्र**—विण्टेरनिज द्वारा सम्पादित एवं एस्० वी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित।

टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मंसूर), टी० कर्क द्वारा,  
टी० कपर्दिकारिका (कुम्भकोणम् मे प्रकाशित,  
१९१६), टी० गृह्यनात्पर्यदर्शन, मुद्गसंताचार्य द्वारा  
(काशी संस्कृत सी० द्वारा प्रकाशित), टी० प्रयोग-  
वृत्ति, चालन्तनितानी द्वारा (कुम्भकोणम् मे  
प्रकाशित, १९०२)।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका।

आपस्तम्बगृह्यप्रयोग।

आपस्तम्बगृह्यभाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि द्वारा ७०।

आपस्तम्बगृह्यसंहार—महामहोपाध्याय यौननभट्ट (आप्र)  
द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिका—वाग्विजय के पुत्र मुद-  
र्शन द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिकावृत्ति—नरसिंह द्वारा (१६९  
श्लोका में एक स० १५३६ में लिखित एव १९२२  
में तेलुगु में अनूदित)।

आपस्तम्बजातकर्म—वापणभट्ट द्वारा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र—दे० प्र० ७। टी० उज्ज्वला,  
जा हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम् मे मुद्रित एव कम्बई  
मस्कृत मीरीज द्वारा प्रकाशित)।

आपस्तम्बपद्धति।

आपस्तम्बपद्धति—विश्वदेवर भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बपरिभाषासूत्र—मंसूर १८९४ एव आनन्द०  
स० ९३। टी० कपर्दिस्वामी द्वारा, टी० हरदत्त द्वारा।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोग।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोगकारिका।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोगपद्धति—धिगाभट्ट द्वारा (हृत्सा),  
स० ८७।

आपस्तम्बप्रयोगरत्न—नारायणयज्वा द्वारा।

आपस्तम्बप्रयोगसार।

आपस्तम्बप्रयोगसार—गगाभट्ट द्वारा।

आपस्तम्बप्रायश्चित्तसप्तद्वयी—टी० वैकटवाजपेयी द्वारा।

आपस्तम्बधातुप्रयोग।

आपस्तम्बसूत्रकारिका।

आपस्तम्बसूत्रसंग्रह।

आपस्तम्बस्मृति—१० अध्यायो में, पय मे, जीवानन्द  
द्वारा मुद्रित।

आपस्तम्बस्मृति—विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव एव  
हरदत्त द्वारा उद्धृत।

आपस्तम्बाह्निक।

आपस्तम्बाह्निक—वासीनाथ भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—गोवर्धन कविमण्डन द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—रुद्रदत्त तोरो द्वारा।

आपस्तम्बीमहादेशसत्कारा।

आपस्तम्बीदमन्त्रपाठ—डा० विण्डरनित्र द्वारा सम्पा-  
दित।

आपस्तम्बीयसत्कारप्रयोग।

आग्निदकनिर्णय।

आम्युदयिकश्राद्ध।

आम्युदयिकश्राद्धपद्धति।

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति—गगाराम महादेवर द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—दे० जल्लासयारामोत्सर्गपद्धति।

आरामोत्सर्गपद्धति—भट्टनारायण द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—शिवराम द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—(बडोदा, स० ५४२४)।

आर्षचन्द्रिका।

आर्षचन्द्रिका—वैद्यनाथ द्वारा।

आर्षटिपेणस्मृति—निणयसिन्धु द्वारा वर्णित।

आवसथ्याधानपद्धति—श्रीदत्त कृत।

आशौच—वैकटका द्वारा।

आशौचकाण्ड—दिनकराद्वात का एक भाग।

आशौचकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुक्ता-  
फल का एक भाग)।

आशौचकारिका।

आशौचगमाधरी—गगाधर कृत।

आशौचचन्द्रिका।

आशौचचन्द्रिका—रत्नभट्ट के पुत्र लक्ष्मणभट्ट या  
दिल्लभभट्ट के पुत्र वेदानाराय द्वारा (स्टीन, पृ० ८३)।

आशौचचन्द्रिका—राजहृष्य तर्कवागीशभट्टाचार्य द्वारा।

आशौचतत्त्व—दे० 'शुद्धितत्त्व'।

आशीचतत्त्व—अगस्त्यगोत्र के विद्यनाथ के पुत्र महा-  
देव द्वारा, ४८ श्लोकों में (दृत्वा, पृ० १४३)।  
टी० व्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा  
रचित।

आशीचतत्त्वविचार।

आशीर्चात्रिशच्छ्लोकी—दे० त्रिशच्छ्लोकी; अलीगढ़ में  
प्रकाशित। टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा।  
स्मृत्यर्थसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है।  
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल  
सं० १५७९, सन् १५२२-२३ ई०)। टी० भट्टोजि  
द्वारा।

आशीचदशक—या दशश्लोकी, विज्ञानेश्वर द्वारा;  
दे० 'दशश्लोकी'। टी० विवरण (भट्टोजि कृत);  
टी० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा  
(१५७८ ई०); टी० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर  
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं  
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५०  
ई० के पश्चात्। टी० वैकटाचार्य द्वारा। टी०  
श्रीधर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ०  
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५)।

आशीचदीधिति—अनन्तदेव कृत स्मृतिकीस्तुभ का एक  
भाग।

आशीचदीपक—कोटिल्लिगपुरी के राजकुमार द्वारा।  
टीका लेखक द्वारा।

आशीचदीपिका—अधोरशिवाचार्य द्वारा।

आशीचदीपिका—विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट)  
द्वारा। दिनकरोद्घोत कृत आशीच का एक अंश  
(नो०, पृ० १३६)।

आशीचदीपिका—श्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा।

आशीचदीपिका—कम्भालूर नृसिंह द्वारा, जिसने  
हेमाद्रि, माधवीय, पडशीति एवं पारिजात की ओर  
संकेत किया है।

आशीचनिर्णय या षडशीति—ऑफ्रेष्ट (२, पृ० ११)  
ने षडशीति को अभिनवषडशीति कहा है।

आशीचनिर्णय—आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा;

टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (चाँखम्भा  
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच।

आशीचनिर्णय—कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर संग्रह  
से); १४६ श्लोकों में; कौशिकादित्य के ८६  
श्लोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन  
उ० हैं)।

आशीचनिर्णय—गोपाल द्वारा। शक सं० १५३५  
(१६१३ ई०); अपने 'शुद्धिनिर्णय' में उ० है।  
नो० ९, पृ० २६७।

आशीचनिर्णय—मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के  
पुत्र गोविन्द द्वारा।

आशीचनिर्णय—आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा-  
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई।

आशीचनिर्णय—आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ  
के पुत्र व्यम्बक पण्डित द्वारा। अंशों में विभाजित।  
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नागो-  
जिभट्टीय को उ० करता है। सन् १७६० ई० के  
लगभग।

आशीचनिर्णय—शिवभट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा।

आशीचनिर्णय—भट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा।

आशीचनिर्णय—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा; लग०  
१५१५-१५७० ई०।

आशीचनिर्णय—रघुनन्दन द्वारा।

आशीचनिर्णय—रघुनाथ पण्डित द्वारा। देखिए  
'त्रिशच्छ्लोकी'।

आशीचनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा।

आशीचनिर्णय—श्रीनिवास-पुत्र चरद द्वारा। आशीच-  
दशक एवं आशीचशतक के प्रमाण देता है।

आशीचनिर्णय—वीरेश्वर द्वारा।

आशीचनिर्णय—वैकटाचार्य द्वारा; दे० 'अधनिर्णय'।

आशीचनिर्णय—वैकटेश्वरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त-  
रामानुजतातदास द्वारा।

आशीचनिर्णय—वैदिक सार्वभौम द्वारा (क्या यह  
आशीचशतक ही है?)। टी० शठकोपदास (बड़ोदा,  
सं० ६३८०)।



आशौचनिर्णय—ग्रानिवास तर्कवागीश द्वारा।  
 आशौचनिर्णय—ग्रामध्यात द्वारा।  
 आशौचनिर्णय—हरि द्वारा।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिकौस्तुभ—रायस बेंकणाद्रि द्वारा।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिसग्रह।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिसार—बेंकटेग के किमी ग्रंथ पर टी०।  
 आशौचनिर्णयसग्रह—बडादा म० १२६००।  
 आशौचनिर्णयटीका—मयुरानाय द्वारा।  
 आशौचपरिच्छेद।  
 आशौचप्रकाश—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवत वही जो रघुनन्दन के शुद्धितत्व म व० हे अत सन १५०० ई० के पूव।  
 आशौचप्रकाश—(धर्मतत्त्वकलानिधि से) पृथ्वीचन्द्र द्वारा।  
 आशौचमञ्जरी।  
 आशौचमाला—गोपाल सिद्धान्त द्वारा।  
 आशौचविवेक।  
 आशौचव्यवस्था—रावानाय शर्मा द्वारा।  
 आशौचशतक।  
 आशौचशतक—रामेश्वर द्वारा।  
 आशौचशतक—हारोत गोत्र के रगनाय के पुत्र बेंकटाचार्य या बेंकण्णाय द्वारा। देखिए अधिनियम। हुला (२ सख्या १४९९)। टी० आशौचनिर्णय जो रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है।  
 आशौचशतक—नीलकण्ठ द्वारा।  
 आशौचशतक—रैदक सावभौम (य सम्भवत बेंकटाचार्य ही हैं) द्वारा।  
 आशौचपद्धती—देखिए आशौचनिर्णय।  
 आशौचसम्भय—मदुमूदन वाचस्पति द्वारा।  
 आशौचसग्रह—सत्याशौचशिष्य द्वारा (बडादा ५८६२)।  
 आशौचमग्रह—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा।  
 आशौचसग्रहविवृति—भट्टाचार्य द्वारा।  
 आशौचमग्रह—बेंकटेग द्वारा। इसने आचारनवनत अरनिर्णय अरविवेक अभिनवपङ्गीति को उ० किया है।

आशौचसग्रह त्रिशास्त्रलोकी—द० त्रिगच्छलोका।  
 आशौचसागर—कुल्लूक कृत। उनके आशौचसागर म व० है।  
 आशौचसार—बलभद्र द्वारा।  
 आशौचसिद्धान्त।  
 आशौचस्मृतिचन्द्रिका।  
 आशौचस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र एव दगपुत्र नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार जयसिंह के लिए संगृहीत। लखरु न लिंगाचन चन्द्रिका भी लिखी है।  
 आशौचादर्श—सारथ्यग्रह म उ०।  
 आशौचाष्टक—वररचि द्वारा (त्रि० स० सी० मे मुद्रित) टी० अनात, जिसम निगयकार, गौतम धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करो एव सप्तस्वामी के नाम आये हैं।  
 आशौचादिनिर्णय—राम दैवन द्वारा।  
 आशौचीयवशलोकीविवृति—लक्ष्मीधर के पुत्र विन्ध्येश्वर द्वारा। दे० आशौचदगक (दगश्लोकी)।  
 आशौचेन्द्रशेखर—राम दैवन द्वारा।  
 आशौचेन्द्रशेखर—नागोत्तिभट्ट द्वारा।  
 आश्वलायनगृह्यसूत्र—निगय० प्र० म मुद्रित वि० याथिका इण्डिका सोरीज एव एम० वी० ई० जिद २९ म अनुदित। टी० अनाविला हरदत्त द्वारा (ट्राएनिंग केंटर)। टी० तबीर के राजा साहनी एव सर्फोजी प्रथम के मन्त्रो आनदराय बाजपेययन्त्रा द्वारा। टी० गदाधर द्वारा। टी० धिमलोदयमाला अभिनन्द के पिता एव कयाणस्वामी क आत्मज कान्त पुत्र जयतस्वामी द्वारा। नो० जिव्द १५ पृ० १६३। लग० १८वीं गताब्दी के अन्त म। टी० देवस्वामी द्वारा नारायण द्वारा व०। लग० १००० १०५० ई०। नैधुवगात्र के दिवाकर पुत्र नारायण द्वारा (विश्वियाथिका इण्डि० एव निगय० प्र० मे मुद्रित) देवस्वामी के भाष्य की आर सनेत। आश्वलायन श्रौत० के भाष्यकार नरसिंहक पुत्र गाय यण की पहचान सदिग्य है। दे० वी० वी० आर०

- एस्० कैट०, जिल्द २, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ-स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का अनुसरण हुआ है।
- आश्वलायनगृह्यकारिका—२२ अध्यायों एवं १२९६ श्लोकों में। टी० विवरण, बुष्यदेव या उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण द्वारा।
- आश्वलायनगृह्यकारिका—कुमारिलस्वामी (? कुमार-स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बी० आर० ए० एस्०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में मुद्रित, १८९४)।
- आश्वलायनगृह्यकारिका—रघुनाथ दीक्षित द्वारा।
- आश्वलायनगृह्यकारिकावञ्जी—गोपाल द्वारा।
- आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट—(निर्णय० प्रे० एवं विधि० इण्डि० द्वारा मुद्रित)।
- आश्वलायनगृह्यपरिभाषा।
- आश्वलायनगृह्यप्रयोग।
- आश्वलायनगृह्योक्तवास्तुशान्ति—रामकृष्ण भट्ट द्वारा।
- आश्वलायनधर्मशास्त्र—द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० ८७०८)।
- आश्वलायनपूर्वप्रयोग—(हुल्श, सं० ४३१)।
- आश्वलायनप्रयोग—टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति।
- आश्वलायनप्रयोगदीपिका—तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु-मल सोमयाजी द्वारा।
- आश्वलायनयाज्ञिकपद्धति।
- आश्वलायनशास्त्राद्धप्रयोग—रामकृष्णात्मज कमलाकर द्वारा।
- आश्वलायनसूत्रपद्धति—नारायण द्वारा।
- आश्वलायनसूत्रप्रयोग—त्रैविद्यवृद्ध द्वारा।
- आश्वलायनसूत्रप्रयोगदीपिका—मञ्चनाचार्यभट्ट द्वारा (बनारस सं० सीरीज में मुद्रित)।
- आश्वलायनस्मृति—११ अध्यायों एवं २००० श्लोकों में। आश्वलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका

- की ओर संकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा उ०।
- आहिताग्निमरणे दाहादि—रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट-नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२।
- आहिताग्नेर्दाहादिनिर्णय—विश्वनाथ हॉसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।
- आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग।
- आहुततीर्थकस्नान प्रयोग।
- आह्निक—बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे दिये जाते हैं।
- आह्निक—दशपुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।
- आह्निक—आपदेव द्वारा।
- आह्निक—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६, यह 'बह्वृचाह्निक' ही है।
- आह्निक—गगाधर द्वारा।
- आह्निक—गोपाल देशिकाचार्य द्वारा।
- आह्निक—छल्लारि नृसिंह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु-यायियों के लिए।
- आह्निक—ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्निक-संक्षेप भी लिखा है।
- आह्निक—दिवाकर भट्ट द्वारा।
- आह्निक—बलभद्र द्वारा।
- आह्निक—भट्टोजि द्वारा (चतुर्विंशतिमत-टीका से)।
- आह्निक—माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा।
- आह्निक—विठ्ठलाचार्य द्वारा।
- आह्निक—(बोधायनीय) विश्वपतिभट्ट द्वारा।
- आह्निक—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।
- आह्निक—त्रजराज द्वारा (वल्लभाचार्य के अनुयायियों के लिए)।
- आह्निककारिका।
- आह्निककृत्य—विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०, अतः १५०० ई० के पूर्व।
- आह्निककौतुक—(हरिवंशविलास से)।
- आह्निककौस्तुभ—यादवाचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा

(बडोदा, स० ८८०९)। यह आनन्दतीर्थ की सदा-चारस्मृति की टी० है।

आह्निकचन्द्रिका—वाशीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका है या चन्द्रिका टीका है ?)।

आह्निकचन्द्रिका—गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर लिखित।

आह्निकचन्द्रिका—गामीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—रामेशमठ्टात्मज महादेव काल के पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक मन्त्रा के उद्धरण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का उल्लेख है। यह मन्त्राह्निकचन्द्रिका ही है।

आह्निकचन्द्रिका—देवराम द्वारा।

आह्निकचिन्तामणि—आह्निकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०, अन यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है।

आह्निकतत्त्व या आह्निकाघास्तत्त्व—रघुनन्दन द्वारा, जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० मधुसूदन द्वारा।

आह्निकदर्पण—रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद प्रकाशित, १८७६)।

आह्निकदीपक—अनन्त—लक्ष्मीधर—गोविन्द—

वर्मराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, स० २९१।

आह्निकदीपक—शिवराम द्वारा। दे० आह्निक-संक्षेप।

आह्निकपद्धति—विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'धनु-बल्लभा'।

आह्निकपारिजात—अनन्तभट्ट द्वारा।

आह्निकप्रकाश—शीरमित्रीदय से।

आह्निकप्रदीप—कमलाकर द्वारा उ०।

आह्निकप्रयोग—गोशयरी पर कूर्मरथाम के कमलाकर द्वारा। बडोदा की ग० २७७ में कुछ मन्दैह है।

आह्निकप्रयोग—पदाशिव दीक्षित के पुत्र बानीदीक्षित द्वारा। हदकचन्द्रम में अनन्त ने उद्धरण दिया है।

आह्निकप्रयोग—मोक्षार्पण कविवर्यजन द्वारा (आप-स्तम्बिया के लिए)।

आह्निकप्रयोग—महादेव भट्ट के पुत्र मनीहर भट्ट द्वारा (हिरण्यवेशिया के लिए)।

आह्निकप्रयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन् १५८३ ई० में १९ वर्ष की अवस्था में रसप्रदीप का प्रथमन विद्या।

आह्निकप्रयोगरत्नमाला—बैराज (आधुनिक वार्डे, मन्गल जिले) के निवासी मयूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर दीक्षित धिये ने इस लिखा है। भट्टाजिदीक्षित पर आचाराक की चर्चा है।

आह्निकप्रायश्चित्त—इसमें कमलाकर वर्णित हैं। (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५)।

आह्निकभास्कर—इन्द्रगण्ड सूर्यनारायण द्वारा।

आह्निकमञ्जरीटीका—गोदावरी पर पुष्पस्तम्भ (आधु-निथ पुण्यताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज हरिपण्डित के पुत्र बीरेश्वर द्वारा। इसके विद्यप्र रशरेन्दुमिते, अर्थात् सन् १५९८ ई० में रचित।

आह्निकरत्न—(प्रति दिन के कर्मों पर)।

आह्निकरत्न—शांतिनाथ शिरामणिभट्ट द्वारा। तीन प्रकाशा में।

आह्निकरत्नचक्र—गणपतरसुत द्वारा (बडोदा, स० १२३०६७)।

आह्निकविधि—कमलाकर द्वारा।

आह्निकविधि—नारायण भट्ट द्वारा।

आह्निकसंक्षेप—कौमुभिसाला का।

आह्निकसंक्षेप—जानभास्वर का।

आह्निकसंक्षेप—वामदेव द्वारा, लाला ठक्कर के लिए लिखित।

आह्निकसंक्षेप—शिवराम द्वारा। वैद्यनाथ के आह्नि-का संक्षेप।

आह्निकसंक्षेप—मनभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त भट्ट द्वारा। मुगलपत्रकुर्वेदिया के लिए।

आह्निकसार—दल्पनिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय नृसिंहप्रसाद का है)।

- आह्निकसार—वालम्बट्ट द्वारा (सम्मवतः आह्निक-सारमंजरी के लेखक)।
- आह्निकसार—सुदर्शनाचार्य द्वारा।
- आह्निकसार—हरिराम द्वारा।
- आह्निकसारमञ्जरी—विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र वालम्बट्ट द्वारा।
- आह्निकसूत्र—गौतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७ खण्डों में। दे० वी० वी० आर० ए० एस्०, पृ० २०४, सं० ६५१।
- आह्निकस्मृतिसंग्रह।
- आह्निकाचारराज—सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपौत्र रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई० में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में संगृहीत।
- आह्निकामृत—रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा। वैष्णवों की वैखानस शाखा के कर्मों एवं धार्मिक कृत्यों पर।
- आह्निकोद्धार—रघुनन्दन द्वारा आह्निकतत्त्व में उ०। इन्द्रदत्तस्मृति।
- इष्टिकाल—दामोदर द्वारा।
- ईशानसंहिता—समयमयूख में वर्णित।
- ईश्वरसंहिता—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०।
- उज्ज्वला—हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधर्मसूत्र पर टी०। टी० कालामृत, वेङ्कटयज्वा द्वारा।
- उत्तरकालामृत—कालिदास द्वारा (विवाह, विहद्वसम्बन्ध आदि पर)।
- उत्तरक्रियापद्धति—यान्निकदेव द्वारा।
- उत्तरीयकर्म—(काण्वीय)।
- उत्पातशान्ति—बृद्धगर्ग लिखित कही गयी है।
- उत्सर्गकमलाकर—कमलाकर भट्ट का।
- उत्सर्गकर्म।
- उत्सर्गकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकीस्तुभ का अंश।
- उत्सर्गनिर्णय—कृष्णराम द्वारा।
- उत्सर्गपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।
- उत्सर्गपरिशिष्ट।
- उत्सर्गप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा।
- उत्सर्गमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में मुद्रित)।
- उत्सर्गोपाकर्मप्रयोग—नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण द्वारा।
- उत्सर्जनपद्धति।
- उत्सर्जनोपाकर्मप्रयोग—महादेव के सुत वापूभट्ट द्वारा।
- उत्सवनिर्णय—तुलजाराम द्वारा।
- उत्सवनिर्णय—पुरुषोत्तम द्वारा।
- उत्सवनिर्णयमंजरी—गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४ (१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा सं० २३७५)।
- उत्सवप्रकाश।
- उत्सवप्रतान—पुरुषोत्तम द्वारा।
- उदक्याशुद्धिप्रकाश—ज्वालानाथ मिश्र द्वारा।
- उदयाकरपद्धति—(तन्त्र) 'मालासंस्कार' में उ०।
- उदीच्यप्रकाश—(बड़ोदा, सं० ८०१६)।
- उद्यानप्रतिष्ठा।
- उद्यापनकालनिर्णय।
- उद्वाहकन्यास्वरूपनिर्णय।
- उद्वाहचन्द्रिका—गोवर्धन उपाध्याय द्वारा।
- उद्वाहतत्त्व—दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाचस्पति भट्टाचार्य (सन् १८७७ एवं १९१६ में वैंगला लिपि में कलकत्ता से मुद्रित)।
- उद्वाहनिर्णय—गोपाल न्यायपंचानन द्वारा।
- उद्वाहलक्षण।
- उद्वाहविवेक—गणेशभट्ट द्वारा।
- उद्वाहव्यवस्था—गो०, जिल्द २, पृ० ७७।
- उद्वाहव्यवस्था—दे० सम्बन्धव्यवस्थाविकास।
- उद्वाहव्यवस्थासंक्षेप।
- उद्वाहादिकालनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० १०२२६)।
- उपकाश्यपस्मृति।
- उपचारपोडदारत्नमाला—(महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या) रघुरामतीर्थ के गिष्य मुरेदवरस्वामी द्वारा।
- उपनयनकर्मपद्धति।

उपनयनकारिका—अज्ञान ।

उपनयनचिन्तामणि—गिरानन्द द्वारा ।

उपनयनतन्त्र—गाभिल द्वारा ।

उपनयनतन्त्र—रामदत्त द्वारा ।

उपनयनतन्त्र—श्रीवाशि द्वारा ।

उपनयनपद्धति—रामदत्त द्वारा (वाजसनेयिष्य के लिए) ।

उपनयनपद्धति—विद्वनाय दीक्षित द्वारा ।

उपस्थान ।

उपाकर्मनिर्णय ।

उपाकर्मकारिका—(हटीर, पृ० १०) ।

उपाकर्मपद्धति—(वात्स्यायनीय) विद्वनाय द्वारा ।

उपाकर्मप्रमाण—बालदीक्षित द्वारा ।

उपाकर्मप्रयोग—(आपस्तम्बीय) ।

उपाकर्मप्रयोग—(आश्वलायनीय) ।

उपाकर्मप्रयोग—श्रीवामदेव के पुत्र द्वारायनाय द्वारा ।

उपाकर्मविधि ।

उपाकृतितत्त्व—बालम्भट्ट उक्त बालवृष्णपायगुप्तेद्वारा, प्रति० न० १८४८ (१७९२ ई०), म्दीन, पृ० ३०२ ।

उपाकर्मविधि—दयाशंकर द्वारा ।

उपागिर स्मृति ।

ऊर्ध्वपुण्ड्रनिर्णय—पुरुषात्तम द्वारा, वात् १७६४ सवत, बडोदा म० ३८६२ ।

ऊर्ध्वपुण्ड्रधारण ।

ऊर्ध्वमूल ।

ऋग्वेदाङ्गिक—वासीनाय द्वारा । ऋग्वेदाङ्गिकचन्द्रिका नाम भी है ।

ऋग्वेदाङ्गिक—गिरोमणि द्वारा ।

ऋग्वेदाङ्गिकचन्द्रिका—वासीनाय द्वारा ।

ऋजुप्रयोग—विद्वनाय हासिग के पुत्र भट्ट राम द्वारा (तीर्थदण के आचार पर) । बडोदा, म० ८५१५, शक म० १६७६ ।

ऋजुमिताक्षरा—यह मिताक्षरा ही है ।

ऋणमीक्षण ।

ऋगुलक्षण ।

ऋगुगान्ति ।

ऋत्विचरणनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा ।

ऋषितर्पण ।

ऋषितर्पणकारिका ।

ऋषिमट्टी—दे० गम्वारभास्कर ।

ऋष्यभृगुविधान—(वर्षा के लिए श्रुत्य) बडोदा, म० ११०६७ ।

ऋष्यभृगुस्मृति—दे० प्र० ४० ।

एकदशितन्यासविधि—श्रीनव द्वारा ।

एकदशप्रजननगान्ति—गार्ग्य द्वारा (बडोदा, म० ५६६१) ।

एकदशस्तानविधि—गार्ग्यभट्टारमज नीलकण्ठ के पुत्र भानुभट्ट द्वारा । लग० १६४०-१६८० ई० ।

एकानिकाण्ड—(यजुर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक एव मन्त्रप्रद भी नाम है (मैसूर, १९०२) । दे० आस्तम्बीयमन्त्रपाठ ।

एकानिकाण्डमन्त्रध्याख्या—हरदत्त द्वारा ।

एकानिदानपद्धति—श्रीदत्त मिश्र द्वारा । ल० सवत् २९९९=१४१८ ई० मे मिथिला के देवसिंह के संरक्षण में पाण्डु० उतारी गयी ।

एकादशाहकृत्य ।

एकादशोत्तमप्रयोग—(११ बार रुद्राध्याय वा पाठ) ।

एकादशोत्तम—रघुनन्दन द्वारा । टी० वासीराम वाचस्पति द्वारा । टी० 'दीप', राधामोहन गोस्वामी द्वारा । घान्तिपुर के वासी एव कोलभुक्त के मित्र । चैतन्यदेव के साथी अद्वैत के वरज थे ।

एकादशोत्तम—इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कंठलायी में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं ।

एकादशोत्तम—(या निर्णयनार) मुरारि के पुत्र धरणीधर द्वारा । श० म० १४०८ (१४८६ ई०) में प्रणीत । महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम उल्लिखित है । अनन्तभट्ट, वीपदेव पण्डित, विश्वरूप (शुद्धा एव विद्धा एकादशी के प्रकारों पर श्लोक), विज्ञानेश्वर (एकादशी पर तीन सम्भार श्लोकों) का



पुरुषोत्तम के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा, कलिवर्ज्यं, आह्निक, भस्वार, श्राद्ध पर, भाववीय, वामनभाष्य, चन्द्रिका, जयन्त, बालादर्श, भद्रनपारिजात को उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० (स्टीन, पृ० ३०४)।

कर्मदीप—त्रिकाण्डमण्डन में उ०।

कर्मदीपिका—रघुगमतीर्थ द्वारा। एक विंगल ग्रन्थ।

वर्गाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायों में अधिन। विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण (वी० वी० आर० ए० एम्, पृ० २११-२१३)।

कर्मदीपिका—भूवर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, म० ६८९०)। तुण्ड, वेदि, मयुषकं, कन्यादान, चतुर्विधर्म पर।

कर्मनिर्णय—जानन्दतीर्थ द्वारा। टी० जयतीर्थ द्वारा।

टी० पर टी०, राघवेन्द्र द्वारा।

कर्मपद्धति—चिद्बनानन्द द्वारा।

कर्मपौष्य—अहल्यावामधेनु में व०।

कर्मप्रकाश—वाणेश्वर द्वारा।

कर्मप्रकाश—शरानित्यत्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

कर्मप्रकाशिका—पञ्चाक्षर मुहुराय द्वारा (पाण्डन, रामाण्डहाम पुत्रस्वाभावविधि, मूलग्रन्थ पर)।

कर्मप्रदीप—शारदायन या पामिठ का कथा गता है।

छात्रागणिसिद्ध नाम भी है। मूलग्रन्थि भाष्य, रघुनन्दन कर्मशास्त्र द्वारा उ०। टी० चतुर के पुत्र आमादित्य या आमात द्वारा। टी० परिमिष्ट प्रकाश गाय के पुत्र नारायणाश्रयण द्वारा (सिंहि० दण्डि० १९०९)। टी० विद्या के पुत्र तिरुगम द्वारा।

कर्मप्रदीपिका—कर्मेश्वर द्वारा पाण्डनगृह्यग्रन्थ पर एक पद्धति।

कर्मप्रारम्भिक—शैलदिव्यो द्वारा।

कर्मवञ्जरी—(प्रथम संस्करण, म० १-३३)।

कर्मलोचन—पुत्रवा ५ कर्मों पर १०८ श्लोक।

कर्मविद्या।

कर्मविद्या—इन्द्राक्षी द्वारा, सिद्धा १० अध्यायों में

कर्मफलों पर नारद को शिक्षा दी है (अल्बर, २९३)।

कर्मविपाक—भरत द्वारा, जिसमें भृगु ने शिक्षा दी है।

कर्मविपाक—भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है।

कर्मविपाक—भाणवाचार्य द्वारा।

कर्मविपाक—भाष्याता द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाक—मौलुगि भूपति द्वारा। कर्मविपाकनामग्रह

एव नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। सन् १३८९ ई० के पूर्व।

कर्मविपाक—जह्ण के प्रति रवि द्वारा (अल्बर, म० १२७८ एव भाग २९३)।

कर्मविपाक—रामहृष्णाचार्य

कर्मविपाक—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक, मुद्रितत्व (पृ० २४२) द्वारा व०।

कर्मविपाक—नीलवण्ड भट्ट के पुत्र चतुरभट्ट द्वारा (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५७५)

कर्मविपाक—पद्मनाभात्मज वाण्डेदेव के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'शास्त्राह्वकर्मविपाक'।

कर्मविपाक—ज्ञानभास्वर के प्रति।

कर्मविपाक—सुवीर्य के प्रति।

कर्मविपाक—ज्ञानानन्दस्मृति में (जीवानन्द २, पृ० ४२५)

कर्मविपाकचिकित्सासामुदाय—सिद्धि देईदाग द्वारा।

कर्मविपाकपरिपाटी।

कर्मविपाकप्रायश्चित्त।

कर्मविपाकमहार्णव—दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाकस्त—रामहृष्णा के पुत्र कर्मशास्त्र द्वारा।

कर्मविपाकसंहिता—(शैलेश्वर प्रयोग द्वारा मुद्रित)। ब्रह्मगुण का एक भाग।

कर्मविपाकग्रन्थ—महार्णवकर्मविपाक में। कर्मविपाक में चतुर द्वारा एक भद्रनन्द में उ०।

कर्मविपाकगृह्यग्रन्थ—भद्रनन्द के पुत्र भाणवा द्वारा। भाणवा महार्णवविद्याग्रन्थ में व०। सन् १३१५ ई० के पूर्व।

कर्मविपाकनाम—कर्मविपाक में चतुर द्वारा एक शिष्या-चार्यनी (पृ० १६० एव २०३) में उ०।

कर्मविपाकसार—रत्ननिराज (लग० १५१० ई०)  
द्वारा।

कर्मविपाकसार—नारायणभट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र  
दिनकर द्वारा (इष्टि० आ०, पाण्डु० संवत् १६९६;  
पृ० ५७३)। लग० १५८५-१६३० ई०।

कर्मविपाकसार—नूर्यराम द्वारा।

कर्मविपाकसारसंग्रह—पद्मनाभात्मज कान्हड़ या कान्हड़  
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'नारायणकर्मविपाक' एवं  
'कर्मविपाक'।

कर्मविपाकार्क—शंकर द्वारा। दे० कर्मविपाक।

कर्मविपाकसारोद्धार।

कर्मसंग्रह—अहल्याकामधेनु में व०।

कर्मसरणि—विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वेदलभा'।  
जन्म १५१९ ई०।

कर्मसिद्धान्त—गुरुरीक्षम द्वारा (बड़ोदा, सं०  
८३६१); श्राद्ध, न्ययनाध्याय आदि पर।

कर्मनुष्ठानपद्धति—भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३।  
टी० 'संसारपद्धतिग्रन्थ'।

कर्मोपदेशिनी—अनिरुद्ध द्वारा। रघुनन्दन एवं कमलाकर  
द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२।

कर्मोपदेशिनी—हृत्वायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२।

कालानिधि—विश्वम्भर के स्मृतिनारोद्धार में व०।

कलिका—दे० 'दीपकलिका'। कमलाकर द्वारा उ०।

कलियमनिर्णय।

कलियमप्रकरण—कमलाकर भट्ट द्वारा।

कलियमसारसंग्रह—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा।

कलियुगधर्मसार—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों  
में; प्रथम विष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा,  
गंगास्नान-फल आदि पर।

कलियुगधर्मधर्म।

कलियुगधर्मनिर्णय—नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा।  
आचारमयूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें  
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की  
शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्धदीपकलिका  
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)।

कल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७।

कल्पद्रु—मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०।

कल्पद्रुम—दे० दानकल्पद्रुम, रामकल्पद्रुम एवं श्राद्ध-  
कल्पद्रुम। चण्डेश्वर एवं मदनपारिजात (जिनमें  
दोनों का अर्थ है लक्ष्मीधर का कल्पद्रुम) द्वारा  
उद्धृत।

कल्पलता—दे० कृत्यकल्पलता।

कल्पलता—जोल्लट (?) द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण  
के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा  
उद्धृत।

कल्पवृक्षदान।

कवयस्मृति—पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गी० ध० सू०  
के भरत रिभाष्य द्वारा उ०।

कविरहस्य—शृष्णभट्ट द्वारा।

कविराजकौतुक—कविराज गिरि द्वारा।

कश्यपस्मृति—हेमाद्रि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मदन-  
पारिजात द्वारा उ०।

कश्यपोत्तरसंहिता।

कस्तूरीस्मृति—(या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा।

कांस्यपात्रदान।

काकचण्डेश्वरी।

काठकगृह्य—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं  
श्राद्धमयूख में) द्वारा उ०।

काठकगृह्यपंचिका।

काठकगृह्यपरिशिष्ट—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०।

काठकगृह्यसूत्र—लीगाक्षि द्वारा (डी० ए० वी० कालेज  
लाहौर, १९२५, डा० कैलेण्ड, जहाँ तीन टीकाओं से  
उद्धरण दिये गये हैं)। टी० (भाष्य) देवपाल (हरि-  
पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य-  
दर्शन द्वारा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणवल  
की 'पद्धति'।

काठकाह्निक—गंगाधर द्वारा।

काण्व—आप० ध० सू० (१११।६) में उद्धृत।

कातीयगृह्य—दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमयूख में व०।

कात्यायनगृह्यकारिका।



कात्यायनगृह्यपरिशिष्ट ।

कात्यायनस्मृति—भास्वत्त्वय, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव द्वारा व० । दे० बृद्धवाहपायन, रघुनन्दन ने उल्लेख किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० ६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) ने कर्मप्रदीप एव गोभिलस्मृति कहा गया है ।

कादम्बरी—गोकुलनाथ के द्वैतनिर्णय पर एक टीका ।

कामधेनु—गोपाल द्वारा । दे० प्रक० ७१ ।

कामधेनु—टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । इसमें धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष—चार स्तना का वर्णन है । अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के सरक्षण में संगृहीत । स्टोन, पृ० ८४ एव ३०१ ।

कामधेनुदीपिका—मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा (दे० मनु ५।५६, ८० एव १०४) ।

कामन्दकीयनीतिसार—(विन्डि० इण्डि० एव ट्राएनीएल सीरीज) महाभारत, वामन के काण्डालकार में व० । १९ सर्गों एव १०८७ श्लोकों में । कुछ पाण्डु० में २० सर्ग हैं । टी० आत्माराम द्वारा । टी० उपाध्याय निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह काण्डादर्श के प्रथम श्लोक से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की व्युत्पत्ति में उपस्थित करता है—'कुटिर्घट उच्यते त लान्नि संगृह्णन्ति नाधिक इति कुटिला, कुटिलानामपत्य कौटिल्य विष्णुमुत्त' । टी० जयराम द्वारा । टी० जयमंगल, शंकराय द्वारा (ट्राएनीएल सी०) । टी० नयप्रसाद, वरदराज द्वारा ।

कामरूपनिबन्ध—रघुनन्दन की पुस्तक मूलभासतत्त्व में एव कमलाकर द्वारा उ० ।

कामरूपयात्रापद्धति—हलिरामगर्ग द्वारा, १० पटलों में ।

कामिक—हेमाद्रि, बालभाष्य, नृसिंहसाय, निर्णयसिन्धु द्वारा व० ।

काम्यकर्मशमला ।

काम्ययामान्यप्रयोगरत्न ।

कायस्थत्रयित्वबुद्धमदलनकुटार—रघुमीनारायण पण्डित द्वारा ।

कायस्थतत्त्व ।

कायस्थनिर्णय—(या प्रकाश) विश्वेश्वर उर्फ गागाभट्ट द्वारा । लगभग १६७४ ई० में प्रणीत ।

कायस्थनिर्णय ।

कायस्थपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा । १८७४ ई० में बम्बई में मुद्रित । यह कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, स० ९६७०, सवत् १७२७=१६७०-७१ ई०) ।

कायस्थविचार ।

कायस्थोत्पत्ति—गगाधर द्वारा ।

कारणप्रायश्चित्त ।

कारिका—अनन्तदेव द्वारा ।

कारिकाटीका—(लघु) माधव द्वारा ।

कारिकामजरी—मीद्गल गात्र के ईशनाथ के पुत्र बनकी मभापति द्वारा । टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) ।

कारिकासमुच्चय ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपदान—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपदानपद्धति—विरवाचि के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपदानपद्धति—वृष्ण के पुत्र रघुमणदेशिप द्वारा ।

कार्यनिर्णयसंक्षेप—(श्राद्ध पर) ।

कार्णान्जनिस्मृति—हेमाद्रि, माधव, जीमूतवाहन, मिला-धारा द्वारा व० ।

कालकौमुदी—दुर्गासवविवेक में व० ।

कालकौमुदी—हरिविषमभट्ट (दाविड) के पुत्र गोपाल भट्ट द्वारा । रघुनन्दन, राममुकुट, कमलाकर द्वारा व० । १४०० ई० के पूर्व ।

कालकौमुदी—गदावर के पुत्र नीलम्बर (बालसार के लेखक) द्वारा गान्दिनान्द की सूक्तिकौमुदी में व० ।

कालगुणोत्तर—शांतिमपूत में व० ।

कालचक्रिका—वृष्णभट्ट मीनी द्वारा ।

कालचक्रिका—नाथूरग मारिदर भट्ट द्वारा ।

कालचिन्तामणि—गान्दिनान्द की सूक्तिकौमुदी में व० (अन १५०० ई० के पूर्व) ।

कालतत्त्वविधेयन—भट्ट रामेश्वरामत्र भट्ट माधव

(ललिता) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा । संवत् १६७७ = १६२० ई० में प्रणीत । तिथियों, मास एवं अधिकमास पर ।

**कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह**—(या सारोद्धार) बालकृष्ण के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे । लग० १७०० ई० ।

**कालतत्त्वार्णव**—टीका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा ।

**कालतरंग**—छलारि नृसिंह द्वारा । स्मृत्यर्थसार का प्रथम भाग ।

**कालदानपद्धति** ।

**कालदिवाकर**—चन्द्रचूड़ दीक्षित द्वारा ।

**कालदीप**—संस्कारमयूख एवं नृसिंहप्रसाद (संस्कारसार) में वर्णित । १५०० ई० के पूर्व । टी० नृसिंह के प्रयोगपारिजात में व० ।

**कालदीप**—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा ।

**कालनिरूपण**—वैद्यनाथ द्वारा ।

**कालनिर्णय**—आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा ।

**कालनिर्णय**—गोपाल न्यायपंचानन द्वारा ।

**कालनिर्णय**—तोटकाचार्य द्वारा ।

**कालनिर्णय**—(लघु) दामोदर द्वारा ।

**कालनिर्णय**—नारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह कालनिर्णयसंग्रहश्लोक ही है) ।

**कालनिर्णय**—(संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (वड़ोदा, सं० ५३७३) ।

**कालनिर्णय**—माधव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) ।

विठ्ठल इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित । टी० मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनिरसेन्दुमितेद्वे) = सन् १६१४ ई० में लिखित (डकन कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) । टी० कालनिर्णय-संग्रहश्लोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा । टी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, रामचन्द्राचार्य द्वारा । टी० धरणीधर द्वारा । टी० लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा ।

**कालनिर्णय**—हेमाद्रि के परिशेषखण्ड से ।

**कालनिर्णयकारिका**—(कालमाधव से, माधवाचार्य की १३० कारिकाएँ) । टी० अज्ञात (नो० जित्द १०, पृ० २३९-२४०) । टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) ।

**कालनिर्णयकौतुक**—नन्दपण्डित के हरिवंशविलास का एक भाग ।

**कालनिर्णयचन्द्रिका**—(१) महादेव के पुत्र, काल उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा । ये कमलाकर के पिता रामकृष्ण के दीहित थे । लग० १६६० ई० । (२) नृसिंह के पौत्र एवं श्रीधर्मभट्ट तथा कामक्का के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा ।

**कालनिर्णयदीपिका**—काशीनाथभट्ट द्वारा, जिनका दूसरा नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयरामभट्ट के पुत्र, शिवरामभट्ट के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे ।

**कालनिर्णयदीपिका**—कृष्णभट्ट द्वारा ।

**कालनिर्णयदीपिका**—कृष्णाचार्य के पुत्र, अनन्ताचार्य के पौत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्राचार्य द्वारा माधवीयकालनिर्णय पर एक टीका । लग० १४०० ई० । इन्होंने प्रक्रियाकौमुदी भी लिखी । टी० विवरण, उनके पुत्र नृसिंह द्वारा; पाण्डु० की तिथि १५४८ ई०; नृसिंहप्रसाद में व० । इसमें शेष कुल की विस्तृत वंशावली दी हुई है (वड़ोदा, सं० १०४-१०, जिसमें शक सं० १३३१ है—'शशांककालानलविश्वसंमिते विरोधिवर्षे') । टी० रामप्रकाश, राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, टी० सूर्यपण्डित द्वारा ।

**कालनिर्णयप्रकाश**—विठ्ठल के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत् के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवेचन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लग० १६७० ई०) । वड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक १६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है ।

**कालनिर्णयसंक्षेप**—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित) ।

**कालनिर्णयसार**—दलपतिराज द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंश) । दे० प्रक० ९९ ।

कालनिणयसिद्धान्त—काहजित के पुत्र महादेवविद द्वारा (११८ श्लोका म) आधुनिक सिहोर के पास वेलावटपुर म जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा सगहीत गद्य सामग्री पर आधारित भुज नगर म सन १६५२ ५३ (स० १७०९) म प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु० स० २७५ १८८७ ९ ई०। टी० लेखक द्वारा सवत १७१० म लिखित।

कालनिणयसौख्य—(या समयनिणयसौख्य) टोडरा नद का एक भाग।

कालनिणयावबोध—अन तदवज्ञ द्वारा।

कालप्रदीप—नसिंह के प्रयोगपारिजात म व०।

कालप्रदीप—विर्यागिहू द्वारा।

कालभाष्यनिणय—गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा म० १०२६०)।

कालभास्कर—गम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा स० १०१५५)।

कालभद्र।

कालमयूख—(या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। द० प्रक० १०७।

कालमाधव—कागी सस्वत सी० एव वि० इण्डि० दे० कालनिणय ऊपर।

कालमाधवकारिका—(या लघुमाधव)। टी० विटठला रमज रामचंद्रतत्स के पुत्र वचनायसूरि द्वारा (अल्वर स० १२९३)।

कालमातण्ड—कृष्णमित्राचार्य द्वारा जो राममेवक के पुत्र एव देवीदत्त भट्ट के पौत्र थे।

कालविधान—नद पण्डित की श्राद्धक पलता म वर्णित।

कालविधान—श्रीधर का।

कालविधानपद्धति—श्रीधर दत्त।

कालविवेक—जीमूतवाहन द्वारा (वि० इण्डि० सी०) द० प्रक० ७८। नृसिंह रघुनंदन एव कमलाकर द्वारा व०।

कालविवेचनसारसंग्रह—गम्भुभट्ट द्वारा।

कालसवस्व—कीरम गात्र के कृष्णमिश्र द्वारा।

कालसार—नीलाम्बर एव जानकी क पुत्र हरेदृष्ण भूपति

की रानी के गुरु हल्धर के भतीजे गदाधर द्वारा। वि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित। १४५० १५०० क बीच। इसने कालमाधवीय कालादश एव रुद्रधर का उल्लेख किया है।

कालसिद्धान्त—(या सिद्धान्तनिणय) धर्मभट्टात्मज उमा पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चंद्रनूड (पौराणिक उपाधिधारी) द्वारा। १५५० क उपरान्त।

कालादश—(या कालनिणय) विश्वेश्वराचार्य क निष्प गयगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्भ द्वारा। पाण्डु० स० १५८१ म नसिंह अलाडनाथ रघुनंदन काल माधव दुर्गासवविवेक द्वारा उ० इसम स्मृति चंद्रिका स्मृतिमहाणव विद्यान्ग का उल्लेख है अत १२०० १३२५ ई० क बीच प्रणीत।

कालामृत—(एव टी० उज्वला) वैकटयज्ञवा द्वारा जिसक चार भाइया म एक यल्लयज्ञवा भी था। (१) हुंरा (तेलगु एव ग्रन्थलिपिया म मद्रास म मुद्रित) प० ७२। (२) मुरुभट्ट लक्ष्मीनरसिंह द्वारा। लेखक की टी०, १८८० ई० मे मद्रास मे मुद्रित।

कालावलि—अदभुतमागर म व०।

कालिकाचनपद्धति।

कालिकाचनप्रदीप—अहल्याकामधनु म व०।

कालिकाचनसहिता—अहंयाकामधनु म व०।

कालिकार्चादीपिका।

कालोत्तर—हृमाद्रि एव रघुनंदन के भलमासतत्त्व द्वारा व०। इसी नाम का एक सात्रिक ग्रन्थ सा लगता है।

काल्यचनचंद्रिका—नीलकमल लाहिरी द्वारा। बंगला लिपि मे सन १८७७ ७९ म मुर्शिदाबाद से प्रकाशित।

काशीलण्डकयाकेलि—प्रभाकर द्वारा।

काशीतत्त्व—रघुनाथ दसरस्वती द्वारा।

काशीतत्त्वदीपिका—प्रभावर द्वारा (क्या यह उपयुक्त -केलि ही है?)।

काशीतत्त्वप्रकाशिका—(या काशीमारोद्धार) रघुनाथे त्रिगवीगी द्वारा। (स्टीन पृ० ८६ एव ३०३)।

उल्लास। म विभक्त। संभवत यह काशीतत्त्व ही है।

काशीप्रकरण—(त्रित्वलीसतु से)।

- काशीप्रकाश—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५।
- काशीमरणमुक्तिविचार—नारायणभट्ट द्वारा।
- काशीमाहात्म्यकौमुदी—रघुनाथदास द्वारा।
- काशीमुक्तिप्रकाशिका।
- काशीमृतिमोक्षनिर्णय—(या काशीमोक्षनिर्णय) सुरेश्वरा-  
चार्य द्वारा।
- काशीमृतिमोक्षनिर्णय—विश्वनाथाचार्य द्वारा।
- काशीरहस्यप्रकाश—नारायण के पुत्र राम भट्टात्मज  
नारायण द्वारा। कामदेव की आज्ञा से राजनगर में  
प्रणीत।
- काश्यपधर्मशास्त्र—दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द  
३, पृ० ३८४, सं० १३१७)।
- कीर्तिचन्द्रोदय—अकबर के शासन-काल में (लग० १६  
वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) चूहडमल्ल की संरक्षकता  
में दामोदरपण्डित द्वारा।
- कीर्तितत्त्व।
- कीर्तिप्रकाश—विष्णुशर्मा द्वारा। दे० 'समयप्रकाश'  
(इण्डि० ऑ, पृ० ५३८, सं० १६८२)।
- कुण्डकल्पद्रुम—व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव-  
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०)  
में प्रणीत। काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड-  
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का  
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका  
लेखक द्वारा।
- कुण्डकल्पलता—रामकृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र  
दुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द  
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०।
- कुण्डकारिका—भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा।
- कुण्डकौमुदी—(या कुण्डमण्डपकौमुदी) शम्भु के पुत्र  
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व-  
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं लघुनारा-  
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में  
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई०  
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा।
- कुण्डकौमुदी—त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी०

कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्ल (सं० ३, पृ०  
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुभ, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं  
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई०  
के पश्चात् है।

कुण्डगणपति।

कुण्डचमत्कृति—टी० त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि-सुत  
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा।

कुण्डतत्त्वप्रकाश—(या प्रकाशिका) रामानन्दतीर्थ द्वारा।

कुण्डतत्त्वप्रदीप—वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र-  
सूरि शुक्ल द्वारा; सन् १६२३ ई० में स्तम्भतीर्थ  
(खम्भात) में प्रणीत। इसमें १६४ श्लोक हैं।  
टी० लेखक द्वारा सन् १६३२ ई० में; दे० ड० का०  
(सं० २०४, १८८४-८७)

कुण्डदिव्याल—बाबाजी पाद्वे द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोक—नैमिषारण्य के निवासी राम-  
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में  
प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोकदीपिका—मणिरामदीक्षित द्वारा।

कुण्डपद्धति—नागोजिभट्ट द्वारा।

कुण्डपरिमाण—अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एस्०,  
पृ० १३८)।

कुण्डप्रकाश—तीरो कुल (प्रतापनारसिंह द्वारा) जात  
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९)।  
लग० १७१० ई०।

कुण्डप्रदीप—कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा  
२१ श्लोकों में। टी० लेखक द्वारा; कामिक उ० है।

कुण्डप्रदीप—कान्हजित् के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु  
महादेव राजगुरु द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा  
एवं अनुष्टुप् छन्दों में २० सुन्दर श्लोक। टी० लेखक  
की।

कुण्डप्रबन्ध—बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३  
श्लोकों में। सन् १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में  
प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३  
ई०)।

कुण्डभास्कर—दे० कुण्डोद्द्योतदर्शन।

कुण्डमण्डप—वाचस्पति द्वारा ।

कुण्डमण्डपकौमुदी—दे० गिबसूरि की कुण्डकौमुदी ।

कुण्डमण्डपचक्रिका—विश्वनाथ के पुत्र यशसूरि द्वारा ।

कुण्डमण्डपदण्ड—अनंत के पुत्र नारायण द्वारा एक  
स० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ४९ श्लोका  
में टापरग्राम मल्लिक वित्तामहमशौरग्राम वागी  
थे । टी० मनोरमा लेखक के पुत्र गगाधर द्वारा ।

कुण्डमण्डपनिर्णय—रगरामपद्धति से ।

कुण्डमण्डपनिर्णय—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा  
(स्टीन प० ८६) ।

कुण्डमण्डपपद्धति ।

कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका—नरहरि भट्ट (सप्तर्षि  
उपाधि) द्वारा । पीठमन (अलवर स० ३००) में  
प्रथम को ही सप्तर्षि कहा है जो भ्रामक है । टी०  
लखक द्वारा ।

कुण्डमण्डपलक्षण—(यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है)  
राम वाजपेयी द्वारा स० १५०६ (१४४९ ई०)  
में रत्नपुर क राजा की आज्ञा से प्रणीत । ७४ श्लोको  
में । टी० लखक द्वारा ।

कुण्डमण्डपविधान—अनन्तभट्ट द्वारा ।

कुण्डमण्डपविधान—नीलकण्ठ द्वारा ।

कुण्डमण्डपविधि—गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा ।

कुण्डमण्डपविधि—वाचस्पति जड द्वारा ।

कुण्डमण्डपविधि—राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवत यह  
कुण्डमण्डपलक्षण ही है) ।

कुण्डमण्डपविधि—लक्ष्मण देविकेन्द्र द्वारा ।

कुण्डमण्डपसंग्रह—रामकृष्ण द्वारा ।

कुण्डमण्डपसिद्धि—नीलकण्ठ द्वारा ।

कुण्डमण्डपसिद्धि—(या कुण्डसिद्धि) मगधनेर (अ० म  
नगर जिल) के ब्रह्मगर्भ के पुत्र विटठल्लोचिन  
द्वारा । एक स० १५४१ (गणियुगतिविगण्य) अर्थात्  
१६१९ ई० में प्रणीत । देविए वी० वी० आर०  
ए० गम० (पृ० १४१) । टी० लेखक द्वारा १८९२  
में बम्बई में मुद्रित । टी० राम द्वारा ।

कुण्डमण्डपहोमविधि ।

कुण्डमरीचिमाला—विष्णु द्वारा । राम की कुण्डावृत्ति  
के आधार पर ।

कुण्डमातण्ड—माघ्यदिन गावा एव गौतमगण के  
गदाधरपुत्र ग विददवज्ज द्वारा । ७१ श्लोको में  
१६९१ ई० में जुनार में प्रणीत । टी० प्रभा  
पात्री (पल्लोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले  
सिद्धेश्वर के पुत्र अनंत द्वारा । ३० का० (पाण्डु  
स० ४३ १८८२ ८३) १६९३ ई० में प्रणीत ।

कुण्डमातण्ड—राम वाजपेयी द्वारा । सम्भवत यह कुण्ड  
मण्डपलक्षण ही है ।

कुण्डमूदङ्ग—गोपाल द्वारा (अश्वर स० १३०३ उदरण  
३०१) ।

कुण्डरचना—टीका भी लिखित है ।

कुण्डरचनारीति—शेषभट्ट के पुत्र बालमूरि द्वारा ।

कुण्डरत्नाकर—अग्रजायाभञ्ज ध पति के पुत्र विश्वनाथ  
द्विवेदी द्वारा इसमें राम वाजपेयी का कुण्डावृत्ति  
का उल्लेख है और स्वयं विटठल की कुण्डमण्डपनिर्दि  
म व० है ८४ श्लोको में तिथि १४५० १६५१ ई०  
के मध्य में । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डरत्नावलि—कृष्ण (जफ वात्र) के पुत्र रामचन्द्र जड  
द्वारा एक स० १७९० में प्रणीत । निर्णय० प्रस में  
मुद्रित ।

कुण्डलक्षण—राम (नमिपारण्यवासी) द्वारा । सम्भवत  
यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है ।

कुण्डलक्ष्मणविवृति—सूयदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन  
पृ० १८६ में रघुदेव) यह कुण्डनिर्माणश्लोका  
एव कुण्डमण्डपलक्षणटीका ही है आचार्यसूय में  
व० । लगभग १४४९ ई० में ।

कुण्डविचार—तत्त्वमार स ।

कुण्डविधान—विश्वनाथ द्वारा ।

कुण्डगिरोमणि—कुण्डरत्नम म व० । १६४० ई० के  
पूर्व ।

कुण्डश्लोकदीपिका—रामचन्द्र द्वारा । प्रतापनारायण  
(पूतपराग) म व० ।

कुण्डश्लोकप्रकाशिका—रामचरण द्वारा ।

कुण्डसाधनविधि ।

कुण्डसिद्धि—दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि' ।

कुण्डसिद्धि—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा ।

कुण्डसिद्धि—रामभट्ट द्वारा ।

कुण्डाकृति—सूर्यदास के पुत्र (नैमिषस्थ) राम वाजपेयी द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) सन् १४४९ में प्रणीत । सम्भवतः यह उपर्युक्त कुण्ड-निर्माणश्लोकविवृति ही है । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्क—कृष्णाचार्य द्वारा ।

कुण्डार्क—कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघुवीर ने इस पर मरोचिमाला नामक टीका लिखी है, जो सन् १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई । टीकाकार ने मुहूर्तसर्वस्व भी सन् १६३५-३६ ई० में लिखा । 'कुण्डार्क' के प्रणेता हैं चतुर्धर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में हुआ ।

कुण्डार्कमणिदीपिका—वलभद्रसूरि द्वारा । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्णव—नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि-होत्री द्वारा । पाण्डु० शक १६६१ (१७३९ ई०) में उतारी गयी ।

कुण्डोदधि—रामचन्द्र द्वारा । ९ स्रग्वरा श्लोकों में ।

कुण्डोद्घोत—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा । टी० लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—अनन्तदेव द्वारा ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, जो नीलकण्ठ के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा प्रणीत है । यह कुण्डोद्घोत वाली टीका ही है । सन् १६७१ ई० में प्रणीत ।

कुयुमिस्मृति—अपरार्क, जीमूतवाहन कृत कालविवेक एवं हेमाद्रि द्वारा वर्णित ।

कुमाररत्न—रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्त्युद्घोत) में वर्णित ।

कुमारस्मृति—मिताक्षरा, अपरार्क एवं प्रायश्चित्ततत्त्व में व० ।

कुरुक्षेत्रतीर्थनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा ।

कुरुक्षेत्रप्रदीप—महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे; लगभग १६५० ई० ।

कुरुक्षेत्रप्रदीप—(या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा ।

कुरुक्षेत्ररत्नाकर—शंकर द्वारा ।

कुरुक्षेत्रानुक्रमणिका—हरिगिरि द्वारा ।

कुशकण्डिका—वंशीधर द्वारा ।

कूपप्रतिष्ठा ।

कूपमाण्डहोम ।

कूपमाण्डहोमप्रयोग ।

कृच्छ्रचान्द्रायणलक्षण ।

कृच्छ्रलक्षण ।

कृच्छ्रादि-सुप्रबोधिनीपद्धति—विष्णु के पुत्र रामचन्द्र द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६२९) ।

कृतिवत्सर—मणिरामदीक्षित द्वारा ।

कृतिसारसमुच्चय—अमृतनाथ मिश्र द्वारा ।

कृत्यकल्पतरु—(या कल्पतरु) लक्ष्मीधर द्वारा; दे० प्रक० ७७ ।

कृत्यकल्पद्रुम—गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा व० १५०० ई० के पूर्व ।

कृत्यकल्पलता—वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में वर्णित ।

कृत्यकालविनिर्णय—श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा । दे० 'कृत्यतत्त्वार्णव' ।

कृत्यकौमुदी—दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द) । रघु० के मलमासतत्त्व में वर्णित ।

कृत्यकौमुदी—गोपीनाथ मिश्र द्वारा ।

कृत्यकौमुदी—जगन्नाथ द्वारा । इसमें शुद्धिदीपिका का उल्लेख है ।

कृत्यकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० १०१५२, एकोद्दिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) ।

कृत्यचन्द्रिका—रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा ।

कृत्यचन्द्रिका—चण्डेश्वर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा । लगभग १३६०-१४०० ई० । स्मृतियों में

कथित उपवासी, भोजो एव उनके सम्बन्ध के कृत्या के विषय में एक तालिका।

**कृत्यचिन्तामणि**—चण्डेश्वर द्वारा, गृहस्थरत्नाकर में (लेखक की कृति) वर्णित, दे० प्रकरण ९०। इसमें तारादिशुद्धि, गोवर, वेधशुद्धि, सवत्सर, करण, नक्षत्र, मुहूर्त, अधिभाग, गर्भाधान एव अन्य सस्कारो, मूलमान्ति, पत्नी को पूजा, धर्मद्वारचार, सक्रान्ति, ग्रहगणक का विवरण उपस्थित किया गया है।

**कृत्यचिन्तामणि**—त्राचस्पति द्वारा, दे० प्रकरण ९८।

**कृत्यचिन्तामणि**—विश्राम के पुत्र निवरामशुक्ल द्वारा। सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रवासा में। गामिलगृह्य पर आधारित, इसमें परिभाषा, वृद्धि-श्राद्ध, गणश्रुजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एव सस्कारा का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एव पृ० ८६ (जहाँ तिथि गत स० १५६२ है, किन्तु बिहार०, जिल्द १, स० ७२ एव जे० बी० ओ० ए० एम०, १९२७, भाग ३-४, पृ० ९ में तिथि गत स० १५०० है)।

**कृत्यतत्त्व**—रघुनन्दन द्वारा।

**कृत्यतत्त्व**—(प्रयागमार) कृष्णदेव स्मृतिकर्ता द्वारा।

**कृत्यतत्त्वार्णव**—(शैत्यकालविनिर्णय) श्रीवराचान के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। द्वाग मुद्रितत्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, निर्णयसिन्धु, रामप्रदान का उल्लेख है और महार्णव के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०।

**कृत्यदर्पण**—रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। लेखक के व्यवसायदर्शन में वर्णित।

**कृत्यदीप**—देवदामप्रदान में वर्णित।

**कृत्यपूर्विकञ्जरी**—रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ ई० में मुद्रित।

**कृत्यदीप**—शुक्लभिराचार्य द्वारा।

**कृत्यदीप**—नेमनभट्ट द्वारा। समकाल: यह वही है जिसे मुद्रितत्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वा में उद्धृत किया गया है।

**कृत्यमञ्जरी**—महादेव केन्दर के पुत्र बाबूभट्ट द्वारा। तिथि गत स० १९४०, पीरमाग। वर्ष के १२ भाग। के बडा, लिपि, नीमितादि एव काव्य, यज्ञानि, धर्म

आदि का विवरण है। सप्तवि (आधुनिक सत्तर) में लिखित। नो० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)।

**कृत्यमहार्णव**—मिथिला के हरिनारायणदेव के सस्कार में वाचस्पतिमिश्र द्वारा। त्रयो, भोजो आदि का विवरण। आचार्यमूल में वर्णित। दे० प्रकरण ९८।

**कृत्यमुक्तावली**—दे० सत्यव्यमुक्तावली।

**कृत्यरत्न**—निर्णयसिन्धु एव श्राद्धमूल में वर्णित।

**कृत्यरत्न**—विदम्ब के राजा द्वारा सम्मानित नारायणभट्टात्मज हरिभट्ट के पुत्र सण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाश में। लेखन में हेमादि, माघवीय एव अपने सस्काररत्न का उल्लेख किया है। बडोदा, स० १९५३।

**कृत्यरत्नाकर**—चण्डेश्वर कृत। दे० प्रकरण ९० (विद्वि० इण्डि०, १९२१)।

**कृत्यरत्नाकर**—मुदानरमूरि द्वारा।

**कृत्यरत्नावली**—विट्ठल के पुत्र एव बालकृष्ण ततम् के पीठ रामचन्द्र द्वारा, ये बालकृष्णविवेचन के लेखक रघुनाथ के दोहित्र थे। स० १७०५ (१६४८-४९ ई०) में प्रणीत। प्रतिपदा आदि तिथियों के कृता एव चैत्र में फाल्गुन त्प के कृत्या का विवेचन है; हेमादि, मदनरत्न एव नारायणभट्ट के उद्धरण हैं।

**कृत्यरत्नाकर**—रामधर द्वारा।

**कृत्यरत्नाकर**—काश्याय द्वारा।

**कृत्यराज**—विभिन्न भागों में विद्यमान वाले कृता का संग्रह। लगभग १७५० ई० में तबदीप के रामभुमार कृष्णचन्द्र के आश्रय में मुद्रित।

**कृत्यविलासमञ्जरी**।

**कृत्यसमुच्चय**—भूताल द्वारा। कृत्यरत्नाकर (पृ० ६९९) में वर्णित।

**कृत्यगार**—वर्तमान में एन वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में वर्णित। १४०० ई० के पूर्व।

**कृत्यसार**—मनुनाथ मुनि द्वारा।

**कृत्यसारसमुच्चय**—अमृताय आगा द्वारा। बम्बई में मुद्रित।

**कृत्यसारसमुच्चय**—बाधराजि द्वारा।

**कृत्यारत्नवहीविद्या**—दे० 'शानिकरप्रदीप'।

कृत्यार्णव—देवदासप्रकाश में वर्णित।

कृष्णपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली—(या भक्तमंजरी या हरिभक्त-  
मजरी) चार भागों में।

कृष्णभट्टीय—यह कर्मतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह  
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आह्निकचन्द्रिका  
में व० है। १५०० ई० से पूर्व।

कृष्णार्चनचन्द्रिका—सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि  
द्वारा।

कृष्णामृतमहार्णव—आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यू०,  
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)।

केशवार्णव—केशव द्वारा।

कोटचक्र—चार प्रकार के दुर्गों पर।

कोटिहोमप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण  
द्वारा।

कौतुकचिन्तामणि—प्रतापहरदेव द्वारा। इन्द्रजाल,  
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पीधों, भोजन  
पर आश्चर्यजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों  
में। नो० ९, पृ० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु०  
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)।  
लग० १५२० ई०।

कौमुदीनिर्णय।

कौशिकगृह्यसूत्र—१४ अध्यायों में (ब्लूमफील्ड द्वारा  
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा।  
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा।

कौशिकगृह्यसूत्रपद्धति—केशव द्वारा, जो सोमेश्वर  
के पुत्र एवं अनन्त के पीठ थे। भोजपुर में प्रणीत  
(स्टीन, पृ० २४८)।

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति।

कौशिकस्मृति—निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य (गीतम  
पर), हेमाद्रि, माधव द्वारा व०।

कौषीतकिगृह्यकारिका।

कौषीतकिगृह्यसूत्र—(वनारस सं० सी० में प्रकाशित)  
दे० शांखायन गृह्यसूत्र।

ऋतुस्मृति—मिताक्षरा द्वारा व०।

ऋमदीपिका—वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एवं देव-  
प्रतिष्ठातत्त्व में वर्णित। १५०० ई० के  
पूर्व।

ऋमदीपिका—(कृष्ण-पूजा पर) केशवाचार्य द्वारा ८  
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव-  
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा  
(चीखम्भा सं० सी०)।

ऋमदीपिका—नित्यानन्द द्वारा।

क्रियाकाण्डशेखर—हेमाद्रि में व०।

क्रियाकरवचन्द्रिका।

क्रियाकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा (विट्ठिल० इण्डि०)।  
दे० प्रक० १०१।

क्रियाकौमुदी—मयुरानाथ द्वारा।

क्रियानिवन्ध—शूद्रकमलाकर में व०।

क्रियापद्धति—विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी-  
करण तक के (माध्यन्दिनीयों के लिए) कृत्यों का  
विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७,  
१८८४-८७)।

क्रियापद्धति—या षड्वदप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०,  
१०, पृ० २३७।

क्रियाप्रदीप।

क्रियाश्रय—(धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक  
द्वारा व०।

क्रियासार—नि० सि० एव कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०;  
१६०० ई० के पूर्व।

क्षत्रियसन्ध्या।

क्षयमासकृत्यनिर्णय।

क्षयमासनिर्णय।

क्षयमाससंसर्पकार्यकार्यनिर्णय—परशुराम द्वारा। स्टीन,  
पृ० ८७।

क्षयमाससंसर्पकार्यकार्यनिर्णयखण्डन—परशुराम द्वारा।  
स्टीन, पृ० ८७।

क्षयमासादिविवेक—गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्न-  
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिंह के राज्य-  
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्धमान, अनन्तपण्डित,



महेश स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। द०  
नो० जिल्द ६ पृ० ४४।

क्षयाधिकमासवृत्ति—गणशदत्त द्वारा।

क्षेमप्रकाश—क्षमवर्मा द्वारा विक्रम १५६८ (१५१२  
ई०) में वीरसिंहपुर में (जहाँ वह गामक था)  
प्रणीत। आचार विष्णुपूजा शिवपूजा दान  
उत्सव व्रत पर। पाण्डु० सं० १५८२ (१५२६  
ई०) में वीरसिंहदेव के शासनकाल में उतारी गयी।  
द० स्टान पृ० ३०५।

क्षीरनिष्पत्ति—(या दपण) गगाधर के पुत्र द्वारा।

खड्गविवाह—बडोदा, सं० ११४२।

खादिरगृह्य—(मसूर में प्रकाशित एम० बी० ई०  
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलगृह्य से बहुत  
भिलता है। टी० भववाट के वासी नारायण  
के पुत्र रुद्रस्वद द्वारा।

खादिरगृह्यकारिका—वामन द्वारा।

खटपीठमाला—आपदेव द्वारा।

गगावृत्त्यविवेक मिथिला के राजा रामभद्रदेव के लिए  
वचमान द्वारा। सं० १४५० १५०० ई० में।

गगाधरपद्धति—गगाधर द्वारा (स्टीन पृ० ८७)  
रुद्रकल्पद्रुम में व० (बी० बी० आर० ए० एस०,  
जिल्द २ पृ० २२६)।

गगामक्षिततरंगिणी—धारेस्वर के पुत्र गगपति द्वारा।  
३ अध्याया में। इनका कथन है कि मिथिला के  
राजा नाथ ने इनके पितामह का व्रत दो था।  
ना० (जिल्द ५ पृ० १८३)। पाण्डु० की तिथि  
में १७६६ (१७१० ई०)।

गगामक्षिततरंगिणी—चतुर्भुजाचार्य द्वारा।

गगामक्षितप्रकाश—हरिचन्दन द्वारा। सं० १८५२  
(१७९५ ९६) में।

गगामक्षितरसोदय—शिवदत्त गर्मा द्वारा।

गगामून—रघुनन्दन एवं गगावृत्त्यविवेक में वचमान  
द्वारा व०।

गगायात्रावचन—भवानह—बनिह—शिवमह के  
वचन मिथिला के राजा पद्मानह की रानी

महादशी विद्वामदवी व आश्रय मन्त्रियापति द्वारा।  
गाविदानद एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततरंग में)  
द्वारा व०। लग० १४०० १४५० ई०। गगायात्रा  
गगापूजा एवं गगास्नान के फल का वचन है।

गणपतितत्त्वविवेक।

गणशपद्धति—नामधर के पुत्र द्वारा (अल्वर सं०  
१३०९)।

गणशविमंशिनी—गुण्डमण्डपसिद्धि में व०।

गणशशास्त्रि।

गदाधरपद्धति—(आचार्य) विष्णु इण्डो  
सोरीज।

गद्यदेवल—प्रायश्चित्तमयूख में व०।

गद्यविष्णु—निष्पत्तिमयूख में व०।

गद्यव्यास—जीमूतवाहन व वालविवेक में व०।

गद्यवप्रयोग—स्टीन पृ० ८७।

गभस्तिस्मृति—अपराक स्मृतिचंद्रिका हमाद्रि द्वारा  
व०।

गयादासनिबन्ध—भट्टोजि द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व।  
गयानुष्ठानपद्धति—नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्वर्ग  
सेतु का जंग।

गयानुष्ठानपद्धति—(गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा।  
दे० गयापद्धति।

गयापद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

गयापद्धति—रामस्वरामज भाष्य के पुत्र रघुनाथ  
द्वारा। सं० १५५० १६२५ ई० के बीच।

गयापद्धतिदीपिका—प्रभाकर द्वारा।

गयाप्रकरण—नारायण के त्रिस्वर्गसेतु से।

गयाप्रकाश—नो० न्यू० (जिल्द १ पृ० ८४)।

गयाप्रयोग—धाचस्पति मिश्र द्वारा।

गयायात्राप्रयोग—भगिराम दीक्षित द्वारा।

गयायात्रासोपद्धति।

गयाध्यापद्धति।

गयाध्यापद्धति—उदयदेवदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।  
वाचमनयिया के लिए।

गयाध्यापद्धति—रघुनन्दन द्वारा। द० प्र० १०२।

गयाश्राद्धप्रकरण—मलमासतत्त्व में व०।

गयाश्राद्धविधि—गोकुलदेव द्वारा (बड़ोदा, ८६८८)।

गयाश्राद्धादिपद्धति—वाचस्पति द्वारा। प्रथम ब्लोक में वायु०, गरुड० एवं कल्पवृक्ष (अर्थात् कल्पतरु) का उल्लेख है।

गर्गपद्धति—(या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए स्यालोपाकहोम, वलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा-कर्म, शूलगव, वैश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड़ाकरण, उपनयन, ब्रह्मचारिव्रतानि, सीतायज्ञ, शालाकर्न पर स्थपति गर्ग द्वारा गृह्यकर्मों का एक सग्रह। यह भर्तृयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० आ०, पाण्डु० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३।

गर्गस्मृति—स्मृतिचन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०।

गर्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति—शौनक का कहा गया है। जयन्त का उल्लेख है।

गागाभट्टपद्धति—गागाभट्ट द्वारा।

गायत्रीपद्धति—भूषगभट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि)। इन्होंने शक सं० १६७५ (१७५३ ई०) में 'व्रतोद्यापनकीमुदी' लिखी।

गायत्रीपुरश्चरण—गिवराम द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—साम्बभट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणचन्द्रिका—काशीनाथ द्वारा, जो जय-राम एवं वाराणसी के पुत्र थे। उपाधि 'भट्ट' थी। गुह का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८।

गायत्रीपुरश्चरणप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा। सन् १७५७ ई० में प्रणीत।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—अनन्तदेव द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गोविन्द सरस्वती द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गायत्रीपुरश्चरणचन्द्रिका से। अलवर, उद्धरण ३०२।

गायत्रीभाष्यनिर्णय—अलवर, सं० १३१२, उद्धरण ३०४।

गार्गीपद्धति—श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व०।

गार्ग्यस्मृति—विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृति-च० द्वारा व०।

गार्हस्थ्यदीपिका—यज्ञेश के शिष्य त्र्यम्बक द्वारा।

गालवस्मृति—स्मृतिच०, कालमाधव द्वारा व०।

गुणमञ्जरी—महारग कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

गुणिसर्वस्व—रुद्रवर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व तथा मलमास० में व०। १४०० ई० से पूर्व।

गूढदीपिका—श्रीनाथ आचार्य द्वारा। उनके कृत्य-तत्त्वार्णव में व०।

गूढार्थदीपिका—वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी देखिए। कृत्यों एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों पर।

गूहपतिधर्म—विश्वेश्वर द्वारा।

गूहप्रतिष्ठातत्त्व।

गूहवास्तु—चन्द्रचूड़ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश)।

गूहस्थमुक्ताफल।

गूहस्थरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। ५८९ पृ० में एक विशाल ग्रन्थ। विबि० इण्डि० द्वारा सन् १९२८ में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०।

गूहस्थकल्पतरु।

गूह्यकारिका—(१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा। (२) वीधायनीय, कनकसभापति द्वारा। (३) सामवेदीय, विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा।

गूह्यकारिका—कर्क द्वारा।

गूह्यकारिका—रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत।

गूह्यकीमुदी—गोविन्दार्णव में व०।

गूह्यतात्पर्यदर्शन—सुदर्शनाचार्य द्वारा आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर टी०।

गूह्यपदानुक्रम—मैत्रयणीय गृह्यसूत्र के अनुसार गृह्यकृत्यों में सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश।

**गृह्यपद्धति**—वासुदेव दोशित द्वारा, मस्कारो, अष्टका आदि पर तीन खण्डों में, शक स० १७२० में पाण्डु० उतारो गयी।

**गृह्यपरिशिष्ट**—बहुवृच गृह्य परिशिष्ट, छन्दोगगृह्य-परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए।

**गृह्यपरिशिष्ट**—अनन्त भट्ट द्वारा।

**गृह्यपरिशिष्ट**—वैकुण्ठनाथाचार्य द्वारा।

**गृह्यप्रवीणभाष्य**—नारायण द्वारा शाखायनगृह्यसूत्र पर एक टीका।

**गृह्यप्रयोग**—(आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा। सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्धरण १४)।

**गृह्यप्रयोग**—बोधायनीय। वाजसनेयीय।

**गृह्यप्रायश्चित्तसूत्र**—ह्रुत्वा, स० ६३७।

**गृह्यभाष्यसंग्रह**—(या गृह्यभाष्यायंमग्रह) हेमाद्रि द्वारा व०।

**गृह्यरत्न**—वैदिकसार्वभौम (अर्थात् मन्भवत वैद्यकेय) द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भधान, पुसवन, मीमन्ना-क्षण, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उन्नयन, चत्वारि वेदप्रदानि—ऐसे बाह्य संस्कारा एव दैव संस्कारो (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। टी० विदुषकण्ठभूषण, जा हारोतगोत्रज रगनाथ के पुत्र वैद्यनाथ वैदिकसार्वभौम द्वारा प्रणीत है (कण्ठभूषा नाम भी है)। ह्रुत्वा, स० ६०३ एव उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके पिन्मैरमार एव उमकी टी० का तथा आरौचसतक और व्याख्या का उ० है।

**गृह्यसंग्रह**—पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य में जयराम द्वारा व०।

**गृह्यसूत्रपद्धति**।

**गृह्यसूत्रप्रशिक्षिका**—(पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के पुत्र विस्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०।

**गृह्याग्नितामर**—(प्रयोगमार) लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरडया आरडे), आप-स्तम्ब के धर्मशास्त्री भाष्य पर रामाण्डारव्याख्या,

प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि दोशित, परशुरामप्रताप एव राम बाजपेयी तथा उनके श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त।

**गृह्यासंग्रह**—गोभिलपुत्र द्वारा (विद्वि० इण्डि० सी०, गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव-राम की कृत्यचिन्तामणि एव छन्दोगवृषोत्सर्गतत्त्व तथा मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामादर के पुत्र रामकृष्ण द्वारा।

**गृह्यासंग्रहपरिशिष्ट**—छन्दोगवृषोत्सर्गतत्त्व में व० एव वृन्मफील्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५, पृ० ५३७-५४८, २०९ श्लोका एव दा प्रपाठकी में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है—'अथात् सन्वक्ष्यामि यदुक्त पद्यमोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय मस्कारायै तु भाषितम्॥' दे० विद्वि० इण्डि० सी०।

**गृह्योक्तकर्मपद्धति**।

**गोत्रनिर्णय**—नदिनपुर के केशवदैवज्ञ द्वारा, २७ श्लोको में। टी० वावपुण्यमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा, श्रीधरकृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है।

**गोत्रनिर्णय**—बालभट्ट द्वारा।

**गोत्रनिर्णय**—महादेव दैवज्ञ द्वारा (सम्भवत यह केशव-कृत वावपुण्यमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की टीका है)।

**गोत्रप्रवरकारिका**।

**गोत्रप्रवरखण्ड**—धर्मसिन्धु में। आपस्तम्बीय भी।

**गोत्रप्रवरदर्पण**।

**गोत्रप्रवरदीप**—विष्णुगणित द्वारा।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—आपदेव द्वारा (सम्भवत यह भ्रान्ति है, क्यानि जीवदेव आपदेव का एन पुत्र था)। दे० बडोदा, स० १८७०।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—(या गात्रप्रवरदर्पण) रामकृष्ण के पुत्र नमलारर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई०। १७वीं शताब्दी का।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—भानुदेव द्वारा (गम्भारकृतसुम में जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया है)।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा। पाण्डु० वड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक श्लोक का 'कुर्वन्तु वी मंगलम्' से अन्त होता है। टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—गोपीनाथ द्वारा (वड़ोदा, सं० ११०४१)।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव द्वारा। प्रवरमंजरी, आश्वलायनसूत्रवृत्तिकार, नारायणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में मातृगोत्र वर्जित है; सत्याषाढ एवं शिष्टाचार ने भी ऐसा कहा है।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—नागेशभट्ट द्वारा।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के गोत्रप्रवरनिर्णय में व०।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—पद्मनाभ द्वारा (वड़ोदा, सं० ८७८९)।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—भट्टोजिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर है।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—(अभिनव) माधवाचार्य द्वारा। टी० मण्डूरि रघुनाथाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मंसूर, १९०० में प्रकाशित)।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। १५५०-१६२५ ई०।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्वनाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। वड़ोदा (सं० ११०५५)। गद्य एवं पद्य दोनों में।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—सदाराम द्वारा।

**गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधारण्व**—विश्वनाथ द्वारा। वड़ोदा (सं० ९३७५)। 'गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न।

**गोत्रप्रवरभास्कर**—भट्टोजि द्वारा। यह 'गोत्रप्रवरनिर्णय' ही है।

**गोत्रप्रवरमञ्जरी**—केशव द्वारा, जिन्होंने मुहूर्ततत्त्व भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थसार एवं प्रयोगपारिजात का उद्धरण है।

**गोत्रप्रवरमञ्जरी**—(प्रवरमञ्जरी) पुरुषोत्तम पण्डित द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ)। चैन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मंसूर, १९००)। ८ मौलिक गोत्रों में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, वीधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में धूर्तस्वामी, कपर्दिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख है। निर्णयसिन्धु, नृसिंहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में व० है। १४५० ई० से पूर्व।

**गोत्रप्रवरमञ्जरी**—शंकर तान्त्रिक द्वारा। गोत्रों के भागों एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योतिर्विन्ध, प्रवरदीपिका एवं वीधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। वड़ोदा (सं० ७६५७)।

**गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार**—शिव के पुत्र शंकर दैवज्ञ द्वारा।

**गोत्रप्रवररत्न**—रामकृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५-१६३० ई०।

**गोत्रप्रवरविवेक**—धनञ्जय के धर्मप्रदीप से।

**गोत्रप्रवराध्याय**—दे० 'प्रवराध्याय'।

**गोत्रप्रवरोच्चार**—औदीच्यप्रकाश से।

**गोत्रामृत**—नृसिंहपण्डित द्वारा।

**गोदानविधिसंग्रह**—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

**गोपालकारिका**—(वीधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका-मापदण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० श्लोक।

**गोपालपद्धति**—लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। १००० ई० के पूर्व। वी० वी० आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १८३)।

**गोपालपूजापद्धति**—दशार्ण देश के नृसिंह—पुत्र दिनकर द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ५८७)। संवत् १६६४।

गोपालरत्नाकर—गोपाल द्वारा।

गोपालसिद्धान्त—आचाररत्न मे व०।

गोपालार्चनचन्द्रिका।

गोपालार्चनचन्द्रिका—रश्मीनाथ द्वारा।

गोभिलगृहसूत्र—विष्णु० इण्डि० मी० द्वारा प्रकाशित, डा० कनीयार द्वारा एच एम० बी० ई० (जि०द ३०) मे अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट नारायण द्वारा, रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व मे व०। ल० न० ४३१ (१५४९-५० ई०) मे प्रतिलिपि की गयी। टी० (भाष्य) यज्ञोत्तर द्वारा, गोविन्दानन्द को दानक्रियाकौमुदी मे एव श्राद्धतत्त्व मे व०, १५०० ई० के पूर्व। टी० 'सरला', तिथितत्त्व एव श्राद्धतत्त्व मे व०, १५०० के पूर्व। टी० सायण द्वारा। टी० मुदाविनीपदनि, विश्राम, के पुत्र शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकाधर्मोपनिषी से मिल), लग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)। टी० पदनि, मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। टी० कारिकाधर्मोपनिषी, विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एव २५०)।

गोभिलपरिशिष्ट—(टीका के साथ विष्णु० इण्डि० मी० मे प्रकाशित) मध्यासूत्र, स्नानसूत्र एव श्राद्ध-कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन द्वारा व०।

गोभिलश्राद्धसूत्रभाष्य—तिथितत्त्व एव श्राद्धतत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवत यह महायज्ञा का भाष्य ही है।

गोभिलसम्प्रासूत्र।

गोभिलस्मृति—वात्स्यायन का कर्मप्रदीप। आनन्दाश्रम प्रेम मे मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-०१)।

गोभिलोपपरिशिष्ट—(अनिष्टकारी प्रहा की शान्ति, ब्रह्मयज्ञ आदि पर) मी० (जि०द १०, पृ० २०१-२०२)।

गोभिलोपश्राद्धकल्प—(भाष्य) महायज्ञा द्वारा। रघु० के श्राद्धतत्त्व मे व०। सम्भवत यह महायज्ञा उपर्युक्त यज्ञोत्तर ही है। टी० ममुद्रकर द्वारा, भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धतत्त्व मे व०।

गोवधप्रार्थश्चित्त।

गोविन्दमानसोत्प्लास—एकादशीतत्त्व एव मलमासतत्त्व मे व०। अत १५०० ई० के पूर्व।

गोविन्दार्चनचन्द्रिका—(बम्बई मे प्रका०)।

गोविन्दाणव—(या स्मृतिमागर् या धर्मतत्त्वावलोक)

रामचन्द्र के पुत्र सोप नृसिंह द्वारा। काशी के महा-राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा मे मगूईत। छ वीचियों (लहरा) यथा मस्कार, आह्लिक, श्राद्ध, मुद्रि, काल एव प्रायश्चित्त मे विभाजित। कल्पतए, अपराकं, भाववाचार्य, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (रश्मयभट्ट हृत) द्वारा उ० है। १४०० एव १४५० के बीच मगूईत। दे० जलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस के पाम ताण्डेतिवा नामक नगर का विगद वर्णन है, जिसे दिल्ली एव काली से बढकर कहा गया है। राजाभा के श्रीवास्तव कुल एव सोप कुल का भी वर्णन है। अलवर (पाण्डु०, श्लोक ८५) मे केवल पाँच वीचिया वा उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड दिया गया है। तजता है, सोप कृष्ण ने गोविन्दार्णव को अपने ग्रन्थ शूदाधारशिरामणि मे अपना ग्रन्थ कहा है। दे० इण्डि० एण्टी० (१९१२, पृ० २४८)।

गौडनिबन्ध—श्रीदत्त की पितृभक्ति मे व०।

गौडनिबन्धसार—नि० मि० मे व० (सम्भवत यह कुल्लूवभट्ट का श्राद्धमागर् है)।

गौडश्राद्धकौमुदी—नि० मि० मे व०। (सम्भवत यह गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है)।

गौडसंवत्सरप्रदीप—गदाधर ने कालकार मे व०।

गौडीयचिन्तामणि—गदाधर ने कालकार मे वणित।

गौतमधर्मसूत्र—दे० प्रक० ५, बनारस स० मी० एव

जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका०।

टी० कुलमणि कुल्लू द्वारा। टी० (भाष्य) मस्कारी

द्वारा (मंथूर मे प्रका०)। टी० भित्तासरा, हरदत्त

द्वारा (आनन्दा० प्रे०)।

गौतमस्मृति।

ग्रन्थराज—(या स्मृतिग्रन्थराज)।

ग्रन्थविधानधर्मकुसुम—शंकरशर्मा द्वारा।  
 ग्रहणक्रियाक्रम।  
 ग्रहणनिर्णय—नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से।  
 ग्रहणश्राद्धनिर्णय।  
 ग्रहदानप्रयोग—माधव का उल्लेख है।  
 ग्रहमखतिलक—भारद्वाज गोत्रीय कृष्णाचार्य के पुत्र माधव द्वारा। पीटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० १७६)।  
 ग्रहमखप्रयोग—नो० (१०, पृ० २००)।  
 ग्रहयज्ञकारिका।  
 ग्रहयज्ञतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दीपिका का उल्लेख है।  
 ग्रहयज्ञदीपिका—सदाशिव दीक्षित द्वारा।  
 ग्रहयज्ञपद्धति।  
 ग्रहयज्ञनिरूपण—अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से।  
 ग्रहयज्ञप्रयोग।  
 ग्रहयज्ञविधान—नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा।  
 ग्रहयागकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा।  
 ग्रहयागप्रयोगतत्त्व—(या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद् द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (न० १०)। यह रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है।  
 ग्रहयोगशान्ति।  
 ग्रहशान्ति—शांखायन एवं गोभिल के मतानुसार।  
 ग्रहशान्तिपद्धति—(या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। लग० १६८६ ई०।  
 ग्रहस्थापनपद्धति—पीटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० ९८)।  
 ग्रामनिर्णय—(या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के सहाद्विखण्ड से।  
 धृतप्रदानरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।  
 चक्रनारायणीय—शूलपाणि के दुर्गात्सवविवेक में व०। अतः १४०० ई० से पूर्व।  
 चक्रनारायणीय निबन्ध—(या स्मृतिसारोद्धार) विश्वम्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्धारों में, यथा—सामान्यनिर्णय, एकभक्तादिनिर्णय, तिथिसामान्यनिर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध,

आशीच, गर्भाधानादि-कालनिर्णय, आह्निक, व्यवहार, प्रायश्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की आज्ञा से लिखित। प्रतापमार्तण्ड, होरिलस्मृति, रूपनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं अताब्दी पूर्वार्ध; चौखम्बा सं० सी०।  
 चण्डिकार्चनदीपिका—काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। अलवर (उद्धरण, ६२०)।  
 चण्डीप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।  
 चण्डीप्रयोग—नागोजिभट्ट द्वारा।  
 चण्डूकनिबन्ध—(या स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमविवरण) महाभात्य श्री सम्राट् चण्डूक द्वारा। श्राद्ध, मलमास, त्रयोदशीनिर्णय, आह्निक आदि पर। बड़ोदा (सं० २९६)। तिथि सं० १५९३।  
 चतुरशीतिज्ञातिप्रशस्ति—सदाशिव द्वारा।  
 चतुर्थीकर्म—(विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के कृत्यों पर)।  
 चतुर्दशश्लोकी—भट्टोजि द्वारा। बड़ोदा (सं० १४८८), श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी० महेश्वर द्वारा।  
 चतुर्वर्गचिन्तामणि—हेमाद्रि कृत। दे० प्रक० ८७ (वित्ठिल० इण्डि० सी०), हुल्हा (सं० ६५८)। इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं।  
 चतुर्विंशतिमत—(या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० भट्टोजि द्वारा (वनारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध भी हैं); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल संस्कार काण्ड है, जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र रामचन्द्र की कही गयी है। आह्निक, आचार एवं प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त हैं। टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।  
 चतुर्विंशतिमुनिमतसार—बड़ोदा (सं० २२४७ एवं १०५४०)।  
 चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमुच्चय।  
 चतुश्चत्वारिंशत्संस्काराः।  
 चन्दनधेनुदानप्रमाण—(या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा,

अपने पनि एव पुत्र से पूर्व भरनेवाली नारी के प्रथम श्राद्ध से इत्यादि पर। रत्नाकर पर आधारित।  
 नो० न्यू० (१, पृ० १००)।  
 चन्दनयैनुत्सर्गपद्धति—नवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १०१), पाण्डु० तिथि १७६५ ई०।  
 चन्द्रकमलाकर।  
 चन्द्रकलिका।  
 चन्द्रनिबन्ध—निर्णयदीपक में उ०।  
 चन्द्रप्रकाश—नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व।  
 चन्द्रस्मृति—निर्णयदीपक में व०।  
 चन्द्रोदय—नि० सि० में व० (सम्भवत पृथ्वीचन्द्रोदय या आचारचन्द्रोदय)।  
 चमत्कारचिन्तामणि—नारायण भट्ट द्वारा (वनारस से प्रका०, १८७०), आचारभयूषण एव सभयभयूषण द्वारा व०। टी० भिनाधरा। टी० अन्वयार्थ-दीपिका, धर्मदेवर द्वारा। टी० नारायण द्वारा।  
 चमत्कारचिन्तामणि—राजपिभट्ट द्वारा (जैसा कि नि० सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। १५५० ई० के पूर्व। पाण्डु० की तिथि ग० १६५७ (१६००-१६०१ ई०)।  
 चमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्रह्म (गर्भ-पान आदि) एव देव (पात्रयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के मन्त्रों पर, गर्भोत्पत्ति एव अन्य सम्बन्धों के सूत्रों एव मन्त्रागम्युपास्य पर। ४० वी० (ग० ११२, १८९५ १९०२, ग० १०१९ में प्रति-निर्णय)।  
 चमत्कर्ममूर्तिप्रतिष्ठा।  
 चमत्कर्मा—(योगदान के अनुसार)। दे० वी० वी० आर० ए० एम० (त्रिस्त २, पृ० २४३)।  
 चमत्कर्मापद्धति—अज्ञानद्वारा।  
 चमत्कर्मापद्धति—जागरण, गृह्यार्ति, चन्द्र-विद्या, वाचस्पति, बुद्धिपूर्वक नारायणिका एव योनि पर भाष्य। १८०० ई० के उपरान्त।

चाणक्यनीति—कैस्टर द्वारा सम्पादित।  
 चाणक्यनीति—(या चाणक्यराजनीति या चाणक्य-शतक)। ६६० श्लोको में एक बृह-चाणक्य भी है, लघु-चाणक्य भी है।  
 चाणक्यनीतिवर्णन—गजानन कृत।  
 चाणक्यनीतिसारसंग्रह—१०८ श्लोको में। इसमें आय है—'मूलमन प्रवदयामि चाणक्येन यथोदितम्'।  
 चाणक्यराजनीतिशास्त्र—बलकृष्ण ओ० मी० (स० २, १९२१) में प्रका०।  
 चाणक्यसप्तति।  
 चाणक्यसारसंग्रह।  
 चाणक्यसूत्र—डा० शांभास्त्री के सस्वरणमें बौटिकीय के अन्त में मुद्रित।  
 चातुराश्रम्यधर्म—श्रीवृष्ठाचन द्वारा।  
 चातुर्मास्यवारिका—गोपाल द्वारा।  
 चातुर्वर्ण्यधर्मसंग्रह।  
 चातुर्वर्ण्यविचार—गंगादत्त द्वारा।  
 चातुर्वर्ण्यविवरण—गंगाधर द्वारा।  
 चातुर्वर्ण्यविवेचन—धरणीधर द्वारा।  
 चारायणीयगृह्यपरिसिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०।  
 चारुचर्या—शंभेन्द्र द्वारा (बान्यभाला गी० में प्रका०)।  
 चारुचर्या—भोजराज द्वारा।  
 चूडाकरणकेशान्ती।  
 चूडाकर्म—दत्तपण्डित द्वारा।  
 चूडाकर्मप्रयोग।  
 घोषोपनयन—(विद्वनाय की विद्वत्प्रमाणपद्धति में)।  
 घोषोपनयनप्रयोग।  
 छन्दोमन्त्रानुष्ठानपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 'छन्दोमन्त्र'।  
 छन्दोगगृह्य—दे० 'गर्भिलगृह्य'। टी० (भाष्य) एतत्त इत्य आशयित्य में व०।  
 छन्दोगपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा, दे० प्र० ७।  
 टी० मन्त्रागम्युपास्य रासनाय द्वारा, एक ग० १५४६।  
 छन्दोमन्त्रपरिसिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०। टी० एतत्त के

श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गौण के पुत्र एवं उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संरक्षित) के पौत्र। दे० 'कर्मप्रदीप'। टीका की टीका सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर द्वारा। टी० चक्रवर के पुत्र आशाधर या आशाक द्वारा।

छन्दोगप्रायश्चित्त।

छन्दोगश्राद्ध।

छन्दोगश्राद्धतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णात्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा।

छन्दोगश्राद्धदीपिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा।

छन्दोगानीयाह्निक—विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा।

इण्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु० सं० १८१०, १७५३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत।

छन्दोगाह्निक—सदानन्द द्वारा।

छन्दोगाह्निकपद्धति—रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा।

छन्दोगाह्निकोद्धार—भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। दे० 'प्रायश्चित्तप्रदीप'।

छन्दोपहारावलि।

छागलेयस्मृति—भिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व०।

जगद्वल्लभा—भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा।

२४ से अधिक प्रकरणों में।

जगन्नाथप्रकाश—सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा से प्रणीत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे० मित्र०, नो० (जिन्द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं० १८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस प्रभाओं में लिखित है।

जटमल्लविलास—श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से संगृहीत। जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री ढौल के पुत्र वालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और इसकी राजधानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशीच एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक

नहीं है—'वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षिति, १५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें कालनिर्णय, कालदर्श, प्रासाददीपिका का उल्लेख है।

जनिदोषप्रतिकार—पाण्डु० बड़ोदा (सं० २३६५), तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)।

जन्मदिनकृत्यपद्धति।

जन्मदिवसपूजापद्धति।

जन्ममरणविवेक—वाचस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० १२७७४)। इसमें आशीच एवं श्राद्ध का वर्णन है।

जन्माष्टमीतत्त्व—(या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।

जन्माष्टमीनिर्णय—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

जयतुंग—निर्णयसिन्धु में व०।

जयन्तकारिका।

जयन्तीनिर्णय—(कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ द्वारा।

जयन्तीनिर्णय—रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय कृष्णार्य के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा।

जयमाधवमानसोल्लास—गौरक्षपुर (आधुनिक गौरखपुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भवत थे। ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, १८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा प्रशस्ति है।

जयसिंहकल्पद्रुम—वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक विशाल ग्रन्थ है, ९०० पृ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी-वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काल, व्रत, श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल-स्तवक की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पीण्डरीक भी। उसकी अरविवा नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० (१७१३ ई०)। इसमें जयसिंह (जो शिवाजी को दिल्ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है—रामसिंह—कृष्णसिंह—विष्णुसिंह—जयसिंह।



इसे—द्रुमोद्योत भी कहा जाता है। अलवर (उद्धरण ३०५), वन्धर्व में मुद्रित, १९०३।

जयानिर्गन्ध—(निबन्ध ?) चण्डेश्वर के कृत्यरत्नावर (पृ० १६६) में व०।

जयाम्बिकप्रयोग—रघुनाथ द्वारा।

जयार्णव—नि० सि० एव पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में गदानर द्वारा व०। दे० मुद्रजयार्णव।

जलयाना।

जलाशयप्रतिष्ठा—भागुणिमिश्र द्वारा।

जलाशयारामोत्सर्गविधि—(या पद्धति) (१) रामेश्वर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा, हनुनारायण को उ० करता है, १५१३-१५७५ ई०, दे० प्रक० १०। (२) कमलाकर द्वारा, दे० प्रक० १०६।

जलाशयोत्सर्गतत्त्व—रघुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा प्रका०) दे० प्रक० १०२।

जातकर्म—नल्वारभास्वर से।

जातकर्मपद्धति—वेशवभट्ट द्वारा।

जातकर्मपद्धति—दामादर द्वारा।

जातकर्मविद्यालोककर्मन्ति—वाष्पणभट्ट द्वारा।

जातरिष्टपादिनिर्णय—प्रियाणव द्वारा, ना० न्यु० (२, पृ० ५५-५६)।

जातिनिर्णय—उडोदा (स० ११००३) कायस्थ आदिपर।

जातिमाला—शंभुपामलदत्त का एक अंग।

जातिमाला—विभिन्न हिन्दू जातियों की उदात्त पर। दे० ना० (जिल्द २, पृ० १५१)।

जातिमाला—मुद्गल एव प्रास्ताम्बिका के पुत्र मोक्षनाथ द्वारा, अिनरी उपाधि मन्त्रार्थार्थी और जाजप्राम के निदायी थे। लक्ष्मिनिन्दा, वैराग्य एव पार्वतीस्तुति नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एव जातियों पर कुछ भा नहीं है। इ० ना० (स० ३०२, १८८४-८६)।

जातिमाला—पराशरपद्धति में। स्टीन (पृ० ९४)।

जातिविवेक—शेखरदास। मूलाचार्यनिरामिण एव नृसिंहदत्त में अंगित।

जातिविवेक—शेखरदास पण्डित द्वारा। वर्गायध-धर्मोपनिषद् नामक एक विनाल धर्म का अंग।

जातिविवेक—धन्वन्त द्वारा।

जातिविवेक—नारायण भट्ट द्वारा (बडोदा, स० १११४७)।

जातिविवेक—पराशर द्वारा।

जातिविवेक—रघुनाथ द्वारा।

जातिविवेक—विश्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पृ० १७९)। स्टीन के कौटल्य में इसे 'विवेकसर्ग' कहा गया है (पृ० ८९)।

जातिविवेक—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा (सम्भवत 'वायस-धर्मप्रदीप' का प्रथम भाग)।

जातिविवेक—प्रत्यङ्गपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के विश्वनाथ-गौड, शार्ङ्गनर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के व्यान गार्गीवाच वशि द्वारा। तीन उल्लामा में। पाण्डु० (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ५१९, स० १६३९) की तिथि शक स० १५६४ (१६४२ ई०) है। पीटर्सन (अलवर, स० १३२३) के मत से यह निदवम्बरमास्तुगास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है, जो पहले विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम रामराज।

जातिविवेकसतप्रदा—गायण कृत करा गया है।

जातिविवेकसर्ग—विश्वनाथ द्वारा।

जातिसार्थक—शिवलाल मुकुल द्वारा।

जातिसार्थकवाद—अनन्ताश्वर द्वारा।

जातिसार्थकवाद—वैद्याराम धर्मोपनिषद् द्वारा।

जिकनीयनिबन्ध—गुल्पाणि के दुर्गात्मविवेक में एक कु-डूक द्वारा व०।

जोगोडारविधि—(त्रिजिन के अनुसार) मन्दिर, देवप्रतिमा आदि के जोगोडार पर। ना० (जिल्द १०, पृ० २७१)।

जोषकृष्णपदयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा।

जोषकृष्णप्रयोग—गीता द्वारा।

जोषकृष्णकर्मव्यतिर्णय—रघुनाथभट्ट के पुत्र माण्डव्य भट्ट द्वारा। ना० न्यु० (जिल्द ३, पृ० ६४)। पाण्डु० की तिथि स० १७८५ है।

- जीवत्पितृककर्तव्यनिर्णय—बालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा (बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९)।
- जीवत्पितृककर्तव्यनिर्णय—(या कर्मनिर्णय) रामेश्वरा-त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा। लग० १५७०-९० ई०।
- जीवत्पितृककर्तव्यसंचय—कृष्णभट्ट द्वारा।
- जीवत्पितृकविभागव्यवस्था—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।
- जीवत्पितृकविभागसारसंग्रह—उपर्युक्त का संक्षिप्त रूप (अलवर, सं० १३२४)। संवत् १८१२ (१७५५-६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी।
- जीवश्राद्ध—ऑफ्रेस्ट०, सं० ६११।
- जैमिनिगृह्य—डा० कैलैण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, १९२२) द्वारा सम्पादित। टी० सुवोधिनी, श्रीनिवास द्वारा।
- जैमिनिगृह्यमन्त्रवृत्ति।
- ज्ञातिभेदविवेक।
- ज्ञानभास्कर—(सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभक्त। दे० वोकानेर, पृ० ३९८। वर्नेल (तंजौर, पृ० १३६ वी) के मत से लेखक का नाम दिङ्गमणि है। बड़ोदा की सं० ११३६ इसका एक भाग है (रोगाधिकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० श्लोक तक चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० श्लोक में एक अन्य है।
- ज्ञानमाला—भट्टोत्पल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघु-नन्दन के आह्विकतत्त्व में तथा आचारमयूख में व०।
- ज्ञानरत्नावलि—हेमाद्रि, नृसिंहप्रसाद (दानसार), कुण्डकीमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व।
- ज्ञानाङ्कुर—राघवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार स्तवकों में।
- ज्ञानानन्दतरंगिणी—कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर)।
- ज्येष्ठाविधान।
- ज्योतिःकालकौमुदी—रघुनन्दन द्वारा व०।
- ज्योतिःसागर—गदाधर के कालसार एवं नि० सि० में व०।
- ज्योतिःसागरसार—मयुरेश द्वारा।
- ज्योतिःसागरसार—विद्यानिधि द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं० १६७० (१७४८ ई०)।
- ज्योतिःसार—धर्मप्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में व०।
- ज्योतिःसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा मदनपारिजात में व०।
- ज्योतिःसारसंग्रह—हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा।
- ज्योतिःसारसमुच्चय—रघुनन्दन द्वारा।
- ज्योतिःसारसमुच्चय—देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा।
- ज्योतिरर्णव—गोविन्दार्णव एवं सं० कौ० में व०।
- ज्योतिनिबन्ध—शूद्रकमलाकर, संस्कारमयूख एवं शुद्धि-मयूख में व०।
- ज्योतिर्नृसिंह—गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चतुर्विंशति-मत व्याख्यान में व०।
- ज्योतिषरत्न—सिद्धेश्वर के संस्कारभास्कर में व०।
- ज्योतिषरत्न—केशव तर्कपंचानन द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ५८)।
- ज्योतिषार्णव—शूलपाणि के दुर्गात्सवविवेक एवं रघु-नन्दन द्वारा व०।
- ज्योतिषप्रकाश—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, गोविन्दार्णव द्वारा व०।
- ज्योतिस्तत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।
- टोडरप्रकाश—रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल के आश्रय में।
- टोडरानन्द—दे० प्रक० १०४।
- दुष्टिप्रताप—महाराज दुष्टि के आश्रय में विश्वनाथ द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के कृत्यों पर। पाण्डु० शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी (वर्नेल, तंजौर, पृ० १३६ वी)।
- दुष्टुपद्धति—नारायणभट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघु-नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१, पृ० २१३) एवं शूद्रकमला-कर में व०। १५२५ ई० के पूर्व।

तडागप्रतिष्ठा ।

तडागादिपद्धति—टोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द ना एक भाग) ।

तडागादिप्रतिष्ठापद्धति—धर्मकर उपाध्याय द्वारा ।

तडागादिप्रतिष्ठाविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा ।

तडागोत्सर्गतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा ।

तत्त्वकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा ।

यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है ।

तत्त्वकौस्तुभ—भट्टोजिदीक्षितद्वारा (बडोदा, स० ३७६)

केलदी बेंकटेश के आदेश से लिखित । तन्त्राधिकार, तप्तमुद्राधारण एव लिंगधारण के प्रश्नों पर एक निबन्ध ।

तत्त्वदीप—शंभुवक द्वारा ।

तत्त्वनिर्णय—महामहोपाध्याय बटेश्वर के पुत्र पक्षधर द्वारा । दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५) ।

पाण्डु० शक १६६१ मे उतारी गयी ।

तत्त्वप्रकाश—दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका' ।

तत्त्वमुक्तावली—दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २१७, स० ६८७) । सम्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ । टी०, द० वही ।

तत्त्वमुक्तावली—नन्दपण्डितद्वारा । दे० प्रक० १०५ ।

इसमे उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है । टी० 'बालभूषा', बालवृष्ण द्वारा । टी० 'बालभूषा', वेणीदत्त द्वारा ।

तत्त्वसग्रह—कोनेरिभट्ट द्वारा ।

तत्त्वसागर—हेमाद्रि द्वारा एव एकादशीतत्त्व तथा तिथितत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख मे व० ।

तत्त्वसार—रघु० के मलमासतत्त्व मे व० ।

तत्त्वसारसहिता—हेमाद्रि द्वारा व० ।

तत्त्वामृतधर्मशास्त्र—दे० 'स्मृतितत्त्वामृत' ।

तत्त्वामृतसरोद्वार—वर्धमान द्वारा । उनके स्मृणितत्त्व-विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप, आचार, श्राद्ध, शुद्धि एव व्यवहार नामक चार कोशा मे विभक्त । मिथिला के राजा राम के धामन बाल मे प्रणीत ।

१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे । व्यवहारकोश मे उनके दण्डविवेक का उल्लेख है ।

तत्त्वार्थकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा ।

शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका (जीवानन्द द्वारा प्रका०) ।

तत्त्वार्थदीप ।

तन्त्रप्रकाश—आह्निकतत्त्व मे रघु० द्वारा व० ।

तन्त्रसारपंचरत्न—इसकी टी० का नाम तन्त्रसार प्रकाशिका है ।

तप्तमुद्रासङ्घन—अप्यदीक्षित द्वारा (शरीर पर

चिह्नान्कन के विरोध मे, जैसा कि बंध्यव करते हैं) ।

तप्तमुद्राधारण—(या चक्रमीमासा) स्मृतिकौस्तुभ से ।

तप्तमुद्राविधावण—भास्करदीक्षित द्वारा ।

तप्तमुद्राविवेक—हरिराय गोस्वामी द्वारा । बडोदा

(स० ११५७५) ।

तर्पणचन्द्रिका—रामचरण द्वारा ।

तारकोपदेशव्यवस्था—अमृतानन्द तीर्थ द्वारा ।

तिथिकल्पद्रुम—कल्याण द्वारा ।

तिथिकौस्तुभ—(या तिथिदीधितिकौस्तुभ) आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ।

तिथिचक्र—विश्वनाथ द्वारा । बडोदा (स० ८३३६) ।

तिथिचन्द्रिका—पक्षधर मिश्र द्वारा । विहार, जिल्द १, स० १४५, पाण्डु० ल० स० ३४५ (१४६४ ई०) मे उतारी गयी ।

तिथिचन्द्रिका—हरिदत्त मिश्र द्वारा ।

तिथिचन्द्रोदय—अहल्याकामधेनु मे व० ।

तिथितत्त्व—रघुनन्दन द्वारा । टी० वासीराम तर्कालार द्वारा, नो० न्यू० (१, पृ० १५५) । टी० वासीराम वाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७१) । टी० रामचरण त्रिधावाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७२) ।

तिथितत्त्वचिन्तामणि—महेष ठगरु द्वारा (बनारस मे मुद्रित, १८८७ ई०) ।

तिथितत्त्वसार—आपदेव द्वारा ।

तिथिदर्पण ।

तिथिदीधिति -- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक अंग)।

तिथिदीपिका -- जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० १०७२४)।

तिथिद्वैतनिर्णय -- (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा।

तिथिद्वैतप्रकरण -- (तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा।

तिथिनिर्णय -- कालमाधव से।

तिथिनिर्णय -- अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६११)।

तिथि सं० १५८३, अर्थात् १५२६-२७ ई०।

तिथिनिर्णय -- कमलाकर द्वारा।

तिथिनिर्णय -- गंगाधर द्वारा।

तिथिनिर्णय -- गोपाल द्वारा।

तिथिनिर्णय -- गोविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० १३२६)। फोटर्सन का यह कहना कि वह काल-रघूत्तम की प्रशंसा करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम विष्णु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं 'ब्रह्म' के समान कहे गये हैं।

तिथिनिर्णय -- दयाशंकर द्वारा।

तिथिनिर्णय -- देवदास मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय -- शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर आवृत।

तिथिनिर्णय -- नागोजिभट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णय -- नारायण भट्ट द्वारा।

निथिनिर्णय -- पक्षधर मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय -- बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्रि पर निर्भर है।

तिथिनिर्णय -- भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से प्रका०)।

तिथिनिर्णय -- मथुरानाथ शुक्ल द्वारा।

तिथिनिर्णय -- महादेव द्वारा।

तिथिनिर्णय -- माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंग)।

तिथिनिर्णय -- रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट ही हैं)। विट० एवं कोथ (पृ० २८२) का कथन

है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ लिखा हुआ है।

तिथिनिर्णय -- रामपति सिद्धान्त द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १५६); शक संवत् १६३३ में प्रगीत।

तिथिनिर्णय -- राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ के नाम आये हैं, अतः १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० १६८१ शक (अर्थात् १७६६ ई०) में उतारी गयी। बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०।

तिथिनिर्णय -- गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा (सं० १५२४), लग० १४०० ई०। टी० लेखक के पुत्र नृसिंह द्वारा। पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ ई०)।

तिथिनिर्णय -- रामप्रसाद द्वारा।

तिथिनिर्णय -- वाचस्पति द्वारा।

तिथिनिर्णय -- विश्वेश द्वारा; हेमाद्रि, माधव, चमत्कार-विन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं।

तिथिनिर्णय -- वैद्यनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से)।

तिथिनिर्णय -- शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, सं० १३२९)।

तिथिनिर्णय -- शुभङ्कर द्वारा।

तिथिनिर्णय -- सिद्धलक्षण द्वारा।

तिथिनिर्णय -- सुदर्शन द्वारा।

तिथिनिर्णय -- माधवाचार्य के लघुमाधवीय से।

तिथिनिर्णय -- स्मृत्यर्थसार से।

तिथिनिर्णयकारिका -- कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत्र श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयचक्र -- विश्वनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८३३६)।

तिथिनिर्णयतत्त्व -- शिवनन्दन नाग द्वारा।

तिथिनिर्णयदीपिका -- शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा।

तिथिनिर्णयमार्तण्ड -- कृष्णमित्राचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयसंक्षेप -- (या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा।

तिथिनिर्णयसंग्रह -- रामचन्द्र द्वारा। अनन्तभट्ट के तिथि-निर्णय का संक्षेप। टी० नृसिंह द्वारा। बड़ोदा, सं०

१५२४, तिथि स० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त।  
 तिथिनिर्णयसर्वसमुच्चय।  
 तिथिनिर्णयसार—मदनपाल द्वारा। दे० प्र० ९३।  
 तिथिनिर्णयैन्द्रशेखर—नागोजिमठ द्वारा।  
 तिथिनिर्णयोद्धार—(या लघुतिथिनिर्णय या निर्णयो-  
 द्धार) राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय।  
 इसे तिथिसारग्रह भी कहा जाता है।  
 तिथिप्रकाश—गंगादास द्विवेदी द्वारा।  
 तिथिप्रकाशप्रकाशिका।  
 तिथिप्रदीपक—भट्टाजि द्वारा।  
 तिथिप्रदीपिका—नृसिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख  
 है।  
 तिथिप्रदीपिका—रामसेवक द्वारा।  
 तिथिमञ्जरी—शालभट्ट-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा।  
 तिथिरत्न—महादेव द्वारा।  
 तिथिरत्नमाला—चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील-  
 कण्ठ द्वारा।  
 तिथिवाक्यनिर्णय—दे० नारायण भट्ट का तिथि-  
 निर्णय।  
 तिथिविवेक—शूलपाणि द्वारा, रघुनन्दन के तिथितत्त्व  
 में व०। टी० तात्पर्यदीपिका, श्रीवर के पुत्र  
 श्रीनाथ आचार्यचूडामणि द्वारा। लग० १४७५-  
 १५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४)।  
 पाण्डु० १५१२-१३ ई० में उतारी गयी।  
 तिथिष्यवस्थान्शेष।  
 तिथिसंग्रह—(या सर्वतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा।  
 तिथ्यैन्द्रशेखर—नागेमभट्ट द्वारा।  
 तिथ्यर्क—भारद्वाज गोत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के  
 पुत्र दिवाकर द्वारा, आचार्य के लेख (दोनों  
 धर्मशास्त्रमुवातिथि के भाग हैं)। लग० १६८३  
 ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा।  
 तिथ्यर्कसर्वनिर्णय—(बडोदा, स० ५९४७) लेखक का  
 खयन है कि प्रयागरत्न के लेखक नारायणभट्ट उमरी  
 माना के प्रतिनामक थे। अतः लेखक की तिथि  
 लगभग १६५० ई० है।

तिथ्यर्कप्रकाश—दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त  
 तिथ्यर्क ही है?)।  
 तिथ्यादितत्त्वनिर्णय—लौगाक्ष भास्कर द्वारा। बडोदा  
 (स० ५७७२, तिथि १६०५ स०=१५४८-९ ई०)।  
 दीपिका, कालादर्श, भाष्य एव निर्णयामृत वा उल्लेख  
 है, अतः १४०० ई० के पश्चात्।  
 तिथ्यादिनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा।  
 तिथ्यादिनिर्णय—गद्यनाभ इत (योगेश्वरसंग्रह का  
 भाग; पाण्डु० सन् १७०७ ई० में उतारी गयी)।  
 तिथ्यादिविधिमंग्रह—रघुतम तर्कशिरोमणि द्वारा।  
 नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)।  
 तिथ्युक्तिरत्नावली—हरिलाल मिश्र द्वारा।  
 तीर्थकमलाकर—रामशुभ के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा।  
 दे० प्र० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ-  
 विधि भी है।  
 तीर्थकल्पलता—अनन्तादेव के पुत्र गोतुलदेव द्वारा।  
 तीर्थकल्पलता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।  
 तीर्थकल्पलता—वाचस्पति द्वारा।  
 तीर्थकाशिका—गंगाधर द्वारा व०।  
 तीर्थकौमुदी—बललाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ-  
 चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोपापनकौमुदी  
 ही है।  
 तीर्थकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा।  
 तीर्थचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रवाणों  
 में विश्व० इण्डि० मी० द्वारा प्रवा०, रघु० के मुद्रि-  
 तत्व में एन नि० सि० में व०। दे० प्र० ९८।  
 तीर्थतत्त्व—(या तीर्थयात्राविधि) रघु० इत। यह  
 उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्वों के अतिरिक्त है।  
 तीर्थवर्णन—(दे० 'कृत्रुप्रयोग') विद्वनाथ के पुत्र  
 भट्टाराम (हामिन्न उपाधिवारी) द्वारा।  
 तीर्थनिर्णय—(या कुरुक्षेत्रतीर्थनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा।  
 तीर्थपरिभाषा—ध्याग की।  
 तीर्थमञ्जरी—मुकुन्दलाल द्वारा।  
 तीर्थयात्रातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। यह तीर्थतत्त्व ही है।  
 दे० प्र० १०२।

- सौधेयाप्रतिभेय ।
- सौधेयनाशर—(या रामप्रसाद) पराशर गोपीय  
मासके दे पुत्र रामप्रसाद द्वारा । पाण्डु० सं०  
१६२० (१६०-१६२५ ई०) । विष्णु सं० १६००  
में जन्म के समय दीर्घिका पर युवायुवप्रवृत्ति  
नामक टी० लिखी । ये प्रसादमानेण्ड के भी जन्म  
है । लग० १५००-१५२५ ई० ।
- सौधेयंशु—शोधर द्वारा मृगयन्तव मे प्र० ।
- सौधेयंशु—सौधेयनाशर द्वारा ।
- सौधेयार—नीलकण्ठनाथ का पुत्र भाग ।
- सौधेयेशु—दशमनाथ मन्त्र द्वारा ।
- सौधेयेशु—दशमनाथ का पुत्र भाग ।
- सौधेयेशुगार—शिवभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा । दे०  
प्र० ११० ।
- सौधेयेशुगारशुभरी—शुभरीनाथ के पुत्र शिवर द्वारा ।  
दे० 'प्रकीर्णकशुभरी' । लग० १७५३ ई० ।
- सुलादीक्षायाज्ञानाद्यनियेष—मानेण्ड द्वारा (सुधीरा,  
न० ३८२४) ।
- सुलादीक्षिका—शङ्करनाथ मन्त्रोपासना द्वारा ।
- सुलादीक्षिका—(प्रसादमानेण्ड के द्वारा किया गया) अलवर  
(न० १३३४, उदयन ३१३) ।
- सुलादान ।
- सुलादानपद्धति ।
- सुलादानपुरुषप्रयोग ।
- सुलादानप्रकरण—मिद्धनाथ द्वारा ।
- सुलादानप्रयोग—(माध्यन्दिनीय) ।
- सुलादानप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा ।  
दे० प्र० १०६ ।
- सुलादानविधि ।
- सुलापद्धति—कमलाकर द्वारा ।
- सुलापुरुषदानपद्धति ।
- सुलापुरुषदानप्रयोग—त्रिटुल द्वारा ।
- सुलापुरुषमहादानपद्धति—गोपीनाथ द्वारा ।
- सुलापुरुषमहादानप्रयोग—(या सुलादानविधि) रामे-  
श्वर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा । दे० प्र० १०३ ।

- त्रिगण्डशुभरी—(या जगदीशनाथशुभरी) शोधेय  
द्वारा । क्या यह त्रिगण्ड ही है ?
- त्रिगण्डशुभरी—(या जगदीशनाथशुभरी) या सुला-  
नाथिका) टीका के माव मन् १८७९ में वागी ने  
रखा । शोधेय पर ३० समान छोटी मे । अलवर  
(न० १३३९) में यह शोधेय की कहो गयी है ।  
दे० बी० बी० आर० ए० एम्० (जिह्व ३, पृ०  
२०९-२१०), श्री मन् १६३३ की कही गयी है ।  
टी० शिवरथ, रामेश्वर-शुभ मानव के पुत्र मृगयान  
भट्ट द्वारा । लग० १५६०-१६२५ मे । टीका पर  
टीका शिवरथनाथोदर, बालकृष्ण के पुत्र मन्भुभट्ट  
कथिमपत्र द्वारा ; नि० नि०, मयूर, भट्टीश्वरदीक्षित  
के नाम आये है । १६६०-१७१० ई० के बीच ।  
देवक का कथन है कि उनमे त्रिगण्ड शुभरी पर सुलादान  
की टीका का अनुमन किया है । टी० अर्जुनमंगल ।  
टी० में प्रमत्त उम से इन विज्ञानेश्वर क्त माना गया  
है । दे० 'दशशुभरी' । टी० भट्टाचार्य द्वारा (अल्-  
वर, न० १३४१; पाण्डु०, बड़ीश, न० ३८८३,  
तिथि न० १५७७ = १५२२-२३ ई०) । टी०  
शुभोधिनी, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज  
अनन्त द्वारा । लग० १६१०-१६६० ई० । टी०  
कृष्णभिर द्वारा । टी० राघव द्वारा । टी० रामभट्ट  
द्वारा । टी० विश्वनाथ द्वारा । टी०, दे० इण्डि०  
आ०, ३, पृ० ५६६, सं० १७५०-५१ । टी०  
रामेश्वर भारती द्वारा । टी० केसक द्वारा ।
- त्रिकाण्डमण्डन—(आपस्तम्बमूत्रव्यनितार्थकारिका)  
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा  
(विद्वि० इण्डि० सी०) । प्रकाशित ग्रन्थ एवं  
पाण्डु० में अन्तर है । अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि,  
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों  
में विभक्त । ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर,  
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग,  
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, लीलाक्षिकारिका, भर्तृयज्ञ,  
बालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपार्श्व, कर्मदीप,  
विधिरत्न के नाम आये हैं । इसकी बहुत-सी कारि-



दत्तकचन्द्रिकाटीका—तकनलाल द्वारा।

दत्तकतत्त्वनिर्णय—(या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा।

नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)।

दत्तकतिलक—भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक का एक अंश)। दत्तकशिरोमणि द्वारा सक्षेप।

दत्तकदर्पण—द्वैपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)।

दत्तकदीधिति—महामहोपाध्याय अनन्तभट्ट द्वारा। कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि में सारांश।

दत्तकनिर्णय—तात्याशास्त्री द्वारा।

दत्तकनिर्णय—विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा।

दत्तकनिर्णय—शूलपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति-विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अद्य भरतचन्द्र शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका एक नाम दत्तकविवेक भी है।

दत्तकनिर्णय—श्रीनाथ भट्ट द्वारा।

दत्तकपुत्रविधान—अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह दत्तकदीधिति ही है)।

दत्तकपुत्रविधान—नृसिंहभट्ट द्वारा।

दत्तकपुत्रविधि—शूलपाणि द्वारा। यह उपर्युक्त दत्तक-निर्णय ही है।

दत्तकमीमांसा—(या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित (विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे० प्रक० १०५। टी० वृन्दावन शुक्ल द्वारा।

दत्तकमीमांसा—माधवाचार्य द्वारा।

दत्तकविधि—नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश।

दत्तकविधि—वाचस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० (जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७-८)।

दत्तकविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय (ऊपर)।

दत्तकसपिण्डनिर्णय।

दत्तकोज्ज्वल—वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)।

दत्तचिन्तामणि—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

दत्तदायप्रकाश—ब्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में १८७५ में प्रका०)।

दत्तपुत्रतत्त्वविवेक—वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० ३०७)।

दत्तपुत्रविचार—गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बड़ोदा, स० १०७०१ वी)।

दत्तपुत्रविधि।

दत्तमञ्जरी।

दत्तरत्नप्रदीपिका—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

दत्तरत्नाकर—धर्मराजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीन्द्र के पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामृत, वरद-राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।

दत्तरत्नार्पण—सीतारामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० ७२०४)।

दत्तविधि—वैद्यनाथ द्वारा।

दत्तसंग्रह—भीमसेन कवि द्वारा।

दत्तसिद्धान्तमंजरी—देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके गृह अद्वैतानन्द थे।

दत्तसिद्धान्तमञ्जरी—भट्ट भास्करपण्डित द्वारा।

दत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी।

दत्तस्मृतिसार।

दत्तहोमानुक्रमणिका।

दत्तादर्श—माधव पण्डित द्वारा।

दत्तार्क—नृसिंहात्मज माधव के पुत्र दादा करजगि द्वारा। गोदावरीय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य। लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय-सिन्धुकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं।

दत्तार्चनकौमुदी—(या दत्तात्रेयपद्धति) चैतन्यगिरि द्वारा।

दत्तार्चनविधिचन्द्रिका—रामानन्द यति द्वारा।

दत्ताशौचव्यवस्थापनवाद—रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्म-ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में।

दन्तधावनविधि।



दर्शननिर्णय—सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रगनाथात्मज वैकटनाय वैदिकसर्वभूमि द्वारा। जयन्तीनिर्णय, एकादशीनिर्णय आदि विषया पर। सम्भवत यह लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० (जिल्द ८, पृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, अलण्डादर्श का उल्लेख है।

दर्शभाद्र—विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

दर्शभाद्रपद्धति—रघुनाथ कृत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित।

दर्शभाद्रप्रयोग—भट्ट गोविन्द द्वारा (बडोदा, स० १६७७, तिथि शक १६८०)।

दर्शभाद्रप्रयोग—शिवराम द्वारा।

दर्शसञ्चिका।

दशकर्मदीपिका—(या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायुध का प्ये०५ भाईएव बगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, अत तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है।

दशकर्मपद्धति—ऋग्वेदियों के लिए (गर्भाशन आदि पर) महामहोपाध्याय कालेनि द्वारा। नो० (जिल्द २, पृ० ६१)।

दशकर्मपद्धति—हरिसकर के पुत्र गणपति द्वारा।

दशकर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

दशकर्मपद्धति—पूर्वाधर द्वारा।

दशकर्मपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकर्म-दीपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग-शाखा के अनुसार। दे० प्र० ७३।

दशकर्मपद्धति—वाजसनेयियों के लिए रामदत्त नैबिल द्वारा। यह 'गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है।

दशकर्मव्याख्या—हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसर्वस्व का एक भाग)।

दशकालनिर्णय।

दशयैनुदानपद्धति—(या विधि) हेमाद्रि के दानवण्ड का एक भाग।

दशनिर्णय—रङ्गनाथ के पुत्र वैकटनाय वैदिकसर्वभूमि द्वारा।

दशनिर्णय—(उपवास एव उरसवी पर) प्रयोगचन्द्रिका में व०।

दशपुत्राह्निक—दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।

दशमूलकोटिहोमप्रयोग—देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, स० १०९६३)।

दशविधविप्रपद्धति।

दशश्लोकी—(विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अशौच पर। यह उपर्युक्त आशौचदशक ही है। टी० लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हुल्ल (३, पृ० १०१) में भट्टोजि का कथन वर्णित है 'विज्ञानेश्वर-मदनभारिजातकारत्रिंशत्श्लोकीकारप्रभृतयस्तु ब्राह्मणस्य ईश्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः', जिसे प्रवृत्त होता है कि उन्होंने त्रिंशत्श्लोकी के लेखक को विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है।

दशसंस्कारपद्धति—यह गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति है।

दशसंस्कारप्रकरण।

दशादिकालनिर्णय।

दशाहकर्म।

दशाहविवाह—बंधनाथ दीक्षित द्वारा।

दानकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०६।

दानकल्प—अहल्यावामपनु मे उ०।

दानकल्पतट—लक्ष्मीधर कृत (कल्पतट का एक भाग)। दे० प्र० ७७।

दानकाण्डपूर्व—प्रतापराज साम्बाजी द्वारा ('परशुराम-प्रताप' से)।

दानकाण्डसंक्षेप।

दानकौतुक—'हरिवंशविलास' (मन्दपण्डित कृत) से उद्धृत।

दानकौमुदी—रामजय लकारिकार द्वारा।

दानकौमुदी—(या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा (स० १५००-१५४० ई०)। लेखक की शब्द-क्रियाकौमुदी म व०। दे० प्र० १०७; विच्छि० इच्छि० सी० में प्र०।

दानकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।

दानचन्द्रिका—गौतम द्वारा।

दानचन्द्रिका—जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण)।

दानचन्द्रिका—महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पीत्र दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्द्योत, दान-रत्न, दानमयूख एवं व्रतार्क के नाम आये हैं। दान-सक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त। बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं १८८४ में प्रकाशित।

दानचन्द्रिका—नीलकण्ठ द्वारा।

दानचन्द्रिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०।

दानचन्द्रिकावली—श्रीवरपति द्वारा।

दानतत्त्व।

दानदर्पण—रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं तथितत्त्व में व०।

दानदिनकर—दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा।

दानदीधिति—भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा।

दानदीपवाक्यसमुच्चय।

दानधर्मप्रक्रिया—कृष्णदेव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव भट्ट द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार क्राण्डों में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४)। तिथि शक १५५८ (१६३६-७ ई०)।

दानपञ्जी—(या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिंह के पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पृ० १५०)। पीटर्सन (५वीं रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने सगृहीत किया है।

दानपञ्जी—रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर का संक्षेप है।

दानपञ्जी—सूर्यकरशर्मा द्वारा। दे० 'नवराज' भी।

दानपद्धति—(पोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट राजानूसिंह के मन्त्री रामदत्त द्वारा। लेखक चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वार्ध में (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४)। इसे

भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खीपालवंश में उत्पन्न हुए थे और अग्निहोत्री थे।

दानपरिभाषा—नीलकण्ठ द्वारा।

दानपरीक्षा—श्रीवर मिश्र द्वारा।

दानपारिजात—काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।

दानपारिजात—क्षेमेन्द्र द्वारा।

दानप्रकरण।

दानप्रकार।

दानप्रकाश—मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश)।

दे० प्र० १०८।

दानप्रदीप—दयाराम द्वारा।

दानप्रदीप—दयाशंकर द्वारा।

दानप्रदीप—गुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहोपाध्याय माधव द्वारा।

दानफलविवेक।

दानफलव्रत—पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ५७७)।

दानभागवत—वर्णा कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिंह के काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं पुराणों पर आधृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें 'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति है। वोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त।

दानमञ्जरी—त्रजराज द्वारा।

दानमनोहर—त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा। गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से सं० १७३५ (१६७८-७९ ई०) में प्रणीत।

दानमयूख—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं शती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एत्र घरपुरे द्वारा बम्बई से प्रका०।

दानमहिमा।

दानमुक्तावली।

दानरत्न—दानचन्द्रिका मे व०।

दानरत्न—अनूपविलाम का एक अंग।

दानरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

दानरत्नाकर—होशिय कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम द्वारा। मरुदेश्वर जोनपुर के राजा अनूपमिह के आदेश से मगूहीत। अनूपमिह की बगावली दी हुई है, बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे—अनूपविवेक (शाल-प्रामपरीक्षक), मल्लानकल्पनिवा, अनूपकुतुबार्णव, अमृतमजरी (विषों के मार्जन पर) एक चिकित्सा-मालतीमाला। लग० १६०५ ई०।

दानवाक्य।

दानवाक्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा (बडोश, स० १०५१३, मयू १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१।

दानवाक्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा। भोजदेवमग्रह मे व०। पाण्डु० स० १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी गयी।

दानवाक्यावलि—नरराज द्वारा।

दानवाक्यावलि—विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा नरमिहदेव दरभाररायण की रानी महादेवी धीरमति के मरुदण्ड में प्रणीत। पाण्डु० निधि स० १५३९ (१४८३ ई०), १५वीं शती का पूर्वार्ध। मगधावर रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२)।

दानवाक्यावलि—अज्ञान। ड० का० (म० ३६७, १८९१-९५)।

दानविजय।

दानविवेक—ट्रेमादि, दानचन्द्रिका, दानमयूष (नील-कण्ठपूज) में व०।

दानविवेक—अट्टोत्रिदोक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा। लग० १९५० ई०।

दानविवेकोद्योग—(या दानोद्योग) मदनरत्न मे।

दानमोक्षचन्द्रिका—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। दे० 'दानचन्द्रिका'।

दानसागर—अनन्तभट्ट द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव महाराज द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन द्वारा। दे० प्र० ८३।

दानसार—नृसिंहप्रसाद का अंग। दे० प्र० ९९।

दानसारसंग्रह—(केवल यास्तु पूजा का प्रकरण) अलवर (१३५५, ३१९)।

दानसारावली—बीकानेर (पृ० ३७५)।

दानसौख्य—दानचन्द्रिका एवं दानमयूष (टाडरानन्द का भाग) में व०।

दानहोरावलिप्रकाश—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। नीलकण्ठ, के दोहित। उनके छोटे पुत्र वैद्यनाथ द्वारा पद्य मे संक्षेप जोडा गया। धर्मशास्त्र-मुवातिनि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, सिन्द ३, पृ० ५४७-४८)। अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा।

दानहेमाद्रि—चतुर्वर्गचिन्तामणि का एा अंग।

दानार्णव—मिथिला के वीरनारायण नरमिहदेव (कामेश्वरराजपंडित) की पत्नी धीरमति के आदेश मे विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्ध।

दानोद्योग—(मदनरत्नदीप का एा अंग)। यह दानविवेकाद्योग ही है।

दानोद्योग—हृष्णराम द्वारा।

दामोदरस्य—निर्णयदीप्त, मुद्रिमयूष एा गणपमयूष मे व०। १५०० ई० के पूर्व।

दायकौमुदी—योगाम्बर मिश्रालयासीस द्वारा। लग० १६०४ ई०। बलरत्ता मे १९०४ ई० मे प्रा०।

दायकमसग्रह—धार्ष्ट्य नर्तिकाएर हुए (बलरत्ता मे १८२८ मे मुद्रित एा पिक द्वारा अुद्रित)। आधार्य चूडामणि का उत्प्रेय है।

दायकस्य—(या दायभागस्य) ग्णुतदन हुए। बीका द्वारा प्रा०। दे० प्र० १०२। टी० काशीम वाषण्णिक द्वारा। टी० गधार्णत द्वारा। टी० गन्धार नृराट द्वारा। टी० अणय (नी० मु० सिन्द २, पृ० ८०)।

दायदशश्लोकी—दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित छन्दों में (वर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका०)। टी० वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा।

दायदीप—दायभाग की टीका। दे० 'दायभाग'।

दायनिर्णय—गोपाल पञ्चानन द्वारा। रघुनन्दन के नाय-तत्त्व का संक्षेप।

दायनिर्णय—विद्याधर द्वारा।

दायनिर्णय—श्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय-भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, ३, पृ० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका उत्पन्न हो गयी है।

दायभाग—जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८। प्रसन्नकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं के साथ प्रका० (१८६३-६६)। टी० दायभाग-प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८)। टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्काचार्य के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। टी० गंगाधर द्वारा। टी० गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्कालंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० नीलकण्ठ द्वारा। टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, कलकत्ता, ७०२)। टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, श्रीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा; अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत (१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५-१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि-दीक्षित द्वारा।

दायभाग—वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश।

दायभाग—जगन्नाथ के विवादभंगार्णव का एक अंश।

दायभाग—वैद्यनाथ द्वारा।

दायभागकारिका—मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। नो० न्यू० (१, १७२)।

दायभागनिर्णय—(या विनिर्णय) कामदेव द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ४६३)।

दायभागनिर्णय—भट्टोजि द्वारा (पीटर्सन, ६वीं रिपोर्ट, सं० ८४)।

दायभागनिर्णय—व्यासदेव द्वारा।

दायभागनिर्णय—श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर)।

दायभागविवेक—(दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, १६५७ ई० में प्रणीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश। नो० (जिल्द ५, पृ० १५४)।

दायभागव्यवस्था—सार्वभौम द्वारा। आठ तरंगों में। शक (शाकेगिनमङ्गलहरास्यकलानिधाने) १५८३ (१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत।

दायभागव्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा (व्यवस्था-संक्षेप का भाग)।

दायभागसिद्धान्त—बलभद्र तर्कवागीश भट्टाचार्य द्वारा (इण्डि० आ०, पृ० ४६५)।

दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका—दायभाग की टी० (दे० ऊपर)।

दायभागार्थदीपिकापद्यावली—रघुमणि के शिष्य रघुराम द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १७४)। १८वीं शती के अन्त में।

दायमुक्तावली—टीकाराम द्वारा।

दायरहस्य—दे० रामनाथकृत 'दायभागविवेक'।

दायविभाग—कमलाकर द्वारा।

दायसंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा।

दायसंग्रहश्लोकदशकव्याख्या—वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा। दे० 'दायदशश्लोकी'।

दायाधिकारक्रमसंग्रह—श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार द्वारा।

दायाधिकारक्रमसंग्रह—कृष्ण या जयकृष्ण तर्कालंकार द्वारा। बलवर (सं० १३५६)। यह पूर्ववर्ती ही है, ऐसा प्रतीत होता है।

दामाधिकारक्रम—लक्ष्मीनारायण द्वारा।

दाल्म्यकृत धर्मशास्त्र—(श्राद्ध पर) ४० वा० (पाण्डु० म० २६७, १८८७-९१) प्रपाण पर कुछ पद्य-चवन भी हैं।

दाल्म्यपद्धति—बडोदा (म० ८१५६) मृत्यु एव मृत्यु-परान्त के कृत्या पर।

दासीदान।

दाहादिकर्मपद्धति।

दिनकरोद्घोत—(या शिवद्युमगिदीपिका) नारायण-भट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) द्वारा आरम्भित एव उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट) द्वारा समाप्त। आचार, आसीच, काल, दान, पूर्त प्रनिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्णवृत्त्य, व्रत, मद्र, श्राद्ध एव मस्कार के प्रकरण हैं।

दिनत्रयनिर्णय—विद्यायोग मुनि कृत।

दिनत्रयमीमांसा—नारायण द्वारा (माध्य अनुयायियों के लिए)।

दिनदीपिका।

दिनमास्कर—गम्भनाथ निदान्तवागीश कृत। गृहस्था क आह्वित कृत्या का सग्रह। लग० १७१५ ई०।

दिवस्पतिसग्रह—जामुनवाहन के कालदिवक म व०।

दिवोदासप्रकाश—दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका म व०।

दिवोदासीय—नि० वि०, विवलिपारिजात, गुह्यचन्द्रिका द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवत यह दिवादासप्रकाश ही है।

दिव्यतत्त्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० लनुटाका, मथुरानाथ सुवल द्वारा।

दिव्यतत्त्व—(या तन्त्रकीमुदी) दवनाथ द्वारा व०। कवल वैष्णववृत्त्य वर्णित है। मित्र, नो० (जिल्द ६, पृ० ३२)। पाण्डु० सन स० १५५१ (१६२९ ३० ई०) म उतारी गयी।

दिव्यदीपिका—दामोदर ठक्कुर कृत, मुहम्मदशाह के शासन म मगूहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)।

दिव्यनिर्णय—दामोदर ठक्कुर कृत, मद्रासशाह के

राज्य मे मगूहीत। नो० (जिल्द ६, पृ० ४०)। १५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत 'विवेक-दीपक'।

दिव्यसग्रह—मदानन्द द्वारा।

दिव्यसिंहकारिका—दिव्यसिंह द्वारा। उनके कालदीप एव श्राद्धदाप का पद्य मे संक्षेप।

दिव्यानुष्ठानपद्धति—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। ना० मू० (जिल्द ३, पृ० ९२)।

दीक्षातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका—रामशिखोर कृत (कैटलॉग, स० एव प्राकृत मी०, स० २२०२)।

दीक्षानिर्णय।

दीपकलिका—मूलपाणि कृत। याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर टी०। दे० प्रक० ९५।

दीपदान।

दीपदानविधि या कारिका।

दीपमालिका।

दीपश्राद्ध।

दीपिका—कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम सलग है, यथा—कालनिर्णयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि।

दीपोत्सवनिर्णय—बडोदा (म० १०६२५, तिथि १७५७ मवत्)।

दुर्गभञ्जन—(या स्मृतिदुर्गभञ्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र ब्राह्मण चन्द्रोत्तार शर्मा द्वारा। चार अध्यायों मे, तिथि, मास, धार्मिक कृत्या के अधिकारी (यथा दुर्गापूजा, उपवास) एव प्रायश्चित्त पर। धर्म-सम्बन्धी सन्देशों को दूर करता है।

दुर्गातरव—देविण दुर्गात्सवतत्त्व।

दुर्गातत्त्व—राघवभट्ट द्वारा।

दुर्गापुरस्चरणपद्धति।

दुर्गाभक्तितरणिणी—(या दुर्गात्सवपद्धति) मिथिला के नरसिंहव की कहा गया है, विद्यापति द्वारा प्रणीत। यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिंह के पुत्र धीरसिंह एव उनके भाई भैरवेंद्र (यही रूपनारायण, यद्यपि

अन्य हर्गिनारायण नाम आया है) की प्रथमा है (दे० इण्डि० एण्टी०, जिन्द १८, पृ० १९३)। लग० १८३८; कलकत्ता मे, मन् १९०९, मं प्र० १०। रत्नाकर का उल्लेख है।

दुर्गाभिततरंगिणी—भाष० कृत।

दुर्गाभितप्रकाश—दुर्गास्तवमन्त्र में रघुनन्दन द्वारा व०।

दुर्गाभितलहरी—रघुनन्दन नाथ द्वारा।

दुर्गाचिन्कल्पतरु।

दुर्गाचिन्मामृतसहस्र—मयुरनाथ मुकुल द्वारा।

दुर्गाचिन्कालनिष्कर्ष—नयुभूदन वाचरपति द्वारा। नो० न्य० (जिन्द १, पृ० ८१)।

दुर्गाचिन्कीमुदी—तरमानन्द शर्मा।

दुर्गाचिन्मुकुट—तालीचरण द्वारा। दो गण्डों में, प्रथम में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। इसने दुर्गापूजा की कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन माना है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है।

दुर्गाचिन्—धर्मप्रवृत्ति में व०।

दुर्गाचिन्प्रकाश—(गमयालोक) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ द्वारा। मात आलोंकों में। नर्मदा पर स्थित राज्य के शासक एव वीरगाहि के पिता दलपति की रानी दुर्गाचिन्ती के आश्रय में प्रणीत। दे० बोकानेर (पृ० ४५०) एवं इण्डि० आ० (पृ० ५३६, स० १६८०)। द्वैतनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एव निर्णयामृत, मदनपारिजात एव मदनरत्न का उल्लेख है। १४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, सक्रान्ति, मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह दलपति नृसिंहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण हैं, यथा—समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, ईश्वराराधन (या पूजा)।

दुर्गास्तवकृत्यकौमुदी—गम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग० १७१५ ई०।

दुर्गास्तवचन्द्रिका—उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव

राजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्धमान द्वारा।

दुर्गास्तवतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

दुर्गास्तवनिर्णय—गोपाल द्वारा। नो० (जिन्द ६, पृ० २१०)।

दुर्गास्तवनिर्णय—न्यायपञ्चानन द्वारा (नाम नहीं दिया हुआ है)। मिन ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु ऑफ्रेण्ट ने वही माना है। नो० (जिन्द ७, पृ० ७)।

दुर्गास्तवपद्धति—दे० 'दुर्गाभिततरंगिणी'।

दुर्गास्तवप्रमाण—रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० पाण्डु० (जिन्द २, पृ० ३१०-३११ स० ३३७)।

दुर्गास्तवविवेक—नूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

दुर्गास्तवविवेक—श्रीनाथ आचार्यबूडामणि द्वारा।

दुष्टरजोदर्शनशान्ति—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। दूतयोगलक्षण।

दूतलक्षण।

दूलालीय—दूलाल द्वारा।

देवजानीय—नि० मि०, विधानपारिजात, आचाररत्न (लक्ष्मणकृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व।

देवतावारिपूजा।

देवतिलकपद्धति—(लक्ष्मी के संग विष्णु की मूर्ति का विवाह)। नो० न्यू० (१, पृ० १७९)।

देवदासप्रकाश—(या सद्ग्रन्थबूडामणि) गीतमगोत्रीय अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। श्राद्ध, आशीच, मलमास आदि पर विशद निबन्ध। लेखक के अनुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, मिताक्षरा, कृत्याणव पर आवृत्त। १३५०-१५०० ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८)।

देवदासीय—नि० सि०, विधानपारिजात, श्राद्धमयूख में व० (सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है)।

देवपद्धति—अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम में व०। सम्भवतः अनन्तदीक्षित की महारुद्रपद्धति।

देवप्रतिष्ठातत्त्व—(या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२।

देवप्रतिष्ठापद्धति।

देवप्रतिष्ठाप्रयोग—गगाधर दीक्षित के पुत्र श्याममुन्दर द्वारा ।

देवप्रतिष्ठाविधि—बीकानेर (पृ० ३८०) ।

देवयाज्ञिकपद्धति—(यजुर्वेदीय) देवयाज्ञिक वृत (काशी सं० सी० मे प्रका०) ।

देवलस्मृति—दे० प्रक० २३, आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० (पृ० ८५-८९) ।

देवस्यापनकौमुदी—बल्लाल के पुत्र शकर द्वारा (उपाधि धारे) । बड़ोदा (सं० १४६४) ।

देवाल्यप्रतिष्ठाविधि—रमापति द्वारा ।

देवीपरिचर्या—अहल्याकामधेनु मे व० ।

देवीपूजनभास्कर—शम्भुनाथ सिद्धान्तबागीश द्वारा । नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया है—'खयुगोमिशिवे शाके निशाचरतिथौ शुभे' ।

देवीपूजापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा ।

देशान्तरमृतक्रियानिरूपण ।

देहशुद्धिप्राप्यश्चित्त—अर्कष्ट (६७३) ।

द्वैतज्ञानिन्तामणि—टोडरानन्द म व० ।

द्वैतज्ञाननोहर—लक्ष्मीधर द्वारा । रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, मलमासतत्त्व म एव टोडरानन्द तथा नि० सि० मे व० । ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ । १५०० ई० के पूर्व ।  
द्वैतज्ञानवल्लभ—नीलकण्ठ या धीपति द्वारा, नि० सि० म व० (सम्भवत केवल ज्योतिष ग्रन्थ) ।

दोलायात्रा ।

दोलायात्रातत्त्व—(या दोलायात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०३ । नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १९१) ।

दोलायात्रामृतविवेक—शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५ ।

दोलायात्रामृत—नारायण तर्काचार्य द्वारा ।

दोलारोहणपद्धति—विद्यानिवास द्वारा ।

द्रव्यशुद्धि—रघुनाथ द्वारा ।

द्रव्यशुद्धिवीथिका—गीताम्बर के पुत्र पुष्करात्म द्वारा । लिखा ने अपन का श्रीमद्भक्तभावाधरणाचरणाचरणादाग दाग' कहा है । नि० नि०, शुद्धिमयूत्र, दिनकराद्यात के उद्धरण हैं । जन्मनिधि सं० १७२४ (१६६८ ई०)

ए मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है । सन १९०६ मे प्रकाशित ।

द्राह्यायणगृह्यपरिशिष्ट ।

द्राह्यायणगृह्यपूर्वापरप्रयोग ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्र—देखिए खादिरगृह्यसूत्र । आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) मे मुद्रित, टीका के साथ । टी० श्रदस्कन्ध द्वारा । टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्रकारिका—बालाग्निहोत्री द्वारा ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्रप्रयोग—विनतानन्दन द्वारा ।

द्रोणचिन्तामणि ।

द्रात्रिशतकर्मपद्धति ।

द्रात्रिशदपराध—बड़ोदा (सं० १२२२५) ।

द्वादशमासदेयदानरत्नाकर ।

द्वादशयात्रातत्त्व—(या द्वादशयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु-नन्दनवृत । जगन्नाथपुरी मे विष्णु की १२ यात्राओं या उत्सवा पर ।

द्वादशयात्राप्रयोग—विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के विषय मे) नो० न्यू० (१, पृ० १९४) ।

द्वादशविधपुत्रभोमासा ।

द्वादशाहकर्मविधि ।

द्विजकल्पता—उ उल्लासा मे परसुराम द्वारा । द्विज (३, पृ० ६०) ।

द्विजराजोदय ।

द्विजाह्निकपद्धति—हलायुध के ज्येष्ठभ्राता ईशान द्वारा । लग० ११७०-१२०० ई० ।

द्विभार्याग्नि ।

द्विधिपञ्चलादायोत्संगप्रमाणदर्शन—मुद्गिकर शुक्ल द्वारा ।

द्विसप्ततिधाद्य ।

द्वैततत्त्व—सिद्धान्तपञ्चानन वृत ।

द्वैतनिर्णय—चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) द्वारा । बलरता मस्टट कालेज पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ७९) ।

द्वैतनिर्णय—नरहरि द्वारा । शयमागादिविवेक मे रत्न-पाणि द्वारा उ० । रत्नाकर का उल्लेख है ।

द्वैतनिर्णय—वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे० प्रक० ९८ ।

टी० प्रकाम या जीर्णोद्धार, मनुमूदन मिश्र द्वारा।  
टी० प्रदीप या नादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (रुण्डि०  
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८)।

द्वैतनिर्णय—शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००;  
धर्म-सम्प्रदायों नन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स,  
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ०  
६७-७२)।

द्वैतनिर्णय—विद्यनाथ ने व्रतराज में अपने पितामह द्वारा  
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तरार्ध।

द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट—(या द्वैतपरिशिष्ट) केशव मिश्र  
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में।  
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)।

द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट—शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा।  
लग० १६००-१६४० ई०।

द्वैतनिर्णयफक्किका—द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट में व०।

द्वैतनिर्णयसंग्रह—विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रशेखर वाचस्पति  
द्वारा।

द्वैतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह—शंकर भट्ट (जिनके द्वैतनिर्णय  
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज  
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०।

द्वैतनिर्णयामृत—रघुनन्दन के दायभागतत्त्व में व०।

द्वैतविषयविवेक—भावेश के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग०  
१५००।

द्वयामुष्यायणनिर्णय—(या निर्णयेन्दु) नैधुव गोत्रज  
कृष्ण-गुर्जर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (स०  
१२७०८)। दिनकरोद्घोत, कौस्तुभ का वर्णन है।  
१६८० ई० के उपरान्त।

धनञ्जयसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में व०।

धनभागविवेक—दे० 'भागविवेक'।

धनिष्ठापंचक।

धनुर्विद्यादीपिका—नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०।

धनुर्वेदचिन्तामणि—नरसिंह भट्ट।

धनुर्वेदसंग्रह—(वीरचिन्तामणि) शाङ्गधर द्वारा।

धनुर्वेदसंहिता—वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द्र  
सी० में कलकत्ता से प्रका०।

धर्मकारिका—(लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की  
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ,  
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूत का उल्लेख है, अतः  
१६८० ई० के उपरान्त (दे० वी० वी० आर०  
ए० एम०, पृ० २१९, सं० ६९१)।

धर्मकोश—ग्रिलोचन मिश्र द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं  
आह्निकतत्त्व में व०। व्यवहारपदां, दायभाग, ऋणा-  
दान आदि का वर्णन है।

धर्मचन्द्र—भारद्वाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि-  
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आश्वलायनगृह्य  
और इसके परिशिष्ट पर आधारित। आचार आदि  
पर कई किरणों में विभक्त। बड़ोदा (सं० ५८६०,  
तिथि संवत् १८१०)।

धर्मतत्त्वकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट  
द्वारा। व्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार,  
व्यवहार, प्रायश्चित्त, शूद्रवर्म एवं तीर्थ पर १०  
परिच्छेदों में विभक्त। वीकानेर (पृ० ९९)।

धर्मतत्त्वकलानिधि—नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा।  
इनके विरुद्ध है कलिकालकर्णप्रताप, परमवैष्णव।  
१० प्रकाशों में विभक्त, सातवाँ आशौच पर है।  
बड़ोदा (सं० ४००६)।

धर्मतत्त्वप्रकाश—कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र  
शिव चतुर्थर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू)  
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में)। हुल्श  
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि  
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने 'नागा-  
ङ्करसभूशाके' दिया है।

धर्मतत्त्वसंग्रह—महादेव द्वारा।

धर्मतत्त्वार्थचिन्तामणि।

धर्मतत्त्वावलोक—दे० गोविन्दार्णव (अर्थात् स्मृति-  
सागर)।

धर्मदीप—दिवाकर की आह्निकचन्द्रिका में व०।

धर्मदीपिका—(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच-  
स्पति द्वारा। धर्म की विरोधी उक्तियों का समाधान  
पाया जाता है।



धर्मद्वैतनिर्णय -- दे० शङ्करभट्टरचित 'द्वैतनिर्णय'।

धर्मनिबन्ध--रामवृष्ण पण्डित द्वारा।

धर्मनिबन्धन।

धर्मनिर्णय--वृष्णताताचार्यं कृत।

धर्मपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा।

धर्मपरीक्षा--मञ्जरदाम द्वारा।

धर्मप्रकाश--माधव द्वारा। ६० का० (म० २२१, १८८६-९२)। ममयालोक अर्थात् चैत्र एव अन्य नामों के ब्रतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिथ्र, पुराणममुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के उपरान्त।

धर्मप्रकाश--(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एव पार्वती के पुत्र शङ्करभट्ट द्वारा। १६वीं शती का उत्तरार्ध। मेरातिथि, अपराकं, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थ-मार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिंह एव त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। ऐश्वर्य की शास्त्र-दीपिका का भी उल्लेख है। इसमें सम्भार सवन्वी भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, स० १५६४)।

धर्मप्रदीप--(या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशीचरण्ड), सूत्राणि (प्रायश्चित्तविवेक), रघुनन्दन (सुद्धितत्त्व), कालादर्श आदि द्वारा व०।

धर्मप्रदीप - गणभट्ट द्वारा।

धर्मप्रदीप--धनञ्जय द्वारा। नां० न्यू० (२, पृ० ४६) (केवल गौर पर)।

धर्मप्रदीप--वर्षमान द्वारा।

धर्मप्रदीप--भोज द्वारा। दे० प्र० ६४, १४००-१६०० ई० के मध्य में।

धर्मप्रदीपिका--प्रभिनवपठनीति पर। बेंगलूर के पुत्र मुहम्मद द्वारा।

धर्मप्रवृत्ति--नारायण भट्ट द्वारा। शङ्करभट्ट (द्वैतनिर्णय), मन्दनविद्य (सुद्धिचन्द्रिका) एव स्वयंभवात्मजुग द्वारा रचित। आर्हिन, गौड, धर्मो रान एव अन्य सम्भारों, गौडनिबन्ध, शब्द, आशीच, राज, प्रायश्चित्त, तिथि-निर्णय, श्वादीनाह पर विवेचन है। माधवीय काल-

निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महार्णव, अनन्ताचार्य, कालादर्श, नारायणवृत्ति (आश्वलायन पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (श्राद्धव्यवहारा) द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, स० १५६०); तिथि स० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००-१६०० के बीच। दे० प्र० १०३।

धर्मप्रश्न--(आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक अंग।

धर्मविन्दु।

धर्मबोधन।

धर्मभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एव हेमाद्रि (३, २, ७४७) द्वारा व०।

धर्ममार्गनिर्णय--बडोदा (म० ११८२१)।

धर्मरत्न--श्रीमूत्रवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसे शाल-विवेक एव दायभाग अंग हैं।

धर्मरत्न--भट्टारकभट्ट के पुत्र भंयामट्ट द्वारा। आर्हिन और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त।

धर्मरत्नाकर--रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तिथि-मासलक्षण, प्रतिपदादिपु विशिष्टवृत्त्य विज्ञान, उपवास, युगादिनिष्पण, मन्त्राति, अद्भुत, आशीच, श्राद्ध, वेदाध्ययन, अनघ्याय आदि पर।

धर्मविवृत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिपु-निर्माण, मन्वारमयूय, प्रायश्चित्तमयूय में व०। मदनरा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक धर्म-वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और उपर्युक्त 'धर्मभाष्य' ही है।

धर्मविवेक--चन्द्रदेवगर द्वारा। भीमांगा के न्यायो की व्याख्या है।

धर्मविवेक--दामोदर एव हीरा के पुत्र तथा भीम के पीत विद्वत्कर्मा द्वारा। आठ काण्डों में उपवास एव उपवास पर। कालमाधव, मदनरत्न, हेमाद्रिमिश्रित्यगवट के उद्धरण है। १४५०-१५२५ ई० के बीच। देविगु विद्वार के लिए अष्टार (उद्धरण ३२०)। गार्हप० की तिथि ग० १५८३ है।

धर्मविवेचन—रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—ककीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—श्राद्ध पर स्मृति-धर्मों का संग्रह।  
वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २१९, सं० ६९२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—ऋधनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालधर्म-  
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे०  
प्रक० १११। लग० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसर्वस्व—भट्टोजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रसुधानिधि—दिवाकरकृत। १६८६ ई० में  
प्रणीत। दे० 'शाचारार्क'।

धर्मसंहिता—(या धर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक  
में व०।

धर्मसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिश्चन्द्र द्वारा।

धर्मसंप्रदायदीपिका—आनन्द द्वारा।

धर्मसार—पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७  
में उत्तारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०।  
१६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमु-  
च्चय' ही है।

धर्मसारसुधानिधि—दिवाकर काल की आह्निकचन्द्रिका  
एवं भट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत की टी० में व०। दे०  
वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा  
पाध्ये) द्वारा। दे० प्रक० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनो—नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव  
एवं मदनरत्न द्वारा वर्णित।

धर्मसेतु—(व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमल द्वारा।  
विज्ञानेश्वर उ० हैं।

धर्मसेतु—रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ।

धर्मानुबन्धिश्लोक—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम  
पण्डित द्वारा।

धर्मधर्मप्रबोधिनी—इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि  
ठकुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि-  
पत्तो का वासी था, किन्तु उसने सं० १४१० (१३५३-  
५४ ई०) में मिथिला में अपना निवन्ध संगृहीत किया।  
आह्निक, पूजा, श्राद्ध, आशीच, शुद्धि, विवाह, धार्मिक  
दानों, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त,  
कर्मविपाक, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों  
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा-  
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एम्० वी०, १९१५  
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० शक  
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं  
था। किन्तु यह युवितसंगत नहीं है।

धर्माधर्मव्यवस्था।

धर्माध्वबोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माभूत—तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्तमान द्वारा व०।  
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता  
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत  
मात्र है।

धर्माभूतमहोदधि—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

धर्माभोधि—यह अनूपविलास ही है।

धर्माणव—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे०  
बोकानेर, पृ० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु०  
१६८१ ई० की है।

धवलनिबन्ध—नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन  
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०।

धवलसंग्रह—जीमूत० के कालविवेक एवं गदाधर के  
कालसार में व०। संभवतः धवलनिबन्ध एवं धवल-  
संग्रह दोनों एक ही हैं।

धान्याचलादिदानतत्त्व—नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।

ध्वजोच्छ्राय—पूर्वकमलाकर से।

नक्तकालनिर्णय।

नक्षत्रयोगदान।

नक्षत्रविधान।

धर्मतन्त्रिणय ० गङ्गुलभट्टरचित द्वतन्त्रिणय ।  
 धर्मनिबन्ध रामकृष्ण पण्डित द्वारा ।  
 धर्मनिबन्धन ।  
 धर्मनिबन्ध—कृष्णताताचाय कृत ।  
 धर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा ।  
 धर्मपरीक्षा—मञ्जराम द्वारा ।  
 धर्मप्रकाश—माधव द्वारा । ड० का० (स० २२१  
 १८८६ ९२) । ममयात्राव अर्थात् चत्र एव अय  
 मासा के व्रता पर । माघवीय वाचस्पति मिश्र  
 पुराणममुच्य वा उच्ये है । १५०० ई० के  
 उपरांत ।  
 धर्मप्रकाश—(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एव  
 पावनी व पुत्र गङ्गुलभट्ट द्वारा । १६वां शताब्दी का  
 उत्तरार्ध । भवतिथि अथवा विधानावर स्मृत्यय  
 मार कालादग चंद्रिका हेमाद्रि माधव नृसिंह  
 एव प्रिश्यगीमनुवा अनुसूचना है । १७वें का शास्त्र  
 दीपिका वा भा उच्य है । इमक मस्वात सर्वत्री  
 भाग के लिए ६० इण्डि० आ० ( २ ५० ४८२ स०  
 १५६४ ) ।  
 धर्मप्रदीप (या शीघ्र) स्मृतिचंद्रिका (आशीचरण)  
 गुरुशक्ति (प्रायश्चित्तविवरण) रघुनाथ (गदितस्व)  
 कालादग आदि द्वारा व० ।  
 धर्मप्रदीप गंगभट्ट द्वारा ।  
 धर्मप्रदीप—धर्मत्रय द्वारा । ना० मू० ( २ ५० ६६ )  
 (काल गाव पर) ।  
 धर्मप्रदीप—वधमान द्वारा ।  
 धर्मप्रदीप—भास्कर द्वारा । १० प्र० ६४ १४०० १६००  
 ई० व काल म ।  
 धर्मप्रदीपिका—प्रतिनवराष्ट्रानि पर । वरुण व पुत्र  
 मुद्रास्य द्वारा ।  
 धर्मप्रवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा । गङ्गुलभट्ट (द्वतन्त्रिणय)  
 व लक्ष्मण (गुडिकर्षि) एव म्प्यरामभट्ट द्वारा  
 कवि । अ हिंदू शीघ्र मर्मावतार एव अचमस्वकार  
 मारनिर्देश एव आशीचरान प्रायश्चित्त त्रिवि  
 त्तिनय कर्मावतार पर विवेकन है । माघवीय काल

निबन्ध मदनपारिजात प्रयागपारिजात महाश्व  
 अन्ताचाय कालादग नारायणवर्ति (आबलामन  
 पर) वा उच्य है । नन्दपण्डित (ध्याङ्कपला)  
 द्वारा व० । इण्डि० आ० (५० ४८० म० १५६०)  
 तिथि स० १६५९ (१६०२ ३) अत १४००  
 १६०० के वाच । दे० प्र० १०३ ।

धर्मप्रश्न—(आपस्तंबीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र वा एव  
 अग ।

धर्मबिडु ।

धर्मबोधन ।

धर्मभाष्य—स्मृतिचंद्रिका एव हेमाद्रि ( ३ २ ७४७ )  
 द्वारा व० ।

धर्ममागनिबन्ध—बडोग (म० ११८२१) ।

धर्मरत्न—त्र मूनवाहन द्वारा एव निबन्ध त्रिमल काल  
 विवक एव दायभ ग अग है ।

धर्मरत्न—भट्टा स्वभट्ट व पुत्र भयामट्ट द्वारा । अहिं  
 और अय विषया पर शोधितिया म विभव ।

धर्मरत्नाकर—रामावर भट्ट द्वारा । धर्मस्वरूप त्रिवि  
 म्प्यमल्लय प्रविश्यादिपु विदित्तृय विधान उच्यम  
 युगादिनिष्पन्न मन्नाति अन्भुत आशीच ध्या  
 वनाध्ययन जनध्याय आदि पर ।

धर्मविभूति—मन्नाथारि० ( ५० ७३२ ) द्वारा परिप  
 निर्वाय म्प्यारमपुत्र प्रायश्चित्तमपुत्र म व० ।  
 मन्नाथ० ( ५० ७५३ ) १ प्रायश्चित्त पर एव धर्म  
 वति उ० का है । म्प्यवत दाना एव ही है और  
 उपर्युक्त धर्मभाष्य ही है ।

धर्मविवेक—धर्मशास्त्र द्वारा । मीमांसा व म्प्या की  
 व्याख्या है ।

धर्मविवेक—धर्मशास्त्र एव हीरा के पुत्र तथा भीम  
 व शीघ्र विष्णुवर्मा द्वारा । आश कालादग म  
 उपर्याय एव उपर्याय पर । कालादग म्प्यमल्लय  
 हेमाद्रिगिद म्प्यवत व उच्य है । १५००  
 १५५६ ई० व काल । दत्तिल विष्णुवर्मा व हि  
 म्प्यवत (उच्यम ३०) । धर्मशास्त्र की तिथि म०  
 १५८३ है ।

धर्मविवेचन—शानककर ने पुत्र राममुद्राण्य द्वारा  
द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—कवीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—श्राद्ध पर स्मृति-ग्रन्थों का संग्रह।  
बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २१९, नं०  
६२२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—जैजनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र धान्यनर्त-  
पायगुप्ते द्वारा। शृणु० आ० (पृ० ५४८)। दे०  
प्रक० १११। लु० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसर्वस्व—भट्टोजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रमुधानिधि—दिव्याकरमुक्त। १६८६ ई० में  
प्रणीत। दे० 'धाचानर्क'।

धर्मसंहिता—(या धर्मःस्मृति) जीमूत० के कालविवेक  
में व०।

धर्मसंग्रह—नारायणगर्मा द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिदचन्द्र द्वारा।

धर्मसंप्रदायदीपिका—शानन्द द्वारा।

धर्मसार—पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० ग्र० सं० १६०७  
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०।  
१६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमु-  
च्चय' ही है।

धर्मसारमुधानिधि—दिव्याकर काल की आह्निकचन्द्रिका  
एवं भट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत की टी० में व०। दे०  
बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा  
पाध्ये) द्वारा। दे० प्रक० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनी—नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव  
एवं मदनरत्न द्वारा वर्णित।

धर्मसेतु—(व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिरमल द्वारा।  
विज्ञानेश्वर उ० है।

धर्मसेतु—रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ।

धर्मानुबन्धिलोक—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम  
पण्डित द्वारा।

धर्माधर्मप्रबोधिनी—इन्द्रपति बरुवर के पुत्र प्रेमनिधि  
ठाकुर द्वारा। लेगत निजामगाह के राज्य में माहि-  
पता का धारी था, किन्तु उनमें नं० १४१० (१३५३-  
५४६०) में मिथिला में अपना निबन्ध सगृहीत किया।  
आह्निक, पूजा, श्राद्ध, आजीन, शुद्धि, विवाह, वामिक  
दानों, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त,  
कर्मशिक्षण, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों  
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा-  
महोपाध्याय नक्षत्रती (जे० ए० एम्० बी०, १९१५  
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत में नं० १४१० गक  
है, क्योंकि मिथिला में विराम नं० प्रचलित नहीं  
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है।

धर्माधर्मव्यवस्था।

धर्माध्वबोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

नक्षत्रशान्ति—बीषायन द्वारा। ४० वा० (स० ९७, १८८२-८३)।

नक्षत्रमणिमालिका।

नक्षत्रकणिकाश्राद्धमूत्र—(या श्राद्धकरूपमूत्र, छटा कल्यायन परिशिष्ट) दे० 'श्राद्धकल्प'। टी० कर्क द्वारा। टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र कृष्णमिश्र द्वारा। सन् १४४८-४९ मे प्रणीत। टी० श्राद्धकल्पमूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत।

नक्षत्रप्रहदान।

नक्षत्रप्रहमख—वशिष्ठ का कहा गया है।

नक्षत्रप्रहयज्ञ—बडोदा (स० २२७९)।

नक्षत्रप्रहशान्ति—दे० 'वामिष्ठी'।

नक्षत्रप्रहशान्तिपद्धति—सामवेदियों के लिए, विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०)। पाण्डु० स० १८०६ (१७४९ ई०) मे।

नक्षत्रप्रहस्वापना—वी० बी० आर० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० २४३)।

नक्षत्रप्रहहोम।

नक्षत्रनीतनिबन्ध—रामजी द्वारा। क्या यह निबन्धनवनीत ही है?

नक्षत्रमूर्तिप्रतिष्ठाविधि।

नक्षत्रस्तनवान।

नक्षत्रस्तनमाला—प्रेह्लादभट्ट द्वारा।

नक्षत्रात्रकृत्य।

नक्षत्रात्रनिर्णय—गोपाल व्यास द्वारा।

नक्षत्रात्रप्रदीप—नन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवत (मी० स० २३) द्वारा प्रका०।

नक्षत्रविकेकदीपिका—चरदराज द्वारा।

नक्षत्रभाष्यनिर्णय—गौरीनाथकवर्ती द्वारा। बडोदा (स० १०२१९)।

नक्षत्रविधि।

नक्षत्रधर्मप्रदीप—त्रिलोकचन्द्र एव कृष्णचन्द्र के सरक्षण मे जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्वयुजात्मा १८वीं शती के उत्तरार्ध मे बंगाल के जमीन्दार थे। नो० न्यू० (२, पृ० ९२)।

नागदेवाङ्किक—गूढकमलाकर मे व०। १६०० ई० के पूर्व।

नागदेवीय—आचारमयूख मे व०। यह 'नागदेवाङ्किक' ही है, ऐसा लगता है।

नागप्रतिष्ठा—बीषायन द्वारा।

नागप्रतिष्ठा—गौतम द्वारा।

नागबलि—गौतम द्वारा।

नागबलिसंस्कार।

नागार्जुनीयधर्मशास्त्र—आचार, विशेषत स्त्री-धर्म पर।

नानाशास्त्रधर्मनिर्णय—भवेस के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग० १५०० ई०।

नान्दीमुखश्राद्धप्रयोग।

नान्दीश्राद्धपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त मन्त्री द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध।

नारदस्मृति—डा० जोशी द्वारा सम्पादित। टी० अंसहाय द्वारा, कल्याणभट्ट द्वारा संशोधित। टी० रमानाथ द्वारा।

नारदीय—समयमयूख एव अन्य मयूखों मे व०। सम्भवत नारदपुराण।

नारायणधर्मसारसंग्रह।

नारायणपद्धति—रघु० के ज्योतिस्त्व एव मलमासत्त्व मे व०।

नारायणप्रबोधोत्सव।

नारायणबलिपद्धति—दासभ्य द्वारा। बडोदा (स० ११४९७)।

नारायणबलिप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

नारायणमन्त्री—यह नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न एव अल्पेष्टिपद्धति है।

नारायणमिथीय।

नारायणवृत्ति—आचारमयूख मे व०। सम्भवत नारायण द्वारा आश्वलायनगृह्य पर टी०।

नारायणस्मृति—अपरकट द्वारा उ०।

नित्यकर्मपद्धति—बडोदा (स० ९०३), तिथि स० १५४७ (१४९०-१ ई०)।

नित्यकर्मपद्धति—माध्यन्दिनराहा के प्रभाकर नाथक के

पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीधर-  
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६-  
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४  
(१३७७-७८ ई०)।

नित्यकर्मप्रकाशिका—कुलनिधि द्वारा।

नित्यकर्मलता—धर्मेश्वर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा।

नित्यदानादिपद्धति—शामजित् त्रिपाठी द्वारा। महा-  
पर्व ३० है।

नित्यस्नानपद्धति—कान्हदेव द्वारा (वड़ोदा, सं० ४०११)

नित्याचारपद्धति—गोपालानन्द द्वारा।

नित्याचारपद्धति—शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी  
द्वारा (विठ्ठल० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय-  
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच।

नित्याचारप्रदीप—मुरारि के पुत्र एवं धराधर के पीत्र  
एवं विघ्नेश्वर के शिष्य कीर्तिसवंश के नरसिंह वाज-  
पेयी द्वारा। काशी में आकर वसे थे, कुल उत्कल  
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माघवीथ की  
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (विठ्ठल०  
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर  
(उद्धरण ३२२)।

नित्यादर्श—कालादर्श (आदित्यभट्टकृत) में व०।

नित्यानुष्ठानपद्धति—वलभद्र द्वारा।

निबन्धचूडामणि—यशोवर द्वारा (बीकानेर, पृ०  
३२२)। ६२ अव्यायों में। शान्तिकर्मी का विवरण  
है।

निबन्धन—सरस्वतीविलास में व०।

निबन्धनवनीत—रामजित् द्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय,  
व्रतविशेषनिर्णय, उपाकर्मकाल एवं श्राद्धकाल नामक  
चार आस्वादों में विभक्त। अनन्तभट्ट, हेमाद्रि,  
माधव एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित  
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु०  
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० के  
मध्य में।

निबन्धराज—दे० 'समयप्रकाश' के अन्तर्गत।

निबन्धशिरोमणि—नसिंह द्वारा (वड़ोदा, सं० ४०१२ एवं

९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष  
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविपाक पर एक  
विशाल ग्रन्थ।

निबन्धसर्वस्व—श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे०  
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नृसिंह-  
प्रसाद में व० है।

निबन्धसार—श्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा। आचार,  
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक  
विशाल ग्रन्थ। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६)  
तिथि सं० १६३२। धर्मप्रवृत्ति में व०।

निबन्धसिद्धान्तबोध—गंगाराम द्वारा।

निर्णयकौस्तुभ—विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं  
संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व०।

निर्णयचन्द्रिका—नारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा।

निर्णयचिन्तामणि—विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के  
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा  
महायाजिक द्वारा। स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर  
एक अंश है)।

निर्णयतत्त्व—शिव के पुत्र नागदैवज्ञ द्वारा। आचारमयूख  
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के  
पूर्व (अलवर, सं० १२५६)।

निर्णयतरणि।

निर्णयदर्पण—गणेशाचार्य द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कैंट-  
लाग, सं० २५९९)।

निर्णयदर्पण—तारापति ठक्कर के पुत्र शिवानन्द द्वारा।  
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर।

निर्णयदीप—नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचाररत्न में व०।

निर्णयदीपक—वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट-  
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर,  
के थे और नागर ब्राह्मणों की मंडोड शाखा के थे।  
इनका विरुद्ध या भागवतिय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने  
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविद्यान लिखा था। यह ग्रन्थ  
श्राद्ध, आशीच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह,  
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी  
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८

ई०) को हुई। विश्वरूपनिबन्ध, दीपिकाविवरण, निर्णयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक के उद्धरण है। अलवर (म० ३२३)। इसमें मालती-माधव का श्लोक 'ये नाम केचिदिह' है। नडियाद में सन् १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजातीय, नि० सि०, विद्यानपारिजात में व०। १५२०-१६०० ई० के बीच।

निर्णयदीपिका—वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूत्र में व०। सम्भवत यह अचलवृत्त निर्णय-दीपक ही है।

निर्णयपीयूष—विश्वम्भर के स्मृतिसारीद्वार में व०।

निर्णयप्रकाश।

निर्णयप्रदीपिका—नन्दपण्डित की श्राद्धवल्पलता में व०।

निर्णयविन्दु—महादेव के पुन अनन्तदेव द्वारा। त्रिथियो पर।

निर्णयविन्दु—वक्रवर्ण द्वारा।

निर्णयभास्कर—नीलरुण्ड द्वारा (सेष्टूल प्राविसेज, स० २६००)।

निर्णयभास्कर—पाण्डु० त्रिथि म० १७२५, माघ (१६६९ ई०), पीटमन, छडी रिपोर्ट (पृ० १० में)।

निर्णयमजरी—गणाधर द्वारा।

निर्णयरत्नाकर—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

निर्णयशिरोमणि—निर्णयदीपक में एव अनन्त द्वारा स्मृतिकौस्तुभ में व०। १५०० ई० के पूर्व।

निर्णयशैली—नि० सि० में व०।

निर्णयसंग्रह—प्रतापेश्वर द्वारा।

निर्णयसंग्रह—मधुसूदन द्वारा।

निर्णयसमुदाय।

निर्णयसत्तार—शंभवर द्वारा।

निर्णयसत्तार—गोस्वामी द्वारा, स० प्रा०, म० २६०२।

निर्णयसत्तार—श्रीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र द्वारा। त्रिथि, श्राद्ध आदि छ परिच्छेदों में। वि० म० १८३६ (१७८० ई०) में प्रगीत।

निर्णयसत्तार—भट्टरायण द्वारा। यडोश (म० ८९७०)। १६१२ ई० के पश्चात् एव १७०० के पूर्व।

निर्णयसत्तार—रामभट्टाचार्य द्वारा।

निर्णयसत्तार—लालमणि द्वारा।

निर्णयसत्तारसंग्रह—बडोदा (स० ४०५)।

निर्णयसिद्धान्त—महादेव (सम्भवत. कालनिर्णयसिद्धान्त के लेखक) द्वारा।

निर्णयसिद्धान्त—रघुराम द्वारा (यह सम्भवत काल-निर्णयसिद्धान्त ही है)।

निर्णयसिन्धु—कमलाकर भट्ट द्वारा। स० १६६८ (१६१२ ई०) में प्रगीत। दे० प्रक० १०६, चौ० स० मी० एव निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न माला या दीपिका (वृष्णभट्ट आर्दे द्वारा रचित)।

निर्णयानन्द—अहल्यावामधेनु में व०।

निर्णयामृत—अल्लाड (या ट) नाथभूरि (सिद्ध लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार सूर्यसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के बाह्यबाणो (बाहुबाणो ?) के राजाओं की तालिका दी हुई है। आरम्भ में भित्ताक्षरा, अपराकं, अर्णव, स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय गृह्यपरिसिष्ट, रामकीतुक, सवत्सरप्रदीप, देवदासीय, रूपनारायणोप, विद्याभट्टपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध पर ग्रन्थ की निर्भरता की घोषणा की गयी है। कुछ पाण्डु० के श्लोक में हेमाद्रि, बालादर्श, चिन्तामणि का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पृ० ३४) ने एव निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व० है, अतः त्रिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के पश्चात् की है। व्रत, त्रिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यगुडि एवं आनोच पर चार प्रकरण हैं। वैकटेश्वर प्रे० से प्रका०।

निर्णयामृत—गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा सूर्यसेन के अधीन प्रणीत (बलरत्तास० वा० पाण्डु०, जिल्द २, पृ० ७८)। प्रगीत होता है यह अल्लाड का निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ संदेह उत्पन्न करते हैं। बीकानेर (पृ० ४२६)।

निर्णयामृत—रामचन्द्र द्वारा। नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

निर्णयामृत—(पारश्चात्य) रघुनन्दन के शुद्धितत्व में व०।

निर्णयार्णव—बालकृष्ण दीक्षित द्वारा।

निर्णयार्थप्रदीप—अहल्याकामधेनु में व०।

निर्णयोद्धार—(तीर्थनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा।

नि० सि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अतः

१६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६),

दे० 'तिथिनिर्णय' (राघवकृत)।

निर्णयोद्धारखण्डनमण्डन—यज्ञेश द्वारा (बड़ोदा, सं०

५२४७)। राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के

विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण।

नीतिकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

नीतिकल्पतरु—क्षेमेन्द्र द्वारा।

नीतिर्गर्भितशास्त्र—लक्ष्मीपति द्वारा।

नीतिचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

नीतिदीपिका।

नीतिप्रकाश—कुलमुनि द्वारा।

नीतिप्रकाश—वैशम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपर्ट

द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम

भी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, खड्गोत्पत्ति,

मुक्तायुत्रनिष्पन्न, सेनानयन, सैन्दप्रयाग एव राज-

व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिला में

वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण।

राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी०

तत्त्वविवृति, कौडिन्यगोत्र के नञ्जुण्ड के पुत्र सीता-

राम द्वारा।

नीतिप्रदीप—वेतालभट्ट का कहा गया है।

नीतिभाजनभाजन—भोजराज को समर्पित (मित्र, नो०,

जिल्द २, पृ० ३३)।

नीतिमंजरी—आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज

अत्रिपुत्र लक्ष्मीचारात्मज द्वाद्विवेदी द्वारा। अष्टकों

(अध्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु-

सार) २०० श्लोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ

नैतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द

५, पृ० ११६)। तिथिसं० १५५० (१४९४ ई०)।

लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११

प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक

द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी०

देवराज द्वारा।

नीतिमंजरी—शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक

अंश (वनैल, तंजीर, पृ० १४१ वी)।

नीतिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (वनारस, जे० आर०

घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०)।

नीतिमाला—नारायण द्वारा।

नीतिरत्न—वरश्चि का कहा गया है।

नीतिरत्नाकर—गदाधर के पितामह एवं कालसागर के

लेखक कृष्णवृहत्पण्डित महापात्र द्वारा। लग०

१४५० ई०।

नीतिरत्नाकर—(या राजनीतिरत्नाकर) चण्डेश्वर

द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा

प्रका०।

नीतिलता—क्षेमेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार-

चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय

चरण में।

नीतिवाक्यामृत—महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव

के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द्र

दिगन्वर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका के साथ

प्रका०। धर्म, धर्म, काम, अरिपङ्कग, विद्यावृद्ध,

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित,

सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य

(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार,

व्यवहार, विवाद, पाङ्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण

नामक ३२ प्रकरणों में है। ओफ्रेस्ट का का कथन

है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में

व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि

स्मृतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये

हुए हैं।

नीतिविलास—त्रजराज शुक्ल द्वारा।

नीतिविवेक—करुणाशंकर द्वारा।



नीतिशास्त्रसमुच्चय ।

नीतिसमुच्चय ।

नीतिसार—घटवर्षर का कहा गया है ।

नीतिसार—शुक्राचार्य का कहा गया है ।

नीतिसारसग्रह—मधुसूदन द्वारा ।

नीतिसुभाषलि—अम्पा वाजपेयी द्वारा ।

नीराजनप्रकाश—जयनारायण तर्कपञ्चानन द्वारा ।

नीलवृषोत्सर्ग—अनन्तभट्ट द्वारा ।

नीलोत्सर्गपद्धति ।

नीलोद्गाहपद्धति—श्राद्ध में वृषोत्सर्ग के कृत्य पर ।

इण्डि० आ० (पृ० ५७८, स० १६४८—१५९१-२  
ई०) ।

नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग ।

नूतनमूर्तिप्रतिष्ठा—नारायण भट्ट कृत (आश्वलायनपृह-  
परिशिष्ट पर आधारित) । बडोदा (स० ८८७६) ।

नृसिंहजयन्तीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा ।

नृसिंहपरिचर्या—नि० मि० एव अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ  
में व० ।

नृसिंहपरिचर्या—रामाचार्य के पुत्र वृष्णदेव द्वारा  
(स्टीन, पृ० २२२) ।

नृसिंहपूजापद्धति—वृन्दावन द्वारा ।

नृसिंहप्रसाद—वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा । दे०  
प्र० ९९ ।

नृसिंहविश्रमहोदधि—आचाररत्न में व० ।

नृसिंहार्चनपद्धति—ब्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा ।

नैमित्तिकप्रयोगरत्नाकर—प्रमनिकि द्वारा ।

नीकादान ।

न्यायदीपिका—अभिनवशर्मभूषणाचार्य द्वारा ।

न्यायरत्नमालिका—(या न्यायमालिका) दे० जीमूत०  
की व्यवहारमातुका ।

न्यासपद्धति—त्रिविक्रम द्वारा ।

पञ्चकविधान ।

पञ्चकविधि—(जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक  
विनी नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य) ।

पंचकशान्तिविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा ।

पंचकालक्रियादीप—वैष्णव आह्निक पर ।

पञ्चकोशसंग्यासाधार ।

पञ्चकोशयात्रा—शिवनारायणानन्द तीर्थ द्वारा ।

पञ्चगव्यमेलनप्रकार ।

पञ्चगोत्रब्राह्मणजाति ।

पञ्चत्रिसच्छ्लोकी—श्राद्धपद्धति ।

पञ्चवशकर्म—(श्रीनववार्त्तिका के अनुसार) १५  
मुख्य मन्वारों पर ।

पञ्चद्राविडजाति ।

पञ्चमहायज्ञप्रयोग ।

पञ्चमाश्रमविधि—शंकराचार्य कृत कहा गया है ।

परमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, जब कि  
मन्यामी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और  
बालक या पागल की भाँति धूमता रहता है । नी०  
(जिल्द १०, पृ० ३२९) ।

पञ्चमीब्रह्मोद्यापन ।

पञ्चलक्षणविधि ।

पञ्चविधान—सस्कार, अधिवासा, उद्गासन, पचाग्नि-  
साधन, जलवासविधि पर ।

पचसस्कार—आठ अध्यायी में । बडोदा (स०  
१२३५५) ।

पचसस्कारदीपिका—सुरेन्द्र क शिष्य विजयीन्द्रभिधु  
द्वारा । मन्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वैष्णवपद्धति  
(ताप पुण्ड्र तथा नाम मन्वी यागश्च पञ्चम । अग्नी  
हि पञ्च सस्कारा परमंवान्यहेतव ॥) ।

पचसस्कारविधि—सभी श्रौवैष्णवों के लिए ।

पचसूत्रीविधान—अर्थात्सिंहसूत्र से ।

पचाग्निकारिका—प्रयोगचन्द्रिका में व० ।

पचायतनपद्धति—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर  
द्वारा (सूर्य, गिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पचायतन  
पर) । दे० सूर्यादिपचायतनप्रतिष्ठापद्धति ।

पचायतनपूजा ।

पचायतनप्रतिष्ठापद्धति—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा ।  
सम्भवत यह पचायतनपद्धति है ।

पचायतनसार—पूर्वदिनवरोद्योत में व० ।



तक एवं काम्यजननं, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मयुपकं, दान, युग आदि पर।

परिशिष्टदीपकलिका—शूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्यपरिशिष्ट (यथा छन्दोग०) की टी० है।

परिशिष्टप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही है। टी० हरिरामहृत।

परिशिष्टसंग्रह।

परिशोधकण्ड—चतुर्वर्गचिन्तामणि का एक अंश।

परोक्षातत्त्व—रघु० का दिव्यतत्त्व।

परोक्षापद्धति—वासुदेव हृत। दिव्या पर। विद्वच्छप, यज्ञपार्ष्वं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित। १४५० ई० के पदवान्।

पर्णपुष्टय—(पर्णपुष्टयविधि) दूर मरने वाले लोगों का आहृतिदाह।

पर्यङ्कशौचविधि—सत्यास ग्रहण पर।

पर्वकालनिर्णय।

पर्वतदानविधि।

पर्वनिर्णय—गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र तथा रामदास (श्रीदीक्ष्य गुर्जर एव गौडाधीश मनोहर द्वारा सम्मानित) के पीत्र थे। दश एव पूर्णिमा क यथा एव श्राद्धा के उचित काला पर विवेचन। कालविवचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदनके उल्लेख हैं। स० १७४२ (नेत्राम्भोधिचराराधरक्षितिमिते श्री-विक्रमार्कं शक) अर्थात् १६८५-८६ ई०।

पर्वनिर्णय—मुरारि द्वारा।

पर्वनिर्णय—मानव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।

१५५०-१६२५ ई० के बीच।

पर्वनिर्णय—धर्मसिन्धु का एक अंश।

पर्वसंग्रह।

पलपीपुपलता—मनुमूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा।

विभिन्न प्रकार के मार्गों के धार्मिक उपयोग पर उ अध्याय।

पल्लव—राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर (चण्डेश्वर हृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व।

पल्लीपतन—छिन्नकाली गिरने से शकुनों पर।

पल्लीपतनफल।

पल्लीपतनविचार।

पल्लीपतनशान्ति।

पल्लीशरटकाकभासादिशकुन।

पल्लीशरटयो. फलाफलविचार।

पल्लीशरटयो: शान्ति।

पल्लीशरटविधान।

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग।

पवित्रारोपणविधान—श्रावण में देवता के चतुर्विक् नव-मूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य।

पशुपतिदीपिका—शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एव २१०) में व०। सम्भवतः यह पशुपति की 'दशकर्मदीपिका' है।

पशुपतिनिबन्ध—श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में व०। हलायुध के भाई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई०।

पाकयज्ञनिर्णय—(या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० धर्मभट्ट) के पुत्र उभापति (उप० उभाशंकर या उमण-भट्ट) के तनुज चन्द्रेश्वर (उप० चन्द्रवृद्ध) द्वारा। १५७५-१६५० ई० के बीच।

पाकयज्ञपद्धति—पशुपति द्वारा।

पाकयज्ञप्रयोग—बालकृष्ण के पुत्र रामभट्ट १। आपस्तम्ब्यमंशूत्र का अनुकरण करता है। इण्डि० आ० (पृ० ९९ १००, पाण्डु० तिथि स० १७४९, १६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०।

पाञ्चालजातिविवेक।

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक—मथुरानाथ तर्कवागीश द्वारा। नो० (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथन है कि लेखक रघुनाथ हैं, किन्तु कालाफोन म मथुरानाथ नाम आया है।

पास्करगृह्यकारिका—(उप० वारीमगृह्यसूत्रप्रयोग-विवृति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेश्वररात्मज महेशसूत्रि

के पुत्र सुवर्णामयं ज्ञान । मास सं० ११८८ (१२९६ ई०) में प्रणीत (द्विदि० भा०, विवर १, पृ० ६७) ।

पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति—सुवर्णामयिष्ठ पर काम-  
देव लिखित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) ।

पारस्करगृह्यसूत्र—(कार्तिल्लसूत्र) तीन काण्डों में  
(स्टीनर द्वारा निम्नलिखित में, काशी सं० सी० एच  
मुद्रिता एवं एच० यो० ई०, डिसे २९, द्वारा अनुप्रेषित) ।

टी० अमृतचाम्पा, अपनी मुद्रितप्रतिभा में संशुद्धित  
द्वारा सं०; १५५० ई० के पूर्व । टी० जयभारत,  
राजपेन्द्रराज्य के निम्न भारतवर्ष द्वारा । टी० प्रकाश,  
विश्वनाथ शोधित के पुत्र वेदमिश्र द्वारा लिखित एवं

उनके पुत्र सुरारिभिध्न द्वारा प्रयुक्त । टी० संवत्सर-  
गणपति, प्रयागमठमन्त्रालय कांन्ट के पुत्र रामकृष्ण  
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०), चार भागों

में; ये भारद्वाजशास्त्रीय और विजयनिष्ठ द्वारा  
संशोधित थे; यशोदा नदी पर निचमण्डलवस्तन में  
लिखित; कर्क, हरिहर, गदाधर, हलायुध, काशिका

एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धगणपति भी प्रणीत  
किया; इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का  
वर्णन है; लग० १७५० ई० । टी० सज्जनवल्लभा,

मेवाड़वासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्र-पुत्र जयराम  
द्वारा; उवट, कर्क एवं स्मृत्यर्थनार के उल्लेख हैं एवं  
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु०

की तिथि सं० १६११ अर्थात् १५५४-५ ई० है;  
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं  
चौखम्भा द्वारा प्रका० । टी० भाष्य, कर्क द्वारा;

विकाण्टमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०;  
११०० ई० के पूर्व; गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित । टी०  
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज०

प्रेस द्वारा मुद्रित । टी० वामन के पुत्र गदाधर द्वारा;  
कर्क, जयरामभाष्य, भर्तृयज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर  
के नाम आये हैं; लग० १५०० ई०; काशी सं० सी०

एवं गदाधर के पुत्र गदाधर द्वारा; काशी सं० सी०  
द्वारा मुद्रित । टी० काशी सं० सी० द्वारा मुद्रित ।

जयराम के भाष्य में व० । टी० वेदमिश्र के पुत्र  
सुरारिभिध्न द्वारा (पारस्करगृह्यसूत्रों पर); पाण्डु०  
(स्टीनर, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३

ई०) । टी० यशोदशरीरत द्वारा । टी० वासुदेव  
शोधित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदश्राद्धतत्त्व  
में) द्वारा व०; काशी इत्यं की पद्धति है; १२५० ई०

में पूर्व । टी० काश्यपशास्त्री के नागनकाशण मुद्रित के  
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विश्वनाथ के चाचा अनन्त के  
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संशुद्धित, तिथि १६९२

मास (१६३५ ई०); कर्क, हरिहर, कालनिर्णय  
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि  
लग० १५५० ई० है; देखाए अलवर (उद्धरण ४२);

गुज० प्रेस में मुद्रित । टी० हरिणामा द्वारा; प्राय-  
दिनतत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिल्द १, पृ०  
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज०

प्रे० एवं काशी सं० सी०); कर्क, कल्पतरुधर, रेणु,  
वासुदेव, यशोदेवर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकीमुदी  
(वेदान्तानुसृत) में व०; १२७५-१४०० ई० के

बीच; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजुर्वेदश्राद्धतत्त्व में  
हरिणामा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्य  
की एक व्याख्या में) ।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—कामदेव द्वारा ।  
पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—भास्कर द्वारा । दे० ऊपर ।  
पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—वासुदेव द्वारा । देखाए ऊपर ।  
पारस्करमन्त्रभाष्य—सुरारि द्वारा । दे० 'पारस्करगृह्य-  
सूत्र' के अन्तर्गत ।

पारस्करश्राद्धसूत्रवृत्त्यर्थसंग्रह—उदयशंकर द्वारा (स्टीनर,  
पृ० १७) ।  
पारिजात—बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण

होते हैं, यथा—मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात,  
विधानपारिजात ।  
पारिजात—दे० प्रक० ७५ ।  
पारिजात—भानुदत्त द्वारा । विहार० (जिल्द १, सं०

२५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस्०, १९२७,  
भाग ३-४ पृ० ७) ।

पापविनाशप्रयोग—सौमयनसूत्र, बृहद्विष्य, लिंगपुराण पर आनृत। इण्डि० आ० (पृ० ५८५)।

पापविनाशप्रयोगविधि—स्टीन बंटलाग (पृ० ९५) में द। मित्र ग्रन्थ।

पार्वणवदधादप्रयोग—देवभट्ट द्वारा।

पार्वणचन्द्रिका—गंगाश्री मन्त्रीवेदर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विनोयन पार्वण धाद पर। छन्दोग मन्त्रशास्त्र के अनुसार।

पार्वणवदधादविधि—स्टीन (पृ० ९५)।

पार्वणप्रयोग—प्राञ्जनिह का एक अंग।

पार्वणप्राद—(आश्वलायनीय)। टी० प्रदीप भाष्य, नारायण द्वारा।

पार्वणप्रादपट्टनि।

पार्वणप्रादप्रयोग—उन्दागा के लिए।

पार्वणप्रादप्रयोग—देवभट्ट द्वारा वाचमनियों के लिए।

पार्वणप्रादप्रयोग—नारायण भट्ट के प्रयोगान्त का एक अंग।

पार्वणप्रादप्रयोग—स्यु० का प्रादप्रयोग देगिए।

विश्वविपुलप्रयोग—(द्विचन्द्रोदीय) उमापति के पुत्र चन्द्रभट्ट द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—विश्वम्भर भट्ट (२५० सालाभट्ट) द्वारा। बंतानेर बंटलाग (१३६)।

विश्वविपुलप्रयोग—शिवर के प्रयोगान्त में।

विश्वविपुलप्रयोग—दे० प्र० ८८।

विश्वविपुलप्रयोग—प्रदीप द्वारा। दे० प्र० ८२। मन्त्र-शास्त्रान्तर्गत म० बन्धना द्वारा प्र०।

विश्वविपुलप्रयोग—माताश्वरं द्वारा। मन्त्रान्तर्गत का उल्लेख है। मन् १००० ई० के उल्लेख।

विश्वविपुलप्रयोग—रत्न द्वारा। ८० प्र० १९, दशरथ व शश्वर के लिए। टी० मुगारि द्वारा। म० १५१ ली के अन्त में।

विश्वविपुलप्रयोग—(२०० सालाभट्ट) कावर्णिक द्वारा। दे० प्र० १८।

विश्वविपुलप्रयोग—कर्मविपुल के लक्ष प्रयोगान्त द्वारा। म० (विश्व १० पृ० २३१)।

विश्वविपुलप्रयोग—(आश्वलायनीय) गार्ग्य शोनाल द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—रत्ननाथ द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—गोपाल्यय्या द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—रत्ननाथ के पुत्र वैकटनाथ द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—(एके टीका) बंदि-नार्भमी द्वारा। मन्त्रान्तर्गत वैकटनाथ ही हैं।

विश्वविपुलप्रयोग—गोविन्द द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त-यथा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा।

आश्वलायनीय (प्रस्त, बन्ध के ३१-३२)। टी० कर्मविपुलामी द्वारा (कुम्भशोनान् में प्र०, १९०५ ई०)।

विश्वविपुलप्रयोग—श्रीदत्त की विभक्ति में व०। म० १३०० ई०।

विश्वविपुलप्रयोग—टीकारार शर्मा द्वारा। म० म्यु० (विश्व ३, पृ० ११६)।

विश्वविपुलप्रयोग—(मा विश्वविपुलामीमांसा) विद्व-नाथ के पुत्र एवं नीलकाण्ठ के लिए नारायण पण्डित द्वारा। म० (विश्व १०, पृ० ३१२)। मन्त्रों में बरते के स्थान पर विश्वविपुल का प्रयोग बतलाया गया है।

पाण्डु० विधि म० १७८५ (१७७८ ई०)।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

विश्वविपुलप्रयोग—विश्वविपुल के पुत्र नारायण द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

विश्वविपुलप्रयोग—गार्ग्योदीय के टीकारार शर्मा द्वारा। बहोरा (म० २४३६)। मन्त्रान्तर्गत पर उल्लेख विश्व-विपुल ही है। टी० बहोरा (पाण्डुलिपि में)।

रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

**पुत्रस्वीकारनिरूपण।**

**पुत्रीकरणमीमांसा**—नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५।

**पुत्रोत्पत्तिपद्धति।**

**पुनःसंधान**—गृह्य अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में।

**पुनःपनयन**—प्रथम बार वर्जित भोजन करने पर ब्राह्मण का फिर से उपनयन।

**पुनःपनयनप्रयोग**—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा।

**पुनर्विवाहमीमांसा**—बालकृष्ण द्वारा। बड़ोदा (सं० ९०२६)।

**पुनर्विवाहविधि।**

**पुरश्चरणकौमुदी**—माधवाचार्य वज्र के पुत्र मुकुन्द द्वारा।

**पुरश्चरणकौस्तुभ**—अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं नृसिंहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत।

**पुरश्चरणचन्द्रिका**—गोविन्दानन्द की वर्षकृत्यकौमुदी एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्निकतत्त्व में व०।

**पुरश्चरणचन्द्रिका**—विवुधेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस देवेन्द्राश्रम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)।

ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३।

**पुरश्चरणचन्द्रिका**—माधव पाठक द्वारा।

**पुरश्चरणदीपिका**—विवुधेन्द्राश्रम द्वारा।

**पुरश्चरणचन्द्रिका**—जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा।

**पुरश्चरणदीपिका**—चन्द्रशेखर द्वारा।

**पुरश्चरणदीपिका**—रामचन्द्र द्वारा।

**पुरस्क्रियाचर्या**—रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित।

**पुराणसमुच्चय**—हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सिं०, द्वैत-निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व।

**पुराणसर्वस्व**—बंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में श० मं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत।

**पुराणसर्वस्व**—पुरुषोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द १, पृ० १८८)।

**पुराणसर्वस्व**—पुरुषोत्तम के पुत्र हलायुध द्वारा। ७३०

सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० औफेस्ट (पृ० ८४-८७)।

**पुराणसार**—पराशरमाधवीय, नृसिंहप्रसाद एवं आह्निक-तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व।

**पुराणसार**—नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार रुद्रशर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५)

**पुराणसारसंग्रह।**

**पुरुषार्थचिन्तामणि**—रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्थ।

मुख्यतः हेमाद्रि एवं माधव पर निर्भर। निर्णय० प्रे० एव आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० १६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)।

**पुरुषार्थप्रबोध**—रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द-भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भवित के धार्मिक महत्त्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों वाला एक विशाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलञ्जली स्थान पर श० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का उल्लेख एवं शूद्रकमलाकर में व०। दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९। चिदम्बरम् में मुद्रित, १९०७ ई०।

**पुरुषार्थप्रबोधिनी।**

**पुरुषार्थरत्नाकर**—कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्वविवेक, मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिधर्मविवेक, नामकीर्तनादि, प्रायश्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगत विवेक पर १५ तरंगों में।

**पुरुषार्थसुधानिधि**—सायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से विद्यारण्य द्वारा)। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर।

**पुरुषोत्तमसूत्रतत्त्व**—रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२।

**पुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार**—दे० पीटर्मन की छडी रिपोर्ट सं० ९५।

**पुलस्त्यस्मृति**—दे० प्रक० ४५।

**पुलहस्मृति**—स्मृतिचन्द्रिका एवं माधवाचार्य द्वारा व०।

पुष्टिमार्गीयाङ्गिक—ब्रह्मचार्य सम्प्रदाय के लिए  
बजराम द्वारा।

पुष्पचिन्तामणि।

पुष्पमाला—हरद्वार द्वारा। देव-भूजा में प्रयुक्त होने वाले  
पुष्पों एवं पत्तियों पर।

पुष्पसारमुषानिधि—अहल्याकामधेनु में उल्लिखित।

पूजनमालिका—भवानीप्रसाद द्वारा।

पूजापद्धति—जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

पूजापद्धति—(या पद्ममाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य  
जयतीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५)।

पूजापद्धति—विष्णुभट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट  
द्वारा। बड़ोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० सं० सं०  
१७३५, अर्थात् १८१३-१४ ई० में उतारी गयी।

पूजापाल—आङ्गिकचन्द्रिका में उल्लिखित।

पूजाप्रकाश—भिवमिश्र द्वारा (वीरमित्रादय का अंग)।  
दे० प्रक० १०८।

पूजाप्रदीप—गोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में  
उल्लिखित।

पूजारत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

पूर्णचन्द्र—रिपुणाय द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

पूर्वकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

पूर्वप्रकाश—प्रतापनारसिंह (हरदेव वृत्त) का एक  
प्रकरण।

पूर्वमाला—रघुनाथ द्वारा।

पूर्वोद्घोत—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोद्घात का  
एक अंश।

पूर्वाङ्गिलीला—नैष्णवी के लिए स्नान से पूजा तक के  
कृत्या पर।

पुष्यगुद्गाह।

पृथ्वीचन्द्र—सम्भवत यह पृथ्वीचन्द्रोदय ही है।  
विद्यानपारिजात में व०।

पृथ्वीचन्द्रोदय—हेमाद्रि (चतुर्वंग० ३।१।१८३), ब्रह्म  
निर्गम (शंकरभट्ट), विद्यानपारिजात, नि० मि०  
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व।

पृथ्वीमहोदय—भारद्वाज गोप के उमापति-मुत्र प्रेमनिधि

धर्मा (विषुद 'पन्त') द्वारा। सं० वा० (सं० १२६,  
१८८४-८६), १६५९, अर्थात् १७३७-३८ ई० (नद-  
पञ्चनूपसमित्तशाके) में प्रणीत। इसमें श्रवणावर्ग  
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है।

पृथ्वीरहस्य—अहल्याकामधेनु में व०।

पृथ्वीयस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में  
उल्लिखित।

पैठीनसिस्मृति—दे० प्रक० २४।

पैतृकतिथिनिर्गम—चक्रर द्वारा।

पैतृमेधिक—भारद्वाज गोप के यल्लुभट्ट के पुत्र यल्लुजि  
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार।  
हृष्य (ग० ५८)।

पैतृमेधिकसूत्र—भारद्वाज द्वारा (दो प्रश्नों में,  
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में)।

प्रकाश—वृहत् से ग्रन्था का विषुद 'प्रकाश' है, यथा—  
सर्वधर्मप्रकाश (शंकरभट्टकृत), परमुरामप्रकाश,  
परिशिष्टप्रकाश।

प्रकाश—दे० प्रक० ७४।

प्रक्रियाञ्जनटीका—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रचेत स्मृति—दे० प्रक० ४६।

प्रजापतिस्मृति—दे० प्रक० ४७, आनन्दायम प्र०  
(पृ० ९०-९८) में मुद्रित।

प्रजापद्धति—राजनीति पर।

प्रजापालन।

प्रणवकल्प—श्रीनिवासाचार्य कहा गया है। आकार के  
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा।

प्रणवकल्प—आनन्दतीर्थ द्वारा।

प्रणवकल्प—(स्वन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र  
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा।

प्रणवदर्पण—वैकटाचार्य द्वारा।

प्रणवदर्पण—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

प्रणवपरिशिष्ट—रघु० के आङ्गिकतत्त्व में व०।

प्रणवार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रणवोपासनाविधि—अग्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं वासी-  
पाठक के पौत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा।

प्रतापमार्तण्ड—भास्कराज गोवरद त्रिवेणीगणपति के पुत्र  
एरमेन द्वारा। गोवरदों पर प्रतिष्ठा (श्रावणिक  
पंडन) में सं० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में  
प्रगीत। गंगाधर, पूर्ण, अल्लोषिष्ठ, मन्नाथ, गति,  
बान्धुनानिष्ठ, पातकवश, प्रत्यक्षिणा, कुण्ड, उत्तम,  
जातिविवेक पर प्रतापों में विभाव एव विवर  
निकम्ब। दे० वी० वी० भा० ए० ए० (पृ०  
२२२, सं० ७००-७०३)।

प्रतापमार्तण्ड—(मा प्रौढमनामार्तण्ड) सूर्यभज  
कविदेवरात्मज पुष्परोशन के पुत्र, उत्तमराज  
प्रतापद गजपति का कदा गया है। पान प्रतापों में।  
दे० प्रक० १००, नों० (जित्त १०, पृ० २२२-२२५)।  
समभवतः यह श्राद्धमय्य में उल्लिखित।

प्रतापमार्तण्ड—नाथन के पुत्र रामट्टण द्वारा। प्रताप-  
द गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (पृ० ९६)।  
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रतापदप्रतिवन्द्य—शंकरभट्ट द्वारा द्वेननिर्णय में उल्लि-  
खित। सम्भवतः यह प्रतापमार्तण्ड है।

प्रतापार्क—रत्नाकरात्मज गंगारामपीठ, रामेश्वर के पुत्र  
'महागन्द' उपाधिवारी, शाण्डिल्यगोन के विश्वे-  
श्वर द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिंहकल्पद्रुम पर  
आधृत एवं जयसिंह के पीठ प्रताप के आदेश से  
प्रगीत। अलवर (३२८)।

प्रतिग्रहप्रायश्चित्तप्रकार।

प्रतिमादान।

प्रतिमाप्रतिष्ठा—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिमासंग्रह—चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-  
खित।

प्रतिष्ठाकल्पलता—वृन्दावन शुक्ल द्वारा।

प्रतिष्ठाकौमुदी—शङ्कर द्वारा।

प्रतिष्ठाकौस्तुभ।

प्रतिष्ठाचिन्तामणि—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठातत्त्व—(या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।  
दे० प्रक० १०२।

प्रतिष्ठादर्पण—नारायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्मनाभ

दत्ता (सं० २०, भण्डारकर संवत्)। त्रिवि सं० सं०  
१७०६ (१७८४-५ ई०)।

प्रतिष्ठादीधिति—अनन्दाय के स्मृतिकौस्तुभ ने।

प्रतिष्ठादिनिर्णय—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—अनन्तभट्ट (उर्फ बापूभट्ट) द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—रघुसूरि के पुत्र त्रिकुम भट्ट द्वारा।  
नों० (विष्णु ५, पृ० १५७); पाण्डु० सं० १७८५ में  
उनामो गयी।

प्रतिष्ठापद्धति—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—महेश्वर भट्ट हर्षे द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—राधाकृष्ण द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—शंकरभट्ट द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रकार—हरिप्रनादशर्मा द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—रामलाकर द्वारा।

प्रतिष्ठासूत्र—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७।  
वापुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है।  
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)।

प्रतिष्ठारत्न।

प्रतिष्ठासंस्कृति—दिवाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाविवेक—उमापति द्वारा।

प्रतिष्ठाविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

प्रतिष्ठासंग्रह।

प्रतिष्ठासमुच्चय—रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०।

प्रतिष्ठासागर—वल्लालसेन द्वारा। उनके दानसागर में  
व०। दे० प्रक० ९३।

प्रतिष्ठासार—रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूख में व०।

प्रतिष्ठासारदीपिका—पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र  
पाण्डुरंग टकले द्वारा। सं० सं० १७०२ (१७८०-  
८१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)।

प्रतिष्ठासारसंग्रह—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० १३४);  
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०।

प्रतिष्ठेन्दु—नारायण भाटे के पुत्र त्रयम्बक द्वारा। बड़ोदा  
(सं० ११०८९ वी)।

प्रतिष्ठीद्वयोत्—(दिनकरोद्वयोत् का अंश) दिनकर एवं  
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गंगाभट्ट) द्वारा।



प्रतिस्तरबन्धप्रयोग—विवाह एव अन्य उत्तमवाक्सर, पर वलाई में सूत्र बंधने के नियमों पर।

प्रनीताक्षरा—मिताक्षरा पर नन्दपण्डित की टी०। दे० प्रब० १०५।

प्रत्यवरोहनप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न का अर्थ।

प्रयत्नतिथिनिर्णय—नागदेवज्ञ द्वारा।

प्रदीप—चद्रुत-से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है, यथा आचारप्रदीप, वृत्त्यप्रदीप, समयप्रदीप, सवत्सर-प्रदीप आदि।

प्रदीप—दे० प्रब० ८०।

प्रदीपप्रदानपद्धति—दक्षिण महाप्रदीप०।

प्रदीपिका—भगवत के दण्डविवेक में एव मरस्वनीविलास में व०। १४५० ई० के पूर्व।

प्रदीपनिर्णय—विष्णुभट्ट द्वारा (पुरदार्यचिन्तामणि में)।

प्रदीपपूजापद्धति—यागुदेवेन्द्र के निष्पन्न वल्लभेन्द्र द्वारा।

प्रपञ्चसार—वर्षत्रिंशतीमुदी, आहिारतत्त्व (रघु० द्वाग) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रचीत होता है। १८५० ई० के पूर्व। टी० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र-कीमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व। टी० गीर्वाण-योगेन्द्र द्वारा। टी० ज्ञानवक्त्र द्वारा।

प्रपञ्चसारविवेक—(या भवगारविवेक) मरामिद के पुत्र गवारर मराठकर द्वारा। अठ उल्लास में। पाण्डु० विवि म० १८४० (१३८३-४ ई०)। दे० ना० (त्रि० १०, पृ० १६०)। आहिार, भगवदूजा, भ मरणपर्यं पर।

प्रपञ्चामृतसार—श्रीर के राजा एकराज (एराजि) द्वारा, त्रिही १६७६ में १६८४ ई० तक सम्पन्न विना। पूरा एव नीति के कुछ अर्थ प्रकट हुए हैं। वर्तमान श्रीर सं०, (पृ० १६१ बी)।

प्रपञ्चनिरीक्षण—गणेशदास द्वारा। विज्ञानरत्न, चन्द्रिका, हेमादि, भावक, गार्भगी, वेदजन्मदीप का उल्लेख है।

प्रपञ्चनिर्णय—शामासुर सम्प्रदाय के अनुयाय।

प्रपञ्चसत्त्व।

प्रपञ्चसिद्धिदिव्य।

प्रभाकराह्निक—प्रभाकर भट्ट द्वारा। प्रमाणदर्पण।

प्रमाणपल्लव—नृसिंह या नरसिंह ठक्कुर द्वारा। आचार आदि पर परिच्छेदों में विभक्त।

प्रमाणसंग्रह।

प्रमाणसारप्रकाशिका।

प्रमेयमाला।

प्रयागकृत्य—त्रिस्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रयागप्रकरण—(प्रयागप्रपट्टक) त्रिस्वलीसेतु से।

प्रयागसेतु—अनन्तदेव के स्मृतिवैस्तुभ में व०। त्रिस्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रयागवैस्तुभ—गणेशपाठक द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—वीरराघव द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—मीताराम के भाई श्रीनिवास-निष्पन्न द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—१८ गण्टी में। पुनपन से थार तक। आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। षष्ठमूर्त्त, पंचमि-कारिका, जदन्तकारिका, षण्णिका, दशनिर्णय, वाग्मकारिका, सुशिक्षिणोक्त, स्मृतिगणकार का उल्लेख है (मद्राज एकादश म० पाण्डु०, त्रि० ७, पृ० २३९८, म० ३३१२)।

प्रयोगचिन्तामणि—(शामर'पट्टम का भाग) अन्तर्भूट द्वारा।

प्रयोगसूत्रामणि—(अष्टाशतक मण्डल के पाण्डु०) १६११-१६१२ ई० गुप्तानुदास, प्रहसन, रथोधीराज, दुष्टाशोरीराज-यादि, मनीशान, मी, मी, प्रान, पाठ पूजा, शास्त्र-कीर एव अन्य मन्त्रकार। उल्लेख, विचार पर।

प्रयोगसूत्रामणि—वि. म० (त्रि० ४, पृ० २०)।

प्रयोगसूत्रामणि—रघु० द्वारा व०।

प्रयोगसूत्र—शास्त्रानुयायक भास्कर के पुत्र अनुयाय द्वारा। अन्तर्गत पामिह इत्यादि (महाशरी), परि-भरता, स्वयंभवाक्षत वरुण आदि पर २५ श्लोकी के काशी में वर्णन। त्रि० १० म० १५३३ (१५५६ ई०) म २वि०।

प्रयोगसूत्र—वीरराघव द्वारा। शरीर (म० १८०९)।

**प्रयोगदर्पण**—चायम्भट्ट के पुत्र नारायण द्वारा। ऋग्वेद-विधि के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त कृत), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

**प्रयोगदर्पण**—नारायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा आदि पर।

**प्रयोगदर्पण**—रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों के आह्निकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है।

**प्रयोगदर्पण**—वीरराघव द्वारा।

**प्रयोगदर्पण**—त्रैदिकसार्वभौम द्वारा।

**प्रयोगदर्पण**—अज्ञात। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १९०), अत्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थसार के लेखक श्रीधर का उ० है।

**प्रयोगदीप**—दयाशंकर द्वारा (शांखायनगृह्य के लिए)।

**प्रयोगदीपिका**—मञ्चनाचार्य द्वारा।

**प्रयोगदीपिका**—रामकृष्ण द्वारा।

**प्रयोगदीपिकावृत्ति**।

**प्रयोगपञ्चरत्न**—चातुर्मास्यप्रयोग में व०।

**प्रयोगपद्धति**—गंगाधर द्वारा (वीधायनीय)। झिगट्य-कोविद (पेंजल्ल मञ्चनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे शिगाभट्टीय कहा जाता है। दामोदर गार्ग्य द्वारा; कर्कोषाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आवृत है एवं पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (रुद्रभट्ट अयाचित के पुत्र); आश्वलायनीय। हरिहर द्वारा (गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य की टी० से सम्बन्धित।

**प्रयोगपद्धति**—कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित।

**प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी**—शिवराम द्वारा।

**प्रयोगपारिजात**—नरसिंह द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद (जिसे सम्पादक ने नृसिंहप्रसाद माना है) का उल्लेख है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 'प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है।

इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दे० (१८८३-८४, पृ० ५९) जहाँ क्रम से टी० 'प्रसाद' तथा वंशावली का उल्लेख है।

**प्रयोगपारिजात**—क्रीण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के निवासी नृसिंह द्वारा। पाँच काण्ड हैं—संस्कार, पाकयज्ञ, आधान, आह्निक, गोत्रप्रवरनिर्णय पर। संस्कार का भाग निर्णय० प्रेस में मुद्रित (१९१६)। २५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कालप्रदीप, कालदीपभाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, विश्वादर्श, विधिरत्न, श्रीधरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं १४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्भवतः यही ग्रन्थ नृसिंहप्रसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में व० है। वीकानेर (पृ० ४३९) में सं० १४९५ (१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है।

**प्रयोगपारिजात**—देवराजार्थ के पुत्र पुरुषोत्तम भट्ट द्वारा।

**प्रयोगपारिजात**—रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।

**प्रयोगपारिजातसारावलि**—धर्मप्रवृत्ति में व०।

**प्रयोगप्रदीप**—शिवप्रसाद द्वारा।

**प्रयोगमंजरीसंहिता**—श्रीकण्ठ द्वारा। बड़ोदा (सं० १२९५९)।

**प्रयोगमणि**—अभयङ्कर नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा।

**प्रयोगमुक्तावलि**—भिभिसूरि (?) तिपिलि द्वारा। ड० का० पाण्डु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञानेश्वर, प्रयोगपारिजात, नृसिंह, आचारमयूख का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।

**प्रयोगमुक्तावलि**—वीरराघव द्वारा।

**प्रयोगरत्न**—(या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५१५)।

**प्रयोगरत्न**—(हिरण्यकेशीय) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६)। सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रयोगरत्न—मदाशिव के पुत्र वासीदीक्षित द्वारा।  
 प्रयोगरत्न—मदाशिव के पुत्र वैश्वदीक्षित द्वारा।  
 प्रयोगरत्न—(आश्वलायनीय) रामदेवर मट्ट के पुत्र नारायण मट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे०-प्रब० १०३।  
 प्रयोगरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।  
 प्रयोगरत्न—(आश्वलायन एव शौनक के अनुसार) नारायण मट्ट के पुत्र नृसिंहमट्ट द्वारा। मट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत् व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० ई० के बीच।  
 प्रयोगरत्न—मट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (म० ३१३१)।  
 प्रयोगरत्न—(स्मानप्रयोगरत्न) महादेव वैशम्पायन के पुत्र मह्य द्वारा। मस्कार, गान्ति एव श्राद्ध पर वासी मे प्रणीत, श० म० १७९८ मे मुद्रित। मातृदत्त की प्रशंसा की गयी है। घडादा, पाण्डु० (सख्या १६२६) तिथि १८४४ म० (१७८७-८)।  
 प्रयोगरत्न—महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)।  
 प्रयोगरत्न—आपदेव के पुत्र वामुदेवदीक्षित द्वारा।  
 प्रयोगरत्न—हरिहर द्वारा।  
 प्रयोगरत्नभूषा—रघुनाथ नवहस्त द्वारा। वी० वी० आर० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० १८५)।  
 प्रयोगरत्नमाला—बीष्णुपाचार्य द्वारा।  
 प्रयोगरत्नमाला—आपदेवमट्ट के पुत्र वामुदेव द्वारा, जो चिन्तावन ब्राह्मण थे। विष्णुवादिमन्त्रदेवप्रतिष्ठा पर। नि० सि० वा उल्लेख है। १६२० १७६० के बीच। इसका नाम वामुदेवी एव प्रतिष्ठास्त्रमाला भी है।  
 प्रयोगरत्नमाला—गुह्योत्तम विद्यावागीश द्वारा।  
 प्रयोगरत्नसंस्कार—प्रेमनिधि द्वारा।  
 प्रयोगरत्नसप्रह—मस्कारमयूष मे व०।  
 प्रयोगरत्नाकर—दे० ऊर दयाशकर प्रयोगदीप।  
 प्रयोगरत्नाकर—(मंशायणीया के लिए) यशवन्त मट्ट द्वारा। बड़ोदा (म० ८३६५)।  
 प्रयोगरत्नावली—विदानन्द ब्रह्मेन्द्रमस्वती के शिष्य परमानन्द घन द्वारा। सम्भवत शीत कृत्या पर।

प्रयोगलाघव—महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा।  
 प्रयोगसप्रह—रामनाथ द्वारा।  
 प्रयोगसागर—नारायण आरब द्वारा। १६५० ई० के उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है।  
 प्रयोगसागर—विट्ठ० एव कीय (जिल्द २, पृ० ९७)। ८ वाण्डा मे।  
 प्रयोगसागर—नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मानवागीश द्वारा। इमे कृत्यतत्त्व या सवत्सरप्रयोगसागर भी कहा जाता है।  
 प्रयोगसागर—(श्रीधायनीय) केशवस्वामी द्वारा। वैदिक यज्ञा पर। नारायण एव भवस्वामी के नाम आये हैं, त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०।  
 प्रयोगसागर—(आपस्तम्बीय) गगामट्ट द्वारा।  
 प्रयोगसागर—(वात्स्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवमद्र पाठक द्वारा। गगाधर पाठक, मयूषत, वामुदेव, रेणु, कर्क, हरिस्वामी, मायग, पद्मनाभ, गदाधर, हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) वा उल्लेख है। श्रौत सम्बन्धी विषया पर विवेचन है।  
 प्रयोगसागर—लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह गृह्याग्निसागर एव प्रयोगसागर ही है।  
 प्रयोगसागर—निजानन्द द्वारा।  
 प्रयोगसागर—गोडुल ग्राम मे रहनेवाले दाक्षिणात्य बालकृष्ण द्वारा।  
 प्रयोगसागर—दिनकर के पुत्र विदेवेश्वर मट्ट (उर्फ गाण मट्ट) द्वारा। पुष्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर।  
 प्रयोगसागर—शिवप्रसाद द्वारा।  
 प्रयोगसागरावलि—धर्मप्रभृति मे उल्लिखित।  
 प्रयोगसागरपीयूष—कुमारस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, मस्कार, आह्निक, प्रायश्चित्त पर।  
 प्रयोगसागरसमुच्चय।  
 प्रयोगादर्श—मोडुगल गोत्र के वैद्यनाथ-गुप्त कनकसभापति द्वारा। यह लेखक की कारिकासञ्जरी पर टी० है।  
 प्रवरकाण्ड—(आश्वलायनीय) गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बव मे पी० चैतन्यालारव द्वारा मुद्रित (मंसूर, १९००)। टी० नारायण द्वारा।

प्रवरखण्ड—(आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा  
(कुम्भकोणम् में १९१४ में एवं मैसूर में १९००  
ई० में प्रका०)।

प्रवरखण्ड—(एक प्रश्न में वखानस)।

प्रवरगण—शार्दूलविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक  
ग्रन्थ। दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २२५,  
सं० ७०७)। २५वें श्लोक के पश्चात् का अंश नहीं  
मिलता।

प्रवरदर्पण—कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय  
भी कहा जाता है। पी० चैन्तसालराव द्वारा सम्पादित  
त्रिप्रवरनिवन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००।

प्रवरदीप—(या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०।

प्रवरदीपिका—कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति-  
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त।

प्रवरनिर्णय—विश्वादर्श से।

प्रवरनिर्णय—भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत। कलकत्ता सं०  
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ६५)।  
टी० रामनन्दी द्वारा।

प्रवरनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी  
नाम है।

प्रवरनिर्णयवाक्यसुधारणव—विश्वनाथदेव कृत।

प्रवरमञ्जरी—दे० त्रिप्रवरमंजरी। नृसिंहप्रसाद में  
व०।

प्रवरविवरण—प्रवरदीपिका में उल्लिखित।

प्रवराध्याय—अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक  
प्रकरण है।

प्रवराध्याय—मानवश्रीत का भाग (वी० वी० आर०  
ए० एस्०, जिल्द २, पृ० १७७)।

प्रवराध्याय—अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों  
पर।

प्रवराध्याय—लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा।  
११७०-१२०० ई० के लग०।

प्रवराध्याय—भृगुदेव लिखित कहा गया है।

प्रवराध्याय—लीगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन  
का ११वां परिशिष्ट।

प्रवराध्याय—विश्वनाथ कवि द्वारा।

प्रवराध्याय—विष्णुधर्मोत्तर से।

प्रवराध्याय—स्मृतिदर्पण से।

प्रवासकृत्य—रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा। स्तम्भ-  
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३  
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत  
साग्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर।

प्रस्तावपारिजात।

प्रस्ताववर्तनाकर—पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा  
गदापत्तन में वीरसिंह के आश्रय में सं० १६१४  
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र  
आदि विषयों पर पद्य में।

प्रह्लादसंहिता—(वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न  
में व०।

प्राचीन षडशीति—(अभिनव षडशीति के विरोध में)।  
दे० 'षडशीति'।

प्रातःकृत्य।

प्रातःपूजाविधि—नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु-  
यायियों के लिए)।

प्रायश्चित्तकदम्ब—(या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन  
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तर्कपंचानन के  
अन्त में का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०,  
पृ० ११९)।

प्रायश्चित्तकदम्बसारसंग्रह—काशीनाथ तर्कालंकार  
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वैतनिर्णय-  
कृच्चन्द्रशेखर के मत व० हैं। नो० न्यू० (पृ०  
२३३-३५)।

प्रायश्चित्तकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तकल्पतरु—कल्पतरु का एक अंग।

प्रायश्चित्तकाण्ड—त्रैलोक्य के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय  
भाग।

प्रायश्चित्तकारिका—गोपाल द्वारा। बीधायनसूत्र पर  
आधारित। सायण के पहले।

प्रायश्चित्तकुतूहल—कृष्णराम द्वारा।

प्रायश्चित्तकुतूहल—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तकुतूहल—गणेशभट्ट के पुत्र एव अनन्तदेव के शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्स (३, पृ० ५६)। श्रौत एव स्मार्त प्रायश्चित्ता पर। लग० १६६०-१७०० ई०।

प्रायश्चित्तकुतूहल—रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, पृ० १९७)।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उर्फ प्रायश्चित्तविवेक) कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम-कृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—रामेश्वर के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि 'काल' है।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—भैयालक्ष के रमापति द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—राधावान्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—विश्वनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर की प्रायश्चित्तचन्द्रिका में एव स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

प्रायश्चित्ततत्त्व—रघुनन्दनवृत्त। दे० प्रक० १०२।

जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० काशीनाथ तर्काकार द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राधा-मोहन गोस्वामी द्वारा (वगला लिपि में कलकत्ता में मुद्रित, १८८५), लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य का अनुयायी एव अद्वैतवचन था। टी० आदर्श, विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—ब्रह्म के प्रतापनारसिंह द्वारा व०। १७०० ई० के पूर्व।

प्रायश्चित्तदीपिका—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—राम द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—बैद्यनाथ के पुत्र लोकनाथ द्वारा (उसके सकलागमग्रह से)।

प्रायश्चित्तदीपिका—बाहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्हण—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३।

इसे प्रवरण भी कहा गया है।

प्रायश्चित्तनिर्हण—रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में वगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्णय—गोपाल ग्यायपचानन द्वारा। रघु० के ग्रन्थ का सार।

प्रायश्चित्तपटल।

प्रायश्चित्तपद्धति—कामदेव द्वारा। पाण्डु० सन् १६६९ में उतारी गयी। ऑफ्रेट (२९३ ए)।

प्रायश्चित्तपद्धति—हेमाद्रि के पुत्र जम्बूनाथ समाधीय द्वारा। चार पटलो में।

प्रायश्चित्तपद्धति—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—गणेशमिश्र महामहोपाध्याय द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पृ० ३००)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—स्टीन (पृ० ९६, ३१०)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भवदेव वालवलमीमुजग द्वारा। दे० प्रक० ७३।

प्रायश्चित्तप्रकरण—रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकाश—वलभद्र के पुत्र प्रद्योतनभट्टाचार्य का।

प्रायश्चित्तप्रदीप—स्मृतिकोरसुभ (लिपि पर) द्वारा उल्लिखित।

प्रायश्चित्तप्रदीप—कैवलभट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—गोपालमूरि द्वारा। धीकानेर (पृ० १३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गोपालमूरि वीजयानश्रीत के एक भाष्यकार हैं, जिनका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता है।

प्रायश्चित्तप्रदीप—पन्थक के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ म० (शक) में प्रणीत। बडोदा (स० १४९०)।

प्रायश्चित्तप्रदीप—बैकठाधीश के शिष्य वरदाधीश गन्वा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रत्नगेट श्रीनिवानदीक्षित के पुत्र राजनूशमनि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रामनर्मा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—शशिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—भवनाथ के पुत्र भक्तमिश्र द्वारा। वे वर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण में।

प्रायश्चित्तप्रदीपिका—भाण्डेय के पुत्र अनन्तदेव द्वारा (यह प्रायश्चित्तगतद्वयी ही है)। श्रोतकर्मों में प्रायश्चित्तों पर।

प्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोग—शम्भक द्वारा। नो० (जिल्द १०, १६४), आद्वलायन पर आधारित।

प्रायश्चित्तप्रयोग—दिवकर द्वारा। दे० 'दामार्णव-श्चित्तप्रयोग'।

प्रायश्चित्तप्रयोग—बलशास्त्री कामलकर द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोगरत्नमाला—स्मृत्यवंगार, प्रिकाण्ड-मण्डन, प्रदीप, केगवीकार का उ० है।

प्रायश्चित्तमंजरी—महादेव केलकर के पुत्र वापूभट्ट की। स्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकाल शक सं० १७३६ लिया है।

प्रायश्चित्तमनोहर—कृष्णमिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा केगवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र।

प्रायश्चित्तमयूख—नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। घरपुरे द्वारा प्रका०।

प्रायश्चित्तमार्तण्ड—मार्तण्डमिश्र कृत। मित्र, नो० (जिल्द ७, पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात् १६२२-२३ ई०)।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा (उनके धर्मशास्त्रसुधानिधि का अंग)। लेखक के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—रामचन्द्र भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्न—कमलाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमलाकर में व०।

प्रायश्चित्तरत्नमाला—रामचन्द्र दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्नाकर—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तरहस्य—दिनाकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तयारिधि—अयानन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—मानकर द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—मयूर अण्णवदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि एवं भाषा का उल्लेख है।

प्रायश्चित्तविधि—वमिण्डरमृति ने।

प्रायश्चित्तविधि—गोनक कृत कही गयी है।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव कृत।

प्रायश्चित्तविनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तविनिर्णय—गणेश्वर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तविवेक—यूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

बड़ोदा (न० १०८४९, नं० १५०१, अर्थात् १४४४-४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० तत्त्वार्थ-कोमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा।

दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० कीमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूड-प्रमाणिका; नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ११४)।

प्रायश्चित्तविवेक—श्रीनाथकृत। लग० १४७५-१५२५ ई०।

प्रायश्चित्तविवेकोद्घोत—मदनरत्न का एक अंग। दे० प्रक० ९४।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप—चिन्तामणिन्यायालंकारभट्टा-चार्य द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं० १५८०)। इन्होंने तिथि, व्यवहार उदाह, श्राद्ध, दाय पर भी 'संक्षेप' लिखा है। पाण्डु० तिथि शक सं० १६११।

प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह—मोहनचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासार—अमृतनाथ द्वारा।

प्रायश्चित्तशतद्वयी—भास्कर द्वारा। चार प्रकरणों में।

नि० सि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुतूहल, भावि-प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व।

सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी द्वारा; पाण्डु० तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (पृ० ३११)।

प्रायश्चित्ततन्त्रद्वयीकारिका—मोपाल स्वामी द्वारा  
(बोयापनीय)।

प्रायश्चित्तश्लोकावलि—शाकिन्दारा।

प्रायश्चित्तमंशेष—चिन्तामणि न्यायालद्वार द्वारा।

मन्मथन यह उर्मुञ्चन प्रायश्चित्त-प्रवचनयाग-तंत्रहा है।

प्रायश्चित्तसंग्रह—हृषीकेश स्मार्तवागीन द्वारा। नौ०  
पृ० (१, पृ० २३९)।

प्रायश्चित्तसंग्रह—देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है,  
बार्गी के महाराज चैतन्य के लिए लिखित,  
१३३०-१३८१ ई०।

प्रायश्चित्तसंग्रह—नागधरा भट्ट द्वारा। गुल्लानि वरु०,  
स्मृतिनागसंग्रह का उत्पन्न है अतः १६०० ई० में  
उत्तरात्। प्रायश्चित्त की परिभाषा या दी हुई है—  
पापशयमानवनाशमनाशक-वृत्तिविरय पापशयमान-

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—रत्नावर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तसारावलि—बृहन्नारदीयपुराण का एक अंग।

प्रायश्चित्तमुधानिधि—मायण के पुत्र एव मायराजर्षि  
के भाई मायण द्वारा। दे० प्र० १०।

प्रायश्चित्तमुबोधितौ—श्रीनिवागमयी द्वारा (भार-  
स्तम्बीय)।

प्रायश्चित्तोत्तु—मदागकर द्वारा।

प्रायश्चित्तोप्याय—महाराजगहसमन्त धीपति के पुत्र  
महादेय के निबन्धमर्षभ्य का तृतीय अध्याय। इति०  
आ० (हिन्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तानुक्रमणिका—चंदनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तकुशेत्तर—गिरभट्ट एक मरी के पुत्र नामोत्रि-  
भट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०; पाण्डु० (नौ०, हिन्द  
५, पृ० २३) की निधि म० १८६८ (१०८१-८२

प्रासादप्रतिष्ठादीधिति—(राजवर्मकोस्तुभ का अंश) अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९।

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि—कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६।

प्रेतकृत्यनिर्णय।

प्रेतकृत्यादिनिर्णय—अज्ञात।

प्रेतप्रदीपका—गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा।

प्रेतप्रदीप—ऋष्णिमित्राचार्य द्वारा।

प्रेतमञ्जरी—दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि १७०७ ई० है।

प्रेतमञ्जरी—(या प्रेतपद्धति) धादुमिश्र द्वारा। अलवर (सं० १४०३)।

प्रेतमुक्तिदा—भैमराज द्वारा।

प्रेतश्राद्धव्यवस्थाकारिका—स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रौढमताव्जमार्तण्ड—(या कालनिर्णयसंग्रह) प्रतापरुद्रदेव द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड।

फलप्रदीप—नृसिंह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है।

फलाभिषेक।

वभ्रुस्मृति—पराशरमाधवीय में व०।

बलदेवाह्निक—महाभारत से संगृहीत।

यहिन्याससूत्र।

वहिर्मातृका।

वहियागपूजा।

बह्वचकारिका—नि० सि० में व०।

बह्वचकर्मप्रयोग—(शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द १०, पृ० ५)।

बह्वचगृह्यकारिका—शाकलाचार्य द्वारा। दे० वनेल, तजीर कौटलाग (पृ० १४ बी)। यह उपर्युक्त ही है। समयमयूख में व०।

बह्वचगृह्यपरिशिष्ट—हेमाद्रि, रघु० एवं नि० सि० में उल्लिखित।

बह्वचश्राद्धप्रयोग।

बह्वचपौडशकर्ममन्त्रविवरण।

बह्वचसन्ध्यापद्धतिभाष्य।

बह्वचाह्निक—रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। उनके प्रायश्चित्तरत्न का उ० है।

वादरायणस्मृति—प्रायश्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत की टी० में उल्लिखित।

वाहस्पत्यमुहूर्तविधान।

वाहस्पत्यस्मृति—हेमाद्रि द्वारा व०।

वाहस्पत्यसंहिता—गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य मन्कारों के मुहूर्तों तथा शकुनों पर। वीरमित्रोदय (लदाग्रकाश, पृ० ३५६) ने गद्य एवं पद्य में हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है।

वाहस्पत्यसूत्र—पंजाब सं० सी० में प्रका०। नीतिसर्वस्व नाम भी है।

वालवोधक—आनन्दचन्द्रकृत। प्रायश्चित्त पर ४६ श्लोकों में।

वालमरणविधिकर्तव्यता।

वालम्भट्टी—लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० १११।

वालार्कोदय—नृसिंहप्रसाद (दानसार) में व०।

वालवबोधपद्धति—शांखायनगृह्यसूत्र पर।

वाष्कलस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०।

दुद्धिप्रकाश—रघु० द्वारा उल्लिखित।

दुधभूषण—शम्भुराजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र)। १६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवर्न-मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पुना, १९२६) द्वारा प्रका०।

दुधस्मृति—एक पृष्ठ का (पद्य में) निबन्ध। ड० का० पाण्डु० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, १८९५-१९०२)। धर्म को 'श्रेयोभ्युदयसाधन' कहा गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, पञ्चमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण नियमों, चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं राजधर्म के कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।२। ७४६)। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ३८६)।



यह प्रायश्चित्तमयूख मे व० है। दे० प्रक० २५।  
टी० हरिराम द्वारा।

बुधाष्टमी।

बुधाष्टमीव्रतकालनिर्णय।

बुधाष्टमीव्रततोद्यापन—रूटीन (पृ० ९६)।

बृहज्जातिविवेक—गोरीनाथ कवि द्वारा। बडोदा (स०  
९७०५)।

बृहदारण्यकशरस्मृति—जीवानन्द (भाग ३, पृ० ५३३०९)।

बृहत्सहिता—अ्यास द्वारा।

बृहद्यम—आनन्दाश्रम० (पृ० ९९-१०७)।

बृहद्रत्नाकर—वामनभट्ट द्वारा।

बृहद्राजमार्तण्ड—मलमासतत्त्व एव संस्कारतत्त्व म रघु०  
द्वारा व०।

बृहद्वसिष्ठस्मृति—मिताक्षरा, मदन० हलामुखद्वारा उ०।

बृहद्विष्णुस्मृति।

बृहद्व्यास—मिता० द्वारा व०।

बृहस्पतिशास्त्रि—अनन्तदेव श्रुत संस्कारकौस्तुभ से।

बृहस्पतिस्मृति—दे० प्रक० ३७। जावा० (भाग १ पृ०

६४४ ६५१) एव आनन्दा० (पृ० १०८ १११)। टी०

हेमाद्रि (परिसेवण्ड बाल० पृ० ३९९) म व०।

बैजवाप (या पि) गृह्य—मामागासूत्र (१।३।११) के

तत्त्ववार्तिक म कुमारिलभट्ट द्वारा व०, यथा—

'आदवलायनक सूत्र वैजवापिदृत्त तथा।

बैजवापिस्मृति—अपरार (पुन मूर्तिना एव सपिण्डन

न विरभक इच्छको म) द्वारा व०।

बैजवापायन—हेमाद्रि द्वारा व०।

बोधपणभट्टीय—इसरीद्वारा माधममुनि द्वारा लिखित है।

बोधायनगृह्य—मैसूर म प्रका० (डा० गामगास्त्र द्वारा

गभा०), गृह्य के चार प्रका गृह्यसूत्राभिप्राय पर

दो, गृह्यसोत्र पर पाँच विन्यमधसूत्र पर तीन एव

विन्यमधसोत्र पर एक प्रका। यह बोधायनगृह्यसोत्र-

सूत्र (२।६) है जिसमें पुत्रप्रतिगृह (माद-न्ने) पर

एक बपन है जो वसिष्ठसूत्र के चतुर्था मित्या है।

टी० पूरणव्याख्या आद्यायनलिखित। टी० भाष्य

(गिटिभाष्य), दृग (२, ग० ६६८)।

बोधायनगृह्यकारिका—कनकसभापति द्वारा।

बोधायनगृह्यपद्धति—केशवस्वामी द्वारा।

बोधायनगृह्यपरिशिष्ट—हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०।

बोधायनगृह्यप्रयोगमाला—चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र

राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगमार

का उल्लेख है।

बोधायनगृह्यप्रायश्चित्तसूत्र।

बोधायनतति—गृह्य कर्मों पर।

बोधायनधर्मसूत्र—दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५-

४८४) एव मैसूर ग० स० सी०। टी० गोविन्दस्वामी

द्वारा (वही, मैसूर)। टी० अमल, परमेश्वर परि-

वाजक द्वारा।

बोधायनसग्रह।

बोधायनस्मार्तप्रयोग—कनकसभापति द्वारा। दुल्हा

(रिपाट २, स० ९७२)।

बोधायनस्मृति।

बोधायनाह्निक—विद्यापति द्वारा।

बोधायनीयपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व द्वारा।

ब्रह्मगर्भस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराक

एव स्मृतिच० द्वारा व०)।

ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग—श्री० बी० धार०

ए० एम्० (जिल्द २, पृ० २४६)।

ब्रह्मदत्तभाष्य—रघु० के सुद्धितत्त्व म व० एव वत्सवर्ष

द्वारा उ०, अत ११०० के पुत्र। यह शाखायनगृह्य

पर टी० प्रणीत होती है।

ब्रह्मप्रकाशिका—(सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिथ के

पुत्र बतमालिमिथ द्वारा।

ब्रह्मपञ्चशिरोरत्न—नरसिंह द्वारा।

ब्रह्मसत्कारमञ्जरी—नारायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि-

भाष्य, उवटभाष्य, पारस्करगृह्यभाष्य मे व०।

ब्रह्मोदनप्रायश्चित्त—बडोदा (स० ६७८९ डी)।

ब्राह्मणपद्धति।

ब्राह्मणतार्किक—हलामुख द्वारा। दे० प्रक० ७२।

ब्रह्मण्यता म १८९३ ई० एव बनारस मे प्रका०।

ब्राह्मणधर्ममिति—मिनाक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) मे व०।

भक्तिजयार्णव—रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु-  
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नी० न्यू० (१, पृ०  
२५१)।

भक्तिप्रकाश—आठ उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा।

भक्तिमार्गमर्यादा—विट्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिमार्गसंग्रह—ब्रह्मभसंप्रदाय के लिए।

भक्तिरत्नाकर—शिवदास के पुत्र द्वारा।

भक्तिरसामृतसिन्धु—सनातन द्वारा। १४६३ शकसं०  
(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजयार्णव में  
व०। टी० जीवकृत 'दुर्गसंगमनी'।

भक्तिरसार्णव—कृष्णदास द्वारा।

भक्तिरहस्य—सोमनाथ द्वारा।

भक्तिवर्धिनी—ब्रह्मभाचार्य द्वारा।

भक्तिविवेक—श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय  
के लिए)।

भक्तिहंस—विट्ठलेश द्वारा।

भक्तिहेतुनिर्णय—विट्ठलेश। टी० रघुनाथ द्वारा।

भगवत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा  
व०।

भगवदर्चनविधि—रघुनाथ द्वारा।

भगवद्भक्तिनिर्णय—(या भगवद्भक्तिविवेक) आप-  
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९।

भगवद्भक्तिरत्नावली—विष्णुपुरी द्वारा काशी में  
प्रणीत। लेखक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला,  
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में  
प्रणीत। भण्डारकर (सन् १८८७-९१ ई०)।

भगवद्भक्तिरसायन—मधुसूदन सरस्वती द्वारा।

भगवद्भक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट  
द्वारा। २० विलानों में, वैष्णवों के लिए। गदावर  
के कालनार में व०। टी० (कलकत्ता में सन् १८४५  
में प्रका०)।

भगवन्तभास्कर—(या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा।  
१२ न्यूनों में विभक्त। दे० प्र० १०७। सम्पूर्ण  
प्रका० (बनारस, १८७९-८०)।

भट्टाचारिका—नि० नि० में व०।

भरद्वाजस्मृति—दे० प्रक० २७। टी० वाल्मभट्ट द्वारा।  
भर्तृसहगमनविधि।

भल्लाटसंग्रह—नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व०।  
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर।

भवदेवनिबन्ध—प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः  
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३।

भस्मकरोगप्रकाश।

भस्मवादावली।

भागविवेक—(धनभागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम-  
जित् द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा।  
मिताक्षरा पर आवृत।

भारद्वाजगार्ग्यपरिणयप्रतिषेधवादार्थ—भारद्वाज एवं  
गार्ग्य गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर।

भारद्वाजगृह्य—लीडेन में डा० जे० डब्लू० सालमन  
द्वारा सम्पा०। टी० कर्पदिस्वामी द्वारा। टी० गृह्य-  
प्रयोगवृत्ति, भट्टरंग द्वारा।

भारद्वाजश्राद्धकाण्डव्याख्या।

भारद्वाजसंहिता—दे० भारद्वाजस्मृति।

भारद्वाजस्मृति—इस पर महादेव एव वेणी के पुत्र  
वैद्यनाथ पायगुण्डे (नागोजि के शिष्य) की टी० है।  
दे० प्रक० १११।

भारद्वाजीयभाष्य—त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व०।  
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पदिभाष्य है।  
हरिहर द्वारा पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में व०।

भार्गवार्चनचन्द्रिका—तिथिनिर्णय में भट्टोजि द्वारा व०।

भार्गवार्चनदीपिका—नि० सि० एवं रामकल्पद्रुम में व०।

भार्गवार्चनदीपिका—सावाजी (या म्बार्जी) या प्रताप-  
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८)।

भाविप्रायश्चित्त—(या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक-  
रण) अज्ञात; माववाचार्य द्वारा व०। बी० बी०  
आर० ए० एस० (जिल्द ३, पृ० १९७)।

भाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि (३।१।३३६०, जहाँ एक उग-  
जाति छन्द में कर्पदी का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका  
(आगोच पर), माधव (कालनिर्णय में) द्वारा व०।

भास्कराह्निक।

भिस्रुतत्त्व—महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठीयं द्वारा।

यतिधर्म एव अन्य सन्यासग्रहणार्थी लोगो के वर्तव्या पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)।

भीमपराक्रम— योगिन्दानन्द की शुद्धिकीमुदी में, श्राद्ध-सीख्य (टोडरानन्द) एव त्रिथितत्त्व में व०। यह ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है।

भुक्तिदीपिका—ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर।

भुक्तिप्रकरण—कमलाकर द्वारा।

भुजबलभीम—भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। दूल्पाणि (श्राद्धविवेक) एव टोडरानन्द द्वारा व०। ज्योतिष-ग्रन्थ।

भूतशुद्धि—ओफ्रेस्ट वा लिपशिग कॅटलाग (स० ५३८)।

भूतशुद्धिपादिप्राणप्रतिष्ठा—ओफ्रेस्ट (स० ५३७)।

भूपालकृत्यसमुच्चय—चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर (पृ० ४९९) में व०। सम्भवत यह भोज धारेश्वर का ग्रन्थ है।

भूपालपद्धति—कुण्डाकृति में व०।

भूपालबल्लभ—परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष (फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश, नि० सि०, निगयदीपक, कालनिगयसिद्धान्तव्याख्या में व०।

भूप्रतिमादान।

भृगुस्मृति—विश्वरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), मिताक्षरा अपराकं द्वारा व०।

भैरवार्चापारिजात—जैत्रमिह द्वारा।

भैरवार्चापारिजात—श्रीनिकेतन के पुत्र एव सुन्दरराज के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा।

भ्रष्टवैष्णवल्लण्डन—श्रीधर द्वारा।

भकरन्दप्रकाश—हरिद्विष्ण मिद्धान्त द्वारा। आह्निक, सस्वार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की तिथि स० १७२५ (१६६८-९ ई०)।

भङ्गलनिर्णय—येवज्ञ देवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उपनयन, विवाह आदि के कृत्या पर।

मञ्जरी—यदुत-से ग्रन्था के नाम के अन्त में आती है, यथा—गात्रप्रवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गोविन्दराज कृत)।

मलप्रतिष्ठातत्त्व—रघुनन्दनकृत। दे० प्रक० १०२।

मठान्नायादिविचार—शंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुक्त सात मठा के धार्मिक कृत्या पर। नो० (जिल्द १०, २५६) एव स्टोन (पृ० ३१२)।

मठोत्सर्ग—कमलाकर द्वारा। मॅ० प्रा० (स० ३७७-७२)।

मठोत्सर्ग—मान्निदेव द्वारा (मॅ० प्रा० (स० ३७७०)।

मणिमञ्जरीच्छेदिनी।

मण्डपकृत्यव्यतापूजापद्धति—दिवराम शुक्ल द्वारा।

मण्डपकुण्डमण्डन—नरसिंहभट्ट सप्तर्षि द्वारा। टी० प्रवा-सिका (लेखक कृत)।

मण्डपकुण्डसिद्धि—धरधर्म के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा। स० स० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में प्रणीत। विवृति (लेखक द्वारा), कुण्डकीमुदी, कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयागमार, रामवाजपेयी के उल्लेख हैं।

मण्डपनिर्णय—उत्सर्गमयूख में उल्लिखित।

मण्डपप्रकरण।

मण्डपोद्घासनप्रयोग—धरणीधर के पुत्र द्वारा।

मण्डलकारिका—ओफ्रेस्ट (स० ६४७)।

मण्डलद्वैवतास्थापन—ओफ्रेस्ट (स० ६४८)।

मतपरीक्षा।

मतोद्धार—शंकरपण्डित द्वारा।

मयुरासेतु—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति-कीस्तुभ म व०। दे० प्रक० १०९।

मदनपारिजात—मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर भट्ट द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३।

मदनमहार्णव—दे० 'महार्णव'।

मदनरत्न—(या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिंहदेव का कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण ३३६, ममयोद्घोत का)। बडोदा (स० ४०३५, सुद्धि पर, स० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें

लेखक का नाम भट्ट विद्यवानाथ श्रीमालिगूर्जर है।

मधुपर्कनिर्णय।

मधुपर्कपद्धति।

मध्यमांगिरसस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।२४३, २४७, २५७, २६०) में व०।

मध्वाह्निक।

मनुस्मृति—(या मानवधर्मशास्त्र) दे० प्रक० ३१।

टी० मन्वर्यभूवतावली, कुल्लूकभट्ट द्वारा; दे० प्रक० ८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही) के निवासी थे।

टी० मन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृत (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक० ७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; पश्चात्-कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)।

टी० मन्वर्यचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। १४०० ई० के पश्चात् (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)।

टी० सुखबोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगाराम के पुत्र) द्वारा (स्टीन, पृ० ९८)। टी० मन्वर्य-विवृति, नारायणसर्वज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० के बीच (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)।

टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८)। टी० उदयकर द्वारा; वि० २० में व०; १३०० ई० के पूर्व। टी० उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० ऋजु द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; ९५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; वि० २० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) मेधातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, धारपुरे द्वारा प्र०)। टी० यच्वा द्वारा; मेधातिथि में व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात (कोई कश्मीरी), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका०।

मन्त्रकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

मन्त्रकोश—आचार्यमथूख में उल्लिखित।

मन्त्रकोश—आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र

के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द १०, पृ० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ (१७९५ ई०)।

मन्त्रतन्त्रप्रकाश—एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रप्रकाश—द्रीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रतन्त्रभाष्य—हरदत्त द्वारा। दे० एकाम्निकाण्डमन्त्र-व्याख्या।

मन्त्रमुक्तावली—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व में उल्लिखित।

मन्त्ररत्नदीपिका—अहल्याकामधेनु में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—सदाचारचन्द्रिका में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—शिवराम द्वारा।

मयूरचित्रक—(या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। वल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०।

मयूरचित्रक—भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल कैटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४)।

मरणकर्मपद्धति—यजुर्वेदगृह्यसूत्र से सम्बन्धित कही गयी है।

मरणसामयिकनिर्णय—मृत्यु के समय कृत्य एवं प्रायश्चित्तों के विषय में। वीकानेर कैटलाग (पृ० ४२०)।

मरीचिस्मृति—दे० प्रक० ४८।

मर्यादासिन्धु—पुरुषोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०।

मलमासकार्याकार्यनिर्णय।

मलमासतत्त्व—(या मलिम्लुचतत्त्व) रघुनन्दन कृत।

जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र एवं रामकृष्ण के पीत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा।

टी० मयुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा।

मलमासतिरूपण।

मलमासनिर्णय—दशपुत्र द्वारा।

मलमासनिर्णय—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा (सं० १२८५१)।

मलमासनिर्णय—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

- मलमासनिर्णयतन्त्रसार—वासुदेव द्वारा।  
 मलमासरहस्य—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। शं०  
 म० १६०३ (१६८१-२ ई०) में।  
 मलमासविचार—अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (बीवा-  
 नेर, पृ० ४१७)। तिथि सम्भवतः १६७९ (१६००  
 तक) है।  
 मलमासाधर्म्यणी—अज्ञात।  
 मलमासार्थसंग्रह—गुह्यसाद शर्मा द्वारा। नो० न्यू०  
 (जिल्द १ पृ० २७९)।  
 महागणपतिपूजापद्धति।  
 महादाननिर्णय—वाचस्पतिमिश्र की सहायतासे मिथिला-  
 राज भैरवेन्द्र द्वारा। पाण्डु० (ह० प्र०, पृ० १२, ३६  
 एवं १२२) तिथि स० स० ३९२ (१५११ ई०)।  
 ववावली यो दी हुई है—भवेश, उनके पुत्र हरिसिंह  
 देव, उनके पुत्र भैरवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि-  
 नारायण)। दे० अलवर (स० १४३३), जहाँ यह  
 ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है।  
 महादानपद्धति—रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ०  
 (पृ० ५५०, तिथि शं० स० १४५२ अर्थात् १५३०  
 ई०) है, क्योंकि विवृति वर्ष ठीक बैठता है) इसे  
 महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति  
 (द्वैतनिर्णय), कमलाकर (दानमपूख) ने उल्लिखित  
 किया है।  
 महादानपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा।  
 महादानवाक्यावली—गणोली सजीवेश्वर मिश्र के पुत्र  
 रत्नशशि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का  
 उल्लेख है।  
 महादानानुक्रमणिका।  
 महादीपदानविधि।  
 महादेवपरिचर्याप्रयोग—(वीधायनीय) रघुराम तीर्थ के  
 गिण्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०,  
 पृ० २३९)।  
 महादेवीय—निर्णयामृत द्वारा।  
 महाप्रदीपरत्नपद्धति—नो० न्यू० (१, पृ० २८०)।  
 महाप्रयोगसार—रघु० द्वारा आह्निकतत्त्व में उल्लिखित।

- महाप्रवरनिर्णय।  
 महाप्रवरभाष्य—पुह्योत्तम द्वारा। गोत्रप्रवरमजरी  
 में व०।  
 महाध्वजर्मकलापद्धति।  
 महाध्वजप्रहोमपूजापद्धति।  
 महाध्वन्यासपद्धति—बलभद्र द्वारा।  
 महाध्वपद्धति—दे० हदवल्पद्रुम।  
 महाध्वपद्धति—वत्सराज के पुत्र अचलदेव त्रिवेदी द्वारा  
 (द्यावापन के अनुसार)। लग० १५१८ ई०।  
 महाध्वपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित ('यज्ञो-  
 पवीत' उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न  
 उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। हमका नाम  
 महाध्वप्रयोगपद्धति भी है।  
 महाध्वपद्धति—नादादीक्षित द्वारा। हदवल्पद्रुम में व०।  
 महाध्वपद्धति—(आश्वलायन के अनुसार) नारायण  
 द्वारा।  
 महाध्वपद्धति—(गामवेद के अनुसार) वर्ण के पुत्र  
 परशुराम द्वारा। सूक्तमलाकर द्वारा व०। १४५९  
 ई० में प्रणीत।  
 महाध्वपद्धति—बलभद्र द्वारा।  
 महाध्वपद्धति—गुर्जरदेव के श्रीस्थल में रत्नभट्टात्मज  
 त्रिगलामट्ट के पुत्र मालजित् (मालजी) द्वारा।  
 ग्रन्थ का नाम हदार्थनमजरी एवं लेखक का वेदागाराय  
 भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०।  
 अलवर (स० १४१५)।  
 महाध्वपद्धति—(गोभिलीय) रामचन्द्राचार्य द्वारा।  
 बडोदा (स० १२५०)।  
 महाध्वपद्धति—विष्णुधर्म द्वारा।  
 महाध्वपद्धति—त्रिगलामट्ट के पुत्र वेदागाराय द्वारा।  
 यह मालजी का ही ग्रन्थ है।  
 महाध्वप्रयोगपद्धति।  
 महार्णव—(या महार्णवप्रकाश) हेमाद्रि (जिल्द ३,  
 भाग १, पृ० १८३, १४४०) एवं लालपाणि (श्राद्ध-  
 विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रयाग  
 भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८४।

महार्णव—(कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्वाता कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३।  
 महार्णव—पोङ्ग भट्ट (? पेदिभट्ट) के पुत्र विश्वेश्वरभट्ट द्वारा। दे० प्रक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)।  
 मान्वाता-लिखित महार्णव ही है।  
 महार्णवव्रतार्क।  
 महालयप्रयोग।  
 महालयश्राद्धपद्धति।  
 महाविष्णुपूजापद्धति—अखण्डानुभूति के शिष्य अखण्डानन्द द्वारा।  
 महाविष्णुपूजापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा।  
 महाशान्ति—शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में)।  
 महाशिवरात्रिनिर्णय—कश्मीर के कृष्णराम द्वारा।  
 महाष्टमीनिर्णय।  
 महिषीदान।  
 महिषीदानमन्त्र।  
 महेश्वरधर्माधर्म।  
 मांसनिर्णय—डुण्डि द्वारा।  
 मांसपीयूषलता—रामभद्रशिष्य द्वारा (सैं० प्रा० कैंटालाग, सं० ४१४३)।  
 मांसभक्षणदीपिका—व्रेणीराम शाकद्वीपी द्वारा।  
 मांसमीमांसा—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। नि० सि० द्वारा व०।  
 मांसविवेक—भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि मांसापण के प्रयोग आजकल विहित नहीं है।  
 मांसविवेक—(या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पचानन द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी० में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है।  
 माधोद्यापन।  
 माण्डव्यस्मृति—जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रि, दानमयूख द्वारा व०।  
 मातुलसुतापरिणय।  
 मातृगोत्रनिर्णय—नारायण द्वारा।  
 मातृगोत्रनिर्णय—हद्वकवीन्द्र के पुत्र मुद्गलात्मज १२७

लीगाक्षि भास्कर द्वारा (वड़ोदा, सं० १४६३)।  
 माध्यन्दिनीय ब्राह्मणी में विवाह के लिए मातृगोत्र वर्जित है।  
 मातृदत्तीय—हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में व०।  
 मातृसांवत्सरिकश्राद्धप्रयोग।  
 मातृस्थापनाप्रयोग।  
 मात्रादिश्राद्धनिर्णय—कोकिल द्वारा।  
 माधवप्रकाश—(या सदाचारचन्द्रोदय)। दे० 'आचार-चन्द्रोदय'।  
 माधवीयकालनिर्णय—दे० माधवकृत 'कालनिर्णय'।  
 माधवीयसारोद्धार—नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित, पराशरमाधवीय का एक अंग। स्टीन (पृ० ३०९)। लग० १५७५-१६०० ई०।  
 माधवोल्लास—रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ० ५०९) में व०।  
 माध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका—पद्मनाभ द्वारा।  
 मानवगृह्यसूत्र—(कनीयेर द्वारा सम्पा० एव गायकवाड़ ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित)। 'पुरुष' नामक दो भागों में। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य, गौतम, पराशर, वैजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार एव स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में (द्वितीय 'पुरुष') आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा जब कि १०० वर्ष (संवत् अज्ञात) बीत चुके थे।  
 मानवगृह्यपरिशिष्ट—बी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २०६, सं० ६५७)।  
 मानवधर्मशास्त्र—देखिए 'मनुस्मृति'।  
 मानवश्राद्धकल्प—हेमाद्रि द्वारा व०।  
 मानसागरीपद्धति—मानसिंह द्वारा। सैं० प्रा० (सं० ४११६)।  
 मानसोल्लास—सीमेश्वर कृत। दे० 'अभिलषितार्थ-चिन्तामणि'।  
 मार्कण्डेयस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१९) एव स्मृति-चन्द्रिका द्वारा व०।

मातृण्डदीपिका—अहल्यावामधेनु मे व०।  
 मातृण्डाचनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।  
 मालप्रदर्शन—चण्डेश्वर के दानरत्नावर मे उल्लिखित।  
 सम्भवत यह भोज के किसी मत का संकेत मान है,  
 न कि इस नाम की कोई पुस्तक है।  
 भासकृत्य।  
 मासतत्त्वविवेचन—अज्ञात। मामां एव उनमे किये जाने  
 वाले उपवासी, भोजो एव धार्मिक कृत्या पर।  
 वीकानेर (पृ० ४२१)।  
 मासवर्षण।  
 मासनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।  
 मासमीमासा—गाङ्गुलदास महामहोपाध्याय द्वारा।  
 चान्द्र, सोर, सावन एव नाक्षत्र नामक चार प्रकार  
 के मामा एव वर्ष के प्रत्येक मास मे किये जाने वाले  
 धार्मिक कृत्या पर।  
 मासादिनिर्णय—डुण्डि द्वारा।  
 मासिकश्राद्धनिर्णय—कमलाकर के पिता रामकृष्णद्वारा।  
 नि० मि० मे व०।  
 मासिकश्राद्धपद्धति—गणोनाथ भट्ट द्वारा।  
 मासिकश्राद्धप्रयोग—(आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट  
 सम्राट्स्थपति द्वारा।  
 मासिकश्राद्धमानोपन्यास—मीनी मल्लारिदीक्षित द्वारा।  
 मितक्षरा—हरदत्तदत्त गौतमधर्मसूत्र पर टी०। दे०  
 प्रक० ८६।  
 मितक्षरा—मयुरानाथ द्वारा वाज्रवल्क्यस्मृति पर टी०।  
 मितक्षरा—विज्ञानेश्वर द्वारा शाश्वतवल्क्यस्मृति पर टी०।  
 इसे ऋग्वेदमितक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७०।  
 टी० प्रतिमाक्षरा या प्रतीमाक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा,  
 दे० प्रक० १०५। टी० वालम्बट्टी (उप० लक्ष्मी-  
 व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे० प्रक० १११,  
 चौलम्भा सी० मे (व्यवहार) एव घरपुरे द्वारा  
 (आचार, प्रायश्चित्त एव व्यवहार) प्रका०। टी०  
 सुबोधिनी, विदेवेश्वर भट्ट द्वारा, दे० प्रक० ९३  
 (व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एव प्रका०)।  
 टी० मितक्षरासागर, मयूमदन गोस्वामी द्वारा।

टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी  
 द्वारा; पोटसन की छठी रिपोर्टें (पृ० ११)। टी०  
 मिद्वान्तसग्रह, रायामोहन शर्मा द्वारा। टी० हलायुध  
 द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र  
 निर्दुरिचमवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)।  
 मितक्षरासागर—(विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारान)  
 मथाराम द्वारा।  
 मिथिलेशाह्निक—गंगोली सजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न  
 पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिंह  
 के आश्रय मे प्रणीत। सामवेद के अनुसार शीचविधि,  
 दन्तधावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपयज्ञ, देव-  
 पूजा, भोजन, मासभक्षण, द्रव्यगुडि, गार्हस्थ्यधर्म  
 नामक आह्निकों पर। नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२)।  
 इस ग्रन्थ मे मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठकुर  
 एव उनके ९ वंशजा का उल्लेख है, और ऐसा आया  
 है कि महेन्द्र को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ  
 था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)।  
 मोमामापल्लव—रुचिपति एव रुचिगणी के पुत्र इन्द्रपति  
 द्वारा। एकादशीव्रत, श्राद्ध, उत्तमर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय  
 विषया पर मोमासा के नियम प्रयुक्त हैं। नो०  
 (जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे।  
 मुक्तिक्षेत्रप्रकाश—आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा।  
 अयोध्या, मयुरा, माया आदि सात तीर्थों पर प्रकाशों  
 मे विभक्त। बडोदा, स० १२३८६। लेखक ने  
 प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए  
 'अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या' (तैत्तिरी-  
 यारण्यक) 'वागक्षर प्रयमजा' (तं० ब्रा०) एव  
 मयुरा, माया वाशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी',  
 'नृसिंहपूर्वतापनीय' एव 'रामतापनीय' वैदिक वचन  
 उद्धृत किये हैं।  
 मुक्तिचिन्तामणि—गजपति पुरुशोत्तमदेव द्वारा। जग-  
 न्नाथपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यों के विषय  
 मे। ल० १५०० ई०।  
 मुद्गलस्मृति—(बडादा, ताडपन पाण्डु० स० ११९५०)  
 मीनादिविधि, दाय, अशोक, प्रायश्चित्त पर।

मुद्राविवरण।

मुनिमतमणिमाला—धामदेव द्वारा।

मुमुक्षुमृतकृत्यादिपद्धति—शंकरशर्मा द्वारा। मुद्रितस्वरु  
उ० है। नौ० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)।

मुहूर्तकण्ठाभरण।

मुहूर्तकलीन्द्र—शीतलदीक्षित द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा व०।  
१६५० ई० के पूर्व।

मुहूर्तकल्पद्रुम—केशव द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—ब्रूवशर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित (कृष्णा-  
त्रिगोत्र) द्वारा। सन् १६२८ ई० में प्रणीत। टी०  
मंजरी, लेखककृत।

मुहूर्तकल्पाकर—दुःखभञ्जन द्वारा।

मुहूर्तगणपति—हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा।  
१६८५ ई० में प्रणीत। टी० सीताराम के पुत्र परममुख  
द्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा।

मुहूर्तचक्रावलि।

मुहूर्तचन्द्रकला—हरजीभट्ट द्वारा। लग० १६१० ई०।

मुहूर्तचिन्तामणि—अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नीलकण्ठ  
के छोटे भ्राता) द्वारा। सन् १६००-१ ई० में काशी  
में प्रणीत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।  
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण,  
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकबर  
की सभा के पण्डित थे। इनके पूर्वज विदर्भ के थे।  
टी० प्रतिमाक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में  
मुद्रित। टी० कामधेनु। टी० नीलकण्ठ द्वारा।  
टी० पीयूषकर्णिका। टी० पीयूषधारा, नीलकण्ठ के  
पुत्र गोविन्दद्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३  
ई० में मुद्रित। गोविन्द लेखक का भतीजा था।  
टी० पर टी० रघुदैवज्ञ द्वारा। टी० पद्मसाहसी।

मुहूर्तचिन्तामणि—त्रैकटेश भट्ट द्वारा।

मुहूर्तचिन्तामणिसार।

मुहूर्तचिन्तामणिसारिणी।

मुहूर्तचूडामणि—भारद्वाजगोत्र के श्रीकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र  
शिव दैवज्ञ द्वारा।

मुहूर्ततत्त्व—कमलाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा।  
संस्कारकीस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी०  
कृपाराम द्वारा। टी० केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदैवज्ञ  
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव  
द्वारा; मुहूर्तदीपक में व०।

मुहूर्तदर्पण—मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका  
(सद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४)।

मुहूर्तदर्पण—प्रयाग के दक्षिण अल्कपुर के गंगारामा-  
रामज जगन्नाम के पुत्र लालमणि द्वारा। अलवर  
(उद्धरण, ५४४)।

मुहूर्तदर्पण—विद्यामाधव द्वारा। टी० माधवभट्ट द्वारा।

मुहूर्तदीप—जयानन्द द्वारा।

मुहूर्तदीप—शिवदैवज्ञ के एक पुत्र द्वारा।

मुहूर्तदीपक—तागदेव द्वारा।

मुहूर्तदीपक—काहुजि (कान्हजित् ?) के पुत्र महादेव  
द्वारा। दे० ऑफ्रेस्ट (पृ० ३३६-वी)। टी० लेखक  
द्वारा सं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। डोडरा-  
नन्द का उल्लेख है।

मुहूर्तदीपक—देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा।

मुहूर्तदीपिका—(नि० सि० के अनुसार) कालविधान  
में व०।

मुहूर्तदीपिका—वादेरायण का कहा गया है।

मुहूर्तनिर्णय।

मुहूर्तपदवि।

मुहूर्तपरीक्षा—देवराज द्वारा।

मुहूर्तभूषण—(या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा।  
नौ० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

मुहूर्तभूषणटीका—रामदत्त द्वारा।

मुहूर्तभैरव—भैरव दैवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा।

मुहूर्तभैरव—दीनदयालु पाठक द्वारा।

मुहूर्तमञ्जरी—यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार गुच्छों एवं  
१०१ श्लोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५)।  
सं० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत।

मुहूर्तमंजरी—हरिनारायण द्वारा।

मुहूर्तमंजूषा।



मूर्हतमणि—विश्वनाथ द्वारा।  
 मूर्हतमाधवीय—सायण या माधवाचार्य का कहा गया है।  
 मूर्हतमार्तण्ड—केशव द्वारा।  
 मूर्हतमार्तण्ड—अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। व० स० १४९३ के फाल्गुन (लग० मार्च १५७२ ई०) में देवगिरि के पास १६० श्लोको में। टी० मार्तण्ड-वल्लभा, लेखक द्वारा, बम्बई में १८६१ ई० में प्रकाशित।  
 मूर्हतमाला—शाण्डिल्य गोत्र एव चित्तपावन जातीय शरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। मन् १८७८ में रत्नगिरि में मुद्रित।  
 मूर्हतमुषतामणि।  
 मूर्हतमुषतावली—वासीनाथ द्वारा।  
 मूर्हतमुषतावली—देवराम द्वारा।  
 मूर्हतमुषतावली—भास्कर द्वारा।  
 मूर्हतमुषतावली—योगीन्द्र द्वारा, अरुवर (उद्धरण ५४६)।  
 मूर्हतमुषतावली—पोपाः के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। १६१८ ई० में प्रणीत।  
 मूर्हतमुषतावली—श्रीकण्ठ द्वारा।  
 मूर्हतमुषतावली—श्री हरिभट्ट द्वारा।  
 मूर्हतरचना—दुर्गासहाय द्वारा।  
 मूर्हतरत्न—ज्योतिपराय के पुत्र ईश्वरदास द्वारा। 'मूर्हनरत्नाकर' नाम भी है।  
 मूर्हतरत्न—गाविन्द द्वारा।  
 मूर्हतरत्न—रघुनाथ द्वारा।  
 मूर्हतरत्न—शिरोमणिभट्ट द्वारा।  
 मूर्हतरत्नमाला—धीषति द्वारा। रघु० द्वारा व०। टी० लेखक द्वारा।  
 मूर्हतरत्नाकर—हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा।  
 मूर्हतराज—विश्वदास द्वारा।  
 मूर्हतराजीय।  
 मूर्हत्तलक्षणपटल।  
 मूर्हत्तविधानसार—कालमाधव में व०।  
 मूर्हत्तविवरण।

मूर्हतवृत्तशत।  
 मूर्हतशिरोमणि—रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर द्वारा।  
 मूर्हतसप्तह—सिद्धेश्वर के सरकारमयूख में एव स० कौ० में व०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा।  
 मूर्हतसर्वस्व—बूब के पुत्र वि० लात्मज रघुवीर द्वारा। काशी में स० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत। नो० (जिल्द १, ० १०९)।  
 मूर्हतसार—बनैल (तजीर, पृ० ७९ ए)।  
 मूर्हतसार—भानुदत्त द्वारा।  
 मूर्हतसारिणो।  
 मूर्हतसिद्धि।  
 मूर्हतसिद्धि—नागदेव द्वारा।  
 मूर्हतसिद्धि—महादेव द्वारा।  
 मूर्हतसिन्धु—मधुसूदन मिश्र द्वारा। लाहौर में मुद्रित।  
 मूर्हतस्कन्ध—बृहस्पति द्वारा।  
 मूर्हतामृत—रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित।  
 मूर्हतार्किक—मृत्युञ्जय कोविल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक द्वारा।  
 मूर्हतालंकार—भैरव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० स० १५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पृ० ३४३)।  
 मूर्हतालंकार—जयराम द्वारा।  
 मूर्हताविल।  
 मूर्हत्हा—संकल्पवाक्या, नान्दीश्राद्ध, तिथिव्यवस्था, एकोद्दिष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि-प्रायश्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि पर उत्तम ग्रन्थ। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एव नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)।  
 मूर्तिप्रतिष्ठा—नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)।  
 मूर्तिप्रतिष्ठापन।  
 मूलनक्षत्रशान्ति।  
 मूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग—तीनक का कहा गया है।  
 मूलशान्तिनिर्णय—स्टीन (पृ० ९९)।  
 मूलशान्तिविधान।  
 मूलशान्तिविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

मूलादिशान्ति ।

मूल्यनिरूपण—गोपालकृत (सं० प्रा०, सं० ४३२१) ।

मूल्यसंग्रह—(या मूल्याध्याय) वापूभट्ट द्वारा । संकल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर धनदण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप । गोपालभाष्य का उल्लेख है । पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० (जिल्द १०, पृ० २३८) ।

मूल्याध्याय—(कुल ५॥ श्लोकों में) कात्यायन कृत माना गया है । गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के स्थान पर धन देने के विषय में । दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० १७१) । टी० कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका, पृ० ४) । टी० गोपालजी द्वारा । टी० बालकृष्ण के पुत्र विट् ल (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी) ; १६७० ई० के पश्चात् ।

मृत्तिकास्तान ।

मृत्युञ्जयस्मृति—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ७६४-६५, ७८४) द्वारा एवं दानमयूख में उल्लिखित ।

मृत्युमहिषीदानविधि—(किसी की मृत्यु के समय भैंस का दान) ।

मैत्रायणीयगृह्यपदार्थानुक्रम ।

मैत्रायणीगृह्यपद्धति—मैत्रायणी शाखा के अनुसार १६ संस्कारों पर । अध्याय का नाम पुरुष है ।

मैत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट—हलायुध, हेमाद्रि एवं म० पा० द्वारा व० ।

मैत्रायणीयीध्वेदेहिकपद्धति—दे० क्रियापद्धति ।

मोक्षकल्पतरु—(कृत्यकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश) लक्ष्मीवर द्वारा । दे० प्रक० ७७ ।

मोक्षेश्वरनिबन्ध—पारस्करगृह्यपरिशिष्ट की टी० में गदाधर द्वारा व० । सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र ब्रह्मार्क का प्रश्नज्ञानदोष-मृच्छाप्रकरण ही है । वीकानेर (पृ० ३२५-३२६) ।

मोहचूडोत्तर—(या मोहचूलोत्तर) हेमाद्रि (३१।८८३, मोहचूरोत्तर), नि० सि० में व० ।

यजुर्वल्लभा—(या कर्मसरणि) वल्लभाचार्य के पुत्र वं

गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेश द्वारा । आह्निक, संस्कार एवं आवश्यकधान (गृह्य अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेदके अनुसार) । अलवर (सं० १२८०) ।

यजुर्विवाहपद्धति ।

यजुर्वेदिवृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

यजुर्वेदीयश्राद्धविधि—ढोण्डू द्वारा । दे० 'श्राद्धविधि' ।

यजुःशाखाभेदतत्त्वनिर्णय—पाण्डुरंग टकले द्वारा ।

बड़ोदा (सं० ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि जहाँ कहीं 'यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ 'तैत्तिरीय शाखा' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजुः' ।

यज्ञपाद्वंसंग्रहकारिका—पारस्कर गृह्य० पर गदाधर-भाष्य में व० ।

यज्ञसिद्धान्तविग्रह—रामसेवक द्वारा ।

यज्ञसिद्धान्तसंग्रह—रामप्रसाद द्वारा ।

यज्ञोपवीतनिर्णय ।

यज्ञोपवीतपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त द्वारा । वाजसनेयी शाखा के लिए ।

यतिक्षीरविधि—मधुसूदनानन्द द्वारा । बड़ोदा (सं० ५०१५) ।

यतिखननादिप्रयोग—श्रीशैलवेदकोटीर लक्ष्मण द्वारा ।

यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है ।

यतिधर्म—पुह्वोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा । लेखक पूर्णानन्द का शिष्य था ।

यतिधर्म—अज्ञात ।

यतिधर्मप्रकाश—वासुदेवाश्रम द्वारा । बड़ोदा (सं० १२२८९) ।

यतिधर्मप्रकाश—विश्वेश्वर द्वारा । यह यतिधर्मसंग्रह ही है ।

यतिधर्मप्रबोधिनी—नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा ।

यतिधर्मसंग्रह—अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पृ० २७८) । सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा एवं मठान्नाय का वर्णन है और तब यतिधर्म का ।

यतिधर्मसंग्रह—सर्वज्ञविश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०।

यतिधर्मसमुच्चय—मादवप्रकाश द्वारा। वैष्णवा के लिए ११ पर्वां में।

यतिधर्मसमुच्चय—रघुनाथ भट्टाचार्य द्वारा।

यतिधर्मसमुच्चय—सर्वज्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर-सरस्वती द्वारा। पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) की तिसि स० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे यतिधर्मसंग्रह (उपर्युक्त) भी कहा जाता है।

यतिनिरूपण—आनन्दानन्द द्वारा (ब्रह्मोदा, म० ५०१७)।

यतिपत्नीधर्मनिरूपण—यूगानन्द के शिष्य पुरुषोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा।

यतिमरणोपपन्नासंग्रह।

यतिलिगसमर्पण—तीन स्कन्धा म।

यतिवन्दननियेष।

यतिवन्दनशतसूची।

यतिवन्दनसमर्पण।

यतिवल्लभा—(या सन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। सन्यास यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहूदक, हस्त एव परमहस्त) एव उनके कर्तव्या पर। नो० (जिल्द १० १७५)। विद्यामाला की चर्चा हुई है।

यतिसंस्कार—(प्रतापनारसिंह का एव भाग)।

यतिसंस्कार—पुत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एव श्राद्ध पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)।

यतिसंस्कारप्रयोग—रामभट्ट द्वारा।

यतिसंस्कारप्रयोग—विश्वेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १ पृ० १७३)।

यतिसंस्कारविधि—(दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ० ९९)।

यतिसंस्कारविधिनिरूपण—दण्डि० आ० (पृ० ५२३, म० १६४७)।

यतिसंस्कारोपयोगिनिरूपण।

यतिसंख्यावातिक—शंकर के शिष्य सुरेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ९)।

यतिसिद्धान्तनिरूपण—सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। यत्यनुष्ठान।

यत्यनुष्ठानपद्धति—शंकरानन्द द्वारा।

यत्यन्तकर्मपद्धति—रघुनाथ द्वारा।

यत्याचारसंग्रहोपयतिसंस्कारप्रयोग—विश्वेश्वर सरस्वती (नो०, जिल्द १, पृ० १७४)।

यत्याचारसप्तविधिसंग्रह।

यत्याचारसप्तविधिसंग्रह।

यत्याचारसप्तविधिसंग्रह।

धर्मस्मृति—दे० प्रक० ४९, जीवानन्द (भाग १, पृ० ५६० ५६७) एव आनन्दाश्रम (पृ० ११२ ११६) द्वारा प्रका०।

मल्लान्नीय—यन्लुभट्ट के पुत्र यल्लजि द्वारा। अत्येष्टि,

सपिण्डोक्तरण आदि पर। आदर्शलायनसूत्र, भारद्वाज सूत्र और इनके भाष्या तथा शौनव पर आधारित।

पञ्चमन्तभास्कर—युहोतिभामयज हरिभट्ट के पुत्र

आपाजिभट्ट-तनुज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा।

बुन्दलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यद्वन्तद्वय के

आश्रम में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अक्ष

सर्वस्तरवृत्त्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९)।

हरिभट्ट ऋष्यवक्त्रपुरी में आये थे और काश्यप गोत्र

के थे एव आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। ८५०

१६७६।

याशिवल्लभस्मृति—दे० स० १, प्र० ३४। टी० अपराक

द्वारा, दे० प्रक० ७९। टी० कुलमणि द्वारा। टी०

देवजीव द्वारा, रघु० के शुद्धितत्व में व०। टी०

धर्मेश्वर द्वारा शू० पाणि के प्रायश्चित्तविके में

व० (पृ० ५२९)। टी० बालक्रीडा, विष्णुवत्स

द्वारा, दे० प्रक० ६०। टी० पर टी० विभावना।

टी० पर टी० जमुत्तस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा)।

टी० पर टी० धवनमाला, सोमयाजी के शिष्य के

शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता-

क्षरा, भयूरानाथ द्वारा। टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर

द्वारा, दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीका के

लिए देखिए 'मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभट्ट द्वारा।

- टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० ९५) ।  
 टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० १०८ (चीखम्भा से एक अंश प्रका०) ।  
 याज्ञिककमलाकारी—सैं० प्रा० (सं० ४४१४) ।  
 यात्राप्रयोगतत्त्व—हरिश्चन्द्र द्वारा ।  
 यात्राविवाहाद्युपाय—नी० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९) ।  
 युक्तिकल्पतरु—भोजदेव कृत । शासन एवं राजनीति के विषयों पर, यथा—दूत, कोप, कृषिकर्म, बल, यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, छत्र, ध्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, नौका-लक्षण आदि पर । स्वयं भोज, उशाना, गर्ग, बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शार्ङ्गधर एवं कतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है । कलकत्ता ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका० ।  
 युगार्णव—सैं० प्रा० (सं० ४४१८) ।  
 युद्धकुसुहल ।  
 युद्धकौशल—रुद्र द्वारा ।  
 युद्धचिन्तामणि—रामसेवक त्रिपाठी द्वारा ।  
 युद्धजयप्रकाश—दुःखभञ्जन द्वारा ।  
 युद्धजयार्णव—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व० ।  
 युद्धजयार्णव—अग्निपुराण (अध्याय १२३-१२५) से ।  
 युद्धजयोत्सव—टी० अज्ञात । टी० मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । टी० रामदत्त द्वारा ।  
 युद्धजयोत्सव—गंगाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में । अलवर (उद्ध० ५५१) ।  
 युद्धयात्रा—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व० ।  
 युद्धरत्नावली :  
 रंगनाथदेशिकार्हिक—रंगनाथदेशिक द्वारा ।  
 रजतदानप्रयोग—कमलाकर द्वारा ।  
 रत्नकरण्डिका—द्रोण ारा । ह० प्र० (पृ० १०-११, पाण्डु० तिथि मं० ११८९ अर्थात् ११३२-३३ ई०) । वाजसनेयियों के कृत्यों पर । उ० का० (२७३, १८८६-९२) की पाण्डु० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण, गावाशाँच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमवर्ग, दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ्र आदि पर विवेचन हैं ।  
 रत्नकोश—हेमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मलमास-तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व० ।  
 रत्नदीपविश्वप्रकाश ।  
 रत्नमाला—शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, पृ० ५९६) में व० ।  
 रत्नमाला—रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप में व० । सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ ।  
 रत्नसंग्रह—नि० सि० में व० ।  
 रत्नसागर—नि० सि० में व० ।  
 रत्नाकर—दे० प्रक० (चण्डेश्वर) ९० ।  
 रत्नाकर—पोपाल द्वारा ।  
 रत्नाकर—रामप्रसाद द्वारा । स्टीन (पृ० १००) में प्रायश्चित्त का अंश है ।  
 रत्नार्णव—रघु० द्वारा व० ।  
 रत्नावलि—हेमाद्रि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास-तत्त्व) में व० ।  
 रथसप्तमीकालनिर्णय ।  
 रविसंक्रान्तिनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।  
 रसामृतसिन्धु—सदाचारचन्द्रिका (सम्भवतः भक्तिपर) में व० ।  
 राघवभट्टीय—नि० सि० में व० ।  
 राजकौस्तुभ—(या राजवर्मकीस्तुभ) अनन्तदेव द्वारा । दे० प्रक० १०९ ।  
 राजवर्मसारसंग्रह—तंजौर के तुलाजिराज कृत कहा गया है (१७६५-१७८८) ।  
 राजनीति—अज्ञात ।  
 राजनीति—देवीदास द्वारा ।  
 राजनीति—भोज द्वारा ।  
 राजनीति—वररुचि (?) द्वारा । 'धन्वन्तरि....' आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध श्लोक से इसका आरम्भ है । दे० वनेल (तंजौर, पृ० १४१ बी) ।  
 राजनीति—काशी के हरिसेन ारा ।  
 राजनीतिकामवेनु—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर

द्वारा व०।  
 राजनीतिप्रकाश—मिनमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय का एक अंग। चौबन्धा स० मी० द्वारा प्रका०।  
 राजनीतिप्रकाश—रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा।  
 राजनीतिमयूख—नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है।  
 राजनीतिशास्त्र—चाणक्य द्वारा। ८ अध्याय एव लग० ५६६ श्लोको मे। वि० एव कीय (२, पृ० १८२)।  
 राजभूषणी—(नृपभूषणी) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु-स्मृति की कुल्लूकवृत्त टीका का उल्लेख है।  
 राजमार्तण्ड—भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० (स० ३४२, १८७९-८०) मे राजमार्तण्ड ग्रन्थ है, जिसमे धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख है और व्रतवन्द्यकाल, विवाहयुगकाल, विवाहाराधि-योजनविधि, सन्नान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, मेनादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि स० १६५५ चंव (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० गणपति द्वारा।  
 राजलासक—सरस्वतीविलास मे व० (मंसूरसस्करण, पृ० २१)।  
 राजवल्लभ—(सूत्रधार मण्डनमिश्र द्वारा ?) महादेव के मूहूर्तदीपक मे व०।  
 राजाभिषेक—अनन्त द्वारा।  
 राजाभिषेकप्रयोग—(नीलकण्ठ के नीतिमयूख से)।  
 राज्याभिषेक—(टोडरानन्द से)।  
 राज्याभिषेकपद्धति—दिनवरोद्घोत का एक भाग।  
 राज्याभिषेकपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।  
 राज्याभिषेकपद्धति—विश्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा।  
 राज्याभिषेकप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र वमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६।  
 राज्याभिषेकप्रयोग—माखनभट्ट के पुत्र रघुनाथ सख्त्र-स्थपति द्वारा।  
 रामकल्पद्रुम—वमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। दस वाण्डा मे विभक्त, यथा क्रम से—काल, धाढ, वन, मस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, राजनीति एव उत्स०। ओफेकट के मत से केवल

७ वाण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० मे उपर्युक्त वाण्ड हैं। १६४०-१६७० ई०। वीकानेर (पृ० ४४५-४४७)।

रामकौतुक—निर्णयामृत एव नि० सि० मे व०।  
 रामतत्त्वप्रकाश—सायण वृत्त माना गया है।  
 रामदेवप्रसाद—(उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय) दाम्भुदेव के पुत्र विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। गक स० १५०६ (१५८४ ई०) मे प्रणीत।  
 रामनवमीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा। नि० सि० उ० है।  
 रामनवमीनिर्णय—विट्ठलदीक्षित द्वारा।  
 रामनाथपद्धति—रामनाथ द्वारा।  
 रामनित्याचंनपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।  
 रामनिबन्ध—रीक्षितबाबू के पुत्र श्रीभवनन्दात्मज क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० मे प्रणीत (अलवर, स० १४३१)।  
 रामपूजाविधि—क्षेमराज द्वारा। अलवर (स० १४३२ एव उदरण ३४१)।  
 रामपूजापद्धति—रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० १०१)।  
 रामप्रकाश—(१) कालतत्त्वाणं पर एक टी०। (२) वृषाराम के नाम पर सगृहीत धार्मिक व्रती पर एक निबन्ध, वृषाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र के राजकुल के वंशज एव शौडक्षत्रकुलोद्भव कहे गये हैं, वे जहाँगीर एव शाहजहाँ के सामन्त थे। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५०२) के मत से कारीणार्य के पुत्र एव रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इम ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद्रि, माधव एव गौड के लेखको का आधार लिया गया है। अलवर (न० १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविद्वेचन पर आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण से ऐसा नहीं प्रतीत होता।  
 रामप्रसाद—देविण 'तीर्थरत्नाकर'।  
 रामानुजनिबन्धप्रयोग—दे० पीटर्सन (छठी रिपीट, पृ० १०७)।

रामार्चनचन्द्रिका—रघु० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० में व०।

रामार्चनचन्द्रिका—अच्युताश्रम द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमन्मुकुन्द वन के शिष्य आनन्द वनयतिद्वारा। पाँच पटलों में (ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक १६०७, अर्थात् १६८५ ई०)। चार पटलों में। वसिष्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विश्वरूप, सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० लघुदीपिका, गदाधर द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा।

रामार्चनदर्पण—अलवर (सं० १४३५)।

रामार्चनदीपिका।

रामार्चनपद्धति—रामानन्द द्वारा।

रामार्चनरत्नाकर—केशवदास द्वारा। अहल्याकामधेनु में व०।

रामार्चनपद्धति—शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० २१२) में रघु० द्वारा व०।

रामसिंहप्रकाश—गदाधर द्वारा।

रासयात्रापद्धति—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

रासयात्राविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

रुद्रकलशस्थापनविधि—नारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। रुद्रकल्प।

रुद्रकल्पतरु—(१) अज्ञात (बर्नेल, तंजीर, पृ० १३८ ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वेश्वर के पुत्र द्वारा।

रुद्रकल्पद्रुम—(या महा द्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टोडरानन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम-लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त।

रुद्रचिन्तामणि—(या द्रपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा (छन्दोगी के लिए)। बड़ोदा (सं० ८०१८)।

रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि—रामचन्द्र

विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण हैं।

रुद्रपद्धति—(१) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक औदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का वर्णन है। रुद्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण, पीठपूजा-विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ श्लोक हैं। सं० १५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका 'द्रकारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक अन्य छोटा निबन्ध, भूमिका कुछ अंश में समान है। १४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, पृ० ५८४)। (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित द्वारा। बड़ोदा (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८०९ अर्थात् १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के अनुसार रुद्रप्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी शाखाओं में वाचित होता है। आया है—'स्मार्त-रुद्रप्रयोगस्य वीधायनसूत्रमूलकत्वेन बहुवृत्तादीनां च तत्र वीधायनं ग्राह्यम्। पंचधा रूपं रुद्री लघुरुद्री महारुद्रोऽति द्रश्चेति एकादशगुणवृद्ध्या। सर्वञ्च त्रेधा जपरुद्री होमरुद्रोऽभिषेकरुद्रश्चेति।' इण्डि० आ० (पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु० की तिथि सं० १५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार उ० है।

रुद्रपद्धति—(मैत्रायणीय) बड़ोदा (सं० २४५२)।

रुद्रपद्धति—आपदेव द्वारा।

रुद्रपद्धति—सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा जाता है।

रुद्रपद्धति—रामेश्वरभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। 'यद्यप्यनेकासु शाखासु रुद्रः पठ्यते तथापि तैत्तिरीय-शाखानुसारेण रुद्रः पठ्यते।'

रुद्रपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। (शांखायनगृह्य के अनुसार)।

रुद्रपद्धति—रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ सं० (१६८२ ई०) है (वीकानेर पृ० ८०१)।

रुद्रपद्धति—शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)।

रुद्रपूजापद्धति—रीटर्सन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९)।

रुद्रविधानपद्धति—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा।

रुद्रविधानपद्धति—चन्द्रबुड द्वारा।

रुद्रविलासनिबन्ध—नन्दनमिश्र द्वारा।

रुद्रस्नानविधि—(या रुद्रस्नानपद्धति) नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्न में व०। लग० १५७०-१६०० ई०।

रुद्रप्रतिष्ठा।

रुद्रलयुन्यास—रुद्रपूजा के लिए नियमपद्धति।

रुद्रसूत्र—(या रुद्रयोग) उद्धव के पुत्र अन्तदेव (काशी के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रैविद्यमौढ (वाजसनेय शाखा के लिए) भी कहा जाता है। पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, पृ० १७५)।

रुद्राक्षयारण।

रुद्राक्षपरीक्षा।

रुद्रानुष्ठानपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२)। यह उपर्युक्त रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है।

रुद्रानुष्ठानपद्धति—सवज्ञ बुरुल के मंगनाथ द्वारा। महाशिव पर प्रबल रूप से आधारित।

रुद्रानुष्ठानपद्धति—बल्लालमूरि के पुत्र चक्र द्वारा। ब्रह्मोद्यानपद्धति में व०। लग० १७५० ई०।

रुद्रानुष्ठानपद्धति—(या दीपिका) दे० 'रुद्रपद्धति' ऊपर।

रुद्रानुष्ठानप्रयोग—मयूरेश्वर के पुत्र खण्डभट्ट (अयाचित) द्वारा।

रुद्रार्चनचन्द्रिका—गिवराम द्वारा।

रुद्रार्चनमन्त्ररी—वेदागाराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति।

रुद्रनारायणीय—(पद्धति) मन्दिगिह के पुत्र उदयगिह नारायण द्वारा। ड० का० (सं० २४०, १८८१-८२) में बनावली दी हुई है। दशमे तुंगभुवन आदि पारम्पर महादाना, शूरवारीनशापादिविधि, नवग्रहश्रीम,

अयुतहोम, लक्षहोम, दुर्गात्मव का वर्णन है। भोजराज, लक्ष्मीधर (बल्पतरु), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, पारिजात, हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वर्षदीप, महादानपद्धति (रूपनारायणइत) पर आधारित। नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, १४५०-१५२५ ई० के बीच।

रेणुकारिका—(या रेणुककारिका) दे० ऊपर 'पारस्करगृह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत। लक्षणप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा। वीरमिश्रोदय (राजनीति पर) का एक भाग। चौखम्मा सं० सी० में प्रका०।

लक्षणरत्नमालिका—विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित द्वारा। वर्णाश्रमाचार, देव, राज, उद्योग, शरीर पर पाँच पद्धतियाँ में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक लक्षणशतक की एक टीका है। दे० बर्नेल, तन्नौर (पृ० १३२ एवं १६४ वीं)।

लक्षणशतक—नारोजिपण्डित द्वारा।

लक्षणसंग्रह—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ३२८) एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि द्वारा। शरीर लक्षणों के एक प्राकृता पर। दे० बीकानेर (पृ० ४११)।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ८२३) एवं नि० मि० में व०।

लक्षणसारसमुच्चय—शिवलिङ्गों के निर्माण के नियम। ३२ प्रकरणा में।

लक्षहोमपद्धति—(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी दीक्षितद्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा। (३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्रक० १०३।

लक्षणसमुच्चय—महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

लक्ष्मीनारायणार्वाञ्छीमुदी—शिवानन्द तस्करा द्वारा। ५ प्रकाशा में।

लक्ष्मीसपर्यासार—श्रीनिवास द्वारा।

लघुकारिका—देवदत्त के पुत्र विष्णुगर्मा द्वारा (माध्यन्दिनशास्त्रा के लिए)। बड़ोदा (सं० १२०७२)।

तिथि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ संवत् ।

लघुकालनिर्णय—माधवाचार्य द्वारा । प्रथम दलोक 'व्याख्याय माधवाचार्यो धर्मान् पाराशरानय' है और अन्तिम है—'व्यतिपाते च वैधृत्यां तत्कालव्यापिनी तिथिः' (दे० वीकान्तेर, पृ० ४०८-४०९) ।

लघुचाणक्य ।

लघुचिन्तामणि—वीरेश्वरभट्ट गोडबोले द्वारा ।

लघुजातिविवेक—शूद्रकमलाकर में व० ।

लघुनारदस्मृति—नि० सि० एवं सं० की० में व० ।

लघुनिर्णय—शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा, सं० १२८५४) ।

लघुपद्धति—(या कर्मतत्त्वप्रदीपिका)—रघुनाथ के पुत्र पुरुषोत्तमात्मज कृष्णभट्ट द्वारा । कारिका, वृत्ति, वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित । आचार, व्यवहार पर विवेचन । नो० (जिल्द १०, पृ० २४८); बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संवत् १५९२, १५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यर्थ-सार का उल्लेख है । १३२०-१५०० ई० के बीच ।

लघुपाराशरस्मृति ।

लघुबृहस्पतिस्मृति ।

लघुयमस्मृति—अपरार्क (याज्ञ० १।२३८) एवं हलायुध (ब्राह्मणसर्वस्व) द्वारा उल्लिखित ।

लघुवसिष्ठस्मृति ।

लघुविष्णुस्मृति—अपरार्क एवं हलायुध (ब्राह्मणसर्वस्व) द्वारा व० । आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा प्रका० ।

लघुव्यास—संस्कारमयूख में व० । जीवानन्द (भाग २, पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका० ।

लघुशंखस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा प्रका० ।

लघुशांतातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) द्वारा प्रका० ।

लघुशौनकस्मृति—१४४ श्लोकों में (बड़ोदा, सं० ११८६३) ।

लघुहारीतस्मृति—अपरार्क द्वारा व० । आनन्दाश्रम

(पृ० १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ० १७७-१९१) द्वारा प्रका० ।

लघ्वत्रिस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा प्रका० । दे० प्र० १६ ।

लघ्वाश्वलायनस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) द्वारा प्रका० ।

ललितार्चनचन्द्रिका—विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द-नाथ द्वारा ।

ललितार्चनदीपिका ।

ललितार्चनपद्धति—स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदानन्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह ललितार्चनचन्द्रिका ही है ।

लवणश्राद्ध—(मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को लवण की रोटियों के अर्पण पर) ।

लिखितस्मृति—दे० प्र० १३ । जीवानन्द (भाग ३, पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२-१८६) द्वारा प्रका० । ड० का० (पाण्डु० ४४, १८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वर्ण्य-धर्म एवं प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं ।

लिङ्गतोभद्र ।

लिङ्गतोभद्रकारिका ।

लिङ्गधारणचन्द्रिका ।

लिङ्गधारणदीपिका ।

लिङ्गप्रतिष्ठा—अनन्त द्वारा ।

लिङ्गप्रतिष्ठापनविधि—अनन्त द्वारा (बीधायन के अनुसार) । इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५८४-५८५) ।

लिङ्गादिप्रतिष्ठाविधि—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा ।

लिङ्गार्चनचन्द्रिका—विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव दशपुत्र द्वारा जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत । लेखक ने आशीचन्द्रिका भी लिखी है । १८वीं शताब्दी का प्रथम चरण ।

लेखपंचाशिका—५० प्रकार के विकल्पपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों



एत्र लेख्यप्रमाणा पर सन् १२३२ ई० मे लिखित ।  
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२ ८३ ई०, स० ४१०,  
पाण्डु० तिथिस० १५३६ अर्थात् १४७९ ८० ई०) ।

लेखपद्धति—बचका विकल्पना, सन्धिया के विभिन्न प्रकारा पर ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक धे राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणा के उद्धरण के साथ, गायकवाड ओ० सी० (१९२५) ।

लेखनप्रणालि—वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा । उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक या मुहरिर के लिखने की कला) व नृपनीति पर ४६४ इलाहा मे एव ४ सर्वा० म । पाण्डु० १६२५ ई० म उतारी गयी (ओकस्ट का कंटाग) ।

लोकपालाप्टदान ।

लोकप्रकाश—भमेन्द्र द्वारा । ११वीं शताब्दी का उतरान । इसम लेख्य प्रमाणा बचक-भवा आदि के आदेश रूप वर्णित हैं ।

लोकसागर—अहल्यावामधनु मे व० ।

लोहितस्मृति ।

लौगाक्षिस्मृति—दे० प्रक० ५० ।

वगिपुरेश्वरकारिका—वगिपुरेश्वर द्वारा ।

वचनमग्रह—बडोदा (स० ५५०७) ।

वचनसमुच्चय—बीकानेर (स० ४८९) ।

वचनसारसग्रह—मुदराचाय के पुत्र श्रीसौ० ताताचाय द्वारा । मदनना० मे उ० ।

षटेश्वरसिद्धान्त—गदापर के कालसार म उ० ।

षट्समृति—कालभायव म एव मस्वरी द्वारा (गीतम-धमसूत्र मे) व० ।

षपननिगय ।

षरदराजीय—हुला (स० ४४८ रिपोर्ट १) ।

षर्गाहारविदेक—बैकटनाथ द्वारा ।

षर्णकाचार ।

षर्णसासन ।

षणसङ्करजानिभाला—भाणव राम द्वारा । नो० न्यु० (१ ५० ३३२) ।

षर्णसारमणि—वैश्याय दीक्षित द्वारा ।

षर्णाधमधर्म—वैश्याय दीक्षित द्वारा । सम्भवत् उप सुक्त ही है ।

षर्णाधमधर्मदीप—(या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय राधवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा । सत्सारा गोत्रप्रवरनिगय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, तुलापुष्ट, वास्तुविधि, आह्निकविधि, सवप्रायश्चित्त, मूर्तिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस म प्रणीत ।

षर्णाधमधर्मदीप—गोदावरी के तट पर स्थित महापट्ट के राजा कृष्ण द्वारा । बीकानेर (५० ४८९) । यह एक विशाल ग्रन्थ है ।

षर्णमानपद्धति—रघु० के श्राद्धतत्त्व मे व० । इसे नव्यवर्षमान० भी कहा जाता है ।

षर्णकृत्य—लक्ष्मीचर के पुत्र रुद्रधर द्वारा । १९०३ ई० म बनारस मे प्रका० । दुर्गात्सवविवेक (शूलपाणि कृत) म व० ।

षर्णकृत्य—चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा । सकान्ति एव १२ भागा के बती एव उत्सवो पर ।

षर्णकृत्य—विद्यापति द्वारा । १५वीं शताब्दी के लग० प्रथमाय म । रघु० के मलमासतत्त्व म व० ।

षर्णकृत्य—शङ्कर द्वारा । इसे स्मृतिमुवाकर या वप-कृत्यनिवध भी कहते है । बीकानेर (५० ४६८) ।

षर्णकृत्य—हरिनारायण द्वारा । से० प्रा० (स० ५०१७) ।

षर्णकृत्यतरण—इत्यमहाणव से ।

षर्णकृत्यप्रयोगमत (माला)—मानेश्वरशर्मा द्वारा । पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (विहार०, जिन्द १, न० ३१२ एव जे० बी० ओ० आर० एम्०, १९२७, भाग ३ एव ४, ५० ४) ।

षर्णकौमुदी—(या वपइत्यकौमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र गाविदानद द्वारा । विविलि० इण्डि० द्वारा प्रका० । दे० प्रक० १०११ ।

षर्णदण—दिवाकर की काल निगयचन्द्रिना मे एव समय मपूर्व मे व० । १६०० ई० के पूर्व ।

षर्णदीधिति—अनन्तदेव के स्मृतिर्कस्तुम का भाग ।

षर्णदीप—रूपनारायणीय म व० ।

षर्णदीपिका—चण्डेश्वर के इत्यत्सलाकर म व० ।

**वर्षभास्कर**—शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म-  
देव की आज्ञा से प्रणीत।

**वसन्तराज्य**—(उर्फ शकुनार्णव) शिवराज के पुत्र एवं  
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के  
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के  
अद्भुतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि-  
खित। ११५० ई० के पूर्व। टी० अकबर के शासन-  
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा।

**वसिष्ठकल्प**।

**वसिष्ठधर्मसूत्र**—दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा,  
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा-  
श्रम (पृ० १८७-२३१) द्वारा प्रका०। टी० यज्ञस्वामी  
द्वारा। वीधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटीका में व०।

**वसिष्ठसंहिता**—(या महासंहिता) शान्ति, जप, होम,  
वलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी  
विषयों पर ४५ अध्यायों में। अलवर (उद्धरण ५८२)।

**वसिष्ठस्मृति**—१० अध्यायों एवं लग० ११०० श्लोकों  
में। वैष्णव ब्राह्मणों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वारा-  
धन, श्राद्ध, आशीच, विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठा पर। इण्डि०  
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, सं० १३३९)। बड़ौदा  
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है।

**वसिष्ठस्मृति**—(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य,  
वेदमिश्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का  
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, लक्षहोम, कोटिहोम  
पर। यह वसिष्ठद्वारा माध्यन्दिनी शाखापर आधारित  
है। ड० का० (पाण्डु० सं० २४५, १८७९-८० ई०);  
बड़ौदा (सं० १४१२, संवत् १५६५, १५०८-  
९ ई०)। टीका में केवल श्लोकों के प्रतीक दिये गये  
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य  
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था।

**वसिष्ठहोमपद्धति**।

**वाक्यतत्त्व**—सिद्धान्तपंचानन कृत। धार्मिक कृत्यों के  
उपयुक्त कालों पर। द्वैततत्त्व का एक भाग।

**वाक्यमीमांसा**—नृसिंहप्रसाद में व०।

**वाक्यरत्नावलि**—गदाधर के कालसार में व०।

**वाग्भटस्मृतिसंग्रह**—अपरार्क द्वारा व०।

**वाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाश**—रामभद्रके पुत्र गी दत्त द्वारा।

**वातव्याधिकर्मप्रकाश**।

**वादभयङ्कर**—विज्ञानेश्वर के एक अनुयायी द्वारा, वीर-  
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०। कल्पतरु  
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में।

**वाधूलवृत्तिरहस्य**—(या वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य)  
संगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋणत्रयापाकरण, ब्रह्म-  
चर्य, संस्कार, आह्निक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर।

**वापीकूपतडागादिपद्धति**।

**वाप्युत्सर्ग**।

**वारव्रतनिर्णय**।

**वाराणसीदर्पण**—राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा।

**वामनकारिका**—श्लोकों में एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः  
खादिरगृह्य पर आधृत।

**वामनपद्धति**—श्राद्धसीस्य (टोडरानन्द) में व०।

**वाराहगृह्य**—गायकवाड़ सी० में २१ खण्डों में प्रका०।  
जातकर्म, नामकरण से पुंसवन तक के संस्कारों एवं  
वैश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर।

**वातिकसार**—तेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। १७८५ ई०  
में लिखित।

**वायिकृत्यनिर्णय**।

**वासकर्मप्रकाश**।

**वासिष्ठलघुकारिका**।

**वासन्तीविवेक**—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

**वासिष्ठीशान्ति**—विरुवनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा  
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा)। वीकानेर  
(पृ० ४९०)।

**वासुदेवी**—(या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४  
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम,  
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः  
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप-  
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम-  
प्रयोग, नूतनपिण्डका स्थापन, जीर्णपिण्डकाया देव-  
स्थापनप्रयोग का वर्णन है।

वास्तुचन्द्रिका—कृष्णाशंकर द्वारा।

वास्तुचन्द्रिका—कृपाराम द्वारा।

वास्तुतत्व—गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ ई०) में प्रका०।

वास्तुपद्धति—(या वास्तुधापन) बड़ोदा (सस्या १६७२)।

वास्तुपूजनपद्धति—परमाचार्य द्वारा।

वास्तुपूजनपद्धति—याज्ञिकदेव द्वारा।

वास्तुप्रदीप—वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०।

वास्तुयागतत्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

वास्तुस्लाबलि—जीवनाथ दैवज्ञ द्वारा। बनारस (१८८३) एव कलकत्ता (१८८५) में प्रका०।

वास्तुशान्ति—नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। आखलागनगृह के अनुसार। कमलाकरभट्ट के शान्तिरत्न में व०।

वास्तुशान्तिप्रयोग—शाकल्योक्त।

वास्तुशान्तिप्रयोग—दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत।

वास्तुशास्त्र—मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित।

वास्तुशिरोमणि—मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश से शंकर द्वारा। अलवर (स० ५७६)।

वास्तुसर्वस्वसंग्रह—वगलौर में सन् १८८४ में प्रका०।

विचारनिर्णय—गोपाल न्यायपचानन भट्टाचार्य द्वारा।

विजयदशमोनिर्णय।

विजयदशमोपद्धति—अलवर (स० १४४४ एव उद्धरण ३४४)।

विजयविलास—रामकृष्ण द्वारा। शीघ्र, स्नान, सध्या, ब्रह्मयज्ञ, निधिनर्णय पर। बकं, हरिहर एव गदाधर के भाष्य पर आधारित।

विज्ञानमार्तण्ड—नृसिंहप्रसाद में व०।

विज्ञानलक्ष्मि—हेमाद्रि (दानगण्ड, पृ० १०९) एव एव दानगार (नृसिंहप्रसाद के भाग) में व०।

विद्वन्मोक्ष—रामकृष्ण के ध्यात्मग्रह में व०।

विदुरनीति—महामारण के उद्योगपर्व के अध्याय ३३-४० बर्षई गस्करण में, गुजराती प्रेम द्वारा मुद्रित।

विद्याकरणपद्धति—नित्याचार्यदीप (पृ० ५६६, ५७१) में व०।

विद्याधरीविलास—रघु० के ज्योतिस्तत्व द्वारा व०।

विद्यारण्यसंग्रह—दे० स्मृतिसंग्रह।

विद्याविनोद—नि० सि० में व० (यह लेखक का नाम भी हो सकता है)।

विद्वन्मोहोहरा—मन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की टीका। दे० प्रक० १०५।

विधवापर्व।

विधवाविवाहलक्षण।

विधवाविवाहविचार—हरिमिश्र द्वारा।

विधानलण्ड—नि० सि० में व०।

विधानगुम्फ—अनन्त के विधानपारिजात में व०।

विधानपारिजात—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।

१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 'काण्वशाखाविदा प्रिय' कहता है। स्वस्तित्वाचन, शान्तिवर्म, आह्निक, मस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण-विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीय, दिवोदासीय, त्रिस्पर्शसेतु का उल्लेख है। विन्दि० इण्डि० द्वारा प्रका०।

विधानमाला—(या शुद्धार्थविधानमाला) अग्नि गौत के नृसिंहभट्ट द्वारा। वैराट देश में चन्दनगिरि के पास वसुमती के निवासी। मस्कारकौस्तुभ एव विधान-पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, स० १७६९), पाण्डु० म० १७३२ में उभारी हुई। आनन्दाधम द्वारा प्रका० १९२०। बड़ोदा (स० १०४४९, पाण्डु० तिथि स० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के पुत्र विश्वनाथ एव।

विधानमाला—रत्न द्वारा।

विधानमाला—विश्वकर्मा द्वारा।

विधानरत्न—नायण भट्ट एव।

विधानरहस्य—अट्ट्याशमधेनु में व०।

विधानसारसंग्रह—अज्ञात। दे० धीवानेर (पृ० ४४४)।

विधिपुष्पमाला—(पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। १३०० ई० के पूर्व।

विधिरत्न—गंगाधर द्वारा।

विधिरत्न—त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजात द्वारा व०।

विनायकपूजा—योगीश्वर के पुत्र एवं 'शौच' (शीचे) विरुद्ध वाले रामकृष्ण द्वारा। सन् १७०२ ई० में प्रणीत।

विनायकशान्तिपद्धति—इस पर श्रीधराचार्य की टी० है। वड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०-५१ ई०)।

विबुधकण्ठभूषण—त्रैकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०।

विभक्ताविभक्तनिर्णय।

विभागतत्त्व—(या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। लग० १५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध दाय, मुख्यगीण पुत्रों, विभागकाल, अपुत्रदायादक्रम, उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० 'आतरः' तक है।

विभागनिर्णय।

विभागसार—विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिंहात्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, विभागस्वरूप, दायानर्ह, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादशविध पुत्र, अपुत्रधनाधिकार, संसृष्टविभाग पर। नो० न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)।

विभूतिधारण।

विमलोदयमाला—(या विमलोदयजयन्तमाला) आश्वलायनगृह्यसूत्र पर एक टी०।

विरुद्धविधिविध्वंस—मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं भगवद्बोधभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामह के भाई स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी (सांभर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। नुरुष्कों द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं

सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन। स्कन्द ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और वामन अणहिल्लपाटक में चले गये। कुल मूलरूप में आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ० ४८९, सं० १५७७) पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चैत्र, अर्थात् १५२६ ई०। धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर।

विलक्षणजन्मप्रकाशिका।

विलाससंग्रहकारिका—गदाधर के कालसार द्वारा व०।

विवस्वत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा व०।

विवादकल्पतरु—(लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक अंश)। दे० प्रक० ७७।

विवादकौमुदी—पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक १५२९, अर्थात् सन् १६०४ ई० में प्रणीत। लेखक आसाम के राजा के संरक्षण में था।

विवादचन्द्र—मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७।

विवादचन्द्रिका—अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एवं स्मार्तभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के पश्चात्।

विवादचन्द्रिका—चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक वर्धमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के १८ विषयों एवं विवाद प्रकाशों पर। लग० १४५० ई०।

विवादचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८। बम्बई में मुद्रित।

विवादताण्डव—कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६।

विवादनिर्णय—गोपाल द्वारा।

विवादनिर्णय—श्रीकर द्वारा।

विवादभंगार्णव—जगन्नाथ तर्कचाननद्वारा। दे० प्रक० ११३। कोल्लुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के अनुवाद उपस्थित किये हैं। नो० न्यू० (जिल्द १, भूमिका, पृ० १३१४)।

विवादरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

विवादवारिधि—रघुपति उपाध्याय सन्निध द्वारा।  
व्यवहार के १८ आगमों पर।

विवादव्यवहार—गोपाल मिदान्तवागीश द्वारा।

विवादसार—कुल्लूककृत। लेखक के थादसागर में  
व०। दे० प्र० ८८।

विवादसाराण्व—सर विलियम जास के कहने पर सन्  
१७८९ ई० में सर्वोद शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरगा  
में सगृहीत। इसमें आया है—'सर्विल्य मिस्तर-  
श्रीजोत्समहीपात्रित्त' आदि। भद्राम गवर्नमेण्ट  
पाण्डु०, जिल्द ६, पृ० २४०७, स० ३२०३।

विवादसिन्धु।

विवादाण्वमञ्जन—(या भङ्ग) गौरीपान्त एव अन्य  
पण्डिता द्वारा सगृहीत। ४० का० पाण्डु० स०  
३६४ (१८७५-७६ ई०), नो० (जिल्द ९, पृ०  
२४४, स० ३१६५)।

विवादाण्वसेतु—वाग्देवर एव अन्य पण्डिता द्वारा  
कारेन हेस्टिंग्स के लिए सगृहीत एव हल्हेड द्वारा  
अग्नेजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका०)। ऋगा-  
दान एव अन्य व्यवहाररपदा पर २१ ऊर्मियों (लहरो  
अर्थान् प्रकरणों) में विभाजित। बम्बई के बेंचटश्वर  
प्रस में मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह  
ग्रन्थ रणजीतसिंह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत  
हुआ था। अन्त में प्रणेता पण्डिता के नाम आये हैं।  
नो० (जिल्द १०, पृ० ११५-११६) एव नो० न्यु०  
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डिता के नाम  
तो आये हैं, किन्तु रणजीतसिंह का उल्लेख नहीं है।

विवादायंसग्रह।

विवाहकर्म—मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

विवाहकर्मपद्धति—दे० विवाहपद्धति।

विवाहकर्ममन्त्रव्याख्या सुबोधिनी—अलवर (सहा  
१४५२)। हरिहर पर आधारित है।

विवाहकर्मसमुच्चय—पाण्डु० सन् १११३ ई० में उत्तारी  
गयी। ह० प्र० (पृ० ११)।

विवाहकौमुदी—मे० प्रा० (स० ५१४०-४१)।

विवाहचतुर्थोर्ध्वं।

विवाहतत्त्व—(या उदाहृतत्त्व) रघु० द्वारा। दे० प्र०  
१०२। टी० कासीराम द्वारा।

विवाहतत्त्वार्णव—रघु० के उदाहृतत्त्व (जिल्द २, पृ०  
११७) में व०।

विवाहद्विरागमनपद्धति।

विवाहिनिरूपण—तन्दभट्ट द्वारा।

विवाहिनिरूपण—वैद्यनाथ द्वारा।

विवाहपटल—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवत  
बराहमिहिर या शाङ्गवर का ज्योतिष-सम्बन्धी  
ग्रन्थ।

विवाहपटल—सारगपाणि (शाङ्गपाणि?) द्वारा, जो  
मुकुन्द के पुत्र थे।

विवाहपटल—हरिदेवमुरि द्वारा।

विवाहपटलस्तवक—योगमुन्दर-शिष्य द्वारा। बड़ौदा  
(स० १३३)।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय)।

विवाहपद्धति—गौरीशंकर द्वारा।

विवाहपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

विवाहपद्धति—जगन्नाथ द्वारा।

विवाहपद्धति—नरहरि द्वारा।

विवाहपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

विवाहपद्धति—रामचन्द्र द्वारा।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिकर्मपद्धति) देवादित्य के  
पुत्र गणेश्वरताम्रज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक  
जण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०-  
१३६० ई० में थे। आम्बुदयिकथाद, विवाह,  
चतुर्पाकर्म, पुसवन एव समावर्तन तक के अन्य  
संस्कारों पर। वाजसनेधियों के लिए।

विवाहपद्धति—अनूपविलास से।

विवाहपद्धतिव्याख्या—गूढडभल्ल द्वारा।

विवाहप्रकरण—कर्क की लघुवारिका से।

विवाहस्त—हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में।

विवाहस्तसंक्षेप—क्षेमकर द्वारा।

विवाहसुधावन—राणिग या राणग के पुत्र केशवाचार्य  
द्वारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्यायों में।

एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग १, पृ० १०१ सं० ३२३। महादेव के मूर्त्तिदीपक एवं टीडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केवल के पुत्र गणेशदेवद्वारा; शक १४७६ (१५५४-५, ई०), दे० बी० बी० आर० ए० एम्० (भाग १, पृ० ११०, सं० ३३४) और भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, पृ० ६७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने गर्वप्रथम 'ग्रहणापव' लिखा और तब 'आह्न-निधि' और तब मुहूर्तत्रय की टी० लीलावती पर एक टी०। टी० कल्याणवर्मा द्वारा।

विवाहसौख्य—नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टीडरानन्द का एक अंश है।

विवाहाग्निनष्टिप्रायश्चित्त।

विवाहादिकर्मानुष्ठानपद्धति—भवदेव द्वारा।

विवाहादिप्रयोगतत्त्व—रघु० का कहा गया है (नो०, जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)।

विवाहयज्यास्वरूपनिर्णय—अनन्तराम शास्त्री द्वारा।

विविधविद्याविचारचतुरा—भोज द्वारा। कुछ देशों को प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में। ह० प्र० (पृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ (१४९०-९१ ई०)। यह धारेश्वर भोज से भिन्न है।

विवेककौमुदी—रामकृष्ण द्वारा। शिवा एवं यज्ञोपवीत धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक-धारण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड्र, प्रतिष्ठीत्सर्गभेद के विषय में विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० १०५-१०७)।

विवेकदीपक—दामोदर द्वारा। महावातों पर। संग्राम-साह के तत्त्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ (१५८२ ई०)।

विवेकमंजरी।

विवेकसारवर्णन।

विवेकार्णव—श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वार्णव में व०। १४७५-१५२५ ई०।

विद्वत्सिद्धिदर्पण—रघु० द्वारा। आर्मान के दो प्रकारों (जननामीच एवं शावामीच) पर।

विश्वदीप—आचारार्क में वर्णित।

विश्वदेवदीक्षितीय।

विश्वनाथमट्टी—शे० प्रा० (सं० ५१९७)।

विश्वप्रकाश—उ० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४-८६)। राजगनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, कृष्णकृष्णनाष्टमीनिर्णय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे आह्निक कर्मों पर।

विश्वप्रकाशिकापद्धति—नारायणाचार्य के पुत्र त्रिविक्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एवं प्रायश्चित्तों पर; आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में प्रणीत। दे० नो० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५)।

विश्वम्भरशास्त्र—भूद्रकमलाकर में व०।

विश्वरूपनिवन्ध—कृत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ६०। वीकानेर (पृ० ४९७, सं० १९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं सातवीं पीढ़ी के उपरान्त।

विश्वरूपसमुच्चय—रघु० द्वारा उद्गाहृतत्व में (जिल्द २, पृ० ११६) व०।

विश्ववादश—गीतार्थप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कविकान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ स्रग्वरा श्लोकों एवं एक अनुष्टुप् छन्द में शौच, वन्तवावन, कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवतार्चन, दान के आह्निक कृत्यों पर; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ श्लोक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनुष्टुप्, मन्दाक्रान्ता आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ श्लोकों (सभी स्रग्वरा, केवल अन्तिम मालिनी) में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ श्लोकों (शादूलविक्रीडित, शिखरिणी, अनुष्टुप् आदि छन्द) में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थ, काशीमाहात्म्य

पर। लेख के आश्रयदाता वार्गीस्य नामार्जुन के पुत्र धन्य या धन्यराज थे। मुञ्ज, धारिदर, मघानिधि एव विज्ञानेश्वर की जीर मकेन है। हेमाद्रि (३१२, पृ० १०२, जो विश्वादर्ग ३।३७ की टीका में आया है) एव स्मृतिचन्द्रिका (आगीच, मंसूर मस्वरण, पृ० १६४—'पवित्रता तन्वदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति चित्यपिरोहणेन। दद्याहोर्नो मनुष्यस्य शुद्धि श्राद्धद्वयं स्यात्पुण्येनकाले॥') द्वारा व०। ११०० ई० के पदचान् एव १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर मग्रह की दो पाण्डुलिपियाँ। टी० लेखक द्वारा (बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग २ पृ० २२९-२३१)।

विश्वामित्रकल्प—ब्राह्मणा के आह्वित कृत्या पर।

विश्वामित्रकल्पतट।

विश्वामित्रमहिता—श्रीपर द्वारा।

विश्वामित्रस्मृति—दे० प्रक० ५७।

विश्वेश्वरनिबन्ध—मस्कारमयूख में व०। सम्भवत मदनसारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका।

विश्वेश्वरपद्धति—नन्याम पर विश्वेश्वर द्वारा। मस्कार-मयूख में व०।

विश्वेश्वरस्मृति—दुरुय (म० ६९)।

विश्वेश्वरस्मृतिभास्कर—दुरुय (म० १४४)।

विश्वेश्वरीपद्धति—(या यतिप्रमंमग्रह) चिदानन्दाश्रम के सिष्य अच्युताश्रम द्वारा। ज्ञानार्णव का उल्लेख है।

विश्वेश्वरीस्मृति—अच्युताश्रम द्वारा।

विषयटिकाजननशान्ति—(या विपनाडीजननशान्ति, वृद्धगार्ग्यसहिता से) विषयटिका नामक चार काला में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिकटा के निवारणार्थ कृत्या पर।

विष्णुतत्त्वप्रकाश—वनमाली द्वारा। भाष्य अनुयायियों के लिए स्मार्त कृत्या पर एक निबन्ध।

विष्णुतत्त्वविनिर्णय—आनन्दतीर्थ द्वारा।

विष्णुतीर्थीयव्याख्यान—भुरीरत्तमाचार्य द्वारा।

विष्णुधर्मश्रीमांसा—मामभट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा। अलवर (स० १४५७)।

विष्णुधर्मसूत्र—दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, पृ० ६०-१७६)। टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५। नटवल्लभविलास में व०।

विष्णुधर्मोत्तरामृत—जीमूतवाहन के कालदिवेक में व०। विष्णुधर्मज्ञानमदीपिका—शिवगकर द्वारा। टी० सदानन्द द्वारा।

विष्णुपूजापद्धति।

विष्णुपूजाविधि—सुवदेव द्वारा। बडोदा (म० ५४८७, पाण्डुलिपि लेखक की बही गयी है, मवन् १६९२, अर्थात् १६३५-६ ई०)।

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति।

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्पण—भाषवाचार्य के पुत्र नरसिंह मोंमयाजी द्वारा।

विष्णुभक्तिचन्द्र—निर्गमदीपक में व०।

विष्णुभक्तिचन्द्रोदय—नृसिंहारण्य या नृसिंहाचार्य द्वारा। १९ कलाश्री में, द्रव्यसुद्धिदीपिका में पुरोरोत्तम द्वारा व०। मुख्य वैष्णव धर्मों, उत्सवों, कृत्यों पर। पाण्डु० तिथि मवन् १४९६ (१४४० ई०), भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६)।

विष्णुभक्तिरहस्य—रामानन्द द्वारा व०।

विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठाविधि—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव द्वारा। वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नृसिंहपरिचर्या-पद्धति नामक बृहत् ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु० सवन् १६७५ में उत्तारी गयी।

विष्णुयागपद्धति—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर (स० १४५८), बडोदा (स० २२६४, चक्र १६०४)। विष्णुरहस्य—अपरार्क, दानसागर एव जीमूतवाहन के कालदिवेक द्वारा व०।

विष्णुधाढ़—गोभिलगूह में नारायणबलि का एक भाग।

विष्णुधाढ़पद्धति—(या वीरपूजापद्धति)।

विष्णुधाढ़पद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। बडोदा (स० ८१७१)।

विष्णुसमुच्चय—अपराजित, मदननारिज्ञान (पृ० २९१)  
द्वारा व०।

विष्णुस्मृति—दे० विष्णुधर्मसूत्र।

वीरनारसिंहायलीकन—दे० वीरसिंहायलीकन।

वीरमित्रोदय—भिनमित्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर  
टी०। आचार पर चार भाग। चौगम्भा सीरीज  
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८।

वीरसर्वधर्मनिर्णय।

वीरसिंहमित्रोदय—(मंस्कार-प्रकरण) नाम ज्योतिषिद्  
द्वारा।

वीरसिंहायलीकन—(या विलोकन) तीमरवशकेकमल-  
सिंहात्मज देवधर्मा के पुत्र वीरसिंह राजा द्वारा।  
इस जन्म में दिये गये पार्वी की ज्ञान्ति पर। व०  
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पृ०  
१८९)। ल० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की  
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह अनुसू,  
ज्योतिषाग्रज एवं वंशज्ञान का मर्मज्ञ है।  
यह गण, गीता, भाषिण, गुरु, वना, पुत्राग  
पर आश्रित है। ई० पूर्विक भी कहा गया  
है।

वृक्षोद्यापन।

वृत्तरत्नप्रदीपिका—डा. जे. को उपरान्त वंशके के उचित  
काल पर। वास्तव वेदान्तदास द्वारा।

वृत्तशतसंग्रह—(या वृत्तशतक) मनीरथ के पुत्र एव  
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। सि० सि०  
एवं गौचिन्दार्णव में व०। ज्योतिष ग्रन्थ। लग०  
११००-११५० ई०। यागद्विधि, नक्षत्र द्विधि,  
भूभाभिकेक, यात्रा, गोचरद्विधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा  
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० ८१७३)।

वृद्धगीतमसंहिता—जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७-  
६३८) द्वारा मुद्रित।

वृद्धपाराशरीसंहिता—(१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध  
पराशरसंहिता, प्रक० ३५।

वृद्धशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० २३२-२३५)  
द्वारा मुद्रित।

वृद्धहारीतस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४  
४०९) एव आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा  
मुद्रित।

वृद्धात्रिस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९)  
द्वारा मुद्रित।

वृद्धश्राद्ध।

वृद्धश्राद्धदीपिका—उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धश्राद्धपद्धति—वनारम में उद्धवद्विवेदी के पुत्र  
अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धश्राद्धप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का  
एक अंग)।

वृद्धश्राद्धविधि—रुद्रगोशंकर द्वारा।

वृद्धश्राद्धविनिर्णय—(माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र  
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)।

वृन्दावनपद्धति—वल्लभाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों  
के लिए।

वृषभदान।

वृषभोत्सर्ग।

वृषोत्सर्गकौमुदी—रामकृष्ण द्वारा।

वृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम  
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा।

वृषोत्सर्गपद्धति—तातीयगोत्रा से सम्बद्ध; शीनककृत  
कही गयी है।

वृषोत्सर्गपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

वृषोत्सर्गपरिशिष्ट।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(वाचस्पतिसंग्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों  
के लिए (वैवायनीय)।

वृषोत्सर्गप्रयोग—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।  
ना० वृषोत्सर्गप्रयोग नाम भी है।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा  
गया है।

वृषोत्सर्गभाष्य—स्टीन (पृ० १०४)।

वृषोत्सर्गविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

वृषोत्सर्गविपद्धति—कात्यायनकृत; ३०७ श्लोकों में।  
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२)।



वेगराजसंहिता—वेगराज द्वारा। स० १५५९ (रुद्रोप-  
वाणकारी), अर्थात् १५०३ ई०।

वेणी—याज्ञा के पूर्व वरण-पूजा की विधियों के विषय में।  
वीरानेर (पृ० ४९२)।

वेणुगोपालप्रतिष्ठा।

वेदव्यासस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा  
मु०।

वेदप्रत।

वेदानध्याय—वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में।

वैखानसधर्मप्रश्न—दे० प्र० १५। टी० भाववाचार्थ के  
पुन नृसिंहवाजपेयी द्वारा।

वैखानसधर्मप्रश्न—(वैखानसस्मार्तसूत्र के लिए मन्त्र)  
८ प्रश्ना में (चार प्रश्न सन् १९१० में कुभक्वोणम्  
द्वारा मुद्रित हुए)।

वैखानससंहिता—कालभाषकीय, नि० सि० एव समय-  
मसूख द्वारा ब०।

वैखानससूत्रदर्पण—भाववाचार्थ वाजपेययाजी के पुन  
नृसिंह द्वारा। वैखानसगृह्य के अनुसार घरकृष्ट्या  
पर एक लघु पुस्तिका। इलहौर में सन् १९१५ ई० में  
मुद्रित।

वैखानससूत्रानुक्रमणिका—ऋण्टपाचाम के पुन वेंकट-  
यामी द्वारा।

वैखानसस्मृतिसूत्र—१० प्रश्ना में (गृह्य के ७ एव धर्म  
के ३)। सन् १९१४ में कुम्भकाणम् द्वारा एव  
विन्डि० इण्डि० सीरीज में डा० कैलण्ड द्वारा अनूदित।  
(१९२७ एव १९२९)। टी० भाववाचार्थ के पुन  
नृसिंह वाजपेयी द्वारा।

वैजयन्ती—नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०,  
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्र० १०५।

वैतरणीदान—वैतरणी पार करण के लिए काली गाय के  
दान पर।

वैतरणीदानप्रयोग—स्टीन (पृ० १०४)।

वैदिकप्रक्रिया।

वैदिकविजयध्वज।

वैदिकाचारनिर्णय—सच्चिदानन्द द्वारा।

वैद्यनाथसंग्रह।

वैद्यनाथीय—दे० स्मृतिमुक्ताकल।

वैशम्पायननीतिसंग्रह—दे० नीतिप्रवादा (-प्रकाशिका)।

वैशम्पायनस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३२६) एव  
अनराकं द्वारा वर्णित।

वैष्णवचन्द्रिका—रामानन्द न्यायवागीश द्वारा।

वैष्णवधर्मसङ्गठन—बडोदा (स० १७४१)। पुण्ड्रपारण  
आदि के विरोध में।

वैष्णवधर्मपद्धति—कृष्णदेव द्वारा।

वैष्णवधर्ममीमांसा—अनन्तदास द्वारा।

वैष्णवधर्मशास्त्र—१०९ श्लोका में, सत्कार, गृहधर्म,  
आश्रमा, पारिव्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय।

वैष्णवधर्मसुरद्रुममञ्जरी—निम्बार्क अनुगामी वेद्य  
काश्मरी के अनुयायी सकर्यणशरण द्वारा।

वैष्णवधर्मनिष्ठानपद्धति—रामाचार्य के पुन कृष्णदेव  
द्वारा।

वैष्णवनिर्णय—अत्वर (स० १४६६)।

वैष्णवप्रक्रिया—वेदकूडालभग द्वारा। विज्ञानेश्वर,  
नि० सि० एव सुष त्रिलाचन का उल्लेख है।

वैष्णवलक्षण—कृष्णताताचार्य द्वारा।

वैष्णवसर्वस्व—हृण्णुवृत्त। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि-  
खित।

वैष्णवसिद्धान्तदीपिका—गृहर के पुन कृष्णात्मज रामचन्द्र  
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुन नृसिंहाम्बर  
विठ्ठल द्वारा।

वैष्णवाचारसंग्रह।

वैष्णवामृत—आह्वितस्व (रघु० वृत्त) एव नि० सि०  
में ब०।

वैष्णवामृत—भोलानाथ द्वारा। नी० (जिल्द ६, पृ०  
१८५-६)।

वैष्णवाह्निक—बडोदा (स० १०५४३)।

वैष्णवोपयोगिनिर्णय—ड० का० पाण्डु० (स० १६०,  
१८८४-८६) तिथि सन् १७३२ (१६७५-६ ई०)।  
इसमें प्रह्लादसहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख  
है। कठशास्त्रा एव अथर्ववेद (एभिर्वैष्णु तमसं

चिह्नरङ्गिता लोके शुभगा भवेत्) से श्लोक उद्धृत कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया गया है।

व्यतिपंगनिर्णय—रघुनाथ भट्ट द्वारा।

व्यतीपातजननशान्ति—कमलाकर भट्ट द्वारा।

व्यतीपातप्रतकल्प ।

व्यतीपातप्रकरण ।

व्यवस्थादर्पण—रामशर्मा के पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा।

तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशीच, श्राद्ध, दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-श्रुतियों एवं नियमों पर। नो० (जिल्द ८, पृ० २११)।

व्यवस्थादीपिका—राधानाथ शर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ८४)। केवल आशीच पर।

व्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। तिथि, संक्रान्ति, आशीच, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर।

व्यवस्थाप्रकाश ।

व्यवस्थारत्नमाला—गदाधर के पुत्र लक्ष्मीनारायण न्यायालंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर १० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विधानमाला का उल्लेख है।

व्यवस्थार्णव—अज्ञात।

व्यवस्थार्णव—रघुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर।

व्यवस्थार्णव—रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा।

व्यवस्थार्णव—रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय के अन्तर्गत।

व्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा।

व्यवस्थासंग्रह—गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधिकार पर निर्णय।

व्यवस्थासंग्रह—महेश द्वारा। आशीच, सपिण्डीकरण, संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आह्निक, देव-प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आवृत्त।

व्यवस्थासार—नारायणशर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० ४५२)। आह्निक, आशीच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, श्राद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न।

व्यवस्थासारसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार नियम पर। इसे व्यवस्थासारसंचय भी कहा गया है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० आ०, पृ० ४५३) जिसमें व्यवत है कि ग्रन्थ में आशीच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण है।

व्यवस्थासारसंग्रह—महेश द्वारा। सम्भवतः यह व्यवस्थासंग्रह ही है।

व्यवस्थासारसंग्रह—मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशीच आदि पर। नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नो० न्यू० (१, पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के रामगोपाल का पुत्र कहा गया है।

व्यवस्थासेतु—ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है।

व्यवहारकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। धर्मतत्त्व का सातवाँ प्रकरण।

व्यवहारकल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश)। दे० प्रक० ७७।

व्यवहारकोश—वर्धमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।

व्यवहारकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५)।

व्यवहारचण्डेश्वर—संस्कारमयूख में व०।

व्यवहारचन्द्रोदय—कीर्तिचन्द्रोदय का भाग। न्याय-सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर।

व्यवहारचमत्कार—नाथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज रूपनारायण द्वारा। संवत् १६३७ (१५८०-८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (६० का० पाण्डु० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, पृ० ९१)। गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित फलित ज्योतिष पर।

व्यवहारचिन्तामणि—वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८।

भाषा, उत्तर, क्रिया एव निर्णय पर। नो० (जिल्द ३, पृ० ३४)।

व्यवहारतत्त्व—गङ्गारभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

व्यवहारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्र० १०२।

व्यवहारतत्त्वालोक—देविए व्यवहारलोक।

व्यवहारतिलक—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्र० ७३।

व्यवहारदर्पण—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के अर्थ, विवाहपद, प्रतिवाद, साक्षी-भाषन, साक्षियों, लेखप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर।

व्यवहारदर्पण—रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, उत्तर, प्रत्यवत्कन्दन, प्राद्वन्पाय, साक्षी, लिखित, मुक्ति, जयपत्र पर।

व्यवहारदशश्लोकी—(या दायदशक) श्रीधरभट्ट द्वारा।

व्यवहारद्वीपिति—राजधर्मकौस्तुभ का एक अंग।

व्यवहारद्वीपिका—दिव्यतत्त्व म रघु० द्वारा उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—(गौड) द्वादकमलाकर में उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—नारसी निवासी भयाराममिथ गौड द्वारा (जयतिह के आदेश से)। न्याय-विधि एव व्यवहार-पदा पर। ३० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) स० १८८५ (१७९८-९९ ई०) में उत्तारी गयी।

व्यवहारनिर्णय—वरदराज द्वारा। स० वि० एव नि० सि० म व०। १५०० ई० के लगभग प्रगीत (वर्नेल न अनूदित किया है)।

व्यवहारनिर्णय—श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एव तिथि-तत्त्व में व०। सम्भवत धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष की बात पर।

व्यवहारपदव्यास—दे० ट्राएनिएल कंट०, मद्रास, पाण्डु० सन् १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यवहारवाचकनवधर्म, प्राङ्गुविवाहधर्म, समालक्षण, सम्भलक्षण, सम्प्रोपदेश, व्यवहारस्वरूप, विवाहविधि एव भाषानिरूपण नामक ८ विषय पर।

व्यवहारपरिभाषा—हरिदत्त मिश्र द्वारा।

व्यवहारपरिचिह्न।

व्यवहारप्रकाश—मिश्रमिश्र द्वारा (वीरमिनोदय का अंग)। दे० प्र० १०८।

व्यवहारप्रकाश—शरभोजी (तजौर के राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा।

व्यवहारप्रकाश—हरिराम द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—कल्याणवर्मा द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—कृष्ण द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्योतिष पर। ह० प्र० (० २० एव २५३), रघु० के दिव्यतत्त्व में व०।

व्यवहारप्रदीप—पचनाभ मिश्र द्वारा। न्याय सम्बन्धी विधि पर।

व्यवहारप्रदीपिका—वर्धमान द्वारा व०।

व्यवहारमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७। मण्डारकर आ० इस्टि०, पूना, जे० आर० घरपुर, बम्बई एव वी० एन्० मण्डलिक द्वारा मुद्रित।

व्यवहारमातृका—(या न्यायमातृका) श्रीमूलवाहन द्वारा। दे० प्र० ७८।

व्यवहारमाधव—पराशरमाधवीय का तृतीय भाग।

व्यवहारमाला—वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। मलावार में अधिक प्रयुक्त।

व्यवहारमालिका—बडोदा (स० ६३७३)।

व्यवहाररत्न—भीमालवश चन्दनानन्द के पुत्र भानुदाय देवन द्वारा।

व्यवहाररत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

व्यवहाररत्नावली।

व्यवहारसिरोमणि—विज्ञानेश्वर सिष्य नारायण द्वारा। दे० प्र० ७०। ट्राएनिएल कंट० मद्रास, जिल्द ३, भाग १, पृ० ३९३८, स० २७५०।

व्यवहारसमुच्चय—हरिगण द्वारा।

व्यवहारसमुच्चय—रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातृत्व में एव नि० सि० में उल्लिखित।

व्यवहारसर्वस्व—विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा।

व्यवहारसार—मयाराम मिश्र द्वारा।

व्यवहारसार—नि० सि० एव निर्णयदीपक में व०।

व्यवहारसारसंग्रह—नारायण धर्मा द्वारा।

व्यवहारसारसंग्रह—रामनाथ द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १९२)।

व्यवहारसारोद्धार—मधुसूदन गोस्वामीद्वारा लाहौर के रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन् १७९९ ई०)।

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष—कोलकुक के अनुरोध पर नंदी-पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।

व्यवहारसौख्य—टांडरानन्द का एक अंश।

व्यवहारांगस्मृति सर्वस्व—जयसिंह के आदेश से बनारस के मयाराममिश्र गीड़ द्वारा। न्याय-विधि एवं व्यवहार-पदों का विवरण।

व्यवहारादर्श—चक्रपाणि मिश्र द्वारा। ड० का० पाण्डु० सं० २४७ (१८८७-९१ ई०)। भोजनविधि, अभो-ज्यान्त पर। पाण्डु० अधूरी है।

व्यवहारार्थसार—मधुसूदन द्वारा। यह व्यवहारसारोद्धार ही है।

व्यवहारार्थस्मृतिसारसमुच्चय—शरभोजी (तंजीर के राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह व्यवहारप्रकाश ही है।

व्यवहारालोक—गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा।

व्यवहारोच्चय—सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, नि० सि०, गोविन्दाण्व, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व।

व्याघ्रस्मृति—(या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३०), अपरार्क, हरदत्त द्वारा व०।

व्यासस्मृति—दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ० ३२१-३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा मु०। लग० २४८ श्लोक। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

व्रजतत्त्व।

व्रजपद्धति।

व्रतकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

व्रतकल्प—निर्णयदीपक द्वारा उ०।

व्रतकालनिर्णय—आदित्यभट्ट द्वारा।

व्रतकालनिर्णय—भारतीतीर्थ द्वारा।

व्रतकालनिष्कर्ष—मधुसूदन वाचस्पति द्वारा।

व्रतकालविवेक—शूलपाणि कृत। दे० प्रक० ९५।

व्रतकौमुदी—रामकृष्णभट्ट द्वारा।

व्रतकौमुदी—शङ्करभट्ट द्वारा।

व्रतकौस्तुभ।

व्रतखण्ड—चतुर्वर्गचिन्तामणि का प्रथम भाग।

व्रतचूडामणि।

व्रततत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

व्रतनिर्णय—औदुम्बरपि द्वारा।

व्रतपञ्जी—द्रौणकुल के देवसिंह-पुत्र नवराज द्वारा।

व्रतपद्धति—एश्वर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक० ९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत् (ल० सं०) ३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३।

व्रतप्रकाश—वीरमित्रोदय का एक अंश।

व्रतप्रकाश—देखिए व्रतराज।

व्रतप्रकाश—अनन्तदेव द्वारा।

व्रतप्रतिष्ठातत्त्व—रघु० द्वारा। देखिए 'व्रततत्त्व'।

व्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—(या साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग)।

व्रतबन्धपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा। वाजसनेयशाखा के लिए।

व्रतबोधविवृति—(या व्रतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, व्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादिब्रत, मासनिरूपण, वैशाखादिचैत्रान्तमासकृत्यनिरूपण पर वैष्णवों के लिए पाँच परिच्छेद। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १८२)।

व्रतरत्नाकर—सामराज द्वारा। शोलापुर में सन् १८७१ ई० में मुद्रित।

व्रतराज—क्रीण्डभट्ट द्वारा।

व्रतराज—(व्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। शक १६५८ (अर्थात् १७३६ ई०) में बनारस में संगृहीत। ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे। कई बार बम्बई में प्रका०। नैकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण नवीनतम है।

व्रतवल्ली।

व्रतविवेकभास्कर—वृष्णचन्द्र द्वारा।

व्रतसंग्रह—कर्णाटवध के राजा हरिसिंह के आदेश से प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थीका।

व्रतसमुच्चय—निर्णयदीपक द्वारा व०।

व्रतसंग्रह।

व्रतसागर—चण्डेश्वर द्वारा वर्णित।

व्रतसार—गदाधर द्वारा।

व्रतसार—दलपति द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंग)।

व्रतसार—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९।

व्रताचार—गंगोली सञ्जीवेश्वर धर्मा के पुत्र रत्नपाणि धर्मा द्वारा खण्डवरु कुल के छत्रसिंह - पुत्र रत्नसिंहात्मज मिथिला के राजा महेश्वरसिंह की आज्ञा से लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एव ज्योतिर्वन्ध को उ० किया है।

व्रतार्क—गदाधर दीक्षित द्वारा।

व्रतार्क—नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर द्वारा। १६२०-१६७५ ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन् १६७१ में लिखा है। सन् १८७७ एव १८८१ में लखनऊ में मुद्रित हुआ।

व्रतोद्घोष—दिनकरोद्घोष का एक अंग।

व्रतोद्यापन।

व्रतोद्यापनकौमुदी—शंकर द्वारा। ले० बलारभूरि के पुत्र, 'धोर' उपाधिवादी एव चित्तपावन शास्त्रा के थे। इन्होंने तीर्थोद्यापनकौमुदी भी लिखी और अपनी रदानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। सन् १६९५ (शाने शरद्व्याङ्गचन्द्रे) अर्थात् १७०३-४ ई० में प्रणीत। ज्ञानदपण प्रेस, बम्बई में मुद्रित (१८६३ ई०)।

व्रतोद्यापनकौमुदी—रामहृष्ण द्वारा। हेमाद्रि पर आपृत। गौडा के व्रतो पर।

व्रतोपवातसंग्रह—निर्मयराम भट्ट द्वारा।

व्रात्यनाप्रायश्चित्तनिर्णय—(नागोजिमट्ट के प्रायश्चित्तोन्मुनेवर से उद्धृत। इसमें निर्णय हुआ है कि आपुनिव राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। बृहत् एव लघुस्य में चौपम्भा सं० सी० १११० प्रका०।

व्रात्यताशुद्धि—स्टीन (पृ० १०५)।

व्रात्यताशुद्धिसंग्रह—चौपम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०।

व्रात्यस्तोमपद्धति—माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १९४)। व्रात्य का अर्थ है पतित-साविकीक।

शकुनाण्व—(या शकुनशास्त्र या शाकुन) वसन्तराज द्वारा। दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानुचन्द्रगणि द्वारा।

शंकरगीता—जीमूतवाहन के बालविवेक में एव हेमाद्रि द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व।

शंकुप्रतिष्ठा—गृह बनाने के लिए नीव रखते समय के कृत्यों पर।

शंकरभट्टी।

शंखचक्रधारणवाद—पीताम्बर के पुत्र पुष्पोत्तम द्वारा। बड़ौदा (७३६)।

शंखधरसमुच्चय—जीमूत० के बालविवेक में उल्लिखित।

शंखलिखितधर्मसूत्र—दे० प्रक० १२। टी० कल्पतरु एव वि० २० में व०।

शंखलिखितस्मृति—दे० पक० १२, आनन्दा० (पृ० ३७२-३७३) द्वारा प्रका०।

शङ्खस्मृति—दे० प्रक० १२, जीवानन्द (भाग २, पृ० ३४३-३७४) एव आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) द्वारा मुद्रित।

शतक्रुस्मृति—मद० पारि० में उल्लिखित।

शतचण्डीपद्धति—गोविन्द द्वारा।

शतचण्डीप्रयोग—नारायणभट्ट के पुत्र वृष्णभट्ट द्वारा।

शतचण्डीविधानपद्धति—जयरामभट्ट ११।

शतचण्डीविधानपूजापद्धति—दे० स्टीन (पृ० २३७)।

शतचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग—बमलाकर द्वारा (उनके शातिरत्न से)।

शतद्वयी—प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी। टी०

प्रायश्चित्तप्रदीपिका।

शतदलीकी—यत्नभट्ट द्वारा।

शतदलीकी—बैकटेश द्वारा।

शतानन्वसंग्रह—गदाधर के बालसार में व०।

शत्रुनी ।  
 शत्रुनिरोधशान्ति ।  
 शम्पावान ।  
 शस्त्रशस्त्रम्ति—शत्रुनाश या शस्त्रनाश के पु० ।  
 शास्त्रापनम्ति—शत्रुनाश एव शस्त्रमूलक शास्त्र उक्ति-  
 निरूप ।  
 शास्त्रम्ति—शत्रुनाशमूलक एव शत्रुनाशकांशा के  
 उक्तिनिमित्त ।  
 शांसापनगृह्यकारिका ।  
 शांसापनगृह्यनिर्णय ।  
 शांसापनगृह्यपरिनिष्ठ—नि० मि० एव मन्त्रमन्त्रोक्तुम  
 में उक्तिनिमित्त ।  
 शांसापनगृह्यसंस्कार—विद्वन्नाथ द्वारा ।  
 शांसापनगृह्यसंस्कार—ईश्वर के पुत्र वासुदेव द्वारा  
 (वगवत् सं० द्वारा प्रका०) । टीका (पृ० १९;  
 संवत् १४२८) ।  
 शांसापनगृह्यसूत्र—श्रीकृष्णवर्म द्वारा इन्द्रियने म्द्रुष्टिपुत्र में  
 मन्मा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं सं० सु० ई०  
 (जिल्द २९) द्वारा अनुदित। टी० (भाष्य)  
 इन्द्रिय द्वारा; शुद्धित्व के मत में कल्पवृक्ष द्वारा उ०;  
 ११०० ई० के पूर्व। टी० (केवल ४ अध्यायों पर),  
 नी० (जिल्द १, पृ० २-४) । टी० प्रयोगदीप,  
 धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा । टी० अर्धदर्पण,  
 रघुनाथ द्वारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या आधानमृति,  
 श्रीधरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्यदाससूनु राम-  
 चन्द्र द्वारा । टी० गृह्यप्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी  
 द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा । गुजरात स्थित  
 श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली  
 दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डासु से आठवें थे ।  
 १६२९ (वर्षे नन्दकरतुचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्  
 (सम्भवतः विक्रम संवत्) में प्रणीत। लेखकने गृह्य-  
 सूत्रपद्धति भी लिखी। अलवर एवं उ० का पाण्डु०  
 (सं० ६, १८७९-९०) । टी० बालावबोधपद्धति ।  
 शांसापनाह्निक—(या—ह्निकदीपिका) बत्सराज के पुत्र  
 अचल द्वारा । लग० १५१८ ई० ।

शाटपायन—(या—निम्बूति) श्रीमन्० के वाचस्पिकेक में  
 एव शाटपायन द्वारा व० ।  
 शाण्डिल्यगृह्य—शत्रुनाश द्वारा व० । आपरनम्बुश्रीतसूत्र  
 (११११-१) पर ।  
 शाण्डिल्यवर्मशास्त्र—(पद्य में) गर्भोवाणादिर्मन्त्रकार,  
 प्रजापतिवर्म, गृह्यवधिकृतवर्म, गृह्यवनिर्णयवर्म,  
 वनं वर्म, वेदशौचवर्म, मायित्रीजपादि, चतुर्वेदशौच पर ।  
 दे० द्वाप्रीगण्ड कंठ० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१  
 (जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए ।  
 शाण्डिल्यवर्मम्ति—मिता० (याज० ३।२८०), स्मृतिन०,  
 मन्त्रशिक्षाव्य (गीतगोपामंजूष) द्वारा व० । भागवता-  
 न्तर पर ५ अध्यायों में । मद्रास गद्यनैमेष्ट पाण्डु०  
 (जिल्द ५, पृ० १९९१); वदोश (सं० ७९६६) ।  
 शातातपरम्ति—गद्य-पद्य-मिश्रित । शुद्धि एवं आचार  
 पर । सं० आ० (पृ० ३९८) ।  
 शातातपरम्ति—दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २,  
 पृ० ४३५-४५५) एवं आनन्दधर्म (पृ० ३९६-  
 ४१०) द्वारा प्रका० ।  
 शातातपरम्ति—४७ अध्यायों एवं २३७६ श्लोकों में ।  
 नी० (जिल्द २, पृ० ४) ।  
 शान्तिकमलाकर—(या शान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट  
 द्वारा । अपराकुनों की शान्ति पर । दे० प्रक० १०६ ।  
 वगवई में मुद्रित ।  
 शान्तिकल्पदीपिका—गृह्याग्नि में मेढक पड़ने, पल्लीपतन,  
 मूल या आश्लेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति  
 के कृत्यों पर ।  
 शान्तिकल्पप्रदीप—(या कृत्यापल्लवदीपिका)—श्री०  
 कृष्ण विद्यावागीश द्वारा । विरोधियों को मोहित  
 करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर । पाण्डु०  
 तिथि संवत् १८५१ ।  
 शान्तिकल्पलता—अज्ञात ।  
 शान्तिकल्याणी ।  
 शान्तिकविधि—वसिष्ठ कृत । २१३ श्लोकों में । द्वेक्षिण-  
 वासिष्ठीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से यह कहा है—  
 कि किस प्रकार वे (राम); रावण, पाण्डव स्त्रीग एवं-

कस विपरीत नसना के कारण पीड़ित हुए। इसमें अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि पर विवेचन है। भाष्यन्दिनीय शाखा से मग्न लिये गये हैं। ड० का० पाण्डु० स० १०४ (१८७१-७२)।

शान्तिऋषि—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्ट द्वारा। सम्भवत यह शान्तिकमलाकर ही है।

शान्तिऋषि—से० प्रा० कंटलॉग (स० ५५८५)।

शान्तिगणपति—गणपति रावल द्वारा। ल० १६८५ ई०।

शान्तिचन्द्रिका—कवोन्द्र द्वारा। काव्यचन्द्रिका (लेखन कृत) में व०। दे० ओफोस्ट (पृ० २११ वी)।

शान्तिचरित्र।

शान्तिचिन्तामणि—कुलमुनि द्वारा। लेखक के नीति-प्रकाश में व०।

शान्तिचिन्तामणि—मंडि जाति के विश्राम-पुत्र शिव-राम द्वारा।

शान्तिस्वामृत—(या शान्तिस्वामृत) नारायण चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्लेख है। शान्ति की परिभाषा यो है—'यथा नस्त्रोपवाताना क्वच विनिवारणम्। तथा देवापघाताना शान्ति-भवति वारणम् एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्ट-निवारण शान्ति।'।

शान्तिदीपिका—रघु० द्वारा शुद्धितत्व, मस्वारतत्व, एकादशीतत्व, त्याजितत्व (पृ० १९५) में व०।

शान्तिनिर्णय।

शान्तिपद्धति—विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद के अनुसार ऋषिर्षा की शान्ति के कृत्या पर। लेखक ने छन्दोगानीयाह्निक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५३०, म० १७६२) की निधि स० १८०६ (१७४९-५० ई०) है।

शान्तिपरिजात—अनन्तभट्ट द्वारा।

शान्तिपुस्तक।

शान्तिपौष्टिक—नरमान कृ०।

शान्तिप्रकरण—वीरपायनीय।

शान्तिप्रकार—गोभिल द्वारा। कर्मप्रदीप के प्रथम ७ अध्याय।

शान्तिप्रकाश—वीरमित्रोदय से।

शान्तिभाष्य—वेदमित्र द्वारा। यह वासिष्ठीभाष्य ही है।

शान्तिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। बम्बई में ज० आर० धरपुरे द्वारा प्रका०।

शान्तिरत्न—(या शान्तिरत्नाकर) कमलाकरभट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एम्० कंट०, पृ० २३४, स० ७२९)। दे० 'शान्तिकमलाकर'।

शान्तिविवेक—विश्वनाथ द्वारा। प्रहा की शान्ति के कृत्या पर (मदनरत्न का एक अंग)। दे० अलवर (३५३)।

शान्तिस्वैत्व—नि० सि० एव सस्कारऋषिस्तुम में उ०-शान्तिसार—शं० अनिराजद्वारा (नृसिंहप्रसाद का अंग)।

शान्तिसार—रामकृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा। अयुत होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ऋहशान्ति, वनायकीशान्ति, विवाहादौ श्रुशान्ति नामक शान्ति कृत्या पर। बम्बई में कई बार मुद्रित।

शान्तिहोम—माखन द्वारा।

शां त्युद्योत—मदनरत्न का अंग। दे० प्र० ९४।

शापविमोचन—मदनरत्न का अंग। दे० प्रक० ९४।

शाम्बव्यगृह्यसूत्र।

शारदाश्रमदीपिका—दुर्गात्मविवेक में एव रघु० द्वारा व०।

शारदातिलक—वारेद्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेविचन्द्र द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, शिन्दु धर्मशास्त्र-ग्रन्था में बहुधा उद्धृत हुआ है। सर्वज्ञान-ग्रह एव रघु० के दिव्यतत्व द्वारा व०। १३०० ई० के पूर्व। टी० १४४९-५० ई० में रामबाणसेयी द्वारा युगमण्डपप्रकाश में व०। टी० गूढार्थदीपिका, श्रीराम भारती के दिव्य त्रिविक्रम द्वारा। टी० गूढार्थप्रकाशिका, कामरूपति द्वारा। टी० गूढार्थनार, विक्रमभट्ट द्वारा। टी० वासीनाथ द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेविक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप,

रायचन्द्र के पुत्र नारायण द्वारा; मिथिला के राजा  
नरसिंह के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में लग्. १४५०  
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, विस्म ६, पृ० २३३)।  
टी० नागमण द्वारा। टी० प्रकाश, मन्मथनाथ  
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्थादि,  
रामेश्वरान्तर्गत पृथ्वीधर के पुत्र रायचन्द्र द्वारा;  
प्रनरात्र में य०; अथवा का कुल जनस्थान (नासिक)  
में बनारस आया था; १५५० रंद्रांगानि १२  
(गन्धवन. विक्रम सं०) में प्रणीत; अन्वय (६६९)।  
टी० रामशेखर द्वारा। टी० नारायणचिन्तामणि,  
प्रेमनिधि ग्रन्थ द्वारा। टी० हंतीमूर्ति, श्रीमंतीशक्ति  
द्वारा।

शारदावाप्रयोग—रामचन्द्र द्वारा।

शालग्रामदानकल्प।

शालग्रामदानपद्धति—त्रावादेव द्वारा। दे० इण्डि० आ०  
(पृ० ५९३, नं० १८०५); पाण्डु० तिथि संवत्  
१८५८ (१८०१-२ ई०)।

शालग्रामनिर्णय।

शालग्रामपरीक्षा—शंकर देवज द्वारा। इण्डि० आ० (पृ०  
५९२)।

शालग्रामपरीक्षा—वीकानेर (पृ० ४५०)। एक भिन्न  
ग्रन्थ।

शालग्रामलक्षण—अज्ञात। नो० न्यू० (२, पृ० १८७)।

शालग्रामलक्षण—नुरगवदन पण्डित द्वारा।

शालग्रामलक्षण—सदाशिव द्विवेदी द्वारा।

शालंकायनस्मृति—स्मृतिच०, हेमाद्रि, मद० पा० एवं  
नि० सि० द्वारा व०।

शालाकर्मपद्धति—पशुपति की दशकर्मदीपिका का एक  
अंश।

शास्त्रदीप—अग्निहोत्री नूहरि द्वारा। पाण्डु० (वड़ोदा,  
८३३२), तिथि संवत् १६६४ (१६०७-८ ई०)।  
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है।

शास्त्रदीपायंसार।

शास्त्रसारवलि—हरिभानु शुक्ल द्वारा।

शास्त्रसरोद्धार—द्यानन्त राव (?) के आदेश से

होमिन कुल के कृष्ण द्वारा। दे० वर्नेल (पृ० १३३  
ए)। हेमाद्रि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है।  
१८५० ई० के पश्चात्।

शास्त्रोपवेशनम्।

शिक्षाभट्टीय—नि० सि० में उ०। सं० प्रा० सं० ५६७०।

शिवतत्त्वरत्नाकर—हेल्डि कुल के राजा वसुधनायक  
प्रथम द्वारा। राजनीति पर एक अध्याय है।  
कलकत्ता में विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोळ कई तरंगों  
में विभक्त। मद्रास से वी० एस्० नाथ एण्ड कम्पनी  
द्वारा प्रका०।

शिवदमनार्चनपद्धति—अन्वय के पूर्ववर्ती राजा विनयसिंह  
के लिए प्रणीत। अन्वय (सं० १४८५)।

शिवद्युमणिदीपिका—यह दिनकरोद्घोत ही है।

शिवपूजनपद्धति—हरिराय द्वारा।

शिवपूजा—(अर्घारपद्धति) दे० वीकानेर (पृ० ६११)।

शिवपूजातरंगिणी—जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुद्धारी  
कार्यान्वाय द्वारा।

शिवपूजापद्धति—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० २२५)।

शिवपूजापद्धति—राघवानन्दनाथ द्वारा।

शिवपूजाप्रकार।

शिवपूजासंग्रह—वल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा।

शिवपूजासूत्रव्याख्यान—अत्रि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र  
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर वीधायन सूत्र की  
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पृ०  
३४७)।

शिवप्रतिष्ठा—कमलाकर द्वारा।

शिवरात्रिकल्प।

शिवरात्रिनिर्णय—शिवोपाध्याय द्वारा। दे० 'महाशिव-  
रात्रिनिर्णय'।

शिवलिंगपरीक्षा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाक्रम।

शिवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—अनन्त द्वारा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण  
भट्ट द्वारा।



शिवबाबयावली—वीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा।  
 दे० प्रक० ९०।  
 शिवसर्वस्व—नि० सि० मे एव रघु० द्वारा उल्लिखित।  
 शिवाराधनदीपिका—हरि द्वारा।  
 शिवार्चनचन्द्रिका—नि० सि० मे व०।  
 शिवार्चनचन्द्रिका—अप्यदीक्षित द्वारा।  
 शिवार्चनचन्द्रिका—श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट  
 द्वारा। १६ प्रकाशो मे।  
 शिवार्चनपद्धति—अमरेश्वर द्वारा।  
 शिवार्चनेशिमणि—नारायणानन्द नाथ द्वारा।  
 शिवार्चनेशिमणि—जोवानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द  
 नाथ द्वारा। २० उल्लामो मे।  
 शिवालयप्रतिष्ठा—राधाकृष्ण द्वारा।  
 शिवाष्टमूर्तितत्त्वप्रकाश—सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य  
 रामेश्वर द्वारा।  
 शिविष्टिभाष्य—दे० वीधायनगृह्यभाष्य।  
 शुक्रनीतिसार—ऑपर्ट द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई०  
 मे एव जोवानन्द द्वारा १८९२ ई० मे प्रका० तथा प्रो०  
 विनयकुमार सरकार द्वारा सैकेड बुक्स आव दि  
 हिन्दू सीरीज मे अनूदित। चार अध्यायो मे एव  
 २५०० श्लोका मे। इसमे राजधर्म, अस्त्र शस्त्रो  
 एव वाक्य (आग्नेयचूर्ण) आदि का वर्णन है।  
 शुक्लाष्टमी।  
 शुद्धदीपिका—दुर्गादित्तवृत्त। ह० प्र० (पृ० २१ एव  
 २५५)। प्रयागनगर से सगृहीत।  
 शुद्धसीर्य।  
 शुद्धिकारिका—(१) रामभद्र श्यामालकार द्वारा। रघु०  
 के शुद्धित्त्वपरभावृत। (२) नारायण बन्योपाध्याय  
 द्वारा। नो० न्यू० (२, पृ० १९६)।  
 शुद्धिकारिकाबलि—माहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा। नो०  
 न्यू० (१, पृ० ३६७-३६९)। शुद्धिरत्नाकर का  
 उल्लेख है।  
 शुद्धिकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। विविल्ड० इण्डि०।  
 दे० प्रक० १०१।  
 शुद्धिकौमुदी—महेश्वर द्वारा। महामन, आसीच, सपि-

ण्डतानिरूपण, गर्भस्रावाशौच, सद्यशौच, सवानु  
 गमनाशौच, अत्येष्टिविधि, मृमूर्धुवृत्त्य, अस्त्रियचयन,  
 उदकादिदान, पिण्डोदकदान, वृषोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधि-  
 कारी, द्रव्यशुद्धि पर।  
 शुद्धिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोद  
 (स० १०१८३)।  
 शुद्धिगुच्छ—गदाधर के कालसार मे वर्णित।  
 शुद्धिचन्द्रिका—कालिदास द्वारा। हृत्य (स० ९३)।  
 शुद्धिचन्द्रिका—कौशिकादित्य के पद्यीति या आशौच-  
 निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्रक० १०५।  
 शुद्धिचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।  
 शुद्धितत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। जीवानन्द  
 द्वारा प्रका०। टी० बाँडुडा मे विष्णुपुर के निवासी  
 राधावल्लभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा,  
 कलकत्ता मे १८८४ एव १९०७ ई० मे मुद्रित।  
 टी० शुभप्रसाद श्यामभूषणभट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यू०  
 (जिल्द १, पृ० ३७१)। टी० राधामोहन वर्मा  
 द्वारा, कलकत्ता मे १८८४ एव १९०७ मे मुद्रित।  
 शुद्धितत्त्वकारिका—रामभद्र श्यामालकार द्वारा। उप-  
 युक्त शुद्धिकारिका ही है।  
 शुद्धितत्त्वकारिका—हरिनारायण की। रघु० के शुद्धि-  
 तत्त्व पर आवृत।  
 शुद्धितत्त्वार्णव—धीनाथ वृत्त। शुद्धितत्त्व मे व०।  
 (रघु० वृत्त) लभ० १४७५-१५२५ ई०।  
 शुद्धिवर्ण—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि-  
 भाषा यह दी हुई है—'विहितवर्माहंत्वप्रयोगको धर्म-  
 विषय शुद्धि।' गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही  
 विषय इसमे हैं।  
 शुद्धिवीप—(या-प्रदीप) केशवभट्ट द्वारा। गोविन्दानन्द  
 की शुद्धिकौमुदी के विषया का ही विवेचन है।  
 शुद्धिवीप—नि० सि० एव विद्यानपारिजात तथा रघुप  
 के शुद्धिविवेच मे व०।  
 शुद्धिवीपिका—(१) श्रीनिवास महीन्तापनीय वृत्त;  
 ज्योति धारुप्रशसा एव राशिनियं, ग्रहनिर्णय, तारा-  
 शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जाव-

निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिर्णय नामक आठ अध्यायों में। लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६-१४७); हलायुव के ब्राह्मणसर्वस्व में व०। बराह-मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य ारा। टी० प्रकाश, राघवाचार्य ारा। (कलकत्ता में सन् १९०१ में मुद्रित)। टी० अर्थकीमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन् १९०१ में मुद्रित)। टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ एवं २५५) पर आवृत। टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। टी० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है।

**शुद्धिदीपिकावृत्ति**—मथुरानाथ शर्मा द्वारा।

**शुद्धिनिवन्ध**—रुद्रशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र देवसिंह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह जयवर लाठ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे। लग० १४५० ई०।

**शुद्धिनिर्णय**—उमापति द्वारा।

**शुद्धिनिर्णय**—गोपाल द्वारा।

**शुद्धिनिर्णय**—वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

**शुद्धिपञ्जी**—रघु० के शुद्धितत्त्व में व०।

**शुद्धिप्रकाश**—वनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो त्र्यम्बकेश्वरपुरी वासी पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के तनुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे। संवत् १७५२ (द्वीपु-सप्तैन्दुवत्सरे), अर्थात् १६९५-९६ ई० में प्रणीत। दे० नौ० (जिल्द २, पृ० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर (१७३२ संवत् में प्रणीत) पर लेखक की टीका (सेतु) का उल्लेख है।

**शुद्धिप्रकाश**—रघु० के शुद्धितत्त्व में व०।

**शुद्धिप्रकाश**—छोटाराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र कृष्णशर्मा द्वारा।

**शुद्धिप्रदीप**—केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप।

**शुद्धिप्रदीपिका**—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा।

**शुद्धिप्रभा**—वाचस्पति द्वारा।

**शुद्धिविम्ब**—रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० के पूर्व।

**शुद्धिमकरन्द**—सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा।

**शुद्धिमयूख**—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका०।

**शुद्धिमुक्तावली**—बंगाल में काञ्चिदिल्लीयकुल के महामहोपाध्याय भीम द्वारा। आशीच पर। नौ० न्यू० (२, पृ० २०१)।

**शुद्धिरत्न**—अनूपविलास से लिया हुआ।

**शुद्धिरत्न**—दयाशंकर द्वारा।

**शुद्धिरत्न**—गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा।

**शुद्धिरत्नाकर**—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ० ३६७)।

**शुद्धिरत्नाकर**—मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा।

**शुद्धिलोचन**।

**शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक**—माणिक्यदेव (अग्निचित् एवं पण्डिताचार्य उपाधिधारी) द्वारा। आशीच, आपद्धर्म, प्रायश्चित्त आदि पर। ट्राएनिएल कैट०, मद्रास, पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५४७४)।

**शुद्धिविवेक**—(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलधर के अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; दे० प्रक० ९५।

**शुद्धिविवेकोद्घोत**—मदनरत्न का भाग।

**शुद्धिव्यवस्थासंक्षेप**—गौड़वासी चिन्तामणि न्यायवागीश द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०)। दे० नौ० (जिल्द ४, पृ० १३०)। लेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त, उद्वाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लिखे हैं।

**शुद्धिव्यवस्थासंग्रह**।

**शुद्धिसार**—(१) कृष्णदेव स्मार्तवागीश (बन्धघटीय

ब्राह्मण] द्वारा। (२) गदाधर द्वारा। (३) श्रीकृष्णार्णव] द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० ३७२)।  
शुद्धितेजु—उमाशंकर द्वारा।

शुद्धपुच्छस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।१६) एव अपराजित] द्वारा व०।

शुद्धकर्मनिर्णय—मुरारि मिश्र द्वारा। गोभिल के अनुसार गृह्य इत्यादि पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, जिल्द ६, पृ० ७)।

शुद्धकमलाकर—(या शुद्धमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट वृत्त। दे० प्र० १०६।

शुद्धकर्मवृत्ति—शेषवृष्ण की शुद्धाचारशिरोमणि में व०।  
शुद्धकुलदीपिका—रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के कायस्थों के इतिहास एव वंशावली का विवेचन है। नो० (जिल्द २, पृ० ३५)।

शुद्धकृत्य—लालबहादुर द्वारा।

शुद्धकृत्यविचारतत्त्व—रघु० वृत्त। दे० प्र० १०२।  
शुद्धजपविधान।

शुद्धयमंतत्त्व—कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शुद्धकमलाकर ही है।

शुद्धयमंबोधिनी—मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्र० ९३।

शुद्धयमोद्घोत—दिनकरोद्घात का एक अंश। गागाभट्ट द्वारा पूर्ण किया गया।

शुद्धपञ्चसंस्कारविधि—कश्यप द्वारा।

शुद्धपद्धति—मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहणपाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौडदेश में सवत् १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, जिल्द ५, पृ० ३०२), श्राद्धक्रियाकौमुदी एव श्राद्धतत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के ग्रन्थ पर आवृत्त है। अन्त के श्लोक में आया है—  
'याके युगसरोजसम्भवमुत्साम्भोराशिबन्धान्विते'  
(सवत् म० १४४२=१५२० ई०)।

शुद्धपद्धति—गोपाल के पुत्र वृष्णवर्णय गोपाल (उदास विषयधारी) द्वारा। शूद्रा के १० संस्कारों पर एक वृहत् ग्रन्थ, यथा—गर्भाधान, पृषवण, अनवलोभन,

सोमन्वोत्पन्न, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न-प्राशन, चूडाकर्म, विवाह पर एव पंचमहायज्ञा पर भी। मयूत एव शुद्धितत्त्व का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका भी कहा गया है।

शुद्धपद्धति—स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में वृष्णराज द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से आरम्भ है। बडोश (स० ८०२३)।

शुद्धविवेक—रामदास्यूर द्वारा।

शुद्धधातुपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा।

शुद्धयत्कर्मचन्द्रिका।

शुद्धसंस्कारदीपिका—वृष्णभट्ट के पुत्र गापालभट्ट द्वारा। बडोश (स० ८९७५)।

शुद्धसंस्कार—आश्वर (स० १४९२)।

शुद्धस्मृति।

शुद्धाचार—लगत है, केचल पुराणों के उद्धरण मात्र दिये हुए है।

शुद्धाचारचिन्तामणि—मिथिला के हरिनारायण के दरवार में याचस्पति मिश्र द्वारा लिखित।

शुद्धाचारपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह सदिग्ध है कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा भाई था।

शुद्धाचारविवेकपद्धति—गाण्डिमिश्र द्वारा।

शुद्धाचारशिरोमणि—गोविन्दाण्व के लेखक नृसिंहसेप के पुत्र वृष्णशेष द्वारा। केचवदास (जिन्होंने दक्षिण में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमवैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे) के पुत्र पिलाजीनूप के अनुरोध पर प्रणीत। ३० का पाण्डु० (स० ५५, १८७२-७३) स्तम्भनीयं (सम्भात) में सवत् १६४७ की फाल्गुन वदी ४, शुक्लवार (माचं ४, १५९१ ई०) को उतारी गयी। गोविन्दाण्व, मिताक्षरा, शरद्वर, शद्रकर्मवृत्ति, शुद्धोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और लक्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० ई० के बीच में। 'शेष' बच के लिए दे० इण्डि० एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)।

शूद्राचारसंग्रह—(या मच्छूद्रान्तर) नवरंग सोनर्ये भट्ट द्वारा।

शूद्राहःकृत्यतत्त्व—(प्रयोग)—रघु० द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २००)।

शूद्राह्निक।

शूद्राह्निकाचार—श्रीगभंगत। ताड-पत्र पाण्डुलिपि की तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है।

शूद्राह्निकाचारसार—वानुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र दर्मा द्वारा। नो० न्यू० (० ३७३)।

शूद्रोपद्धति।

शूद्रोत्पत्ति—श्रेयकृष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लिखित।

शूद्रोद्घोत—देविण 'शूद्रधर्माद्घोत'।

शैवकल्पद्रुम—अप्पय्यदीक्षित द्वारा।

शैवकल्पद्रुम—लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा।

शैवतत्त्वप्रकाश।

शैवतत्त्वामृत।

शैवतात्पर्यसंग्रह।

शैवधर्मखण्डन।

शैवरत्नाकर—ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुलश (सं० ७६)।

शैववैष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग।

शैववैष्णवमतखण्डन।

शैवसर्वस्व—हलायुव द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लिखित।

शैवसर्वस्वसार—विद्यापति द्वारा। भवेनात्मज देवसिंह के पुत्र शिवसिंह-सुत मिथिलानरेश पर्वसिंह की रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००-१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)।

शैवसिद्धान्तदीपिका।

शैवसिद्धान्तशेखर—(या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में उ०।

शैवसिद्धान्तसंग्रह।

शैवसिद्धान्तसार।

शैवसिद्धान्तसारावलि—(या सिद्धान्तसारावलि)।

शैवालिक।

शौचलक्षण।

शौचसंग्रहविवृति—भट्टाचार्य द्वारा।

शौचाचमनविधि।

शौचाचारपद्धति—हेमाद्रि (व्रतखण्ड १।५९) द्वारा उ०।

शौनककारिका—(या शौनकावतवृद्धकारिका) उ० का० पाण्डु० (९७, १८६९-७०)। २० अध्यायों में एक बृहत् ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर। आश्वलायनाचार्य, ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वांगुक्रमणी का उल्लेख है। पाण्डु० की तिथि संवत् १६५३ (१५६६-६७ ई०) है। वीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० ८६३७)।

शौनककारिकावली—से० प्रा० (सं० ५८९८)।

शौनकगृह्य—विश्वरूप, अपरार्क, हेमाद्रि द्वारा व०।

शौनकगृह्यपरिशिष्ट—अपरार्क द्वारा व० (पृ० ५२५)।

शौनकपञ्चसूत्र।

शौनकस्मृति—दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २०८), जहाँ पद्य में एक बृहत् ग्रन्थ की चर्चा है;

पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, गर्भाधानादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पति-यान्ति, मधुपर्क, पिण्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आग्रयण, प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, बृहस्पति, मनु का उल्लेख है।

शौनकी—नवग्रहों की पूजा पर।

श्रवणद्वादशीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा।

श्राद्धकमल—नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धकला—भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ भाग। कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा दी हुई है—'पितृनुदिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकार-पर्यन्तम्।' नो० (जिल्द १, पृ० २९९)।

श्राद्धकलिका—(या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत। भट्ट-नारायण को नमस्कार किया गया है। कालादर्श, धर्मप्रवृत्ति, निर्णयामृत, नारायणवृत्तिकृत, जयन्तस्वामी, हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये जाते हैं। उ० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०)।

श्राद्धकलिकाविवरण—विश्वरूपाचार्य कृत। चिबभट्ट के पण्यवृत्तिश्राद्धनिर्णय मे व०।

श्राद्धकल्प—(मानव) बी० बी० आर० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० १७७)। (१) कात्यायनीय (या श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो मे, श्राद्धकृत्या पर ९ श्लोक हैं, कई टीकाओं के साथ गुजराती प्रेस मे मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति, नो० (जिल्द २, पृ० १७४)। टी० श्राद्धविधिभाष्य, कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धकाशिका, नित्यानन्दात्मज अतिशुव के पुत्र विष्णुमिश्रसुत कृष्णमिश्र द्वारा, नि० मि० १२ व०, कर्क एव हलायुध की टीकाओं की ओर संकेत है (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धमूत्रार्थमञ्जरी, वामन पुत्र गदाधर द्वारा। टी० सकरण के पुत्र नीलाम्बर द्वारा (अल्बर, ४४)। टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ द्वारा व०)। टी० सकरण के पुत्र हलायुध द्वारा, गोविन्दराज एव शलवरका उल्लेख है, श्राद्धकाशिका द्वारा व०। लगता है, 'नीलाम्बर' नीलाम्बर (जिसका अर्थ 'हलायुध' है) का भ्राताक पाठ है, यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पृ० ४९६) ने स्पष्टतः कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) गोभिलीय, टी० महायज्ञा द्वारा (बडोदा, म० १२८९५)। (४) भंत्रायणीय। (५) अथर्ववेद का ४४वाँ परिशिष्ट।

श्राद्धकल्प—(१) वासीनाय कृत। (२) भृंग्यत्र कृत। (३) वाचस्पतिकृत, पिनूभक्तितरिणिना नाम भी है (दे० प्र० ९८)। (४) श्रोतल द्वारा, छदोगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्र० ८९), स्मृतिगृह्य, पुराणा, गोपाल एव भूप पर आप्त (नो०, जिल्द ३, पृ० ३४, जिल्द २, पृ० ३६४)। (५) हेमाद्रि द्वारा (पीठयंत्र की छडी रिपाटं, पृ० ११), चतुर्विंशतिनामणि की चर्चा है।

श्राद्धकल्पदीप—होरिलनिपाटी कृत।

श्राद्धकल्पद्रुम।

श्राद्धकल्पना—इण्डि० आ० (पृ० ५५८)।

श्राद्धकल्पभाष्य—दे० 'गोभिलीयश्राद्धकल्प'।

श्राद्धकल्पलता—गोविन्दपण्डित कृत, श्राद्धकल्पलता मे नन्दपण्डित द्वारा व०।

श्राद्धकल्पलता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

श्राद्धकल्पसार—नारायणभट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा।

टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पृ० १०५, ३१६)।

श्राद्धकल्पसूत्र—दे० 'श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय)।

श्राद्धकल्पसूत्र—(या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र, कात्यायन वा छडा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र'।

श्राद्धकाण्ड—नृसिंह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धकाण्ड—भट्टोजि द्वारा।

श्राद्धकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

श्राद्धकाण्डसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवत उपर्युक्त 'श्राद्धकाण्ड'।

श्राद्धकारिका—अल्बर (स० १४९६ एव उद्धरण ३५४)।

श्राद्धकारिका—वेशव जीवानन्द शर्मा द्वारा।

श्राद्धकार्यनिर्णय।

श्राद्धकाशिका—नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिशुक्लात्मज विष्णुमिश्र-सुत कृष्णद्वारा (गुजरातीप्रेस, पारस्कर-गृह्य वा गस्करण)। कर्क, धर्मप्रदीप, हलायुध वा उल्लेख है और नन्दपण्डित १२ श्राद्धकल्पलता, श्राद्धमयूत मे व०। १३००-१५०० ई० के बीच।

श्राद्धकृत्यप्रदीप—होरिल द्वारा। अल्बर (उद्धरण ३५५)।

श्राद्धकीमुदी—(या श्राद्धक्रियाकीमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्र० १०१। विस्ति० ण्डि०।

श्राद्धक्रम—महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा।

श्राद्धलण्ड—नृसिंह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धगणपति—(या श्राद्धगणह) षौण्डभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। मे० प्रा० (म० ५९२१)। दे० 'श्राद्धगणह'।

श्राद्धघटिका—(१) भारद्वाज गान्धर्व बालकृष्ण के पुत्र

महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र-  
नुयानिधि का एक अंग। उनके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक  
अनुकम्पी ग्रन्थ की गयी। ले० आचार्यकं, लग०  
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र  
भट्ट द्वारा। (४) कण्ठेश्वर के शिष्य रामचन्द्र द्वारा।  
वर्षमान की दो हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है—'नन्दन-  
पदोन्नीतान् पिबन्नुदित्य ब्रह्मत्यागः श्राद्धम्।' नो०  
(जिल्द ८, पृ० २७०)। (५) श्रौतसुतार्य के पुत्र  
श्रीनाथ आचार्यनूडामणि द्वारा। यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व  
(पृ० ४०३) में उनके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०।  
श्रौतसुत की आलोचना की गयी है। लग० १४७५-  
१५२५ ई०।

श्राद्धचन्द्रिकाप्रकाश—यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका  
ही है।

श्राद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। वनारस में  
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी०  
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०,  
जिल्द ५, पृ० १६५)।

श्राद्धचिन्तामणि—श्रीविश्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम  
द्वारा। प्रयोगपद्धति या नुओघिनी भी नाम है।  
ले० की कृत्यचिन्तामणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष  
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (पृ० ५३८)।

श्राद्धतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द  
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावल्लभ के पुत्र  
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला  
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर  
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या-  
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा  
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है)।

श्राद्धतिलक—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धदर्पण—जयकृष्ण तर्कवागीश कृत। कल्पतरु की  
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा  
गया है।

श्राद्धदर्पण—मधुसूदन द्वारा।

श्राद्धदीपिति—कृष्णभट्ट कृत।

श्राद्धदीप—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धदीप—जयकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा (—प्रदीप नाम भी  
है)। नो० (जिल्द १०, पृ० १०७)। कल्पतरु की  
आलोचना भी है।

श्राद्धदीप—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा।

श्राद्धदीपकलिका—गुलपाणि कृत। नि० सि०, विधान-  
पारिजात में व०।

श्राद्धदीपिका—तथाशिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित  
यात्रिक द्वारा। कात्यायननूत एवं कर्कभाष्य पर  
आभूत।

श्राद्धदीपिका—गोविन्द पण्डित कृत। नन्दपण्डित की  
श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धदीपिका—वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थल के  
रत्नभट्ट-गुप्त त्रिभुलाभट्ट के पुत्र मालजित्) द्वारा।  
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन् १६४३ ई० में पारसी-  
प्रकाश भी लिखा।

श्राद्धदीपिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड-  
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजुर्वेदि-  
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०।

श्राद्धदीपिका—श्रीभीम (जिन्हें काञ्चिविल्लीय अर्थात्  
राष्ट्रीय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद  
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ०  
३७९)।

श्राद्धदीपिकानिर्णय।

श्राद्धदेवतानिर्णय।

श्राद्धद्वारासप्तकला।

श्राद्धनवकण्डिकासूत्र—देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय)।

श्राद्धनिरूपण—अलवर (सं० १५०१)।

श्राद्धनिर्णय—उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध-  
कल्पलता में व०।

श्राद्धनिर्णय—चन्द्रचूड़ कृत।

श्राद्धनिर्णय—शिवभट्ट कृत।

श्राद्धनिर्णय—सुदर्शन कृत।

श्राद्धनिर्णयदीपिका—पराशरगोत्र के तिरुमलकवि द्वारा।  
कालादर्श का उल्लेख है।

श्राद्धनुसिंह—नुसिंह वृत (कलकत्ता सं० कालेज पाण्डु०, जिल्द २, पृ० ३९२)।

श्राद्धपञ्जी—त्राचस्पतिमिश्र के द्वैतनिर्णय मे उल्लिखित (आक्सफोर्ड कैंटलाग, पृ० २७३ वी०)।

श्राद्धपञ्जी—हरधर के श्राद्धविवेक मे व०। १४०० ई० के पूर्व।

श्राद्धपद्धति—(आश्वलायनीय)।

श्राद्धपद्धति—(पचत्रिंशच्छ्लोकी)।

श्राद्धपद्धति—कन्नौज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लोक-मणि के पुत्र कुम्भनि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५९) की तिथि म० १८०५ (१७४८-९ ई०)।

श्राद्धपद्धति—रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा।

श्राद्धपद्धति—दयाशकर द्वारा।

श्राद्धपद्धति—दामोदर द्वारा।

श्राद्धपद्धति—नारायण भट्ट आरडे द्वारा (बडोश, स० ३३८)।

श्राद्धपद्धति—नीलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयूख मे व०।

श्राद्धपद्धति—हलामुख (गिरहनि ब्राह्मणसर्वस्व लिखा है) के अष्टभ्राता पशुपति द्वारा। टी० हलामुख द्वारा।

श्राद्धपद्धति—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दर्शश्राद्ध-पद्धति' नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधृत। ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे।

श्राद्धपद्धति—विश्वनाथभट्ट द्वारा।

श्राद्धपद्धति—शाण्डिल्य मान के रत्नाकर-पुत्र शंकर द्वारा।

श्राद्धपद्धति—हेमाद्रि द्वारा। ले० की चतुर्वर्गचिन्तामणि - की जार मन्त्र है। स्टीन (पृ० ३१६-१७)।

श्राद्धपद्धति—हरधर के श्राद्धविवेक एव टाडरानन्द (श्राद्धगोक्ष्य) मे व०।

श्राद्धपरिजात—द्वैतपरिशिष्ट (द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट) मे केशव द्वारा व०।

श्राद्धप्रकरण—मालतिल द्वारा (पूना के आनन्दाधम गणह मे पाण्डु० है)। मेधातिथि के उद्धरण हैं।

म्तुत्यर्थसार मे उ० है, अत ९००-११०० ई० के बीच।

श्राद्धप्रकरण—नरोत्तमदेव द्वारा।

श्राद्धप्रकाश—नि० सि० मे व०।

श्राद्धप्रकीर्णकारिका।

श्राद्धप्रदीप।

श्राद्धप्रदीप—वृष्णमित्राचार्य द्वारा।

श्राद्धप्रदीप—गोवर्धन के पुत्र धनराम द्वारा। बड़ोदा (स० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात् नहीं।

श्राद्धप्रदीप—श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रसन्नशर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) मे उत्तारी गयी। सम्भवत अधिकारी के रूप मे ही लेखक को श्रीहर्ष-देशीय हावादिही का स्वामी कहा गया है। नौ० न्यू० (जिल्द १, पृ० ३८०-८१)।

श्राद्धप्रदीप—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो-पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियों के लिए। नौ० (जिल्द ६, पृ० २९९)।

श्राद्धप्रदीप—हरधर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। सम्भवत यह श्राद्धचन्द्रिका या श्राद्धविवेक ही है।

श्राद्धप्रदीप—वर्धमान द्वारा। रघु० के श्राद्धतत्त्व मे व०।

श्राद्धप्रदीप—भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। हरधर के श्राद्धविवेक मे, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा रघु० के श्राद्धतत्त्व मे व०। नौ० (जिल्द ७, पृ० १९१)। ले० वर्धमान के गुह थे।

श्राद्धप्रभा—रामवृष्ण द्वारा। टी० भी है।

श्राद्धप्रयोग—(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, (३) भारद्वाजीय, (४) मंत्रायणीय, (५) गत्यापाठीय, (६) आश्वलायनीय, कमलाकर वृत।

श्राद्धप्रयोग—(आश्वलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

श्राद्धप्रयोग—गोपालसूरि द्वारा। प्रयोगदर्पण, वैद्यनाथीय निबन्ध, मुद्यानिधिचिन्तन द्वारा व० है।

श्राद्धप्रयोग—दयाशंकर द्वारा।





रामकृष्ण वृत्त वात्स्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आपृत । उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर सत्कारगणपति ग्रन्थ लिखा है। शक सं० १६७३ (क्रिन्गमूपाख्ये) अर्थात् १७५१ ई० में बनारस में प्रणीत । दे० इण्डि० आ० (पृ० ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में तिमि शक-गणनाग (झ्वा) झूमूमिते (१६७०-१६९०) एव १८२६ (वि० सं०, १७७० ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। कर्क, हलायुध, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है।

श्राद्धसमुच्चय ।

श्राद्धसागर—(१) कुम्भकमट्ट (?) द्वारा। यह नाम कुल्लव या कुल्लूकमट्ट तो नहीं है? (२) कुल्लूकमट्ट द्वारा। दे० प्रक० ८८। (३) नारायण आरड द्वारा। ऐतन्न के गृह्याणिसार में व०। १६५० ई० के पदचात् ।

श्राद्धसार—(१) नृसिंहप्रसाद का एक अंग। विद्यान-पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा।

श्राद्धसौख्य—डाइरानन्द का अंग। दे० प्रक० १०४।

श्राद्धहेमाद्रि—चतुर्गवचिन्तामणि का श्राद्धग्रन्थ।

श्राद्धान्तर्पणनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा (बडोदा, सं० ३०३) ।

श्राद्धानुभाषण—यजदत्त के पुत्र विष्णुगर्भ द्वारा। वन पर आपृत। माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अन्व०, उद्धरण ३५९) ।

श्राद्धावर्ग—महेश्वर मिथ द्वारा।

श्राद्धाविविधियः ।

श्राद्धाविवेकश्रीपुरी—रामकृष्ण द्वारा।

श्राद्धाविवार—विष्णुसप्त द्वारा।

श्राद्धाविवारनिर्णय—गंगाशक्यायनशास्त्र द्वारा (ना०, सिन्ध १, पृ० ९०) ।

श्राद्धानुक्रमविज्ञान ।

श्राद्धग्रन्थः ।

श्राद्धाणोक्त—ग्रन्थ के अन्वयपर १ म० व०। १९०० ई० के पूर्व ।

श्राद्धाणोक्तपरिचय—देवराज द्वारा।

श्राद्धेन्दु—अज्ञात (ना०, जिल्द ५, पृ० ९६) ।

श्राद्धेन्दुसोत्तर—नामोजिमट्ट ('काले' उपाधि) द्वारा। दे० प्रक० ११० ।

श्राद्धोद्योत—वर्षमान के गगावृत्तविवेक में व०। यह मदनरत्न का एक भाग है, ऐसा प्रतीत होता है।

श्राद्धोपयोगिवचन—अनन्त द्वारा।

श्रावणकर्मसंपर्कवलिप्रयोग—एव गृह्य श्रुत्य।

श्रावणद्वारतो ।

श्रावणी—(आश्वलायनीय) ।

श्रावणी—(वाण्वशास्त्रीय) ।

श्रावणीकर्म—(वाजसनेयी) ।

श्रावणीकर्म—(हिरण्यवेद्यी) गोपीनाथदीक्षित द्वारा।

श्रावणोत्सर्गकर्म ।

श्री-आह्निक ।

श्रीकरनिबन्ध—हरिनाथ के स्मृतिसार में व०।

श्रीधरसमुच्चय—रघु० के मलमागतत्व में व०।

श्रीधरीय—नि० शि० एव योगपारिजात में व०। दे० प्रक० ८१ ।

श्रीनिवासदीक्षिणीय—श्रीसिंहगान के गाविन्दार्य के पुत्र

श्रीनिवास द्वारा। वैजानिमसूत्र पर (द्वारणीएल कंठ० पाण्डु०, गन् १९१९-२२, पृ० ५१७९) ।

श्रीपतिरत्नमाला—गमयगुप्त में व०।

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय—रघु० के निवारात्त में व०। जयानन्द (सिन्ध १, पृ० २१) ।

श्रीपतिव्यवहारसमुच्चय—रघु० के गत्तारात्त व म० व०। गमययन यह उपसृक्त हुआ है।

श्रीपतिसमुच्चय—रघु० के गत्तारात्त व म० (सिन्ध १, पृ० ५८२) ।

श्रीपत्तप्रज्ञान—त्रिगुणमट्ट द्वारा। वीर्यन (५९) सिन्ध, ग० १५४) ।

श्रीपतिविज्ञान ।

श्रीपतिविज्ञाना—श्रीगुरु काकरोवी हन ।

श्रीपतिव्यवहार ।

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय—श्रीगुरु द्वारा।

श्रीपतिव्यवहारविज्ञान ।

श्रौतस्मार्तविधि—बालकृष्ण द्वारा।

श्लोककाल्यायन—अपराक में व०।

श्लोककालनिर्णय।

श्लोकगीतम—जीमूत० के कालविवेक, अपराक, काल-  
माधव द्वारा व०।

श्लोकचतुर्दशी—(धर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा। टी०  
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा  
(सं० २२) मुद्रित।

श्लोकतर्पण—लौगाक्षि द्वारा।

श्लोकसंग्रह—१६ श्राद्धों पर।

श्लोकापस्तम्ब—आचारमयूख में व०।

श्वश्रुस्तुपाघनसंवाद—(वर्नेल, तंजीर, पृ० १४३ वी०)  
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर  
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर  
रिक्थ पा जाती हैं।

श्वासकर्मप्रकाश।

श्वेताश्वदानविधि—कमलाकर द्वारा।

षट्कर्मचन्द्रिका—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरकूरि तिम्ययज्वा  
द्वारा। संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम  
कहलाया।

षट्कर्मचन्द्रिका—कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०।

षट्कर्मदीपिका—अज्ञात। त्र्यम्बक, पार्थिव शिर्वालंग  
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ०  
२७३)।

षट्कर्मदीपिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

षट्कर्मविचार—स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग।

षट्कर्मविवेक—हरिराम द्वारा।

षट्कर्मव्याख्यानचिन्तामणि—नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद  
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय  
प्रयुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण। गुणविष्णु पर  
आधृत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७)।

षट्त्रिंशन्मत—दे० प्रक० ५३।

षट्पदी—विट्ठलदीक्षित कृत (सं० प्रा० कैटलाग,  
सं० ६०२९)।

षट्पारायणविधि।

पडशीति—(या आशीचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्  
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम श्लोक है—  
'अयानेकपिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्। संग्रथ्य  
कौशिकादित्यो लिखत्याशीचनिर्णयम्॥' जनन-मृत्यु  
के अशीच पर ८६ श्लोक एवं सूतक, 'सगोत्राशीच,  
असगोत्राशीच, संस्काराशीच एवं आशीचापवाद  
पर ५ प्रकरण। औफ्रेस्ट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश  
इसे अभिनवपडशीति माना है। टी० अघशोधिनी,  
लक्ष्मीनृसिंह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दपण्डित  
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०)।

पडशीति—यल्लभट्ट द्वारा।

पड्त्रिंशन्मत—स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०।

पणवतिश्राद्धनिर्णय—गोविन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा  
एक श्लोक में १६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है—  
'अमायुगमनुक्रान्तिवृत्तिपातमहालयाः। आन्वष्टक्यं  
च पूर्वैद्युः पणवत्यः प्रकीर्तिताः॥' कमलाकरभट्ट,  
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध-  
कलिका, कलिकाविवरण (विश्वरूपाचार्यकृत) का  
उल्लेख है। १६५० ई० के पश्चात्।

पणवतिश्राद्धपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधवात्मज  
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा  
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग।

पणवतिश्राद्धप्रयोग।

षष्टिपूर्तिशान्ति—(६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) वर्नेल  
(तंजीर, पृ० १३८ वी, १५१ वी०)।

षोडशकर्मकलापनिर्णय।

षोडशकर्मपद्धति—ऋषिभट्ट द्वारा।

षोडशकर्मपद्धति—गंगाधर द्वारा।

षोडशकर्मप्रयोग—सोलह संस्कारों, यथा—स्थालीपाक,  
पुंसवन, अनावलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, पष्ठी-  
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध,  
अन्नप्राशन, चूलकर्म, उपनयन, षोडान, समावर्तन,  
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का  
उ० है। पाण्डु० की तिथि शक सं० १६९५ है  
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त।

पोडशपिण्डदानप्रयोग—अज्ञात। सर्वस्वप्रदीप वा उ० है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११)।

पोडशमहादानपद्धति—(या दानपद्धति) काण्टिक्य के मिथिलेन नृमिह के मन्त्री (घौगालवशात्र) रामदत्त द्वारा कुलपुरोहित भवदामा की सहायता से प्रणीत। ले० चण्डेश्वर वा प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह १४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था।

पोडशमहादानविधि—रामकृष्ण-पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६।

पोडशपाया।

पोडशसत्कार—आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार।

पोडशसत्कार—कमलाकर द्वारा।

पोडशसत्कार—चन्द्रचूड़ द्वारा। ले० के सत्कारनिर्णय का सक्षिप्त रूप।

पोडशसत्कारपद्धति—(या सत्कारपद्धति) बीकानेर (पृ० ४६३), आनन्दराम दीक्षित द्वारा।

पोडशसत्कारप्रयोग।

पोडशसत्कारसेतु—रामरवर द्वारा।

पोडशोपचारपूजापद्धति—(विष्णुपूजा के लिए)।

सर्वस्वरक्षल्पलता—ब्रजराज (बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद की कृष्णजन्माष्टमी में आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण। ड० का० पाण्डु० (स० २०१ ए, १८८२-८३)।

सर्वस्वरहृत्य—(सर्वस्वरकौस्तुभ या सर्वस्वरदीधिति) अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्रक० १०९।

सर्वस्वरकृत्यप्रकाश—भास्करदामा के यशवन्तभास्कर का एक अग्र।

सर्वस्वरकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१।

सर्वस्वरदीधिति—अनन्तदेवहृत्य स्मृतिकौस्तुभ का एक अग्र।

सर्वस्वरनिर्णयप्रदान—गुरुपोतम द्वारा।

सर्वस्वरप्रकाश।

सर्वस्वप्रदीप—भूलार्या के दुर्गोत्सवविवेक, श्राद्धक्रिया-कौमुदी, निर्णयामृत मे व० एव एकादशीतत्त्व (२, पृ०

५१) एव मुद्रितत्व (२, पृ० ३२७) में हलामुद्रित माना गया है। ओफेष्ट (१, पृ० ९८१) ने भ्रमवश इसे शलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० १५। नो० न्यू० (१, पृ० ३९०)।

सर्वस्वरप्रयोगसार—वन्द्यघटीय जाति के नारायण-पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा।

सर्वस्वरोत्सवकालनिर्णय—निर्भयराम द्वारा।

सर्वस्वरोत्सवकालनिर्णय—गुरुपातम द्वारा। स्पष्ट है कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (स० १७७, १८८४-८६)। १७५० ई० के पूर्व।

सर्वस्वस्मृति—दे० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० ५८४-६०३) एव आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) द्वारा प्रकाश।

सत्कर्तृग्रह—ब्रह्मनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताफल का एक अग्र।

सत्कारकमलाकर—(या सत्कारपद्धति) कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एस्, पृ० २३६ एव इडि० आ०, पृ० ५१४)।

सत्कारकल्पद्रुम—सुखदाकर मुक्ल के पुत्र जगन्नाथ सुक्ल द्वारा। गणेशपूजन, सत्कार एव स्मार्तविान नामक तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वामुदेव कृत) का उ० है। २५ सत्कारों के नाम आये हैं। अलवर (उद्धरण ३६४)।

सत्कारकौमुदी—मल्लभद्र के पुत्र गिरिमट्ट द्वारा।

सत्कारकौस्तुभ—(या सत्कारदीधिति) अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अग्र। दे० प्रक० १०९ (मराठी अनुवाद के साथ निर्णय० एव बडोश मे प्रकाश०)।

सत्कारगणपथ—(या धरो) गगनर दीक्षित द्वारा। गर्भावान, चोल, ब्रतवन्ध, वेदव्रतचतुष्टय, केशान्द, व्रतविसर्ग, विवाह सत्कारा पर। ड० का० पाण्डु० (स० ६१०, १८८२-८३)।

सत्कारगणपति—पारस्करगृह्यसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'।

सत्कारचन्द्रचूड़ी—चन्द्रचूड़कृत। देखिए 'सत्कारनिर्णय' १

संस्कारचिन्तामणि—काशी के रामकृष्ण द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७३)। सम्भवतः यह संस्कारगणपति ही है।

संस्कारतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

संस्कारदीधिति—दे० संस्कारकीस्तुभ।

संस्कारदीधिति—वनारस में मुद्रित।

संस्कारनिर्णय—(१) धर्मभट्ट के पुत्र उमण्णभट्टात्मज चन्द्रचूडभट्ट द्वारा। गर्भाधान से आगे के संस्कारों का वर्णन है। ज्योतिर्निबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की तिथि है शक संवत् १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५-१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिव्याभट्ट ('गह्वर' उपाधिवारी) द्वारा। आश्वलायनों के लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आश्वलायनश्रौतसूत्र पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५।

संस्कारनृसिंह—नरहरि द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७६)। वनारस में सन् १८९४ में मु०।

संस्कारपद्धति—सखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्रि, धर्माविद्यसार, प्रयोगदर्पण, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभट्टी, गदाधर का उ० है।

संस्कारपद्धति—आनन्दराम याज्ञिक द्वारा।

संस्कारपद्धति—कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमलाकर'।

संस्कारपद्धति—राम के पुत्र गंगाधरभट्ट द्वारा। दे० 'संस्कारगंगाधरी'।

संस्कारपद्धति—भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठानपद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० रहस्य, रामनाथ द्वारा। शक संवत् १५४४ (१६२२-२३ ई०)। गो० (६, पृ० २३७-२३८)।

संस्कारपद्धति—शिष्य द्वारा।

संस्कारप्रकाश—(१) प्रतापनारासिंह का एक भाग।

(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक भाग।

संस्कारप्रदीप।

संस्कारप्रदीपिका—विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा।

संस्कारप्रयोग।

संस्कारभास्कर—(१) मयूरेश्वर अयाचित के पुत्र खण्डभट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आवृत। संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं दैव (पाक-यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, १८८२-८३)। (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिविबुध (या-भट्ट, उपाधि शीच या शीचे) द्वारा। वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर-गृह्य पर) पर आवृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। वी० वी० आर० ए० एस्० (२, पृ० २३६, सं० ७३९)।

संस्कारमंजरी—नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी ही है।

संस्कारमयूख—(१) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० धरपुरे द्वारा मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, जो शंकर के पुत्र दामोदररत्न सिद्धेश्वर द्वारा रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०-१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है।

संस्कारमार्तण्ड—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित।

संस्कारमुक्तावली—तानपाठक कृत।

संस्काररत्न—नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के पश्चात्। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे।

संस्काररत्न—मणिराम के अनूपविलास या धर्माम्मोधि से।

संस्काररत्नमाला—(१) गोपीनाथभट्ट द्वारा, आनन्दाश्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्ट द्वारा।

संस्काररत्नाकर—(पारस्करीय)।

संस्काररत्नावलि—प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले सिद्धभट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा।

संस्कारवादाय—जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक् काला पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)।

संस्कारविधि—(या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा।

संस्कारवीचि—शेषनृसिंह द्वारा सगृहीत गोविन्दार्णव का एक अंग।

संस्कारसागर—नारायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर)।

संस्कारसार—नृसिंहप्रसाद का एक अंग। दे० प्रक० ९९।

संस्कारसौख्य।

संस्कारामृत—दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 'संस्कारमय'। अपने पिता के द्वैतनिर्णयपरिधिष्ट का उल्लेख किया गया है।

संस्कारोद्घोत—दिनकरोद्घोत का एक अंग।

संस्थापद्धति—(या सस्थाबंधनाय) केशव के पुत्र, रत्नेश्वरात्मज बंधनाथ द्वारा। चार भागों में। अलवर (उद्धरण ६३)। कात्यायनगृह्य के मतानुसार आवश्यक अग्नि में किये जाने वाले कृत्यों पर।

संहितावीथ—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।

संहिताप्रदीप—नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक ग्रन्थ।

संहितासारावलि—संस्कारमयूख में व०।

संहिताहोमपद्धति—भैरवभट्ट द्वारा (बडोदा, स० ३३५)।

सकलकर्मचिन्तामणि।

सकलदानफलाधिकार।

सकलदेवताप्रतिष्ठा।

सकलपुराणसमुच्चय—अस्ताडनाथ द्वारा व०।

सकलप्रमाणसंग्रह।

सकलशान्तिसंग्रह।

सद्गुरुमृततिथिनिर्णय।

संकल्पकौमुदी—रामवृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० २२२-२३)।

संकल्पघटिका—रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६)।

संकल्पधातुप्रयोग।

संकल्पस्मृतिदुर्गभञ्जन—नवद्वीप के चन्द्रेश्वर शर्मा द्वारा। सभी काम्य कृत्या के आरम्भ में किये जाने वाले सकल्पों के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्मणि सकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३०)।

संकल्पहरचतुर्थांशकालनिर्णय।

संज्ञेत्कौमुदी—(सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्थ) शम्भु नायाचार्य द्वारा।

संज्ञेत्कौमुदी—शिव द्वारा।

संज्ञेत्कौमुदी—हरिनायाचार्य द्वारा। रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में व०।

संक्रान्तिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा, पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) तक सर्वत्र १५४० (१६१८ ई०)।

संक्रान्तिनिर्णय—गोपाल शर्मन्यायपचानन द्वारा, ३ भागों में।

संक्रान्तिनिर्णय—बालकृष्ण द्वारा।

संक्रान्तिनिर्णय—स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

संक्रान्तिनिर्णय—अज्ञात, भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य-चिन्तामणि का उ० है।

संक्रान्तिविवेक—शूलपाणि कृत। दे० प्रक० ९५; नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)।

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० ३१३)।

संक्रान्तिशान्ति।

संक्रान्त्युदापन।

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु—चंद्र से फाल्गुन तक के धार्मिक कृत्या का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह - नि० सि० पर आयुक्त है। पाण्डु० (वीतानेर, पृ० ४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) धामन ङग से पड़ी गयी है (यदि कमलावरकृत नि० सि० की ओर संकेत है)।

संक्षिप्तसास्त्रार्थपद्धति।

संक्षिप्तसार—रघु० के एकादशीतत्त्व में व०।

संक्षिप्तहोमप्रकार—रामभट्ट द्वारा।

संक्षिप्ताह्निकपद्धति—दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा।

(कश्मीर के रणवीरसिंह की इच्छा से लिखित)।

संक्षेपतिथिनिर्णयसार—हरिजित् के पुत्र गोकुलजित् द्वारा। सन् १६३३ ई०।

संक्षेपपूजापद्धति—अलवर (सं० १५१३)।

संक्षेपसिद्धिव्यवस्था।

संक्षेपाह्निकचन्द्रिका—दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की आह्निकचन्द्रिका के समान।

संख्यापरिमाणसंग्रह—केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के राजा की परिषद् का मुख्य पण्डित था। स्मृति-नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा—दातुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५, पृ० १६१-१६२)।

संग्रह—(स्मृतिसंग्रह)—दे० प्रक० ५४।

संग्रहचिन्तामणि—से० प्रा० (सं० ६१५३)।

संग्रहवैद्यनाथीय—वैद्यनाथ द्वारा।

संग्रामसाहीय—दे० विवेकदीपक।

सच्चरितपरित्राण—वाधूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख हुआ है।

सच्चरितरक्षा—शंखचक्र धारण, ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण एवं भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)।

सच्चरितरक्षा—रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित-सारदीपिका, ले० द्वारा।

सच्चरितसुधानिधि—वीरराघव (नैध्रव) द्वारा। ले० ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, रंगराज, वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा-द्वैतवादी सुखों को प्रणाम किया है।

सच्छूद्राह्निक।

सज्जनवल्लभा—जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर एक टी०। महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

सत्कर्मकल्पद्रुम।

सत्कर्मचन्द्रिका।

सत्कर्मचिन्तामणि।

सत्कर्मदर्पण।

सत्क्रियाकल्पमंजरी—(मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०, जिल्द ५, पृ० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)।

सत्क्रियासारदीपिका—गोपालभट्ट द्वारा (वैष्णवों के लिए)। ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है।

१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं।

सत्यव्रतस्मृति—जीमूत० के कालविवेक अपरार्क, स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—(या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख वैष्णव आचार्यों का विवरण।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—गदाधर द्वारा।

सत्स्मृतिसार—जानकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथि, प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २१०)।

सदाचार।

सदाचारक्रम—रामपति द्वारा।

सदाचारक्रम—वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है।

सदाचारचन्द्रिका—ड० का० पाण्डु० (सं० १०८; १८६९-७०) संवत् १७८७ माघ (अर्थात् फरवरी १७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर।

रुनगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामार्चनचन्द्रिका, हरिभक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी टीका का उ० है।

सदाचारचन्द्रोदय—दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माधव-प्रकाश)।

सदाचारनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा।

सदाचारप्रकरण—शंकराचार्य द्वारा (योगियों के लिए)।

सदाचाररहस्य—दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; जयसिंह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिंह की इच्छा से बनारस में प्रणीत। रू० १७१५ ई० (दे० स्टीन, पृ० ३१७-३१८)।

सदाचारविवरण—शंकर द्वारा।

सदाचारसंग्रह—गोपाल न्यायपञ्चानन द्वारा।

सदाचारसंग्रह—वैवट्णाय द्वारा। दे० 'स्मृतिरत्नावलि'।  
 सदाचारसंग्रह—नीलकण्ठ-मुत्र शवरभट्ट द्वारा (इण्डि०  
 आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्भवत एव  
 कल्पित अथवा कपट-ग्रन्थ। नो० (जिल्द १, पृ०  
 १०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम श्लोक  
 इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है।  
 सदाचारसंग्रह—श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों  
 में; आचार, व्यवहार एव प्रायश्चित्त पर।  
 सदाचारसमृद्धि।  
 सदाचारस्मृति—आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० श्लोकों में।  
 टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, बडोदा (सं०  
 १८८४)। टी० रामाचार्य द्वारा (बडोदा, सं०  
 २६१९)।  
 सदाचारस्मृति—विश्वनाथ-मुन नारायण पण्डित द्वारा।  
 बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार-  
 स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)।  
 सदाचारस्मृति—राघवेन्द्र यति द्वारा। आह्विन पर।  
 सं० प्रा० (पृ० ६१९३)।  
 सदाचारस्मृति—श्रीनिवास द्वारा (सं० प्रा०, ६१९२)।  
 सदाचारस्मृतिव्याख्याक्षीरसिन्धु—बडोदा (सं० १८२०)  
 प्रयोगपारिजात का उ० है।  
 सद्धर्मचन्द्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।  
 सद्धर्मचिन्तामणि—आचारमयूख में व०।  
 सद्धर्मतत्त्वाव्याख्यान—भयुरा के गणेश-मुत्र हरिप्रसाद  
 द्वारा। ६२ श्लोका में। ले० ने आचारतत्त्व भी  
 लिखा।  
 सद्बृत्तरत्नमाला।  
 सनत्कुमारसहिता—त्रिस्यलीसेतु एव नि० मि० में व०।  
 सन्तानदीपिका—सन्तानहीनता के ज्योतिष्-कारण  
 बताये गये हैं।  
 सन्तानदीपिका—जैराव द्वारा।  
 सन्तानदीपिका—महादेव द्वारा।  
 सन्तानदीपिका—हरिनायाचार्य द्वारा।  
 संदर्भभूतिका—द्वारलता पर टीका।  
 सन्ध्याकारिका—लीलापर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा।

सन्ध्याश्रयभाष्य—गरगुराम द्वारा (बडोदा, ६४६३);  
 द्विजवल्लता नाम भी है।  
 सन्ध्यादि ब्रह्मकर्म।  
 सन्ध्यानिर्णय।  
 सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली—रामपण्डित एव लक्ष्मी के पुत्र  
 कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्ला (सं०  
 ४४२, पृ० ८०)।  
 सन्ध्यापद्धति—रघु० के आह्विततत्त्व में व०।  
 सन्ध्याप्रयोग—नो० (जिल्द १०, पृ० ३४३)।  
 सन्ध्यारत्नप्रदीप—आशाधर भट्ट द्वारा। तीन विरणों में।  
 बडोदा (सं० २९)।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—(या सन्ध्याभाष्य) आनन्दतीर्थ  
 द्वारा।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—राघवदेवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा।  
 चार अध्यायों में। बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ०  
 २३७)।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—रामभट्ट एव लक्ष्मी के पुत्र तथा  
 मुकुन्दाश्रम एव कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा।  
 हुल्ला (पृ० ५८)। इसे सन्ध्यावन्दनपद्धति भी कहा  
 जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—चिन्तायार्य एव कामाम्बा के पुत्र  
 चौण्डपार्य द्वारा। आद्वलायनीयो के लिए। भानु  
 के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—तिर्मलदण्डा (या तिरुमल०) द्वारा।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—नारायणपण्डित द्वारा। ले० ने ६०  
 ग्रन्थ लिखे हैं।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा।  
 बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में  
 प्रणीत।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी सध्या एव  
 तैत्तिरीय सध्या पर)।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—वैवट्याचार्य द्वारा (ऋग्वेद  
 पर)।  
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—नृसिंह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीन  
 (पृ० २५६)।

संध्यावन्दनभाष्य—शंकराचार्य (?) द्वारा।  
 संध्यावन्दनभाष्य—शत्रुघ्न द्वारा। अलवर (सं० १५१४)।  
 संध्यावन्दनभाष्य—श्रीनिवासतीर्थ द्वारा।  
 संध्यावन्दनमन्त्र—विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए  
 इस नाम के कई ग्रन्थ हैं।  
 संध्यामन्त्रव्याख्या ब्रह्मप्रकाशिका—भट्टोजि के शिष्य  
 वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग०  
 १६५० ई०।  
 संध्यारत्नप्रदीप—आशावरभट्ट द्वारा। बड़ोदा (म०  
 २९)।  
 संध्यावन्दनविवरण—द्विजकल्पलता से।  
 संध्याविधिमन्त्रसमूहटीका—रामानन्दतीर्थ द्वारा।  
 संध्यासूत्रप्रवचन—हलायुध द्वारा।  
 सन्यासकर्मकारिका।  
 सन्यासग्रहणपद्धति—जनार्दनभट्ट के पुत्र आनन्दतीर्थ  
 द्वारा।  
 सन्यासग्रहणपद्धति—शंकराचार्य द्वारा।  
 सन्यासग्रहणपद्धति—शौनककृत कहा गया है।  
 सन्यासग्रहणरत्नमाला—भीमाशंकरगमा द्वारा (बड़ोदा,  
 १२३०५)।  
 सन्यासप्राह्यपद्धति—(सन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री)  
 शंकराचार्यकृत कहा गया है। सन्यास-ग्रहण के समय  
 के कृत्यों पर।  
 सन्यासदीपिका—अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा,  
 १००५७)।  
 सन्यासदीपिका—नृसिंहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम  
 द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)।  
 सन्यासधर्मसंग्रह—अच्युताश्रम द्वारा।  
 सन्यासनिर्णय—वल्लभाचार्य द्वारा (पद्य में)। टी०  
 लेखक १। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र  
 पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४-  
 ८६)। टी० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ  
 द्वारा। बी० बी० आर० ए० एस्० (भाग २, पृ०  
 ३२७)। टी० विट्ठलेश द्वारा।  
 सन्यासनिर्णय—पुरुषोत्तम द्वारा।

सन्यासपदमंजरी—वरदराजभट्ट द्वारा।  
 सन्यासपद्धति—नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वर्णित।  
 सन्यासपद्धति—अच्युताश्रम द्वारा।  
 सन्यासपद्धति—माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के  
 मंस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)।  
 सन्यासपद्धति—निम्बार्कशिष्य द्वारा।  
 सन्यासपद्धति—ब्रह्मानन्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या  
 १६७६) की सन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के  
 अनुसार है।  
 सन्यासपद्धति—रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिंह से उद्धृत)।  
 सन्यासपद्धति—शंकराचार्यकृत मानी गयी है (इ० आ०,  
 पृ० ५२१, संख्या १६४२)।  
 सन्यासपद्धति—शौनककृत मानी गयी है, नो० (भाग २,  
 पृ० १०१)।  
 सन्यासभेदनिर्णय।  
 सन्यासरत्नावलि—पद्मनाभ भट्टारक द्वारा (माध्व  
 सिद्धान्तों के अनुसार)।  
 सन्यासरीति।  
 सन्यासवरण—वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०,  
 पृ० १७८)।  
 सन्यासविधि—विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)।  
 सन्यासाह्निक।  
 सन्यासिपद्धति—(वैष्णवों के लिए) इण्डिया आ०  
 (पृ० ५२३)।  
 सन्यासिमरणोत्तरविधि—स्टीन (पृ० १०७)।  
 सन्यासिसंध्या।  
 सन्यासिसमारोधन।  
 सन्यासिसापिण्ड्यविधि—वैदान्तरामानुज तातदास  
 द्वारा। सन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण  
 पर।  
 सन्मार्गकण्टकोद्धार—कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी-  
 करण की आवश्यकता पर)।  
 सन्मार्गकण्टकोद्धारखण्डन—मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डुलिपि  
 (भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)।  
 सपिण्डनिर्णय।



सपिण्डीकरण।

सपिण्डीकरणखण्डन।

सपिण्डीकरणविधि।

सपिण्डीकरणश्राद्ध।

सपिण्डीकरणान्तकर्म।

सपिण्डीकरणान्वष्टका।

सपिण्डीश्राद्ध—रघुवर द्वारा (से० प्रा०, स० ६२२१)।

सप्तपाकयज्ञभाष्य।

सप्तपाकयज्ञशेष—चार प्रश्ना में विभक्त, प्रत्येक प्रश्न अध्याया में विभक्त। नो० (भाग २, पृ० १२२-१२५)।

सप्तपाकसत्याविधि—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। श्रवणावर्ग, संपंबलि, आश्वयुजी, आप्रयण, अष्टका एवं पार्वणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम आये हैं।

सप्तमठाम्नायिक—देखिए मठाम्नायादिविचार।

सप्तार्षिमत—(—या स्मृति) नि० मि० में वर्णित।

सप्तार्षिसप्तस्मृति—३६ पदा में (इ० आ०, पृ० ४००), मात श्रुति हैं—नारद, बसिष्ठ, कौशिक, पैगल, गर्ग, वसिष्ठ एवं कण्व।

सप्तार्षिस्मृतिप्रह्ला।

सप्तार्षिसप्तार्षिसप्तमुच्य—गामतीति आचार्य द्वारा, (नो०, ८ पृ० १४४)।

सप्तार्षिसप्तार्षिप्रयोग—विद्वनाय के पुत्र अनन्वरीणित, उप० यत्नार्थित द्वारा।

सप्तार्षिसप्तार्षिप्रयोग—महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा।

सप्तार्षिसप्तार्षिप्रयोग—अनन्वरीणित व राजरामजीतुभ से उद्धृत।

सप्तार्षिसप्तार्षिप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयागरत्न में।

सप्तार्षिसप्तार्षिसप्तार्षि—गन्धर्व-वृत्त करने एवं दण्डनामी गन्धर्वों (नीच, आप्रम वर, अप्रय्य, गिरि, पर्वत, गान्धर्व मत्तवरी भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर पारंगार्य तक के १० मठागुरुओं के विषय में। नो० (भाग १, पृ० २९५)।

सप्तार्षि-सप्तार्षि।

सप्तार्षिसप्तार्षि—वसिष्ठार्य द्वारा।

सप्तार्षिसप्तार्षि—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। देखिए वीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ वेदल एकादशी-निर्णय का अर्थ है।

सप्तार्षिसप्तार्षि—दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित।

सप्तार्षिसप्तार्षि—अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० २०५) तक स० १६०२ (१६८०-८१) में।

सप्तार्षिसप्तार्षि—पराशर गोत्र के नारायणारम्भ माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा, प्रतापमार्तण्ड का पाँचवाँ भाग, प्रताप (हरदव) के आदेश से लिखित। १५००-१५२५ ई० के लगभग।

सप्तार्षिसप्तार्षि—मुकुन्दलाल द्वारा।

सप्तार्षिसप्तार्षि—रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० (भाग ८, पृ० २१३)।

सप्तार्षिसप्तार्षि—विष्णुगर्ग द्वारा। इन्हें 'स्वराटमन्त्राः इति-चित्पथपतिमहापात्रिक' कहा गया है। यह 'कीर्ति-प्रकाश नामक निबन्ध का एक अर्थ है। गौर कुल में उत्पन्न बनरसिंह के पुत्र कीर्तिगिरि के आदेश से प्रणीत। इसका विषय है 'राज्यपरमुराममानोपन', जो मदनसिंह देव के समान है, जिनके आदेश में मदनरत्न का प्रगयन हुआ। सम्भवत इसी का श्राद्धक्रिया-नौमुदी एक रघु० के मतभागतरव में सम्यक्तराज कहा गया है।

सप्तार्षिसप्तार्षि—विठ्ठल दीक्षित द्वारा (से० प्रा०, ६२८८)।

सप्तार्षिसप्तार्षि—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० जगदीश, मधुसूदन ठाकुर द्वारा।

सप्तार्षिसप्तार्षि—रुद्रिहरमठशास्त्र द्वारा। निबि तक १४८१ (गाणे महाभारत-वेदश्रवणस्यारण) अर्थात् १५५९-६० ई०)। यह महाराष्ट्रस्य है किनेन रघु० का पिता था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बङ्गोरा (पृ० १०१०)। इसमें पारिविक कृत्यों के सूत्रों का उल्लेख है।

सप्तार्षिसप्तार्षि—से० प्रा० (६२८९)।

सप्तार्षिसप्तार्षि—(या बालकृष्ण) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०६। परशुरे द्वारा मुद्रित।

समयमयूख—कृष्णभट्ट द्वारा।

समयरत्न—मणिराम द्वारा।

समयालोक—पद्मनाभभट्ट द्वारा। दे० दुर्गाविलीप्रकाश।

समयोदद्योत—मदनरत्न का एक भाग।

समयसार—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी०

लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४)। टी०

सूर्यदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास द्वारा, इसने

लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ०

२०४-२०६)।

समस्तकालनिर्णयाधिकार।

समानप्रवरग्रन्थ—स्टीन (पृ० १०७)।

समावर्तनकालप्रायश्चित्त।

समावर्तनप्रयोग—श्यामसुन्दर द्वारा।

समुदायप्रकरण—जगन्नाथसूरि द्वारा।

समुद्रकर भाष्य—श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आह्वितत्व

एवं श्राद्धतत्त्व में वर्णित।

समुद्रयानमीमांसा।

सम्प्रदायप्रदीप—गद द्विवेदी द्वारा; संवत् १६१०

(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों

में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्वैपायन, शुक से

आगत विष्णुभक्ति-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग

के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र

विठ्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक-

प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का

उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन

पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा—गृहसेवा, भाग-

वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरपेक्ष्य।

इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य,

मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ

का, जब कि उनके माता-पिता काशी को याग रहे थे,

उल्लेख है। ड० काँ०, सं० १७६ (१८८४-

८६)।

सम्बन्धगणपति—हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल

द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह-प्रकारों

आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०।

सम्बन्धचूडामणि—अज्ञात। विवाह के निपिद्ध सम्बन्धों पर।

सम्बन्धतत्त्व—नि० सि० में उल्लिखित।

सम्बन्धनिर्णय—गोपालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा।

सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से

सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर।

सम्बन्धप्रदीपिका—विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०-१०६)।

सम्बन्धरहस्य—स्मृतिरत्नावली में वर्णित।

सम्बन्धविवेक—भवदेवभट्ट द्वारा। उद्वाहृतत्व एवं

संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३।

सम्बन्धविवेक—शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्व

में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है।

सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है।

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश—(या उद्वाहव्यवस्था)। नो०

(भाग ३, पृ० ३३४)। उपर्युक्त उद्वाहव्यवस्था से

भिन्न।

सरटपतनशान्ति।

सरला—(गोभिलगृह्य पर भाष्य ?) रघु० के उद्वाह-

तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृषोत्सर्गतत्व में

वर्णित।

सरस्वतीदशश्लोकी।

सरस्वतीविलास—उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव

द्वारा। दे० प्रक० १००।

सरोजकलिका—भास्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आशीच,

शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं,

क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो०

(भाग ६, पृ० ३९)।

सरोजसुन्दर—(या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर

(उद्धरण ३७०)। पीटर्सन का यह कथन भ्रामक है

कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है।

सर्पबलि।

सर्वतीर्थयात्राविधि—कमलाकर द्वारा।

सर्वदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह।

सर्वदेवप्रतिष्ठाकर्म।

सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग—माघवाचार्य द्वारा। नो० न्यू०  
(भाग ३, पृ० २१९)।

सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि—रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा।

सर्वधर्मप्रकाश—नारायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा।  
दे० धर्मप्रकाश।

सर्वदेवमूर्तिप्रतिष्ठाविधि।

सर्वधर्मप्रकाशिका—वल्लभवृत्त। रामभक्ति पर ४२६  
श्लो० की मे, विभिन्न मासों एवं तिथियों मे, मदनोत्सव  
(चंद्र द्वादशी), आपाठ शुक्ल द्वादशी पर क्षीराब्धि-  
शयनोत्सव, मुद्राधारणवेधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जैसे  
उत्सवों एवं वृत्तों पर। ४० का० पाण्डु० ३३१  
(१८८७-९१)।

सर्वपुराणसार—दाकरानन्द द्वारा।

सर्वपुराणार्थ संग्रह—वैकटराय द्वारा।

सर्वपुराणार्थसंग्रह।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—नारायणभट्ट कागलकर के पुत्र  
शेखरभट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा।  
तुलज के पुत्र तजौरराज धरम के अधीन लिखा गया।

सर्वप्रायश्चित्तलक्षण।

सर्वव्रतोद्यापन—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वव्रतोद्यापनप्रयोग।

सर्वशान्ति।

सर्वशान्तिप्रयोग—हेमाद्रि का वर्णन है। बीकानेर (पृ०  
४५९)।

सर्वशास्त्रार्थनिर्णय—कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी०  
आर० ए० एम्०, पृ० २३८ (सं० ७४४), पाण्डु०  
की तिथि तक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९)।

सर्वसंस्कारसंग्रह—नि० सि० मे वर्णित।

सर्वसंस्कारसंग्रह—भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के  
बीच मे।

सर्वस्मृतिप्रह—सर्वकृत् वाजपेययाजी द्वारा।

सर्वप्रियणकालनिर्णय।

सर्वाद्भुतशान्ति।

सर्वारिष्टशान्ति।

सर्वोपयुक्तारिका—अज्ञात, श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी०  
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह मे, भट्टोजि के  
आधार पर।

सहगमनविधि—(या सतीविधान) गोविन्दराजवृत्त माना  
गया है। ६० अ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६  
श्लोकों मे।

सहगमनश्राद्ध।

सहचारविधि—पति की चिता पर भस्म होनी हुई सती  
के विषय के वृत्त।

सहचारविधि—(या सहगमनविधि) ४० वा० पाण्डु०  
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्  
१६८६ है।

सहस्रचण्डीविधान—कमलाकर द्वारा।

सहस्रचण्डीविधि—अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)।

सहस्रचण्डीशतचण्डीविधान।

सहस्रचण्डीपादिविधि—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।  
अपने ग्रन्थ निर्णयतिन्धु का उल्लेख किया है। नो०  
(९, पृ० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०।

सहस्रभोजनविधि—स्टीन (पृ० १०७)।

सहस्रभोजनसूत्रव्याख्या—गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र  
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८)। मौलिक  
सूत्र बोधायन के हैं।

सहानुमरणविवेक—रामचरण न्यायालकार के पुत्र अनन्त-  
राम त्रिधावागीदा द्वारा। शुद्धितत्व, विवादभागर्षव  
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७  
पृ० २२३)।

सहृदय—हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७,  
पृ० २८१)।

सावत्सरिकश्राद्ध।

सावत्सरिककौटुम्बिकश्राद्धप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार।  
नो० (भाग २, पृ० ६६)।

सागर—वृद्ध-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा—अद्भुत-  
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर।

सागरधर्मामृत।

सागरसंहिता—हेमाद्रि द्वारा वर्णित (२, पृ० ८५२)।

सावित्रविधि—अग्निहोत्रियों के अद्वैत-रुत्यों के नियमों पर।

सांख्ययनगृह्यसूत्र—दे० शंकरायनगृह्यसूत्र।

सांख्ययनगृह्यसंग्रह—शानुदेव द्वारा। दे० शंखायन० (ब्रह्मरत्न संग्रह भाग में प्रकाशित)।

सायनचन्द्रिका—तन्त्रवेन्द्र स्वामी द्वारा। यज्ञयन रुत्यों पर।

सायनोद्गादशी—अनेक का नञ्जीर कौटल्याग (पृ० ११० बी)।

साधारणप्रायश्चित्तसंग्रह।

साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार। नो० (भाग २, पृ० ६३२)।

सापिण्डीमंजरी—नागेश द्वारा।

सापिण्ड्यकल्पलता—(या-श्रुतिका) नीलकण्ठात्मज श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा। २४ या २५ पत्रों में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। लेखक देवालयपुर का था। उ० का० पाण्डु० ६१३ (१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सापिण्ड का तात्पर्य है शरीर के कर्णों से सम्बन्ध। दे० ना० न्यू० (भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ श्लोकों की संख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा (सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०); वह लेखक का पीत्र एव नागेश का शिष्य था; नरसिंह-सप्तपि, वीरमिथोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का उल्लेख है।

सापिण्ड्यतत्त्वप्रकाश—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा। बड़ोदा (१२७८३)।

सापिण्ड्यदीपिका—नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी एवं सापिण्ड्यनिर्णय भी कहा जाता है।

सापिण्ड्यदीपिका—(या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख है। सम्भवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः

उक्तका काल १५२०-१५८० ई० है। उ० का० पाण्डु० (नं० २०८, १८८२-८३) का नाम अनुकल्प सापिण्ड्य-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। उ० का० पाण्डु० (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ (१५९० ई०) है।

सापिण्ड्यनिर्णय—नागोजिभट्ट द्वारा। नन्दपण्डित, अनन्तादेव, गोविन्दार्णव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि शक संवत् १७२५ है।

सापिण्ड्यनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। उ० का० पाण्डु० (नं० ६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों है—'अथ सप्तमीपंचमीनिर्णयः'।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या ६३७८-८०)।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२)।

सापिण्ड्यनिर्णय—श्रीधरभट्ट द्वारा। व्य० म० द्वारा व०। यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। उ० का० पाण्डु० (१२८, १८९५-९८)।

सापिण्ड्यप्रदीप—नागेशकृत। सापिण्ड्यकल्पलतिका की टीका में व०। धरपुरे द्वारा प्रका०।

सापिण्ड्यमीमांसा—नि० सि० में व०। सम्भवतः यह श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है।

सापिण्ड्यविचार—विश्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा (बड़ोदा, १९४७)।

सापिण्ड्यविषय—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

सापिण्ड्यसार—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा (बड़ोदा, १२७८४)।

सापिण्ड्यश्राद्धविधि।

सामग्रतप्रतिष्ठा—रघुनन्दन द्वारा।

सामगवृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्ग-तत्त्व।

सामगाहिक—दे० छन्दोगाहिक।

सामगृह्यपरिशिष्ट—दे० गोभिलगृह्यपरिशिष्ट।

सामगृह्यवृत्ति—ह्रस्वकन्द द्वारा।

सामवेदीयदशवर्ग—भवदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान-  
पद्धति (प्रब० ७३) जो भवदेवद्वृत है।

सामवेदीयसंस्कारपद्धति—देवादित्य के पुत्र वीरेस्वर  
द्वारा। नो० न्यु० (भाग ३, पृ० २२१)। लग०  
१३०० ई०।

सामान्यक्रमवृत्ति।

सामान्यप्रवृत्तक—त्रिस्यलीसेतु का एक अक्ष।

सामान्यहोमपद्धति।

सायणोप—नि० मि० मे व०। मम्मवत, यह सायण की  
पुस्तक प्रायश्चित्तसुगानिधि है।

सायंप्रातरौपासन।

सारप्राहकर्मविपाक—नागर ब्राह्मण पथनाम-आत्मज के  
ष्वेष्टपुत्र काण्हरदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के  
पुत्र दुर्गासिंह के मन्वी कर्जसिंह के आश्रय में मन्वपद्मनगर  
में सवत् १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक  
का कथन है कि उसने मौलिंगिन्प या मौलिंगिन्प के  
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आनृत किया है जिससे  
उसने १२०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इस ग्रन्थ में  
४९०० श्लोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं वीथायन  
से क्रमशः २७६ एवं ५०० दंडों लिये हैं। ग्रन्थ में  
५५ प्रवरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ०  
(पृ० ५७३, स० १७६७), बडौदा (स० ९४५९ एवं  
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३  
पृ० ६३)। दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी  
उद्धरण हैं। बडौदा पाण्डु० संवत् १४९६ (१४३९  
ई०) में उत्तारी गयी थी।

सारमञ्जरी—श्रीनाथद्वृत छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश की  
टीका।

सारसंग्रह—दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत

सारसंग्रह—मदनपारिजात, सं० की० तथा रघु के  
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०।

सारसंग्रह—अज्ञात। शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में।  
पाण्डु० (इ० आ०, पृ० ५३५ स० १६७९) की  
तिथि १७७४ (१७१७ १८ ई०) है।

सारसंग्रह—मुसलिमद्वारा।

सारसंग्रह—राधकभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व में  
व०।

सारसंग्रहदीपिका—रामप्रसाददेव वर्मा द्वारा।

सारसंग्रह—गम्मुदाम द्वारा।

सारसमुच्चय—हेमाद्रि-दानखण्ड एवं मूलपाणि द्वृत  
दुर्गात्मविवेक में व०।

सारसागर।

सागरयंचतुष्टय—वरदाचार्य द्वारा।

सारावलि—अपरारक (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर)  
द्वारा व०। मम्मवत ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा  
द्वृत था, जिसे अरबहनी ने वर्णित किया है, अत  
तिथि १००० ई० के पूर्व।

सारावलि—दे० स्मृतिमारावलि।

सारासारविवेक।

सारोद्धार—(त्रिषष्टलोकविवरण की टीका) गम्मु-  
भट्ट द्वारा।

सिंहस्वपद्धति—जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस  
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो०  
(भाग १०, पृ० ३४८)। हेमाद्रि पर आप्त।

सिद्धान्तचिन्तामणि—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

सिद्धान्तज्योत्स्ना—चनिरामद्वारा (सं० प्रा०, ६५२१)।

सिद्धान्ततत्त्वविवेक—कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक।

सिद्धान्तविधिनिर्णय—शिवनन्दन द्वारा। सं० प्रा० के०  
(६५२२)।

सिद्धान्तनिर्णय—रघुराम द्वारा।

सिद्धान्तपीयूष—कालभुक् के लिए चित्रपति द्वारा  
लिखित।

सिद्धान्तविन्दु—थाड पर (बर्नेल, तञ्जौर, १४३ बी)।

सिद्धान्तमञ्जरी—दे० दक्षमिद्धान्तमञ्जरी।

सिद्धान्तशिरोमणि—मीहनिमिथ द्वारा।

सिद्धान्तशेखर—भारामणभट्ट के प्रवागरत्न एवं रघु० के  
मध्यपरिष्ठातत्त्व में व०। मम्मवत तान्त्रिक ग्रन्थ।  
१५०० ई० के पूर्व।

सिद्धान्तशेखर—भास्कर के पुत्र त्रिस्वनाथ द्वारा।

सिद्धान्तसर्वभर्त—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

मिद्वान्तपुत्रोद्धार—विश्वरूप के स्मृतिगारोद्धार में य० ।  
 सोमनाभनंपद्धति ।  
 सोमनाभनिर्गम ।  
 सुहृत्प्रवचन—उत्तमनाभर विद्वेद द्वारा । आचार, आर्षीय, श्राद्ध एवं अमात्यिका (अनुभवकालमें से प्राप्त प्रमाण) पर। नी० (भाग २, पृ० ११९) ।  
 सुगतिगोपान—देवार्पण के पुत्र वर्णोत्तर करती द्वारा । यद् यन्देश्वर के भाषा है। दे० प्र० १०१ । विद्वत् ने अपने की मन्त्राणाभिधायक कहा है और लिखा है कि यद् देवार्पण मतिविधिक (मार्ग विद्या) में महाप्रज्ञ प्राप्त था। यद् द्वारा मुक्तिद्वारा में एक रूपर द्वारा य० । १६३ मिद्वान्तपूरी के प्रथम चरण के लभभग प्रणीत ।  
 सुज्ञानबुगोदय—विद्वान् भट्ट के पुत्र मिद्वान्त, उ० गागान्ठु द्वारा । १९ संस्कारों पर। १६३५ ई० के लभभग प्रणीत (वीरानेय, पृ० ४३५) ।  
 सुवर्तनकालप्रभा—रामेश्वर शास्त्री द्वारा ।  
 सुवर्तनभाष्य—आपरान्तगुणभुज पर सुवर्तनाचार्य की टीका । भट्टोजि के प्रमुक्तिगीतम व्याख्यान में तथा नि० नि० में य० । १५५० ई० के पूर्ण। टीका अष्टदशिका, श्राद्धविद्यातीर्थ द्वारा; नि० नि० में य० ।  
 सुवर्तनसोमांसाविवेक—बृहदा (४०८५) । वैष्णवों के लक्ष्यप्रतिपत्तनाम्यपारण को मान्य ऊट्टराता है। पाण्डु० की तिथि संवत् १८३४ ।  
 सुषोचन्द्रिका ।  
 सुषोमपूज ।  
 सुषोविलोचन—गोपालभूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग-चन्द्रिका एवं वैष्णवप्रक्रिया में य० ।  
 सुषोविलोचन—वैदिकसावित्री द्वारा ।  
 सुषोविलोचनसार ।  
 सुन्दरराजीय—प्रयोगचन्द्रिका में य० ।  
 सुप्रभा—मिद्वेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका । १६९२ में प्रणीत ।  
 सुषोधिनी प्रयोगपद्धति—काशी संस्कृत माला में प्रका० (कृष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया) ।

सुषोधिनी (सामवेदिका)—अनन्तेश्वर द्वारा । नवग्रहों की भाषित पर।  
 सुषोधिनी—(विद्वान्भट्टजी की एक टीका) कमलाकर के पुत्र अनन्त द्वारा । १६१०-१६६० ई० ।  
 सुषोधिनी—मामेश्वर द्वारा ।  
 सुषोधिनी—संशोधित्वर के पुत्र रत्नपाणिधर्मों द्वारा । मिद्वान्त के सूर्यार के आदेश ने लिखित । दस संस्कारों, श्राद्ध एवं आधिक पर एक स्मृतिनिबन्ध । नी० (६, पृ० ४३) ।  
 सुषोधिनी—मिद्वेश्वरभट्ट द्वारा मिताधारा पर टीका । दे० प्र० १३ । व्यवहार प्रकारण एवं अनुवाद परमुने द्वारा प्रका० ।  
 सुषोधिनी—(प्रयोगपद्धति) विश्वाम के पुत्र निवराम द्वारा; मामेश्वर के विद्याधियों के लिए । अपनी कृत्यनिष्ठागणि का उल्लेख किया है। लभभग १६४० ई० ।  
 सुमन्तुपदमसूत्र—दे० प्र० २९ एवं ट्राएनिएल कैटलाग, मद्राग गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५१६०-६२) ।  
 सुमन्तुस्मृति—मिताधारा एवं अपराकं द्वारा य० ।  
 सूतफलीपिका—दे० विद्याच्छ्लोकी ।  
 सूतकनिर्णय—(पृष्ठ के किनारे 'अष्टकाशीचभाष्य' नाम भी लिखा है) । स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९) में तिथि संवत् १४६६ (१४०९-१९ ई०) है। "नाम, दन्त, उपनयन से पूर्व त्रिरात्र एवं आप्लव" इत्यादि ।  
 सूतकनिर्णय—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डारकर संग्रह में) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छ्लोकी का उल्लेख है ।  
 सूतकसार ।  
 सूतकसिद्धान्त—देवयासिक द्वारा ।  
 सूरसंक्रान्तिदीपिका—जयनारायण तर्कपंचानन द्वारा ।  
 सूरिसन्तोष—रघु० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में उल्लिखित ।  
 सूर्यनमस्कारविधि ।  
 सूर्यप्रकाश—कृष्ण के पुत्र, हरिसामन्तराज द्वारा । धर्म-

शास्त्र पर एक बृहत् निबन्ध। वीकानेर (पृ० ४७६)  
के कंटलाग मे केवल व्रतखण्ड ही मिलता है।  
सूर्यादिपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति—भारद्वाज महादेव के  
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एव  
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर।  
सूर्यार्घ्यदानपद्धति—महादेवभट्ट द्वारा।  
सूर्यार्घ्यदानपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा।  
लग० १५२०-१५८० ई०।  
सूर्यार्घ्यकर्मविपाक—अलवर (स० २९३), बम्बई मे  
मुद्रित।  
सूर्योदयनिबन्ध—नारायण की धर्मप्रवृत्ति मे व०।  
सेतुयात्राविधि।  
सोदकुम्भश्राद्ध।  
सोमनाथीय—नितल कुल के सूरभट्ट-पुत्र एव वैकटादि-  
यन्त्रा के लघु भ्राता सोमनाथभट्ट द्वारा।  
सोमवारव्रतोद्यापन।  
सोमवारामावास्याव्रतकालनिर्णय।  
सोमशेखर—(निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व मे एव  
सरस्वतीविलास (मैसूर संस्करण, पृ० ४२२) मे व०।  
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है।  
सोभाग्यकल्पद्रुम—अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)।  
स्त्रीधननिर्णय।  
स्त्रीधनप्रकरण।  
स्त्रीधर्मकमलाकर—कमलाकरभट्ट द्वारा। विवादताण्डव  
मे व०।  
स्त्रीधर्मपद्धति—श्रम्वक द्वारा।  
स्त्रीपुनरुद्वाहखण्डनमालिका—राघवेन्द्र द्वारा।  
स्त्री-शुद्धदिनधर्मा।  
स्थालीपाक—(आपस्तम्बीय)।  
स्थालीपाक—(आश्वलायनीय)।  
स्थालीपाकनिर्णय।  
स्थालीपाकप्रयोग—(आश्वलायनीय)।  
स्थालीपाकप्रयोग—कमलाकर द्वारा। नो० न्यू० (भाग  
३, पृ० २३६)।  
स्थालीपाकप्रयोग—नारायण द्वारा।

स्थावरप्राणप्रतिष्ठा।

स्थिरलिङ्गप्रतिष्ठा।

स्नानविधिसूत्रपरिशिष्ट—(या स्नानसूत्र या त्रिनष्टिका  
सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, बर्क  
द्वारा। टी० स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र  
गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा।  
टी० छाग याज्ञिकचक्रबुद्धाचिन्तामणि द्वारा। टी०  
त्रिमल्लतनय (केचव ?) द्वारा। टी० महादेवद्विदेवी  
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४)। टी० स्नानपद्धति  
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा। टी० स्नान-  
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है  
कि उसने इस ग्रन्थ मे अपने भाष्य का आधार लिया  
है। टी० स्नानव्याख्या एव पद्धति, अग्निहोत्री  
हरिहर द्वारा।

स्मार्तकर्मनिष्ठानक्रमविवरण—चण्डक द्वारा (बडोदा,  
२९६, सबत १५९३)।

स्मार्तकुतूहल।

स्मार्तसंगाधरी—गगाधर द्वारा (सि० प्रा० सख्या  
६७१०)।

स्मार्तदिनमणि—मैसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तदीपिका—अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर।  
बर्नेल (तञ्जीर कंटलाग, १३९ ए)।

स्मार्तपदार्थसंग्रह—गगाधर की प्रयोगपद्धति से।

स्मार्तपदार्थानुक्रमणिका—द्वैपायनाचार्य द्वारा (बडोदा,  
६९८६)।

स्मार्तपरिभाषा—कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य मे व०।

स्मार्तप्रदीपिका—मैसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तप्रयोग—त्रोपण्य भट्ट द्वारा।

स्मार्तप्रयोग—(हिरण्यकेशीय) टीका वैजयन्ती।

स्मार्तप्रयोगकारिका।

स्मार्तप्रायश्चित्त—बालभट्ट के पुत्र रामभट्ट-तनून  
विष्णुभट्ट (उप० गङ्गर) द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तप्रयोग—(या प्रायश्चित्तोद्धार) रामेश्वर  
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काल या  
काले) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामकृष्ण

की पुत्री के पुत्र थे। लग० १६६०-१६८० ई०।  
वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २३८, सं० ७४५)।

स्मार्तप्रायश्चित्तविनिर्णय—वेंकटाचार्य द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार—यह दिवाकरकृत स्मार्तप्राय-  
श्चित्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्धार ही है।

स्मार्तमार्तण्ड-प्रयोग—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा।

स्मार्तव्यवस्थाणव—मयुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम  
द्वारा। शक संवत् १५८३ (१६६१-६२ ई०) में  
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि,  
संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त,  
उद्वाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (४० का०,  
पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २,  
पृ० ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय  
पर)।

स्मार्तसमुच्चय—देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा।  
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना  
ग्रन्थ माना है।

स्मार्तस्फुटपद्धति—नारायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०,  
सं० ६७१७)।

स्मार्तधानपद्धति—गोविन्द द्वारा।

स्मार्तधानप्रयोग—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा  
(वी० वी० आर० ए० एस्०, पृ० २३९, सं० ७४७)।  
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्मार्णव। १५००  
एवं १६७५ ई० के बीच में।

स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।  
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के  
अन्तर्गत। आश्वलायन के आधार पर (इ० आ०  
पृ० ५१६)।

स्मार्तपासनपद्धति—प्रयोगरत्न से।

स्मार्तोल्लास—पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद  
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८)। पाण्डु० की तिथि शक  
१६१०। मदनरत्न, जेडरानन्द का उल्लेख है।  
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल,  
मुहूर्तविचार, अग्निहोत्री के कर्तव्यों एवं रजस्वला  
धर्म जैसे कठिन विषयों पर।

स्मृतिकदम्ब—कञ्चं येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्सा (सं०  
६५७)।

स्मृतिकल्पद्रुम—शुक्ल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक  
द्वारा, स्टीन, पृ० १०८।

स्मृतिकौशदीपिका—तिम्मणभट्ट द्वारा (बड़ोदा, २००८,  
केवल आह्निक पर)।

स्मृतिकौमुदी—देवनाथ ठक्कुर द्वारा। चातुर्वर्ण्य, आचार,  
आह्निक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभाग, व्रत,  
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पृ०  
२३७)।

स्मृतिकौमुदी—मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ०  
३८३-३८४) इसे शूद्रधर्मोत्पलघोतिनी भी कहते  
हैं।

स्मृतिकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६,  
पृ० १४०)।

स्मृतिकौमुदीटीका—कृष्णनाथ द्वारा।

स्मृतिकौस्तुभ—अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९।  
१२ दीधितियों में विभक्त।

स्मृतिकौस्तुभ—वेंकटाद्रि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय।

स्मृतिग्रन्थराज—सार्वभौम द्वारा।

स्मृतिचन्द्र—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।

स्मृतिचन्द्र—हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायालंकार द्वारा।  
१७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित,  
यथा—तिथि, व्रत, संस्कार, आह्निक, श्राद्ध, आचार,  
प्रतिष्ठा, वृषोत्सर्ग, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार,  
गृहयज्ञ, वेश्मभू, मल्ल्लुच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त  
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का  
अनुकरण है।

स्मृतिचन्द्रिका—आपदेव मीमांसक द्वारा। काल, मल-  
मास, व्रत, आह्निक, विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीधर्म,  
आश्रमधर्म, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६,  
३०१)।

स्मृतिचन्द्रिका—कुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में व०।

स्मृतिचन्द्रिका—केशवादित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५,  
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्भिक एवं अन्त के



इकोका से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्यभट्ट का ही है।

**स्मृतिचन्द्रिका**—केशवादिद्वयभट्ट के पुत्र देवण्यभट्ट द्वारा। दे० प्रक० ८५ (धरपुर एव मैसूर गवर्नमेंट द्वारा प्रका०)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० १३७)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—वैदिकसावंभौम द्वारा।

**स्मृतिचन्द्रिका**—विट्ठलमिश्र के पुत्र शुभदेवमिश्र द्वारा। त्रिभिर्निर्णय, शुद्धि, आशीच, व्यवहार पर (३० आ०, पृ० ४७१)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—अज्ञान। नो० (८, पृ० १५३)।

**स्मृतिचन्द्रोदय**—गणशम्भूट्ट द्वारा (सं० प्रा० सख्या ६७२३-२४)।

**स्मृतिचरण**—भवानीशंकर द्वारा।

**स्मृतिचिन्तामणि**—गोरीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या गंगाधर द्वारा। कल्पतरु, कामधनु, हेमाद्रि, मदनरत्न का उल्लेख है और नृसिंहप्रसाद (३० आ०, पृ० ४४४ व्यवहार) में वर्णित है। लगभग १४५०-१५००।

**स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह**—ट्राएनिएर; कैंठ०, मद्रास गवर्नमेंट पाण्डु०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आह्निक पर।

**स्मृतिचूडामणि**—(या—मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदाचार्य द्वारा।

**स्मृतिचर**—रघुनन्दन शर्मा। यह उनका वह निबन्ध है जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२।

**स्मृतिचरप्रकाश**—श्रीदेव द्वारा।

**स्मृतिचरनिर्णय**—(या व्यवस्थापर्व) श्रीनाथ आचार्य-चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। सूत्राणि का वर्णन है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १, पृ० ४१३)।

**स्मृतिचरविवेक**—भवेश एव गौरी के पुत्र एव मिथिला के भैरवन्द की राजगमा के ग्यायमूनि वर्धमान महा-महाराष्ट्राय द्वारा। स० १४५०-१५०० ई०। आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, पृ० १८४)।

**स्मृतिचरसार**—विहार एव उड़ीसा कैंटलाग (भाग १, सख्या ४४०)।

**स्मृतिचरामृत**—भवेश एव गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा। नो० (६, पृ० १२) में शालिकपीठिकाजलि है। नो० (६, पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहार-जलि) है, अन्तिम पद्या में वर्धमान का कथन है कि उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार कुसुम लिखे हैं। अतः स्मृतिचरविवेक एव स्मृतिचरामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवन्द के पुत्र राम के आदेश से लिखा गया है।

**स्मृतिदर्पण**—श्राद्धकल्पलता, नृसिंहप्रसाद, मूद्रकमलाकर, विद्यानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्व।

**स्मृतिदर्पण**—बडोदा (स० १०९१६) की पाण्डु० अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिचर्मा का वर्णन है।

**स्मृतिदीपिका**—वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एव अन्य कृत्यों के काल पर (भाग ५, पृ० १५७ एव ७, पृ० १२५)।

**स्मृतिदुर्गभंजन**—चन्द्रशेखर द्वारा। दे० दुर्गभञ्जन।

**स्मृतिद्वनीत**—रामचन्द्र एव श्रीनिवास के शिष्य तथा नारानंह के पुत्र वृषभाद्रिनाथ द्वारा।

**स्मृतिनिबन्ध**—नृसिंहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वर्गाश्रम-धर्म, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आह्निक, आशीच, श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक वृहत् निबन्ध (नो० ८, पृ० १७४)।

**स्मृतिपरिभाषा**—वर्धमान महामहोपाध्याय द्वारा।

**स्मृतिमहापर्व**, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। स० के एकादशीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के बीच में।

**स्मृतिप्रकाश**—हरिभट्ट के पुत्र आपात्रिभट्ट (या आपात्रि-) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा। वीकानर (पृ० ४६७) में श्राद्ध का अंग।

**स्मृतिप्रकाश**—बागुदेव रय द्वारा। कालनिरूपण शकसर, तत्काल पर। माघवाचायं एव विद्याकर वाचपैरी का उल्लेख है। १५०० ई० के पश्चात्।

- स्मृतिप्रदीप—हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०।
- स्मृतिप्रदीप—चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, आशीच, श्राद्ध पर।
- स्मृतिप्रदीपिका—दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धर्म-दीपिका।
- स्मृतिप्रदीपिका—चतुर्विंशतिमत पर अपनी टीका में भट्टोजि द्वारा व०।
- स्मृतिप्रामाण्यवाद।
- स्मृतिभास्कर—स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजात, धर्मप्रवृत्ति, नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवर्नमेण्ट (भाग ५, पृ० २०४३, सं० २७८६-८७) में एक स्मृति-भास्कर के यतिधर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं।
- स्मृतिभास्कर—नीलकण्ठ द्वारा (नी०, भाग ५, पृ० १०८)। आरम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि यह नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है।
- स्मृतिभूषण—केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व अनुयायियों के लिए एक निबन्ध।
- स्मृतिमंजरी—कालीचरण न्यायालंकार द्वारा।
- स्मृतिमंजरी—गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६।
- स्मृतिमंजरी—रत्नधर मिश्र द्वारा।
- स्मृतिमंजरी—अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, १८४-८६, श्राद्ध पर)।
- स्मृतिमंजूषा—कालादर्श, स्मृतिसार (हरिनाथकृत) एवं श्राद्ध के छन्दोगाह्निक में व०। १३०० ई० से पूर्व।
- स्मृतिमहाराज—कृष्णराज द्वारा (वड़ोदा, सं० ८०२३)। मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर मूर्तिपतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी कहा गया है।
- स्मृतिमहार्णव—(या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हेमाद्रि द्वारा व०। दे० महार्णव।
- स्मृतिमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोन्द्रसरस्वती के शिष्य परमानन्दधन द्वारा।
- स्मृतिमीमांसा—जैमिनि द्वारा। अपरार्क (पृ० २०६) द्वारा व०। जीमूतबाहन के कालदिवेक, वेदाचार्य के

- स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के व्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड में तथा नृसिंहप्रसाद द्वारा व०।
- स्मृतिमुक्ताफल—वैद्यनाथदीक्षित द्वारा। दक्षिण भारत का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णाश्रमधर्म, आह्निक, आशीच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, काल पर। लगभग १६०० ई०।
- स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह—चिदम्बरेश्वर द्वारा।
- स्मृतिमुक्तावली—विजयीन्द्रभट्टात्मज कुमार नृसिंहभट्ट के पुत्र कृष्णाचार्य द्वारा। १० प्रकरणों में।
- स्मृतिरत्न—कालादर्श, सं० की०, सं० म० (सिद्धेश्वर-कृत) द्वारा व०।
- स्मृतिरत्न—रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु० (नी०, भाग ७, पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है।
- स्मृतिरत्नकोश।
- स्मृतिरत्नमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोन्द्रसरस्वती के शिष्य श्री परमानन्दधन द्वारा। पटकर्मविचार, आचार, आशीच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख है। मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, संख्या २८०२-४)।
- स्मृतिरत्नविवेक—चण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। १३०० ई० के पूर्व।
- स्मृतिरत्नाकर—तातयार्य द्वारा (वड़ोदा, ९९१९)।
- स्मृतिरत्नाकर—ताम्रपर्णाचार्य द्वारा।
- स्मृतिरत्नाकर—भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशीच पर)। दे० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (भाग ५, पृ० २०५९, संख्या २८०६)।
- स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र विट्ठल द्वारा। वर्नेल (तंजीर, पृ० १३३ ए)। स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पूर्ववर्ती है।
- स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट द्वारा। आह्निक, १६ संस्कारों, संक्रांति, ग्रहण, दान, तिथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशीच, नित्यनैमित्तिकपर (ड० का० पाण्डु० सं० ५२, १८६६-६८)। वीरगनेर (पृ० ४६७) में पिता का नाम विदुभट्ट लिखा है।

**स्मृतिरत्नाकर**—सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरगनाथाचार्य के पुत्र वैकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वैदिक-सार्वभौम है। आह्निक अश लक्ष्मीवैकटेश्वर प्रेस, कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अखण्डा-दर्श, माधवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास-समुच्चय का उल्लेख है। इसकी सदाचारमयह भी कहा गया है।

**स्मृतिरत्नाकर**—वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नैमित्तिकाचार, गर्भाधानादि सस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, तीर्थयात्रा, भक्ष्याभक्षण, व्रत, प्रायश्चित्त, आशीच, अन्वेषिष्ट पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय में प्रणीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत-वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, दानसागर, महार्णव का उल्लेख किया है। रघु० के यजुर्नैदिश्राद्धतत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेख है। १२५०-१५०० ई० के बीच में। ६० आ० (पृ० ४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)।

**स्मृतिरत्नावलि**—नृसिंहप्रसाद, अन्वेषिष्टपद्धति (नारा-यणमट्ट कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द पंडित कृत) में वर्णित है।

**स्मृतिरत्नावलि**—महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित द्वारा। बीकानेर (पृ० ४६७, केवल श्राद्ध का अंश)।

**स्मृतिरत्नावलि**—रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन् १६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टीन (पृ० १०९)।

**स्मृतिरत्नावलि**—बेचूराम द्वारा। नो० (७, पृ० २२८)।  
**स्मृतिरहस्य**।

**स्मृतिविवरण**—आनन्दतीर्थ द्वारा। यह सदाचारस्मृति ही है।

**स्मृतिविवेक**—मेधातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३।

**स्मृतिविवेक**—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

**स्मृतिव्यवस्था**—गौड़ देश के भिन्तामणि न्यायवागीश भट्टाचार्य द्वारा। शुद्ध्यादिव्यवस्था पर। पाण्डु० श्री तिथि सप्त १६१० (१६८८-८९)।

**स्मृतिव्यवस्था**—बिहार एव उड़ीसा कंट० (१, स० ४३३)।

**स्मृतिशेखर**—(या कस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि द्वारा। बनेल (तजोर कंट० १३६ ए)। आचार पर।

**स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ**—सम्भवत अनन्तदेव का ही सस्कारकौस्तुभ है।

**स्मृतिसंक्षेप**—नरोत्तम ारा। आशीच, सहमरण, पौडश-दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग १, पृ० ४१४)।

**स्मृतिसंक्षेपसार**—मधुसूदन तर्कवागीश के पुत्र रमाकान्त चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकाल, गोत्र, प्रवर, सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५)।

**स्मृतिसंग्रह**—(या सग्रह)। दे० प्रक० ५४।

**स्मृतिसंग्रह**—(१) छलारि नारायण द्वारा, लेखक के पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसागर में व०। (२) दयाराम द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (६० का० पाण्डु० स० ३७३, १८७५-७६)। (४) नवद्वीप के राममद्र न्यायालकारभट्टाचार्य द्वारा। अनध्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, शुद्धि, उद्वाह, सापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेकन या व्यवस्थाविवेक भी कहते हैं। (५) सायण एवं माधव लिखित कहा गया है।

**स्मृतिसंग्रह**—वाचस्पति द्वारा।

**स्मृतिसंग्रह**—विचारण्य द्वारा (हृत्सा, सं० ५९१)।

**स्मृतिसंग्रह**—(या विचारण्यसंग्रह) ७००० पद्यों में एक विशाल ग्रन्थ (बडोदा, ११२४८)।

**स्मृतिसंग्रह**—बेङ्गदेश द्वारा। क्या यह बेङ्गटनाथ इत स्मृतिरत्नाकर ही है?

**स्मृतिसंग्रह**—हरदत्त द्वारा।

**स्मृतिसंग्रह**—यह परमेश्वरीदासावधि ही है।

**स्मृतिसंग्रह**—व्यवहार पर (कलकत्ता ससूत्र कालेज पाण्डु० कंट० भाग २, पृ० १३७, स० १४१)।

**स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान**—नारायणमट्ट के पुत्र रामचन्द्र द्वारा चतुर्विंशतिमत्त पर एक टीका (६० आ० कंट०

पृ० ४७५)। यह चतुर्विंशतिमत पर भट्टोजि की टीका भी हो सकती है।

**स्मृतिसंग्रहसार**—महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति-तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)।

**स्मृतिसमुच्चय**—बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यों में; आह्निक, शौच, स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण हैं।

**स्मृतिसमुच्चय**—(आचारतिलक या लघ्वाचारतिलक से) दन्तधावन, स्नान, संख्या आह्निक, श्राद्ध, एकादशी आदि पर ३२१ श्लोक (बड़ोदा सं० ७३३१)।

**स्मृतिसमुच्चय**—विश्वेश्वर कृत। जे० बी० ओ० आर० एस्० (१९२७, भाग ३-४, पृ० ६) में आया है कि यही ग्रन्थ जीमूत० के कालविवेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय) ३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के तिथिविवेक में वर्णित है।

**स्मृतिसरोजकलिका**—विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में; स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० द्राएनिएल कैट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९-२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७)।

**स्मृतिसरोजसुन्दर**—(या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर।

**स्मृतिसर्वस्व**—हुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नारायण द्वारा। इ० आ० कैट० (पृ० ४४८)। १६७५ ई० के पूर्व। इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने वाले क्षयमास का उल्लेख किया है।

**स्मृतिसागर**—कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दान्वं। शूलपाणि के दुर्गात्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि-कौमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख है।

**स्मृतिसागर**—नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु० के मलमासतत्त्व में व०।

**स्मृतिसार**—केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ श्लोक।

**स्मृतिसार**—नारायण द्वारा।

**स्मृतिसार**—महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशीच पर। नो० (३, पृ० ४८)।

**स्मृतिसार**—मुकुन्दलाल द्वारा।

**स्मृतिसार**—याज्ञिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञोपवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्ड्य, आशीच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ श्लोक। ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की तिथि संवत् १६५२ (१५९५-९६ ई०) है।

**स्मृतिसार**—यादवेन्द्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गात्सव, श्राद्ध, आशीच, प्रायश्चित्त जैसे उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा व०। इ० आ० कैट० (पृ० ४७७); नो० (भाग ४, पृ० २१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है।

**स्मृतिसार**—श्रीकृष्ण द्वारा।

**स्मृतिसार**—हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० ९१। इसे स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं।

**स्मृतिसार**—(या आशीचनिर्णय) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की टीका।

**स्मृतिसारटीका**—कृष्णनाथ द्वारा।

**स्मृतिसारप्रदीप**—रघुनन्दन द्वारा।

**स्मृतिसारव्याख्या**—विद्यारत्न स्मार्तभट्टाचार्य द्वारा।

**स्मृतिसारसंग्रह**—कृष्णभट्ट द्वारा।

**स्मृतिसारसंग्रह**—चंद्रशेखरवाचस्पति द्वारा।

**स्मृतिसारसंग्रह**—पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्णानन्द के शिष्य थे। आह्निक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड्र, क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि, क्षीरपर्वनिर्णय, यतिपार्वणश्राद्ध पर।

**स्मृतिसारसंग्रह**—महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह।

**स्मृतिसारसंग्रह**—याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ श्लोक हैं। ड० का० पाण्डु० (सं० ३४४, १८८६-९२)।

**स्मृतिसारसंग्रह**—वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख है। इ० आ० (पृ० ४३०)।

**स्मृतिसारसंग्रह**—विद्यानन्दनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर कल्प-  
तर विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। ट्राएनिएल  
कैंट० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ०  
४२६४, स० २९४४)।

स्मृतिसारसंग्रह—वेंकटेश द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—बैद्यनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसमुच्चय—धरेलु ब्रह्मो पर। शौच, ब्रह्मचारी,  
आचार, दान, द्रव्यसुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ श्रुतियों  
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० ४७७, स०  
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया  
है कि इसे धर्मशास्त्ररचि ने लिखा है।

स्मृतिसारसमुच्चय—हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त  
स्मृतिभार ही है।

स्मृतिसारसर्वस्व—वेंकटेश द्वारा। वेंकटेशवृत्त आशौच-  
निर्णय ही है।

स्मृतिसारसागर—रघु० के तिथितत्त्व मे व०।

स्मृतिसाराबलि—नि० मि० मे व०।

स्मृतिसारोद्धार—दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । धनारस  
मे प्रका०।

स्मृतिसिद्धान्तसंग्रह—इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा।

स्मृतिसिद्धान्तमुष्पा—रामचन्द्र वुष द्वारा। अपनधपट्टि  
पर एक टीका।

स्मृतिसिन्धु—शीनिवास द्वारा, जो शृणु के शिष्य थे।  
बनौल (नशोर कैंट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवा के  
लिए।

स्मृतिसुधाकर—(या वर्षवृत्त्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र  
आंजानाशकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)।

स्मृतिसुधाकर—नकरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग०।  
वे० वी० ओ० आर० एम्० (१९३७, भाग ३-४,  
पृ० १०)।

स्मृत्यधिकरण।

स्मृत्यर्थनिर्णय—(ध्वजहार पर)।

स्मृत्यर्थस्लाकर—दो स्मृत्यर्थगार भी कहा जाता है।

स्मृत्यर्थसागर—नारायण के पुत्र छत्तारि नृनिहाचार्य  
द्वारा। मध्वाचार्य की मदाचारस्मृति पर आधारित।

आह्निक, काल, आशौच एवं मुक्ति पर चार तरंगों मे  
विभक्त। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४,  
पृ० ५२) वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २३९, स०  
७४८) एवं ऑफ्रेट कैंट० (२८५ वी०)। इसका  
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्)  
मे हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख  
है। सन् १६७५ ई० के उपरान्त।

स्मृत्यर्थसागर—नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कैंट०  
(स० ६७३३)।

स्मृत्यर्थसागर—मुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृत्यर्थसागर—श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१।

स्मृत्यर्थसागरसमुच्चय—बडोडा (४०८८), शौच, आचमन,  
दन्तधावन आदि पर २८ श्रुतियों के दृष्टिकोणों के  
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है सन्  
१७४३। २८ श्रुति ये हैं—मनु, याज्ञवल्क्य, विश्वा-  
मिन, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना,  
वीजयान, दक्ष, शक, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य,  
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायम्भुव, गुरु,  
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शालानप, अगिरा,  
सर्वर्त।

स्मृत्यालोक—विहार एवं उड़ीसा कैंट० (भाग १, स०  
४४९)।

स्वस्वरहस्य—(या स्वस्वरविचार) अन्नलराम द्वारा।

स्वत्ववाद—ट्राएनिएल कैंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०  
(१९१९-२३, पृ० ४७८०)।

स्वत्वविचार—नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६)।

स्वत्वव्यवस्थापर्ववस्तुबन्ध—रघुनाथ गार्गभीम द्वारा।  
विभागनिष्पन्न, स्वोधन, स्वधिताधिकारी, अनुवर्तना-  
धिकार पर ६ परिच्छेद।

स्वर्गवाद—स्वर्गवाद, प्रतिष्ठावाद, मणिकडीकरणवाद  
पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)।

स्वर्गसाधन—रघुनन्दनभट्टाचार्य द्वारा। प्रसिद्ध रघुनन्दन  
के मित्र लेखक। श्रद्धाधिकारी, अन्वयेष्टियज्ञि,  
आशौचनिर्णय, वृत्तार्थ, पाठःश्रद्धा, पार्वण्यज्ञ  
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)।

स्वस्तिवाचनपद्धति—जीवराम द्वारा।

हनुमत्प्रतिष्ठा।

हयशीर्षपञ्चरात्र—मूर्ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण-सम्बन्धी एक वैष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं हलायुध के पुराणसर्वस्व में वर्णित।

हरितालिकान्नतर्निर्णय।

हरितोषण—वेदान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा।

हरिदिनतिलक—वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० भाग ६, पृ० २३६८, सं० ३१५३); इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालादर्श एवं कालनिर्णय के पश्चात् था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के सिद्धान्त अज्ञास्त्र एवं आसुर हैं।

हरिपूजापद्धति—आनन्दतीर्थ भार्गव द्वारा। स्टीन (पृ० १०९)।

हरिभक्ति—रघु० द्वारा आह्निकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व में वर्णित।

हरिभक्तिकल्पलता—विष्णुपुरी द्वारा। कृष्णभक्तिकल्प-वल्ली में व०।

हरिभक्तिकल्पलतिका—कृष्णसरस्वती द्वारा। १४ स्तवकों में विभक्त।

हरिभक्तिदीपिका—गणेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० १८९-१९०)।

हरिभक्तिभास्कर—(सद्वैष्णवसारसर्वस्व) भीमानन्द के पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत् १८८४ में प्रणीत।

हरिभक्तिरसायन।

हरिभक्तिरसायनसिन्धु।

हरिभक्तिरहस्य।

हरिभक्तिरता।

हरिभक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट द्वारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। दे० भगवद्भक्तिविलास। १५६२ ई० के लगभग लिखित। रघु० द्वारा व०।

हरिभक्तिविलास—(लघु) रूपगोस्वामी द्वारा। टीका

सनातन गोस्वामी द्वारा; वैष्णवतोषिणी में व०। दे० नो० (६, पृ० १९०-९३) जहाँ उनके कुल का वर्णन है।

हरिभक्तिसार।

हरिभक्तिसुधोदय—इसकी टीका का उल्लेख सदाचार-चन्द्रिका में है।

हरिवंशविलास—नन्दपण्डित द्वारा। आह्निक, काल-निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्त। दे० प्रक० १०५।

हरिवासरनिर्णय—व्यङ्गदेश द्वारा (वड़ोदा, १, ८७९३)।

हरिहरदीक्षितीय।

हरिहरपद्धति—हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द कृत) एवं रघु० के उद्गाहृतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४।

हरिहरभाष्य—पारस्करगृह्य० पर हरिहर द्वारा।

हलायुधनिबन्ध—श्रीदत्त के आचारादर्श में व०।

हलायुधीय—आचारमयूख में व०। सम्भवतः यह हला-युध का ब्राह्मणसर्वस्व ही है।

हरिलता—अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका सन्दर्भसूतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता में नन्दपण्डित द्वारा व०।

हारीतस्मृति—दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तकनलाल द्वारा।

हारीतस्मृति—(वड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आठ नारीवर्मा, नृपधर्म, जीव-परमेश्वरस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊर्ध्वपुण्ड्र पर चार अध्याय। व्यवहाराध्याय भी है।

हिरण्यकामधेनुदान।

हिरण्यकेशाह्निक।

हिरण्यकेशी (सत्यापाढ) गृह्यसूत्र—दो प्रश्नों में; चार पटलों में विभक्त (डा० किस्टे द्वारा विष्णु में सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग ३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवैजयन्ती, महादेव

द्वारा। टीका मानूदत्त द्वारा (किस्टें के संस्करण में उद्धरण)।

हिरण्यकेशिधर्मसूत्र—दे० प्र० ८। टीका उज्ज्वला, महादेव द्वारा। दे० प्र० ८।

हिरण्यध्याह्नः।

हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप—(या-सग्रह) लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि दीक्षित द्वारा। दे० बड़ौदा (संख्या ५४८०)।

हेमाद्रिनिबन्ध—यह चतुर्वर्गचिन्तामणि ही है।

हेमाद्रिप्रयोग—विद्याधर द्वारा।

हेमाद्रिसंक्षेप—भजीभट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)।

हेमाद्रिसर्वप्रायश्चित्त—बालमूरि द्वारा।

होमनिर्णय—शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानु द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०।

होमकालातिक्रमप्रायश्चित्त।

होमपद्धति—माधव द्वारा। लेखक के मलतिलक का अर्थ। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण ३७५)।

होमपद्धति—लम्बोदर द्वारा।

होमप्रायश्चित्त।

होमलोपप्रायश्चित्तप्रयोग।

होमविधान—बालकृष्ण द्वारा (श्रुतिवेदीय)। बडौ (८३५४)।

होमसिद्धान्त—अज्ञात।

होरिलस्मृति—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वर्णित

